आयकर

INCOME TAX

डा. भगवती प्रसाद
डा. एस. सी. जैन
आर. एल. गग्गड

DIWAKER MUKHERJEE

B. Com Part. I

(Kashi Vidhya Pith Varanasi)

Diwaker Mukherjee
B. Com Part I

आयकर

बी. कॉम.

जुलाई १९८६ संस्करण

आयकर

(आयकर अधिनियम १९६१ पर आधारित व

(वित्त अधिनियम १९८६ के सभी आयोजनों व संशोधनों के साथ)

गोरखपुर, बनारस, कानपुर, आगरा, बुन्देल खण्ड, रूहेल खण्ड, लखनऊ, इन्दौर, भोपाल, सागर, विक्रम, नागपुर, जीवाजी, इलाहाबाद, जबलपुर, एवं अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों के बी० कॉम० पाठ्यक्रमानुसार

लेखक :

डा० भगवती प्रसाद
एम. कॉम., पी-एच. डी.
प्रोफेसर, कौसाली इन्स्टीट्यूट आफ
मैनेजमेंट स्टडीज, कर्नाटक विश्वविद्यालय,
धारवाड़—3

डा० एस० सी० जैन
एम. कॉम., पी-एच. डी.
सहायक प्रोफेसर
लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर-4

आर० एल० पग्गड़
एम. कॉम., एम. फिल.
सहायक प्रोफेसर
लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर-4

प्रकाशक :



NAVMAN PRAKASHAN

अलीगढ़ ग्वालियर

By the same Author and Publisher

1. आयकर का उच्चतम अध्ययन (एम० कॉम० संस्करण) Rs. 50-00
2. आयकर (जनरल) Rs. 42-00
3. आयकर (दिल्ली व केन्द्रीय बिक्री-कर सहित) Rs. 42-00
4. Law & Practice of Income-tax Rs. 75-00
5. An Outline of Income-tax Rs. 40-00

प्रकाशक:
मुख्य कार्यालय :
नवमान प्रकाशन
मदार गेट, अलीगढ़-202001
फोन नं० 4319

शाखा कार्यालय :
मनू निवास,
शितोले साहब का वाड़ा
सिन्डीकेट बैंक के पीछे
जयेन्द्रगंज, ग्वालियर-४७४००१

मूल्य ३६-०० रुपये

प्रथम संस्करण १९६७
२०वां संस्करण जुलाई १९८६

मुद्रक :
औरियन्टल प्रिंटिंग प्रेस,
सराय रतन लाल, अलीगढ़-२०२००१

प्रस्तुत संस्करण की भूमिका

भगवान ने पुस्तक को संशोधित करने एवं कुछ नवीनताओं के साथ अद्यतन (upto date) बनाने का एक और अवसर प्रदान किया है। नया संस्करण इस प्रकार अनोखे रूप में आपके सम्मुख है और इसी के साथ पाठकों के प्रति हमारे दायित्व में भी वृद्धि हुई है। इस अवसर पर हम सम्पूर्ण देश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के अपने साथियों के प्रति आभार प्रकट करते हैं।

प्रस्तुत संस्करण वित्त अधिनियम 1986 के आधार पर संशोधित किया गया है तथा छपने से पूर्व तक उपलब्ध सम्पूर्ण नवीन सामग्री का इसमें समावेश किया गया है।

छात्रों की मांग पर हमने कुछ उदाहरण तथा प्रश्न अतिरिक्त जोड़े हैं। कुछ पुराने प्रश्नों व उदाहरणों को हटाकर नये प्रश्नों को जोड़ा गया है। प्रश्न में हलों के साथ विस्तृत टिप्पणी दी गई है जिससे छात्रों द्वारा हल को स्वयं समझने में सुविधा होगी।

पुस्तक को अनोखे व असाधारण रूप में लाने के लिये काफी सुधार किया गया है। पाठकों से निवेदन है कि पुस्तक के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व उपयोगी सुझाव अवश्य भेजें।

जुलाई 8, 1986

—लेखकगण

विषय-सूची

अध्याय | पृष्ठ

खण्ड १

खण्ड २

1

विषय-प्रवेश

(Introduction)

भारतीय राजस्व में आयकर का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आय के विभिन्न साधनों में इसका प्रमुख स्थान है। आयकर की वसूली तथा इससे सम्बन्धित व्यवस्था व कानून बनाना केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र का विषय है। यह अलग बात है कि वसूली गई धन राशि केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के बीच वित्त आयोग द्वारा निश्चित किये गये सिद्धांतों के आधार पर विभाजित कर दी जाती है। अतः यह एक ऐसा विषय है जिसमें सभी पक्ष—केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें व करदातागण किसी न किसी रूप में रुचि रखते हैं।

संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण (Historical background in brief)

यद्धपि भारत में 1860 के पश्चात् अनेक बार आयकर लगाया गया किन्तु 1922 में केन्द्रीय सरकार ने एक व्यापक अधिनियम 'आयकर अधिनियम 1922' लागू किया। इसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष वित्त अधिनियम (Finance Act) पारित करने की व्यवस्था की गई जो अब तक चालू है। 'गत वर्ष की आय पर चालू वर्ष में कर निर्धारण' का सिद्धांत इसी की देन है। इस अधिनियम में प्रतिवर्ष संशोधन होते रहे, जिसके कारण इसकी धारायें अत्यधिक लम्बी तथा जटिल हो गई थी। अतः सरकार ने 1956 में कानून आयोग (Law Commission)' से आयकर अधिनियम को सरल बनाने के लिये अपने सुझाव देने को कहा जिसने अपनी रिपोर्ट 1958 में दी। इसी बीच श्री महावीर त्यागी की अध्यक्षता में एक 'प्रत्यक्ष कर प्रशासन जाँच समिति (Direct tax Administration enquiry Committee)' की नियुक्ति हुई, जिसमें करदाताओं को होने वाली असुविधा दूर करने तथा कर बचाने की प्रवृत्ति को रोकने सम्बन्धी समस्याओं पर सुझाव मांगे गये। इसकी रिपोर्ट 1959 में प्राप्त हुई।

कानून आयोग तथा त्यागी समिति से प्राप्त सुझावों के आधार पर आयकर अधिनियम 1961 तैयार किया गया जो 1 अप्रैल 1962 से लागू है। यह जम्मू और कश्मीर सहित सम्पूर्ण भारत में लागू होता है।

आयकर अधिनियम 1961 में 298 धारायें, सैकड़ों उपधारायें तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। इसके लिए विभाग ने आयकर नियम, 1962 (Income-Tax Rules 1962) बनाये हैं जिसमें लगभग 124 नियम हैं इसके द्वारा भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 को निरस्त कर दिया गया है। नवीन अधिनियम में वे सभी मुख्य प्रावधान सम्मिलित किये गये हैं जो 1922 के अधिनियम में मौजूद थे।

नवीन अधिनियम में भी लगभग प्रतिवर्ष संशोधन हुए हैं। अनेक धारायें हटा दी गई हैं, अनेक नई जोड़ी गई हैं तथा अनेकों परिवर्तन किये गये हैं इस प्रकार अत्यधिक संशोधनों के कारण यह अधिनियम भी अब वैसा ही जटिल अधिनियम बन गया है जैसा कि 1922 का अधिनियम था।

इसी प्रकार आयकर नियम 1962 में भी अनेकों संशोधन अब तक किये गये हैं तथा अनेक उपनियम आदि जोड़े गये हैं। कर ढाँचे को सरल बनाने की दृष्टि से अनेक सहायक नियम बनाये गये हैं तथा नियम जोड़े गये हैं।

वित्त अधिनियम (Finance Act)

आयकर अधिनियम, 1961 में कर की गणना, कर,निर्धारण की कार्य विधि तथा दण्ड आदि के सम्बन्ध में विवेचना की गई है। इसमें कर की दरें नहीं दी गई हैं। कर की दरों के लिए प्रत्येक वर्ष वित्त अधिनियम पारित करने की व्यवस्था है जिसमें सम्बन्धित करनिर्धारण वर्ष के लिये आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं। प्रत्येक वर्ष आगामी वर्ष के बजट के साथ वित्त मंत्री द्वारा वित्त विधेयक भी प्रस्तुत किया जाता है जिसमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की दरों का समावेश होता है। इसी में आयकर एवं अन्य वित्त सम्बन्धी अधिनियमों में परिवर्तन का अवसर भी वित्त मन्त्री को प्राप्त होता है।

वित्त अधिनियम का प्रत्येक वर्ष के आरम्भ से पूर्व पारित हो जाना आवश्यक है' जिस से विभाग कर लगा सके। यदि किसी वर्ष 1 अप्रैल तक वित्त अधिनियम पारित न हो सके तो विगत वित्त अधिनियम की कर की दरें अथवा संसद के समक्ष प्रस्तुत वित्त विधेयक में दी गई कर की दरें, दोनों में जो करदाता के अधिक अनुकूल हों, तब तक लागू मानी जायेगी, जब तक कि नया वित्त अधिनियम पारित न हो जाय।

इस प्रकार नये वित्त अधिनियम के पारित न होने तक कर निर्धारण का कार्य स्थगित नहीं रखा जाता। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को जिस संशोधित रूप में आयकर अधिनियम आयकर नियम तथा वित्त अधिनियम होते हैं उस वर्ष के करनिर्धारण के लिये लागू होते हैं। यदि वर्ष के मध्य कोई संशोधन पारित होता है तो वह उस वर्ष के कर-निर्धारण के लिये लागू नहीं होगा, भले ही वास्तविक कर-निर्धारण संशोधन के पारित होने के पश्चात् ही क्यों न हुआ हो किन्तु यदि संशोधन किसी पिछली तिथि से प्रभावी हुआ हो तो यह नियम लागू नहीं होगा।

आयकर के अधिनियम में सावधानियां
(Precautions in the study of the Income-tax)

1. आयकर सम्बन्धी सभी क्रियायें वित्त वर्ष के आधार पर सम्पन्न होती हैं। करदाता द्वारा गतवर्ष में आय का उपार्जन किया जाता है व इसके बाद में आय वित्त वर्ष में इस आय पर आयकर-निर्धारण किया जाता है उदाहरण के लिये वित्त वर्ष 1985-86 में अर्जित आय पर 1986-87 कर निर्धारण वर्ष में आयकर,निर्धारण होगा।

2. आयकर अधिनियम में कर की दर सूची नहीं दी गई है। इस सन्दर्भ में प्रत्येक वित्तवर्ष के प्रारम्भ में भारतीय संसद द्वारा वित्त अधिनियम पारित किया जाता है जिसमें आयकर की दरें शामिल रहती हैं। यह दरें केवल सम्बन्धित वित्त वर्ष के लिये ही कार्यान्वित रहती हैं।

3. आयकर उन दरों से दिया जाता है जो कर-निर्धारण वर्ष के लिए संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं न कि उन दरों से जो गतवर्ष में चालू रहती है। उदाहरण के लिए 1985-86 गतवर्ष में अर्जित आय पर कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 में लागू दरों से आयकर लिया जायेगा।

4. आयकर अधिनियम में चूंकि समय-समय पर संशोधन होते रहते हैं, अतः विद्यार्थी को वर्तमान वर्ष से सम्बन्धित संस्करण ही पढ़ना चाहिए। एक विशेष महत्व की बात यह है कि कर-निर्धारण वर्ष की पहली अप्रैल को आयकर अधिनियम का जो संशोधित रूप है, वही सम्पूर्ण कर-निर्धारण वर्ष में किए गये कर-निर्धारणों पर लागू होगा। उदाहरण के लिए यदि कोई संशोधन 1 मई 1986 से लागू होता है तो यह 1986-87 में हुए कर-निर्धारणों पर लागू नहीं होगा।

5. किसी विशेष मुद्दे पर यदि विभिन्न न्यायालयों में मतभेद है तो उसी राज्य के न्यायालय का निर्णय मान्य होगा जिसमें कि कर-निर्धारण का आयकर कार्यालय स्थिति है। इसी मुद्दे पर यदि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है तो यह सारे भारत में मान्य होगा।

6. आयकर अध्ययन के लिये यह सभी के लिए आवश्यक है कि कर-निर्धारण में मिलने वाली सभी छूटों एवं कटौतियों का पूरा ज्ञान हो। ऐसा होने पर आयकर दायित्व में काफी सीमा तक कमी की जा सकती है।

7. आयकर विभाग की देखभाल के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) की स्थापना की गई है। इस बोर्ड द्वारा समय-समय पर विभाग के अधिकारियों के निर्देश के लिए परिपत्र जारी किये जाते हैं। विभागीय अधिकारियों के द्वारा इन्हें मान्यता दी जाती है यद्यपि न्यायालयों के लिये इनका अधिक महत्व नहीं है।

8. आयकर के छात्रों व करदाताओं को आयकर अधिनियम में दी गई विभिन्न तिथियों को याद रखना चाहिए जिससे आय का नक्शा अथवा विवरणी (Income-tax return) समय पर भेजा जा सके व आयकर का भुगतान सही तिथियों को हो सके।

9. प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार न्यायालयों द्वारा समय-समय पर दिया गया है कि वह अपनी आय व व्ययों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकता है जिससे कि उसका आयकर दायित्व कम से कम हो सके। आयकर नियमों के अन्तर्गत नियोजन करके अथवा अन्य नियोजन करके आयकर में कमी किया जाना अनियमितता नहीं समझी जाती।

महत्वपूर्ण परिभाषायें (Important Definitions)

किसी भी अधिनियम का अध्ययन प्रारम्भ करने से पहले यह आवश्यक होता है कि उसमें प्रयुक्त उन सभी शब्दों की जानकारी प्राप्त की जावे, जिनका उस अधिनियम में किन्हीं विशेष अर्थों के लिये प्रयोग हुआ है। यह जानकारी प्रायः सभी अधिनियम की शुरू की धाराओं में दी जाती है। इन धाराओं में ऐसे कुछ पदों की व्याख्या होती है जो सम्बन्धित अधिनियम के अध्ययन की दृष्टि से महत्व के हैं। 'आयकर अधिनियम' 1961 की धारा 2 ऐसे शब्दों की परिभाषा से सम्बन्धित है जिनका ज्ञान आयकर अधिनियम के अध्ययन के लिये आवश्यक है। धारा 3 में 'गतवर्ष' को परिभाषित किया गया है। कुछ चुनी हुई परिभाषायें यहाँ दी जा रही हैं।

कृषि आय (Agricultural Income) [2 (1)]

कृषि आय पर आयकर नहीं लगता किन्तु आयकर अधिनियम के अध्ययन में कृषि आय की परिभाषा का विशेष महत्व है। आयकर से छूट के कारण प्रत्येक करदाता अपनी आय को कृषि से सम्बन्धित दिखाने में रुचि रखेगा जबकि आयकर अधिकारी कर बचाने की ऐसी प्रवृत्ति को हतोत्साहित करेगा। ऐसी परस्पर विरोधी स्थिति से निपटने के लिए ही आयकर अधिनियम में कृषि की परिभाषा विस्तृत रूप में दी गई है।

कृषि आय कर-निर्धारण वर्ष 1973-74 तक पूर्णतया कर मुक्त थी अर्थात् न तो इसे करदाता की सकल आय (कुल आय) में जोड़ा जाता था और न ही इस पर आयकर का कोई प्रभार ही था। किन्तु कर-निर्धारण वर्ष 1974-75 से यदि एक व्यक्ति हिन्दू अविभाजित परिवार, अनरजिस्टर्ड फर्म, व्यक्तियों के समुदाय की गैर कृषि आय यदि न्यूनतम करयोग्य आय की सीमा से अधिक है और कृषि आय 600 रुपये से अधिक है तो आयकर के निर्धारण में कृषि आय को भी ध्यान में रखा जाता है। कृषि आय होने पर कर की गणना विधि 'व्यक्तियों के कर-निर्धारण' के अध्याय में उदाहरण सहित समझायी गई है। यद्यपि आयकर निर्धारण में कृषि आय को ध्यान में रखा जाता है, किन्तु सैद्धाँतिक आधार पर यह आय अभी भी कर मुक्त है व इसे कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

हमारे संविधान के अधीन कृषि राज्य सरकारों का विषय है अतः इससे होने वाली आय पर राज्य सरकारें ही आयकर लगा सकती हैं, केन्द्रीय सरकार नहीं। कई राज्य सरकारों ने अपने इस अधिकार का प्रयोग भी किया है।

कृषि आय के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि करदाता अपनी आय के कृषि आय होने का दावा करता है तो ऐसा सिद्ध करने का भार उसी पर है। यह नियम सर्वोच्च न्यायालय ने आयकर कमिश्नर बनाम राम कृष्ण देव वाले मामले में दिया है।

कृषि आय की परिभाषा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(1) में दी हुई है जिसके अनुसार कृषि आय से तात्पर्य निम्नलिखित आय से है—

1. भारत में स्थिति ऐसी भूमि से प्राप्त किराया व आय जिसका प्रयोग कृषि उद्देश्य के लिए किया जाता है : किराये से तात्पर्य उस भुगतान से है जो भूमि के स्वामी को भूमि पर कृषि करने वाले के द्वारा दिया जाता है अर्थात् भूमि एक व्यक्ति की होती है व उसका कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। यह भुगतान नगदी में हो सकता है अथवा उपज के बँटवारे के रूप में, किन्तु दोनों ही स्थितियों में यह कृषि आय होगी। इस वाक्यांश के अधीन आय से आशय भूमि से प्राप्त साधारण आय से है। इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं :—

अ. किराया व आय भूमि से प्राप्त होता है,
ब. भूमि भारत में स्थिति होनी चाहिए,
स. भूमि का प्रयोग कृषि कार्यों के लिये ही होना चाहिए।

2. ऐसी भूमि पर कृषि अथवा निर्माण प्रक्रिया से प्राप्त आय : इस वाक्यांश में प्रयुक्त 'ऐसी भूमि' से आशय उस भूमि से है जो भारत में स्थिति है व जिस पर या तो कृषि की जाती है अथवा निर्माण सम्बन्धी ऐसी प्रक्रियायें की जाती हैं जो कृषि से सम्बन्धित हैं। निम्नलिखित आयों को इसमें सम्मिलित करते हैं :—

अ. कृषि से आय;

ब. कृषि उत्पादन को विक्रय योग्य बनाने के लिये की गई ऐसी प्रक्रियायें जो प्रायः कृषक द्वारा प्रयुक्त की जाती है।

स. कृषक द्वारा ऐसे उत्पादन को बेचने से आय जिसमें उपर्युक्त (ब) के अलावा कोई और निर्माण प्रक्रिया प्रयुक्त नहीं की गई है।

उपर्युक्त (ब) में उल्लिखित प्रक्रिया वही होनी चाहिए जो कृषि उत्पादन को विक्रय योग्य बनाने के लिए प्रायः सभी कृषकों द्वारा प्रयुक्त होती है। यह प्रक्रिया शारीरिक हो सकती है अथवा शक्ति संचालित मशीन से सम्पन्न की जा सकती है। खेत में उगाये गये तम्बाकू को विक्रय योग्य बनाने के लिए सुखाने की प्रक्रिया भी ऐसी प्रक्रिया है।

3. **कृषि भवन से आय :** ऐसी भवन सम्पत्ति से प्राप्त आय, जो कृषक अथवा कृषि भूमि के स्वामी के स्वामित्व व अधिकार में है तथा जो कृषि भूमि पर स्थित है, भी कृषि आय होती है। इसके लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी आवश्यक हैं :

अ. भवन भारत में स्थित कृषि भूमि पर अथवा उसके निकट होना चाहिए।

ब. यह कृषक अथवा भूमि के स्वामी के अधिकार में होना चाहिए।

स. इसकी आवश्यकता कृषक को कृषि भूमि के कारण होनी चाहिए व इसका प्रयोग निवास स्थान, गोदाम अथवा कृषि की देखभाल आदि के लिए हो सकता है।

द. जिस भूमि पर यह स्थित है उस पर भारत में भू-राजस्व लगाया जाना चाहिए अथवा इस पर सरकारी अफसरों द्वारा स्थानीय कर लगाया जा सकता है।

य. भूमि यदि ऐसी है जिस पर भू राजस्व नहीं दिया जाता है तो यह 10,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले शहर (जिसे नगरपालिका, नगर निगम, छावनी, टाउन एरिया के नामों से जाना जाता है) की सीमा से बाहर होना चाहिए।

र. केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना जारी करके इन शहरों की सीमा 8 किलोमीटर तक बढ़ायी जा सकती है ऐसी दशा में यह मकान इस सीमा के अन्दर स्थित नहीं होना चाहिए।

आवश्यक तत्व—उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार कृषि आय के निम्नलिखित तत्व हैं :—

1. **कृषि आय भूमि से प्राप्त होती है**—कृषि आय भूमि को जोतकर व उपज पैदा करके तो प्राप्त होती ही है, उस भूमि से प्राप्त किराया भी कृषि आय के अन्तर्गत आता है जो कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, परन्तु ऐसी भूमि के पिछले बाकी किराये पर यदि कोई ब्याज प्राप्त होता है तो प्राप्त ब्याज कृषि आय नहीं होगी।

2. **भूमि कृषि कार्यों के लिये काम आती है**—भूमि का प्रयोग कृषि कार्यों के लिए होना आवश्यक है। कृषि कार्य से आशय भूमि को तैयार करना, जोतना बीज बोना, पानी देना फसल को काटना आदि से है। C.I.T. Vs. Raja Benoy Kumar Sahas Roy[1] के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कृषि कार्यों के सम्बन्ध में काफी महत्वपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की है। इसके अन्तर्गत कृषि कार्यों को दो भागों में बाँटा गया है—

(1) **प्रारम्भिक कार्य**—इसके अन्तर्गत भूमि को जोतना, पानी देना, बीज बोना, पौधों को रोपना आदि सम्मिलित होते हैं।

(2) **बाद की क्रियायें**—इसके अन्तर्गत वे क्रियायें शामिल की गई हैं जो भूमि से

1. (1957) 32 ITR 466 (S. C.)

पौधा निकलने के बाद की जाती है। जैसे निराई-गुड़ाई करना पौधों की सिंचाई करना, पौधों की कीड़ों एवं अन्य जानवरों से रक्षा करना आदि।

यदि इन प्राथमिक क्रियाओं के किए विना कोई आय प्राप्त होती है तो वह कृषि आय नहीं हो सकती। जैसे जंगली घास, पेड़, बाँस, जो अपने आप उग जाते हैं से प्राप्त कृषि आय नही मानी जायेगी चाहे इनके उगने के बाद इनकी देख भाल कर ली जावे।

3. भूमि का भारत में स्थित होना— कृषि आय के लिये यह आवश्यक है कि भूमि भारत में ही स्थित हो। भारत के बाहर स्थित भूमि से प्राप्त आय को हम कृषि आय की श्रेणी में नहीं रखेंगे।

कृषि आय के प्रकार (Kinds of agricultural income)— आयकर अधिनियम की धारा 2 (1) में दी गई उपयुक्त परिभाषा के आधार पर कृषि आय को हम पाँच प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं :

1. **भूमि से प्राप्त किराया अथवा लगान**— भूमि का स्वामी यदि जोतने व फसल उगाने के लिये अपनी भूमि किसी अन्य पक्ष को किराये पर उठा देता है तो भूमि के स्वामी को प्राप्त किराया कृषि आय के अन्तर्गत आता है।

2. **भूमि पर कृषि से प्राप्त आय**—जब भूमि पर खेती की जाती है तो उससे प्राप्त आय कृषि आय होती है। खेती करने से हमारा तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जिनका वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं—जैसे—जुताई, बुवाई, निराई, कटाई, सफाई आदि।

3. **कृषि उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रिया से प्राप्त आय**— कृषक यदि खेत में उत्पन्न उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए कुछ साधारण क्रियायें करते हैं तो ऐसी क्रियायें भी कृषि कार्य में सम्मिलित होती हैं व भूमि को कृषि में प्रयुक्त समझा जाता है तथा इससे प्राप्त आय कृषि आय मानी जाती है।

4. **किसान द्वारा कृषि उपज बेचने से प्राप्त आय**—किसान को अपनी भूमि से हुई उपज को बेचने से प्राप्त आय कृषि आय है, भले ही किसान ने अपनी दुकान पर यह उपज बेची हो। किन्तु एक व्यक्ति यदि भूमि पर खड़ी तैयार फसल खरीद लेता है तथा बाद में फसल कटवा कर उस उपज को बेचकर कुछ लाभ प्राप्त करता है तो वह लाभ कृषि-आय की श्रेणी में नहीं आता।

5. **कृषि में प्रयुक्त मकान से आय**—कोई मकान यदि खेत के निकट स्थित है तथा इसे कृषि कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे मकान की आय कृषि आय होगी यह मकान कृषि सम्बन्धी औजारों के रखने के काम आ सकता है अथवा मकान में बीज व उपज का गोदाम भी बनाया जा सकता है कृषक अपने निवास सम्बन्धी कार्यों के लिये भी इस मकान का उपयोग कर सकता है। इस सम्बन्ध में ऊपर दी गई शर्तों का पालन करना आवश्यक है।

निम्नलिखित प्राप्तियाँ कृषि आय के अन्तर्गत आती हैं—

अ. ऐसी भूमि का किराया जिसे कृषि में काम आने वाले पशुओं के चारागाहों के लिये प्रयोग किया जाता है।

ब. ऐसी दुग्धशाला से प्राप्त आय जो खेती से सम्बन्धित है तथा जिसमें उन पशुओं को रखा गया है जो खेती में काम आते हैं।

स. सूखे तम्बाकू की बिक्री से प्राप्त आय।

निम्नलिखित प्राप्तियां कृषि आय नहीं हैं :

कृषि आय के सम्बन्ध में उच्च न्यायालयों के निर्णय के आधार पर नीचे ऐसी आयें दी जा रही हैं जो यद्यपि भूमि से सम्बन्धित हैं किन्तु कृषि आय नहीं है—

अ. जंगली घास, बाँस व अपने आप उगे हुये पेड़ों की बिक्री से आय।[1]

ब. पत्थर या अन्य खानों से प्राप्त आय।[2]

स. मछलियों से प्राप्त आय।[3]

द. भूमि को ईंटों के भट्टे के लिये प्रयोग किये जाने पर प्राप्त आय।

य. साप्ताहिक बाजारों व हाटों से प्राप्त आय।

र. लाख की खेती से होने वाली आय।

ल. घाटों की आय (Income from ferries)

व. दुग्धशाला से आय।[4]

श. ऐसी भूमि का किराया जिसका प्रयोग कृषि में काम न आने वाले पशुओं के चारागाह के लिए किया जाता है।

उदाहरण (Illustration) 1 : निम्नलिखित धनराशियों के विषय में बताइये कि ये कृषि आय हैं। अथवा करयोग्य आय हैं :—

1. करदाता को बीमा कम्पनी से क्षतिपूर्ति के लिये 15,465 रुपये इसलिये प्राप्त हुये कि उसकी चाय की फसल तूफान से खराब हो गई थी।

2. शीशम की लकड़ी के पेड़ों को काटकर प्राप्त बिक्री राशि। करदाता का कथन है कि पेड़ अपने आप उगे हुए हैं तथा इनकी बिक्री से प्राप्त धन पूँजी प्राप्ति है।

3. साझेदार को ऐसी फर्म से प्राप्त वेतन जो कृषि कार्यों में लगी है।

4. रबड़ के पेड़ों से प्राप्त की गई रबड़ को बेचने से आय। करदाता ने इन पेड़ों को काटकर बेचने के लिए खरीदा था।

5. करदाता ने गन्ना उगाकर गुड़ बनाया व आय प्राप्त की। उसका कथन है कि चूसने के लिए गन्ना अनुपयुक्त था व इसे चीनी मिल ने लेने से इन्कार कर दिया क्योंकि करदाता उस चीनी मिल के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। करदाता का तर्क है कि गुड़ बनाना एक ऐसी क्रिया है जिससे फसल को बिक्री योग्य बनाया गया, अतः यह कृषि आय है।

हल (Solution) 1. बीमा कम्पनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि कृषि आय है, अतः कर मुक्त है। C.I.T. v. B. Gupta Pvt. Ltd. (1969) 74 I.T.R. 337.

2. यह आय कृषि आय नहीं मानी जा सकती क्योंकि मुख्य शर्तें (भूमि का कृषि कार्यों के लिये प्रयुक्त किया जाना) पूरी नहीं हो रही है। (Consolidated Coffee Estates v. C. Ag. Income-tax (1976) ?6 I.T.R. 29.

3. फर्म के साझेदार को मिला वेतन उसके हाथों में एक प्रकार से फर्म के लाभों का समायोजन ही है अतः यह कृषि आय है। R. M. Chidambaram v. C. I. T. (1970) 77 I.T.R. 494.

1. Rani Tara Kumari Devi v. C.I.T. (1946) 14 I.T.R. 787.
2. Shivlal Ganga Rama v. C I.T. 2 I.T.C. 425 (All).
3. Raja Durga Narain v. C.I.T. (1947) 15 I.T.R. 235
4. Raja Benoy Kumar Sahas Roy (1957) 32 I.T.R. 466

4. यह आय कृषि आय नहीं है क्योंकि कृषि से सम्बन्धित किसी भी कार्य को कर दाता ने सम्पन्न नहीं किया है। Yoosuf v. I.T.O. (1970) 77 ITR 237.

5. ऐसी स्थिति में जबकि कृषि उपज को बाजार में नहीं बेचा जा सकता उसको बाजार योग्य बनाने के लिए जो भी क्रियायें की जाती हैं, वे सभी कृषि कार्यों के अन्तर्गत आती है। वर्तमान स्थिति में गन्ने से गुड़ बनाना कृषि कार्य है व इससे प्राप्त आय कृषि आय है। CIT v. HG Date (1974) 82 ITR 71.

अंशतः कृषि आय (Partly Agricultural income)—कुछ आय ऐसी होती हैं जो न तो पूर्णरूप से कृषि आय समझी जा सकती है और न जिन्हें व्यापार सम्बन्धी लाभों के अन्तर्गत ही रखा जा सकता है। ऐसी आयों में कुछ तत्व कृषि के होते हैं और कुछ व्यापार से सम्बन्धित।

अंशतः कृषि आय की गणना करने की विधि आयकर नियम, 1962, के अन्तर्गत बने नियम संख्या 7 व 8 में समझाई गई है। नियम संख्या 7 में 'बाजार मूल्य' का अर्थ निम्न प्रकार स्पष्ट किया गया है—

अ. यदि कृषि उपज साधारणतया बाजार में बिकती है तो गतवर्ष में इसका औसत विक्रय मूल्य।

ब. यदि कृषि उपज साधारणतया उपजे हुए रूप में ही बाजार में नहीं बिकती तो इसका बाजार मूल्य जानने के लिए निम्न रकमों का योग निकालते हैं :

i. कृषि-सम्बन्धी व्यय;
ii. भूमि का लगान व किराया; तथा
iii. उचित लाभ जो विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयकर-अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

चीनी के ऐसे कारखानों की आय जो स्वयं अपने खेतों में गन्ना उगाते है [नियम सं० 7] : यह आय अंशतः कृषि-आय समझी जाती है। इस आय में से कृषि-आय का अंश निकालने के लिए मिल के लाभ-हानि खाते के डेबिट में उगाये गये गन्ने का बाजार मूल्य दिखाते हैं। स्मरण रखना चाहिए कि कृषि-सम्बन्धी व्ययों का लाभ-हानि खाते से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। ऐसी स्थिति में लाभ-हानि खाता करयोग्य शुद्ध व्यापारिक आय दिखाता है।

चाय के उत्पादन से आय (नियम सं० 8) : भारत में चाय उत्पादन एवं विक्रय से होने वाली आय का 60% भाग कृषि आय मानी जाती है जबकि 40% आय करयोग्य आय होगी। इस आय की गणना करते समय उन समस्त पौधों को लगाने का व्यय भी लागत में जोड़ दिया जाता है जो मरे हुए पौधों के स्थान में लगाये गये हों।

भारत में चाय उत्पादन करने वाले करदाता को चाय मंडल (Tea Board) से अथवा उसके माध्यम से चाय के पौधों को दुबारा लगाने के सम्बन्ध में प्राप्त सहायता की राशि पूर्णतया कर मुक्त होती है।

व्यक्ति (Person) [2(31)]

धारा 2 (31) के अनुसार 'व्यक्ति' की परिभाषा में निम्न को सम्मिलित किया जाता है :

i. एक व्यक्ति (Individual); ii. हिन्दू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family); iii. कम्पनी (Company); iv. फर्म (Firm); v. व्यक्तियों का समुदाय

(Association of persons); iv. स्थानीय सत्ता (Local authority); vii. प्रत्येक कृत्रिम व्यक्ति (Artificial Juridical Person)। स्थानीय सत्ता में नगरपालिका, नगर परिषद्, महापरिषद्, नोटीफाइड क्षेत्र आदि आते हैं।

आय (Income) [2(24)]

आय की परिभाषा का ज्ञान आयकर का अध्ययन करते समय बहुत आवश्यक व महत्वपूर्ण है क्योंकि आयकर का निर्धारण 'आय' शब्द की व्याख्या पर ही निर्भर है किन्तु यह केवल विडम्बना ही है कि हमारे आयकर अधिनियम में 'आय' की परिभाषा नहीं दी गई है, यद्यपि धारा 2 (24) में यह अवश्य दिया गया है कि 'आय' शब्द में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाता है :—

i. लाभ (Profits and gains);
ii. लाभांश (Dividends);
iia. आँशिक व पूर्णरूप से पुण्यार्थ व धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थापित ट्रस्ट एवं संस्था को स्वेच्छा से मिले चन्दे। यह चन्दा यदि ऐसे निर्देश सहित प्राप्त हुआ है कि इसे ट्रस्ट के पूँजी कोष में जोड़ दिया जाए तो इसे आय नहीं माना जा सकता।
iii. अनुलाभ (Perquisites) अथवा वेतन के स्थान पर मिले हुए लाभ (Profits in lieu of Salary), जो धारा 17 के अन्तर्गत कर योग्य हैं।
iv. कम्पनी के संचालक अथवा इसमें समुचित हित रखने वाले व्यक्ति अथवा इनके रिश्तेदारों को कम्पनी से मिलने वाले लाभ व अनुलाभ।
iva. किसी ट्रस्ट के ट्रस्टी अथवा हितकारी को ट्रस्ट से मिला कोई लाभ अथवा अनुलाभ ट्रस्टी अथवा हिताधिकारी की आय में सम्मिलित किया जायेगा। यह लाभ मुद्रा में परिवर्तनीय हो सकता है अथवा अपरिवर्तनीय भी।
v. प्रवन्ध अभिकर्त्ता अथवा कर्मचारी को मिली क्षतिपूर्ति की रकम एवं लाभ जो पुरानी मशीन आदि बेचने से प्राप्त होते हैं।
va. लाभ व अनुलाभ जो धारा 28 (iv) के अन्तर्गत आते हैं।
vi. पूँजी लाभ जो धारा 45 के अन्तर्गत करयोग्य हैं।
vii. पारस्परिक बीमा कम्पनी अथवा सहकारी समिति द्वारा किये गये बीमा व्यवसाय के लाभ जिनकी गणना धारा 44 के अनुसार की जाती है।
viii धारा 280D के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली वार्षिकी।
ix. लाटरी, पहेलियों, घुड़दौड़, जुआ व ताश के खेलों से अथवा किसी भी प्रकार की शर्त आदि से प्राप्त आय।

इस परिभाषा से यह अवश्य स्पष्ट हो जाता है कि आय के अन्तर्गत कौन सी प्राप्तियाँ कर-योग्य हैं एक बात जो ध्यान आकर्षित करती है, वह यह है कि आय के अन्तर्गत पूँजी प्राप्तियों को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। 'आय' की व्यापक परिभाषा देने का प्रयत्न यद्यपि समय समय पर किया गया है, किन्तु यह कार्य काफी कठिन है। कर जांच अयोग ने भी आय को परिभाषित करने में अपने आपको असमर्थ पाया है, किन्तु फिर भी इसके सम्बन्ध में कुछ ऐसे निश्चित सिद्धान्त रखे जा सकते हैं जिसके आधार पर किसी भी प्राप्ति को आय के अन्तर्गत रखने अथवा न रखने का निर्णय किया जा सके ये सिद्धान्त उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर दिये गये विभिन्न निर्णयों पर आधारित हैं :

1. सामान्यतः आय मुद्रा में प्राप्त होती है किन्तु वह वस्तुओं अथवा सुविधाओं के रूप में भी प्राप्त हो सकती है जिन्हें मुद्रा में मूल्यांकित किया जा सके।

2. किसी भी धनराशि को आय के अन्तर्गत रखने का निर्णय करते समय हमें तीन मुख्य तत्वों को देखना होता है। किसी राशि में यदि ये तीनों तत्व पाये जायें तो यह राशि आय हो सकती है। ये तत्व हैं आय प्राप्ति की नियमितता, आय के प्राप्त होने की आशा एवं आय का साधन।

3. इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि अमुक आय अवैधानिक है अथवा गलत तरीकों से प्राप्त की गई है। ऐसी आयों पर भी आयकर देना ही पड़ता है। हाँ करदाता को अवैधानिक तरीके अपनाने के लिये न्यायालय द्वारा सजा दी जा सकती है।

4 आय से तात्पर्य बचत से नहीं है बल्कि समस्त प्राप्तियों से है। बचत व आय दो भिन्न चीजें हैं।

5. किसी आय प्राप्ति के स्वामित्व के विषय में यदि कोई विवाद उठ खड़ा हो तो इससे आयकर निर्धारण को नहीं टाला जा सकता। जिस व्यक्ति को आय की प्राप्ति हुई है उसे आयकर देना ही पड़ेगा। किस व्यक्ति से ऐसी स्थिति में आयकर लिया जाये यह निर्णय आयकर अधिकारी का होगा।

6. आय की प्राप्ति किस्तों में भी हो सकती है और एक मुश्त भी। वेतन, फीस, कमीशन आदि किश्तों में न लेकर यदि एक मुश्त प्राप्त किये जायें तो भी ये राशियाँ करयोग्य होती हैं।

7. आय की प्राप्ति स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार से हो सकती है। आयकर की दृष्टि से अस्थायी आय भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी स्थायी आय।

8. धन की प्राप्ति के समय यदि वह धन आय की श्रेणी में नही आता तो वह कभी आय नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु की बिक्री के सम्बन्ध में कुछ धन पेशगी (Advance) स्वरूप प्राप्त हो गया है, किन्तु किसी कारणवश यदि बिक्री के न होने पर पेशगी जब्त हो जाती है तो ऐसी प्राप्त पेशगी आय नहीं कहला सकती।

9. आय सदैव बाहरी साधनों से आनी चाहिये। यदि किसी क्लब के सदस्य चाय आदि के लिये 10 रुपये मासिक जमा करते हैं तथा वर्ष के अन्त में कुछ धन शेष बच रहता है तो यह धन आय की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि इसकी प्राप्ति किसी भी बाहरी साधन से न होकर सदस्यों की अपनी ओर से ही है।

10. कर निर्धारण के लिये आय का प्राप्त होना अधिक महत्व का नहीं है। करदाता ने यदि आय उपार्जित कर ली है, परन्तु प्राप्त नहीं की है तो भी इस उपार्जित रकम को सम्बन्धित वर्ष की आय में सम्मिलित किया जायेगा।

11. आय का एक निश्चित स्रोत अथवा साधन होना आवश्यक है। ऐसी प्राप्ति जिसका कोई स्रोत अथवा साधन नहीं होता, आय नहीं हो सकती। उदाहरणार्थ, सड़क पर पड़ा हुआ बटुआ (जिसमें 500 रु० हैं) यदि किसी व्यक्ति को मिलता है तो यह धन राशि आय के अन्तर्गत नहीं आ सकती।

सकल कुल आय (Gross Total Income)

सकल कुल आय से आशय निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत गणना की गई आय के योग से है जो कि करदाता की निवास स्थान सम्बन्धी स्थिति को ध्यान में रखकर की जाती हैं :

(i) वेतन; (ii) प्रतिभूतियों पर ब्याज; (iii) मकान सम्पत्ति से आय; (iv) व्यापार अथवा पेशे के लाभ; (v) पूंजी लाभ; (vi) अन्य साधनों से आय।

कुल सकल आय की गणना करते समय करदाता की कुल आय में वे सभी रकमें भी जोड़ी जाती हैं जो यद्यपि अन्य व्यक्तियों को आय स्वरूप प्राप्त होती है किन्तु आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अधीन उन्हें करदाता की आय में शामिल किया जाता है।

कुल आय (Total Income)

सकल कुल आय में से यदि धारा 80C से धारा 80VV के अन्तर्गत दी गई कटौतियाँ कम करने के बाद जो आय आती है वह कुल आय कहलाती है।

कर निर्धारण वर्ष (Assessment Year)[2(9)]

कर-निर्धारण वर्ष से आशय 12 महीनों की उस अवधि से है जो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को प्रारम्भ होकर अगले वर्ष की 31 मर्च को समाप्त होती है, इसे वित्त-वर्ष भी कहते हैं। वर्तमान वित्त वर्ष 1 अप्रैल 1986 से आरम्भ होकर 31 मार्च 1987 तक रहेगा। इसे कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 कहेंगे। करदाता की आय पर कर-निर्धारण इसी अवधि में होता है। कर-निर्धारण ऐसे वर्ष प्रारम्भ होने से ठीक पहले पारित हुए वित्त अधिनियम में दी गई दरों के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिये कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 में कर-निर्धारण वित्त अधिनियम 1985 में दी गई दरों के अनुसार सम्पन्न किया जायेगा।

करदाता (Assessee) [2(7)]

धारा 2(7) में दी गई परिभाषा के अनुसार 'करदाता' उस व्यक्ति को कहते हैं जो आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर अथवा कोई अन्य धनराशि देने का दायी हो। इसके अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है कि वह अपनी आय पर ही आयकर के लिये दायी है। अधिनियम द्वारा यदि किसी अन्य व्यक्ति की आय पर आयकर वसूल करने का भार किसी व्यक्ति पर डाला गया है तो वह व्यक्ति करदाता होगा। उदाहरण के लिये मृत व्यक्ति की आय पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी को आयकर देना पड़ता है। 'करदाता' की परिभाषा के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति आते हैं.

अ. ऐसा व्यक्ति जो आयकर देने के लियें दायी है;
ब. जो इस अधिनियम के अधीन ब्याज अथवा अर्थदण्ड देने के लिये दायी हैं;
स. जो अन्य किसी व्यक्ति की आय के लिये आयकर देने को दायी हैं;
द. ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध आयकर निर्धारण की कार्यवाही चालू कर दी गई है;
य. ऐसा व्यक्ति जिसे आयकर अधिनियम के किसी प्रावधान के अधीन करदाता मान लिया गया हो;
र. ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अधीन दोषी करदाता (Assessee in default) मान लिया जाता है;
ल. ऐसा व्यक्ति जिसके अपने लिये अथवा अन्य व्यक्ति के सन्दर्भ में हानि के निर्धारण अथवा कर की वापसी के लिये कार्यवाही चालू हो चुकी है।

गतवर्ष (Previous Year) [धारा 3]

गतवर्ष की परिभाषा आयकर के अध्ययन में विशेष महत्व की है क्योंकि गतवर्ष की

आय पर ही कर-निर्धारण-वर्ष में कर लगाया जाता है। कर की दरें वे होती है जो कर निर्धारण वर्ष में लागू होती हैं। कर-निर्धारण वर्ष सम्बन्धी सभी कार्यवाही कर-निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ होते ही चालू होती हैं। अतः उसी आय पर कर लगाने की व्यवस्था है जो कर निर्धारण वर्ष के आरम्भ होने के ठीक पहले समाप्त हुए वर्ष में उपार्जित कर ली गई हो ।

आयकर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार गतवर्ष से आशय निम्नलिखित से है :

1. वह वित्तीय वर्ष जो कर-निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व समाप्त हुआ हो । चूंकि कर-निर्धारण वर्ष 1 अप्रैल से प्रारम्भ होता है अतः गतवर्ष से आशय उस 12 माह की अवधि से होता है जो कर-निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व के 31 मार्च को समाप्त होती हैं; अथवा
2. ऐसा करदाता जो कि व्यवसाय करता हो, ने अपनी लेखा पुस्तकें 31 मार्च को बन्द न करके किसी अन्य तिथि को बन्द की हैं जैसे दीपावली/दशहरा अथवा संवत वर्ष आदि के अनुसार तो ऐसी दशा में इन करदाताओं का गतवर्ष इन तिथियों को समाप्त होने वाली 12 महीनों की अवधि ही होगा; अथवा
3. यदि कोई करदाता उपर्युक्त दोनों तरीकों में से कोई तरीका नहीं अपनाता तो प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड या उसके द्वारा अधिकृत अन्य कोई अधिकारी ऐसे करदाता की गतवर्ष की अवधि निश्चित कर सकता है; अथवा
4. **नवीन व्यापार के लिए गतवर्ष (Previous year for a newly started business)** : नवीन व्यापार का गतवर्ष व्यापार स्थापित होने की तिथि को आरम्भ हुआ माना है तथा उसकी समाप्ति करदाता की इच्छानुसार निम्नलिखित किन्हीं भी तिथियों को हो सकती हैं :—
   i. व्यापार स्थापित होने वाली वित्त वर्ष की अन्तिम तिथि को अर्थात् उस वर्ष की 31 मार्च को। ऐसी स्थिति में आने वाले वर्षों में हिसाब किताब सदैव 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रखा जाया करेगा, अथवा
   ii. करदाता ने यदि इसी वित्त वर्ष की किसी अन्य तिथि को, हिसाब किताब बन्द कर दिया है तो उस तिथि तक की अवधि गतवर्ष मानी जायेगी, अथवा
   iii. व्यापार की स्थापना वाली तिथि को समाप्त होने वाला वर्ष। उदाहरणार्थ व्यापार की स्थापना यदि 5 जून 1984 को हुई हो तो 4 जून 1985 को समाप्त होने वाला वर्ष, अथवा
   iv. करदाता इनमें से यदि किसी भी विधि से अपने व्यापार का गतवर्ष निश्चित नहीं कर सका है तो फिर केन्द्रीय बोर्ड द्वारा गतवर्ष का निर्धारण होगा।

गतवर्ष के निर्धारण सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातें :—

1. करदाता आय के विभिन्न स्रोतों के संबंध में विभिन्न गतवर्ष रख सकता है।
2. नये व्यापार को छोड़कर गतवर्ष साधारणतया 12 माह की अवधि का होता है किन्तु कुछ दशाओं में यह अवधि 11 माह से लेकर 13 माह तक हो सकती है। यह सुविधा केवल उन्हीं करदाताओं को दी जाती है जो अपना हिसाबी वर्ष दीपावली से दीपावली, दशहरा से दशहरा या संवत वर्ष आदि के अनुसार रखा हो। नये व्यापार का प्रथम गतवर्ष 11 माह से कम का भी हो सकता है।
3. साझेदारी फर्म से प्राप्त लाभ के सन्दर्भ में साझेदार के हाथों में लाभ के लिये वही गतवर्ष माना जायेगा जो वर्ष साझेदारी फर्म का था।

निम्नलिखित उदाहरणों की सहायता से गतवर्ष के अर्थ को अच्छी तरह समझाया जा सकता है :

पुराने व्यापार की दशा में (In case of old business)

हिसाबी वर्ष या गतवर्ष	कर-निर्धारण वर्ष (Assessment year)
a) 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1986 तक	1986-87
b) 10 जून 1983 से 9 जून 1984 तक	1985-86
c) 1 जनवरी 1985 से 31 दिसम्बर 1985 तक	1986-87
d) 3 अप्रैल 1985 से 2 अप्रैल 1986 तक	1986-87 (बोर्ड की अनुमति से)
e) दशहरा (अक्टू०) 1984 से दशहरा 1985 तक	1986-87
f) दीपावली (नव०) 1985 से दीपावली 1986 तक	1987-88

नये स्थापित व्यापार की दशा में (In Case of Newly Set up Business)

व्यापार स्थापित करने की तिथि	प्रथम हिसाबी वर्ष की (अन्तिम तिथि)	गतवर्ष की अवधि	कर निर्धारण वर्ष	विशेष विवरण
1 जनवरी 1985	31 दिसम्बर 1985	12 माह	1986-87	भविष्य में हिसाब वर्ष एक जनवरी से प्रारम्भ होकर 31 दिसम्बर को समाप्त हुआ करेगा।
1 जनवरी 1985	31 मार्च 1985	3 माह	1985-86	भविष्य में सदैव वित्त वर्ष ही हिसाबी वर्ष रहेगा।
1 जुलाई 1985	31 दिसम्बर 1985	6 माह	1986-87	कलैण्डर वर्ष हिसाबी वर्ष रहेगा।
1 जुलाई 1985	31 मार्च 1986	9 माह	1986-87	आने वाले वर्षों में वित्त-वर्ष ही हिसाबी वर्ष होगा।
दीपावली 1985 (नवम्बर)	दीपावली 1986 (नवम्बर)	12 माह	1987-88	दीपावली वर्ष के अनुसार ही हिसाब रखा जायेगा।

4. यदि आय के किसी साधन के लिए बही खाते नहीं रखे जाते हैं तो उस आय के स्रोत के लिए वित्तीय वर्ष ही गतवर्ष होगा।
5. आय के किसी स्रोत के लिए एक बार गतवर्ष तय हो जाने के बाद इसे बिना आयकर अधिकारी की पूर्वानुमति के बदला नहीं जा सकता।
6. गत वर्ष कर-निर्धारण वर्ष आरम्भ होने के तुरन्त पहले की 31 मार्च तक अवश्य समाप्त हो जाना चाहिए परन्तु केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर कमिश्नर को यह अधिकार दे रखा है कि यदि किसी करदाता का हिसाबी वर्ष कर-निर्धारण वर्ष के प्रथम माह (अप्रैल) में समाप्त होता है तो 30 अप्रैल तक समाप्त होने वाले हिसाबी वर्ष को चालू कर-निर्धारण वर्ष का गतवर्ष मान सकता है। यह व्यवस्था कर दायित्व को टालने के सम्बन्ध में रोक लगाने के रूप में की गई है।

साधारण नियम के अपवाद (Exception to general rule)

गतवर्ष से सम्बन्धित साधारण नियम यह है कि गतवर्ष में उपार्जित अथवा प्राप्त आय ही कर-निर्धारण वर्ष में कर योग्य होती है. किन्तु इस नियम को सदैव ही कार्य में लाया जाता हो, ऐसी बात नहीं है। कुछ स्थितियाँ ऐसी भी हैं जबकि गतवर्ष वाले साधारण नियम की उपेक्षा कर दी जाती है। उन स्थितियों का विवरण इस प्रकार है—

1. **अनिवासी जहाजी कम्पनियों की आय**—अनिवासी समुद्री जहाजी कम्पनियों को माल, यात्री व पशुओं के ढोने आदि से भारत में भी आय प्राप्त होती है। ऐसी कम्पनियों को होने वाली आय पर कर निर्धारण आय के उपार्जित होने वाले वर्ष में ही हो जाता है बशर्ते कि इन कम्पनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति (person) भारत में न हो। अधिनियम के अनुसार भारत के बन्दरगाह से माल, डाक, यात्री व पशु ले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त आय का $7\frac{1}{2}\%$ जहाजी कम्पनी की करयोग्य आय मानी जाती है। [धारा 172]

2. **भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों की आय**—कोई व्यक्ति यदि भारत को छोड़कर विदेश यात्रा पर जाने का प्रबन्ध करता है तथा आयकर अधिकारी को यह विश्वास हो जाता है कि उसका वापिस आने का इरादा नही है तो ऐसे व्यक्ति का कर-निर्धारण आय उपार्जित होने वाले वर्ष में ही कर दिया जाता है। पिछले गतवर्ष की अन्तिम तिथि से भारत से बाहर जाने की सम्भावित तिथि तक की कुल आय का अनुमान लगा कर इस पर कर की देय राशि मालूम कर ली जाती है। [धारा 174]

3. **कर बचाने के लिए सम्पत्ति का हस्तांतरण**—कभी-कभी आयकर अधिकारी को किन्हीं करदाताओं के सम्बन्ध में ऐसा विश्वास हो जाता है कि वे आयकर का भुगतान न करने की दृष्टि से अपनी सम्पत्ति अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आयकर का निर्धारण तुरन्त ही कर दिया जाता है [धारा 175]

4. **व्यापार की समाप्ति पर**—ऐसे व्यापार की आय पर भी कर की देय राशि तुरन्त निकाली जाती है। पिछले गतवर्ष की अन्तिम तिथि से व्यापार के बन्द होने की तिथि तक का लाभ निकाल लिया जाता है तथा कर-निर्धारण तुरन्त सम्पन्न कर दिया जाता है। [धारा 176[

परीक्षा प्रश्न (Test Questions)

1. 'आयकर ऐसा कर है जो केवल आय पर लगता है अन्य किसी रकम पर नहीं' इस कथन की व्याख्या कीजिए।

'Income-tax is a tax which is levied on income and no any other amount' Explain.

2. गतवर्ष में हुई आय पर ही अगले कर निर्धारण वर्ष में कर का निर्धारण किया जाता है।' इस नियम के अपवादों पर प्रकाश डालिये।
Income-tax is assessed on the income of the previous year in the next assessment year.' Enumerate the exceptions of this rule.

3. कृषि आय कितने प्रकार की होती है? ऐसी आयों के उदाहरण लिखिए जो यद्यपि भूमि से सम्बन्धित होती है किन्तु कृषि आय नहीं है।
What are the kinds of Agricultural income? Give examples of incomes which, though related to land, are not agricultural income.

4. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए—
कृषि आय, गत वर्ष, आय, करदाता तथा कर-निर्धारण वर्ष।
Write short notes on the following—
Agricultural income, Previous year, Income, Assessee and Assessment year.

5. कृषि आय किसे कहते हैं और यह आयकर से मुक्त क्यों हैं? ऐसी आयों के उदाहरण दीजिए जो यद्यपि भूमि से सम्बधित है, किन्तु कृषि आय नहीं है।
What is agricultural income and why is it exempt from income tax? Give examples of income which though related to land, are not agricultural income. *(Kurukshetra B. Com. 1966)*

6. क्या करदाता द्वारा भिन्न-भिन्न आय स्रोतों के लिए भिन्न-भिन्न गतवर्ष अपनाया जा सकता है? एक विशेष गतवर्ष के लिए आय का समुच्चय कैसे किया जायेगा? उचित उदाहरण देकर समझाइये।
Can different previous years be adopted by an assessee for different sources of income? How is the income aggregated for a particular previous year? Give appropriate example? *(Delhi B. Com. Hons. 1974 Punjab B. Com. 1969)*

7. निम्नलिखित हिसाबी वर्षों के लिए कौन सा वर्ष कर-निर्धारण वर्ष होगा:
What will be the assessment year of the foollowing accounting year:

1. 11-4-1984 से 10-4-1985 (11-4-84 to 10-4-85)
2. दशहरा 1984 से दशहरा 1985 तक (Dashara 84 to Dashara 85)
3. 1-10-1983 से 30-9-1984 तक (1-10-83 to 1-9-84)
4. 1-1-1985 से 31-12-1985 तक (1-1-1985 to 31-12-1985)

उत्तर (1) 1986-87 अथवा बोर्ड की अनुमति से 1985-86, (2) 1986-87 (3) 1985-86, (4) 1986-87।

8. 'गतवर्ष' से क्या आशय है आयकर अधिनियम में इसकी क्या सम्बद्धता है?
What is meant by Previous Year? What is its relevant under the Income-tax Act? *(C. A. Inter No. v. 1980)*

9. 'कृषि आय को परिभाषित कीजिये तथा कर निर्धारण वर्ष 1974-75 से लागू हुई अंशत: एकीकरण योजना पर प्रकाश डालिये। तर्क सहित बताइये कि क्या निम्नलिखित को कृषि आय माना जा सकता है:

अ) कृषि फार्म के मैनेजर को मिला वेतन,
ब) अपने आप उगे हुए शीशम के पेड़ों को बेचने पर प्राप्त राशि।

Define the term 'agricultural income' and explain the scheme of partial integration there of from the assessment year 1974-75. State with reasoning whether the following are agricultural income in nature.

a) Salary received by the manager of an agricultural farm.
b) Sale proceeds of losswood trees of spontaneous growth.
(Andhra M. Com. 1980)

10. श्री महावीर को निम्नलिखित साधनों से आय प्राप्त होती है (साधनों के साथ हिसाबी वर्ष दिया गया है) आप यह बताइये कि कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 में इनमें से कौन-कौन सी आय करयोग्य होंगीं।

Mr. Mahavir has the following sources of income with their accounting year given alongside. You are required to state which of these sources would be taxed in the assessment year 1986-87.

a) कपड़ा व्यापार (Cloth business) (1-10-1985 से 30-9-1986)
b) ठेकेदारी व्यापार (Contract business) (1-4-1985 से 31-3-1986)
c) सूती मिल (Taxtile Mill) (कलैण्डर वर्ष 1985)
d) दवा की दुकान (Medicine Shop) (15-8-1985 से 14-8-1986)
e) साझेदारी व्यापार (Partnership business) (हिसाबी वर्ष 1985 के दशहरे को समाप्त होता है)
f) भवन सम्पत्ति से आय (Income from house property) (12 महीने की अवधि 30-9-1986 को समाप्त होती है)
g) विनियोग (Investments) (15 अप्रैल 1986 को समाप्त हुआ वर्ष)
h) सर्राफा व्यापार(Bullion business) (15 मार्च 1986 को समाप्त हुआ वर्ष)
i) कृषि आय (Agricultural Income) (15 मार्च 1986 को समाप्त हुआ वर्ष) [आन्ध्रा बी० काम० 1980]

[Answer : ठेकेदारी व्यापार से आय, सूती मिल से आय, साझेदारी व्यापार से आय, एवं सर्राफा व्यापार से आय]

11. गतवर्ष को परिभाषित कीजिये व व्याख्या लिखिये। निम्नलिखित दशाओं में कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये कौन से गतवर्ष होंगे :

अ) श्री भट्ट को वेतन से आय;
ब) जयराम को व्यापार से लाभ जिसका हिसाब प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर को बनाया जाता है।
स) पाटिल को साझेदारी फर्म से प्राप्त लाभ जिसका हिसाबी वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है व उसको अपने व्यापार से आय जिसके हिसाब प्रतिवर्ष 30 जून को बनाये जाते हैं।
द) कुक एण्ड कम्पनी (जो अनिवासी हैं) को 1986-87 में भारत में किये जहाजी व्यापार से लाभ हुआ। [कर्नाटक बी० काम० 1970]

Define and explain the term 'previous year'. State the Previous year tn the following cases of the assessment year 1985-86.

a) Salary income of Mr, Bhat.
b) Profit to Jayaram's business, closing their accounts on 31st December each year.
c) Patil share of income from a firm which close its account on 31st march, each year and his individual business income for which he close accounts on 30th June.
d) Cook & Company which is a non-resident company earns income for shipping business in India during 1986-87. Cook and Company is a non-resident.

[Answer : वित्तीय वर्ष 1985-86, कलैण्डर वर्ष 1985, साझेदार व्यापार से लाभ वित्तीय वर्ष 1985-86 एवं स्वयं के व्यापार से आय 1 जुलाई 1984 से 30 जून 1985 तक की अवधि, जहाजी कं० के लिये वित्तीय वर्ष 1986-87 ही गतवर्ष माना जायेगा ।]

12. श्री बसंतराम के कई व्यापार हैं जिसका हिसाबी वर्ष निम्न प्रकार है :—

1. कपड़े का थोक व्यापार	दिवाली वर्ष
2. कपड़ का फुटकर व्यापार	कलेण्डर वर्ष
3. लोहे का व्यापार	वित्तीय वर्ष
4. साझेदारी व्यापारी	एक जुलाई से 30 जून तक
5. ठेके का व्यापार	दशहरा वर्ष

1986-87 कर-निर्धारण वर्ष के लिये कौन सी हिसाबी अवधियाँ गतवर्ष मानी जायगी ।

Shri Basant Ram has several business whose 'accounting periods are as under :

1. Whole Sale cloth Business	Diwali year
2. Retail cloth Business	Calender year
3. Iron business	Financial year
4. Partnership business	1st July to 30th June
5. Contract business	Dashera year

Discuss which period of accounts would be treated as the previous year for the assessment year 1986-87.

[Answer : कपड़े का थोक व्यापार—दीपावली 1984 से दीपावली 1985, कपड़े का फुटकर व्यापार —कलेण्डर वर्ष 1985, लोहे का व्यापार—वित्तीय वर्ष 1985-86, साझेदारी व्यापार 1 जुलाई 1984 से 30 जून 1985, ठेके का व्यापार—दशहरा 1984 से दशहरा 1985]

13. अ) कृषि आय की परिभाषा दीजिये । ऐसी आयों के उदाहरण दीजिये जो भूमि से तो सम्बन्धित हों लेकिन कृषि आय न हों ।

ब) निम्नलिखित हिसाबी वर्ष के लिये निर्धारण वर्ष कौन सा होगा :—

i. दिवाली 1983 से दिवाली 1984 ।

ii. 1 जनवरी, 1985 से 31 दिसम्बर 1985 ।

a) Define agricultural income. Give examples of incomes which are related to land but are not agricultural income.

b) What will be the assessment year for the following accounting years :—

i. Diwali 1983 to Dewali 1984.

ii. 1st January, 1985 to 31st Dec. 1985. *(Rajasthan B. Com. 1985)*

[Answer : (i) 1985-86 (ii) 1986-87

———

2

निवास स्थान व कर-दायित्व

(Residence and Tax Liability)

आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार करदाता को गत वर्ष के लिए प्राप्त व उपार्जित आय (Accrued income) पर कर-निर्धारण वर्ष में आयकर देना पड़ता है। इनमें से कुछ ऐसी आय होती हैं जो अपने ही देश में उपार्जित की जाती हैं व कुछ आय ऐसी भी हो सकती है जो भारत के बाहर उपार्जित की गई हो किन्तु जिसकी प्राप्ति भारत में हुई हो। कुछ आय ऐसी भी होती हैं जो भारत के बाहर उपार्जित की गई हों तथा जिसकी प्राप्ति भी वहीं हुई हो। अब वास्तविक समस्या यह है कि क्या इन सभी आय पर भारत में आयकर लगाया जा सकता है ? इसके उत्तर के लिये आयकर अधिनियम में करदाताओं को उनके निवास स्थान के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। इनमें से एक वर्ग के करदाता की सभी आय पर कर देना होता है चाहें वह आय भारत में प्राप्त हुई हो या भारत के बाहर। दूसरी ओर किसी दूसरे वर्ग के करदाता को केवल उसी आय पर कर देना होता है जो भारत में ही अर्जित या प्राप्त हुई हो।

करदाता का निवास स्थान (Residential Status)

धारा 4 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को गतवर्ष की अपनी कुल आय पर आयकर देना होता है। धारा 5 में 'कुल आय के क्षेत्र' को परिभाषित किया गया है इसके अनुसार किसी भी करदाता का कर-दायित्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी निवास सम्बन्धी स्थिति (Residential status) कैसी है।

प्रत्येक गतवर्ष के लिए हमें निवास स्थान अलग से देखना पड़ता है क्योंकि किसी एक गतवर्ष में निश्चित की गई निवास सम्बन्धी स्थिति दूसरे गतवर्ष में बदल सकती है। निवास स्थान के अनुसार करदाता तीन प्रकार के होते हैं :—

अ. व्यक्ति जो भारत में निवासी है (Persons resident in India)

ब. व्यक्ति जो भारत में असाधारण निवासी है (Persons not ordinarily resident in India)

स. व्यक्ति जो भारत में अनिवासी है (Persons not resident in India)।

निवास स्थान सम्बन्धी स्थिति निश्चित करने के लिये हमें व्यक्ति की राष्ट्रीयता अथवा कानूनी निवास (Domicle) नहीं देखना होता है। इसका निर्णय केवल उन शर्तों के आधार पर किया जाता है जिनका वर्णन आयकर अधिनियम की धारा 6 में दिया गया है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि चूंकि गतवर्ष की आय पर ही कर लगाते हैं अतः निवास स्थान सम्बन्धी स्थिति भी गतवर्ष की ही निर्धारित करते हैं; कर-निर्धारण वर्ष की नहीं। एक व्यक्ति यदि गतवर्ष में निवासी है तो वह निवासी ही माना जायेगा

चाहे वह कर-निर्धारण वर्ष में अनिवासी ही क्यों न हो। प्रायः सभी करदाताओं (व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, फर्म कम्पनी आदि) की निवास स्थान सम्बन्धी स्थिति निर्धारित की जाती है।

विभिन्न प्रकार के करदाताओं, जैसे कि व्यक्ति, संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार फर्म, कम्पनी आदि की निवास स्थान सम्बन्धी स्थिति अलग अलग नियमों के अनुसार निर्धारित की जाती है।

इन नियमों के अनुसार हम सर्वप्रथम यह देखते हैं कि व्यक्ति निवासी है अथवा अनिवासी। उसके निवासी होने की स्थिति में हम एक वार फिर यह गणना करते हैं कि व्यक्ति निवासी ही है अथवा असाधारण निवासी है।

व्यक्ति (Individual)

निवासी (Resident) :—धारा 6 (1) के अनुसार एक व्यक्ति उसी स्थिति में भारत में निवासी होगा जबकि वह नीचे दी गई अ अथवा ब में से एक अथवा दोनों शर्तों को पूरा कर ले।

अ. वह गतवर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन अथवा इससे अधिक भारत में रहा हो। वह भारत में किसी एक स्थान अथवा एक से अधिक स्थानों में रह सकता है। इसी प्रकार उसका यह ठहरना एक बार में हो सकता है और अनेक वार में भी। [6(1)(a)]

अथवा

ब. गतवर्ष के पहले 4 वर्षों में कुल मिलाकर भारत में 365 दिन अथवा इससे अधिक रहा हो तथा गतवर्ष में भी वह भारत में 60 दिन अथवा अधिक दिन उपस्थित रहा हो। [6(1)(c)]

अपवाद : 1. एक ऐसे व्यक्ति की दशा में जो भारत का नागरिक है व जो गतवर्ष में भारत छोड़कर विदेश में नौकरी करने के विचार से जाता है, उपर्युक्त (ब) शर्त तभी पूरी होगी जबकि वह गतवर्ष में भारत में 182 दिन अथवा अधिक रहा हो।

2. एक ऐसे व्यक्ति की दशा में (जो भारत का नागरिक भी है) जो भारत के बाहर रहा है किसी गतवर्ष में अवकाश बिताने के लिये यदि भारत आता है तो शर्त (ब) तभी पूरी होगी जबकि वह भारत में गतवर्ष में कम से कम 90 दिन रहा हो।

एक व्यक्ति को निवासी तभी माना जायेगा जब उपरोक्त दो शर्तों में से किसी एक को पूरा करने के साथ निम्नलिखित दोनों शर्तों को भी पूरा करे :—

i. वह गतवर्ष से पहले के दस वर्षों में कम से कम 9 वर्ष भारत में निवासी (उपरोक्त अ अथवा ब के अनुसार) रहा हो; तथा
ii. वह गतवर्ष से पहले के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में उपस्थित रहा हो।

असाधारण निवासी (Not ordinarily Resident)—ऐसा व्यक्ति जो निवासी वाली प्रथम दो शर्तों अ अथवा ब में से कोई एक या दोनों शर्तें पूरी करे किन्तु बाद वाली दो शर्तों में या तो कोई शर्त पूरी न करे अथवा केवल एक शर्त पूरी करे, असाधारण निवासी माना जायेगा अर्थात्—

1. वह व्यक्ति गत वर्ष से पहले के दस गत वर्षों में 9 वर्ष से कम समय के लिए भारत में निवासी (उपरोक्त अ अथवा ब के अनुसार) रहा हो; अथवा

2. वह व्यक्ति गतवर्ष के पहले 7 गतवर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन से कम भारत में उपस्थिति रहा हो ।

अनिवासी (Non-resident)—ऐसा व्यक्ति जो उपरोक्त अ, ब में से किसी भी शर्त को पूरा नहीं कर पाता, अनिवासी माना जायेगा ।

उदाहरण (Illustration) 1—अजय जो एक भारतीय नागरिक है किसी कार्यवश 18 अप्रैल, 1985 को ईरान चला गया और फिर वित्त वर्ष 1985-86 के अन्त तक न लौट सका उसकी निवास स्थान सम्बन्धी स्थिति किस प्रकार निश्चित होगी ?

———

हल (Solution) : अजय गतवर्ष 1985-86 में यहाँ केवल 18 दिन रहा है अतः शर्त 'अ' पूरी नहीं होती । दूसरी शर्त के पहले भाग के अनुसार गतवर्ष के पहले 4 वर्षों में वह अवश्य ही 365 दिन से अधिक रहा है, परन्तु उसी शर्त का दूसरा आवश्यक भाग वह पूरा नहीं कर सका अर्थात् वह गतवर्ष में 60 दिन भारत में उपस्थिति नहीं रहा, अतः दोनों में से एक भी शर्त को पूरा न कर पाने के कारण वह अनिवासी हुआ । अनिवासी की स्थिति में हमें बाद की दो शर्तें देखने की आवश्यकता नहीं है ।

उदाहरण (Illustration) 2 :—प्रफुल्ल भारत में 20 वर्ष रहने के बाद 10 मार्च 1983 को पोलैण्ड चला गया और वहाँ कुछ समय रहकर 10 सितम्बर 1985 को भारत वापिस आ गया । गतवर्ष 1985-86 के लिए उनका निवास स्थान निर्धारित कीजिए ।

———

हल (Solution) : 1985-86 गतवर्ष में यह व्यक्ति 10 सितम्बर 1985 से 31 मार्च 1986 तक अर्थात् 182 दिन से अधिक भारत में रहा है । अतः 'अ' शर्त को पूरा करके प्रफुल्ल निवासी वाली श्रेणी में आ गया । अब यदि हम गतवर्ष (1985-86) से पहले के दस वर्षों (1974 से 85) पर नजर डालें तो पायेंगे कि प्रफुल्ल 1983-84 व 1984-85 में पूर्ण रूप से भारत के बाहर रहा है अतः इन दोनों वर्षों के लिये वह अनिवासी हुआ इस प्रकार वह गतवर्ष से पहले के दस वर्षों (1974-85) में 9 वर्षों से कम निवासी रहा है, अतः वह बाद में दी गई पहली शर्त के अनुसार गतवर्ष के लिए भारत में असाधारण निवासी हुआ ।

उदाहरण (Illustration) 3 :—एक विदेशी इन्जीनियर भारत में दो वर्ष रहकर 10 मई 1985 को स्वदेश वापिस पहुँच गया, किन्तु इसका परिवार भारत में ही रहा । वहाँ से वह 15 जून 1986 को भारत लौटा । 1985-86 गतवर्ष के लिये उसका निवास स्थान सम्बन्धी स्तर निर्धारित कीजिये । ———

हल (Solution) : यह इन्जीनियर गतवर्ष 1985-86 में केवल चालीस दिन भारत में रहा अतः न तो शर्त 'अ' पूरी होती है और न शर्त 'ब' । अतः यह व्यक्ति गतवर्ष 1985-86 के लिये भारत में अनिवासी रहा ।

उदाहरण (Illustration) 4—गौरव एक भारतीय नागरिक है वह डिप्लोमा प्राप्त करने के विचार से लन्दन विश्वविद्यालय जाने के लिए भारत से 5 मई 1985 को रवाना हुआ और 25 फरवरी 1986 को स्वदेश लौट आया । उसका गतवर्ष 1985-86 का निवास सम्बन्धी स्तर निर्धारित कीजिये । ———

हल (Solution) : गौरव गतवर्ष 1985-86 में इस प्रकार रहा है।

अप्रैल	85	30 दिन	गतवर्ष 1985-86 में भारत में कुल उपस्थिति 70 दिन की रही।
मई	85	5 दिन	
फरवरी	86	4 दिन	
मार्च	86	31 दिन	

गौरव पहली शर्त पूरी नहीं करता। दूसरी शर्त को वह जरूर पूरी करता है। गतवर्ष से पहले के चार वर्षों में वह भारत में निश्चय ही 365 दिनों से अधिक रहा है तथा गतवर्ष में 60 दिनों से अधिक भारत में उपस्थिति रहा है अतः निवासी हुआ।

बाद वाली दोनों शर्तें भी उसके द्वारा पूरी हो रहीं हैं। वह गतवर्ष से पहले के 10 वर्षों में 9 वर्ष से अधिक निवासी रहा है तथा पिछले 7 वर्षों में भारत में उसकी स्थिति 730 दिन से अधिक रही है अतः 1985-86 गतवर्ष के लिये गौरव निवासी है।

हिन्दू अविभाजित परिवार, फर्म व व्यक्तियों का अन्य समुदाय
(Hindu Undivided Family, Firm and other Association of Persons)

अ. निवासी—अविभाजित हिन्दू परिवार फर्म एवं व्यक्तियों के अन्य समुदाय आदि की निवास स्थान सम्बन्धी स्थिति के निर्धारण में इसके प्रवन्ध व नियन्त्रण की स्थिति देखते हैं। ऐसे परिवार, फर्म व व्यक्तियों के अन्य समुदाय का प्रवन्ध व नियन्त्रण यदि भारत में स्थिति है तो यह भारत में निवासी होंगे। प्रवन्ध व नियन्त्रण के थोड़े से भाग का भी भारत में स्थिति होना इन्हें निवासी बनाने के लिये काफी होगा।

ब. अनिवासी—ये सभी करदाता गतवर्ष के लिये भारत में उस दशा में अनिवासी होंगे जबकि इनका नियन्त्रण एवं प्रवंध पूर्ण रूप से भारत के बाहर स्थिति है।

स. असाधारण अनिवासी—फर्म तथा व्यक्तियों का अन्य समुदाय असाधारण निवासी होगा। यदि उसका कर्त्ता

1. गतवर्ष से पहले के 10 वर्षों में 9 वर्षों से कम समय के लिए भारत में निवासी रहा है, अथवा

2. गतवर्ष से पहले 7 वर्षों में 730 दिन से कम भारत में उपस्थिति रहा है। हिन्दू अविभाजित परिवार की निवास स्थान सम्बन्धी स्थिति निर्धारित करने में इसके कर्त्ता की भारत में उपस्थिति महत्वपूर्ण है। मृत्यु के कारण यदि परिवार के कर्त्ता भिन्न-भिन्न व्यक्ति रहे हैं तो ऐसे सभी कर्त्ताओं की भारत में उपस्थिति ज्ञात की जाती है।

परिवार का प्रबन्ध एवं नियंत्रण साधारणतया परिवार का कर्त्ता ही करता है परन्तु कभी किसी विशेष कार्य के लिए प्रबंध एवं नियंत्रण का कार्य अन्य व्यक्ति को भी सौंपा जा सकता है। कर्त्ता के परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा नीति निर्धारण अथवा निर्णय लेने का कार्य यदि आंशिक रूप से भी भारत में किया गया है तो परिवार द्वारा भारत में निवासी होने की प्रथम शर्त की पूर्ति मानी जायेगी। इसी प्रकार फर्म का प्रबंध एवं

नियन्त्रण प्रायः सभी साझेदारों द्वारा किया जाता है किन्तु वे यह कार्य किसी एक या अधिक साझेदारों को सौंप सकते हैं। जहाँ फर्म के व्यापार की नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं वहीं इसका प्रबन्ध एवं नियन्त्रण माना जाता है।

उदाहरण (Illustration) 5—श्री रमेश जो कि हिन्दू अविभाजित परिवार का कर्त्ता हैं प्रथम बार 13 मई 1983 को न्यूयार्क गया तथा 8 अगस्त 1985 को लौट आया। इस अवधि में उसने न्यूयार्क से ही परिवार के व्यापार की नीतियों को निर्धारित किया एवं निर्देश दिये। गतवर्ष 1983-84, 1984-85 एवं 1985-86 के लिए परिवार का निवास निर्धारित कीजिए। व्यापार का हिसाब प्रतिवर्ष 31 मार्च को बन्द किया जाता है।

हल (Solution) गतवर्ष 1983-84 :—वित्तीय वर्ष 1983-84 में व्यापार का नियंत्रण एवं प्रबन्ध श्री रमेश द्वारा प्रथम 43 दिन तक भारत से किया गया अतएव निवासी होने को प्रथम शर्त की पूर्ति हो जाती है। श्री रमेश 13 मई 1983 के पूर्व सदैव भारत में रहे अतः वे गतवर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में से 9 वर्ष तक निवासी होने की शर्त पूरी करते रहे और गतवर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में वे 730 दिन से अधिक भारत में रहे हैं अतः परिवार निवासी माना जायेगा।

गतवर्ष 1984-85 :—वित्तीय वर्ष 1984-85 में परिवार का सम्पूर्ण नियंत्रण एवं प्रबंध भारत के बाहर से हुआ है अतः परिवार अनिवासी है।

गतवर्ष 1985-86 :—वित्तीय वर्ष 1985-86 में परिवार का आंशिक नियंत्रण एवं प्रबंध भारत से किया गया क्योंकि श्री रमेश अगस्त 1985 में न्यूयार्क से लौट गये थे अतः निवासी की प्रथम शर्त पूरी हो जाती है। श्री रमेश गतवर्ष 1983-84 में केवल 43 दिन भारत में रहे और गतवर्ष 1983-84 में एक भी दिन भारत में नहीं रहे अतः दोनों वर्षों में अनिवासी रहे। इस प्रकार श्री रमेश गतवर्ष (1985-86) के पूर्व के 10 वर्षों में से कम से कम 9 वर्ष तक निवासी नहीं रहे अतः परिवार असाधारण निवासी माना जायेगा।

कम्पनी (Company)

एक कम्पनी किसी गतवर्ष में भारत में निवासी कही जाती है यदि

अ. वह भारतीय कम्पनी हो; अथवा

ब. यदि वह कम्पनी भारतीय कम्पनी नहीं है परन्तु उसका सम्पूर्ण प्रबन्ध एवं नियंत्रण भारत में स्थित रहा हो।

कम्पनी का प्रबन्ध एवं नियंत्रण संचालन मंडल द्वारा किया जाता है। यदि एक गैर भारतीय कम्पनी के संचालक मंडल की समस्त बैठकें गतवर्ष में भारत में हुई हैं तो वह कम्पनी निवासी होती है।

कम्पनी असाधारण निवासी नहीं होती है।

यदि एक गैर भारतीय कम्पनी का नियंत्रण एवं प्रबंध आंशिक रूप से भी भारत से बाहर है तो वह कम्पनी अनिवासी होती है।

स्पष्टीकरण : आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी की परिभाषा अलग से स्पष्ट की गई है जो कम्पनी अधिनियम में दी गई परिभाषा से पूर्णतः भिन्न है। आयकर अधिनियम की धारा 2(17) के अनुसार कम्पनी की परिभाषा में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है :

1. कोई भारतीय कम्पनी
2. कोई ऐसी संस्था जो किसी विदेशी अधिनियम के अन्तर्गत समामेलित हुई हो;
3. कोई कम्पनी जिसका वर्तमान आयकर अधिनियम अथवा 1922 के आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी की भाँति कर निर्धारण हुआ हो;
4. कोई संस्था, संघ अथवा संगठन जो प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा कम्पनी घोषित किया गया हो।

धारा 6 (5) के अन्तर्गत आय के एक साधन के लिए निवासी समझा जाने वाला करदाता अन्य सभी साधनों के लिए भी निवासी समझा जायेगा। ——

उदाहरण (Illustration) 6—एक कम्पनी डेनमार्क में स्थापित हुई जिसका व्यापार भारत से अभ्रक का निर्यात करना था। कम्पनी का मुख्य कार्यालय डेनमार्क में स्थित था भारत में देखभाल के लिए एक मैनेजर नियुक्त था।

हल (Solution) : कम्पनी अनिवासी होगी, क्योंकि न तो यह भारतीय कम्पनी है और न इसका प्रबन्ध व नियन्त्रण पूर्णरूप से भारत में स्थित है।

उदाहरण (Illustration) 7—आयकर अधिनियम के अन्तर्गत 1986-87 कर निर्धारण वर्ष के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों की निवास स्थान सम्बन्धी स्थिति पर प्रकाश डालिए :

अ. श्री अल्बर्ट 30 जून 1979 को संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रथम बार भारत आये। वे यहाँ लगातार 3 वर्ष ठहरे तथा 1 जुलाई 1982 को जापान चले गये। वह एक अप्रैल 1983 को भारत लौटे तथा यहाँ 31 जुलाई 1984 तक रह कर अमेरिका चले गये। एक अमेरिकी कारोबार के एक कर्मचारी के रूप में वे पुनः 25 जनवरी 1986 को भारत लौट आये।

ब. अमृतसर निवासी श्री वेदप्रकाश 1 अगस्त 1982 को उच्च शिक्षा के लिये इंग्लैण्ड गये। जब तक वे वहाँ रहे उन्होंने अपना अमृतसर वाला रहने का मकान अपने लिये सुरक्षित रखा। शरदावकाश में वे दो बार भारत आये—एक बार 20 दिसम्बर 1982 को तथा दूसरी बार 20 दिसम्बर 1984 को। 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में वे भारत नहीं आये।

स. वेस्टर्न एण्ड कम्पनी एक भारतीय कम्पनी है जिसका व्यापार भारत एवं दक्षिणी अमेरिका में हैं। 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में इसके कारोबार का नियन्त्रण एवं प्रबन्ध पूर्णरूप से भारत में स्थित था किन्तु इस वर्ष में दक्षिणी अमेरिका में अर्जित व उदित होने वाली इसकी आय भारत में अर्जित व उदित होने वाली आय से बहुत अधिक थी।

उपर्युक्त 'ब' के अन्तर्गत स्थिति में क्या अन्तर पड़ जाता यदि श्री वेदप्रकाश 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में भारत में एक आकस्मिक दौरे पर आते तथा यहाँ एक सप्ताह रहते।

हल (Solution) :—अ. 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले गतवर्ष से पहले 4 गतवर्षों में (1981-85) श्री अल्बर्ट कुल मिलाकर 945 दिन भारत में रहे हैं :—

वर्ष	दिनों की संख्या
1-4-81 से 31-3-82	366
1-4-82 से 31-3-83 तक (1-4-82 से 1-7-82)	92
1-4-83 से 31-3-84 तक	365
1-4-84 से 31-3-85 तक (1-4-84 से 31-7-85)	122
	945

इसके अतिरिक्त वे 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में 25 जनवरी 1986 से 31 मार्च 1986 तक 60 दिन से अधिक भारत में रहे अतः उन्होंने प्रथम दो शर्तों में से दूसरी शर्त पूरी की। अब यदि बाद की दो शर्तों पर विचार करें तो मालूम होगा कि वे गतवर्ष से पहले के 10 वर्षों में से 9 वर्ष से कम निवासी रहे हैं। चूंकि वे प्रथम बार 1979-80 वित्त वर्ष में ही भारत आये हैं अतः इनका निवास स्थान सम्बन्धी स्तर 'असाधारण-निवासी' का रहा।

ब. श्री वेदप्रकाश 1985-86 गतवर्ष के लिए 'अनिवासी' रहेंगे, क्योंकि वे गतवर्ष में एक दिन के लिए भी भारत में नहीं रहे। प्रश्न के अन्त में दिये हुए विवरण के अनुसार श्री वेदप्रकाश यदि भारत में एक आकस्मिक दौरे पर आते तथा यहाँ पर एक सप्ताह रहते तो भी उनके निवास स्थान सम्बन्धी दर्जे में कोई अन्तर न पड़ता किन्तु यदि वे इस दौरान एक सप्ताह के स्थान पर 90 दिन अथवा अधिक रहते तो वे निवासी ठहराये जाते चूंकि वे विचाराधीन गतवर्ष से पहले के सभी 10 वर्षों में निवासी रहे हैं तथा 31-3-86 को समाप्त होने वाले गतवर्ष से पहले 7 वर्षों में वे भारत में 730 दिन से अधिक रहे हैं।

स. वेस्टर्न एण्ड कम्पनी एक भारतीय कम्पनी है अतः कम्पनी भारत में निवासी है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आय का उदय कहां होता है भारत में या अमेरिका में। यदि नियन्त्रण एवं प्रबन्ध भारत से बाहर भी होता तो भी कम्पनी निवासी मानी जाती।

उदाहरण (Illustration) 8—1 अप्रैल 1985 को अमरीका निवासी श्री थामस की नियुक्ति भारत में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर हुई। 31 जनवरी 1983 को वह तीन वर्ष के प्रत्यावेदन (Deputation) पर युगाण्डा गये किन्तु अपनी पत्नी व बच्चों को भारत में ही छोड़ गये।

1 मई 1984 को वह भारत आये व 30 जून 1984 को पत्नी व बच्चों सहित सभी परिवार को अपने साथ यूगाण्डा ले गए। वह 2 फरवरी 1986 को फिर भारत आये व अपने मौलिक पद पर आसीन हुए।

आयकर के उद्देश्य के लिए श्री थामस की कर-निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1986-87 तक निवास स्थान सम्बन्धी स्तर क्या होगा? (दिल्ली बी० काम० पास 1978)

हल (Solution) कर निर्धारण वर्ष 1983-84 : गतवर्ष 1982-83 में श्री थामस भारत में 182 दिनों से अधिक रहे हैं; अतः निवासी वाली शर्तों में से पहली पूरी कर ही ली। किन्तु चूंकि ये गतवर्ष (1982-83) से पहले के दस वर्षों में नौ वर्षों से कम निवासी रहे हैं अतः असाधारण निवासी होंगे।

कर निर्धारण वर्ष 1984-85 : श्री थामस सम्बन्धित गतवर्ष (1983-84) में एक भी दिन भारत में नहीं रहे, यद्यपि उनका परिवार यहाँ पर बना रहा। निवासी वाली एक भी शर्त को पूरा न कर सकने के कारण ये अनिवासी हुए।

कर निर्धारण वर्ष 1985-86 : गतवर्ष 1984-85 में श्री थामस भारत में 60 दिन रहे तथा इससे पहले के 4 वर्षों (1980-84) की अवधि में 365 दिन से अधिक भारत में रहे अतः एक शर्त पूरी हुई। किन्तु असाधारण निवासी वाली शर्त (गतवर्ष से पहले के 10 वर्षों में से 9 वर्षों से कम निवासी) पूरा करके वे असाधारण निवासी वाली श्रेणी में आयेंगे।

कर निर्धारण वर्ष 1986-87 :—गतवर्ष 1985-86 में श्री थामस निवासी होने की प्रथत शर्त (अ अथवा ब) की पूर्ति नहीं करते हैं अतः अनिवासी होंगे।

स्थानीय सत्ता अथवा कृत्रिम कानूनी व्यक्ति का निवास स्थान—किसी स्थानीय सत्ता अथवा कृत्रिम कानूनी व्यक्ति का नियन्त्रण एवं प्रबन्ध गतवर्ष में पूरे समय अथवा आंशिक समय के लिए भी भारत में रहा है तो वह निवासी होता है।

यदि इनका सम्पूर्ण नियन्त्रण एवं प्रबन्ध भारत के बाहर स्थित रहा हैं तो ये अनिवासी होते हैं।

निवास स्थान और कर दायित्व अथवा कर का भार
(Residence and Tax Liability or Incidence of tax)

आयकर अधिनियम की धारा 5 के अनुसार विभिन्न करदाताओं की करदायित्व सम्बन्धी स्थिति निम्नलिखित है—

निवासी की कुल आय का क्षेत्र—निवासी करदाता को निम्नलिखित सभी आय पर कर देना पड़ता हैं :

1. भारत में गतवर्ष में प्राप्त अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय।
2. भारत में उपार्जित व उदय हुई व उपार्जित व उदय हुई समझी जाने वाली आय।
3. वह समस्त आय जो उसने गतवर्ष में भारत के बाहर उपार्जित की है अथवा उदय हुई हैं अथवा उपार्जित एवं उदय समझी जाती है।

असाधारण निवासी की कुल आय का क्षेत्र—इसकी कुल आय में निम्नलिखित आयों को सम्मिलित किया जाता है :

1. भारत में गतवर्ष में प्राप्त अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय।
2. भारत में उपार्जित व उदय हुई व उपार्जित व उदय समझी जाने वाली आय।
3. भारत के बाहर उपार्जित व उदय हुई ऐसी आय जो उस व्यापार से प्राप्त होती है जिसका संचालन व नियन्त्रण भारत से होता है।

अनिवासी की कुल आय का क्षेत्र—इन्हें केवल निम्नलिखित दो प्रकार की आय पर कर देना पड़ता है—

1. भारत में गतवर्ष में प्राप्त अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय।
2. भारत में उपार्जित व उदय हुई व उपार्जित व उदय हुई समझी जाने वाली आय।

गतवर्ष से पूर्व की बिना कर लगी ऐसी आय जो भारत के बाहर कमाई गई हो एवं प्राप्त की गई हो यदि गतवर्ष में भारत में लाई जाती है, गतवर्ष की आय में सम्मिलित नहीं की जाती है।

भारत में प्राप्त आय (Income received in India)—भारत में प्राप्त आय सभी करदाताओं के हाथों में करयोग्य होती है चाहे यह भारत में उपार्जित हो अथवा विदेशों में। प्राप्ति से तात्पर्य प्रथम प्राप्ति से ही है बाद की प्राप्ति का कोई महत्व नहीं है। एक व्यक्ति यदि लन्दन में सेवायें अर्पित करके भारत में आता है तथा नियोक्ता उसे वेतन बैंक ड्राफ्ट द्वारा भारत भेज देता है; तो यह भारत में प्राप्त आय होगी। यदि नियोक्ता कर्मचारी के लन्दन में स्थित बैंक के खाते में वेतन जमा करा देता है और बैंक उस व्यक्ति के आदेशानुसार राशि जमा होते ही तुरन्त भारत भेज देता है, तो यह प्राप्ति भारत में प्राप्त आय नहीं होगी क्योंकि आय की प्रथम प्राप्ति भारत के बाहर है।

कर दायित्व का सारांश (Summary of tax liability)

आयकर का विवरण	निवासी	असाधारण निवासी	अनिवासी
1. भारत में प्राप्त अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय चाहे इसका उपार्जन भारत में हुआ हो, अथवा भारत के बाहर।	करयोग्य	करयोग्य	करयोग्य
2. भारत में अर्जित व उदित आय अथवा अर्जित व उदित समझी जाने वाली आय चाहे इसकी प्राप्ति भारत में हुई हो अथवा भारत के बाहर।	करयोग्य	करयोग्य	करयोग्य
3. भारत के बाहर ऐसे व्यापार से प्राप्त व अर्जित आय, जिसका संचालन एवं नियंत्रण भारतवर्ष से होता है।	करयोग्य	करयोग्य	X
4. भारत के बाहर किसी अन्य साधन से प्राप्त व अर्जित आय।	करयोग्य	X	
5. भारत के बाहर गतवर्ष से पहले के वर्षों में प्राप्त व अर्जित आय जो गतवर्ष में भारत में लाई गई।	X	X	

प्राप्त समझी जाने वाली (Income deemed to be received) : इसका सीधा अर्थ यह है कि रकम की प्राप्ति न होने पर भी अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत इसे प्राप्त हुआ माना जाता है। धारा 7 व 8 में ऐसी आयों की सूची दी गई है जो इस प्रकार है—

अ. कर्मचारी के प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड के सदस्य होने पर उनको मिलने वाली वह वार्षिक वृद्धि (Annual accrection) जो उसके वेतन में कर-निर्धारण के लिये शामिल की जाती है।*

ब. अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड प्रमाणित होने पर हस्तांतरित शेष (Transferred balance)।*

स. कम्पनी द्वारा घोषित लाभांश उसी गत वर्ष में प्राप्त आय मानी जायेगी जिसमें घोषणा हुई। अन्तरित लाभांश उस गतवर्ष में प्राप्त माने जाते हैं जिसमें कम्पनी इसको बिना शर्त चुकाने को तत्पर हो।

भारत में उपार्जित या उदय हुई आय (Income accruing or raising in India) : आय के उपार्जित होने अथवा उदय होने से आशय आय को प्राप्त करने का

* इसके विस्तृत अध्ययन के लिये चौथा अध्याय देखिये

अधिकार मिलता है चाहे आय वास्तव में प्राप्त की गई है अथवा नहीं। आय का उपार्जन तब होता है जबकि यह पहली बार अस्तित्व में आती है, लेकिन यह उदय हुई तब कही जाती है जब कि हिसाब की पद्धति के द्वारा इसे आय के रूप में माना जाये।

यदि करदाता क्रय विक्रय का व्यापार करता है तो आय उस स्थान पर उपार्जित होगी जहाँ विक्रय किया जाता है कि वह स्थान महत्वहीन है जहाँ से उसे लेन देन का नियंत्रण एवं निर्देशन किया जाता है। यदि माल निर्माण भारत में हो और बिक्री भारत के बाहर की जाय तो सम्पूर्ण लाभ का वह भाग जो निर्माण क्रियाओं के सम्बन्ध में उचित माना जाता है भारत में उपार्जित होगा और जो बिक्री से संबंधित है भारत के बाहर उपार्जित होगा।

भारत में उपार्जित या उदय हुई मानी गई आय (Incomes deemed to accrue or arise in India) :—ये वे आयें हैं जो यद्यपि वास्तव में उपार्जित नहीं हुई हैं परन्तु अधिनियम के अन्तर्गत भारत में इन्हें उपार्जित माना जाता है। उदाहरण स्वरूप वह आय जो भारत में स्थिति किसी व्यापारिक सम्पर्क के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उपार्जित होती हैं। किसी सम्पत्ति में प्रतिभूतियों आदि से उपार्जित आय अथवा भारतीय कम्पनी द्वारा वितरित लाभांश (भारत के बाहर देय) भी इसी श्रेणी में आते हैं।

अधिनियम की धारा 9 के अनुसार निम्नलिखित आय भारत में अर्जित व उदित हुई समझी जाती है—

1. भारत में किसी व्यावसायिक सम्बन्ध से अथवा उसके माध्यम से, अथवा भारत में स्थिति किसी सम्पत्ति, भवन सम्पत्ति व आय के श्रोत से अथवा इनके माध्यम से, अथवा नकद वस्तु, पूंजीगत सम्पत्ति के हस्तांतरण के रूप में भारत में लाये गये व ब्याज पर उधार दिये गये धन से अथवा उसके माध्यम से अर्जित व उदित समस्त आय, चाहे वह प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष।

स्पष्टीकरण :

a) यदि किसी व्यवसाय की समस्त क्रियायें भारत में नहीं होती हैं तो ऐसे व्यवसाय की केवल वह आय भारत में उपार्जित मानी जायेंगी जो भारत में की गई क्रियाओं से सम्बन्धित हैं।

b) यदि किसी अनिवासी द्वारा भारत के बाहर निर्यात करने के लिये भारत में कोई माल क्रय करने सम्बन्धी क्रियायें करता है तो कोई आय भारत में उपार्जित एवं अर्जित नहीं होगी।

c) यदि किसी अनिवासी द्वारा भारत में सूचना व समाचार एकत्र किये जाते हैं व इन्हें बाहर भेजा जाता है तो इनसे प्राप्त आय भारत में अर्जित नहीं मानी जायेगी।

d) एक अनिवासी करदाता को जो व्यक्ति हो तो भारत का नागरिक न हो, अथवा जो फर्म हो तो जिसमें कोई साझेदार भारत का नागरिक अथवा निवासी न हो, अथवा ऐसी कम्पनी जिसमें कोई भी अंशधारी भारत का नागरिक अथवा निवासी न हो के द्वारा भारत में किसी सिनेमा फिल्म को सूटिंग क्रियायें की जाती हैं तो ऐसे व्यक्ति; फर्म अथवा कंपनी की ऐसी क्रियाओं की कोई आय भारत में उपार्जित नहीं मानी जायेगी।

2. भारत में की गई सेवाओं के लिये पारिश्रमिक—वेतन, पेंशन आदि।

3. वेतन शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली राशि जो सरकार द्वारा एक भारतीय नागरिक को भारत से बाहर की गई सेवाओं के लिये देय हो।

4. एक भारतीय कम्पनी द्वारा भारत से बाहर चुकाया गया लाभांश।

5. ब्याज के रूप में प्राप्त आय—(a) यदि इसका भुगतान सरकार द्वारा देय हो। (b) यदि इसका भुगतान निवासी करदाता ने किया हो। (c) यदि इसका भुगतान अनिवासी करदाता ने किया है तो देय ब्याज की राशि उसके द्वारा भारत में संचालित किसी व्यापार अथवा पेशे के उद्देश्य से अथवा आय के किसी अन्य साधन के लिये उधार ली गई धनराशि से सम्बद्ध है।

अपवाद :—यदि ब्याज उस ऋण या उधार ली गई राशि पर दिया गया हो जिसका उपयोग निवासी व्यक्ति के द्वारा भारत के बाहर किसी व्यापार या पेशे को चलाने के लिये अथवा भारत के बाहर अन्य किसी साधन से आय कमाने के लिये किया गया हो, तो निवासी करदाता द्वारा देय ऐसा ब्याज भारत में उपार्जित हुआ नहीं माना जायेगा।

6. रायल्टी के रूप में आय—यदि (a) भुगतान सरकार द्वारा किया गया हो। (b) इसका भुगतान निवासी करदाता द्वारा किया गया हो (c) यदि इसका भुगतान अनिवासी करदाता द्वारा किया गया हो तो ऐसी रायल्टी अनिवासी करदाता द्वारा भारत में संचालित व्यापार आदि में प्रयुक्त किसी अधिकार, सम्पत्ति, सूचना या अन्य सेवाओं से सम्बद्ध है।

अपवाद :—यदि रायल्टी या शुल्क के रूप में चुकायी जाने वाली राशि ऐसी सम्पत्ति अधिकार अथवा सूचना के सम्बन्ध में है जिसका उपयोग निवासी करदाता द्वारा भारत के बाहर व्यापार या पेशे को चलाने अथवा अन्य किसी साधन से आय कमाने के लिये किया गया हो, तो वह रायल्टी या शुल्क भारत में उपार्जित नहीं माना जायेगा।

7. तकनीकी सेवाओं की आय—यदि (a) भुगतान सरकार द्वारा किया गया है। (b) इसका भुगतान निवासी करदाता द्वारा किया गया है। (c) यदि इसका भुगतान अनिवासी करदाता द्वारा किया गया है तो ऐसी फीस (आय) ऐसी तकनीकी जानकारी के प्रतिफल के बदले में देय है जो अनिवासी करदाता द्वारा भारत में संचालित व्यापार अथवा पेशे में अथवा अन्य किसी साधन से आय कमाने में भारत में प्रयुक्त हो रही है।

अपवाद :—यदि भुगतान की जाने वाली राशि ऐसी तकनीकी जानकारी से संबंधित है जिसका उपयोग निवासी करदाता द्वारा भारत के बाहर व्यापार या पेशे को चलाने के लिये अथवा भारत के बाहर किसी स्रोत से आय प्राप्त करने के लिये किया गया हो तो यह राशि भारत में उपार्जित नहीं समझी जायेगी।

उदाहरण (Illustration) 9 :

गतवर्ष 1985-86 के लिये श्री रामप्रसाद की निम्न आयें हैं :	रुपये
अ. जापान के व्यापार का लाभ भारत में प्राप्त किया	10,000
ब. मिश्र स्थित मकान सम्पत्ति से आय भारत में प्राप्त की	1,000
स. लंका में स्थित मकान सम्पत्ति से आय वहीं एक बैंक में जमा की	2,000
द. बर्मा में स्थापित व्यापार के लाभ वहीं एक बैंक में जमा किये (यह व्यापार भारत से नियन्त्रित है)	2,000
य. भारत में उपार्जित परन्तु मलेशिया में प्राप्त आय	4,000
र. इन्दौर शहर में व्यापार से लाभ	12,000

उपर्युक्त विवरण से श्री रामप्रसाद की गतवर्ष 1985-86 की कर योग्य आय की गणना कीजिये यदि श्री रामप्रसाद (1) निवासी है (2) असाधारण निवासी है अथवा (3) अनिवासी हैं।

The following are the incomes of Shri Ramprasad for the previous year 1985-86:

a)	Profit from business in Japan received in India	10,000
b)	Income from house property in Egypt received in India	1,000
c)	Income from house property in Cylon deposited in a bank there·	2,000
d)	Profit from business established in Burma deposited in a bank there (this business is controlled from India),	2,000
e)	Income Accrued in India but received in Malesia.	·4,000
f)	Profit earned from business in Indore city.	12,000

From the above particulars is ascertain the taxable income of Shri Ramprasad for the previous year 1985-86 if Shri Ramprasad is (1) a resident (2) non ordinarily resident (3) a non resident.

हल (Solution)

(Computation of Total income of shri Ramprasad when he is a)

Particulars	Resident	Non ordinarily resident	Non resident
a) Profit from Business in Japan received in India.	10,000	10,000	10,000
b) Income from house property in Egypt received in India.	1,000	1,000	1,000
c) Income from House property in Cylone	2,000	—	—
d) Profit from business established in Burma controlled from India.	2,000	2,000	—
e) Income Accrued in India But received in Malasia	4,000	4,000	4,000
f) Profit of Indore city business	12,000	12,000	12,000
Total Income	31,000	29,000	27,000

उदाहरण (Illustration) 10 : श्री मुकेश की वित्तीय वर्ष 1985-86 को निम्नलिखित करयोग्य आयें थी :

1.	नेपाल में स्थित मकान सम्पत्ति से आय	21,000
2.	पेरिस में स्थापित पेशे से वहीं प्राप्त आय (इस आय में से भारत में लाई गयी आय 17,000)	25,000
3.	अमेरिका में की गई सेवाओं के लिये भारत में प्राप्त वेतन	15,000
4.	भारत में की गई सेवाओं के लिये जापान में प्राप्त वेतन	17,000
5.	लंका में स्थित व्यापार से उपार्जित तथा लंका में ही प्राप्त लाभ	15,000
6.	बम्बई में स्थित व्यापार से लाभ	13,000
7.	कनाडा में स्थित व्यापार से लाभ	19,000
8.	इस वर्ष से पूर्व उपार्जित पेरिस में व्यापार की आय यह इस वर्ष में भारत में लाई गयी है	13,000
9.	श्री कार्टर अनिवासी को भारत के बाहर व्यापार संचालन हेतु दिये गये ऋण पर ब्याज 1,000 रु० और इस व्यापार को प्रदान की गई तकनीकी सेवाओं का शुल्क	16,000

आप श्री मुकेश की 1986-87 निर्धारण वर्ष के लिये कुल सकल आय की गणना प्रत्येक दशा में कीजिये जबकि वे (i) निवासी (ii) असाधारण निवासी अथवा (iii) अनिवासी हैं। आय० 2/86

Shri Mukesh's taxable income for the financial year 1985-86 were Rs.

1. Income from house property in Nepal 21,000
2. Income from profession set up in Paris and received there 25,000
   (Out of this income amount brought to India Rs. 17,000)
3. Salaries received in India for services rendered in America 15,000
4. Salaries received in Japan for services rendered in India 17,000
5. Profit of business earned and received in Ceylon 15,000
6. Profit of business at Bombay 13,000
7. Profit of business in Canada 19,000
8. Income from business in Paris earned before this year it has been brought to India during this year 13,000
9. Interest on money lent to Shri Carter. a non-resident, for Carrying on business outside India Rs. 1,000 and fees for technical services provided to this business 16,000

You are required to compute the gross total income of Shri Mukesh for the assessment year 1986-87 in each case if he is a (i) resident (ii) not ordinarily resident or (iii) non-resident.

हल (Solution) :

Computation of total income of Shri Mukesh when he is a :

	Resident	Not ordinarily resident	Non-resident
1. Income from house property in Nepal	21,000	—	—
2. Income from profession in paris	25,000	—	—
3. Salaries received in India for service rendered in America.	15,000	15,000	15,000
4. Salaries received in Japan for service rendered in India	17,000	17,000	17,000
5. Profits of business in ceylon	15,000	—	—
6. Profit of business in Bombay	13,000	13,000	13,000
7. Profit of business in Canada	19,000	—	—
8. Interest on money lent to Carter and fees for technical services	17,000	—	—
Total income	1,42 000	45,000	45,000

टिप्पणी—श्री कार्टर को उधार दी गई राशि पर प्राप्त व्याज एवं तकनीकी सेवाओं का शुल्क केवल 'निवासी' की परिस्थिति में ही कर योग्य होगा क्योंकि यह भारत में उपार्जित आय नहीं है।

उदाहरण (Illustration) 11—श्री भीमसैन द्वारा सम्बन्धित गतवर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण दिया गया :—

1. ईराक में चालू व्यवसाय से करयोग्य लाभ 25,000
2. हाँगकांग में स्थित मकान सम्पत्ति से भारत में प्राप्त आय 10,000
3. लंदन में स्थित मकान को वेचने पर पूँजी लाभ जिसमें से 30,000 रु० लन्दन में वैंकिंग कारपोरेशन में जमा किया गया व शेष भारत में लाया गया। 50,000
4. बंगलादेश में स्थित व्यवसाय से लाभ जो भारत में नियन्त्रित होता है। 1,00,750
5. भारत में निजी फर्म में की गई सेवाओं के लिये फ्रांस में प्राप्त पैंशन 20,250
6. भारत में मकान सम्पत्ति से आय 10,000

कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये श्री भीमसैन की करयोग्य आय की गणना कीजिए यदि वह (अ) निवासी (व) असाधारण निवासी व (स) अनिवासी है।

The following particulars are submited by Shri Bhimsen for the relevant previous year :

		Rs.
1.	Taxable profit from business conducted in Iraq	25,000
2.	Income from house property situated in Hongkong and received in India	10,000
3.	Capital gains on sale of a building situated in London, out of which Rs. 30,000 being deposited there in London Banking Corporation and the balance remitted into India	50,000
4.	Profit from a business situated in Bangla Desh, the business being controlled from India	1,00,750
5.	Pension received in France for the services rendrered in India with a private firm	20,250
6.	Income from house property in India	10,000

You required to compute taxable income of Mr. Bhimareddyfor the assessment year 1986-87. Ifhe is (a) a resident (b) a not ordinartly resident and (c) a non resident.

Solution : Computation of total Income when Shri Bhimsen is a—

	Resident	Not ordinarily resident	Non-resident
	Rs.	Rs.	Rs.
1. Income from house property in India	10,000	10,000	10,000
2. Pension received in France for the exercices rendered in India.	20,250	20,250	20,250
3. Profit from a business in Bangla Desh controlled from India	1,00,750	1,00,750	—
4. Taxable profit from business in Iraq	25,000	—	—
5. Income from houses property in Hongkong received in India	10,000	10,000	10,000
6. Capital gains on sale building situated in London	50,000	—	—
Total	2,16,000	1,41,000	40,250

Notes ; 1. Pension received in France is supposed to have been earned in India as it is for the services rendered in India.

2. Income from house property situated in Hongkong is said to have been received in India and therefore taxable in the hands of the assessee what-ever his residential status may be. It is assumed that is a first receipt and remittance.

टिप्पणी अ. फ्रांस में प्राप्त पेंशन भारत में अर्जित मानी जायेगी क्योंकि यह भारत में की गई सेवाओं के बदले में रही हैं।

ब. हांगकांग में स्थित मकान सम्पत्ति से आय के सम्बन्ध में यह माना गया है कि इसकी प्रथम प्राप्ति भारत में हैं।

उदाहरण (Illustration) 12 : निम्नलिखित विवरण गतवर्ष 1985-86 से सम्बन्धित है जो डा० रामा स्वामी आयगंर द्वारा दिया गया है। आप इनकी कुल आय की गणना यह मानते हुए कीजिये कि (अ) निवासी है, (ब) असाधारण निवासी है, (स) अनिवासी है।

1.	भारत में प्राप्त वेतन (करयोग्य)	25,600
2.	भारत में की गई सेवाओं के लिए ब्रिटेन में प्राप्त वेतन	12,700
3.	सीरिया स्थित भारतीय दूतावास में दो माह काम करने के लिए वहाँ मिला वेतन	24,000
4.	भूतकाल में कनाडा में अर्जित आय जो गतवर्ष में भारत में भेजी गई	75,000
5.	वर्मा स्थित कृषि भूमि से आय जो गतवर्ष भारत में भेजी गई	12,500
6.	फ्रांस की कम्पनियों में रखी गई प्रतिभूतियों पर गतवर्ष में प्राप्त ब्याज	11,500

Here below are given the particulars furnished by Dr. Ramaswamy Iyenger pertaining the previous year 1985-86. You are required to calculate his total taxable income, if he is (a)resident; (b) a not ordinarily resident; (c) a non-resident.

		Rs.
1	Salary received in India	25,600
2.	Payment received in United Kingdom for the services rendered in India	12,700
3.	Served for two months in Indian Embassy situated in Syria and salary received there	24,000
4.	Business profits earned in the past but remitted into India from Canada in the privious year	75,000
5.	Income from cultivation of land situated in Burma, remitted into India in the previous year	12,500
6.	Interest received in respect of securities in French Cos.	11,500

Solution : Computation of total Income of Dr. Ramaswamy Iyengner when he is a—

		Resident	Not ordinarily resident	Non-resident
		Rs.	Rs.	Rs.
1.	Salary received in India	25,600	25,600	25,600
2.	Payment received in U.K. for services rendered in India	12,700	12,700	12,700
3.	Service in Indian embassyab road	24,000	24,000	24,000
4.	Past business profits remitted to India	—	—	—
5.	Income from Burma	12,500	—	—
6.	Interest in respect of securities in French companies	11,500	—	—
	Total Income	86,300	62,300	62,300

Notes : :—1. Interest on securities in French companies is assumed to have been received outside India.

2. Salary of Rs. 25,600 and Rs. 12,700 is subject to standard deduction of Rs. 600

टिप्पणी—(अ) फ्रांसीसी कम्पनियों में रखी गई प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज भारत के बाहर माना गया है।

(ब) सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को भारत के बाहर की गई सेवाओं के लिये देय वेतन भारत में उपार्जित माना जाता है अतः भारतीय दूतावास में कार्य की अवधि के लिये देय वेतन भारत में अर्जित माना जायेगा।

परीक्षा प्रश्न (Test Questions)

1. विभिन्न करदाताओं का निवास स्थान के आधार पर वर्गीकरण कीजिये। एक करदाता के निवास स्थान के अनुसार उसका कर दायित्व किस प्रकार निर्धारित किया जाता है।
   Classify the assessees according to residence. How tax liability of an assessee is determined with reference to residenc ? *(Gwalior B. Com. 1983)*

2. 'करदाता के निवास स्थान' को स्पष्ट कीजिए। एक व्यक्ति करदाता का निवास स्थान के आधार पर किस प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है।
   Explain 'Residence Assessee. How is an individual assessee classified on the basis of residence ? *(Gwalior B. Com. 1981)*

3. आयकर के लिये करदाता का निवास स्थान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है? निवास स्थान एवं कर दायित्व के आपसी सम्बन्धों को स्पष्ट कीजिये।
   How is residence of an assessee determined fo income tax purposes ? Explain the relationship between residence and tax liability: *(Raj. 1975, 76, 77, 78)*

4, "आयकर का प्रभार करदाता के निवास सम्बन्धी स्थिति पर निर्भर करता है" पूरी व्याख्या कीजिए।
"The incidence of income-tax depends upon the residential status of assessee." Discuss fully.

5. करदाताओं को उनके निवास स्थान के आधार पर तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है। यह स्पष्ट कीजिए कि इन श्रेणियों को किस प्रकार परिभाषित किया गया है व इनका करदाता के कर दायित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है।
Assessees have been divided into three categories on the basis of their residence. Explain how these categories are defined and affect the tax liability of an assessee ? *(B. Com Hons Delhi, 1974)*

6. निवास सम्बन्धी स्थिति के संदर्भ सहित किसी करदाता के कर दायित्व के विभिन्न ढंगों को समझाइये।
Explain the ways in which the tax Liability of any assessee is determined with reference to his residential status. *(Karnatak B. Com. 1981)*

7. उन दशाओं का वर्णन कीजिये जिन्हें एक व्यक्ति को निवासी कहलाने के लिए पूरा करना चाहिए।
Mention conditions with individual must fufil in order to be considered as a "resident." *(Madras B. Com. 1981)*

8. करदाता की निवास स्थान सम्बन्धी स्थिति के निर्धारण करने के लिए प्रावधानों की विवेचना कीजिये।
Enumerate the provisions to determine the residential status of an assessee. *(Madras B. Com. 1980)*

9. करदाता की कौन-2 सी आय भारत में करयोग्य हैं जबकि वह करदाता :
(अ) निवासी (ब) अनिवासी व (स) असाधारण निवासी है।
Which of the incomes of an assessee are taxed in India when the assessee is a (a) Resident; (b) Non-resident and (c) Not Ordinarily resident. *(Karnatak B. Com. 1980)*

10. वित्त वर्ष 1985-86 में श्री प्रेम को निम्नलिखित आय की प्राप्ति हुई—रु०

i.	बेल्जियम में स्थित सम्पत्ति से प्राप्त आय	10,000
ii.	जापान में की गयी सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन	15,000
iii.	सिंगापुर में स्थित व्यापार से लाभ, इसका संचालन भारत से होता है	25,000
iv.	भारत में की गयी सेवाओं के लिये इटली में प्राप्त वेतन	5,000
v.	भूतकाल में उपार्जित विदेशी आय जो गतवर्ष में भारत में लाई गई	20,000
vi.	कानपुर में स्थित व्यापार से लाभ	8,000

आप श्री प्रेम की कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए कुल आय की गणना कीजिये यह मानते हुये कि वे—

a. अनिवासी हैं; b. असाधारण निवासी हैं; c. अनिवासी हैं।

Mr. Prem received the following income during the financial year 1985-86. Rs.

i.	Income received from Property situated in Belgium	10,000
ii.	Salary received in India for services rendered in Japan	15,000
iii.	Profit from business situated in Singapur. This is controlled from India	25,000
iv.	Salary received in Itly for service rendered in India	5,000
v	Past foreign income brought to India during the previous year	20,000
vi.	Profit from business situated at Kanpur	8,000

Compute the total income of Mr. Prem Prasad for the assessment year 1986-87 assuming that he is—

(a) A resident (b) A not ordinarily resident (c) A non resident.
Answer : (a) Rs. 63,000 (b) Rs. 53,000 (c) Rs. 28,000

11. श्री राम गोपाल की 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिये निम्नलिखित आय थी—

अ. दो मास का वेतन (भारत में प्राप्त)	4,800
ब. भारत में स्थित सम्पत्ति से आय	2,500
स. बिना कर लगी हुई विगत वर्षों की आय जो गतवर्ष में भारत लाई गयी	16,000
द. नेपाल में स्थित कृषि भूमि से आय जो भारत लाई गई	4,500
य. बंगला देश में स्थित व्यापार से आय जिसमें से 4,000 रु० की राशि भारत में लाई गई	10,000
र. लन्दन में विनियोग से आय जिसमें से 600 रु० भारत भेजे गये	1,800

श्री राम गोपाल को अनिवासी मानते हुए, उनकी आय का निर्धारण कीजिए।

Shri Ram Gopal had the following incomes during the previous year ended on March 31, 1986 :

		Rs.
a)	Salary for two months (In India)	4,800
b)	Income from property in India	2,500
c)	Amount brought into India out of untaxed previous income	16,000
d)	Income from agricultural land in Nepal brought to India	4,500
e)	Income from business in Bangla Desh which is controlled from India, of which Rs. 4,000 was brought into India	10,000
f)	Income from Investment in London out of which Rs, 600 was remitted to India.	1,800

Determine to total income of Sri Ram Gopal assuming to be non-resident.
Answer—Rs. 7,300 ignoring standard deduction.

12. श्री एक्स 1986-87 कर-निर्धारण वर्ष में निम्नलिखित आय अर्जित करता है :-

अ) भारतीय कम्पनी द्वारा देय लाभांश 1,000 रु० था जो लन्दन में प्राप्त हुआ
ब) भारत में पूर्व नियोक्ता द्वारा दी गई पेंशन अमेरिका में प्राप्त हुई 4,000 रु०
स) पेरिस में व्यवसाय से अर्जित लाभ, व्यवसाय भारत से नियन्त्रित होता है लाभ का आधा भाग भारत में प्राप्त किया 40,000 रु०
द) भूटान में कृषि से प्राप्त आय जो भारत में लाई गई 5,000 रु०
इ) इग्लैंड में स्थिति सम्पत्ति से आय जो वहीं प्राप्त हुई 4,000 रु०
फ) गतवर्ष की बिना कर लगी विदेशी आय जो भारत में लाई गई 10,000 रु०

कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए एक्स की कुल आय का निर्धारण कीजिये यदि वह वित्तीय वर्ष 1985-86 में भारत में (i) निवासी (ii) असाधारण निवासी और (iii) अनिवासी हैं।

Shri X earns the following incomes during the assessment year 1986.87.

a) Dividends paid by an Indian company but received in London 1,000
b) Pension from former employer in India received USA Rs. 4,000.
c) Profits earned from business in paris which is controlled from India, half of the profit being received in India Rs. 40,000
d) Income from agriculture in Bhuttan and brought to India Rs. 5,000.
e) Income from property in England and received there Rs. 4,000
f) Past foreign untaxed income brought to India Rs. 10,000

Determine the total Income of X for the assessment year 1986-87 if he is (i) resident (ii) Not ordinarily resident, and (iii) non-resident. In India during the financial year 1985-86. (Delhi B, Com. Pass 1979)

Answer—(i) Rs. 54,000 (ii) Rs. 45,000 (iii) Rs. 25,000

13. श्री मधुसूदन की वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये आय के सम्बन्ध में निम्न सूचनायें उपलब्ध हैं—

(1) कनाडा में घोषित लाभांश जो भारत में प्राप्त हुआ 1,000 रु० ।

(2) पाकिस्तान में कृषि से आय 8,000 रु० इसमें से 3,000 रु० भारत में इसी वर्ष लाये गये ।

(3) श्री मोहन से जो निवासी है भारत के बाहर संचलित व्यापार हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज 7,000 रु० ।

(4) वे नेपाल में एक विदेशी नियोक्ता द्वारा नियुक्त है, से नेपाल में ही प्राप्त उसका कर योग्य वेतन 24,000 रु० था । वित्तीय वर्ष 1985-86 में दो माह तक नियोक्ता के कार्य से वे भारत में रहे ।

(5) श्री स्टीफन अनिवासी को भारत में व्यापार संचालन हेतु दिये गये ऋण पर ब्याज 3,000 रु० और इस व्यापार को प्रदान की गई तकनीकी सेवाओं का शुल्क 8,000 रु० ।

आय श्री मधुसूदन की 1986-87 कर निर्धारण वर्ष के लिये कुल सकल आय की गणना कीजिये जबकि वे (i) निवासी, (ii) असाधारण निवासी अथवा (iii) अनिवासी है ।

The following information relating to Income of Shri Madhusudan for the financial year 1985-86 in available—

(1) Dividend declared in Canada, but received in India Rs. 1,000.

(2) Income from agriculture in Pakistan Rs. 8,000, out of this Rs. 3,000 were brought to India during this year.

(3) Interest Rs. 7,000 from Shri Mohan a resident, on money borrowed to run a business out of India.

(4) He has been appointed by a foreign employer to work at Nepal and his Taxable Salary was Rs. 24,000 received by him in Nepal. During the financial year 1985-86 he was in India for two months in connection with the work of his employer.

(5) Interest on money lent to Shri Stephen, a non resident for carrying on business in India Rs. 3,000 and fees for technical services provided to this business Rs 8,000.

You are required to compute the gross total income of Shri Madhusudan for the assessment year 1986-87 in each cash if he is a (i) resident (ii) not ordinarily resident or (iii) non resident.

Answer—(i) Rs. 58,000 (ii) Rs. 16,000 (iii) Rs. 16,000.

———

3

कर मुक्त आयें

(Exampted Incomes)

आयकर निर्धारण में पहला महत्त्वपूर्ण कदम कुल आय की गणना करना है। इसके लिये विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत करदाता की गतवर्ष में प्राप्त अथवा उपार्जित आय निकालते हैं। कुछ आय ऐसी भी होती हैं जिन पर आयकर नहीं दिया जाता तथा जो कुल आय में शामिल नहीं की जाती। आयकर अधिनियम की धारा 10 में ऐसी आय की सूची दी गई है जो कर-मुक्त हैं तथा कुल आय में शामिल नहीं होती।

कर से छूटों पर एक दृष्टि
(Exemptions at a glance)

अ. आय जो कर-मुक्त होती हैं :—

1) कृषि आय—10(1)
2) हिन्दू अविभाजित परिवार से प्राप्त आय—10(2)
3) आकस्मिक आय (Casual Income)—10(3)
4) यात्रा सम्बन्धी रियायतें—10(5)
5) भारत के बाहर अनुलाभ—10(7)
6) सहकारी तकनीकी सहायता प्रोग्राम के अधीन आय—10(8)
7) धारा 10(8) में वर्णित व्यक्ति के परिवार के सदस्य को प्राप्त आय 10(a)
8) मृत्यु व अवकाश ग्रहण पर मिली ग्रेच्यूटी 10(10)
9) पेन्शन के बदले मिली एक मुश्त रकम—10(10A)
9A) अवकाश प्राप्त पर छुट्टियों का नकदीकरण 10(10AA)
10) क्षतिपूर्ति (Compensation)—10(10B)
11) वैधानिक प्राविडेण्ट फण्ड से मिला भुगतान—10(11)
12) प्रमाणित प्राविडेण्ड फण्ड से मिला भुगतान—10(12)
13) अनुमोदित सुपर एनुएशन फण्ड से मिला भुगतान—10(13)
14) मकान किराया भत्ता—10(13A)
15) व्यावसायिक व्ययों की पूर्ति के लिये मिला विशेष भत्ता—10(14)
16) वार्षिक प्रमाण-पत्रों पर मिला मासिक भुगतान—10(15)
17) छात्रवृत्तियाँ (scholarship)—10(16)
18) एक महल का वार्षिक मूल्य—10(19A)
19) चाय बोर्ड आदि से मिली सहायता (Subsidy received from Tea Board etc.)—10(30)

ब. कुछ प्राधिकारियों को हुई आय कर-मुक्त होती हैं :

1) स्थानीय सत्ता की कुछ आय—10(20)
2) नगर नियोजन करने वाले प्राधिकारी की आय (Income of Town Planning Authority)—10(20A)
3) वैज्ञानिक अनुसंधान संघ अथवा संस्था की आय (Income of Scientific Research association)—10(21)
4) शिक्षण संस्था की आय—10(22)
5) अस्पताल की आय—10(22A)
6) खेलकूद की संस्थाओं की आय—10(23)
7) कुछ अन्य संस्थाओं की आय—10(23A)
8) सशस्त्र सेना के किसी रेजीमेंट फण्ड को हुई आय (Income of any Regiment fund armed Force)—10(23AA)
9) खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थान की आय—10(23B)
10) खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की आय—10(23BB)
11) किसी ऐसी वैधानिक संस्था की आय जो सार्वजनिक धार्मिक कार्यों में लगी हुई है—10(23BBA)
12) पुण्यार्थ न्यासों आदि की आय (Income of Charitable Trust etc.)–10(23C)
13) एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन की आय (Income of a Registered trade union)—10(24)
14) प्राविडेण्ट फण्डों को होने वाली आय—10(25)
15) सरकार द्वारा स्थापित निगमों की आय—(Income of a corporation establish by govt.)—10(26B)
16) गोदाम आदि को किराये पर उठाने वाले प्राधिकरण को इससे हुई आय-10(29)

स. गैर नागरिकों के हाथों में कुछ आय कर-मुक्त होती है धारा 10(6) :

1) यात्रा व्यय में सहायता
2) राजदूत आदि को मिला पारिश्रमिक; (Remuneration received by Ambessador etc.)
3) एक विदेशी उद्यम के कर्मचारी को मिला पारिश्रमिक;
4) विदेशी लोकोपकारी संस्था से मिला पारिश्रमिक
5) तकनीशियन के हाथों में आय (Income in the hands of Technician)
6) विदेशी जहाज (Ship) पर सेवा के लिये मिली आय;
7) प्रोफेसर को मिली आय;
8) अनुसंधान कार्य में लगने के लिये पारिश्रमिक
9) ट्रेनिंग के दौरान मिला पारिश्रमिक (Remuneration in Training)

द. कुछ पारितोषक व इनाम कर-मुक्त होते हैं:

1) साहित्यिक, वैज्ञानिक व कलात्मक कृतियों के लिये इनाम 10 (17A)
2) सरकार द्वारा दिये गये अन्य इनाम—10(17B);
3) बहादुरी के लिये इनाम (Gallantry award) –10(18)
4) अनुग्रह-पूर्वक अदायगी (ex-gratia payments)—10(18A);

य. अनिवासियों की आय :

1) निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से अनिवासियों को मिला ब्याज—10(4);
2) अनिवासी बाह्य खाते (external account) में जमा पर उदय हुआ ब्याज-10 (4A)।
3) अनिवासी के हाथों में निर्दिष्ट बचत प्रमाण पत्रों से प्राप्त ब्याज–10(4B)
4) विदेशी कम्पनी से तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क—10(6A)

र. अन्य समूह :

1) विधान सभा व संसद सदस्यों को मिला दैनिक भत्ता—10(17)
2) अनुसूचित जनजातियों की आय (Income of scheduled Tribe)–10(26)
3) लद्दाखियों की आय—10(26A);
4) कर जमा पत्र (Tax credit certificate)--10(28)।

ल मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित नवीन उद्योगों के लिये करावकाश (10A)

ऐसी आयें जो कुल आय में नहीं जोड़ी जातीं तथा जो कर से मुक्त हैं

(Incomes not included total income and Exempted from the tax [10]

1. कृषि आय—इसका विवरण प्रथम अध्याय में दिया जा चुका है।

2. अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्यों को परिवार से प्राप्त आय—हिन्दू अविभाजित परिवार आयकर अधिनियम के अनुसार एक पृथक इकाई है जो करदाताओं की श्रेणी में आता है। कोई आय जो परिवार की आय है तथा जिसे बाद में परिवार के सदस्य आपस में बाँट लेते हैं सदस्य के हाथ में करयोग्य नही हो सकती।

कभी कभी ऐसा भी होता है कि परिवार के सदस्य अपनी निजी सम्पत्ति को भी परिवार की सम्पत्ति में मिला देते हैं। ऐसी मिली हुई सम्पत्ति से हुई आय धारा 64 (2) के अन्तर्गत हस्तांतरणकर्त्ता (Transferor) के हाथों में करयोग्य होती है। इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण के लिए अध्याय 11 एवं 16 देखिये।

3. प्राप्तियाँ जो आकस्मिक व अनावर्ती किस्म की हैं—ऐसी प्राप्तियाँ एक हजार रुपये तक कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाती। इसके 1,000 रु० से अधिक होने पर केवल आधिक्य को ही कुल आय में जोड़ते हैं। स्मरण रखने योग्य बात यह है कि लाटरी से प्राप्त आय आयकर नियमों के अनुसार आकस्मिक आय नहीं मानी जाती। इस धारा के अनुसार निम्नलिखित आय आकस्मिक आय नहीं है–

अ–ऐसे पूंजी लाभ जो धारा 45 के अन्तर्गत करयोग्य हैं।
ब–ऐसी प्राप्तियाँ जो व्यापार, पेशे अथवा व्यवसाय से होती है।
स–ऐसी प्राप्तियाँ जो एक कर्मचारी को अपने पारिश्रमिक के अतिरिक्त प्राप्त होती है तथा जो वेतन शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य है।

परिभाषा में आकस्मिक आय के साथ "अनावर्ती प्रकृति" Creceipt of casual, and non-recurring nature) भी लगी हुई है; परन्तु इन शब्दों की व्याख्या अधिनियम में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। अतः सदैव ही कोष में दिये गये शब्दों तथा विभिन्न अदालतों के निर्णयों पर निर्भर रहना पड़ता है। 'आकस्मिक' से तात्पर्य बार बार प्राप्त न होने वाली आय से ही है। जुग्गीलाल कमलापति बनाम आयकर कमिश्नर वाले

मामले में यह निर्णय हुआ था कि आकस्मिक आय का अनुमान पहले से ही नहीं किया जा सकता तथा इस आय के सम्बन्ध में प्रसंविदा आदि नहीं होता।

आकस्मिक आय का अर्थ यह नहीं है कि दुबारा कभी प्राप्त नही होगी। परन्तु ऐसी आय के नियमित रूप से बार बार प्राप्त होने की सम्भावना भी नहीं रहती। आकस्मिक आय की अधिक उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार हो सकती है—

आकस्मिक आय (casual Income) : से अभिप्राय उस आशय से है जो बिना किसी आशा व पूर्व अनुमान के प्राप्त होती है जिनके प्राप्त होने के स्रोत (Source) निश्चित नहीं होते जिनके प्राप्त होने के बारे में अनिश्चितता होती है, तथा जो पूंजी लाभ व्यापार अथवा पेशे की आय अथवा वेतन शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली करयोग्य आय नहीं हैं।

आकस्मिक आय व उपहार—जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, आकस्मिक आय एक हजार रुपये तक ही करमुक्त होती है तथा शेष आय पर साधारण करयोग्य आय की तरह ही कर दिया जाता है। जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि लाटरी से प्राप्त आय साधारण करयोग्य आय मानी जाती है। इस सन्दर्भ में आकस्मिक आय के साथ प्राप्त उपहारों के अन्तर को स्पष्ट कर देना उचित होगा क्योंकि आकस्मिक आय करयोग्य है, परन्तु उपहार पर आयकर नहीं लगाया जा सकता।

आकस्मिक आय में आय के तत्व पाये जाते हैं जबकि उपहार मिलने का आधार व्यक्तिगत सम्बन्ध होते हैं व ये केवल इन्हीं सम्बन्धों के कारण मिलते हैं। उदाहरण के लिए हमें अपनी वर्षगाँठ पर अपने शुभचिन्तकों से कुछ उपहार प्राप्त होते हैं जिनका आधार हमारे व्यक्तिगत सम्बन्ध हैं तो हम इस प्राप्ति पर आयकर नहीं देंगे क्योंकि ये न तो आय की श्रेणी मे आते हैं और न आकस्मिक आय की श्रेणी में। उदाहरणार्थ श्री मुकर्जी एक कालिज में विज्ञान के प्राफेसर हैं। उन्हें अपने पचासवें जन्म दिन पर अपने बहुत से मित्रों व प्रशंसको से 12,500 रु० के उपहार प्राप्त होते हैं, तो ऐसे प्राप्त उपहारों पर आयकर नहीं लगेगा।

कोई प्राप्ति यदि हमें अपने व्यवसाय के दौरान प्राप्त होती है तो यह आयकर अधिनियम की दृष्टि से आकस्मिक नहीं हो सकती है भले ही दैनिक व्यवहार में हम इसे आकस्मिक आय की संज्ञा दे दें। टैक्सी ड्राइवर व होटल के बैरा (Waiter) को मिली हुई बखशीश (Tips) आकस्मिक नहीं है क्योंकि यह उनके दैनिक पेशेवर जीवन से सम्बन्धित है।

उदाहरण (Illustration) 1—निम्नलिखित प्राप्तियों पर प्रकाश डालिए कि वे आकस्मिक आय हैं या नहीं ?

i. अनिल को किसी व्यक्ति का खोया हुआ बच्चा मिला। उसने उस बच्चे को उसके माता पिता के पास पहुँचाने का प्रबन्ध कर दिया। इसके उपलक्ष में बच्च के पिता द्वारा अनिल को 5,000 रु० की धनराशि भेंट की गई।

ii. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की फर्म के एक साझेदार ने कुछ व्यक्तियों द्वारा कम्पनी चालू करने में पर्याप्त सहायता दी जिसके लिए उसे उन व्यक्तियों द्वारा कम्पनी के 100 अंश उपहार स्वरूप दिए गए।

iii. कर्मचारी को भूतपूर्व नियोक्ता द्वारा उसकी सेवाओं के लिए कुछ राशि दी गई।

iv. एक वास्तुविद (Architect) ने भवन-निर्माण योजना की एक अखिल भारतीय

प्रतियोगिता में भाग लिया तथा अपनी योजना के स्वीकार किए जाने पर 10,000 रु० की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्राप्त की।

v. एक सरकारी कर्मचारी अवकाश ग्रहण के पश्चात् वेदान्त व दर्शनशास्त्र पर उपदेश व भाषण करने लगा। उसे इसके लिए अपने किसी एक शिष्य से एक लाख रु० की राशि प्राप्त हुई।

हल : i. अनिल को प्राप्त धन आकस्मिक आय है, क्योंकि खोये बच्चे को खोज कर पहुँचाने का कार्य करते समय प्राप्त होने वाले मानदेय का उन्हें ज्ञान नहीं था।

ii. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की इस स्थिति में मिले अंश आकस्मिक आय नहीं है क्योंकि ये उसकी व्यावसायिक कुशलता के लिए मिले हैं। यह व्यापार एवं पेशे शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय है।

iii. यह 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय है।

iv. आकस्मिक आय है।

v. नहीं है।

4. अनिवासी को प्राप्त निम्नलिखित ब्याज कर मुक्त होता है—

i. उन प्रतिभूतियों से जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा कर-मुक्त घोषित कर दिया गया है।

ii. संयुक्त राज्य अमेरिका के विकास ऋण फण्ड अथवा विश्वबैंक के साथ केन्द्रीय सरकार के हुए ऋण समझौते के अन्तर्गत ऋण पत्रों पर दिया गया ब्याज अथवा इनके भुगतान पर दिया गया प्रीमियम।

iii. केन्द्रीय सरकार द्वारा गारन्टी के अन्तर्गत भारत में किसी औद्योगिक संस्थान (Industrial undertaking) अथवा वित्त निगम (Finance Corporation) द्वारा उपर्युक्त विकास ऋण फन्ड (Development loan Fund) अथवा विश्व बैंक से लिये गये ऋण पर ब्याज।

4A. अनिवासी (बाह्य) खाता [Non Resident External Account] : एक ऐसे व्यक्ति की दशा में जो भारत के बाहर निवासी है, विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम 1973 (Foreign Exchange Regulation Act 1973) तथा इसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन खोले गए अनिवासी (बाह्य) खाते (non resident) (external) Account) में जमा राशि पर मिला ब्याज करमुक्त होता है।

इस वाक्यांश में प्रयुक्त 'भारत के बाहर निवासी' को विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम 1973 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है।

4B. एक अनिवासी व्यक्ति की दशा में बचत प्रमाण पत्रों से मिली ब्याजकी आय : भारत के नागरिक अथवा भारतीय मूल के एक ऐसे व्यक्ति की दशामें जो अनिवासी है, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गमित बचत पत्रों पर मिली ब्याज की राशि कर मुक्त होगी बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विषय में एक विज्ञप्ति जारी कर दी गई हो। यह विज्ञप्ति सरकारी गजट में छपनी चाहिए।

यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति ने इन बचत पत्रों को विदेशी मुद्रा में खरीदा हो अथवा किसी अन्य देश से विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम के अधीन विदेशी मुद्रा को भारत में भेजा हो।

वह व्यक्ति भारतीय मूल का माना जायेगा यदि उसका अपना अथवा अपने माता-पिता अथवा दादा-दादी में से किसी का भी जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो।

5. यात्रा रियायत : इसके लिये 'वेतन' शीर्षक से सम्बन्धित अध्याय 4 देखिए।

5A एक अनिवासी एवं गैर नागरिक व्यक्ति को जो कि भारत में केवल किसी ऐसी फिल्म की सूटिंग के लिए आता है जो कि भारत में किसी अनिवासी व्यक्ति जो भारत का नागरिक न हो के द्वारा अथवा किसी ऐसी अनिवासी फर्म जिसमें कोई भी साझेदार भारत का नागरिक एवं निवासी न हो के द्वारा अथवा ऐसी अनिवासी कम्पनी जिसमें कोई भी अंशधारी भारत का नागरिक अथवा निवासी न हो के द्वारा तैयार की जाती है से प्राप्त सूटिंग कार्य से पारिश्रमिक आदि की आय करमुक्त होगी।

6. ऐसे व्यक्ति के लिए जो भारत का नागरिक नहीं है : निम्नलिखित आय कुल आय में शामिल नहीं होगी—

i. केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार उसे अपने नियोक्ता से विदेश स्थित अपने घर जाने के लिये अपना, अपने जीवन साथी तथा बच्चों के लिये प्राप्त किराया व यात्रा व्यय में मिली सहायता। अवकाश प्राप्ति (Retirement) अथवा नौकरी छोड़ने के तुरन्त बाद में भी मिली यह सुविधा कर-मुक्त होती हैं।

ii. नियोक्ता से अपने बच्चों को अवकाश के दिनों में भारत आने के लिये मिली यात्रा व्यय के लिये सहायता। ये बच्चे भारत के बाहर किसी शिक्षण संस्था में शिक्षा प्राप्त करते होने चाहिये।

iii. वह पारिश्रमिक जो विदेशी राज्य के राजदूत (Ambassador), हाई कमिश्नर दूत, मन्त्री, कार्य दूत, सलाहकार, सचिव आदि को अपने पद पर कार्य करने के लिये अपने देश से प्राप्त होता है।

iv. वह पारिश्रमिक जो उसे विदेशी राज्य के वाणिज्य दूत आदि के पद पर कार्य करने के लिये अपनी सरकार से मिला है।

v. वह पारिश्रमिक जो उसे विदेशी राज्य के ट्रेड कमिश्नर अथवा अन्य प्रतिनिधि के रूप में काम करने के लिये मिलता है। बशर्ते कि विदेश स्थित भारतीय प्रतिनिधि को भी उस देश में ऐसी छूट मिलती हो।

उपर्युक्त (iii) (iv) तथा (v) में वर्णित अधिकारियों में से किसी भी कार्यालय में कार्य करने वाले सदस्यों को प्राप्त पारिश्रमिक यदि वह सदस्य—

अ. उस देश का नागरिक है;
ब. वह भारत में कोई अन्य व्यापार, पेशा या सेवा नहीं करता है; तथा
स. यदि वह उपर्युक्त (iv) में वर्णित अधिकारियों के आफिस का कर्मचारी है तो पारिश्रमिक आधार (Reciprocal basis) पर दूसरे देश में भारतीय कर्मचारी को भी यही सुविधा मिलनी चाहिए।

(vi) वह पारिश्रमिक जो किसी विदेशी संस्था के कर्मचारी को भारत में रहते हुए सेवायें करने के लिये प्राप्त हुआ है; यदि

अ. उस विदेशी संस्था का भारत में कोई व्यापार नहीं है।
ब. वह व्यक्ति गतवर्ष में भारत में कुल मिलाकर 90 दिनों से अधिक नहीं ठहरता।

स. यह पारिश्रमिक उस विदेशी उद्योग की इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली करयोग्य आय में से कटौती योग्य नहीं है।

via. विदेशी लोकोपकारी संस्था से प्राप्त पारिश्रमिक : भारत से बाहर स्थापित किसी लोकोपकारी संस्था से कर्मचारी अथवा सलाहकार के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक। ये सेवायें इन उद्देश्यों की प्राप्तियों के लिये भारत में की जा सकती है। इस सम्बन्ध में एक शर्त यह है कि यह संस्था व इसके उद्देश्य केन्द्रीय सरकार द्वारा इस धारा के लिए अनुमोदन प्राप्त होने चाहिए।

viia. 31-3-1971 के बाद नौकरी प्रारम्भ करने पर प्रविधिज्ञ की आय—31 मार्च 1971 के बाद में नियुक्त होने पर किसी प्रविधिज्ञ (Technician) को सरकार स्थानीय सत्ता किसी विशेष अधिनियम के अन्तर्गत बने नियम अथवा अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान में लगी संस्था व किसी व्यापार से मिला पारिश्रमिक करमुक्त होता हैं यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जायें :—

अ. भारत में आने वाले वित्त-वर्ष से ठीक पहले के चार वित्त वर्षों में वह व्यक्ति भारत में निवासी नहीं था। केन्द्रीय सरकार यदि चाहे तो इस शर्त से छूट दे सकती है : यह छूट उसी दशा में दी जायेगी जबकि विदेशी प्रविधिज्ञ किसी मशीन आदि के डिजाइन या निर्माण में लगा हो तथा यह सार्वजनिक हित में हो।

ब. वह भारत का नागरिक नहीं हैं।

स. उसकी सेवा का प्रसंविदा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा अनुमोदन मे सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र नौकरी प्रारम्भ होने से पूर्व अथवा प्रारम्भ होने के छः माह के अन्दर सरकार के पास भेज दिया गया है।

इसके अन्तर्गत मिलने वाली छूट सीमा इस प्रकार हैं :—

अ. प्रविधिज्ञ के भारत में आने की तिथि से 24 महीनों का वेतन जो 4,000 रु० मासिक से अधिक का नहीं होना चाहिए। 4,000 रु० मासिक से अधिक का वेतन होने पर यदि नियोक्ता द्वारा इस पर आयकर दिया जाता है तो यह आयकर प्रविधिज्ञ के हाथों में करमुक्त होगा।

ब. यह प्रविधिज्ञ 24 महीने की अवधि के बाद में भी यदि भारत में रहता है; जिसके लिए सम्बन्धित कर-निर्माण वर्ष के 1 अक्टूबर से पहले ही केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है तो नियोक्ता द्वारा अगले 24 महीनों तक इस प्रविधिज्ञ के वेतन पर दिया गया आयकर प्रविधिज्ञ के हाथों में कर-मुक्त होगा। प्रविधिज्ञ से हमारा तात्पर्य यहां भवन-निर्माण, वस्तु-निर्माण, खनन, विद्युत, कृषि, पशुपालन, दुग्धशाला, जहाजरानी निर्माण, व गहरे समुद्र में मछली पालन सम्बन्धी विशेषज्ञ से हैं।

viii. जहाज पर की गई सेवाओं के लिए किसी अनिवासी को मिली 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत आय कर मुक्त है; बशर्ते कि गतवर्ष में वह भारत में 90 दिन से अधिक नहीं ठहरता है।

ix. वेतन शीर्षक के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य संस्था के प्रोफेसर व अध्यापक को मिली आय 36 महीनों तक करमुक्त होती है। यदि वह व्यक्ति 36 महीनों के बाद भी सेवायें जारी रखना चाहता है और यदि वेतन पर आयकर शिक्षा

संस्था द्वारा दिया जाता है तो 36 महीनों की अवधि समाप्त होने के बाद में 24 महीनों तक संस्था द्वारा दिया हुआ आयकर व्यक्ति की आय में नहीं जोड़ा जायेगा; यदि निम्न-लिखित शर्तें पूरी की गई हों :—

अ. वह व्यक्ति भारत में आने के पहले 4 वित्त वर्षों में से किसी भी वर्ष में भारत का निवासी नहीं रहा है।

ब. उसकी सेवा का प्रसंविदा नीचे दिए हुए 'अ' अथवा 'ब' के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो गया है :—

i. जिस प्रोफेसर की सेवायें 1 अप्रैल 1964 से पहले प्रारम्भ हुई हैं; 1 अक्टूबर 1964 को अथवा उससे पहले।

ii. किसीं अन्य दशा में सेवायें प्रारम्भ होने के एक साल पहले अथवा बाद में।

X. भारत में अनुसन्धान करने के लिए आने पर 24महीने तक प्राप्त धन राशि कर से मुक्त है परन्तु निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए :

अ. अनुसन्धान का कार्य किसी अनुसन्धान योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो तथा यह अनुमोदन सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के 1 अक्टूबर अथवा उससे पहले हो गया हो।

ब. यह धन विदेशी राज्य अथवा भारत के बाहर स्थापित किसी संस्था द्वारा देय हो अथवा दिया गया हो।

XI. प्रशिक्षण (Training) के दौरान पारिश्रमिक—किसी गैर भारतीय नागरिक व्यक्ति को विदेशी सरकार के कर्मचारी के रूप में मिला पारिश्रमिक जो उसे भारत में किसी संस्थान में ट्रेनिंग करने के बदले में मिलता है। यह संस्थान अथवा आफिस आदि निम्नलिखित के स्वामित्व में होना चाहिए—

अ. सरकार;

ब कोई ऐसी कम्पनी जिसकी सम्पूर्ण प्रदत्त अंश पूँजी केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा इन सरकारो के पास सम्मिलित रूप से है;

स. ऐसी कम्पनी जो उपर्युक्त (a) में वर्णित कम्पनी की सहायक कम्पनी है;

द. कोई निगम जो केन्द्रीय, राजकीय अथवा प्रान्तीय अधिनियम के अधीन स्थापित हुआ है;

य. कोई समिति जिसका पंजीकरण समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 (Societies Registration Act 1860) या ऐसे ही किसी अन्य अधिनियम के अधीन हुआ है व जिसे केन्द्रीय या राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय सहायता मिल रही हैं।

6A. तकनीकी सेवाओं के लिए विदेशी कम्पनी को मिला पारिश्रमिक : विदेशी कम्पनी ने जो तकनीकी सेवायें भारतीय उद्यम अथवा सरकार को उपलब्ध की हैं उसके बदले में उसे जो शुल्क अथवा रायल्टी मिलती है तथा इस रायल्टी आदि पर आयकर भारतीय उद्यम अथवा सरकार द्वारा दिया जाता है तो यह आयकर विदेशी कम्पनी की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। तकनीकी सेवा प्रसंविदा 31-3-1976 के बाद में हुआ हो एवं केन्द्रीय सरकार अनुमोदित होना चाहिए।

7. भारत के नागरिक को भारत सरकार द्वारा विदेश में सेवा करने लिये दिये जाने वाले भत्ते व अनुलाभ।

8. केन्द्रीय सरकार तथा किसी विदेशी सरकार के मध्य सहकारी तकनीकी सहायता कार्यक्रम (Co-operative Technical Assistance Programme) के अन्तर्गत हुए समझौते के अनुसार व्यक्ति को भारत में सेवायें करने के लिए विदेशी सरकार द्वारा दिया गया पारिश्रमिक अथवा कोई अन्य आय जो भारत के बाहर उदय होती है को कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा बशर्ते कि उस आय पर विदेशी सरकार को कर देय हो।

9. उपर्युक्त (8) में वर्णित व्यक्ति के परिवार के किसी अन्य सदस्य को भारत के बाहर उदय हुई आय जो भारत में उदय हुई नहीं मानी जाती है तथा जिस पर ऐसे सदस्य के द्वारा विदेशी सरकार को आयकर देय है।

10. मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण करने पर मिली ग्रेच्यूटी : अध्याय 4 देखिये।

10A. पेन्शन के बदले मिली एक मुश्त राशि : अध्याय 4 देखिए।

10AA. अवकाश ग्रहण के समय उपार्जित अवकाश की अवधि का वेतन : अध्याय 4 देखिये।

10B. छँटनी के लिए कर्मचारी को प्राप्त क्षतिपूर्ति : अध्याय 4 देखिए।

11. वैधानिक प्राविडेण्ट फण्ड से प्राप्त राशि : अध्याय 4 देखिये।

12. प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड से प्राप्त राशि : अध्याय 4 देखिये।

13. अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड से प्राप्त राशि (Approved Superanuation Fund) : अध्याय 4 देखिये।

13A. एक करदाता को अपने नियोक्ता से मिला मकान किराया भत्ता—अध्याय 4 देखिये।

14. कर्मचारी को अपने कर्त्तव्यों के पालन करने के लिये किये जाने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु प्राप्त कोई विशेष भत्ता (मनोरंजन भत्ते अथवा अनुलाभ के अतिरिक्त)—अध्याय 4 देखिये।

15. निर्धारित प्रतिभूतियों एवं जमा राशियों पर ब्याज : इसके लिये 'प्रतिभूतियों से ब्याज' एवं अन्य साधनों से आय' अध्याय देखें।

16. शिक्षा व्यय को पूरा करने के लिये दी गई छात्रवृत्तियाँ।

17. संसद व राज्यों की विधान सभाओं व इनकी विभिन्न समितियों के सदस्यों के रूप में विधान सभा सदस्यों, संसद सदस्यों अथवा किसी भी व्यक्ति को मिले दैनिक भत्ते।

17A. साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं कलात्मक कार्य के लिए पुरस्कार :—किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा कलात्मक कार्य के लिये मिला पुरस्कार अथवा खेलों में कुशलता प्राप्त करने के लिए मिला हुआ पुरस्कार करमुक्त होता है चाहे वह नकद मिला हो अथवा वस्तु के रूप में। इस सम्बन्ध में शर्त यह है कि यह पुरस्कार केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थाओं द्वारा दिया गया पुरस्कार हो। इसी प्रकार निर्धन, कमजोरों अथवा बीमारों की तकलीफों को दूर करने के लिए मिली पुरस्कार की राशि भी करमुक्त हैं। मदर टेरेसा को मिला नोबल पुरस्कार इसी वाक्यांश के अधीन कर से मुक्त घोषित किया गया हैं।

17B. सरकार द्वारा दिये गये अन्य पुरस्कार भी करमुक्त होते हैं यदि वे केन्द्रीय

सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसे उद्देश्य के लिये दिये जाते हैं जो सार्वजनिक हित की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिये गये हैं।

18. केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार द्वारा दिये गये वीरता पुरस्कार (Gallantary Awards) से सम्बन्धित मिली धनराशि।

18A. अनुग्रह पूर्वक अदायगी —केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रीविपर्स की समाप्ति पर दी गई अनुग्रह-पूर्वक अदायगी (Ex-gratia Payment) की राशि करमुक्त हैं।

19A. एक राज प्रसाद का वार्षिक मूल्य (Annual Value of one palace)—संविधान संशोधन (26 वाँ संशोधन) अधिनियम 1971 के लागू होने से पहले किसी भूतपूर्व शासक के अपने प्रयोग में आने वाले किसी एक महल का वार्षिक मूल्य जो पहले आयकर मुक्त था, अब भी कर मुक्त रहेगा।

20. किसी स्थानीय सत्ता की अपनी ही क्षेत्रीय सीमा के अन्दर निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत होने वाली आय :—

अ. प्रतिभूतियों पर ब्याज; ब. भवन सम्पत्ति से आय;
स. पूँजी लाभ; द. अन्य साधनों से आय; तथा;
य. अपने अधिकार क्षेत्र में किसी वस्तु की विक्री व सेवा से प्राप्त आय;

टिप्पणी : स्थानीय सत्ता को बिजली व पानी की विक्री से होने वाली आय करमुक्त होती है चाहे वह क्षेत्रीय सीमा के अन्दर हुई हो अथवा उससे बाहर।

जिला परिषद को मेले या प्रदर्शनियों (Exhibition) से हुई आय की धारा 10 (20) के अधीन करमुक्त माना गया है। *CIT v Krishi Udyog Avam Sankusha Pradarshini (1981) 128 ITR 214 (All.)*

20A. किसी ग्राम व नगर के विकास सुधार व नियोजन के उद्देश्य अथवा मकान निर्माण हेतु भारत में किसी अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई सत्ता (authority) की आय।

21. वैज्ञानिक अनुसन्धान संघ को प्राप्त आय बशर्ते कि इसका प्रयोग पूर्ण रूप से ऐसे संघ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया जाता हो।

22. विश्वविद्यालय व अन्य शिक्षा संस्थाओं को प्राप्त आय बशर्ते कि उनका उद्देश्य शिक्षा का प्रसार ही हो, लाभों का उपार्जन नहीं।

22A. किसी अस्पताल अथवा ऐसी संस्था की आय जहाँ शारीरिक अथवा मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की चिकित्सा अथवा देखभाल की जाती है तथा जो लाभ के उद्देश्यों से नही चलाई जातीं।

23. खेलकूदों के संघों की आय :—भारत में स्थापित ऐसी संस्था व संघ की आय जिसका उद्देश्य क्रिकेट, हाकी, फुटबाल टेनिस अथवा अन्य उन खेलों का नियमन, निरीक्षण, प्रोत्साहन व नियंत्रण हो जिनकी घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है।[1] इस

---

1. The following games have been specified for the purpose of section 10 (23)Golf, Rifle shooting, table Tennis, Polo, Badmintion, Swimming, Athletics Volly Ball, Wrestling, wasket-ball, Kabddi, Weight-lifting Gymnastics, Boxing Squass Chess, Brideg, Billiards, Cycling. Yachting Flying Judo Kho-Kho, Horse riding, motor riding including motor cycle racing, mountainering, body building, soft ball and carrom.

में शर्त यह है कि संघ आदि की सम्पूर्ण आय इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति में लगायी जानी चाहिये एवं ऐसे संघ केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित हों।

23A. भारत में स्थापित पेशेवर संघों व संस्थाओं की आय : ऐसी संस्थाओं की आय (प्रतिभूतियों पर ब्याज", अथवा "मकान व सम्पत्ति से आय" अथवा लाभांश के अन्तर्गत प्राप्त करयोग्य धनराशि अथवा विशिष्ट सेवाओं के लिये मिली आय को छोड़कर) जिनका उद्देश्य बकालत, डाक्टरी, एकाउण्टेन्सी, इन्जीनियरिंग व शिल्पकला के व्यवसायों व केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित अन्य व्यवस्साओं का नियन्त्रण अथवा प्रोत्साहन करना हो। बशर्ते उनका प्रयोग उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये हो जिन उद्देश्यों के लिये उसकी स्थापना हुई है। ऐसी संस्था इस आशय के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो।

23AA. सशस्त्र सेना रेजीमेंन्ट कोष को हुई आय :—सशस्त्र सेना द्वारा अपने वर्तमान व भूतपूर्व सदस्यों एवं उनके आश्रितों के कल्याण के लिये स्थापित किये गये किसी रेजीमेंन्ट के कोष को मिली आय कर से मुक्त होती है।

23B. खादी और ग्राम उद्योगों से आय :—खादी व ग्राम उद्योगों में लगी एक ऐसी संस्था की आय जो सार्वजनिक पुण्यार्थ संस्था है अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य केवल खादी व ग्राम उद्योगों का विकास करना है, लाभोपार्जन नहीं। ऐसी संस्था को होने वाली वही आय कर मुक्त होगी जो खादी व ग्राम उद्योगों के उत्पादन, विक्रय या विपणन क्रिया से हुई हो। इस सम्बन्ध में निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए—

अ. संस्था द्वारा उपार्जित आय खादी व ग्रामोद्योग विकास पर व्यय की जानी चाहिए अथवा इन्हीं उद्देश्यों के लिये वह आय इक्ट्ठी भी जा सकती है।

ब. यह संस्था इस प्रावधान के लिये खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनुमोदन प्राप्त होनी चाहिए। यह अनुमोदन एक साथ तीन कर-निर्धारण वर्षों से अधिक के लिऐ नहीं दिया जा सकता।

23BB. खादी बोर्ड की आय : किसी राज्य व प्रान्तीय अधिनियम के अधीन ऐसे स्थापित प्राधिकरण (Authority) की आय जो खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के नाम से या अन्य किसी भी नाम से जाना जाता है व जो राज्य में खादी व ग्रामोद्योग के विकास में लगा हुआ है।

23BBA. वैधानिक संस्था की आय : ऐसी संस्था अथवा सत्ता अथवा बोर्ड की आय जिसकी स्थापना व नियुक्ति केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार ने की है तथा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है।

अ. यह एक निगम अथवा निकाय है;

ब. यह सार्वजनिक, धार्मिक व पुण्यार्थ कार्यों के लिये बने प्रन्यासों व संस्थाओं का प्रबन्ध करती है।

स. उपर्युक्त (ब) में मन्दिर, चर्च, मस्जिद, मठ आदि सभी आते हैं।

द. यह समितियाँ समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत है।

स्पष्टीकरण : यह कर मुक्ति सार्वजनिक, धार्मिक एवं पुण्यार्थ प्रन्यासों, संस्थाओं के लिये नहीं वरन इनके प्रशासन के लिए स्थापित संस्था अथवा सत्ता के लिए है।

23C. निश्चित पुण्यार्थ कोषों के लिए मिली राशि : निम्नलिखित कोषों के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त राशि करमुक्त होगी—

अ. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष;

ब. प्रधान मंत्री कोष (लोक कला (Folk Art) के प्रोत्साहन के लिए);

स. प्रधानमंत्री छात्र सहायता कोष;

द. कोई संस्था या कोष जो पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित हुई हो और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा महत्व की अधिसूचित की गई हो।

य. अन्य कोई ट्रस्ट या संस्था जो पूर्णतया सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अथवा पूर्णतया सार्वजनिक धार्मिक एवं पुण्यार्थ उद्देश्य के लिए हो और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो,

उपर्युक्त (द) व (य) में वर्णित ट्रस्ट या संस्था यदि व्यापार में लगे हुए हैं तो इसके लाभों पर करमुक्ति नहीं मिलेगी।

24. भारतीय श्रमसंघ अधिनियम 1926 के अन्तर्गत पंजीकृत ट्रेड यूनियन चाहे कर्मचारियों की हो अथवा नियोक्ताओं की) 'प्रतिभूतियों पर ब्याज', मकान सम्पत्ति से आय तथा अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली आय बशर्ते कि यह ट्रेड यूनियन श्रमिकों एवं नियोक्ताओं के मध्य अथवा श्रमिको के आपसी सम्बन्धों को नियमित रखने के लिये बनी हो।

25. विभिन्न प्रकार के कोषों (Funds) केप्रन्यासियों (trurstees) की आय—

अ. वैधानिक भविष्य निधि के अन्तर्गत ली हुई प्रतिभूतियों का ब्याज तथा उनके वेचने से हुआ पूंजी लाभ।

ब. प्रमाणित भविष्य निधि, अनुमोदित सुपरएनुएशन कोष अथवा अनुमोदित ग्रेच्युटी कोष के लिए उनके प्रन्यासियों द्वारा प्राप्त आय।

स. Coal mines provident fund and miscellaneous Provisions Act, 1948 के अन्तर्गत निर्मित ट्रस्ट की Deposit-Linked Insurance Fund के लिए प्राप्त की गई आय।

द. Employees' Provident Fund and miscellaneous Provisions Act, 1952 के अन्तर्गत निर्मित ट्रस्ट की Deposit-Linked Insurance Fund के लिए प्राप्त की गई आय।

26. अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की आय :—संविधान के अनुच्छेद 366 के वाक्यांश 25 में परिभाषित अनुसूचित जन-जाति के किसी सदस्य को संविधान की छठी अनुसूचि की तालिका भाग A अथवा B में उल्लिखित स्थानों अथवा नागालैण्ड, मणीपुर तथा त्रिपुरा राज्यों में अथवा अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम के संघीय प्रदेश अथवा असम के राज्यपाल की अधिसूचना संख्या TAD/R/35/50/109 दिनांक 13 फरवरी 1951 के अन्तर्गत निर्दिष्ट क्षेत्र में उदय हुई व उपार्जित आय करमुक्त होती है। इन व्यक्तियों को प्रतिभूतियों पर ब्याज व लाभांश से होने वाली आय भी कर मुक्त होती है चाहें वह कहीं भी उदय क्यों न हुई हो।

26A. लद्दाख जिले के निवासियों को कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 तक से सम्बन्धित गतवर्षों में लद्दाख में अथवा भारत के बाहर किसी साधन में उपार्जित आय। यह सुविधा उसी निवासी को प्राप्त होती है जो सम्बन्धित गतवर्ष में तथा 1962-63 कर-निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गतवर्ष में भी लद्दाख जिले का निवासी था।

26B. **वैधानिक निगम की आय :** केन्द्रीय, राज्य अथवा प्रान्तीय अधिनियम के अधीन स्थापित ऐसे निगम की आय करमुक्त होती है जिनकी वित्त व्यवस्था पूर्ण रूप से सरकार के हाथों में है तथा जिनका उद्देश्य अनुसुचित जातियों व जनजातियों के सदस्यों के हितों की रक्षा करना हो।

27. निकाल दिया।

28. **कर जमा पत्रों** (Tax Credit Certificates) के सम्बन्ध में प्राप्त अथवा समायोजित धनराशि।

29. **विपणन प्राधिकरणों की आय :** किसी अधिनियम के अन्तर्गत वस्तुओं के विपणन के लिए स्थापित किसी सत्ता अथवा प्राधिकरण (Authority) की ऐसी आय करमुक्त होगी जो वस्तुओं के विपणन में सहायता देने अथवा वस्तुओं के भण्डारण (Storage), प्रसंस्करण (Processing) के लिए गोदामों अथवा भण्डारगृहों को किराये पर उठाने से प्राप्त हुई हो।

30. **चायबोर्ड** (Tea Board) **से प्राप्त सहायता :** यदि किसी करदाता को जो भारत में चाय का उत्पादन तथा निर्माण करता हो चाय के पौधे को दुवारा लगाने अथवा नवीनीकरण करने के लिए अथवा चाय की पैदावार में प्रयुक्त होने वाली भूमि के नवीनीकरण अथवा एकीकरण (चकबन्दी) के लिए चाय बोर्ड से अथवा उसके माध्यम से केन्द्रीय सरकार की किसी योजना जिसकी घोषणा गजट में अनुसूचना द्वारा की गई हो के अन्तर्गत प्राप्त राशि कर मुक्त होगी।

मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित नवीन उद्योगों के लिए विशेष प्रावधान (Special provision in respect of newly established industrial undertakings in Free trade Zones) [10A]

कोई करदाता यदि मुक्त व्यापार क्षेत्र में किसी औद्योगिक संस्थान को लगाता है तो इससे होने वाले लाभ करदाता की कुल आय में नहीं जोड़े जायेंगे, इसके लिए कुछ शर्तों का पालन आवश्यक है।

आवश्यक शर्तें :

अ. नये औद्योगिक उद्यम द्वारा माल का उत्पादन 1981-82 अथवा वाद के कर निर्धारित वर्ष से सम्बन्धित गतवर्ष में किसी भी मुक्त व्यापार क्षेत्र में चालू किया है।

ब. यह औद्योगिक संस्थान पहले से हीं स्थापित किसी व्यापार को तोड़ मोड़ कर अथवा पुर्ननिर्माण द्वारा नहीं बनाया जाना चाहिए। यह शर्त उन इकाईयों पर लागू नहीं होती जिन्हें धारा 3?B में वर्णित दशाओं में पुर्ननिर्माण अथवा नवीनीकरण की किसी योजना के अधीन दुबारा चालू किया गया है।

स. इस नवीन उद्योग को ऐसी मशीन या यंत्रों को हस्तान्तरण द्वारा स्थापित नहीं किया गया है जिनका प्रयोग किसी भी उद्देश्य के लिए पहले से ही किया जा रहा था। यदि भारत के बाहर से कोई पुरानी मशीन-प्लांट आयात की गई है तो उसे इस उद्देश्य के लिए नया माना जायेगा। इसके अतिरिक्त पहले से प्रयोग में ली जारही मशीन-प्लांट भी इस नये उद्योग को हस्तान्तरित की जाती है तो इसका मूल्य नये औद्योगिक उद्यम में प्रयोग होने वाले कुल प्लान्ट-मशीन के मूल्य के 20% से अधिक नहीं है तो यह मान लिया जायेगा कि शर्तें पूरी हो गई है।

छूट की अवधि : छूट का पहला कर निर्धारण वर्ष वह होगा जिससे सम्बन्धित गतवर्ष में उद्योग ने वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण प्रारम्भ किया है। इसके बाद चार

कर-निर्धारण वर्षों में भी यह छूट मिलती रहेगी अर्थात कुल पांच कर-निर्धारण वर्षों तक यह छूट मिलती है। इन कर-निर्धारण वर्षों में नवीन स्थापित उद्योग से हुई आय करदाता की कुल आय में नहीं जोड़ी जायेगी। आजकल भारत में दो मुक्त व्यापार क्षेत्र हैं—(1) कॉडला मुक्त व्यापार क्षेत्र (Kandla Free Trade Zone) व (2) शान्ता क्रुज इलैक्ट्रोनिक्स निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (Santacruze Electronics Export Processing Zone)।

करावकाश की अवधि के बाद में अशोधित व्ययों का व्यवहार : एक बार करावकास की अवधि (प्रथम पाँच कर-निर्धारण वर्ष) समाप्त होने पर यदि निम्नलिखित व्यय अशोधित रह जाते हैं तो इन्हें बाद के कर-निर्धारण वर्षों में पूरा नहीं किया जा सकता :

अ. साधारण ह्रास (Normal depreciation)
ब. विनियोग छूट (Investment allowance)
स. विकास छूट (Development rebate)
द. वैज्ञानिक अनुसंधान पर अशोधित पूंजीगत व्यय (Unabsorbed Capital expenditure on Scientific Research)
य. परिवार नियोजन पर अशोधित पूंजीगत व्यय (Unabsorbed capital expenditure on family planning)
र. अशोधित व्यापारिक हानियाँ व पूंजीगत हानियाँ;

जिस औद्योगिक उपक्रम को इस धारा के अन्तर्गत छूट मिल चुकी है उसे बाद में किसी भी वर्ष के लिए धारा 80HH, 80HHA, 80I व 80J के अधीन कटौती प्राप्त करने की सुविधा नहीं मिलेगी।

इस संदर्भ में यह भी ध्यान रखने की बात है कि प्रथम पांच कर-निर्धारण वर्षों के बाद में ह्रास योग्य परिसम्पत्तियों का ह्रासित मूल्य निकालने के लिए उसके लागत मूल्य में से इन पांच वर्षों में दिया जा सकने वाला ह्रास घटा दिया जायेगा। पाँच वर्षों की समाप्ति पर सम्पत्तियों का अपलिखित मूल्य निकालने के लिए यह माना जायेगा कि प्रथम पाँच वर्षों में नियमानुसार ह्रास निकाला गया है व स्वीकृत हुआ है।

ऐसी इकाईयाँ जो 1-4-1981 से पहले चालू हुई हैं : किसी औद्योगिक इकाई ने यदि कर-निर्धारण वर्ष 1977-78 से 1980-81 तक से सम्बन्धित गतवर्षों में उत्पादन शुरू किया है व वह इस धारा के अधीन करावकाश की छूट पाना चाहती है तो उसे कर-निर्धारण वर्ष 1981-82 की आय का विवरण दाखिल करते हुए आयकर अधिकारी को एक घोषणा पत्र देना होगा कि वह इस धारा के अधीन कर से छूट प्राप्त करना चाहता है। कर-निर्धारण वर्ष 1981-82 को आधार वर्ष मानते हुए उत्पादन प्रारम्भ करने वाले वर्ष से पाँच वर्ष में जितने वर्ष शेष रह गये हैं उतने वर्ष तक इस छूट का लाभ उठा सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी ने गतवर्ष 1977-78 में किसी वस्तु का उत्पादन प्रारम्भ किया है तो 1981-82 से पहले तीन कर-निर्धारण वर्ष (1978-79, 1979-80 व 1980-81) समाप्त हो चुके हैं अतः यह छूट 1981-82 व 1982-83 कर-निर्धारण वर्षों में ही मिल सकेगी।

पुण्यार्थ अथवा धार्मिक ट्रस्टों एवं संस्थाओं की आय (धारा 11 एवं 12) :—इनके सम्बन्ध में विस्तृत विवरण 'सार्वजनिक पुण्यार्थ न्यास' अध्याय के अन्तर्गत दिया गया है।

राजनैतिक दलों की आय (धारा 13A) ; किसी राजनैतिक दल की प्रतिभूतियों से ब्याज की आय, मकान सम्पत्ति की आय अथवा अन्य साधनों से आय अथवा ऐसे दलों

की प्राप्त स्वेच्छा से दिये गये चन्दों की आय करमुक्त होगी यदि निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति हो जाती हैं—

अ. ऐसे राजनीतिक दल के द्वारा अपना हिसाब किताब व प्रपत्र इस प्रकार रखे जाते हैं कि आयकर अधिकारी द्वारा आय का निर्धारण उचित प्रकार से किया जा सके;

ब. 10,000 रु० से अधिक के स्वेच्छा से प्राप्त चन्दों के बारे में पूर्ण रिकार्ड रखा गया हो तथा ऐसा चन्दा देने वाले व्यक्तियों के नाम तथा पते का भी रिकार्ड रखा गया हो;

स. ऐसे दल अपने हिसाब किताब का चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा अंकेक्षण करवालें।

आय जो कुल आय में सम्मिलित की जाती है परन्तु जिस पर आयकर की छूट मिलती है

(Income included in the total Income but Exempted from tax)

निम्नलिखित आय यद्यपि कुल आय में सम्मिलित की जाती किन्तु इस पर आयकर की छूट मिलती है; यह छूट किसी निश्चित दर से निकाली जाती है अथवा इसकी गणना आयकर की औसत दर से की जाती है :

1. ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज को केन्द्रीय सरकार द्वारा आयकर से मुक्त घोषित कर दी गई हैं, अथवा ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज जो राज्य सरकार द्वारा निर्गमित की गई हैं व जिन्हें राज्य सरकार द्वारा कर मुक्त घोषित कर दिया जाता है, आयकर की औसत दर अथवा $27\frac{1}{2}\%$ की दर से (जो भी कम है) छूट मिलती है। [86A]

2. एक अनरजिस्टर्ड फर्म के साझेदार को इस फर्म में से मिले अपने लाभ की रकम पर उसके व्यक्तिगत कर निर्धारण के समय आयकर की औसत दर से छूट मिलती है बशर्ते कि फर्म द्वारा अपने लाभों पर आयकर देय हो। [85(iii)]

3. व्यक्तियों के समुदाय की आय में से उसके सदस्य को प्राप्त लाभ पर उसके व्यक्तिगत कर-निर्धारण के समय आयकर की औसत दर से छूट मिलती हैं बशर्ते कि व्यक्तियों के समुदाय द्वारा अपने लाभों पर आयकर देय हो। [85(V)]

परीक्षा प्रश्न (Test Question)

1. "भारतीय आयकर अधिनियम कुछ आयों के सम्बन्ध में तो पूरी छूट देता है परन्तु कुछ आय कुल आय में से केवल कर की दर निर्धारण हेतु सम्मिलित की जाती है।" व्याख्या कीजिये।

"The Indian Income-Tax Act gives absolute exemtpion in respect of certain incomes whiles some incomes are include in the total income for determining the rate only." Discuss.

2. "ऐसी आयों के दस उदाहरण दीजिये जो आयकर से पूर्णतया कर मुक्त हैं तथा जो करदाता की कुल सकल आय में सम्मिलित नहीं की जाती।

Explain any ten incomes which are exempt from income-tax ard do not form part of Gross Total Income of an asessee. (Rohtak B.Com1962)

3. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए—

(i) आकस्मिक आय, (ii) भारत में सेवारत विदेशी प्रविधिज्ञों की आय।

Write short notes on the following:—
(i) Casual income (ii) Income from foreign technicians serving in India.

4. आयकर अधिनियम की धारा 10 के संदर्भ में उन पांच तरह की आयों को लिखिये जिन पर आयकर से पूरी छूट उपलब्ध होती है।

Enumerate with reference to Section 10 of the Income-tax Act 1961 five types of incomes which are totaly exempt from tax (C.A. Inter May 1969)

5. आयकर अधिनियम 1961 ने किस प्रकार खेल संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया है?

In what manner has the Income-tax Act 1961, provided fillip to sport bodies and association? (C. A. Inter May 1978)

6. उन आयों की विवेचना कीजिए जो न कुल आय में जोड़ी जाती है और न जिन पर आयकर देय होता है।

Discuss the incomes which are neither included in total income nor is income tax payable on them, (Andhra M. Com. 1980 Punjab B. Com. 1980),

———

4

वेतन

(Salaries)

आयकर अधिनियम की धारा 14 के अनुसार आयकर दायित्व निकालने के लिए हमें कुल सकल आय की गणना करनी होती है। यह आय विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्यंत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की जाती है। आय को निम्नलिखित 6 शीर्षकों के अन्तर्गत विभाजित किया गया है।

1. वेतन (Salaries);
2. प्रतिभूतियों पर ब्याज (Interest on securities);
3. भवन सम्पत्ति से आय ((Income from house property);
4. व्यापार अथवा पेशे से लाभ (Profits and gains of business or profession);
5. पूंजी लाभ (Capital Gain); तथा
6. अन्य साधनों से आय (Income from other sourees)।

इम शीर्षकों के अन्तर्गत आय की गणना करने के लिए बहुत से नियम हैं जिन्हें अधिनियम की विभिन्न धाराओं में स्पष्ट किया गया है। आयकर एक ऐसा कर है जो कुल आय पर लगता है परन्तु प्रत्येक आय की गणना उसी शीर्षक के अन्तर्गत ही होनी चाहिए जिससे यह सम्बन्धित हो।

इन साधनों के अधीन करयोग्य आय की गणना के लिए विभिन्न प्रकार की कटौतियाँ मिलती हैं तथा इन कटौतियों का अलग-अलग महत्व है। यह सम्भव हो सकता है कि आयकर अधिनियम के अनुसार किसी विशेष शीर्षक के अधीन यदि अधिक कटौतियाँ मिलती हों तो करदाता किसी अन्य शीर्षक के अधीन आने वाली आय को शीर्षक विशेष में सम्मिलित करने का इच्छुक हो; किन्तु उसके लिए ऐसा करना सम्भव नहीं हैं। इस सम्बन्ध में कोई विकल्प न तो अधिकारियों को प्राप्त है न करदाता को ही। इस विषय में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि करदाता ने कोई आय अपने आय के नक्शे में गलत स्थान पर दिखा दी है तो भी आयकर विभाग का दायित्व है कि वह उस आय को सही शीर्षक के अन्तर्गत दिखा दे। इन छः शीर्षकों में से प्रथम पाँच शीर्षक विशिष्ट हैं, तथा छठा अर्थात् अन्तिम शीर्षक उन शेष बची हुई सभी आयों के लिए है जिन्हें प्रथम पाँच शीर्षकों में कहीं भी स्थान नहीं मिलता।

वेतन (Salaries) धारा (15)

वेतन के अन्तर्गत निम्नलिखित रकमें सम्मिलित होती हैं

1. प्राप्य वेतन—कोई वेतन जो करदाता को अपने वर्त्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से गतवर्ष में प्राप्य हो। यह वेतन प्राप्त भी हो सकता है अथवा बाकी (unpaid) भी रह सकता है।

2· अग्रिम वेतन अथवा पेशगी वेतन (Advance Salary)—ऐसा वेतन जो करदाता को गतवर्ष में अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से प्राप्य (due) होने से पहले ही प्राप्त हो गया हो अर्थात् पेशगी (Advance) प्राप्त वेतन इस धारा के अन्तर्गत वेतन की श्रेणी में ही सम्मिलित किया जाता है।

3. वेतन की पिछली बाकी (Arrears of Salary)—वेतन की पिछली बाकी जिस पर पिछले गतवर्ष में कर नहीं लगा हो किन्तु जो गतवर्ष में प्राप्त हो चुकी है, आयकर के लिये गतवर्ष का वेतन मानी जायेगी।

स्पष्टीकरण : यदि किसी वर्ष करदाता की कुल आय में वेतन के अन्तर्गत पेशगी वेतन (Salaries paid in advance) सम्मिलित कर लिया गया है तो यह वेतन उस वर्ष की आय में शामिल नहीं किया जायेगा जिस वर्ष में वह प्राप्य (Due) होगा।

कुछ महत्वपूर्ण जानकारी
(Some Important Points)

1. नियोक्ता से लिया गया ऋण—पेशगी वेतन यद्यपि धारा 15 के अनुसार वेतन में शामिल कर लिया जाता हैं किन्तु यदि कर्मचारी ने अपने नियोक्ता से कोई ऋण लिया है तो ऋण की यह रकम वेतन में नहीं जोड़ी जाती। उदाहरण के लिए अतुल जो बल्लभ एण्ड कम्पनी में 2,000 रु० मासिक पर सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त हैं यदि अपनी कम्पनी से एक सितम्बर, 1985 को 6 महीने का अग्रिम (advance) वेतन प्राप्त करता है तो उसे गतवर्ष 85-86 में अप्रैल 86 तथा मई 86 (जो गतवर्ष 86-87 में आते हैं) के दो माह का वेतन अग्रिम प्राप्त किया जिसे इसी गतवर्ष अर्थात् 85-86 में सम्मिलित किया जायेगा। किन्तु यदि यह कर्मचारी अपनी कम्पनी से 12,000 रु० के ऋण के लिये आवेदन करता तथा कम्पनी को अधिकार देता है कि ऋण की वसूली उसके वेतन से कर ली जाये तो लिया गया ऋण उसकी आय नही माना जा सकता।

2. कर-मुक्त वेतन—नियोक्ता द्वारा कभी-कभी कर्मचारी को कर-मुक्त वेतन दिये जाने की व्यवस्था की जाती है अर्थात् कर्मचारी को दिये गये वेतन पर जो कर-दायित्व आता है उसका भुगतान नियोक्ता अलग से करता है। इसका तात्पर्य वेतन का कर-मुक्त होना कदापि नहीं है बल्कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत कर्मचारी के वेतन से सम्बन्धित करदायित्व का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाना है। नियोक्ता द्वारा दिया गया आयकर भी कर्मचारी के हाथों में आय मानी जाती है।

3. नियोक्ता एवं कर्मचारी का सम्बन्ध—कोई भी आय इस शीर्षक के अन्तर्गत तभी करयोग्य हो सकती है जबकि उसका उद्भव उन साधनों से होता है जो नियोक्ता एवं कर्मचारी के बीच होते हैं। कोई राशि यदि ऐसे सम्बन्धों से प्राप्त होती है जिन्हें नियोजन नहीं कहा जा सकता, तो ऐसी राशि इस शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य न होकर 'अन्य साधनों से आय' के अन्तर्गत करयोग्य होगी।

यदि वेतन का भुगतान करने वाले एवं प्राप्त करने वाले के मध्य नियोक्ता एवं कर्मचारी का सम्बन्ध नहीं है तो ऐसा वेतन 'वेतन शीर्षक से आय' के अन्तर्गत करयोग्य नहीं होगा। संसद सदस्य (M.P.), विधान सभा सदस्य (M.L.A.) आदि की सरकार से मिला वेतन 'वेतन' शीर्षक में कर योग्य न होकर 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर योग्य होगा। इसी प्रकार प्रबन्ध-अभिकर्त्ता, फर्म के साझेदार, कम्पनी के संचालक (बशर्ते

कि कर्मचारी नहीं हैं। आदि को प्राप्त वेतन 'वेतन' शीर्षक की आय के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं होगा।

डाक्टर, इंजिनियर, एडवोकेट आदि कुछ पेशेवर व्यक्ति अपनी सेवायें यदि कर्मचारी के रूप में प्रदान करते हैं तो इनकी ऐसी आय 'वेतन शीर्षक' के अन्तर्गत ही करयोग्य होगी परन्तु इसके द्वारा पेशेवर व्यक्ति के रूप में किये गये कार्य का पारिश्रमिक 'व्यापार एवं पेशे के लाभ' शीर्षक में करयोग्य होगे।

नियोक्ता कोई भी हो सकता है जैसे सरकार, स्थानीय सत्ता, कम्पनी, साझेदारी फर्म, सार्वजनिक संस्था, विदेशी सरकार या निजी क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति।

4. **वेतन का स्वेच्छा से छोड़ा जाना**—कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि कर्मचारी राष्ट्र भावना अथवा अन्य भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा से अपने वेतन में कटौती स्वीकार कर लेता है। कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से त्यागा हुआ वेतन भी वेतन का उपयोग माना जायेगा। 'वेतन' शीर्षक की आय में शामिल किया जायेगा। उदाहरणार्थ मोहन 2,000 रु० मासिक वेतन पाने का अधिकारी है और वह स्वेच्छा से 500 रु० मासिक त्याग कर देता है तो भी उसका वेतन 2,000 रु० मासिक ही माना जायेगा क्योंकि 500 रु० मासिक का त्याग भी उसके द्वारा वेतन का प्रयोग माना जायेगा।

यदि किसी कर्मचारी ने अपना वेतन अथवा उसका कुछ भाग 'वेतन का ऐच्छिक त्याग (कर मुक्ति) अधिनियम 1961' [Voluntary surrender of Salaries (Exemption from tax) Act 1961] के प्रावधानों के अन्तर्गत किया है तो त्याग हुआ वेतन उसकी कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

5. **वेतन का प्राप्य होना**—वेतन की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि वेतन के कर-निर्धारण के लिए यह आवश्यक नहीं हैं कि गतवर्ष में वेतन की प्राप्ति हो गई हो। वेतन यदि प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु प्राप्य हो गया है तो भी यह करयोग्य होगा। उदाहरण के लिए 12 महीनों में यदि केवल 8 महीने का वेतन ही प्राप्त हुआ है तो भी 12 महीनों के वेतन को आय में सम्मिलित किया जायेगा।

6. **जब वेतन अगले माह की पहली तारीख को प्राप्य हो**—सरकारी कर्मचारी को वेतन अगले महीने की पहली तारीख को प्राप्त होता है अर्थात् जनवरी का वेतन एक फरवरी को प्राप्त होगा व फरवरी का वेतन एक मार्च को। इसी सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए इन कर्मचारियों के गतवर्ष में मार्च से फरवरी तक का वेतन शामिल किया जाता है क्योंकि मार्च का वेतन 1 अप्रैल को प्राप्य होगा जो कि अगले गतवर्ष में आता है उदाहरण के लिए 1985-86 गतवर्ष में मार्च 85 से फरवरी 86 तक का वेतन शामिल होगा। मार्च 85 का वेतन एक अप्रैल 1985 को प्राप्य हुआ व फरवरी 86 का वेतन 1 मार्च 1986 को प्राप्य होगा जो 1985-86 गतवर्ष में सम्मिलित किया जायेगा। लेकिन मार्च 1986 का वेतन एक अप्रैल, 1986 को प्राप्त हुआ, जिसे गत वर्ष 1986-87 में सम्मिलित किया जायेगा न कि 85-86 में।

7. **नियोक्ता से प्राप्त अन्य पारिश्रमिक**—यदि कर्मचारी नियोक्ता का कोई ऐसा कार्य कर देता है जिसका सम्बन्ध उसकी सेवा से नहीं होता, तो ऐसे कार्य का पारिश्रमिक 'वेतन' शीर्षक की आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। उदाहरण के लिए किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को उसी विश्वविद्यालय द्वारा ली गई परीक्षा की उत्तर

पुस्तिकाओं की जाँच करने का जो पारिश्रमिक विश्वविद्यालय से प्राप्त होगा वह वेतन शीर्षक में सम्मिलित नहीं होगा बल्कि अन्य साधनों से आय शीर्षक की आय में सम्मिलित किया जाएगा।

8. नियोक्ता द्वारा की गई कटौतियाँ—वेतन में से जो भी कटौतियाँ आवश्यक रूप से नियोक्ता द्वारा की जाती है वे सभी वेतन का प्रयोग हैं अतः कर-दायित्व पर प्रभाव नही डालती। यह सभी कटौतियां सेवा प्रसंविदे का आवश्यक अंग होती हैं तथा किसी न किसी सुविधा आदि के प्रतिफल स्वरूप काटी जाती है। उदाहरणार्थ दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारी को यदि चिकित्सा सुविधाओं के लिए 10 रु० मासिक की कटौती की जाती है, अथवा किसी अन्य महाविद्यालय के प्रध्यापकों को महाविद्यालय के प्रांगण में ही आवास सुविधा दी जाती है जिसके लिए उनके वेतन से 10% की कटौती सेवा प्रसंविदे के अनुसार की जाती है तो यह कटौती कर-योग्य वेतन को प्रभावित नहीं करती अर्थात् वेतन में सकल राशि (कटौती के पूर्व की राशि) ही सम्मिलित होगी।

9. अवकाश ग्रहण करते समय अथवा सेवा समाप्ति के समय प्राप्त हुआ भुगतान—कर्मचारी को सेवा समाप्त करते समय अथवा अवकाश ग्रहण करते समय जो भी रकम नियोक्ता द्वारा दी जाती है वह कर्मचारी द्वारा भूतकाल में दी गई सेवाओं के प्रतिफल के लिए होती है अतः यह 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होती है। यदि महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश ग्रहण समय महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति ने 40,000 रु० की भेंट दी तो यह भेंट 'वेतन' के अन्तर्गत करयोग्य है।

10. नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से मिला पारिश्रमिक-यदि किसी कर्मचारी को अपनी सेवाओं के लिए नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से कोई राशि प्राप्त होती है तो इसे वेतन शीर्षक की आय में शामिल नहीं किया जायेगा। जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय के किसी प्रोफेसर द्वारा अन्यत्र दिए गए व्याख्यानों के सम्बन्ध में प्राप्त राशि।

11. वेतन का भुगतान विभिन्न समयान्तरों से हो सकता है—यह आवश्यक नहीं कि वेतन मासिक आधार पर ही चुकाया जाता हो। वेतन का भुगतान दैनिक, साप्ताहिक मासिक आधार पर भी हो सकता है।

12. एक कर्मचारी के एक से अधिक नियोक्ता हो सकते हैं—एक कर्मचारी एक से अधिक नियोक्ता के यहाँ कार्य कर सकता है और सभी से प्राप्त पारिश्रमिक "वेतन" शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य होंगे। कर्मचारी एक नियोक्ता के यहाँ पूर्ण-कालिक Fulltime) एवं अन्य नियोक्ता के पास अंश कालिक (part time) आधार पर कार्य कर सकता है अथवा सभी के यहाँ अंश कालिक आधार पर कार्य कर सकता है।

वेतन मान दिये होने पर वेतन ज्ञात करना—अधिकाँश दशाओं में कर्मचारी की नियुक्ति एक स्थाई वेतन (Fixed pay) पर न होकर एक वेतन मान (Pay scale) पर होती है। जैसे 750-501•100-100-1600 वेतन मान पर यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति होती है। तो इसका आशय है कि नियुक्ति के प्रथम वर्ष में उन्हें 750 रु० प्रति माह वेतन मिलेगा तत्पश्चात् आगामी वर्ष में 50 रु० की वृद्धि मिलेगी तथा वेतन 800 रु० प्रतिमाह हो जायेगा। इस तरह वार्षिक वेतन वृद्धि वेतन में जुड़ती रहेगी जब तक वेतन 1100 रु० तक न हो जाए। वेतन के 1100 रु० हो जाने के पश्चात् वार्षिक वृद्धि 100 रु० हो जायेगी। उदाहरणार्थ 750-50-1100-100-1600 के वेतन

मांन में किसी कर्मचारी की नियुक्ति 1 अगस्त 1982 को हुई। उसे 1 अगस्त 1982 से लेकर 31 जुलाई 1983 तक 750 रु० प्रतिमाह, फिर 1 अगस्त 1983 से लेकर 31 जुलाई 1984 तक 800 रु० प्रतिमाह तथा 1 अगस्त 1984 से लेकर 31 जुलाई 1985 तक 850 रु० प्रतिमाह वेतन प्राप्त होगा। यदि यह कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हो तथा इसे वेतन आगामी माह की पहली तारीख को मिलता हो तो कर निर्धारण 1986-87 के लिए मार्च 1985 से फरवरी 1986 तक उनके वेतन की गणना निम्न प्रकार होगी—

मार्च 1985 से जुलाई 1985 (5 माह) @ 850 रु	=4,250
अगस्त 1985 से फरवरी 1985 (7 माह) @ 900 रु०	=6,300
गतवर्ष में कुल प्राप्त मूल वेतन	10,550

वेतन (Salary) [17(1)

अधिनियम की धारा 17 (1) के अनुसार 'वेतन' शब्द के अन्तर्गत निम्नलिखित मदें आती हैं—

1, मजदूरी (Wages);
2. कोई वार्षिकी अथवा पेंशन (Any annuity or pension)
3. कोई ग्रेच्यूटी (Any gratuity);
4. कोई फीस, कमीशन, अनुलाभ अथवा वेतन या मजदूरी के स्थान में या उसके अतिरिक्त लाभ (Any fees, commisson perquisites or Profits in lieu of or in addition to any salary or wages);
5.a वेतन की पेशगी (Any advance of salary);
5. कर्मचारी को छुट्टियों का उपयोग न करने के कारण मिली राशि;
6. एक कर्मचारी के प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड में वार्षिक वृद्धि (Annual accretion) इसका विस्तृत विवरण इसी अध्याय में आगे प्राविडेण्ट फण्ड के अन्तर्गत दिया गया है; अथवा
7. 'हस्तांतरित शेष' (Transferred balance) का करयोग्य भाग। इसे भी प्राविडेण्ट फण्ड के साथ समझाया गया है।

उपर्युक्त धनराशियाँ नियोक्ता द्वारा स्वेच्छा से दी जा सकती है अथवा प्रसंविदे के अन्तर्गत भी। इस प्रकार कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने पर नोटिस की अवधि के लिये दिया गया वेतन इसी शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होता है। नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी (Annuity) भी इसी शीर्षक के अन्तर्गत आती है। किसी अन्य पक्ष द्वारा दी जाती है तो अन्य साधनों से आय' के अन्तर्गत सम्मिलित की जाती है।

अनुलाभ Perquisites [17(2)]

अनुलाभ से तात्पर्य उन सुविधाओं से है जो किसी भी कर्मचारी को नियोक्ता से वेतन के अतिरिक्त प्राप्त होती है। अनुलाभ की प्राप्ति विभिन्न स्वरूपों में हो सकती है। नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को कुछ सुविधायें नकद अथवा वस्तु या सेवा के रूप में

निशुल्क या रियायती दर पर दी जाती हैं। ये सुविधायें ही अनुलाभ कहलाती हैं। अध्ययन के दृटि कोण से अनुलाभों को निम्न तीन भागों में बाँटा जा सकता है—

A. सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ;
B. विशिष्ट कर्मचारियों के लिये ही करयोग्य अनुलाभ;
C. करमुक्त अनुलाभ।

A. सभी कर्मचारियों के लिए करयोग्य अनुलाभ

1. किराये से मुक्त मकान की सुविधा (Rent free accomodation)—कर्मचारी को अपने नियोक्ता से बिना किराये के मकान की सुविधा प्राप्त होना अनुलाभ है जो सभी करदाताओं के लिए करयोग्य हैं। किराये मुक्त मकान दो प्रकार का हो सकता है (अ) सुसज्जित, एवं (ब) असुसज्जित। यदि मकान में फर्नीचर आदि की सुविधा भी है तो यह सुसज्जित होगा अन्यथा असुसज्जित। इस अनुलाभ के मूल्याँकन के लिए कर्मचारियों को तीन श्रेणियों में रखा गया है तथा इन तीनों प्रकार के कर्मचारियों के लिए इस सुविधा का मूल्याँकन अलग अलग निम्न प्रकार करते है :—

a) **सरकारी कर्मचारी** :—इस श्रेणी में वे कर्मचारी आते हैं जो राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं। ऐसे सरकारी कर्मचारी, जिनकी सेवायें सरकार द्वारा नियन्त्रित किसी उद्यम अथवा निकाय को उधार दे दी जाती है, भी इसी श्रेणी में आते हैं।

अ) **असुज्जित मकान**—किराये से मुक्त असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य वह राशि होगी जो सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार कर्मचारी से वसूल की जाती यदि यह मकान उसे किराये पर दिया जाता।

ब) **सुसज्जित मकान**—मकान यदि फर्नीचर आदि से सुसज्जित है तो फर्नीचर की लागत का 10% प्रतिवर्ष अथवा यदि फर्नीचर किराये पर लेकर उपलब्ध कराया है तो फर्नीचर के लिए देय किराया कर योग्य अनुलाभ होगा और मकान के उपरोक्त (अ) के अनुसार मूल्याँकन में जोड़ दिया जायेगा।

b) **अर्द्ध सरकारी कर्मचारी**—इस श्रेणी में वे कर्मचारी आते हैं जो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, वैधानिक निगम अथवा ऐसी कम्पनी में कर्मचारी है जो सरकार अथवा रिजर्व बैंक अथवा दोनों के ही स्वामित्व में है। ऐसे निकाय अथवा उद्यम के कर्मचारी जिनकी प्रबन्ध व व्यवस्था पूर्ण रूप से अथवा मुख्य रूप से सरकार के हाथों में है, इसी श्रेणी में आते हैं। सरकारी कर्मचारी जिनकी सेवायें ऐसी कम्पनी को उधार दे दी गई है, जिसकी 40% अथवा इससे अधिक के साधारण अंश केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक अथवा दोनों के हाथों में है, इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं।

इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए किराये से मुक्त असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्याँकन वेतन के 10% के बराबर होगा। मकान के वास्तविक किराये पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यदि मकान सुसज्जित है तो फर्नीचर की लागत का 10% प्रतिवर्ष उपरोक्त मूल्याँकन में जोड़ दिया जायेगा। यदि फर्नीचर किराये पर लिया गया है तो फर्नीचर का किराया वेतन के 10% में जोड़कर सुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्याँकन ज्ञात कर लिया जायेगा।

अपवाद :— सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को केन्द्र अथवा राज्य सरकार की ओर से प्रदान की गई किराये से मुक्त मकान की सुविधा पूर्णतया कर मुक्त होगी।

c) अन्य कर्मचारी :—तीसरी श्रेणी में वे कर्मचारी आते हैं जो उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं। ऐसे कर्मचारी प्रायः निजी क्षेत्र में लगे हुए होते हैं।

ऐसे कर्मचारी को मकान की सुविधा किरायामुक्त दिये जाने पर सर्वप्रथम असुसज्जित मकान का उचित किराया ज्ञात किया जाता है। उचित किराया ज्ञात करने के लिए, उस मकान का नगरपालिका मूल्यांकन एवं जिस क्षेत्र में वह मकान स्थित है, वहाँ उस मकान को किराये पर देने से प्राप्त हो सकने वाले किराये को देखकर, जो भी राशि दोनों में अधिक होती है, उसे ही उचित किराया समझा जाता है। इसके पश्चात् किराया मुक्त असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्यांकन निम्नप्रकार ज्ञात किया जाता है :—

अ. यदि मकान का उचित किराया वेतन के 10% से अधिक नहीं है अर्थात् 10% हैं अथवा 10% से कम है तो उचित किराया ही सुविधा का मूल्य माना जाता है।

ब. यदि मकान का उचित किराया वेतन के 10% से अधिक है किन्तु 50% से अधिक नहीं है तो वेतन का 10% ही सुविधा का मूल्य माना जाता है

स. यदि मकान का उचित किराया वेतन के 50% से अधिक हैं तो उचित किराये का वेतन के 40% पर ही सुविधा का मूल्य माना जाता है। अर्थात् उचित किराये में से वेतन का 40% (Fair rent Less 40% of Salary) घटाने के पश्चात् शेष राशि के बराबर इस सुविधा का मूल्य होगा।

मकान के दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में स्थिति होने पर :

यदि कर्मचारी को दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता व मद्रास में किराया मुक्त मकान मिला हुआ है तो असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्यांकन निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है :—

अ. यदि मकान का उचित किराया वेतन के 10% से अधिक नहीं है अर्थात् 10% है अथवा 10% से कम है, तो उचित किराया ही सुविधा का मूल्य होगा।

ब. यदि मकान का उचित किराया वेतन के 10% से अधिक है किन्तु 60% से अधिक नही है, तो वेतन का 10% ही सुविधा का मूल्य होगा।

स. यदि मकान का उचित किराया वेतन के 60% से अधिक है तो उचित किराये का वेतन के 50% पर आधिक्य ही सुविधा का मूल्य होगा। अर्थात् उचित किराये में से वेतन का 50% घटाने केपश्चात् शेष राशि (Fair Rent Less 50% of Salary) के बराबर इस सुविधा का मूल्य होगा।

कर्मचारी को फर्नीचर उपलब्ध किये जाने पर—ऐसे किसी कर्मचारी को फर्नीचर सहित किराये से मुक्त मकान दिये जाने पर प्रथम वह राशि ज्ञात की जाती है जो बिना फर्नीचर के मकान दिए जाने पर सुविधा का मूल्य होती है। इसके पश्चात ऐसी ज्ञात की गई राशि में फर्नीचर की लागत का 10% प्रतिवर्ष जोड़कर मकान की सुविधा का मूल्य ज्ञात किया जाता है। यदि नियोक्ता ने किराये पर लेकर फर्नीचर की सुविधा प्रदान की है, तो फर्नीचर का किराया फर्नीचर की सुविधा का मूल्य होगा।

टिप्पणी : 1. किराया मुक्त मकान के मूल्यांकन के लिए वेतन में मूल वेतन, बोनस कमीशन एवं अन्य प्राप्त समस्त राशियों को सम्मिलित किया जाता है लेकिन निम्नांकित को सम्मिलित नहीं किया जाता।

अ. मँहगाई भत्ता—यदि सुपरएनुएशन फन्ड व प्राविडेण्ट फन्ड में अंशदान की गणना तथा अवकाश प्राप्ति पर मिलने वाले अन्य लाभों की गणना के लिए यह भत्ता वेतन में जोड़ा जाता है तो मकान की सुविधा के मूल्यांकन के लिये भी इसे सम्मिलित किया जायेगा अन्यथा सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

ब. नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के प्राविडेण्ट फण्ड में दिया अंशदान;

स. वे भत्ते जो कर से मुक्त है (जैसे सवारी भत्ता आदि)

द. मनोरंजन भत्ता (केवल कर-मुक्त सीमा तक)

2. फर्नीचर में घरेलू उपयोग के सभी यन्त्र जैसे रेडियो, कूलर, टेलीविजन, रैफ्रीजरेटर, अलमारी आदि तथा वातानुकूलित यन्त्र सम्मिलित होते हैं।

3. उपरोक्त सभी परिस्थितियों में किराया मुक्त मकान की सुविधा के मूल्यांकन के लिये उस अवधि के वेतन का ही आवश्यक प्रतिशत (जो भी applicable हो) लिया जायेगा जिस अवधि के लिए मकान की सुविधा प्रदान की गई है।

किराया मुक्त मकान की सुविधा का मूल्यांकन
(Valuation of rent free accomodation)

कर्मचारी की श्रेणी 1	असुसज्जित मकान 2	सुसज्जित मकान 3
सरकारी कर्मचारी	सरकारी नियमों के अनुसार मकान के लिए वसूल की जाने वाली राशि	असुसज्जित मकान का मूल्यांकन तथा फर्नीचर की लागत का 10% प्रतिवर्ष अथवा फर्नीचर किराये पर लिए जाने पर दिया गया किराया
रिजर्व बैंक, सरकारी निगम एवं वैधानिक संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी	वेतन का 10% (इस बात का कोई महत्व नहीं कि मकान का उचित किराया कितना है)	क्रम संख्या 2 में ज्ञात की गई राशि में फर्नीचर की लागत का 10% प्रतिवर्ष जोड़ा जायेगा। यदि फर्नीचर किराये पर लेकर दिया गया है तो किराये की राशि जोड़ी जायेगी।
अन्य कर्मचारी बम्बई, दिल्ली कलकत्ता एवं मद्रास को छोड़कर	अ. उचित किराये के वेतन के 10% तक अथवा 10% से कम होने पर उचित किराया। ब. उचित किराये के वेतन के 10% से अधिक होने पर लेकिन 50% से अधिक नहीं होने पर वेतन का 10%। स. उचित किराये के वेतन के 50% से अधिक होने पर उचित किराये का वेतन के 40% पर आधिक्य (उचित किराया Less वेतन का 40%)	क्रम संख्या 2 में ज्ञात की गई राशि में फर्नीचर की लागत का 10% प्रतिवर्ष जोड़ा जायेगा। यदि फर्नीचर किराये पर लेकर दिया गया है तो किराये की राशि जोड़ी जायेगी।

बम्बई, दिल्ली कलकत्ता एवं मद्रास की दशा में	अ. उचित किराये के वेतन के 10% तक अथवा 10% से कम होने पर, उचित किराया। ब. उचित किराये के वेतन के 10% से अधिक होने पर किन्तु 60% से अधिक नहीं होने पर, वेतन का 10%। स. उचित किराये के वेतन के 60% से अधिक होने पर उचित किराये का वेतन के 50% पर आधिक्य (उचित किराया Less वेतन का 50%)	क्रम संख्या 2 में ज्ञात की गई राशि में फर्नीचर की लागत का 10% प्रतिवर्ष जोड़ा जायेगा। यदि फर्नीचर किराये पर लेकर दिया गया है तो किराये की राशि जोड़ी जायेगी।

उदाहरण (Illustration) 1 : जैनको इन्डस्ट्रीज के आगरा और दिल्ली में कार्यालय हैं। दोनों स्थानों पर कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को 150 रु० प्रतिमाह वाला उचित किराये का मकान नियोक्ता के द्वारा किराया-मुक्त रहने को दिया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी को 100 रु० प्रतिमाह मंहगाई भत्ता भी दिया जाता है। मंहगाई भत्ते की राशि सेवा निवृत्ति लाभों की गणना करने हेतु वेतन में सम्मिलित की जाती है।

श्री अरविन्द, श्री सुरेन्द्र और श्री महेश की वेतन शीर्षक की सकल आय निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए ज्ञात कीजिए, यदि उन्हें प्रतिमाह मूल वेतन 1,650 रु० 550 रु० और 100 रु० मिलता है और वे आगरा कार्यालय में कार्य करते हों।

यदि वे दिल्ली कार्यालय में कार्य करते हों तो क्या इन आयों में अन्तर होता ?

The offices of Jainco Industry are at Agra and Delhi. The employer provides rent-free accommodation of a fair rental value of Rs. 150 p. m. to every employee working at any of the places. Every employee also gets Rs. 100 p.m. as dearness allowance. The amount of Dearness Allowance is included in salary for Computation of retirement benefits.

Determine the gross income under the head 'salaries' for the assessment year 1986-87 of Shri Arvind, Shri Surendra and Shri Mahesh, if they get every month basic pay of Rs. 1,650, Rs. 550 and Rs. 100 respectively and work at Agra office.

Had they worked at Delhi office, would their incomes have been different ?

हल (Solution) If working at Agra.

Statement of Gross income from Salaries for the Assessment Year 1986-87

Particulars	Shri Arvind Rs.	Shri Surandra Rs.	Shri Mahesh Rs.
Basic pay	19,800	6,600	1,200
Dearness Allowance	1,200	1,200	1,200
Value of Rent-free house	1,800	780	840
Gross Income from Salaries	22,800	8,580	3,240

टिप्पणी : 1. मकान का उचित किराया 1,800 रु० अरविन्द के वेतन 21,000 (मूल वेतन 19,800 रु०+मंहगाई भत्ता 1,200 रु०) के 10% से अधिक नहीं है, अतः उचित किराया ही सुविधा का मूल्य लिया गया है।

2. मकान का उचित किराया 1,800 रु० श्री सुरेन्द्र के वेतन 7,800 रु० (मूल वेतन 6,600 रु०+मंहगाई भत्ता 1,200) रु० के 10% 780 रु० से तो अधिक हैं किन्तु 50% (3,900) से अधिक नहीं हैं, अतः वेतन का 10% अर्थात् 780 रु० ही सुविधा का मूल्य लिया गया है।

3. मकान का उचित किराया 1,800 रु० श्री महेश के वेतन 2,400 रु० (मूल वेतन 1,200 रु०+मंहगाई भत्ता 1,200 रु०) के 50% 1,200 से अधिक है, अतः उचित किराये का वेतन के 40% पर आधिक्य आर्थात् 1,800—960 रु०=840 रु० अनुलाभ का मूल्य लिया गया है।

b) If working at Dehli : यदि तीनों कर्मचारी दिल्ली में कार्यरत होते तो श्री अरविन्द एवं श्री सुरेन्द्र के वेतन शीर्षक की सकल आय में कोई अन्तर नहीं होता, किन्तु श्री महेश के लिए अनुलाभ का मूल्य 600 रु० होगा क्योंकि उचित किराया 1,800 रु० वेतन 60% (1,440 रु०) से अधिक है अतः मूल्यांकन उचित किराया का वेतन के 50% पर आधिक्य अर्थात् 1,800 रु०—1,200 रु० (2,400 रु० 50%)=600 रु० के बराबर होगा।

उदाहरण (Illustration) 2 : निम्न विवरण के आधार पर विभिन्न करदाताओं के लिए वेतन शीर्षक की सकल आय कर निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए ज्ञात कीजिए—

1. श्री राजेन्द्र केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं। उन्हें मूल वेतन 500 रु० प्रतिमाह मंहगाई भत्ता 100 प्रतिमाह तथा नगर पूरक भत्ता 50 रु० प्रति माह मिल रहा है। वे दिल्ली कार्यालय में कार्यरत हैं। सरकार ने उन्हें एक किराये से मुक्त मकान की सुविधा दे रखी है जिसमें 2,000 रु० लागत का फर्नीचर लगा हुआ है। सरकारी नियमानुसार इसी प्रकार के अन्य मकान का, कर्मचारी के मूल वेतन का 10% किराये के रूप में वसूल किया जाता है।

2. श्री नरेन्द्र उत्तर प्रदेश सरकार के लखनऊ कार्यालय में कार्यरत हैं। उन्हें मूल वेतन 1,000 रु० प्रतिमाह तथा मंहगाई भत्ता 200 रु० प्रतिमाह मिल रहा है। सरकार ने उन्हें किराये से मुक्त मकान की सुविधा दे रखी है। इसी प्रकार के मकान का सरकारी नियमानुसार 200 रु० प्रतिमाह किराया वसूल किया जाता है। श्री नरेन्द्र को इस मकान में फर्नीचर की भी सुविधा दी गई है जिसका किराया सरकार द्वारा 20 रु० प्रतिमाह चुकाया जाता है।

3. श्री रमेश रिजर्व बैंक में कर्मचारी हैं। उन्हें मूल वेतन 2,000 रु० प्रतिमाह तथा मंहगाई भत्ता 300 रु० प्रतिमाह मिल रहा है। बैंक की ओर से उन्हें एक किराये से मुक्त मकान की सुविधा मिली हुई है। बैंक इसी प्रकार के अन्य मकान के कर्मचारियों से 700 रु० प्रतिमाह किराया वसूल करती है।

From the following particulars Calculate gross income under the head Salaries for different assessees for the aseessment year 1986-87.

1. Shri Rajendra is an emplyee of central Government, He is getting a basic pay of Rs. 500 p.m. dearness allowance Rs. 100 p.m, and city Compensatory allowance Rs. 50 p.m. He is working in Delhi office. The Govenment has provided him with a facility of rent free house with furniture costiong Rs. 2,000. As per Government rules the rent chargeable for the same type of house is 10% of basic pay.

2. Shri Narendra is employed in Uttar Pradesh Govt. office at Lucknow, He is getting a basic pay of Rs. 1,000 p,m. and dearness allowance Rs. 200 p.m. The Government has provided him with a facility of rent free house, The rent chargeable

under Government rules for the same type of house is Rs. 200 p.m. Shri Narendra has also been provided with the Facility of Furniture in the house for which the Government pays a rent of Rs. 20 p.m.

3. Shri Ramesh is an employee in Reserve Bank. He is getting a basic pay Rs. 2,000 p.m. and dearness allowance Rs. 300 p.m. He is provided with a facility of rent free house. For the same type of house the Reserve Bank is charging a rent of Rs, 700 p.m. from employees.

हल (Solution) :

Statement of Gross Income from Salaries for the Assessment year 1986-87

Particulars	Rajendra	Narendra	Ramesh
	Rs.	Rs.	Rs.
Basic Pay	6,000	12,000	24,000
Dearness Allowance	1,200	2,400	3,600
City compensatory Allowance	600	—	—
Value of Rent-Free house	800	2,640	2,400
Gross Income from salaries	8,600	17,040	30,000

टिप्पणी : श्री राजेन्द्र सरकारी कर्मचारी हैं, अतः मकान की सुविधा का मूल्य सरकारी नियमानुसार अर्थात् मूल वेतन का 10% 600 रु० तथा फर्नीचर की लागत 2,000रु० का 10% 200 रु० कुल 600 रु०+200 रु०=800 रु० हुआ।

2. श्री नरेन्द्र भी सरकारी कर्मचारी हैं, अतः सरकारी नियमानुसार मकान की सुविधा का मूल 2,400 रु०+240 रु० (फर्नीचर का किराया) कुल 2,640 रु० हुआ।

3. श्री रमेश रिजर्व बैंक में कर्मचारी है, अतः इनके लिये किराये मुक्त मकान की सुविधा का मूल्य वेतन का 10% होगा।

2. **रियायती मूल्य पर मिला हुआ मकान** (Accommodation at concessional rate) : यदि नियोक्ता अपने कर्मचारी को निवास की सुविधा मुफ्त तो नहीं देता लेकिन रियायती किराये (Concessional Rent) पर देता है तो सर्वप्रथम इसका मूल्यांकन उसी भाँति किया जायेगा जैसे मकान किराये से मुक्त दिया गया हो। इस प्रकार ज्ञात की गई राशि में से वह राशि घटा दी जाती है जो नियोक्ता कर्मचारी से किराये के रूप में वसूल करता है। शेष राशि ही रियायती किराये पर मिले मकान की सुविधा का मूल्य होगा।

यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी से वसूल किये गये रियायती किराये की राशि किराया मुक्त मकान की सुविधा के मूल्य के बराबर अथवा अधिक हो तो रियायती किराये पर मिले मकान की सुविधा का मूल्य शून्य माना जायेगा।

उदाहरण (Illustration) 3. श्री अशोक एक्स लिमिटेड, बम्बई में कार्यरत है। उन्हें मूल वेतन 1,500 रु० प्रतिमाह, मँहगाई भत्ता 300 रु० प्रतिमाह, कमीशन 2,000 रु० वार्षिक तथा बोनस 1,000 रु० वार्षिक वित्तीय वर्ष 85-86 में प्राप्त हुआ है। उन्हें 800 रु० प्रतिमाह अनुमानित किराये का मकान रियायती किराये पर रहने के लिये दिया गया है। इस मकान में नियोक्ता ने 5,000 रु० की लागत का फर्नीचर लगा रखा है तथा कुछ फर्नीचर स्थानीय रूप से किराये पर लेकर लगा रखा है जिसका 50 रु० प्रतिमाह किराया नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है। श्री अशोक द्वारा इस मकान के लिये 200 रु० प्रतिमाह अपने नियोक्ता को चुकाये जाते हैं। उनके मँहगाई भत्ते का दो तिहाई भाग सेवा-निवृत्ति लाभों की गणना हेतु वेतन में सम्मिलित किया जाता है।

श्री अशोक की कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत सकल आय की गणना कीजिए।

Shri Ashok is employed in X Ltd. Bombay. He received during the financial year 1985-86 basic salary Rs. 1,500 p.m. dearness allowance Rs, 300 p.m. commission Rs. 2,000 p.a., and Bonus Rs. 1,000 per annum. He has been provided with an accomodation at a concessional rent of the estimated rental value of Rs. 800 p.m. The employer has provided furniture costing Rs. 5,000 in the house and also some other furniture hired locally on a monthly rent of Rs. 50. which is born by the employer. Shri Ashok pays a rent of Rs. 200 p m. of this house. Two-third of the dearness allowance is included in salary calculating the retirement benefits. Compute Gross income from salary of Shri Ashok for the assessment year 1986-87.

हल (Solution) : **Statement of Gross Income from Salary of Shri Ashok for the Assessment Year 1986-87**

Basic Pay	18,000
Dearness Allowance	3,600
Commission	2,000
Bonus	1,000
Value of Concession on furnished accomodation	1,040
Gross Income from Salary	25,640

टिप्पणी : रियायती किराये वाले मकान की सुविधा का मूल्यांकन करने हेतु वेतन में मूल वेतन, मँहगाई भत्ता का 2/3 भाग, कमीशन तथा बोनस सम्मिलित किये जायेंगे 18,000+(2/3×3,600)+2,000+1,000=23,400 रु०

मकान का उचित किराया—9,600 रु० है जो वेतन (23,400 रु०) के 60% से अधिक नहीं है इसलिये वेतन का 10% अर्थात् 2,340 रु० असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य होगा इसमें फर्नीचर की लागत का 10% अर्थात् 500 रु० तथा किराये पर लिये हुए फर्नीचर का किराया 50×12=600 रु० कुल 500+600 =1,100 रु० और जोड़ दिये जायेंगे इस प्रकार इस मकान की सुविधा का कुल मूल्य 2,340 रु०+1,100=3,440 रु० होगा।

इस राशि में से कर्मचारी द्वारा चुकाई गई राशि घटा दी जायेगी अतः रियायती किराये वाले मकान की सुविधा का मूल्य 3,440 रु.—2,400 रु.=1,040 रु. होगा।

3. **नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान (Payment Employee's Liability by the Employer) :** गतवर्ष में यदि नियोक्ता ने कर्मचारी के किसी ऐसे दायित्व का भुगतान किया है, जो यदि नियोक्ता नहीं करता तो कर्मचारी को करना होता तो नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई ऐसी राशि को कर योग्य अनुलाभ माना जावेगा व वेतन में जोड़ा जायेगा। ऐसे दायित्वों के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं :—

a) कर्मचारी के द्वारा देय किसी ऋण का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाना।
b) कर्मचारी के होटल या क्लबों के बिलों का नियोक्ता द्वारा भुगतान।
c) कर्मचारी के द्वारा वेतन पर देय आयकर का नियोक्ता द्वारा भुगतान।
d) कर्मचारी के गैस, बिजली व पानी के बिलों का नियोक्ता द्वारा भुगतान।
e) कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा व्यय का नियोक्ता द्वारा भुगतान।

4. **नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की जीवन बीमा या वार्षिकी के लिये भुगतान की गई राशि (Amount paid by the Employer for Life Insurance or Life Annuities) :** यदि नियोक्ता गतवर्ष में कर्मचारी की जीवन बीमा या वार्षिकी के लिए

किसी राशि का भुगतान करता है तो भुगतान की गई राशि कर्मचारी के लिए करयोग्य अनुलाभ मानी जाती हैं। कर्मचारी के प्रमाणित भविष्य निधि अनुमोदित सुपरएनुएशन निधि, या कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित डिपोजिट से जुड़ी हुई बीमा निधि से किया गया भुगतान कर्मचारी के द्वारा किया गया भुगतान समझा जाता है अतः उक्त वर्णित कोषों में से जीवन बीमा या वार्षिकी के लिए किया गया भुगतान कर्मचारी के लिए करयोग्य अनुलाभ नहीं होगा। किन्तु नियोक्ता उक्त कोष के अतिरिक्त अन्य कोषों से कर्मचारी की जीवन बीमा या वार्षिकी के लिए कोई भुगतान करता है तो भुगतान की गई राशि करयोग्य अनुलाभ होगी।

B. विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर-योग्य अनुलाभ

I. वस्तु या सेवा के रूप में प्रदान की गई सुविधा या लाभ : यदि किसी कर्मचारी को कोई सुविधा या लाभ वस्तु या सेवा के रूप में रियायती मूल्य पर अथवा बिना मूल्य के नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाती हैं तो उसका मूल्य प्रत्येक कर्मचारी की स्थिति में करयोग्य न होकर केवल निम्नलिखित कर्मचारियों की स्थिति में करयोग्य होगी—

a) ऐसे कर्मचारी की स्थिति में जो किसी कम्पनी का संचालक (Director) है एवं उसी कम्पनी में कर्मचारी भी है।

b) ऐसे कर्मचारी की स्थिति में जो किसी कम्पनी का कर्मचारी हैं एवं उस कम्पनी में उसका सारवन हित है अर्थात् जिसके पास कम्पनी की मतदान शक्ति वाले अंश 20% अथवा इससे अधिक है।

c) ऐसे कर्मचारी (उपरोक्त (d) एवं (b) के अतिरिक्त) जिसकी वेतन शीर्षक की करयोग्य आय में (ऐसे लाभ एवं सुविधाओं के मूल्य को छोड़कर जिनका भुगतान मुद्रा में नहीं किया गया है किन्तु प्रमाणित कटौती एवं मनोरंजन भत्ते की छूट यदि कोई है को घटाने के पश्चात) 24,000 रुपये से अधिक है।

उपरोक्त विशिष्ट कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की सुविधायें, जैसे सवारी की सुविधा, गैस, बिजली, पानी, शिक्षा, घरेलू नौकर आदि की सुविधा करयोग्य अनुलाभ होगी एवं आगे वर्णित निर्धारित तरीके से मूल्यांकन करके 'वेतन' से आय में जोड़ा जायेगा।

यहाँ यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सुविधाओं एवं दायित्वों के भुगतान में अन्तर है। कर्मचारी के दायित्वों का नियोक्ता द्वारा भुगतान सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए करयोग्य अनुलाभ होगा। यदि किसी नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को मुफ्त बिजली एवं पानी की सुविधा दे रखी है और इस कारण बिजली एवं पानी के बिलों का भुगतान करता है तो यह सुविधा केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही कर योग्य होगी क्योंकि यहां बिजली एवं पानी के बिलों को चुकाने का दायित्व नियोक्ता का है कर्मचारी का नहीं। उपरोक्त उदाहरण में यदि कर्मचारी को बिजली एवं पानी की सुविधा प्रदान नहीं की हुई है और नियोक्ता द्वारा किसी माह के बिजली के बिलों का भुगतान स्वेच्छा से कर दिया जाता है तो यह कर्मचारी के दायित्वों का नियोक्ता द्वारा भुगतान माना जायेगा क्योंकि नियोक्ता के द्वारा बिलों के भुगतान न करने पर यह भुगतान कर्मचारी को करना पड़ता अतः यह सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा।

विशिष्ट कर्मचारियों के लिए वस्तु या सेवा के रूप में प्रदान किये गये अनुलाभों का मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जायेगा—

I. सवारी की सुविधा

1. **मोटर कार (Moter car)** :विशिष्ट कर्मचारियों को निजी प्रयोग के लिए दी गई कार की सुविधा का मूल्य विभिन्न स्थितियों में अलग 2 होगा जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

अ. नियोक्ता की कार का करदाता कर्मचारी द्वारा केवल अपने निजी कार्यों में प्रयोग करने पर—कार का इस्तैमाल कर्मचारी द्वारा यदि केवल अपने निजी या व्यक्तिगत कार्यों के लिए किया जाता है तो इस सुविधा का मूल्य वह रकम होगी जो नियोक्ता ने मोटरकार के रखने व चलाने में व्यय की है जैसे पैट्रोल, ड्राइवर, मरम्मत व ह्रास आदि।

ब. नियोक्ता की कार का प्रयोग केवल पदीय कर्तव्यों के लिए करने पर—कार का प्रयोग केवल पदीय कर्तव्यों के लिए ही किया जाता है तो इस सुविधा के मूल्यांकन का प्रश्न ही नहीं उठता। उस दशा में यह मोटर कार की सुविधा अनुलाभ के अन्तर्गत नहीं आती।

स. नियोक्ता की कार का इस्तैमाल आँशिक रूप से पदीय कर्तव्यों के लिए व आँशिक रूप से निजी कार्यों के लिए करने पर—ऐसी स्थिति में यह निर्धारित किया जायेगा कि कार का कितना प्रयोग (जैसे 50% अथवा 60% आदि) पदीय कार्यों के लिए किया गया है और कितना निजी कार्यों के लिए। जितना प्रयोग निजी कार्यों के लिए किया गया है कुल व्यय का उतना ही भाग (जितना निजी कार्यों से सम्बन्धित है) ऐसी सुविधा का मूल्य होगा और अनुलाभ माना जायेगा।

ऐसी परिस्थिति में जबकि कर्मचारी के निजी प्रयोग से सम्बन्धित व्ययों की गणना ठीक प्रकार से नहीं की जा सके तो बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई दरों के अनुसार गणना की जाती है।

a) जब मोटर कार के रख रखाव व चलाने का व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है तो 16 हॉर्स पावर तक कार की सुविधा के लिए 300 रु० मासिक तथा 16 हॉर्स पावर से अधिक की कार के लिए 400 रु० मासिक इस अनुलाभ का मूल्यांकन होगा।

b) जब कर्मचारी मोटर कार के अपने निजी प्रयोग में लाने से सम्बन्धित व्यय स्वयं वहन करता है तो मोटर कार के 16 हार्स पावर तक होने की दशा में 100 रुपये मासिक, तथा 16 हार्स पावर से अधिक की कार के लिए 150 रुपये मासिक की दर से इस अनुलाभ का मूल्य होगा।

द. जब कर्मचारी एक से अधिक कारों का इस्तैमाल करता है—कभी कभी कोई एक निश्चित कार कर्मचारी को नहीं दी जाती बल्कि नियोक्ता की बहुत सी कारों में से किसी भी कार का प्रयोग कर्मचारी द्वारा कर लिया जाता है; ऐसी स्थिति में कार की सुविधा का मूल्यांकन वह राशि होगी जो इनमें से सबसे अधिक हार्स पावर की कार के प्रयोग की स्थिति में होती है। उदाहरणार्थ यदि कर्मचारी को दो कारें क्रमशः

16 हार्स पावर तथा 18 हार्स पावर की उपलब्ध कराई गई हैं तो 18 हार्स पावर की कार के अनुसार मूल्यांकन किया जायेगा।

य. ड्राइवर की सुविधा—इन सभी स्थितियों में यदि कार के साथ ड्राइवर की सुविधा भी लपलब्ध है तो ऊपर दिए गये मूल्यों में ड्राइवर की सुविधा के लिए 150 रु० मासिक और जोड़ देगें चाहे ड्राइवर को इससे कम वेतन दिया जाय अथवा अधिक।

र. जब कर्मचारी की स्वयं की कार हो—यदि कार कर्मचारी की स्वयं की है किन्तु कार के रख रखाव व चलाने के व्यय (ड्राइवर के वेतन का भुगतान भी यदि नियोक्ता द्वारा किया गया है तो उसको चुकाये जाने वाले वेतन सहित) नियोक्ता द्वारा वहन किये जाते हैं तो आयकर अधिकारी इस व्यय का वह भाग जो उसकी राय में कर्मचारी के निजी प्रयोग से सम्बन्धित है, कर्मचारी को प्राप्त अनुलाभ माना जायेगा। यदि ऐसी कार का पूर्णतया निजी कार्यों में प्रयोग हुआ है तो नियोक्ता द्वारा वहन किये गये सम्पूर्ण व्यय करयोग्य अनुलाभ होगा।

ल. रियाती मूल्य पर मोटर कार की सुविधा—नियोक्ता द्वारा कभी कभी मोटर कार की सुविधा तो कर्मचारी को दे दी जाती है किन्तु इसके लिए कुछ चार्ज भी किया जाता है जो काफी कम होता है। इस रियायत के मूल्यांकन के लिये सर्वप्रथम कार की सुविधा का मूल्य ऊपर दिए गए नियमों के अनुसार यह मानते हुए निकाल लेते हैं जैसे यह सुविधा निःशुल्क हो। इस मूल्य में से कर्मचारी द्वारा किया गया भुगतान घटा देते हैं तथा जो शेष रह जाता है वही इस सुविधा का मूल्यांकन होगा। यदि कार की सुविधा के लिए वसूल की गई राशि इस प्रकार निकाले गए मूल्य के बराबर हो अथवा अधिक हो तो सुविधा का मूल्य शून्य होगा।

2. कोई अन्य सवारी —कोई अन्य सवारी (जैसे मोटर साइकिल, स्कूटर, मोपेड आदि यदि नियोक्ता द्वारा करदाता को प्रदान की गई है जिसका प्रयोग निजी कार्यों के लिए भी होता है तो सवारी पर किए गए व्यय का वह भाग, जो कर्मचारी के निजी प्रयोग से सम्बन्धित है, कर्मचारी को प्राप्त अनुलाभ होगा।

टिप्पणी : 1. कर्मचारी द्वारा अपने घर से कार्य स्थल पर जाने हेतु अथवा कार्य-स्थल से अपने घर आने हेतु सवारी का उपयोग, कर निर्धारण वर्ष 1986-87 से व्यक्तिगत उपयोग नहीं माना जाता है।

2. यदि नियोक्ता यातायात व्यवसाय में लगा हो और उसके द्वारा अपने कर्मचारियों को, कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को तथा कर्मचारी पर आश्रित किसी व्यक्ति को निःशुल्क अथवा रियायती दर पर आने जाने के लिये सवारी की सुविधा प्रदान की जाती है तो इस सुविधा का मूल्य शून्य माना जायेगा।

4. यदि प्रश्न में कार के साथ कार के चालक (driver) की सुविधा के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं हो तो करदाता के हित में यही माना जाना चाहिए कि कर्मचारी कार स्वयं चलाता है। इस स्थिति में ड्राइवर की सुविधा का मूल्य 150 रु० प्रति माह कार की सुविधा के मूल्य में नहीं जोड़ा जायेगा।

उदाहरण (Illustration) 4 : श्री दिनकर राजस्थान काटन मिल्स, दिल्ली में नियुक्त है। उन्हें शुद्धवेतन 19,000 रु० दिया गया जो आयकर के 4,000 रु० जीवन बीमा प्रीमियम 2000 रु० तथा ऋण के 1400 रु० काटने के पश्चात् है। उन्हें नियोक्ता से 200 रु० प्रतिमाह मंहगाई भत्ता तथा 1,400 रु० वार्षिक कमीशन के

भी भुगतान किये गये । उन्हें कम्पनी की ओर से 395 रु० प्रति माह अनुमानित किराये का मकान, 10,000 रु० की लागत के फर्नीचर सहित किराये मुक्त दिया गया है । कम्पनी ने उन्हें 16 हार्स पावर की कार की सुविधा भी प्रदान की है जो उनके निजी उपयोग में भी आती है तथा इस कार का सम्पूर्ण व्यय (चालक के पारिश्रमिक सहित) कम्पनी वहन करती है । उनकी वेतन शीर्षक की सकल आय ज्ञात कीजिए ।

ShriDinkar is employed in Rajasthan cotton Mills Delhi. He was paid net salary Rs. 19,000. after deduction of income-tax Rs. 4,000 life insurance premium Rs. 2,000 ahd loan Rs. 1,400. He was also paid by his employer a dearness allowance of Rs.200 p.m. and a commission of Rs. 1,400. He has been provided with a facility of rent free accomodation of the estimated rental value of Rs. 395 p.m. alongwith a furniture costing Rs. 10,000. The company has also provided him a 16 hp car which is used for his private purposes also and all the expenses (including driver's salary) are born by the company. Find out his gross income under the head salaries.

हल (Solution) : Statement of Gross Income from Salary of Shri Dinkar

for the assessment year 1986-87

	Rs.
Basic Pay	26,400
Dearness Allowance	2,400
Commission	1,400
Value of rent-free furnished house	3,780
Value of facility or car	5,400
Gross income Salary	39,380

टिप्पणी : 1. सकल वेतन को करयोग्य माना जाता है अतः प्राप्त वेतन में नियोक्ता द्वारा की गई कटौतियों को जोड़कर सकल वेतन की गणना की गई है ।

2. किराये से मुक्त मकान की सुविधा का मूल्यांकन करने हेतु वेतन में मूल वेतन तथा कमीशन सम्मिलित किए गये हैं । यहाँ वेतन 26,400+1,400=27,800 होगा । मंहगाई भत्ते के लिए यह माना गया है कि इसे सेवा-निवृत्ति के लाभों की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाता है अतः यहां वेतन में भी इसे शामिल नहीं किया जायेगा । मकान का उचित किराया 4,740 रु० है जो वेतन के 60 % से कम है अतः असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य वेतन के 10% $\left(27{,}800 \times \frac{10}{100}\right)$ =2,780 रु० होगा क्योंकि यह कर्मचारी दिल्ली में कार्यरत है ।

इसमें फर्नीचर की लागत का 10% अर्थात 1,000 और जोड़ दिए जायेंगे । इस प्रकार किराये से मुक्त मकान की सुविधा का मूल्य 2,780+1,000=3,780 रु० होगा ।

3. कार की सुविधा का मूल्यांकन 300 रु० प्रतिमाह अर्थात 3,600 रु० होगा क्योंकि कार 'H.P. तक की है तथा समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं । इस राशि में चालक की सुविधा का मूल्य 150 रु० प्रतिमाह अर्थात 1,800 रु० जोड़ दिए जायेंगे । इस प्रकार कार की सुविधा का मूल्य रु० 3,600+रु० 1,800=5,400 रु० होगा ।

II. गैस बिजली तथा पानी की सुविधा (Facility of Gas Electricity and water) :—इस सुविधा का मूल्यांकन निम्न प्रकार किया जाता है :—

1. कर्मचारी द्वारा गैस बिजली तथा पानी का केवल व्यक्तिगत कार्यों हेतु उपयोग: यदि कर्मचारी ने मुफ्त गैस बिजली तथा पानी की सुविधा का उपयोग केवल घरेलू कार्य हेतु किया हो तो इस सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा गैस बिजली तथा पानी देने वाली संस्था को वास्तव में भुगतान की गई राशि अर्थात् नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी के व्यक्तिगत उपयोग से सम्बन्धित गैस, बिजली तथा पानी के बिलों की जितनी रकम का भुगतान किया गया हो वही इस सुविधा का मूल्य माना जायेगा।

2. गैस, बिजली तथा पानी की सुविधा का अंशतः कार्यालय के कर्तव्य हेतु तथा अंशत घरेलू कार्यों हेतु उपयोग—ऐसी स्थिति में निम्न में से जो कम हो तो सुविधा का मूल्य माना जावेगा—

क. नियोक्ता द्वारा इस सम्बन्ध में चुकाई गई राशि, अथवा

ख. कर्मचारी के मूल वेतन का $6\frac{1}{4}\%$

3. नियोक्ता के स्वयं के साधनों से गैस, बिजली तथा पानी की सुविधा—यदि नियोक्ता अपने स्वयं के साधनों से गैस, बिजली व पानी की सुविधा कर्मचारी को व्यक्तिगत उपयोग हेतु देता है अर्थात् इनके बिलों का भुगता किसी बाहरी संस्था को नहीं करता तो ऐसी दशा में इस सुविधा का मूल्य शून्य माना जावेगा।

नोट—कर्मचारी को गैस, बिजली व पानी के अतिरिक्त इसी प्रकार की अन्य किसी सुविधा जैसे बर्फ इत्यादि की सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा इस सम्बन्ध में कर्मचारी के व्यक्तिगत उपयोग से सम्बन्धित वहन की गई वास्तविक राशि ही होगी।

उदाहरण (Illustration) 5 : श्री नितेश 1,500 रु० प्रतिमाह मूल वेतन पाते है तथा उन्हें नियोक्ता की ओर से निःशुल्क बिजली की सुविधा भी दी जाती है। बताइये कि निम्न में से प्रत्येक दशा में इस अनुलाभ का क्या मूल्य लिया जायेगा—

अ. यदि नियोक्ता विद्युत उत्पादन का ही कार्य करता हो तथा गतवर्ष 1985-86 में उन्हें सप्लाई की गई बिजली की अनुमानित लागत 1,650 रु० हो।

ब. यदि नियोक्ता ने 1,650 रु० के बिलों का भुगतान गतवर्ष 1985-86 के लिए राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को किया हो।

स. करदाता बिजली का उपयोग कार्यालय के कार्यों के लिए भी करते हैं व नियोक्ता ने राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को 1,650 रु० बिजली के बिल के चुकाये हो।

यदि श्री नितेश कर निर्धारण वर्ष 1986-87 में कम्पनी के चालक भी होते तो क्या कोई अन्तर होता ?

Shri Nitesh is getting Rs. 1,500 p.m. as basic salary and has been provided by the employer the free use of electricity. State the sum that will be taken as the value of prequisite in each of the following cases :

a) If the employer is doing electricity generation work and the cost of supply made to him during the previous year 1985-86 Rs. 1,650.
b) If the employer paid bills of Rs. 1,650 to the Rajasthan State Electricity Board during the previous year 1985-86.
c) If the electricity is being used by him for official purpose also and the employer paid electricity bills of Rs. 1,650 to the Rajasthan State electricity Board.

Would there have been any difference had he been a Director of the company durning the assessment year 1986-87 ?

हल (Solution) : श्री नितेश को मुद्रा के रूप में मिले भुगतान 24,000 रु० से अधिक नहीं हैं अतः उनके लिये तीनों ही दशाओं में सुविधा का मूल्य शून्य माना जावेगा।

यदि वे संचालक होते तो स्थिति निम्न प्रकार होती :

अ. स्वयं नियोक्ता द्वारा ही बिजली का उत्पादन किया जाता है अतः विशिष्ट कर्मचारी होते हुए भी यह सुविधा कर-मुक्त होगी।

ब. नियोक्ता द्वारा किया गया वास्तविक भुगतान रु० 1,650 ही सुविधा का मूल्य होगा।

स. श्री नितेश कार्यालय कार्यों के लिए भी बिजली उपयोग करते है अतः सुविधा का मूल्य 1,650 रु० या 1,125 रु० (मूल वेतन का $6\frac{1}{4}$) दोनों में जो भी कम हो, अर्थात् 1,125 रु० होगा।

III. निःशुल्क शिक्षा सुविधा (Facility of Free Education) : नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के परिवार के किसी भी सदस्य को प्रदान की गई निःशुल्क शिक्षा सुविधा का मूल्यांकन निम्न नियमों के अनुसार होगा।

a) यदि कर्मचारी को शिक्षा भत्ता (Education Allowance) मिलता है तो सभी कर्मचारियों के लिए यह राशि करयोग्य होगी।

b) यदि नियोक्ता ने कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को निःशुल्क शिक्षा सुविधा दी है और इस सुविधा के अन्तर्गत कोई राशि व्यय की जाती है तो नियोक्ता द्वारा भगतान की गई राशि ही इस सुविधा का मूल्य होगी जो कि केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिये ही करयोग्य होगी।

c) जब नियोक्ता स्वयं शिक्षा संस्या चलाता हो—यदि नियोक्ता स्वयं शिक्षा संस्था चलाता है जिसमें कर्मचारी के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसी क्षेत्र में या उसके निकट उसी प्रकार की अन्य किसी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो उचित राशि व्यय करनी होती वही इस सुविधा का मूल्य माना जाता है। यदि वास्तविक व्यय की राशि कम भी है तो भी इस सुविधा का मूल्य वह उचित राशि ही होगी जो इसी प्रकार की अन्य शिक्षण संस्था में पढ़ने पर व्यय होती। यह सुविधा विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही करयोग्य होगी।

iv. अन्य सुविधायें :—अन्य किसी सुविधा का मूल्यांकन नियम 3, वाक्यांश (जी) के अनुसार उचित आधार पर किया जावेगा। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मण्डल द्वारा आय कर अधिकारियों को कुछ सुविधाओं के मूल्यांकन के सम्बन्ध में जो आदेश प्राप्त किए हुए हैं वे निम्न वर्णित हैं :—

1. फर्राश, माली, चौकीदार तथा अन्य कोई सेवक : बोर्ड के परिपत्र दिनांक 10 दिसम्बर, 1969 और 19 अक्टूबर, 1973 जिनकी प्रति परिशिष्ट प्रथम पर दी गई है) के अनुसार नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उक्त कर्मचारियों की सेवायें उपलब्ध की जाने पर, इन सुविधाओं का मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जावेगा :

अ. फर्राश (Sweeper) : वास्तव में चुकाई गई मजदूरी का 75% या 60 रु० प्रतिमाह जो भी दोनों में कम हो।

ब. चौकीदार (watchman) : वास्तव में चुकाई गई मजदूरी का 50% या 60 रु० प्रतिमाह जो भी दोनों में कम हो।

स्पष्टीकरण :—यदि फर्राश एवं चौकीदार की नियुक्ति कर्मचारी द्वारा की गई है तो नियोक्ता द्वारा चुकाई गई सम्पूर्ण राशि को अनुलाभ का मूल्य माना जायेगा।

स. माली (Gardner a) : यदि माली की नियुक्ति कर्मचारी द्वारा की गई है तथा उसका वेतन नियोक्ता चुकाता है तो माली का वेतन सभी कर्मचारियों के लिये करयोग्य होगा।

b) यदि माली की नियुक्ति नियोक्ता ने की है और उसकी सुविधायें कर्मचारी को प्रदान की गई हैं तो ऐसी सुविधा का मूल्य माली की वास्तविक मजदूरी का 50% अथवा 60 रु० प्रतिमाह जो दोनों में से कम हो, होगा।

टिप्पणी :—यदि मकान नियोक्ता का हो जो कि कर्मचारी को रहने के लिए दिया गया है उसके साथ माली की सुविधा भी प्रदान की गई है तो माली की सुविधा करयोग्य अनुलाभ नहीं होगा क्योंकि मकान में कर्मचारी के नहीं रहने पर बगीचे की देख भाल के लिए नियोक्ता को यह व्यय करना पड़ता है, नियोक्ता द्वारा माली को चुकाया गया वेतन किराये से मुक्त मकान की सुविधा का मूल्यांकन करते समय मकान के उचित किराये में जोड़ दिया जायेगा।

द. अन्य कर्मचारी (Other Servant) : a फर्राश, माली एवं चौकीदार के अलावा अन्य किसी कर्मचारी जैसे रसोईया, घरेलू नौकर की सुविधा प्रदान की गई है तो ऐसी सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा इनको वास्तव में भुगतान की गई राशि के बराबर होगा।

b) **रेफ्रिजरेटर, हीटर, बॉयलर आदि की सुविधा :** यदि नियोक्ता ने कर्मचारी को रहने के लिए निःशुल्क निवास की सुविधा नहीं दी हो लेकिन रेफ्रिजरेटर, हीटर बॉयलर आदि की सुविधा निजी उपयोग के लिये दी हो इनकी मूल लागत का 10% प्रतिवर्ष की दर से ज्ञात राशि इस अनुलाभ का मूल्य मानी जावेगी। नियोक्ता द्वारा इनकी मरम्मत पर कोई राशि व्यय करने पर, ऐसी राशि सुविधा के मूल्य में नहीं जोड़ी जावेगी।

यदि नियोक्ता इन वस्तुओं को कर्मचारी को उपहार स्वरूप या रियायती मूल्य पर दे देता है तो इन वस्तुओं के बाजार मूल्य एवं नियोक्ता द्वारा कर्मचारी से वसूल की गई राशि का अन्तर अनुलाभ का मूल्य माना जावेगा। यदि फर्नीचर आदि किराये पर लेकर कर्मचारी को दिये गये हैं तो सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा चुकाये गए किराये के बराबर होगा।

c) **अवकाश गृहों की सुविधा :** यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के उपयोग हेतु अवकाश गृह रखे गये हैं तो कर्मचारियों के वहाँ रहने की सुविधा के सम्बन्ध में नियोक्ता द्वारा वहन किये गये वास्तविक व्यय अनुलाभ का मूल्य माना जावेगा।

d) **रियाती दरों पर अंशों का निर्गमन :** यदि नियोक्ता ने कर्मचारी को अंशों के प्रचलित बाजार मूल्य पर अंशों का निर्गमन किया है तो निर्गमन की तिथि को अंशों का बाजार मूल्य एवं निर्गमन मूल्य का अन्तर इस अनुलाभ का मूल्य माना जावेगा।

e) **अन्य सुविधायें :** उपर्युक्त वर्णित लाभों के अतिरिक्त अन्य सभी लाभ अनुलाभ

की श्रेणी में आने पर उसका मूल्यांकन आयकर अधिकारी की सम्पत्ति में जो उचित होगा, वह लिया जावेगा।

उदाहरण (Illustration) 6 : अलवर में अरावली कम्पनी के प्रबन्धक पद पर श्री किशनचन्द नियुक्त है। उन्हें प्रतिमाह 3,000 रु० मूल वेतन, 300 रु० मनोरंजन भत्ता और 800 रु० मंहगाई भत्ता मिलता है।

i. उनका स्वयं का रहने का मकान है परन्तु उन्हें निम्न सुविधायें कम्पनी की ओर से प्राप्त हैं :—

क. एक माली एक फर्राश, एक चौकीदार तथा एक घरेलू सेवक, प्रत्येक को 100 रु० प्रतिमाह दिया जाता है।

ख. एक रेफ्रीजरेटर, जिसकी लागत 4,000 रु० है, का निःशुल्क उपयोग व कम्पनी ने गतवर्ष में 400 रु० इसकी मरम्मत पर व्यय किए।

ii. उनके निम्न दायित्वों का भुगतान कम्पनी द्वारा किया गया :

क. 2,000 रु० के गैस, बिजली एवं पानी के बिल।

ख. 1,500 रु० का रोटेरी क्लब का वार्षिक सदस्यता शुल्क।

iii. कम्पनी की ओर से 18 हॉर्स पावर की एक मोटर कार की सुविधा प्रदान की गई है। कार निजी उपयोग में की जाती है और चालक के वेतन सहित सम्पूर्ण व्यय कम्पनी द्वारा वहन किए जाते है।

iv. कम्पनी द्वारा चलाये गए स्कूल में उनका पुत्र शिक्षा प्राप्त कर रहा है। कम्पनी ने प्रति छात्र 4,000 रु० वार्षिक व्यय किया। अलवर में स्थित इसी प्रकार के अन्य स्कूल में यदि उसे शिक्षा करने भेजा जाता तो वार्षिक व्यय 1,500 रु० होता।

v. कम्पनी ने उन्हें 200 अंश 200 रु० प्रति अंश के हिसाब से दिये जबकि उस दिन अंशों का बाजार मूल्य 220 रु० प्रति अंश था।

vi. उन्हें पोद्दार प्रबन्ध संस्थान जयपुर में 10 दिन के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए भेजा गया जिसकी शुल्क की राशि 3,000 रु० कम्पनी ने दी।

vii. वे एक माह की छुट्टी पर माउन्ट आबू गये जहाँ वे कम्पनी के अवकाश गृह में ठहरे। उनके ठहरने व भोजन का 1,500 रु० का व्यय कम्पनी द्वारा वहन किया गया।

कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए उनकी वेतन शीर्षक की सकल आय की गणना कीजिए।

Shri Kishan Chand is the Manager of Aravali Company in Alwar. He receives every month Rs. 3,000 as basic pay, Rs. 300 as entertainment allowance and Rs. 800 dearness allowance.

i. He owns his house but the company has provided him the following amenities :
   a) a gardener, a sweeper, a watchman and a domestic servant each of whom are paid Rs. 100 per month.
   b) free use of the refrigerator costing Rs. 4,000. The company incurred Rs. 400 on its repairs during the previous.

ii. His following obligations were paid by the Company :
   a) Gas, electricity and water bills amounting to Rs.2,000
   b) Annual membership fee fo Rotary club Rs. 1,500

iii. The company has provided the facility of a 18 h.p. car. The car is used for private purposes also and all expenses including the driver's salary are born by the company.

iv. His son is studying in a school run by the company. The annual expenses incurred by the company per student is Rs. 4,000. Had he been sent for education to a similar school in Alwar, a sum of Rs. 1,500 would have been payable during the year.

v. The company alloted him 200 shares at Rs. 200 each, whereas the market value per shares on that days was Rs. 220.

vi. He was sent to attend a training course at the Poddar Institute of Management, Jaipur for 10 days; the fee of Rs. 3,000 was paid by the company.

vii. He proceeded on one month's leave to mount Abu where he stayed in the Holiday Home maintained by the company. The expeness of his boarding and lodging amounting to Rs. 1,500 were born by the company.

Compute his Gross Income under the head 'Salaries' for the assessment year 1986-87.

हल (Solution) : **Statement of Gross Income from Salaries of Shri Kishan Chand for the Assessment Year 1986-87**

	Rs.
Basic Pay	36,000
Entertainment Allowance	3,600
Dearness Allowance	9,600
Velue of amenities provided by the employer :	
Car	6,600
Gardener	600
Watchman	600
Sweeper	720
Domestic Servent	1,200
Refrigerator	400
Son's Education	1,500
Holiday Home	1,500
Concession given in shares	4,000
Payment of employee's obligations :	
Gas, electricity and water bills	2,000
Membership free of Rotary club	1,500
Gross Income from Salaries	69,820

टिप्पणी : 1. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुल्क की सुविधा करमुक्त है।

2. अन्य शिक्षा संस्था में शिक्षा दिलाने पर 1,500 रु० ही व्यय करने पड़ते, अतः 1,500 रु० सम्मिलित किये गये हैं।

3. रेफ्रीजरेटर की लागत मूल्य का 10% सम्मिलित किया गया है। मरम्मत व्यय 400 रु० सुविधा के मूल्य में नहीं जोड़े जाते।

4. कार की सुविधा का मूल्य ड्राइवर सहित 550 रु० प्रतिमाह लिया गया है।

C. करमुक्त अथवा आंशिक रूप से कर मुक्त अनुलाभ

1. चिकित्सा सुविधायें (Medical facilities) : कर्मचारी तथा उसके परिवार के सदस्यों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाने पर :—

क. यदि नियोक्ता द्वारा संचालित अस्पताल अथवा डिस्पेंसरी में इलाज किया जाता है तथा दवायें मुफ्त दी जाती हैं तो कर मुक्त होती हैं।

ख. यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा पर कोई राशि व्यय की जाती है अथवा कर्मचारी द्वारा व्यय की गई राशि के बिलों का पुनर्भरण नियोक्ता द्वारा किया जाता है, तो ऐसी राशि किसी वित्तीय वर्ष में 5,000 रु० तक कर मुक्त होगी तथा आधिक्य कर-योग्य होगा। [Circular No. 376 dated 6-1-84]

2. नाश्ते की सुविधा (Refreshment facilities) : नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कार्य के घंटों में नाश्ते की सुविधा प्रदान करने पर व्यय की गई राशि पूर्णतया करमुक्त होगी किन्तु भोजन की सुविधा करमुक्त नहीं होगी।

3. टेलीफोन की सुविधा (Telephone facilities) : यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के निवास पर टेलीफोन की सुविधा प्रदान की है तो यह सुविधा करमुक्त होगी चाहे टेलीफोन का प्रयोग कर्मचारी द्वारा निजी प्रयोग के लिए भी किया जाय।

4. मनोरंजन सुविधाएँ (Recreation facilities) : नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को प्रदान की गई मनोरंजन सुविधायें करमुक्त अनुलाभ होंगी।

5 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (Refresher cources) : नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के प्रशिक्षण, ट्रेनिंग आदि के संबन्ध में कोई फीस चुकाई जाती है या अन्य व्यय वहन किया जाता है तो यह सुविधा करमुक्त होगी।

6. विदेश में सेवा के लिए भत्ता या अनुलाभ : भारत सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार द्वारा भारत के किसी नागरिक को विदेश में सेवा करने के लिए यदि कोई भत्ता अथवा अनुलाभ दिया जाता है तो वे पूर्णतया करमुक्त होते हैं।

गैर सरकारी कर्मचारियों को कर-मुक्ति का लाभ प्राप्त नहीं होता और न ही ऐसे कर्मचारी को प्राप्त होता है जो भारत का नागरिक नहीं है।

7. यातायात की सुविधा (Transport facility) : यदि कोई नियोक्ता यातायात व्यवसाय (माल अथवा यात्रियों को लाने ले जाने के कार्य) में लगा है के द्वारा मुफ्त या रियायती दरों पर अपने कर्मचारियों को यातायात की सुविधा सभी कर्मचारियों के लिये कर मुक्त होगी।

जैसे रेल विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान की गई विशेष पास या टिकट की सुविधा, राजस्थान परिवहन निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा कर मुक्त होगी।

8. सेना के सदस्यों को मिली निःशुल्क राशन की सुविधा-सेना के सदस्यों को दी गई राशन की सुविधा कर मुक्त होती है।

9. हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जजों को किराये से मुक्त मकान की सुविधा कर मुक्त होती है।

भत्ते (Allowances)

कर्मचारियों को अपने नियोक्ता से वेतन के अतिरिक्त कई प्रकार के भत्ते (Allowances) भी दिये जाते हैं। वेतन शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना के लिये इन्हें तीन भागों में बाँटा जा सकता है :

A. पूर्णतया कर मुक्त भत्ते, B. अंशतः कर मुक्त भत्ते,
C. पूर्णतया करयोग्य भत्ते।

A. पूर्णतया कर मुक्त भत्ते (Fully Exempted Allowances)

1. कर्त्तव्य पूर्ति में किये जाने वाले व्ययों की पूर्ति के लिये भत्ता : यह भत्ता कर्मचारी को अपने पद सम्बन्धी कर्तव्य पालन के सन्दर्भ में यात्रा करने के लिये दिया जाता है तथा प्रायः यह माना जाता है कि भत्ते की राशि यात्रा करने में व्यय कर दी गई है। अतः इसे कुल आय में नहीं जोड़ते। कभी-कभी कर्मचारी द्वारा यदि कोई राशि बचा भी ली जाती है तो बची हुई राशि वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित की जानी चाहिये। उदाहरण के लिये यदि एक कर्मचारी को अलीगढ़ से लखनऊ जाने के लिये 300 रु० यात्रा भत्ता दिया जावे और कर्मचारी द्वारा यात्रा पर 260 रु० ही व्यय किये जाते हैं तो आय-कर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार 260 रु० कर-मुक्त होंगे और शेष 40 रु० वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित किये जायेंगे।

2. सवारी भत्ता : यह भत्ता कर्मचारी को अपने पद के कर्तव्य पालन हेतु करने के लिए दिया जाता है। यदि यह भत्ता पूर्ण व्यय कर दिया जाता है तो पूर्णतया करमुक्त होता है। यदि इस भत्ते में से कोई बचत की जाती है तो वह कर-योग्य होता है। सूचना के अभाव में यह माना जाता है कि सम्पूर्ण भत्ते की राशि व्यय कर दी गई है, अतः इसे वेतन में सम्मिलित नहीं किया जाता।

3. विदेश में सेवा के लिये भत्ता : भारत सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार द्वारा भारत के किसी नागरिक को विदेश में सेवा करने के लिये यदि कोई भत्ता अथवा अनुलाभ दिया जाता है तो वे पूर्णतया करमुक्त होते हैं।

गैर सरकारी कर्मचारियों को कर-मुक्ति का लाभ प्राप्त नहीं होता।

8. अंशतः करमुक्त भत्ते (Partly Exempted Allowances)

1. मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance)—यह भत्ता नियोक्ता द्वारा मकानों के किराये के लिये सहायता के रूप में दिया जाता है। भत्ते की रकम कर-मुक्त सीमा तक 'वेतन के स्थान पर लाभ' के अन्तर्गत नहीं आती। आयकर नियम संख्या 2-अ के अनुसार निम्न में से न्यूनतम राशि कर-मुक्त होती हैं।

अ. मकान किराया भत्ते की वास्तविक राशि जो सम्बन्धित अवधि के लिये कर-दाता को प्राप्त हुई :

ब. कर्मचारियों द्वारा अपने निवास स्थान के लिये वेतन के 10% से अधिक चुकाया गया किराया अर्थात् देय किराये का वेतन के 10% पर आधिक्य; (Actual Rent paid—10% of salary)

स. i. कर्मचारी का निवास स्थान यदि निम्नलिखित में से किसी भी शहर में स्थित है तो वेतन का 20% :

आगरा, अहमदाबाद, अमृतसर, इलाहाबाद, बेंगलौर, भोपाल, कलकत्ता, कोयम्बटूर, दिल्ली, फरीदाबाद, ग्वालियर, (लश्कर), हैदराबाद, इन्दौर, जबलपुर, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, लुधियाना शहर, मदुराई, नागपुर, पटना, पूना, श्रीनगर, सूरत, बड़ौदा, वाराणसी अथवा इनके नगरीय समूह में स्थित हैं या (urban agglomeration) : बम्बई, कालीकट, कोचीन, गाजियायाद, हुबली-धारबाड़, मद्रास, शोलापुर, त्रिवेन्द्रम व विशाखापटनम।

ii. निवास स्थान के किसी अन्य नगर में स्थित होने पर वेतन का 10% अथवा

द. 400 रु० मासिक,

जो भी इन सबमें सबसे कम हो, वही किराये भत्ते की करमुक्त सीमा होती है। प्राप्त भत्ते में से करमुक्त राशि घटाकर जो शेष बचता है, वेतन में जोड़ा जाता है। एक ऐसे कर्मचारी की दशा में, जो अपने निजी मकान में रह रहा है तथा वास्तव में किसी को किराया नहीं देता, इस भत्ते की कोई राशि करमुक्त नहीं होगी। मकान उसके अपने नाम में, पत्नी व बच्चों आदि के स्वामित्व में भी हो सकता है।

टिप्पणी—1. मकान किराये भत्ते की करमुक्त सीमा की गणना करते समय 'वेतन' से तात्पर्य मूल वेतन (Basic salary) से है इसके अतिरिक्त मँहगाई भत्ता मूल वेतन में तभी सम्मिलित किया जा सकता है जबकि सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए भी उसे वेतन में जोड़ा जाता हो। अन्य कोई भत्ता एवं अनुलाभ सम्मिलित नहीं होता।

2. नगरीय समूह से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता देने के उद्देश्य से समय-समय पर आदेशों के अनुसार मान लिया गया हो।

3. हाइकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जजों को प्राप्त मकान किराया भत्ता करमुक्त होगा।

उदाहरण (Illustration) 7 : निम्नलिखित करदाताओं के सम्बन्ध में कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 से सम्वन्धित वेतन शीर्षक की सकल आय की गणना कीजिए—

	करदाता						
आय का विवरण	A	B	C	D	E	F	G
वेतन	15,000	20,000	10,000	25,000	7,000	18,000	25000
मँहगाई भत्ता	3,000	4,000	4,000	5,000	1,400	3,600	5,000
बोनस	5,000	—	5,000	8,000	—	—	10,000
मकान किराया भत्ता	2,250	3,000	1,500	3,750	1,050	2,700	3,000
वास्तविक चुकाया गया किराया	4,500	4,000	2,500	6,000	1,050	3,600	2,500
स्थान	कानपुर	मेरठ	पूना	दिल्ली	वेलगाम	वर्धा	हिसार

D एक ऐसा करदाता है जिसके वेतन प्राविडेण्ट फण्ड आदि के लिए मंहगाई भत्ता सम्मिलित किया जाता है।

Compute Gross Income from salaries in respect of the following. 7 assessee for the assessment year 1986-87 Particulars of income. Name of the assessees

	A	B	C	D	E	F	G
Salary	15,000	20,000	10,000	25,000	7.000	18,000	25,000
D.A.	3,000	4,000	4,000	5,000	1,400	3,600	5,000
Bonus	5,000	—	5,000	8,000	—	—	10,000
House rent allowance	2,250	3,000	1,500	3,750	1,050	2,700	3,000
Actual rent paid	4.500	4,000	2,500	6,000	1,050	3,600	2,500
Place of service	Kanpur	Meerut	Poona	Delhi	Belgaum	Wardha	Hissar

Note : D is the only assessee whose salary includes dearness allowance for purposes of provident fund contribution.

हल (Solution):

Computation of Salary for the A. Y. 1986-87

	Rs.	Rs.
A. Salary		15,000
Dearness Allowance		3,000
Bonus		5,000
House rent allowance	2,550	
Less : Exempted	2,250	—
Gross Income from Salaries		23,000

*कटौती योग्य राशि की गणना निम्न प्रकार की गई है :

a)	Rs. 400 per month	4,800
b)	20% of salary (Kanpur)	3,000
c)	Excess of actual rent over 10% of Salary (4,500—1,500)	3,000
d)	Actual house rent allowance received	2,250

चूंकि सबसे कम राशि 2,250 रु० है, अतः कर-मुक्त राशि 2,250 रु० है।

B.	Salary		20,000
	Dearness Allowance		4,000
	House rent allowance	3,000	
	Less : Exempted*	2,000	1,000
	Gross Income from Salaries		25,000

*कटौती योग्य राशि की गणना निम्न प्रकार की गई है :—

a)	Rs. 400 per month	4,800
b)	10% of salary (Meerut)	2,000
c)	Excess of actual rent over 10% of salary (4,000—2,000)	2,000
d)	Actual house rent allowance	3,000

चूंकि उक्त चारों में न्यूनतम राशि 2,000 रु० है, अतः 2,000 रु० कर-मुक्त होगें।

C.	Salary		10,000
	Dearness allowance		4,000
	Bonus		5,000
	House rent allowance	1,500	
	Less : Exempted*	1,500	—
	Gross Income from Salaries		19,000

*कटौती योग्य राशि की गणना निम्न प्रकार की गई है :

a)	Rs. 400 per month	4,800
b)	20% of salary (Poona)	2,000
c)	Excess of actual rent over 10% of salary (2,500—1,000)	1,500
d)	Actual house rent allowance	1,500

चूंकि उक्त चारों में न्यूनतम राशि 1,500 रु० है, अतः 1,500 रु० कर-मुक्त होंगे।

D.	Salary		25,000
	Dearness allowance		5,000
	Bonus		8,000
	House rent allowance	3,750	
	Less : Exempted*	3,000	750
	Gross Income from Salaries		38,750

*कटौती योग्य राशि की गणना निम्न प्रकार की गई है :

a)	Rs. 400 per month	4,800
b)	20% of salary including D. A. i e. (25,000—5,000) (Delhi)	6,000
c)	Excess of actual rent over 10% of salary (6,000—3,000)	3,000
d)	Actual house rent allowance	3,750

चूंकि उक्त चारों में न्यूनतम राशि 3,000 रु० है, अतः 3,000 रु० कर-मुक्त होंगे।

E. Salary		7,000
Dearness allowance		1,400
House rent allowance	1,050	
Less : Exempted*	350	700
Gross Income from Salaries		9,100

*कटौती योग्य राशि की गणना निम्न प्रकार की गई है :

a) Rs. 400 per month	4,800
b) 10% of salary (Belgaum)	700
c) Excess of actual rent over 10% of salary (1,050—700)	350
d) Actual Allowance	1,050

चूंकि उक्त चारों में न्यूनतम राशि 350 रु० है, अतः 350 रु० कर-मुक्त होंगे।

F. Salary		18,000
Dearness Allowance		3,600
House rent allowance	2,700	
Less :Exempted	1,800	900
Gross Income from Salaries		22,500

कटौती योग्य राशि की गणना निम्न प्रकार की गई है।

a) Rs. 400 per month	4,800
b) 10% of salary (Wardha)	1,800
c) Excess of actual rent over 10% of salary (3,600—1,800)	1,800
d) Actual allowance	2,700

चूंकि उक्त चारों में न्यूनतम राशि 1,800 रु० है, अतः 1,800 रु० कर-मुक्त होंगे।

G. Salary		25,000
Dearness Allowance		5,000
Bonus		10,000
House rent allowance	3,000	3,000
Less : Exempted	nil	
Gross Income from Salaries		43,000

*कटौती योग्य राशि की गणना निम्न प्रकार की गई है।

a) Rs. 400 per month	4,800
b) 10% of salary (Hissar)	2,500
c) Excess of actual rent over 10% of salary (2,500—2,500)	nil
d) Actual house rent allowance	3,000
	10,300

चूंकि उक्त चारों में न्यूनतम शून्य है, अतः कोई राशि कटौती योग्य नहीं होगी।

3. मनोरंजन भत्ता (Entertainment Allowance) : यह भत्ता नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को ग्राहकों के मनोरंजन के लिए प्राप्त होता है। कर्मचारी को प्राप्त मनोरंजन भत्ता वेतन शीर्षक से आय की गणना करते समय सकल वेतन में सम्मिलित किया जायेगा इसके पश्चात धारा 16(ii) में वर्णित शर्तों के अन्तर्गत कटौती दी जायेगी जिसके बारे में विस्तृत वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया है।

C. पूर्णतया करयोग्य भत्ते (Fully Taxable Allowance) : उपर्युक्त करमुक्त अथवा आंशिक करमुक्त भत्तों के अलावा अन्य सभी भत्ते करयोग्य होंगे एवं वेतन शीर्षक

की आय की गणना करते समय वेतन में जोड़े जायेंगे, जैसे मंहगाई भत्ता, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता, शिक्षा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, वार्डन भत्ता, नौकर भत्ता, प्रोजेक्ट भत्ता, प्रतिनियुक्त भत्ता आदि।

अर्जित अवकाश वेतन (Leave Encashment)

1. **सेवा में रहते हुए :**—किसी भी कर्मचारी को चाहे वह सरकारी है अथवा गैर-सरकारी, यदि उसके द्वारा न लिए गए अर्जित अवकाश का भुगतान अपने नियोक्ता से सेवा में रहते हुए प्राप्त होता है तो पूरी राशि वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित की जाती है अर्थात् कर-योग्य होती है।

2. **सेवा निवृत होने के बाद :—**

i. **सरकारी कर्मचारी की दशा में :**—केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति के समय सेवा की अवधि से न लिये गये अवकाश (जो उसके खाते में जमा है) के सम्वन्ध में मिलने वाली नकद राशि पूर्णतः कर-मुक्त होती हैं।

ii. **गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में :**—एक गैर-सरकारी कर्मचारी की दशा में सेवा-निवृत्ति के अवसर पर उसके द्वारा सेवा अवधि में न लिए गए अर्जित अवकाश (जो उसके खाते में जमा है) के सम्बन्ध में निम्न प्रावधान हैं :—

निम्न राशियों में से न्यूनतम राशि ही कर-मुक्त होगी :—

a) अर्जित अर्थात् जमा अवकाश के वदले में नियोक्ता से प्राप्त वास्तविक राशि;
b) सेवा अवधि में न लिए गए अर्जित अवकाश;
c) 6 माह का 'औसत 'वेतन' के आधार पर ज्ञात राशि,
d) अधिकतम 30,000 रु०।

मान्य अवधि से तात्पर्य :—नियोक्ता के यहाँ प्रचलित सेवा नियमों के अनुसार कर्मचारी वास्तविक सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिन से अधिक अर्जित अवकाश के लिए अधिकारी हैं तो इस उद्देश्य के लिए उसे प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 30 दिन के अर्जित अवकाश का अधिकारी माना जायेगा। उदाहरणार्थ यदि कर्मचारी ने 14 वर्ष सेवा की है, और नियोक्ता के यहाँ लागू सेवा नियमों के अनुसार वह 21 माह के अर्जित अवकाश का अधिकारी है तो ऐसी स्थिति में केवल 14 माह की अवधि ही उसके लिए मान्य अवधि होगी।

औसत वेतन से तात्पर्य :— अवकाश वेतन की कर-मुक्त राशि की गणना करने के लिए 'औसत वेतन का आशय सेवा-निवृत्ति अथवा मृत्यु के ठीक पूर्व के 10 माह के वेतन के औसत से होता है। इस हेतु मूल वेतन में मंहगाई भत्ता सम्मिलित होगा, यदि सेवा निवृत्ति लाभों की गणना करने के लिए मंहगाई भत्ता वेतन का भाग माना जाता है लेकिन अन्य कोई भत्ता या अनुलाभ सम्मिलित नही होगा।

स्पष्टीकरण : 1. यदि कर्मचारी को एक ही गत वर्ष में एक से अधिक नियोक्ताओं से अर्जित अवकाश वेतन की राशि प्राप्त होती है तो कुल मिलाकर 30,000 रु० तक की राशि ही कर-मुक्त होगी।

2. यदि कर्मचारी को पूर्व वर्षों में अन्य नियोक्ताओं से कोई अर्जित अवकाश वेतन की राशि प्राप्त हुई हो तो पहले कर-मुक्त राशि को सम्मिलित करते हुए अर्जित अवकाश वेतन की कर-मुक्त राशि 30,000 रु० से अधिक नहीं होगी।

[धारा 10 वाक्यांश (10एए)]

उदाहरण (Illustration) 8 : श्री गंगाधर गोस्वामी मैं. रामधन एण्ड सन्स में कार्यरत थे तथा 1 दिसम्बर 1985 को सेवा-निवृत होते है। सेवा निवृत्ति के समय उन्हें उनकी जमा छुट्टियों के बदले 38,500 रु० प्राप्त होते है उनका वेतनमान 1 अगस्त 1983 से 2,500-200-5,000 रु० था तथा उन्हें 600 रु० प्रतिमाह मंहगाई भत्ता भी मिल रहा था जिसका आधा भाग निवृत्ति लाभों की गणना हेतु वेतन माना जाता है। सेवा निवृत्ति के समय उनका कुल जमा अवकाश 7 माह का था। नियोक्ता द्वारा उन्हें 1 वर्ष की सेवा के वदले एक माह का अवकाश दिया जाता है।

श्रीगंगाधर की वेतन शीर्षक की सकल आय ज्ञात कीजिए।

Shri Gangadhar was working in M/s Ram Dhan & Sons and was retired on 1 Dec. 1985. At the time of retirement he was paid Rs. 38,500 as cash equivalent of earned leave to his credit. He was in the pay scale of Rs. 2,500-200-5,000 since 1st Aug. 1983; he had been getting D.A. at Rs. 600 p.m. of which one half is treated as salary for computation of retirement benefits. The earned leave to his credit at the time of retirement was 7 months. The employer allows earned leave @ 1 month for each year of service.

Compute the Gross Income from Salary os Shri Gangadhar.

हल (Solution) :

Statement of Gross Income from Salary of Shri Gangadhar for the A. Y. 1986-87

		Rs.	Rs.
Basic pay	4×2,700 p.m.	10,800	
	4×2,900 p.m.	11,600	22,400
D. A.	8×600		4,800
Earned leave encashment		38.500	
Less : exempt		18,480	·20,020
Gross Salary			47.220

टिप्पणी (Notes) : 1. सेवा-निवृत्ति के पूर्व के 10 माह का औसत वेतन :

	रु०
1 अगस्त 1985 से नवम्बर 1985 तक (4 माह) मूल वेतन 2,900 रु० प्रतिमास =	11,600
1 फरवरी 1985 से जुलाई 1985 तक (6 माह) मूल वेतन 2,700 रु० प्रति माह =	16,200
10 माह का कुल मूल वेतन	27,800
10 माह के मंहगाई भत्ते का आधा भाग अर्थात् 10 × 300 =	3,000
10 माह का कुल वेतन	30,800
औसत वेतन	3,080

2. अर्जित अवकाश की करमुक्त राशि :

a) प्राप्त अवकाश वेतन 38,500 रु०,

b) अर्जित अवकाश की मान्य अवधि 7 माह के लिए औसत वेतन की दर से राशि 7 × 3,080 रु० = 21,560

c) 6 माह की अवधि का औसत दर से वेतन 6 × 3,080 = 18,480

d) अधिकतम राशि 30,000 रु०।

उपर्युक्त में से जो कम हो। चूंकि सबसे कम राशि 18,480 रु० है, अतः 18,480 रु० कर-मुक्त होगी।

वेतन के स्थान पर लाभ
(Profits in lieu of Salary)

निम्नलिखित को वेतन के स्थान पर लाभ माना जाता है तथा इन्हें कर्मचारी की 'वेतन' शीर्षक की आय में सम्मिलित किया जाता है :—

1. क्षतिपूर्ति (Compensation) : i. सेवा से हटाये जाने पर अथवा सेवा अनुबन्ध (Service agreement) में कोई परिवर्तन करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की रकम, जो उसे अपने वर्तमान नियोक्ता अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से मिलती है, करयोग्य होती है। यह राशि नियोक्ता द्वारा स्वेच्छा से दिये जाने पर तथा पूंजीगत होते हुए भी कर-योग्य होती है।

(ii) औद्योगिक विवाद अधिनियम (Industrial disputes act) 1947, किसी अन्य अधिनियम, नियम, आदेश, विज्ञप्ति, (Notification) पंचाट (Award) अथवा सेवा शर्तों में परिवर्तन करने के कारण प्राप्त क्षतिपूर्ति निम्नलिखित में से न्यूनतम राशि के बराबर करमुक्त होती है तथा शेष करयोग्य होती है :

अ. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25F(b) के अन्तर्गत मिली राशि, अथवा

ब. 50,000 रु०, जो भी इन दोनों में कम हो। (यदि केन्द्रीय सरकार से अनुमोदित किसी योजना के अन्तर्गत कोई क्षतिपूर्ति दी जारही है, तो उसके सम्बन्ध में कोई सीमा (limit) नहीं होगी) किसी औद्योगिक संस्थान के बन्द होने पर मिला हर्जाना भी इस धारा के अन्तर्गत उल्लखित छँटनी (Retrenchment) क्षतिपूर्ति में शामिल किया जाता है। [10 (10B)]

स्पष्टीकरण : 1. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 एफ के वाक्यांश (B) के अनुसार लगातार सेवा अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये 15 दिन का औसत वेतन देय होता है।

2. सेवा के वर्षों की गणना करने के लिए 6 माह से अधिक अवधि को एक वर्ष माना जाता है।

3. औसत वेतन की राशि की गणना अंतिम तीन कलैण्डर माह के वेतन के आधार पर की जाती हैं। तीन कलैण्डर माह से तात्पर्य सेवा से हटने के दिन के ठीक पूर्व समाप्त होने वाले 3 माह अर्थात् 90 दिन की अवधि से है।

4. वेतन से तात्पर्य बोनस, ग्रेच्युटी एवं कर्मचारी के कल्याण हेतु किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित निधि में नियोक्ता के अंशदान को छोड़कर समस्त राशियों से है जिन्हें मुद्रा में वर्णित किया जा सके। अर्थात् इस उद्देश्य के लिए वेतन में मंहगाई भत्ता, कमीशन, मकान की सुविधा, बिजली पानी की सुविधा आदि से जिन्हें मुद्रा में वर्णित किया जा सके।

निम्नलिखित व्यक्तियों को श्रमिक नहीं माना जाता है अतः इन्हें प्राप्त क्षतिपूर्ति करमुक्त नहीं होगी :

(i) ऐसे कर्मचारी जो मुख्यतः संचालक, प्रबन्धक या प्रशासक के रूप में नियुक्त हों

अथवा (ii) जो अधीक्षक के रूप में नियुक्त हो उस अधीक्षक का वेतन 1,600 रु० प्रति माह से अधिक हो या वह अधीक्षक प्रवन्धक के कार्य सम्पादित कर रहा हो।

2. यात्रा सहायता (Travel Assitance) :

अ. यदि कर्मचारी भारत का नागरिक हो : यदि किसी कर्मचारी को जो भारतीय नागरिक हो, को अपने नियोक्ता से छुट्टियां व्यतीत करने अथवा सेवा निवृति अथवा सेवा की समाप्ति पर, स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों के साथ अपने गृह जिले (Home District) में जाने के सम्बन्ध में प्राप्त यात्रा सहायता राशि कर मुक्त होगी।

यदि कर्मचारी अपने गृह जिले के अतिरिक्त भारत में अन्य किसी स्थान पर जाता है और नियोक्ता से यात्रा सहायता प्राप्त होती है तो इस सम्बन्ध में वह राशि कर मुक्त होगी जो कि कर्मचारी के एवं परिवार के सदस्यों के लिये नौकरी के स्थान से उसके गृह जिले तक जाने के सम्बन्ध में प्राप्त होती तथा शेष राशि करयोग्य होगी।

1974 कलैन्डर वर्ष से प्रारम्भ हुई प्रति 4 वर्ष की अवधि (1974 से 1977, 1978 से 1981, 1982 से 85, 1986 से 89) में प्रथम बार अवकाश व्यतीत करने जाने पर प्राप्त पूरी राशि कर मुक्त मानी जायेगी। यदि किसी 4 वर्ष की अवधि में कर्मचारी यात्रा सहायता प्राप्त नहीं कर सका है तो अगले 4 वर्षों की अवधि के प्रथम वर्ष में अवकाश में जाने पर यह मान लिया जायेगा कि पूर्व के 4 वर्षों की अवधि में अवकाश व्यतीत करने के लिये गया है तथा इस कर-मुक्ति का लाभ पिछले वर्ष की अवधि में ही माना जायेगा। उदाहरणार्थ कोई कर्मचारी 1978 से 1981 तक के चार वर्षों की अवधि में अवकाश यात्रा सहायता प्राप्त नहीं कर सका हैं और 1982 वर्ष में अवकाश व्यतीत करने जाता है तो यह माना जायेगा कि 1978 से 1981 तक की अवधि में प्रथम बार अवकाश पर गया है इसके अतिरिक्त 1982 से 1985 तक की अवधि के लिये एक बार और यात्रा सहायता प्राप्त की जा सकती है और ऐसी सहायता कर मुक्त होगी।

स्पष्टीकरण :— परिवार का अर्थ करदाता, जीवन साथी, पुत्र-पुत्री एवं करदाता पर आश्रित उसके माता-पिता एवं भाई बहन से है।

ब. यदि कर्मचारी भारत का नागरिक नहीं है :—यदि कर्मचारी भारत का नागरिक नहीं तो उसे प्राप्त यात्रा सहायता की निम्नलिखित राशियाँ कर मुक्त होती :—

a) कर्मचारी को स्वयं, अपने जीवन साथी एवं पुत्र-पुत्रियों की यात्रा के सम्बन्ध में प्राप्त यात्रा सहायता जो उसे अवकाश व्यतीत करने अथवा सेवा निवृत होने पर अथवा सेवा की समाप्ति पर अपने देश में जाने के सम्बन्ध में मिलती, पूर्णतया कर मुक्त होगी।

b) यदि ऐसे कर्मचारी के बच्चे भारत के बाहर किसी शिक्षण संस्था में पूर्णकालिक (full time) शिक्षा पा रहे हो तो उनके छुट्टियों में भारत आने के सम्बन्ध में प्राप्त यात्रा सहायता पूर्णतया कर मुक्त मानी जाती है।

3. नियोक्ता से प्राप्त अन्य राशि : अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से करदाता को प्राप्य अथवा प्राप्त हुई रकम। यदि कर्मचारी को व्यक्तिगत भेंट के रूप में प्राप्त हुई हो जो उसके द्वारा की गई सेवाओं से सम्बन्धित नहीं हो, तो कर-योग्य नहीं होती।

भविष्य निधि (Provident Fund)—कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के बाद की अवधि के लिये आयोजन करने हेतु अधिकांश नियोक्ता भविष्य निधि की व्यवस्था करते

हैं। वेतन का भुगतान करते समय एक निश्चित प्रतिशत उसके वेतन में से काटकर उसके भविष्य निधि खाते में जमा कर देता है। नियोक्ता भी लगभग इतनी हीं या इससे कुछ कम या अधिक राशि अपनी ओर से इस कोष में जमा करा देता है।

सब कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा राशियों का पोस्ट आफिस या बैंक के बचत खाते में या सरकारी प्रतिभूतियों में विनयोजन कर दिया जाता है और वर्ष भर में विनियोजनों पर अर्जित ब्याज को कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में शेषों के अनुपात में जमा कर दिया जाता है। इस प्रकार कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में वर्ष भर जो वृद्धि होती है उसे वार्षिक वृद्धि कहते हैं। कर्मचारी की सेवा निवृत्ति के समय उसके भविष्य निधि खाते में जो राशि जमा होती है, वह उसे दे दी जाती है। यदि कर्मचारी की असामयिक मृत्यु सेवा-निवृत्ति के पहले हो जाती है तो वह राशि कर्मचारी द्वारा नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को मिल जाती है।

कर्मचारियों के हितार्थ रखे गये भविष्य निधि खाते निम्न तीन प्रकार की श्रेणियों में विभाजित किये जाते हैं—

1. वैधानिक 2. प्रमाणित, और 3. अप्रमाणित।

1. वैधानिक भविष्य निधि (Statutory Provident Fund)—भारतीय भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के अन्तर्गत सभी सरकारी कार्यालयों में, स्थानीय सत्ताओं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में तथा विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में कर्मचारियों के हितार्थ वैधानिक भविष्य निधि खाते ही रखे जाते हैं।

2. प्रमाणित भविष्य निधि (Recognised Provident Fund)—यह भविष्य निधि व्यापारिक संस्थाओं, कारखानों, बीमा कम्पनियों तथा बैंक आदि द्वारा रखी जाती है। जब ये संस्थायें इनके नियम, निर्धारित शर्तें पूर्ण करती हैं तो उसके द्वारा रखी गई भविष्य निधि योजना को प्रमाणित करवाने के लिये आवेदन प्राप्त होने पर आय-कर आयुक्त द्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है और इन्हें प्रमाणित भविष्य निधियाँ कहा जाता है। यह निधि भविष्य निधि अधिनियम 1952 से शासित समझी जाती है।

3. अप्रमाणित भविष्य निधि (Unrecognised Provident Fund)—कर्मचारियों के हितार्थ रखी गयी ऐसी भविष्य निधि जो न तो वैधानिक है और न प्रमाणित, तो इसे अप्रमाणित भविष्य निधि कहते हैं।

भविष्य निधि में कर्मचारी का अंशदान—भविष्य निधि में प्रतिवर्ष कर्मचारी के अंशदान काटने से पूर्व जो वेतन की राशि होती है वह उसकी वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित की जाती है, चाहे भविष्य निधि किसी भी प्रकार की हो।

भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान—भविष्य निधि में प्रतिवर्ष नियोक्ता का अंशदान वैधानिक और अप्रमाणित भविष्य निधियों में पूर्णतया कर मुक्त होता है और प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी के वेतन के 10% तक कर मुक्त होता है और आधिक्य को उसकी वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित किया जावेगा।

भविष्य निधि खाते पर ब्याज—भविष्य निधि में प्रतिवर्ष जमा की गई ब्याज की राशि वैधानिक एवं अप्रमाणित भविष्य निधियों में पूर्णतया कर मुक्त होती है और प्रमाणित भविष्य निधि में $10\frac{1}{2}$% प्रतिवर्ष तक का ब्याज कर मुक्त है और आधिक्य को वेतन शीर्षक की आय में जोड़ दिया जाता है।

प्रमाणित भविष्य निधि की दशा में $10\frac{1}{2}\%$ वार्षिक की दर तक का ब्याज करमुक्त होता हैं । प्रश्न में प्राप्त ब्याज की राशि और ब्याज की दर दी हुई हो तो करमुक्त ब्याज की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है।

$$\text{करमुक्त ब्याज} = \frac{\text{प्राप्त ब्याज की राशि}}{\text{ब्याज की दर}} \times 10\frac{1}{2}$$

Total Int × $10\frac{1}{2}$ / Rate of Int

वेतन से आशय : प्राय: भविष्य में निधि खातों में वेतन से तात्पर्य मूल वेतन से ही होता है, लेकिन सेवा की शर्तों में वर्णित होने पर मंहगाई भत्ते को भी इस आय हेतु वेतन में सम्मिलित कर लिया जाता है।

उदाहरण (Illustration) 9—श्री रमेश चन्द्र 2,000 रु० मूल वेतन पाते हैं उन्हें 400 रु० प्रतिमाह मंहगाई भत्ता तथा 3,000 रु० प्रतिवर्ष बोनस भी मिलता है। भविष्य निधि की गणना करने के लिए मंहगाई भत्ते का 3/4 भाग वेतन में सम्मिलित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 1985-86 में उन्होंने भविष्य निधि में अपने वेतन का 12% अंशदान दिया । इस वर्ष उनके नियोक्ता ने भी इतना ही अंशदान दिया इस वर्ष उनके भविष्य निधि खाते में 11% प्रतिवर्ष की दर से 5,500 रु० ब्याज के जमा किए गए हैं।

नियोक्ता ने उनकी जीवन बीमा पालिसी के प्रीमियम के 2,500 रु० चुकाये। उन्हें 6,000 रु० की लागत का एक रेफ्रीजरेटर भी निजी उपयोग हेतु नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया है।

श्री रमेश चन्द्र की कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये वेतन शीर्षक की सकल आय की गणना कीजिए यदि यह भविष्य निधि (i) वैधानिक, (ii) प्रमाणित अथवा (iii) अप्रमाणित हो।

Shri Ramesh Chandra is getting a basic pay of Rs. 2,000 p.m. He gets dearness allowance of Rs. 400 p.m. and bonus Rs 3,000 per annum. Three-fourth of dearness allowance is included in salary for provident fund purposes. During the financial year 1985-86 he contributed 12% towards provident fund. He employer contributed an equal amount. During this year a sum of Rs. 5,500 was credited as interest to the pnovident fund account @ 11%p.a.

The employer paid Rs. 2,500 towards premium on his life insurance policy. He has been provided by the employer a refrigerator costing Rs.6,000 for his private use.

Compute Shri Ramesh Chandra's gross income from salary in each case. if the provident fund is (i) Statutory, (ii) Recognised, and (iii) Unrecognised for the A.Y. 1986-87.

हल (Solution) : **Statement of Gross Income from Salary of Shri Ramesh Chandra for the Assessment Year 1986-87**

	Statutory provident Fund	Recognised Provident Fund	Unrecognised Provident Fund
	Rs.	Rs.	Rs.
1. Basic pay	24,000	24,000	24,000
2. Dearness Allowance	4,800	4,800	4,800
3. Bonus	3,000	3,000	3,000
4. Perquisites :			
Refrigerator	600	600	600
L.I.C. Premium	2,500	2 500	2,500
5. Employer's excess Contribution	—	552	—
6. Excess interest Credited in P.F.	—	250	—
Gross Income	34,900	35 720	34,900

नोट—1. प्रमाणित भविष्य निधि की स्थिति में नियोक्ता का अंशदान मूल वेतन 24,000 रु० + मंहगाई का 3/4 भाग 3,600 = 27,600 का 12% अर्थात् 3,312 रु० है जो कि उनके वेतन के 10% = 2,760 रु० से अधिक है। अतः आधिक्य 552 रु० करयोग्य माना जावेगा।

2. प्रमाणित भविष्य निधि की ही स्थिति में जमा किया गया ब्याज 11% की दर से 5,500 रु० है जो $10\frac{1}{2}$% की दर से $\frac{5,500}{11} \times 10\frac{1}{2} = 5,250$ रु० तक कर-मुक्त है तथा शेष राशि 250 रु० वेतन में जोड़ी जायेगी।

भविष्य निधि से प्राप्त एक मुश्त राशि—कर्मचारी की सेवा निवृत्ति या मृत्यु या नौकरी से हटाये जाने पर उसके भविष्य निधि में उस समय तक विभिन्न वर्षों में कर्मचारी के अंशदान, नियोक्ता के अंशदान, कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज और नियोक्ता के अंशदान पर ब्याज से एकत्रित हुई राशि का भुगतान कर दिया जाता है। एकत्रित हुई राशि से भुगतान की कर योग्यता के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम हैं :—

अ. वैधानिक भविष्य निधि की दशा में प्राप्त एक मुश्त राशि सदैव पूर्णतया कर मुक्त होती है।

ब. प्रमाणित भविष्य निधि की दशा में प्राप्त सम्पूर्ण राशि कर मुक्त होगी बशर्ते कि कर्मचारी ने अपने नियोक्ता के यहाँ नौकरी छोड़ने से पूर्व कम से कम पांच लगातार वर्षों तक सेवायें की हों। यदि कर्मचारी पाँच वर्ष तक लगातार सेवायें इसलिए नहीं कर सका क्योंकि उसे उसकी अव्यस्थता के कारण अथवा नियोक्ता के व्यापार संकुचन के कारण अथवा व्यापार बन्द होने के कारण अथवा किसी ऐसे अन्य कारण से जो उसके नियन्त्रण में न हो, उसकी सेवा समाप्त कर दी गई हो तो भी उसे प्राप्त भविष्य निधि की राशि कर मुक्त होगी। यदि कोई कर्मचारी एक नियोक्ता के यहाँ पाँच वर्ष की अवधि से पहले ही सेवा छोड़कर दूसरे नियोक्ता को सेवायें देने लग जाता है तो पूर्व नियोक्ता के यहाँ प्रमाणित भविष्य निधि खाते में उसके जमा शेष को दूसरे नियोक्ता के यहाँ प्रमाणित भविष्य निधि खाते में हस्तान्तरित करने पर कोई राशि कर योग्य नहीं होगी।

यदि कोई कर्मचारी 5 वर्ष से कम अवधि में अपनी नौकरी स्वेच्छा से छोड़ देता है तो प्रमाणित भविष्य निधि प्राप्त राशि का वह भाग वेतन शीर्षक में करयोग्य होगा जो उसके नियोक्ता के अंशदान एवं उस पर ब्याज की राशि के बराबर है। स्वयं का अंशदान कर मुक्त होगा एवं स्वयं के अंशदान पर ब्याज 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में करयोग्य होगा।

स. अप्रमाणित भविष्य निधि की दशा में प्राप्त एक मुश्त राशि में से कर्मचारी का अंशदान तो कर मुक्त होगा लेकिन नियोक्ता का अंशदान एवं नियोक्ता के अंशदान पर मिला ब्याज वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित किया जावेगा और कर्मचारी के अंशदान पर प्राप्त ब्याज की राशि 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक की आय में सम्मिलित की जावेगी।

हस्तान्तरित शेष (Transferred Balance) : यदि किसी अप्रमाणित भविष्य निधि को आयकर कमिश्नरद्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है तो उस तिथि तक अप्रमाणित

भविष्य निधि में जमा राशि के शेष को प्रमाणित भविष्य निधि में हस्तान्तरित कर दिया जाता है ऐसी हस्तान्तरित की जाने वाली राशि को 'हस्तान्तरित शेष कहते हैं।

हस्तान्तरित शेष का वह भाग करयोग्य होगा जो ऐसी अप्रमाणित भविष्य निधि को प्रारम्भ से ही प्रमाणित माने जाने की दशा में प्रति वर्ष कर योग्य होता । प्रत्येक वर्ष के लिए ऐसी राशियों की गणना करके योग लगाया जायेगा एवं इस प्रकार प्राप्त राशि उस गत वर्ष में वेतन शीर्षक में कर योग्य होगी जिस वर्ष अप्रमाणित भविष्य निधि को प्रमाणित किया गया है और शेष राशि कर मुक्त होती है। इस सम्बन्ध में अन्य कोई छूट या राहत नहीं दी जायेगी।

ऐसी अप्रमाणित भविष्य निधि को प्रारम्भ से ही प्रमाणित माने जाने पर निम्न राशियों का योग करयोग्य होगा।

अ. प्रत्येक वर्ष नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन के 10% से अधिक भविष्य निधि में दिया गया अंशदान

ब. भविष्य निधि में जमा ब्याज की राशि का कर मुक्त ब्याज पर आधिक्य।

उदाहरण (Illustration) 10 : श्री अनिल कुमार एक कम्पनी में प्रबन्धक के रूप में कार्य करते हुए 1,500 रु० प्रतिमाह वेतन पाते थे। 31 दिसम्बर 1986 को उन्हें सेवा निवृत कर दिया गया जिसकी क्षतिपूर्ति के रूप में उन्हें 6,000 रु० दिये गये गतवर्ष में उन्होंने अप्रमाणित भविष्य निधि में वेतन का 15% अंशदान दिया था तथा उनके नियोक्ता ने भी उतना ही अंशदान किया। सेवा-निवृत्ति के दिन इस निधि की एकत्रित राशि 80,000 रु०, भी उन्हें दी गई, जिसमें आधा भाग उनका स्वयं का अंशदान व उस पर ब्याज से सम्बन्धित है। कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए उनकी वेतन शीर्षक की सफल आय की गणना कीजिये।

Shri Anil Kumar working as a manager in a company gets a Salary of Rs. 1,500 per month. He was removed from services as 31 March 1986 and was paid Rs. 6,000 as compensation. He contributed 15% of salary towards unrecoegnised provident fund to which the employer countributes an equal amount. The accumulated balance of Rs. 80,000 in this fund was paid to him. Half of this amount related to this own contribution and interest thereon. Compute his gross income from salary for the assessment year 1986-87.

हल (Solution) : **Statement of Gross Income from Salary of Shri Anil Kumar for the A.Y. 1986-87**

		Rs.
Basic Pay (1,500×12)		18,000
Compensation for less of employment		6,000
Accumulated balance received from		
Unrecognised Provident Fund	80,000	
Less : Exempt under this head	40,000	40,000
Gross Income from Salary		64,000

टिप्पणी : 1. कर्मचारी के अंशदान से एकत्रित राशि तथा उस पर ब्याज इस शीर्षक में कर मुक्त है। कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज की राशि को अन्य साधनों की आय शीर्षक में जोड़ा जायेगा। नियोक्ता का अंशदान एवं उस पर ब्याज 'वेतन' शीर्षक में कर योग्य होगा।

आय० 4/86

अनुमोदित सुपरएनुएशन निधि से प्राप्त भुगतान—कुछ नियोक्ता कर्मचारियों को पेंशन न देकर सुपरएनुएशन निधि की व्यवस्था कर देते हैं। सुपरएनुएशन निधि में प्रतिमाह कर्मचारियों के वेतन में से एक निश्चित राशि काट कर जमा कर दी जाती है और नियोक्ता भी उतनी ही या एक निश्चित अनुपात में राशि जमा कर देता है और इस सम्पूर्ण राशि को विनियोजित कर दिया जाता है और प्राप्त ब्याज भी इस निधि में जमा होता रहता है। भविष्य निधि व सुपरएनुएशन निधि में यही अन्तर है कि भविष्य निधि में प्रत्येक कर्मचारी का अलग-अलग खाता होता है जबकि सुपरएनुएशन निधि में सम्पूर्ण राशि का एक सम्मिलित खाता रखा जाता है। जब कोई कर्मचारी सेवा निवृत्त होता है, उसके बाद से जब तक वह जीवित रहता है इस निधि में से एक निश्चित राशि प्रतिमाह प्राप्त करता रहता है। यह प्राप्त राशि कर्मचारी के वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित की जावेगी।

यदि किसी सुपरएनुएशन निधि के नियम आयकर अधिनियम एवं आयकर नियमों द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं तो आयकर आयुक्त को आवेदन देकर उसका अनुमोदन कराया जा सकता है। यदि आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है तो उस निधि को अनुमोदित सुपरएनुशशन निधि कहते हैं। अनुमोदित सुपरएनुएशन निधि में से प्राप्त निम्न राशियाँ कर मुक्त होती हैं।

a) कर्मचारी की मृत्यु होने पर भुगतान की गई राशि'

b) कर्मचारी का सेवा निवृत्ति से पूर्व असमर्थ हो जाने या निवृत्ति के समय पेंशन स्थान पर भुगतान की गई एक मुश्त राशि।

यदि सुपरएनुएशन निधि अनुमोदित नहीं है और उसमें से एक मुश्त राशि प्राप्त होती है, तो नियोक्ता का अंशदान और नियोक्ता के अंशदान पर मिली ब्याज की राशि वेतन शीर्षक की आय में तथा कर्मचारी के अंशदान पर मिली ब्याज की राशि 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में सम्मिलित की जावेगी तथा कर्मचारी का अंशदान कर मुक्त होता है। अर्थात कर्मचारी के अंशदान एवं ब्याज की राशि से जितनी अधिक राशि प्राप्त होती है वह 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होगी।

ग्रेच्युटी अर्थात् उत्पादन (Gratuity)—ग्रेच्युटी सेवा निवृत्ति पर दिया जाने वाला लाभ है। यह सामान्यतया नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को सेवा निवृत्ति होने पर या सेवा से हटाने पर या निवृत्ति से पूर्व असमर्थ होने जाने पर या कर्मचारी की मृत्यु होने पर दी जाती है। ग्रेच्युटी धारा 10(10) के अनुसार निम्न वर्णित सीमा तक कर मुक्त है शेष राशि वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित की जायेगी :—

क. सरकारी, अर्द्धसरकारी कर्मचारियों को प्राप्त ग्रेच्युटी (Death cum retirement gratuity to Govt. and Semi Government employees)—केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता तथा सुरक्षा सेवाओं के समस्त कर्मचारियों की मृत्यु (Death) एवं अवकाश (Retirement) ग्रहण करने पर प्राप्य ग्रेच्युटी की राशि पूर्णतया कर मुक्त होती है। यदि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवायें अन्य किसी संस्था या व्यक्ति को उधार दे दी जाती है तो भी सरकार से मृत्यु या अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्य ग्रेच्युटी की राशि पूर्णतया कर मुक्त होती है।

ख. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्राप्त ग्रेच्युटी (Gratuity Received uuder the Payment of Gratuity Act. 1972)—उपदान भुगतान अधिनियम

1972 सरकारी, अर्द्ध-सरकारी 1,600 रु० निजी कारखानों, खानों, बागानों, तेल क्षेत्रों, बंदरगाहों, रेल कम्पनियों में तथा ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जहाँ 10 या अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हों उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिनकी मजदूरी (मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते का योग) 1,600 रु० मासिक से अधिक न हो।

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी को प्राप्य ग्रेच्युटी की राशि धारा 4 उपधारा (2) व (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित में से सबसे कम राशि कर मुक्त होगी एवं शेष राशि 'वेतन' में सम्मिलित की जाती है :

a) ग्रेच्युटी की प्राप्त राशि
b) प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन की मजदूरी (मौसमी कारखानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए प्रत्येक मौसम के लिए 7 दिन की मजदूरी)
c) 20 माह की मजदूरी

स्पष्टीकरण :—1. 15 दिन के वेतन की गणना जिस माह में कर्मचारी सेवा निवृत्त हुआ है उस माह के प्रतिदिन के वेतन के आधार पर की जायेगी। इस गणना के उद्देश्य के लिए माह के दिनों की संख्या 26 मानी जाती है।"[1] उदाहरणार्थ यदि किसी कर्मचारी का वेतन 780 रु० प्रतिमाह है तो इस उद्देश्य के लिये 15 दिन का वेतन $\frac{780 \times 15}{26} = 450$ रु० माना जायेगा।

2. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 2 (s) के अन्तर्गत वेतन से अभिप्राय कर्मचारी को सेवा की शर्तों के अनुसार सेवा निवृत्ति के समय देय या भुगतान किया गया नकद पारिश्रमिक जिसमें कि मंहगाई भत्ता सम्मिलित होगा लेकिन बोनस, कमीशन, मकान किराया भत्ता, अधि समय (Over time) वेतन या अन्य भत्ते सम्मिलित नहीं होंगे।

3. इन हेतु सेवा के वर्षों की संख्या की गणना करते समय 6 माह से अधिक अवधि को एक वर्ष मान लिया जाता है।

4. 15 दिन के वेतन की गणना जिस कलेन्डर माह में कर्मचारी ने अवकाश ग्रहण किया है, उस माह में प्राप्त वेतन के आधार पर की जायेगी।

ग. अन्य कर्मचारियों को प्राप्त ग्रेच्युटी (Gratuity received by other Employees)—उपरोक्त (क) व (ख) दशाओं के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य किसी कर्मचारी के सेवा से निवृत्ति होने पर, कार्य के लिए अयोग्य होने पर या उसकी सेवा समाप्त होने पर या मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि निम्न में से सबसे कम राशि तक करमुक्त होगी और शेष को वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित किया जायेगा।

a) ग्रेच्युटी की प्राप्त वास्तविक राशि,
d) 20 माह का वेतन,
c) 50,000 रु०[2]

---

1. Digvijay wollen mills Ltd. V. Mahendra Pratap Buch (1980) 4 Taxman 15 (S.C.)
2. यदि कर्मचारी 31 मार्च 1985 के पूर्व सेवानिवृत्त हुआ हो तो यह सीमा 36,000 रु० ही होगी।

b) नौकरी के प्रत्येक सम्पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए आधे माह का वेतन।

यहाँ वेतन से तात्पर्य जिस वर्ष में ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त हो उसके ठीक पूर्व वाले तीन कलैन्डर वर्षों के वेतन के मासिक औसत से है। इस उद्देश्य के लिए वेतन में मूल वेतन शामिल होगा इसके अतिरिक्त मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित होगा, यदि निवृत्ति लाभों की गणना करने के लिए मंहगाई भत्ता वेतन का भाग माना जाता हो, लेकिन अन्य कोई भत्ता या अनुलाभ सम्मिलित नहीं किए जाते हैं।

नोट—1 उपर्युक्त किसी भी दशा में कर्मचारी को गतवर्ष में एक से अधिक नियोक्ताओं से ग्रेच्युटी की राशि मिले तो कुल मिलाकर 50,000 रु० से अधिक राशि करमुक्त नहीं होगी, यदि पूर्व में एक या अधिक वर्षों में उत्पादन की राशि मिली हो तो भी कुल मिलाकर कर मुक्त राशि 50,000 रु० से अधिक नहीं होगी।

2. उपरोक्त (ग) में वर्णित कर्मचारियों के लिए सम्पूर्ण वर्ष से अभिप्राय 12 माह की पूर्ण अवधि से होता है। ऐसी स्थिति में 15 वर्ष 11 माह को 15 सम्पूर्ण वर्ष ही माना जायेगा।

उदाहरण (Illustration) 11 : श्री रविकुमार जैन एक व्यापारिक प्रतिष्ठान, जिसमें 8 व्यक्ति कार्य करते थे, में 1 अप्रैल 1953 से सेवा में थे। वे एक अगस्त, 1985 को सेवा निवृत हुए। उनका मूल वेतन निम्न था :

ShriRavi Kumar Jain was employed since 1st April, 1953 in a commercial establishment in which eight employees were employed. He returned from service on 1sl August, 1985 : His basic pay was :

Financial year वित्तीय वर्ष	Monthly Rate दर प्रति माह
1981-82	900 रु०
1982-83	1,000 रु०
1983-84	1,100 रु०
1984-85	1,200 रु०
1985-86	1,300 रु०

उन्हें 300 रु० प्रतिमाह मंहगाई भत्ता भी मिल रहा था। वे प्रमाणित भविष्य निधि खाते में मूल वेतन का 15% अंशदान देते थे और प्रतिष्ठान भी उतना ही देता था। उन्हें प्रतिष्ठान से 20,400 रु० ग्रेच्युटी के लिए और प्रमाणित भविष्य निधि का एकत्रित शेष 60,000 रु० मिला।

उनकी कर निर्धारण वर्ष 1986-87 की 'वेतन' शीर्षक की सकल आय ज्ञात कीजिये।

He was also getting Rs. 300 p. m. as Dearness Allowance. He contributed 15% of his basic pay to the recognised P. F., to which the establishment also contributed an equal amount.

He received from the establishment Rs. 20,400 for gratuity and Rs. 60,000 the accumulated balance in his Provident Fund account.

Find out his gross income under the head Salaries for the assessment year 1986-97.

हल (Solutoin) Statement of Gross Income from Salaries of Shri Ravi Kumar Jain for the Assessment Year 1986-87

	Rs.	Rs.
Basic Pay (1,300×4)		5,200
Dearness Allowance (300×4)		1,200
Employee's Contribution to P. F.	780	
Less : Exempted	520	260
Gratuity received	20,400	
Less : exempted	17,200	3,200
Gross Income from Salaries		9,860

टिप्पणी : 1. ग्रेच्युटी 1 अगस्त 1585 को प्राप्त हुई अतः मूल वेतन का मासिक औसत 1982, 1983, व 1984 कलैन्डर वर्षों का लिया जायेगा जो इस प्रकार होगा :

1982 कलैन्डर वर्ष का वेतन :	प्रथम 3 माह	900 रु० प्रतिमाह	2,700
	अन्तिम 9 माह	1,000 रु० प्रतिमाह	9,000
1983 कलैन्डर वर्ष का वेतन :	प्रथम 3 माह	1,000 रु० प्रतिमाह	3,000
	अन्तिम 9 माह	1,100 रु० प्रतिमाह	9,900
1984 कलैन्डर वर्ष का वेतन :	प्रथम 3 माह	1,100 रु० प्रतिमाह	3,300
	अन्तिम 9 माह	1,200 रु० प्रतिमाह	10,800
		36 माह का वेतन	38,700

$$\text{मासिक औसत} = \frac{38,700}{36} = 1,075 \text{ रु०}$$

2. ग्रेच्युटी की राशि 17,200 रु० कर मुक्त होगी, जो निम्न में से सबसे कम है:

a) ग्रेच्युटी की प्राप्त राशि 20,400 रु०

b) सेवा की अवधि 32 वर्ष 4 माह के सम्पूर्ण 32 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष $\frac{1}{2}$ माह का वेतन $1,075 \times 32 \times \frac{1}{2} = 17,200$ रु०

c) 20 माह का वेतन, वेतन के मासिक औसत 1,075 रु० की दर से 21,500 रु०

d) अधिकतम राशि 50,000 रु० ।

3. चूँकि मँहगाई भत्ते के विषय में उल्लेख नहीं किया गया है कि यह सेवा निवृत्ति के लाभों की गणना में सम्मिलित होता है या नहीं, अतः इसे सम्मिलित नहीं किया गया है ।

पेन्शन (Pension) : कर्मचारियों को सेवा निवृति के बाद जीवित रहने तक उसे प्रतिमाह एक निश्चित दर से पेन्शन मिलती रहती है । ऐसी पेन्शन की राशि वेतन शीर्षक की आय में जोड़ी जाती है ।

पेन्शन के स्थान पर एक मुश्त राशि (Lumpsum Pension) : कभी कभी कर्मचारी

पेन्शन का भुगतान मासिक आधार पर प्राप्त नहीं करना चाहता है तो वह मासिक पेन्शन के स्थान पर एक मुश्त राशि भी प्राप्त कर सकता है।

यदि किसी कर्मचारी को एक मुश्त राशि केन्द्रीय सरकार, स्थानीय सत्ता या वैधानिक निगम से प्राप्त होती है तो सम्पूर्ण राशि करमुक्त होगी। यदि अन्य किसी नियोक्ता से प्राप्त होती है तो निम्न राशि करमुक्त होगी और शेष राशि वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित की जावेगी—

a) यदि कर्मचारी को अपने नियोक्ता से पेन्शन एवं ग्रेच्युटी दोनों प्राप्त होते हैं तो स्वीकृत की गई पेन्शन के 1/3 भाग तक के स्थान पर प्राप्त एक मुश्त राशि करमुक्त होती है।
b) यदि कर्मचारी को अपने नियोक्ता से केवल पेन्शन ही प्राप्त हो और ग्रेच्युटी प्राप्त न हो तो स्वीकृत पेन्शन के 1/2 भाग तक के स्थान पर प्राप्त एक मुश्त राशि ही कर मुक्त होगी।

उदाहरण (Illustration) 12. : श्री हरीशचन्द्र 31, जनवरी 1986 को सेवा-निवृत्ति हुए उन्हें अपने नियोक्ता से पेंशन की राशि 600 रु० प्रतिमाह स्वीकृति की गई। उन्होंने इस पेंशन के 2/3 भाग के स्थान पर एक मुश्त राशि लेना स्वीकार किया तथा जिसके लिये उन्हें नियोक्ता से 30,000 रु० प्राप्त हुए। कर निर्धारण वर्ष 1986-87 में श्री हरिशचन्द्र की कर-योग्य एक मुश्त पेंशन की राशि ज्ञात कीजिए यदि—(i) वें सरकारी कर्मचारी हों, (ii) वे किसी निजी कम्पनी के कर्मचारी हों तथा उन्हें ग्रेच्युटी प्राप्त हों, तथा (iii) वे निजी संस्थान के कर्मचारी हों तथा उन्हें ग्रेच्युटी प्राप्य न हो।

Shri Harish Chand retired on 31 Jan. 1586. His pernsion was sanctiond at Rs. 600 p.m. He got ⅔ of this pernsion commuted and the commuted value received by him was Rs. 30,0C0. Compute his taxable amount of commuted pernsion in the assessment year 1586-87 if (i) he is a government servant. (ii) he is an employeee of a private company and gratuity is also payable to him. and (iii) he is an employee of a private company and gratuity is not payable to him.

हल (Solution) : 1. यदि करदाता सरकारी कर्मचारी है—पेंशन की एक मुश्त प्राप्त सम्पूर्ण राशि करमुक्त है।

2. यदि करदाता को ग्रेच्युटी भी प्राप्त है—जब पेंशन की एकमुश्त राशि प्राप्त करने वाला करदाता गैर सरकारी कर्मचारी है तथा उसे ग्रेच्युटी भी प्राप्त है तो उसे स्वीकृत की गई पेंशन का 1/3 भाग तक प्राप्त एक-मुश्त राशि ही कर-मुक्त होती है। चूंकि उसे 2/3 भाग के लिए प्राप्त राशि 30,000 रु० है अतः पेंशन सम्पूर्ण भाग के लिए प्राप्य राशि होगी ; 30,000 रु० × 3/2=45,000 रु० जिसका 1/3 भाग अर्थात् 15,000 रु० कर मुक्त होंगे शेष राशि (30,000—15,000) 15,000 रु० करयोग्य होंगे जिसे 'वेतन' में जोड़ा जायेगा।

3. यदि करदाता को ग्रेच्युटी प्राप्य न हों :—यदि कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्य न हो एवं पेंशन के स्थान पर एक मुश्त राशि प्राप्त होती है तो स्वीकृत पेंशन के 1/2 भाग तक प्राप्त राशि कर मुक्त होती है। चूंकि 2/3 भाग के प्राप्त राशि 30,000 रु० है अतः सम्पूर्ण भाग के लिए स्वीकृति राशि (30,000 रु० × 3/2)=45,000 रु० होगी जिसका ½ भाग 22,500 रु० कर मुक्त होंगे शेष राशि (30,000–25,500 रु०) 7,500 रु० करयोग्य होंगे जिसे 'वेतन, में जोड़ा जायेगा।

'वेतन' शीर्षक की सकल आय ज्ञात करना

वेतन शीर्षक की सकल आय ज्ञात करने के लिए निम्न तीन बातें महत्वपूर्ण हैं—

1. गतवर्ष,
2. वेतन में सम्मिलित आयें तथा
3. उद्गम स्थान पर कटौती।

1. गतवर्ष :—कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले वाला वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) 'वेतन' शीर्षक के उद्देश्य से गतवर्ष माना जाता है। कर निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए गतवर्ष 1 अप्रैल, 1985 से 31 मार्च, 1986 होगा।

2. वेतन में सम्मिलित आयें :—गत वर्ष निश्चित होने के बाद 'वेतन' शीर्षक की सकल आय ज्ञात करने के लिये उन समस्त राशियों को जोड़ा जाता है जो वेतन शीर्षक से सम्बन्धित होती हैं तथा जो गतवर्ष में प्राप्त हुई हों; करदाता की 'वेतन' शीर्षक की आय में निम्न आयें सम्मिलित की जाती हैं :

i. पिछली अवधि के लिये गत वर्ष में प्राप्त राशि—यदि गतवर्ष में किसी पिछली अवधि से सम्बन्धित भुगतानों का बकाया (arrears) मिला है तो इसे प्राप्त होने वाले गतवर्ष के ही वेतन में जोड़ा जायेगा। उदाहरणार्थ यदि किसी कर्मचारी का मंहगाई भत्ता बढ़ा दिया जाता है तथा बढ़ोतरी पिछले वर्षों से प्रभावी होती है तो यहाँ कर्मचारी को पिछले वर्षों के लिए भी मंहगाई भत्ते की राशि गत-वर्ष में ही प्राप्त होगी तथा इसी गतवर्ष की वेतन में जोड़ा जायेगा यहाँ यह उल्लेखनीय है कि करदाता को इस अतिरिक्त आय पर धारा 89 (1) की छूट प्राप्त हो सकती है।

ii. पिछली अवधि से सम्बन्धित, गतवर्ष में घोषित कोई आय—उपरोक्त प्रावधान में कोई ऐसी राशि जो पिछले वर्षों में प्राप्त नहीं थी परन्तु इसके भुगतान करने का निर्णय गत वर्ष में लिया गया है तो ऐसी राशि भी इस वर्ष की वेतन में जोड़ी जायेगी उदाहरणार्ण किसी नियोक्ता ने सितम्बर 1985 को यह निर्णय लिया कि कलेन्डर वर्ष 1984 के लिए कर्मचारी को बोनस दिया जाये। ऐसी राशि यदि पहले ही से प्राप्त न होती हो तो इस प्रकार की आय को घोषणा वाले गतवर्ष की ही आय माना जाएगा।

3. उद्गम स्थान पर कर की कटौती (Deduction of Tax at Source)—आय कर अधिनियम की धारा 192 के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी की कर योग्य वेतन में से वेतन के भुगतान से पूर्व कर की कटौती करना नियोक्ता का दायित्व है। इस उद्देश्य के लिए नियोक्ता कर्मचारी को गतवर्ष में मिलने वाले वेतन का अनुमान लगाएगा तथा अनुमानित वेतन पर कर की गणना कर प्रतिमाह वेतन में से कर की कटौती करेगा। इस प्रकार का अनुमान लगाते समम नियोक्ता कर्मचारी को इस गतवर्ष में मिलने वाली वेतन वृद्धि आदि सभी राशियों को ध्यान में रखेगा। यदि किसी माह कम या अधिक कर काटा जाता है तो नियोक्ता आगामी माह में उसका समायोजन कर सकता है।
[धारा 192 (3)]

'वेतन' शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात करना

'वेतन' शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात के करने लिए इस शीर्षक की सकल आय में से निम्न कटौतियाँ दी जाती हैं :

A. प्रमाणिक कटौती (Standard Deduction) :—धारा 16 (i) के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 1986-87 में करदाता की सकल वेतन अर्थात् वेतन शीर्षक की सकल आय में सम्मिलित की गई राशियों के योग पर 25% अथवा 6,000 रु०, जो भी दोनों में कम हो की कटौती दी जाती है। चाहे सेवा के सम्बन्ध में वास्तव में उस वर्ष में राशि व्यय की गई हो या नहीं, अथवा कम या ज्यादा की गई हो।

परन्तु यदि कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक रूप से प्रयोग हेतु एक या एक से अधिक मोटर कार, मोटर साइकिल, स्कूटर अथवा ओटो साइकिल की सुविधा प्रदान की गई सो अथवा यदि नियोक्ता ने सवारी किराये पर लेकर कर्मचारी को उपलब्ध कराई है अथवा यदि नियोक्ता एक या अधिक मोटर कारों का स्वामी है अथवा उसने किराये पर ले रखी है और कर्मचारी को अपने निजी प्रयोग हेतु ऐसी एक अथवा अधिक मोटर कारों को प्रयोग की सुविधा प्राप्त है तो यह कटौती अधिकतम 1,000 रु० तक दी जायेगी। कर निर्धारण वर्ष 1986-87 से घर से कार्यालय जाने एवं कार्यालय से घर जाने के लिए नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई मोटर कार एवं अन्य सवारी का प्रयोग किये जाने पर व्यक्तिगत प्रयोग नहीं माना जायेगा।

स्पष्टीकरण—यदि किसी कर्मचारी को नियोक्ता से सवारी भत्ता (Conveyance Allowance) प्राप्त होता है तो प्रामाणिक कटौती की अधिकतम सीमा उसके लिये भी वेतन का 25% अथवा 6,000 रु० जो दोनों में से कम है होगी।

2. नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को यदि केवल कार्यालय प्रयोग के लिए सवारी की सुविधा दी गई अथवा नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को कार्यालय से घर एवं घर से कार्यालय लाने ले जाने के लिये कोई सामूहिक रूप से अथवा व्यक्तिगत रूप से किसी सवारी की व्यवस्था की गई तो भी कटौती की अधिकतम सीमा 6,000 रु० होगी।

3. यदि कर्मचारी को किसी गतवर्ष में एक नियोक्ता से सवारी की सुविधा व्यक्तिगत कार्यों के लिए उपलब्ध थी एवं बाद में वह किसी अन्य नियोक्ता के यहाँ सेवायें प्रदान करने लग जाता है जहाँ कि उसे सवारी की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है तो भी पूरे गतवर्ष के लिए कटौती की सीमा 1,000 रु० होगी।

4. यदि किसी कर्मचारी को गतवर्ष में एक से अधिक नियोक्ता से वेतन प्राप्त होता है तो भी प्रामाणिक कटौती एकीकृत वेतन (Aggregate Salary) पर दी जायेगी अलग अलग नहीं।

B. मनोरंजन के भत्ते के सम्बन्ध में कटौती (Deduction in respect of Entertainment Allowance)—मनोरंजन के भत्ते की राशि को सर्वप्रथम सकल वेतन में जोड़ दिया जाता है तत्पश्चात् इस भत्ते के सबम्बन्ध में निम्न परिस्थितियों में ही कटौती दी जाती है—

अ. सरकारी, अर्द्ध सरकारी या स्थानीय सत्ता के कर्मचारी को निम्न में से न्यूनतम राशि की कटौती दी जायेगी

i. मनोरंजन भत्ते की वास्तविक राशि;
ii. मूल वेतन का 1/5 भाग;
iii. अधिकतम 5,000 रु०।

विभिन्न उद्देश्यों के लिए 'वेतन' से अभिप्राय

वेतन शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य आय की गणना के लिए	किराये से मुक्त रहने का मकान अथवा किराये में रियायत का मूल्यांकन करने के लिए	प्रमाणित प्राविडेन्ट फन्ड में अंशदान एवं मकान किराया भत्ता की छूट निकालने के लिए	मनोरंजन भत्ता की छूट की सीमा के लिए	धारा 16(1) के अन्तर्गत वैधानिककटौती की राशि की गणना के लिए	ग्रेच्युइटी के लिए	धारा 17(2)के (iii) (c) के अन्तर्गत अनुलाभों के कर-योग्य होने के सम्बन्ध में 24,000 रु० के वेतन का निर्धारण	गैस बिजली अथवा पानी
1. मूल वेतन अथवा मजदूरी, 2. अग्रिम वेतन, 3. वेतन का पुराना शेष (Arrears), 4. वार्षिकी अथवा पेंशन 5. ग्रेच्युइटी, 6. फीस, कमीशन, बोनस, भत्ते, मँहगाई भत्ते सहित 8. वेतन के स्थान में लाभ, 9. अनुलाभ, 10. प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में नियोक्ता द्वारा वेतन के 10% से अधिक अंशदान 11. प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड से मिला ब्याज $10\frac{1}{2}\%$ की दर से अधिक रशि। 12. प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड में कर-योग्य हस्तांतरित शेष।	1. मूल वेतन, 2. भत्ते, 3. बोनस, 4. कमीशन परन्तु निम्न को छोड़कर: (i) मँहगाई भत्ता यदि यह अवकाश संबंधी सुविधाओं की गणना करने में शामिल नहीं किया जाता हो; (ii) कर्मचारी प्रॉवीडेण्ट फंड में मालिक का अंशदान; (iii) करमुक्त भत्ते (iv) मनोरंजन भत्ता की कटौती योग्य राशि; तथा (v) अनुलाभ जो रोकड़ में मिले हों।	1. मूल वेतन, 2. मँहगाई भत्ता यदि सेवा की शर्तों में ऐसा आयोजन हो अर्थात् निवृत्ति लाभों की गणना करते में यह शामिल किया जाता हो तथा अन्य किसी प्रकार के भत्ते, बोनस, कमीशन, अनुलाभों और समस्त अन्य प्राप्तियों को छोड़ कर।	मूल वेतन जिसमें कोई भत्ता, लाभ या अन्य किसी प्रकार के अनुलाभ शामिल न हों।	वेतन शीर्षक में सकल आय के योग पर वैधानिक कटौती मिलती है।	मकान किराया भत्ता तथा प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड के संदर्भ में जो वेतन का अभिप्राय है, वही यहाँ भी लागू होगा।	मूल वेतन, मँहगाई भत्ता, अन्य प्रकार के भत्ते, बोनस, कमीशन आदि तथा अन्य सभी मौद्रिक प्राप्तियाँ जो कि प्रमाणित छूट एवं करमुक्त मनोरंजन भत्ते को घटाने के बाद बचती है।	

प्राविडेण्ट फण्ड सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थायें

विवरण	वैधानिक प्राविडेण्ट फण्ड	प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड	अप्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड
1. कर्मचारी द्वारा प्राविडेण्ट फण्ड में दिया अंशदान (Employees Contribution to Provident Fund)	यह कर्मचारी के वेतन में शामिल रहता है अतः कोई ध्यान नहीं दिया जाता।	अंशदान की रकम यद्यपि वेतन में शामिल रहती है अतः कोई ध्यान नहीं दिया जाता।	अंशदान की यह रकम वेतन में शामिल रहती है।
2. नियोक्ता द्वारा प्राविडेण्ट फण्ड में दिया गया अंशदान (Employer'sContribution to Provident Fund)	इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कर्मचारी के कर-निर्धारण में इसका कोई महत्व नहीं है।	वेतन के 10% होने तक यह पूर्णतया करमुक्त है अर्थात् इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस अंशदान के वेतन के 10% से अधिक होने पर यह आधिक्य वेतन शीर्षक की आय की गणना करते समय वेतन में जोड़ देते हैं।	इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।
3. प्राविडेण्ट फण्ड पर मिला ब्याज (Interest on Provident Fund)	यह रकम पूर्णतया कर-मुक्त है व इसे वेतन में नहीं जोड़ते। अतः इस पर भी ध्यान नहीं देते।	ब्याज की रकम का वह भाग जो ब्याज दर $10\frac{1}{2}\%$ से अधिक है, वेतन में जोड़ देते हैं। इससे कम ब्याज की दर पर कोई ध्यान नही दिया जाता।	ब्याज की रकम पर ध्यान नहीं देते।
4. अवकाश ग्रहण करने के समय अथवा नौकरी छोड़ने के समय इन फण्डों से मिली राशि।	इस धन राशि को कर से पूर्णतया मुक्त रखा गया है। यह न तो कुल आय में शामिल होती है और न इस पर आयकर ही लगता है। अतः इस पर कोई ध्यान नहीं देते।	इस राशि पर भी कोई ध्यान नहीं देते बशर्ते कि यह रिटायर होने के समय मिली हो। नौकरी छोड़ने के समय यदि रकम मिलती है तो शर्त यह है (i) कि कर्मचारी ने 5 वर्ष तक इसी नियोक्ता के यहाँ लगातार सेवा की हो अथवा (ii) यदि सेवा के 5 वर्ष पूरे नहीं हो सके हैं तो नौकरी छूटने का कारण कर्मचारी का खराब स्वास्थ्य अथवा नियोक्ता द्वारा व्यापार बन्द कर देना है अन्यथा इसके संबंध में वह व्यवस्था लागू होगी जो अप्रमाणित भविष्य निधि के संबंध में है।	फण्ड से प्राप्त राशि में से नियोक्ता के अंशदान व उस पर ब्याज के भाग को करदाता के वेतन में जोड़ते हैं। कर्मचारी के अंशदान पर प्राप्त ब्याज 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में करयोग्य होगा।

आ. एक गैर सरकारी कर्मचारी को यह कटौती उसी दशा में दी जाती हैं जबकि वह अपने वर्तमान नियोक्ता से 1 अप्रैल, 1955 के पूर्व से लगातार मनोरंजन भत्ता प्राप्त करता रहा हो। इस दशा में कटौती की राशि निम्न राशियों में से न्यूनतम राशि के बराबर होगी—

i. मनोरंजन भत्ते की वास्तविक राशि;
ii. 1 अप्रैल, 1955 से ठीक पूर्व वर्तमान नियोक्ता से मिलने वाला मनोरंजन भत्ता;
iii. मूल वेतन का 1/5 भाग;
iv. अधिकतम 7,500 रु०।

धारा 89 (1) के अन्तर्गत छूट : यदि किसी करदाता को गतवर्ष में (अ) पिछले वर्षों की वेतन की बकाया राशि इकट्ठी प्राप्त हुई हो अथवा अगले वर्षों का वेतन पेशगी प्राप्त हो या (आ) वार्षिकी या पेंशन की एक मुश्त राशि प्राप्त हुई हो, अथवा (इ) वेतन के स्थान पर कोई लाभ प्राप्त हुये हों तो उसको वेतन शीर्षक की आय बढ़ जाने के कारण ऊँची दरों से आयकर देना होता है। करदाता यदि आयकर अधिकारी को आवेदन करता है तो धारा 89 (1) के अन्तर्गत उसे निर्धारित तरीके से निर्धारित छूट दी जा सकती है।

उदाहरण (Illustration) : 13

श्री सुरेश कुमार एक कम्पनी में 1,000 रु० प्रतिमाह के वेतन पर सेल्समैन के पद पर कार्य कर रहे हैं। वे कम्पनी की बिक्री पर ½% कमीशन भी प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त कम्पनी उन्हें निम्न सुविधाएं भी प्रदान कर रही है :

(i) किराया मुक्त मकान की सुविधा जिसका उचित किराया 320 रु० प्रति माह है।
(ii) घर पर टेलीफोन के बिलों का भुगतान 942 रु०।
(iii) पानी व बिजली के बिलों का भुगतान 560 रु०।
(iv) सेवा सम्बन्धी कार्यों के लिए एक मोटर साईकिल की सुविधा तथा उसके लिए पैट्रोल, मरम्मत आदि के लिए कम्पनी 200 रु० प्रति माह देती है।

1 अक्टूबर 1985 को सेवा की शर्तों में परिवर्तन किया गया और उनका वेतन 1,200 रु० प्रतिमाह निश्चित किया गया तथा कमीशन देना बन्द कर दिया। इस वित्तीय वर्ष में कम्पनी के लिए उसके द्वारा की गई बिक्री 5 लाख रु० थी जिसमें से आधी बिक्री 30 सितम्बर 1985 तक थी। सेवा की शर्तों में परिवर्तन के कारण उन्हें क्षतिपूर्ति के 7,200 रु० की राशि भी दी गई। उन्हें नियोक्ता से दिसम्बर 1985 में एक माह का अर्जित अवकाश त्यागने पर एक माह के मूल वेतन के बराबर राशि प्राप्त हुई।

वह अपने वेतन का 12% कम्पनी के प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान देता है। कम्पनी का भी उतना ही राशि का अंशदान है भविष्य निधि का ब्याज 12% वार्षिक दर से 3,000 रु० क्रेडिट किया गया है।

उपर्युक्त सूचनाओं से श्री सुरेश कुमार की वेतन आय की गणना निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये कीजिए।

Shri Suresh Kumar is working on the post of salesman a in company at a salary of Rs, 1,000 p.m, He gets commission also @ ½% on sales. Besides this company provides him the following amenities :—

(i) Rent free accommodation of a fair rent of Rs. 320 p.m.
(ii) Payment of bills for telephone at his residence Rs, 942.
(iii) Payment of light and water bills of Rs, 560.
(vi) Payment of Rs. 200 p.m. for petrol, repairs etc. for a moter cycle provided to him by the company for employment purposes.

On 1st october, 1985 his terms of employment were altered, accordigly his basic pay was raised to 1,200 p.m. and to discontinue the payment of commission. He affected a sales of Rs. 5 lakhs during this financial 'year. Half of it was upto 30th Septmber, 1985. On account of this change, he was also paid a sum of Rs. 7,200 as compensation. He received one months basic pay during December 1985 on his surrendering one months earned leave.

His contribution to company's recognised provident fund is 12% of his salary, the company is also contributing a similar amount. The interest credited to Provident Fund Account is Rs. 3,000 @ 12% p.a.

From the above information calculate Shri Suresh Kumar's taxable income from salary for assessment year 1986-87.

हल (Solution)

(राज. बी. काम. 1986)

Statement of Income from Salaries
Assessment year 1986-87

Salary (April 85 to Sept. 85)	6,000	
Salary (Oct. 85 to March 86)	7,200	13,200
Commission ½% on Rs. 2,50,000		1,250
Pay for surrendering earned leave		1,200
Compensation		7,200
Velue of rent free accommodation		1,565
Light and water bills		560
Employer's contribution to R. P. F. A/c	1,584	
Less : Examption 10% of salary	1,320	264
Interest on P. F. A/c	3,000	
Less : Exemption $\frac{3,000}{12} \times 10.5$	2,625	375
Gross Salary		25,614
Less : Standard deduction		6,000
Income from Salaries		19,614

टिप्पणी

1. निःशुल्क मकान की सुविधा का मूल्य वेतन = (मूल वेतन + कमीशन + अजित अवकाश वेतन) अर्थात् Rs. 13,200 + Rs. 1,250 + Rs. 1,200 = Rs. 15,650 का 10% अर्थात् Rs. 1,565 लिया गया है।

2. मोटर साईकिल के सम्बन्ध में दी जा रही निश्चित राशि कर्मचारी के कर्तव्य पूर्ति के सम्बन्ध में है अतः इसे कर मुक्त माना गया है।

उदाहरण (Illustration) 14 : श्री अनिल कुमार राजस्थान क्लॉथ मिल्स लि० दिल्ली में प्रबन्धक हैं जिसका कम्पनी में सारवान हित है। उन्हें 1,200 रु० प्रतिमाह

मूल वेतन, 300 रु० प्रतिमाह मंहगाई भत्ता व 100 रु० प्रतिमाह मनोरंजन भत्ता प्राप्त होता है। उन्हें कम्पनी की ओर से एक निःशुल्क मकान की सुविधा भी प्राप्त है, जिसका उचित वार्षिक किराया 15,000 रु० है। उन्हें निःशुल्क पानी व बिजली की सुविधा भी दी गई है जिसके लिये नियोक्ता ने गतवर्ष में 1,300 रु० चुकाये। नियोक्ता ने कर्मचारी के जीवन पर ली पालिसी पर 1,000 रु० प्रीमियम के चुकाये।

कम्पनी ने उसे 18 हॉर्सपावर व 16 हॉर्सपावर की दो कारों की सुविधा भी प्रदान की है। इनके कार्यालय प्रयोग सम्बन्धी समस्त व्यय कम्पनी चुकाती है। कार अंशतः निजी कार्यों के लिये भी प्रयुक्त होती है। ड्राइवरों का वेतन भी कम्पनी चुकाती है। कार्यालय समय में निःशुल्क भोजन और निःशुल्क नाश्ते की सुविधा भी कम्पनी ने प्रदान की है, जिसका अनुमानित मूल्य क्रमशः 300 रु० व 100 रु० प्रतिमाह है। उसे एक फर्राश और एक रसोइये की सुविधा भी दी है जिन्हें कम्पनी की ओर से क्रमशः 120 रु. व 100 रु० प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है। गतवर्ष में एक माह का अर्जित अवकाश त्यागने के बदले में वेतन एवं मंहगाई भत्ते के 1,500 रु० नकद प्राप्त हुए।

1 अक्टूबर, 85 को राजस्थान क्लॉथ मिल्स लि० को भविष्य निधि आय-कर आयुक्त द्वारा प्रमाणित कर दी गई तथा अप्रमाणित भविष्य निधि खाते का शेष 7,920 रु० (नियोक्ता का अंशदान $12\frac{1}{2}$% की दर से 3,600रु० कर्मचारी का अंशदान 3,600रु० और ब्याज 9% की वार्षिक दर से अधिक नहीं 720 रु० प्रमाणित भविष्यनिधि के उनके खाते में हस्तांतरित किया गया)।

श्री अनिल की 1986-87 निर्धारण वर्ष के लिए वेतन से करयोग्य आय ज्ञात कीजिये।

Shri Anil Kumar is the manager of Rajasthan Cloth Mills Ltd., Delhi and having substantial interest in the company. He gets basic pay @ Rs: 1,200 p.m. dearness allowance @ Rs. 300 p.m. and entertainment allowance @ Rs. Rs. 100 p.m. He has been provided with a rent-free house by company the fair annual rent of which is Rs. 15,000. He has also been provided by the company with facility of free use of water and light for which employer paid Rs. 1,300 during the previous year, Employer paid a life insurance premium of Rs.1,000 for the policy on the life of employee.

The company has provided him an 18 horse power car and a 16 horse power car, all the expeness relating to their office use are borne by the company. The cars are used partly for personal purpose also. The salary of the drivers is paid by the company The company has provided the amenity of free lunch and refreshment during office horse the estimated value of which is Rs. 300 and Rs. 100 p.m. respectively. He has been provided with facility of a sweeper and a cook who are paid salary by the company @ Rs. 120 p.m. and Rs. 100 p.m. respectivily. He was paid Rs. 1,500 equal to the month's pay and dearness allowance on his surrendering the months earned leave.

He and the company both contribute 12% of basic pay and dearness allowance toward Recognised Provident Fund. During the financial year 1984-85 interest credited to his provident fund account @ 12% amounts to Rs. 12,000.

On 1st October, 85 the provident fund of M/S Rajsthan Cloth Mills Ltd. was recognised by the Commissioner of Income Tax and the balance of Rs. 7,920 (Employee's contribution @ $12\frac{1}{2}$%, Rs. 3,600; employee's contribution Rs. 3,600 and the interest @ not exceeding 9% p.a. Rs. 720) in this unrecognised provident fund account was transferred to his recognised providdent fund account.

Compute the taxable income from Salaries of Shri Anil for the assessment year 1986-87.

हल (Solution) : **Computation Taxable Income from Salaries of Mr. Anil Kumar for the A. Y. 1986-87**

	Rs.
Basic Pay	14,400
Dearness Allowance	3,600
Entertainment Allowance	1,200
(i) of un-recognised Provident Fund on the transfer to recognised Providenr Fund.	720
(ii) Excess contribution from 1-10-85	225
Pay of surrendering earned leave	1,500
Prequisites :	
Rent free accomodation	4,650
free water and light facility	1,300
Life Insurance premium paid by employer	1,000
Car facility (Rs. 300×12)	3,600
free lunch (Rs. 300×12)	3,600
Sweeper (Rs 60 P.M.×12)	720
Lock (Rs. 100×12)	1,200
Gross Salary	37,715
Less Standered deduction	1,000
Taxable Income from salary	36,715

टिप्पणी 1. किराये से मुक्त मकान की सुविधा के मूल्यांकन के लिए वेतन से आशय 14,400+3,600+ 1,200 + 1,500 = 20,700 रु० है उचित किराया 15,000 रु० ।

उचित किराया वेतन के 60% (मकान दिल्ली में है) से अधिक है अतः सुविधा का मूल्य उचित किराया Less वेतन का 50% अर्थात् 15,000–10,350=4,650 रु० होगा ।

2. मंहगाई भत्ता सेवा निवृत्ति के लाभों (भविष्य निधि की गणना में वेतन में शामिल किया जाता है अतः मकान की सुविधा के मूल्यांकन के लिए वेतन में जोड़ा जायेगा ।

3. अर्जित अवकाश के वदले में प्राप्त राशि भी मकान की सुविधा के लिए मूल्यांकन के लिये वेतन में सम्मिलित की जायेगी ।

4. फर्राश की सुविधा का मूल्य उसके वेतन का 75% (अर्थात् 120 रु० का 75% =90 रु० प्रतिमाह) अथवा 60 रु० प्रतिमाह जो दोनों में कम हैं के बराबर होगा अर्थात् 720 रु० होगा ।

5. चूंकि कर्मचारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रश्न में कोई जानकारी नहीं दी हुई है, अतः मनोरंजन भत्ते के सम्बन्ध मे कोई कटौती नहीं दी गई है । जब तिथि नहीं दी हुई हो तो यह माना जाना चाहिए कि कर्मचारी की नियुक्ति 1 अप्रैल, 1955 के पश्चात् की है ।

6. भविष्यनिधि के प्रमाणित होने पर हस्तांतरित शेष की राशि में नियोक्ता का अंशदान जो, 10% से अधिक है, वह कर-योग्य है ।

7. गतवर्ष में अक्टूबर, 85 से नियोक्ता द्वारा 10% से अधिक दी गई राशि कर-योग्य है ।

1800 x 12½% = 225

उदाहरण (Illustration) 15 : श्री पुनीत कुमार जयपुर उद्योग लि० में नियुक्त थे जहाँ कर्मचारियों के लिए उत्पादन भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है। श्री पुनीत कुमार 1 दिसम्बर 1985 को सेवानिवृत हुए। गतवर्ष 1985-86 के लिए उन्होंने अपने वेतन के सम्बन्ध में निम्न सूचनायें प्रदान की है—

1. इन्होंने 18 वर्ष 7 माह तक कम्पनी को सेवायें प्रदान की है।
2. 1 अगस्त, 1981 से 600—40—1,400 रु० की वेतन शृंखला में 600 रु० के प्रारम्भिक वेतन पर पदोन्नत किया गया था।
3. मूल वेतन के अतिरिक्त 150 रु० प्रतिमाह मंहगाई भत्ता, 40 रु० प्रतिमाह नगर क्षति पूरक भत्ता प्राप्त होता था।
4. सेवा निवृत्ति पर नियोक्ता ने 12,000 रु० ग्रेच्युटी के दिये तथा 300 रु० प्रति माह पेन्शन स्वीकृति की। 1 फरवरी 1985 को इन्होंने पेन्शन ½ भाग के लिए एक मुश्त राशि 10,500 रु० प्राप्त की।
5. 1982 एवं 1985 वर्ष में ये छुट्टियाँ लेकर क्रमशः शिमला एवं दार्जिलिंग भ्रमण हेतु गये। इनके द्वारा व्यय की गई राशि क्रमशः 3,000 रु० एवं 1,500 रु० नियोक्ता द्वारा वहन की गई। इनके गृह जिले तक जाने का व्यय 1,000 रु० होता है।
6. नियोक्ता ने 14 होर्स पावर की एक कार की सुविधा कार्यालय एवं निजी प्रयोग के लिये प्रदान की जिसके समस्त व्यय नियोक्ता ने वहन किये। कार श्री पुनीत कुमार स्वयं चलाते थे।

श्री पुनीत कुमार की कर निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये वेतन शीर्षक की आय ज्ञात कीजिये।

Shri Puneet Kumar who was emoloyed in Jaipur Udyog Ltd. Where Gratuity payment Act 1972 applies for employees. He retires on 1st Dec. 1985. For the previous year 1985-86 he has submited following information regarding his income from salaries—

1. He served this concern for 18 year and 7 months.
2. He was promoted from 1 Aug. 1981 in the pay scale of 600—40—1400 on initail salary of Rs. 600.
3. In addition to the basic pay he was getting Rs. 150 P.M. as dearness allowance and Rs. 40 P.M. as city-compensatory allowance.
4. At the time of retirement his employer paid Rs. 12,000 as gratuty and he was sanctioned pension of Rs. 300 P.M. on 1st Feb. 1935 he received Rs. 10,500 as Commuted Value for half portion of the pension.
5. During the year 1982 and 1935 he took leave and went on travel to Shimla & Darjeeling respectively, Rs. 3,000 and Rs. 1,500 being the amount spent by him respectively, were reimbursed by his employer. The expenses for going to his home district was only Rs. 1,000.
6. A 14 H.P. rating car is well as provided by the employer for office as well as private purposes for which all expenses are born by company. Shri Puneet him self drives car.

Compute taxable Income from salary of Shri Puneet Kumar for the Assessment year 1986-87.

हल (Solution) : Computation of Income from Salary for the A. Y. 1986-87

		Rs.	Rs.
Basic Pay		720×4=2,880 760×4=3,040	5,920
Dearness allowance	150×8		1,200
C.C.A	40×8		320
Gratuity received		12,000	
Less : exempted		9,975	2,025
Pension received :			
a) non commuted (Dec. & Jan.)	300×2 =	600	
(Feb. & Mar.)	150×2 =	300	
b) Commuted value of received	10,500		
Less : exempt	7,000	3,500	4,400
Traveling Assistance			500
Gross Salary			14,365
Standard deduction			1,000
Income from salary			13,365

टिप्पणी 1. ग्रेच्युटी की कर मुक्त राशि निम्न में से जो सबसे कम है, होगी :

a) ग्रेच्युटी की प्राप्त राशि 12,000 रु० ।

b) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन (मंहगाई भत्ते सहित)

अर्थात् 19 वर्ष के लिए—$\frac{19 \times 15}{26} \times 910 = 9,975$ रु०

c) 20 माह की मजदूरी—$20 \times 910 = 18,200$ रु०

इस उद्देश्य के लिए वेतन (मंहगाई भत्ते सहित) से आशय जिस कलैण्डर माह में कर्मचारी रिटायर हुआ है उस माह में प्राप्य वेतन होगा।

2. पेंशन की $\frac{1}{2}$ हिस्से के लिए प्राप्त राशि 10,500 रु०

कुल स्वीकृति हो सकने वाली राशि $10,500 \times 2/1 = 21,000$ रु०

करमुक्त राशि $= 21,000 \times \frac{1}{3} = 7,000$ रु०

चूंकि ग्रेच्युटी भी कर्मचारी को मिल रही है एक मुश्त पेंशन की राशि स्वीकार की जा सकने वाली राशि के $\frac{1}{3}$ भाग तक कर मुक्त होगी शेष राशि कर योग्य है।

3. 1974 कलैण्डर वर्ष से प्रारम्भ प्रत्येक 4 वर्ष की अवधि में एक बार नियोक्ता से मिली यात्रा सहायता पूर्णतया कर-मुक्त होती है जो भारत में कहीं भी घूमने के लिए मिली हो। 1982-85 की अवधि में एक बार करदाता इस सहायता का प्रयोग कर चुका है अतः 1985 वर्ष में दूसरी बार मिली यात्रा सहायता का केवल वह भाग कर-मुक्त होगा जो कि कर्मचारी के गृह जिले तक जाने के व्यय के बराबर हो व शेष राशि कर योग्य होगी।

4. कार की सुविधा कर-मुक्त होगी क्योंकि कर्मचारी विशिष्ट कर्मचारी नहीं है।

उदाहरण (Illustration) 16 : श्री दुर्गाप्रसाद 1 जून 1969 से राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट्स लि० में एक फोरमैन के रूप में 1,200—50—3,000 के वेतन मान में 1,500 रु० प्रारम्भिक वेतन पर नियुक्त हुए। उन्हें 200 रु० प्रतिमाह मंहगाई भत्ता मिलता था। उन्होंने दिसम्बर 1984 में अपनी पुत्री के विवाह के समय कम्पनी से 10,000 रु० ऋण एवं 5 माह का मूल वेतन अग्रिम लिया था।

1 फरवरी 1986 को कर्मचारियों की संख्या में कमी करने के फलस्वरूप उनकी सेवायें समाप्त कर दी गई तथा इस लिए 25,000 रु० राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई।

सेवा समाप्ति के समय 7 माह का अर्जित अवकाश था जिसके लिये उन्हें मंहगाई भत्ता सहित 15,400 रु० का भुगतान प्राप्त हुआ। प्रतिवर्ष की सेवा के लिए वे 30 दिन के अर्जित अवकाश के अधिकारी थे।

उन्हें ग्रेच्युटी के भुगतान में 16 माह का वेतन तथा मंहगाई भत्ता 35,200 रु० प्राप्त हुआ। कम्पनी ने उन्हें 1,000 रु० के मूल्य का कम्पनी में निर्मित वनस्पति घी भी मुफ्त प्रदान किया।

श्री दुर्गा प्रसाद की वेतन शीर्षक की कर योग्य आय कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये कीजिए।

Shri Durga Prasad was appointed as foreman in Rajsthan Vanspati Products Ltd. on 1st June, 1969 on a strating salary of Rs. 1,500 in the pay scale of Rs. 1,200—50—3,000. He was in receipt of Dearnes Allowance of Rs. 200 P.M. He had taken a loan of Rs. 10,000 and advance of basic salary of five months in December 1984 on the occassion of his daughter's Marriage.

His services were terminated on account of retrenchment on 1 Feb. 1986 and he was paid Rs. 25,000 as compensation for the same. At the time of termination services, earned leave of 7 months was at his credit for which he was paid Rs. 15,400 (including DA) He was entitled every year to earned leave for 30 days.

He received gratuity amounting to Rs. 35,200 being pay and DA for 16 months Company also provided him vegetable-Ghee produced in the Company of Rs. 1,000

Calculate taxable Income from Salary of Mr. Durga Prasad for the assessment year 1986-87.

हल (Solution) : **Computation of Income from Salary of Mr. Durga Prasad for the A.Y. 1986 87**

		Rs.	Rs.
Basic pay (May)		2,250	
(June 1985 to Jan. 1986)	2,300×8=	18,400	20,650
Dearness Allowance	200×10		2,000
Compensation received		25,000	
Less : exempt	17 years × (2300+200)	21,250	3,750
Earned leave salary received		15,400	
Less : exempt		14,940	460
Gratuity received		35,200	
Less : exempt		19,432	15,768
Cost of Vegetable ghee			1,000
Gross Salary			43,628
Less : Standard deduction			6,000
Income from Salary			37,628

टिप्पणी (Note) : 1. अप्रैल 1985 माह का वेतन पिछले गतवर्ष में ही अग्रिम वेतन के रूप में कर योग्य आय में सम्मिलित हो गया था अत: इस गतवर्ष में सम्मिलित नहीं किया है।

2. क्षति पूर्ति की राशि जो निम्न में से सबसे कम है अर्थात् 19,550 रु० कर-मुक्त होगी :

a) प्राप्त क्षति पूर्ति राशि—25,000 रु०
b) प्रत्येक वर्ष के सेवा पर 15 दिन का औसत वेतन—
अर्थात् 17 वर्ष के लिए $\frac{17}{2}$ × 2,500=21,250 रु०
c) अधिकतम राशि—50,000 रु०

इस उद्देश्य के लिए 6 माह से अधिक की अवधि को 1 वर्ष मान लिया जाता है एवं औसत वेतन से आशय सेवा से हटाने के पूर्व के 90 दिन अर्थात् 3 माह के औसत वेतन से है जिसमें बोनस, ग्रेच्युटी एवं निवृति लाभों को छोड़कर अन्य सभी मौद्रिक भुगतान सम्मिलित होंगे।

3. अर्जित अवकाश वेतन निम्न में जो सबसे कम है अर्थात 14,940 रु० कर-मुक्त होगी :

a) प्राप्त अवकाश वेतन— 15,400 रु०
b) मान्य अवधि 7 माह के लिए औसत वेतन की दर से राशि—7×2,490=17,430 रु०
c) 6 माह की अवधि का औसत दर से वेतन—
6×2,490=14,940 रु०
d) अधिकतम राशि—36,000 रु०

इस उद्देश्य के लिए औसत वेतन से आशय सेवा निवृति के पूर्व के दस माह के वेतन से है जिसमें मँहगाई भत्ता भी शामिल होगा क्योंकि प्रश्न में मँहगाई भत्ता निवृति लाभों के लिए वेतन माना गया है।

पिछले 10 माह का वेतन	रु०
जून 85 से जनवरी 86 (8 माह) (2,300×8)	18,400
अप्रैल एवं मई 1985 का (2 माह) (2,250×2)	4,500
मँहगाई भत्ता (10 माह)	2,000
कुल वेतन	24,900
मासिक औसत वेतन	2,490

4. ग्रेच्युटी की राशि निम्न में से जो सबसे कम है अर्थात 19,432 रु० कर मुक्त होगी :

a) प्राप्त राशि 35,200 रु०
b) सेवा के प्रत्येक सम्पूर्ण वर्ष (16 वर्ष) के लिए $\frac{1}{2}$ माह का औसत वेतन
अर्थात—16× $\frac{1}{2}$ ×2,429 =19,432 रु०
c) 20 माह का औसत वेतन—20×2,429=48,580 रु०
d) अधिकतम राशि—50,000 रु०

यहाँ औसत वेतन से आशय सेवा निवृत्ति के पूर्व के तीन कलैन्डर वर्षों के औसत वेतन से है जिसमें मँहगाई भत्ता भी सम्मिलित होगा यदि सेवा शर्तों के अनुसार हो :

1985 का वेतन	प्रथम 5 माह	2,250 × 5 =	11,250
	अन्तिम 7 माह	2,300 × 7 =	16,100
1984 का वेतन	प्रथम 5 माह	2,200 × 5 =	11,000
	अन्तिम 7 माह	2,250 × 7 =	15,750
1983 का वेतन	प्रथम 5 माह	2,150 × 5 =	10,750
	अन्तिम 7 माह	2,200 × 7 =	15,400
		36 माह का वेतन	80,250

औसत मासिक वेतन $\frac{80,250}{36}$ = 2,229

औसत मासिक मँहगाई भत्ता = 200

औसत वेतन 2,429

उदाहरण (Illustration) 17 : श्री रवीन्द्रनाथ गोयल यूनाइटेड इण्डिया लि. में कार्यकारी संचालक है। कम्पनी का मुख्यालय दिल्ली में व शाखायें कलकत्ता और कानपुर में स्थित हैं। इनकी सेवा का प्रसंविदा 1-4-1983 से पाँच वर्षों के लिए लागू हुआ है। कर निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए श्री गोयल की आय का विवरण इस प्रकार है :

		रु०
a) वेतन 3,000 रु० मासिक की दर से		36,000
b) सवारी भत्ता 500 रु० मासिक		6,000
c) बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता 200 रु० मासिक		2,400
d) बिजली की लागत की क्षतिपूर्ति		1,200
		45,600
घटाया : a) आफिस के लिए प्रयुक्त कार का व्यय व रखरखाव	5,000	
b) ग्राहकों पर किया गया मनोरंजन व्यय	2,000	7,000
		38,600

श्री गोयल के पूछताछ करने पर निम्नलिखित विवरण प्राप्त होता है ;

i. कम्पनी द्वारा दिए गये बिना किराये के परिसर का आधा भाग श्री गोयल ने अपने निवास स्थान के लिये प्रयोग किया है। इमारत का वार्षिक किराया 48,000 रु० है। इस मकान के साथ एक माली की सुविधा भी प्रदान की गई जिसका वेतन 2,000 रु० वार्षिक नियोक्ता द्वारा चुकाया गया।

ii. श्री गोयल ने प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड में 6,000 रु० का अंशदान दिया है।

iii. मार्च 1986 में श्री गोयल ने (अप्रैल, 86 से जून, 86 तक का) वेतन 9,000 रु० पेशगी प्राप्त किया।

iv. श्री गोयल को दुर्घटना में किसी भी शारीरिक हानि के लिये बीमा किया गया है। बीमे का प्रस्ताव श्री गोयल ने दिया है। जबकि इससे सम्बन्धित प्रीमियम कम्पनी देती है। प्रीमियम की राशि 350 रु० वार्षिक है। आप श्री गोयल के वेतन के अन्तर्गत कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

v. गतवर्ष में वे एक माह के प्रशिक्षण हेतु लन्दन गये जहाँ उन्हें वेतन के अतिरिक्त 2,000 रु० विदेश भत्ता भी दिया गया। इसके बाद वे वहाँ 2 माह के अवकाश पर रहे। वे वहाँ पर अपनी पत्नी के साथ गये थे। दोनों के आने जाने के हवाई जहाज का किराया 20,000 रु० तथा अवकाश काल में दर्शनीय स्थानों को भ्रमण का व्यय 5,000 रु० नियोक्ता द्वारा ही दिये गये।

Shri R.N. Goyal is the executive director of United India Ltd. a company having the Head Office at Meerut and bancrhes at Calcutta & Kanpur. His contract of employment is for a period of five years from 1-4-83. For the assessment year 1985-86 he submits the following return:

		Rs.
a) Salary @ Rs. 3,000 p.m,		36,000
b) Conveyance allowance @ Rs. 500 p. m.		6,000
c) Education allowance for children @ Rs. 200 p. m.		2,400
d) Cost of electricity reimbursed by the Co.		1,200
	Rs.	45,600
Less : a) Maintenance and wear and tear of his car used for official purposes exclusively	5,000	
b) Entertainment incurred on the customers	2,000	
c) Donation to Jawaharlal Nehru Memorial Fund	1,000	8,000
Total Income		37,600

The following particulars are available on record :

i. Mr.Goyal has kept in his occupation free of rent half portion of the company's premises. Annual rent of the building is Rs. 40,000. Gardener's 2000

ii. He has contributed Rs.6,000 to the Provident Fund and has paid premiums amounting to Rs. 5,000 on policy of Rs. 40,000.

iii. He took an advance of salary of Rs. 9,000 in March, 1986,

vi. Mr.Goyal was insurred for accidental bodily injury resulting in disablement or death.

The premium was payable by the company though the proposal was made by the assessee. Premium amounted to Rs. 350. for the year.

v. In the previous year, he went to London, for training for one month, when in addition to his salary he was paid a foreign allowance of Rs. 2,000. After that he stayed in London on leave for two months. He had gone with his wife. The fare for their going and coming back amounting to Rs. 20,000 and their expenses of visit to places of their interest during the leave amounting to Rs. 5,000 were paid by the employer.

You are required to work out his income from salary and qualifying amount.

हल (Solution) **Computation of Taxable income from Salary For the A. Y. 1986-87.**

	Rs.
(i) Salary @ Rs. 3,000 p.m.	36,000
(ii) Conveyance Allowance	—
(iii) Education allowance @ Rs. 200 p.m.	2,400
(iv) Value of rent-free accommodation.	5,800
(v) Cost of electricity reimbursed by the co.	1,200
(vi) Advance salary	9,000
(vii) Value of travel assistance	15,000
(viii) Foreign allowance	2,000
Gross salary	71,400
Less : Standard deduction	6,000
Taxable Salary	65,400

टिप्पणी (Notes) 1. माली की सुविधा कर-मुक्त होगी क्योंकि मकान कम्पनी का है किन्तु माली के वेतन को मकान के उचित किराये की गणना करने के लिए मकान के वार्षिक किराये में जोड़ा जायेगा।

2. सवारी भत्ता कर मुक्त है।

3. भारत के बाहर यात्रा के लिये नियोक्ता से प्राप्त सहायता कर मुक्त नहीं हैं। वह लन्दन में प्रशिक्षण हेतु गये, अतः स्वयं के आने जाने का किराया नियोक्ता के कार्य का व्यय है। लेकिन पत्नी का हवाई जहाज़ का किराया 10,000 रु० व लन्दन भ्रमण का व्यय 5,000 रु० यात्रा सहायता के कुल 15,000 रु० वेतन में सम्मिलित किये गये हैं।

4. अग्रिम वेतन को मकान की सुविधा के मूल्यांकन करते समय 'वेतन' में नहीं जोड़ा जायेगा।

5. किराया मुक्त मकान की सुविधा के मूल्यांकन के लिए वेतन 38,400 रु०(36,000 रु० वेतन+2,400 रु० शिक्षा भत्ता)। उचित किराया आधे भाग का 25,000 रु० है जो वेतन के60% से अधिक है, अतः उचित किराये का वेतन के 50% पर आधिक्य 5,800 रु० (25,000—19,200) ही सुविधा का मूल्य होगा।

6. बीमा प्रीमियम CIT vs Lala Shri Dhar (1972) 84 ITR 192 के अनुसार करयोग्य नहीं है क्योंकि कम्पनी के द्वारा कर्मचारियों का बीमा दुर्घटना अथवा मृत्यु क्षतिपूर्ति के लिए कराया जाता है। बीमा कम्पनी ने कराया है। बीमे का प्रस्तावक वही व्यक्ति होता है जिसका बीमा कराया जाता है।

7. बिजली की लागत की क्षतिपूर्ति की राशि कर-योग्य है।

उदाहरण (Illustration) : 18 श्री सुन्दर तिरुपति की एक सार्वजनिक लि० कम्पनी में 3,500 रु० मासिक वेतन पर प्रबन्धक के पद पर नियुक्त हैं वे कम्पनी की बिक्री पर एक प्रतिशत कमीशन भी प्राप्त करते हैं। इस वित्तीय वर्ष में कम्पनी के लिए उनके द्वारा की गई बिक्री 10 लाख रुपये थी। वे एक ऐसे मकान में रहते हैं जिसके लिए कम्पनी को 16,000 रु० वार्षिक किराया देना पड़ता है कम्पनी ने आवश्यक फर्नीचर व साज सज्जा इस मकान में दिया हुआ है जिसका मूल्य 20,000 रु० है। मकान की बिजली का व्यय 80 रु० मासिक कम्पनी वहन करती है व उसकी देख भाल के लिए 80 रु० मासिक पर एक माली भी नियुक्त किया हुआ है।

कम्पनी ने एक 16 होर्स पावर से अधिक की कार (ड्राइवर सहित) श्री सुन्दर को दे रखी है जिसका उपयोग सुन्दर द्वारा सभी प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है। कार के व्यक्तिगत इस्तैमाल से सम्बन्धित सभी व्यय सुन्दर देते हैं। उन्हें 750 रु० मासिक की दर से मनोरंजन भत्ता भी दिया जाता है। उन सहित सभी उच्च अधिकारियों को आफिस में निःशुल्क भोजन दिये जाने की व्यवस्था है। गतवर्ष में प्रत्येक अधिकारी को 1,500 रु० की राशि का निःशुल्क भोजन दिया गया है। सुन्दर कम्पनी के प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड में 500 रु० मासिक एवं अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड में 150 रु० मासिक देते हैं एवं कम्पनी भी इसमें इतना ही अंशदान देती है।

गतवर्ष में प्राविडेण्ट फण्ड में ब्याज के लिए 12% वार्षिक की दर से 7,200 रु० जमा किया गया है। निम्नलिखित सूचना को ध्यान रखते हुए आप 31 मार्च, 1985 को समाप्त गतवर्ष के लिये श्री सुन्दर की वेतन से करयोग्य आय की गणना कीजिये।

अ. सुन्दर का कथन है कि मकान का आधा भाग प्रायः कम्पनी के ग्राहकों से भरा रहता है जबकि आयकर अधिकारी यह मानने को तैयार है कि मकान का 1/4 भाग कम्पनी के ग्राहकों द्वारा उपयोग किया जाता है।

ब. मनोरंजन भत्ते की दर 1-1-1955 से 400 रु० मासिक 1-4-1958 से 600 रु० मासिक व 1-4 1982 से 750 रु० मासिक है।

Shri Sunder, general manager of a limited company, in Triupati, draws a salary of Rs. 3,500 per month. He gets Commission also @ 1% on sales. He affected a sale of Rs. 10 lakhs during the financial year. He lives in a house for which the company pays rent of Rs. 1[illegible],000 p.a. It has also provided necessary furniture and fittings costing Rs.20,000. The company bears the electric charges which average Rs.80 p.m. and employs a gardener at Rs. 80 p.m.

The company has also provided him with a mere than than 16 H.P. car alongwith a chauffeur which is fully at his disposal, and pays him entertainment allowance of Rs, 750 p.m. Sundar has to pay the expenses of car attributable to personal use.

He alongwith other senior officers of the company is given free lunch in office on all working days.

He contributes Rs. 500 p.m. to the company's RPF and Rs. 150 p.m. to its Approved Superannuation Fund, the company contributing equal sums. The amount of interest credited to his Provident Fund Account for the previous year is Rs. 7,200, calculated @ 12%.

After taking into consideration the following information compute the salary income of Sundar for the previous year ended 31st March, 1985 :

a) Sundar claims that some rooms in his houses are always used by visitors having business with the company, and the ITO is prepared to concede that ¼th of the house is so used.
b) He has been drawing entertainment allowance @ Rs. 400 p.m. from 1-1-1955 Rs. 600 p.m. from 1-4-1958 and Rs. 750 p. m. from 1-4-1962.

हल (Solution) :

Statement of Taxable Income from Salary of Sh. Sunder for the A Y 1986-87.

	Rs.
Salary at Rs. 3,500 p.m.	42,000
Commission @ 1% on Rs. 10,00,000	10,000
Entertainment allowance	9,000
Employer's contribution to RPF in excess over 10% (6,000—4,200)	1,800
Electric charges (3/4ths of Rs. 960)	720
Value of free lunch (assumed amount)	1,500
Value of free car alongwith a chauffeur (1,800+1,800)	3,600

If the expenses of the car maintenance and running for his private or personal purposes are met by assessee
150 × 12 = 1800 (car)
150 × 12 = 1800 (driver)

Value of gardner facility		360
Interest on RPF in excess over 10½%		900
Valuation of rent-free house :	Rs.	
Unfurnished house	5,620	
10% of the cost of furniture	1,500	7,120
Gross income from salary		77,000
Less : Standard deduction being limited to	1,000	
Entertainment allowance	4,800	5,800
Income from Salary		71,200

टिप्पणी (Notes) : 1. चूँकि आयकर अधिकारी ने यह माना है कि मकान का 3/4 भाग करदाता द्वारा उपयोग किया जाता है, अतः उचित किराया $16{,}000 \times \frac{3}{4} = 12{,}000$ रु० होगा। इसके मूल्यांकन के लिए करदाता का वेतन 56,200 रु० (42,000 रु० वेतन + 10,000 रु० कमीशन + 4,200 रु० करयोग्य मनोरंजन भत्ता) है।

चूँकि उचित किराया वेतन के 50% से अधिक नहीं है, अतः वेतन के 10% के बराबर (5,620 रु०) ही असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्यांकन होगा। फर्नीचर की लागत 20,000 रु० के 3/4 भाग 15,000 रु० का 10% 1,500 रु० उक्त मूल्यांकन में जोड़ने पर 7,120 रु० सुसज्जित मकान का मूल्यांकन हुआ, जिसे सम्मिलित किया गया है।

2. फर्नीचर पूरे मकान में 20,000 रु० का है। चूँकि कर्मचारी 3/4 भाग का उपयोग करता है, अतः 20,000 रु० × 3/4 = 15,000 रु० का 10% ही सम्मिलित किया गया है।

3. मुफ्त भोजन की सुविधा कर-योग्य है।

4. मनोरंजन भत्ता निम्न में से न्यूनतम 4,800 रु० कटौती योग्य है जिसकी कटौती दी गई है :—

a) मूल वेतन का 1/5 भाग	8,400 रु०
b) वास्तविक मनोरंजन भत्ते की प्राप्त राशि	9,000 रु०
c) 1-4-55 से पूर्व में प्राप्त होने वाला मनोरंजन भत्ता (400 × 12)	4,800 रु०
d) अधिकतम राशि	7,500 रु०

5. कर्मचारी को कार की सुविधा प्रदान की गई हैं, अतः Standard deduction की कटौती 1,000 रु० की दी गई है।

6. बिजली के व्यय 3/4 भाग अर्थात् 720 रु० कर-योग्य हैं।

7. प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान 10% तक कर-मुक्त है, अतः शेष सम्मिलित किया गया है।

8. प्रमाणित भविष्य निधि का ब्याज 10½% तक कर-मुक्त है, शेष सम्मिलित किया गया है।

9. माली के वेतन का 3/4 भाग अर्थात् 60 रु० प्रति माह कर्मचारी के निजी प्रयोग से सम्बन्धित है। उसके वेतन का 50% और 60 रु० प्रतिमाह जो दोनों में से कम है अर्थात् 30 रु० प्रतिमाह सुविधा का मूल्य होगा।

उदाहरण (Illustration) 19 : श्री एस० एन० सरकार स्वदेशी लि० में 4,000 रु० के मासिक वेतन पर प्रबन्धक के पद पर 1 अप्रैल, 1956 से आसीन हैं। उन्हें मनोरंजन

Gratuity received exempted to max. limit of 50000.

भत्ता 500 रु० मासिक का मिलता है। मकान किराये भत्ते के रूप में 800 रु० मासिक प्राप्त होते हैं जबकि वे अपने ही मकान में रहते हैं हालाँकि इस पर स्वामित्व इनकी पत्नी का बताया जाता है यह स्पष्ट है कि श्री सरकार किसी प्रकार के किराये का भुगतान नहीं करते हैं। उन्होंने गतवर्ष में कम्पनी के ग्राहको के मनोरंजन हेतु 6,000 रु० व्यय किये हैं।

श्री सरकार ने 31 मार्च, 1986 को कम्पनी से अवकाश प्राप्त किया तथा ग्रेच्युटी 50,000 रु० ग्रेच्यूटी के प्राप्त किये। यह सूचना प्राप्त है कि भूतकाल में भी इन्होंने 10,000 रु० की ग्रेच्युटी किसी अन्य नियोक्ता से 1955 में प्राप्त की थी जिसे करमुक्त रखा गया था।

एस एन० सरकार को 20 HP की एक कार कम्पनी द्वारा मय ड्राइवर के दी गई थी जिस पर सभी व्यय कम्पनी द्वारा किये जाते रहे हैं। श्री सरकार कम्पनी के प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड में 12% की दर से अंशदान देते रहे हैं तथा कम्पनी द्वारा भी इतना ही अंशदान दिया जाता था। फण्ड में 9% की दर से 9,000 रु० ब्याज के जमा किये गये हैं।

आय कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए श्री सरकार के वेतन से कर योग्य आय की गणना कीजिए।

Mr. S, N. Sarkar holds the office of General Manager from 1st April 1956 in Swadeshi Products Ltd. on a monthly salary of Rs. 4,000 plus an entertainment allowance of Rs. 500 p.m. He also receives house rent allowance of Rs 800 per month though he stays in his own house which is shown as owned by his wife. It is however, found that he is not paying rent to her. During the previous year he spent Rs. 6,000 for entertaining the customers of the company,

Mr Sarkar retires from this company on 31st March, 1986 and receives gratuity amounting to Rs. 50,000 according to the provisions of the payment of Gratuity Act. It is on recorded that in the past also he had claimed exemption on account of gratuity received from his earlier employer of an amount of Rs. 10,000 in 1955.

Mr. Sarkar enjoyed free use of an office car for his personal work and the company has provided a chauffeur also. The car is of 20 h. p. rating. He has been a member of Recognised Provident Fund contributing 12% of his salary to it with an equal contribution from the company. Interest credit to the fund is calculated @ 9% amounting to Rs. 9,000,

You are required to calculate his taxable salary for assessment year 1986-87.

हल (Solution) :

Computation of Taxable Salary
For the A. Y. 1986-87

	Rs.	Rs.
Salary @ Rs. 4,000 p.m.		48,000
Entertainment allowance @ Rs. 500 p.m.		6,000
House rent allowance @ 800 p.m.		9,600
Gratuity received on retirement	50,000	
Maximum exemption allowed	40,000	10,000
Car Facility (20 h p. rating)		6,600
Company's contribution to R.P.F. in excess over 10%		960
Gross Salary		81,160
Standard deduction is resticated to Rs. 1,000 only		1,000
Taxable Salary		80,160

400 × 12 = 4800 + 1800 = 6600

टिप्पणी (Notes) : 1. ग्रेच्युटी की निम्न में से न्यूनतम राशि 36,000 रु० करमुक्त हैं:—

	रु०
अ) वास्तविक प्राप्त राशि	—50,000
ब) 20 माह का औसत वेतन (20 × 3,000 रु०)	—60,000
स) सेवा के सम्पूर्ण 29 × $\frac{1}{2}$ × 4000 रु०	—58,000
द) अधिकतम राशि	—50,000

ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में कर मुक्त अधिकतम राशि 50,000 रु० है किन्तु श्री सरकार पूर्व में प्राप्त ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में 10,000 रु० की राशि करमुक्ति प्राप्त हुई थी अतः अब अधिकतम करमुक्त राशि 50,000 रु० में से पूर्व कर मुक्त राशि 10,000 रु० घटाकर शेष 40,000 रु० अधिकतम सीमा मानी जायेगी।

2. चूंकि कर्मचारी वर्तमान नियोक्ता के पास 1-4-55 से पूर्व सेवारत नहीं है, अतः मनोरंजन भत्ते के विषय में कोई कटौती प्राप्त नहीं होगी। यद्यपि श्री सरकार ने मनोरंजन भत्ते की पूरी राशि कम्पनी के ग्राहकों पर व्यय कर दी है, फिर भी कोई कटौती प्राप्त नहीं होगी।

3. करदाता द्वारा मकान किराया नहीं चुकाया जा रहा है, अतः मकान किराये भत्ते की पूरी राशि कर-योग्य है।

4. प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान 10% तक ही कर-मुक्त है।

उदाहरण (Illustration) 20 : श्री दिनेश 1 जनवरी 1984 को जयपुर में एक कम्पनी के ब्रांच मैनेजर के रूप में 2,000-100-3,000 रुपये के वेतनमान में नियुक्त हुए। उन्हें वेतन का 10% महंगाई भत्ता, 150 रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता एवं 300 रु० प्रतिमाह सवारी भत्ता भी मिलता है।

कम्पनी ने 1 जुलाई 1985 से उन्हें बिना किराये के रहने का मकान दिया है। इस मकान का उचित किराया 16,000 रुपये प्रति वर्ष है। कम्पनी ने इस मकान के सम्बन्ध में जुलाई, 1985 से मार्च 1986 तक निम्न व्यय किये है—

मरम्मत (Repair)	2,000 रुपये
बिजली के बिल (Electric Bills)	350 रुपये
पानी के बिल (Water Bills)	200 रुपये
टैलीफोन के बिल (Telephone Bills)	800 रुपये

1 अक्टूबर, 1985 को उनका सवारी भत्ता बन्द कर दिया गया और उन्हें 14 हॉर्स पावर की एक मोटर कार उनके निजी एवं कार्यालय के उपयोग के लिये दी गई। चालक के वेतन सहित कार चलाने एवं रख रखाव के समस्त व्यय कम्पनी द्वारा चुकाये जाते है।

उन्हें 1 अप्रैल 1985 को 60,000 रु० का ब्याज मुक्त ऋण भी अपने मकान के निर्माण हेतु दिया गया है। यदि यह राशि बाहर से उधार ली जाती तो उन्हें 15% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज चुकाना पड़ता।

कम्पनी और वह वेतन की 12½% प्रमाणित भविष्य निधि में जमा कराते हैं गत-वर्ष में उनके भविष्य निधि खाते में 12% वार्षिक की दर से 1200 रुपये ब्याज के जमा हुए।

निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए उनकी वेतन से कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

Shri Dinesh was appointed as the Branch Manager of a company at Jaipur on 1st January, 1984 in the pay scale of Rs. 2,000-100-3,000. He also receives 10% of his pay as dearness allowance Rs. 150 p.m. as medical allowance and Rs. 300 p.m. as conveyance allowance.

The company has given him a rent-free residential house since Ist July 1985. The fair rent of the house is Rs. 16,000 p.a. The company has incurred the follwing expenses in respect of this house from July 1985 to March 86 :—

On 1st Oct. 1985 his conveyance allowance was stopped and he was given a motor car of 14 h.p, rating for both official and personal use. All expenses of running and maintenance of the car, including salary of driver are paid by the company.

He has also been given an interest free loan of Rs. 60,000 on 1st April 1985 for construction of his house. Had he borrowed the sum from outside, he would have to pay interest @ 15%.

He as well as the company contribute 12½ % of his pay to recognised provident fund. Interest credited during the previous year so his provident fund account 12% p.a. was Rs. 1,200.

Calculate his taxable income from Salaries for the Assessment year 1986-87.

हल (Solution) Statement of Income from Salary for the Assessment Year 1986-87

			Rs.
Salary	2100×9 2200×3	18,900 6,600	25,500
Dearness Allowance			2,550
Medical Allowance			1,800
Value of rent free House			3,780
Motor car (Rs. 450 for 6 months)			2,700
Prequisite of Free Electricty			350
Perquisite of Free water			200
Excess Employer's Cont to R P F (2·5% of 25,500)			638
Excess Interest on R.P.F. account			150
Value of interest free loan			9,000
Gross Income from Salaries			46,668
Less : Standered Deduction			1,000
Taxable Income from Salaries			45,668

टिप्पणी (Notes) : 1. किराया मुक्त मकान की सुविधा का मूल्यांकन :—मकान का उचित किराया=16,000×9/12=Rs. 12,000(1 जुलाई से 31 मार्च तक का) इस उद्देश्य हेतु वेतन=19,200+1,350=20,5 50 रु०

(जुलाई 1985 से दिसम्बर 85 तक का वेतन 2,100×6=12,600+जनवरी 1986 से मार्च 1986 का वेतन 2,200×3=6,600 अर्थात् कुल वेतन 19,200 रु० लिया जायेगा क्योंकि मकान की सुविधा जुलाई से प्राप्त हुई है। 9 माह का चिकित्सा भत्ता भी वेतन में शामिल किया जायेगा) चूंकि उचित किराया वेतन के 50% (10,275 रु०) से अधिक है अतः मकान की सुविधा का मूल्य उचित किराया—वेतन का 40% अर्थात् 12,000—8,220=3,780 रु० होगा।

2. टेलीफोन की सुविधा कर-मुक्त है।

3. गैस व पानी के बिलों का नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया है, अतः यह पूर्णतः कर-योग्य होगा।

4. प्रमाणित भविष्य निधि में वेतन के 10% तक का नियोक्ता का अंशदान कर-मुक्त है। शेष राशि कर-योग्य है, जिसे सम्मिलित किया गया है।

5. प्रमाणित भविष्य निधि खाते में जमा का 10·5% तक ब्याज कर मुक्त है, अतः आधिक्य ब्याज की राशि $\frac{1,200 \times 1 \cdot 5}{12} = 150$ रु० कर-योग्य है, जिसे सम्मिलित किया गया है।

6. यदि किसी विशिष्ट कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा कोई ऋण दिया जाता है और इस ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है अथवा जिस दर पर उसे बाजार से प्राप्त होता, उस दर से कम में दिया जाता है, तो ब्याज की राशि सुविधा का मूल्य मानी जाती है। यहाँ पर कर्मचारी को बिना ब्याज, के ऋण प्राप्त हुआ है अतः 9,000 रु० की ब्याज की राशि सुविधा के मूल्य के रूप में कर-योग्य मानी गई है।

यह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार कर-योग्य अनुलाभ माना जाता है। कर-कानून (संशोधन) अधिनियम 1984 के द्वारा इस सम्बन्ध में नियम 17 में प्रावधान किया गया था लेकिन बजट 1985-86 के प्रावधानों में उक्त संशोधन को वापिस ले लिया गया अर्थात् withdraw कर लिया गया। लेकिन अभी भी उच्चतम न्यायालय का निर्णय विद्यमान है, अतः सुविधा का लाभ कर-योग्य है।

उदाहरण (Illustration) 21 : श्री चौधरी कोटा में कम्पनी में क्रय अधिकारी हैं। गतवर्ष 1985-86 में अपनी आय के सम्बन्ध में उन्होंने निम्नलिखित विवरण दिये हैं—

(i) शुद्ध वेतन 21,000 रु० जो आयकर 6,000 रु०, प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान 5,400 रु० और बंगले का किराया वेतन का 10% काटने के पश्चात् है।

(ii) बोनस 1,800 रु०।

(iii) कर्त्तव्य सम्बन्धी यात्रा के लिए यात्रा भत्ता 25,000 रु०। उनके वास्तविक व्यय 15,000 रु० हुए।

(iv) चिकित्सा बिलों की कम्पनी द्वारा प्रतिपूर्ति 2,500 रु०।

(v) वे कम्पनी के बंगले में रहते हैं। इसका उचित किराया 750 रु० प्रतिमाह है। कम्पनी ने इस बंगले पर एक माली और एक रसोइये की सुविधा दी है जिन्हें प्रत्येक को 250 रु० प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। कम्पनी ने इस बंगले के 900 रु० के बिजली के बिल और 675 रु० पानी के बिल के चुकाये।

(vi) उन्हें 20 हा०पा० की एक मोटर कार की सुविधा कार्यालय एवं निजी कार्यों के लिए दी गई है। कार को चलाने एवं रख रखाव के व्यय (चालक सहित) कम्पनी द्वारा वहन किये जाते हैं।

(vii) उनके भविष्य निधि खाते में निम्नलिखित राशियाँ जमा हुई—
(अ) स्वयं का अंशदान—5,400 रु०।

(ब) कम्पनी का अंशदान—4,320 रु० ।
(स) 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज 9,350 रु० ।

(viii) कम्पनी के सामान्य अंशों पर प्राप्त लाभांश 775 रु० ।

(ix) स्टेट बैंक आफ इण्डिया में उनके बचत खाते में जमा ब्याज 145 रु० ।

निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए उनकी वेतन से कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

Mr. Chaudhary is the Purchase officer in a company at Kota. He has given the following particulars of his income for the previous year 1985-86 :—

(i) Net salary—Rs. 21,000 after deduction of income-tax Rs. 6,000, Contribution to recognised provident fund Rs. 5,400 and rent of bungalow @ 10% of salary.

(ii) Bonus—Rs. 1,800.

(iii) Travelling allowance for his official tours—Rs. 25,000, His expenditure on tours amounted to Rs. 15,000.

(iv) Reimbursement of his medical bills—Rs. 2,500.

(v) He resides in a bungalow of the Company. It's fair rent is Rs. 750 per month. A gardner and cook have been provided by the company at the bungalow who are paid Rs. 250 per month each. The company has paid electricity bills of Rs. 900 and water bills of Rs. 675 of this bungalow.

(vi) He has been provided with a motor car of 20 h. p. for his official and private use. The running and maintenance costs (including driver) are borne by the Company.

(vii) Amount credited to his provident fund account :—
(a) Own Contribution—Rs. 5,400.
(b) Contribution by the Company—Rs. 4,320.
(c) Interest @ 11% p. a.—Rs. 9,350.

(viii) Dividend received on equity shares of the company—Rs. 775

(ix) Interest credited in his sevings bank account in State Bank of India Rs. 145.

You are required to calculate his taxable income from salary for the assessment year 1986-87.

(Rajsthan B. Com. 1984)

हल (Solution) :

Statement of Income from Salaries for the A.Y. 1986-87

		Rs.	Rs.
Net Salary		21,000	
Add : Deductions made from salary :	Rs.		
Income-tax	6,000		
P. F. Contribution	5,400		
House Rent	3,600	15,000	36,000
Bonus			1,800
Travelling Expenses			10,000
Value of rent-free accomodation			1,180
Employer's Contribution to recognised Provident fund		4,320	
Less : exempt upto 10% of salary		3,600	720
Interest on provident fund		9,350	
Less : exempt upto Interest @ 10·5%		8,925	425
Value of Motor car			6,600
Value of cook facility			3,000
Value of bills Paid			
(i) Electricity bills		900	
(ii) Water bills		675	1,575
Gross Salary			61,300
Less : Standard deduction			1,000
Taxable Income from Salaries			60,300

टिप्पणियाँ :

(1) सकल वेतन को कर-योग्य माना जाता है, अतः प्राप्त वेतन में नियोक्ता द्वारा की गई कटौतियों को जोड़कर सकल वेतन की गणना की गई है।

(2) कर्त्तव्य सम्बन्धी यात्रा में से बचाई गई राशि कर-योग्य होती है।

(3) मकान की सुविधा की गणना के लिए वेतन 47,800 रु० (36,000 रु० + 1,800 रु० + 10,000 रु०) होगा। मकान का उचित किराया 9,000 रु० प्रतिवर्ष + 3,000 रु० माली की सुविधा = 12,000 रु० वेतन के 50% से अधिक नहीं है, अतः वेतन का 10% अर्थात् 4,780 रु० सुविधा का मूल्य होगा। चूँकि 3,600 रु० (वेतन का 10%) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी से काटे गये हैं, अतः शेष 1,180 रु० (4,780 — 3,600 रु०) सुविधा मूल्य होगा।

(4) बिजली एवं पानी के बिलों के भुगतान का दायित्व कर्मचारी का है, अतः कर-योग्य है।

(5) काटे गये मकान किराये की गणना के लिए कुल वेतन 21,000 रु० + आय-कर 6,000 रु० + प्रमाणित भविष्यनिधि 5,400 रु० कुल 32,400 रु० को $\frac{100}{9}$ से गुणा करके कुल वेतन ज्ञात किया गया है तथा उसका 10% 3,600 रु० बंगले का किराया ज्ञात किया गया है।

उदाहरण (Illustration) 22 : श्री राजीव वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए अपनी वेतन से आय का निम्न विवरण प्रस्तुत करते हैं—

1.	वेतन	2,000 रु० प्रति माह
2.	मंहगाई भत्ता	150 रु० प्रति माह
3.	मनोरंजन भत्ता (1 अप्रैल 1955 से पूर्व इसे 100 रु० प्रति माह मिल रहा था)	200 रु० प्रति माह
4.	प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता व स्वयं का अंशदान	2,600 रु० प्रत्येक
5.	निधि के संचित शेष पर 11% वार्षिक दर से ब्याज	2,200 रु०
6.	नगर क्षतिपूरक भत्ता	60 रु० प्रति माह
7.	चिकित्सा भत्ता	1,500 रु० प्रति वर्ष

8. उसके नियोक्ता द्वारा उसे 20 हॉर्स पावर क्षमता की कार की सुविधा भी प्रदान की गई है, ड्राइवर के वेतन के अतिरिक्त निजी प्रयोग के व्यय स्वयं वहन किये जाते हैं। कार कार्यालय व निजी कार्यों के लिए प्रयोग में आती है।

9. नियोक्ता की ओर से उन्हें रहने के लिए एक असुसज्जित मकान की सुविधा भी प्रदान की गई है, जिसका नियोक्ता 100 रु० प्रतिमाह किराया लेता है। मकान का उचित किराया 3,000 रु० वार्षिक है। मकान का नियोक्ता स्वामी है।

10. नियोक्ता ने उसके लिए एक फर्राश 100 रु० प्रतिमाह पर, एक चौकीदार 80 रु० प्रतिमाह पर तथा एक माली 150 रु० प्रतिमाह पर रखा हुआ है।
11. उन्हें 1 दिसम्बर 1985 को 1,00,000 रु० का ऋण 6% प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर मकान के निर्माण हेतु दिया गया, यदि राशि बाहर से उधार ली जाती तो 18% वार्षिक दर से ब्याज चुकाना पड़ता।

कर निर्धारण वर्ष 1986-87 में लिए वेतन शीर्षक की कर योग्य आय की गणना कीजिए।

Shri Rajeev furnishes the following details of his salary income from the financial year 1985-86:

		Rs.
1.	Salary	2,000 p.m.
2.	Dearness Allowance	150 p.m.
3.	Entertainment Allowance (Prior to 1st April, 1955 he was getting Rs. 100 p.m.)	200 p.m.
4.	Employers and his contribution to the recognised provident fund.	2,600 each
5.	Interest on the accumulated balance of fund @ 11% p.a.	2,200
6.	City Compensatory Allowance	60 p.m.
7.	Medical Allowance	1,500 p.m.

8. He is provided a car of 20 h. p. rating by his employer, its expenses excluding driver's salary are met by him for private purpose. The car is used for official as well as for private purpose.
9. He is also provided with an unfurnished accommodation for which his employer charges Rs. 100 p.m. The fair rent of house is Rs. 3,000 per annum The house is owned by the employer.
10. The employer has also engaged for him a sweeper @ Rs. 100 p.m., a watch man @ Rs. 80 p.m. and gardener @ Rs. 150 p.m.
11. He has also been given an interest-free loan of Rs. 1,00,000 @ 6% per annum on 1st Dec. 1985 for construction of his house. Had he borrowed the sum from outside, he would had to pay interest @ 18% per annum.

Compute his taxable income from salary for the assessment year 1986-87

(B. Com. Raj. 1982 amended)

हल (Solution) : **Statement of Taxable Income from Salary of Shri Rajeev for the Assessment year 1985-86**

	Rs.
Salary	24,000
Dearness Allowance	1,800
Entertainment Allowance	2,400
Medical Allowance	1,500
City Compensatory Allowance	720
Employer's excess contribution towards RPF	200
Excess interest Credited in RPF	100
Value of Prequisites :	
Car with driver	3,600
Accomodation at Concessional Rent	1,542
Interest free loan at a lower rate	4,000
Sweeper's Services	720
Watchman's Services	480
Gross income from Salary	41,062
Less : Standard Deduction u/s 16 (i) 1,000 Entertainment Allowance u/s 16 (ii) 1,200	2,200
Total Income From Salary	38,862

टिप्पणी (Notes) : 1. नियोक्ता का प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान 2,600 रु० है जो वेतन के 10% अर्थात् 2,400 रु० से 200 रु० अधिक है। यह आधिक्य वेतन में जोड़ा जायेगा। यहाँ 'वेतन' में मँहगाई भत्ता शामिल नहीं माना जायेगा क्योंकि सेवा की शर्तों में मँहगाई भत्ते के जोड़े जाने की बात नहीं है।

2. प्रमाणित भविष्य निधि में 11% की दर से 2,200 रु० जमा हुआ है जो 10·5% की दर तक कर-मुक्त है अतः $\left(\frac{2,200 \times \cdot 5}{11}\right) =$ 100 रु० वेतन में जोड़े जायेंगे।

3. कार का मूल्यांकन 150 रु० प्रतिमाह तथा ड्राइवर की सुविधा का मूल्यांकन 150 रु० प्रतिमाह। कुल 300 रु० माह अर्थात् 3,600 रु० की कार की सुविधा का मूल्यांकन होगा।

4. माली की सुविधा कर मुक्त अनुलाभ है क्योंकि मकान नियोक्ता का स्वयं का है किन्तु माली के वेतन को मकान के उचित किराये में जोड़ा जायेगा।

5. रियायती किराये के मकान की सुविधा का मूल्यांकन निम्न प्रकार किया गया है कर मुक्त मकान के रूप में मूल्यांकन उचित मूल्य 4,800 रु० (3,000+1,800 रु० माली का वेतन) है जो वेतन 27,420 के 50% से अधिक नहीं है अतः इस सुविधा का मूल्य केवल वेतन का 10% 2,742 रु० होगा इसमें से 100 रु० प्रतिमाह अर्थात् 1,200 चुका दिये गये हैं। अतः इस सुविधा का मूल्य कर मुक्त मकान के मूल्य 2,742 रु० में से चुकाई गई राशि 1,200 रु० घटाकर शेष 1,542 रु० ही होगा।

6. फर्राश की सेवाओं का मूल्य उसकी मजदूरी 1,200 का 75% अर्थात् 900रु० या 720 रु० दोनों में जो कम है (अर्थात् 720 रु०) तथा चौकीदार की सेवाओं का मूल्य उसकी मजदूरी 960 रु० का 50% अर्थात् 480 या 720 रु० दोनों में से जो भी कम हो (अर्थात् 480) लिया गया है।

7. मनोरंजन भत्ते की कर-मुक्त राशि निम्न में से न्यूनतम राशि के बराबर होगी :

a) वास्तविक मनोरंजन भत्ता	=2,400 रु०
b) मूल वेतन का 1/5 भाग	=4,800 रु०
c) 1 अप्रैल, 1955 से पूर्व प्राप्त भत्ता	=1,200 रु० (न्यूनतम)
d) अधिकतम राशि	=7,500 रु०

8. विशिष्ट कर्मचारी की स्थिति में कम ब्याज की दर पर दिया गया ऋण सुविधा माना जाता है, अतः 4,000 रु० कर-योग्य है।

परीक्षा प्रश्न (Test Questions)

सैद्धांतिक प्रश्न (Theortical Question)

1. निम्नलिखित के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम में प्रावधान स्पष्ट कीजिए—(अ) मकान किराया भत्ता, (ब) किराया मुक्त मकान की सुविधा, (स) मनोरंजन भत्ता, (द) मोटर कार की सुविधा, (य) निःशुल्क चिकित्सा सुविधा।
Clarify the provisions of Income Tax Act regarding the following— (a) House Rent Allowance (b) Rent free accomodation (c) Entertainment Allowance (d) Motor car Facility (e) Free Medical facility.

2. अनुलाभ की परिभाषा दीजिये। इनका मूल्यांकन कैसे होता है? कर-मुक्त अनुलाभों को समझाइये।

Define perquisites. How are these valued? Enumerate tax free perquirites?

3. नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारी को (सभी श्रेणी वाले) प्रदान की गई किराया-मुक्त मकान की सुविधा का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है जबकि मकान (अ) सुसज्जित हो, (ब) असुसज्जित हो?

How is the value of rent-free accommodation provided by the employer to the employee (all categories) determined when he acconmodation is (a) Furnished (b) Unfurnished? (Agra B. Com. 1977)

4. वेतन शीर्षक की करयोग्य आय ज्ञात करने हेतु कौन-सी कटौतियाँ स्वीकृत हैं?

What deduction are admissible for arriving at the taxable income under the head "salary"? (Agra B. Com. 1979 and Krukshetra B. Com. 1971)

5. प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड एवं अप्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड में अन्तर स्पष्ट कीजिये।

Distinguish between a recognised provident fund and an unrecognised provident fund. (Delhi B. Com. Pass 1974)

6. एक वेतन पाने वाला कर्मचारी जिन प्राविडेण्ट फण्ड का सदस्य बन सकता है। उनके नाम बताइये और उनके बारे में आयकर सम्बन्धी आयोजन बताइये।

Name the provident funds of which a salaried employee may be a member and also give the provision of income-tax regarding them. (Luck B.Com.1973)

7. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए:

(अ) उपदान (ब) अर्जित अवकाश वेतन (स) पेंशन के स्थान पर एक-मुश्त भुगतान (द) कर मुक्त अनुलाभ

Write short notes on the following:

(a) Gratuity (b) Earned Leave salary (c) Commutation of pension (d) Tax-free perquisities.

8. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिये:

a. प्राविडेण्ट फण्ड b. अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड c. पेन्शन का लघुकरण

Write notes on the following:

a. Provident Fund b. Approved superannuation Fund c. Commutation of pension.

9. कुछ ऐसे लाभों का वर्णन कीजिए जो कर्मचारी को नियोक्ता से मिलते हैं व जो आयकर से मुक्त होते हैं।

Describe a few benefits received by the employee from his employer which are tax free.

व्यावहारिक प्रश्न (Practical Questions)

1. निम्नलिखित प्रत्येक दशा में एक नियोक्ता के द्वारा कर्मचारियों को प्रदान की गई मकान की सुविधा का मूल्य ज्ञात कीज़िए—

(a) वेतन 400 रु० प्रतिमाह, अलीगढ़ में असुसज्जित मकान, नियोक्ता द्वारा मकान का देय किराया 120 रु० प्रतिमाह।

(b) वेतन 1,000 रु० प्रतिमाह, लखनऊ में सुसज्जित मकान, नियोक्ता द्वारा मकान का देय किराया 800 रु० प्रतिमाह और फर्नीचर का 40 रु० प्रतिमाह

(c) वेतन 2,000 रु० प्रतिमाह बम्बई में असुसज्जित मकान, नियोक्ता द्वारा देय किराया 1,500 रु० प्रतिमाह।

(d) वेतन 2,500 रु० प्रतिमाह, दिल्ली में सुसज्जित मकान, नियोक्ता द्वारा देय किराया 800 रु० प्रतिमाह, फर्नीचर की मूल लागत 8,000 रु०।

(e) वेतन 1,000 रु० प्रतिमाह, उज्जैन में असुसज्जित मकान, नियोक्ता द्वारा देय किराया 200 रु० प्रतिमाह।

(f) वेतन 1,500 रु० प्रतिमाह, जयपुर में सुसज्जित मकान, नियोक्ता द्वारा देय किराया 250 रु० प्रतिमाह, फर्नीचर की मूल लागत 6,000 रु०। फर्नीचर 1 जुलाई 1985 से उपलब्ध कराया।

Compute the value of the house amenity provided by an employer to his employees in each of the following cases :—

(a) Monthly pay Rs. 400; unfurnished accommodation at Aligarh; rent paid by the employer Rs. 120 p.m.
(b) Monthly pay Rs. 1,000, furnished accommodation at Lucknow; rent paid by the employer for the house Rs. 800 p m and for furniture 40 p. m.
(c) Monthly pay Rs.2,000, unfurnished accommodation at Bombay; rent paid by the employer Rs. 1,500 p. m.
(d) Monthly pay Rs. 2,500 furnished accommodation at Delhi; rent paid by the employer Rs. 800 per month, original cost of furniture Rs. 8,000.
(e) Monthly pay Rs. 1,000, unfurnished accommodation at Ujjan; rent paid by the employer Rs. 200 p.m.
f) Monthly pay Rs. 1,500; furnished accommodation at Jaipur; rent paid by the employer Rs. 250 per month original cost of furniture Rs. 6,000. Furniture was made available from 1st July, 1985.

2. निम्न दशाओं में से निजी क्षेत्र के नियोक्ता द्वारा प्रदान मोटर कार की सुविधा का मूल्यांकन कीजिये।

a) वेतन 3,000 रु० प्रतिमाह, नियोक्ता की 14 हॉर्स पावर की कार का नौकरी हेतु उपयोग, समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किये जाते हैं। कार करदाता स्वयं चलाता है। करदाता कार का उपयोग घर से कार्यालय जाने तथा कार्यालय से घर जाने के लिए भी करता है।

b) वेतन 1,000 रु० प्रतिमाह, नियोक्ता की 16 हॉर्स पावर की कार का निजी एवं नौकरी हेतु उपयोग समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किये जाते हैं। कार करदाता स्वय चलाता है।

c) वेतने 4,000 रु० प्रतिमाह, नियोक्ता की 18 हॉर्स पावर की कार का निजी एवं नौकरी हेतु उपयोग। निजी उपयोग सम्बन्धी व्यय करदाता द्वारा वहन किये जाते हैं। कार करदाता स्वयं चलाता है।

d) वेतन 6,000 रु० प्रतिमाह, नियोक्ता की 20 हॉर्स पावर की कार का निजी एवं नौकर हेतु उपयोग। चालक के 160 रु० प्रतिमाह वेतन सहित कार्यालय उपयोग सम्बन्धी समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं।

e) वेतन 5,000 रु० प्रतिमाह, नियोक्ता की दो कारें हैं—एक 20 हॉर्स पावर की एवं दूसरी 16 हॉर्स पावर की। चालक का देय 250 रु० प्रतिमाह वेतन सहित सम्पूर्ण व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किये जाते हैं। करदाता की दोनों कारों का उपयोग नौकरी एवं निजी कार्यों हेतु किया जाता है।

f) वेतन 2,500 रु० प्रतिमाह नियोक्ता की 20 हॉर्स पावर की कार का निजी एवं नौकरी हेतु उपयोग। कार्यालय के उपयोग के समस्त व्यय नियोक्ता चुकाता है। कार करदाता स्वयं चलाता है।

Calculate the value of the amenity of motor car provided by a private sector employer in each of the following cases :

(a) Salary Rs. 3,000 p. m. free use of employer is 14 H.P. car for official pupose all the expenses of car are born by the employer. The car in driven by the assessee himself. The assessee also uses car to go office from his residence and back to residence from office.

(b) Salary Rs. 1,000 p.m., free use of employer's 16 H.P. car for persnol and official purposes all the expenses of car borne by the employer. The car is driven by the assessee himself.

(c) Salary Rs. 4,000 p. m. free use of employer's 18 H. P. car for private and official use. Expenses relating to personal use are borne by the assessee himself. The car is driven by him.

(d) Salary Rs. 6,000 p m., free use of employer's 20 H.P. car for personal and official purposes All the expenses including driver's salary @ Rs. 160 per month, relating to official purposes are borne by the emloyer.

(e) Salary Rs, 5,000 per month. The employer has two cars of 20 H. P. and 16 H. P. All the expenses, including the driver's salary @ 250 per month are borne by the employer. The assessee uses both the case for private and official purposes.

(f) Salary Rs. 2,500 per month, free use of employer's 20 H. P, car for private and official purposes. Expenses relating to office use are borne by the employer. The car is driven by the assessee himself.

3. श्री महेश जैन की फैक्टरी, दिल्ली में 1,600-100-3,000 रु० के वेतनमान में 1 जून, 1983 को 1,600 रु० के प्रारम्भिक वेतन पर नियुक्त हुए। उन्हें 300 रु० प्रतिमाह मंहगाई भत्ता एव मकान किराया भत्ता मूल वेतन का 20% दिया जाता है। उन्हें 600 रु० प्रतिमाह किराये का एक मकान लिया हुआ है। कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए उनकी वेतन शीर्षक की सकल आय ज्ञात कीजिए।

Shri Mahesh was appointed on 1st June, 1983 in the Jainco Factory, Delhi in the pay-scale of Rs. 1,600-100-3,000 on initial pay of Rs. 1,600. He is paid Rs.300 p.m. as Dearness Allowance and 20% of basic pay as house rent allowance. He has hired on accommodation on a monthly rent of Rs. 600. Compute his taxable income under he head salaries for the Assessment year 1986-87.

4. श्री रजनीकांत (जो भारत का नागरिक है) की आय के निम्न विवरण से उनकी कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए वेतन शीर्षक की करयोग्य आय की गणना कीजिए-

a) वेतन 2,500 रु० मासिक,
b) बोनस 1,200 रु० वार्षिक
c) प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड में अंशदान—कर्मचारी का वेतन का 15% व मालिक का 15%
d) प्राविडेण्ट के शेष पर ब्याज 11% से 1,100 रु०
e) उसने गतवर्ष से 500 रु० व्यवसाय-कर के चुकाये।
f) उसने 2,000 रु० यात्रा भत्ता प्राप्त किया यद्यपि वास्तविक व्यय 1,200 रु० किया।
g) उन्हें एक 18 हॉर्स पावर की एक कार भी दी गई है जो उनके निजी उपयोग एव नौकरी हेतु उपयोग में आती है और चालक के 100 रु० प्रतिमाह वेतन सहित, इसके समस्त व्यय कम्पनी वहन करती है।

h) वे एक माह के अवकाश पर नेपाल गये। आने जाने के हवाई जहाज का किराया तथा भ्रमण का व्यय 10,000 रु० नियोक्ता द्वारा दिये गये। उन्होंने इससे पूर्व यात्रा सहायता प्राप्त नहीं की है।

From the following particular of income of Shri Rajni Kant (who is a citizen of India), determine his income from salary for the assessment year 1985-87.

a) Salary Rs. 2,500 per month.
b) Bonus Rs. 1,200 per annum.
c) Contribution to a recognised provident fund by employee 15% by the employer 15%
d) Interest on provident fund balance @ 11% Rs. 1,100.
e) He has paid Rs. 500 as profession tax during the previous year.
f) He received Rs. 2,000 as travelling allowance while the actual expenditure was Rs. 1,200.
g) He has also been provided with a 18 h. p. car, which is used by him for private as well as official purposes and all its expenses including driver's remuneration Rs. 100 p. m. an met by the Company.
h) He went to Nepal on one month's leave. The fare for to and for and expenses of visit Rs. 10,000 were paid by the employer. He did not avail any Traval grant before this.

5. श्री सीताराम सहगल की रामजस महाविद्यालय में देहली 1 जुलाई 1979 को रु० 800-25-1,000-50-1,400 वेतनमान पर नियुक्ति हुई। उन्हें 200 रु० मासिक मंहगाई भत्ता एवं वेतनमान का 25% मकान किराया भत्ता के रूप में मिलता है। उन्हें अपने निवास स्थान के लिये 150 रु० मासिक किराये के लिए देने पड़ते हैं।

श्री सहगल महाविद्यालय में प्रोक्टर हैं जिसके लिए उन्हें 400 रु० मासिक मिलते हैं। सम्बन्धित गतवर्ष में उन्हें परीक्षक के रूप में 3,000 रु० की प्राप्ति हुई है। वे छात्रों को घर ट्यूशन पढ़ाते हैं जिससे उनको 5,000 रु० की आय हुई है। कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये आप को श्री सहगल की वेतन से आय निकालनी है।

Shri Sitaram Shgal was appointed in Ramjas College in the scale Rs. 800-25 1,000-50-1400 on July, 1, 1979. He gets Rs. 200 per month as dearness allowance and 25% of salary as house rent allowance. He has to spent Rs. 150 per month for residential accomodation.

Mr. Sahgal is proctor in the college for which he is paid Rs, 400 per month. During the relevant previous year he has received Rs. 3,000 by way of examination remuneration. He gives private tution to students and his total earning on this account are Rs. 5,000. You are required to calculate his taxable salary for the assessment year. 1986-87.

6. मोहम्मद इस्लाम एक कम्पनी में बिक्री प्रबन्धक के पद पर आसीन है। कम्पनी मुख्यालय बीकानेर में है। 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले गतवर्ष के लिए आपको 'वेतन शीर्षक के अधीन करयोग्य आय रकम की गणना करनी है:

(a) वेतन 3,500 रु० मासिक; (b) मनोरंजन भत्ता 600 रु० मासिक; (c) 2 माह का वेतन बोनस के रूप में दिया गया; (d) 80,00,000 रु० की बिक्री पर ½% की दर से कमीशन मिला; (e) कम्पनी का अप्रमाणित भविष्य निधि खाता 1 अप्रैल 85 से प्रमाणित कर दिया गया तथा अप्रमाणित भविष्य निधि खाते का शेष 45,900 रु० (नियोक्ता का अंशदान 15% की दर से 15,000 रु० तथा कर्मचारी का अंशदान 15,000 रु० और ब्याज 6 प्रतिशत से 9,900 रु०) प्रमाणित भविष्यनिधि के उनके खाते में हस्तांतरित कर दिया गया। तथा गतवर्ष में प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड में श्री इस्लाम वेतन का 15% की दर से अंशदान देते हैं व कम्पनी द्वारा भी इतना ही

अंशदान दिया गया; (f) प्राविडेण्ट फण्ड में 11% की दर से 5,500 रु० ब्याज का जमा किया गया; (g) 12,000 रु० के वार्षिक किराया मूल्य का एक मकान बिना फर्नीचर के श्री इस्लाम को दिया गया; (h) चिकित्सा बिलों का 6,500 रु० का भुगतान किया गया; (i) नियोक्ता द्वारा 2,000 का क्लब के बिलों का भुगतान किया गया; (j) 16 h.p. से कम की दो कारें श्री इस्लाम को पदीय व निजी कार्यों के लिए दी गयीं। ड्राइवर सहित समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता है।

Mohd, Islam is Sales Executive in a company with Head Quarters at Bikaner. He furnishes the following information for the previous year ending 31st March, 1986 for calculating his taxable income from salary and the qualifying amount:

a) Salary Rs. 3,500 per month.
b) Entertainment allowance, Rs. 600 p.m.
c) Bonus equal to the month's salary.
d) Commission on sales at 14% on sales of Rs. 80,00,000,

From 1st April 85, the provident fund account of the Company was recognised and the balance of Unrecognised provident fund Rs. 45,900 (Employer's Contribution @ 15% Rs. 15,000; Employees Contribution Rs. 15,000 and the Interest @ 6% Rs. 9,900) in his un-recognised provident fund account was transfered to his recognised provident fund account.

e) His contribution to recognised provident fund is 15% with an equal contribution from his employer,
f) Interest credited to the provident fund is at all 11% and amounts to Rs. 5,500
g) Unfurnished rent free house has been provided to him with fair rental value of Rs. 12,000.
h) Medical bills reimburshed amount to 6,500.
i) Club bills of Rs. 2,000 were paid by the employer.
j) Two motor cars were at his disposal for official and private purpose. They Indian makes cars of less than 16 H. P. rating. All expenses including driver are borne by the employer.

7. श्री भारतभूषण माथुर हिन्दुस्तान अलुमिनियम कम्पनी, कालीकट में 1,700 रु० मासिक पर नियुक्त हैं। उन्हें कम्पनी की ओर से एक कार मिली हुई है (जो 16 हॉर्स पावर से कम है) जिसको प्राइवेट इस्तेमाल करने पर वे कार के पैट्रोल आदि का व्यय स्वयं देते हैं। इन्हें 300 रु० मासिक मँहगाई भत्ता व फर्नीचर सहित मुफ्त मकान की सुविधा प्राप्त है। एक बार वे अपने परिवार सहित उत्तर प्रदेश स्थित अपने जन्म स्थान आगरा गये जिसके लिये कम्पनी ने 3,000 रु० रेल किराये के दिये। ये प्राविडेण्ट फण्ड में वेतन के 12% की दर से अंशदान देते हैं एवं कम्पनी द्वारा भी इतना ही अंशदान दिया जाता है। प्रोविडेण्ट फण्ड आयकर कमिश्नर द्वारा अनुमोदन प्राप्त है। मकान का नगर पालिका मूल्यांकन 4,000 रु० वार्षिक है तथा 10,000 की लागत का फर्नीचर इसमें लगाया गया है। पिछले वर्ष वे अप्रैल, 85 का मूल वेतन अग्रिम ले चुके थे। गतवर्ष 1985-86 के लिये 'वेतन' शीर्षक के अधीन करयोग्य आय की गणना कीजिए।

Mr. Bharat Bhushan Mathur is working with Hindustan Aluminium Company Ltd. Calicut on a salary of Rs. 1,700 p.m. He has been provided with a car (less than 16 hp) which he uses for all purposes but he pays for petrol etc. for private use there of. He is in receipt of Rs. 300 p.m. as dearness pay and free furnished quarters. Once he paid a visit to his native place Agra for which the company paid Rs. 3,000 for train fare. He contributes to RPF @ 12% of Salary to which the company contributes equally. Fair rental value of the house according to municipal records is Rs. 4,000 p.a. and the cost of furniture provided in the house is Rs. 10,000. In the last year he had taken an advance Basic salary for the month of April, 85. Compute taxable income from salary for the previous year 1985-86.

8. मि० अमरनाथ एक सार्वजनिक लि० कम्पनी में 2,500 रु० प्रतिमाह पर सेवारत हैं। यह एक प्राविडेण्ट फण्ड में जो आयकर कमिश्नर द्वारा स्वीकृत है, अपने वेतन का $12\frac{1}{2}\%$ अंशदान करती है। इतना ही अंशदान मालिक द्वारा किया जाता है। उनके प्राविडेण्ट फण्ड खाते में गतवर्ष के दौरान 1,200 रु० ब्याज जमा किया गया उसके खाते की संचयी जमा 10,000 रु० है। अमरनाथ के दो लड़के मालिक के द्वारा संचालित विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जिसके लिए अमरनाथ को कुछ नहीं देना पड़ता। इस प्रकार के विद्यालय में एक बच्चे का साधारण व्यय 50 रु० प्रतिमाह है।

करदाता को मालिक की ओर से किराये से मुक्त रहने का असुज्जित मकान भी मिला हुआ है। यह मकान मालिक का स्वयं का हैं और इसका नगरपालिका मूल्यांकन 2,400 रु० प्रतिवर्ष है उनके मकान के बगीचे की देख-रेख व रख-रखाव के लिए उसको एक माली भी मिला हुआ है जिसकी कम्पनी द्वारा 1,200 रु० मजदूरी दी जाती है। उन्हें कम्पनी की ओर से 18 H.P. की एक कार घर से कार्यालय आने एवं कार्यालय से घर जाने के लिए प्रदान की हुई है।

कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए उसकी वेतन शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय की गणना कीजिए।

Mr. Amarnath is employed with a public limited company on a monthly salary of Rs. 2,500. He contributes to provident fund, which is recognised by the CIT @ $12\frac{1}{2}\%$ of his salary. A similar amount is contributed by the employer. Interest credited to his provident fund account during the year is Rs. 1,200. The accumulated balance to his credit is Rs. 10,000. Two boys of Mr. Amarnath are studyng in the institution run by the employer for which Amarnath has not to pay any thing normal expenditure per student in such institution is Rs. 50 a month.

The assessee is provided with a rent-free unfurnished accommodation owned by the employer, the municipal valuation of which is Rs. 2,400 p.a. He is provided with a gardner for the upkeep of the garden which is attached to the house. The wages paid by the company to the gardner amount to Rs. 1,200 only. He was provided a 18 H.P. car to go office from his house and back to his house.

Compute his taxable income under the head 'Salary' for the Assessment year 1986-87.
(Agra B. com 1978 amended)

9. श्री डी. जी. देश पांडे एक सार्वजनिक कम्पनी में लेखाकार के पद पर आसीन हैं। निम्नांकित विवरण से उनकी कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय की गणना कीजिए :

a) मूल वेतन 1,000 रु० मासिक।

b) नगर क्षतिपूर्ति भत्ता (City Compensatory allowance) 100रु० मासिक।

c) वेतन व नगर क्षतिपूर्ति भत्ते का $8\frac{1}{3}\%$ बोनस मिलता है।

d) नियोक्ता द्वारा प्रमाणित फण्ड में मूल वेतन का 15% अंशदान दिया जाता है। इतना ही अंशदान श्री देशपांडे भी देते हैं।

e) बिना किराये के फर्नीचर सहित एक मकान जिसका उचित किराया मूल्य 300 रु० मासिक है इसमें 12,000 रु० की लागत का फर्नीचर लगाया गया है जिसका ह्रासित मूल्य 8,000 रु० हैं। कम्पनी ने यह मकान किराये पर लिया हुआ है।

(f) 12 h.p. की एक कार उन्हें व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए दी गई है जिसके व्यय कर्मचारी द्वारा दिये जाते हैं।

g) माली व चौकीदार की सेवायें निःशुल्क मिलती हैं। इन्हें कम्पनी द्वारा क्रमशः 100 रु० व 80 रु० मासिक दिये जाते हैं।

h) दो बच्चों के लिए 100 रु० मासिक प्रति बच्चे की दर से शिक्षण भत्ता मिलता है।

i) गतवर्ष में उन्हें एक माह के अर्जित अवकाश त्यागने के बदले में वेतन के 1,000 रु० नकद प्राप्त हुए।

Calculate the taxable income for the A Y. 1986-87 under the head salary of Dr. D.G. Deshpande, an Accountant in a Public Limited Company whose particulars are given below.

a) Salary per month, Rs. 1,000.
b) City Compensatory Allowance Rs. 100 p. m.
c) Bonus at 8.33% of basic salary and CCA.
d) Employer's contribution to recognised provident fund at 15% of basic salary and his own contribution is also 15%.
e) Rent free furnished house, for which the Co, pays Rs, 300 per month furniture of the depreciated value of Rs.8,000 the original cost being Rs. 12,000. The company has taken this house on rent.
f) Free use of 12 h.p. motor car for personal purpose the expenses being paid by the employee.
g) Free services of a gardner and a watchman at Rs. 100 and Rs. 80 p.m. respectively.
h) Education allowance to two children at Rs. 100 per child per month.
i) He was paid Rs 1,000 equal to one month's salary on his surrendering one months earned leave.

(*Adapted Karnataka B. Com* 1980)

10. श्री रामबाबू सक्सैना, एटलस साईकिल कम्पनी बंगलौर में 1-9-1980 से मैनेजर के पद पर 1,500-100-1,900-200-3,000 के वेतनमान में सेवारत हैं। उन्हें मँहगाई भत्ते के 300 रु० मासिक व मकान किराये भत्ते के लिए 500 रु. मासिक मिलते हैं। कम्पनी द्वारा दी गई मोटरगाड़ी (जो 18 हॉर्स पावर की है) का उपयोग वे अपने व्यक्तिगत व पदीय दोनों कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। व्यक्तिगत प्रयोग के समस्त व्यय (ड्राइवर के अतिरिक्त) नियोक्ता वहन करता है। उन्हें अपने निवास स्थान के लिए 700 रु० मासिक किराया देना पड़ता है। गतवर्ष 1985-86 में उन्हें 7,500 रु० बोनस के रूप में मिले। उन्हें 500 रु० प्रतिमाह मनोरंजन भत्ता भी प्राप्त हो रहा है। उन्होंने गतवर्ष में पूरी राशि कम्पनी के ग्राहकों के मनोरंजन पर व्यय की।

उन्हें कम्पनी द्वारा एक माली की सुविधा प्रदान की गई है जिसे 200 रु० मासिक दिये जाते हैं। उन्हें आफिस में अन्य सभी कर्मचारियों के साथ निःशुल्क नाश्ते की सुविधा प्राप्त है। सम्बन्धित गतवर्ष में श्री सक्सैना को ट्रेनिंग के लिए अहमदाबाद भेजा गया व 12,000 रु० व्यय हुए। श्री सक्सैना प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड में वेतन के 12% का अंशदान देते हैं। नियोक्ता द्वारा भी फण्ड में इतनी ही राशि जमा की जाती है फण्ड में 11 प्रतिशत की दर से 1,100 रु० ब्याज के जमा किये गये हैं। आप श्री सक्सैना की वेतन से करयोग्य आय निकालिए।

Shri Rambabu Saxena has been in service with Atlas Cycle Company Bangalore since 1.9-1980, in the grade Rs. 1,500-100-1,900-200-3,000 as Manager. He is in receipt of Rs. 300 per month as dearness allowance and Rs. 500 per month as house

rent allowance. The company has provided him with a (of 18 H. P.) car which he uses for official as well as private purpose and expenses relates to personal use excluding driver are also borne by the employer. He has to spend Rs. 100 p.m. of his residence. During the previous year 1985-86 he gets Rs. 7,500 as bonus. He was also getting an entertainment allowance @ Rs. 500 per month. He spent full amount for entertaining the customers of the company.

He has been provided with the free services of gardner to whom the company pays Rs. 200 per month. He also enjoys free refreshment during office hours alongwith all other employees. During the relevant previous year he was sent to Ahmadabad for training and the company spent Rs. 12,000, thereon. He contributes @ 12% to a recognised Provident Fund to which the company contributes equally. Interest @ 11% is allowed thereon and the amount is Rs. 1,100. You are required to calculate his total taxable salary.

11. श्री भरत राम, राजस्थान सरकार में अधिकारी है, का 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष की आय का विवरण निम्नलिखित है—

a) शुद्ध वेतन 27,000 रु० जो आयकर 5,000 रु०, जी. पी. एफ. में अंशदान 4,000 रु० जीवन बीमा प्रीमियम 2,900 रु०, स्कूटर ऋण 1,100 रु० की कटौती के बाद है।
b) मँहगाई भत्ता 600 रु० प्रतिमाह;
c) शहरी क्षति पूर्ति भत्ता मूल वेतन का 8%;
d) राजस्थान सरकार की ओर से उन्हें निम्नलिखित सुविधायें भी प्राप्त हैं :—
i) आवास की सुविधा—उचित किराया 2,000 रु० प्रतिमाह यदि यह मकान किराया मुक्त नहीं होता तो सरकारी नियमों के अनुसार उनके मूल वेतन का 8% किराया वेतन में से काट लिया जाता।
ii. कार्यालय से घर तक व घर से कार्यालय तक आने जाने हेतु 20 हा. पा. की कार की सुविधा।
iii. गार्ड की सुविधा (घर पर), जिसके वेतन एवं भत्ते 964 रु० प्रतिमाह हैं।
iv. चिकित्सा व्ययों की पूर्ति के 6,254 रु० का भुगतान किया गया।
v. घर पर टेलीफोन की निःशुल्क सुविधा। गतवर्ष का वास्तविक भुगतान 6,265 रु०।

श्री भरतराम की 1986-87 कर-निर्धारण वर्ष के लिये वेतन शीर्षक की गणना कीजिए।

Shri Bharatram is an officer in the Rajsthan Government, gives the following particulars of his income for the year ended 31st March, 1986.

a) Net Salary—Rs. 27,000 after deduction of income tax Rs. 5,000, Contribution to GPF Rs. 4,000 life Insurance premium under salary savings scheme Rs 2,500, scooter loan Rs 1,100.
b) Dearness allowance Rs. 600 p.m;
c) City Compensatory allowance 8% of basic salary;
d) He has the following amenities from the Government of Rajsthan :
i. Accommodation facility—Fair rent Rs. 2,000 p.m. Had it not been provided free of rent, 10% of the basic pay would have been deducted as rent according to to the government rules.
ii. Motor of 20 H.P. facility for going and coming from his residence to office.
iii. Guard Facility (At home)—Salary and D.A. of the Guard Rs 964 p.m;
iv. Reimbursement of medical bills for Rs. 6,254.

v. Free telephone at residence for which Govt. has paid Rs. 6,265 during the previous years.

Compute taxable income under the head, 'Salaries' of Shri Bhartram for the assessment year 1986-87.

संकेत—गार्ड की सुविधा ऐसे अधिकारियों सरकारी व्यवस्था के अनुसार देय है, अतः कर मुक्त है ।

12. श्री प्रमोद बिहारी, बजाज कालेज बम्बई (जो एक मान्यता प्राप्त कालेज है) के प्राचार्य हैं उन्हें 1 जनवरी 1980 से 1,400-100-2,400 रु० की ग्रेड मिली हुई है । उन्हें 160 रु० प्रतिमाह मंहगाई भत्ता तथा मूल वेतन का 8% नगर पूरक भत्ता भी मिलता है । एक सुसज्जित मकान जिसका स्वामी कालेज है उन्हें रहने के लिए दिया गया है । जिसका अनुमानित किराया 1,300 रु० प्रतिमाह है । इसमें 800 रु० की लागत का फर्नीचर भी कालेज का ही है । उन्हें एक 16 हॉर्स पावर की कार भी दी गई है जो उनके निजी उपयोग में भी आती है । कार के चालक का पारिश्रमिक और कालेज हेतु प्रयोग के समस्त व्यय कालेज वहन करता है । उन्हें एक माली, चौकीदार तथा नौकर की सुविधा प्राप्त है जिसको क्रमशः 100 रु० 150 रु० तथा 120 रु० प्रतिमाह कालेज की ओर से दिया जाता है ।

वे वैधानिक भविष्य निधि में वेतन 15% अंशदान देते हैं, जिनमें कालेज का भी इतना ही अंशदान है । भविष्य निधि में जमा 8,000 रु० पर वर्ष में 840 रु० ब्याज के क्रेडिट किये गये हैं ।

यह मानते हुए कि उनको वेतन अगले माह की पहली तारीख को प्राप्त होता है, उनकी वेतन शीर्षक की कर योग्य आय 1986-87 कर-निर्धारण वर्ष के लिए ज्ञात कीजिये ।

Shri Pramod Bihari is the principal of Bajaj College Bombay. (Which is a recognised College). He is in the grade Rs. 1,400-100-2,400 since 1st Jun. 1979. He gets Rs. 160 p.m. as dearness allowance and 8% of the basic pay as city compensatory allowance. He has been provided with a furnished accommodation by the College by it, of the estimated rental value of 1,300 p.m. Furniture costing Rs. 8,000 has also been provided by the College. He has been given a car 16 HP relation, which is used by him for his personal purpose also. The driver's remuneration and all the expenses relating to the official use of the car are borne by the college. He has been provided with the facility of a gardener, a watchman and a servant who are paid by the collage @ Rs. 100 p.m. Rs. 150 p.m. and Rs. 120 p.m. respectively.

He contributes 15% of his pay to the Statutory Provident Fund towards which the collage contributes an equal amount. Interest amounting to Rs. 840 has been credites on the balance of Rs. 8,000 standing to the credit of his Provident Fund Account.

Assuming that the salary become due on the first day of the next month determine his taxable income under the head "Salaries" for the assessment year 1986-87.

(Rajsthan B. Com. 1977 amended)

13. श्री रवीन्द्र प्रीमियर आटोमोबाइल्स बम्बई के प्रबन्धक हैं, उन्हें 2,125 रु० प्रतिमाह कुल वेतन 600 रु० प्रतिमाह मँहगाई भत्ता तथा 400 रु० प्रतिमाह मनोरंजन भत्ता मिलता है । उन्हें कम्पनी की ओर से एक मकान रहने को किराया-मुक्त मिला है जिसका उचित किराया 6,500 वार्षिक है उन्हें 10,000 रु० की लागत के फर्नीचर तथा 9,000 रु० की लागत के रेफ्रिजरेटर के उपयोग की सुविधा भी कम्पनी की ओर

से प्रदान की गई है। उन्हें कम्पनी के पूर्व में मनोरंजन भत्ता 1 अप्रैल, 1954 से 250 रु० प्रतिमाह मिल रहा था।

कम्पनी ने एक 20 हार्स पावर व एक 16 हार्स पावर की कार प्रदान की है, जिनके कार्यालय उपयोग सम्बन्धी व्यय कम्पनी वहन करती है। कारें आंशिक रूप से व्यक्तिगत उपयोग में भी आती हैं। कारों के चालकों का वेतन भी कम्पनी वहन करती है।

उनके बच्चों की शिक्षा के 3,000 रु० तथा उनके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा के 6,000 रु० का पुनर्भरण कम्पनी ने किया। कार्यालय समय के निशुल्क भोजन और निःशुल्क नाश्ते की सुविधा भी कम्पनी ने प्रदान की, जिसका अनुमानित मूल्य क्रमशः 300 रु० व 100 रु० प्रतिमाह है।

कम्पनी और वे मूल वेतन की पूरी एवं मँहगाई भत्ते की आधी राशि पर प्रमाणित भविष्य निधि में 12% अंशदान देते हैं। उनके भविष्य निधि खाते में ब्याज 13% की दर से 13,000 रु० वित्तीय वर्ष 1985-86 में क्रेडिट किया गया है।

उन्होंने केन्द्रीय सरकार को देने के लिए अपने मूल वेतन में से 2,000 रु० का त्याग किया।

श्री रवीन्द्र की 1986-87 कर-निर्धारण वर्ष के लिये वेतन से कर-योग्य आय ज्ञात कीजिये।

Shri Ravindra is the manager of Premier Automobiles, Bombay. He gets Basic pay @ Rs. 2,125 p.m. Dearness Allowance @ Rs. 600 p.m. and Entertainment Allowance @ Rs. 400 p.m. He has been provided with a rent-free house by the company, the fair annual rent of which is Rs. 6,500. He has been also provided by the company with the facility of free use of furniture costing Rs 10,000 and refrigerater costing Rs. 9,000. He was previously getting from the company entertainment allowance @ Rs, 250 p.m. since 1st April, 1954.

The company has provided him a 20 hp car and a 16 hp car, the expenses relating to their office use are born by the company. The cars are used partly for personal purpose also. The salary of the drivers is paid by the company.

Rs. 3,000 relating to the education of his childern Rs. 6,000 for medical expenses of family members were reimbursed by the company. The company has provided the amenity of free lunch and free refershment during office house, the estimated value of which is Rs. 300 and Rs. 100 p.m. respectively.

He as well as the company contributes 12% of full basic pay and half of the dearness allowance towards Recognised Provident Fund. During the financial year 1985-86. Interest credited to his Provident Fund account @ 13% amounted to Rs. 13,000.

He surredered Rs. 2,000 of his basic pay for being paid to the Central Government.

Compute the taxable income from salaries of Shri Ravindra for the Assessment Year 1986-87.

14. श्री आर. के. अग्रवाल लखनऊ ब्रास वर्क्स लखनऊ में प्रबन्धक हैं। वे 25,000 रु० वार्षिक वेतन, 3,000 रु० वार्षिक बोनस 300 रु० प्रतिमाह सवारी भत्ता तथा 2,000 रु० वार्षिक कमीशन पाते हैं। वे वेतन का 15% प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान देते हैं। जिनमें उनके नियोक्ता का अंशदान भी उतना ही है। वित्तीय वर्ष 1985-86 में 12·5% की दर से 5,000 रु० भविष्य निधि खाते में ब्याज का जमा हुआ।

उनके द्वारा नहीं लिये गये 2 माह के अर्जित अवकाश को त्यागने पर उन्हें इस वित्तीय वर्ष में 2,500 रु० प्राप्त हुए।

उन्हें नियोक्ता द्वारा रहने का एक असुसज्जित मकान मिला है। जिसका नगरपालिका मूल्य 3,600 रु० है। इसके लिये उनके वेतन में से 10% कटौती कर ली जाती है। उन्हें 18 हार्स पावर की एक मोटर कार मिली जिसके निजी उपयोग सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यय श्री आर. के. अग्रवाल स्वयं वहन करते हैं। इस कार को वे स्वयं चलाते हैं। उनको आइस वर्क्स की ओर से गतवर्ष में 800 रु० का बर्फ निःशुल्क दिया गया। उन्होंने गतवर्ष के दौरान 400 रु० व्यावसायिक कर चुकाया।

निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये उनकी वेतन शीर्षक की करयोग्य आय ज्ञात कीजिये।

Shri R. K. Agrawal is the manager of the Lucknow Ice Works, Lucknow. He gets Rs. 25,000 as annual pay, Rs. 3,000 annual bonus Rs. 300 p.m. as Conveyance allowance and Rs. 2,000 as annual Commission. He contributes 15% of his pay to recognised provident fund. The employers contribution being the same Rs. 5,000 for interest @ 12·5% was credited to his provident fund account during the financial year he received Rs. 2,500 as surrendered of 2 months earned leave not availed by him.

He has been provided with unfurnished accommodation, municipal value of which is Rs. 3,600. For it a deduction of 10% is made from his pay. On 1st Dec., 1985 his Convenyance allowance was stopped and he was given a 18 H P car. The whole expenses relating to its personal use are borne by Shri R. K. Agarwal himself. He himself drives this is car. He was provided by the Ice Work with ice free of cost worth Rs. 800 during the previous year. He paid Rs. 400 as professional tax during the previous year.

Compute the taxable income under the head 'Salaries' for the Assessment year 1986-87.

15. निम्नलिखित विवरण से जयपुर में एक फर्म के मैनेजर श्री बाल कृष्ण की वेतन से कर-योग्य आय की गणना गतवर्ष 1985-86 के लिये कीजिये—

		रु०
a)	मूल वेतन	प्रतिमाह 800
b)	प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड में स्वयं का अंशदान	1,000
c)	नियोक्ता का अंशदान	1,000
d)	प्रॉविडेण्ट फन्ड पर ब्याज (12% वार्षिक की दर से)	1,200
e)	मकान किराया भत्ता	2,400
	मकान के लिये किराया दिया	3,600
f)	चिकित्सा भत्ता	600
	चिकित्सा व्यय	900
g)	पानी व बिजली की निःशुल्क सुविधा जिसका भुगतान नियोक्ता ने किया	1,200
h)	उनको एक रसोइया दिया हुआ था, जिनका वेतन नियोक्ता ने वहन किया	1,800

i) श्री बाल कृष्ण को आफिस तथा व्यक्तिगत प्रयोग के लिये एक 18 हार्स पावर की मोटर कार उनके नियोक्ता ने दी थी। कार के समस्त व्यय (ड्राइवर सहित) नियोक्ता वहन करता है।

j) उनको प्रशिक्षण हेतु 15 दिवस के लिये अहमदाबाद भेजा गया था, 1,500 रु० का शुल्क नियोक्ता ने भुगतान किया। उनके साथ उनका लड़का भी प्रशिक्षण के लिए गया, जिसका शुल्क 1,500 रु० भी नियोक्ता ने भुगतान किया।

k) वे निम्न कटौतियों का दावा करते हैं :—
   i. पुस्तकें क्रय करने के सम्बन्ध में 700 रु०।
   ii. उनके द्वारा राज्य व्यवसाय कर 60 रु० चुकाये गये।

From the following particular of Shri Bal Krishan, manager of a firm at Jaipur Compute his taxabie income from salary for the previous year 1985-86.

a)	Basic Pay	Rs. 800 P.M.
b)	Own Contribution towards RPF	1,000
c)	Employe's Contribution	1,000
d)	Interest on P.F. (@ 12@ p.a.)	1,200
e)	House Rent Allowance	2,400
	Rent paid for the House	3,600
f)	Medical Allowance	600
	Medical Expenses	900
g)	Free supply of water and electricity for which payment was made by the employer.	1,200.
h)	He was provided with a cook whose. salary was borne by employer.	1,800

i) Shri Bal Krishan was also provided with a 18 H.P. motor car for his official as well as private use by his employer. All expenses including deriver's salary are met by employer,

j) He was sent to attend a training course at Ahmadabad for 15 days. The fees of Rs. 1,500 was paid by the employer, His son also went with him for training and his fees of Rs. 1,500 was olso paid by the employer.

k) He claims the following deducutions :
   i. Rs. 700 regarding books purchased.
   ii. Rs. 60 State professional Tax paid by him. *(Rajasthan B.Com. 1982 amended)*

उत्तर (अध्याय 4—वेतन)

प्रश्न : 1. (i) 480 रु० (ii) 5280 रु० (iii) 6,000 रु० (iv) 3,800 रु० (v) 1 200 रु० (vi) 2,250 रु०

2. (i) शून्य (ii) शून्य (iii) 1,800 रु० (iv) 3,600 रु० (v) 6,600 रु०

3. 25,000 रु०
4. 48,600 रु०
5. 15,517 रु०
6. 99,070 रु०
7. 24,740 रु०
8. 27,900 रु०
9. 20,160 रु०
10. 47,554 रु०
11. 48,854 रु०
12. 30,940 रु०
13. 50,772 रु०
14. 35,700 रु०
15. 11,370 रु०

5

प्रतिभूतियों पर ब्याज

(Interest on Securities)

आय के शीर्षकों में 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' का दूसरा स्थान है । इससे सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण आयकर अधिनियम 1961 की धारा 18 से 21 तक के अन्तर्गत दिया हुआ है ।

प्रतिभूतियों से आशय (Meaning of security)—'प्रतिभूति' एक प्रकार से ऋण को स्वीकार करने वाला एक प्रपत्र है जिसका धारक लेनदार होगा व निर्गमन करने वाला पक्ष देनदार । इसका हस्ताँतरण प्राय: स्वतन्त्रता पूर्वक होता है व ब्याज इसके धारक को मिलता है इस प्रपत्र के द्वारा इसका निर्गमन करने वाला पक्ष यह आश्वासन देता है कि समय आने पर (जिसका उल्लेख प्रतिभूतियों पर होता है) इसके धारक (Holder) को इसमें अंकित राशि लौटा दी जायेगी ।

ब्याज जो इस शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य है—धारा 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' इस शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य हैं :—

1. केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी प्रतिभूति पर ब्याज किन्तु वार्षिकी जमा पर प्राप्य ब्याज को छोड़कर । सरकारी प्रतिभूतियाँ विभिन्न नामों से जारी की जाती है जैसे सरकारी ऋण (Govt. Loan), सरकारी पत्र (Govt. Papers) सरकारी बाँड (Govt. Bunds), प्रमाण पत्र (Certificates), ट्रैजरी बिल (Treasury Bill) आदि ।
2. नगरपालिका पंचायत समिति अथवा अन्य किसी स्थानीय सत्ता द्वारा निर्गमित ऋण-पत्र (Debentures) या अन्य प्रतिभूतियाँ ।
3. किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित निगम द्वारा निर्गमित ऋणपत्र अथवा अन्य प्रतिभूतियाँ ।
4. कम्पनी के ऋण पत्र या अन्य प्रतिभूतियाँ ।

निम्नलिखित ब्याज एवं आय इस शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य नहीं है—

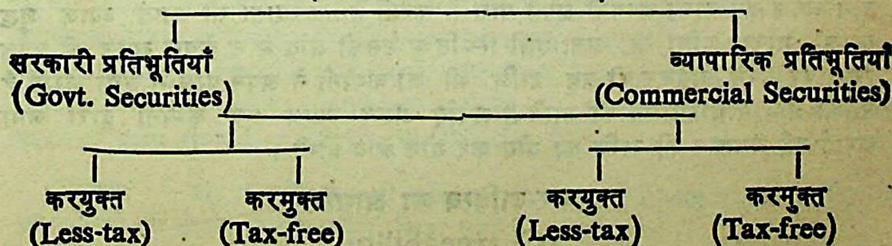
a) विदेशी सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज;
b) कम्पनी के साधारण अथवा पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश;
c) बैंक में स्थायी जमा पर और अन्य साधारण ऋणों पर ब्याज;
d) अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा राशि पर ब्याज;
e) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के यूनिटों पर लाभाँश आदि;
f) किसी सहकारी समिति द्वारा जारी किये गये अंशों पर प्राप्त लाभाँश;
g) एसोसियेशन, क्लब व अन्य व्यक्तियों के समुदाय द्वारा निर्गमित ऋण-पत्रों पर ब्याज ।

'प्रतिभूतियों पर ब्याज' शीर्षक की कर-मुक्त आयें

आयकर अधिनियम की धारा 10(15) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की निम्नलिखित प्रतिभूतियों पर ब्याज पूर्णतया कर-मुक्त है तथा किसी भी करदाता की 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' शीर्षक की सकल आय ज्ञात करते समय सम्मिलित नहीं किया जाता है :

a) केन्द्र सरकार द्वारा निर्गमित 15 वर्षीय वार्षिकी प्रमाण-पत्र * का मासिक भुगतान।
b) विशेष धारक बांड, 1991 के शोधन पर प्रीमियम।
c) ट्रेजरी सेविंग्स सर्टिफिकेट्स।*
d) पोस्ट आफिस कैश सर्टिफिकेट्स।*
e) पोस्ट आफिस नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स।*
f) नेशनल प्लान सर्टिफिकेट्स।*
g) 12 वर्षीय नेशनल प्लान सेविंग्स सर्टिफिकेट्स।*
h) 10 वर्षीय डिफेंस डिपोजिट सर्टिफिकेट्स।
i) 12 वर्षीय नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट्स।*
j) भारत सरकार के सुरक्षा प्रमाण पत्र (डिफेंस सर्टिफिकेट्स)।*
k) 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र—द्वितीय निर्गम।
l) 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र—तृतीय निर्गम।
m) 7% पूंजी निवेश बांड (Capital Investment Bond) (इनके ब्याज की ओर मुक्ति का लाभ केवल व्यक्तियों (Individual) और हिन्दू अविभाजित परिवारों को ही है।)
n) Central Bank of Ceylon के निर्गमन विभाग द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों पर ब्याज।
o) एक अनिवासी व्यक्ति (यदि वह भारत का नागरिक है अथवा भारत का मूल निवासी[1] है) की दशा में राष्ट्रीय बचत पत्र षष्टम तथा सप्तम निर्गम का ब्याज कर-मुक्त होता है बशर्ते कि उसने बचत पत्र भारत से बाहर से परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा भिजवाकर क्रय किये हैं।

प्रतिभूतियों के प्रकार
(Kinds of Securities)



---

* अब प्रचलन में नहीं है।
1. एक व्यक्ति मूल निवासी तभी माना जायेगा जबकि उसके माता-पिता ने अथवा दादा-दादी में से किसी ने अविभाजित भारत में जन्म लिया हो।

1. कर मुक्त प्रतिभूतियाँ (Less tax Securities)—इस प्रकार की सरकारी गैर सरकारी प्रतिभूतियों में कोई अन्तर नहीं होता प्राय: सभी प्रतिभूतियाँ करयुक्त होती है अर्थात् इन पर मिली ब्याज की राशि कुल आय में जोड़ी जाती है तथा इस पर आयकर देना होता है। एक अन्य नियम इस सम्बन्ध में ज्ञात रखने योग्य है कि अधिनियम के अन्तर्गत ब्याज का भुगतान करने वाले व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि वह ब्याज की रकम में से एक निश्चित प्रतिशत की दर से आयकर काटकर सरकारी कोष में जमा करा दे। कर-युक्त प्रतिभूतियों के लिए यह सिद्धान्त लागू होता है चाहे वह सरकारी प्रतिभूति हो अथवा व्यापारिक। आयकर की इस प्रकार काटी हुई रकम ब्याज पाने वाले के नाम से व उसी की ओर से सरकारी खजाने में जमा होती है। इसे आयकर का उद्गम स्थान पर काटा जाना कहते हैं। यदि इन प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज की शुद्ध (net) धनराशि दी गई हो तो उसे सकल (gross-up) बनाकर कुल आय में सम्मिलित किया जाता है। जिसे विस्तार से आगे समझाया गया है।

2. करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ (Tax-free Govt. Securities)—सरकारी प्रतिभूतियों मे केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियाँ सम्मिलित होती हैं। इस संबंध में यह जान लेना आवश्यक है कि जिन प्रतिभूतियों का वर्णन धारा 10(15) में हुआ है वे ऐसी प्रतिभूतियाँ हैं जिन पर प्राप्त ब्याज को आयकर के लिए कुल आय में शामिल ही नहीं करते बल्कि वह पूर्णतया कर-मुक्त होता है। इनके अलावा कुछ सरकारी प्रतिभूतियाँ ऐसी होती हैं जिन पर प्राप्त ब्याज यद्यपि कुल आय में सम्मिलित करते हैं किन्तु इस ब्याज पर आयकर नहीं लगाते। इन प्रतिभूतियों पर मिली ब्याज दो प्रकार से कर-मुक्त होती है। (i) इन पर मिलने वाली ब्याज की रकम में से आयकर को उद्गम स्थान पर नहीं काटा जाता, तथा (ii) ब्याज की रकम यद्यपि कुल आय में जोडी जाती है किन्तु बाद में इस पर आयकर की औसत दर अथवा $27\frac{1}{2}\%$ (दोनों में से जो कम हो) की दर से आयकर भुगतान की जाने वाली रकम से छूट (Rebate) मिल जाती है। ऐसी प्रतिभूतियों का प्रचलन अब नहीं है व यह विवरण केवल शैक्षणिक महत्व का है।

3. व्यापारिक कर-मुक्त प्रतिभूतियाँ (Commercial tax-free securities)—ऐसी प्रतिभूतियाँ केवल नाम के लिए ही कर मुक्त होती है। इन पर निश्चित दर से ब्याज मिलता है इस ब्याज में से उद्गम के स्थान पर आयकर नहीं काटा जाता। जो आयकर उद्गम के स्थान पर काटा जाकर सरकारी कोष में जमा होना चाहिए था, उसका भुगतान ब्याज देने वाली कम्पनी अपने पास से करती है। करदाता को प्राप्त ब्याज शुद्ध ब्याज' माना जाता है, अत: ऐसी स्थिति में उसकी आय में न केवल ब्याज की प्राप्त रकम पर वरन् आयकर की वह राशि भी, जो कम्पनी ने अपने पास से जमा कराई है उसकी आय में सम्मिलित की जाती है अर्थात् प्राप्त ब्याज एवं कम्पनी द्वारा जमा कराई गई आयकर की राशि का योग कर योग आय होगी।

कर-दायित्व का आधार
(Chargeability)

करदाता जिन प्रतिभूतियों का स्वामी है उन पर ब्याज की वे राशियां जो गतवर्ष में प्राप्य हो गई हों, चाहे वे उस गतवर्ष में प्राप्त हुई हों अथवा नहीं, उसकी 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' शीर्षक की आय में सम्मिलित की जाती है। प्रत्येक प्रतिभूति पर ब्याज

प्राप्य होने की तिथियां निश्चित होती हैं। प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रायः वर्ष में दो बार अर्थात् छमाही प्राप्त होता है। ब्याज के प्राप्य होने की तिथि को जो व्यक्ति उस प्रतिभूति का स्वामी होता है, उसकी इस शीर्षक की सकल आय में सम्मिलित किया जाता है चाहे वह पूरी अवधि में उस प्रतिभूति का स्वामी नहीं रहा हो। उदाहरण के लिए यदि किन्हीं ऋण पत्रों पर ब्याज मिलने की तिथि 30 जून व 31 दिसम्बर है तथा एक करदाता ऐसे ऋण पत्रों को 20 जून को खरीदता है व ऋणपत्रों को अपने नाम में तुरंत ही कम्पनी के रजिस्टर में अंकित करा लेता है तो ऐसी स्थिति में यह करदाता 30 जून को 6 महीने के प्राप्य ब्याज को पाने का अधिकारी होगा भले ही उसके पास ये प्रतिभूतियां 10 दिन ही रहीं हैं और ये ब्याज उसकी आय में सम्मिलित किया जायेगा।

प्रतिभूतियों का ब्याज सहित अथवा ब्याज रहित क्रय विक्रय : यदि गतवर्ष में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय ब्याज के भुगतान की तिथियों के अतिरिक्त किसी तिथि को हुआ है तो यह समस्या होती है कि ब्याज की आय को किस व्यक्ति की आय में सम्मिलित किया जाय। ब्याज का भुगतान करने वाली संस्था प्रतिभूतियों पर पूरी अवधि का प्राप्य ब्याज का भुगतान उस व्यक्ति को करती हैं जिसके नाम में ब्याज के भुगतान की तिथि को प्रतिभूतियाँ पंजीयत हैं। प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के समय ही यह तय हो जाता है कि अगली तिथि को प्राप्य ब्याज किसे प्राप्त होगा जो इस बात पर निर्भर करता हैं कि प्रतिभूतियाँ 'ब्याज सहित' (cum interest) विक्रय की गई है अथवा ब्याज रहित (Ex-interest)। यदि प्रतिभूतियाँ ब्याज सहित बेची गई हैं तो बेचने की तिथि से आगे आने वाली ब्याज की तिथि को पूरी अवधि का ब्याज क्रेता को मिलता है। यद्यपि क्रेता बेचने की तिथि तक का ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होता है लेकिन वह प्रतिभूतियों के साथ अपने इस अधिकार को भी क्रेता को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार प्रतिभूतियों के विक्रय को 'ब्याज सहित' हस्तांतरण कहते हैं। उदाहरणार्थ सुनील के पास राजस्थान सरकार की 10% 10,000 रु० की प्रतिभूतियाँ हैं तथा ब्याज की तिथियाँ 30 जून तथा 31 दिसम्बर हैं। यदि सुनील ने ये प्रतिभूतियाँ 2 जून 1985 को प्रवीण को ब्याज सहित बेच दी तो 30 जून, 1985 को प्राप्य 6 माह का पूरा ब्याज प्रवीण (जो क्रेता है) के 'प्रतिभूतियों से ब्याज' शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित किया जायेगा।

यदि प्रतिभूतियों का विक्रय 'ब्याज रहित' किया गया है तो बेचने की तिथि के तुरन्त पश्चात आने वाली तिथि को प्राप्त होने वाला ब्याज विक्रेता को प्राप्त होगा। उपर्युक्त उदाहरण में यदि सुनील ने प्रतिभूतियों का विक्रय 'ब्याज रहित' किया है तो 30 जून 85 को प्राप्य होने वाला ब्याज सुनील के प्रतिभूतियों से ब्याज शीर्षक के अन्तर्गत आय में सम्मिलित किया जायेगा। प्रवीण को 31 दिसम्बर, 1985 को प्राप्य होने वाला ब्याज ही प्राप्य होगा जो उसकी आय में सम्मिलित होगा।

टिप्पणी :—यदि प्रश्न में कुछ भी नहीं बताया गया है तो यह मानना चाहिए कि प्रतिभूतियों का विक्रय 'ब्याज सहित' किया गया है।

दिखावटी लेन-देन (Bond washing Transactions)—जैसा कि ऊपर दिया जा चुका है कि प्रतिभूतियों पर मिलने वाला ब्याज उस व्यक्ति के हाथों में करयोग्य होता है जिनका नाम ब्याज घोषित होने की तिथि को कम्पनी के रजिस्टर में दर्ज हो। चाहे उस व्यक्ति ने ब्याज की तिथि से कुछ दिन पहले ही वे प्रतिभूतियां क्रय की हों। ऐसी स्थिति

में एक चतुर करदाता प्राप्त ब्याज पर आयकर बचाने का यह तरीका अपना सकता है कि वह ब्याज की तिथि से पहले किसी ऐसे व्यक्ति के नाम में ये प्रतिभूतियाँ हस्तांतरित कर दे जिसकी कुल आय आयकर लगने वाली आय की सीमा से कम हो अथवा आय अपेक्षाकृत कम है। इस प्रकार करदाता अर्थात प्रतिभूतियों का हस्तान्तरणकर्त्ता तो आयकर से इसलिए बच जायेगा कि ब्याज मिलने वाली तिथि को यह प्रतिभूतियां उसके नाम से दर्ज नहीं है, तथा वह व्यक्ति (जिसको प्रतिभूतियाँ हस्तांतरित की गई है) इसलिये कर नहीं देगा अथवा अपेक्षाकृत कम देगा क्योंकि उस की कुल आय आयकर लगने वाली सीमा से कम है अथवा आय प्रतिभूतियों के हस्तांतरणकर्त्ता की अपेक्षा कम है। कर बचाने के उद्देश्य से किये गये ऐसे हस्तांतरण दिखावटी लेन-देन कहे जाते हैं। ऐसे लेन-देनों पर नियंत्रण के हेतु ऐसा नियम बना दिया गया है जिसके अनुसार आयकर अधिकारी लेन देनों का पता लगाने पर ऐसे ब्याज की आय उस व्यक्ति की आय में जोड़ देते है जिसने कि इस प्रकार प्रतिभूतियाँ हस्तांतरित करके आयकर के दायित्व से बचना चाहा है। आयकर अधिकारी को ऐसे लेन-देन सम्बन्धी समस्त सूचनायें करदाता से प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है।

उपर्युक्त नियम उस समय लागू नहीं होंगे जबकि करदाता आयकर अधिकारी को इस बात से संतुष्ट कर दे कि कर का अपबंचन (Avoidance) नहीं हुआ है अथवा कर का अपबंचन क्रम बद्ध रूप से नहीं, बल्कि संयोगवश हो गया है और इस प्रकार का अपबंचन पिछले 3 वर्षों में नहीं हुआ है।

गत वर्ष (Previous year)—प्रतिभूतियों पर ब्याज शीर्षक की आय के लिए वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) ही गत वर्ष माना जाता है। यह कि किसी करदाता ने इस शीर्षक की आय के लिये नियमित खाता बहियाँ रखी हैं तो करदाता को यह विकल्प है कि वह चाहे तो हिसाबी वर्ष उसका गतवर्ष हो सकेगा।

उद्गम स्थान पर आयकर की कटौती
(Deduction of tax at Source)

धारा 193 के अनुसार प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान करने वाले व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि वह भुगतान की जाने वाली ब्याज की रकम में से निर्धारित दरों से आयकर काट कर सरकारी कोष में जमा करदे। ब्याज पाने वाले व्यक्ति का जब कर-निर्धारण होता है उस समय इस व्यक्ति के आयकर दायित्व में उद्गम स्थान पर काटे गये आयकर का समायोजन कर दिया जाता है। परन्तु जब ब्याज की रकम को कुल आय में जोड़ा जाता है तो यह रकम न केवल वह होती है जो उस व्यक्ति को नकद मिलती है बल्कि इसमें उद्गम स्थान पर काटे गये आयकर की रकम भी शामिल रहती है। इस प्रकार मिलने योग्य ब्याज की रकम को सकल ब्याज (Gross amount of Interest) काटी गई शेष राशि को उद्गम स्थान पर काटा गया आयकर (Tax-deducted at source) तथा रकम को शुद्ध ब्याज (Net amount of interest) कहते हैं।

धारा 193 के अनुसार निम्नलिखित प्रतिभूतियों पर ब्याज की राशि में से उद्गम स्थान पर आयकर की कटौती नहीं की जाती है—

a) $4\frac{1}{2}$% नेशनल डिफेंस बॉण्डस, 1972 पर देय ब्याज यदि ये बाण्ड्स अनिवासी को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति (Individual) के पास हो।

b) $4\frac{1}{2}\%$ नेशनल डिफेंस लोन, 1968 अथवा $4\frac{3}{4}\%$ नेशनल डिफेंस लोन, 1972 पर किसी भी व्यक्ति (Individual) को देय ब्याज।

c) राष्ट्रीय विकास बाँण्ड्स।

d) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र प्रथम, चतुर्थ, पंचम, षष्ठमं तथा सप्तम् निर्गम तथा राष्ट्रीय जमा पर देय ब्याज चाहे कोई भी इनका धारक हो।

e) किसी सहकारी समिति सहकारी भूमि विकास बैंक एवं सहकारी भूमि बंधक बैंक सहित) अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित अन्य किसी संस्था द्वारा निर्गमित ऋण पत्र पर देय ब्याज।

f) $6\frac{1}{2}\%$ स्वर्ण बाण्ड्स, 1977 अथवा 7% स्वर्ण बाण्ड्स, 1980 पर देय ब्याज यदि इनका धारक एक ऐसा व्यक्ति (Individual) हो जो अनिवासी न हो तथा उसने ब्याज का भुगतान करने वाले व्यक्ति को लिखित में यह घोषणा दे दी है कि उस ब्याज से संबंधित अवधि में किसी भी समय उसके पास 10,000 रु० से अधिक के अंकित मूल्य के स्वर्ण बाण्डस नहीं थे।

g) केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गमित अन्य कोई भी प्रतिभूति जिसे इस उद्देश्य के लिये गजट में प्रकाशित कर निर्दिष्ट कर दिया है।

h) राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाने वाला किसी अन्य प्रतिभूति पर ब्याज, बशर्ते यह ऐसे व्यक्ति (Individual) को मिलता है जो अनिवासी नहीं है एवं जिसके पास 2,500 रुपये से अधिक की प्रतिभूतियां नहीं हैं तथा वह व्यक्ति लिखित में यह घोषणा देता है कि उस पर पहले कभी आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर-निर्धारण नहीं हुआ है व उसकी गतवर्ष की आय आयकर लगने वाली आयकर की न्यूनतम सीमा (18,000) से अधिक नहीं है।

i) किसी निवासी व्यक्ति (resident individual) द्वारा प्राप्त किसी प्रतिभूति पर ब्याज। यदि प्रतिभूति के धारक ने ब्याज देने वाले व्यक्ति को यह घोषणा लिखित में दे दी हो कि उसकी गत वर्ष की अनुमानित कुल आय न्यूनतम कर-योग्य आय (18,000 रु०) से अधिक नहीं होगी।

j) जनता के सारवान हित कम्पनी द्वारा निर्गमित ऐसे ऋण पत्रों जो कि मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचियत (Listed) हों पर 31 मई 1984 के पश्चात देय ब्याज निम्न शर्तों के पूरा करने पर :

अ. ब्याज का भुगतान निवासी व्यक्ति (Individual) को देय हो।

ब. ब्याज का भुगतान खाते के चैक (Account Payee cheque) द्वारा दिया गया हो।

स. वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा चुकायी जाने वाली ब्याज की राशि 1,000 रु० से अधिक न हो।

उद्गम स्थान पर कर की कटौती की दरें :—करदाता (कम्पनी करदाता को छोड़कर) को देय ब्याज में से कर की कटौती किये जाने के लिये वित्तीय वर्ष 1985-86 में निर्धारित दरें निम्न प्रकार हैं :

	यदि करदाता निवासी हो	यदि करदाता अनिवासी हो
क. करमुक्त सरकारी प्रतिभूति	कुछ नहीं	15%
ख. अन्य प्रतिभूति	i. ऐसी प्रतिभूतियां जिनका क्रय-विक्रय भारत में किसी मान्यता प्राप्य स्टाक एक्सचेंज में होता है 10%। ii. अन्य प्रतिभूतियाँ 20%	30%

ब्याज को सकल बनाना
(Grossing-up of Interest)

जैसा कि हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं कि करदाता को ब्याज की पूरी राशि प्राप्त नहीं होती बल्कि निर्धारित दर से ब्याज पर आय कर की राशि काटने के पश्चात प्राप्त होती है। चूंकि ब्याज में से उद्गम स्थान पर कटौती की जाती है, अतः प्राप्त ब्याज को सकल किया जाता है। इस सम्बन्ध में निम्न नियम हैं :—

1. **कर-मुक्त प्रतिभूतियाँ (Tax-Free Securities)**

अ. **कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ**—इनसे प्राप्त ब्याज को सकल नहीं बनाया जायेगा।

ब. अन्य कर मुक्त प्रतिभूतियाँ-इनसे प्राप्त ब्याज को सदैव सकल बनाया जायेगा चाहे ब्याज की प्राप्त राशि दी हुई हो अथवा ब्याज की दर। यदि प्रतिभूति भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचियत (listed) है तो उससे प्राप्त ब्याज को $\frac{100}{90}$ से गुणा किया जायेगा, अन्य स्थिति में $\frac{100}{80}$ से गुणा करके सकल बनाया जायेगा।

2. **कर-युक्त प्रतिभूतियाँ (Less Tax-Securities) :**

अ. यदि ब्याज की दर दी हुई हो तो सकल नहीं किया जायेगा।

ब. यदि प्राप्त राशि दी हुई हो तो (i) सरकारी स्थानीय सत्ता, वैधानिक निगम की प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज $\frac{100}{90}$ से गुणा करके सकल बनाया जायेगा,

स. अन्य अर्थात व्यापारिक प्रतिभूतियों की स्थिति में यदि प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है अर्थात सूचियत है तो $\frac{100}{90}$ से गुणा करके सकल बनाया तथा अन्य स्थिति में $\frac{100}{80}$ से गुणा करके सकल किया जायेगा।

टिप्पणी :—1. प्रश्न में स्पष्ट सूचनाओं के अभाव में यह माना जाना जाना चाहिए कि कम्पनी के ऋणपत्र या प्रतिभूतियाँ स्टाक एक्सचेंज में सूचियत (Listed) नहीं है।
2. विदेशी कम्पनी के ऋण-पत्रों पर प्राप्त ब्याज को सकल नहीं बनाया जायेगा।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी—1. यदि करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज एक अनिवासी को प्राप्त होता है तो वह प्रत्येक स्थिति में सकल बनाया जायेगा।

2. राष्ट्रीय बचत पत्र चतुर्थ निर्गमन पर ब्याज 10·25% वार्षिक की दर से प्रतिवर्ष प्राप्य होता है।

राष्ट्रीय बचत पत्र-पंचम निर्गमन पर 10·25% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि की दर से ब्याज बचत पत्रों के परिपक्व होने पर प्राप्त होता है अर्थात् 7 वर्ष के पश्चात् 100 रु० के स्थान पर 200 रु० प्राप्त होते हैं, परन्तु आयकर के उद्देश्यों के लिए ब्याज वार्षिक अथवा आधार पर प्राप्य हुआ समझा जाता है। यदि ये बचत पत्र 1 अक्टूबर, 1979 को उसके पश्चात जारी किये गए हों, तो चक्रवृद्धि ब्याज 10·75% की दर से बचत पत्रों के परिपक्व होने पर 7 वर्ष के अन्त में 204·50 रु० प्राप्त होंगे जबकि आयकर के उद्देश्यों के लिए वार्षिक आधार पर प्राप्य हुआ समझा जाता है।

3 राष्ट्रीय विकास बाण्डों के ब्याज पर भी उद्गम स्थान पर कटौती नहीं होती लेकिन प्राप्य ब्याज कर-योग्य है। इन बाण्डों पर 10·5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज परिपक्व होने पर प्राप्त होता है तथा 5 वर्ष के अन्त में 100 के स्थान पर 165रु० प्राप्त होते हैं किन्तु आयकर के उद्देश्यों के लिए ब्याज प्रतिवर्ष प्राप्य मानकर सम्मिलित किया जाताहै।

यदि उक्त बाण्ड 1 अक्टूबर, 1979 को या इसके बाद क्रय किये गये हों तो ब्याज की दर 10·5% वार्षिक की दर से 5 वर्ष के पश्चात 100 के स्थान पर 167 प्राप्त होंगे किन्तु आयकर के उद्देश्यों के लिए प्रतिवर्ष प्राप्य हुआ माना जाता है।

4. 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र चतुर्थ तथा पंचम निर्गम तथा 5 वर्षीय राष्ट्रीय विकास बाण्ड की बिक्री 1 मई, 1981 से बन्द कर दी गई हैं तथा इसी तिथि से 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र षष्ठम् तथा सप्तम निर्गम की बिक्री प्रारम्भ कर दी गई है।

5. राष्ट्रीय बचत पत्र षष्ठम निर्गम पर चक्रवृद्धि ब्याज 12% प्रतिवर्ष की दर से अर्द्ध-वार्षिक आधार पर परिपक्व होने पर प्राप्य होता है किन्तु आयकर के उद्देश्यों के लिए ब्याज प्रतिवर्ष के आधार पर प्राप्य हुआ समझा जाकर सम्मिलित किया जायेगा।

6. राष्ट्रीय बचत-पत्र सप्तम निर्गम पर ब्याज 12% प्रतिवर्ष की दर से अर्द्धवार्षिक प्राप्य होता है।

7. राष्ट्रीय जमा योजना : इस योजना में जमा कराने की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा 30 जुलाई, 1984 से प्रारम्भ की गई है। इसमें 4 वर्ष के लिए राशि विनियोजित की जा सकती है। ब्याज दिये जाने के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था है—

a) प्रथम शृंखला : इस शृंखला पर 10.5% वार्षिक ब्याज की दर से छःमाही आधार पर ब्याज का भुगतान किया जाता है।

b) द्वितीय शृंखला : इस शृंखला पर 10.5% वार्षिक ब्याज की दर से छःमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्य माना जाता है।

इन दोनों शृंखलाओं में वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए 31 मार्च, 1986 तक अर्जित ब्याज 31 मार्च, 1986 को प्राप्य माना जायेगा।

8. प्रतिभूतियों पर ब्याज की गणना निर्धारित दर से उनके अंकित मूल्य पर की जाती है क्रय मूल्य पर नहीं।

9. प्रतिभूतियों पर क्रय-विक्रय से होने वाला लाभ इस शीर्षक की आय में सम्मिलित नहीं होता है।

कटौतियाँ (Deductions)

इस शीर्षक के अन्तर्गत आय उपार्जित करते समय जो व्यय करने पड़ते हैं वे इसी शीर्षक की आय में से कटौती के लिए अधिनियम की धारा 19 व 20 के अन्तर्गत स्वीकृत होते हैं। ऐसी कटौतियाँ निम्नलिखित हैं—

1. **वसूली व्यय**—ब्याज को वसूल करने के सम्बन्ध में करदाता द्वारा किये गये उचित वसूली व्यय स्वीकृत कटौती होते हैं। साधारणतया इसके अन्तर्गत बैंक द्वारा वसूली गई राशि पर कमीशन कटौती योग्य होता है। प्रश्न में यदि वसूली व्यय की राशि दी गई है तो उचित व्यय की राशि की कटौती स्वीकृत होती है। यदि वसूली व्यय वसूल की गई राशि पर एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर देय है तो पहले विभिन्न प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में वास्तविक प्राप्त ब्याज की राशि की गणना करनी होगी और उस पर वसूली व्यय स्वीकृत होंगे। आयकर से मुक्त प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज पर हुए वसूली व्यय कटौती योग्य नहीं होंगे।

2. **ऋण पर ब्याज**—करदाता ने यदि प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए किसी ऋण का प्रबन्ध किया है तो इस ऋण की रकम पर दिया जाने वाला ब्याज भी स्वीकृत कटौती होता है। यहाँ यह ध्यान रहे कि ऋण प्रतिभूतियों को क्रय करने के लिये ही लिया गया हो तभी ब्याज कटौती योग्य होगा। यदि ऋण किसी अन्य कार्य के लिये लिया गया हो और बाद में उसका प्रयोग प्रतिभूतियों के क्रय में कर लिया गया है तो ब्याज की कटौती नहीं मिलेगी।

करदाता ने ब्याज का भुगतान यदि गतवर्ष नहीं भी किया गया है तो भी गतवर्ष के ब्याज की कटौती दे दी जायेगी।

अपवाद :—यदि प्रतिभूतियों के क्रय करने हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज का भुगतान भारत के बाहर किया जाता है और उसमें से उद्गम स्थान पर कर नहीं काटा गया है अथवा कर नहीं चुकाया गया है अथवा ऐसे विदेशी व्यक्ति के लिए भारत में कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसे उसका अभिकर्त्ता (Agent) माना जा सके तो ऐसे ऋण पर ब्याज की कटौती नहीं दी जायेगी।

स्पष्टीकरण : करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय के लिए, लिए गये ऋण पर ब्याज की कटौती अधिकतम उतनी ही होगी कि इन प्रतिभूतियों से ब्याज की आय ऋणात्मक न हो।

प्रतिभूतियों पर ब्याज शीर्षक में हानि : प्रतिभूतियों से ब्याज शीर्षक के अन्तर्गत स्वीकृत कटौतियों को घटाने के बाद यदि आय ऋणात्मक आती है तो इसे इस शीर्षक की हानि मानी जायेगी एवं ऐसी हानि को अन्य शीर्षकों की आय से उसी गतवर्ष में पूर्ति की जा सकेगी। किन्तु करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज की हानि अन्य आय से पूरी नहीं की जा सकेगी। हानियों से पूर्ति के सम्बन्ध में विशेष जानकारी 'हानि की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाना' नामक अध्याय में दी गई है।

उदाहरण (Illustration) 1 : 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले गतवर्ष के लिए श्री प्रशान्त बोस का प्रतिभूतियों से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है :

	रु०
a) हिन्दुस्तान मोटर्स के ऋणपत्रों पर ब्याज (सूचीयत)	3,600
b) राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाण-पत्रों पर प्राप्त ब्याज	500
c) गोल्डन टुबेको लि० के करमुक्त ऋणपत्रों पर ब्याज	1,600

d) केन्द्रीय संरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज (शुद्ध) 2,700
e) नेपाल की एक कम्पनी से प्राप्त ब्याज (शुद्ध) 2,700

ब्याज की यह सम्पूर्ण रकम बैंक द्वारा वसूली गई है जिसने इसके लिए 40 रु० कमीशन लिया है। कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए आप श्री प्रशांत बोस की प्रतिभूतियों से ब्याज की गणना कीजिये।

The following are the particulars relating to securities of shri Prashant Bose for the Previous year ended 31st March 1986.

a)	Interest received on debentures of Hindustan Motors (listed)	3,600
b)	Interest received on National Plan Saving Certificates	500
c)	Interest received on tax-free debentures of Golden Tobaco Ltd.	1,600
d)	Interest (net) on Central Govt. Securities	2,700
e)	Interest (net) received from a company of Nepal.	2,700

The amaunt of whole interest was collected by the bank who charged Rs, 40 by way of commission on it. Calculate 'Interest on securities' of Shri Prashant Base for the assessment year 1985-86.

हल (Solution) :

Statement of income from interest on Securities for the A. Y. 1986-87

	Rs.
a) Interest on debenture of Hindustan Motors $\frac{100}{90} \times 3,600$	4,000
b) Interest on Tax-free deb. of Gold Tobacco Ltd. $\frac{100}{80} \times 1,600$	2,000
c) Interest on Central Govt. securities $\frac{100}{90} \times 2,700$	3,000
d) Interest reveived from a Co. of Nepal	2,700
Total Interest	11,700
Less ; Bank Commission	40
Income from Interest	11,660

टिप्पणीः 1. हिन्दुस्तान मोटर्स एवं गोल्डन टुबेको के ऋणपत्रों पर प्राप्त ब्याज को सकल बनाया गया है क्योंकि ब्याज की प्राप्त राशि दी गई है जो उद्‌गम स्थान पर काटे गये आयकर को घटाकर आती है। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज को भी सकल बनाया गया है।

2. राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाण-पत्रों पर प्राप्त ब्याज पूर्णरूपेण करमुक्त है तथा इसे कुल आय में भी सम्मिलित किया जाता है :

3. विदेशी कम्पनी से प्राप्त प्रपत्र को सकल नहीं बनाया जाता।

उदाहरण (Illustration) 2 : श्री माधव के पास 1 अप्रैल 1985 को निम्नलिखित विनियोग थे :

a) 30,000 रु० के 5% म्युनिसिपल बांड्स।
b) 50,000 रु० के 4½% पोर्ट ट्रस्ट बांड्स।
c) 20,000 रु० के 7% कर्नाटक स्टेट डेवलपमेंट लोन्।
d) 32,000 रु० के 3½% करमुक्त भारत सरकार ऋण
e) 40,000 रु० के 13½% जे० के० सिन्थेटिक्स लि० के परिवर्तनीय ऋणपत्र।
f) 16,000 रु० के 15% हिन्दुस्तान शुगर लि० के करमुक्त ऋणपत्र।

g) 15,000 रु० के 10% की दर से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में स्थाई जमा।
h) 10,000 रु० के 10% ब्रिटेन सरकार द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियां।

1 अक्टूबर 1985 को उसने 80,000 रु० के 7% पूंजी निवेश बांड खरीदे। इस उद्देश्य के लिये उसने 50,000 रु० के $4\frac{1}{2}$% पोर्ट ट्रस्ट बांड 5,000 रु० के लाभ पर बेचें एवं शेष आवश्यक राशि अपने मित्र से 15% वार्षिक ब्याज पर उधार ली।

कर्नाटक स्टेट डेवलपमेंट ऋण को क्रय करने के लिए 10,000 रु० का ऋण हाँगकांग निवासी मित्र से 8% वार्षिक ब्याज की दर पर लिया था जिस पर ब्याज का भुगतान हाँगकांग में ही किया गया एवं उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई और न ही ब्याज पाने वाले का किसी व्यक्ति को भारत में प्रतिनिधि माना जा सकता है।

बैंक में संग्रहण व्यय के 200 रु० वसूल किये। सभी प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रत्येक वर्ष 30 जून एवं 31 दिसम्बर को देय होता है।

'प्रतिभूतियों से ब्याज' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय ज्ञात कीजिये।

The following investments were held by Shri Madhav on 1-4-1985:

a. Rs, 30,000 5% Municipal Bonds.
b. Rs. 50,000 $4\frac{1}{2}$% Port Trust Bonds.
c. Rs. 20,000 7% Karnataka State Development Loan.
d. Rs. 32,000 $3\frac{1}{2}$% Tax Free Government of India Loan.
e. Rs. 40,000 $13\frac{1}{2}$% Convertible Debentures of J.K. Synthetics Ltd.
f. Rs. 16,000 15% Tax free Debentures in Hindustan Sugar Ltd.
g. Rs. 15,000 10% Fixed Deposit in State Bank of India.
h. Rs. 10,000 10% Securities issued by the Bank of England.

On 1st October, 1985, he bought Rs. 80,000, 7% Capital Investment Bonds. For this purpose he sold Rs. 50,000, $4\frac{1}{2}$% Port trust Bonds at a profit of Rs. 5,000 and the balance amount required was borrowed from a friend at 15% per annum interest.

For purchasing Karnataka State development Loan he took a loan of Rs. 10,000 @ 8% p a. Interest from his friend living in Hongkong. The Interest has been paid in Hongkong but no deduction of tax at source in made and no person In India who may be treated as agent of the recipient.

The Bank has charged Rs. 200 as collection charges. Interest in respect of all securities is payable on 30th June and 31st Dec. every year.

Calculate taxable income under the head 'interest on securities".

हल (Solution) : Computation of Taxable Income from Interest on Securities for the A. Y. year 1986-87

	Rs
Interest on Securities	
Rs. 30,000 5% Municipal Bonds	1,500
Rs. 50,000 $4\frac{1}{2}$% Port trust Bonds (30-6-85)	1,125
Rs. 20,000 7% Karnataka State Loan	1,400
Rs. 32,000 $3\frac{1}{2}$% Tax free Govt. Loan	1,120
Rs. 40,000 $13\frac{1}{2}$% Convertible Debentures	5,400
Rs. 16,000 15% Debentures in Hindustan Sugar Ltd. $\left(2,400 \times \frac{100}{80}\right)$	3,000
Gross Interest	13,545
Deductions : Collection charges	200
Taxable Interest	13,345

टिप्पणी : 1. 7% पूंजी निवेश बांड पर ब्याज एक व्यक्ति के लिए करमुक्त है।
2. पोर्ट ट्रस्ट बांड पर केवल 6 माह का ब्याज ही प्राप्त होगा।
3. हिन्दुस्तान शुगर लि० के करमुक्त ऋण-पत्रों पर ब्याज को सकल बनाया जायेगा।
4. स्थायी जमा पर ब्याज एवं विदेशी सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज इस शीर्षक में कर योग्य नहीं है।

5. 7% पूँजी निवेश बांड पर ब्याज चूँकि करमुक्त है अतः इस प्रतिभूति को क्रय करने के लिए, लिये गये ऋण पर ब्याज की कटौती नहीं दी जायेगी।

6. कर्नाटक स्टेट डवलपमेंट ऋण के लिये, लिये गये ऋण पर ब्याज कटौती योग्य नहीं होगा क्योंकि इसका भुगतान भारत से बाहर किया गया है एवं उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई है और न ही ब्याज प्राप्त करने वाले व्यक्ति का भारत में कोई प्रतिनिधि है।

उदाहरण (Illustration) 3 : अपर इण्डिया ट्रेडिंग कम्पनी के पास 1 अप्रैल 1985 को निम्नलिखित प्रतिभूतियाँ है जिनसे प्रतिभूतियों से ब्याज शीर्षक की आय की गणना कीजिये :

a) 60,000 रु० के 6% उत्तर प्रदेश सरकारी ऋण;
b) 30,000 रु० के 7% कलकत्ता इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ऋणपत्र;
c) 15,000 रु० के 10% काटन मिल कम्पनी के अधिमान अंश;
d) 40,000 रु० के इम्पीरियल ट्रेडिंग कम्पनी लि० के 15% ऋणपत्र।
e) 15,000 रु० के 4% 10 वर्षीय नेशनल प्लान सर्टिफिकेट
f) 18,000 रु० के 10% चीनी मिल के करमुक्त सूचियत ऋणपत्र;
g) 5,000 रु० डाकघर बचत खाते में जमा है जिस पर वित्तीय वर्ष 85-86 में 275 रु० ब्याज खाते में जमा हुआ।

1 सितम्बर 1985 को कम्पनी ने इम्पीरियल ट्रेडिंग कम्पनी के 40,000 रु० के ऋणपत्र ब्याज सहित बेच दिये तथा 70,000 रु० 15% ईस्टर्न बंगाल जूट कम्पनी लि० के ऋणपत्र ब्याज सहित खरीद लिये। 30,000 रु० की अतिरिक्त धनराशि उसने अपने बैंक से 10% ब्याज की दर से प्राप्त की बैंक ने इन प्रतिभूतियों के क्रय एवं विक्रय पर 6 पैसा प्रतिशत की दर से अपना कमीशन लिया है। ब्याज तथा लाभांश की वसूली की राशि पर बैंक द्वारा 2% चार्ज किया जाता है। विनियोगों पर ब्याज एवं लाभांश वर्ष में दो बार 1 जनवरी व 1 जुलाई को प्राप्त होता है।

The following are the investments of the Upper India Trading Company. You are required to calculate income from securities :

Investments on 1st April, 1985 :
a) Rs. 60,000, 6% U. P. Government Loan.
b) Rs. 30,000, 7% Calcutta Improvement Trust Debentures.
c) Rs. 15,000, 10% Preference shares of Cotton Mills Co.
d) Rs. 40,000, 15% Debentures of the Imperial Trading Company Ltd.
e) Rs. 15,000, 4% 10 year National Plan certificate.
f) Rs. 18,000 10% Taxfree Listed Debentures of a Sugar Mill.
g) Rs. 5,000 is in Post Office savings bank account on which Rs. 275 interest credite on account in financial year 1985-86.

On 1st Sep., 1985 the Company sold the above Rs.40,000, 15% Debentures of the Imperial Trading Co. cum-interest and purchased Rs.70,000, 15% Debentures cum-interest of the Eastern Bengal Jute Co. Ltd. The additional sum of Rs. 30,000 needed for the purpose was borrowed from the Bank at 10% interest. The banker of company charged commission, on selling and buying of the investments, @ six per cent and on the collection of interest and dividend @ 2% on amounts collected. Interest and dividend and investment is payable half-yearly on 1st July and 1st January each year.

हल (Solution) : Computation of Income from Interest on Securities for the A. Y. 1986-87

Interest on :		Rs.
6% U. P. Government Loan		3,600
7% Cal. Imp. Trust Debentures		2,100
15% Debentures of Imperial Trading co. Ltd. (6 months)		3,000
10% Tax-free Debentures of Sugar Mills Rs. 1,800 × $\frac{100}{90}$		2,000
15% Deb. of Eastern Bengal Jute Co. Ltd. (for 6 months)		5,250
		15,950
Less : Allowed deductions :		
a) Collection charges	271	
b) Interest on loan for 7 months (10% on Rs. 30,000)	1,750	2021
Income from Interest on Securities		13,929

टिप्पणी (Notes) : 1. अधिमान अंशों पर लाभांश एवं डाकघर बचत खाते में जमा ब्याज प्रतिभूतियों से ब्याज शीर्षक में कर-योग्य नहीं है।

2. नेशनल प्लान सर्टिफिकेट का ब्याज पूर्णतया कर-मुक्त है।
3. प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय पर देय कमीशन स्वीकृत व्यय नहीं है।
4. ब्याज के संग्रहण व्यय की राशि की गणना निम्न प्रकार ज्ञात की गई—

प्राप्त ब्याज	रु०
a) उ०प्र० सरकारी ऋण (3,600—360)	3,240
b) कलकत्ता इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट ऋणपत्र (2,100—210)	1,890
c) इम्पीरियल ट्रेडिंग कं० के ऋणपत्र (3,000—600)	2,400
d) इस्टर्न बंगाल जूट कम्पनी (5,250—1,050)	4,200
e) चीनी मिल के करमुक्त ऋण पर ब्याज	1,800
कुल प्राप्त राशि	13,530

2% की दर से कमीशन=2% of 13,530=270·60 or 271 रु०

उदाहरण (Illustration) 4 : श्री विजय जो निवासी करदाता है। अलीगढ़ पेपर मिल्स में प्रबन्धक हैं। उनका मूल वेतन 800 रु० प्रति माह है। उन्हें वेतन का 10% मंहगाई भत्ता तथा 5% नगरपूरक भत्ता भी दिया जाता है। मिल उन्हें प्रतिमाह 200 रु० चिकित्सा भत्ता तथा 200 रु० मनोरंजन भत्ता भी देती है, जो उन्हें 1 मई, 1980 से दिये जा रहे हैं। वे प्रमाणित भविष्य निधि में मूल वेतन और मंहगाई भत्ते का 12% अंशदान देते हैं और नियोक्ता द्वारा भी उसमें इतना ही अंशदान दिया जाता है। उन्हें कम्पनी की ओर से एक 15 हार्स पावर की कार मिली है, जो उनके निजी उपयोग में भी आती है। इसके सम्पूर्ण व्यय कम्पनी वहन करती है। इसे वे स्वयं चलाते हैं। कम्पनी ने उनके जीवन बीमा प्रीमियम का प्रीमियम 2,000 रु० चुकाया।

1 अप्रैल 1985 को श्री विजय के विनियोग निम्न प्रकार थे :
अ. 4% म०प्र० सरकार ऋण 50,000 रु०

ब. 10% विकास न्यास ऋणपत्र 25,000 रु०

स. 15% एक जूट कम्पनी जिसमें कि जनता का सारवान हित है के ऋणपत्र 5,000 ।

द. 10·5% राष्ट्रीय जमा योजना में 31 दिसम्बर, 1985 को 20,000 रु० जमा कराये ।

1 अक्टूबर, 1985 को उसने विकास न्यास ऋणपत्र 500 रु० के लाभ पर बेच दिये और 40,000 रु० अंकित मूल्य के 6% पोर्ट ट्रस्ट बांड 39,000 रु० में क्रय कर लिये जिसके लिए उसने 6% प्रतिवर्ष की दर से 15,000 रु० का ऋण प्राप्त किया। प्रतिभूतियों के क्रय एवं विक्रय के लिए बैंक ने 1% तथा ब्याज संग्रहित करने के लिए वसूल की गई राशि पर 2% कमीशन वसूल किया। इस वर्ष में 31 दिसम्बर 1985 को अपने पिता की मृत्यु पर उसने 40,000 रु० के 6% बम्बई सरकार ऋण उत्तराधिकार में प्राप्त किए।

प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रतिवर्ष 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को दिया जाता है। सभी प्रतिभूतियाँ मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचियत है।

निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए श्री विजय की 'वेतन' तथा 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' शीर्षकों के अन्तर्गत कर-योग्य आय की गणना कीजिये।

Shri Vijay who is resident Assesses is the Manager of Aligarh Paper mills. His basic pay is Rs. 800 p.m. He is also getting 10% of his pay as Dearness Allowance and 5% as City Compensatory Allowance. The Mill also pays him every months Rs. 200 as Medical allowance and Rs. 200 as Entertainment Allowance, which are being paid to him since 1st May, 1980. He contributes 12% of his basic pay and dearness allowance to recognised provident fund to which his employer also contributes an equal amount. He has been provided with a 15 h.p car which is being used by him for private purpose also. The whole of its expenses are borne by the company He himself drives the car. The company also paid Rs 2,000 for insurance premium on his life policy.

The investment of Sri Vijay on 1st April 1985 were as given below:

a) Rs. 50,000 4% M.P. Government loan.
b) Rs. 25,000 10% Improvement Trust Debenture.
c) Rs 5,000 15% Debentures of a Jute Mill Company in which public are substaintialy interested.
d) Rs. 20,000 deposited in 10.5% Nation Deposit Scheme on 31st Dec., 1985.

On 1st October, 1985 he sold his Improvment Trust Debentures, as a profit of Rs. 500 and purchased Rs. 40,000 6% Port Trust Bonds at a cost of Rs 39,000 for which he took a loan of Rs. 15,000 @ 6% p.a. The bank commission for buying and selling securities was 1% and for collecting interest 2% on amount collected During the year he inhrited Rs. 40,000 6% Bombay Government Loan from his father who died on 25th December 1985. Such interest being payable in each case on 1st January and 1st July. All securities are listed in a recognised stock exchange.

Compute Shri Vijay's taxable income under the heads 'Salaries' and 'Interest on Securities' for the Assessment Year 1986-87.

हल (Solution) :

Statement of Taxable Income of Shri Vijay from Salaries and Interest on Securities for the Assessment Year 1986–87

	Rs.	Rs.
Salary		
Basic Pay	9,600	
Dearness Allowance	960	
C.C.A.	480	

Medical Allowance		2,400	
Entertainment Allowance		2,400	
Employer's contribution towards P.F.—			
Excess to 10%		211·20	
L.I.C. Premium paid by employer		2 000	
		18,051·20	
Deduction—			
Standered deduction		1,000·00	17,051
Interest on Securities :			
Interest on 4% M.P. Government Loan		2,000·00	
Interest on 10% Improvement Trust Debenture		1,250·00	
Interest on 15% Debenturs of a Jute Mill Co.		750·00	
Interest on 6% Port Trust Bonds		1,200·00	
Interest on 6% Bombay Govt Loan		1,200·00	
7% National Deposit scheme		525·00	
		6,929 00	
Less Deductions—	Rs.		
Bank Commission	117		
Interest on Rs. 15,000 @ 6% from 1st Oct, 85 to 31st March 86	450	567·00	6,358·00

टिप्पणी : 1. चूंकि मनोरंजन भत्ता 1 मई, 1984 से प्राप्त हो रहा है अतः कटौती योग्य नहीं है।

2. चूंकि कर्मचारी विशिष्ट कर्मचारी नहीं है अतः कार की सुविधा का मूल्य शून्य होगा।

3. जनता के सारवान हित वाली कम्पनी द्वारा निवासी व्यक्ति को 31 मई, 1985 के बाद प्रतिभूतियों पर देय ब्याज में से उद्गम स्थान पर कटौती नहीं की जायेगी बशर्ते कि वित्तीय वर्ष में देय ब्याज 1,000 रु० से अधिक न हो, ब्याज का भुगतान Account Payee cheque/draft से किया एवं प्रतिभूतियाँ मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचियत हों। इस प्रकार जूट मिल के ऋणपत्रों पर प्राप्त ब्याज में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जायेगी यह मान लिया गया कि भुगतान Account Payee cheque द्वारा ही किया जाता है।

4. ब्याज की संग्रहित राशि पर 2% कमीशन कटौती योग्य होगा। संग्रहित राशि 1,800 रु०+1,125 रु०+750 रु०+1,080 रु०+1,080 रु० =5,835 रु० पर 2% से 116·70 रु० अर्थात 117 रु० कटौती योग्य होंगे।

5. उत्तराधिकार में प्राप्त प्रतिभूतियों पर 6 माह का प्राप्य ब्याज करयोग्य होगा क्योंकि 1 जनवरी 1986 को मिलने वाला ब्याज विजय को प्राप्त होगा।

6. राष्ट्रीय जमा योजना में राशि 31-12-85 को जमा कराई गई है, इस पर ब्याज प्रति 6 माह में प्राप्य होता है अर्थात प्रथम बार ब्याज 30 जून, 1986 को प्राप्य होगा लेकिन 31 मार्च, 1986 तक अर्जित ब्याज 31 मार्च, 1986 को प्राप्य माना जायेगा।

उदाहरण (Illustration) : 5 प्रो० के० एल० जेम्स जादवपुर विश्वविद्यालय में प्रो० वाइस चांसलर हैं जिन्हें 3,000 रु० मासिक वेतन मिलता है इन्हें विश्वविद्यालय के प्राँगण में किराया मुक्त एक सुसज्जित बंगला मिला हुआ है जिसका उचित किराया 24,000 रु० वार्षिक है एवं 40,000 रु० की लागत का फर्नीचर बंगले के साथ प्रदान किया गया है। एक 18 हॉर्स पावर की कार भी कार्यालय प्रयोग के लिए प्रदान की गई

जिसके समस्त व्यय (ड्राइवर सहित) विश्वविद्यालय वहन करता है। मोटर कार का उपयोग कार्यालय से घर तक व घर से कार्यालय जाने हेतु भी किया जाता है। प्रो० जेम्स विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापित प्राविडेण्ट फण्ड में 10% की दर से अंशदान देते हैं। इन्हें घरेलू कार्य के लिए दो सेवक मिले हुए हैं जिन्हें प्रत्येक को विश्वविद्यालय द्वारा 2,000 रु० वार्षिक का वेतन दिया जाता है। इनके पास गतवर्ष 1985-86 में निम्नलिखित विनियोग रहे :

अ. 50,000 रु० की $3\frac{1}{2}$% सरकारी प्रतिभूतियाँ जो 20% वट्टे पर खरीदी गई थीं।

ब. 30,000 रु० के 4% बनारस नगर निगम के बांण्ड, जो श्री जेम्स को अपने मामा से मिले हैं।

स. 40,000 रु० $4\frac{1}{2}$% कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट बांड।

द. 8,000 रु० 1 अप्रैल 1984 को राष्ट्रीय जमा योजना (प्रथम शृंखला) में जमा कराये। जिस पर 10·5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज अर्द्धवार्षिक-आधार पर आय का इस प्रतिवर्ष प्राप्य हुआ माना जाता है।

इन्होंने ब्याज की वसूली के लिए बैंक को $1\frac{1}{2}$% दिए तथा 1,200 रु० का ब्याज उस ऋण पर दिया जिसका उपयोग कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट बांण्डों को खरीदने के लिए किया गया था। आप दोनों शीर्षकों के अन्तर्गत प्रो० जेम्स की कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए कर-योग्य आय निकालिये।

Prof. K.L. James is the Provice Chancellor of Jadavpury University getting Rs. 3,000 p.m as salary. He is provided with rent-free furnished bunglow in the university camous fair rental value of this accommodation in Rs. 24000 p. a. and furniture costing Rs 40,000 is provided with this accommodation. A car rating 18 H.P. in also provided by university for official purpose for which all expenses (including driver) are borne by university. Motor car is also used for going and coming from his residence to office. Prof. James contributes 10% to university P.F. He is provided with two servants for private use to whom Rs. 2,000 each p.a. is paid by the university. He had the following investment during the previous year 1985-86

a) Rs. 50,000 $3\frac{1}{2}$ Govt. Securities Purchased at a discount of 20%.
b) Rs. 30,000 4% Banaras Municipal Corporation Bonds, received from his material uncle.
c) Rs. 40,000 $4\frac{1}{2}$% Calcutta Port Trust Bonds.
d) Rs. 8,000 deposited on 1st Aprial, 1984 in National Deposit Scheme(1st series) Compound interest on which @ 10·5% per annum with half yearly rates is for income tax purposes to have become due eace year.

He paid to the bank $1\frac{1}{2}$ Commission for collecting interest and Rs. 1,200 as interest on Loan which used to purbhase Calcutta Port Trust Bonds Calculate taxable income of prof. James under the head salary and interest on Securities for the Assessment year 1986-87.

हल (Solution) : **Statement of Taxable Income of Shri K.L. James from Salaries and Interest on Securities of the Assessment year 1986 87**

	Rs.	Rs.
1. Salary :		
Basic Pay	36,000	
Valuation of Rent free accomodation	7,600	
Two Servants		
	4,000	
Less : Standard deduction	47,600	
	6,000	41,600

2. Interest on Securities :			
Government Securities		1,750	
Banaras Municipal corporation Bonds		1,200	
Calcutta Post Trusr Bonds		1,800	
National Deposit Scheme		955	
Less : Deductions :—	Rs.		
a) Bank collection charges	64	5,705	
b) Interest	1,200	1,264	4,441

टिप्पणी (Notes) : 1. विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए किराया मुक्त असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य वेतन का 10% होगा अर्थात् 36,000 रु० का 10% 36,000 रु० इस मूल्य में फर्नीचर की लागत का 10% वार्षिक राशि 4,000 रु० और जोड़कर सुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य होगा।

2. घर से कार्यालय जाने व आने के लिए कार का उपयोग किया जाना कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 से व्यक्तिगत उपयोग नहीं है। अतः प्रमाणिक कटौती 6,000 रु० दी गई है।

3. राष्ट्रीय जमा योजना का ब्याज केवल आयकर हेतु प्रतिवर्ष प्राप्य हुआ माना जाता है। ब्याज वास्तव में गतवर्ष में प्राप्त नहीं हुआ है अतः संग्रहण व्यय इस पर नहीं होगा राष्ट्रीय जमा योजना पर ब्याज 10·5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्द्धवार्षिक आधार पर प्राप्य होता है इस पर 8,000 रु० पर प्रथम अर्द्धवर्ष का ब्याज 420 रु० द्वितीय अर्द्धवर्ष का 8,420 रु० पर 442 रु० तृतीय अर्द्धवर्ष का 8,862 रु० पर 465 और चौथे अर्द्ध वर्ष का 9,327 रु० पर 490 रु० होता है। गतवर्ष में तीसरे एवं चौथे अर्द्धवर्ष का ब्याज (465 रु.+490 रु.)=955 रु० करयोग्य होंगे।

4. ब्याज बसूली पर कमीशन की राशि ब्याज की शुद्ध प्राप्त राशि (1,575+1,080+1,620=4,275) 4,275 रु० पर $1\frac{1}{2}$% की दर से 64 रु० होगी।

उदाहरण (Illustration) 6 : श्री अनूप कुमार 1 अप्रैल 1985 को निम्न प्रतिभूतियों के स्वामी थे :—

Shri Anoop Kumar was the owner of the the following securities on 1st April 1985

1. 8,000 रु० के राजस्थान सरकार के 8% करमुक्त ऋणपत्र;
   Rs. 8,000 8% Tax free debentures of Rajasthan Govt.
2. 10,800 रु० के जीवन बीमा निगम के 10% करमुक्त ऋणपत्र;
   Rs. 10,800 10% tax free debentures of Life Insurance corporation;
3. 10,000 रु० राष्ट्रीय बचत पत्र : द्वितीय निर्गम;
   National Savings Certificates : II Issue for Rs. 10,000;
4. 15,000 के राष्ट्रीय बचत पत्र : तृतीय निर्गम;
   National Savings certificates : III Issue for Rs. 15,000;
5. 10,000 रु० एस्कोर्टस लि० के 15% ऋणपत्र जिस पर ब्याज 30 जून एवं 31 दिसम्बर को देय होता है;
   Rs. 10,000 15% Debentures of Escorts Ltd. on which Interest due on 30th June and 31st Dec.;
6. 4,000 रु० 8% लंका सरकार ऋण 1,990;
   8% Ceylon Government Loan, 1990 for Rs. 4,000;
7. 24,000 रु० के जयपुर उद्योग लि० के 10% कर मुक्त ऋणपत्र;
   Rs. 24,000, 10% tax free debentures of Jaipur Udyog Ltd.;

एक अप्रैल 1985 को उसने 10,000 रु० राष्ट्रीय बचत पत्र षष्ठ निर्गम एवं 15,000 रु० के राष्ट्रीय बचत पत्र सप्तम निर्गम क्रय किये। राजस्थान सरकार के करमुक्त ऋणपत्रों को क्रय करने के लिए 6,000 रु० 12% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लिये थे जिस पर इस गतवर्ष का ब्याज बकाया है।

श्री अनूप ने एस्कोर्टस लि० के ऋणपत्रों को 1 जून 1985 को 11,000 रु० में ब्याज रहित बेच दिये तथा राशि बैंक द्वारा एकत्रित की एवं उसी दिन 30,000 रु० के माडर्न सुटिंग्स (इण्डिया) लि० के 9% ऋणपत्र जो कि स्टॉक एक्सचेंज में सूचियत है 29,000 रु० में ब्याज रहित क्रय किये उसने बैंक से 18,000 रु० का 12% वार्षिक ब्याज दर एक ऋण माडर्न सुटिंग्स के ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए लिया। इन ऋण पत्रों पर ब्याज प्रतिवर्ष 31 जुलाई एवं 31 जनवरी को देय होता है।

On 1st April 1985 he purchased Rs. 10,000 National Savings certificate VI issue and Rs. 15,000 National savings certificate VII issue. To purchase Tax free debentures of Rajsthan Government he borrowed Rs. 6,000 @ 12% p. a. Interest on which interest is due for this previous year.

On 1st June 1985 Shri Anoop sold debentures of Escorts Ltd. for Rs. 11,000 ex-interest and collected amount through Bank and on the same day purchased 9% debenture listed in stock exchange of Rs. 30,000 at a cost of Rs. 29,000 ex-interest of Morden Suitings (India) Ltd. He took a loan of Rs. 18,000 @ 12% p.a. interest from bank to purchases debentures of Modern suiting Ltd. Interest on these debentures is payable on 31st July & 31st January each year.

15 जनवरी, 1986 को राष्ट्रीय बचत पत्र : द्वितीय निर्गम के परिपक्व होने पर उन्हें 15,000 रु० प्राप्त हुए।

बैंक ने मूलधन एवं ब्याज की संग्रहीत राशि पर 2% संग्रह खर्च वसूल किये। 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले गतवर्ष के लिए प्रतिभूतियों पर ब्याज शीर्षक की आय ज्ञात कीजिए।

On 15th January 1986 he received Rs. 15,000 on the Maturity of the National savings certificates IInd issue.

The bank charged a Commission of 2% on the collection of an interest as well on principal amount.

Compute Income from Interest on securities for the previous year ending on 31st March 1986.

हल (Solution) : **Computation of Income from Interest on Securities for the A. Y. 1986-87**

		Rs.	Rs.
Interest on Government Securities :			
8% Tax free debentures of Rajasthan Govt.		640	
National savings certificate VIth issue		1,236	
National savings certificate VIIth issue		1,800	
Gross Income		3,676	
Less : Bank Commission	49	676	3,000
Interest on Loan	627		
Other Securities :			
10% Tax free debentures of life Insurance Corporation Rs. $1{,}080 \times \frac{100}{9}$		1,200	
15% Debentures of Escorts Ltd. (6 month)		750	
10% Tax free debentures of Jaipur Udyog Ltd.		3,000	

$2{,}400 \times \frac{100}{80}$			
9% Debentures of Modern Suitings Ltd. (6 month)		1,350	
Gross income		6,300	
Less : Bank Commission	106		
Interest on Loan	1,800	1,906	4,394
Income from Interest on securities			7,394

टिप्पणी : 1. करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज को सकल नहीं बनाया जाता है जबकि जीवन बीमा निगम के कर मुक्त ऋण पत्रों पर ब्याज को $\frac{100}{90}$ एवं जयपुर उद्योग लि० से करमुक्त ऋण पत्रों पर ब्याज $\frac{100}{80}$ से गुणा करके सकल बनाया गया है।

2. राष्ट्रीय बचत पत्र द्वितीय एवं तृतीय निर्गम पर प्राप्य ब्याज करमुक्त है अतः सम्मिलित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय बचत पत्र द्वितीय निर्गम की परिपक्वता पर प्राप्त ब्याज 5,000 रु० पर संग्रहण व्यय की कटौती भी नहीं दी जायेगी क्योंकि यह कर-मुक्त है।

3. लंका सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज इस शीर्षक में करयोग्य नहीं है।

4. एस्कोर्टस लि० के ऋण पत्र 1 जून को ब्याज रहित बेचें है अतः 30 जून को समाप्त 6 माह की अवधि का ब्याज विक्रेता (अनूप कुमार) को ही प्राप्त होगा।

5. मार्डन सूटिंग्स लि० के ऋण पत्रों को 1 जून को ब्याज रहित खरीदा है अतः 31 जुलाई को कोई ब्याज की राशि क्रेता को प्राप्त नहीं होंगी। 31 जनवरी 1986 को प्राप्य ब्याज क्रेता को मिलेगा।

6. राष्ट्रीय बचत पत्र षष्ठ निर्गम पर ब्याज 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्द्ध-वार्षिक आधार पर प्राप्य होता है। इसका भुगतान बचत पत्रों के परिपक्व होने पर ही प्राप्त होता है। गतवर्ष के प्रथम अर्द्धवर्ष का ब्याज $\left(10{,}000 \times \frac{12}{100} \times \frac{6}{12}\right)$ 600 रु० होगा एवं द्वितीय अर्द्धवर्ष का ब्याज $\left(10{,}600 \times \frac{12}{100} \times \frac{6}{12}\right)$ 636 रु० होगा अर्थात कुल ब्याज 1,236 रु० होगा। इस ब्याज पर कोई संग्रहण व्यय नहीं होगा क्यों कि राशि प्राप्त नहीं होती है।

7. राष्ट्रीय बचत पत्र सप्तम निर्गम पर ब्याज 12% की दर से अर्द्धवार्षिक प्राप्त होता है अतः वर्ष में दो बार 900—900 रु० प्राप्त हुए।

8. संग्रहण व्यय : सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त राशि (640+1,800 रु०) 2,440 रु० पर 2% की दर से लगभग 49 रु० होंगे, गैर सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त राशि (1,080+600+2,400+1,215 रु०)=5,295 रु० पर 2% की दर से लगभग 106 रु० होंगे। मूलधन की राशि 11,000 रु० जो बैंक में एकत्रित की है, इस पर बैंक कमीशन की कटौती प्राप्त नहीं होगी।

9. कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों के लिए ऋण पर ब्याज $\left(6{,}000 \times \frac{12}{100}\right)$ = 720 रु० कटौती योग्य है किन्तु अधिनियम कटौती की राशि उतनी होगी जिससे कि इन प्रतिभूतियों से ब्याज की आय ऋणात्मक न हो। इन प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज 640 रु० है जिन पर लगभग 13 रु० संग्रहण व्यय की कटौती दी गई शेष करयोग्य राशि (640—13) = 627 रु० के बराबर ब्याज की राशि कटौती दी जायेगी।

10. मॉडंन सूटिंग्स के ऋण पत्रों के लिए ऋण पर गतवर्ष के 10 माह का ब्याज कटौती योग्य होगा जो कि $18{,}000 \times \frac{12}{100} \times \frac{10}{12} = 1{,}800$ रु० होगा।

उदाहरण (Illustration) : 7

श्री किशोरी लाल के गतवर्ष 1985-86 में विनियोगों सम्बन्धी जानकारी निम्न-लिखित हैं :

(i) 30,000 रु०, 6% (कर-मुक्त) सरकारी प्रतिभूतियाँ;
(ii) 20,000 रु०, 6% यू० पी० राज्य विद्युत बोर्ड ऋण;
(iii) 40,000 रु०, $6\frac{1}{2}$% केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियाँ;
(iv) 15,000 रु०, 9% (करमुक्त) सूचियत कम्पनी के ऋण-पत्र;
(v) 30,000 रु०, 8% एक सीमेंट कम्पनी के अधिमान अंश;
(vi) एक सहकारी समिति से 1,000 रु० लाभांश प्राप्त किया;
(vii) 10,000 रु०, $7\frac{1}{2}$% राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांड;
(viii) 15,000 रु०, 12% श्रीलंका सरकार द्वारा निर्गमित ऋण;
(xi) एक कम्पनी के 10,000 रु० के 11% ऋण पत्र 30.11.85 को ब्याज ~~रहित~~ 10,200 रु० में क्रय किये। इन पर ब्याज प्रतिवर्ष 1 जनवरी व 1 जुलाई को देय है।
(x) 20,000 रु० राष्ट्रीय जमा योजना (द्वितीय शृंखला) में 31 दिसम्बर 1985 को जमा कराये।

करदाता के निम्नलिखित व्यय हुए :

(अ) वसूली व्यय शुद्ध ब्याज पर 1%
(ब) करमुक्त ऋणपत्र क्रय करने हेतु उनकी पत्नी से लिए गये ऋण पर ब्याज 24% प्रतिवर्ष।

निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय की गणना कीजिये।

The following are the particulars of investment of Shri Kishorilal for the previous year 1985-86 :

(i) Rs. 30,000, 6% (tax-free) Government Securities;
(ii) Rs. 20,000, 6% U.P. State Electricity Board Loan;
(iii) Rs 40,000, $6\frac{1}{2}$% Central Government Securities;
(iv) Rs. 15 000, 9% (tax- free) listed debentures of a Company;
(v) Rs, 30,000; 8% preference Shares of a cement Company.
(vi) Rs. 1,000, received as devidend from a Co-operative Society;
(vii) Rs. 10,000, $7\frac{1}{2}$% National Rural Development Bonds;
(viii) Rs. 15,000 12% Loan issued by Government of Sri Lanka;
(ix) Rs. 10,000, 11% Debentures of a company purchased on 30-11-85, Cum-interest for Rs. 10,200. Interest payable on 1st January and 1st July every year.

(x) Rs. 20,000, deposited in National Deposit scheme (II Series) On 31st December, 1985 (16 ½ %)

The following are his expenses,

(a) Collection charges @ % on net interest.

(b) Interest @ 24% per annum as loan taken from his wife for purchasing tax free debentures.

Find out his income under the head 'Interest on Securities' for the assessment year 198-687.

(राजस्थान बी० काम० 1986)

हल (Solution) :

Statement of Income from Interest on Securities for the Assessment year 1986-87

Government Securities.		Rs	Rs.
6% (tax-free) Govt. Securities		1,800	
6½% Central Govt. Securities		2,500	
7½% National Rural Development Bonds		750	
National Deposit Scheme		525	
Gross Interest		5,575	
Less: Bank Commission 1% on (Rs. 1,800+Rs. 2,250+Rs. 675) Rs. 4,725		47	5,528
Other Securities;			
6% U P. State Electricity Board Loan		1,200	
9% (tax-free) Debentures of a company $=1,350\times\frac{100}{90}$		1,500	
11% Debentures of a company (½ year)		550	
Gross Interest		3,250	
Less: (i) Bank Commission 1% on (Rs. 1,080+Rs. 1,350+Rs. 440) Rs 2,870	Rs. 29		
(ii) Interest on Loan	3,600	3,629	(—) 379
Income from Interest on Securities			5,149

टिप्पणी :

(i) कम्पनी के कर-मुक्त, सूचियत ऋणपत्रों के ब्याज को सकल बनाकर आय में सम्मिलित किया गया है।

(ii) सीमेंट कम्पनी के अंशों पर लाभांश तथा सहकारी समिति से लाभांश 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' शीर्षक की आय में सम्मिलित नहीं होते हैं।

(iii) राष्ट्रीय जमा योजना में राशि 31-12-85 को जमा कराई गई हैं, इस पर ब्याज प्रति 6 माह में प्राप्य होता है अर्थात प्रथम बार ब्याज 30 जून 1986 को प्राप्य होगा। लेकिन 31 मार्च 1986 तक अर्जित ब्याज 31 मार्च, 1986 को प्राप्य माना जायेगा।

(iv) पत्नी से लिये गए ऋण पर गतवर्ष में देय ब्याज की कटौती दी गई है।

(v) विदेशी सरकारों की प्रतिभूतियों पर ब्याज की आय अन्य साधनों से आय के शीर्षक में कर-योग्य होती है। अतः सम्मिलित नहीं किया गया है।

उदाहरण (Illustration) 8 श्री उमेश कुमार आयकर हेतु निवासी है और उनकी वित्तीय वर्ष 1985-86 की अनुमानित कुल आय न्यूनतम कर-योग्य सीमा (18,000रु०) से अधिक नहीं होगी। यह घोषणा उन्होंने निम्न प्रतिभूतियों (जिनके वे धारक हैं) के विवरण के साथ इन पर ब्याज देने वाले प्रत्येक अधिकारी को वर्ष के प्रारम्भ में ही भिजवादी है :

Shri Umesh Kumar is resident for income-tax puroses and his estimated total income for the financial year 1885-86 will not exceed the minimum amount liable to income-tax (Rs. 18.000.) He has sent this declaration in the beginning of the year to each one of the officers responsible for paying interest on the following securities held by him along with the particulars of these securities.

1. 20,000 रु० 5% कम्पनी के करमुक्त ऋणपत्र
   Rs. 20,000 5% Tax-free debenture's of a Company.
2. 10,000 रु० 12% कर-मुक्त ऋणपत्र उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा निर्गमित
   Rs. 10,000 12% Tax-free Debentures issued by Uttar Pradesh Financial Corporation.
3. 20,000 रु० 4% यू० पी० सरकार का ऋण
   Rs. 20,000 4% U.P. Government Loan.
4. 10,000 रु० 6% डवलपमेन्ट ओथरेटी के ऋणपत्र।
   Rs. 10,000 6% Debentures of Delhi Development Authority.
5. 10,000 रु० 15% कर-मुक्त ऋण पत्र महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा, जिनका क्रय विक्रय मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में होता है।
   Rs. 10,000 15% Tax-free Debentures Mahendra & Mahendra. listed in a recognised stock exchange.
6. 9,000 रु० 10% मध्य प्रदेश सरकार के कर-मुक्त ऋण पत्र
   Rs. 9,000 10% tax-free debentures of M.P. Government.

बैंक ने ब्याज की एकत्र राशि पर 2% कमीशन लिया।

Bank charged 2% Commission on amount of interest Collected.

कर निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए 'प्रतिभूतियों से ब्याज' शीर्षक की कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए।

Calculate his taxable income from the head interest on Securities for the Assessment year 1986-87.

हल (Solution) : **Statement of Taxable Income from Interest on Securities of Shri Umesh Kumar for the Assessment year 1986-87**

	Rs.	
Interest on :		
Government Securities		
U.P. Government Loan.	800	
10% Tax-free Debentures of M.P. Government	900	
	1,700	
Less : Collection Charges	34	1,666
Other Securities		
5% Tax-free debentures of a Co.	1,000	
12% Tax-free debentures of Utter Pradesh Financial Corporation	1,200	

6% Debentures of Delhi Development Authority	600	
15% Tex-free debenture of Mahendra & Mahendra	1,500	
	4,300	
Less : Collection Charges	86	4,214
Taxable Income from Interest on securities		5,880

टिप्पणी : 1. करदाता के द्वारा घोषणा भिजवाने के कारण प्रतिभूतियों के व्याज में से उद्गम स्थान पर कर नहीं काटा जायेगा। अतः बैंक कमीशन की गणना सकल राशि 4,300 रु० पर 2% से 86 रु० की गई है।

2. गैर-सरकारी प्रतिभूतियों जिन्हें कर-मुक्त प्रतिभूतियों के रूप में जारी किया जाता है, उन पर उद्गम स्थान पर कटौती नहीं की जाती बल्कि ऐसी संस्थाओं के अपने पास से कर करदाता के नाम से सरकारी खजाने में जमा करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में प्राप्त व्याज को सकल किया जाता है। चूंकि करदाता ने घोषणा भिजवा दी है अतः कर की राशि जमा कराने की आवश्यकता ही नहीं होगी अतः सकल बनाने की अवश्यकता नहीं है। कम्पनी ने उस स्थिति में ही कर की ज़िम्मेदारी ली है जब कि करदाता को कर जमा कराना हो। लेकिन जब करदाता का दायित्व ही नहीं है, अतः कम्पनी को न तो कर सरकारी खजाने में जमा करना पड़ेगा और न ही करदाता को देना होगा।

परीक्षा प्रश्न (Test Questions)

सैद्धांतिक प्रश्न (Theoretical Questions)

1. 'प्रतिभूतियों से व्याज' शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य आयों का वर्णन कीजिये। प्रतिभूतियों से व्याज के सम्बन्ध में स्रोत पर कर की कटौती के प्रावधान क्या हैं? समझाइये।

   Describe the incomes chargeable under the head Interest on Securities. What are the provisions for deduction of tax at Source from interest on securities? Explain. (Rajsthan B. Com. 1979)

2. व्याज को सकल बनाने का क्या अर्थ है? व्याज को कैसे सकल बनाया जाता है? "प्रतिभूतियों पर व्याज" शीर्षक की करयोग्य आय की गणना में क्या-क्या कटौतियां दी जाती है?

   What is meant by 'grossing up' of interest? How interest is grossed up? What deduction are allowed in calculation of taxable income under the head "Interest on Securities". (Rajasthan B. Com. 1984)

3. आयकर निर्धारण के उद्देश्य से प्रतिभूतियों पर व्याज के सम्बन्ध में 'कर-मुक्त तथा 'करयुक्त' का स्पष्टीकरण कीजिये।

   Explain clearly the meaning of 'Tax-free and 'less tax" in connection with interest on securities for the purpose of income-tax assessment,

4. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये (Write Short notes on the followings)

   अ. कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियां (Tax-free Government Securities)
   ब. दिखावटी लेन-देन (Bond washing Transactions)
   स. कर मुक्त व्यापारिक प्रतिभूतियां (Tax-free Commercial Securities)
   द. व्याज वसूल करने के सम्बन्ध में व्यय (Expenses for collecting interest)

निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए (Explain the following) :—

a. प्रतिभूतियों का ब्याज सहित क्रय विक्रय,
Interest Purchase and sales of securities.

b. प्रतिभूतियां क्रय करने के उद्देश्य से लिए गये ऋण पर ब्याज
Interest on loan taken to purchase the securities.

व्यवहारिक प्रश्न (Practical Questions) :

1. 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले गतवर्ष में सुरेन्द्र के विनियोग निम्न प्रकार हैं :

a) 15,000 रु० के 8% कर मुक्त भारत सरकार ऋण।
d) 10,000 रु० के $9\frac{1}{2}$% एक कॉटन मिल के पूर्वाधिकार अंश
c) 30,000 रु० के 7% नेशनल प्लान सर्टिफिकेटस।
d) 10,000 रु० के 12% करयोग्य रेमण्ड वूलन मिल्स के सुरक्षित ऋण पत्र।
e) 8,000 रु० के 11% वाले रिलाएंस टैक्सटाइल लि० के ऋण पत्र, 8% कर मुक्त भारत सरकार ऋण पत्र में निवेश के लिए उन्होंने 7% वार्षिक दर पर 15,000 रु० का एक ऋण लिया हुआ है। इस वर्ष ब्याज की वसूली पर उनके 30 रु० व्यय हुए।

'प्रतिभुतियों पर ब्याज' शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना कीजिए।

Surendra's Investment for the previous year 31st ending March 1986 are as follows:

a) Rs. 15,000 8% Tax-free India Govt. loans.
b) Rs. 10,000 9 1/2% Preference shares of cotton mill
c) Rs. 30,000 7% National plan certificates
d) Rs. 10,000 12% Taxable secured debentures of Raymond woolen mills.
e) Rs. 8,000 11% debentures of Reliance Taxtile Ltd.

A loan of Rs. 15,000 @ 7% p.a. has taken for purchases of tax free India Govt. debentures, Rs. 30 was incurred on relisation of interest.

Calculate the income under the head 'Income from Interest on Securities'.

(Adopted from Delhi B. Com. Pass 1981)

2. अशोक के 1 अप्रैल 1985 को निम्नलिखित विनियोग थे :

a) 50,000 रु० 4% उत्तर प्रदेश सरकार लोन।
b) 30,000 रु० 5% दिल्ली प्राधिकरण के ऋण पत्र।
c) 20,000 रु० 5% एक लिमिटेड चाय कम्पनी के ऋण पत्र।
d) 15,000 रु० 10% डी. सी. एम. के पूर्वाधिकार अंश।

1 अगस्त, 1985 को उसने चाय कम्पनी के ऋण पत्रों को 1,000 रु० लाभ लेकर बेच दिया एवं उनके बदले 50,000 रुपये 8% के बम्बई पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड्स खरीद लिये, जिसके लिए उसने अपने एक मित्र से 9% वार्षिक ब्याज की दर से 20,000 का ऋण लिया। इन प्रतिभूतियों को खरीदने बेचने के लिए बैंक ने 1% कमीशन लिया एवं 2% कमीशन ब्याज एकत्र करने हेतु लिया।

31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अशोक की 'प्रतिभूतियों से ब्याज' शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना कीजिए।

सभी प्रतिभूतियों पर ब्याज छः माही है जो 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को देय होता है।

Mr. Ashok's investment on 1st April, 1985 were as follows :

a) 4% Rs. 50,000 U.P. State Govt. Loan.
b) 5% Rs. 30,000 debentures of Delhi Development Authority.
c) 5% Rs. 20,000 debentures of a limited tea company.
d) 10% Rs. 15,000 Preference shares in D. C. M. Ltd.

On 1st August, 1985 the sold his tea company debentures at a profit of Rs. 1,000 and purchased Rs. 50,000 8% Bombay Port Trust Bonds having borrowed Rs. 20,000 for this purpose from a friend at 9% Interest p.a. The Bank Commission for buying and selling securities' was 1% and 2% commission for collecting interest.

Compute the income of Mr. Ashok under the head 'Interest on securities' for the previous year ended 31st March 1986.

Interest on all securities was payable half yearly on 1st Jan. and Ist July.

3. गतवर्ष 1985-86 के लिये श्री अनिल के विनियोग निम्न हैं :

a)	5% सरकारी ऋण	25,000
b)	8% आगरा म्यूनिसिपल ऋण	20,000
c)	10% (कर मुक्त) व्यापारिक प्रतिभूतियाँ	16,000
d)	6% (करयुक्त) व्यापारिक प्रतिभूतियाँ	20,000
e)	$4\frac{1}{2}$% पोर्ट ट्रस्ट बॉड	35,000
f)	5% एक पेपर मिल के ऋण पत्र	40,000

1 जून 1985 को उसने 5% पेपर मिल के ऋण पत्र 45,000 रु० में ब्याज रहित बेच दिया तथा राजस्थान सरकार की 1,00,000 रु० मूल्य की 7% प्रतिभूतियाँ 1,05,000 रु० में ब्याज सहित क्रय कर ली। दलाल ने 150 रु० कमीशन के लिए। राजस्थान सरकार की प्रतिभूतियां क्रय करने के लिए उसने बैंक से 30,000 रु० का ऋण $9\frac{1}{2}$% ब्याज दर पर प्राप्त किया। शेष 30,000 रु० उसने एक अन्य ऋण को प्रयुक्त किया जो उसने कार क्रय करने के लिए 10% ब्याज पर लिया था, किन्तु कार क्रय न करने के कारण इस रु० को उसने प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दिया। ब्याज 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को देय है। बैंक ने ब्याज की वसूल की गई राशि पर 200 रु० कमीशन वसूल किया।

श्री अनिल की कर निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए कर योग्य आय (प्रतिभूतियों पर ब्याज से) की गणना कीजिए।

Investment of Shri Anil for the previous year 1985-86 were as mentioned below:

		Rs.
a.	5% Govt. loan	25,000
b.	8% Agra Municipal loan	20,000
c.	10% (Tax-free) Govt. Securities	16,000
d.	6% (Less-tax) Commercial Securities	20,000
e.	$4\frac{1}{2}$% Port Trust Bond	35,000
f.	5% Debentures of Paper Mill	40,000

He sold ex interest 5% debentures of Paper Mill on 1st June 1985 for Rs. 45,000 and purchased cum interest 7% securities of Rajsthan Govt. for Rs. 1,05,000 the nominal value of securities being Rs. 1,00,000. The broker charged Rs. 150 as commission. He took a bank loan @ $9\frac{1}{2}$% of Rs. 30,000 to purchase a above securities. The balance of Rs. 30,000 was diverted of a loan @ 10% which he took to purchase a car, which, as car was not purposed, was diverted for investment in securities. Interest is payable on 1st January and 1st July. Bank charged Rs. 200 for collecting Interest amount.

Compute taxable income from interest on securities of Mr. Anil for the Assessment year 1986-87.

4. श्री एम. पी. जैन, रेलवे बोर्ड, देहली में सहायक लेखाधिकारी हैं। उनका मूल वेतन 2,500 रु० प्रतिमाह है। उन्हें मूल वेतन 10% मंहगाई भत्ता तथा 8 प्रतिशत नगर क्षतिपूरक भत्ता प्राप्त होता है रेलवे बोर्ड की ओर से उन्हें किरायामुक्त रहने का क्वार्टर मिला है। किराया-मुक्त नहीं होता तो सरकारी नियमों के अनुसार उनके मूल वेतन का 10% किराया उनके वेतन में से काट लिया जाता।

वे जनवरी एवं फरवरी 1986 में चिकित्सा.अवकाश पर थे और इस अवधि के पूर्ण अवकाश वेतन के अतिरिक्त उनके द्वारा दवाइयों पर व्यय किये गये 5,600 रु० भी उन्हें रेलवे बोर्ड से प्राप्त हुए।

1 दिसम्बर, 1985 में श्री जैन रेलवे से-'निःशुल्क पास' पर अपने परिवार सहित कश्मीर गये थे। इस निःशुल्क पास के न मिलने पर किराये के उन्हें 1,800 रु० देने पड़ते। जनवरी 1985 में भी उन्हें नि.शुल्क पास बंगलौर जाने को मिले थे।

1 अप्रैल, 1985 को उनके विनियोग निम्न थे—	रु०
अ. 4% यू. पी. स्टेट लोन	60,000
ब. 5% इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ऋण-पत्र	30,000
स. 5% एक चीनी मिल के ऋण-पत्र	20,000
द. 9% एक कम्पनी के पूर्वाधिकार अंश	15,000

1 सितम्बर, 1985 को उसने चीनी मिल के ऋण-पत्र 750 रु० के लाभ पर बेचे और 40,000 रु० के 12% पोर्ट ट्रस्ट बॉड क्रय किये। इनके लिए उसने 20,000 रु० 9% प्रतिवर्ष की व्याज पर अपने एक जापान के मित्र से लिए। इस ऋण पर ब्याज का भुगतान जापान में किया गया एवं इस ब्याज में से उद्‌गम स्थान पर कोई कर नहीं काटा गया और उस व्यक्ति के लिए भारत में किसी को उसका प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता है। प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय एवं ब्याज के संग्रह के लिए बैंक कमीशन ½% चुकाया गया। प्रतिभूतियों पर ब्याज 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को देय है।

निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए श्री जैन की 'वेतन' तथा 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

Shri M. P. Jain is the Assistant Account officer in the Railway Board, Delhi. His monthly basic pay is Rs.2,500 he gets 10% of his basic pay as dearness allowance and 8% city compensatory Allowance. He has been provided with a rent free quarter by the Raliway Board. Accourding-to Rules 10% of his basic pay would have been deducted as rent, had it not been provided free of rent.

He was no medical leave in January and February, 1986 and besides leave salary at full rate for this period. he received from the Railway Board Rs. 5,600 being the amount spent by him for medicinse.

In December, 1985 Shri Jain had been visited to Kashmir with his family on a free pass. Had he not received this free pass, he would have paid Rs. 1,800 as railway fare. He was given a free pass in January, 1985 also to go Banglore.

On 1st April, 1985 he had the following investments :

a) Rs. 60,000 4% U.P. State loan.
b) Rs. 30,000 5% improvement trust debentures.
c) Rs. 20,000 5% debenture of sugar mill company.
d) Rs. 15,000 9% preference shares in a company.

On 1st Sept. 1985 he sold his sugar mill debentures at a profit of Rs. 750 and purchased 4% port trust bonds, having borrowed Rs. 20,000 for this purpose from his friend in Japan at 9% per annum interest. Interest on this loan has been paid in

Japan without deducting tax at sourse and there is no person in India who may be treated as agent of the receipient. The bank commission for buying and selling and collecting interest on securities was 1/2%.

Compute the taxable income under the heads 'Salaries' and interest on Securities of Shri Jain for the Assessment year 1986-87.

5. एक करदाता के गत वर्ष 1985-86 में विनियोगों सम्बन्धी जानकारी निम्नलिखित है :

The following are the particulars of investment of an assessee for the previous year 1985-86.

a) Rs. 30,000 5% (tax free) Govt. Securities.
b) Rs. 20,000 6% U.P. State Electricity Board Loan.
c) Rs. 40,000 6% Central Government Securities.
d) Rs. 15,000 9% (tax free) Debentures of Rajsthan Finance corporation.
e) Rs. 30,000 8% Preference shares of a cement company.
f) Rs. 1,000 received as dividend from a co-operative society.
g) Rs. 20,000 7% National Rural Development Bonds.
h) Rs. 10,000 7% debentures of a company purchased on 30-11-85 cum interest at Rs. 102, interest payable on 1st January and 1st July every year.
i) Rs. 10,000 National saving certificates III issue on which 6% p.a. interest accure each year.
j) Rs. 8,000 9% Papers of Nepal Govt.
k) Rs. 12,000 National Saving Certificate VI issue, which were purchased on 1st April 1985 and on which Compound interest at 12% p.a. at half yearly rests is for income tax purposes assume to have become each year.
l) Rs, 48,000 10% tax free debentures of Modern Threads (India) Ltd.

करदाता ने 5% करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय करने के लिए 20,000 रु. का एक ऋण 9% वार्षिक ब्याज की दर पर लिया जिसका गतवर्ष 1985-86 का ब्याज बकाया है। बैंक ने वसूल की गई ब्याज की राशियों पर 1 प्रतिशत संग्रहण व्यय वसूल किया। कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये 'प्रतिभूतियों से ब्याज' की आय ज्ञात कीजिए।

Assessee arranged a in loan of Rs. 20,000 @ 9% p. a. to purchase 5% tast free Govt. Securities on which interest is payable for previous year 1985-86 Bank charged 1% Commission on amount of Interest collected. Calculate income from 'Interest on Securities' for the assessment year 1986-87.

6. श्री रामपाल जो एक निवासी व्यक्ति है को वित्तीय वर्ष 1985-86 वर्ष में निम्न ब्याज की राशियाँ प्राप्त हुई :

Shri Rampal who is resident Individual received the following amount as interest during the financial year 1985-86.

a) उत्तर प्रदेश सरकार ऋण, 1988 पर 12,600
Rs. 12,600 on Uttar Pradesh Government Loan, 1988.

b) डिफेंस सर्टिफिकेट्स पर 1,800 रु०
Rs. 1,800 on Deffence certificates.

c) भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में क्रय विक्रय किये जाने वाले प्रीमियर ओटोमोबाइल के ऋण पत्रों पर 2,700 रु०
Rs. 2,700 on Debentures of Premier Automobiles Ltd., listed in a recognised Stock Exchange in India.

d) राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के कर-मुक्त ऋण पत्रों पर ब्याज 2,160
Rs. 2,160 on tax free Debentures of Rajasthan Housing Board.

e) डाकघर के बचत खाते में जमा राशि पर 500 रु० ब्याज खाते में जमा किया गया।
Rs. 500 credited as Interest in post office savings bank account.

f) जनता के सारवान हित वाली कम्पनी महाराष्ट्र स्कुटर्स लि० के सूचियत ऋण पत्रों पर 30 जून एवं 31 दिसम्बर को देय व्याज की राशि 900 रु० प्राप्त हुई।

Rs. 900 received as interest which is payable on 30th June and 31 Dec. on listed debentures on Maharashtra Scooter Ltd. in which public are substantially interested.

g) 15 जनवरी 1986 को राष्ट्रीय बचत पत्र (द्वितीय निर्गम) के परिपक्व होने पर 5,000 रु० के बचत पत्रों के भुगतान के 7,500 रु० प्राप्त हुए अर्थात् 2,500 रु० व्याज की आय हुई।

On 15th January 1986 he received Rs. 7,500 on the Maturity of National savings certificates (II issue) of Rs 5,000 i.e. Rs.2,500 received as interest.

बैंक ने व्याज की वसूल की गई राशि पर $1\frac{1}{2}$% कमीशन वसूल किया। कर निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए 'प्रतिभूतियों' से व्याज की आय ज्ञात कीजिए।

Bank charged $1\frac{1}{2}$% Commission on Interest amount collected. Compute income from Interest on securities for the assessment year 1986-87.

उत्तर

अध्याय—4 (प्रतिभूतियों पर व्याज) :

(1) 2,200 रु० (2) 4,693 रु० (3) 13,050 रु०
(4) 33,000 रु० 6,770 रु० (5) 14,224 रु० (6) 20,125 रु०

6

मकान सम्पत्ति से आय

(Income from House Property)

आय के विभिन्न शीर्षकों में 'मकान सम्पत्ति से प्राप्त आय' का तीसरा स्थान है। धारा 22 के अनुसार 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक के अन्तर्गत उन मकानों तथा उनके साथ लगी हुई भूमि के वार्षिक मूल्य पर आयकर लगाया जाता है जिनका स्वामी करदाता है इस परिभाषा तथा इस शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना से सम्बन्धित कुछ मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं :

1. मकान व उससे लगी हुई भूमि (Building and land appurtenant thereto) : इस शीर्षक के अन्तर्गत केवल मकानों से प्राप्त आय ही करयोग्य नहीं है बल्कि मकानों के साथ लगी हुई भूमि की आय भी इस शीर्षक में करयोग्य होगी। परन्तु यदि कोई ऐसी भूमि जो मकान के पास होकर किसी अन्य स्थान पर स्थित है तो इस भूमि से आय 'अन्य साधनों से आय' के अन्तर्गत करयोग्य होती है।

यहाँ यह भी समझ लेना आवश्यक है कि यदि भूमि मकान के साथ लगी हुई हैं तथा करदाता ने मकान एवं भूमि को अलग-अलग किराये पर दिया हुआ है तो भूमि से प्राप्त आय इस शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य नहीं होगी। अर्थात् भूमि के मकान के साथ लगी हुई होने पर भूमि से प्राप्त आय इस शीर्षक में तभी कर-योग्य होगी जबकि एक साथ किराये पर उठाई जावे।

2. करदाता का स्वामी होना (Ownership) : इस शीर्षक के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि करदाता मकान सम्पत्ति का स्वामी हो। पट्टे पर ली हुई भूमि पर यदि मकान बनवाया है तो मकान का स्वामी इस धारा के लिए स्वामी होगा।

पट्टे पर प्राप्त मकान :— यदि किसी गृह निर्माण समिति के सदस्य को समिति की मकान निर्माण योजना' के अन्तर्गत कोई मकान पट्टे पर आबंटित किया जाता तो करदाता ऐसे मकान का स्वामी माना जाता है और ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य इस शीर्षक की आय में सम्मिलित किया जायेगा।

यदि पट्टे से प्राप्त मकान को उप-पट्टे पर देकर आय प्राप्त करता है तो उस व्यक्ति की ऐसी आय इस शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं होगी। क्योंकि वह उस मकान का स्वामी नहीं है।

यदि कोई करदाता बिना पर्याप्त प्रतिफल अथवा बिना अलग रहने के समझौते के अपने जीवन साथी को या बिना प्रतिफल के अपने अवयस्क पुत्र-पुत्रियों (विवाहित पुत्री को छोड़कर) को हस्तांतरित कर देता है तो भी हस्तांतरणकर्त्ता ही आय-कर के उद्देश्यों के लिए मकान का स्वामी माना जायेगा।

यदि कोई व्यक्ति अविभाज्य सम्पदा (Impartial Estate) का धारक है तो अविभाज्य सम्पदा में सम्मिलित सभी सम्पत्तियों का वह स्वामी माना जायेगा।

यदि किसी व्यक्ति ने मकान को रहन रखा है तो रहने रखने वाला व्यक्ति ही मकान का स्वामी होगा न कि वह व्यक्ति जिसके पास मकान रहन में रखा है।

टिप्पणी : विदेश स्थित मकान की आय (Income from foreign house property) : विदेश स्थित मकान से प्राप्त आय भी इसी शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होती है। परन्तु, जैसा कि हम अध्ययन कर चुके हैं, केवल 'भारत में निवासियों' को ही ऐसी सम्पत्ति की आय पर कर देना पड़ता है।

3. **मकान सम्पत्ति से आशय गोदाम, पुल, बन्दरगाह आदि सभी से है (House property includes godowns bridges, etc.) :**—किसी भी प्रकार का ऐसा निर्मित भाग या जिसमें ईंट या पत्थर आदि का काम किया गया हो, मकान सम्पत्ति के अन्तर्गत आ जाता है। इस प्रकार मकान सम्पत्ति में, रहने का मकान, फ्लेट, बंगला कोठी, दुकान, शोरूम, गोदाम, भण्डार गृह, सिनेमा हॉल आदि शामिल है। किन्तु खाली भूमि पर अस्थायी रूप से टैन्ट लगा दिये जायें अथवा झोंपड़ी आदि बनाली जाये तो उनको भवन नहीं माना जा सकता।

4. **वार्षिक मूल्य (Annual value)**—मकान सम्पत्ति शीर्षक की आय की गणना वार्षिक मूल्य के आधार पर की जाती हैं। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे मकान से किराये के रूप में वास्तव में आय प्राप्त हो रही है। करदाता के स्वयं के रहने के मकान का भी वार्षिक मूल्य निर्धारित किया जाता है और इस शीर्षक में ऐसे मकान की भी आय की गणना की जाती है। वार्षिक मूल्य निर्धारण धारा 23 के अनुसार किया जाता है जिसे आगे समझाया गया है।

5. **मकान के स्वामित्व के विषय में विवाद का रहना (Ownership in dispute)** कभी मकान के स्वामित्व के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद हो तो इससे उस मकान से हुई आय पर आयकर की वसूली कार्यवाही में कोई विघ्न नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति को यह आय प्राप्त हुई है उसी व्यक्ति से आयकर वसूल किया जायेगा।

6. **मकान का सह स्वामित्व (Co-ownership) :** किसी मकान के यदि दो अथवा दो से अधिक स्वामी हैं तथा इनके हिस्से स्पष्ट रूप से पहचानने योग्य है तो उनके हिस्सों की आय का निर्धारण पृथक-पृथक किया जाता है।

7.— **शिकमी किरायेदार से प्राप्त किराया (Rent from Subletting) :**—कोई व्यक्ति यदि स्वयं किसी भवन सम्पत्ति को किराये पर लेकर उसे अन्य पक्षों को किराये पर देकर आय प्राप्त करता है तो यह आय इस शीर्षक के अन्तर्गत न आकर 'अन्य। साधनों से आय' में आती है।

मकान सम्पत्ति से करमुक्त आय (Exempted income from house property) : यह वह आय है जो पूर्ण रूप से करमुक्त है तथा कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाती निम्नलिखित आय इस श्रेणी में रखी जाती है।

1. कृषि के कार्य हेतु प्रयुक्त भारत में स्थित कृषि भूमि पर अथवा उसके समीप स्थित भवन, का वार्षिक मूल्य, यदि भवन का स्वामी वही व्यक्ति हो जो इसका है तथा इस भूमि से अपने सम्बन्ध के कारण वह भवन भूमि के स्वामी, कृषक या पैदावार के

रूप में किराया प्राप्त करने वाले व्यक्ति के द्वारा अपने निवास, भंडार गृह या उप-भवन के रूप में उपयोग किया जाता हो।

ऐसी भूमि यदि अन्तिम जनगणना के अनुसार 10,000 या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका या छावनी बोर्ड के क्षेत्र के अन्तर्गत हो अथवा ऐसी नगरपालिका या छावनीबोर्ड के क्षेत्र के बाहर 8 किलोमीटर तक की परिधि में स्थित किसी ऐसे क्षेत्र के अन्तर्गत हो जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित हो तो इस भूमि पर भारत भू-राजस्व अथवा कोई स्थानीय कर, जो कि सरकार के अधिकारियों द्वारा लगाया एवं बसूल किया जाता हो, देय होने पर ही ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य कर-मुक्त होगा।

[धारा 2. वाक्यांश (1) तथा धारा 10, वाक्यांश (1)]

2. ऐसी मकान सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग का वार्षिक मूल्य जिसका उपयोग करदाता अपने व्यापार एवं पेशे के लिए करता हो तथा उस व्यापार एवं पेशे के लाभ कर-मुक्त नहीं हैं।

कर्मचारियों को उठाये गये मकानों की आय :—एक कम्पनी ने अपने कर्मचारियों के लिए अपनी फैक्ट्री के पास ही कुछ मकानों का निर्माण कराया व किराये पर उठा दिया। इससे प्राप्त किराया मकान सम्पत्ति से आय के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया, क्योंकि कर्मचारियों का फैक्ट्री के पास ही रहना व्यापार के कुशल संचालन के लिए अत्यावश्यक है। अतः इस प्रकार के मकानों का किराये पर उठाना व्यापारिक गतिविधियों जैसा ही है।[1] करदाता द्वारा अपने कर्मचारियों को मकान किराये पर दिए जाने पर प्राप्त किराया व्यापार की आय माना जायेगा अतः मकान सम्पत्ति शीर्षक में कर-योग्य नहीं होगा।[2]

3. किसी देशी राजा के एक महल का वार्षिक मूल्य [धारा 10(19A)]
4. स्थानीय सत्ता की मान सम्पत्ति से आय [धारा 19(20)]
5. रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की मकान सम्पत्ति से आय [धारा 10(24)]
6. पुण्यार्थ अथवा धार्मिक उद्देश्यों के स्थापित ट्रस्ट की मकान सम्पत्ति से आय धारा 11 (i)(A)]

7. वस्तुओं के विपणन के लिए स्थापित किसी सत्ता की मकान सम्पत्ति की ऐसी आय जो गोदामों या भण्डारों को वस्तुओं के विपणन में सहायता देने अथवा प्रसंस्करण (processing) के लिए किराये पर दने से प्राप्त हो।

8. स्वयं का रहने का करदाता का ऐसा मकान जिसका गतवर्ष में बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया हो। [धारा 23(3)] इसका विस्तृत वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया है।

'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक की सकल आय ज्ञात करना

क. गतवर्ष :— इस शीर्षक की आय के लिए गतवर्ष सदैव कर निर्धारण वर्ष से पूर्व वाला वित्तीय वर्ष होता है।

ख. कर-दायित्व का आधार :—इस शीर्षक के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है कि मकान आदि वास्तव में किराये पर उठे हुऐ हो तथा इससे आय की प्राप्ति होती ही

1. Jameshedpur E M M Co. Ltd. v. CIT
2. Murli dhar Dalmia v CIT (1981) 129 ITR 67 (Del)

हो। वल्कि इस शीर्षक की सकल आय एक काल्पनिक आधार पर ज्ञात की जाती हैं, जिसे वार्षिक मूल्य कहते हैं। 'वार्षिक मूल्य' से आशय उस राशि से है जिस पर मकान सम्पत्ति उचित रूप से वर्ष प्रतिवर्ष किराये पर उठाई जा सकती हैं यदि किसी मकान सम्पत्ति का प्राप्त या प्राप्य वार्षिक किराया उचित किराये से अधिक हो, तो ऐसा अधिक प्राप्त या प्राप्य किराया ही वार्षिक मूल्य माना जायेगा।

वार्षिक मूल्य की गणना
Computation of Annual Value

1. **किराये पर उठे हुए मकानों का वार्षिक मूल्य :**—किराये पर उठे हुए मकानों का वार्षिक मूल्य निर्धारित करने के लिए ऐसे मकानों के वार्षिक किराये की राशि अथवा उचित किराये की राशि अथवा नगरपालिका मूल्य की राशि जो भी अधिक हो, को आधार बनाया जाता है। यदि उस क्षेत्र में (जहाँ मकान स्थित है) किराया नियन्त्रण कानून लागू हो तो मकान का उचित किराया उस कानून के अन्तर्गत निर्धारित किराये से अधिक नहीं माना जा सकता[1]। वार्षिक किराये की राशि से तात्पर्य यदि मकान पूरे गत-वर्ष अर्थात् 12 माह किराये पर रहा हो, तो पूरे वर्ष के लिए वास्तव में प्राप्त राशि से है और यदि मकान पूरे 12 माह किराये पर नहीं रहा हो, तो जितनी अवधि के लिए मकान गत वर्ष में किराये पर रहा हो, उतनी अवधि के लिए प्राप्य किराये के आधार पर आनुपातिक रूप से 12 माह की राशि ज्ञात कर ली जाती है। यदि मकान अपने किसी मित्र को अथवा रिश्तेदार को विना किराया लिए हुए दे दिया जाता है तो अनुमानित वार्षिक किराये को आधार बनाया जाता है।

इस प्रकार ज्ञात की गई राशि में से वार्षिक मूल्य (Annual Value) ज्ञात करने के लिए मकान के स्वामी द्वारा गतवर्ष में चुकाया गया नगर पालिका अथवा स्थानीय सत्ता द्वारा लगाया गया कर अथवा स्थानीय कर घटा दिया जाता है। इन करों में गृह-कर (House Tax)जल कर (Water tax), अग्नि कर तथा शिक्षाकर (Education tax) आदि सम्मिलित हैं।

स्पष्टीकरण— 1 कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से सम्बन्धित गतवर्ष से ही नगरपालिका करों अथवा स्थानीय करों की कटौती केवल ऐसे करों के भुगतान करने पर ही प्राप्त होगी। किन्तु 1984-85 कर निर्धारण वर्ष अथवा इसके पूर्व के कर निर्धारण वर्षों से सम्बन्धित गतवर्षों के लिए नगर पालिका करों की कटौती वास्तविक भुगतान के आधार पर उस गतवर्ष में नहीं दी जायेगी जिसमें कि इसका भुगतान वास्तव में किया गया है, क्योंकि पूर्व में देय आधार पर (due basis) कटौती दी जा चुकी है।

2. यदि स्थानीय कर किरायेदार द्वारा चुकाये जाते हैं तो नहीं घटाये जायेंगे।

3. यदि मकान पूरे वर्ष खाली रहा है तो स्थानीय करकी राशि नहीं घटाई जागेगी स्थानीय कर राशि तभी घटाई जागेगी जब मकान गतवर्ष में किराये पर उठाया गया हो।[2]

नये बने मकानों के सम्बन्ध में वैधानिक छूटें (Statutory Allowance inrrespect of newly constructed houses) :

---

1. Mrs. ShielaKanshish v. CIT (1981) 131 ITR 435(SC)
2. Liquidator of Mohmudabad Pvt. Ltd. v. CIT (1980) 124 ITR 31 (SC)

अ. यदि एक या अधिक निवास खण्डों वाले किसी मकान का निर्माण कार्य 31 मार्च 1978 के बाद किन्तु 1 अप्रैल, 1982 के पूर्व समाप्त हुआ हो तो ऐसे मकान के बनकर समाप्त होने की तिथि से आगामी पाँच वर्ष तक प्रत्येक निवास खण्ड के सम्बन्ध में वैधानिक छूट की राशि निम्नलिखित होगी :—

i. यदि ऐसे निवास खण्ड का वार्षिक मूल्य (आधार राशि में से मकान के स्वामी द्वारा स्थानीय कर की राशि घटाने के बाद शेष राशि) 2,400 रु० से अधिक नहीं है तो पूरी राशि;

ii. यदि ऐसे निवास खण्ड का वार्षिक मूल्य (आधार राशि में से चुकाई गई स्थानीय कर की राशि घटाने के बाद शेष राशि) 2,400 रु० से अधिक है तो 2,400 रु० ।

ब. यदि एक या अधिक निवास खण्डों वाले मकान का बनवाना 31 मार्च 1982 के बाद समाप्त हुआ हो तो ऐसे मकान के बनकर समाप्त होने की तिथि से आगामी पाँच वर्ष तक प्रत्येक निवास खण्ड के सम्बन्ध में वैधानिक छूट की राशि निम्नलिखित होगी :

i. यदि निवास खण्ड का वार्षिक मूल्य (आधार राशि में से मकान के स्वामी द्वारा चुकाई गई स्थानीय कर की राशि घटाने के बाद शेष राशि) 3,600 रु० से अधिक नहीं है तो पूरी राशि;

ii. यदि निवास खण्ड का वार्षिक मूल्य (आधार राशि में से मकान के स्वामी द्वारा चुकाई स्थानीय कर की राशि घटाने के बाद शेष राशि) 3,600 रु० से अधिक है तो 3,600 रु० । [धारा 23(1)]

स्पष्टीकरण : 1. जैसा कि स्पष्ट है कि उक्त वैधानिक कटौती केवल निवास के लिए मकान किराये दिये जाने पर प्राप्त होगी । यदि मकान को किसी अन्य कार्य (जैसे व्यापार, स्कूल, गोदाम कार्यालय) के लिये दे रखा हो तो उक्त वैधानिक कटौती नहीं दी जायेगी ।

2. चूँकि वैधानिक छूट की राशि पूरे वर्ष के लिये है, अतः यदि गतवर्ष में पूरे 12 माह की अवधि के लिये वैधानिक छूट नहीं दी जानी हो, तो वैधानिक छूट की राशि उस अवधि के अनुपात में दी जायेगी जिसमें कि मकान बनने के बाद किराये पर उठाने के लिए उपलब्ध था ।

उदाहरण (Illustration) 1 : श्री अनुपम जैन दो मकानों के मालिक हैं, जिनका निर्माण कार्य जनवरी 1981 में प्रारम्भ हुआ और दिसम्बर 81 में पूरा हो गया । पहला मकान 200 रु० मासिक पर और दूसरा मकान 100 रु० मासिक किराये पर 1 जनवरी, 82 से कार्यालय के एक मैनेजर को रहने के लिए दिया गया । इन मकानों का नगरपालिका मूल्यांकन क्रमशः 3,000 रु० एवं 1,000 रु० है । गतवर्ष में जो स्थानीय कर इन मकानों की बाबत दिए गए, वे 150 रु० एवं 100 रु० थे । लेकिन पहले मकान के स्थानीय कर उसके किरायेदार ने ही भुगतान किए ।

कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए इन दोनों मकानों का वार्षिक मूल्य ज्ञात कीजिये ।

Mr. Anupum Jain is the owner of two houses, the constutrction of which was started in Jan. 1981 and completed in Dec. 1981. The first house was let out on a monthly rent of Rs. 200 whereas the second one has been let-out on Rs. 100 p.m. from 1 Jan., 1982 to a Manager of the office for his residence. Municipal valuation of both the houses is Rs. 3,000 and Rs. 1,000 respectively. Local taxes paid during the previous year amounted to Rs. 150 and Rs. 100 respectively. Local taxes in respect of the first house were paid by the tenant.

Find out the annual value of both houses for the assessment year 1986-87.

हल (Solution) : **Computation of Annual value of Shri Anupum's House Property for the assessment Year 1986-87**

	Rs.
First house :	
Municipal value	3,000
Less : Local taxes paid by the assessee	Nil
	3,000
Less : Statutory Allowance (construction allowance)	2,400
Annual Value	600
Second House :	
Annual Rent	1,200
Less : Local taxes paid by the assessee	100
	1,100
Less : Statutory Allowance	1,100
Annual Value	Nil

टिप्पणी :—दूसरा मकान यदि मैनेजर के स्थान पर कार्यालय के कार्य के लिए दिया जाता तो वैधानिक छूट की कटौती प्राप्त नहीं होती।

उदाहरण (Illustration) 2 : श्री अनिल विश्वास अपने दो मकानों, जिनके वे स्वामी हैं, से सम्बन्धित निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं। आप इन दोनों मकानों के वार्षिक मूल्य की 1986-87 कर-निर्धारण वर्ष के लिए गणना कीजिए।

पहला मकान : इसका निर्माण 23-5-1981को शुरू हुआ व 22-8-1982 को समाप्त हुआ। इसमें तीन रिहायशी इकाई हैं, जिनका नगर पालिका मूल्य क्रमशः 3,000 रु० 2,000 रु० व 1,600 रु० है नगरपालिका कर इन मूल्यों का 10% है जो श्री अनिल ने ही चुकाये हैं। इन इकाइयों से प्राप्त किराया क्रमशः 5,500 रु०; 2,050 व 1,620 रु० है।

दूसरा मकान : इसका निर्माण 23-5-1983 को शुरू हुआ था तथा इसके पूरे निर्माण का सर्टिफिकेट श्री विश्वास को 1-7-1985 को मिला। इसमें भी तीन रिहायशी इकाइयाँ हैं जिनका नगरपालिका मूल्यांकन क्रमशः 4,000 रु० 3,600 रु० तथा 1,600 रु० हैं। इनको 1-10-1985 से क्रमशः 300रु० प्रतिमाह 250 रु० प्रतिमाह एवं 150 रु० प्रतिमाह किराये पर उठाया गया है स्थानीय कर इस मकान के लिये नगरपालिका मूल्यांकन का 10% है जिसका भुगतान भी अनिल ने किया है।

Mr. Anil Biswas submits to you the following details pertaining to the two houses of which he is the owner. You are required to compute annual value of the houses for the assessment year 1986-87.

First house : Construction was started on 23-5-81 and completed on 22.8.82. It comprises of three residential units with the Municipal value of Rs. 3,000 Rs. 2,000 and Rs. 1,600 respectively. Municipal taxes amount to 10% of the municipal value which is paid by Shri Anil. The rent received in respect of these units is Rs. 5,500 Rs. 2,050 and Rs. 1,620. respectively.

Second House : Its construction was started on 23.5 83 and the certificate of completion was received by Mr. Biswas on 1.7.85. It also comprises of three residentsial units with Municipal Valuation of Rs. 4,000, Rs. 3,600 and Rs. 1,600 respectively. These are let out with effect from 1.10.1985 on monthly rent of Rs. 300, Rs 350 and Rs. 150 respectively. Municipal taxes in this case also are 10% of the Municipal Valuation which is paid by Anil.

हल (Solution) :

Computation of Annual Value for the A. Y. 1986-87

	A Rs.	B Rs.	C Rs.
First House :			
Rent received or Municipal Value whichever is higher	5,500	2,050	1,620
Less : Municipal tax	300	200	160
	5,200	1 850	1,460
Deduction for new construction	3,600	1,850	1,460
Annual Value	1,600	—	—
Second House :			
Municipal Value for 9 months	3,000	2,700	1,350
Municipal taxes	400	360	160
	2,600	2,340	1,190
Deduction for new construction @ Rs. 3,600 p.a, (for 9 months)	2,600	2,340	1,190
Net Annual Value	—	—	—

टिप्पणी (Notes) . 1. वार्षिक मूल्य उस अवधि का ज्ञात किया जाता है जिस अवधि में मकान रहने के लिए उपलब्ध रहा है।

2. नगरपालिका मूल्य के 10% के बराबर नगरपालिका कर होंगे क्योंकि प्रश्न में 10% की दर के वार्षिक होने की सूचना नहीं है अतः नगरपालिका कर को अवधि के अनुपात में कम नहीं किया गया है।

उदाहरण (Illustration) 3 : अनिल मोहन का एक मकान 31 दिसम्बर 1980 को बनकर तैयार हुआ जिसमें चार रिहायशी इकाइयाँ हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई 1 जनवरी 1981 से 220 रु० मासिक किराये पर उठा दी गई है। स्थानीय-कर 250 रु० वार्षिक प्रति इकाई है। प्रथम दो रिहायशी इकाइयों के स्थानीय करों का पूरा एवं तीसरी रिहायशी इकाई के स्थानीय करों का आधा भाग अनिल मोहन ने चुकाया और शेष राशियाँ किरायेदारों ने चुकाई। कर निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए मकान के वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए।

Construction of Anil Mohan's house with four residential units completed on 31st Dec. 1980, Each of the unit was let out with effect from 1st January, 1981 @ Rs. 220 P.M Municipal tax come to Rs. 250 per annum in respect of each unit. Local taxes are paid by Anil Mohan in respect of first and second residential unit and one half a Local taxes in respect of third unit rest of the amounts are paid tenant. Calculate annual value of house for the assessment year 1986-87.

हल (Solution) :

Computation of Annual value

	I	II	III	IV
Rental value	2,640	2,640	2 640	2,640
Less : Municipal value paid by assessee	250	250	125	—
	2,390	2,390	2,515	2,640
Statutory allowance @ 2400 Per unit p.a. for 9 months	1,800	1,800	1,800	1,800
Annual Value	590	590	715	840

टिप्पणी (Note) : मकान 1980-81 गतवर्ष में 31 दिसम्बर 1980 को बनकर तैयार हुआ था एवं उस गतवर्ष में वैधानिक छूट केवल 3 माह के लिए मिली थी। गतवर्ष 1985-86 में यह छूट केवल 9 माह के लिए दी जायेगी क्योंकि छूट के लिये 5 वर्ष 31 दिस० 1985 को पूरे हो जाते हैं।

स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य
(Annual value of self occupied house)

ऐसे मकान जिसमें करदाता स्वयं रहता है या उस पर आश्रित कोई रिश्तेदार रहता है, जो करदाता को किराया नहीं चुकाता अर्थात् बिना किराये दिये रहता है, उसका वार्षिक मूल्य ज्ञात करने के लिए अनुमानित उचित किराये का आधार बनाया जाता है। प्रायः नगरपालिका मूल्य ही अनुमानित वार्षिक किराया होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में अनुमानित वार्षिक किराये की राशि नगरपालिका मूल्य की राशि से अलग हो सकती है। यदि अनुमानित वार्षिक किराया तथा नगरपालिका मूल्य भिन्न है तो इन दोनों में, जो अधिक हो, उस राशि को वार्षिक मूल्य ज्ञात करने के लिए आधार माना जाता है। यदि उस क्षेत्र में किराया नियंत्रण कानून लागू हो तो मकान का उचित किराया उस कानून के अन्तर्गत निर्धारित किराये से अधिक नहीं माना जा सकता।[1] इस प्रकार ज्ञात की गई आधार राशि में से निम्न राशियाँ घटाकर वार्षिक मूल्य ज्ञात किया जाता है :—

1. स्थानीय कर :—मकान के सम्वन्ध में स्थानीय कर अथवा नगरपालिका कर की चुकाई गई राशि।

2. वैधानिक छूट :-स्थानीय कर अथवा नगरपालिका कर घटाने के पश्चात् शेष रहे मूल्य की आधी राशि अथवा 3,600 रु० जो भी राशि कम होगी, घटा दी जायेगी। यह वैधानिक छूट केवल एक मकान के सम्बन्ध में दी जायेगी। यदि करदाता एक से अधिक मकानों का उपयोग अपने स्वयं के रहने के लिए करता है, तो वह अपनी इच्छानुसार उनमें से किसी एक मकान को इस प्रकार की वैधानिक छूट के लिए चुन सकता है, अर्थात् विकल्प दे सकता है। शेष स्वयं के रहने के मकानों का वार्षिक मूल्य उसी प्रकार ज्ञात किया जायेगा। जैसे वे किराये पर उठाये गये हों।

वैधानिक छूट की राशि घटाने के पश्चात् शेष बची हुई राशि ही स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य होगा, लेकिन यह राशि (वार्षिक मूल्य) करदाता की अन्य शीर्षकों की कर योग्य आय तथा इस मकान को छोड़कर अन्य मकानों की करयोग्य आय

1. Mrs. Shiela kaushish v. CIT (1981) 131 ITR 435(SC)

के योग के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिये। यदि 10% से अधिक है तो अधिक भाग को छोड़ दिया जायेगा, अर्थात् वार्षिक मूल्य की राशि को इस मकान को छोड़कर अन्य कर योग्य आय के 10% के बराबर कर लिया जायेगा। [धारा-23(2)]

उदाहरण (Illustration) 4 : निम्नलिखित परिस्थितियों में कर निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए एक करदाता के स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य ज्ञात कीजिए—

अ. मकान का नगरपालिका मूल्यांकन 10,000 रु०, वार्षिक उचित किराया 1,000 रु० प्रतिमाह, नगरपालिका मूल्यांकन के 10% के बराबर स्थानीय कर चुकाया गया, करदाता की अन्य करयोग्य आय 80,000 रु०।

ब. मकान का नगरपालिका मूल्यांकन 6,000 रु०, उचित किराया 5,000 रु० गतवर्ष 1985-86 के लिए देय स्थानीय कर 600 रु०, करदाता की अन्य कर योग्य आय 15,000 रु०।

स. करदाता के दो रहने के मकान है जिनका निर्माण कार्य 1 अप्रैल 1981 को समाप्त हुआ है। पहले मकान में स्वयं रहते हैं जबकि दूसरे मकान में उन पर आश्रित माता-पिता रहते हैं। दोनों मकानों का नगरपालिका मूल्यांकन क्रमश: 10,000 एवं 18,000 रु० है जिसका 8% नगरपालिका कर चुकाया गया है। करदाता की मकानों को छोड़कर अन्य करयोग्य आय 1,00,000 रु० है।

Compute annual value of a assessee for the assessment year 1986-87 in the following situations—

a) Municipal valuation Rs. 10,000 p.a., Fair Rent Rs. 1,000 P.m. Municipal taxes paid 10% of municipal valuation, other taxable income of assessee Rs. 80,000.

b) Municipal valuations Rs. 6,000 P.a., Fair Rent Rs. 5,000, Local taxes due for the previous year 1985-86 amounting to Rs. 600, other taxable income Rs. 15,000.

c) Assessee has two resdiential house of which construction has been finished on 1st April 1981. The first house is being used by assessee himself and second is occupied by his dependent parents. Municipal valuation of these two houses are Rs. 10,000 and Rs. 18,000 respectively of which 8% Local taxes are paid, taxable income other than houses is Rs. 1,00,000.

हल (Solution) : **Computation of Annual value for the A.Y. 1986-87**

	Rs.
a) Fair Rent	12,000
Less : Local taxes paid being 10% of Municipal value	1,000
	11,000
Less : Statutory Allowance for own residence ½ of Rs. 11,000 or Rs. 3,600 which is less	3,600
Annual value	7,400
b) Municipal valuation	6,000
Less : Municipal Taxes Paid	—
	6,000

Less : Statutory allowance for self occupation of house ½ of Rs. 6,000 or Rs. 3,600 which is less	3,000
	3,000
Annual value restricted to 10% of Rs. 15,000	1,500
c) I. House (Deemed as let out) Municipal valuation	10,000
Less : Local taxes paid 8% of Rs. 10,000	800
	9,200
Less : Statutory allowance for newely constructed house	2,400
Annual value	6,800
II. House (as self occupied) Municipal valuation	18,000
Less : Local taxes paid 8% of Rs. 18,000	1,440
	16,560
Less : Statutory allowance ½ of Rs. 16,560 or Rs. 3,600 which is less	3,600
	12,960
Annual value restricted to 10% of Rs. 1,06,800	1,06,800

टिप्पणी (Notes) : 1. यदि नगरपालिका करों का भुगतान नहीं किया गया है तो कटौती नहीं दी जायेगी।

2. करदाता के आश्रित माता-पिता द्वारा प्रयुक्त मकान भी करदाता द्वारा स्वयं के प्रयोग का माना जाता है किन्तु स्वयं के रहने की किसी एक मकान के सम्बन्ध में ही वैधानिक छूट (स्वयं के रहने हेतु प्रयुक्त मकान के लिए) मिलेगी और अन्य मकान को किराये पर उठाया गया माना जायेगा। करदाता के हित में स्वयं के रहने का मकान (एक से अधिक मकान होने की दशा में) उसे माना जाना चाहिए जिसका किराया मूल्य अधिक हो।

3. तीसरी परिस्थिति में करदाता के माता-पिता द्वारा प्रयुक्त मकान को स्वयं के रहने का मकान माना है और उसके वार्षिक मूल्य को करदाता की आय 1,00,000रु० +6,800रु० अर्थात् 1,06,800रु० के 10% तक सीमित किया गया है और प्रथम मकान को किराये पर उठा हुआ अतः प्रथम मकान के लिए वैधानिक छूट 2,400 रु० (नव निर्मित मकानों के लिए) दी गई है।

मकान जिसके कुछ भाग में मालिक स्वयं रहता है तथा कुछ भाग किराये पर उठा हुआ है (House partially let out and partially self-occupied)—ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम उस भाग का वार्षिक मूल्य पूर्व में दिये गए नियमों के अनुसार निकालना चाहिए जो किराये पर उठा हुआ है, अर्थात् प्राप्त किराये अथवा नगरपालिका मूल्यांकन में से जो भी अधिक हो, उसमें से नियमानुसार स्थानीय करों को घटाकर वार्षिक मूल्य निकाल लिया जाता है इस वार्षिक मूल्य को आधार बनाकर मालिक के अपने हिस्से का मूल्य निकाल लिया जाता है इसमें से वैधानिक कटौती दी जाती है। यह शेष रकम ही मालिक के अपने हिस्से का वार्षिक मूल्य है तथा वार्षिक मूल्य को उसकी कुल अन्य आय के 10% तक सीमित किया जायेगा।

उदाहरण (Illustration) 5 : एक मकान नगरपालिका मूल्यांकन 3,000 रु० है। इसका 2/3 भाग 2,400 रु० वार्षिक किराये पर उठा हुआ है तथा 1/3 भाग में मकान मालिक स्वयं रहता है। चुकाया गया स्थानीय कर 300 रु० है। मकान का वार्षिक मूल्य निकालिये।

A house is valued by the Municipal Board at Rs. 3,000 2/3rd of this let out for Rs. 2,400 while 1/3rd portion is in the occupation of the owner. Local taxes are paid amount to Rs. 300. Compute Annual Value of the whole house.

हल (Solution) : **Computation of Annual Value**

	Rs.
Rental Value of the let out portion	2,400
Less : Proportionate local taxes	200
Annual value of the let out portion	2,200
Proportionate rental value of the self-occupied portion	1,200
Less : Proportionate Municipal taxes	100
	1,100
Less : Allowance for self occuption (1/2 of 1,100)	550
Annual Value of the self occupied portion	550
Annual value of the whole house	2,750

यदि स्वयं के रहने का एक मकान हो और वह खाली रहे

यदि करदाता का स्वयं के रहने का केवल एक ही मकान हो और वह किसी दूसरे स्थान पर नौकरी, व्यापार या पेशे के कारण गतवर्ष में उस मकान में न रह सका हो तो उस मकान का वार्षिक मूल्य निम्नलिखित होगा :

अ. यदि वह मकान पूरे वर्ष खाली रहा हो तो वार्षिक मूल्य शून्य होगा अथवा

ब. यदि स्वामी उस मकान में गतवर्ष में थोड़ी अवधि के लिए रहता है तो उसका वार्षिक मूल्य भी आनुपातिक होगा। अर्थात् वार्षिक मूल्य उस अनुपात में कर दिया जायेगा जो रहने की अवधि का 12 माह से है।

यह रियायत निम्न शर्तों की पूर्ति होने पर ही दी जावेगी :

अ. दूसरे स्थान पर (जहां करदाता रह रहा हो) उसका स्वयं का कोई मकान न हो।

ब. अपने स्वयं के मकान को किराये पर न उठाया हो।

स. अपने स्वयं के रहने के मकान से गतवर्ष में अन्य कोई लाभ भी प्राप्त नहीं हुआ हो।

[धारा-23(3)]

स्पष्टीकरण— यह आवश्यक नहीं हैं कि करदाता दूसरे स्थान पर किराये के मकान में ही रहे। यदि वह ऐसे मकान में रहता है जो उसे अपने मित्र, रिश्तेदार अथवा अन्य किसी द्वारा बिना किराये के अर्थात् मुफ्त उपलब्ध कराया गया है, तो भी उपरोक्त परिस्थिति का लाभ करदाता को प्राप्त होगा।

उदाहरण (Illustration) 6 : अजमेर में श्री श्याम केवल एक मकान के स्वामी हैं, जो रहने के उपयोग में आता है। उसका नगर पालिका मूल्य 12,000 रु०, चुकाया

गया, नगरपालिका कर 1,200 रु० है। श्याम की अन्य कर योग्य कुल आय 60,000 रु०।

वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए— (अ) यदि श्याम गतवर्ष (1985-86) में बम्बई में अपने व्यापार के सिलसिले में रहे हों तथा उन्होंने इस मकान को न तो पूरे वर्ष किराये पर उठाया और नहीं अन्य कोई लाभ प्राप्त किया हो, या (ब) यदि श्याम गतवर्ष में बम्बई में अपने व्यापार में व्यस्त होने के कारण इस मकान में चार माह नहीं रह सके।

Shri shyam is the owner of a house at Ajmer which is used for residental purpose, his municipal value Rs 12,000, Municipal Taxes paid Rs. 1,200. Shyam's other taxable total Income Rs. 60,000.

Calculate the Annual value –(a) if Shyam resided at Bombay through out the previous year (1985-86) in connection with his business, and neither let out his house nor derived any benefit thereform or (b) if Shri Shyam could not occupy this house for 4 months being busy in this business.

हल (Solution) : **Annual value of self occupied House for the Assessment Year 1986-87**

	Rs.
Municipal value	12,000
Less : Local taxes paid	1,200
	10,800
Less : Statutory Allowance	3,600
	7,200
Annual value restricted to 10% of his Other taxable income Rs. 60,000	6,000
Annual value in case (a)	NIL
Annual value in case (b)	4,000

टिप्पणी (Notes) 1. प्रथम स्थिति में श्याम ने अपने स्वयं के मकान से कोई लाभ नहीं उठाया तथा वे स्वयं पूरे वर्ष बम्बई में रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में अजमेर के मकान का वार्षिक मूल्य शून्य लिया गया है।

2. दूसरी स्थिति में श्याम अजमेर के मकान में केवल चार माह नहीं रहे। अर्थात 8 माह स्वयं रहे। अतः आठ माह का आनुपातिक वार्षिक मूल्य $6{,}000 \times 8/12 =$ 4,000 रु० ही लिया गया है।

मकान सम्पत्ति के एक से अधिक स्वामी होने पर आय का निर्धारण Computation of Income in the Case of More than one owner of House Property)

यदि किसी मकान सम्पत्ति के एक से अधिक स्वामी हों तथा उसमें उनका प्रत्येक का हिस्सा निश्चित एवं स्पष्ट हो तो प्रत्येक के हिस्से के वार्षिक मूल्य की गणना अलग-2 की जायेगी। ऐसी स्थिति में नवनिर्मित मकान की वैधानिक छूट अथवा स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त मकान के लिए वैधानिक छूट भी प्रत्येक को अलग-अलग यह मानते हुये दी जायेगी कि प्रत्येक करदाता का अलग-अलग मकान है।

स्वीकृत कटौतियाँ (Admissible deductions)

प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना करते समय कुछ कटौतियाँ स्वीकृत होती हैं जो उस आय के उपार्जन से सम्बन्धित व्यय होते हैं। ऐसी ही कुछ कटौतियाँ इस शीर्षक में भी हैं। इन्हें ऊपर निकाले गये वार्षिक मूल्य में से घटाकर मकान सम्पत्ति से कर योग्य आय निकाली जाती है। धारा 24 के अनुसार इस शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित कटौतियाँ स्वीकृत हैं :

अ. सभी प्रकार के मकानों के लिये स्वीकृत कटौतियाँ (Admissible deductions for All Houses)

1. मरम्मत (Repairs) [24(1) (i)] : जब मकान मालिक अपने मकान का प्रयोग स्वयं करता है अथवा यदि वह किराये पर उठाया गया है एवं मकान के मरम्मत सम्बन्धी व्यय मकान मालिक ही करता है तो ऐसे मकानों के वार्षिक मूल्य का 1/6 मरम्मत के लिए छूट के रूप में कटौती दी जाती है। मरम्मत पर किये गये वास्तविक व्ययों का इस कटौती से कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में भी जबकि मरम्मत पर बिलकुल व्यय नहीं हुआ है मरम्मत सम्बन्धी कटौती की सुविधा प्राप्त होगी।

किन्तु जब मकान किराये पर उठा हुआ हो तो तथा मरम्मत सम्बन्धी सभी व्ययों के वहन करने का दायित्व किरायेदार ने अपने ऊपर लिया हुआ हो तो निम्नलिखित राशियों में से जो भी कम हो उसकी मरम्मत के लिए छूट के रूप में कटौती दी जाती है :

i. वार्षिक मूल्य का किरायेदार से प्राप्य अथवा प्राप्त वार्षिक किराये पर आधिक्य (अर्थात वार्षिक मूल्य—वार्षिक प्राप्य/प्राप्त किराया);

ii. वार्षिक मूल्य का 1/6 हिस्सा।

उदाहरण (Illustration) 7 : किराये पर उठाई गई निम्नलिखित मकान सम्पत्तियों से कर योग्य आय निकालिये, इन सभी स्थितियों में मरम्मत व्यय का दायित्व किरायेदारों पर है।

Compute income from the following let out house properties where the tenants have undertaken to bear the cost of repairs.

	अ (a)	ब (b)	स (c)
नगरपालिका मूल्यांकन (Municiple Value)	2,000	3,000	4,000
प्राप्त किराया (Rent received)	2,100	2,200	3,100
नगरपालिका कर (Municiple Taxes Paid)	200	300	200

हल (Solution) :

	A	B	C
Municipal value or rent received	2,100	3,000	4,000
Less : Municipal taxes paid	200	300	400
Annual Value	1,900	2,700	3,600
Less : Repairs	—	450	500
Taxable Income from house property	1,900	2,250	3,100

टिप्पणी (Notes) : 1. मकान सम्पत्ति 'अ' में वार्षिक मूल्य (1900 रु०) प्राप्त किराये (2,100 रु०) से कम है अतः मरम्मत की छूट शून्य होगी।

2. मकान सम्पत्ति 'ब' का वार्षिक मूल्य का 1/6 भाग 450 रु० है जबकि वार्षिक मूल्य का प्राप्त किराये पर आधिक्य (2,700–2,200) 500 रु० है जो कि वार्षिक मूल्य 1/6 भाग से अधिक है अतः 450 रु० की मरम्मत की कटौती मिलेगी।

3. मकान सम्पत्ति 'स' में वार्षिक मूल्य का 1/6 भाग 600 रु० है जबकि वार्षिक मूल्य का प्राप्त किराये पर आधिक्य (3600–3100) 500 रु० है अतः दोनों में से जो कम है (500 रु०) की मरम्मत की कटौती मिलेगी।

2. बीमा प्रीमियम (Insurance Premium) [24(1)(ii)] : मकान के नष्ट होने अथवा क्षतिग्रस्त होने आदि से होने वाली जोखिम बचाने के लिए दिया गया बीमा प्रीमियम स्वीकृत कटौती होता है। उदाहरणार्थ आग, भूकम्प व बिजली गिरने आदि से होने वाली सम्भावित हानि की पूर्ति के लिए कराये गये बीमे का प्रीमियम। बीमा प्रीमियम की वही राशि स्वीकृत होगी जिसका भुगतान कर दिया गया है। लेकिन चोरी के सम्बन्ध में कराया गया बीमा कटौती योग्य नहीं है।

3. वार्षिक भार (Annual Charge) [24(1)(iv)] : धारा 27 में वार्षिक प्रभार को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार वार्षिक प्रभाव वह है जिसे करदाता न्यायालय के आदेशानुसार/ वसीयत के अन्तर्गत या भेंट की शर्तों के अनुसार कोई राशि पुनः पुनः देने को बाध्य है और वह राशि किसी मकान सम्पत्ति पर भार है अर्थात् भुगतान न करने पर उस सम्पत्ति को बेचकर वसूल की जा सकती हो, तो गतवर्ष में देय ऐसी राशि के लिए चाहे इसका भुगतान किया गया हो अथवा नहीं, की कटौती दी जाती है। उदाहरणार्थ—

अ. हिन्दू संयुक्त परिवार के विभाजन के समय परिवार की एक विधवा के जीवन-यापन व्यय के लिए 600 रु० प्रति माह की व्यवस्था की जाती है, जिसे न्यायालय द्वारा अनुमोदित करा लिया जाता है। यह स्वीकृत भार है।

ब. श्री राजू को एक मकान श्री राम से भेंट में इस शर्त के साथ प्राप्त हुआ कि वह प्रति वर्ष श्रीमती राम को 3,000 रु० उसके जीवन काल तक भुगतान करता रहेगा। यह स्वीकृत कटौती योग्य भार है।

स. वसीयत के अन्तर्गत सौतेली माँ को जीवन यापन भत्ता भी सम्पत्ति पर भार है।

अपवाद—यह भार स्थानीय सत्ता, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को देय कर (जैसे आयकर बिक्री कर, धन कर आदि) के सम्बन्ध में है अथवा प्रभार करदाता द्वारा स्वेच्छा से सृजित किया गया है, जैसे मकान पर लिए गए ऋण का भुगतान करने के लिए सम्पत्ति पर प्रभार उत्पन्न करना या स्वेच्छा से मकान सम्पत्ति की आय में से किसी के लिए व्यवस्था कर प्रभाव उत्पन्न करना आदि की कटौती वार्षिक भार के रूप में स्वीकृत नहीं है।

4. भूमि का किराया (Ground rent) [24(1)(v)] :—यदि मकान बनाने के लिए भूमि को किराये या पट्टे पर ले लिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भूमि के स्वामी को देय किराया चाहे भुगतान किया गया हो या नहीं को वार्षिक मूल्य में से घटा दिया जाता है।

5. मकान के बनवाने आदि के सम्बन्ध में लिए गए ऋण पर ब्याज (Interest on loan borrowed for construction etc. of the house) [24(1)(vi)] : ऐसे ऋण पर देय ब्याज जिसका उपयोग मकान को बनवाने, मरम्मत कराने, नवीनीकरण अथवा खरीदने में हुआ है कटौती योग्य होगा गतवर्ष में देय हुई ब्याज की राशि कटौती योग्य होगी चाहे इसका भुगतान किया गया हो अथवा नहीं।

यदि पूर्व में लिये गये ऋण का भुगतान करने के लिए दूसरा ऋण लिया जाता है तो दूसरे ऋण पर देय ब्याज की कटौती स्वीकृत होगी।[1]

मकान सम्पत्ति के निर्माण अथवा क्रय करने के लिये लिये गये ऋण पर यदि करदाता द्वारा मकान के निर्माण करने अथवा उसे प्राप्त करने वाले गतवर्ष के पूर्व की अवधि का भी ब्याज चुकाया जाता है तो गतवर्ष के पूर्व की अवधि के लिए देय ब्याज की रकम की कटौती पांच समान किस्तों में दी जायेगी। सर्वप्रथम कटौती उस गतवर्ष में दी जायेगी जिसमें कि मकान निर्मित होकर तैयार हुआ है अथवा क्रय किया गया है शेष 4 किश्तों की कटौती तुरन्त बाद के 4 वर्षों में दी जायेगी।

उदाहरणार्थ एक मकान जिसका निर्माण कार्य एक मई 1984 को प्रारम्भ हुआ और 30 जून 1985 को समाप्त हुआ। इस मकान के निर्माण के लिए 1 मई 1984 को 50,000 रु० का ऋण 12% वार्षिक दर पर लिया जिस पर 31 मार्च 1986 तक का ब्याज बकाया है—इस स्थिति में गत वर्ष (1 अप्रैल 85 से 31 मार्च 1986) 1985-86 का ब्याज 6,000 रु० पूर्णतया कटौती योग्य होगा इसके साथ ही गत वर्ष से पूर्व की अवधि (1 मई 1984 से 31 मार्च 1985) 11 माह का ब्याज 5,500 रु० 5 किश्तों में कटौती योग्य होगा अर्थात गतवर्ष 1985-86 में 1100 रु० कटौती योग्य होंगे इस प्रकार 1985-86 गत वर्ष में कुल (6,000+1,100) 7,100 कटौती योग्य होंगे।

ऋण पर बकाया ब्याज की राशि पर देय ब्याज के सम्वन्ध में कोई कटौती नहीं दी जाती है।[2]

6. **भूमि का लगान अथवा राज्य सरकार द्वारा लगाया गया सम्पत्ति कर आदि (Land revenue or Property Taxes levied by State Govt.) [24(1)(vii)] :** राज्य सरकार द्वारा मकान सम्पत्ति से सम्बन्धित भूमि पर वसूल किया गया लगान-अथवा भूमि व भवन कर कटौती योग्य होना बशर्ते कि गतवर्ष में इनका भुगतान कर दिया गया है।

ब. केवल किराये वाले मकानों पर स्वीकृत कटौतियाँ (Admissible Deductions for let out Houses only)

1. **वसूली व्यय (Collection charges) [24(1)](viii) :** मकान सम्पत्ति का किराया वसूल करने से सम्बन्धित किये गये व्यय (जिसमें कानूनी व्यय भी सम्मिलित हैं) की कटौती दी जाती है। कटौती वास्तव में व्यय की गई राशि अथवा उस मकान सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य के 6%- जो भी दोनों में कम हो की हो दी जाती है।

2. **मकान खाली रहने की छूट (Vacancy allowance) [24(1)[(ix)]**—यदि कोई मकान अथवा उसका भाग कुछ समय के लिए खाली रहता है, तो खाली रहने की अवधि के लिए उसके वार्षिक मूल्य के आनुपातिक भाग की कटौती दी जाती है। मकान के खाली रहने की अवधि मकान को किराये पर उठाने की अवधि के पूर्व हो या पश्चात् हो, प्रत्येक दशा में यह कटौती दी जाती है।

यदि मकान के कई हिस्से हैं और इसमें से कुछ हिस्से ही गतवर्ष में कुछ समय खाली रहे हैं तो सर्वप्रथम इस खाली रहे हिस्से का आनुपातिक वार्षिक मूल्य ज्ञात किया

1. Circular No, 28 dated. 20.8.69,
2. Shewkissan Bhatter v. CIT (1973) 89 ITR 61 (SC)

जायेगा तत्पश्चात् ऐसे आनुपातिक वार्षिक मूल्य में से खाली रहने की अवधि के लिए आनुपातिक भाग की कटौती दी जायेगी।

यदि करदाता मकान को अपनी इच्छा से खाली रखता है जैसे अपने स्वयं के प्रयोग हेतु अथवा अतिथियों को ठहराने हेतु मकान खाली रखता है तो यह कटौती नहीं दी जावेगी अर्थात यह कटौती तभी स्वीकृत होगी जबकि मकान किरायेदार न मिलने के कारण खाली रहा हो।

टिप्पणी :—यदि मकान पूरे वर्ष खाली रहता है तो इस सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं दी जावेगी।

3. न वसूल हुआ किराया (Unrealised rent) [24(1)(x)]—मकान मालिक अपने किसी किरायेदार से जब किराया वसूल करने में असमर्थ रहता है तो किराये की वसूल न की गई रकम उस मकान मालिक के वार्षिक मूल्य में से घटा दी जाती है। इस सम्बन्ध में प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड ने निम्नलिखित नियम बनाये है जिनका पालन किया जाना आवश्यक हैं—

a) किराएदारी वास्तविक (Bonafide) होनी चाहिए।
b) किरायेदार ने मकान खाली कर दिया है अथवा उससे मकान खाली कराने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।
c) उस किरायेदार के पास इस मकान मालिक की किसी अन्य मकान सम्पत्ति पर अधिकार अथवा कब्जा नहीं है।
d) करदाता ने किराया वसूल करने सम्बन्धी सभी उचित वैधानिक कार्यवाही पूरी कर ली है अथवा इस सम्बन्ध में आयकर अधिकारी को पूर्ण संतुष्ट कर दिया जाता है कि कानूनी कार्यवाही करना व्यर्थ होगा।
e) उस सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य जिसका किराया प्राप्त नहीं हो सका है, करदाता की पिछले किसी गतवर्ष की करयोग्य आय में शामिल किया जा चुका हो एवं ऐसी करयोग्य आय पर कर चुकाया जा चुका है। अर्थात जैसे गतवर्ष 1985-86 में इसके पूर्व के गतवर्षों जैसे 1983-84, 1984-85 आदि गतवर्षों का न वसूल हुआ किराया घटाया जा सकेगा। यदि इसको करयोग्य आय में पहले शामिल किया जा चुका हो एवं कर चुकाया जा चुका हो किन्तु 1985-86 गतवर्ष के न वसूल हुए किराये को इसी गतवर्ष में कटौती के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी (Notes) : 1. यदि न वसूल हुए किराये को वसूल करने के सम्बन्ध में न्यायालय में चलाई गई कार्यवाही गतवर्ष में समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे न वसूल हुए किराये के लिए कोई कटौती नहीं दी जायेगी।

2. न वसूल हुए किराये की कटौती उस राशि से अधिक नहीं होगी जो कि इस कटौती देने के पूर्व 'मकान सम्पत्ति शीर्षक' की करयोग्य के बराबर है अर्थात इस कटौती को घटाने के कारण मकान सम्पत्ति शीर्षक की आय ऋणात्मक नहीं होगी।

रकमें जो घटाई नहीं जातीं (Amounts not deducted) [धारा 25] : मकान सम्पत्ति के निर्माण अथवा क्रय अथवा मरम्मत आदि के सम्बन्ध में लिये गये किसी ऋण पर ब्याज अथवा मकान सम्पत्ति पर किसी वार्षिक प्रभार आदि का भुगतान भारत से बाहर किया गया है तथा जिसमें से उद्गम स्थान पर निर्धारित दरों से आयकर नहीं

काटा गया है व भुगतान प्राप्त करने वाले ऐसे व्यक्तियों का प्रतिनिधि भी भारत में नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में ब्याज एवं वार्षिक प्रभार की रकमें कटौती के लिए स्वीकृत नहीं होगी।

मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक में हानि—यदि "मकान सम्पत्ति से आय" शीर्षक में दी जाने वाली कटौतियों का योग्य वार्षिक मूल्य से अधिक है तो इस शीर्षक में हानि हो सकती है और करदाता इस हानि को अपने अन्य शीर्षकों की आय में से उसी गत वर्ष जिसमें कि हानि हुई है पूरा कर सकता है। लेकिन निम्नलिखित स्थिति में हानि स्वीकार्य नहीं होगी और आय के स्थान पर हानि आने पर हानि को शून्य माना जाता है और अन्य आयों में से नहीं घटाया जा सकता है :—

यदि करदाता के पास स्वयं रहने का केवल एक मकान हो तथा वह गतवर्ष में अपने व्यापार या पेशे या नौकरी के कारण अन्य स्थान पर रहा हो एवं ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य शून्य अथवा आनुपातिक लिया गया है तो वार्षिक मूल्य में से केवल उतनी ही राशि कटौती के रूप में स्वीकार्य होगी कि ऐसे मकान से हानि न हो।

न वसूल हुए किराये के अशोधित भाग को आगे के वर्षों में पूर्ति करना :—यदि किसी करनिर्धारण वर्ष में न वसूल हुए किराये की सम्पूर्ण कटौती नहीं दी जा सकी है तो जितना भाग अशोधित रह जाता है (अर्थात् जिसकी कटौती नहीं दी जा सकी है) तो उसको आगे के कर निर्धारण वर्षों में मकान सम्पत्ति की आय में से घटाया जा सकता है। न वसूल हुए किराये की राशि जब तक पूर्णतया न घट जाये तब तक आने वाले वर्षों में घटाया जा सकेगा।[1]

पूर्व के कर निर्धारण वर्षों में स्वीकृत 'न वसूल हुए किराये' का आगामी वर्षों में वसूल होना (धारा 25A) : यदि पूर्व के कर निर्धारण वर्षों में किसी करदाता को धारा 24 (1)(x) के अन्तर्गत 'न वसूल हुए किराये' के सम्बन्ध कटौती स्वीकार की गई थी और बाद में किसी गतवर्ष में करदाता ऐसी 'न वसूल हुई राशि' को प्राप्त करता है अथवा वसूल कर लेता है तो ऐसी वसूल हुई राशि उस गतवर्ष में मकान सम्पत्ति शीर्षक की आय मानी जायेगी एवं करयोग्य होगी जिसमें यह प्राप्त की गई है चाहे करदाता उस मकान सम्पत्ति की (जिसके सम्बन्ध में न वसूल हुआ किराया वसूल हुआ हैं) उस गतवर्ष में स्वामी हो अथवा नही हो। ऐसी आय में से ('न वसूल हुए किराये' के वसूल होने से आय) धारा 23 एवं 24 (वैधानिक छूट एवं मरम्मत आदि की कटौतियाँ) के अन्तर्गत कोई कटौती नहीं दी जायेगी।

उदाहरण (Illustration) 8 : किराये पर दी गई एक मकान सम्पत्ति के ब्यौरे निम्नलिखित है। इससे मकान सम्पत्ति से करयोग्य आय की गणना कीजिए।

	रु०
वार्षिक किराया मूल्य (500 रु० प्रतिमाह)	6,000
स्वामी द्वारा अदा किये गए नगरपालिका कर (नगरपालिका मूल्य का 15%)	1,200
गतवर्ष का देय भूमि किराया	60
मकान सम्पत्ति पर अग्नि बीमा प्रीमियम चुकाया	50
मकान में रखी हुई वस्तुओं का अग्नि बीमा प्रीमियम चुकाया	100

1. CIT v. Madho Prasad Jatia (1976) 105 ITR 179 (SC)

खर्च किये गये वसूली व्यय	500
राज्य सरकार को देय भूमि का लगान	300
मकान एक महीना खाली रहा	

The particulars of a house property let out are given below. Compute taxable income from house property.

	Rs.
Annual rental value (Rs. 500 per month)	6,000
Municipal taxes paid by the owner (15% of Municipal value)	1,200
Ground rent Due for previous year.	60
Fire insurance premium paid on house property	50
Fire insurance premium paid on Articles kept in the house	100
Collection chargess incurred	500
Land revenue Payable to State Govt.	300
The house remained vacant for one month only.	

हल Solution :

Income from House Property for the A. Y. 1985-86

		Rs.
Municipal value		8,000
Less : Municipal Taxes Paid		1,200
Annual Value		6,800
Less : 1/6 of annual value for repairs	1,133	
Ground Rent Due	60	
Fire Insurance Premium	50	
Collection charges being restricted to 6% of A.V.	408	
Vacancy allowance (1/12th of 6,800)	507	2,218
Income from house property		4,582

टिप्पणी :—1. नगरपालिका मूल्य की गणना नगरपालिका कर जो कि नगरपालिका मूल्य के 15% है के आधार पर की गई है। चूंकि नगरपालिका मूल्य किराया मूल्य से ज्यादा है अत: आय की गणना इसके आधार पर की गई है।

2. भूमि का किराया गतवर्ष का कटौती योग्य है चाहे भुगतान नहीं किया हो किन्तु भूमि का लगान चुकाये जाने पर ही कटौती योग्य है।

3. मकान में रखी हुई वस्तुओं के अग्नि बीमा प्रीमियम की कटौती नहीं दी जाती।

उदाहरण (Illustration) 9 : श्री गोपाल 1,800 रु० मासिक वेतन पर लगा हुआ है। वह एक मकान का स्वामी भी है जिसका नगरपालिका मूल्यांकन 18,000 रु० वार्षिक है इसके 1/3 को उसने 1,300 रु० मासिक पर उठा दिया है व शेष 2/3 भाग उसके परिवार के पास है। उसने मकान को बन्धक रखकर 15,000 रु० का ऋण 6% ब्याज पर लिया है जिसका उपयोग अपने पुत्र को अमेरिका में शिक्षा प्राप्त कराने पर किया है। मकान के लिये 1,800 रु० वार्षिक स्थानीय कर के चुकाये गये हैं मकान की भूमि के लिये 3,000 रु० वार्षिक का भूमि राजस्व दिया जाता है। किन्तु करदाता ने पिछले दो वर्षों से इसका भुगतान नहीं किया है। मकान सम्पत्ति का देय अग्नि बीमा प्रीमियम गतवर्ष 1985-86 के लिये 400 रु० हैं गोपाल को अन्य साधनों से गतवर्ष 1985-86 में 1,400 रु० की आय प्राप्त होती है। उसकी वेतन एवं 'मकान सम्पत्ति' से आय शीर्षक की करयोग्य आय की गणना कीजिए।

Gopal is employed on a monthly salary of Rs. 1,800. He is the owner of a house whose municipal valuation is Rs. 18,000 p.a. He has let 1/3rd of this house on a monthly rent of Rs. 1,300 p.m. and there maining 2/3rds is occupied by his family. He has taken a loan of Rs. 5,000 @ 6% p.a. interest for education of his son in America and the house is mortgaged for the loan. The assessee Paid local

tax of Rs. 1,800 p.a. It is also subject to land revenue at Rs. 3,000 per year but the assessee has not paid it for the last two years. Fire insurance premium on house property due Rs. 400 for previous year 1985-86 Gopal's taxable income from other sources during the previous year 1985-86 was Rs. 1,400. Findout Gopal's taxable income. under the head salary and income from house property.

हल (Solution) : Computation of Income under the head Salaries & House Property for the A. Y: 1986-87

	Rs.	Rs.	Rs.
a) Salary @ Rs. 1,800 p.m.	21,600		
Standard deduction @ 25@	5,400		16,200
b) i) Rent from let out portion @ Rs. 1,300 p.m.	15,600		
Less municipal taxes	600		
Annual value	15,000		
ii) *Less* 1/6 of Rs. 15,000 for Repairs	2,500	12,500	
Value of self-occupied portion	31,200		
Municipal Taxes	1,200		
	30,000		
Less allowance for self-occupation	3,600		
	26,400		
Annual Value being restricted to 10% of total other incomes (16,200+12,500+1,400) i.e. 10% of 30,100	3,010		
Annual Value			
Less : Repair 1/6 of Rs. 3,010	502	2,508	
Income from House Property			15,008

टिप्पणी: 1. स्थानीय कर आनुपातिक घटाये गये हैं। 2. ब्याज की कटौती नहीं दी गई है क्योंकि ऋण अन्य किसी कार्य के लिये प्रयोग में लाया गया है। 3. भूमिकर एवं अग्नि बीमा प्रीमियम भुगतान होने पर ही कटौती योग्य है।

उदाहरण (Illustration) 10 : श्री मुकर्जी तीन भवनों के स्वामी हैं। प्रथम भवन उन्होंने अपने स्वयं के निवास के लिये प्रयोग कर रखा है। इसका वार्षिक किराया मूल्य 10,000 रु० है। उन्होंने 3,000 रु० इसकी मरम्मत पर तथा 500 रु० अग्नि बीमा प्रीमियम पर व्यय किये। द्वितीय भवन 15,000 रु० वार्षिक किराये पर उठा है इस भवन की आय में से उन्हें 5,000 रु० अपनी विवाहित बहन को देना पड़ता है। क्योंकि उनके स्वर्गवासी पिता ने एक वसीयत के अन्तर्गत इस भवन पर प्रभार किया था। तृतीय भवन में चार इकाइयां हैं और प्रत्येक 3,000 रु० वार्षिक किराये पर उठी हैं। यह भवन 1 मार्च 1982 को बना था जिसमें दो इकाइयों में किरायेदार रहते हैं तथा शेष दो में उनके व्यापारिक कार्यालय हैं।

श्री मुकर्जी वार्षिक किराये का 10% स्थानीय कर चुकाते हैं। द्वितीय भवन पर 20,000 रु० किराया वसूल नहीं हो सका। इस सम्बन्ध में सभी शर्तें पूरी की जा चुकी हैं।

श्री मुकर्जी की अन्य स्रोतों की करयोग्य आय 80,000 रु० है। कर निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये उनकी मकान सम्पत्ति शीर्षक की आय की गणना कीजिए।

Mr. Mukharjee is the owner of three houses. First house is occupied by him for his own residence. Its annual value is Rs. 10,000. He spends Rs. 3,000 on its

repairs and pays Rs. 500 towards fire insurance premium. The second house is let out for Rs.15,000 p.a. He is also obliged to pay Rs. 5,000 to his married sister in fulfilment of a wish of his late father incorporated in his will and for which a charge is created against the house in question. The house is left by him. Third house has four residential units each let out at Rs. 3,000 per annum. This house was constructed by Mar 1982 and two of the units are used by the tenants for residential purposes where as in the other two units they run their business offices.

Mr. Mukharjee pays local taxes @ 10% of rental value and unrecovered rent in respect of the second house is Rs. 20,000 which could not be recovered from the tenants. All conditions in this connection are fulfilled.

Mr. Mukharjee has other Taxable incomes of Rs. 80,000 You are required to find out his taxable income under the head house properties for the assessment year 1986-87.

हल (Solution) : **Computation of Income under the head House Propesties for A. Y. 1986-87**

	Rs.	Rs.	Rs.
Income from House Property			
First House :			
~~Rental value~~ Annual Value		10,000	
Less : Local Taxes		1,000	
		9,000	
Less : Allowance for self-occupation		3,600	
Annual Value		5,400	
Less : 1/6th of Annual value for Repairs	900		
Fire insurance premium	500	1,400	4,000
Second House :			
Rental Income		15,000	
Less : Local taxes		1,500	
Annual Value		13,500	
Less : Repairs 1/6th of A. Value	2,250		
Annual charge	5,000		
Unrealised rent	15250	22,500	—9,000
Third House :			
Rental income from four units		12,000	
Less : Local taxes		1,200	
		10,800	
Deduction for new construction and let for residence (2 residential units) 2400×2		4,800	
Annual Value		6,000	
Less : Repairs allowance		1,000	5,000
Income from House property			Nill

टिप्पणी : 1. द्वितीय भवन पर बिना वसूल किराया केवल उतना ही घटाया जा सकता है कि भवन सम्पत्ति की कुल आय हानि में न बदलने पावे। प्रथम और तृतीय भवन से आय 4,000+5,000=9,000रु० है अतः दूसरे मकान से हानि अधिकतम 9,000रु० हो सकती है। अतः केवल 15,250 रु० का बिना वसूल किराया ही स्वीकृत हो सकता है।

2. तृतीय भवन पर नव निर्माण की छूट केवल उन दो इकाइयों पर प्राप्त हो सकेगी जिन्हें किरायेदार अपने निवास के लिये प्रयोग करते हैं।

उदाहरण (Illustration) 11 : श्री हरिमोहन चार मकानों के स्वामी हैं। प्रथम व्यापार हेतु किराये पर उठा है; द्वितीय के 3/4 भाग में वह अपना व्यापार करता है तथा 1/4 भाग व्यापार के प्रवन्धक को किराये पर दिया है। तृतीय का निर्माण दिसंम्बर 1983 में हुआ इसमें दो आवासीय इकाइयाँ है जिनका नगरपालिका मूल्य बराबर है किराये पर उठी है। चौथे में वह स्वयं रहता है। उसकी अन्य स्रोतों से आय 15,000 रु० है। निम्न सूचना के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए उसकी मकान सम्पत्ति शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य आय की गणना कीजिये :

	I रु.	II रु.	III रु.	IV रु.
नगरपालिका मूल्यांकन	14,000	32,000	10,000	8,000
प्राप्त किराया	12,000	10,000	9,000	—
स्थानीय कर का भुगतान	1,400	3,200	1,000	800
ऋण (जो पत्नि से प्राप्त किया गया) पर ब्याज	—	—	2,500	—
देय भूमि का किराया	50	—	300	—
अग्नि बीमा प्रीमियम	—	100	—	120
खाली रहा	2 माह	—	—	—
किराया संग्रह व्यय	900	20	80	—
वार्षिक प्रभार	2,000	—	—	—

प्रथम एवं तृतीय मकान आधे स्थानीय करों का भुगतान किरायेदारों ने एवं शेष राशि करदाता ने चुकायी है। तृतीय मकान के निर्माण के लिए बैंक से 10% वार्षिक ब्याज दर पर 25,000 रु० का ऋण लिया जिस पर गतवर्ष का ब्याज देय है किन्तु भुगतान नहीं किया गया। प्रथम मकान की मरम्मत की जिम्मेदारी किरायेदार ने ली है। प्रथम मकान के संबंध में 2,000 रु० वार्षिक प्रभार की राशि हरिमोहन द्वारा पत्नि को देय है। यह प्रभार उसने स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह के कारण उत्पन्न किया है।

Shri Hari Mohan owns four houses. First has been let out for business, ¾th of the second house has been used for his own business and ¼th has been given to the manager of the business, the third was completed in December 1983 which has two residential units of equal Municipal value let out and fourth in used by assessee for self residential purpose. His other income is Rs. 15,000. The following are Particulars in respect of his properties on the basis of these. Compute his taxable income under the head 'House Property' for the assessment year 1986-87.

	I	II	III	IV
Municipal Value	14,000	32,000	10,000	8,000
Rental value	12,000	10,000	9,000	—
Local taxes paid	1,400	3,200	1,000	800
Interest on Loan (which was taken from his wife)	—	—	2,500	—
Ground rent due	50	—	300	—
Fire Insurance premium paid	—	100	—	120
Vacancy	2 month	—	—	—
Collection charges	900	20	80	—
Annual Charges	2,000	—	—	—

One half of local taxes on first and third house is paid by tenants and balance of by assessee. A loan of Rs. 25,000 @ 10% p.a was taken from bank for construction of house on which interest of previous year due but not paid. Tenant accept the liability of repairs expenses on first house. Annual charge of Rs. 2,000 is Payable by Hari Mohan to his wife, was created by him due to natural love and affection.

हल (Solution) : **Computation of Income from House Property : for the A.Y. 1986-87**

		Rs.	Rs.
First house :			
Rent receivale		14,400	
Less : Municipal taxes paid by owner		700	
Annual Value		13,700	
Less : i. Repairs allowance	NIL		
ii. Ground rent due	50		
iii. Collection charge restricted to 6% of A.V.	822		
iv. Vacancy allowance 2/12 of Rs. 13,700	2,283	3,155	10,545
Third House :			
Municipal Valuation (2 flates)		10 000	
Less : Municipal taxes Paid by owner		500	
		9,500	
Less : Statutiory allowance for newly Constructed for two flates @ Rs. 3,600		7,200	
Annual Value		2,300	
Less : i. 1/6 of A.V. for repairs	383		
ii. Ground rent due	300		
iii. Interest on loan	2,500		
iv. Collection charges	80	3,263	—963
Fourth House (self occupied)			
Municipal Value		8,000	
Less : Local taxes		800	
		7,200	
Less : Statutory allowance ½ of Rs. 7,200 or Rs. 3,600 which is less		3,600	
		3,600	
Annual Value being restriced to 10% of other incomes [10% of Rs. 24,583 (15,000+10,545—963)]		2,458	
Less : i. 1/6 of A.V. for repeiis	410		
ii. Fire Insurance premium	120	530	1,928
Income from House Property			11,510

टिप्पणी (Notes) : 1. द्वितीय मकान का 3/4 भाग करदाता के अपने व्यापार में प्रयुक्त हुआ है तथा 1/4 भाग उसी व्यापार के प्रबन्धक को किराये पर उठाया है जिसका उसमें रहना व्यापार के हित में है। अतः इस मकान की आय 'भवन सम्पत्ति से आय' में करयोग्य न होकर 'व्यवसाय तथा पेशे के लाभ' शीर्षक में करयोग्य होगी।

2. प्रथम मकान का प्राप्त किराया 10 माह 12,000 रु० है अत: 12 माह का प्राप्य किराया 14,400 रु० होगा। इसमें से स्थानीय करों की आधी राशि जिसका भुगतान करदाता ने किया है घटाये जायेंगे।

3. वार्षिक प्रभार करदाता ने स्वयं ने उत्पन्न किया अतः कटौती योग्य नहीं होगा।

4. प्रथम मकान में मरम्मत की छूट नहीं मिलेगी क्योंकि किरायेदार ने मरम्मत की जिम्मेदारी ली है वार्षिक मूल्य का प्राप्य वार्षिक किराये पर कोई आधिक्य नहीं है।

5. तृतीय मकान में वैधानिक छूट देने के बाद निकाले गये वार्षिक मूल्य में से स्वीकृत कटौती की राशि वार्षिक मूल्य से अधिक है अत: आय ऋणात्मक होगी।

6. तीसरे मकान के निर्माण के लिए पत्नि से लिये गये ऋण पर देय गतवर्ष का ब्याज कटौती योग्य होगा चाहे इसका भुगतान नहीं किया गया हो। ऋण पत्नि से भी लिये जाने पर भी कटौती योग्य है।

उदाहरण (Illustration) 12 :—श्री प्रकाश जैन देहली में एक सरकारी अधिकारी हैं। उनको 1,000 रु० प्रति माह वेतन तथा 200 रु० प्रतिमाह मंहगाई भत्ता मिलता हैं। मूल वेतन का $17\frac{1}{2}$% उन्हें विशेष भत्ता भी दिया जाता है वे वैधानिक भविष्य निधि में अपने मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते का 15% अंशदान देते हैं। श्री जैन को एक सरकारी बंगला भी रियायती किराये पर दिया गया है, जिसका उचित किराया 800 रु० प्रतिमाह है। उनके वेतन से इसके लिये मूल वेतन का 4% काट लिया जाता है। यदि यह रियायती किराये पर नहीं दिया गया होता तो मूल वेतन में से किराये के लिए कटौती 10% की जाती।

श्री जैन को 1979 में इनके एक सम्बन्धी से खतौली (यू०पी०) में एक मकान सम्पत्ति भेंट में इस शर्त के साथ मिली थी, कि वह 10 वर्ष तक उनके पुत्र को 1,500 रु० प्रतिवर्ष देते रहेंगे, जो कि इस मकान पर प्रभार होगा। इस मकान सम्पत्ति का अनुमानित वार्षिक किराया 2,000 रु० है जबकि स्थानीय सत्ता द्वारा इसका वार्षिक मूल्य 4,000 रु० निर्धारित किया गया है लेकिन इस में किराया नियंत्रण कानून लागू होता है जिसके अनुसार मकान का किराया 3,000 रु० निर्धारित किया गया है। इस पर स्थानीय कर 120 रु० वार्षिक दिये गये हैं। कोई किरायेदार न मिलने के कारण गतवर्ष में पूरे समय यह खाली रहा।

श्री जैन को वेतन तथा मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये कर-योग्य आय ज्ञात कीजिये।

Shri Prakash Jain is a Government Officer at Delhi. He gets Rs. 1,000 p.m. as basic pay and Rs. 200 p.m. as dearness allowance. He is also paid a special allowance of $17\frac{1}{2}$% of his basic pay. He contributes 15% of his basic pay and dearness allowance towards statutory provident fund. Shri Jain has also been provided at a concessional rent a Government bunglow, the fair rent of which is Rs. 800 p.m. A deduction @ 4% of his basic pay is made for the same, had he not been given this house at a concessional rent deduction @ 10% would have been made from his basic pay.

Shri Jain got a house property situated at Khatoli (U.P.) as a gift from one of his relations in 1979 with the condition that he would pay Rs. 1,500 every year to their son for 10 years and it will be a charge on this house. The estimated annual rent of this house is Rs. 2,000, whereas the annual value determined by the local authority is Rs. 4,000 Local taxes paid in respect of it are Rs. 120. But reint control act is prevaited is this area and according to this rent Rs. 3,000 has been fixed. As no tenant was available, the house remained vacant throughout the previous year.

Find-out the taxable income of Shri Jain under the heads' Salaries' and 'income from house property' for the assessment year 1986-87.

हल (Solution) :

Statement of Shri Prakash Jain's Gross Taxable Income from Salaries and House Property for the Assessment Year 1986-87

		Rs	Rs.
I	Salaries		
	Basic Pay	12,000	
	D. A.	2,400	
	Special Allowance	2,100	
	Valuation of rent free (17.5% of Rs. 12,000) accomodation (1,200 - 480)	720	
		17,220	
	Less, Standard Deduction 25%	4,305	12,915
	Income from Salaries		
II	House Property		
	Rent as per Rent Control Act	3,000	
	Less : Local Taxes	120	
	Annual value	2,880	
	Less : i. Repairs 480		
	ii. Annual charge 1,500	1,980	
	Income from house Property		900

टिप्पणी :—1. सरकारी कर्मचारियों को किराये से मुक्त मकान की सुविधा का मूल्य सरकारी नियमानुसार किराये के लिए काटी जा सकने वाली राशि के बराबर होता है अतः वेतन का 10% इस सुविधा का मूल्य होता है इसमें से नियोक्ता द्वारा वास्तव में वसूली की गई राशि वेतन का 4% कर दिया गया है।

2. 1,500 रु० वार्षिक प्रभार कटौती योग्य है।

3. जिस क्षेत्र में किराया नियंत्रण कानून लागू होता है वहाँ पर इस कानून के अन्तर्गत निश्चित किराये से अधिक किराये को आधार नहीं माना जाता।

4. यदि कोई मकान पूरे वर्ष खाली रहा है तो मकान के खाली रहने की छूट नहीं दी जायेगी।

उदाहरण (Illustration) 13 : निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए राम और श्याम दोनों दो मकान सम्पत्तियों के सहस्वामी हैं। प्रथम मकान राम और श्याम द्वारा स्वयं के रहने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और दूसरा मकान किराये पर उठाया हुआ है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाएँ प्रस्तुत हैं :—

	मकान I	मकान II
	रु०	रु०
किराया मूल्य	15,000	25,000
नगर पालिका मूल्यांकन	12,000	30,000
चुकाया गया नगरपालिका कर	1,200	4,500
किराया संग्रह व्यय	—	1,800
मरम्मत हेतु लिए ऋण पर ब्याज	3,000	—
वार्षिक भूमि का किराया	200	400
दादाजी की वसीयत के अनुसार माताजी को देय वार्षिक भार	—	3,216

एक फ्लेट (किराया 600 रु० प्रतिमाह) 2 माह खाली रहा। राम और श्याम की अन्य साधनों से गतवर्ष की आय क्रमशः 2,000 रु० व 80,000 रु० है। निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए उनकी मकान सम्पत्ति से कर योग्य आय की गणना कीजिए।

For the assessment year 1986-87 Ram and Shyam are equal co-owners of two houses : House I (self occupied by Ram and Shyam) and House II (letout). The following information is submitted :—

	House I Rs.	House II Rs.
Rental value	15,000	25,000
Municipal Valuations	12,000	30,000
Municipal taxes paid	1,200	4,500
Collection charges	—	1,800
Interest on loan for repairs	3,000	—
Annual ground rent	200	400
Annual Charge payable to mother as per will of Grand Father	—	3,216

One flat (rent : Rs. 600 P. M.) remains vacant for 2 months. Income of Ram and Shyam from other sources is Rs. 2,000 and Rs. 80,000 respectively during the previous year. Compute their taxable income from house property for the assessment year 1986-87.

[Raj B. Com. (Hons) 1985].

हल (Solution) : Income from IInd House (let out)

		Rs.
Municipal value		30,000
Less : Municipal taxes paid		4,500
Annual value		25,500
Less 1/6 of A.V. for Repairs	4,250	
Collection charges restricted 6% of Rs. 25,500	1,530	
Ground rent	400	
Annual charge	3,216	
Vacancy allowance	1.224	10,620.
		14,880

टिप्पणी :—1 खाली रहे मकान के लिए छूट की गणना :

फ्लेट का वार्षिक किराया मूल्य 600 × 12 = 7,200 रु० है।

∵ 25,000 रु० यदि मकान सम्पत्ति का किराया मूल्य है तो वार्षिक मूल्य है = 25,500 रु०

∴ 7200 रु० यदि किराया मूल्य है तो वार्षिक मूल्य $= \frac{25,500}{25,000} \times 7,200$

$= 7,344$ रु०

2 माह की अवधि के लिए छूट $= 7,344 \times \frac{2}{12} = 1,224$ रु०

2. राम और श्याम की द्वितीय मकान से आय 14,880 × 1/2 × 7,440 रु० प्रत्येक की आय होगी।

House I self occupied

			Ram Rs.	Shyam Rs.
Rental value for each share			7,500	7,500
Less : Municipal taxes paid			600	600
			6,900	6,900
Less : Statutory allowance for self occupation			3,450	3,450
			3,450	3,450
Annual value restricted to 10% of other income for Ram i e. 10% of Rs. 9,440 (7 440+2000)=944				
Annual value			944	3,450
Less : 1/6 of A.V. for Repairs	Ram 157	Shyam 575		
Interest on Loan	1,500	1,500		
Ground rent	100	100	1757	2175
			—813	1,275

Income from House Property for the A.Y 1986 87

	Ram Rs.	Shyam Rs.
House II Let out	7,440	7,440
House I self occupied	—813	1,275
Income from House property	6,627	8,715

उदाहरण (Illustration) 14 : श्री पुनीत कुमार तीन मकानों के स्वामी हैं जिनका विवरण निम्न लिखित है—

प्रथम 1 मकान जिसका निर्माण 1 जून 1983 को प्रारम्भ हुआ जो 1 अगस्त 1984 को बनकर पूर्ण हुआ। इस मकान को एक बैंक को 3,000 रु० मासिक किराये पर दिया हुआ है, जो कि बैंक के प्रबन्धक के रहने के लिए प्रयुक्त होता है। इस मकान का नगर पालिका का मूल्य 20,000 रु० वार्षिक है जिस पर गतवर्ष 10% नगरपालिका कर देय हैं गतवर्ष 1985-86 में 1,500 रु० अग्निबीमा प्रीमियम के चुकाये गये हैं। इस मकान के निर्माण के लिए 80,000 रु० का ऋण 1 जून 1983 को 15% वार्षिक ब्याज पर लिया गया है। ऋण का भुगतान 31 मार्च 1986 तक नहीं हुआ है।

द्वितीय मकान नगरपालिका मूल्य 8,000 रु० वार्षिक है को 600 रु० मासिक किराये पर उठाया गया है। नगरपालिका कर 1,200 रु. है जिसका आधा भाग 600 रु० श्री पुनीत कुमार ने चुकाये हैं। किरायेदार ने नगरपालिका कर का आधा भाग एवं मरम्मत की जिम्मेदारी स्वयं ली है। किरायेदार से दिसम्बर माह के बाद का किराया वसूल नहीं हो सका अत: उससे 28 फरवरी 1986 को मकान खाली करवा लिया गया। गतवर्ष 1984-85 का इस मकान के सम्बन्ध में न वसूल हुये किराये जिसकी पूर्ति 1984-85 में मकान सम्पत्ति शीर्षक की आय से नहीं हो सकी थी, की राशि 5,000 रु० है। गतवर्ष 1985-86 के किराया वसूली व्यय 1,500 रु० है।

तृतीय मकान : नगरपालिका का मूल्य 15,000 रु० है स्वयं के रहने हेतु रखा गया है। नगरपालिका कर ऐसे मूल्य का 8% है जिसका भुगतान किया जा चुका है। यह

ही श्री पुनीत का रहने का मकान है। इस मकान का गतवर्ष में 4 माह तक बिल्कुल प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि अपने व्यवसाय के कारण उन्हें भारत के बाहर जाना पड़ा।

श्री पुनीत कुमार को 1983-84 गतवर्ष में न वसूल हुये किराये के सम्बन्ध में एक मकान सम्पत्ति पर 15,000 रु० की छूट दी गई थी जिसे 1984-85 वर्ष में बेच दिया गया था। 1 मार्च 1986 को उक्त न वसूल हुये किराये से 5000 रु० की राशि वसूल हो गई जिस पर 800 रु० वसूली व्यय हुये। सौतेली माँ को चुकता निर्वाह-भत्ता जो कि उनके पिता के वसीयतनामा के अनुसार तृतीय मकान पर प्रभार है 3,500 रु०। यह मानते हुये कि करदाता की व्यवसाय से आय 40,000 रु० हैं मकान सम्पत्ति शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात कीजिये।

Shri Puneet Kumar is the owner of three houses particulars of these are as under :—

First house of which construction started on June 1983 and completed on 1 Aug. 1984. This house is let out to a Bank on a monthly rent of Rs. 3,000 which is being used by the Bank Manager for residential purpose. The Municipal valuation of this house is Rs. 20,000 on which 10% municipal taxes is payable for previous year. Rs. 1,500 paid for fire Insurance premium for the previous year 1985-86. A Loan of Rs. 80,000 @ 15 p.a. interest is taken on 1st June 1983 to construct the house. Payment of Loan not made up to 31st March 1986.

Second house :—Municipal valuation is Rs. 8,000 p.a. let out at Rs. 600 P.M. Municipal taxes is Rs. 1,200 out of this Rs. 600 paid by shri Puneet Kumar. Tenant has taken the responsibility of payment Repair expenses and one half of Municipal taxes. Rent could not be recovered from the tenant after the month of December and he vacated the house on 28th Feb 1986. The un-realised rent in respect of previous year 1984-85 was Rs. 5,000 which could not be set off against house property income. The rent realisation expenses regarding previous year 1985-86 were Rs. 1,500

Third house :—Municipal Valuation Rs. 15,000, kept for self occupied. Municipal Tax is 8% of the above valuation which has been paid. This is only self occupied house of Shri Punit. This house was not used for four months in the previous year as he had to out of India on account of his business.

In the previous year 1983-84 Shri Punit Kumar was allowed Rs. 15,000 deduction for unrealised rent on a house property which was sold in the previous year 1984-85. On 1st March, 1986, Rs. 5000 were realised from the above unrealised rent on which Rs. 800 spent for realisation expenses. Maintenance allowance Rs. 3,500 paid to his step-mother, which is a charge on the third house according to his father's will.

Calculate taxable income from house property assuming that he has Rs. 40,000 income from Business.

हल (Solution) :

Computation of Income from House Property of Shri Puneet Kumar for the A.Y. 1986-87

		Rs.	Rs.
First House :			
Annual Rental value		36,000	
Less : Municipal taxes Paid		—	
		36,000	
Less : Statutory allowance for new construction		3,600	
Annual value		32,400	
Less : 1/6 of A.Y. for repairs	5,400		
Fire Insurance Premium	1,500		
Int. on Loan	14,000	20,900	11,500

Second House			
Municipal value		8,000	
Local taxes paid by assessee		600	
Annual value		7,400	
Less : Repairs	200		
Collection charges (restricted to 6% of Annual value)	444		
Vacancy Allowance for one month (1/12 of Rs, 7,400)	617	1,261	
		6,139	
Less : Balance of Unrealised rent of 1984-85 carried for ward and Set off		5,000	1,139
Unrealised Rent (1983-84) Recovered			5,000
Third House : (Self occupied)			
Municipal value		15,000	
Less : Municipal taxes paid		1,200	
		13,800	
Less : ¼ of Rs. 13,800 or Rs, 3,600 which is less (for self occupation)		3,600	
		10,200	
Annual value restricted to 10% of other income Rs. 57,639 (11,500+1,139+5,000+40,000)		5,763	
Annual value reduced (house is occupied for 8 months only) i.e. $5,763 \times \frac{8}{12} = 3,842$		3,842	
Less : Deductions			
(i) 1/6 of Rs. 3 842 for Repairs	640		
(ii) Annual charge	3,500	4,140	Nil
Income from House property		—298	17,639

टिप्पणी :—1. प्रथम मकान के संबंध में लिये गये ऋण पर ब्याज गतवर्ष 1985-86 का 12,000 रु० होगा। गतवर्ष 1984-85 के पूर्व की अवधि 10 माह का ब्याज 10,000 रु० होता है जिसका 1/5 भाग की दूसरी किश्त 2,000 रु० भी इस गतवर्ष में स्वीकृत होंगे। इस मकान के नगरपालिका करों का भुगतान नहीं किया गया है अतः कटौती योग्य नहीं हैं।

2. दूसरे मकान के संबंध में मरम्मत की छूट वार्षिक मूल्य के प्राप्य वार्षिक किराये पर आधिक्य (7400—7200) 200 रु० के बराबर दी गई है। इस मकान के सम्बन्ध 2 माह के न वसूल हुए किराये की छूट नहीं दी जायेगी क्योंकि इस छूट के लिए यह आवश्यक शर्त है कि ऐसी किराये की आय को पूर्व के वर्षों में करयोग्य आय में शामिल किया जा चुका हो और कर लग चुका हो किन्तु 1984-85 के न वसूल हुए किराए को इस वर्ष की आय से पूरा किया जायेगा।

3. श्री पुनीत का स्वयं के रहने का एक ही मकान है जो गतवर्ष में व्यापार के लिए 4 माह भारत के बाहर जाने के कारण बिल्कुल अप्रयुक्त रहा अतः मकान के वार्षिक मूल्य को आनुपातिक कम किया गया है।

4. पूर्व के वर्षों में स्वीकृत 'न वसूल हुये किराये' की राशि एक 1 मार्च 1986 को वसूल हो गई है जो कि करयोग्य होगी और इसके संबंध में कोई व्यय स्वीकार्य नहीं होंगे।

5. स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य आनुपातिक लिया गया है, अतः इस मकान के सम्बन्ध में हानि अन्य मकानों की आय में से नहीं घटाई जा सकती है।

परीक्षा प्रश्न (Test Questions)

सैद्धान्तिक प्रश्न (Theoritical Questions)

1. 'वार्षिक मूल्य'से आप क्या समझते हैं ? इनमें से कौन-सी कटौतियाँ स्वीकृत होती हैं ?
   What is 'Annual Value' ? What deductions are allowed from this ?
   (Kurukshetra B. Com. 1975 and 1977)

2. 'वार्षिक मूल्य' का क्या अर्थ है ? किराये पर उठाई हुई मकान सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य आप कैसे निकालेंगे ?
   What is 'Annual Value' ? How is the annual value of a house property let out on rent determined ? *(Delhi B Com. 1977)*

3. जो मकान सम्पत्ति करदाता द्वारा स्वयं अपने निवास के लिये प्रयुक्त की जाती है, उसका वार्षिक मूल्य आप कैसे ज्ञात करेंगे ?
   How would you arrive at the annual value of a house property which is occupied by an assessee for his own residence ? *(Delhi B. Com. 1975)*

4. मकान सम्पत्ति से करयोग्य आय की गणना करने के लिए वार्षिक मूल्य में दी जाने वाली कटौतियों का वर्णन कीजिये।
   In computing taxable income from house property, what deductions are allowed from annual value. *(Kurukshetra B. Com. 1974 & B. Delhi B. Com. 1973)*

5. किराये पर उठी हुई तथा स्वयं निवास वाली भवन सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य किस प्रकार निकाला जाता है ? जब एक ही मकान का कुछ भाग किराये पर उठाया गया हो तथा कुछ भाग में स्वयं निवास करता हो तो वार्षिक मूल्य कैसे निकालेंगे ?
   How is the annual value determined in respect of let out and self-occupied House property ? How would you work out the annual value if the same house is partly let out and partly self-occupied ? *(Punjab B. Com. 1977)*

6. निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखो—
   अ) मरम्मत की छूट
   ब) किराया वसूली के व्यय,
   स) खाली रहने की छूट,
   द) वार्षिक प्रभार,
   य) न वसूल हुआ किराया।
   Write short notes on the following—
   a) Repairs Allowance.
   b) Collection charges for rent.
   c) Vacancy Allowance.
   d) Annual charge.
   e) Unrealised Rent.

7. 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक के अधीन आय की संभावना का आधार स्वामित्व है स्पष्ट कीजिये।
   Ownership its self is the criterion for assessment under the had 'Income from house property', Discuss. *(CA Inter May 1977)*

8. कुछ मकानों की आय पर कर नहीं लगाया जाता, उनको संक्षेप में लिखिये।
   There are some houses the income of which is not charged to tax Narrte them.

9. 'मकान सम्पत्ति से आय' के अधीन यदि कुछ हानि आती है तो उसे अन्य शीर्षकों से हुई आय से पूरी की जा सकती है। इस नियम के कुछ अपवाद हैं, उनका विवरण दीजिये।

Loss derived under the had 'Income House Property is allowed to be set-off against income under other heads. Is there any exception this rule?

व्यावहारिक प्रश्न (Practical Questions)

1. श्री नरेश की दो मकान सम्पत्तियां हैं। एक कलकत्ता और दूसरी देहली में स्थित है। वे अपने कलकत्ता स्थित मकान में रहते हैं और उन्होंने देहली का मकान किराये पर उठा रखा है। देहली के मकान में समान आकार के 3 फ्लैट हैं। प्रत्येक फ्लैट का किराया 800 रु० प्रतिमाह है। इनमें से दो फ्लैट निवास के लिए किराये पर दिये गये हैं और एक फ्लैट किरायेदार अपने व्यापार के लिये प्रयोग करता है। दोनों मकानों का निर्माण दिसम्बर 1981 में पूरा हुआ। नगरपालिका कर की दरें कलकत्ता व देहली में नगरपालिका मूल्य का क्रमशः $6\frac{1}{4}\%$ व 10% है। नरेश ने गतवर्ष में दोनों मकानों के लिये क्रमशः 500 रु० व 960 रु० नगरपालिका कर का भुगतान किया है।

यदि श्री नरेश की 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अन्य साधनों से आय 1,00,000 रु० है तो उनकी मकान सम्पत्तियों के वार्षिक मूल्य की गणना कीजिये।

Shri Naresh has two house properties, one in Calcutta and the other one in Delhi. He resides in his Calcutta house, but the Delhi house is completely let out. Delhi house consists of three flats of equal size. Rent received from each flat is Rs. 800 per month. Two flats are used for residential purposes and one flat is used by the tenant for his business. The construction of both the houses was completed in December 1981. The Municipal taxes paid by Naresh for the Calcutta and the Delhi houses is $6\frac{1}{4}\%$ of and 10% respectively of the municipal value and amounts to Rs. 500 and Rs. 960 respectively.

Compute the annual value of house properties, assuming his income from other sources is Rs. 1,00,000 for the previous year ended on 31st March 1986.

(राज० बी० कॉम० 1986)

2. संजय का एक मकान 31 जनवरी, 1981 को बनकर तैयार हुआ जिसमें पाँच रिहायशी इकाइयां हैं। इनमें से प्रथम तीन इकाइयां 1 फरवरी, 1981 से 300 रु० मासिक पर रहने के लिये किराये पर उठा दी गई हैं जबकि चौथी इकाई स्वयं के व्यापार हेतु प्रयुक्त होती है एवं पाँचवी इकाई 500 रु० मासिक किराये पर एक व्यापारिक फर्म को गोदाम हेतु किराये पर उठा दी गई है। प्रथम तीन निवास खण्डों का वार्षिक नगरपालिका मूल्य 3,000 रु० प्रतिखण्ड है जबकि चौथे एवं पांचवे खण्डों का नगरपालिका मूल्य 5,000 रु० है जिन पर 100% नगरपालिका कर चुकाया गया।

पहले मकान के नगरपालिका कर का आधा एवं तीसरे एवं पांचवे मकान का पूरा नगरपालिका कर किरायेदारों ने चुकाया जबकि शेष राशि स्वयं संजय ने चुकाई।

कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए मकान के प्रत्येक खण्ड के वार्षिक मूल्य की गणना कीजिये।

Construction of Sanjay's house with five residential units completed on 31st Jan 1981. First three units were let out for the residential purposes at a monthly rent of Rs. 300 p.m. w.e.f. 1st Feb. 1981 while fourth unit is used for his own business and fifth unit is let out to a firm for godown purposes at a monthly rent of Rs 500. The

annual municipal value of first three residential units is Rs. 3,000 each and for fourth and fifth unit is Rs. 5,000 on which municipal taxes paid @ 10%.

One half of municipal taxes on first house and full amount on third and fifth house is paid by the tenants and rest of this is paid by Shri Sanjay.

Compute Annual Value for each units for the assessment year 1986-87.

3. श्री आनन्द एक बडे मकान के स्वामी हैं जो एक सहकारी समिति ने किराया क्रय योजना के अन्तर्गत 1 अगस्त, 1984 को आवंटित किया। इसका नगरपालिका मूल्यांकन 12,000 रु० है। आधा मकान उन्होंने 750 रु० प्रतिमाह किराये पर दिया है, व शेष आधे भाग में स्वयं रहते हैं। मकान के सम्बन्ध में स्थानीय कर 2,000 रु० भूमि किराया 800 रु०, समिति को ब्याज के 600 रु० तथा मकान की लागत की किस्त के 3,600 रु० भुगतान किये गये हैं।

निर्धारण वर्ष 1986-87 में मकान सम्पत्ति की करयोग्य आय ज्ञात कीजिये यदि उसकी अन्य साधनों की गतवर्ष की आय 19,500 रु० है।

Shri Anand owns a big house which has been allotted by a cooperative society under hire purchase system on 1st August, 1984, Municipal valuation of this house is Rs. 12,000. He has let out one half of the house for Rs 750 p.m. and the remaining half is occupied by him for his own residence. He paid municipal tax Rs. 2,000, ground rent Rs. 800, interest to society Rs. 600 and Rs. 3,600 against the instalment in respect of this house.

Find out his taxable income from house property for the assessment year 1986-87 if his income from other sources were Rs. 19,500 during the previous year.

(राज. बी. कॉम. 1985)

4. श्री बैनर्जी एक मकान के स्वामी हैं इसका नगरपालिका मूल्य 8,100 रु०। गत वर्ष में यह मकान किरायेदार को 1,000 रु० मासिक किराये पर उठा दिया। उन्होंने निम्न कटौतियों का दावा किया है—

1. देय नगरपालिका कर 810 रु०,
2. किराया वसूली के सम्बन्ध में कानूनी व्यय 500 रु०,
3. सौतेली माँ को दिया 600 रु० परिरक्षण भत्ता जो उसके पिता के वसीयत नामों के अनुसार इस सम्पत्ति पर प्रभार है।
4. किरायेदार तीन माह का किराया न देने का दोषी है। इस किराये की वसूली के लिये कानूनी कार्यवाही चल रही है जो अभी समाप्त नहीं हुई है।
5. मकान के सम्बन्ध में गतवर्ष 1985-86 के लिए अग्नि बीमा प्रीमियम एवं भूमि का किराया क्रमश: 500 रु० एवं 300 रु० देय है।
6. किरायेदार ने मरम्मत की जिम्मेदारी स्वयं ली है।
7. माली का वेतन 1,200 रु० (किरायेदारी अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार)।

कर निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये मकान सम्पत्ति से आय ज्ञात कीजिये।

Mr. Banerji owns a house property. Its municipal value is Rs. 8,100. During the previous year it was let out to a tenant on a monthly rent for Rs. 1,C00. He claimed following expenses :

1. Municipal taxes due Rs. 810.
2. Legal expenses for the recovering of rent Rs. 500.
3. Maintainenance allowance paid to the step mother Rs. 600 annually which was a charge on the property according to his father's will.

4. The tenant defaulted in the payment of rent for three months, the legal proceedings instituted in court of law for the recovery of rent which have been not disposed off.
5. Fire insurance premium and Ground rent amounting to Rs. 500 and 300 respectively due in respect of house for the previos year 1985-86.
6. Tenant bear the cost of repairs himself.
7. Rs. 1,200 paid as salary to gardner (under the terms of tenancy).

Compute taxable income from house property of Mr. Banerji for the assessment year 1986-87.

संकेत : वार्षिक किराये के निर्धारण में वास्तविक किराये में से माली का वेतन घटा दिया जायेगा, क्योंकि माली की सुविधा किरायेदारी अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत है।

5. श्री सेठी द्वारा 31-3 1986 को समाप्त होने वाले गतवर्ष के लिए भवन सम्पत्ति का निम्नलिखित विवरण दिया है। किराये पर दिया गया भवन जून 1981 में निर्मित किया गया था व तभी से यह किराये पर उठा हुआ है :

विवरण	अधिवासित निजी भवन	निवास स्थान के लिए किराये पर उठायी गई दो इकाइयाँ	दुकानों के लिए किराये पर उठाया
	रु०	रु०	रु०
नगरपालिका मूल्य	6,000	18,000	24,000
प्राप्त किराया	—	18,000	30,000
स्थानीय कर चुकाये	12,000	3,600	7,200
मरम्मत व्यय	1,000	3,000	2,000
बीमा प्रीमियम चुकाया	50	200	400
भवन निर्माण के लिए (पत्नि से) प्राप्त ऋण पर ब्याज	—	1,800	4,200
वसूली व्यय	—	100	500

मकान सम्पत्ति शीर्षक की करयोग्य आय की गणना कीजिये यह मानते हुये कि श्री सेठी की अन्य कोई आय नहीं है।

The following particulars of house properties are supplied by Shri Sethi for the previous year ending on 31st March, 1986. The let out portions were constructed in June, 1981 and let out immediately thereafter :

Particulars	Self occupied	Let out for Residence (Two units)	Let out for shops
	Rs.	Rs.	Rs.
Municipal Value	6,000	18,000	24,00J
Rent received	—	18.000	30,000
Local taxes paid	1,200	3,600	7,200
Repairs expenses	1,000	3,000	2,000
Insurance premium	50	200	500
Interest on loan for Construction (from his wife)	—	1,800	4,200
Collection charges paid	—	100	50

Compute taxable income under the head house property assuming that Shri Sethi has no any other income. *(Karnataka B. Com. 1980)*

6. श्री चोपड़ा को अपने नियोक्ता से (आयकर 500 रु०, तथा प्रमाणित भविष्य निधि में 1,500 रु० घटाने के पश्चात्) 10,000 रु०, वार्षिक वेतन मिलता है।

उन्हें भूतपूर्व नियोक्ता से रु० 400 वार्षिक पेन्शन भी प्राप्त होती है। उनके दो मकान हैं, एक मकान, जिसमें स्वयं रहते है, का नगरपालिका मूल्यांकन 3,000 रु० है तथा दूसरा जो 250 रु० मासिक किराए पर दे रखा है, उसका नगरपालिका मूल्यांकन 2,500 रु० है। दोनों मकानों पर होने वाला व्यय निम्न प्रकार है :

Mr. Chopra received a salary [after deduction of Rs. 500 for Income tax and Rs. 1,500 for his own contribution to Recognised Provident Fund] Rs. 10,000. He is also geting Rs. 400 per annum as pension from his former employee. He owns two houses : one whose mnnicipal valuation is Rs. 3,000 is occupied by him for his own residence and the other, whose municipal valuation is Rs. 2,500 is let out at Rs. 250 p.m. The expenses in respect of both the house are :—

	पहला मकान जिसमें करदाता स्वयं रहता है। 1st House [Occupied for own residence]	दूसरा मकान जो किराये पर उठा रखा है। 2nd House [Let out]
	रु०	रु०
म्यूनिस्पल कर (Municipal taxes)	300	250
भूमि राजस्व (Land revenue)	150	200
मकान निर्माण के लिए ऋण पर ब्याज (Int. on loan for constructing house)	300	400
किराया वसूली के कानूनी व्यय (Local Ext. for recovery of rent)	—	90
मकान का अग्नि बीमा प्रीमियम (Fire insurence premiums of the house)	200	200
घर में रखी हुई वस्तुओं का अग्नि बीमा प्रीमियम (Fire Insurance Premium of Articles kept in the house)	100	—
अन्य किराया वसूली खर्च (Other rent collection charges)	—	100

दूसरा मकान 2 महीने खाली रहा। उनके नियोक्ता ने प्रमाणित भविष्य निधि में 2,000 रु० का अंशदान किया। उसकी अन्य कोई आय नहीं है। श्री चौपड़ा की कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए वेतन तथा मकान सम्पत्ति की करयोग्य आय की गणना कीजिये।

The second house remained vacant for two months: He has got no other income.

Employer of the assessee contributes to the Recognised Provident Fund a sume of Rs. 2 000. Compute the taxable income under the head salary and house property income of Shri Chopra for the assessment year 1986 87.

(देहली बी. काम. आनर्स 1975 एवं जम्मू बी. काम, 1979 संशोधित)

7. श्री सीता राम के पाँच मकान हैं, जिनका नगरपालिका मूल्यांकन क्रमशः 16,000 रु०, 30,000 रु०, 12,000 रु०, 8,000 रु०, तथा 10,000 रु० है। प्रथम मकान में वह अपना व्यवसाय चलाता है। दूसरे मकान में वह स्वयं रहता है। अन्य तीन मकान क्रमशः 800 रु०, 700 रु० तथा 1,200 रु०, प्रतिमाह किराये पर उठाये गये हैं। तीसरा मकान का एक तिहाई भाग ही उसके द्वारा अपने निवास हेतु

रखा गया है और शेष दो तिहाई भाग का 800 रु० प्रतिमाह किराया प्राप्त होता है। पाँचवे मकान के निर्माण के लिए एक 10,000 रु० का ऋण 10% वार्षिक ब्याज दर पर लिया गया। पाँचवे मकान का निर्माण 1 सितम्बर, 1980 को प्रारम्भ हुआ तथा 31 जनवरी 1982 को समाप्त हुआ है। इस मकान को 1 फरवरी, 1982 से किराये पर उठाया गया। पाँचवे मकान पर लिये गये ऋण तथा इस वर्ष के ब्याज को चकाने के लिए 11,000रु० 1-4-85 को लिए गए। जिस पर ब्याज 12% वार्षिक दिया जाता है। इन मकान सम्पत्तियों पर नगरपालिका करों का निर्धारण नगरपालिका का मूल्यांकन के 10% के आधार पर किया जाता है का भुगतान किया जा चुका है उसकी व्यवसाय से कर योग्य आय 67,166 रु० की हुई है।

श्री सीता राम की 1986-87 कर निर्धारण वर्ष के लिए मकान सम्पत्ति से कर योग्य आय का निर्धारण कीजिये।

Shri Sita Ram has five houses, the Municipal value of which are Rs. 16,000, Rs. 30,000; Rs. 12,000; 8,000; and Rs. 10,000 respectively. In the first house he runs his business, He lives in second house. The other three houses are let-out for Rs, 800, Rs. 700 and Rs. 1,200 p.m. respectively. One third house of the portion of the third house is also used by him for residential purpose and rent of Rs. 800 is received for the remaining two third portion. A loan of Rs. 10,000 @ 10% p.a. interest was taken for the construction of the fifth house. The construction of which began on 1 Sep. 1980 and ended on 31st Jan. 1982. This house was then let from 1st Feb. 1982. A loan of Rs. 11,000 was taken on 1-4-85 to repay the loan taken for fifth house and interest for this year. On which interest @ 12% p.a. is to be paid. Municipal taxes on these properties were assessed @ 10% of Minicipal valuation has been paid. His taxable income from business was Rs. 67,166.

Compute the taxable income from house property of Shri Sita Ram for the assessment year 1985-86. *(Raj. B. Com. 1973)*

8. श्री शर्मा ने वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिये अपने मकानों के किराये की आय की गणना इस प्रकार की है :—

प्राप्त किराया (Rent received)			रु०	रु०
भवन ब (Property B)			13,200	
भवन स (,, C)			7,200	
घटाओ (Less) :				20,400
नगरपालिका कर चुकाया (Municipal taxes paid)			2,500	
मरम्मत व सफ़ेदी पर व्यय (Repairs and white washing) :	रु०			
भवन अ (Property A)	400			
भवन ब (,, B)	600			
भवन स (,, C)	500			
भवन द (,, D)	500			2,000
भूमि का किराया (Ground Rent)				
भवन अ (Property A)	100			
भवन ब (,, B)	200	300		
भवन निर्माण के हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज (Int. on loan for constructing of Property)		8,000		

अग्नि बीमा प्रीमियम			
भवन अ (Property A)	200		
भवन ब („ B)	320		
भवन स („ C)	55		
भवन द („ D)	100	675	13,475
			6,925

निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनायें उपलब्ध हैं :—

अ. भवन अ में श्री शर्मा स्वयं निवास करते हैं जबकि भवन ब और स निवास के लिए किराये पर उठाये गये हैं एवं भवन द में श्री शर्मा का 25 वर्षीय आश्रित पुत्र रहता है।

ब. भवन ब का निर्माण 15 अगस्त 1981 को पूरा हुआ था। इसमें एक समान दो फ्लैट हैं जो प्रत्येक 600 रुपये प्रतिमाह किराये पर उठाये गये हैं। एक फ्लैट दो माह खाली रहा।

स. भवन अ, ब, स और द का नगरपालिका मूल्यांकन क्रमशः 6,000 रुपये 9,000 रुपये, 3,000रुपये है और 7000, रु० है जिसका 10% नगर पालिका कर है।

द. श्री शर्मा कपड़े का व्यापार करते हैं जिसके गतवर्ष 1985-86 के कर-योग्य लाभ 30,300 रुपये हैं :

य. मकान द का निर्माण कार्य 1 जुलाई 1985 को समाप्त हुआ।

र. भवन निर्माण के लिए, लिए गए ऋण पर ब्याज की राशि 5,000रु० भवन 'अ' से सम्बन्धित है जिसका भुगतान नहीं किया गया जबकि शेष 3,000 रु० 'द' से सम्बन्धित। भवन द से सम्बन्धित ब्याज का भुगतान श्री शर्मा द्वारा अपनी पत्नी से लिये गये ऋण के सम्बन्ध में है। ब्याज की राशि पत्नि के निदेशानुसार उनके पिता को भेजी जाती है।

निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए श्री शर्मा की मकान सम्पत्ति से कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

Mr. Sharma has calculated his income from rent of his building for the financial year 1985-86 as follows :

		Rs.	Rs.
Rent Received			
Property B		13,200	
Property C		7,200	20,400
Less **: Expenses :**			
Municipal Taxes Paid		2,500	
Repairs and white-washing	Rs.		
Property A	400		
Property B	600		
Property C	500		
Property D	500	2,000	
Ground Rent—			
Property A	100		
Property B	200	300	

Interest on loan taken for construction of Property		8,000	
Fire Insurance Premium—			
Property A	200		
Property B	325		
Property C	50		
Property D	100	675	13,475
			6,925

The following additional information is available :—

a) Property A is used by Mr. Sharma for his residence and Property D by his 25 year old dependant son, whereas the properties B and C has been let out for residential purposes.

b) The construction of property B was completed on 15th August 1981. It consists of two identical flats, each of which has been let out of Rs. 600 per month. One of the flates remained vacant for two months.

c) The municipal value of the properties A, B, C and D are Rs. 6,000 Rs. 9,000, Rs. 3,000 and Rs. 7,000 respectively and Municipal taxes are 10% thereof.

d) Mr. Sharma carries on a cloth business whose taxable profit for the previous year 1985-86 are Rs. 30,300.

e) Construction of property D completed on 1st July 1985.

f) Amount of Interest on loan taken is related to property A to the extent of Rs. 5,000 yet not paid and rest of Rs. 3,000 related with Property D. Interest on loan for property D is in connection with a loan taken from his wife. the amount of interest is sent to the her father as per her directions.

Calculate his taxable income from house property for the assessment year 1986-87.

9. सुरेश आदर्श नगर सहकारी गृह-निर्माण समिति, अजमेर के सदस्य हैं और इस समिति की किराया क्रय-योजना के अन्तर्गत लिये गये मकान में रहते हैं। इस मकान का नगर पालिका द्वारा निर्धारित उचित वार्षिक किराया 10,000 रु० है। इस मकान के सम्बन्ध में उन्होंने स्थानीय कर 900 रु०, अग्नि बीमा 50 रु०, भूमि किराया 500 रु० तथा समिति को ब्याज के 1,000 रु० तथा मकान की लागत की किस्त के 3,800 रु० भुगतान किये हैं।

उनके पास एक तीन रिहायशी खंड वाली मकान सम्पत्ति कोटा में भी हैं, जिसका निर्माण कार्य 1 जून, 1985 को पूरा हुआ था। उन्होंने सभी तीनों रिहायशी खंड किरायेदारों को रहने के लिए 1 जून, 1985 से किराये पर इस प्रकार दिये हैं : प्रथम खंड 600 रु० प्रतिमाह, द्वितीय खण्ड 400 रु० प्रतिमाह, तृतीय खण्ड 200 रु० प्रति माह। सम्पूर्ण मकान का वार्षिक नगरपालिका मूल्य 12,000 रु० है तथा उन्होंने नगर पालिका कर के 600 रु० चुकाये। उन्होंने निम्न व्यय भी चुकाये :—

	रु०
अ. मरम्मत (Repairs)	2,000
ब. किराया वसूली व्यय (Rent collection charges)	600
स. भू-राजस्व (Land revenue)	300

मि० सुरेश ने मकान का निर्माण करवाने हेतु जीवन बीमा निगम से 30,000 रु० का ऋण 1 अप्रैल 1984 को लिया था जिस पर ब्याज 9% की दर से चुकाना पड़ता है। गतवर्ष के ब्याज की राशि देय है।

कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए उनकी 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य आय की गणना कीजिए अगर उनकी अन्य स्रोतों से कर-योग्य आय 30,000 रु० है।

Suresh is a member of Adarsh Nagar Co-operative Housing Society. Ajmer and resides in the house taken under hire purchases scheme of the Society. The fair annual rental valve of the house assessed by the Municipality is Rs. 10,000. The payments made by him relating to this house are: Local taxes Rs. 900; Fire insurance Rs. 50; Ground Rent Rs. 500; and the amount paid to the Society being interest Rs. 1 000 and the instalment of the house Rs. Rs. 3,800,

He owns a three residential units house property in Kota also, the construction of this house was completed on 1st June 1985. He let out all three residential units to tenants for their residence from 1st June, 1985 as 1st Unit at Rs. 600 p.m,; 2nd Unit at Rs. 400 p. m. and 3rd Unit at Rs. 200 p.m. The annual municipal valuation of the whole house is Rs, 12,000 and he paid Rs. 600 of municipal taxes. He had also spent the following expenses :—

Mr. Suresh took a loan of Rs. 30,000 on 1st April 1984 from Life Insurance Corporation for the construction of this house on which internal is payable @ 9% p a. The amount of interest is due for the previous year.

Compute his taxable income under the head 'Income from House Property' for the assessment year 1986-87 if his taxable income from other sources is Rs. 30,000

(B. Com. (Hons) Raj 1983 Amended)

10. डा. जे. पी. जैन, उदयपुर विश्वविद्यालय में रीडर है वित्तीय वर्ष 1985-86 के सम्बन्ध में उन्होंने निम्न सूचनायें प्रदान की हैं :—

1. आयकर एवं भविष्य निधि के अंशदान की कटौती क्रमशः 3,000 रु० एवं 4,000 रु० के बाद प्राप्त वेतन 23,000 रु०।
2. विश्वविद्यालय की तरफ से किराया मुक्त मकान की सुविधा जिसका उचित वार्षिक किराया 9,000 रु० वार्षिक है एवं वेतन का 12% भविष्य निधि में अंशदान विश्वविद्यालय करता है।
3. 5% कर मुक्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचियत ऋण पत्रों पर प्राप्त ब्याज — 3,150 रुपये
4. 10% रेमण्ड वुलन मिल्स से ऋण पत्रों पर अर्जित ब्याज। ये ऋणपत्र स्टॉक एक्सचेंज में सूचियत नहीं है — 2,325 रुपये
5. बैंक द्वारा ब्याज की वसूली की गई राशि पर 2% कमीशन लिया जाता है।

डा. जैन अलवर में दो मकानों के स्वामी हैं। प्रथम मकान जिसका नगर पालिका मूल्य 9,000 रु० वार्षिक है 700 रु० मासिक किराये पर उठाया गया है। इस मकान के सम्बन्ध 450 रु० स्थानीय करों के चुकाये गये। वित्तीय वर्ष 1985-86 में किरायेदार से 3 माह का किराया वसूल नहीं हो सका। किराया वसूली व्यय 550 रु० खर्च हुए। इस मकान के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 1983-84 में न वसूल हुये किराये की कटौती 4,000 रु० स्वीकृत हुई थी यह राशि जनवरी 1986 में वसूल हो गई एवं वसूली पर 400 रु० खर्च हुए।

दूसरा मकान प्रो. जैन ने स्वयं के रहने के लिए रखा है।। गतवर्ष 1985-86 में वे परिवार सहित छूट्टियों में अलवर आये थे और दो माह तक इस मकान में रहे थे

शेष समय मकान पूर्णतया खाली रहा। इस मकान का उचित किराया 12,000 रु० वार्षिक है। इस मकान के सम्बन्ध में नगरपालिका कर 600 रु०, भूमि का किराया 800 रु० भू राजस्व 400 रु० एवं भवन निर्माण के लिये, लिये गये ऋण पर ब्याज की राशि 2,000 रुपये देय है। इस मकान का निर्माण 1 अगस्त 1983 को पूरा हुआ।

कर निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये डा. जैन की विभिन्न शीर्षकों की कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए।

Dr. J. P. Jain is a Reader in the Udaipur University. He furnishes following information for the financial year 1985-86

1. **He received Salary amounting to Rs. 23,000 after deduction Rs. 3,000 for income tax and Rs. 4 000 for provident Fund.**
2. **University provides him a rent free house of fair rental value of Rs. 9,000 p.a. and contributes 12% of Salary towards P.F.**
3. **Received Rs. 3,150 as interest on 5% tax free listed debenturis.**
4. **Interest due Rs 2,325 on unlisted 10% debentures of Raymond Woolen Mills.**

Dr Jain is the owner of two houses at Alwar. First house of which municipal value is Rs. 9,000 p.m. is let out at a monthly rent of Rs. 700. Rs. 450 paid in respect of municipal taxes. During the financial year 1985-86 three month's rent could not be collected from the tenant. The collection charges incurred Rs. 550. During 1983-84 in respect of this house a deduction of Rs. 4,000 allowed for unrealised rent, this amount has recovered in January, 1986 and expenses incurred on collection of these were Rs. 400.

Second house is kept for self residentral purposes of Dr, Jain. In the previous years 1985-86, he came to Alwar with family in the holidays and stayed in the above house for two months and for the rest of the period house cant's be used. Fair rental value of this house was Rs. 12,000 p.a. Rs. 600 for municipal taxtes, Rs. 800 for Ground rent, Rs. 400 for land revenue and Rs. 2,000 is for Interest on loan for construction are due in respect of this house. Construction of this house is completed on Ist Ang. 1983. Compute Income Under the various heads of Dr. Jain for the assessment year 1986-87.

उत्तर

अध्याय 6 (मकान सम्पत्ति से आय)

(1) वार्षिक मूल्य प्रथम मकान 3,900 रु० द्वितीय मकान 23040 रु० (2) वार्षिक मूल्य : प्रथम खण्ड 1,450 रु० द्वितीय 1300 रु०, तृतीय 1,600 रु०, चतुर्थ 6,000 रु० (3) 4,139 रु०, (4) 7,600 रु० (5) 21,400 रु० (6) वेतन 9,900 रु०, मकान सम्पत्ति : 1,116 रु० (7) 33,006 रु० (8) 70,92 रु० (9) 48 रु० (10) वेतन 27,000 रु०, प्रतिभूतियों से ब्याज 5,762 रु०, मकान 10,612 रु०,

———

7

व्यापार अथवा पेशे से लाभ

(Profits and Gains of Business of Profession)

आय के इस शीर्षक के अन्तर्गत करदाता को व्यापार अथवा पेशे, से हुए लाभों को सम्मिलित किया जाता है। आय के शीर्षकों में इस शीर्षक का काफी महत्व है, क्योंकि इसी शीर्षक के अन्तर्गत आयकर की सबसे अधिक वसूली होती है।

व्यापार (Business) : धारा 2 (13) में 'व्यापार' शब्द को परिभाषित किया गया है। जिसके अनुसार इसमें "कोई व्यापार' वाणिज्य, विनिर्माण अथवा अन्य कोई साहस जो व्यापार, वाणिज्य अथवा विनिर्माण की प्रकृति का हो" शामिल होते हैं। व्यापार की व्यावहारिक परिभाषा बहुत विस्तृत हैं, तथा इसमें लाभों के उद्देश्यों से किये गये सभी लेन देन आते हैं। इसके अन्तर्गत सभी उद्योग धन्धे, बैंकिंग व यातायात कम्पनियां आदि सम्मिलित होते हैं। ऐसी क्रियाएं जो खेल कूद अथवा आमोद प्रमोद के लिए की जाती हैं, व्यापारिक नहीं कहलाती। वे सभी प्रयास जो व्यक्ति द्वारा अपने लाभ के ज्ञान व परिश्रम से किये जाते हैं, व्यापार अथवा पेशे के अन्तर्गत आते हैं। इन क्रियाओं को स्थाई रूप से किया जाता है। व इनकी एक श्रृंखला होती है।

सिनेमा को व्यापारिक परिसम्पत्ति की श्रेणी में रखा गया है तथा इसे किराये पर उठाने से हुई आय को व्यापार व पेशे के लाभों के अधीन ही करयोग्य माना जायेगा। CIT v. Northern India Theatern Pvt. Ltd (1981) 128 ITR 497 (Del)

पेशा (Profession) : साधारण भाषा में पेशे से तात्पर्य ऐसे प्रयत्नों से है जिनमें मस्तिष्क सम्बन्धी योग्यता की प्रमुखता रहती हैं। किसी कार्य में शारीरिक प्रयत्न व शक्ति भी यदि अपेक्षित रहते हैं तो भी यह मस्तिष्क द्वारा ही नियन्त्रित होते हैं। उदाहरण के लिए वकालत एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें केवल मस्तिष्क सम्बन्धी योग्यता ही पर्याप्त है। पेंटिंग, शिल्पकला आदि में यद्यपि शारीरिक प्रयत्नों का बहुत महत्व होता है किन्तु फिर भी ऐसे प्रयत्न मानसिक योग्यता व दक्षता से प्रभावित रहते हैं।

वृत्ति (Vocation) : साधारणतः वृत्ति से हमारा आशय किसी व्यक्ति के व्यवसाय अथवा पेशे से होता है जिसमें वह नियमित रूप से लगा रहता है। ऐसे क्रिया कलाप जिसमें कोई व्यक्ति अपने समय का अधिकांश भाग लगाता है व जिसे वह अपने जीविकोपार्जन का साधन बनाता है, के अन्तर्गत आते हैं। यह किसी व्यक्ति के ऐसे क्रियाकलापों का क्षेत्र है जिसके लिये उसके पास विशेष योग्यता है जैसे लेखन कला। किसी भी क्रिया के वृत्ति कहलाने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि उससे जीविकोपार्जन अवश्य होता हो किन्तु ऐसी क्रिया से प्राप्त सभी आय कर योग्य होती है व इसे 'व्यापार शीर्षक के अन्तर्गत शामिल किया जाता है इसमें प्रमुख दलाली, बीमा एजेन्सी आदि है।

इन तीनों शब्दों की परिभाषा यद्यपि काफी स्पष्ट हैं तब भी सन्देह की स्थिति पैदा हो सकती है किन्तु इससे करदाता के कर-निर्धारण में कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तीनों कार्यों से होने वाले लाभों पर हम एक ही शीर्षक के अन्तर्गत एक ही प्रकार से आय का निर्धारण करते हैं।

व्यापार की प्रकृति का उपक्रम
(Adventure in the nature of trade)

'व्यापार' की परिभाषा से एक बात यह सामने आती है कि यह लाभोपार्जन के लिये किया जाता है। यह एक चालू क्रिया है जिसमें वस्तु की खरीद व बिक्री की शृंखला होती है। व्यापार की यही परिभाषा यदि करयोग्यता के लिए काफी होती तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को उन लाभों पर आयकर नहीं देना पड़ता जो उसे वर्ष में केवल एक खरीद व बिक्री से होते हैं किन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि 'व्यापार' शब्द को धारा 2(13) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है जिसमें 'व्यापार की प्रकृति का उपक्रम' भी शामिल किया जाता है अर्थात् किसी एकांकी व्यवहार (Isolated transaction) से उदय हुए लाभ भी करयोग्य हो सकते हैं बशर्ते कि ये व्यापार की प्रकृति के उपक्रम के अन्तर्गत आते हों[1] कानून का उल्लंघन कर किये व्यवहारों से हुए लाभ भी कर योग्य होते हैं।

धारा 2 (13) में 'व्यापार की प्रकृति के उपक्रम' को सम्मिलित किया गया है जिसके अनुसार ये सौदे व्यापार जैसे ही होते हैं। इनमें व्यापार के सभी लक्षण नहीं पाये जाते हैं। यद्यपि कुछ लक्षण ऐसे सौदों में अवश्य मिलते हैं। अतः ऐसा एकांकी सौदा भी 'व्यापार की प्रकृति के उपक्रम' में सम्मिलित हो जाता है जिसमें व्यापार के कुछ लक्षण पाये जाते हैं।[2]

कोई एकांकी व्यवहार यदि करदाता के व्यापार से सम्बन्धित नहीं है तो यह सिद्ध करने का दायित्व आयकर विभाग पर है कि यह व्यापार की प्रकृति का उपक्रम है।[3]

एक व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है बाजार भावों में काफी रुचि रखता है। उसने अनुकूल दरों पर चीनी के 50 बोरे खरीद लिए व भावों में वृद्धि होने पर उन्हें बेच दिया। इस सौदे में उसे 5,000 रु० का लाभ हुआ। यह लाभ 'व्यापार की प्रकृति के उपक्रम' से हुआ लाभ है व इस शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य है। इस व्यक्ति ने निश्चय ही लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रेरित होकर इतनी अधिक मात्रा में चीनी खरीदी अतः उसकी यह क्रिया 'व्यापार' से सम्बन्धित है व इससे होने वाले लाभ कर-मुक्त न होकर इस शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य लाभ होंगें।

इस शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली प्राप्तियाँ (Receipts under this head)[28] धारा 28 के अनुसार व्यापार अथवा पेशे के लाभों के अंतर्गत निम्नलिखित आय पर कर लगता है :

1. **व्यापार से लाभ (Profit from business)**—ऐसे व्यापार, पेशे व वृत्ति से होने वाले लाभ जो करदाता द्वारा गतवर्ष में किसी भी समय किया गया हो। व्यापार

1. CIT v. Hiamalayan Tiles [1975] 100 ITR 177
2. Janab Adulokes Sait v CIT [1962] 45 ITR 73
3. CIT v. Jalannager Tea Estate (1962) 45 ITR 626.

के अन्तर्गत बहुत सी क्रियायें आती हैं। "करदाता द्वारा किया गया हो" वाक्यांश धारा 28 में आया है। इसका अर्थ यह है कि व्यापारिक क्रियायें करदाता की होनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि सभी क्रियाएं उसी के द्वारा की गई हों तथा सम्पूर्ण गतवर्ष में की गई हों। व्यापार करदाता के लिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, व गतवर्ष में थोड़े समय के लिए भी हो सकता है। [28(i)]

2. क्षतिपूर्ति (Compensation)—क्षतिपूर्ति की राशि साधारणतः पूंजीगत प्राप्ति होती है किन्तु व्यापार के दौरान मिली क्षति पूर्ति की निम्नलिखित राशियां इस शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होती हैं :

अ. एक व्यक्ति को जो किसी भी नाम से पुकारा जाता हो तथा जो किसी भारतीय कम्पनी का अथवा भारत में किसी भी कम्पनी का प्रबन्ध करता हो को अपने प्रबन्ध सम्बन्धी प्रसंविदे को समाप्त करने पर अथवा उसमें फेर-बदल करने पर मिली क्षति-पूर्ति की रकम।

ब. किसी भी व्यापारिक एजेन्सी के तोड़ने पर अथवा इसकी शर्तों में फेर-बदल करने पर मिली क्षतिपूर्ति की रकम।

स. किसी व्यापार अथवा सम्पत्ति का प्रबन्ध सरकार द्वारा अथवा सरकारी स्वामित्व अथवा नियन्त्रण में जो निगम हैं के द्वारा अपने हाथ में ले लेने पर मिली क्षतिपूर्ति की राशि। [28(ii)]

3. व्यापारिक संघ की आय (Income of a trade association)—व्यापारिक संघ अथवा पेशेवर व्यक्तियों के किसी संघ द्वारा अपने सदस्यों को प्रदान की गई विशिष्ट सेवाओं से आय। [धारा 28(iii)]

यदि ऐसे संघ के सदस्यों द्वारा संघ को कोई चंदा दिया जाता है तो ऐसे चन्दे संघ की आय के रूप में करयोग्य नहीं होंगे।

4. व्यापार से होने वाले प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ (Benefits arising from business)—व्यापार अथवा पेशे से करदाता को होने वाले अन्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ अथवा अनुलाभ भी इसी शीर्षक के अन्तर्गत आते हैं। ये लाभ मुद्रा में परिवर्तनीय हो सकते हैं अथवा नहीं भी। [28 (iv)]

उदाहरण के लिए यदि किसी वकील को अपने मुवक्किल (client) से किराया मुक्त मकान की सुविधा प्राप्त होती है तो यह लाभ उसकी पेशे की आय में सम्मिलित किया जायेगा।

व्यापार अथवा पेशे के लाभ कुछ सामान्य सिद्धान्त (Profits from business or profession :General Principles)

1. करदाता द्वारा व्यापार संचालन (Business managed by the assessee) : इस शीर्षक के अन्तर्गत उस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है जो व्यापार का संचालन करता है, किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वह स्वयं ही व्यापार करता हो, उसके लिए कोई अन्य व्यक्ति भी व्यापार चला सकता है, किन्तु उस व्यक्ति को संचालन का पूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अवयस्कों के लिए उनके संरक्षक, ट्रस्टी व अन्य कोई भी व्यक्ति यदि व्यापार का संचालन करता है तो ऐसे व्यक्ति करदाता की श्रेणी में आयेंगे।

यदि न्यायालय द्वारा किसी व्यापार के स्वामी को व्यापार चलाने से रोक दिया जाता है अथवा उसका व्यापार चलाने का अधिकार अन्य किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है तो ऐसे व्यापार के स्वामी को व्यापार चलाता हुआ नहीं माना जायेगा एवं वह धारा 28 के कर के लिए देय नहीं होगा।

2. सभी व्यापार एक शीर्षक के अन्तर्गत (Income of all business assessed under one head)—करदाता द्वारा जितने व्यापार किये जाते हैं उनके लाभों की गणना अलग-अलग की जाती हैं, तत्पश्चात् सभी व्यापारिक इकाइयों के लाभों को इस शीर्षक के अन्तर्गत जोड़ते हैं। यह कुल योग करदाता की इस शीर्षक के अन्तर्गत हुई आय होती है कुल योग लगाते समय किसी भी व्यापार से हुई हानि की पूर्ति हम अन्य व्यापार के लाभों से करते हैं।

3. सट्टा व्यापार के लाभ (Speculation Business Profits)—सट्टा व्यापार यद्यपि इसी शीर्षक के अन्तर्गत आता है किन्तु इसके लाभ व हानियों को अलग रखा जाता है। सट्टे के व्यापार की लाभों की गणना अन्य साधारण व्यापारों की तरह पृथक से की जाती है।

सट्टा व्यापार लेनदेन के ऐसे प्रसंविदों को कहते हैं, जिनमें वास्तविक रूप में वस्तुएँ न ली जाती हैं और न दी जाती है, अपितु सौदों का निवटारा बाजार मूल्यों तथा प्रसंविदे की दरों के अन्तर को निकाल कर किया जाता है।

4. हानि की पूर्ति (Set off of Loss)—चूँकि सभी व्यापारों के लाभों को एक ही स्थान पर रखकर संयुक्त रूप से कर लगाते हैं, अतः एक व्यापार की हानि की पूर्ति दूसरे के लाभों से हो जाती है, किन्तु सट्टा व्यापार की हानि को साधारण व्यापार के लाभों से पूरा नहीं कर सकते। विस्तृत विवरण हानि की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाने वाले अध्याय में दिया गया है।

5. गतवर्ष में व्यापार का संचालन (Conduct of business in the previous year)—इस शीर्षक के अन्तर्गत आय के कर योग्य होने के लिये यह आवश्यक है कि करदाता ने गतवर्ष में व्यापार का संचालन किया हो किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि व्यापार पूरे वर्ष चला हो। व्यापार वन्द होने के पश्चात् हुए लाभों पर भी शीर्षक के अन्तर्गत कर लगता है।

6. व्यापार की समाप्ति पर सम्पत्तियों का विक्रय (Sale of assets on winding up of business) व्यापार की समाप्ति पर वेची गई सम्पत्तियों से लाभ इस शीर्षक में करयोग्य नही होते, किन्तु व्यापारिक स्कन्ध के विक्रय से प्राप्त लाभ सदैव करयोग्य होते हैं भले ही ये लाभ व्यापार बन्द होने के बाद ही क्यों न प्राप्त हो।

7. लाभकारिक स्वामित्व (Beneficial ownership)—व्यापार के लाभों पर उस व्यक्ति से आयकर वसूल किया जाता है जो कि वास्तव में इन लाभों को प्राप्त करता है अर्थात् बेनामीदारों से आयकर अधिकारी का विशेष सम्बन्ध नहीं रहता। आयकर अधिकारी यह पता लगाता है कि किसी भी लाभ का अन्तिम प्राप्तकर्ता कौन है क्योंकि उसी व्यक्ति से कर वसूली की जाती है। उदाहरण के लिये जब कुछ व्यक्ति किसी कम्पनी का प्रर्वतन करते हैं व किसी चलते हुए व्यापार को खरीदते हैं तो इस प्रकार व्यापार चलता रहता है व कम्पनी का रजिस्ट्रेशन आदि होने तक ये प्रवंतक कम्पनी के लिए

इस व्यापार का संचालन करते रहते हैं। कम्पनी द्वारा व्यापार चालू करने पर इन प्रवर्तकों द्वारा चलाये गये व्यापार का अनुमोदन कर दिया जाता है व उनके द्वारा अर्जित लाभों पर कम्पनी द्वारा आयकर दिया जाता है क्योंकि प्रवर्तक कम्पनी के बेनामीदार थे।

8. **वाणिज्य सम्बन्धी सिद्धान्तों का पालन (Business principles to be followed)** इस शीर्षक के अन्तर्गत लाभों की गणना के लिए व्यापार के सामान्य सिद्धान्तों का पालन करना आवश्यक है। उदाहरणार्थ कुछ व्यय ऐसे भी हो सकते हैं जिनका विशिष्ट उल्लेख आयकर अधिनियम में न होते हुए भी वे स्वीकृत माने जाते हों।

9. **अर्जित लाभ एवं भावी लाभ (Profits accrued and future profits)**—इस शीर्षक के अन्तर्गत केवल उन्हीं लाभों पर कर लगता है जो प्राप्त अथवा प्राप्य हो गए हों। अनुमानित लाभ अथवा भावी लाभ पर कर लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। बाजार भावों में वृद्धि के कारण यदि करदाता के पास रखी हुई प्रतिभूतियों का मूल्य बढ़ जाता है तो ऐसी वृद्धि करयोग्य नहीं है क्योंकि यह लाभ अनुमानित व काल्पनिक है किन्तु यदि इन बढ़े हुए मूल्यों पर इन प्रतिभूतियों को बेचकर लाभ प्राप्त किया जाता है तो यह लाभ करयोग्य हो सकता है।

10. **अवैधानिक व्यापार (Illegal business)**—आयकर की दृष्टि से अवैधानिक व्यापार के लाभों अथवा अन्य व्यापार के लाभों में अन्तर नहीं किया जाता है। इन दोनों पर समान रूप से आयकर लगता है।

11. **आय बाहर से आनी चाहिए (Income must come from outside)**—कोई व्यक्ति यदि अपने व्यापार से अपने लिए कुछ माल या सेवा प्राप्त करता है तो वह लागत मूल्य पर दिखाई जाएगी व इस पर हुये काल्पनिक लाभ को करयोग्य नहीं माना जा सकता।

12. **पूँजीगत प्राप्ति (Capital receipt)**—व्यापार में यदि किसी पूँजीगत सम्पत्ति की बिक्री करने से कुछ राशि प्राप्त होती हो तो यह करयोग्य नहीं होती।

13. **सम्पत्ति के पुनर्मूल्यांकन से हुए लाभ (Profit on revaluation of assets) :** व्यापार द्वारा अपनी सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन करने से यदि कुछ कागजी लाभ प्राप्त होते हैं तो इन्हें करयोग्य नहीं माना जा सकता क्योंकि लाभों को बाहर से आना चाहिए।

व्यापार अथवा पेशे से आय शीर्षक की करमुक्त आयें

इस शीर्षक के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित आयें कर मुक्त होती हैं, इन्हें इस शीर्षक की सकल आय ज्ञात करते समय सम्मिलित नहीं किया जाता है।

कृषि आय (Agricultural Income)—कृषि आय आयकर से पूर्णतः मुक्त होती है। कृषि आय में निम्न आयें सम्मिलित होती है—

अ. भारत में स्थित कृषि भूमि से भूस्वामी को प्राप्त किराये से आय।

ब. कृषि भूमि पर खेती करने से प्राप्त आय तथा उपज को बाजार में ले जाने योग्य बनाने की प्रक्रियाओं से प्राप्त आय।

स. कृषि भूमि के निकट स्थित भवन से आय।

द. भारत में चाय का उत्पादन करने वाले करदाता को चाय मण्डल से अथवा उसके माध्यम से चाय के पौधों को दुबारा लगाने अथवा नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्राप्त सहायता की राशि पूर्णतः करमुक्त है।

य. भारत में चाय उत्पादन से हुई आय का 60% भाग कृषि आय माना जाता है और पूर्णतया कर से मुक्त होता है।

र. यदि कोई करदाता भारत में स्थित कृषि भूमि पर स्वयं द्वारा उत्पन्न की गई उपज को किसी वस्तु के निर्माण के लिये कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग करता है तो इस प्रकार प्रयुक्त उपज के बाजार मूल्य तथा कृषि उपज सम्बन्धी लागत मूल्य में अन्तर की राशि को कृषि आय माना जाएगा तथा यह राशि पूर्णतः करमुक्त होगी।

2. खादी तथा ग्रामीण उद्योगों के लाभ (Profits of Khadi and Village Industries)—निम्न शर्तें पूरी होने पर खादी और ग्रामीण उद्योग की वस्तुओं के उत्पादन, विक्रय और विपणन के व्यापार के लाभ पूर्णतः करमुक्त होते हैं—

अ. इस संस्था का उद्देश्य लाभोपार्जन न हो अपितु पूर्णतः खादी तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु हो,

ब. यह संस्था खादी तथा ग्रामीण उद्योग कमीशन द्वारा अनुमोदित हों;

स. यह संस्था एक सार्वजनिक पुण्यार्थ ट्रस्ट के रूप में स्थापित हो या किसी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था हो; तथा

द. यह संस्था अपनी सम्पूर्ण आय का प्रयोग खादी तथा ग्रामीण उद्योग के विकास हेतु करती हो।

3. सरकार द्वारा दिए गए पुरस्कार (Awards given by the Government): साहित्यिक, कलात्मक तथा वैज्ञानिक कार्यों या उपलब्धियों के लिए अथवा खेल-कूद में दक्षता, के लिये केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिया गया अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित संस्था द्वारा दिया गया नकद या अन्य पुरस्कार पूर्णतः करमुक्त है।

4. मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित नये औद्योगिक उद्यम के लाभ (Profits of newly established Industrial enterprises in Free trade zone)—कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र, शान्ताक्रुज इलेक्ट्रोनिक्स निर्यात क्षेत्र अथवा अन्य किसी मुक्त व्यापार क्षेत्र में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित हो, नवस्थापित औद्योगिक उद्यम के लाभ वस्तु के निर्माण के प्रारम्भ होने वाले वर्ष में तथा उसके बाद वाले चार कर-निर्धारण वर्षों में अर्थात् कुल पाँच वर्षों में पूर्णतः कर मुक्त है बशर्ते कि वह उद्यम निम्नशर्तें पूरी करता हो :—

अ. ऐसा उद्यम पूर्व से विद्यमान किसी उद्यम के टुकड़े करके या पुनर्गठन करके न बनायां गया हो। परन्तु यदि किसी उद्यम की स्थायी सम्पत्तियां नष्ट हो गई हों तथा उस कारण उद्योग बन्द कर दिया गया हो तथा अब पुनः चालू किया गया हो तो पुनः चालू किये जाने पर उसे पुनर्वास छूट की कटौती मिली हो;

ब. ऐसे उद्यम को भारत में पहले से ही प्रयुक्त मशीन या प्लांट का हस्तांतरण कुल मशीन तथा प्लांट के मूल्य के 20% से अधिक मूल्य का नहीं किया गया हो;

स. इस उद्यम द्वारा वस्तु का निर्माण 1981-82 कर निर्धारण वर्षों में या बाद में आरम्भ किया गया हो। परन्तु यदि किसी उद्यम द्वारा वस्तु का निर्माण 1977 78 से 1980 81 कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित किसी गतवर्ष में प्रारम्भ किया गया हो तो यदि करदाता चाहे तो उसके लाभ भी 1981-82 कर-निर्धारण वर्ष तथा शेष बचे बाद के वर्षों में कर-मुक्त हो सकते हैं।

टिप्पणी—यदि इन पाँच वर्षों में से किसी वर्ष हानि होती है तो ऐसी हानि की पूर्ति इन इन पाँच वर्षों के लाभों में से ही की जा सकती है और इन पाँच निर्धारण वर्षों के बाद के लाभों से उस हानि की पूर्ति नहीं की जा सकेगी।

'व्यापार अथवा पेशे की आय' शीर्षक की सकल आय ज्ञात करना (Computation of Gross Income from the head 'Income from Business or Profession)

1. गत वर्ष का निर्धारण :—व्यापार एवं पेशे के लाभ शीर्षक के लिए गतवर्ष व्यापारी की हिसाब की तिथि के आधार पर निर्धारित किया जाता है। गतवर्ष के निर्धारण की विधि प्रारम्भिक अध्याय में बताई जा चुकी है। यदि करदाता हिसाब की बहियाँ नहीं रखता तो कर-निर्धारण वर्ष के पूर्व का वित्तीय वर्ष ही गतवर्ष होगा।

2. कर दायित्व का आधार :—प्रत्येक व्यक्ति, जो वकालत, डाक्टरी, इन्जीनियरिंग अथवा वस्तुकला के व्यवसाय में है अथवा लेखाशास्त्र, तकनीकी परामर्श व आन्तरिक सजावट फिल्म कलाकार या अधिकृत प्रतिनिधि के पेशे में लगा है, यदि गत वर्ष के पूर्व वाले तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष पेशे की सकल प्राप्तियां 60,000 रु० से अधिक हो अथवा यदि पेशे की स्थापना गतवर्ष में हुई हो तो उसे पेशे की गतवर्ष की सकल प्राप्तियां 60.000 रु० से अधिक होने की सम्भावना हो (किन्तु यदि ऐसा व्यक्ति चिकित्सा पेशे में हो और दवाइयों की पूर्ति भी करता हो तो उसकी सकल प्राप्तियों की राशि 80,000 रु० से अधिक हो अथवा होने की सम्भवाना हो) तो उसे आयकर नियमों में उल्लिखित हिसाब बहियां एव प्रपत्र रखने होगें।

प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो उपर्युक्त पेशे के अतिरिक्त अन्य कोई व्यापार अथवा पेशा कर रहा है निम्न लिखित स्थितियों में हिसाब किताब रखना होगा :

अ. जब गतवर्ष से पहले के तीन वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में उसकी व्यापार अथवा पेशे से आय 25,000 रु० से अधिक है अथवा उसकी कुल बिक्री व सकल प्राप्तियां 2,50,000 रु० अधिक होगी।

ब. जब व्यापार अथवा पेशे की स्थापना गतवर्ष में होती है और यह आशा है कि इससे 25,000 रु० से अधिक की आय होगी अथवा सकल प्राप्तियां व कुल बिक्री 2,50,000 रु० से अधिक होगी। (धारा 44AA नियम 6F)

इस शीर्षक की आय की गणना नियमित रूप से रखी गई हिसाब की पद्धति के अनुसार की जाती है। यह पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिससे करदाता की आय ज्ञात हो सके। यदि करदाता द्वारा हिसाब किताब की कोई उचित पद्धति नहीं अपनायी गई है अथवा हिसाब किताब नहीं रखा गया है तो आयकर अधिकारी अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर व्यापार अथवा पेशे की आय का अनुमान लगाता है।

हिसाब किताब की पद्धतियाँ निम्न प्रकार की हो सकती हैं :

i. व्यापारिक पद्धति (Mercantile System) : इस पद्धति में उधार एवं नकद दोनों प्रकार के व्यवहारों का लेखा किया जाता है अर्थात् व्यवहार होते ही लेखा कर लिया जाता है चाहे राशि प्राप्त हुई हो या नहीं अथवा भुगतान की गई हो अथवा नहीं इस पद्धति में उन सभी व्यवहारों का लेखा किया जाता है जो गतवर्ष से सम्बन्धित हो। व्यापारी प्रायः इस पद्धति के अनुसार ही अपनी लेखा पुस्तकें रखते हैं।

ii. रोकड़ पद्धति (Cash System) : इस पद्धति में उन सभी व्यवहारों (प्राप्तियाँ एवं भुगतान) का लेखा किया जाता है जिनका रोकड़ भुगतान अथवा रोकड़ प्राप्ति गत वर्ष में हुई हो चाहे ये गतवर्ष से सम्बन्धित है अथवा नहीं। प्राय: पेशेवर व्यक्ति, जैसे डाक्टर, वकील आदि इस पद्धति को अपनाते है।

iii. मिश्रित पद्धति (Mixed Method) : यह पद्धति उपरोक्त दोनों पद्धतियों का मिश्रण है। इस पद्धति में कुछ सौदों का लेखा व्यापारिक पद्धति द्वारा तथा कुछ सौदों का लेखा रोकड़ पद्धति द्वारा किया जाता है। प्राय: इसका उपयोग कम ही होता है।

हिसाब किताब का अनिवार्य अंकेक्षण :—किसी व्यापार करने वाले व्यक्ति की किसी कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गतवर्ष अथवा गतवर्षों (यदि एक से अधिक व्यापार हैं) में कुल विक्री अथवा सकल प्राप्तियाँ 40 लाख रु० से अधिक हैं अथवा यदि कोई व्यक्ति किसी पेशे में लगा हुआ है और उसकी पेशे की किसी कर-निर्धारण वर्ष से संबंधित गतवर्ष अथवा गतवर्षों में सकल प्राप्तियां 10 लाख रुपये से अधिक हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने व्यापार अथवा पेशे के हिसाब-किताब को चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण कराना अनिवार्य होगा।

ऐसा अंकेक्षण गतवर्ष (यदि एक से अधिक गतवर्ष है तो सबसे अन्त में समाप्त होने वाले गतवर्ष) की समाप्ति से 4 माह बाद की तिथि अथवा सम्बन्धित करनिर्धारण वर्ष के 30 जून तक जो भी बाद में होगा तक कराना हो और अंकेक्षक से निर्धारित प्रारुप में रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी।

3 रुढ़ियों तथा परिपाटियों के मध्य नजर रखना —किसी व्यापार या पेशे की सकल आय की गणना करते समय उस व्यापार विशेष या पेशे विशेष की परम्पराओं तथा परिपाटियों को ध्यान में रखना चाहिये। किसी मद विशेष का लेखांकन यदि व्यवसाय की परिपाटी के अन्तर्गत किसी विशिष्ट प्रकार से किया जाता है तो उसे ध्यान में रखना चाहिये। उदाहरणार्थ किसी व्यय को, जो साधारणतया पूँजीगत व्यय है, किसी व्यापार विशेष में आयगत मानने की परिपाटी है तो ऐसे व्यय को आयगत ही माना जाना चाहिये।

4. डूबत ऋणों की वसूली (Bad debts recovered) ; व्यापार में हुए डूबत ऋणों को यदि कर-निर्धारण के समय स्वीकृत कटौती मान लिया जाता है तथा ऐसे डूबत ऋणों में से कुछ की वसूली भविष्य में हो जाती हैं तो इस वसूल हुए डूबत ऋण को गतवर्ष में करयोग्य लाभ माना जाता है जबकि इन्हें वसूल किया गया है। ऐसे डूबत ऋणों की वसूली, जिन्हें स्वीकृत कटौती माना गया था, आय नहीं मानी जाती।

5. खर्चों की वसूली अथवा कम भुगतान (Recovery or under payment of expenditure) : ऐसे व्यय जिनके लिए कटौती स्वीकृत हो चुकी है यदि उसके पश्चात् किसी भी वर्ष में वह वापस वसूल हो जाता है तो ऐसी वापस प्राप्त राशि करयोग्य मानी जायेगी। उदाहरणार्थ, किन्हीं वस्तुओं के उत्पादन पर यदि उत्पादन शुल्क दे दिया गया है जिसे 1984 में वर्ष स्वीकृत व्यय माना गया है, लेकिन 1985 में उत्पादन शुल्क की दर पूर्व निर्धारित तिथि (retrospective date) से कम कर दी जाती है तथा पूर्व में वसूल किया हुआ अतिरिक्त उत्पादन शुल्क वापिस कर दिया जाता है तो यह वापिस किया गया कर उस गतवर्ष में लाभ माना जाएगा जब यह वापस प्राप्त होता है।

6. संतुलित चार्ज (Balancing Charge) : व्यापार की ह्रास योग्य सम्पत्ति को वेचने पर जो राशि उसके अपलिखित मूल्य (depreciated value) से अधिक मिलती है स्वीकृत ह्रास की सीमा तक व्यापार अथवा पेशे शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य आय होती है और उसे संतुलित चार्ज के नाम से जाना जाता है।

यदि ऐसी ह्रास योग्य सम्पति को वेचने से प्राप्त मूल्य यदि सम्पत्ति के लागत मूल्य से भी अधिक है तो लागत मूल्य से प्राप्त राशि पूँजी लाभ होगी और यह 'पूँजी लाभ' शीर्षक से आय के अन्तर्गत कर योग्य होगी व्यापार अथवा पेशे शीर्षक में नहीं। उदाहरणार्थ यदि किसी सम्पत्ति जिसकी लागत 80,000 रु० एवं अपलिखित मूल्य 45,000 रु० है को 90,000 रु० में वेच दिया जाता है तो लागत मूल्य एवं अपलिखित मूल्य का अन्तर (80,000–45000) 35000 रु० संतुलित चार्ज होगा एवं लागत मूल्य से अधिक प्राप्त राशि (90000–80,000) 10,000 रु० पूँजीलाभ माना जायेगा।

7. उद्गम स्थान पर काटे गये कर को ध्यान में रखना— व्यापार अथवा पेशे से आय शीर्षक के अन्तर्गत यदि किसी प्राप्ति की राशि में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती की गई है तो इस प्रकार प्राप्त शुद्ध राशि में कर की राशि जोड़कर सकल प्राप्ति ज्ञात की जाएगी तथा यही राशि सकल आय में जोड़ी जाएगी। उदाहरणार्थ आयकर प्रावधानों के अनुसार ठेकेदारों तथा उप-ठेकेदारों को किये गए भुगतानों में से एक निश्चित प्रतिशत से कर काट लिया जाता है। ऐसी स्थिति में ठेकेदारों एवं उप-ठेकेदारों की सकल आय की गणना करते समय उक्त कर की राशि भी आय में सम्मिलित की जाएगी।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए किसी करदाता की 'व्यापार तथा पेशे से आय' शीर्षक की सकल आय ज्ञात की जाती है।

'व्यापार अथवा पेशे से लाभ' शीर्षक की करयोग्य आय ज्ञात करना (Computation of Taxable Income Under the head Income from Business or Profession)

व्यापार के लाभों की गणना करते समय सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह करना होता है कि ऐसे कौन से व्यय हैं जो व्यापार की प्राप्तियों में से घटाये जायेंगे। ऐसे कौन से व्यय हैं जो करदाता ने यद्यपि लाभ-हानि खाते में दिखा दिये हैं किन्तु जो या तो पूँजीगत हैं अथवा व्यापार से सम्बन्धित है ही नहीं। आयकर अधिनियम में यद्यपि स्वीकृत व्ययों की एक सूची दी गई हैं किन्तु व्यापारिक व्ययों की कोई भी सूची व्यापक नहीं हो सकती। अत: अधिनियम की विशिष्ट व्यवस्थाओं को ध्यान में रखने के साथ ही न्यायालयों के निर्णयों पर भी विचार करना पड़ता है। व्ययों की कटौतियों के सम्बन्ध में कुछ सामान्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन नीचे दिया गया है :

1. किसी भी व्यय को स्वीकृत करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए यह व्यय किया गया है अथवा उसके करने में कोई अन्य दृष्टिकोण रहा है। रकम का भुगतान केवल व्यापारिक हितों के लिए ही किया गया है तो यह स्वीकृत होगा।

2. ऐसे व्यय जो किन्हीं अन्य शीर्षकों से सम्बन्धित हैं, इस शीर्षक के अधीन स्वीकृत नहीं हो सकते।

3. ऐसी समस्त हानियाँ जो व्यापार से ही सम्बन्धित हैं स्वीकृत कटौती होगी परन्तु यह पूँजीगत नहीं होनी चाहिये।

4. केवल वही व्यय स्वीकृत होते हैं जो कि गतवर्ष से सम्बन्धित हों। गतवर्ष से पहले की अवधि के व्यय गतवर्ष के लाभ-हानि खाते में नहीं दिखाने चाहिए। इसी प्रकार भविष्य में होने वाले सम्भावित व्यय तथा हानियों को भी गतवर्ष की आय की गणना करते समय कोई ध्यान नहीं रखा जाता है।

5. एक व्यक्ति यदि एक से अधिक व्यापारों का संचालन करता है तो किसी एक व्यापार से सम्बन्धित व्यय उसी व्यापार के लाभों में से स्वीकृत कटौती होगी। सभी व्यापारों के लाभों को पृथक-पृथक दिखाया जाता है।

6. व्यापार स्थापित होने से पहले किये गये व्यय स्वीकृत नहीं होते, परन्तु व्यापार की स्थापना के बाद किन्तु व्यापार आरम्भ होने से पहले के व्यय स्वीकृत किए जाते हैं।

7. जब कोई करदाता किसी व्यय की कटौती की माँग करता है तो यह सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है कि व्यय केवल व्यापार के हितों के लिए किया है।

8. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अवैधानिक व्यापार की आय भी साधारण व्यापार की आय की भाँति करयोग्य होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए CIT v Piara Singh (1972) 83 ITR 678 में न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि जब अवैधानिक व्यापार के लाभ करयोग्य होते हैं तो इनसे होने वाली हानि को अस्वीकृत करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

व्यापार अथवा पेशे के लाभों की गणना के सन्दर्भ में विभिन्न कटौतियाँ : इस शीर्षक की आय की गणना करते समय व्यापार अथवा पेशे की प्राप्तियों में से कुछ कटौतियाँ दी जाती है जिनको निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है।

I स्पष्ट रूप से स्वीकृत व्यय अथवा कटौतियाँ
II व्यापार एवं वाणिज्य के साधारण सिद्धान्तों के आधार पर स्वीकृत व्यय
III निर्धारित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत स्वीकृत व्यय।
IV व्यापार के दौरान होने वाली हानियाँ जो स्वीकृत होती है।
V स्पष्ट रूप से अस्वीकृत व्यय।

I. कटौतियाँ जो स्पष्ट रूप से स्वीकृत हैं (Deductions expressly allowed)

व्यापार अथवा पेशे के लाभों की गणना करते समय कुछ व्यय स्पष्ट रूप से स्वीकृत हैं उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 30 से 37 में वर्णित किया गया है जो निम्नलिखित हैं :—

1. **भवन के लिये दिया गया किराया कर, मरम्मत व बीमा आदि (Rent, Rates, Taxes, Repairs and Insurance for buildings) [धारा 30]**—उस भवन से सम्बन्धित है जिसमें व्यापार का संचालन होता है अथवा व्यापार के काम आता है किराया कर, मरम्मत व बीमा प्रीमियम आदि की निम्नलिखित कटौती स्वीकृत हैं :—

अ. जब करदाता उस भवन में किरायेदार है तो किराया तथा जब उसने मरम्मत

सम्बन्धी व्यय का दायित्व भी अपने ऊपर लिया हुआ है तो मरम्मत के लिये किये गये वास्तविक व्यय। परन्तु यदि करदाता उस भवन में किरायेदार नहीं है तो उसके द्वारा किए गए मरम्मत सम्बन्धी चालू व्यय स्वीकृत होंगे।

ब. भूमि का लगान, स्थानीय दरें व नगरपालिका द्वारा लगाये गये कर जो भवन के सम्बन्ध में दिये गये हों।

स. भवन को नुकसान व बरबादी से सुरक्षित रखे जाने से सम्बन्धित बीमे की प्रीमियम जैसे अग्नि बीमा आदि।

यदि करदाता ऐसे भवन का स्वंय ही मालिक है तो किराया स्वीकृत व्यय नहीं हो सकता। भवन के किसी भाग को यदि करदाता निजी कार्यों हेतु प्रयोग करता है तो निजी कार्यों सम्बन्धी व्यय स्वीकृत नहीं हो सकते। पूरे भवन के समस्त व्यय का वह भाग ही स्वीकृत होता है जिसमें व्यापार चल रहा है।

2. **फर्नीचर मशीन व प्लांट की मरम्मत व बीमा व्यय (Repairs and Insurance of Machinery, Plant and Furniture) [धारा 31]**—व्यापार अथवा पेशे के संचालन में प्रयुक्त फर्नीचर, मशीन व प्लांट के सम्बन्ध में चालू मरम्मत के लिए किये गये सभी व्यय तथा इनको नुकसान, बरबादी से बचाने के लिये दिया गया बीमा प्रीमियम स्वीकृत व्यय है। फर्नीचर आदि का कुछ भाग व्यापारी यदि अपने निजी प्रयोग में लेता है तो इन खर्चों में से उतनी रकम घटा दी जाती है जो आयकर अधिकारी की दृष्टि में करदाता के अपने निजी प्रयोग से सम्बन्धित है।

मरम्मत पर किए गए व्ययों से सम्पत्ति के कार्यशील जीवन में वृद्धि नहीं होनी चाहिए और न उसकी उपयोगिता में वृद्धि होनी चाहिए ऐसा होने पर ये पूँजीगत व्यय होंगे और अस्वीकृत होंगे और अस्वीकृत होंगे। वही मरम्मत व्यय स्वीकृत होते हैं जिनसे मशीन आदि को काम चलाऊ हालत में रखा जाता है।

3. **ह्रास (Depreciation) [धारा 32]**—भवन, फर्नीचर, मशीनरी व प्लांट जब करदाता के स्वामित्व में होते हैं तथा इनका प्रयोग करदाता द्वारा अपने व्यापार अथवा पेशे के संचालन में किया जाता है तो इन सम्पत्तियों से सम्बन्धित ह्रास स्वीकृत व्यय होता है। ह्रास सम्बन्धी छूटों के लिए अगला अध्याय देखिये।

4. **विनियोग भत्ता (Investment Allowance) [धारा 32 A]** 31 मार्च 1976 के बाद खरीदे गये प्लांट व मशीन के लिए एक विशेष कटौती का प्रावधान है, पूर्ण विवरण के लिये अगला अध्याय देखिये।

5. **चाय बागानों के लिये विकास भत्ता (Development Allowance for tea plantation) [धारा 33 A]**— चाय की नई झाड़ियाँ लगाने के लिये यह छूट दी जाती है। पूर्ण विवरण के लिए अगला अध्याय देखिये।

6. **चाय विकास खाते में अंशदान (Contribution to Tea Development Account) [धारा 33AB]**—ऐसे करदाता जिसका व्यापार केवल भारत में चाय का उत्पादन तथा निर्माण का हो, यदि गतवर्ष में, चाय बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में एक विशेष खाते में कोई राशि जमा कराते हैं, तो उनके करयोग्य लाभों की गणना में कुछ कटौती दी जाती है। इसके लिए अगला अध्याय देखिये।

7. वैज्ञानिक अनुसन्धान पर व्यय (Expenditure on scientific Research) [धारा 35]—किसी भी उद्योग के लिए वैज्ञानिक अनुसन्धान का बहुत महत्व है चूंकि इन पर किए गए व्ययों से तुरन्त ही आय की वृद्धि नहीं होती अतः इनके लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। करदाता द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए व्ययों के पूर्ण विवरण के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं :

करदाता द्वारा किया गया व्यय—

अ. व्यापार से सम्बन्धित शोध—

a) **गतवर्ष में किये गये आयगत व्यय**- करदाता के स्वयं के व्यापार से सम्बन्धित शोध के समस्त आयगत व्यय जो गतवर्ष में किये गये हैं, कटौती योग्य हैं।

b) **गतवर्ष से ठीक पूर्व के तीन वर्षों में किया गया आयगत व्यय**—करदाता के स्वयं के व्यापार से सम्बन्धित शोध के वे समस्त आयगत व्यय जो व्यापार प्रारम्भ होने के तुरन्त पूर्व के तीन वर्षों के भीतर किए गए हैं, में केवल वैज्ञानिक शोध में लगे कर्मचारियों का वेतन (अनुलाभ को छोड़कर) का भुगतान तथा वैज्ञानिक शोध में प्रयुक्त सामग्री की लागत ही गतवर्ष में कटौती योग्य हैं।

c) **गतवर्ष में किए गए पूंजीगत व्यय**—करदाता के स्वयं के व्यापार से सम्बन्धित शोध के वे समस्त पूंजीगत व्यय जो गतवर्ष में किये गये हैं, कटौती, योग्य हैं। यदि गतवर्ष में किये गये वैज्ञानिक अनुसन्धान के पूंजीगत व्ययों के अन्तर्गत 29 फरवरी 1984 के बाद कोई भूमि खरीदी जाती है (चाहे भूमि किसी भवन के साथ खरीदी जाती अथवा अलग से) तो इस सम्बन्ध में भूमि के लिए कोई कटौती नहीं दी जायेगी।

d) **गतवर्ष से ठीक पूर्व के तीन वर्षों में किया गया पूंजीगत व्यय**—करदाता के स्वयं के व्यापार से सम्बन्धित शोध के वे समस्त पूंजीगत व्यय जो व्यापार प्रारम्भ होने के तुरन्त पूर्व के तीन वर्षों के भीतर किये गये हैं उस गतवर्ष में किया गया व्यय माना जायेगा जिस गतवर्ष में व्यापार प्रारम्भ हुआ है। अर्थात् ऐसे व्यय व्यापार प्रारम्भ होने वाले गतवर्ष में कटौती योग्य होंगे। 29 फरवरी 1984 के बाद भूमि प्राप्त करने के व्यय कटौती योग्य नहीं होंगे।

e) **अनुमोदित वैज्ञानिक शोध कार्यक्रम पर किया गया व्यय**—देश की औद्योगिक, आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार या किसी निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अन्तर्गत वैज्ञानिक शोध पर करदाता द्वारा किया गया आयगत व पूंजीगत व्यय (भूमि एवं भवन से सम्बन्धित व्यय को छोड़कर) की राशि के लिए पूर्ण कटौती प्राप्त होगी।

करदाता के लिए यह आवश्यक है कि निर्धारित सत्ता द्वारा कार्यक्रम के लिए स्वीकृत अवधि के 1 वर्ष के भीतर कार्य समाप्ति प्रमाणपत्र देना होगा अन्यथा स्वीकृत छूट रद्द कर दी जायेगी।

ब. अनुमोदित संस्थाओं को दी गई राशि—यदि करदाता द्वारा वैज्ञानिक शोध के लिए कोई राशि किसी अनुमोदित शोध संस्था अथवा अनुमोदित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अन्य शिक्षण संस्था अथवा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (Public sector undertaking) को दी जाती है तो ऐसी दी गई राशि कटौती योग्य होगी चाहे ऐसी शोध

करदाता के व्यापार से सम्बन्धित है अथवा नहीं। बशर्ते कि धनराशि देते समय यह स्पष्ट निर्देश दिया गया हो कि इस राशि का प्रयोग भूमि एवं भवन खरीदने अथवा भवन निर्माण में नहीं किया जायेगा।

8. **पेटेण्ट व कापीराइट के सम्बन्ध में व्यय** (Expenses regarding Patents and Copyright)—यदि करदाता द्वारा पेटेण्ट अधिकार या कापीराइट अधिकार को प्राप्त करने के लिए कोई पूँजीगत व्यय किया है तो सम्बन्धित गतवर्ष से 14 वर्षों तक समान किश्तों में कटौती मिलती है। यदि इन अधिकारों की शेष अवधि (Unexpired Life) 14 वर्षों से कम है तो व्यय की गई ऐसी राशि इस कम अवधि में ही कटौती के रूप में स्वीकृत होगी। यदि इस प्रकार का अधिकार पहले से ही प्रारम्भ हो गया हो तथा करदाता ने व्यय बाद में किया गया हो तो व्यय वाले गतवर्ष से शेष बचे वर्षों में ही पूँजीगत व्यय की कटौती समान किश्तों में दी जायेगी। यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि यदि व्यय 14 वर्षों के बाद किया जाता है तो व्यय वाले गत वर्ष में ही व्यय की गई पूरी राशि की कटौती दी जायेगी।

उदाहरणार्थ यदि किसी करदाता ने 1978-79 गतवर्ष में 28,000 रु० में कोई पेटेण्ट अधिकार प्राप्त किया है तो उसे 1978-79 गतवर्ष (अर्थात् 1979-80 कर-निर्धारण वर्ष) से प्रतिवर्ष 2,000 रु० की कटौती 1991-92 गतवर्ष (अर्थात् 1992-93 कर-निर्धारण वर्ष) तक प्राप्त होगी। यदि करदाता ने गतवर्ष 1985-86 में अधिकार ऐसे करदाता से प्राप्त किये गये जो इन अधिकारों को 13 वर्ष तक प्रयोग में ले चुका है तो गतवर्ष 1985-86 (अर्थात् कर-निर्धारण वर्ष 1986-87) में पूर्ण कटौती दे दी जायेगी।

यदि करदाता ने ये अधिकार गतवर्ष 1985-86 (कर-निर्धारण वर्ष 1986-87) में ऐसे करदाता से प्राप्त किये हैं जो इन्हें 10 वर्ष तक प्रयोग में ले चुका है तथा करदाता द्वारा अधिकार 28,000 रु० में क्रय किये गये हैं तो करदाता को गतवर्ष 1985-86 (कर-निर्धारण वर्ष 1986-87) से प्रतिवर्ष 7,000 रु० की कटौती दे दी जायेगी। अर्थात् करदाता को केवल 4 वर्ष में ही कटौती दे दी जायेगी। दूसरे शब्दों में पूर्व करदाता द्वारा प्रयोग की अवधि को 14 वर्षों में से घटाकर शेष अवधि में कटौती दी जाती है।

9. **तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के व्यय** (Expenditure on technical know how) (धारा 35 AB) :—यदि किसी करदाता द्वारा अपने व्यापार के सम्बन्ध में किसी औद्योगिक सूचना अथवा किसी वस्तु की निर्माण की तकनीक अथवा किसी खान, तेल का कुआ अथवा खनिज पदार्थ की खोज आदि के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने के प्रतिफल स्वरूप किसी गतवर्ष में एक मुश्त भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्ययों की कटौती 6 वर्षों में समान रूप (अर्थात् प्रत्येक वर्ष व्यय का 1/6 भाग) से दी जायेगी। सर्वप्रथम कटौती उस गतवर्ष में दी जायेगी जिसमें कि ऐसा एक मुश्त भुगतान किया गया है शेष भाग की कटौती ऐसे गतवर्ष के तुरन्त पश्चात आने वाले 5 वर्षों में दी जायेगी।

यदि उपरोक्त तकनीक अथवा ज्ञान एक ऐसी प्रयोगशाला में विकसित किया गया है जो सरकारी स्वामित्व में है अथवा जिसे सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है अथवा जो किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के स्वामित्व में है अथवा निर्धारित सत्ता द्वारा इस सम्बन्ध में अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय अथवा संस्था के स्वामित्व में है

तो ऐसी एक मुश्त भुगतान की गई राशि 3 वर्षों में समान रूप से (अर्थात प्रत्येक वर्ष में व्यय 1/3 भाग) कटौती योग्य होगी।

10. ग्रामीण विकास भत्ता (Rural Development Allowance) [धारा 35CC]–यदि किसी कम्पनी अथवा सहकारी समिति द्वारा निर्धारित सत्ता द्वारा 17 मार्च 1985 के पूर्व अनुमोदित किसी ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर कोई राशि व्यय की जाती है तो इसकी कटौती प्रदान की जायेगी यद्यपि ये व्यय उसके व्यापार से संबंधित नहीं होते हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जनता के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित करने अथवा जनता के जीवन-स्तर को ऊँचा करने का कोई भी कार्यक्रम सम्मिलित होता है।

यदि किये गये व्यय के फलस्वरूप किसी ऐसे भवन, मशीन, प्लांट या फर्नीचर का निर्माण होता है जिसका स्वामित्व करदाता का ही हो तो व्यय की इतनी राशि पर केवल ह्रास की कटौती दी जायेगी। ह्रास की गणना उसी भाँति की जायेगी जैसे कि यह सम्पत्ति करदाता के व्यापार हेतु प्रयुक्त की जाने पर की जाती।

यह कटौती तब दी जावेगी जबकि व्यय के सम्बन्ध में चार्टर्ड अकाउटेण्ट के द्वारा जाँच किये गये निर्धारित विवरण को आय के नक्शे के साथ प्रस्तुत कर दिया गया हो। यदि किसी व्यय के सम्बन्ध में कर-निर्धारण वर्ष में इस धारा के अन्तर्गत कटौती स्वीकृत कर दी जाती है तो उस व्यय के सम्बन्ध में उसी कर-निर्धारण वर्ष या अन्य किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर अधिनियम की अन्य किसी धारा के अन्तर्गत कोई कटौती स्वीकृत नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण - ग्रामीण क्षेत्र से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो 10,000 या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका या छावनी बोर्ड के क्षेत्र से बाहर 15 किलोमीटर की परिधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं हो।

11. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए संघों अथवा संस्थाओं को भुगतान (Payments to association and institutions for carrying out rural development Programmes) [धारा 35 CCA] :–यदि किसी करदाता द्वारा (अ) ग्रामीण विकास हेतु स्थापित किसी संघ अथवा संस्था को जो निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित हो को किसी ऐसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर व्यय करने हेतु कोई भुगतान किया जाता है जो 1 मार्च 1983 से पूर्व निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित है, अथवा (ब) 1 मार्च 1983 से पूर्व अनुमोदित किसी ऐसे संघ अथवा संस्था को जो ग्रामीण विकास के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से स्थापित हो को कोई भुगतान करता है बशर्ते कि ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 मार्च 1983 से पूर्व प्रारम्भ हो गया हो, अथवा (स) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए स्थापित तथा अधिसूचित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष को कोई भुगतान किया जाता है तो उसे ऐसी भुगतान की गई राशि की कटौती दी जायेगी।

टिप्पणी :—यदि भुगतान उपरोक्त (अ) के अन्तर्गत 28 फरवरी 1983 के बाद किया गया हो तो कार्यक्रम के अन्तर्गत भवन अथवा अन्य ढाँचे के निर्माण अथवा सड़क बनाना अथवा कुआ या नलकूप निर्माण या प्लान्ट अथवा मशीन लगाने का कार्य सम्मिलित हो और यह कार्य 1 मार्च 1983 से पूर्व ही प्रारम्भ हो गया हो तभी कटौती योग्य होगा।

12. प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में लगे संघों अथवा संस्थाओं को भुगतान (Payment to associations and institutions for carrying out Programmes of conservation of natural resources) [धारा 35CCB] :—यदि किसी करदाता द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु स्थापित किसी संघ अथवा संस्था को जो निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित हो को किसी अनुमोदित कार्यक्रम चलाने के लिए किसी राशि का भुगतान करता है तो उसे ऐसी राशि की कटौती दी जायेगी यद्यपि ऐसे व्ययों का करदाता के व्यापार से कोई सम्बन्ध नहीं होता है।

13. कुछ प्रारम्भिक व्ययों का परिशोधन (Amortisation of certain Preliminary expenses)— [35D] किसी भारतीय कम्पनी अथवा भारत में निवासी किसी करदाता द्वारा व्यापार प्रारम्भ होने से पहले अथवा किसी औद्योगिक संस्थान के विस्तार की स्थिति में अथवा किसी चालू उद्योग में एक नवीन इकाई के स्थापना के लिए किये गये प्रारम्भिक व्यय कटौती योग्य होंगे। इन व्ययों का 10% प्रतिवर्ष कटौती के लिये स्वीकृत किया जायेगा तथा इस प्रकार दस वर्ष में यह व्यय पूर्णत: अपलिखित हो सकेंगे। इस धारा के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यय अनुमोदित माने जाते हैं—

अ. किसी व्यापार का बाजार सर्वेक्षण अथवा अन्य सर्वेक्षण कराने सम्बन्धी व्यय; व्यापार प्रारम्भ करने के पूर्व तैयार कराई गई सम्भावना रिपोर्ट व प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने पर व्यय।

ब. करदाता व किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी समझौते को लिखाने सम्बन्धी वैधानिक व्यय। यह समझौता व्यापार की स्थापना व संचालन सम्बन्धी होना चाहिए।

स. कम्पनी करदाताओं के लिए निम्नांकित व्यय :

a) कम्पनी के सीमानियम व अन्तर्नियमावली के लिखने का व्यय।
b) इन दोनों के छपाने का व्यय।
c) कम्पनी के पंजीयन व्यय।
d) अभिगोपन, कमीशन, दलाली, प्रविवरण तैयार करवाने सम्बन्धी व्यय तथा प्रविवरण के विज्ञापन सम्बन्धी सभी व्यय जो अंश अथवा ऋणपत्रों के निर्गमन से सम्बन्धित हैं।

द. ऐसे अन्य व्यय जो लाभ हानि खाते में समायोजित नहीं किये जा सकते किन्तु जो इसी धारा के लिए अनुमोदित हैं।

अधिकतम सीमा (Maximum limit)—प्रारम्भिक व्ययों के लिए अधिकतम सीमा निम्न प्रकार है—

अ. प्रोजेक्ट की लागत का $2\frac{1}{2}$% प्रोजेक्ट की लागत से तात्पर्य व्यापार प्रारम्भ होने वाले गतवर्ष के अन्तिम दिन पुस्तकों में दिखाई गई सम्पत्तियों (भूमि, भवन, पट्टा, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, रेल लाईन आदि) को वास्तविक लागत से लिया जाता है। औद्योगिक उद्यम में वृद्धि की दशा में या नई औद्योगिक इकाई स्थापित होने की दशा में केवल उन स्थायी सम्पत्तियों की लागत को प्रोजेक्ट की लागत में सम्मिलित किया जायेगा जो नई औद्योगिक इकाई के लिए प्राप्त की गई है।

ब. भारतीय कम्पनी की दशा में व्यापार में लगी हुई पूंजी का $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत। यह विकल्प केवल कम्पनी करदाता को ही प्राप्त है। व्यापार में लगी हुई पूंजी की गणना

करने के लिए व्यापार प्रारम्भ करने वाले गतवर्ष के अन्तिम दिन कम्पनी की निर्गमित अंश पूंजी, ऋण-पत्र तथा दीर्घकालीन ऋण शामिल किये जाते हैं।

प्रारम्भिक व्ययों के लिये अधिकतम राशि, उपरोक्त सीमा तक कटौती योग्य है जिसका 10% प्रतिवर्ष कटौती दी जाती है।

14. कुछ खनिज पदार्थों के अन्वेषण पर किये गये व्यय (Expenditure prospecting for the development of specified minerals) [धारा 35E]—एक भारतीय कम्पनी या भारत में निवासी किसी भी करदाता द्वारा खनिज पदार्थों की खोज अथवा खानों के विकास हेतु यदि कोई व्यय किया गया है तो उत्पादन वाले वर्ष में तथा उससे ठीक पूर्व के चार वर्षों में किये गये व्ययों के सम्बन्ध में 10 वर्षों तक बराबर बराबर किस्तों में कटौती प्राप्त होती है।

इस धारा के अन्तर्गत उन्हीं व्ययों का परिशोधन किया जाता है जो अधिनियम की सातवीं अनुसूची में वर्णित खनिज उद्योग में लगे हुए करदाता द्वारा किये गये हों[1]। ये व्यय इन खनिजों की खोज अथवा इनकी खानों के विकास में व्यय किये जाने चाहिए। व्ययों को सर्वप्रथम उस वर्ष में अपलिखित किया जाता है जिस वर्ष में व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ होता है। जिन व्ययों का इस धारा के अन्तर्गत परिशोधन किया जाता है उन्हें व्यापार के लाभों की गणना के लिए स्वीकृत व्यय नहीं माना जा सकता है।

किसी वर्ष में यदि करदाता के लाभ इतने कम हैं जिनसे कि परिशोधन हुये व्ययों का 10% अपलिखित नहीं किया जा सकता तो केवल उतनी राशि अपलिखित की जायेगी जितने कि लाभ उपलब्ध हैं। अशोधित राशि को इस कर निर्धारण वर्ष से आगे के 9 वर्षों तक पूर्ति करने के लिए आगे ले जाया जा सकता है।

15. अन्य कटौतियाँ (Other deductions)—धारा 36 के अन्तर्गत निम्नलिखित कटौतियाँ व्यापार अथवा पेशे के लाभों की गणना करते समय स्वीकृत होती हैं:

a) **बीमा प्रीमियम** (Insurance Premium)—व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग में आने वाले माल को नुकसान व बरबादी से बचाने हेतु दी गई बीमा प्रीमियम राशि।

b) **कर्मचारियों को दिया गया कमीशन व बोनस** (Commission and bonus paid to employees)—कर्मचारियों उनकी सेवाओं के सम्बन्ध में दिये गये बोनस एवं कमीशन की राशि कटौती योग्य है। ऐसे कर्मचारी जिन पर बोनस भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता है उनको दी गई वह राशि कटौती योग्य होगी जो ऐसे कर्मचारियों के वेतन व सेवाशर्तें, व्यापार के गतवर्ष के लाभ एवं व्यापार की सामान्य प्रथा को ध्यान में रखते हुए उचित समझी जाती है।

बोनस एवं कमीशन के सम्बन्ध में यह कटौती तभी दी जायगी जबकि कर्मचारी को बोनस अथवा कमीशन न मिलता तो यही राशि लाभों अथवा लाभांश के रूप में प्राप्त नहीं होती।

बोनस अदायगी अधिनियम 1965 के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को प्राप्त बोनस :—बोनस भुगतान अधिनियम 1965 लागू होने वाले संस्थान में कार्यरत कर्म-

1. सातवीं अनुसूची में उल्लिखित कुछ महत्वपूर्ण उद्योग इस प्रकार हैं Aluminium ores, coal and lignite, copper, gold, gypsum, iron, ore lead manganes ore, platiunm, silver, sulpher, tin, uranium, zinc etc.

चारी को बोनस की कटौती इस अधिनियम के अन्तर्गत देय बोनस की मात्रा से अधिक नहीं होगी।

c) उधार ली गई पूँजी पर ब्याज (Interest on borrowed capital)—व्यापार व पेशे के कार्यों के लिये उधार ली गई पूँजी पर दिया गया ब्याज कटौती योग्य है।

d) प्रमाणित प्राविडेण्ट फन्ड व अनुमोदित सुपरएनुऐशन. फण्ड में दिया गया मालिक का अंशदान (Employer's contribution to Recognised Provident Fund and Approved Superannuation Fund)—करदाता द्वारा प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड में अथवा अनुमोदित सुपरएनुऐशन फण्ड में दिया गया अंशदान। इस सम्बन्ध में कटौती गतवर्ष में किये गये वास्तविक भुगतानों के बराबर ही मिलेगी।

e) अनुमोदित ग्रेच्युटी फण्ड में दिया गया मालिक का अंशदान (Employer's contribution to Recognised Gratuity Fund)—कर्मचारियों के लाभ के लिये ही रखे गये ऐसे ग्रेच्युटी फण्ड में दिया गया अंशदान जो कि अनुमोदित हो तथा अखन्डनीय ट्रस्ट के अधीन हो। इस सम्बन्ध में कटौती गतवर्ष में किये गये वास्तविक भुगतान के सम्बन्ध में ही मिलेगी।

f) पशुओं से सम्बन्धित हानि (Loss Relating to animals)—ऐसे पशुओं के स्थायी रूप से अयोग्य होने पर अथवा मृत होने पर हुई हानि, जो व्यापार के लिये प्रयोग किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि इनकी मूल लागत में से मृत शरीर अथवा खाल आदि वेचने से प्राप्त रकम को घटा देते हैं और शेष राशि ही कटौती योग्य होती है।

g) डूबे हुये ऋण (Bad Debts)—व्यापार से सम्बन्धित ऋणों की वे रकमें जो गतवर्ष में डूब चुकी है कटौती योग्य होगीं, परन्तु निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है :

अ. डूबत ऋण की रकम तभी कटौती के रूप में स्वीकार होगी जबकि यह ऋण गतवर्ष में अथवा उससे पहले के वर्षों में व्यापार अथवा पेशे के लाभों की गणना करते समय शामिल कर लिया गया हो, अथवा यह रकम करदाता द्वारा संचालित बैंकिग व्यवसाय व रुपयों के लेन-देन के व्यापार के दौरान दी गई हो।

ब. इस रकम को गतवर्ष में करदाता ने अपने खातों में अपलिखित कर दिया गया हो।

स. करदाता ने यदि इस रकम को इस गतवर्ष से पहले ही किसी गतवर्ष में अपलिखित कर दिया था, परन्तु आयकर अधिकारी ने उस वर्ष में डूबते ऋण को नहीं माना तथा स्वीकार नहीं किया। बाद में किसी वर्ष में अधिकारी इस डूबत ऋण को स्वीकार कर लेता है तो वह चालू कर निर्धारण वर्ष में उसकी कटौती दे सकता है।

द. करदाता ने यदि इस डूबते ऋण को गतवर्ष में अपलिखित किया है, परन्तु आयकर अधिकारी यह समझता है कि यह ऋण गतवर्ष से पहले की 4 वर्षों की अवधि मे किसी वर्ष में डूब चुका था तो आयकर अधिकारी इस डूबत ऋण को स्वीकृत मानते हुये उन सम्बन्धित गतवर्षों के लाभों का पुनः कर-निर्धारण (Reassessment) करेगा।

य. कभी कभी ऐसा होता है कि आयकर अधिकारी किसी भी ऐसे ऋण की पूरी राशि को डूबत ऋण के रूप में स्वीकार नहीं करता बल्कि इसकी कुछ राशि अर्थात् कुछ भाग को स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में करदाता को यदि भविष्य में कोई राशि (उस राशि में से प्राप्त हो जाती है जिसको डूबत ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था) प्राप्त हो जाती है तो उसे आय नहीं माना जाता।

र. **परिवार नियोजन पर व्यय**—कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों में परिवार नियोजन के प्रोत्साहन व प्रचार के लिये किये गये आयगत (Revenue) व्यय पूरे स्वीकृत होते हैं तथा पूँजीगत व्यय पाँच वर्षों में समान किस्तों में कटौती योग्य हैं। अर्थात् पूँजीगत व्ययों का 1/5 पहले गतवर्ष में तथा शेष को 4 अगले गतवर्षों में समान किस्तों में स्वीकृत किये जाते हैं।

II. व्यापार एवं वाणिज्य के साधारण सिद्धान्तों के आधार पर स्वीकृत व्यय अथवा सामान्य कटौतियाँ [धारा 37]—

ऐसे व्ययों के अतिरिक्त जिनका वर्णन पूर्व में किया गया है यदि कोई व्यय पूर्णतया एवं केवल करदाता के व्यापार अथवा पेशे के लिए किये गये हैं जो निजी नहीं हैं एवं पूँजीगत प्रकृति के नहीं है कटौती योग्य होंगे।

धारा 37 के अन्तर्गत स्वीकृत कुछ सामान्य कटौतियां

1. कानूनी लाभ (Legal expenses) :—

a) किसी प्रसंविदे को तोड़ने अथवा भंग करने की दशा में दायित्व या जुर्माने से बचने के लिए किये गये कानूनी व्यय।

b) बिक्री कर उत्पादन शुल्क आदि के निर्धारण अथवा इनकी अपील सम्बन्धी कानूनी व्यय।

c) किसी कम्पनी के अंशधारी द्वारा कम्पनी के समापन के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र की स्थिति में अपनी रक्षा के लिए कम्पनी द्वारा किये कानूनी व्यय।

d) व्यापार के राष्ट्रीयकरण को रुकवाने के लिए किये गये कानूनी व्यय।

e) किसी कर्मचारी को व्यापार के हित में सेवामुक्त करने के सम्बन्ध में कानूनी व्यय।

f) देनदारों से वसूली, ट्रेडमार्क का अन्य द्वारा प्रयोग रोकने, व्यापार के सम्बन्ध में अन्य दीवानी मुकदमों में कानूनी व्यय।

g) किसी सम्पत्ति पर अपने स्वामित्व के या प्रयोग करने के अधिकार को बचाने के व्यय।

2. कार्यालय व्यय (Office expenses) :—

(i) स्टेशनरी (ii) डाक-तार व्यय (iii) अंकेक्षण शुल्क (iv) लेखा पुस्तकें रखने के व्यय (v) दीपावली, दशहरा एवं मुहुर्त आदि के व्यय (vi) नया टेलीफोन लगाने के लिए दी गई एकमुश्त राशि CBDT के आदेशों के अनुसार (vii) टेलीफोन व्यय—स्थानीय एवं ट्रंककाल के व्यय (viii) स्थापना व्यय (Establishment expenses), प्रबन्ध व्यय, प्रशासनिक व्यय एवं अन्य कार्यालय व्यय।

3. कर एवं शुल्क (Tax & Fees) :—

(i) बिक्री कर (ii) उत्पादन शुल्क (iii) चुंगी (iv) सीमा शुल्क (customs) आदि की चुकाई गई राशियाँ।

4. कर्मचारियों के सम्बन्ध में व्यय (expenses relating to employees) :—

a) कर्मचारियों को देय वेतन, मजदूरी, सेवा निवृत्ति पर पेंशन आदि।
b) कर्मचारियों की चिकित्सा के लिये किये गये आयगत व्यय—इसमें कर्मचारियों को दी जाने वाली चिकित्सा व्यय की राशि एवं कर्मचारियों के लिए संचालित हॉस्पिटल के व्यय कटौती योग्य है।
c) कर्मचारियों को देय ऐसा पारिश्रमिक जो लाभों के निश्चित प्रतिशत के आधार पर दिया जाता है।
d) कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत दी गई क्षतिपूर्ति की राशि।
e) श्रमिक क्षतिपूर्ति के लिए कराये गये बीमे की प्रीमियम की राशि।
f) कर्मचारियों को छुट्टियों का वेतन, उनके प्रशिक्षण व्यय, श्रम कल्याण के लिए किये गये आयगत व्यय, कर्मचारियों को दिये गये पुरस्कार।
g) कर्मचारियों को दी गई ऐसी राशि जो करदाता से प्रतियोगिता न करने के लिए दी गई हो।
h) कर्मचारियों को आर्डर लाने के लिए दिया गया कमीशन।

5. अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण लेने के सम्बन्ध में व्यय तथा ऋणपत्र जारी करने के लिए किये गये व्यय।
6. माल को क्रय करने, उत्पादन करने, विक्रय एवं वितरण करने के व्यय।
7. निर्यात संवंद्धन व्यय।
8. करदाता अथवा उसके कर्मचारी द्वारा व्यापार संचालन में किसी भूल के कारण दी गई क्षतिपूर्ति की राशि।
9. अधिकार शुल्क (Royalty)।
10. वे सभी चंदे (Subscription) एवं शुल्क (fees) की राशियाँ जो करदाता अपने व्यापारिक समाज में बने रहने के लिये देने होते हैं। जैसे कपड़े के व्यापारी द्वारा क्लॉथ मर्चेन्ट एसोसियेशन को दिया गया चन्दा।
11. किसी व्यापारिक प्रतिस्पर्धी को टेन्डर में कम कीमत न भरने के लिए दी गई राशि।
12. किसी एजेन्सी, नौकरी व प्रबन्ध अभिकर्त्ता के अनुबन्ध को समाप्त करने के लिये दिया गया हर्जाना अथवा क्षतिपूर्ति की राशि।
13. माल का प्रसंविदा भंग करने पर देय क्षतिपूर्ति की राशि।
14. ऐसे माल को जब्त होने से बचाने के लिए दिया गया अर्थदण्ड, जो करदाता ने किसी व्यक्ति से क्रय किया था और उसे यह जानकारी न हो कि यह माल विदेशों से गैर कानूनी ढंग से आयात किया गया था।

कुछ व्यय ऐसे हैं जो धारा 37 के अन्तर्गत सामान्य व्ययों में सम्मिलित नहीं किये जाते हैं और अस्वीकृत होते हैं ऐसे व्ययों के उदाहरण निम्न हैं :—

1. आयकर, धनकर, उपहारकर तथा आय पर अन्य कर।
2. दान, धर्मादा, भेंट एवं उपहार।
3. राजनीतिक पार्टियों को दिये गये चन्दे।
4. दण्ड के रूप में चुकाया गया ब्याज, अर्थदण्ड एवं जुर्माना आदि।
5. किसी कोष, संचय अथवा आयोजन में हस्तान्तरित राशि सिवाय उन संचयों के जो आयकर अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत है।
6. व्यापार के स्वामी अथवा साझेदारों के आहरण, निजी व्यय, साझेदारों के वेतन, बोनस, कमीशन, जीवन बीमा प्रीमियम, व्यापार के स्वामी का वेतन।
7. ऐसे व्यय जो व्यापार से सम्बन्धित नहीं हैं।
8. सम्पत्ति या पूँजी प्राप्त करने के कानूनी व्यय।
9. व्यापार के स्वामी द्वारा यदि अपने को किसी आपराधिक अभियोग से बचाने के लिए किये गये कानूनी व्यय :
10. अप्रमाणित प्रोविडेन्ट फण्ड में अथवा श्रम कल्याण कोष में दिया गया अंशदान।
11. किसी अन्य व्यक्ति को करदाता के व्यापार से प्रतिस्पर्द्धा न करने के लिए दी गई राशि।
12. किसी कर्मचारी विशेष को ही दी गई ग्रेच्युटी की राशि अथवा किसी कर्मचारी को व्यक्तिगत कारणों से निवृत्ति पर उदारतावश दी गई राशि या मृत्यु पर कर्मचारी की विधवा को दी गई राशि।
13. व्यापारिक हितों से परे किसी माल व सेवा के लिए किया गया अधिक भुगतान।
14. जमानत देने से हुई हानि जबकि जमानत देने का करदाता के व्यापार से कोई सम्बन्ध नहीं था।
15. अपराधिक कार्यवाही के लिये दिया गया आर्थिक दण्ड।
16. किसी भी कानून के तोड़ने पर दिया गया अर्थदण्ड।
17. कस्टम अधिकारियों को माल जब्त करने से बचाने के लिये दिया गया भुगतान
18. पूँजीगत व्यय एवं पूँजीगत हानियाँ—जैसे किसी कर्मचारी को प्रतिस्पर्द्धा न करने के प्रतिफल में दी गई राशि।

III. निर्धारित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत स्वीकृत व्यय

धारा 37 यद्यपि साधारण व्ययों की कटौती से सम्बन्धित है, किन्तु कुछ व्यय ऐसे हैं जिन पर कुछ प्रतिबन्ध लगे हुये हैं। ये व्यय व इनसे सम्बन्धित प्रतिबन्ध इस प्रकार हैं :

1. **मनोरंजन व्यय** (Entertainment expenses) [37 (2A)] :—यह वे व्यय होते हैं जो व्यापार संस्थान द्वारा ग्राहकों के जलपान एवं उनके स्वागत आदि पर व्यय किए जाते हैं। ऐसे खर्चे व्यापार संचालन में आवश्यक माने जाते हैं। मनोरंजन व्यय के अन्तर्गत प्रत्येक प्रकार के आदर सत्कार पर किया गया व्यय चाहे वह किसी भी प्रसंविदा (Contract) व्यापारिक रीति रिवाज या परम्परा पर आधारित हो, आता है किन्तु

कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर प्रदत्त भोजन तथा पेय पर किया गया व्यय इसमें सम्मिलित नहीं है।

करदाता द्वारा भारत में अथवा भारत के बाहर किये गये मनोरंजन व्ययों के लिए कटौती प्रदान की जाती है किन्तु यदि ऐसा व्यय निर्धारित सीमा से अधिक है तो आधिक्य पर कटौती नहीं दी जायेगी।

मनोरंजन भत्ते के सम्बन्ध में स्वीकृत योग्य धनराशि की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार है :

अ. विकास भत्ता व विनयोग छूट एवं मनोरंजन व्ययों को घटाने, से पहले निकाले गये लाभों के प्रथम 10,00,000 रु० पर	लाभों का ½ प्रतिशत अथवा 5,000 जो भी अधिक हों।
ब. ऐसे लाभों के अगले 40,00,000 रु० पर	¼ प्रतिशत
स. शेष लाभों पर	⅛ प्रतिशत

ऐसे व्ययों की अधिकतम सीमा 50,000 रु० है।

2. **विज्ञापन व्यय** (Advertisement Expenses) (Sec. 37 (2B) & rule (6B)

अ. राजनैतिक पार्टी को स्मारिका में दिये विज्ञापन पर हुआ व्यय (Advertisement Souvenir of Political party) [37 (2B)] : किसी भी दशा में वे व्यय स्वीकार नहीं होंगे जो कि किसी राजनीतिक पार्टी की स्मारिका में अपने विज्ञापन को छपवाने में किये गये हैं। स्मारिका को किसी भी नाम से जाना जा सकता है जैसे स्मारिका, पेमप्लेट अथवा ब्रोचर आदि।

ब. विज्ञापन व्यय (Advertisement expenses) [Rule 6B] ; विज्ञापन पर किये गये व्यय आयकर नियमों द्वारा निर्धारित शर्तों एवं सीमाओं के अन्तर्गत ही स्वीकार्य होता है। इस सम्बन्ध में प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं :

a) विज्ञापन के लिये भेंट के रूप में दी गई वस्तुओं का मूल्य 50रु० प्रति वस्तु से अधिक नहीं होगा। अधिक होने पर आधिक्य को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

b) देश के बाहर विदेशी मुद्रा में किये जाने वाले विज्ञापन व्यय उसी सीमा तक स्वीकृत होंगे, जितनी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्वीकृत मिली हो।

c) आयकर अधिकारी को विज्ञापन व्यय, का वह भाग अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है जो उसकी सम्पत्ति में करदाता के व्यापार की आवश्यकताओं एवं ऐसे व्यय से प्राप्त लाभों को ध्यान में रखते हुए अनुचित एवं अत्यधिक है, किन्तु ऐसी अस्वीकृत निम्नलिखित दशाओं में ही हो सकती :

i. जब ऐसे व्ययों का भुगतान एक ऐसे व्यक्ति अथवा उसके किसी रिश्तेदार को किया जावे जिसका करदाता के व्यापार में सारवान हित है।

ii. जब भुगतान ऐसे व्यक्ति को किया जावे जो विज्ञापन अभिकर्त्ता का व्यापार अथवा पेशा करता है तथा उसके व्यापार में इस करदाता का सारवान हित है।

टिप्पणी— एक व्यक्ति का किसी व्यापार में सारवन हित तब माना जाता है जबकि उसे व्यापार के लाभों में कम से कम 20% लाभ पाने का अधिकार होता हैं कम्पनी की दशा में इस व्यक्ति के पास की कम्पनी की कुल मतदान शक्ति का कम से कम 20% होना चाहिए।

3. अतिथि-गृह पर किये व्यय (Expenses on Guest Houses)—किसी भी कर-दाता द्वारा अपने अतिथि-गृहों पर किये गये व्यय व्यापारिक व्यय नहीं माने जाएँगे व इनके लिए कोई कटौती स्वीकृत नहीं होगी। अतिथि-गृहों के भवनों तथा उसमें प्रयुक्त अन्य सम्पत्तियों के लिये ह्रास सम्बन्धी कोई कटौती (जिसके सम्बन्ध में विस्तृत विवरण अगले अध्याय में दिया गया है) स्वीकृत नहीं होगी।

यह व्यवस्था उन अतिथि गृहों के लिए लागू नहीं होगी जो अवकाश गृहों (Holiday homes) की भाँति रखे जाते हैं।

टिप्पणी—करदाता द्वारा अपने कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्तियों के लिये किसी होटल में कोई स्थान गतवर्ष में यदि 182 दिन अथवा अधिक के लिए सुरक्षित रखा गया है तो उस स्थान के लिये किया गया व्यय अतिथि-गृहों के लिए किया गया माना जावेगा। भुगतान किया गया किराया अतिथि-गृह पर हुआ व्यय माना जाता है, अतः अस्वीकृत होगा।

४. अवकाश गृह (Holiday Homes)—अतिथि गृह वाली व्यवस्था अवकाश गृहों के लिये लागू नहीं होती अर्थात् अवकाश गृहों पर किये व्यय स्वीकृत होंगे बशर्ते कि :—

क. यह ऐसे करदाता द्वारा रखे जाते हैं जिसके व्यापार में गतवर्ष में कम से कम 100 पूर्णकालिक कर्मचारी कार्य करते रहे हों; तथा

ख. ऐसे अवकाश-गृह इन्हीं कर्मचारियों के लाभार्थ रखे जाते हैं जिससे वे अवकाश लेकर इन अवकाश-गृहों का लाभ उठा सके।

5. यात्रा व्यय (Travelling expenses) :

A. **विदेशी यात्रा**—करदाता द्वारा अथवा अपने कर्मचारी द्वारा व्यापार व पेशे के उद्देश्य से की गई विदेशी यात्रा का व्यय स्वीकृत होगा। यह यात्रा यदि कुछ व्यक्तिगत उद्देश्य के साथ जुड़ी हुई है तो विदेशी यात्रा पर किया गया व्यय आयकर अधिकारी द्वारा व्यापार व्यक्तिगत उद्देश्यों में विभाजित कर दिया जायगा। व्यापार से सम्बन्धित व्यय स्वीकृत होता है। व्यय की राशि रिजर्व बैंक से स्वीकृत अर्थात् प्राप्त राशि तक ही कटौती योग्य होगी।

B. **भारत में यात्रा**—करदाता अथवा उसके कर्मचारी द्वारा अपनी यात्रा पर किये गए व्यय निम्न सीमा तक ही स्वीकृत होते हैं।

अ. रेल, सड़क वायुयान व जलयान द्वारा सम्पन्न की गई यात्रा पर वास्तविक किराया पूरा स्वीकार्य होता है।

ब. अन्य व्यय (जिसमें होटल के व्यय भी सम्मिलित हैं)

a) 1,000 रु० मासिक अथवा अधिक पाने वाले कर्मचारी के लिये	150 रु० प्रतिदिन
b) किसी अन्य कर्मचारी के लिए	75 रु० प्रतिदिन
c) किसी अन्य व्यक्ति (कर्मचारी के अतिरिक्त) के लिए	उन कर्मचारियों को स्वीकृत भत्ते की दरों के अनुसार जिन्हें सबसे अधिक वेतन मिलता है।

दिल्ली, कलकत्ता व बम्बई की यात्रा की दशा में 75 रु० के स्थान पर 100 रु० प्रतिदिन एवं 150 रु० के स्थान पर 200 रु० प्रतिदिन तक राशि स्वीकृत होगी।

यदि करदाता या उसका कोई कर्मचारी करदाता द्वारा संचालित किसी अतिथि गृह में निःशुल्क ठहरता है और भोजन करता है तो कटौती उपरोक्त सीमा के $\frac{1}{3}$ भाग और यदि वहाँ केवल ठहरने की व्यवस्था हो तो कटौती उपरोक्त सीमा के $\frac{1}{2}$ भाग के बराबर दी जायेगी।

6. संबन्धी या सहयोगी संस्था को किये गये भुगतान—धारा 40A(2) में आयकर अधिकारी को यह अधिकार दिया हुआ है कि वह किसी भी व्यय को अस्वीकृत कर सकता है यदि उसकी दृष्टि में व्यापार की आवश्यकताओं व ऐसे व्ययों से प्राप्त लाभों को देखते हुए ये व्यय अनुचित है। ये व्यय उसी समय अस्वीकृत होंगे जबकि इनका भुगतान करदाता के अपने जीवन साथी, भाई-बहन या वंशानुगत रिश्तेदारों को अथवा सहयोगी संस्थाओं को किया गया हो; कम्पनी की दशा में संचालकों, उनके परिवार के सदस्यों तथा उनके सम्बन्धियों को किये गये भुगतानों की उचित राशि की कटौती ही दी जायेगी।

7. 2,500 रु० से अधिक का भुगतान—करदाता ने यदि कुछ ऐसे व्यय किये हैं जिनका भुगतान 2,500 रु० से अधिक का होता है तो ये व्यय उसी समय स्वीकृत होंगे जबकि भुगतान रेखांकित चैक अथवा रेखांकित माँग ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है। भुगतान यदि अन्य ढ़ग से किया गया है तो इसे अस्वीकृत कर दिया जायेगा। भुगतान यदि किसी ऐसे स्थान में किया जाता है जहाँ बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं अथवा जब यह भुगतान सरकार को अथवा सरकारी एवं स्वायत्वशासी संस्थाओं को किया जाता है तो चैक की पाबन्दी लागू नहीं होगी। यदि करदाता आयकर अधिकारी को इस बात से संतुष्ट कर दे कि किसी असाधारण परिस्थिति के कारण भुगतान रेखांकित चैक अथवा ड्राफ्ट द्वारा करना सम्भव नहीं हो पाया था एवं भुगतान वास्तव में किया गया तो ऐसा व्यय स्वीकार कर लिया जायेगा।

यदि किसी व्यय की कटौती मिलने के बाद किसी वर्ष व्यय का भुगतान नकद कर दिया जाता है तो उस पिछले वर्ष के कर निर्धारण को पुनः खोलकर इस प्रकार के भुगतान को अस्वीकृत कर दिया जाता है।

8. पारिश्रमिक पर अधिकतम सीमा (Ceilling on Remmuneration) : धारा 40A (5) के अधीन भारत में कर्मचारियों का अधिकतम वेतन 7,500 रु० मासिक व अनुलाभों की अधिकतम सीमा 1,000 रु० मासिक अथवा वेतन की 20% जो दोनों में से कम हो निश्चित की गई है। इससे अधिक का भुगतान होने पर आधिक्य को स्वीकृत कटौती नहीं माना जा सकता।

टिप्पणी। (i) यदि व्यापार प्रारम्भ करने से ठीक पूर्व के तीन वर्षों में एक या एक से अधिक वर्षों में वैज्ञानिक शोध में लगे हुये कर्मचारियों का वेतन भी व्यापार प्रारम्भ होने वाले गतवर्ष का व्यय माना जाता है। ऐसे कर्मचारियों को कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से सम्बन्धित गतवर्ष की अवधि के लिये प्रतिमाह 7,500 रु० तक का वेतन कटौती योग्य हैं जबकि कर निर्धारण वर्ष 1984-85 एवं इसके पूर्व के कर निर्धारण वर्षों से सम्बन्धित गतवर्ष की अवधि के लिए 5,000 रु० प्रतिमाह का वेतन ही कटौती योग्य होगा।

(ii) किसी भूतपूर्व कर्मचारी को जिसने गतवर्ष के तुरन्त पूर्व के 24 माह में किसी भी समय करदाता के यहाँ सेवा प्रदान की है, एक वर्ष में पेंशन, शुल्क, वेतन आदि के रूप में भुगतान की गई कुल राशि 90,000 रु० से अधिक स्वीकार्य नहीं होगी।

9. वैधानिक कोषों के अतिरिक्त अन्य कोषों में नियोक्ता के अंशदान पर प्रतिबन्ध (Restrictions on Contributions by employers to non Statutory Funds) : नियोक्ता के द्वारा प्रमाणित प्राविडेंन्ट फन्ड, सुपर एनुएशन फन्ड, अनुमोदित ग्रेच्युटी फन्ड अथवा किसी कानून के अन्तर्गत आवश्यक कोष के अतिरिक्त यदि किसी कोष में कोई अंशदान किया जाता है तो उसके सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं मिलेगी।

10. ग्रेच्युटी के लिये संचय (Provision for gratuity) : धारा 40A(7) में स्पष्ट संकेत है कि ग्रेच्युटी के लिए बनाया गया संचय व इससे हस्ताँतरित राशि को कटौती योग्य नहीं माना जा सकता। गतवर्ष में ग्रेच्युटी के लिए यदि कोई आयोजन किया गया है तो यह कटौती योग्य होगा।

11. कर, शुल्क तथा कर्मचारी के कल्याण हेतु निधि को भुगतान (Payments made for Tax Duty or Funds for the wefare of employees) [धारा 43 B] : कर निर्धारण वर्ष 1984-85 से कर, शुल्क एवं भविष्य निधि, सुपरऐनुऐशन निधि, उपदान निधि और कर्मचारियों के कल्याण के लिए अन्य किसी निधि में नियोक्ता के अंशदान की कटौती उस गतवर्ष में कटौती योग्य होगी जिस गतवर्ष में ऐसा भुगतान किया गया है चाहे ऐसी राशियां किसी भी गतवर्ष से सम्बन्धित हो।

कर निर्धारण वर्ष 1983-84 तक जो राशियाँ देय आधार पर स्वीकृत की जा चुकी है उनकी भुगतान करने पर दोबारा कटौती नहीं दी जायेगी।

12. अपील आदि के व्यय धारा [धारा 40 A (12)] : किसी करदाता द्वारा अपने कर्मचारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत किसी आयकर प्राधिकारी अथवा निबटारा कमीशन अथवा सक्षम प्राधिकारी अथवा अपीलेट ट्रिब्यूनल अथवा किसी न्यायालय के समक्ष कर, अर्थदण्ड, ब्याज अथवा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अन्य किसी मामले में चल रही कार्य वाही के सम्बन्ध में (आयकर के नक्शे को तैयार करने के अतिरिक्त) सेवाओं के लिये अथवा कर, ब्याज, अर्थदण्ड एवं आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अन्य किसी मामले के लिए कोई सलाह देने के लिए कोई शुल्क अथवा पारिश्रमिक दिया जाता है तो किसी भी कर निर्धारण वर्ष में 10,000 रु० से अधिक की कटौती नहीं दी जायेगी।

IV स्वीकृत हानियां :—

करदाता के व्यापार अथवा पेशे के लाभ की गणना करते समय कुछ हानियां स्वीकृत होती है। ऐसी हानियों के कुछ उदाहरण निम्न हैं :—

1. अग्नि से स्टॉक की हानि (Wotamal Jathumal v. CIT (1947) 15 ITR 1551]
2. दीमक द्वारा हानि।
3. व्यापार के दौरान डकैती से हानि। कर्मचारी को बैंक में धन जमा कराने या उसका वितरण करने के लिए धन ले जाते समय यदि लूट लिया जाता है तो हानि कटौती योग्य होगी।
4. करदाता को जमानत देने के कारण हुई हानि, यदि जमानत व्यापारिक प्रथा के अनुसार दी जाती है।
5. करदाता द्वारा किसी प्रसंविदे के अन्तर्गत दी गई अग्रिम राशि जो प्रसंविदे में किसी गड़बड़ी के कारण जप्त कर ली गई है।
6. व्यापार के कर्मचारियों द्वारा किया गया गबन।

V व्यय जो स्पष्टतया अस्वीकृत है (Expenses Expressly Disallowed) [धारा 40]

धारा 40 के अनुसार 'व्यापार' अथवा पेशे के लाभों की गणना करते समय निम्नलिखित व्ययों को स्वीकृत नहीं किया जाता—

1. कोई ऐसी व्याज की राशि जो आयकर अधिनियम के अन्तर्गत करयोग्य है व करदाता द्वारा भारत के बाहर किसी व्यक्ति को दी गई है किन्तु न तो इसमें से निर्धारित दर से उद्गम स्थान पर आयकर काटा गया है और न व्याज पाने वाले व्यक्ति का ऐसा कोई प्रतिनिधि भारत में है जिससे आयकर की वसूली की जा सके, कटौती योग्य नहीं है।

2. व्यापार अथवा पेशे के लाभों पर दिया गया कोई अन्य कर, जिसकी गणना लाभों के प्रतिशत के रूप में होती है।

3. व्यापार अथवा पेशे की किसी सम्पत्ति पर दिये जाने वाले धनकर की कटौती नहीं दी जाती है।

4. भारत के वाहर चुकाया गया वेतन यदि इनमें से उद्गम स्थान पर आयकर नहीं काटा गया है तथा वेतन पाने वाले व्यक्ति का कोई ऐसा प्रतिनिधि भी भारत में नहीं है जिससे आयकर की वसूली की जा सके।

5. प्राविडेंट फण्ड अथवा किसी ऐसे ही अन्य फण्ड में दिया गया नियोक्ता का अंशदान यदि करदाता ने ऐसे फण्ड में से कर्मचारी को किये जाने वाले भुगतान के समय उद्गम स्थान पर आयकर काटने की व्यवस्था नहीं की है जबकि ये रकम कर्मचारी के हाथों में करयोग्य है।

मानी गई आय (Deemed Income)

1. नकद साख (Cash Credit) [धारा 68] : कुछ करदाता कुछ खरीद विक्री अपने हिसाब की पुस्तकों में न दिखाकर लाभोपार्जन करते हैं यह लाभ साधारण भाषा में काली आय (Black Money) कहलाता है। इस लाभ को व्यापार की पुस्तकों में लाने का एक प्रचलित ढंग यह है कि वहुत से व्यक्तियों के नाम में इस आशय से रुपया जमा कर लिया जाता है। वास्तविकता में ये व्यक्ति या तो कल्पित होते हैं अथवा उनके अपने आर्थिक साधन इन ऋणों को न्यायोचित नहीं ठहरा पाते। ऐसी जमा रकमें जव आयकर अधिकारी की दृष्टि में आती है तो वह करदाता से इन रकमों की प्रकृति व स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। यदि करदाता अपने स्पष्टीकरण से आयकर अधिकारी को संतुष्ट नहीं कर पाता तो ये सभी रकमें करदाता की आय मानी जाती हैं तथा करयोग्य होती हैं।

2. स्पष्ट न किए जाने वाले विनियोग (Unexplande investment) [धारा 69] आयकर अधिकारी को करदाता के पास से कुछ ऐसे विविनियोग प्राप्त होते हैं जिनका उल्लेख उसके बही खाते में नही मिलता और न करदाता इन विनियोगों की प्रकृति व स्रोत के बारे में आयकर अधिकारी को संतुष्ट ही कर पाता है तो ऐसी स्थिति में धारा 69 के अन्तर्गत इन विनियोगो का मूल्य करदाता की उस वर्ष की आय में जोड़ दिया जाता है जिस गतवर्ष में ये आयकर अधिकारी की जानकारी में आते हैं।

3. स्पष्ट न किया गया धन आदि (Unexplained money etc.) [धारा 69A]. किसी वित्त वर्ष में आयकर अधिकारी को करदाता के पास यदि कोई ऐसा धन, जेवर, सोना, चाँदी या अन्य बहुमूल्य वस्तुयें आदि मिलती हैं जिनको उसने अपने वही खाते में नहीं दिखाया है तथा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण देकर वह आयकर अधिकारी को सन्तुष्ट नहीं कर सका है तो इन सभी के मूल्यों का योग करदाता की गतवर्ष की आय मानी जाती है व इसको कुल आय में शामिल किया जाता है।

4. ऐसे विनियोग आदि जिनको वही खाते में पूरा नही दिखाया गया (Investment not disclosed in accounts) [धारा 69B] : इसके अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था है कि यदि करदाता ने किसी वित्त वर्ष में कुछ धन, सोना, चाँदी, अथवा बहुमूल्य वस्तुओं का क्रय करने में व्यय किया है अथवा कुछ धन विनियोगों में लगाया है व इन सबके प्राप्त करने में जो धन लगा है उसका सम्पूर्ण विवरण उसके वही खातों में नहीं मिलता तो जिस रकम का उल्लेख वही खातों में नहीं है उस रकम को गतवर्ष की आय माना जाता हैं तथा कुल आय में जोड़ दिया जाता है।

5. अस्पष्ट व्यय (Unexplained expenditure) [धारा 69C] : करदाता द्वारा वित्त वर्ष में यदि कोई ऐसे व्यय किये गये हैं जिनको न तो करदाता ने अपनी हिसाब की पुस्तकों में दिखाया है और न उस धन की प्राप्ति के बारे में कोई सन्तोष जनक उत्तर ही दे सका है, वो वह धनराशि जिसके व्यय के बारे में आयकर अधिकारी को करदाता के उत्तर से सन्तोष नहीं है, करदाता की उस गतवर्ष की आय मानी जायेगी उदाहरणार्थ करदाता ने यदि 1985-86 में अपनी पुत्री की शादी में 50,000 रु० व्यय किया है इसके लिए आयकर अधिकारी ने जानकारी प्राप्त करनी चाही किन्तु करदाता केवल 10,000 रु० के बारे में ही सन्तोषजनक उत्तर दे सका, अतः 40,000 रु० की राशि करदाता की 1985-86 गतवर्ष की आय मानी जायेगी।

6. हुण्डी पर ली गई अथवा दी गई राशि (Amount borrowed or repaid on Hundi) [धारा 69D] :— किसी व्यक्ति ने यदि हुण्डी पर किसी पक्ष से रुपया उधार लिया है अथवा उधार ली गई राशि का भुगतान किया है किन्तु इसे Account Payee Cheque द्वारा न लिया व दिया जाकर किसी और तरह लिया व दिया गया है तो इसे उस व्यक्ति की गतवर्ष की आय मान लिया जावेगा जिसने रुपया उधार लिया है अथवा जिसने हुण्डी का भुगतान किया है, जैसी भी स्थिति हो।

अन्तिम स्टाक का मूल्यांकन (Valuation of Stock)

व्यापार अथवा पेशे के लाभों की गणना करते समय अन्तिम स्टाक के मूल्यांकन का काफी महत्व है। करदाता लागत मूल्य व बाजार मूल्य में जो भी कम रकम हो, उसके आधार पर अपने स्टाक का मूल्यांकन कर सकता है। परन्तु इस वर्ष अन्तिम स्टाक का जो मूल्य होगा वहीं मूल्य अगले वर्ष के प्रारम्भिक स्टाक का होगा। करदाता इन दोनों रकमों में परिवर्तन नहीं कर सकता। एक बात इस सम्बन्ध में ध्यान रखने योग्य यह है कि एक बार जो सिद्धान्त काम में लाया जाता है वही सिद्धान्त आगे भी काम में लाया जाता रहेगा जब तक कि सिद्धान्त के बदलने की अनुमति आयकर अधिकारी से प्राप्त नहीं हो जाती।

जीवन बीमा व्यवसाय आदि के सम्बन्ध में कमीशन अर्जित करने वालों को स्वीकृत कटौती : सामान्यतः जीवन बीमा व्यवसाय के प्रतिनिधियों को व्यवसाय प्राप्त करने के

सम्बन्ध में अधिक व्यय करना पड़ता है और इसीलिये उनकी ऐसी आयों के सम्बन्ध में कटौती पूर्ण न्याय पूर्ण है जो निम्न प्रकार है :

1. जहाँ प्रतिनिधि से नियमित रूप से खाते रखे हैं तो ऐसे व्यय पूर्णतः कटौती योग्य हैं

2. जहाँ व्ययों के सम्बन्ध में विस्तृत खाते नियमित रूप से नहीं रखे जाते हैं वहाँ कटौती निम्न प्रकार होगी :

i. प्रथम वर्ष के कमीशन के 40% की दर से विशेष उद्देश्य के लिए कटौती और नवीनीकरण कमीशन का 15% जहाँ प्रथक रूप से राशियाँ दी हुई हैं।

ii. कुल अर्जित कमीशन का 25% जहाँ प्रथक रूप से राशियाँ दी हुई न हों।

उपर्युक्त कटौती की अधिकतम सीमा 6,000 रु० है यदि सकल बीमा कमीशन एक वर्ष में 20,000 रुपये से अधिक नहीं है। जहाँ एक वर्ष में सकल बीमा कमीशन 20,000 रुपये से अधिक है और अधिक कटौती के लिये परिस्थितियाँ न्याय पूर्ण हैं तो कटौती की यह सीमा 10,000 रु० तक हो सकती है।

अधिकृत प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में बेचे गये राष्ट्रीय प्रमाण पत्र पर अर्जित की गई कमीशन को अर्जित कमीशन के 40% तक कम करने का अधिकार प्राप्त है। यह कटौती बहुत सी डाक बचत योजनाओं व सार्वजनिक प्रमाणित फण्ड योजना में भी लागू की जाती है।

व्यापार अथवा पेशे के लाभों की गणना :—

जब लाभ हानि खाता दिया होता है (Where Profit and Loss Account is given)—जब लाभ-हानि खाता दिया होता है तो करयोग्य लाभ निम्नलिखित ढंग से निकालते हैं :—

1. लाभ-हानि खाते में दिखाये गये लाभ को आधार बनाइये।

2. ऐसे समस्त व्यय जो लाभ-हानि खाते के डेबिट में दिखाये गये हैं किन्तु इस शीर्षक की आय की गणना हेतु कटौती योग्य नहीं है उन्हें लाभों में जोड़ दीजिए।

3. ऐसे व्यय जो शीर्षक की आय की गणना करने में कटौती योग्य हैं किन्तु इन्हें लाभ-हानि खाते में नहीं दिखाया गया है अथवा कम दिखाया गया है, लाभों में से कम कर दीजिए।

4. ऐसी आयें जो लाभ-हानि खाते के क्रेडिट में दिखाई गई हैं किन्तु इस शीर्षक में कर योग्य नहीं है, लाभों में से घटा दीजिए।

5. ऐसी आयें जो इस शीर्षक में करयोग्य हैं किन्तु लाभ-हानि खाते के क्रेडिट में नहीं दिखाई गई है अथवा कम दिखाई गई हैं लाभों में जोड़ दीजिए।

इस प्रकार से उपर्युक्त समायोजनाओं के पश्चात् जो धनराशि रहती है वही व्यापार का करयोग्य लाभ होता है।

जब नकद व्यवहारों का सारांश दिया होता है (Where the summary of cash transactions is available)—जब हमें ऐसे करदाताओं के खाते देखने पड़ते हैं, जो किसी पेशे जैसे डाक्टरी, वकालत आदि में लगे हुए हैं तो प्रायः उनके द्वारा वर्ष भर में हुए रोकड़ी व्यवहारों का सारांश प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसके डेबिट में वे सभी रकमें होती हैं जो वर्ष के दौरान में मिली हैं तथा क्रेडिट में वह राशियाँ होती हैं जिनका भुगतान किया गया है। यह प्राप्तियाँ व भुगतान मिश्रित होते हैं जिनमें आयगत पूँजी

गत वैयक्तिक आदि प्राप्तियाँ एवं भुगतान सम्मिलित होते हैं। इनसे कर-योग्य लाभों की गणना निम्नलिखित ढंग से की जा सकती है :

1. रोकड़ खाते के डेबिट पर दृष्टि डालिए तथा व्यापार अथवा व्यवसाय से सम्बन्धित आय को छांटकर जोड़ लीजिए। पूँजी प्राप्तियों जैसे फर्नीचर की बिक्री आदि को इसमें शामिल मत कीजिए। यह हुई व्यवसाय से सकल आय।

2. इसके क्रेडिट की ओर दृष्टि डालिए व व्यापार अथवा व्यवसाय से सम्बन्धित व्ययों को छांट कर जोड़ लगा लें लेकिन पूँजी व्ययों को छोड़ दीजिए।

3. रोकड़ व्यवहारों के सारांश के नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर निजी व पारिवारिक व्ययों को अलग कर लीजिए।

4. अपरिलिखित (1) के अन्तर्गत आये योग में से (2) के अधीन आये व्ययों को घटा दें। इस प्रकार पेशे की आय की गणना की जायेगी।

उदाहरण (Illustration) 1 : श्री कस्तुर चन्द का 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता निम्नांकित है।

Following in the profit and loss account of Shri Kastur chand for the year ending 31st March 1986.

	Rs		Rs.
To Salaries	30,000	By Gross profit b/d	1,50,000
,, Office expenses	15,000	,, Interest on securities (gross)	1,500
,, Collection charges on Interest on securities	50	,, Rent from house property	5,000
,, Commission on sales	12,000		
,, Family planning expenses	5,000		
,, Entertainment expenses	6,000		
,, Municipal taxes for let out house	500		
Repairs	3,000		
,, Bad debts	8,500		
,, Net Profit	76,450		
	1,56,500		1,56,500

डूबत ऋणों में 1,500 रु० की ऐसी धनराशि सम्मिलित है जिसे भविष्य में होने वाले डूबत ऋणों के लिए संचित किया गया है। परिवार नियोजन पर किये गये सम्पूर्ण व्यय आयगत हैं। आप श्री कस्तुर चन्द की 'प्रतिभूतियों से ब्याज', 'मकान सम्पत्ति से आय', व्यापार एवं पेशे के लाभ शीर्षक की आय एवं सकल कुल आय ज्ञात कीजिये।

Bad debts include Rs.1,500 for Reserve Bad debts for future. Whole of the family planning expenses are of revenue nature, Compute the taxable income under the head interest on Securities. House property, Business or profession and Gross total income of Shri Kastur chand.

हल (Solution) :

	Rs.	Rs.
Net Profit as per profit and Loss Account		76,450
Add : Expenses not allowed		
a) Collection charges on interest on securities	50	
b) Municipal taxes	500	
c) Bad debts reserve	1,500	
d) Family Planning Expenses	5,000	
e) Entertainment Exp.	1,000	8,050
		84,500

Less : Income to be shown separately :		
a) Interest on securities	1,500	
b) Rent from house property	5,000	6,500
Taxable Profits from Business		**78,000**

Computation Gross of Total Income

1. Interest on securities	1,500	
Less : collection charges	50	1,450
2. Rent from house property	5,000	
Municipal taxes	500	
Annual Value	4,500	
Less : 1/6th for repairs	750	3,750
3. Profits from business (as computed above)		78,000
Gross Total Income		**83,200**

टिप्पणी : 1. परिवार नियोजन के लिए किये गये व्ययों की कटौती केवल कम्पनी करदाता को ही मिलती है।

(2) व्यापार के लाभ चूंकि 10 लाख रु० से कम है अतः मनोरंजन व्यय अधिकतम 5,000 रु० तक ही स्वीकृत है।

उदाहरण (Illustration) 2. लोकोपकारक फार्मेस्यूटिकल वर्क्स एक एकाकी व्यापार है जो भारतीय ढंग की दवायें बनाने का कारोबार करते हैं। 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये उनकी आय व व्यय नीचे दिये गये हैं :

M/s Lokopakarak Pharmacentical Works is a proprietory concern and is engaged in medicine preparations in Indian style. Their Income & Expenditure Account for the year ending 31st March, 1986 are given below :

		Rs.		Rs.
Raw materials used		1,11,000	Total receipts	5,80,500
Advertisements		1,20,000	Rental income	6,000
Scientific Research Expenses			Bad debts recovered	2,000
Revenue	10,000			
Capital	70,000	80,000		
Commission to dealers		75,700		
Embezzlement by cashier		13,300		
Sales tax paid		41,000		
Sundry expenses		10,000		
Depreciation Reserve		30,000		
Bad debts		5,000		
Bad debts Reserve		10,000		
Surplus		92,500		
		5,88,500		5,88,500

अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें इस प्रकार हैं :—

1. विज्ञापन व्ययों में साइन बोर्डों की कीमत के 1,00,000 रु० शामिल हैं, जिन्हें एजेन्टों में बांटा गया है।
2. स्वीकृत ह्रास 22,000 रु०।

3. चुकाये गये बिक्री कर में 11,000 रु० की राशि 1984-85 गतवर्ष से सम्बन्धित है जिसका भुगतान इस वर्ष किया गया।

कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये लोकोपकारक फार्मेस्यूटिकल वर्क्स के व्यपार एवं पेशे शीर्षक की आय ज्ञात कीजिये।

Other relevant information is as follows :—

		Rs.
1.	'Advertisement' include cost of permanent boards distributed amongst the agents	1,00,000
2.	Admissible depreciation	22,000
3.	Sales tax include Rs. 11,000 related to the year 1984-85 paid in this year.	

Compute gross total income of the M/s. Lokopakarak Pharmaceutical works for the assessment year 1986-87.

हल (Solution) :

Computation of Taxable profits of Business		Rs.
Surplus as per income & Expenditure Account		92,500
Add : Expenses not allowed :	Rs.	
Depreciation reserve	30,000	
Bed debts reserve	10,000	
Capital expenditure on advertisement	1,00,000	1,40,000
		2,32,500
Less ; Admissible depreciation		22,000
		2,10,500
Less ; Rental income not taxable in this head		6,000
Taxable profits of Business		2,04,500

टिप्पणी : 1. रोकड़िये द्वारा गबन एक स्वीकृत व्यय है।

2. कोई संचय कटौती योग्य नहीं है अतः डूबत ऋण संचय एवं ह्रास संचय अस्वीकृत किया गया है।

3. साइन बोर्ड पर व्यय पूंजीगत है अतः अस्वीकृत है इस पर ह्रास की कटौती स्वीकृत होती है यह माना गया है कि इस पर ह्रास स्वीकृत ह्रास में सम्मिलित है।

4. वैज्ञानिक अनुसंधान के पूंजीगत एवं आयगत व्यय स्वीकृत व्यय हैं।

5. बिक्री कर की कटौती उस गतवर्ष में दी जाती है जबकि इसका भुगतान किया गया हो अतः गतवर्ष 1984-85 के बिक्री कर की राशि इस गतवर्ष में कटौती योग्य है।

6. डूबत ऋण की वसूली करयोग्य आय है। यह माना गया है कि पूर्व वर्षों में डूबत ऋण स्वीकृत किया गया था। इस वर्ष के डूबत ऋण की राशि स्वीकृत मानी गई हैं।

उदाहरण (Ilustration) 3 : डा० (श्रीमती) शोभा शर्मा लखनऊ में चिकित्सक हैं। उन्होंने 31 दिसम्बर 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अपनी आय व्यय का लेखा इस प्रकार बनाया है :—

Dr. (Mrs.) Shobha Sharma, a medical practitioner of Lucknow prepare her Income and Expenditure Account for the year ending 31st December, 1985 as follows :

Expenditure	Rs.	Income	Rs.
Cost of medicines	10,300	Dispensary receipts	16,430
Salaries and Wages	12,000	Consultation charges	12,300
Laboratory expenses	5,000	Visits	9,250
Furniture bought	8,000	Pathological tests	8,500
Rent of Clinic	5,000	Salary from Civil Hospital	14,000
Donation to Janta Party	1,100	Interest on Post Office Savings Bank A/c	200
Subscription to All India Medical Association	200	Gifts from Patients	5,000
Household expenses	8,800	Gifts from husband (who is a doctor)	2,000
Car expenses	6,000		
Surplus	11,280		
	67,680		67,680

कार के खर्चों में एक तिहाई व्यक्तिगत प्रयोग से सम्बन्धित है। मरीजों से उपहार में 2,000 रु० ऐसे हैं जो श्रीमती शर्मा को अपने पिता से व्यक्तिगत उपहार के रूप में प्राप्त हुए है। वेतन में एक अन्धे कर्मचारी को दिया गया 600 रु० प्रतिमाह वेतन सम्मिलित है। उनकी व्यापार अथवा पेशे से सम्बन्धित कर-योग्य मानते हुये निकालिये कि फर्नीचर पर स्वीकृत ह्रास 800 रु० है।

⅓rd. of the car expenses are incurred on private use. Gifts from patients include an amount of Rs. 2,000 which Mrs. Sharma has received from her father in personal capacity. Salary includes Rs. 600 per month paid to an employee who is totally bilind. You are required to compute her income for business profession if depreciation allowable on furniture is Rs. 1,200.

(Adopted Andhra B. Com. 1980 modified)

हल (Solution) : Compution of taxable Profits from the profession for the assessment year 1986-87 Total receipts from profession

	Rs.	Rs.
1. Dispensary Receipt	16,430	
2. Consultation charges	12,300	
3. Visits	9,250	
4. Pathological tests	8,500	
5. Gifts from patients (5,000—2,000)	3,000	
		49,480
Less : Admissible Expenses		
1. Cost of Medicines	10,300	
2. Salaries and wages	12,000	
3. Laboratory expenses	5,000	
4. Rent of Clinic	5,000	
5. Subscription to Medical Association	200	
6. Car expenses (6,000—2,000)	4,000	
7. Depreciation on furniture	1,200	37,700
Total gains from profession		11,880

1. पेशे के दौरान मरीजों से उपहार कर-योग्य हैं किन्तु व्यक्तिगत क्षमता में मिले उपहार करयोग्य नहीं होंगे।

2. कार के निजी प्रयोग सम्बन्धी व्यय एवं दान अस्वीकृत होंगे।

3. सिविल हॉस्पीटल से प्राप्त वेतन शीर्षक में करयोग्य हैं।

4. पति से प्राप्त उपहार कर-योग्य नहीं हैं।

उदाहरण (Illustration) 4 : श्रीमती गीता भार्गव अलीगढ़ में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हैं तथा प्रैक्टिस करती हैं। वह एक निजी अकाउन्टेन्सी की शिक्षा संस्था भी चलाती हैं तथा अपना हिसाब-किताब रोकड़ आधार पर रखती हैं। 31 मार्च 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उनके रोकड़ी लेन-देन का सारांश नीचे दिया गया है।

	रु०		रु०
शेष आगे लाया गया	1,790	फर्नीचर खरीदा	10,000
आडिट शुल्क	19,210	आफिस के खर्चे	10,000
परामर्श शुल्क	10,000	आफिस के लिये दिया गया किराया	5,000
अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने का शुल्क	15,000	वेतन मजदूरी	12,050
विविध	20,000	स्टेशनरी व छपाई	1,000
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज शुद्ध	9,000	हरीश से ऋण लेने के सम्बन्धमें व्यय	200
प्राप्त किराया	10,000	शिक्षण संस्था के व्यय	12,000
मुवक्किलों से उपहार	10,000	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इन्स्टीट्यूट को दिया गया चन्दा	2,800
हरीश से पेशे के लिये ऋण	20,000	विविध व्यय	1,300
शिक्षण संस्था चलाने से प्राप्त राशि	35,000	यात्रा व्यय	5,800
		बैंकों से लिये ऋण पर ब्याज	3,000
		राष्ट्रीय रक्षा कोष में दान	5,000
		आधिक्य	81,850
	1,50,000		1,50,000

अन्य सूचनायें :—

कार्यालय व्ययों में 2,000 रु० का भुगतान वित्तीय वर्ष 1984-85 से सम्बन्धित है। वेतन एवं मजदूरी में 2,000 रु० 31 मार्च 1986 को अदत्त थे। 31 मार्च 1985 को उनके कार्यालय फर्नीचर का अपलिखित मूल्य 7,200 रु० था। फर्नीचर पर ह्रास की स्वीकृत दर 10% है।

श्रीमती भार्गव जिस मकान में रहती हैं उस मकान को बनवाने के लिए बैंक से ऋण लिया गया था मकान का नगरपालिका मूल्यांकन 8,000 रु०, हैं जिस पर स्थानीय करों के 800 रु० वार्षिक दिये गये हैं जो विविध व्ययों में सम्मिलित हैं। यात्रा व्यय का 1/4 भाग अस्वीकृत है। श्रीमती भार्गव की पेशे से आय कर निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये ज्ञात कीजिए।

Following is the summary of cash transaction for the year ending 31st March, 1986 of Mrs. Gita Bhargava, a practising Chartered Accountant of Aligarh. She also runs a private accountancy Coaching Institute and keeps her books on cash basis.

	Rs.		Rs.
Balance b/d	1,790	Purchase of furniture for office	10,000
Audit fees	19,210	Office expenses	10,000
Consultation	10,000	Rent paid for office	5,000
Appellate Tribunal appearance	15,000	Salaries and wages	12,050
Miscellaneous	20,000	Stationery & Printing	1,000
Interest on Govt. Securities (Net)	9,000	Expenses for obtaining loan from Harish	200
Rent received	10,000	Institute Expenses	12,000
Presents from clients	10,000	Subscription to Institute of Chartered Accountants	2,800
Loan from Harish	20,000	Miscellaneous expenses	1,300
Institute fees	35,000	Travelling expenses	5,800
		Interest to bank on loan	3,000
		Donation to National Defence Fund	5,000
		Surplus	81,850
	1,50,000		1,50,000

Other Informations :—Office expenses include Rs 2,000 relating to the financial year 1984-85. Salary and wages are outstanding on 31st March 1986 amounting to Rs. 2,000. Written down value of her office furniture was Rs. 7,200. Rate of Depreciation allowed on furniture is 10%. Loan from bank was arranged for constructing a house in which Mrs. Bhargava resides. Municipal value of the house is Rs. 8,000 and local taxes Paid on it included in Miscellaneous expenses amounting to Rs. 800. 1/4th of the travelling expenses are found to be not allowable. Compute professional income of Mrs. Bhargava for the assessment year 1986-87.

हल (Solution) : Computation of Taxable profits of profession

	Rs.	Rs.
Gross receipts from Profession :		
1. Audit fees	19,210	
2. Consultation	10,000	
3. Appellate Tribunal appearance	15,000	
4. Miscellaneous receipts	20,000	
5. Presents from clients	10,000	1,09,210
6. Institute fees	35,000	
Admissible expenses :		
1. Office expenses	10,000	
2. Rent paid	5,000	
3. Salaries and wages	12,050	
4. Stationery and Printings	1,000	
5. Subscription	2,800	
6. Travelling expenses (5,800—1,450)	4,350	
7. Miscellaneous Expenses (1,300—800)	500	
8. Expenses for obtaining loan	200	
9. Institute expenses	12,000	
10. Depreciation allowed	1,720	49,620
Taxable Profits of Profession		59,590

टिप्पणियाँ :—1 पेशे के सम्बन्ध में लिये गये ऋण के व्यय कटौती योग्य है।

2. मुवक्किलों से प्राप्त उपहार व्यापार एवं पेशे की आय में करयोग्य होंगे।

3. राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान पेशे के व्यय नहीं है अतः अस्वीकृत है।

4. बैंकों से लिए गए ऋण पर ब्याज नगरपालिका कर की राशि की कटौती मकान सम्पत्ति शीर्षक में कटौती योग्य है यह पेशे के लिये कटौती योग्य व्यय नहीं है।

5. श्रीमती भार्गव अपना हिसाब किताब रोकड़ आधार पर रखती है अतः वित्तीय वर्ष 1984-85 के व्ययों का इस गतवर्ष में किया गया भुगतान कटौती योग्य है एवं वेतन एवं मजदूरी की अदत्त राशि इस वर्ष से संबंधित होते हुये भी कटौती योग्य नहीं है।

6. फर्नीचर पर ह्रास स्वीकृत व्यय है – फर्नीचर पर ह्रास 7,200 + 10,000 अर्थात् 17,200 रु० पर 10% की दर से ज्ञात किया गया है।

उदाहरण (Illustration) 5 : महेश मिष्ठान भण्डार, दिल्ली का व्यापार व लाभ-हानि खाता इस प्रकार है :—

	रु०		रु०
कच्चे माल का प्रारम्भिक स्टाक	21,600	विक्री	1,87,000
चीनी, मैदा व तेल	60,500	अन्तिम स्टाक	25,310
कोयला तथा अन्य ईंधन	10,200		
कारीगरों को वेतन	12,000		
सकल लाभ	1,08,010		
	2,12,310		2,12,310
आफिस स्टाफ का वेतन	12,000	सकल लाभ	1,08,010
आयकर सलाहकार की फीस	2,500	ग्राहकों से ब्याज	510
देय बिक्रीकर	12,700	बैंकों से ब्याज	3,200
व्यापारिक स्थान का किराया	5,000	किराय प्राप्त हुआ	10,700
रिहायशी मकान का किराया	3,700		
विज्ञापन	10,800		
डूबत ऋण	2,000		
नगरपालिका कर	700		
कर्मचारियों को बोनस	5,000		
टेलीफोन व्यय	13,000		
विविध व्यय	18,000		
शुद्ध लाभ	37,020		
	1,22,420		1,22,420

अन्य सूचनायें :—टेलीफोन व्ययों में 8,000 रु० की राशि नया टेलीफोन लगाने के लिए किये गये एक मुश्त भुगतान से संबंधित है शेष राशि टेलीफोन के बिलों की है। व्यापार के एक पुराने स्कुटर के बदले में नया स्कुटर प्राप्त करने के लिए किया गया 4,000 रु० का भुगतान विविध व्ययों में लिखा गया।

विविध व्ययों में 3,000 रु० अर्थ दण्ड के भी सम्मिलित हैं जो मिलावट के लिए करदाता पर लगाया गया था। आयकर अधिकारी द्वारा डूबत ऋण के 500 रु० एवं

ह्रास के 3,000 रु० स्वीकृत माने जाते हैं। आप कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए व्यापार एवं पेशे शीर्षक की करयोग्य आय की गणना कीजिए।

The Trading and Profit and Loss Account of Mahesh Sweet Bhandar, Delhi is as below :

	Rs.		Rs.
Opening Stock of raw material at cost	21,600	Sale Proceeds ..	1,87,000
Sugar, maida, oil	60,500	Closing Stock	25,310
Coal and other fuel	10,200		
Wages of cooks	12,000		
Gross Profit c/d	1,08,010		
	2,12,310		2,12,310
Salaries to Office staff	12,000	Gross Profit b/d	1,08,010
Fees to Income-tax Advisor	2,500	Interest from customers	510
Sales taxt payable	12,700	Interest from Bank	3,200
Rent of business premises	5,000	Rent received	10,700
Rent of residential house of the owner	3,700		
Advertisement	10,800		
Bab bebts	2,000		
Municipal taxes	700		
Bonus of employees.	5,000		
Telephone Exp.	13,000		
Miscellaneous	18,000		
Net Profit	37,020		
	1,22,420		1,22,420

Other Informations :—

Telephone expenses include Rs. 8,000 paid in a lumpsum for a new telephone connection and balance amount for telephone bills. A payment of Rs. 4,000 include in sundry expenses for a new scooter against the exchange of old business scooter. Miscellaneous expenses also include Rs. 3,000 paid as fine for adultration. Bad Debts Rs. 500 and depreciation Rs. 3,000 are admitted by the I I O. You are required to compute taxable income for the head Business or Profession for the assessment year 1985-86.

हल : (Solution) : Computation of Gross Total Income

	Rs.	Rs.
Net Profit as per Profit and Loss a/c		37,020
Add : Expenses disallowed		
Sales Tax payable	12,700	
Rent of residential house	3,700	
Fine for adulteration	3,000	
Municipal Taxes	700	
Bad bebts (3 000—500)	2,500	
Payments for new scooter	4,000	26,600
		63,620
Less : Expenses not shown in Profit & Loss A/c Depreciation allowed	3,000	
Less : Income to be shown separately—Rent received	10,700	13,700
Taxable profit from business		49,920

टिप्पणी :—1. आयकर सलाहकार को दी गई फीस कर निर्धारण वर्ष 1986-87 से ही 10,000 रु० की सीमा तक कटौती योग्य है।

2. व्यापार की आय की गणना में मिलावट के कारण लगाया गया अर्थदण्ड कटौती योग्य नहीं होता है।

3. बैंक से प्राप्त ब्याज के बारे में यह माना गया है कि यह व्यापार के जमा कराये गये कोषों के सम्बन्ध में है अतः इसी शीर्षक में करयोग्य है।

4. विक्री कर की कटौती भुगतान करने पर ही दी जाती है।

5. नया टेलीफोन लगाने के व्यय स्वीकृत व्यय हैं।

6. पुराने स्कुटर के बदले नये स्कुटर प्राप्त करने के लिए किया गया भुगतान पूंजीगत व्यय है अतः अस्वीकृत है किन्तु इस पर ह्रास स्वीकृत होता है। यह माना गया है कि स्कुटर पर ह्रास की राशि स्वीकृत ह्रास में सम्मिलत है।

उदाहरण (Illustration) 6 : श्री आर० बी० नायर, कोयम्बटूर में सिले हुये कपड़े बनाने व निर्यात करने का व्यवसाय करते हैं। उनका व्यापार व लाभ हानि खाता यहाँ दिया गया है जिससे आपको कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए उनकी व्यापार की करयोग्य आय ज्ञात करनी है :—

	रु०		रु०
कपड़े तथा अन्य कच्चे माल का प्रारम्भिक स्टाक	72,500	बिक्री भारत में	2,10,900
खरीद	3,40,300	निर्यात बिक्री	8,00,100
निर्माण व्यय	1,20,000	अन्तिम स्टाक	61,200
मजदूरी	2,10,000		
सकल लाभ	3,29,400		
	10,72,200		10,72,200
कार्यालय वेतन	55,300	सकल लाभ	3,29,400
अप्रमाणित प्रोविडेण्ट फण्ड में अंशदान	5,100	इकट्ठी खरीदारी के लिए मिला बोनस	50,000
ब्याज	10,000	डूबत ऋणों की वसूली	30,000
भारत में यात्रा व्यय	30,000		
लन्दन आफिस के व्यय	50,000		
विदेशी यात्रा व्यय	80,000		
पेटेण्ट अधिकारों की लागत	42,000		
डूबत ऋण	10,000		
शुद्ध लाभ	1,27,000		
	4,09,400		4,09,400

अन्य सम्बन्धित सूचना इस प्रकार है :

स्वीकृत ह्रास 7,000 रु० डूबत ऋणों की वसूली में 7,500 रु० की एक ऐसी धन-राशि सम्मिलित है जो आयकर अधिकारी ने उस समय अस्वीकृत कर दी थी जबकि डूबत ऋणों का दावा प्रस्तुत किया गया था; वेतन में 20,000 रु० की एक ऐसी राशि है जो अनिवासी करदाता को दी गई है किन्तु जिसमें से उद्गम स्थान पर आयकर नहीं काटा गया, इस अनिवासी करदाता का भारत से कोई ऐसा प्रतिनिधि भी नहीं है जिससे आयकर वसूल किया जा सके। विदेश यात्रा व्ययों में श्री आर. बी. नायर के भाई श्री मोहन लाल को जो संस्था का कर्मचारी भी है निर्यात विक्री के लिए लन्दन यात्रा के संबंध में दिये गये 15,000 रु० भी सम्मिलित है। 5,000 रु० के सिले हुये कपड़े गरीबों को दान में दिये गये।

Mr. R B. Nair Coimbatore are engaged in the business of manfuacture and export of readymade garments. Their Trading and Profit and Loss Account as drawn by them is given here, you are required to calculate taxable income of business for the assessment year 1986-87.

	Rs.		Rs.
Opening Stock of Cloth and other raw materials	72,500	Sales in India	2,10,900
Purchases	3 40,300	Export Sales	8,00,100
Manufacturing expenses	1,20,000	Closing Stock	61,200
Wages	2,10,000		
Gross Profit c/d	3,29,400		
	10,72,200		10,72,200
Office salaries	55,300	Gross Profit b/d	3,29,400
Contribution to Unrecognised provident Fund	5,100	Bonus received in respect of bulk purchases	50,000
Interest	10,000	Bad debts recovered	30,000
Travelling expenses in India	30,000		
Office expenses in London	50,000		
Travelling expenses outside India	80,000		
Cost of patent rights	42,000		
Bad debts	10,000		
Net Profit	1,27,000		
	4,09,400		4,09,400

Other relevant information is as follows :

Admissible depreciation Rs. 7,000, bad debts recovered include an amount of Rs. 7,500 which had not been allowed by the ITO as bad debt when claimed. Salaries include a sum of Rs. 20,000 paid to an employee who is non-resident in India and from whose salary income-tax has not been deducted at source nor there is any person available in the country from whom it can be recovered. Travelling expenses outside the India includes Rs. 15,000 paid to Shri R. B. Nairs brother Shri Mohan Lal, who is an employee in the concern for a trip to London regarding export Sale. Readymade cloths worth Rs. 5,000 was given to poors as a charity.

हल (Solution) : **Computation of Profits from Business**

	Rs.	Rs.
Net Profit as per profit & Loss A/c		1,27,000
Add : Expenses not allowed :		
Cost of patent rights	42,000	
Salary paid without deduction of tax	20,000	
Provident Fund contribution	5,100	
Donation of cloths not recorded in P & L A/c	5,000	72,100
		1,99,100
Less : Expenses allowed		
Depreciation	7,000	
Patent rights (1/14th of Rs. 42,000)	3,000	
(ii) Bad bebts recovered not allowed earlier	7,500	
		17,500
Taxable Profits of Business		1,81,600

टिप्पणी :—1. अप्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान अस्वीकृत व्यय है।

2. एकाधिकारों की लागत की कटौती 14 वर्षों में बराबर दी जाती है। इस गतवर्ष में व्ययों के 1/14 भाग की कटौती दी गई है।

3. भारत के बाहर चुकाया गया वेतन जिसमें से आयकर की उद्‌गम स्थान पर कटौती नही की गई है कटौती योग्य व्यय नहीं हैं।

4. करदाता का भाई जो कि कर्मचारी है की विदेश यात्रा के व्यय कटौती योग्य है।

5. गरीबों को दान में दिये गये कपड़े कटौती योग्य खर्चा नहीं है।

6. डूबत ऋणों से ऐसी वसूली जिसे पहले आयकर अधिकारी ने अस्वीकृत कर दिया था कर योग्य नहीं होगी एवं शेष राशि कर योग्य होगी।

उदाहरण (Illustration) 7 : मैसर्स इम्पीरियल ट्रेडर्स परचून की चीजों पर एजेन्सी एवं चावल का क्रय विक्रय का व्यापार करते हैं। उन्हें भवन सम्पत्ति पर किराये व ब्याज की आय भी होती है। कर निर्धारण वर्ष 1986-87 से सम्बन्धित गत वर्ष की आय की गणना के लिये निम्नलिखित सूचनाएँ दी गई हैं :

a) हिन्दुस्तान लीवर बम्बई से 3,00,000 रु० की बिक्री पर 7% कमीशन;
b) ब्रुक ब्राण्ड चाय कम्पनी से 2,70,000 रु० की बिक्री पर 5% कमीशन;
c) ग्लैक्सो के विभिन्न उत्पादनों की 2,00,000 रु० की बिक्री पर $6\frac{1}{2}$% कमीशन
d) टाटा आयल द्वारा एजेन्सी समाप्त करने पर मिली क्षतिपूर्ति 15,000 रु०;
e) चावल की 6,000 बोरियों का प्रति बोरी 500 रु० की औसत दर से विक्रय
f) चावल की 7,000 बोरियों का 480 रु० प्रति बोरी की दर से क्रय
g) भट्ट एण्ड सन्स आगरा के साथ हुए एजेन्सी प्रसंबिदे में कुछ संशोधन करने के लिए करदाता को 5,000 रु० क्षतिपूर्ति देने पड़े।
h) भवन सम्पत्ति से प्राप्त किराया 5,000 रु० किरायेदार द्वारा 250 रु० नगरपालिका कर के दिये गये।
i) टाटा आयरन एण्ड स्टील के 7% ऋणपत्रों पर मिला शुद्ध ब्याज 6,300 रु०। वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यय किये गये हैं :—

दुकान का किराया 5,000 रु०. कर्मचारियों को वेतन 42,000 रु०, प्रमाणित प्रोविडेण्ट फण्ड में पिछले गत वर्ष के लिये दिया गया अंशदान 4,000 रु०, विज्ञापन 30,000 रु०, छपाई व स्टेशनरी 10,000 रु०, मजदूरी 15,000 रु०, आयकर का भुगतान 10,000 रु०, आयकर की अपील के सम्बन्ध में वकील को दी गई फीस 3,000 रु० एवं आयकर अपील के अन्य व्यय 1,000 रु०, विविध व्यय 15,000 रु०।

आयकर अधिकारी द्वारा जांच के दौरान यह पाया गया कि विविध व्ययों में निम्नलिखित राशियां भी सम्मिलित की गई हैं :

अ) कांग्रेस (आई) पार्टी को स्मारिका में प्रकाशित विज्ञापन के 1000 रु०

ब) व्यवसाय के स्वामी की पुत्री के विवाह में स्वागत पर खर्च 4,000 रु०

स) बिक्रीकर अपील के व्यय 1,400 रु०

द) रिश्वत के रूप में दी गई राशि 600 रु०

य) बिना चुंगी चुकाये चावल लाने पर अर्थ दण्ड 500 रु०

फर्म की व्यापार एवं पेशे की कर योग्य आय की गणना कीजिए।

M/s Imperial Traders own a concern doing agency business in general merehandise. & purchase and sale of Rice. They derive income from rent of house property and interest. The following information is presented to you by them to compute their income for the previous year relevent to assessment year 1986-87.

1. Commission @ 7% on total sales of Rs. 3,C0,000 from Hindustan Lever, Bombay.
2. Commission @ 5% on total sale of Rs. 2,70,000 from Brooke Bond Tea Co.
3. Commission on sale of Glaxo Products at 6½% on Rs. 2,00,000.
4. Compansation received from Tata Oil for termination of their agency Rs. 15,000.
5. 6,000 bags of Rice sold at an average rate of Rs. 500 per bag.
6. 7,000 bags of Rice purchased at Rs. 480 per bag.
7. Compensation paid by the assessee for pressing some modifications in the terms of agency agreement with Bhatta and Sons Agra Rs 5,000.
8. Rent from house property, Rs. 5,000. Municipal taxes paid by tenant Rs. 250.
9. Interest on 7% debentures of Tata Iron and Steel Co. Ltd. net amount Rs. 6,300. The following expenses have been incurred :

Shop rent Rs. 5,000; Clerical staff salaries Rs. 42,CC0 contribution to Recognised provident fund for previous year Rs. 4,000; Advertisements Rs. 30,000, Printing and Stationery Rs. 10,000; Wages to labourers Rs. 15,000; Income-tax paid Rs.10,000. Fees paid to advocate for Income Taxt appeals Rs. 3,000; Miscellaneous expenses Rs. 15,000.

ITO found upon scrutity that the following Amounts have also been included in miscellaneous expenses.

a) Rs. 1,000 for an advertisement in a Souvenir publishd by congress Party.
b) Rs. 4,000 for expenses incurred in reception on the marriage of business owner daughter.
c) Sales tax appeal expenses Rs. 1,400.
d) Rs. 600 paid as bribe.
e) Rs. 500 imposed as penalty for bringing Rice without Payment of cctri. Compute the Taxable Income under the head Business of Profession of the firm.

हल (Solution) :

Computation of taxable profits of Business of M/s Imperial Traders for the A.Y. 1986-87

			Rs.
1.	Commission from Hindustan Lever 7% of Rs. 3,00,000		21,000
2.	Commission from Brook Bond 5% of 2,70,000		13,500
3.	Commission from Glaxo 6½% of 2,00,000		13,000
4.	Compensation for termination of agency		15,000
5.	Profits of Rise Business : Gross profits on sale of 6,000 bags of Rice at Rs. 20 per bag		1,20,000
	Gross Income		1,82,500
Less :	Admissible expenses	Rs.	
1.	Compensation paid by the assessee	5,000	
2.	Shop rent	5,000	
3.	Clerical staff salaries	42,000	
4.	Contribution to Recognised provident fund	4,000	
5.	Advertisement	30,000	
6.	Printing and Stationery	10,000	
7.	Wages	15,000	
8.	Fees paid to advocate for Incometax appeals	3,000	
9.	Miscellaneous expenses	8,900	1,22,900
	Profits from business		59,600

टिप्पणी :—1. एजेन्सी की समाप्ति पर मिली क्षतिपूर्ति करयोग्य है इसी प्रकार करदाता द्वारा एजेन्सी को समाप्त करने अथवा एजेन्सी शर्तों के समझौते में परिवर्तन पर दी गई क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृति व्यय है।

2. चुकाया गया आयकर व्यापार एवं पेशे शीर्षक में कटौती योग्य नहीं है।

3. विविध व्ययों की 15,000 रु० की राशि में से निम्न व्यय अस्वीकृत हैं :

अ) कांग्रेस (आई) के स्मारिका में विज्ञापन व्यय 1000 रु०

ब) पुत्री के विवाह में स्वागत पर व्यय 4000 रु०

स) रिश्वत के दिए गए 600 रु० पूर्णतया व्यापार हेतु किए गए नहीं माने जा सकते हैं, अतः स्वीकार नहीं हैं।

द) चुंगी न चुकाए जाने के कारण लगाया गया अर्थदण्ड अस्वीकृत हैं क्योंकि कानून का उल्लंघन व्यापार चलाने के लिये आवश्यक नहीं है अतः यह व्यय पूर्णतया व्यापार चलाने के लिये नहीं माना जा सकता।

4. बिक्री कर अपील के व्यय स्वीकार्य व्यय हैं।

5. प्रमाणित प्राविडेन्ट फन्ड में अंशदान की कटौती उस गतवर्ष में दी जाती है जबकि इसका भुगतान किया गया हो अतः पिछले गतवर्ष के लिए इस वर्ष में दिया गया अंशदान कटौती योग्य है।

6. आयकर अपील के संबंध में वकील को दी गई फीस कर निर्धारण वर्ष 1986-87 से ही कटौती योग्य है किन्तु आयकर अपील के अन्य व्यय कटौती योग्य नहीं होंगे।

उदाहरण (Illustration) 8 : श्री पांडे बीकानेर के एक प्रसिद्ध वकील है। 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये उन्होंने निम्न आय व्यय खाता बनाया है :—

	रु०		रु०
घरेलू खर्च	12,000	वकालत की फीस	1,26,000
कार्यालय व्यय	7,000	विशेष कमीशन नियुक्ति शुल्क	1,400
धर्मादा	500	मुवक्किलों से प्राप्त नकद भेंट	2,000
टेलीफोन व्यय	500	मकान किराया	15,000
आयकर	900	सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज	3,000
किराया	4,000	अंशकालीन विधि व्याख्याता वेतन	6,000
पुत्री को उपहार	2,000		
विद्युत खर्च	1,000		
राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान	1,000		
लोक भविष्य निधि में अंश दान	2,400		
पत्र पत्रिकाएं चंदा	3,000		
वेतन	15,000		
मोटरकार का क्रय	60,000		
फर्नीचर का क्रय	2,000		
जीवन बीमा प्रीमियम	5,000		
मोटर कार व्यय	6,000		
राजस्थान विश्वविद्यालय को दान	6,000		
व्यय पर आय का आधिक्य	25,100		
	1,53,400		1,53,400

निम्नांकित अन्य विवरण प्राप्त हुए :—

अ) भवन के आधे भाग में श्री पांडे रहते हैं तथा आधे भाग में कार्यालय चल रहा है। किराया तथा बिजली व्यय इसी मकान का है।

ब) कार का एक तिहाई भाग ($\frac{1}{3}$ भाग) व्यक्तिगत प्रयोग के लिये है।

स) स्वीकार्य ह्रास 14,200 रु० अपलिखित नहीं किया गया है।

निर्धारण वर्ष 1984-85 के लिये उनकी 'व्यापार व पेशे' शीर्षक की करयोग्य आय ज्ञात कीजिये।

Shri Pandey is a leading lawyer of Bikaner. He has prepared the following Income and expenditure Account for the year ending on 31st March, 1985 :—

	Rs.		Rs.
Household expenses	12,000	Legal fees	1,26,000
Office expenses	7,000	Special Commission fees	1,400
Charity	500	Presents from clients	2,000
Telephone expenses	500	House Rent	15,000
Income tax	900	Interest on Government Securities	3,000
Rent	4,000	Salary as part time lecturer in law	6,000
Gifts to daughter	2,000		
Electricity charges	1,000		
Donation to National Defence Fund	1,000		

Contribution to Public Provident Fund	2,400		
Magazines ubscription	3,000		
Salaries	15,000		
Motor Car purchased	60,000		
Furniture purchased	2,000		
Life Insurance premium	5,000		
Motor Car expenses	6,000		
Donation to Rajasthan Universty	6,000		
Excess of Income over Expenditure	25,100		
	,153,400		1,53,400

The following further information is given :—

a) Rent and electricity charges in respect of the premises occupied by Shri Pandey. One-half of the premises is used by him as his residence and the remaining half is in office use.

b) One-third of car expenses are in respect of his personal use.

c) Allowable depreciation of Rs. 14,200 has not been written off.

Compute his taxable income under 'Income from Business and Profession' head for the assessment year 1986-87.

(राजस्थान बी० काम० 1985 संशोधित)

हल (Solution) :

Statement of Taxable Profits of Business Profession of Shri Pandey for Assessment Year 1986-87

	Rs.	Rs.
Surplus as per income & expenditure a/c		25,100
Expenses disallowed :		
Household exps.	12,000	
Chairty	500	
Income-tax	900	
Rent	2,000	
Gifts to daughter	2,000	
Electricity charges	500	
Donation	7,000	
Contribution to P.P.F.	2,400	
Motor Car	60,000	
Furniture	2,000	
Life Insurance Premium	5,000	
Motor Car exps.	2,000	96,300
		1,21,400
Less :		
i. Expenses allowed		
Depreciation	14,200	
ii. Incomes not chargeable under this head		
Rent	15,000	
Interest	3,000	
Salary	6,000	38,200
Taxable Profits of Profession		83,200

टिप्पणी :—1. मुवक्किलों से प्राप्त भेट करयोग्य है।

2. अंशकालीन व्याख्याता के रूप में प्राप्त वेतन, वेतन शीर्षक के अन्तर्गत होगा।

3. मकान का किरांया, एवं बिजली व्यय।

उदाहरण (Illustration) 9 : मैसर्स अजय शुगर मिल्स अपने खेतों में गन्ना उगाकर शक्कर बनाते हैं। उनका 30 जून 1985 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाता इस प्रकार है :

M/s Ajay Sugar Mills produce Sugar af'er growing Sugarcan on their own farms. Their profit & loss account for the year ended 30th June 1985 is as under :

	Rs.		Rs.
Cultivation Cost (कृषि लागत)	5,00,000	Sales (विक्रय)	10,00,000
Wages (मजदूरी)	60,000	Closing Stock (अन्तिम स्कन्ध)	2,60,000
Manufacturing expenses (निर्माण व्यय)	50,000		
Gross Profit (सकल लाभ)	6,50,000		
	12,60,000		12,60,000
Depreciation (ह्रास)	60,000	Gross Profit (सकल लाभ)	6,50,000
Salaries (वेतन)	2,00,000	Market on Securities (प्रतिभूतियों पर ब्याज)	5,000
Bad debts (डूबत ऋण)	5,000		
Selling expenses (बिक्री व्यय)	25,000		
Travelling expenses (यात्रा व्यय)	40,000		
Technical fee (तकनीकी शुल्क)	60,000		
Rural development expenses (ग्रामीण विकास व्यय)	20,000		
Sundry expenses (विविध व्यय)	40,000		
Net Profit (शुद्ध लाभ)	2,05,000		
	6,55,000		6,55,000

1. अन्तिम स्टाक का मूल्यांकन लागत से 20% कम पर किया गया है एवं बाजार मूल्य लागत से अधिक था।

2. शक्कर बनाने हेतु प्रयुक्त गन्ने का बाजार मूल्य 6,00,000 रु० है।

3. वेतन में एक कर्मचारी को दिया गया 8,500 रु० प्रतिमाह एवं एक अन्य कर्मचारी को दिया गया 600 रु० प्रतिमाह सम्मिलित है।

4. बिक्री व्ययों में 5,000 रु० का एक ऐसा भुगतान है जो नकद किया गया है।

5. वेतन में एक अन्य कर्मचारी को भारत में की गई सेवाओं के लिए भारत के बाहर 20,000 रु० का चुकाया गया वेतन भी सम्मिलित है जिसे न तो उद्गम स्थान पर कर की कटौती की गई और न ही उस कर्मचारी ने कर का भुगतान किया है।

6. यात्रा व्यय में एक कर्मचारी को जिसका वेतन 1,000रु० प्रतिमाह से अधिक है दिल्ली यात्रा पर जाने का 15 दिन का दैनिक भत्ता 4,500 रु० सम्मिलित है।

7. ग्रामीण विकास व्यय के अन्तर्गत 5,000 रु० का ऐसा भुगतान सम्मिलित है जो एक अनुमोदित ग्राम विकास संघ को ग्रामीण विकास के अनुमोदित कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क बनाने हेतु दिया गया है एवं सड़क निर्माण का कार्य जनवरी 1983 में प्रारम्भ हो गया था। कार्यक्रम 1 मार्च 1983 से पूर्व अनुमोदित हो गया था।

8. शक्कर बनाने की नवीनतम विकसित प्रविधि की जानकारी के लिए तकनीकी शुल्क की 60,000 रु० की राशि का एक मुश्त भुगतान मई 1985 में किया गया।

9. स्वीकृत ह्रास 50,000 रु० हैं।

10. विविध व्ययों में देश की औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अन्तर्गत वैज्ञानिक शोध हेतु आगरा विश्वविद्यालय जो अनुमोदित है को दी गई 6,000 रु० की राशि तथा अपने व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक शोध के लिए करदाता द्वारा क्रय की गई मशीन की लागत 10,000 रु० और आयगत व्यय 14,000 रु० सम्मिलित है। व्यापार से करयोग्य लाभ की गणना कीजिए।

11. 2,000 रु० मूल्य की शक्कर गरीबों को दान में दी गई।

1. Valuation of closing stock has been done at 20% below than actual cost.
2. Market value of Sugarcane used in producing sugar is Rs 6,0..,000.
3. Salary includes salary to an employee Rs. 8,500 p. m. and salary to another employee who is blind Rs. 600 P.M.
4. Selling expenses include a cash payment of Rs. 5,000.
5. Salary also include Rs. 20,000 salary paid outside India for service rendered in India from which neither any deduction of tax at source has been made nor the employee has paid tax their on.
6. Travelling expenses include Rs 4,500 paid to an employee getting more than Rs. 1,000 P.M. as Daily Allowance for 15 days visit of Delhi.
7. Rural development expenses include a payment of Rs. 5,000 to an approved rural development association for carrying out an approved rural development programme which was approved before 1 March 1983.
8. Rs. 60,000 paid lumpsum in May 1985 as a technical fee to obtain latest developed technique of sugar manufecturing.
9. Depreciation allowed Rs. 50,000.
10. Sundry expenses include a sum of Rs.6,000 paid to Agra University for scientific research connected with a programme approved by the prescribed authority taking in to consideration the Industrial needs of the country and assessee also spent Rs. 10,000 for machine and Rs. 14,000 as revenue expenses in connection of scientific research related to his business.
11. Sugar worth Rs. 2,000 was given to Poors as charity.

Compute the taxable profits of business.

हल (Solution):

Statement A Taxable Profit of Ajay Sugar Mills for the Assessment year 1986-87

		Rs.	Rs.
	Net profit as per Profit & Loss Account		2,05,000
Add :	Expenses disallowed		
	Salary in excess of Rs 7,500 P.M.	12,000	
	Salary paid out side India	20,000	

Selling expenses paid in cash	5,000	
Tarvelling expenses	1,500	
Rurarl Development Expenses	15,000	
Excess Depreciation	10,000	
5/6th of Technical fees	48,000	
Add : Under Valuation of closing stock	65,000	
Donation of Sugar omitted from P & L A/c	2,000	1,78,500
		3,83,500
Less : Income not taxable under this head :		
Interest on securities	5,000	
Agriculture income	1,00,000	1,05,000
Taxable Profit of Business		2,78,500

टिप्पणी : 1. गन्ने का बाजार मूल्य 6 लाख रु० है और इसे उगाने की लागत 5 लाख रु० है इस प्रकार अन्तर 1 लाख रु० कृषि आय है जो करमुक्त है।

2. अन्तिम स्टाक का मूल्य लागत से 20% कम कर दिया गया अर्थात वास्तविक लागत $2,60,000 \times \frac{100}{80} = 3,25,000$ रु० थी। सही मूल्यांकन न करने से 65,000 रु० के लाभ कम बताये गये हैं। अतः लाभों में जोड़ दिया गया है।

3. 7,500 रु० प्रतिमाह में चुकाया गया अधिक वेतन अस्वीकार्य है।

4. बिना उद्गम स्थान पर कर काटे भारत के बाहर वेतन का भुगतान करने पर वेतन की खर्चे के रूप में कटौती अस्वीकार्य होगी।

5. कर निर्धारण वर्ष 1986-87 से यदि किसी करदाता द्वारा किसी औद्योगिक सूचना अथवा किसी वस्तु की निर्माण की तकनीक प्राप्त करने के लिए कोई एक मुश्त भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्ययों की कटौती 6 वर्ष में प्रदान की जाती है। इस वर्ष के लाभों में से ऐसे व्ययों का 1/6 भाग कटौती योग्य है शेष राशि अस्वीकृत होगी।

6. धर्मार्थ में दी गई शक्कर कटौती योग्य नहीं हैं।

7. अन्धे कर्मचारी को दिया गया वेतन भी कटौती योग्य है। पूर्व वर्षों में इसके सम्बन्ध में भारित कटौती दी जाती है।

8. 2,500 रु० से अधिक का भुगतान यदि रेखांकित चैक द्वारा नहीं किया गया है अतः 5,000 रु० बिक्री व्यय अस्वीकृत हैं।

9. दिल्ली यात्रा पर अधिकतम स्वीकार्य दैनिक भत्ता 200 रु० प्रति व्यक्ति प्रति दिन है शेष राशि (4,500—3,000) 1,500 रु० अस्वीकृत है।

10. स्वयं करदाता द्वारा ग्रामीण विकास पर किये गये व्यय अस्वीकृत हैं। किन्तु अनुमोदित संस्थाओं को ग्राम विकास के ऐसे कार्यक्रम जो 1 मार्च 1983 के पूर्व अनुमोदित है के लिए भुगतान कटौती योग्य हैं।

11. देश की औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित कार्यक्रम के अन्तर्गत वैज्ञानिक शोध हेतु दी गई राशि की कटौती मिलती है।

12. स्वयं के व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान के गतवर्ष में किये गये पूंजी गत एवं आयगत व्यय कटौती योग्य है।

उदाहरण (Illustration) : 10. श्री सूरतराम के 31 मार्च 1986 को समाप्त एक नव-स्थापित औद्योगिक उद्यम के निम्न लाभ हानि खाते की सहायता से उनकी व्यापार एवं पेशे शीर्षक की करयोग्य आय का निर्धारण कीजिए।

Compute the taxable income under the head business or profession of Shri Surat Ram with the help of Profit and Loss account given below for the year ending 31st March 1986 of a newly established industrial undertaking.

Salaries वेतन	5,00,000	Gross Profit सकल लाभ	34,80,000
Preliminary expenses प्रारम्भिक व्यय	40,000	Interest received on Govt Securities सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज	5,400
Provision for Depreciation ह्रास आयोजन	5,00,000		
Contribution to Employee walfare Trust कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान	8,000		
Expenditure on know how तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के व्यय	90,000		
Interest ब्याज	40,000		
Trade Association Subscription व्यापार संघ का सदस्यता शुल्क	5,000		
Travelling Expenses यात्रा व्यय	60,000		
Advertisement expenses विज्ञापन व्यय	2,00,000		
Sundry expenses विविध व्यय	70,000		
Legal charges कानूनी व्यय	40,000		
Entertainment Expenses मनोरंजन व्यय	25,000		
Net Profit	19,07,400		
	34,85,400		34,85,400

1. Interest has been paid on money borrowed to purchase plant out of this Rs. 10,C00 pertains to the date when machine but in use.

2. The actual cost of fixed assest on 31st March 1985 including Rs. 20,00,000 for machcinery is Rs. 90,00,000. Allowable depreciation for this previous year is Rs. 4,C0,000.

3. Actual amount spent on Preliminarly expenses is 4,00,000 of which 1/10 has been written off in this year.

4. Expenditure on know how paid in lempsum in connection of obtaining a technique of manufacturing an article which was developed in a laboratory owned by Uttar Pradesh Government.

5. Sundry expenses include Rs. 15,000 penalty paid of importing goods through

smuggling, it also include Rs. 10,000 given to approved institution for conservation of natural resources for being spent on approved programme.

6. Rs. 15,000 spent in a suit filed in respect of the breach of a contract included in Legal charges.

7. Travelling Expenses include Rs. 10,000 given as Daily allowance to an employee who is getting more than 1,000 p.m. for his 20 days journey to Bombay.

8. Advertisment Expenses includeds Rs. 50,000 for 500 Alarm whatces given as gift to customers.

9. The Industrial undertaking started its production on 1st April, 1985 Rs. 4,00,000 spent on scientific research relating to this business was debited to Profit and Loss Account for the year ending 31st March 1985 is as under :

a)	Salary to one research officer at Rs. 8,500 p.m.	Rs. 1,02,000
b)	Material used for research	Rs. 1,10,000
c)	Rent of Research Laboratory	Rs. 50.000
d)	Machinery Purchased for scientific research	Rs. 1,00,000
e)	Mess expenses of research officer	Rs. 38,000

1. चुकाया गया ब्याज प्लांट खरीदने के लिए ली गई उधार राशि पर है। जिसमें से 10,000 रु० मशीन का प्रयोग प्रारम्भ करने से पूर्व की अवधि का है।

2. 31 मार्च 1985 को स्थायी सम्पत्तियों की वास्तविक लागत (मशीनों की लागत 20,00,000 रु० सहित) 90 लाख रुपये है। इस गतवर्ष के लिए स्वीकृत ह्रास 4,00,000 रु० है।

3. प्रारम्भिक व्ययों पर 4,00,000 रु० व्यय किये गये जिसका 1/10 भाग इस वर्ष अपलिखित किया गया।

4. तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के व्यय एक ऐसी वस्तु निर्माण की तकनीकी प्राप्त करने के सम्बन्ध में एक मुश्त चुकाये गये हैं जिसको एक ऐसी प्रयोगशाला में विकसित किया गया जो उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व में है।

5. विविध व्ययों में तस्करी का माल आयात करने के कारण लगाया गया 15,000रु. का अर्थ दण्ड सम्मिलित है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अनुमोदित कार्यक्रम पर व्यय करने हेतु अनुमोदित संस्था को दिये गये 10,000 रु० भी इनमें सम्मिलित हैं।

6. एक अनुबन्ध का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में चलाये गये मुकदमे पर खर्च की गई 15,000 रु० की राशि कानूनी व्ययों में सम्मिलित है।

7. यात्रा व्ययों में एक ऐसे कर्मचारी को जिसका वेतन 1,000 रु० प्रति माह से अधिक दी गई दैनिक भत्ते की राशि 10,000 रु० सम्मिलित है जो उसे 20 दिन की बम्बई यात्रा के सम्बन्ध में दिये गये हैं।

8. विज्ञापन व्ययों में ग्राहक को भेंट के रूप में दी गई 500 अलार्म घड़ियों की लागत 50,000 रु० सम्मिलित है।

9. औद्योगिक उद्यम ने 1 अप्रैल 1985 को उत्पादन प्रारम्भ किया है। 31 मार्च 1985 को समाप्त हुए लाभ-हानि खाते में 4,00,000 रु० वैज्ञानिक शोध व्यय के डेबिट किये गये हैं जिनका विवरण इस प्रकार है :—

अ)	एक शोध अधिकारी को 8,500 रु० प्रति माह वेतन	1,02,000
ब)	शोध कार्य में प्रयुक्त सामग्री	1,10,000
स)	प्रयोगशाला का किराया	50,000

द) वैज्ञानिक शोध के लिए क्रय की गई मशीनरी	1,00,000
य) शोध अधिकारी के भोजन व्यय	38,000

हल (Solution) :

Computation of Taxable Profits of Business of Shri Surat Ram for the Assessment Year 1986-87

		Rs.
Net Profit as per Profit and Loss Account		19,07,400
Add : Expenses Disallowed		
Preliminary expenses	17,500	
Penelty	15,000	
Travelling Allowance	6,000	
Advertisement Expenses	25,000	
Provision for Depreciation	5,00,000	
Entertainment expenses treated Separately	25,000	
Expenditure on know how	60,000	
Contribution to Employee Welfare Trust	8,000	
Interest Partly not allowad	10,000	6,66,500
		25,73,900
Less : Income of taxable under this head :		
Interest on Govt. securities	5,400	
Less : Expenses allowed but not debited :		
Depreciation	4,00,000	
Expenditure on scientific research debited to last year's Profit and loss Account allowed in this year	3,00,000	7,05,400
		18,68,500
Less ; Entertainment expenses Allowed		7,170
Taxable Profits of Business		18,61,330

टिप्पणी :—1 प्लान्ट (स्थायी सम्पत्ति) के खरीदने के लिए किए गये ऋण पर ब्याज केवल 30,000रु० तक ही कटौती योग्य। क्योंकि प्लान्ट का प्रयोग प्रारम्भ करने से पूर्व तक का ब्याज प्लान्ट की लागत में सम्मिलित किया जायेगा जिस पर ह्रास की छूट दी जायेगी।

2. प्रारम्भिक व्यय परियोजना लागत के $2\frac{1}{2}$% तक कटौती योग्य होते हैं। इस प्रकार 90,00,000 का $2\frac{1}{2}$% 2,25,000 रु० 10 वर्षों में समान किश्तों में कटौती योग्य होंगे। इस वर्ष के लाभ हानि खाते में 40,000 रु० अपलिखित किये गये जबकि कटौती केवल 22,500 की मिलेगी शेष राशि अस्वीकार्य होगी।

3. तस्करी द्वारा माल आयात करने के कारण लगाया गया अर्थदण्ड पूर्णतया व्यापार के लिए किया गया व्यय नहीं माना जा सकता है अतः स्वीकार्य नहीं है। कानून का उल्लंघन व्यापार चलाने के लिए आवश्यक नही हैं।

4. प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अनुमोदित संस्थाओं को भुगतान कटौती योग्य है।

5. अनुबन्ध भंग करने के सम्बन्ध में मुकदमे के कानूनी व्यय स्वीकृत व्यय है।

6. दैनिक भत्ते के रूप में अधिकतम राशि 200 रु० प्रतिदिन (दिल्ली, कलकत्ता एवं बम्बई जाने पर) दी जा सकती है इससे अधिक भुगतान (10,000—200×20) 6,000 रु० अस्वीकार्य हैं।

7. विज्ञापन के रूप में यदि कोई वस्तु उपहार में दी जाती है तो प्रति वस्तु 50 रु० तक व्यय किया जा सकता है इससे अधिक कटौती योग्य नहीं होगी 500 अलार्म घड़ियाँ 100 रु० प्रति घड़ी की दर से उपहार दिया गया है अतः 50 रु० प्रति अलार्म घड़ी तक के व्यय ही स्वीकृत हैं शेष अस्वीकृत हैं।

8. व्यापार प्रारम्भ होने के पूर्व के तीन वर्षों में किए गये वैज्ञानिक अनुसंधान पर किये गये पूंजीगत व्यय एवं आयगत व्ययों में से कर्मचारियों को देय वेतन (अनुलाभों को छोड़कर) और शोध हेतु प्रयुक्त सामग्री की लागत व्यापार प्रारम्भ होने वाले गतवर्ष में कटौती योग्य हैं, इस प्रकार शोध कर्मचारी का वेतन (अधिकतम 7,500 रु० प्रति माह) 90,000 रु०, शोध सामग्री 1,10,000 रु० एवं शोध हेतु खरीदी गई मशीन 1,00,000 रु०, कुल 3,00,000 रु० कटौती योग्य है। प्रयोगशाला का किराया एवं भोजन व्यय कटौती योग्य नहीं हैं।

9. उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाली प्रयोगशाला में विकसित तकनीक के प्राप्त करने के लिए किया गया एक मुश्त भुगतान तीन वर्षों में कटौती योग्य है अतः ऐसे व्ययों को 1/3 भाग इस गतवर्ष के लिये स्वीकृत व्यय है शेष 2/3 भाग इस वर्ष के लिए अस्वीकृत हैं।

10. कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में दिया गया अंशदान कटौती योग्य नहीं है क्योंकि केवल वैधानिक कोषों में नियोक्ता का अंशदान ही कटौती योग्य है।

11. मनोरंजन व्यय घटाने से पूर्व व्यापार के लाभ 18,68,000 रु० है। मनोरंजन व्यय की कटौती लाभों के प्रथम 10,00,000 रु० पर $\frac{1}{2}$ प्रतिशत (5,000 रु०) तथा शेष 8,68,000 रु० पर 1/4 प्रतिशत से 2,170 रु० कुल 7,170 रु० स्वीकार्य है।

12. व्यापार संघ सदस्यता शुल्क कटौती योग्य है।

उदाहरण (Illustration) 11. 31 मार्च, 1986 को समाप्त वर्ष के लिए श्री पन्ना लाल, आय-कर हेतु निवासी, के एक नव-स्थापित कारखाने के निम्न लाभ-हानि खाते के व्यापार के कर-योग्य लाभ का निर्धारण कीजिए।

Determine the taxable profits of business from the following Profit and Loss Account of newly established factory of Shri Panna Lal, resident for income-tax purposes, for the year ended 31st March, 1986.

	रु० (Rs.)		रु० (Rs.)
वेतन (Salaries)	5,60,000	सकल लाभ (Gross Profit)	60,00,000
ब्याज (Interest)	20,000	मकान सम्पत्ति से किराया (Rent from House Property)	50,000
ह्रास (Depreciation)	6,00,000		
प्रारम्भिक व्यय (Preliminary Expenses)	1,50,000	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज (Interest on Government Securities)	12,000
विज्ञापन (Advertisement)	3,00,000		
यात्रा व्यय (Travelling Expenses)	60,000	आयकर की वापसी (Refund of Income-tax)	8,000
मनोरंजन व्यय (Entertainment Expenses)	40,000		

ग्रामीण विकास व्यय (Rural Development Expenses)	4,00,000		
श्रम कल्याण व्यय (Labour Welfare Expenses)	40,000		
विविध व्यय (Sundry Expenses)	1,00,000		
शुद्ध लाभ (Net Profit)	38,00,000		
	60,70,000		60,70,000

1. एक कर्मचारी को वेतन 8,000 रु० प्रतिमाह दिया गया है तथा एक दूसरे कर्मचारी को जो पूर्णतया अन्धा है 2,000 रु० प्रतिमाह दिया गया है।
[An employee has been paid salary at Rs. 8 000 per month and another employee who is totally blind has been paid at Rs. 2,000 per month]

2. विविध व्ययों में 15,000 रु० अनुमोदित उपदान निधि में दिया गया अंशदान, 25,000 रु० प्रमाणित भविष्य निधि में दिया गया अंशदान, प्रतिभूतियों पर ब्याज की संग्रह की गई राशि पर 2% कमीशन एवं रोकड़िये से बैंक में रुपये जमा कराने जाते समय छीन लिये गये 5,000 रु० की हानि सम्मिलित है।
(Sundry Expenses include Rs. 15,000 Contributed to approved gratuity Fund, Rs. 25,000 to recognised provident fund, Bank Commission @ 2% on the amount of interest on Securities collected and loss of an amount of Rs. 5,000 which was snatched away from the Cashier while he was going to Bank to deposit the amount)

3. श्रम कल्याण व्ययों में कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट की स्थापना हेतु दिये गये 15,000 रु० तथा 10,000 रु० कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान सम्मिलित है।
[Labour welfare Expenses include Rs.15,000 for setting up of Employees welfare Trust and Rs 10,000 Contribution to Employee Welfare Trust.]

4. सम्पूर्ण प्रारम्भिक व्यय अपलिखित कर दिये गये हैं।
[The whole of preliminary expenses have been written off.]

5. 31 मार्च 1986 को स्थायी सम्पत्तियों की वास्तविक लागत 80 लाख रु० है, जिसमें मशीनों की वास्तविक लागत के 20 लाख रु० भी सम्मिलित है।
[The actual Cost of fixed assets on 31 March, 1986 was Rs. 80 lakhs, including actual Cost of machinery Rs. 20 lakhs].

6. विज्ञापन व्ययों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रकाशित स्मारिका में विज्ञापन के 10,000 रु० सम्मिलित हैं।
[Advertisement includes Rs. 10,000 for an advertisment in a Souvenir publisded by the Bhartiya Janta Party.]

7. स्वीकार्य ह्रास 4,60,000 रु० हैं।
[The allowable depreciation is Rs. 4,60,000.]

8. मकान सम्पत्ति से किराया में 30,000 रु० कर्मचारियों से स्टाफ क्वाटर से प्राप्त किराया सम्मिलित है।
[Rent from house property include Rs. 30,000 received from employees as rent of staff quarter.]

9. वैज्ञानिक शोध पर 5,00,000 रु० वित्तीय वर्ष 1983-84 एवं 1984-85 में व्यय किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार है।
मशीन 1,00,000 रु०, शोध अधिकारी का वेतन 1,92,000 रु० (8,000 रु० प्रतिमाह की दर से) तथा 10 प्रतिशत अनुलाभ (19,200 रु०) शोध हेतु प्रयुक्त सामग्री 58,800 रु० प्रयोगशाला व्यय 1,30,000 रु०।

[A sum of Rs. 5,00,000 was spent during the financial year 1983-84 and 1984-85 on Scientific Research as follows :
Machinery Rs. 1,00,000. Pay of Research Officer Rs. 1,92,000 [@ 8,000 per month] and Prequiste @ 10 per cent [i. e. 19,200]; Material Consumed for Research Rs. 58,800, Laboratory Expenses Rs. 1,30,000.

10. ग्रामीण विकास व्यय के अन्तर्गत 2,00,000 रु० का ऐसा भुगतान सम्मिलित हैं जो कि एक अनुमोदित संघ को ग्रामीण विकास के अनुमोदित कार्यक्रम हेतु अगस्त 1985 में एक भवन बनवाना प्रारम्भ करने हेतु किया गया। कार्यक्रम 1 मार्च 1983 के पूर्व अनुमोदित कर दिया गया था।

[Rural Development Expenses include a payment of Rs. 2,00,000 made in August 1985 to an approved association for starting an approved development Programme of Building construction, The programme was approved before March 1, 1983]

हल (Solution) :

Statement of Taxable Profits of business of Shri Panna Lal for the assessment year 1986-87

	Rs.	Rs.
Net Profit as per profit and Loss Account		38,00,000
Add. Expenditure disallowed		
(i) Salary in exces of Rs 7,500 per month	6,000	
(ii) Contribution Employee Welfare Trust	25,000	
(iii) Preliminary Expenses	1,35,000	
(iv) Advertisement : Souvenior of Bhartiya Janta Party	10,000	
(v) Excess Depreciation	1,40,000	
(vi) Collection charges an Interest on Securities	216	
(vii) Entertainment Expenses (Treated seperately)	40,000	
(viii) Rural Development Expenses	4,00,000	7,56,216
		45,56,216
Less: : (i) Incomes not taxable under this head.		
(a) Interest on Securities	12,000	
(b) Rent from house property	20,000	
(c) Refund of Income-tax	8,000	
(ii) Expenses allowable but not debited : Scientific Reserved Expenses	3,08 000	3,54,000
		42,08,216
Less : Entertainment Expenses Allowable		

टिप्पणी— 1. 7,500 रु० प्रतिमाह से अधिक कटौती योग्य नहीं हैं।

2. अंधे कर्मचारियों का वेतन भी कटौती योग्य है। पूर्ववर्षों में इस पर भारित कटौती दी जाती है।

3. कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान किसी कानून के अन्तर्गत आवश्यक नहीं हैं अतः अस्वीकृत है।

4. व्यापार प्रारम्भ होने के पूर्व तीन वर्षों में वैज्ञानिक अनुसंधान पर किये गये निम्न व्यय कटौती है जिनकी कटौती दी गई हैं—

	रु०
(अ) शोध अधिकारी का वेतन—	
वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए अधिकतम 5000 रु० प्रतिमाह	60,000
वित्तीयवर्ष 1984-85 के लिए अधिकतम 7,500 रु०प्रतिमाह	90,000
(ब) शोध हेतु प्रयुक्त सामग्री	58,000
(स) मशीन	1,00,000
	3,08,000

5. भारतीय जनता पार्टी को स्मारिका में विज्ञापन के 10,000 रु० अस्वीकृत है।

6. रोकड़िये से छीन लिया गया रुपया स्वीकृत हानि है।

7. प्रतिभूतियों पर ब्याज की शुद्ध प्राप्त राशि 10,800 रु० (12,000 रु०—काटा गया कर 12,000रु०) पर 2% कमीशन 216 रु० व्यापार एवं पेशे के लिए अस्वीकृत व्यय है।

8. कर्मचारियो को किराये पर दिये गये क्वाट्र्स का किराया व्यापार एवं पेशे शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य है।

9. ग्रामीण विकास पर एक व्यक्ति करदाता द्वारा किया गया व्यय 2,00,000रु० अस्वीकृत है। ग्रामीण विकास के लिए अनुमोदित संघ को किया गया भुगतान भी अस्वीकृत होगा क्योंकि 28 फरवरी 1983 के पश्चात्त किये भुगतान तभी स्वीकृत होंगे जवकि ऐसा कार्यक्रम 1 मार्च 1983 के पूर्व प्रारम्भ हो गया हो। भवन निर्माण अगस्त 1985 में प्रारम्भ हुआ है।

10. प्रारम्भिक व्ययों का 1/10 भाग कटौती योग्य है।

परीक्षा प्रश्न (Test Questions)

सैद्धान्तिक प्रश्न (Theoritical Questions)

1. व्यापार से आय की गणना के लिये स्पष्ट रूप में स्वीकृत व्यय एवं हानियाँ बताइये।

Mention the expenses and Losses which are expressly allowed for computation of business income. *(Kurukshetra B. Com. 1977)*

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध में वैधानिक स्थिति का स्पष्टीकरण कीजिए—(अ) नकद साख (ब) न स्पष्ट किये विनियोग, (स) न स्पष्ट किया गया धन आदि, एवं (द) व्यापारिक रहतिये का मूल्यांकन।

Clarify the legal position in relation to the following :—
(a) Cash Credit (b) Unexplained Investments; (c) Unexplained money etc. (d) Valuation of Closing Stock in Business.

3. संक्षेप में निम्नलिखित का वर्णन कीजिए (Explain in briefly the following)—

i. ग्रामीण विकास भत्ता (Rural Development Allowance)

ii. तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के व्यय (Expenditure on know how)

iii. डूबत ऋण (Bad debts)

iv. पेटेन्ट व कापीराइट के संबंध में व्यय (Expenses regarding patents and copyrights)

4. कारण सहित लिखिये कि क्या निम्नलिखित कटौतियां एक व्यापारी के लिए स्वीकृत होंगी। (i) धनकर (ii) अपर्याप्त अग्रिम कर के भुगतान पर ब्याज (iii) बिक्री कर (iv) उत्पादन निरीक्षक को गुप्त भुगतान (v) एक राजनीतिक दल को दान, (vi) पंजाब वि० वि० को दान (vii) आफिस कार्यों के लिए 4,000 रु० टाइप राइटर की खरीद।

State with reasons whether the following are admissible as deductions in case of individual businessman.
[i] Wealth tax paid, [ii] Interest paid on account of inadequate advance payment of tax, [iii] Sales tax, [iv] Secret payments to excise Inspector, [v[Donations to a political party, [vi] Donations to Punjab University, and [vii] Purchased a typewriter for the office for Rs. 4,000.
[*Kurukshetra, B, Com.*, 1975]

5. 'व्यापार तथा पेशे' से क्या तात्पर्य है ? इनसे होने वाले लाभों के करदायित्व का क्या आधार है ? उदाहरण सहित समझाइये।

What do you understand by the terms 'Business or Profession'? What is the basis of tax liability of the profits accruing there from? Explain with examples.

6. 'व्यापार एवं पेशे के लाभ' शीर्षक के अन्तर्गत उन व्ययों एवं हानियों का वर्णन कीजिये जिनकी कटौती स्वीकृत नहीं है।

Describe the expenses and losses, which are not deductible under the head 'profits of Business or Profession'.

7. व्यापार से आय की गणना के लिये बुरे ऋण किस स्थिति में कटौती योग्य माने जाएँगे।

What are the conditions for the allowance of bad debts as a deduction in computing the income under, the head Business?

8. निम्नलिखित से सम्बन्धित व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालिए :

a) वैज्ञानिक अनुसन्धान पर व्यय;

b) विज्ञापन व्यय;

c) प्रारम्भिक व्यय।

Discuss the provisions regarding the following :
a) Expenditure on scientific research.
b) Expenditure on advertisement and publicity.
c) Preliminary Expenses. (*Waltair M. Com.* 1980)

9. क्या निम्न व्यय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत कटौती माने जाएँगे—

a) कस्टम कानूनों के तोड़ने पर दिया गया अर्थदण्ड

b) उधार लेने के कारोबार के लिए दी गई दलाली

State whether the following items of expenses are admissible as deduction under the Income-tax Act :
a) Penalty paid for voilation of customs regulations. [*Madras B. Com.* 1980]
b) Brokerage paid for raising a loan for business.

10. निम्नलिखित व्यय किन दशाओं में स्वीकृत होंगे :

a) निर्देशक एवं कर्मचारियों को वेतन एवं अनुलाभ पर खर्चा;

b) निर्देशक एवं अन्य कर्मचारियों को यात्रा व्यय।

Discuss the conditions laid down for the allowance of :
a] Expenditure in respect of salaries and perquisities given to Directors and other employees.
b] Travelling expenses of Directors and other employees.

(*CA Inter Nov. 1976*)

11. किसी करदाता की निम्नलिखित प्राप्तियों की करयोग्यता पर प्रकाश डालिए।
a) नौकरी के असामयिक समापन पर नियोक्ता द्वारा क्षतिपूर्ति
b) निर्धारित काल से पूर्व ही एजेन्सी की सम्पत्ति पर प्राप्त क्षतिपूर्ति (आय का एक मात्र स्रोत एजेन्सी थी)
c) सरकार द्वारा परिसर की मांग की गई जहाँ करदाता की प्रैस काम करती थी। इससे उत्पन्न हानि की सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की गई। प्रैस किसी अन्य स्थान पर पुनः प्रारम्भ की गई एवं व्यापार चालू किया गया।

Discuss the chargeability or otherwise of the following receipts by the asesee :
a) Compensation received from the employer for loss of employment due to premature termination of service.
b) Compensation received for termination of agency before the expiry of the stipulated period, the only source or income being the agency.
c) Compensation received from the Government for loss of profit caused by the requistioning of the premises where assessee's printing press used to work. The press was removed elsewhere and the business carried on therefrom.

12. व्यापार की गणना करने में निम्नलिखित मदों की करयोग्यता पर टिप्पणी कीजिए :—
a) स्वर्गवासी कर्मचारी की विधवा को पेंशन दी गई।
b) व्यापारिक सम्बन्धों को समाप्त करने के लिए किए गए व्यय। ये सम्बन्ध यदि समाप्त न किए जाते तो हानि की सम्भावना थी।
c) किसी व्यक्ति की ख्याति को करदाता द्वारा अपने व्यापार में इस्तैमाल करने पर भुगतान किया गया जिसकी गणना बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में की गई।
d) कस्टम अधिकारियों द्वारा अर्थदण्ड लगाये जाने के विरोध में मुकद्दमे सम्बन्धी कानूनी व्यय।
e) ग्राहकों व दूसरों को बांटने के लिए चमड़े के थैले को खरीदने पर दिया गया भुगतान

Discuss the admissibility or otherwise of the folliowng itmes in computing the income from business
a) Pension paid to the widow of a deceased employee.
b) Expenses incurred for the termination of trading relationship in order to avoid losses likely to occur in future through that relationship.
c) Payment made for the use of goodwill of another person based on a percentage of the turnover
d) Legal expenses incurred in contesting the levy of penalty imposed by the customs authorities.
e) Payment made for office leather bages for distribution to customers and othrrs.

व्यवहारिक प्रश्न (Practical Questions)

1. 31 दिसम्बर 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक व्यापारी का लाभ हानि खाता निम्न है। आप उसके व्यापार से करयोग्य लाभ निकालिए :

	रु०		रु०
कार्यालय वेतन	4,800	सकल लाभ	35,535
सामान्य व्यय	2,550	कमीशन	1,205
डूबत ऋण	2,100	फुटकर प्राप्ति	50
डूबत ऋण के लिए संचय	3,000	प्राप्त डूबत ऋण	150
अग्नि बीमा	400	बट्टा	750
विज्ञापन	2,500	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	2,800
आयकर	2,375	विनियोग को बिक्री पर लाभ	2,840
पूँजी और ब्याज	1,000		
किराया	1 500		
ह्रास	1,200		
शुद्ध लाभ	21,905		
	43,330		43,330

1. सामान्य व्यय में एक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था को दान दिए गऐ 500 रु० सम्मिलित हैं।
2. स्वीकृत ह्रास 1,000 रु० है।
3. एक साइन वोर्ड के 1,500 रु० विज्ञापन व्यय में सम्मिलित हैं।

From the Profit and Loss Account of a Merchant for the year ended 31st Dec. 1984 ascertain his taxable profit from business.

	Rs.		Rs.
Office Salaries	4,800	Gross Profit	35,535
General Expenses	2,550	Commission	1,205
Bad Debts	2,100	Sundry Receipts	50
Provision for Bad Debts	3,000	Bad Debts Recovered	150
Fire Insurance	400	Discount	750
Advertising	2,500	Interest on Government Securities	2,800
Income-tax	2,375	Profit on Sale Investment	2,800
Interest on Capital	1,000		
Rent	1,500		
Depreciation	1,200		
Net Profit	21,905		
	43,330		43,330

1. General Expenses include Rs. 500 given as donation to an approved educational institution.
2. The amount of depreciation allowable is Rs. 1,000,
3. Included in advertising is Rs. 1,500 being the cost of permanent sign board fixed on the shop. *(Bangolore, B. Com., 1975)*

2. श्री अरुण एकाउण्टेन्सी की प्रेक्टिस करते हैं वे एक प्राइवेट कालेज में 25 रु० प्रति व्याख्यान पर व्याख्याता भी हैं। श्री अरुण अपना हिसाव रोकड़ आधार पर रखते हैं। 31 मार्च 1985 को समाप्त वर्ष से सम्बन्धित निम्न लिखित रोकड़ सारांश से उनकी प्रतिभूतियों से ब्याज, मकान सम्पत्ति, व्यापार एवं पेशे शीर्षक की करयोग्य आय की गणना कीजिए :

Shri Arun is accounting practicener and also deliver lectures in a private college on the basis of Rs. 25 per lecture delivered. He keeps his books on Cash basis of cash summary for the period ending 31st march 1986. Compute taxable income under the head Interest on securities, house property and Business or profession.

	Rs.		Rs.
To Balance b/d	2,800	By Office Expenses	6,200
,, Fees for Account work	16,000	,, Personal Expenses	10,800
,, Remuneration for lectures	4,400	,, Life Insurance premium	2,400
,, Interest on securities (Gross)	2,500	,, Scooter purchased	6,000
,, Rent from house property	6,000	,, Scooter Expenses	2,400
,, Fees from Practice	2,800	,, Local taxes for property	900
		,, Collection charges on interest on sec.	50
		,, Balance c/d	5,750
	34,500		34,500

i. श्री अरुण को अपने एक मुवक्किल से किराये से मुक्त मकान की सुविधा मिली है इस मकान का अनुमानित किराया 500 रु० प्रतिमाह है।

ii. कार्यालय व्ययों में 600 रु० की राशि वित्तीय वर्ष 1984-85 से संबंधित है जिसका भुगतान इस वर्ष किया गया है।

iii. लेखा कार्य के संबंध में प्राप्त शुल्क में 3,000 रु० की ऐसी राशि सम्मिलित है जो कि 1986-87 वर्ष के लिए अग्रिम प्राप्त है।

iv. वर्ष के अन्त में 20 व्याख्यान का पारिश्रमिक अर्जित हो गया था किन्तु भुगतान अप्रैल 1986 में प्राप्त हुआ।

v. स्कूटर पर आधा व्यय पेशे से सम्बन्धित है।

vi. कार्यालय के फर्नीचर तथा स्कूटर पर स्वीकृत ह्रास 800रु० है।

i. Shri Arun has got a rent free accommodation from his cilant. Fair rent of the house is Rs. 500 p.m.

ii. Office expenses includes Rs. 600 for the Financied year 1984-85 which has been paid this year

iii. Fees for Account work indudes Rs. 3,000, which has been recived advance for the year 1986-87.

vi. The remuneration for 20 lectures has become due, but received in April, 1986.

v. The half of the expenses on scooter relates to the prefession.

vi. Depreciation on office furniture and scooter is Rs. 800.

3. श्री लक्ष्मीनारायण वकील ने 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपनी आय व्यय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया है; आप इनकी व्यापार एवं पेशे शीर्षक की करयोग्य आय की गणना कीजिये :

Shri Laxmi Narin an advocate presents a statement of his income and expenditure for the year ending 31 March 1986. You are required to Compute Taxable income under the head Business or Profession :

Income and Expenditure Account for the year ending 31st. March, 1985

	Rs.		Rs.
House hold expenses	9,455	Legal fees	36,430
Office expenses	7,300		
Charity	500		
Income-tax	900	Gains from Race course	2,850
Loss on share sold	2,800	Dividends on share (net)	1,560
Gratuity to his disabled clerk	600	Profits on sale of Govt. securities	1,010
Telephone Exp.	10,000	Interest on Debentures	890
Surplus	14,250	Presents from clients	1,000

		Director's Fees	300
		Bank Interest	335
		Interest on Post office Savings Bank A/c	430
		Dividends from Co-operative societies	1,000
	45 805		45,805

टेलीफोन व्ययों में 8,500 रु० की राशि नया टेलीफोन लगाने के लिए किये गये एक मुक्त भुगतान से संबंधित हैं शेष राशि टेलीफोन के बिलों की हैं।

Telephone expenses include Rs. 8,500 paid in a lump sum for a new telephone connection and balance amount is for telephone bills.

4. डा० मुकुल, जयपुर के प्रमुख चिकित्सक हैं, उनकी रोकड़ बही का सारांश वित्त वर्ष 1985-86 के लिए निम्नलिखित हैं, आयकर परामर्शदाता की स्थिति के अनुसार आप डा० मुकुल की पेशे से आय की गणना कीजिए :

Dr. Mukul is a Chief Physician of Jaipur, the summary of the Cash Book for the financial year 1985-86 is as follows, being a Income-tax consultant calculate income of profession of Dr. Mukul.

			Rs.
Balance b/d	2,544	Income-tax	700
Consultation fees	8,854	Rent of the clinic	500
Visiting fees	10,000	Household Expenses	3,000
Loan from Bank	1,500	Scooter expenses	1,000
Sale of Medicine	8,000	Cost of Medicine	4,000
Profits on sale of securities	2,500	Local Tax on House paid	180
Gifts from Patients	1,500	Purchase of scooter	14,500
Interest on Post Office Saving Bank a/c	100	Interest on loan	100
Dividends (gross)	1,400	Donation to approved Institution	500
Rent from house property	1,800	Salary to compounder	900
		Life Insurance Preminm	500
		Gift to sister	2,400
		Loan repaid	1,500
		Balance c/d	8,418
	38,198		38,198

स्कूटर के लिए स्वीकृत ह्रास की दर 20% हैं; स्कूटर के व्ययों का एक चौथाई व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए है। डा० मुकुल ने गतवर्ष में न्यूयार्क के अनेक अस्पतालों का दौरा किया जिससे उनके व्यावसायिक ज्ञान को अद्यतन किया जा सके। इस दौरे पर 10,000 रु० व्यय हुए जिनके लिए कटौती की माँग प्रस्तुत की गई है।

The rate of depreciation for scooter is 20%. In the last year Dr. Mukal visited many hospitales of New york to enable him to uptodate his knowledge. Rs. 10,000 were spent on this visit or which deduction has been claimed.

5. निम्न लाभ हानि खाता 30 जून, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक शुगर मिल (एक व्यक्ति जिसका मालिक है) से सम्बन्धित है—

Given below is the profit and loss account of a sugar mill (owned by an individual for the year ended 30th June. 1985.

	Rs.		Rs.
Opening Stock of sugar	1,82,300	Sales	26,50,500
Cost of caue consumed	12,57,700	Sundary receipts	7,700
Manufacturing expenses	7,98,500	Closing stock of Sugar	3,66,000
Wages and Salaries	2,00,000		

Contribution to recognised Provident Fund	20,000	Interest from Govt. securities (gross)	1,00,000
Repairs and Renewals	40,700	Rent from Buildings (including Rent of Staoff quarters amonuting to Rs. 24,000)	84,000
Establishment Charges	41,600		
Commission on sales	42,500		
General Charges	16,800		
Auditor's fee	2,000		
Sales Tax	23,900		
Excise Duty	58,600		
Depreciation	1,30,700		
Provision for Taxation	1,00,000		
Net profit	2,93,200		
	32,08,200		32,08,200

निम्न विवरण को ध्यान में रखते हुए कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के सम्बन्ध में व्यापार की करयोग्य आय ज्ञात कीजिए।

a) पेरे गये गन्ने की लागत में 1,54,000 रु० कम्पनी के फार्म में पैदा किये गये गन्ने की लागत शामिल है जिसका औसत बाजार मूल्य 1,96,000 रु० था।

b) निर्माण व्यय में निम्नलिखित सम्मिलित है वैज्ञानिक अनुसंधान पर 97,000 रु० जो चीनी की निर्माण की अच्छी विधियों के अनुसंधान हेतु स्थापित प्रयोगशाला के निर्माण पर पूंजीगत व्यय है तथा 11,000 रु० इसमें चालू व्यय हैं।

c) सामान्य व्ययों में एक कर्मचारी जिसे 900 रु० प्रतिमाह वेतन दिया जाता है के आगरा यात्रा पर जाने पर 3 दिन के दैनिक भत्ते के 450 रु० शामिल है।

d) स्वीकृत ह्रास की राशि 98,200 रु० है।

e) 1,000 रु० चीनी धर्मादे में दी गई।

f) मरम्मत व नवकरण खाता में रु० 15,000 कारखाने भवन में वृद्धि की लागत सम्मिलित है जो कि जून 1985 में की गई है।

g) एक जनवरी, 1985 को राजस्थान विश्वविद्यालय (जो कि अनुमोदित है) को शोध के लिए 6,000 रु० की राशि दी गई है।

h) विक्री कर में 4,000 रु० की राशि पिछले लेखा वर्ष की अवधि से सम्बन्धित है जिसका भुगतान अगस्त 1984 में किया गया एवं 3,000 रु० की राशि इस वर्ष के अन्त में अदत्त थी।

i) प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान की राशि का भुगतान अगस्त 1985 में कर दिया गया।

After taking the following information into consideration, compute the income from Business for the individual for the assessment year 1985-86.

a) Cost of cane consumed includes Rs. 1,54,000 being cost of cane grown on assessee's OWN from the average market price of which is Rs. 1,96,000.

b) Manufacturing expenses include Rs. 97,000 for capital expenditure on a new scientific research laboratory for carrying on research into better methods of sugar manufacture and Rs. 11,000 for its maintenance expenditure.

c) Admissible depreciation amounts to 98,200

d) Sugar worth Rs. 1,000 was given away as charity.

e) Repairs and renewals include Rs. 15,000 being cost of additions to factory buildings made in June 1984.

f) General charges include Rs. 450 paid to an employee as daily allowance for 3 days for go to Agra whose salary is Rs. 900 p.m.

g) Rs 60,00 paid to Rajasthan University on 1st January 1985 for research (which is approved)

h) Sales tax includes Rs. 4000 relating to previous accounting year paid in August 1984 and Rs. 3,000 relating to this years in unpaid at the end of the years.

i) Amount of recopnised Provident contribution was paid in Angust 1985.

6. 31 मार्च 1986 को समाप्त श्री पुनीत कुमार के लाभ हानि खाते से व्यापार की कर योग्य आय ज्ञात कीजिए।

From the following Profit and Loss Account of Shri Puneet Kumar for the year ending 31 March, 1986 find out taxable income from Business :—

	Rs.		Rs.
बिक्री कर चुकाया (Sales tax paid)	7,000	सकल लाभ (Gross profit)	85,672
आफिस वेतन (Office Salaries)	30,800	कटौती (Discount)	751
सामान्य व्यय (General Expenses)	5,200	कमीशन (Commission)	1,205
अपलिखित किये गये अशोध्य ऋण (Bad debts written off)	2,100	अशोध्य ऋण (वसूल) (Bad debts recovered)	150
अशोध्य ऋणों के लिए संचय (Reserve for Bad debts)	3,000	5% गवर्नमेंट बांड पर ब्याज (Interest on 5% (Government Bonds)	2,500
अप्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान (Contribution to unrecognised Provident Fund)	2,000	दीर्घकालीन विनियोग के बेचने पर लाभ (Profit on sale of investments)	3,000
बिक्री कर अपील के व्यय (Sales Tax appeal expenses)	1,000	विविध प्राप्तियाँ (Sundery receipts)	52
भवन का अग्नि बीमा प्रीमियम (Fire Insurance premium Building)	450		
विज्ञापन (Advertising)	2,500		
आयकर (Income tax)	2,375		
अग्नि द्वारा स्टाक की हानि (बीमा नहीं हुआ था) (Loss of Stock by fire Uninsured)	1,500		
अल्पकालीन विनियोग बेचने पर हानि (Loss on sale of short term investment)	1,200		
पूंजी पर ब्याज (Interest on capital)	1,000		
बैंक ऋण पर ब्याज (Interest on Bank loan)	1,5[illegible]		

दान (Charity)	150		
ह्रास भवन पर (Depreciation on Building)	1,000		
फर्नीचर पर(On Furniture)200	1,200		
कार के व्यय (Car expenses)	5,000		
(Net profit)	25,305		
	93,330		93,330

कार के व्ययों में कार पर स्वीकृत ह्रास भी सम्मिलित हैं। मोटर कार का प्रयोग व्यापार के लिए तथा मालिक के निजी कार्यों के लिए बराबर-बराबर हुआ है। भवन तथा फर्नीचर के अपलिखित मूल्य के आधार पर स्वीकृत ह्रास की राशि क्रमशः 800 रु० व 150 रु० है। एक नये उत्पादन पर विशेष विज्ञापन अभियान के लिए व्यय किये 1,700 रु० विज्ञापन व्ययों में सम्मिलित हैं। सामान्य व्ययों में आयकर के सम्बन्ध में सलाह प्राप्त करने एवं कर-निर्धारण की कार्यवाही के दौरान आयकर अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए वकील को दी गई फ़ीस के 1,000 रु० सम्मिलित हैं।

Car expenses include depreciation allowed on Car.

The motor car was equally for business purpose and for the proprietor's private purposes. The amounts of depreciation allowable on the basis of the written down value, in respect of Building and Furniture were Rs 800 and Rs. 150 respectively Included in advertising is a sum of a Rs. 1,700 spent on a special advertising compaign undertaken during the year in respect of new product placed in Market. General expenses include Rs. 1,000 as payment of fees to advocate to obtain advice regarding income tax and to appear before income tax officer during assessment proceedings.

7. 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री माधव राव के एक नवस्थापित कारखाने का लाभ-हानि खाता निम्न था।

The following is Profit and Loss account of Shri Madhav Rao's newly established factory as on 31st March 1986.

Salaries & Commission	3,75,000	Grose profit b/f	28,45,000
Legal Expenses	12,000	Interest on Govt. Securities	80,000
Interest	38,000	Rent from House Property	15,000
Rural Development expenses	20,000		
Advertisement Expenses	2,65,000		
Bad debts	38,000		
Preliminary Expenses	2[illegible],000		
Labour Welfare Expenses	50,000		
Travelling Expenses	20,000		
Contribution to recognised Provident Fund	6,000		
Provision for Depriciation	5,00,000		
Sundry Expenses	1,75,000		
Net Profit	14,21,000		
	29,40,000		29,40,000

अतिरिक्त सूचनायें

1. एक कर्मचारी को वेतन 8,000 रु० प्रति माह दिया गया है। एक अन्य कर्मचारी को भारत में की गई सेवाओं के लिये भारत से बाहर 40,000 रु० वेतन

चुकाये जिस पर उद्गम स्थान पर कर नहीं काटा गया और न उस कर्मचारी ने आयकर चुकाया।

2. ब्याज में 1,000 रु० किराये पर उठाई गई मकान सम्पत्ति के नवीनीकरण के लिये, लिए गये ऋण पर ब्याज तथा 5,000 रु० की वह राशि सम्मिलित है जो व्यापार के लिये, लिए गये ऋण पर लन्दन में चुकाई गई है, जिस पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं हुई है, प्राप्तकर्त्ता का भारत में कोई प्रतिनिधि भी नहीं है।

3. 31 मार्च 1986 को स्थायी सम्पत्तियों की वास्तविक लागत (मशीनों की वास्तविक लागत 15 लाख रु० सहित) 60 लाख रु० हैं। स्वीकार्य ह्रास 3 लाख रु० है।

4. प्रारम्भिक व्ययों पर कुल राशि 2,00,000 रु० व्यय की गई जिसका 1/10 भाग इस वर्ष अपलिखत किया गया है।

5. श्रम कल्याण व्ययों में 22,000 रु० अनुमोदित ग्रेच्युटी फण्ड में दिया गया अंशदान, कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट की स्थापना हेतु दिये गये 15,000 रु० तथा ट्रस्ट को इस वर्ष का अंशदान 5,000 रु० सम्मिलित हैं।

6. विविध व्ययों में 15,000 रु० मनोरंजन व्ययों के 10,000 रु० परिवार नियोजन के आयगत व्यय, उत्पादन की नवीनतम तकनीक की जानकारी के लिए 42,000 रु० के शुल्क का एकमुश्त भुगतान एवं प्रतिभूतियों पर ब्याज की संग्रह की गई राशि पर दो प्रतिशत कमीशन सम्मिलित है।

7. डूबत ऋण की 50% राशि आयकर अधिकारी की सम्पत्ति में 1983-84 लेखा वर्ष में डूब चुकी थी।

8. ग्रामीण विकास व्यय के अन्तर्गत 10,000 रु० का ऐसा भुगतान सम्मिलित है जो एक अनुमोदित संघ को ग्रामीण विकास के अनुमोदित कार्य-क्रम के लिए अगस्त 1985 में सड़क निर्माण प्रारम्भ करने हेतु किया गया। कार्यक्रम 1 मार्च 1983 से पूर्व अनुमोदित कर दिया गया था।

9. कानूनी व्ययों में 60% अनुबंध को भंग करने के विरुद्ध चलाये गये मुकद्दमे से सम्बन्धित है तथा शेष आयकर की अपील से सम्बन्धित व्यय है।

10. कारखाने में उत्पादन 1 अप्रेल, 1985 को प्रारम्भ हुआ। इस व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक शोध पर व्यय की गई 3,50,000 रु० की राशि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ हानि खाते में डेबिट की गई थी, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है—

एक शोध अधिकारी को 9,000 रु० तिमाह वेतनप्र	1,08,000
शोध में प्रयुक्त सामग्री	1,10,000
शोध अधिकारी के भोजनालय व्यय	20,000
प्रयोगशाला का किराया	32,000
शोध हेतु खरीदी गई मशीन	80,000

11. यात्रा व्ययों में एक कर्मचारी जिसका वेतन 900 रु० प्रति माह है को 10 दिन की मद्रास यात्रा के लिये दिया गया दैनिक भत्ता 3,000 रु० सम्मिलित है।

12. विज्ञापन व्ययों में 100 कैमरे जिनकी लागत 15,000 रु० है उपहार के

रूप में दिए गए हैं तथा 40,000 रु० की राशि विदेशों में किये गये विक्रय संवर्द्धन व्ययों के है, सम्मिलित है। विज्ञापन व्ययों में एक 10,000 रु० के नकद भुगतान की राशि भी सम्मिलित है।

श्री माधव राव की विभिन्न शीर्षकों की कर योग्य आय ज्ञात कीजिए।

Additional informations :—

1. Salary given to an employee is 8,000 P.M. Salary also include Rs. 40,000 paid to an employee outside the India for service rendered in India from which neither any deduction of income tax at source has been made nor the employee has paid two their on.

2. Interest includes Rs. 1,000 Interest on renevals of house property which is given on rent and Interest as money borrowed for business, which was paid in London no deduction of tax has been made. There is and no representative of receiptent in India.

3. The actual Cost of fixed assets on 31 March, 1986 was Rs. 60,00,000 (including actual Cost of Machinery Rs. 15,00,000). The allowable depreciation is Rs. 3,00,000.

4. Rs. 2,00,000 spent on preliminary expenses, of which 1/10 has been written off this year.

5. Labour welfare include Rs. 22,000 Contriution paid for approved gratuity fund, Rs 15,000 for setting up of employees welfare Trust and Rs. 5,000 Contribution for this year to the Trust.

6. Bank Commission at 2% on the amount of interest on securities Collected Entertainment expenses Rs. 15,000 revenue nature expenditure on family planning Rs. 10,000 and a lump sum Payment of Rs. 52,000 for fees to obtain latest technique of production are included in miscellaneous expenses.

7. The 50% amount of bad debets has already been bad in the financial year 1983-84. in the opinion of ITO.

8. The payment of rural development expenses includes Rs. 10,000 which is paid to the approved rural development association for the approved programme. The programme was approved before Ist March 83.

9. 60% Law Charges relates to suit filed in respect of the branch of a contract and the blance regarding income tax appeal.

10. The factory started production on Ist Aprial, 1984. A sum of Rs. 3,50,000 spent on scientific research relating to this business was debited to the profit & Loss Account for the year ending 31, March, 1984. as follows. Salary to one Research officer at Rs. 9,000 per month Rs. 32,000 Materials used for Research Rs. 1,10,000 Mess expenses of Research officer Rs. 22,000; Rent of Research Laboratory Rs. 32,000 Machine purchased for Research 80,000.

11. Travelling Expenses include Rs. 300 paid to an employee getting Rs. 900 p.m. as pay as Daily Allowance for 10 days for going to Madras.

12. Advertising includes Rs. 15,000 Cost of 100 Cameras whiches given as presents and Rs. 40,000 spent out side India for export maket sales. Advertisement also includedes Rs. 10,000 which paid in cash.

Calculate taxable income of Shri Madhav Rao under the different heads.

अध्याय ७ :—व्यापार अथवा पेशे से लाभ

(1) 24,840 रु० (2) प्रतिभूतियों से ब्याज 2,450 रु०, मकान सम्पत्ति 4,250 रु० व्यापार एवं पेशे से लाभ 21,000 रु० (3) 19,530 रु० (4) 9,929 रु० (5) 2,62,925 रु० (6) 32,280 रु० (7) प्रतिभूतियों से ब्याज 78,560 रु० मकान सम्पत्ति 11,500 रु०, व्यापार से लाभ 14,44,364 रु०।

———

8

ह्रास तथा अन्य छूटें

(Depreciation and other allowances)

ह्रास (Depreciation)

आयकर अधिनियम में कहीं भी ह्रास की परिभाषा नहीं दी गई है परन्तु साधारण बोल चाल की भाषा में इससे आशय किसी भी पूँजी सम्पत्ति में होने वाली घिसावट से है। यह घिसावट सम्पत्ति के प्रयोग से या कभी-कभी समय के गुजरने से भी हो जाती है, व्यापार के लिये सम्पत्ति की घिसावट लागत का एक आवश्यक अंग है। अतः जब तक लाभ हानि खाते में ह्रास नहीं दिखाया जाता, शुद्ध लाभ या हानि का सही ज्ञान होना कठिन है। ह्रास से सम्बन्धित आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधान इस प्रकार हैं—

1. ह्रास की छूट केवल भवन, मशीन, प्लाण्ट व फर्नीचर पर ही स्वीकृत होती है :— धारा 32 (1) के अनुसार ऐसे भवन, मशीन, प्लाँट व फर्नीचर के लिये ही ह्रास की कटौती मिलती है जिनका प्रयोग करदाता अपने व्यापार संचालन के लिये करता है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में ह्रास नहीं मिलता। प्लाँट शब्द में पुस्तकें, सर्जीकल यन्त्र औजार, जहाज व सभी वाहन आदि शामिल होते हैं। परन्तु इसमें पशु, तथा व्यापारिक स्टाक शामिल नहीं होता। 'भवन' शब्द के अन्तर्गत पुल, गोदाम, सड़कें, भण्डार खाने आदि सभी आ जाते हैं।

२. करादता सम्पत्तियों का स्वामी होना चाहिये— ह्रास सम्बन्धी कटौती उस समय मिलती है जबकि करदाता के व्यापार अथवा पेशे के संचालन में काम आने वाली सम्पत्तियाँ उसी के स्वामित्व में हों। सम्पत्तियों को यदि किराये पर लिया गया है तो फिर ह्रास की कटौती नहीं मिलती है। किन्तु केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निर्गमित विभागीय सूचनाओं में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो सम्पत्ति किराया खरीद (Hire purchase) समझौते के अन्तर्गत क्रय की जाती है उन पर ह्रास देने की व्यवस्था है बशर्तें कि करदाता आयकर अधिकारी को किराया खरीद से सम्बन्धित प्रपत्र दिखा दें।

3. पट्टे पर अथवा किराये पर लिये गये व्यापारिक भवन में किये गये सुधार अथवा वृद्धि पर ह्रास— व्यापार अथवा पेशा यदि पट्टे पर या किराये पर लिए हुए भवन से चलाया जाता है तथा करदाता द्वारा इस भवन में सुधार, नवीनीकरण अथवा विकास के लिये कुछ पूँजी व्यय किये जाते हैं जिनके फलस्वरूप या तो भवन का विस्तार होता है अथवा कोई अन्य ढांचा तैयार होता है तो इनके लिये भी करदाता को साधारण ह्रास एवं अन्तिम ह्रास पाने का अधिकार होगा।

4. संबंधित गतवर्ष में वास्तविक प्रयोग हो—सम्पत्ति के वास्तविक प्रयोग के लिये ही ह्रास स्वीकृत होता है अर्थात् यदि आधी सम्पत्ति का प्रयोग करदाता के व्यक्तिगत कार्यों के लिये तथा आधी का प्रयोग व्यापार के लिये होता है तो केवल आधी सम्पत्ति पर ही ह्रास की छूट मिल सकेगी। गतवर्ष में यदि 'सम्पत्ति का प्रयोग व्यापार के लिये नहीं किया गया है तो सम्बन्धित गतवर्ष के लिये साधारण ह्रास नहीं मिल सकेगा।

5. सम्पत्तियों के संबंध में निर्धारित विवरण प्रस्तुत करना—ह्रास की छूट तभी दी जायेगी जबकि करदाता द्वारा सम्पत्तियों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप में निर्धारित विवरण आयकर अधिकारी को प्रस्तुत किया जाये।

6. कुल ह्रास की रकम सम्पत्ति की लागत से ज्यादा नहीं हो सकती—भवन, प्लान्ट, मशीन, फर्नीचर आदि पर मिला हुआ ह्रास (जिसमें प्रारम्भिक ह्रास शामिल है) सम्पत्ति के लागत मूल्य से अधिक नहीं हो सकता। विकास छूट अथवा विनियोग भत्ता छूट ह्रास में सम्मिलित नहीं है।

7. समुद्री जहाजों पर ह्रास वास्तविक लागत पर तथा अन्य सम्पत्तियों पर अपलिखित मूल्य पर—ह्रास की गणना समुद्र में चलने वाले जहाजों को छोड़कर सभी सम्पत्तियों के अपलिखित मूल्यों पर की जाती है। समुद्री जहाजों पर प्रत्येक बार वास्तविक लागत पर ही ह्रास की गणना की जाती है।

महत्वपूर्ण परिभाषायें

(Important Definitions)

वास्तविक लागत (Actual Cost) [धारा 43(i)]—किसी सम्पत्ति की वास्तविक वह लागत है जो करदाता द्वारा सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए व्यय की गई है। यदि कोई सम्पत्ति उधार ली गई राशि से खरीदी जाती है तो व्यवसाय प्रारम्भ करने की तिथि तक अथवा उस सम्पत्ति का प्रयोग शुरू करने की तिथि तक का ब्याज पूँजीगत माना जायेगा।[1] एवं लागत में जोड़ा जायेगा। इसी प्रकार व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने से पूर्व प्रबन्ध संचालक एवं तकनीकी सलाहकार के विदेश यात्रा आदि के व्यय भी लागत में सम्मिलित किये जायेंगे।[2] सम्पत्तियों की स्थापना के सम्बन्ध में किये गये व्ययों को भी लागत में सम्मिलित किया जायेगा। सम्पत्ति के क्रयमूल्य में से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति अथवा सत्ता द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अनुदान या सहायता के रूप में दी गई रकम घटा दी जाती है। उदाहरणार्थ एक मशीन की लागत 20,000 रु० की है एवं उस मशीन के लगाने का व्यय 1,000 रु० हुआ तथा जिसके खरीदने के लिये सरकार ने 3,000 रु० की अनुदान (subsidy) दी है, तो उस मशीन की करदाता के लिए लागत 18,000 रु० (21,000 – 3,000) होगी।

वास्तविक लागत का महत्व निम्नलिखित कारणों से है :

1. समुद्री जहाजों पर ह्रास उसकी वास्तविक लागत के आधार पर निकालते हैं।
2. अपलिखित मूल्य निकालने के लिए भी वास्तविक लागत का निकालना आवश्यक है।

---
1. Challapalli Sugar Ltd. v. CIT (1975) 98 ITR 167 (SC).
2. CIT v. JMA Industries Ltd. (1981) 129 ITR 373 (Del).

धारा 54 (2)(i) के अनुसार किसी भी सम्पत्ति पर ह्रास उसकी वास्तविक लागत से अधिक नहीं हो सकता।

धारा 43 में विभिन्न सम्पत्तियों के लिए अलग अलग परिस्थिति में वास्तविक लागत विवरण दिया गया है।

1. 1 मार्च 1975 के पूर्व खरीदी गई मोटरकार (Motor car acquired before 1-3-1975)— इस अवधि के पूर्व खरीदी गई मोटर कार, जो व्यापार में काम आती है, का मूल्य 25,000 रु० से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके 25,000 रु० से अधिक होने पर ऐसे आधिक्य को छोड़ देते हैं अर्थात् ह्रास के लिए उसकी लागत 25,000 रु० ही मानी जाती है तथा ह्रास केवल 25,000 रु० पर ही स्वीकृत होता है। यदि करदाता टूरिस्टों के लिए टैक्सी चलाने का कार्य करता है तथा यह कार इसी कार्य हेतु उपयोग में आती है तो यह प्रतिबंध लागू नहीं होता है।

2. सम्पत्ति जिनका प्रयोग व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान में हो चुका है (Assets used for Scientific research connected with the business)—ऐसी सम्पत्ति जो व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए खरीदी गई थी तथा जिस पर धारा 35 के अन्तर्गत छूट मिल चुकी है; ये सम्पत्ति यदि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अब उपयोगी नहीं रही तो इन्हें या तो बेच देते हैं अथवा व्यापार के लिए उपयोग में लेने लगते हैं। ऐसी सम्पत्ति की वास्तविक लागत शून्य मानी जाती है।

3. ऐसी सम्पत्तियाँ जो भेंट में अथवा उत्तराधिकार में प्राप्त होती हैं (Assets acquired by way gift or inheritance)—जो सम्पत्ति करदाता ने भेंट स्वरूप अथवा पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त की है, उसका वास्तविक मूल्य निम्नलिखित में से जो कम हो, माना जायेगा :—

अ. सम्पत्ति के भूतपूर्व स्वामी के लिए हस्तांतरित सम्पत्ति का हस्तांतरण के दिन अपलिखित मूल्य, अथवा

ब. हस्तांतरण के समय बाजार मूल्य

4. कर दायित्व घटाने के लिए सम्पत्ति का हस्तांतरण (Transfer of assets to reduce the tax-liability)— करदाता द्वारा ये सम्पत्तियाँ प्राप्त करने से पहले यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इनका प्रयोग अपने व्यापार अथवा पेशे के लिए किया जाता था तथा आयकर अधिकारी को जब यह विश्वास हो जाता है कि अधिक ह्रास की छूट प्राप्त करने हेतु सम्पत्ति बढ़े हुए मूल्य पर क्रय की गई है तो करदाता के लिए इन सम्पत्तियों की वास्तविक लागत आयकर अधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी। ऐसा करते समय उसे इन्सपेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

5. सम्पत्तियों को पुनः प्राप्त करना (Re-acquisition of assets)— कुछ सम्पत्तियाँ यदि ऐसी हैं जो करदाता के व्यापार में कुछ समय पहले उपयोग की जाती थी तथा जिनको करदाता पिछले वर्षों में ही हस्तांतरित कर चुका था; अब उसने पुनः वे सम्पत्तियाँ व्यापार के लिये प्राप्त की हैं तो ऐसी सम्पत्तियों की लागत निम्नलिखित में से, जो कम होगी वही मानी जायेगी—

अ. सम्पत्तियों की वास्तविक लागत में से हस्तांतरण की तिथि तक स्वीकृत प्रारम्भिक ह्रास, साधारण ह्रास तथा अतिरिक्त ह्रास घटा देना चाहिए। यदि संतुलित प्रभार (Balancing charge) मिला हो तो उसे जोड़ देना चाहिये।

ब. सम्पत्तियों के पुन: प्राप्त करने के लिए दिया गया मूल्य दोनों में जो कम हो।

6. भवन के क्रय अथवा निर्माण के कुछ वर्षों पश्चात व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रयोग (Use of Building for Business or Profession after few years of purchase or construction)—यदि करदाता किसी भवन के निर्माण अथवा क्रय करने के कुछ वर्षों बाद इसका प्रयोग व्यापार अथवा पेशे के लिए प्रारम्भ करता है तो स्वीकृत ह्रास की दर से व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग के पूर्व स्वामित्व की अवधि का ह्रास घटाने के बाद जो अपलिखित मूल्य आता है उसे ही उस भवन की वास्तविक लागत मानी जायेगी।

जैसे एक भवन का निर्माण 1983 में 1,00,000 रु० की लागत में हुआ और इसका सर्वप्रथम 1985 में व्यापार में प्रयोग किया गया इस भवन ह्रास की स्वीकृत दर यदि 5% है तो इस भवन की लागत (1,00,000 रु०) में से 1983 का ह्रास 5,000 रु० 1984 का ह्रास 4,750 रु० (1,00,000-5,000 का 5 प्रतिशत) कम करने के बाद शेष राशि (1,00,000-5,000-4,750) 90,250 रु० इसकी वास्तविक लागत मानी जायेगी।

7. यदि एक नियंत्रक कम्पनी द्वारा इसकी 100 प्रतिशत सहायक कम्पनी को अथवा ऐसी सहायक कम्पनी द्वारा नियन्त्रित कम्पनी को किसी सम्पत्ति का हस्तांतरण होता हैं तो हस्तांतरित कम्पनी के लिए इसका मूल्य वह होगा जो हस्तांतरणकर्त्ता कम्पनी के लिए था बशर्ते कि हस्तांतरित कम्पनी एक भारतीय कम्पनी हो।

8. यदि कोई सम्पत्ति एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत किसी कम्पनी को हस्तांतरित की जाती है तो ऐसी हस्तांतरित सम्पत्ति की वास्तविक लागत वही होगी जो हस्तांतरित करने वाली कम्पनी के लिए होती यदि अपने व्यापार के लिए वह इस सम्पत्ति का प्रयोग करती रहती।

9. यदि किसी करदाता ने कोई सम्पत्ति विदेशों से आयत की है जिसका भुगतान भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन (devaluation) के बाद किया जाता है अथवा विदेश में ऋण लेकर वह सम्पत्ति प्राप्त की है और ऐसे ऋण का भुगतान अवमूल्यन के बाद किया जाता है तो अवमूल्यन के कारण रुपयों के भुगतान का दायित्व जितना बढ़ जायेगा उतनी राशि से सम्पत्ति के वास्तविक लागत को बढ़ा दिया जायेगा और ऐसी बढ़ी हुई लागत ही ह्रास स्वीकार करने के लिए वास्तविक लागत मानी जायेगी।

यदि भारतीय मुद्रा का अधिमूल्यन कर दिया जाता है जिसके कारण करदाता का रुपयों में भुगतान का दायित्व कम हो जाता है तो ऐसी सम्पत्ति की वास्तविक लागत में कमी कर दी जायेगी।

अपलिखित मूल्य (Written down value)—धारा 43 (6) के अनुसार अपलिखित मूल्य से आशय निम्नलिखित से है :—

अ. सम्पत्ति यदि गतवर्ष में प्राप्त की गई है तो करदाता के लिए उसकी वास्तविक लागत।

ब. यदि सम्पत्ति गतवर्ष से पहले प्राप्त की गई है तो करदाता के लिए उसकी वास्तविक लागत में से स्वीकृत ह्रास (अशोधित ह्रास सहित) घटा देना चाहिए किन्तु विकास छूट, विकास भत्ता एवं विनियोग छूट (जिसका वर्णन आगे किया गया है) नहीं घटाया जायेगा।

अपवाद :—मुक्त व्यापार क्षेत्र के नवस्थापित औद्योगिक उद्यम जिनके कि लाभ पाँच या कम वर्षों तक करमुक्त रहते हैं में प्रयुक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में आगे के वर्षों में अपलिखित मूल्य की गणना यह मानते हुए की जायेगी मानाकि उस पर ह्रास स्वीकृत हुआ है और इस प्रकार स्वीकृत ह्रास की दर के अनुसार ऐसी करमुक्त लाभ- अवधि के लिए ह्रास को वास्तयिक में से घटाकर अपलिखित मूल्य ज्ञात किया जायेगा।

ह्रास की छूटों के प्रकार (Types of Depreciation Allowances)

1. साधारण ह्रास (Normal Depreciation) [धारा 32(1) तथा 32 (1A) एवं नियम 5]—ह्रास की राशि इस बात पर निर्भर नहीं होती कि गतवर्ष में सम्पत्ति कितने समय तक प्रयोग में लाई गई है। प्रत्येक सम्पत्ति के लिए पूर्ण ह्रास उपलब्ध होता है भले ही गतवर्ष में सम्पत्ति का प्रयोग मात्र एक दिन के लिए ही हुआ हो।

जिस गतवर्ष में सम्पत्ति को बेच दिया जाता है अथवा प्रयोग से हटा दिया जाता है अथवा नष्ट हो जाती है तो उस गतवर्ष में साधारण ह्रास की कटौती नही दी जाएगी।

अ. भवन (Buildings)

a) सामान्य दर 5%
b) कारखाना (Factory) हेतु प्रयुक्त भवनों, (कार्यालयों, गोदामों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के निवास हेतु प्रयुक्त भवनों, पुलों, सड़कों, नालों नलकूपों तथा कुओं को छोड़कर) 10%
c) पूर्णतया अस्थायी निर्माण अथवा ढाँचे पर 100%।
भवनों में सड़कें, पुल, कुए तथा नलकूप सम्मिलित हैं।
d) यदि भवन किराये पर लिया गया है अथवा पट्टे पर लिया गया है तथा कर-दाता द्वारा ऐसे भवन पर सुधार एवं पुर्ननिर्माण पर कोई पूँजीगत व्यय किया गया है तो वृद्धि वाला भाग जिस प्रकार का है, उसके लिए निर्धारित दर के अनुसार ह्रास स्वीकृत किया जाता है।

ब. फर्नीचर व फिटिंग (Furniture and Fittings)—

फर्नीचर के लिए ह्रास की साधारण दर 10% रखी गई है। होटल, जलपान गृह बोर्डिंग हाउस, सिनेमा, स्कूल कॉलिज पुस्तकालय, कल्याण केन्द्र व मीटिंग हाल, थियेटर सरकस शादियों एवं अन्य समारोह में प्रयुक्त होने वाले फर्नीचर के लिए ह्रास की दर 15% निर्धारित की गई है।

स. मशीन एवं प्लांट (Machine and plant)—(समुद्री जहाज को छोड़कर)

a) साईकिलें मोटर कार, मोटर साईकिल मोपेड, एक्सरे मशीन, कम्प्यूटर्स तथा डेटा प्रोसेसिंग मशीन	
b) मोटर बस, लारी, ट्रैक्टर, टेक्सी, हवाई जहाज (जो किराये पर नहीं चल रहीं है) पानी एवं हवा प्रदूषण नियंत्रण यन्त्र	20% 30%
c) मोटर बस, लारी, टेक्सी ट्रैक्टर तथा हवाई जहाज (जो किराये पर नहीं चल रहीं है)	40%
d) सामान्य दर	15%

कुछ विशिष्ट मशीन तथा यन्त्रों पर ह्रास ऊँची दर से स्वीकार किया जाता है। ये दरें 20% से 100% तक हैं।

टिप्पणी :—1. सामान्य दर ऐसी प्लान्ट एवं मशीनरी के सम्बन्ध में लागू होगी जिसके लिए अलग से कोई दर निर्धारित नहीं है।

द. पानी के जहाज (Ships) :—

a) समुद्री जहाज :—मछली पकड़ने के काम में आने वाले जो लकड़ी के बने हुऐ ढांचे के हों पर वास्तविक लागत का 10%

b) अन्य समुद्री जहाज :—वास्तविक लागत का 5%

c) आँतरिक जल मार्गों पर चलने वाले जहाजों पर—

i. स्पीड बोट—अपलिखित मूल्य का 20%

ii. अन्य जहाजों पर—अपलिखित मूल्य का 10%

अपवाद : 1. विदेशी कारें (Motor car manufactured outside India)—ऐसी मोटर कारों पर जो विदेश में निर्मित हैं तथा जो 28 फरवरी 1975 के बाद में करदाता द्वारा अपने व्यापार में प्रयोग करने के लिए खरीदी गई हैं। किसी प्रकार का ह्रास स्वीकृत नहीं होता। यदि करदाता टूरिस्ट टैक्सी चलाने का व्यापार करता हो तो ऐसी स्थिति में इन करों पर यह प्रतिबन्ध लागू नही होगा।

2. यदि किसी प्लांट एवं मशीन की वास्तविकता लागत 5,000 रु० या इससे कम है तो उस पर साधारण ह्रास निकालने के लिए निर्धारित दरों का प्रयोग नहीं किया जाएगा बल्कि जितनी इसकी वास्तविक लागत है वह सम्पूर्ण रकम उस प्रथम गतवर्ष में ह्रास के रूप में स्वीकृत कर दी जाएगी जिस गतवर्ष में इसका प्रयोग व्यापार अथवा पेशे के लिए किया गया है।

2. अतिरिक्त पारी की छूट (Extra shift allowance)—फैक्ट्री में यदि प्लान्ट एवं मशीन का प्रयोग एक से अधिक पारी में किया जाता है तो यह निश्चित ही है कि ऐसी दशा में उत्पादन में लगी हुई मशीनों की घिसावट (Depreciation) सामान्य से अधिक होगी। अतः इसके लिए अतिरिक्त पारी की छूट देने की व्यवस्था की गई है। यह छूट केवल फैक्टरी में काम आने वाली मशीनों पर ही दी जाती है फैक्टरी की इमारत व फर्नीचर आदि के लिए उपलब्ध नहीं है। छूट की दर प्रत्येक अतिरिक्त पारी के लिए सामान्य ह्रास का 50% होती है अर्थात् यदि तीन पारियों में कार्य हुआ हो तो साधारण ह्रास का 100% तथा यदि दो पारियों में कार्य हुआ हो तो साधारण ह्रास का 50% अतिरिक्त पारी की छूट दी जायेगी।

अतिरिक्त पारी की छूट की गणना निम्न सूत्रों की सहायता से की जाती है :

दोहरी पारी के लिए छूट—

$$\text{साधारण ह्रास} \times \frac{50}{100} \times \frac{\text{गत वर्ष में दोहरी पारी के कार्य दिवस}}{\text{240 या गतवर्ष में कार्य दिन दोनों में से जो अधिक हो}}$$

तिहरी पारी के लिये छूट—

$$\text{साधारण ह्रास की राशि} \times \frac{\text{तिहरी पारी के कार्य दिवसों की संख्या}}{\text{240 दिन या गतवर्ष के कार्य दिवसों की संख्या जो दोनों में से अधिक हो}}$$

टिप्पणी :—यदि कारखाना ऐसा हो जो वर्ष भर काम न करता हो और किसी मौसम विशेष में ही कार्य करता हो जैसे बर्फ, शरबत एवं चीनी कारखाना आदि तो उक्त सूत्रों में 240 दिनों के स्थान पर 180 दिन लिए जायेंगे।

अपवाद :—आयकर नियम 5 के अनुसार कुछ मशीनों पर अतिरिक्त पारी की छूट नहीं दी जायेगी। कुछ प्रमुख सम्पत्तियां इस प्रकार हैं—

कार्यालय मशीनें, मोटर कार, स्कूटर, बस, ट्रक, पानी का जहाज, हवाई जहाज, खनन कार्य हेतु प्रयुक्त मशीनें साइकिलें, एक्सरे मशीन, शल्य यन्त्र, लेखांकन मशीनें आदि।

उदाहरण (Illustration) 1 :—

श्री महेश की 1 जनवरी 1985 को निम्नलिखित सम्पत्तियां थी :—

1. कारखाना भवन अपलिखित मूल्य 8,00,000 रु०
2. गोदाम अपलिखित मूल्य 1,80,000 रु०
3. कार्यालय भवन लागत 3,00,000 रु०, अब तक स्वीकृत ह्रास 1,00,000
4. फर्नीचर अपलिखित मूल्य 40,000 रु०
5. कार्यालय मशीनें—अपलिखित मूल्य 60,000 रु०
6. कारखाना मशीनें— अपलिखित मूल्य 4,80,000 रु०

1985 वर्ष के दौरान निम्न व्यवहार हुए :

a) 4,000 रु० की एक मशीन 1 दिसम्बर 1985 को क्रय की गई।
b) 2,75,000 रु० की लागत की एक मशीन 1 अगस्त, 1985 को स्थापित की गई तथा 5,000 रु० स्थापना व्यय के खर्च हुए। 80,000 रु० की राशि इस मशीन को क्रय करने हेतु राज्य सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त हुई। इस मशीन पर ह्रास की निर्धारित दर 20% है।
c) 68,000 रु० की लागत की एक मोटर कार 1 सितम्बर, 1985 को क्रय की गई। ये निजी उपयोग में भी आती है तथा व्यवसाय के लिए उपयोग 60% किया गया।
d) 6,000 रु० मूल्य की पुस्तकें 1 जून 1985 को क्रय की गई।

31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए साधारण ह्रास की कितनी राशि स्वीकृत होगी? गणना कीजिए।

The particulars of Assets held by Shri Mahesh on 1 Jan. 1985 are as under :

1. Factory building written down value Rs. 8,00,000.
2. Godown building written down value Rs. 1,80,000.
3. Office building cost Rs. 3,00,000, Depreciation allowed to date Rs. 1,00,000
4. Furniture written down value Rs. 40,000.
5. Office Machines written down value Rs. 60,000.
6. Factory Machines written down value Rs. 4,80,000. Transactions during the year 1985 were as under :

a) A machine costing Rs. 4,000 purchased on 1st Dec. 1985.
b) A machine costing Rs. 2,75,000 was installed on 1st August 1985 and cost of instalation incurred Rs. 5,000. Rs 80,000 received as subsidy from State Government to purchase it, prescribed rate of depreciation only on this machine is 20%.
c) A Car purchased on 1st Sept. 1985 at cost Rs. 68,000. It also used in private use, office use of this car was 60%.
d) Books costing Rs. 6,000 purchased on 1st June 1985.

Compute the amount of normal depreciation allowed for the previous year ending 31st Dec. 1985.

हल (Solution) : **Computation of Depreciation allowable to Shri Mahesh for Assessment year 1986-87**

	Rs.
On Factory Building @ 10% on Rs. 8,00,000	80,000
On Godown Building @ 5% on Rs. 1,80,000	9,000
On Office Building @ 5% on Rs 2,00,000	10,000
On Furniture @ 10% on Rs. 40,000	4,000
On Office Machines @ 15% on Rs. 60,000	9,000
On Factory Machines @ 15% on Rs. 4,80,000	72,000
On Machine Purchased on 1st Aug., 1985 @ 20% on Rs. 2,00,000	40,000
On Machine Purchased on 1st Dec. 1985	4,000
On Car @ 20% on 68,000 = Rs. $13,600 \times \frac{60}{100}$ (For business use)	8,160
On Books @ 100% on Rs. 6,000	6,000
	2,42,160

टिप्पणी :—1. यदि किसी मशीन या प्लांट की वास्तविक लागत 5,000 रु० से अधिक नहीं है तो जिस गतवर्ष में प्रथम बार इसका प्रयोग व्यापार में किया जाता है उसी गतवर्ष में सम्पूर्ण राशि ह्रास के रूप में स्वीकार कर दी जाती है। पुस्तकें भी प्लांट में सम्मिलित होती हैं और यह मानते हुए कि किसी एक पुस्तक का मूल्य 5,000 रु० से अधिक नहीं है सम्पूर्ण राशि ह्रास के रूप में कटौती योग्य है।

2. स्थापना व्यय मशीन की लागत में जोड़ दिये गये और अनुदान को लागत में से कम कर दिया गया है।

3. मोटर कार पर 20% की दर से ह्रास स्वीकृत होता है इसका 60% प्रयोग व्यापार के लिए अतः ह्रास का 60% ही व्यापार शीर्षक में कटौती योग्य होगा।

4. यदि गतवर्ष में सम्पत्ति का प्रयोग कुछ समय के लिए भी किया जाता है तो भी निर्धारित दरों से साधारण ह्रास स्वीकार्य है।

उदाहरण (Illustration) 2 : यू. पी. की एक सहकारी चीनी मिल एक मौसमी फैक्ट्री है गतवर्ष 1985-86 में मिल के एक विभाग ने 150 दिन कार्य किया व दूसरे में 200 दिन। पहले विभाग में 2,00,000 रु० की मशीन लगी हुई है व दूसरे में 2,50,000 रु० के मूल्य की। ह्रास की दर 15% है। आप यह मानते हुए साधारण ह्रास एवं अतिरिक्त पारी की छूट की गणना कीजिए कि दोनों विभागों ने 90 दिन दो पारियों में व 60 दिन तीन पारियों में कार्य किया है।

Co-operative Sugar Mill of U.P. is a seasonal factory. During the year 1985-86 one section of the Mill worked for 150 days and second for 200 days. The cost of plant or machinery installed in the two sections amount to Rs. 2,00,000 and Rs. 2,50,000 respectively. General rate of depreciation is 15%. You are required to calculate normal depreciation etc assuming that both sections worked in double and triple shifts for 90 and 60 days respectively.

हल (Solution) :

	FIRST SECTION	Rs.	SECOND SECTION	Rs.
No. of working days	150 days		200 days	
Normal depreciation	15% of 2,00,000	30,000	15% of 2,50,000	37,500
No. of days for double shifts	90 days		90 days	
Double shift allow.	$30{,}000 \times \frac{50}{100} \times \frac{90}{180}$	7,500	$37{,}500 \times \frac{50}{100} \times \frac{90}{200}$	8,438
No. of days for triple shift	60 days		60 days	
Triple shift allowance	$30{,}000 \times \frac{60}{180}$	10,000	$37{,}500 \times \frac{60}{200}$	11,250
Total Depreciation		47,500		57,188
Written down value	2,00,000—47,500	1,52,500	2,50,000—57,188	1,92,812

टिप्पणी :—प्रथम विभाग में वास्तविक कार्य दिवसों की संख्या मोसमी कारखाने की स्थिति में 180 से कम है अतः अतिरिक्त पारी की छूट की गणना के लिए 180 दिन को आधार बनाया गया है।

उदाहरण (Illustration) 3 : अग्रवाल एण्ड कम्पनी की दो फैक्टरियाँ बम्बई व आगरा में स्थित हैं। इनकी गतवर्ष 1985-86 उत्पादन के सम्बन्ध में सूचना इस प्रकार है :—

बम्बई :—फैक्टरी ने गतवर्ष में 150 दिन दो पारियों में व अन्य 50 दिन तीन पारियों में कार्य किया। वर्ष में कार्यशील दिवस 300 हैं। ह्रास आदि के लिए मशीन का अपलिखित मूल्य 3,00,000 रु० है व ह्रास की दर 15% है।

आगरा :—गतवर्ष में फैक्टरी 200 दिन चली जिसमें से 40 दिन तीन पारियों में तथा 120 दिन दो पारियों में चली। मशीन का अपलिखित मूल्य 1,50,000 रु० है तथा ह्रास की दर 15% है।

आप साधारण ह्रास, अतिरिक्त पारियों की छूट व अगले गतवर्ष के लिए अपलिखित मूल्य निकालिए।

M/s Agrawal and company are the owners of two manufacturing units situated at Bombay and Agra. The revalent particulars regarding their production activities are as follows for the previous year 1985-86.

Bombay Factory : Worked double shifts for 150 days and triple shifts for 50 days in the relevant previous year, The factory worked for 300 days in the year. The written down value of the machine for the purpose of depreciation is Rs.3,00,000 and the general rate of depreciation is 15%.

Agra Factory : The factory worked for only 200 days in that year out of which it worked in triple shifts for 40 days and double shifts for 120 days. The written down value of the machinery is Rs. 1,50,000. Rate of depreciation is 15%.

You are required to compute normal depreciation, extra shift allowance and the written down value for the next previous year.

—

Solution :

	BOMBAY		AGRA	
No. of working days	300 days		200 days	
Normal depreciation	15% of 3,00,000	45,000	15% of 1,50,000	22,500
No. of days for double shifts	150 days		120 days	
Double shift allowance	$45{,}000 \times \frac{50}{100} \times \frac{150}{300}$	11,250	$22{,}500 \times \frac{50}{100} \times \frac{120}{240}$	5,625
No. of days for triple shifts	50 days		40 days	
Triple shift allowance	$45{,}000 \times \frac{50}{300}$	7,500	$22{,}500 \times \frac{40}{240}$	3,750
Total depreciation		63,750		31,875
Written down value	3,00,000—63,750	2,36,250	1,50,000—31,8,75	1,18,125

टिप्पणी :—आगरा फैक्ट्री में कार्य केवल 200 दिन हुआ है अतः अतिरिक्त पारी की छूट की गणना करने के लिए 240 दिन का आधार बनाया गया है।

3. अतिरिक्त छूट (Extra Allowance)—यह छूट ऐसे मशीन तथा प्लान्ट के लिए स्वीकृत की जाती है जो एक ऐसे होटल के भवन में लगाई गई हो जो भारतीय कम्पनी द्वारा संचालित हो एवं केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित हो। अतिरिक्त छूट साधारण ह्रास के 50% के बराबर दी जाती है।

4. अतिरिक्त ह्रास (Additional Depreciation)

अ) प्लाँट व मशीन : अतिरिक्त ह्रास उन नई प्लाँट व मशीनों के लिए मिलेगा जो 31-3-1980 के बाद किन्तु 1 अप्रैल 1985 के पूर्व लगाई गई हैं। यह कटौती उन पुरानी मशीन व प्लाँट पर भी मिलेगी जिन्हें विदेशों से इस अवधि के दौरान आयात किया गया है। यदि पुरानी मशीन विदेशों से आयात की गई है तो इस सन्दर्भ में निम्न-लिखित शर्तों का पालन करना ज़रूरी है :

i. ऐसी मशीन व प्लाँट को इससे पहले कभी भी भारत में काम में नहीं लाया गया।
ii. इससे पहले कभी भी इस प्लाँट व मशीन पर भारतीय आयकर अधिनियम के अधीन ह्रास स्वीकृत नहीं किया गया है।

निम्नलिखित सम्पत्तियों पर यह कटौती स्वीकृत नहीं होती है—

a) जहाज, वायुयान एवं सड़क यातायात के वाहन।
b) कार्यालय एवं आवासीय भवनों में लगाई गई मशीन एवं प्लाँट।
c) ऐसा प्लाँट या मशीन जिस पर गतवर्ष में ही वास्तविक लागत के बराबर ह्रास या अन्य कटौती मिल चुकी है।

ब) अतिरिक्त ह्रास की दर : अतिरिक्त ह्रास साधारण ह्रास का 50% होगा। यह अतिरिक्त पारी की छूट पर नहीं मिलेगा। होटल में लगी प्लाँट व मशीन पर जो अतिरिक्त कटौती मिलती है उस पर भी अतिरिक्त ह्रास स्वीकृत नहीं होगा। उदाहरण के लिए ऐसी मशीन जिसकी लागत 1,00,000 रु० है तथा जिस पर यदि साधारण ह्रास 20% अर्थात् 20,000 रु० मिलता है, अतिरिक्त ह्रास साधारण ह्रास का (अर्थात् 20,000 रु०) का 50% अर्थात् 10,000 रु० मिलेगा। अतिरिक्त पारी की छूट साधारण ह्रास में सम्मिलित नहीं होगी।

स) कटौती मिलने वाला वर्ष : अतिरिक्त कटौती उस वर्ष में मिलेगी जिसमें कि मशीनें स्थापित की गई हैं। यदि मशीन का प्रयोग अगले वर्ष में हुआ है तो यह कटौती अगले वर्ष में मिलेगी। यह कटौती केवल एक वर्ष के लिए ही स्वीकृत होगी।

द) अतिरिक्त ह्रास एवं अपलिखित मूल्य : अतिरिक्त ह्रास को सम्पत्ति के अगले वर्ष के लिए, अपलिखित मूल्य की गणना के लिए साधारण ह्रास की भाँति ही घटाया जायेगा। मशीन के लिए मिलने वाला साधारण ह्रास, अतिरिक्त ह्रास एवं अतिरिक्त पारी की छूट उसके लागत मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5. प्रारम्भिक ह्रास (Initial Depreciation)—यह कटौती प्रोत्साहन के रूप में उन नई मकान सम्पत्तियों पर दी जाती है जिनका प्रयोग विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। यह कटौती जिस गतवर्ष में भवन का प्रथम बार प्रयोग हुआ है उस गतवर्ष में दी जाती है। यह कटौती केवल एक ही बार दी जाती है तथा साधारण ह्रास के अतिरिक्त होती है।

अ. कर्मचारियों के लिए भवन (Building for employees)—31 मार्च 1961 के बाद में बनवाई गई ऐसी नई इमारतों पर प्रारम्भिक ह्रास मिलता है जो व्यापार में निम्नलिखित उद्देश्यों में काम आती है।

a) ऐसे कर्मचारियों के निवास स्थान के लिए प्रयुक्त हों जिनकी वेतन शीर्षक की करयोग्य आय 10,000 रु० से अधिक नहीं हो तथा जो करदाता के अपने व्यापार आदि से सम्बन्धित होने चाहिए।
b) उपर्युक्त कर्मचारियों के कल्याण कार्यों के लिए, जैसे अस्पताल, कैंटीन, आराम गृह, भोजनालय, आमोद-प्रमोद-भवन आदि।

इन इमारतों के लिए प्रारम्भिक ह्रास की दर इनकी वास्तविक लागत का 40% है। कर निर्धारण वर्ष 1978-79 तक यह दर 20% थी।

ब. होटल व्यापार के लिए प्रयोग में आने वाले भवन (Building for Hotel business)—होटल व्यापार में काम आने वाले नये भवनों पर वास्तविक लागत के 25% की दर से प्रारम्भिक ह्रास मिलता है ये भवन एक कम्पनी के स्वामित्व में होना चाहिए तथा होटल केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कटौती के लिए स्वीकृत होना चाहिए। ऐसा ह्रास केवल उसी गतवर्ष में स्वीकृत किया जाता है जिस गतवर्ष में भवन का उपयोग प्रथम बार होटल चलाने हेतु किया गया हो।

टिप्पणी :—कर निर्धारण वर्ष 1983-84 तक प्रारम्भिक ह्रास को साधारण ह्रास की गणना करने के लिए अपलिखित मूल्य ज्ञात करते समय लागत में से नहीं घटाया जाता था किन्तु अंतिम ह्रास अथवा संतुलित प्रभार (जिसका वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया है) की गणना करने के लिए घटाया जाता था किन्तु कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 से अपलिखित मूल्य की गणना करते समय प्रारम्भिक ह्रास को भी लागत में से घटाया जाता है। अर्थात कर निर्धारण वर्ष 1983-84 अथवा पूर्व के वर्षों में भवन पर स्वीकृत प्रारंभिक ह्रास कर निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए ऐसे भवन का अपलिखित मूल्य ज्ञात करने के लिये घटाया जायेगा।

6. अन्तिम ह्रास (Terminal Depreciation)—यदि गतवर्ष के पूर्व के वर्षों में व्यापार अथवा पेशे के लिए खरीदी गई मशीनरी, प्लान्ट, भवन अथवा फर्नीचर यदि गतवर्ष में बेच दी जाये, प्रयोग योग्य न रहे, नष्ट हो जाये अथवा गिरा दी जाए तो

उसके सम्बन्ध में प्राप्त राशि उसके अपलिखित मूल्य से जितनी कम हो उस कमी को अन्तिम ह्रास कहते हैं। यदि ऐसी कमी अर्थात हानि को करदाता ने लेखा पुस्तकों में अपलिखित कर दिया हो तो इसकी अन्तिम ह्रास के रूप में कटौती स्वीकृत की जाती है। अन्तिम ह्रास की कटौती के सम्बन्ध में निम्न बातें महत्वपूर्ण हैं :—

क. प्राप्त राशि से तात्पर्य—विक्री से प्राप्त राशि, बीमा कम्पनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की रकम तथा इसके अवशिष्ट मूल्य आदि के योग को शामिल किया जाता है।

ख. जिस गतवर्ष में सम्पत्ति प्राप्त हुई थी यदि उसी गतवर्ष उसे वेच दिया जाये या नष्ट हो जाये तो उस पर न तो साधारण ह्रास की एवं न ही अन्तिम ह्रास की कटौती दी जायेगी। इस स्थिति में उत्पन्न होने वाली हानि अल्पकालीन पूंजी हानि कहलाती है और अल्पकालीन हानि की तरह माना जाकर नियमानुसार हानि की पूर्ति की जायेगी। इसी प्रकार यदि सम्पत्ति का उपयोग उस गतवर्ष में (जिस गतवर्ष में सम्पत्ति को वेचा गया है) कुछ समय के लिए भी व्यापार एवं पेशे के लिए नहीं किया गया है तो अन्तिम ह्रास स्वीकृत नहीं होगा वल्कि पूंजीगत हानि मानी जायेगी।[1]

ग. अन्तिम ह्रास की गणना के लिए अपलिखित मूल्य से आशय ऐसे मूल्य से है जो सम्पत्ति की वास्तविक लागत में से भूतकाल में स्वीकृत समस्त ह्रास (प्रारम्भिक ह्रास को सम्मिलित करते हुए) को कम करने के बाद आता है।

घ. जिस गतवर्ष से किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्तिम ह्रास की छूट दी गई है उस गतवर्ष में उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्य कोई छूट स्वीकृत नहीं होगी।

ङ 1 मार्च 1975 के पूर्व क्रय की गई कार की वास्तविक लागत यदि 25,000रु० मानी गई है तो उसके सम्बन्ध में प्राप्त मूल्य वास्तव में प्राप्त मूल्य से कम माना जायेगा तथा इसकी गणना निम्न सूत्र से की जायेगी।

$$\text{माना गया प्राप्त मूल्य} = \text{प्राप्त राशि} \times \frac{25{,}000}{\text{वास्तविक लागत}}$$

7. **संतुलित प्रभार अथवा संतुलित चार्ज (Balancing Charge)** – सन्तुलित प्रभार अन्तिम ह्रास का ठीक विपरीत है। करदाता द्वारा गतवर्ष में यदि कोई व्यापार में प्रयोग होने वाली सम्पत्ति वेच दी जाये, गिरा दी जाये या नष्ट हो जाये और उसके सम्बन्ध में प्राप्त रकम (विक्रय मूल्य, क्षतिपूर्ति की राशि या अवशिष्ट मूल्य आदि) अपलिखित मूल्य से यदि अधिक हो तो यह आधिक्य की राशि सन्तुलित प्रभार कहलाएगा और करदाता की व्यापार एवं पेशे की कर योग्य आय में सम्मिलित की जायेगी और यदि यह प्राप्त रकम वास्तविक लागत से भी अधिक है तो वास्तविक लागत से अधिक प्राप्त राशि को पूंजी लाभ माना जायेगा। जिसका वर्णन अगले अध्याय में किया गया है।

वैज्ञानिक अनुसन्धान में प्रयुक्त सम्पत्ति के लिए सन्तुलित प्रभार की गणना : उन सभी सम्पत्तियों, जिनका प्रयोग व्यापारी द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए हुआ है अथवा जिनके लिए भारित कटौती प्राप्त की गई है, के अनुपयोगी होने पर इनके विक्रय से होने वाली आय कटौती की रकम तक संतुलित प्रभार होगा व इस पर आयकर देना होगा। इससे अधिक रकम प्राप्त होने पर ऐसा आधिक्य पूंजीलाभ माना जाता है। उदाहरण के लिए एक सम्पत्ति 2,000 रु० की खरीदी गई जिसके लिए भारित कटौती

1. Western States Trading Co. (P) (Ltd) v. CIT (1971) 80 ITR 21 (SC).

2,500 रु० की प्राप्त हुई। कुछ वर्षों बाद यह अनुपयोगी सिद्ध हुई व इसे 2,800 रु० में विक्रय किया गया। इस उदाहरण में विक्रय वाले वर्ष में 2,500 रु० का सन्तुलित चार्ज हुआ व 300 रु० पूँजीलाभ होंगे।

टिप्पणी :—1. अपलिखित मूल्य एवं प्राप्त रकम का आशय सन्तुलित प्रभार के लिए भी वहीं होगा जो अन्तिम ह्रास के सन्दर्भ में बताया गया है।

2. गतवर्ष के पहले ही वन्द हो चुके व्यापार एवं पेशे की सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी यदि कोई सन्तुलित प्रभार होता है तो भी वह कर योग्य होगा।

8. अशोधित ह्रास (Unabsorbed depreciation)—किसी गतवर्ष में यदि व्यापार से लाभों के न होने अथवा उनके अपर्याप्त होने के कारण साधारण ह्रास, अतिरिक्त पारी की छूट अथवा प्रारम्भिक ह्रास नहीं घटाया जा सका है अथवा कम रकम ही इस लाभ में से घटाई जा सकी है तो ह्रास की वह रकम जो लाभों में न घटाई जा सकी हो, अशोधित ह्रास कहलाती है जिसे अगले वर्षों में ले जाते हैं तथा अगले वर्षों में किसी भी आय में से इसे घटाया जा सकता है। इसका विस्तृत वर्णन "हानियों की पूर्ति" शीर्षक अध्याय में किया गया है।

ह्रास की रकम सर्वप्रथम उस व्यापार के लाभों में से घटाई जाती है जिसमें कि सम्पत्तियों का प्रयोग किया गया है लाभों के अपर्याप्त होने पर व्यापार के अन्य लाभों में से इसे घटा देते हैं। 'यदि व्यापार के लाभ' शीर्षक के अन्तर्गत रकम अपर्याप्त हो तो किसी भी अन्य आय में से इसे घटाया जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि अशोधित ह्रास को जब अगले वर्ष में ले जाया जाता है तब उसे किसी भी अन्य आय में से घटाया जा सकता है।

उदाहरण (Illustration) 4 : निम्न विवरण से 31 दिसम्बर 1985 को समाप्त होने वाले गतवर्ष के लिए स्वीकार्य ह्रास की राशि कीं गणना कीजिए :

	रु०
a) मशीनरी का अपलिखित मूल्य 1-1-1985 को	3,60,000
b) 13-3-85 को मशीनरी में वृद्धि की	75,000
c) 1-10-85 को मशीनरी क्रय की परन्तु प्रतिस्थापना नहीं की गई	60,000
d) मशीनरी की बिक्री की राशि (इसको 1-1-1983 को 84,000 रु० क्रय किया था।)	1,00,000
e) 30-11-1985 को आग लगने से मशीनरी नष्ट हो गई है इसे 1-8-1984 को 25,000 रु० में क्रय किया था।) बीमा कम्पनी से प्राप्त राशि	15,500
f) ह्रास की दर	15%

g) सभी मशीनों ने प्रत्येक वर्ष 200 दिवस तीन पारी में कार्य किया।
h) फैक्ट्री के वर्ष भर के कार्य करने के दिवस प्रत्येक वर्ष 300 दिन थे।

From the following details, compute Depreciation allowable for the previous year ended on 31st December 1985.

	Rs.
a) Written down value of Machinery on 1-1-1985	3,60,000
b) Addition to Machinery made on 13-3-85	75,000
c) Machinery purchased on 1-10-1985 but not installed	60,000
d) Sale proceeds of Machinery	1,00,000
It was bought on 1-1-1983 for	84,000

e) Machinery destroyed in a fire accident on 30-11-1985.
It was purchased on 1-8-1984 for 25,000
Amount received from Insurance Company 15,500
f) Rate of Depreciation 15%
g) All items of machinery have worked in triple shift for 200 days in each year.
h) Working days of the factory each year were 300 days.

(Rajasthan B. Com. 1981 Modified)

हल (Solution) :

Computation of Allowable Depreciation for the Assessment Year 1986-87

	Rs.
Normal Depreciation 15% on 3,75,600	56,340
Extra Shift Allowance for Triple Shift	37,560
Terminal Depreciation	1,375
Extra Depreciation [50%(15% of 75,000)]	5,615
	1,00.900

टिप्पणी : 1. 1-1-1983 को क्रय की गई मशीनरी की 1-1-85 को अपलिखित मूल्य (WDV) की गणना निम्न प्रकार से की गई :—

Cost of Machinery		84,000
Less : Depreciation for A.Y. 1984-85		
Normal depreciation (15% of 84,000)	12,600	
Extra Depreciation (50% of 12,600)	6,300	
Triple Shift Allow. $\left(12,600 \times \frac{200}{300}\right)$	8,400	27,300
		56,700
W.D.V. on 1-1-84		
Normal Depreciation (15% of 56,700)	8,505	
Triple Shift Allow. $\left(8,505 \times \frac{200}{300}\right)$	5,670	14,175
W.D.V. on 1-1-85		42,525

2. 1-8-84 को क्रय की गई मशीनरी की 1-1-1985 को अपलिखित मूल्य (WDV) की गणना :

Cost of Machinery		25,000
Less : Depreciation for A Y. 1985-86		
Normal Depreciation	3,750	
Extra Depreciation (50% of 3,750)	1,875	
Extra Shift Allow. $\left(3,750 \times \frac{200}{300}\right)$	2,500	8,125
W.D.V. on 1-1-85		16,875

3. साधारण ह्रास की गणना :

W.D.V. as on 1-1-85		3 60,000
Additions during the year		75.000
		4,35,000
Less : W.D.V. of Machinery purchased on 1-1-83	42,525	
on 1-8-84	16,875	59,400
		3,75,600

साधारण ह्रास 3,75,600 रु० का 15% अर्थात 56,340 रु०

4. तिहरी पारी के लिए अतिरिक्त पारी की छूट की गणना :

$$56{,}340 \times \frac{200}{300} = 37560$$

5. 1-8-84 को क्रय की गई सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्तिम ह्रास की गणना :

W.D.V on 1-1-85	16,875
Insurance claim received	15,500
Terminal Depreciation	1,375

6. 1-1-1983 को जिस मशीन को 84,000 रु० में क्रय किया गया था उसका अपलिखित मूल्य 1-1-1985 को 42,525 रु० था तथा इसे गतवर्ष 1985 में 1,00,000 रु० में बेचा गया। लागत मूल्य एवं अपलिखित मूल्य का अन्तर 41,475 रु० संतुलित प्रभार के रूप में व्यापार एवं पेशे शीर्षक की आय में करयोग्य है। लागत से अधिक प्राप्त किये गये 16,000 रु० पूँजीगत लाभ होंगे।

7. 1-10-1985 को क्रय की गई मशीनरी पर ह्रास स्वीकृत नहीं किया जायेगा क्योंकि मशीनरी काम में नहीं ली गयी है।

8. नई मशीन पर स्वीकृत साधारण ह्रास के 50% के बराबर अतिरिक्त ह्रास की कटौती दी गई है क्योंकि मशीन 1 अप्रैल 1985 से पूर्व खरीदी गई है।

उदाहरण (Illustration) 5 : घोष सान्याल एण्ड कम्पनी के खातों से निम्न जानकारी उपलब्ध हुई है, आप इन सम्पत्तियों के सम्बन्ध में साधारण ह्रास, अन्तिम ह्रास, एवं संतुलित चार्ज आदि निकालिए :

a) 1 अप्रैल 1985 को प्लांट अथवा मशीनरी की पुस्तकों में कीमत 3,25,560 रु० दिखाई हुई थीं। इसमें से एक मशीन जिसका अपलिखित मूल्य 35,000 रु० था आग लगने के कारण नष्ट हो गई। औरियन्टल जनरल इन्श्यौरेन्स कम्पनी द्वारा 27,500 रु० इस मशीन की हानि के लिये मुआवजे के रूप में दिये गये। एक अन्य मशीन, जिसका अपलिखित मूल्य 31,000 रु० था, 35,560रु० में बेच दी गई 25-10-1985 को 60,000रु० की लागत की एक नई मशीन क्रय की जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1986 को की गई। ह्रास की दर 15% थी।

b) कम्पनी के उन कर्मचारियों के लिये जो कम वेतन पाते हैं, एक रिहायशी भवन का निर्माण किया गया। इनके पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र नगर निगम से 30 नवम्बर 1985 को प्राप्त हुआ। यह भवन जिसकी लागत 3,50,000 रु० है, 10,000 रु० वार्षिक से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को किराये पर उठाया गया है।

c) 15 अक्टूबर 1985 को 2,740 रु० का एक टाइपराइटर खरीदा गया।

The following particulars have been extracted from the books of Ghosh Sanyal & Co. You are requested to compute normal depreciation, intial depreciation, terminal depreciation and balancing charge etc. in respect of these assets :

a) Plant or machinery stood at Rs. 3,25,560 on 1st April, 1985. Out of this a machine which stood at Rs. 35,000 was destroyed by fire whereas another machine with the written down value of Rs. 31,000 was sold for Rs. 35,560. The company was

compensated by the Oriental General Insurance company for loss of machine by fire to the extent of Rs. 27,500. A new machine costing Rs. 60,000 purchased on 25th October 1985 which was installed on 1st January 1986. The rate of depreciation is 15%.

b) A building was got constructed for residential Purposes of the low paid employees of the company. The completion certificate was received from the Municipal Board on 30th November 1985 the building which costs Rs. 3,50,000 is let out to the employees drawing less then Rs. 10,000 p.a.

c) A typewriter is bought for Rs. 2,740 on 15th October, 1985.

हल (Solution) :

Computation of Depreciation Allowed for the Assessment year 1986-87

			Rs.
A. Normal Depreciation :			
Plant : 15% on Rs. 3,19,560 (3,25,560+60,000—35,000 -31,000)			47,934
Typewriter : 100% on Rs. 2,740			2,740
Building : 5% on Rs. 3,50,000			17,500
	A		68,174
B. Initial Depreciation :			
Building 40% on Rs. 3,50,000	B		1,40,000
C. Terminal Depreciation :		Rs.	
W.D.V. of machine destroyed		35,000	
Less Compensation received		27,500	7,500
C Terminal Depreciation			
D. Balancing charge :			
Sale proceeds of Machine		35,560	
Less : Written down value		31,000	4,560
D Balancing Charge			

टिप्पणी—1. 60,000 रु० लागत की नई मशीन की स्थापना 31 मार्च 1985 के पश्चात् हुई है अतः अतिरिक्त ह्रास की छूट नहीं दी जायेगी।

विनियोग भत्ता (Investment Allowance [32A]

इस भत्ते का प्रमुख उद्देश्य महत्वपूर्ण उद्योगों तथा सभी लघु उद्योगों में विनियोजन को बढ़ावा देना है। करदाता द्वारा 31 मार्च 1976 के बाद खरीदे गये प्लान्ट या मशीन पर निर्धारित दरों से यह छूट प्राप्त होती है। इनके सम्बन्ध में प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है :—

1. मुख्य विशेषतायें (Main characteristics) ;
   a) यह केवल जहाज, हवाई जहाज, मशीन अथवा प्लांट के लिए उपलब्ध है।
   b) ये सम्पत्तियां करदाता के स्वामित्व में होनी चाहिए।
   c) ये करदाता के द्वारा संचालित व्यापार में पूर्णतः प्रयोग में आनी चाहिए।
   d) यह कटौती उन गतवर्ष के लिये मिलती है जिसमें जहाज आदि को खरीदा गया है अथवा मशीन आदि को स्थापित किया गया है।
   e) ऐसी दशा में जबकि इनका प्रयोग अगले गतवर्ष से चालू हुआ है तो कटौती अगले गतवर्ष में ही मिलेगी।

2. परिसीमायें (Limitations)—विनियोग भत्ता निम्न के लिये उपलब्ध नहीं होता :—

a) ऐसी मशीन व प्लांट जो किसी आफिस अथवा रिहायशी स्थान में लगाये गये हैं, इसमें अतिथि गृह भी सम्मिलित है।
b) कार्यालय में काम आने वाले प्लांट एवं मशीन व सड़क यातायात के वाहन।
c) ऐसी मशीन अथवा प्लांट जिसकी लागत के लिए 'व्यापार अथवा पेशे' के लाभों के अन्तर्गत पूर्ण कटौती उपलब्ध है।

3. पात्रता (Eligibility) :

a) समुद्री में हवाई यातायात के व्यवसाय में लगे करदाता द्वारा समुद्री-जहाज व हवाई-जहाज जो 21 मार्च, 1976 के बाद में खरीदे जाते हैं अथवा इस तिथि के बाद विदेशों से आयात किये गये ऐसे जहाजों के सम्बन्ध में जो आयात के पूर्व कभी भी भारत में निवासी व्यक्ति स्वामित्व में न थे।
b) विद्युत-शक्ति अथवा किसी अन्य चालक-शक्ति के उत्पादन अथवा वितरण के व्यापार में काम आने वाले नवीन मशीन व प्लांट जो 31 मार्च, 1976 के बाद में प्राप्त किये गये है।
c) किसी भी वस्तु के उत्पादन व निर्माण में लगे हुए लघु उद्योग में काम आने वाले नवीन मशीन व प्लांट जो 31 मार्च 1976 के बाद में खरीदे गये हैं।
d) लघु उद्योग के अतिरिक्त किसी अन्य औद्योगिक संस्थान द्वारा 31 मार्च 1976 के बाद में खरीदे गये प्लांट व मशीन जबकि इनका उपयोग ऐसी वस्तुओं के उत्पादन व निर्माण के लिए होता हो जिसका उल्लेख अधिनियम की ग्यारहवीं अनुसूची में नहीं होना चाहिये।[1]
e) भारतीय कम्पनी जो कि समुद्री जहाजों की मरम्मत के व्यापार में लगी है के द्वारा 31 मार्च, 1983 के बाद खरीदी गई प्लांट एवं मशीनरी।
f) 31 मार्च, 1976 के बाद विदेशों से आयात की गई एसी पुरानी मशीन व प्लान्ट जिनका भारत में पहले कभी प्रयोग न हुआ हो, जिसको भारत के बाहर किसी अन्य देश से आयात किया गया हो तथा जिस पर भारतीय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत इसके पूर्व ह्रास की कटौती न मिली।

टिप्पणी : लघु उद्योग (Small scale industry)—एक औद्योगिक इकाई लघु उद्योग मानी जावेगी। यदि सम्बन्धित गतवर्ष के अन्तिम दिन इसमें स्थापित प्लांट व मशीन का मूल्य 35 लाख रुपये से अधिक नहीं है।[2] इस बारे में अन्य विवरण इस प्रकार है :

अ. मशीन व प्लांट की दशा में इनकी करदाता के लिये वास्तविक लागत लीं जाती है।
ब. ऐसी मशीन ब प्लान्ट की स्थिति में जो करदाता ने किराये पर ली हैं, इनके स्वामी के लिये इनकी लागत मालूम करेंगे तथा उस मूल्य को इस उद्देश्य के लिये लेंगे।

---

1. ग्यारहवीं अनुसूची के लिये इस पुस्तक के अन्त में दिया गया Appendix देखिये।
2. 31-7-1980 से पहले समाप्त होने वाले गतवर्षों के लिये यह सीमा 10 लाख रु० एवं 31 जुलाई 1980 के बाद किन्तु 18 मार्च 1985 के पूर्व समाप्त होने वाले गतवर्षों के लिए यह सीमा 20 लाख रु० थी।

स. प्लान्ट व मशीन के मूल्य की गणना करते समय औजार (Tools), जिग (Jigs) ठप्पे (Dies) व सांचों (Moulds) के मूल्य को शामिल नहीं करते।

4. दर (Rate) ; उपरोक्त वर्णित प्लान्ट व मशीन जहाज आदि के सम्बन्ध विनियोग भत्ता वास्तविक लागत 25% स्वीकृत होता है।

ऊँची दर से विनियोग भत्ता (Investment Allowance at higher rate)—[धारा 32A(2B)]—उन सभी प्लान्ट व मशीनों के लिये 35% की दर से विनियोग भत्ता दिया जायेगा जो सरकारी प्रयोगशालाओं में या सरकार द्वारा वित्त पोषित (financed) किसी प्रयोगशालाओं में अथवा किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी या किसी विश्वविद्यालय के स्वामित्व वाली प्रयोगशाला में विकसित तकनीकी ज्ञान के आधार पर वस्तुओं के निर्माण व उत्पादन में काम में आते हैं। इस सन्दर्भ में अन्य शर्तें इस प्रकार है :

a. वस्तुओं के उत्पादन का अधिकार ऐसी प्रयोगशाला से खरीद लिया गया है।
b. करदाता द्वारा आय के नक्शे के साथ निर्धारित प्राधिकारी का एक प्रमाण-पत्र देना होगा कि ऐसी वस्तु का निर्माण या उत्पादन ऐसी तकनीक या जानकारी किया गया जिसका विकास अथवा आविष्कार उपर्युक्त प्रयोगशाला में हुआ है।
c. ऐसी प्लान्ट एवं मशीन 30 जून 1977 के बाद किन्तु 1 अप्रैल 1987 के पूर्व लगाई गई हो।
d. मशीन एवं प्लान्ट का उपयोग किसी ऐसी वस्तु के निर्माण में नहीं होगा जिसका उल्लेख ग्यारहवीं अनुसूची में किया गया है।

यदि किसी औद्योगिक संस्थान ने 31-5-1983 के बाद में ऐसी मशीन व प्लान्ट लगाये हैं जिनसे वातावरण के प्रदूषण को रोका जा सकता है एवं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित है तो इस पर 35% की दर से विनियोग भत्ता दिया जाने का प्रावधान है।

5. विनियोग भत्ता स्वीकार करने की अनिवार्य शर्तें : (Necessary Conditions)

a) विवरणों को प्रस्तुत करना :—करदाता को ऐसी सम्पत्ति (मशीन, प्लान्ट, जहाज, हवाई जहाज) के बारे में निर्धारित विवरणों को आयकर अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है।

b) स्वीकृत विनियोग भत्ते की राशि का 75% (समुद्री जहाज के लिये 50%) विनियोग भत्ता संचय खाते में हस्तांतरित किया जाना चाहिये एवं उस वर्ष के लाभ हानि खाते में इस राशि को डेबिट किया जाना चाहिये।

c) जिस गतवर्ष में समुद्री जहाज अथवा हवाई जहाज प्राप्त किया गया है अथवा मशीन प्लान्ट स्थापित की गई है, उसके बाद 10 वर्षों के भीतर कभी भी विनियोग भत्ता संचय खाते में जमा रकम का प्रयोग नई मशीन अथवा प्लान्ट अथवा जहाज अथवा हवाई जहाज के क्रय करने में करना पड़ेगा। ये मशीन प्लान्ट इत्यादि ऐसे नहीं होने चाहिये जिन पर विनियोग भत्ते की छूट नहीं मिलती है।

d) जब तक नया जहाज, हवाई जहाज, मशीन अथवा प्लान्ट नहीं खरीद लिया जाये तब तक संचय की राशि को अपने इस व्यापार में ही प्रयोग करना होगा। इस संचय का प्रयोग लाभांश देने अथवा लाभों के रूप में विदेश भेजने अथवा विदेश में सम्पत्ति खरीदने के लिए नहीं किया जा सकता है।

e) करदाता सम्बन्धित सम्पत्ति को विनियोग भत्ता स्वीकृत होने वाले गतवर्ष के बाद वाले आठ वर्षों के दौरान किसी भी व्यक्ति को विक्रय अथवा अन्य किसी तरीके द्वारा हस्तान्तरित नहीं कर सकता है। यदि सम्पत्ति का हस्तान्तरण निम्न परिस्थिति में किया जाय तो उसे हस्तान्तरण नहीं माना जायेगा—

अ. जबकि जहाज, मशीन अथवा प्लान्ट सरकार, स्थानीय सत्ता, केन्द्र अथवा राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित निगम अथवा किसी सरकारी कम्पनी को बेची जाती है अथवा हस्तान्तरित की जाती है।

ब. जबकि जहाज, मशीन अथवा प्लान्ट का विक्रय अथवा हस्तान्तरण कम्पनी के एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत अथवा फर्म के व्यापार को किसी कम्पनी द्वारा लिये जाने पर किया गया हो एकीकरण की योजना में यह आवश्यक है कि एकीकरण करने वाली कम्पनी उन शर्तों को पूरा करती रहे जो एकीकृत होने वाली कम्पनी को पूरी करनी पड़ती। कम्पनी द्वारा फर्म का व्यापार लिये जाने में यह आवश्यक है कि फर्म की समस्त सम्पत्तियाँ एवं दायित्व कम्पनी की सम्पत्तियाँ एवं दायित्व बन जायें तथा कम्पनी के समस्त अंशधारी फर्म के साझेदार रहे हों।

यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है अर्थात् 8 वर्षों में ऐसी सम्पत्ति का हस्तान्तरण कर दिया जाता है अथवा विनियोग भत्ता संचय खाते में हस्तान्तरित राशि का प्रयोग प्रतिबन्धित कार्यों के लिये किया जाता है अथवा इस संचय का प्रयोग 10वर्ष के भीतर हवाई जहाज, मशीन अथवा प्लान्ट खरीदने के लिये नहीं किया जाता है तो यह कटौती अस्वीकृत कर दी जायेगी। जिस गतवर्ष में यह कटौती स्वीकृत की गई थी उस गतवर्ष का पुनः कर-निर्धारण करके इस छूट को रद्द कर दिया जायेगा।

उदाहरण (Illustration) 6 : मैसर्स सोहन एण्ड कम्पनी, एक लघु औद्योगिक उद्यम ने 31 दिसम्बर 1985 को समाप्त वर्ष के लिए यह लाभ हानि खाता प्रस्तुत किया है :

Messers Sohan & Co., a small scale industrial undertaking has presented the Profit and Loss Account for the year ending 31st December, 1985 :

	Rs.		Rs.
डूबत ऋण संचय (Provision for Bad Debts)	10,000	सकल लाभ (Gross profit)	3,96,000
ह्रास (Depreciation)	76,000	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज Interest on Govt. Securities	30,000
निवेश छूट संचय (Investment Allowance reserve)	25,000		
मरम्मत व्यय (Repair exp.)	24,000		
किराया एवं दरें (Rent & Rates)	4,000		
कार्यालय व्यय (Office exp.)	30,000		
मनोरंजन व्यय (Entertainment exp.)	5,000		
विक्रय व्यय (Miscellaneous exp.)	6,000		
विविध व्यय (Selling exp.)	19,000		
शुद्ध लाभ (Net Profit)	2,27,000		
	4,26,000		4,26,000

अतिरिक्त सूचनायें इस प्रकार हैं (Additional Information) :

a) 1 जनवरी 1985 को सम्पत्तियों का मूल्य निम्न प्रकार था :
The W.D.V. of assets on 1st January 1985 was as under

	Rs.
कारखाना भवन (Factory Building)	2,00,000
मशीनें (Machineries)	2,60,000
फर्नीचर (Furniture)	40,000
मोटर कार (Motor car)	16,000
मोटर ट्रक (Motor Truck)	40,000
सड़क (Road)	60,000

b) 60,000 रु० लागत की एक नई मशीन जो 1 अगस्त 1985 को क्रय की गई है। ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग की जाती है। 40,000 रु० लागत की एक अन्य नई मशीन हवा प्रदूषण नियन्त्रण हेतु 5 फरवरी 1985 को लगवाई गई है। यह मशीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित है।

c) किराये पर लिये गये कार्यालय भवन में गतवर्ष में वृद्धि करवाने पर 50,000 रु० व्यय किये गए।

d) व्यापार के लिए 8,000 रु० की पुस्तकें क्रय की।

e) 7,800 रु० अपलिखित मूल्य की मशीन का उपयोग 1 अगस्त 1985 से बन्द कर दिया गया। इस मशीन का अनुमानित विक्रय मूल्य 1,600 रु० है। संभावित हानि को लाभ-हानि खाते में नहीं लिखा है।

f) स्वीकार्य डूबत ऋण 6,000 रु० है।

व्यापार के करयोग्य लाभ का निर्धारण कीजिये।

b) A new machine costing Rs. 60,000 was purchased on 1st August 1985 which is being used for manufactures of articles listed in the Eleventh schedule. Another new machine costing Rs. 40,000 has been installed on 5th Feb. 1985 for control of Air pollution. This machine has been notified by the Central Govt.

c) Extension at a cost of Rs. 50,000 was made during the year in the office building taken on rent.

d) Books purchased for business at a cost of Rs. 8,000.

e) Machine of the written down value of Rs. 7,800 was discarded on 1st August 1985. Its sale price is estimated to be Rs. 1,600. Estimated loss has not be written off.

f) Accepted Bad debts Rs 6 000.

Determine the taxable profits of business.

हल (Solution) : **Computation of Taxable Profit of M/s Sohan & Company for the Assessment Year 1986-87**

			Rs.
	Net profit as per Profit and Loss Account	Rs.	2,27,000
Add :	Expenses disallowed	10,000	
	Provision for Bad debts	25.000	
	Investment Allowance reserve	76.000	1,11,000
	Depreciation (treated Seperately)		
		Rs.	3,38,000
Less :	Interest on Govt. Securities (not taxable under this head)	30,000	
	Bad debts allowed	6,000	
	Depreciation allowed	1,17,530	
	Investment allowance Allowed	29,000	1,82,530
	Taxable Profit of Business		1,55,470

टिप्पणी : 1. स्वीकृत ह्रास की गणना इस प्रकार की गई :

साधारण ह्रास :	सड़कें	60,000 रु० की 5%	= 3,000 रु०
	कारखाना भवन	2,00,000 रु० का 10%	=20,000 रु०
	कार्यालय भवन में वृद्धि	50,000 रु० का 5%	= 2,500 रु०
	फर्नीचर	40,000 रु० का 10%	= 4,000 रु०
	मोटर कार	16,000 रु० का 20%	= 3,200 रु०
	मोटर ट्रक	40,000 रु० का 30%	=12,000 रु०
	पुस्तकें	8,000 रु० का 100%	= 8,000 रु०
	हवा प्रदूषण नियन्त्रण मशीन	40,000 रु० का 30%	=12,000 रु०
	अन्य मशीनें (2,60,000+60,000—7,800)	3,12,200 रु० का 15%	=46,830 रु०
			1,11,530
अतिरिक्त ह्रास :	हवा प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई मशीन के साधारण ह्रास (40,000 का 30%)	12,000 रु० का 50%	6,000 रु०
	कुल स्वीकृत ह्रास		=1,17,530 रु०

(2) 60,000 रु० लागत की नई मशीन चूँकि 1 अप्रैल 1985 के पूर्व नहीं लगाई गई है अतः इस पर अतिरिक्त ह्रास की कटौती नहीं दी गई है जबकि 5 फरवरी 1985 को लगाई गई हवा प्रदूषण नियन्त्रण मशीन पर साधारण ह्रास के 50% के बराबर अतिरिक्त ह्रास की कटौती दी गई है।

(3) व्यापार के लिए खरीदी गई पुस्तकें प्लांट में सम्मिलित होती हैं अतः यह मानते हुए कि किसी भी एक पुस्तक का मूल्य 5,000 रु० से अधिक नहीं है, 100% ह्रास स्वीकृत किया गया है।

(4) लघु औद्योगिक उद्यम द्वारा लगाई गई नई मशीन जिसका कि प्रयोग ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित वस्तुओं के उत्पादन में होता है पर भी लागत के 25% के बराबर विनियोग भत्ता स्वीकार्य होता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण मशीन पर 35% दर से विनियोग भत्ता स्वीकार्य होगा। इस प्रकार कुल स्वीकृत भत्ता 60,000 रु० का 25% एवं 40,000 रु० का 35% अर्थात् 29,000 रु० होगा।

(5) एक मशीन जिसका प्रयोग बन्द कर दिया गया है से होने वाली हानि (7,800— 1,600) 6,200 रु० को लाभ हानि खाते से अपलिखित नहीं किया गया गया है, अत; इस गत वर्ष में अन्तिम ह्रास स्वीकार्य नहीं होगा।

चाय के बगीचों के लिए विकास छूट अथवा भत्ता (33A) (Development Allowance for Tea Plantations)

यह विकास भत्ता चाय के पौधों को भारत में उस भूमि पर लगाने के लिए दी जाती है जिस पर पहले कभी चाय के पौधे नहीं थे। यह भूमि उस करदाता के स्वामित्व में होनी चाहिए जो भारत में चाय को उगाने व इसको बनाने का काम करता है। यह भत्ता चाय के पौधे उगाने की लागत के 50% के बराबर दिया जाता है।

टिप्पणी—एक ऐसा करदाता जिसने भूमि को पट्टे पर लिया हुआ है अथवा किसी अन्य तरीके से भूमि उसके अधिकार में है जिस पर वह चाय के पौधे लगाता है, तो इस भत्ते की गणना के लिए वह भूमि का स्वामी माना जायेगा।

भत्ते की गणना (Computation of Allowance)—भत्ते की गणना निम्नलिखित दो चरणों में की जाती है :

प्रथम चरण—जिस गतवर्ष में पौधे लगाने के लिए भूमि को तैयार किया जाता है, उस गतवर्ष में तथा उससे अगले गतवर्ष में इस सम्बन्ध में जो व्यय किया जाता है उसकी कटौती इन दोनों गत वर्षों में किये गये व्ययों (अर्थात् वास्तविक लागत) के 50% के बराबर मिलती है। यह कटौती दूसरे गत वर्ष के अन्त में दी जाती है।

द्वितीय चरण—द्वितीय चरण में यह छूट भूमि तैयार करने वाले गतवर्ष के बाद अगले तीसरे गतवर्ष में दी जाती है। इस चरण में भूमि तैयार करने वाले गतवर्ष एवं इसके बाद के तीन गतवर्ष में किये गये व्ययों के योग का 50% विकास भत्ता निर्धारित किया जाता है इसमें से प्रथम चरण में स्वीकृत राशि में को घटा दिया जायेगा और शेष राशि चतुर्थ गतवर्ष में स्वीकृत होगी।

पौधे लगाने की वास्तविक लागत (Actual cost of planting)—इसमें निम्नलिखित रकमें शामिल की जाती हैं।

a) भूमि को तैयार करने का व्यय।
b) बीजों का मूल्य व पौधे काटने, छाँटने व नर्सरी की लागत।
c) पौधे लगाने अथवा पुनः लगाने की लागत।
d) पौधे लगाने वाले गतवर्ष तथा उससे अगले 3 गतवर्ष में लगाये हुये पौधों की देखभाल करने की लागत।

इस लागत में से यह रकम घटा दी जाती है जो सहायता के रूप में किसी अन्य व्यक्ति अथवा सत्ता से मिली है। लागत की अधिकतम दर इस प्रकार है :

a) दार्जिलिंग जिले में स्थित पहाड़ी क्षेत्रों में— 40,000 रु० प्रति हेक्टेयर
b) अन्य जिलों के पहाड़ी क्षेत्र में— 35,000 रु० प्रति हेक्टेयर
c) अन्य क्षेत्रों में— 30,000 रु० प्रति हेक्टेयर

चाय की झाड़ियाँ लगाने की लागत यदि उपर्युक्त दरों से अधिक आती है तो छूट की गणना केवल अपरलिखित दरों से ही की जायेगी।

विकास भत्ते की छूट स्वीकृत करने की आवश्यक शर्तें :—

a) करदाता द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित विवरण आयकर अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
b) स्वीकृत किये गये विकास भत्ते के 75% के बराबर राशि से लाभ हानि खाते को डेबिट कर विकास भत्ता संचय खाते में हस्तांतरित करना होगा।
c) इस संचय की राशि को अगले 8 वर्षों तक व्यापार में ही प्रयोग में लेना चाहिए किन्तु इसका प्रयोग लाभांश या लाभ के रूप में वितरण करने में अथवा भारत के बाहर सम्पत्ति के निर्माण में नहीं किया जाना चाहिए।
d) विकास भत्ता प्राप्त करने के बाद सम्बन्धित भूमि को अगले 8 वर्षों तक न तो बेचा जाये और न ही हस्तान्तरित किया जावे। किन्तु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता, निगम अथवा सरकारी कम्पनी को भूमि के हस्तांतरण पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

यदि उपरोक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो जिस गतवर्ष में यह छूट मिली उस गतवर्ष के निर्धारण (Assessment) को संशोधित करके छूट को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

चाय विकास खाता (Tea Development Account) [धारा 33AB] :— यदि किसी करदाता द्वारा जो भारत में चाय उगाने एवं निर्माण कार्य में लगा है गतवर्ष में चाय बोर्ड (Tea Board) द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार 'राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development) में एक विशेष खाते में यदि कुछ धन जमा कराता है तो उसके करयोग्य लाभों की गणना करते समय गतवर्ष में ऐसी जमा करायी गयी धन राशि अथवा ऐसी कटौती के पूर्व के लाभों के 20% के बराबर जो दोनों में से कम हो की कटौती दी जायेगी।

यदि गतवर्ष में जमा कराई गई राशि उपर्युक्त कटौती की राशि से अधिक है तो ऐसी अधिक राशि अगले गतवर्ष के लिए जमा राशि मानी जायेगी। उदाहरणार्थ एक करदाता को भारत में चाय उगाने एवं निर्माण करने से 'व्यापार अथवा पेशे शीर्षक के अन्तर्गत गतवर्ष 1985-86 में 2,00,000 रु० की करयोग्य आय हुई एवं उसने गतवर्ष 1985-86 में 50,000 रु० 'राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक' में एक विशेष खाते में जमा कराये जो चाय बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार खोला गया। है, तो उक्त स्थिति में करदाता को लाभों का 20% अर्थात् 40,000 रु० अथवा जमा कराई गई राशि 50,000 रु० जो दोनों में से कम है अर्थात् 40,000 रु० की कटौती गतवर्ष 1985-86 के लाभों में से दी जायेगी अर्थात् करयोग्य लाभ 1,60,000 रु० होंगे। गतवर्ष 1985-86 में उक्त कटौती से अधिक जमा कराई गई राशि 50,000 रु०— 40,000 रु० अर्थात् 10,000 रु० गतवर्ष 1987 के लिए जमा कराई गई राशि मान ली जायेगी।

यदि करदाता द्वारा उपर्युक्त बैंक में रखे गये विशेष खाते में जमा धन में से कोई राशि भवन, मशीन, प्लाण्ट अथवा फर्नीचर प्राप्त करने के लिए निकाली जाती है तो ऐसी सम्पत्ति की वास्तविक लागत आयकर अधिनियम की धारा 43 (1) के उद्देश्य के लिए उस सीमा तक घटा दी जायेगी जिस सीमा तक विशेष खाते में जमा राशि का प्रयोग किया गया है। यदि ऐसी जमा राशि का प्रयोग व्यापार के किसी अन्य खर्च के लिए किया गया है तो आयकर अधिनियम के लिए ऐसा खर्च उस सीमा तक घटा हुआ माना जायेगा जितनी जमा राशि का प्रयोग उस खर्च के लिए किया गया है।

यदि 'राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा गतवर्ष में विशेष खाते में जमा राशि में से कोई राशि निकालने की अनुमति दी जाती है तो गतवर्ष में ऐसी राशि का प्रयोग 'चाय बोर्ड' द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार करना होगा। यदि ऐसी राशि अथवा उसके किसी भाग का प्रयोग अनुमोदित योजना के अनुसार नहीं किया जाता तो ऐसी राशि जिसका कि अनुमोदित योजना के अनुसार गतवर्ष में प्रयोग नहीं किया गया हैं सम्बन्धित गतवर्ष की व्यापार एवं पेशे शीर्षक की करयोग्य आय माना जायेगा।

उदाहरण (Illustration) 7 : मैसर्स नीलगिरि टी एस्टेट बंगलौर ने अपने चाय बागानों से सम्बन्धित निम्नलिखित विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आप विकास भत्ते की गणना कीजिए जिसको वे प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

अपने वर्तमान चाय बागानों के पास स्थिति ऐसी 4 हेक्टेयर जमीन दो लाख रुपये की लागत से खरीदी जिस पर कभी पहले चाय के बाग नहीं थे। इन पर चाय के पौधे लगाये गये जिसके लिए व्यय किया गया—1982-83, 1983-84, 1984-85, व

1985-86 में क्रमशः 50,000 रु० 25,000 रु०, 15,000 एवं 12,000 ।

M/s Nilgiri Tea Estate Banaglore supply you the following particulars regarding their tea plantations and request you to comput teh development allowance to which they are entitled for various years.

Bought for Rs. 2,00,000 four hectares land adjacent to their tea estate and started planting tea bushes in that newly acquired land. The expenses for the four years namely 1982-83, 1983-84, 1984-85 and 1985-86 are Rs. 50,000, Rs. 25,000 Rs. 15 000 and Rs. 12,000 respectively.

यदि 4 हेक्टेयर भूमि के स्थान पर 3 हेक्टेयर भूमि खरीदी गई होती तो विकास भत्ते की कटौती में अन्तर होता ?

Had 3 hactares land would have purchased in place of 4 hactares land would there rebate have been different ?

हल (Solution) :

I Statement of Development Allowance allowable to M/s Neelgiri tea Estate for the A.Y. 1986-87.

Actual cost of plantation : Rs. 1,02,000
Total Develop. Allowance allowable : 50% of Rs. 1,02,000=Rs. 51,000
Development Allowance Allowed in Assessment yer 1984-85.
50% of Rs. 75,000=37,500
Development Allowance Allowable in the Assessment year 1986-87.
is Rs. 51,000—37,500=Rs. 13,500.

टिप्पणी :—1. गतवर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में किए गए व्ययों के सम्बन्ध में कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 में विकास भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है। 1985-86 गतवर्ष तक के कुछ व्ययों पर स्वीकृत विकास भत्ते में से प्रथम चरण मे स्वीकृत विकास भत्ते की राशि को कम करके शेष राशि गतवर्ष 1985-86 से सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष (1986-87) में स्वीकृत की गई है। पौधे लगाने की वास्तविक लागत 1,02,000 रु० जो 30,000 रु० प्रति हेक्टेयर से अधिक नहीं हैं, अतः पूरी राशि कटौती योग्य है।

II यदि चाय के बागानों के लिए खरीदी गई भूमि 3 हेक्टेयर होती तो अधिकतम कटौती योग्य राशि 30,000 रु० प्रति हेक्टेयर की दर से 90,000 रु० होती जिसका 50% भाग अर्थात् 45,000 रु० विकास भत्ते की कुल कटौती मिलती। चूंकि 37,500 रु० की कटौती प्रथम चरण में दी जा चुकी है अतः शेष राशि 7,500 रु० की कटौती कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 में दी जायेगी।

परीक्षा प्रश्न (Test Questions)

सैद्धान्तिक प्रश्न (Theoritical Questions)

1. करदाता को व्यापार अथवा पेशें के लाभों में से ह्रास के सम्बन्ध में स्वीकृत कटौतियों को समझाइये।

Explain the deductions allowed to an assessee in respect of depreciation from the profit and gains of business or profession. *(Rajsthan B. Com. 1984)*

2. निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :
(i) प्रारम्भिक ह्रास (ii) अशोधित ह्रास (iii) साधारण ह्रास (iv) संतुलित प्रभार (v) अन्तिम ह्रास (vi) अतिरिक्त पारी की छूट।

Write short notes on the following :—

(i) Initial Depreciation (ii) Unabsorbed Depreciation (iii) Normal Depreciation (iv) Balancing Charge (v) Terminal Depreciation (vi) Extra-Shift allowance.

3. ह्रास के सम्बन्ध में 'वास्तविक लागत तथा अपलिखित मूल्य' शब्दों का स्पष्टीकरण कीजिए, तथा दोनों के सम्बन्ध में वैधानिक स्थिति का वर्णन कीजिए।

Explain the terms 'Actual Cost and Written Down Value' in the context of depreciation. Elucidate the legal position in respect of both the terms.

4. विनियोग भत्ता क्या है ? प्रारम्भिक ह्रास से यह कैसे भिन्न है ? इस भत्ते के दावे के लिये किन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है ?

What is investment Allowance ? How is it different from initial depreciation. What are the conditions to be fulfiled to claim the Allowance ? *(Delhi M. Com. 1978)*

5. आयकर अधिनियम में प्रयुक्त किए गए शब्द 'ह्रास' का क्या अर्थ है अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के ह्रास एवं स्वीकृत भत्तों का विवरणों दीजिए।

What do you mean by the term 'depreciation' as used in the Income-tax Act 1961 ? Discuss the different types of depreciation allowance admissible under the Act *(Kurukshetra B. Com. 1973)*

7. किसी सम्पत्ति पर ह्रास मिलने के लिए किन शर्तों का पूरा करना आवश्यक है।

What conditions must be satisfied before an assessee can be allowed depreciation on any asset ? *(C.A. Inter Nov 1974 and May 1977)*

8. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए (Write short notes on) :

a) अपलिखित मूल्य (Written down value)
b) संतुलित ह्रास (Balancing Depreciation)
c) अशोधित ह्रास (Unabsorbed Depreciation)
d) अतिरिक्त पारी की छूट (Extra Shift Allowance)

(Andhra B. Com. 1969)

क्रियात्मक प्रश्न (Practical Questions)

1. निम्नलिखित विवरण से कर निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए मैसर्स कमल इन्जीनियरिंग कम्पनी को मिलने वाले ह्रास की राशि निकालिये। यह कम्पनी अपने बही खाते हर वर्ष 31 दिसम्बर को बन्द करती है।

a) मशीनरी—31 दिसम्बर 1985 को कुल लागत 4,50,000 रु० जिसमें ऐसी नई मशीनरी की लागत भी शामिल है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1985 को हुई थी एवं जिसका मूल्य 1,00,000 रुपये था। कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 में मिले ह्रास को मिला कर इस सम्पत्ति पर कुल ह्रास 1,00,000 रुपये मिल चुका है। ह्रास की दर 15% है। 1985 में सारी मशीनरी 100 दिनों तक दो पारियों में चली और 100 दिन तक तीन पारियाँ चली। 1985 में फैक्ट्री ने 250 दिन काम किया है।

b) भवन—31 दिसम्बर 1985 तक की कुल लागत 3,00,000 रुपये है जिसमें निम्न राशियाँ भी शामिल हैं :

1 जून 1985 को वृद्धि	....	75,000 रुपये
1 जुलाई 1985 को वृद्धि	....	25,000 रुपये

कर निर्धारण वर्ष 1985-86 में मिले ह्रास को मिलाकर इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में 75,000 रुपये का ह्रास मिल चुका है। ह्रास की दर 5 प्रतिशत है।

From the following particulars work out the amount of depreciation admissible for the assessment year 1986-87 to M/s Kamal Engineering Co. which closes its books of account on 31st December, each year.

a) Machinery—Total Cost on 31st December, 1985 Rs. 4,50,000 which includes the cost of new machinery purchased on 1st January, 1985 Rs. 1,00,000. The total amount of depreciation claimed in respect of this some up to including 1985-86 assessment year is Rs. 1,00,000. The rate of depreciation is 15%. In the year 1985 the whole machinery was employed double shift for 100 days and triple shift for another 100 days. The factory worked for 250 days in the year 1985.

b) Building—Total cost of 31st Dec. 1985 Rs. 3,00,000 which includes the cost of additions made on 1st June. 1985 Rs. 75,000 and on Ist July. 1985 Rs. 25,000. The total amount of depreciation claimed in respect of this asset up to end including the 1985-86 assessment year is Rs. 75,000. The rate of depreciation is 5%.

2. निम्नलिखित ब्यौरा से एक करदाता के कर निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकृत ह्रास ज्ञात कीजिए :—

1 अप्रैल 1985 को प्लांट तथा मशीनरी का अपलिखित मूल्य 4,80,000 रु०। प्लांट 'अ' 1 अक्टूबर 1985 को 60,000 रु० का लगाया गया। प्लांट 'ब' 19,000 रु० की लागत का 31 दिसम्बर 1985 को (जो अभी नहीं लगाया गया है) खरीदा गया। प्लांट 'स' की विक्रय राशि 2,60,000 रु० है जिसे कि प्रारम्भ में 1,20,000 रु० में 1 अप्रैल 1983 को खरीदा गया था प्लांट 'द' (जिसकी वास्तविक लागत 1 जुलाई 1984 को क्रय के समय 60,000 रु० थी) 26 मार्च 1986 को आग से नष्ट हो गया है जिसमें बीमा कम्पनी से 21,000 रु० प्राप्त हुए।

प्लांट तथा मशीनरी पर 15% की दर से ह्रास स्वीकृत है। सभी मशीनरी के मदों ने प्रत्येक वर्ष में 200 दिनों तक तिहरी पारी में काम किया है फैक्ट्री में प्रत्येक वर्ष कार्य दिवसों की संख्या 300 दिन रही है।

From the following details determine the depreciation allowable to an assessee for the assessment year 1986-87,

Written down value of plant and machinery on 1st April, 1985 Rs 4,80,000. Addition of plant A made on October 1. 1985 Rs. 60,000, cost (plant B) purchased on December 31, 1985 (not yet installed) Rs. 19,000 Sale proceeds of a plant plant (C) Rs. 2,60,000 which was orignally purchased on April 1 1983 for Rs. 1,20,000). Plant D (actual cost of the time of purchases on July 1,1984 Rs, 60,000) is damaged by fire on March 26, 1986 amount received from the insurance company Rs. 21.000,

The plant and machinery is entitled for depreciation at the rate of 15% All items of machinery have worked for triple shift for 200 days in each year. The number of working days of the factory is howeyer, 300 days in each year.

(Rajasthan B. Com. Hons. Part II 1983)

3. एक भवन की लागत 2,00,000 रुपये है एवं उसका अपलिखित मूल्य 1,00,000 रुपये है। इस भवन पर 1983-84 गतवर्ष में स्वीकृत प्रारम्भिक ह्रास 40,000 रुपये है। इस भवन का बीमा कराया हुआ है। यह भवन नष्ट हो जाता है इसकी क्षतिपूर्ति की राशि 20,000 रुपये बीमा कम्पनी द्वारा लिया जाना है। अन्तिम ह्रास अथवा सन्तुलित प्रभार के सम्बन्ध में क्या स्थिति होगी यदि बीमे से प्राप्त राशि 40,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, और 2,20,000 रुपये हों।

A Building costing Rs, 2,00,000 and its written down value is Rs. 1,00,000. Initial depreciation on this building allowed in previous year 1983-84 is Rs 40.000. It is insured and is destroyed leaving compensation value of Rs. 20,000 to be taken

over by the insurance company. What would be the position as regarded terminal depreciation or balancing charge if the insurance money received were Rs. 40,000 Rs. 1,00,000 and Rs. 2.20,000.

4. एक सूती कपड़ों की मिल अपने बहीखाते हर वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त करती है। नीचे दी हुई जानकारी के आधार पर कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए स्वीकृत होने वाले ह्रास एवं विनियोग भत्ते (depreciation and investment allowance) की राशि निकालिए :

		रु०
a)	प्लांट एवं मशीनरी की 1 जनवरी 1985 को अपलिखित मूल्य	15,00,000
b)	1-1-1985 को फैक्ट्री बिल्डिंग का अपलिखित मूल्य	2,50,000
c)	फैक्ट्री बिल्डिग में नये निर्माण 1 मई 1985 में हुए एवं उसी महीने में काम में लाये गए	20,000
d)	विदेश से मँगाई गई नई वस्त्र मशीन जिससे 12-3-1985 को काम चालू किया गया	1,75,000
e)	एक स्थानीय मिल से खरीदी गई पुरानी वस्त्र मशीन जो 1-7-1985 से काम में ली गई	30,000
f)	एक नई मोटर गाड़ी खरीदी एवं 15-11-86 से काम में लाई गई	40,000

इस हिसाबी वर्ष के दौरान धारा 32A(4) के अनुसार आवश्यक विनियोग भत्ता संचय का निर्माण किया गया। कम्पनी ने पूरे साल एक ही पारी में काम किया है।

A Cotton textile mills closes its books of account on 31st December, From the following information work out the amount of depreciation allowance and investment allowance admissible for the assessment year 1986-87.

		Rs.
1.	Written down value of plant and machinery on 1st January 1985	15,00,000
2.	Written down value of factory building on 1st, January 1985	2,50,000
3,	New additions to factory building completed on 1st May, 1985 and brought into use in the same month.	20,000
4.	New textile machinery imported from abroad and brought into use on 12 3.1985.	1,75,000
5.	Second-hand taxtile machinery purchased from a local mill and brought into use on 1st July 1985.	30,000
6.	One new motor lorry purchased and brought into use on 15.11.86	40,000

During the year of account the Mill/Company and created the necessary reserve for investment allowance as required under section 32A (4). The factory worked single shift throughout the year.

उत्तर—अध्याय 8 (ह्रास तथा विनियोग भत्ता)

(1) 1,02,750 रु० (2) स्वीकार्य ह्रास 1,29,188 रु०, संतुलित प्रभार 59,250 रु०, पूंजी लाभ 1,40,000 रु० (3) (i) 40,000 रु० अंतिम ह्रास (ii) 20,000 रु० अन्तिम ह्रास (iii) 40,000 रु० संतुलित प्रभार (iv) 1,40,000 रु० संतुलित प्रभार एवं 20,000 रु० पूंजी लाभ (4) स्वीकृत ह्रास 3,07,875 रु० एवं 43,750 रु० विनियोग भत्ता।

———

9

पूँजी लाभ

(Capital Gains)

पूँजी लाभ (Capital gains) [45(i)] : गतवर्ष में किसी पूंजी सम्पत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ ,पूँजी लाभ' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होता है तथा यह उस गतवर्ष की आय माना जाता है जिसमें सम्पत्ति का हस्तांतरण होता है।

यदि किसी पूंजी सम्पत्ति को व्यापारिक स्टॉक (Stock-in trade) में परिवर्तित कर दिया जाता है तो ऐसे परिवर्तिन से होने वाला काल्पनिक पूँजी लाभ उस गतवर्ष की आय माना जायेगा जिसमें कि ऐसे व्यापारिक स्टॉक को बेचा जाता है।[1][धारा 45(2)]

इस उद्देश्य के लिए पूँजी लाभ की गणना ऐसी सम्पत्ति को व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तन की तिथि के समय जो उचित बाजार मूल्य का उसमें से सम्पत्ति की वास्तविक लागत को घटाकर की जायेगी।

यहाँ यह ध्यान में रखना होगा कि यदि किसी पूँजी सम्पत्ति को कर निर्धारण वर्ष 1985-86 से संबंधित गतवर्ष से पूर्व की अवधि में व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तित कर लिया गया है तो ऐसे स्टॉक के हस्तान्तरण पर होने वाले लाभ उपरोक्त धारा 45 (2) के अन्तर्गत काल्पनिक पूंजी लाभों के रूप में करयोग्य नहीं होंगे चाहे ऐसे स्टॉक को कभी भी बेचा जाये।

पूँजी सम्पत्ति (Capital assets) [2(14)] : 'पूँजी सम्पत्ति से आशय करदाता द्वारा अपने पास रखी गई किसी भी प्रकार की सम्पत्ति से है जो व्यापार अथवा पेशे से सम्बन्धित भी हो सकती है अथवा नहीं भी। 'किसी भी प्रकार की सम्पत्ति' वाक्यांश बहुत विस्तृत अर्थ रखती है तथा इसमें सभी प्रकार की सम्पत्ति—चल, अचल, दृश्य व अदृश्य शामिल होती है। यह परिभाषा व्यापक है तथा इसमें प्रत्येक प्रकार के उक्त संभावित 'हित' को सम्मिलित करते हैं जो किसी करदाता के स्वामित्व के अन्तर्गत आ सकता है।

पूँजी सम्पत्ति में सम्मिलित नहीं होने वाली सम्पत्तियाँ : धारा 2(14) के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्पत्तियों को पूँजी सम्पत्ति में सम्मिलित नहीं किया जाता है :—

अ. कोई ऐसा व्यापारिक स्कन्ध, उपभोग्य सामग्री व कच्चा माल जिसे व्यापार अथवा पेशे के लिए रखा जाता है।

ब. निजी प्रयोग का सामान जिसमें पहनने के कपड़े घरेलू सामान, मोटर कार, स्कूटर व फर्नीचर आदि शामिल हैं किन्तु सोने चांदी एवं अन्य बहुमूल्य धातुओं की बनी हुई वस्तुयें शामिल नहीं हैं, जो करदाता या उसके परिवार के अन्य

---

1. यह परिवर्तन कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से प्रभावी हुआ है।

आश्रित सदस्यों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि सोने चांदी एवं अन्य बहुमूल्य धातुओं की बनी हुई वस्तुऐं 'पूंजी सम्पत्ति' में शामिल की जाती हैं व इनकी बिक्री एवं हस्तांतरण पर होने वाला लाभ 'पूंजी लाभ' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होता है।

सोना, चांदी, प्लेटिनम, बहुमूल्य नग आदि, चाहे आभूषणों के रूप में है अथवा ये कपड़े, फर्नीचर, वर्तन आदि में जड़े हों पूंजी सम्पत्ति माने जायेंगे।

स. भारत में स्थित कृषि भूमि जो शहरी क्षेत्र से बाहर है अर्थात् ऐसी भूमि जो 10,000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों अर्थात् गावों एवं कस्वों में स्थित है तथा शहरी क्षेत्र, नोटिफाईड ऐरिया, केन्टोनमेंन्ट बोर्ड के बाहर 8 किलोमीटर की परिधि में स्थित नहीं है।

द. $6\frac{1}{2}\%$ स्वर्ण बांण्डस, 1977; 7% स्वर्ण वाॅण्डस, 1980 अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गमित राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बांण्डस, 1980।

ह. विशेष धारक वौण्ड, 1991, (Special Bearer Bonds 1991)।

निम्नलिखित को पूंजी सम्पत्ति में सम्मिलित किया गया है :—

a. फर्म की ख्याति;
b. किसी कम्पनी के अंशों को क्रय करने का अधिकार;
c. किसी फर्म में साझेदार का हिस्सा;
d. खानों के पट्टे (lease) तथा किन्हीं वस्तुओं के बनाने का लाइसेंन्स।

पूंजी सम्पत्ति के प्रकार (Types of capital assets)

1, अल्पकालीन पूंजी सम्पत्ति (Short-term capital assets)—अल्पकालीन पूंजी सम्पत्ति का आशय उस पूंजी सम्पत्ति से है जो करदाता के पास 36 महीने तक अथवा इससे कम अवधि तक रहती है तथा इस अवधि के अन्दर ही हस्तान्तरित कर दी जाती है। इस सम्पत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलाता है। [धारा 2(42A)]

2. दीर्घ कालीन पूंजी संपत्ति (Long-term capital assets)—ये वे सम्पत्तियाँ हैं जो अल्पकालीन सम्पत्ति की श्रेणी में नहीं आती हैं अर्थात् जो करदाता के पास 36 माह से अधिक समय तक रहती हैं। इनके हस्तान्तरण से होने वाला लाभ दीर्घकालीन पूंजी लाभ कहलाता है।

हस्तान्तरण (Transfer) :—धारा 2 (47) के अनुसार पूंजी सम्पत्ति के हस्तांतरण से आशय बिक्री, विनिमय व सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति से सम्बन्धित अधिकारों के त्याग से है। यदि किसी पूंजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा पूंजी सम्पत्ति को उसके द्वारा संचालित व्यापार के व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तित कर लिया जाता है अथवा माना जाता है तो इस क्रिया को भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण माना जायेगा। सरकार द्वारा की गई खरीद एवं अधिग्रहण भी हस्तांतरण में सम्मिलित किया जाता है। पूंजी सम्पत्ति के हस्तांतरण पर हुए लाभ करयोग्य होते हैं।

पूंजी लाभ के आवश्यक तत्व (Necessary elements of capital gain)

किसी भी धनराशि को पूंजी लाभ की श्रेणी में रखने के लिए तीन तत्वों का होना आवश्यक है।

अ. पूंजी सम्पत्ति का होना,
ब. पूंजी सम्पत्ति का हस्तांतरण होना, तथा
स. हस्तान्तरण से लाभ होना।

इन तत्वों में से किसी एक भी तत्व के अभाव में लाभों को पूंजीलाभ नहीं माना जा सकता। पूंजी सम्पत्ति का यदि ऐसा स्वामित्व परिवर्तन हुआ है जिसे धारा 47 के अन्तर्गत हस्तांतरण नहीं माना जाता है तो ऐसे स्वामित्व परिवर्तन से हुआ लाभ आयकर अधिनियम के अनुसार पूंजी लाभ नहीं हो सकता।

व्यवहार जिनको हस्तांतरण नहीं माना जाता
(Transactions not regarded as Transfer)

धारा 47 में ऐसे व्यवहारों की सूची दी गई जो 'हस्तांतरण' नहीं माने जाते। अतः इन व्यवहारों से उदय होने वाले लाभ पूंजीलाभ नहीं माने जाते। ऐसी आय कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाती। ऐसे व्यवहार निम्नांकित हैं :—

1. हिन्दू अविभाजित परिवार के पूर्ण अथवा आंशिक विभाजन पर पूंजी सम्पत्तियों का वितरण।

2. किसी फर्म, व्यक्तियों के समूह अथवा कम्पनी के विघटन (dissolution) के समय पूंजी सम्पत्तियों का वितरण।

3. भेंट (gift) अथवा वसीयत (will) अथवा अखण्डनीय ट्रस्ट द्वारा पूंजी सम्पत्ति का हस्तांतरण।

4. एक सूत्रधारी कम्पनी (holding company) द्वारा अपनी शत-प्रतिशत सहायक कम्पनी को पूंजी सम्पत्तियों का हस्तांतरण, यदि ऐसी सहायक कम्पनी एक भारतीय कम्पनी है।

5. एक सहायक कम्पनी द्वारा अपनी सूत्रधारी कम्पनी को पूंजी सम्पत्ति का हस्तांतरण जिसके पास इस सहायक कम्पनी की सम्पूर्ण अंश पूंजी है तथा वह कम्पनी भारतीय कम्पनी है।

6. दो अथवा दो से अधिक कम्पनियाँ जब आपस में मिलना चाहती हैं तो इसे एकीकरण कहते हैं। ऐसी योजना के अन्तर्गत मिलने वाली कम्पनियाँ अपनी पूंजी सम्पत्तियों को मिलाने वाली कम्पनी को हस्तांतरित कर देती हैं। ऐसे हस्तांतरण को पूंजी लाभ के लिए हस्तांतरण' नहीं माना जाता।

7. एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत एक अंशधारी द्वारा मिलाने वाली कम्पनी (amalgamating company) के अंशों का हस्तांतरण यदि—

अ. ऐसे हस्तांतरण के प्रतिफल स्वरूप मिलाने वाली कम्पनी (amalgamated company) के अंशों का उसे बंटन हुआ है, तथा

ब. मिलाने वाली कम्पनी एक भारतीय कम्पनी है।

8. किसी कलात्मक, पुरातात्त्विक, वैज्ञानिक वस्तु अथवा कला संग्रह, पुस्तक, पाण्डुलिपि, आलेख पैन्टिंग, फोटो अथवा प्रिन्ट का सरकार, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय कला वीथी, राष्ट्रीय अभिलेखागार अथवा ऐसे सार्वजनिक म्युजियम अथवा संस्था को हस्तांतरण जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा गजट में राष्ट्रीय महत्व का अथवा राज्य भर में प्रसिद्ध घोषित कर दिया हो।

अपवाद : धारा 47A के अनुसार यदि किसी कम्पनी द्वारा धारा 47(vi) (सूत्रधारी कम्पनी द्वारा शत-प्रतिशत सहायक भारतीय कम्पनी को सम्पत्ति का हस्तांतरण) के अन्तर्गत अथवा 47(v) (एक सहायक कम्पनी द्वारा ऐसी भारतीय सूत्रधारी कम्पनी को सम्पत्ति का हस्तांतरण जिसके पास सहायक की सम्पूर्ण अंश पूंजी है) के अन्तर्गत सम्पत्ति का हस्तांतरण किया गया है और हस्तांतरित कम्पनी द्वारा ऐसे हस्तांतरण के 8 वर्ष की समाप्ति के पूर्व ऐसी सम्पत्ति को व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तित कर दिया जाता है अथवा व्यापारिक स्टाक के रूप में मानी जाने लगती है। अथवा ऐसे हस्तांतरण के 8 वर्ष की समाप्ति के पूर्व ऐसी सूत्रधारी कम्पनी [अथवा इसकी नामांकित (nominees)] द्वारा ऐसी सहायक कम्पनी की पूंजी का संपूर्ण अधिग्रहण समाप्त कर दिया गया है (अर्थात् शतप्रतिशत अधिग्रहण नहीं रहा है) तो जो पूंजी लाभ धारा 47 के अनुसार कर-मुक्त कर दिये गये थे उन्हें हस्तांतरणकर्त्ता कम्पनी के हाथों में 'पूंजीलाभ' शीर्षक में करयोग्य पूंजी लाभ मान लिया जायेगा। यह पूंजी लाभ उस गतवर्ष की आय माना जायेगा जिसमें कि ऐसा हस्तांतरण हुआ था।

पूंजी सम्पत्ति के हस्तांतरण पर पूंजी लाभों की गणना (Ccmputation of capital gains on transfer of capital assets) (धारा 48) : किसी पूंजी सम्पत्ति के हस्तांतरण पर उससे होने वाले करयोग्य पूंजी लाभों की गणना के लिए पूंजी सम्पत्ति के हस्तांतरण पर मिली हुई धन राशि में से निम्नलिखित राशियों के योग को घटाकर करयोग्य लाभ निकाले जाते हैं—

1. **ऐसे हस्तांतरण के लिये किये गये व्यय :** जैसे सम्पत्ति के विक्रय के लिए चुकाया गया कमीशन, दलाली स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि।

2. **पूंजी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत तथा उनमें किये गये सुधारों की लागत (cost of acquisition and improvement)।**

सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत (Cost of Acquisition) (धारा 49)

भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में पूंजी सम्पत्ति के प्राप्त करने की लागत भिन्न-भिन्न होती है तथा इसकी गणना करने की विधि अलग-अलग होती है। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

1. सम्पत्तियां प्राप्त होने की विभिन्न परिस्थितियां (Obtaining Capital Assets in Various ways) निम्नलिखित परिस्थितियों में यदि करदाता को कोई पूंजी सम्पत्ति प्राप्त होती है तो उस सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत में इसके भूतपूर्व स्वामी द्वारा इसके प्राप्त करने के लिए दिया गया मूल्य व इसमें सुधारों को करने के लिए भूतपूर्व स्वामी अथवा करदाता द्वारा किये गये व्यय भी सम्मिलित रहते हैं—

i. हिन्दू अविभाजित परिवार के पूर्ण या आंशिक विभाजन पर सम्पत्ति का वितरण;
ii. भेंट अथवा वसीयत के अन्तर्गत (under a gift or will) प्राप्त हुई सम्पत्ति;
iii. a) उत्तराधिकार आदि पर (Succession. inheritance or devolution) प्राप्त सम्पत्ति;
b) फर्म, व्यक्तियों के समूह तथा जनमण्डल के विघटन पर सम्पत्ति का वितरण
c) कम्पनी के समापन पर सम्पत्ति का वितरण;
d) एक खण्डनीय अथवा अखण्डनीय ट्रस्ट के अन्तर्गत हस्तांतरण;
e) किसी सूत्रधारी (Holding) कम्पनी द्वारा अपनी शत-प्रतिशत सहायक कम्पनी को हस्तांतरण अथवा ऐसी सहायक कम्पनी द्वारा अपनी सूत्रधारी

कम्पनी को हस्तांतरण अथवा एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत एकीकरण करने वाली कम्पनी को सम्पत्ति का हस्तांतरण;

iv. करदाता यदि हिन्दू अभिवाजित परिवार है तो परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा 31-12-1969 के पश्चात् परिवार की सम्पत्ति में अपनी निजी सम्पत्ति मिलाने की स्थिति में परिवार के लिए पूँजी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत वह होगी जो परिवार के हस्तांतरक सदस्य द्वारा प्राप्त करने में व्यय की गई थी।

2. एकीकरण करने वाली कम्पनी के अंश (Shares of Amalgamated Co.) करदाता को यदि एकीकरण की योजना के अन्तर्गत मिलने वाली कम्पनी (Amalgamating Co.) के अंशों के बदले में एकीकरण करने वाली कम्पनी के अंश प्राप्त होते हैं तो इस कम्पनी के अंशों को प्राप्त करने की लागत वह लागत होगी जिस पर कि उसने मिलने वाली कम्पनी के अंशों को खरीदा था।

3. 1 जनवरी 1964 से पहले प्राप्त की गई सम्पत्ति (Assets obtained before 1 Jan. 1964)—यदि कोई पूँजी सम्पत्ति करदाता के स्वामित्व में 1 जनवरी 1964 से पूर्व आई थी तो करदाता द्वारा इस सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत अथवा इस सम्पत्ति का 1 जनवरी 1964 को बाजार मूल्य (करदाता की इच्छा पर) ऐसी सम्पत्ति के प्राप्त करने की लागत होगी। करदाता द्वारा सम्पत्ति की लागत के सम्बन्ध में 1 जनवरी 1964 के बाजार मूल्य को आधार बनाने के विकल्प के प्रयोग की इच्छा व्यक्त करने पर पूर्व स्वामी एवं करदाता द्वारा 1 जनवरी 1964 को अथवा उसके बाद किये गये सुधारों की लागत हो सम्पत्ति की लागत में सम्मिलित की जायेगी (अर्थात् 1 जनवरी 1964 के मूल्य में शामिल की जायेगी) यदि 1 जनवरी 1964 के पूर्व सम्पत्ति में सुधार पर व्यय किया गया है तो उसे ऐसी स्थिति में सम्पत्ति की लागत में नहीं जोड़ा जायेगा।

4. विरासत में मिली पूँजी सम्पत्ति (Inherited capital Assets)—यदि करदाता को सम्पत्ति उत्तराधिकार आदि में मिली है तो सम्पत्ति के प्राप्त करने की लागत निम्नलिखित होगी—

i. सम्पत्ति के भूतपूर्व मालिक को सम्पत्ति प्राप्त करने की लागत; अथवा

ii. सम्पत्ति का 1 जनवरी 1964 को बाजार मूल्य बशर्ते कि मालिक के पास यह संम्पत्ति 1 जनवरी 1964 से पहले स्वामित्व में आ गई थी, जो भी करदाता के लिए लाभदायक हो।

उदाहरण के लिए विमल गुप्ता एक ऐसी पूँजी सम्पत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करते हैं जिसे उनके पिता ने 1949 में 23,000 रु० में खरीदा था। इसका उचित बाजार मूल्य 1964 को 35,000 रु० था जबकि इसे गतवर्ष में 66,000 रु० का बेचा गया। इस मामले में सम्पत्ति की लागत 35,000 रु० मानी जावेगी, (जोकि 1-1-64 को बाजार मूल्य है), 23,000 रु० नहीं। यही करदाता के हित में भी है। यदि इस सम्पत्ति में करदाता ने फरवरी, 1964 में 10,000 रु० सुधार पर व्यय कर दिये जाते तो इसकी लागत 45,000 रु० मानी जाती अर्थात् 1 जनवरी 1964 या उसके पश्चात के सुधारों की लागत भी 1 जनवरी 1954 के मूल्य में सम्मिलित कर दी जाती है।

टिप्पणी :—1. यदि कोई ह्रास योग्य सम्पत्ति करदाता द्वारा 1 जनवरी, 1964 के पूर्व खरीदी गई थी तो उसके सम्बन्ध में 1 जनवरी 1964 के बाजार मूल्य का विकल्प काम में नहीं लिया जा सकेगा।

2. यदि कोई ह्रास योग्य सम्पत्ति धारा 49 के अन्तर्गत (वसीयत, उत्तराधिकार, उपहार आदि जिसका वर्णन पीछे किया गया है) प्राप्त की गई है एवं पूर्व स्वामी ने यह सम्पत्ति 1 जनवरी 1964 के पूर्व प्राप्त की है तो करदाता 1 जनवरी, 1964 के उचित बाजार मूल्य के विकल्प को काम में ले सकता है।

उदाहरण (Illustration) 1 : श्री मुरारी लाल को एक मकान अपने चाचा से 15 नवम्बर 1980 को वसीयत में मिला है। इस तारीख को मकान का उचित बाजार मूल्य 1,25,000 रु० था इनके चाचा ने यह मकान 1962 में 25,000 रु० में खरीदा था तथा 1 जनवरी 1964 को इसका उचित बाजार मूल्य 54,000 रु० था। इनके चाचा ने मकान में कुछ आवश्यक सुधार कराये व इसके लिए सन् 1972-73 में 10,000 रु० व्यय किये। श्री मुरारीलाल ने इस सम्पत्ति के सुधार पर 5,000 रु० खर्चे किये। यह मकान 15 अक्टूबर 1985 को 1,58,000 रु० में बेच दिया जाता है। पूंजीलाभ की गणना कीजिए।

Shri Murarilal gets a house from his uncle under will on 15th November, 1980. The fair market value on that day being Rs. 1,25,000, His uncle had brought the house for Rs. 25,000 in the year 1962 and its fair market value on 1st January 1964 was Rs. 54 000. His uncle spent Rs 10,000 on its improvement in the year 1972-73. Shri Murarilal also spent Rs.5,000 on the improvent of house. The said house is sold for Rs. 1,58,000 on 15th October 1985. Find out capital gains accruing from the sale of house.

हल (Solution) : **Computation of Capital gains for the A.Y. 1986-87**

	Rs.
Cost of the house to Shri Murarilal :	
Cost of acquisition to the previous owner or fair market value on 1-1-1964 whichever is more	54,000
Cost of improvement to the previous owner [1972-73]	10,000
Cost of improvement incurred by Shri Murarilal	5,000
Cost on the date of transfer	69,000
Sale Proceeds	1,58,000
Capital gains (1,58,000—69,000)	89,000

टिप्पणी : चूंकि करदाता के पास यह सम्पत्ति 36 माह से कम अवधि के लिए रही अतः यह पूंजी लाभ अल्पकालीन पूंजी लाभ' होगा।

5 ह्रास योग्य सम्पत्ति (Depreciable Assets)—सम्पत्ति यदि ह्रास योग्य है तो इसकी लागत में से स्वीकृत ह्रास राशि निकाल कर अपलिखित मूल्य ज्ञात किया जाता हैं। ऐसे अपलिखित मूल्य में संतुलित चार्ज जोड़कर अथवा अन्तिम ह्रास घटाकर वास्तविक लागत ज्ञात की जाती है।

6. पूंजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में पेशगी प्राप्त होना (Advance received in relation to capital assets) यदि किसी पूंजी सम्पत्ति के विक्रय आदि के सम्बन्ध में पहले कुछ बातचीत हुई थी तथा इसके सम्बन्ध में कुछ पेशगी धन की प्राप्ति भी हुई थी जो कि करदाता के पास ही रह गई है तो प्राप्त हुई पेशगी की रकम को सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत अथवा अपलिखित मूल्य अथवा उचित बाजार मूल्य जैसी भी स्थिति हो, में से घटा दिया जाता है।

7. कम मूल्य पर हस्तांतरण (Transfer at understated value)—कभी आयकर अधिकारी को यदि यह पता लगता है कि पूंजी सम्पत्ति का हस्तांतरण करदाता द्वारा

किसी ऐसे व्यक्ति को किया गया है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उससे सम्बन्धित है तथा पूंजी लाभ पर आयकर बचाने की दृष्टि से जानबूझकर इस हस्तांतरण को वास्तविक मूल्य से कम पर दिखाया गया है तो आयकर अधिकारी को यह अधिकार धारा 52 के अन्तर्गत दिया गया है कि वह पूंजी सम्पत्ति के घोषित मूल्य के स्थान पर उचित बाजार मूल्य को पूंजी सम्पत्ति का प्रतिफल मान सकता है।

इस धारा के अधीन आयकर अधिकारी द्वारा उचित बाजार मूल्य को निम्नलिखित दशाओं में ही पूंजीलाभ की गणना के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है।

अ. पूंजी सम्पत्ति का क्रेता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से करदाता से सम्बन्धित है;

ब. जब सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य घोषित प्रतिफल से कम से कम 15% अधिक है। उक्त दोनों दशाओं में इन्सपेक्टिंग असिटेण्ट कमिश्नर की पूर्व अनुमति लेकर ही आयकर अधिकारी यह कार्यवाही कर सकता है।

अपवाद—यदि कोई सम्पत्ति केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार को हस्तांतरित की गई अथवा केन्द्रीय सरकार या रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अथवा अनुमोदित प्रतिफल पर हस्तांतरित की गई है तो धारा 52(2) के उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे।

मूल्यांकन अधिकारी से निर्देशन प्राप्त करना (Reference to Valuation officer) : धारा 55A में ऐसी व्यवस्था है जिसके अनुसार आयकर अधिकारी द्वारा किसी पूंजी सम्पत्ति का मूल्यांकन सम्बन्धी मामला मूल्यांकन अधिकारी को आवश्यक निर्देशन के लिए भेजा जा सकता है। ऐसा निम्नलिखित दो दशाओं में किया जा सकता है—

अ. जब करदाता ने सम्पत्ति का मूल्यांकन रजिस्टर्ड मूल्यांकन से कराया है वह अपना दावा इसी मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तुत करता है किन्तु आयकर अधिकारी की राय में यह मूल्य सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम है—

ब. अन्य परिस्थितियों में जबकि आयकर अधिकारी की राय में यदि सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य सम्पत्ति के घोषित प्रतिफल से 15% अधिक है अथवा 25,000 रु० से अधिक है, तो वह इस सम्पत्ति का मूल्यांकन का मामला मूल्यांकन अधिकारी को सुपुर्द कर देगा।

8. **सम्पत्ति के भूतपूर्व स्वामी की लागत जब अनिर्धारणीय होती है (cost of previous owner not ascertainable) :** ऐसी स्थिति आ सकती है जब कोई पूंजी सम्पत्ति वर्तमान करदाता को उत्तराधिकार आदि में मिली होती है तथा इस सम्पत्ति का लागत मूल्य ज्ञात नहीं है अथवा लागत मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में इस पूंजी सम्पत्ति का लागत मूल्य वह होगा जो सम्पत्ति का उस तिथि को उचित बाजार मूल्य था जबकि भूतपूर्व स्वामी ने सम्पत्ति को प्राप्त किया था।

9. **बोनस अंशों की लागत :**—यदि करदाता को वर्तमान धारित अंशों के सम्बन्ध में कोई बोनस अंश निर्गमित किये जाते हैं तो उसकी लागत का निर्धारण करते समय पूर्व अंशों की लागत में कुल अंशों की संख्या (पूर्व धारित अंश एवं बोनस अंश) का भाग देकर प्रति अंश लागत ज्ञात करली जायेगी।

10. **अधिकार अंशों की स्थिति में लागत**

a) **यदि अधिकार अंश स्वयं प्राप्त करता है :**—ऐसी स्थिति में लागत का निर्धारण करते समय पूर्व धारित अंशों की लागत+अधिकार अंशों की लागत में कुल अंशों की संख्या (पूर्व धारित अंश एवं अधिकार अंश) का भाग देकर प्रति अंश लागत ज्ञात करली जायेगी।

b) यदि अधिकार अंशों के अधिकार का करदाता हस्तान्तरण कर देता है:—ऐसी स्थिति में अधिकार अंशों के अधिकार को बेचने अथवा हस्तान्तरण करने पर करदाता को जो प्रतिफल प्राप्त होगा, उससे पूर्व धारित अंशों की लागत कम हो जायेगी।

11. धारा 47A के प्रावधानों के अनुसार यदि धारा 47 (iv) एवं धारा 47 (v) (इनका वर्णन इसी अध्याय में पहले किया है) के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा हस्तान्तरित सम्पत्तियों के सम्वन्ध में कोई पूंजी लाभ माना जाता है तो ऐसी स्थिति में हस्तान्तरित कम्पनी (transferee company) के लिए इन सम्पत्तियों की लागत के अनुसार वह मानी जायेगी जिस पर हस्तान्तरित कम्पनी ने इन सम्पत्तियों को हस्तान्तरक कम्पनी से प्राप्त किया है।

12. मुद्रा के अवमूल्यन की दशा में लागत :—यदि किसी करदाता ने विदेशों से कोई सम्पत्ति क्रय की है और क्रय करने की तिथि के पश्चात किन्तु प्रतिफल का भुगतान करने से पूर्व भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो गया है तो ऐसी सम्पत्ति की लागत वह मानी जायेगी जो कि अवमूल्यन के कारण बढ़ी हुई राशि का भुगतान करना पड़ा है। यदि भारतीय मुद्रा का अधिमूल्यन हो गया अर्थात् मूल्य बढ़ गया है तो प्राप्त करने की लागत को भी कम कर दिया जायेगा।

कर-मुक्त पूंजी लाभ (Exempted capital Gains)

कुछ व्यवहारों से उत्पन्न पूंजी लाभ कर से पूर्णतया मुक्त रहते हैं। तथा कुल आय में शामिल नहीं किये जाते हैं। निम्न प्रकार के पूंजी लाभ कर मुक्त होंगे एवं सकल कुल आय में शामिल नहीं होंगे:—

1. ऐसे व्यवहारों से लाभ जो हस्तान्तरित नहीं है (Gains from transactions not regarded as transfer)– ऐसे व्यवहारों से होने वाले पूंजी लाभ जो 'हस्तांतरण' की परिभाषा में नहीं आते, इस शीर्षक की आय की परिधि से बाहर रहते हैं।

2. ऐसी सम्पत्तियों के हस्तान्तरण से लाभ जो पूंजी सम्पत्ति नहीं है (Gains from transfer of such assets not regarded as capital assets)– ऐसी सम्पत्तियों के हस्तान्तरण से लाभ जो पूंजी सम्पत्तियाँ नहीं है (जिसका वर्णन इसी अध्याय में पहले किया जा चुका है)।

3. मकान सम्पत्ति के हस्तान्तरण से पूंजी लाभ (Capital Gains from transfer of house property) (धारा 53):—यदि एक व्यक्ति (individual द्वारा निवास हेतु प्रयुक्त किसी मकान सम्पत्ति एवं उससे लगी हुई भूमि को जिसकी आय 'मकान सम्पत्ति' शीर्षक में कर योग्य है 1985-86 कर निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गतवर्ष में अथवा इसके पश्चात बेचा जाता है तो बेचने से होने वाले दीर्घकालीन पूंजी लाभ निम्न सीमा तक कर मुक्त होंगे बशर्ते कि हस्तान्तरण की तिथि को करदाता के पास उसका अन्य कोई रहने का मकान न हो :—

अ. यदि ऐसी मकान सम्पत्ति के हस्तान्तरण से प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल 2 लाख रु० से अधिक नहीं है तो संपूर्ण दीर्घकालीन पूंजी लाभ;

ब. यदि हस्तान्तरण से प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल 2 लाख रुपये से अधिक है तो आनुपातिक दीर्घकालीन पूंजी लाभ ही करमुक्त होंगे जिसकी गणना निम्न सूत्र की सहायता से की जा सकती है :—

$$\text{कर मुक्त पूंजी लाभ} = \frac{\text{पूंजी लाभ की राशि} \times 2,00,000 \text{ रु०}}{\text{विक्रय प्रतिफल की राशि}}$$

टिप्पणी :—यदि एक व्यक्ति (individual) को धारा 53 के अन्तर्गत कर मुक्त का लाभ मिलता है वह धारा 54 (जिसका वर्णन आगे किया गया है) के अन्तर्गत भी कर मुक्ति का लाभ ले सकेगा।

उदाहरण (Illustration) 2 : मोहन एक रहने का मकान 1 अगस्त, 1985 को 1,80,000 रु० में बेचता है उस तिथि को वह अन्य किसी रहने के मकान का स्वामी नहीं था। यह मकान 26 जनवरी 1951 को 30,000 रु० में खरीदा था जिसका 1 जनवरी 1964 को उचित बाजार मूल्य 60,000 रु० था। करयोग्य पूंजी लाभ की गणना कीजिये।

(ii) यदि यह मकान 3,00,000 रु० में बेचा जाता तो क्या स्थिति होती ?

Mohan sold a residential house property on 1st Aug. 1985 for Rs. 1,80,000. He has not own any other residential house on that date. The house was acquired on 26th January, 1951 for Rs. 30,000 and its fair market value on 1st Jan., 1964 was Rs. 60,000. Compute taxable capital gain.

(ii) What would have been the position had this house been sold for Rs. 3,00,000.

हल (Solution) : (i) Computation of Capital Gains

	Rs.
Consideration received	1,80,000
Less : Cost of acquisition [fair Market Value on 1st Jan. 1964]	60,000
Capital Gains	1,20,000
Taxable Capital Gains	NIL

टिप्पणी :—चूंकि सम्पत्ति का प्रतिफल 2 लाख रु० से अधिक नहीं है अतः सम्पूर्ण पूंजी लाभ धारा 53 के अन्तर्गत कर-मुक्त होंगे।

(ii)

	Rs.
Consideration	3,00,000
Less : Cost of acquisition (fair Market Value on 1st Jan. 1964)	60,000
Capital Gains	2,40,000

उपरोक्त 2,40,000 रु० के पूंजी लाभों का एक भाग कर-मुक्त होगा जिसकी गणना निम्न प्रकार की जायेगी—

$$\frac{\text{Amount of capital gain}}{\text{Sale consideration}} \times \text{Rs. } 2,00,000$$

$$\frac{2,40,000}{3,00,000} \times 2,00,000 = \text{Rs. } 1,60,000$$

2,40,000 रु० के पूंजी लाभ में 1,60,000 रु० करमुक्त होंगे शेष 80,000 रु० करयोग्य लाभ होंगे।

4. **रहने के मकान के हस्तान्तरण से पूंजी लाभ (Capital Gains of Residential House Property)—[धारा 54]** यदि कोई व्यक्ति अपने स्वयं के रहने का

अथवा अन्य किसी के रहने का मकान हस्तान्तरित कर देता है और उससे यदि कोई पूँजी लाभ होता है तो ऐसा पूँजी लाभ निम्न शर्तें पूरी होने पर कर मुक्त होगा—

a) इस मकान की आय 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक में कर योग्य है ;
b) हस्तान्तरण से ठीक पूर्व के तीन वर्षों की अवधि में यह मकान मुख्यतया करदाता अथवा अन्य किसी के रहने के काम आता हो ;
c) करदाता मकान के हस्तान्तरण की तिथि से एक वर्ष पूर्व अथवा एक वर्ष पश्चात् की अवधि में अपने अथवा अन्य किसी के रहने के लिए एक नया मकान खरीद लेता है या हस्तान्तरण की तिथि के बाद के तीन वर्ष की अवधि में अपने रहने के लिए नया मकान बनवा लेता है तो नये मकान की लागत तक का पूँजी लाभ करमुक्त होगा।

टिप्पणी : यदि यह नया मकान खरीदने या बनवाने की तिथि से 3 वर्ष के अन्दर हस्तान्तरित कर दिया जाय तो नये मकान के हस्तान्तरण से होने वाले पूँजी लाभ में पुराने मकान का कर मुक्त पूँजी लाभ जोड़ने से प्राप्त राशि उस गत वर्ष का कर योग्य पूँजी लाभ माना जावेगा जिस गत वर्ष में नये मकान का हस्तान्तरण हुआ है।

5. कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के हस्तान्तरण से पूँजी लाभ (Capital Gains on transfer of Land used for Agriculture)—[धारा 54B] यदि किसी करदाता द्वारा किसी ऐसी भूमि को जिसका हस्तान्तरण की तिथि से ठीक पूर्व के 2 वर्षों की अवधि में करदाता अथवा उसके माता-पिता द्वारा कृषि कार्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा था तो ऐसी भूमि को हस्तान्तरण किये जाने पर होने वाला पूँजी लाभ निम्न सीमा तक कर मुक्त होगा :—

a) करदाता द्वारा हस्तान्तरण की तिथि से 2 वर्ष के अन्दर अन्य कोई भूमि कृषि कार्यों में प्रयोग हेतु क्रय कर ली जावे तथा उसमें पूँजी लाभ की राशि अथवा अधिक राशि व्यय करदी जावे तो सम्पूर्ण पूँजीलाभ कर-मुक्त होंगे।

b) यदि क्रय की गई भूमि की लागत पूँजी लाभ की राशि से कम है, तो क्रय की गई भूमि की लागत के बराबर पूँजी लाभ की राशि।

टिप्पणी : यदि नयी भूमि क्रय करने की तिथि के बाद 3 वर्ष की अवधि के अन्दर उसका हस्तान्तरण कर दिया जाय तो नयी भूमि से होने वाले पूँजी लाभ में पुरानी भूमि के कर मुक्त पूँजी लाभ को जोड़ने से प्राप्त राशि उस गत वर्ष का कर योग्य पूँजी लाभ माना जायेगा जिस गत वर्ष में नयी भूमि का हस्तान्तरण हुआ है।

स्पष्टीकरण—ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कृषि कार्यों हेतु प्रयुक्त भूमि के हस्तान्तरण से पूँजी लाभ पूर्णतया करमुक्त होते हैं जिसका वर्णन इसी अध्याय में पूँजी सम्पत्ति शीर्षक के अन्तर्गत किया गया है। अतः धारा 54B के अन्तर्गत उक्त कृषि भूमि को छोड़कर अन्य भूमि को सम्मिलित किया जाता है अर्थात् शहरी भूमि को सम्मिलित किया गया है।

6. औद्योगिक उद्यम की भूमि या भवन के अनिवार्य अधिग्रहण से पूँजी लाभ (Capital Gain on Compulsory acquisition of Land & Building) :— [धारा 54D] किसी कानून के अन्तर्गत यदि किसी करदाता किसी औद्योगिक उद्यम की भूमि या भवन को सरकार अथवा स्थानीय सत्ता के द्वारा अनिवार्य रूप से अधिग्रहण कर लिए जाने पर अधिग्रहण के फलस्वरूप दी गई क्षति पूर्ति की राशि के कारण होने वाले पूँजी लाभ कर मुक्त होंगे यदि निम्न सभी शर्तें पूरी होती हों :—

a) अनिवार्य रूप से अधिग्रहण की तिथि से कम से कम ठीक पूर्व के 2 वर्षों में ऐसी भूमि या भवन का उपयोग करदाता द्वारा अपने औद्योगिक उद्यम के लिए किया जा रहा था।

b) अनिवार्य रूप से अधिग्रहण की तिथि के बाद 3 वर्ष के अन्दर करदाता उक्त औद्योगिक उद्यम को पुनः स्थापित करने के लिये अथवा नया औद्योगिक उद्यम स्थापित करने के लिए वह कोई अन्य भूमि एवं भवन क्रय कर ले अथवा भवन बनवा ले तो इनमें विनियोजित राशि तक के पूँजी लाभ कर मुक्त होंगे। अर्थात् यदि सम्पूर्ण पूँजी लाभ की राशि विनियोजित कर दी जाती है तो पूँजी लाभ की पूर्ण राशि कर मुक्त होगी एवं यदि पूँजी लाभ का केवल कुछ भाग ही भूमि या भवन के क्रय अथवा निर्माण में विनियोजित किया है तो विनियोजित की गई राशि तक के पूँजी लाभ करमुक्त होंगे शेष राशि करयोग्य होगी।

टिप्पणी : यदि करदाता इस नयी भूमि या भवन को प्राप्ति के बाद 3 वर्ष के अन्दर हस्तान्तरण कर देता है तो पूर्व में कर-मुक्त पूँजीलाभ भी हस्तांतरण होने वाले गतवर्ष में करयोग्य होंगे।

7. किसी दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से पूँजी लाभ (Capital gains on transfer of Long term Capital Assets) [धारा 54E)—यदि करदाता अपनी कोई भी पूँजी सम्पत्ति (भूमि, भवन, मशीन आभूषण अंश, आदि) जिसका वह 36 माह से अधिक के लिये स्वामी रहा हो, हस्तान्तरण कर दें तो ऐसे हस्तान्तरण से होने वाले समस्त पूँजीलाभ कर मुक्त होंगे बशर्ते कि ऐसे हस्तान्तरण के फलस्वरूप प्राप्त शुद्ध विक्रय मूल्य की राशि का छः महीने के अन्दर निर्धारित सम्पत्तियों में विनियोजित कर दें। यदि शुद्ध विक्रय मूल्य की राशि का केवल कुछ भाग ही निर्धारित सम्पत्तियों में विनियोजित किया जाता है तो पूँजी लाभ का आनुपातिक भाग ही कर मुक्त होगा ; आनुपातिक कर मुक्त पूँजी लाभ की राशि को निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है :—

$$\text{कर-मुक्त पूँजी लाभ की राशि} = \text{पूँजी लाभ की राशि} \times \frac{\text{विनियोजित राशि}}{\text{शुद्ध विक्रय प्रतिफल}}$$

यदि किसी सम्पत्ति का किसी कानून के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से अधिग्रहण हो जाता है और निर्धारित प्रतिफल की पूरी राशि सम्पत्ति के अधिग्रहण की तिथि को प्राप्त नहीं होती है तो शुद्ध प्रतिफल को निर्धारित सम्पत्तियों में विनियोजित करने हेतु 6 माह की अवधि की गणना उस दिन से की जायेगी जिस दिन प्रतिफल की राशि प्राप्त होती है।

यदि करदाता द्वारा विशिष्ट निर्धारित सम्पत्तियों को इनके प्राप्त करने की तिथि से 3 वर्ष के भीतर किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित कर दिया जाता है अथवा मुद्रा में परिवर्तित कर लिया जाता है तो ऐसी सम्पत्ति के क्रय के कारण करमुक्त किये गये पूँजी लाभ पुनः उस गतवर्ष में करयोग्य माने जायेंगे जिसमें कि यह सम्पत्ति हस्तान्तरित की जाती है। पूर्व में करमुक्त हुए पूँजीलाभ की राशि को ऐसी सम्पत्ति (निर्धारित सम्पत्ति) की प्राप्ति की लागत में से कम कर दिया जायेगा शेष राशि ही प्राप्ति लागत (cost of acquisition) मानी जायेगी।

नोट—शुद्ध विक्रय राशि से तात्पर्य उस राशि से है जो हस्तान्तरण के फलस्वरूप प्राप्त सकल राशि में से हस्तांतरण सम्बन्धी समस्त खर्चों को घटाने के बाद शेष बचती है।

अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की राशि के पूँजीलाभ—यदि उपर्युक्त वर्णित (4), (5) या (6) तथा (7) में वर्णित कोई पूँजी सम्पत्ति का किसी कानून के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से अधिग्रहण कर लिया जाता है या ऐसी पूँजी सम्पत्ति के हस्तांतरण के प्रतिफल की राशि केन्द्रीय सरकार अथवा रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अथवा अनुमोदित की गई हो और ऐसी क्षतिपूर्ति या प्रतिफल की राशि बाद में किसी न्यायालय ट्रिब्यूनल अथवा अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा बढ़ा दी जाती है तो इस अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की राशि से सम्बन्धित पूँजी लाभ करमुक्त होगा, यदि यह अतिरिक्त राशि प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित पूँजी सम्पत्ति क्रय करने में प्रयुक्त कर ली जायें।

उदाहरणार्थ मोहन की जयपुर में स्थित कृषि भूमि का राजस्थान सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से 15 फरवरी 1984 को 3 लाख रुपयों में अधिग्रहण कर लिया गया। मोहन ने ऐसे अनिवार्य अधिग्रहण के निर्धारित प्रतिफल के सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया। उच्च न्यायालय ने 15 फरवरी, 1986 को प्रतिफल की राशि को बढ़ाकर 5 लाख रु० कर दिया और बढ़ी हुई राशि 2 लाख रु० श्री मोहन को 25 फरवरी, 1986 को प्राप्त हो गई। कृषि भूमि को 1975 में 40,000 रुपयों में खरीदा था। मोहन ने जनवरी 1985 में 2 लाख रु० मूल्य की कृषि भूमि क्रय कर ली।

उपरोक्त स्थिति मे कर-निर्धारण 1984-85 में न्यायालय के निर्णय से पूर्व पूँजी लाभ की राशि (3,00,000—40,000) 2,60,000 रु० होंगी जिसमें से श्री मोहन के द्वारा हस्तांतरण की तिथि के 2 वर्ष के अन्दर 2 लाख रु० की कृषि भूमि खरीद ली गई है अतः 2 लाख रु० तक के पूँजी लाभ कर मुक्त होंगे शेष राशि करयोग्य होगी। न्यायालय के निर्णय के पश्चात् 1984-85 के कर-निर्धारण को पुनः खोला जायेगा इस प्रकार पूँजी लाभ की राशि (5,00,000—40,000) 4,60,000 रु० होगी इसमें से 2 लाख रु० की करमुक्ति तो पहले ही प्राप्त हो चुकी है और यदि करदाता मोहन द्वारा 25 फरवरी 1988 तक 2 लाख रु० या इससे अधिक राशि की कृषि भूमि क्रय कर ले तो अतिरिक्त प्राप्त प्रतिफल की राशि भी करमुक्त होगी।

विभिन्न परिस्थितियों में निर्धारित सम्पत्तियाँ—

A. ऐसी दशा में जबकि पूँजी सम्पत्ति का हस्तांतरण 28 फरवरी 1979 के बाद किन्तु 1-3-1983 से पहले होता है, धारा 54E के अधीन छूट उसी स्थिति में मिलेगी जबकि शुद्ध प्रतिफल (विक्रय मूल्य—बिक्री सम्बन्धी व्यय) $7\frac{1}{2}$% राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बोण्ड [$7\frac{1}{2}$% National Rural Development Bonds) में विनियोजित कर दिया जाये।

B. ऐसी दशा में जबकि पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण 28-2-1983 के बाद में होता है तो धारा 54E की छूट उसी स्थिति में मिलेगी जबकि बिक्री से मिले शुद्ध प्रतिफल को निम्नलिखित सम्पत्तियों में विनियोजित कर दिया जाये।

क) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियाँ जिन्हें सरकार ने गजट में इसी उद्देश्य के लिए घोषित कर दिया हो,

ख) यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के द्वारा निर्गमित यूनिटों की विशेष शृंखला में विनियोग जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में इस उद्देश्य के लिए घोषित किया गया हो। यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया की 'पूँजी लाभ यूनिट योजना 1983 के यूनिटों को इस उद्देश्य के लिये घोषित किया गया है।

ग) ऐसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बौण्ड जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस धारा के के लिए अधिसूचित कर दिया गया है।

घ) ऐसे ऋणपत्र जो Housing and Urban Development Finance Corporation Ltd. द्वारा निर्गमित किये गये हों व जिन्हें सरकारी गजट में इस उद्देश्य के लिये अधिसूचित कर दिया हो।

उपरोक्त प्रतिभूतियों में विनियोजन से कर मुक्ति प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि करदाता ने ऐसी प्रतिभूतियां इन्हें निर्गमन करने वाली संस्था से खरीदी हों अर्थात् विनियोजन प्रारम्भिक अभिदान (initial subscription) के रूप में किया गया हो टिप्पणी : 1. उपर्युक्त तरीके से विनियोजित धन से प्राप्त सम्पत्ति को इसके क्रय की तिथि से तीन वर्षों की अवधि तक न तो बेचा जाना चाहिए और न ही जमा की गई राशि को निकाला जाना चाहिए ऐसा करने पर समस्त पूँजी लाभ जिन पर कर की छूट दी गई थी उस गतवर्ष में करयोग्य दीर्घकालीन पूँजी लाभ माने जावेंगे जिस वर्ष कि विनियोग को रुपयों में बदला गया है।

2. करदाता निर्धारित सम्पत्तियों में विनियोजन की तिथि के 3 वर्ष के अन्दर ऐसी निर्धारित सम्पत्ति की प्रतिभू पर कोई ऋण या अग्रिम प्राप्त कर लेता है तो जितनी लागत की सम्पत्ति का प्रयोग प्रतिभू के रूप में रखने में हुआ उतनी राशि से सम्बन्ध में पूर्व में करमुक्त हुये पूँजी लाभ की राशि उस गतवर्ष में करयोग्य मान ली जायेगी जिसमें कि करदाता ने ऋण या अग्रिम लिया है।

3. पूँजी सम्पत्ति में प्राप्त धन राशि को विनियोजित करने की 6 महीनों की तिथि यदि सम्बन्धित कर-निर्धारण तक समाप्त नहीं हुई है व विनियोजन के अभाव में यदि पूँजी लाभ पर कर से छूट नहीं मिली है तो ऐसा कर-निर्धारण धारा 155(10A) के अधीन भूल सुधार के अन्तर्गत संशोधित किया जा सकता है बशर्ते कि करदाता निर्धारित 6 महीनों की अवधि में निर्दिष्ट विनियोजनों में पूँजी सम्पत्ति से प्राप्त प्रतिफल की धनराशि को लगा दे व आयकर अधिकारी को कर निर्धारण के संशोधन करने सम्बन्धित प्रार्थना पत्र दे दे।

8. निवास हेतु प्रयुक्त मकान के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों के विक्रय से पूँजी लाभ Capital Gains on transfer of assets other than residential house) [धारा 54F] – यदि एक व्यक्ति निवास हेतु (स्वयं अथवा अन्य के निवास हेतु) काम में आने वाले मकान के अलावा अपनी कोई भी सम्पत्ति (भवन, भूमि, मशीन, आभूषण आदि) जिनका वह तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये स्वामी रहा हो, हस्तान्तरण करदे और हस्तान्तरण की तिथि से ठीक एक वर्ष पूर्व की अवधि में अथवा ठीक बाद वाली एक वर्ष की अवधि में निवास हेतु काम में आने वाला एक मकान क्रय कर ले अथवा हस्तान्तरण की तिथि के बाद वाली 3 वर्ष की अवधि में निवास हेतु काम में आने वाला मकान बनवालें तो सम्पत्ति के हस्तान्तरण से हुए पूँजी लाभ निम्न सीमा तक करमुक्त होंगे :

क) यदि बनवाये गये अथवा क्रय किये गये मकान की लागत हस्तान्तरित सम्पत्ति के शुद्ध प्रतिफल की राशि से अधिक या बराबर है, तो पूँजी लाभ की पूर्णराशि अथवा

ख) यदि बनवाये गये अथवा क्रय किये गये मकान की लागत हस्तान्तरित सम्पत्ति के शुद्ध प्रतिफल की राशि से कम है तो आनुपातिक पूँजी लाभ ही करमुक्त होगा। इस सम्बन्ध में करमुक्त आनुपातिक पूँजी लाभ की गणना निम्न सूत्र के आधार पर की जा सकती है।

$$\text{पूँजी लाभ की राशि} \times \frac{\text{बनवाये गए अथवा क्रय किये गए मकान की लागत}}{\text{शुद्ध प्रतिफल की राशि}}$$

टिप्पणी : 1. निम्न परिस्थितियों में उक्त पूँजी लाभ करमुक्त नहीं होगा :

क. यदि करदाता सम्पत्ति के हस्तान्तरण की तिथि को किसी के निवास हेतु प्रयुक्त मकान का स्वामी हो, अथवा

ख. यदि करदाता सम्पत्ति के हस्तान्तरण की तिथि के एक वर्ष पश्चात् की अवधि में उपर्युक्त के अलावा अन्य कोई निवास हेतु मकान सम्पत्ति क्रय कर लें, अथवा

ग. यदि करदाता सम्पत्ति के हस्तान्तरण की तिथि के तीन वर्ष पश्चात् की अवधि में उपर्युक्त के अलावा अन्य कोई निवास हेतु मकान सम्पत्ति बनवालें।

2. यदि उक्त मकान सम्पत्ति बनवाने/क्रय करने की तिथि के तीन वर्ष की अवधि में हस्तान्तरित कर दी जाती है तो जितनी पूँजी लाभ की राशि पूर्व में कर मुक्त हुई वह हस्तान्तरण होने वाले गतवर्ष में दीर्घकालीन पूँजी लाभ के रूप में करयोग्य होगी।

उदाहरण (Illustration) 3 : श्री अनिल ने एक रहने का मकान जुलाई 1982 में 3,50,000 रु० में क्रय किया था। इस मकान पर 50,000 रु० लगाकर कुछ वृद्धि जनवरी, 1983 में की गई। मई, 1985 में यह मकान 5,50,000 रु० में बेच दिया गया। इस मकान के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में 1983 में श्री रमेश से बातचीत चली थी और उस समय श्री अनिल ने उनसे 6,000 रु० अग्रिम लिये थे : चूँकि देय तिथि पर श्री रमेश निर्धारित मूल्य न दे सके थे, अतएव उनके द्वारा दी गई 6,000 रु० की राशि जब्त कर ली गई और यह राशि श्री अनिल के पास ही रही। श्री अनिल की 'पूँजी लाभ' शीर्षक की कर-योग्य आय की गणना कीजिए।

Shri Anil had purchased a residential house in July 1982 for Rs. 3,50,000. Certain additions costing Rs. 50,000 were made in January 1983. In may, 1985 it was sold for Rs. 5,50,000. Negotiations for the transfer of this house had been made in 1983 also with Shri Ramesh and Shri Anil had taken an advance Rs. 6,000 from him. As Shri Ramesh did not pay on the due date the price fixed for the property. the amount of Rs.6,000 was forfeited and was retained by Shri Anil. Find out the taxable income from capital gains of Shri Anil.

हल (Solution) : **Statement of Taxable Income from Capital Gains of Mr. Anil for the A.Y. 1986-87**

		Rs.
Short-term Capital Gains :		
Sale price of house		5,50,000
Less : Cost of Acquisition :	Rs.	
Cost of house	3,50,000	
Cost of Improvement	50,000	
	4,00,000	
Less : Advance received	6,000	3,94,000
Taxable Income from Capital Gains		1,56,000

टिप्पणी :—मकान सम्पत्ति के लाभ चूंकि अल्पकालीन पूंजीलाभ है अतः धारा 53 अथवा 54 में करमुक्ति नहीं मिलेगी।

उदाहरण (Illustration) 4 : श्री अशोक ने एक मशीन, जो उन्होंने 1962 में 80,000 रु० में क्रय की थी, 1,00,000 रु० में 30 सितम्बर 1985 को बेच दी। इस मशीन पर 31 मार्च, 1985 तक स्वीकृत ह्रास 32,000 रु० था। 1 जनवरी 1964 को इस सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 90,000 रु० था तथा 1 जनवरी 1964 के पश्चात स्वीकृत ह्रास 25,000 रु० था।

श्री अशोक की 1986-87 कर-निर्धारण वर्ष के लिए पूंजी लाभ शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए।

Shri Ashok sold a machine for Rs. 1,00,000 on 30th Sept. 1985, which he had purchased in 1962 for Rs. 80,000. Depreciation allowed on this machine upto 31st March 1985 amounted to Rs 32,000. On 1st January 1964 the fair market value of this asset was Rs. 90,000 and depreciation allowed after 1st Jan. 1964 was Rs. 25,000

Compute the taxable income of Shri Ashok under the head 'Capital Gains' for the assessment Year 1986-87.

हल (Solution) :

Statement of Taxable Income from Capital Gains of Ashok for the Assessment Year 1986-87

	Rs.
Long-term Capital Gains :	
Sale Price of Machine	1,00,000
Less : Cost of Acquisition	80,000
Taxable Income from Capital Gains	20,000

टिप्पणी : 1. मशीन पर स्वीकार्य ह्रास 32,000 रु० घटाने के पश्चात् इसका अपलिखित मूल्य 48,000रु० आता है। विक्रय मूल्य 1,00,000 रु० एवं अपलिखित मूल्य 48,000 रु० का अन्तर 52,000 रु० है, इसमें से स्वीकृत ह्रास 32,000 रु० के बराबर राशि सन्तुलित चार्ज है। मशीन के अपलिखित मूल्य में सन्तुलित चार्ज की राशि जोड़कर मशीन की लागत 80,000 रु० ली गई है।

2. करदाता द्वारा 1 जनवरी 1964 से पूर्व क्रय की गई ह्रास योग्य सम्पत्ति की लागत के सम्बन्ध में 1 जनवरी, 1964 के उचित बाजार मूल्य के विकल्प को काम में नहीं लिया जा सकता।

उदाहरण (Illustration) : 5 श्री राजेश ने अपने रहने का मकान 14 अगस्त, 1985 को 5,00,000 रु० में बेच दिया। इस मकान को उन्होंने 1979 में 1,40,000, रु० में खरीदा था और 14,000 रु० इसकी रजिस्ट्री पर और 46,000 रु० इसके सुधार पर व्यय किये थे। उन्होंने विक्रय मूल्य में से 42,000 रु० के $7\frac{1}{2}\%$ राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बॉण्ड (द्वितीय निर्गम) 15 जनवरी, 1986 को खरीद लिए, 1,50,000 रु० में एक दूसरा मकान स्वयं के निवास के लिए 21 मार्च 1986 को खरीद लिया और शेष राशि के राष्ट्रीय बचत पत्र षष्ठ निर्गम 22 जून, 1986 को क्रय कर लिए।

उन्होंने 21 अगस्त, 1985 को माडर्न मिल्स लि० के कुछ अंश 1,82,000 रु० में बेच दिये जो उन्होंने 10 जून, 1984 को 1,20,000 रु० में खरीदे थे। अंशों के विक्रय के सम्बन्ध में 2,000 रु० व्यय हुये।

उन्होंने डी० सी० एम० लि० के 1,000 अंश जनवरी 1984 में 71 रु० प्रति अंश खरीदे जो उन्होंने 17 फरवरी, 1986 को प्रति 68 रु० प्रति अंश बेच दिये।

निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये उनके कर-योग्य पूंजी लाभ की गणना कीजिये।

Shri Rajesh sold his residential house on 14th August, 1985 for Rs. 5,00,000. He had purchased this house in 1979 for Rs. 1,40,000 and spent Rs. 14,000 on its registration and Rs. 46,000 on its improvement. Out of the sale proceeds he purchased 7½% National Rural Development Bonds (Second issue) for Rs. 42,000 on 15th January, 1986, another house for his own residence for Rs 1,50,000 on 21st March, 1986 and National Saving Certificates VI issue for the balance on 22nd June 1986.

He sold some shares in Modern Mills Ltd. on 21st August, 1985 for Rs. 1,82,000, which he had purchased for Rs. 1,20,000 on 10 June, 1984. Selling expenses in respect of these shares amounted to Rs. 2,000.

He had purchased 1,000 shares of D.C.M. Ltd. in January, 1984 at Rs. 71 per share which he sold at Rs. 68 per share on 17th February, 1986.

Calculate his taxable capital gains for the assessment year 1986-87.

(राजस्थान बी० काम० 1986)

हल (Solution) :

Statement of Taxable Capital Gains
for the Assessment Year 1986-87

		Rs.	
Long-term Capital Gains			
(a) Sale Proceeds of residential house		5,00,000	
Less : Cost of acquisition :	Rs.		
i. purchase Price	1,40,000		
ii. Registration Exp.	14,000		
iii. Cost of improvement	46,000	2,00,000	
		3,00,000	
Less : Exemption on Sale of residential house : $\left(3,00,000 \times \frac{2,00,000}{5,00,000}\right)$	1,20,000		
(ii) Exemption on purchase of residential house	1,50,000		
(iii) Exemption on investment in National Rural Development Bonds $\left(3,00,000 \times \frac{42,000}{5,00,000}\right)$	25,200	2,95,200	4,800
Short-term Capital Gains			
(a) Sale proceeds of Shares of Modern Mills Ltd.		1,82,000	
	Rs.		
Less : (i) Cost of acquisition	1,20,000		
(ii) Selling expenses	2,000	1,22,000	
		60,000	60,000
(b) Sale Proceeds of Shares D.C.M. Ltd.		68,000	
Less : Cost of acquisition		71,000	(—)3,000
Taxable Capital Gains			61,800

टिप्पणी :

i. प्रथम मकान के विक्रय के समय करदाता के पास कोई अन्य आवासीय मकान नही था, अतः वैधानिक छूट की गणना आनुपातिक की गई है।

ii. चूंकि करदाता ने मकान के विक्रय के एक वर्ष के बाद ही दूसरा आवासीय मकान क्रय किया है, अतः दूसरे मकान की लागत के बराबर पूंजी लाभ कर-मुक्त होगा।

iii. करदाता ने मकान के विक्रय के बाद 6 माह की अवधि में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बॉण्ड खरीदे हैं अतः शुद्ध प्रतिफल के विनियोग के अनुपात में पूंजी कर-मुक्त हैं।

iv. उपर्युक्त तीनों छूटें एक साथ दी जा सकती हैं, अतः इन्हें घटाकर कर-योग्य पूंजी लाभ की गणना की गई है।

उदाहरण (Illustration) 6 : श्री अनिल अजमेर में 1974 में एक मकान सम्पत्ति के स्वामी थे, जिनकी प्राप्ति की लागत 1,00,000 रु० थी। उनके पास 1973 से अजमेर नगरपालिका क्षेत्र में स्थित 40 एकड़ भूमि भी थी। मकान का उपयोग उनके पिताजी द्वारा रहने के लिए किया जाता था एवं भूमि का उपयोग स्वयं द्वारा कृषि कार्य के लिए किया जाता था। उन्होंने एक नवम्बर 1985 को एक नया मकान स्वयं के निवास हेतु 2,00,000 रु० में क्रय किया 1 जनवरी 1986 को उन्होंने अपना पुराना मकान 2,40,000 रु० में बेच दिया एवं कृषि भूमि जिसकी लागत 40,000 रु० थी, 60,000 रु० में बेच दी। फरवरी 1986 को उन्होंने जयपुर में 1,00,000 रु० की कृषि भूमि क्रय की।

a) कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए श्री अनिल की 'पूंजी लाभ' शीर्षक की कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए। b) यदि नया मकान 60,000 रु० में क्रय किया जाता तो क्या स्थिति होती।

Shri Anil had been the owner of a house property at Ajmer since 1974, its cost of acquisition was Rs. 1,00,000. He had also owned since 1973, 40 acres of land situated within the jurisdiction of Ajmer municipality. This house was used by his father for residence and the land was used by him for agricultural purpose. He purchased a new house for Rs. 2,00,000 on 1st November 1985 for his residence. On 1st January 1986 he sold his old house for Rs.2,40,000 and his agricultural land, the cost of which was Rs. 40,000, for Rs 60,000. On 1st February 1986 he purchaged agricultural land for Rs. 1,00,000 in Jaipur.

a) Compute Shri Anil's Taxable Income from 'Capital Gains' for the assessment Year 1986 87.

b) Had the new house been purchased for Rs 60,000 what would have been the position ?

हल (Solution): Statement of Shri Anil's Taxable Income from Capital Gains for the Assessment Year 1986-87

		Rs.
a) Taxable Capital Gains		NIL
b) Long-term Capital Gains :		
Sale consideration old house	2,40,000	
Less : Cost of Acquistion	1,00,000	
	1,40,000	
Less : Exempt to the extent utilized for the purpose of the new house	60,000	80,000
Taxable Income from Capital Gains		80,000

टिप्पणी 1. प्रथम स्थिति में पुराने मकान के हस्तांतरण पर हुए लाभ 1,40,000 रु० का उपयोग हस्तांतरण तिथि से एक वर्ष पूर्व की अवधि में नए मकान में क्रय हेतु किया जा चुका है, अतएव यह पूँजी लाभ कर मुक्त है।

2. कृषि भूमि के हस्तांतरण से पूँजी लाभ 20,000 रु० का उपयोग हस्तांतरण की तिथि के 2 वर्ष के भीतर अन्य भूमि क्रय करने में किया गया है अतः यह पूँजी लाभ भी पूर्णतया कर मुक्त है।

3. श्री अनिल को धारा 53 के अन्तर्गत करमुक्ति का लाभ नहीं दिया जा सकता क्योंकि मकान के हस्तान्तरण की तिथि (1 जनवरी 1986) को करदाता के पास एक से अधिक रहने के मकान हैं।

उदाहरण (Illustration) 7: 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में श्री राम दयाल ने निम्नलिखित सम्पत्तियाँ वेची—

क)	मकान जो 1967 में 14,000 रु० में खरीदा था	50,000
ख)	मशीन जो 1973 में 1,00,000 रु० की खरीदी थी, 1-4-1985 को अपलिखित मूल्य 70,000 रु० था।	1,20,000
ग)	मशीन जो 1 नवम्बर, 1985 को खरीदी जिसकी लागत 70,000 रु० थीं।	80,000
घ)	70,000 की लागत का निजी रिहायशी मकान (जिसमें वह चार वर्ष पहले से रह रहा है)	1,00,000

इस वित्तीय वर्ष 1985-86 में उसने स्वयं के निवास हेतु 70,000 रु० का दूसरा मकान खरीदा।

कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए श्री राम दयाल की पूँजी लाभ शीर्षक की कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए।

During the year ending 31st March, 1986 Mr. Ramdayal sold the following assets—

		Sales Proceeds Rs.
a)	House purchased for Rs. 14,000 in 1967	50,000
b)	Machinery purchased for Rs. 1,00,000 in 1973 W.D.V. on 1-4-1985 was Rs. 70,000	1,20,000
c)	Machine purchased in Nov. 1, 1985 costing Rs, 70,000	80,000
d)	Own residential house costing Rs. 70,000 (occupied by him since four years).	1,00,000

During the financial year 1985-86 he bought another house for his residence for Rs. 70,000.

Compute taxable income under the head Capital Gains of Mr. Ramdayal for the assessment year 1986-87.

हल (Solution) :

Statement of taxable Income from Capital Gains of Mr. Ramdayal for Assessment Year 1986-87

	Rs.	Rs.
Short term Capital Gains :		
i. Machine purchased on 1-11-85 :		
Sales Price	80,000	
Less : Cost of acquisition	70,000	10,000

Long term Capital Gains :			
i. House purchased in 1967 :			
Sales Price		50,000	
Less : Cost of acquisition		14,000	36,000
ii. Machine purchased in 1973 :			
Sale proceeds	Rs.	1,20,000	
Less : Cost of acquisition : W.D.V. on 1-4-85	70,000		
Add : balancing charge	30,000	1,00,000	20.000
Taxable Income from Capital gains			66,000

टिप्पणी : निजी रिहायशी मकान के विक्रय पर पूंजी लाभ 30,000 रु० कर मुक्त है क्योंकि एक वर्ष के भीतर खरीदे अन्य रिहायशी मकान की लागत 30,000 रु० से अधिक है।

उदाहरण (Illustration) 8 : श्री अरुण के द्वारा प्रदान की गई निम्न सूचना के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए करयोग्य पूंजी लाभ की गणना कीजिए :—

a) 1 जनवरी 1986 को 1,00,000 रु० में आभूषणों को वेचा। ये आभूषण 1 जनवरी, 1976 में 30,000 रु० में क्रय किए गए थे। इस राशि का उपयोग एक अन्य रहने के मकान को क्रय करने में किया गया।

b) 1 फरवरी, 1986 को एक मकान, जो 1975 में 2,00,000 रु० में खरीदा था 4,00,000 रु० में वेचा तथा उसी दिन 2,00,000 रु० के राष्ट्रीय ग्राम विकास बाँड खरीदे।

c) 15 अप्रैल 1985 को अपने कपड़े के व्यापार में प्रयुक्त होने वाले 30,000 रु० की लागत के फर्नीचर को फर्नीचर व्यापार के व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तित कर लिया। 15 अप्रैल 1985 को इस फर्नीचर का बाजार मूल्य 50,000 रु० था। 25 फरवरी 1986 को इस प्रकार परिवर्तित व्यापारिक स्टॉक को 65,000 रु० में बेच दिया गया।

On the basis following informations supplied by Shri Arun, Compute taxable Capital gains for the assessment year 1986-87.

a) Sold jewellery on 1st Jan. 1986 for a consideration of Rs. 1,00,000. The jewellery was purchased on 1st Jan., 1976 for Rs. 30,000. He utilized this amount for the purchase of another residential house.

b) On 1 Feb., 1986 a house, which was purchased in 1975 for Rs. 2,00,000 was sold for Rs. 4,00,000 and on the same day he purchased National rural development bond of Rs. 2,00,000.

c) On 15 th April 1985, he converted his furniture costing Rs. 30,000 which is being used in his cloth business in to Stock-in-trade of furniture business. Fair Market value of this furniture on 15 th April 1985 was Rs. 50,000. On 25 th Feb., 1986 he sold the stock-in-trade so converted for Rs. 65,000.

हल (Solution)

Statement of Taxable Capital Gains of Mr. Arun for the Assessment year 1986-87

	Rs.	Rs.
Long term Capital gains :		
(i) Sale consideration of jewellry	1,00,000	
Less : cost of acquisition	30,000	70,000

(ii)	Sale consideration of house	4,00,000	
	Less : Cost of acquisition	2,00,000	
		2,00,000	
			1,00,000
	Less : Exempt due to investment in the specified asset	1,00,000	
(iii)	Fair value of Consideration received (i.e. fair Market Value on the date of Conversition)	50,000	
	Less : Cost of acquision	30.000	20,000
	Taxable Capital gains		1,90,000

टिप्पणी : 1. आभूषणों के विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग रहने के अन्य मकान के क्रय हेतु किया गया है किन्तु करदाता पहले ही एक रिहायशी मकान का स्वामी है अतः आभूषणों के हस्ताँतरण से होने वाले सम्पूर्ण पूंजी लाभ करयोग्य होंगे।

2. मकान के विक्रय से प्राप्त प्रतिफल की आधी राशि का उपयोग ही निर्धारित विशिष्ट सम्पत्ति के क्रय करने हेतु किया गया है अतः मकान के हस्ताँतरण से होने वाले पूंजी लाभ की आधी राशि ही करमुक्त है।

3. यदि किसी पूंजी सम्पत्ति को व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तित किया जाता है तो ऐसे परिवर्तित व्यापारिक स्टॉक के बेचे जाने वाले गतवर्ष में पूंजी सम्पत्ति के परिवर्तन की तिथि को जो उसका उचित बाजार मूल्य था उसका पूंजी सम्पत्ति के लागत मूल्य पर आधिक्य कर योग्य पूंजी लाभ होगा। इस प्रकार (50,000—30,000)रु० 20,000 करयोग्य पूंजी लाभ होंगे। ऐसे व्यापारिक स्टॉक के विक्रय मूल्य का परिवर्तन की तिथि को उचित बाजार मूल्य पर आधिक्य (अर्थात् 65,000—50,000) 15,000रु० व्यापार एवं पेशे शीर्षक का करयोग्य लाभ माना जायेगा।

उदाहरण (Illustration) 9 : श्री अशोक अपने विनियोगों का निम्नलिखित विवरण देते हैं (Ashok Gives the following details regarding his investment) :

A. कम्पनियों में अंश (Shares in Companies) :

कम्पनी का नाम	क्रय तिथि	लागत मूल्य Rs.	विक्रय तिथि	विक्रय मूल्य Rs.
(i) A Ltd,	1-1-1967	7,000	30-6-1985	18,000
(ii) B Ltd.	1-1-1970	10,000	31-10-1985	9,000
(iii) C Ltd.	31-1-1983	20,000	30 6-1985	26,000
(iv) D Ltd.	28-2-1983	18,000	31-1-1986	14,000

B. मकान सम्पत्तियाँ (House Properties)

(i) मैरीन ड्राइव में अपने निवास को प्रयुक्त एक मकान	1-1-1983	90,000	30-6-1985	1,20,000
(ii) पूना में गृह सम्पत्ति एक फर्म को किराये पर उठाई गई	30-6-1970	50,000	30-5-1985	1,00,000

जुहू (बम्बई) में उन्होंने अपने व्यक्तिगत निवास के लिए 31 अक्टूबर, 1985 को 1,50,000 रु० का एक मकान खरीदा। पूना स्थित गृह सम्पत्ति के रजिस्ट्रेशन एवं बेचने की दलाली के सम्बन्ध में 10,000 रु० का व्यय भी किया है।

31 मार्च, 1986 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजीगत लाभ की राशि की गणना कीजिए जो कर-योग्य है।

In Juhu (Bombay), he purchased a house worth Rs. 1,50,000 for his own residence on 31st October 1985. On sale of House property situated in Pune, Registration expenses and brokerage of sale were incurred Rs. 10,000.

Calculate the amount of Capital Gain for the year ending 31st March 1985 which is taxable. *(Adaped C.A. Inter)*

हल (Solution) : Computation of Capital Gains for the A.Y. 1986-87

	Rs.	Rs.
Short term Capital gains		
(i) Shares in C Ltd. (26,000—20,000)	60,000	
(ii) Self occupied flate (1,20,000—90,000)	30,000	
	36,000	
(iii) *Less* : Loss on sale of Shares in D Ltd. (14,000—18,000)	4,000	32,000
Long term Capital Gains		
(i) Shares in A Ltd. (18,000—7,000)		11,000
(ii) House property at Poona (1,00,000—50,000)	50,000	
Less registration exp.	10,000	40,000
		51,000
Less : Long-term capital loss		
(iii) Shares in B Ltd. (9,000—10,000)		1,000
		50,000
Taxable Capital Gains (32,000+50,000)		82,000

टिप्पणी : मैरीन ड्राइव में स्थित मकान के हस्तांतरण पर लाभों के सम्बन्ध में कोई छूट नहीं दी जावेगी क्यों कि करदाता हस्तांतरण की तिथि से 3 वर्ष या अधिक पूर्व से इस मकान का स्वामी नहीं रहा है।

उदाहरण (Illustration) 10. एक कम्पनी के पास एक दूसरी कम्पनी के 100 रु० वाले 1,000 अंश थे। 31 मार्च, 1986 को समाप्त गतवर्ष में उसको 100 रु० अंकित मूल्य वाले 1,000 बोनस अंश आवंटित किए गए। मूल अंश कम्पनी से 125 रु० प्रति अंश की कीमत पर खरीदे गए थे। 31 मार्च, 1986 की समाप्त गत-वर्ष में उसने 1,000 बोनस अंश 150 रु० प्रत्येक की दर से बेच दिए। कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए पूंजी लाभ की गणना कीजिए।

A company held 1,000 shares of Rs. 100 each in a another company. During the previous year ending 31st March, 1986 it was alloted 1,000 bonus shares of the face value of Rs. 100 each. The original shares were acquired by the company at a price of Rs. 125 per share. During the previous year ending 31st March, 1986, it sold the 1,000 bonus share at Rs. 150 each. Compute the capital gain for the assessment year 1986-87.

हल (Solution) : Computation of Capital Gains for the A.Y. 1986-87.

	Rs.	Rs.
Sale price of 1,000 shares @ Rs. 150 per share		1,50,000
Less : Cost of 1,000 shares :		
Cost of original shares (1000×125)	1,25,000	
Cost of 1,000 bonus shares	NIL	
Cost of 2,000 shares	1,25,000	
Cost of one share	62·5	
Hence cost of 1,000 bonus shares		62,500
Capital Gains		87,500

उदाहरण (Illustration) 11 : श्री अजीत जैन की 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष की आय का विवरण निम्नलिखित है :

a) वे देहली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उन्हें 3,000 रु० मूल वेतन तथा 1,080 रु० मंहगाई भत्ता प्रति माह मिलता है। उनकी अपनी मोटर कार है जिसके सम्बन्ध में उन्हें 250 रु० मासिक सवारी भत्ता भी दिया जाता है।

b) उन्हें वर्ष में गंगानगर शुगर मिल्स के ऋण-पत्रों पर, जिनका अंकित मूल्य 20,000 है, पर 8% ब्याज प्राप्त हुआ।

c) डाक घर बचत खाते में जमा राशि पर ब्याज 1,000 रु०।

d) देहली में वे दो मकानों के स्वामी हैं। प्रथम मकान जो 31 मार्च, 1982 को बनकर समाप्त हुआ था। 500 रु० प्रति माह किराए पर रहने के लिए दिया हुआ है, एवं दूसरे मकान में स्वयं रहते हैं जिनका नगरपालिका मूल्य 13,000 रु० है एवं अनुमानित वार्षिक किराया 15,000 रु० है। इस मकान के सम्बन्ध में उन्होंने 1,300 रु० नगरपालिका कर चुकाया।

e) 31 मार्च, 1986 को किराए पर उठा मकान, जिसे 30,000 रु० में क्रय किया गया था एवं उसके बाद में 8,000 रु० उसमें सुधार करने हेतु व्यय किए गए, 80,000 रु० में बेच दिया गया।

f) गंगानगर शुगर मिल्स के ऋण-पत्रों को, जिनको 6 वर्ष पूर्व 17,000 रु० में क्रय किया गया था, 21,000 रु० में 31 मार्च 1986 को बेच दिया।

g) उन्होंने अपनी कार को जो कि 45,000 रु० में खरीदी थी 31 मार्च 1986 को 10,000 रु० के लाभ पर बेच दिया।

उपर्युक्त विवरण से श्री अजीत की कर निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए विभिन्न शीर्षकों की कर-योग्य आय ज्ञात कीजिए।

Following are the particulars of the Income of Mr. Ajit for the year ending 31st March, 1986.

a) He is a Professor in Delhi University. He gets Rs. 3,000 as basic pay and Rs. 1,080 as dearness allowance every month. He has own motor-car which he gets a monthly conveyance allowance of Rs.250

b) During the year he received Interest @ 8% on Rs. 20,000 debentures of Ganganager sugar mills.

c) Interest on amount deposited in Post office Savings Bank Rs. 1,000.

d) He is the owner of two houses at Delhi. The first house which was completed as 31 march, 1982 is let out for residence at a monthly rent Rs. 500 and he lives in second house of which the municipal value is Rs. 13,000 and estmated annual rent is Rs. 15,000. He paid Rs. 1,300 as municipal tax on this house.

e) On 31 March, 1986 the out house, which was purchased for Rs. 30,000 and later Rs. 8,000 were incurred on its improvment, being sold for Rs. 80,000.

f) Debentures of Ganganager sugar mills purchased before 6 years at Rs.17,000 sold on 31st March 1986 for Rs. 21,000,

g) He sold his motor car at a profit of Rs. 10,000 on 31st March 1986, which was purchased at cost of 45,000.

From the above particulars Compute the taxable income of Mr. Ajit from various sources for the Assessment Year 1986-87.

हल (Solution) : Statement of Shri Ajit's Taxable Income under the various heads for the assessment year 1986-87

		Rs.	Rs.
1. Salaries :			
Basic Pay		36,000	
Dearness allowance		12,960	
Gross salary		48,960	
Less : Standard deductions		6,000	42,960
2. Interest on Securities :			
Interest on 8% debentures of Ganganager Sugar Mills		1,600	1,600
3. House-Property :			
Let out house :			
Rental Value		6,000	
Less : Statutory allowance		2,400	
Annual Value		3,600	
Less : 1/6 for repairs		600	3,000
Self-occupied house :			
Estimated Annual Rent		15,000	
Less : Municipal taxes Paid		1,300	
		13,700	
Less : Statutory allowance for Self occupied house		3,600	
		10,100	
Annual value restricted to 10% of other income Rs. 93,560 (42,960+1600+3000+46,000)		9,356	
Less : 1/6 for repairs		1,559	7,797
			10,797
4. Capital Gains :			
Sale value of let out house		80,000	
Less : Cost of acquisition	30,000		
Cost of improvement	8,000	38,000	
		42,000	
Sale price of investment	21,000		
Less : Cost of acquisition	17,000	4,000	46,000

टिप्पणी : 1. स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य अन्य करयोग्य आय के 10% तक सीमित किया गया है।

2. करदाता द्वारा कार को बेचने से हुआ लाभ करयोग्य पूँजीलाभ नहीं है क्योंकि कार व्यक्ति उपयोग में आती है अतः इसे पूँजी सम्पत्ति नहीं माना जायेगा एवं इसके हस्तान्तरण से पूँजी लाभ शीर्षक में करयोग्य नहीं है।

परीक्षा प्रश्न (Test Questions)

सैद्धांतिक प्रश्न (Theoritical Questions)

1. 'पूँजी लाभ' शब्द की व्याख्या कीजिये। 'अल्पकालीन पूँजी लाभ' तथा दीर्घकालीन पूँजी लाभ' में अन्तर बताइए।
   Explain the term 'Capital gains. Distinguish between 'short-term capital gains. and 'long term capital gains. *(Punjab B. Com. 1978)*
2. किन्हीं ऐसे पाँच तरह के व्यवहारों की सूची दीजिये जो पूँजीगत लाभों के लिए हस्तांतरण नहीं माने जाते ?

Give a list of five transactions which are not regarded as transfer' for the purpose of capital gains. (*C A Final, May, 1976*)

3. किन दशाओं में एक मकान की विक्री पर हुए पूँजीगत लाभ कर मुक्त होंगे ?
Under what circumstances capital gains on the sale of a house are exempt ? (*C A Final, May, 1976*)

4. 'पूँजीगत लाभों' एवं 'आय' के बीच आप किस तरह भेद करेंगे यह भेद करना क्यों आवश्यक है ?
How will you distinguish between 'capital gains' and 'ordinary Income'. Why is it important to make this distinction ? [*Delhi B. Com. Hons, 1975*]

5. 'पूँजीगत लाभों' एवं 'पूँजीगत सम्पत्तियों को परिभाषित कीजिये। विस्तार से बताइए कि किस प्रकार पूँजीगत लाभों की गणना की जाती है एवं किस प्रकार उन पर कर लगाया जाता है।
Define 'capital gains' and 'capital assets' Explain how capital gains are determined and assessed. [*Andhra B. Com. 1980, Kurukshetra B. Com. 1977*]

6. 'पूँजीगत सम्पत्ति' को परिभाषित कीजिए। विभिन्न प्रकारों के करमुक्त पूँजी लाभों का विवरण दीजिए।
Define 'Capital asset'. Explain various types of capital gains exempt from tax. [*Delhi B. Com. pass 1971*]

7. पूँजीगत लाभों की गणना के लिए सम्पत्ति की 'प्राप्ति लागत से क्या आशय है ? विभिन्न परिस्थितियों में यह किस प्रकार निकाली जाती है ?
What is the meaning of the term 'cost of acquisition' as used for computation of capital gains ? How is it ascertained under a different circumstances ?

8. पूँजीगत लाभों से आप क्या समझते हैं ? इनकी गणना किस प्रकार की जाती है एवं इन पर कर किस भाँति लगाया जाता है ?
What do you understand by capital gains ? How are they computed and subjected to tax ? [*Andra M. Com. 1977*]

9. पूँजी लाभों से आप क्या समझते हैं ? इन पर आयकर लिया जाता है या नहीं ? तर्क दीजिए ?
What is capital gains' ? Whether capital gain is to be taxed or not ? Give reasons for your arguments. [*Madras B. Com. 1980*]

व्यवहारिक प्रश्न (Practical questions)

1. राजू एक रहने का मकान 1 सितम्बर 1985 को 1,90,000 रु० में बेचता है उस तिथि को वह अन्य किसी रहने के मकान का स्वामी नहीं था। यह मकान उसने 31 जनवरी 1961 को 40,000 रु० में खरीदा था जिसका 1 जनवरी 1964 को उचित बाजार मूल्य 80,000 रु० था। करयोग्य पूँजी लाभ की गणना कीजिये।

यदि यह मकान 3,50,000 रु० में बेचा जाता तो कर योग्य पूँजी लाभ की राशि कितनी होती ?

Raju sells a residential house property on 1 September 1985 for Rs. 1,90,000. He does not own any other residential house on that date. The house was acquired on 31st January 1961 for Rs. 40,000 and its fair-market value on 1st January 1964 was Rs. 80,000 compute taxable capital gain.

If the house has been sold in Rs. 3,50,000 What would be the taxable capital gains.

2. श्री सतीश 1967 से एक मकान में रह रहे थे। इसका निर्माण 90,000 रु० की लागत पर किया गया था। भारत सरकार ने इस मकान का अधिग्रहण मई, 1980 में कर लिया एवं इसी वर्ष 78,750 रु० की क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान किया। सितम्बर 1984 में न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ा दी गई एवं 45,000 रु० की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान दिसम्बर 1984 में किया गया। जनवरी 1985 में श्री सतीश ने अपने रहने के लिए 1,35,000 रु० में एक नया मकान क्रय किया। उनके द्वारा नया मकान जून 1985 में 1,80,000 रु० में बेच दिया गया। उन्होंने नवम्बर 1985 में 60,000 रु० के राष्ट्रीय ग्राम विकास बाँड खरीदें।

कर निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए उनके कर-योग्य पूंजी लाभ की राशि की गणना कीजिए।

Shri Satish has been residing in a house since 1967. This house was constructed at a cost of Rs. 90,000. The Govt. of India acquired this house in May, 1980 and paid compensation of Rs. 78,750 in the same year. In Sept. 1984, the compensation was enhanced by the court and additional compensation of Rs. 45,000 was paid in Dec. 1984. In Jan. 1985 Shri Satish purchased a new house for his residence for Rs. 1,35,000. The new house was sold by him in June 1985 for Rs. 1,80,000. He purchased in Nov. 1985 National Rural Development Bonds for Rs. 60,000.

Compute his taxable amount of Capital Gains for the Assessment year 1986-87.

3. a) श्री भरत गुप्ता मोदी फार्मा, जयपुर के प्रबन्धक हैं। इन्हें 3,000 रु० मासिक वेतन एवं 500 रु० मासिक मँहगाई भत्ता मिलता है।

b) उन्हें गतवर्ष में भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचियत एक कम्पनी के ऋण-पत्रों पर 7,200 रु० पर ब्याज प्राप्त हुआ जिसके संग्रह के लिए बैंक को 50 रु० कमीशन दिया।

c) वे दो मकानों के स्वामी थे। एक मकान 300 रु० मासिक किराए पर उठा है एवं इसका नगरपालिका मूल्यांकन 3,000 रु० है जिस पर 10% नगरपालिका कर देय है। यह व्यवसाय चलाने के काम आता है। दूसरे मकान में वे स्वयं 12 वर्ष से रहते हैं एवं इसका अनुमानित वार्षिक किराया 4,000 रु० है एवं चुकाया गया नगरपालिका कर 400 रु० है।

d) किराये पर उठे हुए मकान को जिसकी लागत 80,000 रु० थी, 31-3-86 को 1,00,000 रु० में बेच दिया एवं उसी दिन 80,000 रु० के अधिसूचित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास-बांड खरीदें।

e) कम्पनी के ऋण-पत्रों को जिन्हें 68,000 रु० में खरीदा था, 80,000 रु० में मार्च 1986 में बेच दिया। (ब्याज 1 जून व 1 दिसम्बर को देय है)।

f) उन्होंने कुछ आभूषण जो 18 वर्ष पूर्व 8,000 रु० में खरीदे थे, मार्च 1986 में 60,000 रु० में बेच दिए एवं सम्पूर्ण राशि का उपयोग एक रहने का मकान बनवाने में किया।

श्री भरत गुप्ता की 1986-87 कर निर्धारण वर्ष के लिए विभिन्न शीर्षकों की कर योग्य आय ज्ञात कीजिए।

a) Shri Bharat Gupta is the Manager of the Modi Pharma Jaipur. He gets Rs. 3,000 as salary and Rs. 500 as dearness allowance per month.

b) He received Rs. 7,200 as Interest on debentures of a company listed in recognised stock exchange in India during the previous year.

c) He was the owner of two houses. One house is let out on a monthly rent of Rs. 300 and its municipal valuation is Rs. 3,000 on which municpal taxes is

payable @ 10%. This house is used for running business. In second house he has been residing for the last 12 years and its estimated annual rent is Rs. 4,000 and municipal tax paid Rs. 400.

d) The let out house property costing Rs. 80,000 was sold on 31-3-86 for Rs. 1,00,000 and on the same day purchased Notified National Rural Development Bonds of Rs. 80,000.

e) Debentures of the company, purchased for Rs. 68.000 were sold in March 1986 for Rs. 80.000. Interest due on 1st June and 1st December).

f) Some jewellery, purchased for Rs. 8,000 before 18 years, was sold in March 1986 for Rs. 60,000 and while of the amount was being used in constructing a residential house.

Compute taxable Income of Mr. Bharat Gupta for the assessment year 1986-87. under the various head.

4. श्री योगेश जोशी लोकोपकारक फार्मेक्यूटिकल्स, अलवर में महाप्रबन्धक हैं। उन्हें प्रतिमाह 4,000 रु० मूलवेतन तथा 1,000 रु० मँहगाई भत्ता मिलता है। उन्हें गत वर्ष 3 माह का वेतन बोनस के रूप में भी मिला। उसका एक पुत्र बम्बई विश्वविद्यालय में पढ़ता है जिसकी शिक्षा पर व्यय 500 रु० प्रतिमाह का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया गया।

उन्होंने अपने व्यक्तिगत उपयोग के फर्नीचर, जिसकी लागत 6,000 रु० थी, को 10,000 रु० में बेच दिया।

उनकी पत्नी के उपयोग के 1,00,000 रु० लागत मूल्य के आभूषणों को जो 1974 में क्रय किये गये थे को मई, 1985 में 4,00,000 रु० में बेच दिया तथा दिसम्बर, 1985 में स्वयं के रहने के लिये एक मकान 3,00,000 रु० में क्रय किया।

श्री जोशी की एक भूमि लखनऊ में थी जिसको उन्होंने 1966 में 1,80,000 रु० में क्रय की थी। 1 अप्रैल, 1985 को इस भूमि को राज्य सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और 2,00,000 रु० की क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान जून, 1985 में कर दिया। न्यायालय ने अप्रैल, 1986 में क्षतिपूर्ति की राशि 1,00,000 रु० से बढ़ा दी और यह राशि राज्य सरकार ने 1 जून, 1986 को भुगतान कर दी। 1 सितम्बर, 1986 को 1,60,000 रु० निर्धारित सम्पत्तियों में विनियोजित कर दिये।

उपर्युक्त विवरण से श्री जोशी की निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए विभिन्न शीर्षकों की करयोग्य आय ज्ञात कीजिये।

Shri Yogesh Joshi is the General Manager of Lokopkarak Pharmacuticals, Alwar. He gets every month Rs 4,000 as basic pay and Rs. 1,000 as dearness allowance. He got three months' pay as bonus in the previous year. One of his sons is studying in the Bombay University whose educational expenses of Rs. 500 per month have also been paid by the employer.

He disposed off his own furniture used for personal purposes for Rs. 10,000, the cost of which was Rs. 6,000.

He sold for Rs. 4,00,000 in May, 1985 the ornaments which were purchased in 1974 for Rs. 1,00,000 and which were used by his wife. He purchased a house for his residence for Rs. 3,00,000 in December, 1985.

Shri Joshi had a land in Lucknow, which he purchased for Rs. 1,80,000 in 1966 On 1st April, 1985 this land was acquired by the State Government and a Compensation of Rs. 2,00,000 was paid to him in June, 1985. The court enhanced in April, 1986 the amount of compensation by Rs. 1,00,000 and this amount was paid on 1st June, 1986 by the State Government. He invested Rs. 1,60,000 in specified securities on 1st September, 1986.

From the above particulars, compute his taxable income under different heads for the Assessment Year 1986-87.

5. श्री चन्द्रकान्त 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले गतवर्ष के लिए निम्न सूचनायें प्रदान करते हैं—

1. उन्होंने 30,000 रु० की लागत के गहने जो 1980 में क्रय किये थे दिसम्बर 1985 में 2,00,000 रुपयों में बेच दिये। प्राप्त प्रतिफल में से 15 मार्च 1986 को 1,20,000 रु० के यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के अधिसूचित यूनिट्स कम किये। इन गहनों का 1 जनवरी 1964 को उचित बाजार मूल्य 45,000 रु० था।
2. उन्होंने अक्टूबर 1984 में एक प्रिया स्कूटर 10,000 रुपयों में खरीदा था उसको दिसम्बर 1985 में 13,000 रु० में बेच दिया और बेचने के 6 माह में दूसरा स्कूटर क्रय कर लिया।
3. उन्होंने सितम्बर 1983 में एक मकान किरायेदारों के रहने के लिए 2,00,000 रु० में खरीदा उसे फरवरी 1986 में 3,50,000 रु० में बेच दिया। बेचने के एक वर्ष के अन्दर ही 2,00,000 रु० का एक मकान रहने के लिये क्रय कर लिया।
4. उन्होंने 20,000 रु० के मूल्य की एक पूँजी सम्पत्ति जो 8 वर्ष पूर्व क्रय की थी को 15 मई 1985 को व्यापारिक स्टाक में बदल दिया। ऐसा परिवर्तित स्टॉक फरवरी 1986 में 60,000 रु० में बेच दिया। 15 मई 1985 को ऐसी सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 50,000 रु० था।
5. एक मशीन जो 5 वर्ष पूर्व जापान से 40,000 रु० में उधार क्रय की थी, गतवर्ष में 60,000 रु० में बेच दी गई। इसके प्रतिफल के भुगतान के पूर्व ही भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो गया जिसके कारण 50,000 रु० का भुगतान करना पड़ा। कर निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए पूँजीलाभ शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात कीजिये,

Shri Chandra Kant furnishes following informations for the previous year ending 31st March 1986—

1. He sold ornaments for Rs 2,00,000 in Dec. 1985 which was purchased by him in 1960 at a cost of Rs. 30,000. Out of the consideration received he purchased notified units of unit trust of India of Rs. 1,20,000 on 15th March 1986, fair Market Value of ornaments on 1st January 1964 was Rs. 45,000.
2. He purchase a Priya Scooter at a cost of Rs. 10,000 in Oct. 1984 and sold it in Dec 1985 for Rs. 1,300 and purchase another scooter within six month of sale.
3. He sold a house in Feb. 1986 for Rs. 3,50,000 which was purchased by him in Sept. 1983 at a cost of Rs 2,00,000 for the residential purpose of tenants. He purchased a residential house at a cost of Rs. 2,00,000 within a year of sales.
4. On 15th May 1985 he converted a Capital assets purchased before 8 years costing Rs. 20,000 into stock-in-trade. In Feb. 1986 he sold the stock-in-trade so converted for Rs. 60 000. Fair market value on 15th May 1985 was Rs. 50,000.
5. A machine purchased on credit from Japan at a cost of Rs. 40,000. Before the payment of consideration Indian currency devalued and he had to pay Rs. 50,000.

Compute taxable Income under the head capital gains for the assessment year 1986-87.

उत्तर—अध्याय ८ (पूँजी लाभ)

(1) (a) शून्य, (b) 1,15,714 रु० (2) 78,750 रु० (3) वेतन 36,000 रु०, प्रतिभूतियों से ब्याज 7,950 रु०, मकान सम्पत्ति 4,500 रु०, पूँजी लाभ 68,000 रु० (4) वेतन 74,000 रु०, पूँजीलाभ 1,55,000 रु० (5) 2,52,000 रु०

12/86

———

10

अन्य साधनों से आय

(Income from Other Sources)

'अन्य साधनों से आय' आय के विभिन्न शीर्षकों में अन्तिम शीर्षक है। वे समस्त प्रकार की आय जो आय के प्रथम पाँच शीर्षकों में कहीं भी सम्मिलित नहीं की जा सकती वह इसी शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित की जातीं है।

अन्य साधनों से आय [56(1)]
(Income from other Sources)

धारा 56(1) के अन्तर्गत वे सभी प्रकार की आय जो कुल आय में शामिल की जाती हैं तथा जो कुल आय के प्रथम पाँच शीर्षकों में से किसी भी शीर्षक के अन्तर्गत नहीं आ सकती, इस शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होती हैं। इस शीर्षक का क्षेत्र बहुत व्यापक है परन्तु यदि कभी आयकर अधिकारी किसी भूल के कारण किसी आय को उसके सही शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय में शामिल नहीं कर पाता तो वह आय कभी भी इस शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य नहीं बनाई जा सकती। आय को इस शीर्षक के अन्तर्गत लाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे किसी भी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत शामिल न किया जा सके।

एसे व्यापार का लाभ, जो गतवर्ष से पहले ही बन्द हो चुका है, यदि गतवर्ष में प्राप्त होते हैं तो इसी शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होते हैं।[1]

विशिष्ट आय (Specific Incomes) [56(2)]

धारा 56(2) के अन्तर्गत कुछ ऐसी आय दी गई हैं जो इस शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य हैं, यद्यपि इस सूची से इस धारा का क्षेत्र सीमित नहीं होता। ये विशिष्ट आय इस प्रकार हैं :

a) लाभांश।
b) धारा 280 D के अनुसार वार्षिकी जमा योजना के अन्तर्गत मिलने वाली वार्षिकी की रकम। कुछ वर्षों पहले यह योजना चालू थी। इसके अन्तर्गत एक निश्चित-सीमा से अधिक आय प्राप्त करने वालों को अनिवार्य रूप से कुल राशि सरकार के पास जमा करानी पड़ती थी जिसकी वापिसी मय ब्याज के 10 वार्षिक किश्तों में होती थी। ये वार्षिक किश्तें जब मिलती हैं तो कुल आय में इसी शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होती हैं।

---

1. Mrs. Roma Bose v. ITO [1974] 95 ITR 209.

c) लाटरी, वर्ग पहेलियों, दौड़, ताश के खेल, शर्त व किसी भी अन्य प्रकार के जुए या खेल से प्राप्त आय।

d) करदाता द्वारा अपनी मशीन, प्लांट अथवा फर्नीचर को किराये पर उठाने से हुई वह आय जो 'व्यापार पेशे के लाभ' के अन्तर्गत करयोग्य नहीं है।

e) जब कोई करदाता अपनी मशीन, प्लांट, व फर्नीचर को किराये पर उठाने के साथ भवन को भी किराये पर उठाता है तथा भवन का किराया यदि मशीन प्लाँट व फर्नीचर के किराये से पृथक नहीं किया जा सकता तो इस भवन को किराये पर उठाने से हुई आय, यदि 'व्यापार अथवा पेशे से लाभ' के अन्तर्गत करयोग्य नहीं है इसी शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होगी।

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, इस शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय की यह सूची पूर्ण नहीं है तथा ऐसी अनेकों आय और भी हो सकती हैं जो इस शीर्षक के अन्तर्गत आती हैं इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :—

1. कोयले की खानों को उठाने से प्राप्त हुई रायल्टी आदि।
2. भूमि को ईटों के भट्टों के लिए उठाने पर हुई आय।
3. कम्पनी के संचालक को कम्पनी से प्राप्त फीस।
4. कम्पनी के अंशों, आदि को बिकवाने के लिए किसी व्यक्ति को मिला कमीशन।
5. घाटों व बाजारों से प्राप्त आय।
6. किराये पर ली गई सम्पत्ति को पुनः किराये पर उठाने (Sub-letting) से आय।
7. किसी ऋण, बचत खाते व स्थायी जमा (Fixed Deposit) पर मिला ब्याज।
8. किसी ऐसे उद्यम की आय जिसको पेशे की आय के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता, जैसे अखबारों के लिए लेख लिखना तथा परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाऐं जाँचने से प्राप्त पारिश्रमिक आदि।
9. किसी गैर पेशेवर को किसी परीक्षा के परीक्षक के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक।
10. प्रतिभूतियों से ब्याज को छोड़कर अन्य प्राप्त ब्याज।
11. भूमि का किराया।
12. भारत के बाहर से प्राप्त आय।
13. अस्पष्ट साधनों से प्राप्त आय।
14. विदेशी सरकार की प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज।
15. अधिनियम की कुछ व्यवस्थाओं के अन्तर्गत किन्हीं दूसरों की आय जो करदाता की कुल आय में सम्मिलित की जाती है।
16. मछली क्षेत्र से हुई आय।
17. बीमा कमीशन।
18. अप्रमाणित प्राविडेण्ट फन्ड से प्राप्त ब्याज का वह भाग जो करदाता के अंशदान पर मिला हो।
19. किसी संसद सदस्य या विधायक को प्राप्त मानदेय (वेतन)।
20. 1,000 रु० से अधिक आकस्मिक आय,

लाभांश (Dividend)[2(22)]

अन्य साधनों से प्राप्त आय में लाभाँश प्रमुख आय है। कम्पनी द्वारा घोषित सम्पूर्ण लाभ करदाता के हाथों में करयोग्य होता है चाहे उसने इस गतवर्ष में भुगतान प्राप्त

किया हो अथवा अगले गतवर्ष में प्राप्त किया हो। यह उस गतवर्ष की आय माना जावेगा जिसमें कम्पनी ने लाभाँश घोषित किया है। कम्पनी चाहे जैसी आय में से लाभाँश बाँटे प्राप्त कर्त्ता के लिये यह सदैव ही करयोग्य आय है। उदाहरण के लिए यदि कम्पनी पूँजी लाभ से अथवा कृषि आय से लाभाँश बाँटती है तब भी अंशधारी के लिए यह लाभाँश करयोग्य होगा।

सामान्य अर्थ में लाभाँश से तात्पर्य कम्पनी द्वारा उपार्जित लाभों के उस अंश से होता है जो अंशधारियों में वितरित कर दिया जाता है। यह वितरण या तो नकद रुपयों में होता है अथवा वस्तुओं में भी हो सकता है आयकर अधिनियम की धारा 2(22) में दी गई परिभाषा के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा अपने एकत्र लाभों में से किए जाने वाले पाँच प्रकार के वितरणों की सूची दी गई है। ऐसे वितरण जो लाभाँश के अन्तर्गत आते हैं, निम्नलिखित हैं :—

1. **लाभों से वितरण** (Distribution of Profit)—कम्पनी द्वारा अपने एकत्रित लाभों में से किया जाने वाला वितरण लाभांश होता है। यदि कम्पनी द्वारा कोई रोकड़ी बोनस भी दिया जाता है तो यह भी लाभांश ही माना जाता है। यह अवश्य है कि लाभांश के वितरण से कम्पनी की सम्पत्तियों में कमी आनी चाहिए। यदि लाभों का पूँजीकरण करके साधारण अंशधारियों को बोनस अंश दिये जाते हैं तो ये 'लाभांश की श्रेणी में नहीं आते क्योंकि इन से कम्पनी की सम्पत्ति प्रभावित नहीं होती।

2. **ऋण पत्र व जमा पत्र आदि** (Debentures and Deposit Certficates)—कम्पनी द्वारा अपने अंशधारियों में वितरित किये गये सभी प्रकार के ऋण-पत्र अथवा जमा-पत्र (Deposit Certificates) तथा पुर्वाधिकार अंशधारियों (Preference Share holders) को दिए गये बोनस अंश उस सीमा तक लाभाँश माने जायेंगे जितने कि कम्पनी के पास एकत्रित लाभ (Accumulated Profits) हैं।

3. **कम्पनी के समापन पर वितरण** (Distribution on liquidation of a Company)—कम्पनी के समापन पर अंशधारियों को मिली हुई राशि भी लाभांश के अन्तर्गत आती है किन्तु इसकी अधिकतम सीमा समापन से ठीक पहले कम्पनी के पास एकत्रित लाभों (Accumulated Profits)) तक ही होगी कम्पनी के समापन पर यदि उन बोनस अंशों का भुगतान किया जाता है जिनको वितरण के समय लाभांश नहीं माना गया तो यह अब करयोग्य होंगे।

उदाहरण (Illustration) 1 : एक भारतीय कम्पनी की प्रदत्त अंश पूँजी 10 लाख रु० की है जो 100, 100 रु० 10 हजार अंशों में विभाजित है। इसका 30 जून 1985 को समापन होता है। इस तिथि को कम्पनी के पास 7 लाख रुपये का साधारण कोष व 50 हजार रु० लाभ हानि खाते में जमा थे। कम्पनी के समापक ने सभी सम्पत्तियों को उनके लिखित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा तथा सभी दायित्वों के भुगतान के बाद 26,25,000 रु० की राशि 1 मार्च 1986 को अंशधारियों में वितरित कर दी। एक अंशधारी सुरेश के पास 500 अंश थे जिन्हें उसने 1 जुलाई 1980 को 60,000 रु० में खरीदा था। आप से सुरेश के कर निर्धारण के विषय में राय देने को कहा गया है।

हल :—कम्पनी के पास 7.5 लाख रु० के एकत्रित लाभ हैं जिन्हें उन अंशधारियों में वितरित किया जाना है जिनके पास दस लाख रु० के साधारण अंश हैं कम्पनी के

समापन पर समापक द्वारा पूँजी की वापिसी के बाद में जो धनराशि वितरित की जायेगी उसमें से 75 रु० प्रति अंश लाभाँश माने जायेंगे इसके बाद जो धनराशि वितरित की जायेगी वह पूँजी लाभ माने जायेंगे। 10,000 अंशों के लिए 26,25,000, रु० की राशि वितरित की गई अतः प्रति अंश के लिए 262·50 रु० की राशि दी। सुरेश के पास 500 अंश थे अतः उसे 1,31,250 रु० मिले।

	रु०
500 अंशों के लिए प्राप्त राशि	1,31,250
घटाया : 500 अंशों का क्रय मूल्य	60,000
कुल लाभ	71,250
घटाया : 75 रु० प्रति अंश की दर से जिसे लाभाँश माना जायेगा	37,500
धारा 46 (2) के अधीन पूँजी लाभ	33,750

4. अंश पूँजी के घटाने पर वितरण (Distribution on reduction of Capital) कम्पनी के द्वारा एकत्रित लाभों की सीमा तक अपनी पूँजी को घटाने पर किया गया वितरण लाभाँश माना जायेगा, उदाहरणार्थ एक कम्पनी के पास 10 लाख रु० की अंशपूँजी है तथा 5 लाख रु० का साधारण कोष व व्यापारिक लाभ है। यदि कम्पनी अपनी अंश पूँजी 10 लाख रु० से घटाकर 7 लाख करती है तो ऐसी दशा में 3 लाख रु० का वितरण लाभों के रूप में अंशधारियों के हाथों में करयोग्य होगा।

5. अंशधारियों को ऋण आदि (Loan to Share holders)—एक ऐसी कम्पनी जिसमें जनता का सारवान हित नहीं है के द्वारा ऐसे अंशधारी को जिसका कि कम्पनी में सारवान हित है, को दिया गया ऋण अथवा अग्रिम एकत्रित लाभों की सीमा तक लाभांश माना जाता है।

टिप्पणी—कम्पनी में किसी अंशधारी के सारवान हित से आशय उस अंशधारी के पास कम्पनी की साधारण अंशपूँजी का 20% अथवा अधिक भाग से है।

उदाहरणार्थ, एक कम्पनी की अंशपूँजी 20 लाख रु० है तथा इसके पास 10 लाख रुपये के साधारण कोष एवं लाभ-हानि खाते में जमा शेष है, एक ऐसा अंशधारी, जिसके पास इस कम्पनी की अंशपूँजी में 5 लाख रु० के अंश हैं, यदि कम्पनी से 8 लाख रु० का ऋण लेता है तो वह सम्पूर्ण राशि ऐसे अंशधारी के हाथों में लाभांश मानी जायेगी।

उदाहरण (Illustration) 2 : अमरीश कुमार एक कम्पनी के अंशधारी हैं जिनके पास कम्पनी की 30 प्रतिशत अंशपूँजी है। कम्पनी के पास 3 लाख रु० के सामान्य संचय हैं। कम्पनी द्वारा 2 लाख रु० का ऋण श्री अमरीश कुमार को व 50 हजार रु० का ऋण उसके भाई को दिया जाता है। 2 लाख रु० श्री अमरीश कुमार के हाथों में लाभाँश की भांति करयोग्य होंगे तथा इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है कि इनके पास कुल पूँजी का केवल 30% है। इसके भाई को दिया गया 50 हजार रु० का ऋण उनके हाथों में लाभांश नहीं होगा।

लाभांश में निम्नलिखित रकमें शामिल नहीं होती :

1. कम्पनी के समापन पर अथवा पूंजी के घटाने पर उन अंशों के लिए लौटाई गई रकम जो नकद खरीदे गये थे तथा जिनके धारकों को कम्पनी के आधिक्य में हिस्सा पाने का अधिकार नहीं होता।

2. किसी ऐसी कम्पनी द्वारा दिया गया ऋण आदि जो ऋण देने के कार्य में लगी हुई है तथा जिसने यह ऋण अपने सामान्य व्यापार के दौरान दिया है।

3. कम्पनी द्वारा दिया गया लाभांश जिसे पहले दिये गये ऋण में समायोजित कर दिया गया है जबकि पहले दिया गया ऋण उपर्युक्त प्रावधानों के अन्तर्गत लाभांश मान लिया गया था।

लाभांश सम्बन्धी कुछ अन्य नियम
(Rules relating to dividends)

1. **अनेक वर्षों का लाभांश एक साथ घोषित**—कुछ वर्षों में यदि कम्पनी द्वारा लाभांश घोषित नहीं किये जाते तथा बाद के वर्ष में इन लाभांशों को एक साथ ही घोषित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में लाभांश की सम्पूर्ण रकम करदाता के हाथों में उसी गतवर्ष के लिए करयोग्य होती है जिसमें कि लाभांश घोषित किया गया है।

2. **लाभांशों पर कर निर्धारण**—लाभांश उस वर्ष में ही करयोग्य माने जाते हैं जब इन्हें घोषित किया जाता है तथा करदाता इस रकम को बिना किसी शर्त आदि के प्राप्त कर सकने की स्थिति में होता है। लाभांश जिस गतवर्ष में घोषित किया गया हो अथवा जिस गतवर्ष में भुगतान किया गया हो, जो भी घटना दोनों में से पहले हुई हो, उस गत-वर्ष की सकल आय में सम्मिलित किया जाता है। परन्तु अन्तरिम लाभांश (Interim Dividend) उस समय करयोग्य होगा जबकि लाभांश सम्बन्धी प्रपत्र (Dividend warrant) अंशधारी को भेज दिये जायें। जिस गतवर्ष में लाभांश पत्र डाक में डाल दिये जावें, उसी गतवर्ष में कर-योग्य होंगे। लाभांश पत्र डाक में डालने पर यह समझा जाता है कि अन्तरिम लाभांश प्राप्त हो चुका है।

3. **सम्पूर्ण रकम करयोग्य**—करदाता के हाथों में लाभांश की सम्पूर्ण रकम करयोग्य होती है भले ही कम्पनी ने इसका भुगतान अपनी कर-मुक्त आय में से किया हो। उदा-हरणार्थ यद्यपि चाय कम्पनी के केवल 40% लाभ ही करयोग्य होते हैं, परन्तु इसके द्वारा दिये गये लाभांश की सम्पूर्ण रकम ही करदाता के हाथों में करयोग्य होती है।

4. **विदेशों से प्राप्त लाभांश**—विदेशों से प्राप्त लाभांश पर विदेशी सरकार के लिए उद्गम स्थान पर यदि आयकर काट लिया गया है तथा भारत सरकार को उसमें से आय-कर प्राप्त नहीं हुआ है तो करदाता की कुल आय में लाभांश की केवल वही रकम जोड़ी जायेगी जो उद्गम स्थान पर कर काटने के बाद करदाता को प्राप्त हुई है।

'अन्य साधनों से आय' शीर्षक की कर-मुक्त आयें : इस शीर्षक में सम्मिलित की जाने वाली आयों में से निम्नलिखित कुछ आयें ऐसी हैं जो करमुक्त हैं—

1. **आकस्मिक आय**—ऐसी आय जो अचानक, दैवयोग से बिना किसी पूर्व आशा के तथा बिना किसी निश्चितता के प्राप्त होती है तथा पुनः पुनः प्राप्त होने वाली नहीं है आकस्मिक आय कहलाती हैं। इस प्रकार की सभी आयें जिनके पुनः उत्पन्न होने की आशा नहीं हो, तथा निम्नलिखित में से कोई आय न हो, आकस्मिक आयें होती हैं:—

a) वेतन शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य हो,
b) व्यापार एवं पेशे के लाभ के अन्तर्गत आती हो,
c) पूँजी लाभ हो अथवा
d) लाटरी से जीती गई राशि ।

आकस्मिक आय धारा 10 (3) के अन्तर्गत कुल 1,000 रु० तक करमुक्त है । 1,000 रु० से अधिक राशि होने पर इस शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित की जाती है । आकस्मिक आयों के सम्बन्ध में निम्न निर्णय महत्वपूर्ण हैं—

1. व्यक्तिगत भेंट चाहे बार-बार क्यों न हो, कर-योग्य आय नहीं मानी जायेगी क्योंकि यह आकस्मिक भुगतानों की एक शृंखला है । (Rani Amrit Kunwar v. CIT 1946)

2. स्वेच्छा से किया गया भुगतान जिसे लौटाने का अनुबन्ध न हो आकस्मिक आय माना जायेगा । (CIT v., Lal Suresh Singh 1953)

उदाहरण (Illustration) 3 : क्या निम्न प्राप्तियाँ आकस्मिक आयें हैं ?

a) सुरेन्द्र मोहन को अपने विवाह पर 15,000 रु० उपहार मिला ।
b) श्री राधेश्याम को अपने जन्मदिन पर अपने रिश्तेदार से 2,000 रु० मिले ।
c) श्रीमती रामदुलारी को एक बार पंच का कार्य करने के लिए 2,000 रु० प्राप्त हुए जब कि पारिश्रमिक के लिये कोई प्रावधान नहीं था ।
d) श्री कूलवाल को नियोक्ता से 600 रु० बोनस के मिले ।
e) श्री सक्सेना को जीती गई राशियों के सम्बन्ध में प्राप्त हुये लाटरी के 20,000 रु० और वर्ग पहेली के 600 रु० ।
f) श्री मोहन को निम्न आयें प्राप्त हुई ।
   अ. ताश के खेल से जीती गई राशि के सम्बन्ध में 700 रुपये
   ब. घुड़दौड़ से जीती गई राशि के सम्बन्ध में 800 रुपये

State whether the following receipts are casual incomes :—
a) Shri Surender Mohan received Rs. 15,000 as gift on his marriage.
b) Shri Radhay Shyam received Rs 2,000 from his relative on his birth day.
c) Shrimati Ram Dulari received Rs 2,000 for acting once as an arbitrator without any stipulation as to remuneration
d) Shri Kulwal received Rs. 600 as bonus from the employer.
e) Shri Sexena received towards winings :—
   lottery Rs. 20,000 and cross word puzzle Rs 6,000.
f) Shri Mohan received the following incomes :—
   a) In respect of winnings in card game Rs. 700.
   b) In respect of winning in Horse race Rs. 800

हल (Solution) : a) यह प्राप्ति एक व्यक्तिगत भेंट है अतः आकस्मिक आय नहीं है ।

b) यह प्राप्ति भी एक व्यक्तिगत भेंट है आकस्मिक आय नहीं ।

c) यह प्राप्ति आकस्मिक आय है क्योंकि पारिश्रमिक देने का कोई प्रावधान नहीं था । इस राशि में से 1 हजार रु० करमुक्त होंगे ।

d) यह प्राप्ति आकस्मिक आय नहीं है वरन् वेतन शीर्षक की आय है ।

e) लाटरी की आय आकस्मिक आय नहीं है जबकि वर्ग पहेली की आय आकस्मिक आय है और इसे करयोग्य की गणना करते समय 1,000 रु० की करमुक्ति दी जायेगी ।

f) दोनों आयें आकस्मिक आयें हैं, दोनों के योग में 1,000 रु० की छूट की राशि घटाने के पश्चात् शेष राशि कर योग्य होगी ।

2. सार्वजनिक भविष्य निधि (केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित) में जमा कराई गई राशि पर ब्याज करमुक्त होता है।

3. निम्न प्राप्त राशियाँ करमुक्त होती हैं :—

a) पोस्ट आफिस बचत खाते में जमा कराई हुई राशियों पर ब्याज (पोस्ट आफिस आवर्ती जमा खाते तथा पोस्ट आफिस सावधिक जमा खाते में जमा राशि पर प्राप्ति ब्याज को छोड़कर);

b) 15 वर्षीय वार्षिक सर्टिफिकेट्स (केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गमित) के मासिक भुगतान की राशियाँ;

c) पोस्ट आफिस (संचयी जमा) खाते में जमा करायी गयी राशियों पर प्राप्त बोनस।

स्पष्टीकरण—यदि पोस्ट आफिस में बचत खाता सार्वजनिक (अर्थात् सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा खोला गया) हो तो प्राप्त ब्याज 2,200 रु० तक ही कर-मुक्त होता है।

4. केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई तथा अधिसूचित योजनाओं के अन्तर्गत स्थायी जमाओं पर ब्याज पूर्णतया कर-मुक्त होता है। केन्द्र सरकार की ओर से डाकघरों एवं स्टेट बैंक सहित कुछ अन्य बैंकों के द्वारा स्थायी जमा स्वीकार की जाती है जिनकी अवधि 5 वर्ष की होती है। बैंक की अपनी किसी स्थायी जमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त ब्याज कर मुक्त नहीं है। डाकघरों द्वारा स्वीकार की गई स्थायी जमा राशियाँ केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत होती हैं अतः कर-मुक्त है। बैंकों की स्थाई जमा पर कर-मुक्ति का लाभ तभी मिलेगा जबकि यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि बैंकों के पास स्थायी जमा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के अन्तर्गत है।

5. शिक्षा व्यय की पूर्ति हेतु मिली हुई छात्र वृत्तियाँ।

6. भारतीय संसद के सदस्यों (M. P.), राज्यों की विधान सभा व विधान परिषद के सदस्यों (M. L. A. and M. L. C.) को इनका सदस्य होने के नाते या इनकी किसी समिति के सदस्य होने के नाते प्राप्त दैनिक भत्ता तथा संसद सदस्य (अतिरिक्त सुविधायें) नियमों के अन्तर्गत किसी संसद सदस्य (M.P.) को प्राप्त भत्ता करमुक्त होता है। लेकिन इन्हें जो वेतन प्राप्त होता है वह कर मुक्त नहीं होता तथा इस शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य होता है।

7. केन्द्रीय सरकार द्वारा गरीबों, कमजोरों तथा बीमारों की पीड़ा को निवारण करने हेतु की गई सेवा के लिए दिया गया पुरस्कार करमुक्त होता है, चाहे नकद दिया जाय या अन्य किसी रूप में दिया जावे। यदि पुरस्कार राज्य सरकार द्वारा दिया जावे तो वह केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित होने पर ही करमुक्त होगा।

8. केन्द्रीय सरकार द्वारा जनहित में अनुमोदित कार्यों के लिए केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा वस्तु अथवा नकद के रूप में दिये गये पुरस्कार कर मुक्त होते हैं।

9. वीरता पुरस्कार जो नकद के रूप में अथवा वस्तु के रूप में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार से प्राप्त हो, कर-मुक्त होता है।

'अन्य साधनों से आय' शीर्षक की सकल आय ज्ञात करना :—

अ. गतवर्ष का निर्धारण (Previous year) :—यदि करदाता इस प्रकार की आय के लिए हिसाब की बहियाँ रखता है तो वह हिसाब की अवधि को भी गतवर्ष चुन सकता

है। करदाता द्वारा हिसाब की बहियाँ नहीं रखे जाने पर इस शीर्षक की आय के लिये वित्तीय वर्ष ही गतवर्ष होता है।

ब. कर दायित्व का आधार (Chargeability):—धारा 145 के अनुसार 'व्यापार अथवा पेशे से लाभ' तथा अन्य साधनों से आय' शीर्षकों के अन्तर्गत करयोग्य आय की गणना' करदाता द्वारा नियमित रूप से रखे गये हिसाब किताब रखने की विधि के अनुसार की जा सकती है। ऐसी स्थिति में जहाँ हिसाब किताब तो सही है व आयकर अधिकारी को इससे सन्तोष भी है परन्तु हिसाब रखने की विधि ऐसी है कि आयकर अधिकारी की राय में इससे आय की सही गणना नहीं हो सकती तो आय की गणना आयकर अधिकारी द्वारा निश्चित की गई विधि से ही की जायेगी। यदि करदाता द्वारा रखे गये हिसाब की सत्यता व पूर्णता के बारे में आयकर अधिकारी को असंतोष है अथवा जहाँ करदाता द्वारा नियमित रूप से हिसाब रखने की कोई निश्चित विधि नहीं अपनाई जाती तो आयकर अधिकारी करदाता के हिसाब को न मानकर सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण (Best Judgement Assessment) के द्वारा कर-निर्धारण कर सकेगा। ऐसा करते समय उसे अपने पास उपलब्ध सामग्री तथा करदाता द्वारा दी गई सूचनाओं का सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए।

करदाता को यह अधिकार अवश्य ही दिया गया है कि वह हिसाब रखने की कोई भी पद्धति प्रयोग में ला सकता है तथा आयकर अधिकारी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए जब तक कि विधि ऐसी न हो कि उससे सही लाभों की गणना न की जा सकती हो।

स. उद्गम स्थान पर कर की कटौती (Deductions of Tax at Source): आयकर अधिनियम की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत कुछ आयों के भुगतान करने वाले व्यक्तियों का यह दायित्व होता है कि ऐसी आयों का भुगतान करते समय आय के उद्गम स्थान पर कर की कटौती निर्धारित दरों से कर ले। आय प्राप्त करने वाले की आय में न केवल प्राप्त राशि ही सम्मिलित होती है वरन् उद्गम स्थान पर काटा गया कर भी इस प्राप्त राशि में जोड़कर आय की गणना की जाती है इस क्रिया को आय को सकल बनाना कहते हैं।

उद्गम स्थान पर कटौती से सम्बन्धित प्रावधान निम्नलिखित हैं :—

1. प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य ब्याज—प्रतिभूतियों पर ब्याज को छोड़कर अन्य ब्याज का भुगतान करते समय अथवा किसी के खाते में जमा करते समय जो दोनों में से पहले हो ब्याज का भुगतान कर्त्ता निर्धारितदरों से उद्गम स्थान पर कर की कटौती करेगा। यदि ब्याज प्राप्त करने वाला कम्पनी के अलावा कोई निवासी करदाता है, तो उद्गम स्थान पर 10% की दर से और यदि वह अनिवासी है तो 30% की दर से कर की कटौती कर ली जायेगी। अर्थात् कम्पनी के अलावा निवासी करदाता को प्राप्त ब्याज की राशि (कर काटने के पश्चात्) दी गई है तो उसे $\frac{100}{90}$ से गुणा करके सकल बनाया जायेगा। किन्तु निम्न परिस्थितियों में उद्गम स्थान पर कटौती नहीं की जाती है अतः प्राप्त ब्याज को सकल नहीं बनाया जायेगा—

a) निम्नांकित व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा ब्याज भुगतान किये जाने पर उद्गम स्थान पर कटौती नहीं की जाती :—

क. ब्याज किसी व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा किसी भी करदाता को दिये जाने पर,
ख. फर्म द्वारा अपने साझेदार को दिये जाने पर,
ग. सहकारी समिति द्वारा अन्य सहकारी समिति को अथवा अपने सदस्य को दिये जाने पर,
घ. केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने पर,
ङ. किसी बैंक (सहकारी बैंक सहित) द्वारा दिये जाने पर।

b) यदि करदाता को गतवर्ष में कुल प्राप्त होने वाला ब्याज 1,000 रु० से अधिक होने की सम्भावना नहीं हो तो उद्गम स्थान पर कटौती नहीं की जाती है।

c) करदाता द्वारा ब्याज के भुगतान करने वाले को यह लिखित घोषणा देने पर कि गतवर्ष में उसकी आय (प्राप्त ब्याज को सम्मिलित करते हुए) कर-योग्य सीमा से अधिक नहीं होगी तो उद्गम स्थान पर कटौती नहीं की जायेगी।

d) जब ब्याज निम्नांकित संस्थाओं को भुगतान किया जा रहा है तो उद्गम स्थान पर कटौती नहीं की जायेगी।
क. किसी बैंक अथवा सरकारी बैंक (सहकारी भूमि बन्धक बैंक सहित),
ख. जीवन बीमा निगम अथवा अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी निगम को,
ग. यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया को,
घ. बीमा व्यवसाय करने वाली कम्पनी अथवा सहकारी समिति को,
ङ. केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचित किसी अन्य संस्था को,

2. लाभांश :—एक भारतीय कम्पनी अथवा ऐसी कम्पनी जिसने भारत में लाभांश घोषित करने एवं भुगतान करने का प्रवन्ध कर रखा है उसका उत्तरदायित्व है कि लाभांश का भुगतान करते समय लाभांश में से निर्धारित दरों के अनुसार उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर लें।

वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए उद्गम स्थान पर कर की कटौती की दरें यदि लाभांश प्राप्त कर्त्ता निवासी है (कम्पनी को छोड़कर) तो 20% होगी जबकि अनिवासी करदाता की स्थिति में यह दर 30% है। यदि एक निवासी करदाता (कम्पनी के अतिरिक्त) को प्राप्त लाभांश की राशि दी गई है तो उसे $\frac{100}{80}$ अथवा $\frac{5}{4}$ से गुणा करके सकल बनाया जायेगा। यदि लाभांश करमुक्त भी घोषित किये गये हों तो भी घोषित दर से ज्ञात लाभांश की राशि को $\frac{100}{80}$ अथवा $\frac{5}{4}$ से गुणा करके सकल बनाया जायेगा।

निम्नलिखित परिस्थितियों में लाभांश में से उद्गम स्थान पर कटौती नहीं की जायेगी—

अ. किसी व्यक्ति (Individual) जो निवासी हो के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर लिखित घोषणा यदि कम्पनी के मुख्य अधिकारी को दी जाये जिसमें यह उल्लेख हो कि उसकी सम्बन्धित गतवर्ष की अनुमानित कुल आय लाभांश सम्मिलित करते हुए न्यूनतम करयोग्य सीमा से अधिक नहीं हैं।

ब. यदि अंशधारी भारत में निवासी (कम्पनी के अलावा) हो और लाभांश भुगतान करने वाले को लिखित में यह घोषणा प्रस्तुत कर दे कि उसकी उस गतवर्ष की कुल आय जिसमें कि यह लाभांश प्राप्त होता है न्यूनतम करयोग्य सीमा से कम होगी तो

ऐसी परिस्थिति में उद्गम स्थान पर कर नहीं काटा जायेगा बशर्ते कि लाभांश की राशि 250 रु० से अधिक न हो।

स. जनता के सारवान हित वाली कम्पनी द्वारा 1 जून 1984 से एक निवासी व्यक्ति (Individual) को देय लाभांश में से कोई उद्गम स्थान पर नहीं काटा जायेगा बशर्ते कि ऐसी लाभांश की राशि जो एसे व्यष्टि को वित्तीय वर्ष में भुगतान की गई है अथवा की जाने की संभावना है, 1,000 रु० से अधिक न हो एवं कम्पनी ने लाभांश खाते के चैक (Account Payee cheque) द्वारा चुकाया हो।

टिप्पणी : एक विदेशी कम्पनी (जो भारत के बाहर स्थित है) द्वारा भारतीय आय-कर नहीं काटा जाता। अतः ऐसी कम्पनी से प्राप्त लाभांश को सकल बनाने की आवश्यकता नहीं होती

3. घुड़दौड़ में जीती राशि—घुड़दौड़ में जीती गई राशि 2,500 रु० से अधिक होने पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है। वित्तीय वर्ष 1985-86 में कम्पनी के अलावा अन्य किसी करदाता की स्थिति में कर की कटौती की दर 30% थी। अतः प्राप्त राशि को $\frac{100}{70}$ से गुणा करके सकल बनाया जाकर सम्मिलित किया जाता है।

स्पष्टीकरण—उद्गम स्थान पर कर की कटौती उसी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जिसने इस कार्य के लिए लाइसेंस केन्द्रीय सरकार से प्राप्त किया हो तथा घुड़दौड़ों के घोड़ों पर शर्त की राशियों को स्वीकार करने के व्यवसाय में लगा हुआ हो।

4. बीमा कमीशन—निवासी व्यक्ति को जो पारिश्रमिक बीमा कमीशन के रूप में प्राप्त होता है। उसका भुगतान करते समय 10% की दर से उद्गम स्थान पर आयकर की कटौती की जाती है। अतः प्राप्त राशि को $\frac{100}{90}$ से गुणा करके सकल बनाकर इस शीर्षक की आय में सम्मिलित किया जाता है।

5. लाटरी तथा वर्ग पहेली के पुरस्कार—इस प्रकार के पुरस्कार यदि 1,000 रु० से अधिक राशि के हैं तो पुरस्कार का भुगतान करते समय उद्गम स्थान पर कर काट लिया जाता है। कम्पनी के अतिरिक्त यदि किसी करदाता को वित्तीय वर्ष 1985-86 में ऐसी राशियों का भुगतान करते समय उद्गम स्थान पर कर कटौती की दर 30% थी। अतः पुरस्कार की प्राप्त राशि को $\frac{100}{70}$ से गुणा करके सकल बनाया जायेगा और इस शीर्षक की आय में सकल आय सम्मिलित की जायेगी।

यदि पुरस्कार की पूरी राशि वस्तु के रूप में दी जाती हैं तो उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती क्योंकि कर की कटौती किया जाना सम्भव नहीं है। यदि पुरस्कार आंशिक रूप से वस्तु के रूप में तथा आंशिक रूप से मुद्रा के रूप में दिया जाता है तो कर की पूरी राशि मुद्रा के भुगतान में से ही काटी जाती है। अतः वस्तु की राशि एव मुद्रा की राशि, दोनों को जोड़कर सकल बनाया जाता है। उदाहरणार्थ किसी करदाता को 80,000 रु० के मूल्य की मोटर कार तथा 60,000 रु० नकद प्राप्त होने पर दोनों के योग (80,000 रु० + 60,000 रु०) = 1,40,000 को $\frac{100}{70}$ से गुणा करके ज्ञात राशि $\left(1,40,000 \times \frac{100}{70}\right) = 2,00,000$ रु० को कर-दाता की आय में शामिल किया जायेगा।

स्वीकृत कटौतियां [धारा 57] (Allowable deductions)

'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय निकालते समय निम्नलिखित कटौतियां की जाती हैं।

1. **लाभांश में से**—करदाता द्वारा अपने बैंक को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को लाभांश की वसूली के लिये किया गया भुगतान कटौती योग्य होता है। यदि अंश खरीदने के लिये कहीं से ऋण लिया हो तो उसका ब्याज भी कटौती योग्य होता है।

2. **किराये की आय में से**—यदि करदाता की मशीन प्लान्ट व फर्नीचर को किराये पर उठाने से आय प्राप्त होती है तो निम्नलिखित व्यय स्वीकृत होंगे :

a) भवन पर चालू मरम्मत।
b) भवन आदि को नुकसान, दैवी प्रकोप व बरबादी से बचाने के लिये दिया गया बीमा प्रीमियम।
c) मशीन, प्लान्ट व फर्नीचर की मरम्मत व्यय।
d) भवन, मशीन, प्लान्ट तथा फर्नीचर पर ह्रास। ह्रास की छूट उन्हीं नियमों के अनुसार दी जायेगी जिसका वर्णन अध्याय 8 में किया गया है।

ये व्यय तब ही स्वीकृत होंगे जबकि करदाता द्वारा मशीन व प्लान्ट सम्बन्धी सभी निर्धारित विवरण आयकर अधिकारी के पास जमा कर दिये गये हों।

3. **अन्य आयों में से**—कोई अन्य व्यय जो पूंजीगत न हो तथा पूर्ण रूप से इस शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय के उपार्जन के लिये ही किया गया हो। इस शीर्षक के अन्तर्गत किसी भी व्यय को स्वीकृत करने से पहले निम्नलिखित शर्तों का पालन करना आवश्यक है :—

a) व्यय पूर्ण रूप से ऐसी आय के उपार्जन के लिये किया गया है।
b) यह पूंजीगत व्यय की श्रेणी में नहीं आता।
c) यह व्यक्तिगत व्यय भी नहीं हो।
d) यह सम्बन्धित हिसाबी वर्ष से ही सम्बन्धित हो। उससे पहले के किसी वर्ष से अथवा बाद में आने वाले किसी अन्य वर्ष से सम्बन्धित नहीं हो।
e) यह व्यय किसी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत समायोजित नहीं किया जा सकता।

धारा 57 में एक नियम व व्याख्या के अनुसार एक विदेशी कम्पनी को प्राप्त हुये लाभांशों के सम्बन्ध में धारा 57 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की कटौती स्वीकृत नहीं होगी।

राशियां जो कटौती योग्य नहीं है (धारा 58) (Amounts not deductible)

'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना करते समय निम्नलिखित राशियां कटौती योग्य नहीं हैं—

अ) **किसी भी करदाता के लिये।**

1. करदाता के व्यक्तिगत व्यय।

2. ऐसा ब्याज, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत करयोग्य है, तथा जिनका भुगतान भारत के बाहर किया गया है परन्तु भुगतान करते समय उद्गम स्थान पर आयकर नहीं काटा गया है और न भुगतान पाने वाले व्यक्ति का कोई ऐसा प्रतिनिधि ही भारत में है जिससे आयकर की वसूली हो सके।

3. 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत भारत के बाहर किया जाने वाला भुगतान, यदि इसमें से भी निर्धारित दरों से आयकर काटा नहीं गया है और न ही भुगतान पाने वाले व्यक्ति का भारत में ऐसा कोई प्रतिनिधि है जिससे आयकर की वसूली हो सके।

4. सम्पत्तियों पर देय अथवा चुकाया गया 'धनकर'।

5. वे समस्त व्यय जिनका वर्णन धारा 40A (व्यापार एवं पेशे से लाभ से सम्बन्धित में किया गया है इस शीर्षक के अन्तर्गत भी अस्वीकृत होंगे जैसा कि 'व्यापार एवं पेशे से लाभ' शीर्षक के अन्तर्गत अस्वीकृत थे। इनका विस्तृत वर्णन अध्याय 7 में दिया गया है।

जैसे a) विशिष्ट व्यक्तियों को भुगतान
b) 2,500 रु० से अधिक के नकद भुगतान
c) 7,500 रु० प्रतिमाह से अधिक वेतन आदि
d) भूतपूर्व कर्मचारियों को अधिक पारिश्रमिक

e) कम्पनी की दशा में—कम्पनी द्वारा किये गये ऐसे व्यय जो आयकर अधिकारी की राय में कम्पनी की आवश्यकता व इस धनराशि को ध्यान में रखते हुए अनुचित है जरूरत से अधिक हैं। ये व्यय उसी दशा में अस्वीकृत होंगे जबकि इनके द्वारा कम्पनी संचालक, समुचित हित रखने वाले व्यक्ति अथवा इसके रिश्तेदारों को कोई पारिश्रमिक लाभ अथवा अन्य कोई सुविधा मिलती है।

इसी प्रकार ऐसी सम्पत्तियों पर किये गये व्यय भी आयकर अधिकारी द्वारा जाँच पड़ताल करके स्वीकार किये जायेंगे जिनका प्रयोग संचालक आदि करते हैं।

उदाहरण (Illustration) 4 : निम्नलिखित विवरण से आप कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये श्री बैंजल की 'अन्य साधन से आय' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय की गणना कीजिये :

a) टाटा कैमीकल्स से 10 रु० वाले 10,000 साधारण अंशों पर 12% की दर से मिला लाभांश। ये अंश बैंजल ने 1973 में 9 रु० प्रति अंश की दर से खरीदे थे। लाभांश की वसूली के लिये बैंक ने 20 रु० चार्ज किया है।

b) इन्होंने एक ऐसी इमारत जिसमें प्लान्ट व मशीनरी लगी हुई है, 1000 रु० मासिक किराये पर उठाई है। इमारत व मशीन आदि की मरम्मत के लिये श्री बैंजल ने 1,500 रु० खर्च किया है।

c) श्रीपाल इन्डस्ट्रीज के समापन पर श्री बैंजल को 20,000 रु० मिले हैं जिसमें से 5,000 रु० कम्पनी के एकत्रित लाभों से व शेष पूँजी की वापसी है।

d) रिलाइन्स उद्योग में जमा 50,000 रु० की राशि पर 15% वार्षिक की दर से ब्याज मिला है।

e) लाइबिलिटीज लि० भिलाई से 2,400 रु० का ऋण लिया है। कम्पनी एक ऐसी कम्पनी है जिसमें जनता का सारवान हित है।

f) लाटरी से जीते गये पुरस्कार के रूप में 50,000 रु० की एक कार एवं 20,000 रु० नकद प्राप्त हुये।

g) घुड़दौड़ में जीते गये पुरस्कारों के रूप में 2320 रु० नकद प्राप्त हुए।

h) इन्हें वीनस इन्डस्ट्रीज जिसमें जनता का सारवान हित नहीं है से 10,000 रु० का ऋण मिला है। कम्पनी में श्री वेंजल का सारवान हित है।

हल (Solution) :

Computation of Taxable Income under the head income from other sources for the A. Y. 1986-87

			Rs.
1.	Dividend at 12% in respect of 10,000 shares	12,000	
	Less : Collection charges	20	
			11,980
2.	Letting of plant and machinery etc.	12,000	
	Less : Repair charges	1,500	10,500
3.	Amount received on liquidation attributable to accumulated reserves		5,000
4.	Interest in public deposit		7,500
5.	Winnings from Lottery (50,000+20,000) Rs. $70{,}000 \times \frac{100}{70}$		1,00,000
6.	Winnings from horse race	2,320	
	Less : Casual Income	1,000	1,320
7.	Loan from Venus Industries Ltd is to be treated as income as the public are not substantially interested in it		10,000
	Taxable income under 'Income from other sources'		1.46,300

टिप्पणी : 1. ऐसी कम्पनी जिसमें जनता का सारवान हित है, से मिले ऋण को लाभाँश नहीं माना जा सकता।

2. लाटरी से प्राप्त कार 50,000 रु० की एवं नकद की राशि 20,000 रु० दोनों के योग को $\frac{100}{70}$ से गुणा कर सकल बनाया गया है। जब वस्तु के साथ साथ नकद राशि भी प्राप्त होती है तो कुल पुरस्कार की राशि पर उद्गम स्थान पर जो कर बनता है वह नकद राशि में से काट लिया जाता है।

3. घुड़दौड़ के सम्बन्ध में यदि जीती गई राशि 2,500 रु० से अधिक नहीं है ऐसी स्थिति में उद्गम स्थान पर कर नहीं काटा जाता है। यह मान लिया गया है कि प्राप्त राशि ही जीती गई पुरस्कार राशि है। यदि प्राप्त राशि को शुद्ध राशि (कर काटने के बाद) माना जाये तो इसे सकल बनायेंगे।

4. एक ऐसी कम्पनी जिसमें जनता का सारवान हित नही है से ऐसे व्यक्ति को प्राप्त ऋण जिसका कम्पनी में सारवान हित है। कम्पनी के पास एकत्रित लाभ की सीमा तक लाभाँश माना जाता है। यह मान लिया गया है कि कम्पनी के पास ऋण से अधिक एकत्रित लाभ है।

उदाहरण (Illustration) 5 : वित्तवर्ष 1985-86 के दौरान श्री चरणसिंह को निम्नलिखित रकमों की प्राप्ति हुई—

संचालक शुल्क 2,000 रु०; पाकिस्तान स्थित कृषि भूमि से आय 5,000 रु०; पठान कोट में स्थित भूमि का किराया 10,000 रु०; पोस्ट आफिस बचत खाते पर ब्याज 600 रु०; औद्योगिक वित्त निगम में जमा राशि पर ब्याज 500 रु०; विदेशी

कम्पनी से प्राप्त लाभांश 800 रु०, शिकमी किरायेदारों से प्राप्त किराया 26,250 रु०, इस मकान के लिए श्री सिंह द्वारा दिया गया किराया 12,000 रु०, अन्य व्यय जो इस मकान के लिए किए गऐ हैं, 1,000 रु० । घुड़दौड़ से जीते गये पुरस्कार से प्राप्त राशि 21,000 रु० ।

कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए श्री सिंह की अन्य साधनों से आय निकालिए ।

The following incomes are recceived by Shri Charan Singh during the financial year 1985-86.

Director's fees Rs. 2,000; income from agricultural land in Pakistan Rs. 5,,000; Ground rent received for land situated in Pathankot Rs. 10,000, interest on post office savings bank deposit Rs. 600; Interest on deposits with Industrial Finance Corporation of India Rs. 500; Dividends from a foreign company Rs. 800; Rent received from subletting a house Rs. 26,250; Rent payable by Mr. Singh for the house being Rs. 12,000; Other expenses incurred in connection with this house amount to Rs. 1,000; amount received on account of winnings from race course Rs. 21,000.

You are required to calculate 'Income from other Sources' of Mr. Singh for the assessment year 1986-87.

हल (Solution) :

Computation of Income from other sources of the A. Y. 1986-87

			Rs.	Rs.
a.	Director's fees			2,000
b.	Agricultural income from Pakistan			5,000
c.	Ground rent			10,000
d.	Interest on deposit with I.F.C.			500
e.	Dividends from a foreign company			800
f.	Winnings from race course	30,000		
	Less : Exempted Casual Income	1,000		29,000
g.	Rent from sub-letting		26,250	
	Less : Rent paid	12,000		
	Expenses	1,000	13,000	13,250
	Income from other sources			60,550

टिप्पणी : 1. डाकघर बचत बैंक से प्राप्त ब्याज करमुक्त है ।

2. घुड़दौड़ में जीती गई प्राप्त राशि 21,000 रु० को $\frac{100}{70}$ से गुणा करके सकल बनाया गया है, इस प्रकार ज्ञात राशि 30,000 रु० में से 1,000 रु० तक आकस्मिक आय के रूप में कर मुक्त है ।

3. विदेशी कम्पनी से प्राप्त लाभांश को सकल नहीं बनाया गया है ।

उदाहरण (Illustration) 6 : श्री गौरीशंकर लखोटिया इण्डिया यूनाइटेड मिल्स लि० में 2,000 रु० मासिक वेतन पर जनरल मैनेजर नियुक्त हैं जिन्हें 500 रु० मासिक मँहगाई भत्ता मिलता है । वित्त वर्ष 1985-86 के दौरान उन्होंने कम्पनी के ग्राहकों के मनोरंजन पर 2,000 रु० व पुस्तकों पर 1,200 रु० व्यय किये हैं । उनकी अन्य आय इस प्रकार है :—

		रु०
a)	स्टेट बैंक आफ इण्डिया में जमा रकम पर ब्याज	1,800
b)	कलकत्ता विश्वविद्यालय से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से मिला पारिश्रमिक	2,400

c) इलस्ट्रेटेड वीकली में वर्ग पहेलियों के लिए जीता गया पुरस्कार 25,000
d) लॉटरी में जीते पुरस्कार में प्राप्त मोटर साइकिल का मूल्य 14,000
e) लेखाविधि की पुस्तक के लिये मिली रायल्टी 10,000
इसकी पाडुलिपि तैयार करने में 3,000 रु० व्यय हुए हैं।
f) 10 रु० वाले 1,000 साधारण अंशों पर 10% की दर से मिला लाभांश
g) 100 पूर्वाधिकार अंशों पर 8 रु० प्रति अंश की दर से घोषित लाभांश जो कि प्राप्त नहीं हुआ।
h) रिलाइन्स टेक्सटाइल लि० से एकत्रित लाभों में से प्राप्त 3200 रु० बोनस।

श्री लखोटिया ने अपने बैंक को 25 रु० वसूली व्यय के दिये हैं। आप इनकी कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए कुल सकल आय की गणना कीजिए।

Shri Gaurishanker Lakhotia is employed in India United Mills Ltd. as General Manager on a monthly salary of Rs. 2,000 alongwith D.A. of Rs. 500 per month. During the year 1985-86 he incurred Rs. 2,000 on entertainment of the customers and Rs. 1,200 on purchase of books. His other incomes are as follows :

a) Interest on fixed deposit in State Bank of India Rs. 1.800.
b) Remuneration for examining answer books from University Rs. 2,400.
c) Won a prize af Rs. 25,000 in Illustrated Weekly crossword puzzels.
d) Received a motor cycle valued Rs. 14,000 in winnings from lottery.
e) Royalty received in respect of a book on Accountancy Rs. 10,000. He claims an expenditure of Rs. 3,000 in preparing the manuscript.
f) Dividend on 1,000 equity shares of Rs. 10 each at 10%.
g) Dividend declared in respect of 100 preference shares at Rs. 8 per share not received.
h) Bonues received in cash from Realiner Textiles Ltd. Rs. 3,200 out of accumulated Profits.

He has paid Rs. 25 as collection charges to his bankers. You are required to calculate his gross total income for the assessment year 1986-87.

हल (Solution) : Computation of Gross total income of Mr. G.S. Lakhotia for the A.Y. 1986-87

		Rs.	Rs.
Income from Salary			
Salary		24,000	
D.A.		6,000	
		30,000	
Less : Standard deduction		6,000	24,000
Income from other sources :			
Interest on fixed deposit		1,800	
Examination remuneration		2,400	
Crossword puzzles	25,000		
Less Casual income	1,000	24,000	
Winnings from lottery		14,000	
Royalty	10,000		
Less : Expenses incurred	3,000		
		7,000	

Dividend on equity shares	1,000	
Dividend on preference shares	800	
Cash Bonus received 3,200 × $\frac{100}{80}$	4,000	
	55,000	
Less : Collection charges	25	54,975
Gross Total income		78,975

नोट : 1. ग्राहकों के मनोरंजन पर किया गया व्यय स्वीकृत नही है तथा पुस्तकों पर किये गये व्यय के लिए अलग से किसी कटौती का प्रावधान नही है।

2. वर्ग पहेलियों से जीते गये पुरस्कार की राशि में 1,000 रु० आकस्मिक आय के करमुक्त हैं शेष राशि कर योग्य है।

3. लाटरी में जीती गई 14,000 रु० की मोटर साइकिल करयोग्य होगी किन्तु चूंकि उद्गम स्थान पर कर नहीं काटा गया है अतः इसे सकल नहीं बनाया जायगा ;

4. नकद बोनस लाभांश के रूप में करयोग्य है एवं प्राप्त राशि दी गई है अतः इसे सकल बनाया गया है।

उदाहरण (Ilustration) 7 : श्री एक्स एक संसद सदस्य हैं। गतवर्ष 1985-86 में उनकी आयें निम्न थी :—

a) संसद सदस्य के रूप में उन्हें 1,000 रु० मासिक वेतन मिला तथा संसद के सत्रों में उपस्थित होने का दैनिक भत्ता 10,000 रु० प्राप्त किया।

b) उसके पास निम्न विनियोग थे :—

i. गंगानगर शुगर मिल में 10% पूर्वाधिकार अंश 10,000 रु० अंकित मूल्य के। इन पर मार्च 1986 में लाभांश घोषित किया गया जिसका भुगतान अप्रेल 1986 में प्राप्त हुआ।

ii. बिरला लिमिटेड में 100 रु० वाले 100 समता अंश 1 कम्पनी ने 25 फरवरी 1986 को 15% का अन्तरिम लाभांश घोषित किया जिसके लाभांश अधिपत्र अप्रैल में डाक में डाले गये और इसका भुगतान 1 मई 1986 को प्राप्त किया तथा 31 मार्च 1986 को 10% का अन्तिम लाभांश घोषित किया।

iii. राजस्थान बैंक, जयपुर में 12% पर स्थायी जमा 20,000 रु०।

c) एक सहकारी समिति से उन्हें लाभांश 800 रु० प्राप्त हुआ।

d) यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के यूनिटों पर लाभांश 800 रु० प्राप्त हुआ।

e) डाकघर से ब्याज के बचत खाते के 50 रु०, स्थायी जमा के खाते के 500 रु० और आवर्ती जमा खाते के 200 रु० प्राप्त हुए।

f) अनिवार्य जमा की वापिसी की किस्त के 800 रु० प्राप्त हुए। जिसमें ब्याज के 300 रु० सम्मिलित थे।

g) 1 अगस्त 1985 को उसने अपना मकान बनवाने के लिए भूमि खरीदी किन्हीं कारणों से वे मकान नहीं बनवा सके तथा 1 नवम्बर 1985 को यह भूमि 200 रु० प्रति माह किराये पर उठा दी।

h) लाटरी एवं वर्ग पहेली की जीती गई राशियों के सम्बन्ध में क्रमशः 77,000 रु० एवं 4,200 रु० प्राप्त हुए।

i) स्टेट बैंक से स्थायी जमा पर प्राप्त ब्याज 1,800 रु०।

j) फर्म हरिनारायण एण्ड सन्स से प्राप्त ब्याज 2,700 रु०।

k) वे विजय कॉटन मिल्स के संचालक भी है जहाँ से उन्हें 24,000 रु० वेतन, 2,000 रु० संचालक शुल्क ओर 18 H.P. की कार की सुविधा प्राप्त हुई। कार निजी उपयोग में भी आती है जिसके समस्त व्यय श्री एक्स वहन करते हैं।

l) उन्होंने श्री रमेश को मशीन को फर्नीचर एवं भवन के साथ, 7,000 रु० प्रति माह किराये पर उठा दिया है। उन्होंने गतवर्ष में मशीन, फर्नीचर एवं भवन की मरम्मत पर 1,500 रु० व्यय किया। इन संपत्तियों के संबंध में गतवर्ष का ह्रास 12,000 रु० स्वीकृत हुआ।

m) श्री एक्स ने हरीश चन्द्र लोक प्रशासन संस्थान में व्याख्यान देने का 100 रु० प्रति व्याख्यान प्राप्त किया। गतवर्ष उन्होंने 12 व्याख्यान दिये।

श्री एक्स की 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक की कर योग्य आय की गणना कीजिए।

Shri 'X' is a member of Parliament. During the previous year 1985-86 he had the following incomes:

a) As a member of parliament he received a salary of Rs. 1,000 p.m. and daily allowance of Rs. 10,000 for attending the various session.

b) He held the following investments—

i. 10% preference shares in Ganganagar sugar mill of the face value of Rs. 10,000. Dividend declared on these in march 1986 and payment received in April, 1986.

ii. 100 equity shares of Rs. 100 each in Birla Ltd. The Company declared interim dividend of 15% on 25 Feb. 1986 Dividend current posted in April but payment received on 1 May 1986 and a final dividend of 10% declared on 31st March 1986.

iii. 12% Fixed deposit of Rs. 20,000 in Rajasthan Bank Jaipur.

c) He received Rs. 800 as dividend from a Co-operative society.

d) He received Rs. 800 as dividend on the units of the Unit Trust of India.

e) Received interest from post office saving Account Rs. 50, Fixed deposit Account Rs. 500 and Reccuring deposit Account Rs 200.

f) Received the instalment of repayment of Compulsory deposit Rs. 800, which included Rs. 300 for interest.

g) On 1st August 1985 he purchased a plot of land for constructing his house. Due to some reasons, he could not get his house constructed and hence let out the plot at Rs. 200 p.m. from 1st Nov 1985.

h) Rs. 77,000 and Rs 4,200 received in connection of winnings from lottery & cross word puzzles respectively.

i) Interest received from Fixed deposit in State Bank amounting to Rs. 1,800.

j) Rs. 2,700 received as interest from a firm Harinarain & sons.

k) Mr. X is a director in Vijay Cotton Mills. He received Rs. 24,000 for salary, Rs 2,000 as director fees and a 18 H.P. car facility, car also used in private purposes and expenditure related to personal use is borne by Mr X.

l) He has let Machinery with furniture and buildings to Mr. Ramesh at monthly rent of Rs. 7,000. He spent Rs. 1,500 on the repair of machinary, furniture and building during the previous year. Depreciation allowed in respect of these assets Rs. 12,000.

m) Shri 'X' received Rs. 100 per lecture at Harish Chandra Lok Prashashan Sansthan. During the previous year he delivered 12 lectures.

Compute Taxable Income from other sources of Mr. X,

हल (Solution) :

Computation of Taxable Income from other Sources of Mr. X for the A. Y. 1986-87

			Rs.
Salary as M.P.			12,000
Salary as Director			24,000
Directors fee			2,000
Value of Car (@ 150×12) facility			1,800
Dividend on preference Shares			1,000
Final Dividend on equity Shares			1,000
Interest on fixed deposit from Raj-Bank			2,400
Interest received on fixed deposit from State Bank			1 800
Interest on P.O. recurring deposit			200
Interest on Compulsory deposit			300
Interest from a firm Harinarain & son $2,700\times\frac{100}{90}$			3,000
Dividends from U T.I. on units			800
Dividends received from Co-operative Society			800
Income from land for 5 months			1,000
Winning from Gross-words puzzles $4,200\times\frac{100}{70}$=6,000			
Less : Casual Income exempt	1,000		5,000
Winning from lottery $77,000\times\frac{100}{70}$			1,10,000
Rental Income from machinery, furniture and building			84,000
Income from lectureres 100×12			1,200
			2 52,300
Less : Repair expenses of machinery etc.		1,500	13,500
Depreciation		12,000	
Taxable Income from other sources			2,38,800

टिप्पणी : 1. संसद सदस्यों को प्राप्त दैनिक भत्ता कर मुक्त है।

2. अंतिम लाभांश घोषित होने वाले गतवर्ष में ही कर योग्य हो जाता है जबकि अन्तरिम लाभांश उस गतवर्ष में करयोग्य होगा जिस गतवर्ष में लाभांश अधिपत्र अंशधारी को उपलब्ध करवा दिये गये हैं अर्थात डाक में डाल दिये गये हों।

3. सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश को सकल नहीं बनाया जाता है।

4. डाकघर के स्थायी जमा खाते एवं बचत खाते के ब्याज कर मुक्त हैं किन्तु आवर्ती जमा खाते से प्राप्त ब्याज करयोग्य हैं।

5. अनिवार्य जमा की वापसी की किस्त में सम्मिलित ब्याज 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में करयोग्य है।

6. ऐसी भूमि से प्राप्त किराया जो मकान से न लगी हो अन्य साधनों से आय शीर्षक में करयोग्य है।

7. फर्म से प्राप्त ब्याज को सकल बनाया गया है किन्तु बैंक से प्राप्त ब्याज जो सकल नहीं किया जाता है क्योंकि इस पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं होती है।

8. मशीन फर्नीचर आदि पर ह्रास एवं मरम्मत व्यय कटौती योग्य है।

परीक्षा प्रश्न (Test questions)

1. आय के ऐसे छः उदाहरण दीजिए जो 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अधीन कर योग्य हैं।
Give six examples of income which are taxable under the head "Income from other sources." (*Madras B. Com.* 1981)

2. 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत मिलने वाली कटौतियों का उल्लेख कीजिए।
Mention the deduction allowed under the head 'income from other sources.' (*CA Inter Nov.* 1974)

3. उन विभिन्न आयों का उल्लेख कीजिए जो स्पष्ट रूप से 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में करयोग्य है।
Mention the different types of income which are chargeable to tax under the head 'Income from other sources.'

4. 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अधीन किन आयों पर कर लगता है।
What are the incomes chargeable to income tax under the head 'income from other sources.' (*Calicut M. Com.* 1980)

व्यावहारिक प्रश्न (Practical Question)

1. गतवर्ष 1985-86 के लिए राकेश की निम्न सूचनाओं के आधार पर 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय की गणना कीजिए—

	रु०
a) लाभांश (शुद्ध)	3,200
b) लाभांश (सकल)	250
c) भवन के साथ मशीनें व फर्नीचर किराये पर उठाने से प्राप्त आय	15,200
d) संचालक शुल्क	2,400
e) डाकघर से बचत खाते पर प्राप्त ब्याज	400
f) बैंक से स्थायी जमा पर प्राप्त ब्याज	1,000
g) वर्ग पहेली से प्राप्त पुरस्कार की राशि	14,000

उसने लाभांश की वसूली पर 40 रु० तथा मशीन व फर्नीचर की मरम्मत पर 600 रु० व्यय किये। भवन, मशीन व फर्नीचर पर स्वीकृत ह्रास 5,000 रु०।

2. श्री आलोक 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी आय का अग्रलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं :—

a) राजेश लि० से मई 1986 में प्राप्त लाभांश 4,000 रु०।

b) लिपटन टी कम्पनी लि० से जून 1985 में प्राप्त लाभांश (इस कम्पनी की 60% आय कृषि आय है) 2,000 रु०।

c) टोकियो में स्थित एक विदेशी कम्पनी से जुलाई, 1985 में प्राप्त लाभांश 3,500 रु०।

d) 13 नवम्बर 1985 को घुड़दौड़ में जीती राशि के सम्बन्ध मे प्राप्त रकम 7,000 रु०।

e) एक्स लि० के संचालकों द्वारा अन्तरिम लाभांश फरवरी 1986 में घोषित किया गया लाभांश पत्र अप्रैल 1986 में डाक में डाले गये और भुगतान मई 1986 में प्राप्त किया गया 4,800 रु०।

f) हितकारी पाटरीज लि० द्वारा लाभांश फ़रवरी 1986 में घोषित किया गया, लाभांश पत्र अप्रैल 1986 में डाक में डाले गये और भुगतान करदाता ने मई 1986 में प्राप्त किया 9,600 रु० ।

g) भारत टेक्सटाइल लि० से एकत्रित लाभों में से प्राप्त नकद बोनस 2,400 रु० ।

h) ब्रिटेन सरकार की प्रतिभूतियों पर जनवरी 1986 में प्राप्त ब्याज 3,600 रु० ।

i) लाटरी में जीते गए पुरस्कार के सम्बन्ध में फरवरी 1986 में प्राप्त नकद राशि 37,000 रु० एवं एक कार 40,000 रु० मूल्य की ।

j) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित योजना में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पास स्थायी जमा पर ब्याज 1,500 रु० ।

श्री आलोक अग्रलिखित कटौतियाँ की माँग करते हैं ।

i) लाभांश और ब्याज की एकत्र की गई राशि पर बैंक को 2% कमीशन ।

ii) लिपटन टी कम्पनी लि० के अंशों को क्रय करने हेतु लिए गये ऋण पर इसी वर्ष का देय ब्याज 1,500 रु० ।

iii) लॉटरी टिकट या क्रय करने पर व्यय 5,000 रु० ।

कर निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए श्री आलोक की 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य आय की गणना कीजिए ।

Shri Alok Furnishes the following particulars of his income for the previous year ending 31st March 1986.

a) Dividend received in May 1985 from the Rajesh Ltd, Rs. 4,000.

b) Devidend received in June 1985 from the Lipton Tea Company Ltd. (60% of the income of the Company is agricultural income) Rs. 2,000.

c) Dividend received in July 1985 from a foreign Company in Tokyo Rs. 3500.

d) Amount received on the 13 November 1985 in connection with winning from a house race Rs. 7,000,

e) Interim devidend declared by the directors of X Ltd. in February 1986 Dividend warrants posted in April 1986 and payment received in may 1986 Rs. 4800.

f) Dividend declared by Hitkari Potteries Ltd in February 1986. Devidend warrants posted in April 1986 and payment received in May 1986 Rs. 9,600.

g) Cash Bonus received Rs. 2,400 out of accumulated Profits from Bharat Textile Ltd.

h) Interest received in January 1986 on the securities of Britain Government Rs. 3,600.

i) Amount received in February 1986 in conection with a winning from a lottery Rs. 37,000 in cash and a car costing Rs. 40,000.

j) Interest on fixed deposit with the State Bank of India in the scheme notified by the Central Govt, Rs, 1,500.

Shri Alok Claims the following deductions—

i. Commission to the Bank at 2% on the amount of devidend and interest collected.

ii. Interest payable for this year on loan taken for purchasing shares of Lipton Tea Company Ltd. Rs. 1,500.

iii. Cost of lottery tickets purchased Rs. 5,000.

Compute the taxable income of Shri Alok under the head 'Income from other sources' for the Assessment 1986 87.

3. डा० कुलश्रेष्ठ अर्थशास्त्र के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हैं । कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए उनकी 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक की करयोग्य आय की गणना करने के लिए वह अपनी निम्न आयें आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं :

a) लेखों से आय जो इकोनोमिक टाइम्स तथा इस्टर्न इकोनोमिस्ट में प्रकाशित हुए थे 600 रु० ।

b) डा० कुलश्रेष्ठ ने विद्या भवन इन्स्टीट्यूट में व्याख्यान देने का 80 रु० प्रति व्याख्यान प्राप्त किया । गतवर्ष में 25 व्याख्यान दिये ।

c) डा० कुलश्रेष्ट एक किराये के मकान में रहते हैं जिसका वह 900 रु० मासिक किराया देते हैं । उनके परिवार के लिए मकान बहुत बड़ा है, अतः उन्होंने मकान का एक-तिहाई भाग पुनः 450 रु० प्रतिमाह के किराये पर उठा दिया है । डा० कुलश्रेष्ठ ने पूरे मकान का नगरपालिका कर 900 रु० चुकाने का दायित्व तथा चालू मरम्मत का दायित्व जो 1,200 रु० हुआ, अपने ऊपर लिया हुआ है।

d) वे कई विश्वविद्यालयों में परीक्षक है । इस मद से उन्हें 5,000 रु० का पारिश्रमिक प्राप्त हुआ :

e) वे एक पाठ्य-पुस्तक के लेखक हैं जिससे उन्हें 25,000 रु० की रायल्टी एक मुश्त मिलती है जो Copyright के हस्तांतरण के प्रतिफल में हैं । इस राशि में से वह निम्न कटौतियों की माँग करते हैं ।

i. एक क्लर्क का वेतन जो उनके लिए सूचनाएँ व तथ्य एकत्रित करता है तथा अन्तिम प्रूफ भी पड़ता है 4,000 रु० ।

ii. पुस्तक के संशोधन के सम्बन्ध में 1,400 रु० की पुस्तकें क्रय की ।

iii. 800 रु० का टेलीफोन व्यय जो पुस्तक के प्रकाशन तथा विक्रय के सम्बन्ध में तथा पुस्तक का नया संस्करण छपने के सम्बन्ध में हुआ था ।

f) उनकी अन्य आयें निम्न हैं :

i. ताश के खेलों तथा शर्तें से जीत 2,500 रु०

ii. शतरंज के खेल से जीत 1,000 रु०,

iii. कनाडा सरकार के बाण्डस पर 1,500 रु० ब्याज प्राप्त हुआ ।

iv. जापान की एक कम्पनी के ऋणपत्रों पर प्राप्त ब्याज 4800 रु०

Dr. Kulshresth is a retired professor of Economics. He submits before you the following incomes for computing his income under the head 'Income from other sources' for the assessment year 1986-87.

a) Income from articles which were published in Economic Times' and 'Eastern Economist Rs. 600.

b) Dr. Kulshresth received Rs. 80 per lecture delivered at Vidhya Bhavan Institute during the previous year he delivered 25 lectures.

c) He lives in a rented house Paying rent @ Rs. 900 P.M. The house is too big for his family. Hence he has Sub let. one third portion of the house on a rent of Rs. 450 P.M. Dr. Kulshrestha has undertaken the liability of paying municipal taxes of Rs. 900 on the whole house and also the current repairs of the whole house amounting to Rs. 1,200.

d) He is an examiner of a number of Universities. This source gave him a remuneration of Rs. 5.000.

e) He is the author of text book which fetched him a royalty of Rs. 25,000 in lump sum and which is in consideration of the transfer of copyright. He claims the following deductions from this amount.

i. Salary to clerk who collects for him necessary data and goes through the final proof-reading Rs. 4,000,

ii. Purchased books worth Rs. 1,400 in connection with the revision of the book.

iii. Telephone expenses of Rs. 800 attributed to the publication and sale of his book and other matters in connection with the printing of the new edition of the book.

f) His other incomes were :

i. Winning from card games and betting Rs. 2,500.

ii. Winnings from chess Rs. 1,000.

iii. Received Interest on Government of Canada Bonds Rs. 1,500.

iv. Interest received Rs. 4,800 on debentures of Japanese company.

उत्तर अध्याय—10 (अन्य साधनों से आय)

(1) 36,210 रु० (2) 1,41,790 रु० (3) 31,500 रु०

11

करदाता की आय में अन्य व्यक्तियों की आय को सम्मिलित करना

(Income of other persons to be included in the income of assessee)

इस अध्याय के अन्तर्गत हम उन आयों की करदेयता पर प्रकाश डालेंगे जो यद्यपि प्रत्यक्ष में अन्य लोगों को प्राप्त होती हैं किन्तु जिन्हें हम अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अधीन करदाता की आय में सम्मिलित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि पिता द्वारा कुछ सम्पत्ति अपने अवयस्क पुत्र को हस्तांतरित कर दी जाती है तो यद्यपि ऐसी हस्तांतरित सम्पत्ति से आय की प्राप्ति पुत्र को ही होगी, किन्तु इसे पिता की आय माना जायेगा ऐसी अनेक परिस्थितियां हो सकती हैं इसका वर्णन धारा 60 से 65 के अन्तर्गत किया गया है।

अन्य व्यक्तियों की आय जो करदाता की कुल आय में शामिल की जाती है (60 से 65)

1. सम्पत्तियों को हस्तांतरित किये बिना आय का हस्तांतरण (Transfer of Income without transfer of assets) [धारा 60]—करदाता कभी-कभी किसी सम्पत्ति का स्वामित्व अपने पास रखता है किन्तु उसकी आय को पाने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर देता है। ऐसी स्थिति में हस्तांतरित आय हस्तांतरण करने वाले करदाता की आय में शामिल की जाती है न कि उसकी आय में, जिसको हस्तांतरित की गई है। अतः इस आय पर आयकर आय का हस्तांतरण करने वाला देता है हस्तांतरित नहीं।

2. सम्पत्तियों का खण्डनीय हस्तांतरण (Revocable Transfer of Assets) [धारा 61]— ऐसी सभी आय जो सम्पत्ति के खण्डनीय हस्तांतरण के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है, आयकर के उद्देश्य के लिए हस्तांतरण कर्त्ता अर्थात हस्तांतरण करने वाले की आय में जोड़ी जाती है।

खण्डनीय हस्तांतरण से हमारा तात्पर्य ऐसे हस्तांतरण से है जो हस्तांतरणकर्त्ता की इच्छा पर व उसकी सद्भावना बनी रहने तक ही सार्थक होता है अर्थात हस्तांतरणकर्त्ता के चाहने मात्र से उसके द्वारा हस्तांतरित की गई सम्पत्ति उसके पास वापिस आ जाती है। धारा 63 के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थितियों में सम्पत्ति का हस्तांतरण खण्डनीय माना जाता है:

अ. हस्तांतरण करते समय जब कोई ऐसी शर्त लगा दी जावे जिससे हस्तांतरित सम्पत्ति अथवा इससे प्राप्त होने वाली आय अथवा इनका कोई अंश प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरणकर्त्ता (Transferor) को पुनः हस्तांतरित हो सकता हो, अथवा

ब. किसी भी प्रकार से हस्तांतरणकर्त्ता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित या इससे प्राप्त होने वाली आय को अपने अधिकार में लेने की व्यवस्था हो।

अपवाद—धारा 62 के अनुसार निम्नलिखित हस्तांतरण उपर्युक्त धारा 61 की परिधि में नहीं आते अर्थात इन्हें खण्डनीय हस्तांतरण नहीं माना जायेगा—

i. सम्पत्ति का हस्तांतरण जब किसी ऐसे ट्रस्ट को किया जाता है जो हिताधिकारी (beneficiary) के जीवनकाल में अखण्डनीय है एवं अन्य ऐसे हस्तांतरण जो हस्तांतरित सम्पत्ति प्राप्त करने वाले (transferee) के जीवन काल में अखण्डनीय है।

ii. ऐसे हस्तांतरण जो 1 अप्रैल, 1961 से पहले किए गए थे जो कि 6 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए अखण्डनीय है।

इन दोनों ही स्थितियों में यह आवश्यक है कि हस्तांतरणकर्त्ता को इन हस्तांतरणों से कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए। उपरोक्त (i) एवं (ii) के अन्तर्गत आने वाली हस्तांतरित सम्पत्ति की आय ऐसी आय को प्राप्त करने वाले के हाथों में करयोग्य होगी न कि हस्तांतरणकर्त्ता के हाथों में।

3. जीवन साथी को फर्म से आय अथवा हानि (Income or loss to spouse from membership of a firm) [धारा 64 (1) (i)]—एक व्यक्ति की कुल आय में उसके जीवन साथी की वह आय शामिल की जाती है जो उसे किसी पेशेवर फर्म (Professional firm) के अतिरिक्त ऐसी फर्म से मिली है जिसमें वह व्यक्ति तथा उसका जीवन-साथी साझेदार है तथा फर्म व्यापार से आय प्राप्त करती है। यदि जीवन साथी को हानि भी होती है तो भी यही सिद्धान्त लागू होगा। जीवन साथी से तात्पर्य पति अथवा पत्नी से है।

फर्म की साझेदारी से प्राप्त लाभ उस जीवन-साथी की आय में जोड़ा जाता है जिसकी कुल आय (फर्म में अपने हिस्से को सम्मिलित करते हुए किन्तु जीवन साथी के हिस्से को छोड़ते हुए) दूसरे जीवन साथी की इसी प्रकार की आय से अधिक हो। उदाहरण के लिए एक फर्म में, जो व्यापार करती है पति पत्नी दोनों ही साझेदार हैं। पति की इस फर्म के अलावा अन्य शीर्षकों से होने वाली आय 40,000 रु० है जबकि पत्नी की अन्य आय 50,000 रु० है। इस फर्म से पति को 15,000 रु० व पत्नि को 10,000 रु० लाभ के रूप में प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि पत्नि का फर्म में अपना हिस्सा एवं अन्य शीर्षकों से होने वाली आय (50,000+10,000=60,000 रु०) पति की आय (40,000+15,000 रु०=55,000 रु०) से अधिक है, फर्म से पति को प्राप्त हुआ लाभ (15,000) पत्नी की आय में शामिल होगा व उसे आयकर देना होगा। पत्नी की कुल आय (50,000+15,000+10,000) 75,000 रु० होगी व पति की कुल आय केवल 40,000 रु० होगी।

यदि फर्म को हानि होती है तो भी उपर्युक्त स्थिति ही रहती है जैसे उपरोक्त उदाहरण के अनुसार पति की इस फर्म के अलावा अन्य शीर्षकों से होने वाली आय 40,000 रु० ही है व पत्नी कि भी अन्य आय 50,000 ही है और फर्म से पति को 15,000 रु० एवं पत्नी को 10,000 रु० की हानि होती है तो ऐसी स्थिति में चूंकि पत्नी का फर्म में अपना हिस्सा एवं अन्य शीर्षकों से होने वाली आय (50,000 – 10,000= 40,000 रु०), पति की इसी प्रकार ज्ञात की गई आय (40,000—15,000= 25,000) से अधिक है, अतः फर्म से पति को प्राप्त हुई हानि अर्थात् 15,000 रु०

पत्नी की आय से पूरी की जायेगी। इसकी पूर्ति करने के पश्चात् पत्नी की कुल आय [50,000—(15,000+10,000) 25,000] 25,000 रु० ही होगी व पति की कुल आय पूर्व स्थिति की भाँति 40,000 रु० ही होगी।

यदि किसी व्यक्ति का जीवन साथी किसी ट्रस्ट में लाभ प्राप्त करता है तथा उस ट्रस्ट का ट्रस्टी उस व्यक्ति के साथ किसी साझेदारी में सम्मिलित हो जाता है तो एसी साझेदारी से ट्रस्ट को जो आय होगी उसका वह भाग, जो जीवन-साथी के लाभ के लिए प्रयुक्त होता है को उस जीवन साथी को उस फर्म से हुई आय समझा जायेगा और उस व्यक्ति की कुल आय में शामिल होगा।

4. ऐसे संस्थान से जीवन साथी की कमीशन. वेतन आदि की आय जिसमें करदाता का सारवान हित हो (Salary, Commission ctc. to spouse from such concerns in which assessee has substantial interest) [धारा 64 (1) (ii)] : किसी ऐसे संस्थान से, जिसमें एक जीवन-साथी का सारवान हित है, यदि दूसरे जीवन साथी को वेतन, कमीशन अथवा अन्य पारिश्रमिक आदि मिलता है तो इसे उस जीवन साथी की आय में जोड़ दिया जायेगा जिसका कि ऐसी संस्था में सारवान हित है। यह नियम उस समय लागू नहीं होगा जबकि पारिश्रमिक आदि जीवन साथी को उसकी तकनीकी अथवा पेशेवर कुशलता के कारण मिला हो।

एक व्यक्ति का कम्पनी में सारवान हित से आशय उस व्यक्ति अथवा उसके सम्बन्धियों (माता-पिता, पुत्र-पुत्री, भाई-बहिन, दादा-दादी, पौत्र-पौत्री, पति अथवा पत्नी) के पास कम से कम 20% मताधिकार वाले साधारण अंश हों। अन्य किसी प्रतिष्ठान की स्थिति में सारवान हित से आशय उपरोक्त के पास ऐसे प्रतिष्ठान के लाभों का 20% भाग प्राप्त करने का अधिकार हो।

उदाहरण (Illustration) 1 : श्री शेखर एक सार्वजनिक कम्पनी में 4,000 रु० मासिक पर लगे हुए हैं। श्रीमती शेखर के पास इस कम्पनी के साधारण अंशों में से 25% मताधिकार वाले साधारण अंश हैं। आयकर अधिकारी को इस बात से संतोष है कि श्री शेखर को ही वास्तविकता में वेतन की धनराशि मिल रही है। इसके बावजूद भी वह श्री शेखर के वेतन को श्रीमती शेखर की कुल आय में सम्मिलित करना चाहता है आपका क्या विचार है ?

हल : आयकर अधिकारी का यह निर्णय कि श्री शेखर को मिलने वाला वेतन श्रीमती शेखर की कुल आय में सम्मिलित किया जाय, बिल्कुल सही है। श्रीमती शेखर का कम्पनी में सारवान हित है अतः धारा 64(1)(ii) के अन्तर्गत इनके पति को कम्पनी से मिलने वाला वेतन इनकी कुल आय में जोड़ा जायेगा। किन्तु यदि यह सिद्ध किया जा सके कि श्री शेखर के पास विशेष तकनीकी अथवा पेशेवर योग्यता है जिसकी वजह से यह वेतन मिलता है तो यह धारा लागू नहीं होगी।

5. फर्म से अवयस्क पुत्र अथवा पुत्री की आय (Income to minor child from any firm) [धारा 64 (1) (iii)] : किसी भी फर्म में यदि किसी अवयस्क पुत्र (सौतेले एवं गोद लिए हुए पुत्रों सहित) अथवा अवयस्क पुत्री (अवयस्क विवाहित पुत्री सहित) को साझेदारों के लाभों में शामिल किया गया हैं तथा ऐसी फर्म में ऐसे पुत्र अथवा पुत्री को आय होती है तो यह आय पुत्र अथवा पुत्री के माता अथवा पिता के हाथों में करयोग्य होगी। यह जरूरी है कि पुत्र अथवा पुत्री के माता-पिता ऐसी फर्म में साझेदार हों। यह आय माता व पिता में से उस व्यक्ति

की कुल आय में शामिल की जायेगी जिसकी कुल आय अवयस्क के फर्म के लाभ के हिस्से को छोड़कर दूसरे जीवन साथी से अधिक है। यदि अवयस्क की ऐसी कोई आय एक बार उसके पिता अथवा माता की कुल आय में सम्मिलित कर ली जाती है तो आगे भी हमेशा उस अवयस्क की वह आय उसी व्यक्ति (माता अथवा पिता) की आय में सम्मिलित की जाती रहेगी जब तक कि आयकर अधिकारी इसमें परिवर्तन करना उचित न समझे। यदि आयकर अधिकारी इसमें परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसा करने से पूर्व उस दूसरे व्यक्ति को सुनवाई का एक उचित अवसर देना होगा।

यदि किसी व्यक्ति का अवयस्क पुत्र अथवा अवयस्क पुत्री किसी ट्रस्ट का हिताधिकारी है और ट्रस्ट का ट्रस्टी किसी फर्म में साझेदार है तो फर्म की आय में ट्रस्टी के भाग की वह राशि जो उस व्यक्ति के अवयस्क पुत्र अथवा पुत्री के हित के लिए हो उस अवयस्क पुत्र अथवा अवयस्क पुत्री की फर्म से आय मानी जायेगी और उसके माता अथवा पिता की आय में जोड़ी जायेगी।

उदाहरण (Illustration) 2 : अजय प्रसाद (जो राजेन्द्र शर्मा का अवयस्क लड़का है) को अपने बाबा से उनकी मृत्यु पर 1,50,000 रु० की राशि प्राप्त होती है जिसे एक फर्म में अजय प्रसाद की पूँजी के रूप में लगा दिया जाता है व अजय प्रसाद को साझेदारी के लाभार्थ फर्म में शामिल कर लिया जाता है। इस फर्म में अजय प्रसाद के माता अथवा पिता में से कोई साझेदार नहीं है। अजय प्रसाद को सम्बन्धित गतवर्ष के लिऐ 25,000 रु० फर्म से लाभ के रूप में मिलते हैं, इस राशि के कर दायित्व पर प्रकाश डालिये।

हल : धारा 64)1)(iii) के अनुसार यह जरूरी नहीं है कि फर्म में अवयस्क के साथ उसके माता व पिता में से एक अथवा दोनों ही साझेदार होने चाहिए। अवयस्क को किसी फर्म से मिलने वाला लाभ उसके माता व पिता में से किसी एक के हाथों में ही कर योग्य होगा। अवयस्क पुत्र अथवा पुत्री की ऐसी आय माता अथवा पिता दोनों में उस व्यक्ति की आय में जोड़ी जायेगी जिसकी कुल आय (अवयस्क पुत्र अथवा पुत्री के फ़र्म की आय में भाग को छोड़कर) अधिक हो।

6 सम्पत्ति के हस्तान्तरण से जीवन साथी की आय (Income from assets transferred to spouse) [64(i)(iv)]—यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी को पर्याप्त प्रतिफल के बिना किसी सम्पत्ति का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हस्तान्तरण कर देता है तो ऐसी हस्तान्तरित सम्पत्ति से आय हस्तान्तरण कर्त्ता के हाथों में ही कर-योग्य होती हैं, हस्तान्तरित (जिसे सम्पत्ति प्राप्त हुई है) जीवन साथी के हाथों में नहीं।

यदि ऐसी सम्पत्ति का हस्तान्तरण आपस में तलाक देने के कारण अथवा एक दूसरे के अलग रहने के समझौते के कारण किया गया है तो यह धारा लागू नहीं होगी अर्थात् ऐसी परिस्थिति में आय हस्तान्तरणकर्त्ता के हाथों में करयोग्य नहीं होगी :

यदि ऐसी हस्तान्तरित सम्पत्ति जीवन साथी द्वारा किसी व्यापार में विनियोजित कर दी जाती है तो उस व्यापार से होने वाली आय सम्पत्ति के हस्तान्तरणकर्त्ता की आय में सम्मिलित की जायेगी। यदि जीवन साथी ऐसी हस्तान्तरित सम्पत्ति के साथ-साथ उसकी स्वयं की सम्पत्ति भी व्यापार में विनियोजित करता है तो ऐसे व्यापार से होने वाली आय का वह भाग हस्तान्तरणकर्त्ता की आय मे जोड़ा जायगा जो ऐसी हस्तान्त-

रित सम्पत्ति का जीवन साथी द्वारा व्यापार में लगाई गई कुल सम्पत्तियों के साथ अनुपात है।

यदि कोई सम्पत्ति आँशिक प्रतिफल के बदले में हस्तान्तरित की जाती है तो उतना हिस्सा जो पर्याप्त प्रतिफल लेकर हस्तान्तरित किया गया है, के सम्बन्ध यह धारा लागू नहीं होगी। उदाहरण के लिए यदि श्री अनिल अपना एक 2,00 000 रु० उचित मूल्य का मकान 1,00,000 रु० का प्रतिफल लेकर अपनी पत्नी श्रीमती रीना को हस्तान्तरित करते है तो इस मकान से प्राप्त होने वाली आधी आय श्री अनिल की आय में सम्मिलित होगी क्यों कि आँशिक (अर्थात् आधा) प्रतिफल प्राप्त किया है।

जीवन साथी को बिना प्रतिफल के जो सम्पत्ति हस्ताँतरित की जाती है, यदि ऐसी सम्पत्ति की आय से कोई सम्पत्ति प्राप्त की जाती हैं तो इस प्रकार प्राप्त सम्पत्ति से होने वाली आय हस्ताँतरणकर्त्ता की कुल आय में सम्मिलित नहीं होगी। उदाहरण के लिए उक्त पूरा मकान बिना प्रतिफल के हस्ताँतरित किया जाता है तो एवं इस मकान से होने वाली प्रतिफल 6,000 रु० की आय से अन्य सम्पत्ति क्रय की जाती है तो उस सम्पत्ति से प्राप्त आय श्री अनिल की आय में सम्मिलित नहीं होगी बल्कि उनकी पत्नि की आय में सम्मिलित होगी।

स्पष्टीकरण :—उपरोक्त प्रावधान तभी लागू होंगे जब सम्पत्ति के हस्ताँतरण के समय दोनों में पति-पत्नी का सम्बन्ध हो अर्थात् विवाह से पहले किया गया हस्ताँतरण जीवन साथी को हस्तांतरण नहीं माना जाता है।

7. हस्ताँतरित सम्पत्ति से अवयस्क पुत्र अथवा पुत्री को आय (Income from assets transferred do minor child) [धारा 64 (1) (v) —किसी व्यक्ति ने यदि अपने अवयस्क पुत्र अथवा अवयस्क पुत्री (विवाहित पुत्री को छोड़ते हुए) को किसी सम्पत्ति का बिना उचित प्रतिफल के हस्तांतरण किया है तो इस हस्ताँतरित सम्पत्ति से हुई आय हस्ताँतरणकर्त्ता के हाथों में करयोग्य होगी। यदि सम्पत्ति आंशिक प्रतिफल के बदले में हस्ताँतरित की जाती है तो नियम सम्पत्ति की उस आनुपातिक आय पर लागू होगा जिसका प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे अवयस्क पुत्र अथवा अवस्यक पुत्री के वयस्क हो जाने पर ऐसी सम्पत्ति से आय हस्ताँतरणकर्त्ता की आय में नहीं जोड़ी जायेगी।

8. पुत्रवधू अथवा अवस्यक पौत्र अथवा अवयस्क पौत्री को हस्ताँतरित सम्पत्ति से आय (Income from assets transferred to Son's wife or Son's minor child) [धारा 64 (1) (vi)]—इसके अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी पुत्रवधू अथवा अवयस्क पौत्र अथवा अवयस्क पौत्री को 1 जून 1983 को अथवा इसके बाद किसी सम्पत्ति का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बिना पर्याप्त प्रतिफल के हस्ताँतरण करता है तो ऐसी सम्पत्ति से हुई आय हस्थाँतरणकर्त्ता के हाथों में करयोग्य होती है न कि ऐसी सम्पत्ति प्राप्य करने वाली पुत्रवधू, अवयस्क पौत्र अथवा पौत्री के हाथों में।

9. जीवन साथी अथवा अवयस्क पुत्र/पुत्रियों के तुरन्त अथवा स्थगित हित के लिए हस्तांतरित सम्पत्तियों से हुई किसी व्यक्ति को आय (Income from assets transferred for the immediate or deferred benefit of spouse or minor child [धारा 64 (1) (vii)]—यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समुदाय को अपने जीवन साथी अथवा अवयस्क पुत्र अथवा अवयस्क पुत्री (विवाहित पुत्री को छोड़कर) के वर्तमान अथवा भावी हित के लिए प्रर्याप्त प्रतिफल के बिना

किन्हीं सम्पत्तियों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में हस्तांतरण किया है तो ऐसी हस्तांतरित सम्पत्तियों से आय हस्तांतरणकर्त्ता के हाथों में ही करयोग्य होगी। यह आय केवल उस सीमा तक हस्तांतरणकर्त्ता के हाथों में करयोग्य होगी जितनी इन सम्पत्तियों की आय हस्तांतरणकर्त्ता के अवयस्क पुत्र अथवा अवयस्क पुत्री (विवाहित पुत्री को छोड़कर) अथवा उसके जीवन साथी अथवा इन सबके तत्काल या भावी हित के लिए होगी।

10. पुत्रवधू अथवा अवयस्क पौत्र/पौत्री के तुरन्त अथवा स्थगित हित के लिए हस्तांतरित सम्पत्तियों से हुई किसी व्यक्ति को आय (Income from assets transferred for the immediate or deferred benefit of son's wife or son's minor child) [64 (1) (viii] : यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समुदाय को अपनी पुत्रवधू अथवा अवयस्क पौत्र अथवा अवयस्क पोत्री के वर्तमान अथवा भावी हित के लिए 1 जून 1973 को अथवा इसके पश्चात पर्याप्त प्रतिफल के बिना किन्हीं सम्पत्तियों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में हस्तांतरण किया है तो ऐसी हस्तांतरित सम्पत्तियों से आय हस्तांतरणकर्त्ता के हाथों में ही करयोग्य होगी। आय की केवल वह राशि ही हस्तांतरणकर्त्ता के हाथों में करयोग्य होगी जितनी इन सम्पत्तियों की आय हस्तांतरणकर्त्ता के पुत्रवधु अथवा अवस्यक पौत्र/पौत्री के तत्काल या भावी हित के लिए होगी।

11. हिन्दू अविभाजित परिवार को हस्तांतरित की गई सम्पत्ति (Transfer of self acquired property to Hindu undivided family) [धारा (64) (2)]:— 31 दिसम्बर 1969 के बाद में हिन्दू अविभाजित परिवार के किसी सदस्य ने यदि अपनी स्वयं अर्जित सम्पत्ति अपने हिन्दू अविभाजित परिवार की सम्पत्ति में मिला दी हैं अथवा बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति परिवार को हस्तांतरित कर देता है तो निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे :—

a) ऐसी हस्तांतरित सम्पत्ति से होने वाली आय हस्तांतरणकर्त्ता सदस्य के हाथों में करयोग्य होगी न कि परिवार के हाथों में।

b) ऐसी सम्पत्ति का यदि परिवार के सदस्यों में विभाजन (सम्पूर्ण अथवा आंशिक होता है, तो ऐसे विभाजन के बाद हस्तांतरित सम्पत्ति से जो आय हस्तांतरणकर्त्ता के जीवन साथी अथवा अवयस्क बच्चे को प्राप्त होती है हस्तांतरणकर्त्ता के हाथों में करयोग्य होगी व इस बारे में धारा 64 (1) के प्रावधान लागू होंगे।

अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान :—

1. अन्य व्यक्तियों की आय जिसे उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार करदाता की आय में जोड़ना है सम्बन्धित शीर्षक की आय में ही सम्मिलित किया जायेगा।

2. अन्य व्यक्ति की आय जिसे करदाता की आय में जोड़ा जाता है के सम्बन्ध में सकल कुल आय में दी जाने वाली कटौतियां करदाता को ही प्राप्त होंगी एव उद्गम स्थान पर काटे गये कर को भी करदाता की आय में से काटा गया कर माना जायेगा।

3. ऐसी दशा में जहाँ कि पति एवं पत्नी दोनों का ही किसी संस्थान में सारवान हित है तथा उन्हें इस व्यापार से पारिश्रमिक मिलता है तो ऐसी दशा में दोनों को मिला पारिश्रमिक किसी एक के ही हाथों में (जिसकी आय अधिक है) करयोग्य होगा।

4. अन्य व्यक्तियों की आय जिसे करदाता की आय में जोड़ा जाता है से सम्बन्धित जो प्रावधान लाभों को जोड़ने के सम्बन्ध में लागू होते हैं वही हानियों के लिए भी लागू होंगे।

5. हस्तान्तरित सम्पत्ति से होने वाली आय पूर्व वर्णित व्यवस्थाओं के अनुसार हस्तांतरणकर्त्ता की आय में ही जोड़ी जाती रहेगी लेकिन हस्ताँतरित की गई सम्पत्ति की वृद्धि से होने वाली आय अथवा हस्तांतरित सम्पत्ति के आय के विनियोजन से अन्य व्यक्ति को प्राप्त होने वाली आय सम्पत्ति के हस्तांतरणकर्त्ता की आय में नहीं जोड़ी जायेगी।

6. स्वयं अर्जित की गई सम्पत्ति अपने पुत्र के हिन्दू अविभाजित परिवार, जिसका हस्तांतरणकर्ता सदस्य नहीं है, को हस्तान्तरित की जाती है तो ऐसी सम्पत्ति उपहार मानी जाती है एवं उस पर धारा 64(2) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

उदाहरण (Illustration) 3 : प्रमोद कुमार एक हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य है। उन्होंने अपनी स्वयं अर्जित सम्पत्ति अविभाजित परिवार, जिनमें उसके बड़े भाई, भाई की पत्नी, उसके दो अवयस्क लड़के, उनकी पत्नी एव दो अविवाहित पुत्रियाँ हैं, को बिना प्रतिफल के हस्तांतरित कर दी है। इस सम्पत्ति का मूल्य 2,00,000 रु० है तथा इस से 30,000 रु० की वार्षिक आय होती है आपको यह बताना हैं कि इस के सम्बन्ध में कर कौन देगा। यदि परिवार का विभाजन हो जाता तो क्या अन्तर होता?

हल : इस हिन्दू अविभाजित परिवार में आठ सदस्य हैं। ऐसा प्रावधान है कि हिन्दू अविभाजित परिवार को बिना प्रतिफल के हस्ताँतरित सम्पत्ति से हुई सम्पूर्ण आय हस्तान्तरणकर्ता के हाथों में करयोग्य होती है। अतः श्री प्रमोद कुमार द्वारा हस्ताँतरित सम्पत्ति से हुई 30,000 रु० की आय इन्हीं की कुल आय में जोड़ी जावेगी व इन्हें ही उस पर आयकर देना होगा।

यदि इस परिवार का पूर्ण विभाजन हो जाता तो ऐसी सम्पत्ति की आय का वह भाग हस्ताँतरणकर्त्ता के हाथों में करयोग्य होगा जो उसको, उसके जीवन साथी को एवं अवयस्क पुत्र-पुत्रियों को प्राप्त होता। ऐसी स्थिति में श्री प्रमोदकुमार एवं उनके जीवन साथी को सम्पत्ति में से आधा हिस्सा प्राप्त होगा अतः आय का 50% अर्थात 15,000 रु० श्री प्रमोदकुमार के हाथों में करयोग्य होगा।

उदाहरण (Illustration) 4 : 'अ' ने अपने भाई 'ब' की पत्नी को 50,000 रु० का उपहार मकान खरीदने के लिए दिया तथा 'ब' ने 50,000 रु० के अंश 'अ' के अवयस्क पुत्र को दे दिये। 31 मार्च 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में मकान सम्पत्ति से करयोग्य आय 5,000 रु० है तथा अंशों पर 3,000 रु० का लाभांश प्राप्त हुआ है। कारण सहित बताइये कि किस के हाथों में आय करयोग्य होगी।

(C. A. final, May, 70)

हल (Solution) : यह स्पष्ट रूप से अप्रत्यक्ष हस्तान्तरण (Cross transfer) का मामला है क्योंकि 'अ' अपने अवयस्क पुत्र को एवं 'ब' अपनी पत्नी को सम्पत्ति

हस्तान्तरित करना चाहता है किन्तु कानूनी प्रावधानों से प्रत्यक्षतया बचने के लिए ऐसा अप्रत्यक्ष हस्तान्तरण किया गया है । ऐसी स्थिति में 'अ' के पुत्र को प्राप्त आय एवं 'ह' की पत्नी को प्राप्त आय क्रमशः 'अ' एवं 'ब' के हाथों में करयोग्य होगी ।

परीक्षा प्रश्न (Test Questions)

1. उन परिस्थितियों को लिखिये जब पत्नी अथवा अवयस्क बच्चे को होने वाली आय करदाता की कुल आय में जोड़ दी जाती है । (*Lucknow M. Com.* 1975)

   State the circumstances in which the income of wife or minor child of an individual liable to be included in his total income

2. 'खण्डनीय हस्ताँतरण' क्या है ? खण्डनीय हस्ताँतरण के अन्तर्गत हस्तांतरित हुई सम्पत्ति की आय को किस प्रकार प्रतिपादित किया जाता है ?

   What is revocable transfer and how do you treat income from an asset transferred revocable ?

3. हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य द्वारा अपनी स्वयं अर्जित की हुई सम्पत्ति को परिवार की सम्पत्ति में मिलाने पर आयकर अधिनियम के कौन से प्रावधान काम में लाये जाते हैं विस्तारपूर्वक लिखिये ।

   How do you treat income from self earned assets thrown into the common hotchpot by the member of an H.U.F.?

4. दूसरों को हुई आय करदाता की कुल आय में जोड़े जाने वाले उदाहरणों को लिखिये । (*Kurukshetra B. Com.*)

   Give the examples relating to income of other persons included in the total income of the assessee.

12

हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाना

(Set off and Carry Forward of Losess)

पिछले अध्यायों में हमने विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत आय की गणना पर प्रकाश डाला है। इन सभी शीर्षकों से प्राप्त आय का समूहीकरण करने पर हमें कुल सकल आय ज्ञात होती है। समूहीकरण करते समय यदि किसी स्रोत से अथवा आय के किसी शीर्षक से लाभ के स्थान पर हानि है तो आयकर अधिनियम की धारा 70 से 80 तक की व्यवस्थाओं के अनुसार ऐसी हानियों की पूर्ति की जाती है।

आय का समूहीकरण (Aggregation of Income) [66]

सभी शीर्षकों के अन्तर्गत निकाली गई आय को जोड़ने की विधि को समूहीकरण कहते हैं। इस सम्बन्ध में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हम कुछ ऐसी आय भी जोड़ते हैं जो कर से मुक्त हैं तथा कुछ ऐसी रकमें भी जोड़ी जा सकती हैं जो यद्यपि करदाता की आय नहीं हैं किन्तु जिन्हें अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा माना जाता है।

A. करमुक्त आय (Exempted income)—निम्नलिखित आय ऐसी हैं जो यद्यपि कर से मुक्त है किन्तु जिन्हें करदाता की कुल आय में शामिल किया जाता है। जिन्हें केवल दर के लिए कुल आय में जोड़ते हैं।

अ. अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभों में करदाता का हिस्सा, जबकि फर्म अपनी आय पर कर दे चुकी है।

ब. करदाता जब व्यक्तियों के ऐसे समुदाय का सदस्य है जिसने अपनी आय पर आयकर का भुगतान कर दिया है तो इस समुदाय के लाभ में से करदाता को मिला अपना हिस्सा।

स. करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज कुल आय में शामिल करते है तथा इस पर आयकर की औसत दर अथवा $27\frac{1}{2}\%$ (जो भी कम हो) की दर से आयकर की छूट दी जाती है।

B. अन्य आय (Other income)—नीचे कुछ ऐसी रकमें दी जा रही हैं जो यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से करदाता की आय नहीं हैं। किन्तु जिन्हें आयकर अधिनियम के अन्तर्गत करदाता की आय में शामिल करते हैं।

अ. साझेदार का फर्म में हिस्सा (Partner's share) [67] : साझेदार को फर्म में जो भी आय जिस किसी रूप में प्राप्त होती है, उसका फर्म के लाभों में हिस्सा माना जाता है। उदाहरण के लिए पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभों में हिस्सा आदि।

ब) नकद साख (Cash credit) [68]—यह वह राशि है जो करदाता के खातों में विभिन्न नामों से जमा पाई जाती है। इनके सम्बन्ध में करदाता द्वारा यदि कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका है तो ऐसी परिस्थिति में आयकर अधिकारी द्वारा इसे करदाता की गतवर्ष की आय मान लिया जाता है।

स) अस्पष्ट विनियोग (Unexplained investment) [69]—आयकर अधिकारी को कभी ऐसे विनियोग दिखाई देते है जो कि करदाता के स्वामित्व में हैं किन्तु जिन्हें खरीदने के लिए दिया गया धन करदाता द्वारा हिसाब किताब की पुस्तकों में नहीं दिखाया गया है तथा करदाता इनको खरीदने के लिए लगाये गये धन के बारे में कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है तो यह करदाता की उस गतवर्ष की आय समझी जाती है जब आयकर अधिकारी की दृष्टि में ऐसे विनियोग आते हैं।

द) अस्पष्ट धन (Unexplained money) [69A]—ऐसा धन, आभूषण, सोना, चाँदी एवं अन्य मूल्यवान वस्तुएँ जिनका करदाता स्वामी है किन्तु जिनके सम्बन्ध में न तो उसकी बहियों में कहीं उल्लेख है और न उसके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर ही दिया गया है, करदाता की आय मानी जाती है।

य) विनियोग जो पूरी तरह से नहीं दिखाये गये हैं (Investment which is not Fully shown) [69B]—उदाहरण के लिए आयकर अधिकारी द्वारा यह पता लगाया जाता है कि करदाता द्वारा 2 लाख रुपये के विनियोग किये गये हैं किन्तु उनकी पुस्तकों में इस मद में केवल 50,000 रु० का लेखा पाया जाता है अतः 1,50,000 की रकम ऐसी है जो आयकर अधिकारी द्वारा करदाता की आय मानी जावेगी।

र) अस्पष्ट व्यय (Unexplained expenditure) [69C]—किसी वित्तवर्ष में जब करदाता द्वारा ऐसे व्यय किये जाते हैं जिनके सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे पाता और न जिसके बारे में उसके बही खातों में कोई उचित व पर्याप्त उल्लेख ही मिलता है तो ऐसी धन राशि को आयकर अधिकारी द्वारा करदाता की गतवर्ष की आय मान लिया जाता है। उदाहरणार्थ एक करदाता ने गतवर्ष में अपनी पुत्री के विवाह में 1,50,000 रु० व्यय किये जिसका पर्याप्त प्रमाण आयकर अधिकारी के पास है। करदाता से पूछताछ करने पर उसने केवल 30,000 रु० की धनराशि स्वीकृत की है जिसका उल्लेख उसकी रोकड़ी बही में है। ऐसी दशा में आयकर अधिकारी द्वारा 1,20,000 रु० की राशि करदाता की गतवर्ष की आय मानी जावेगी।

ल) हुण्डी पर रुपया उधार लेना व भुगतान करना (Amount borrowed repaid on Hundi) [69D]—प्रत्येक व्यक्ति को हुण्डी पर रुपया उधार लेते समय अथवा उधार लिये रुपये का भुगतान करते समय केवल आदाता को देय (Account Payee) रेखांकित चैकों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा न करने पर उधार ली अथवा उधार दी गई रकम का भुगतान करने वाली राशि करदाता की गतवर्ष की आय मानी जावेगी।

हानियों की पूर्ति तथा आगे ले जाना
(Set off and carry forward of losses)

आयकर एक ऐसा कर है जो कुल आय पर लगता है न कि विभिन्न प्राप्त रकमों पर अतः कुल आय जानने के लिए सभी शीर्षकों की आय को एक साथ जोड़ देते हैं ऐसा करते समय यदि किसी शीर्षक के अन्तर्गत आय के स्थान पर हानि होती है तो इसकी

पूर्ति निर्धारित नियमानुसार अन्य शीर्षकों की आय से की जाती है यदि किसी शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली हानि इतनी अधिक है कि अन्य शीर्षकों के लाभों से पूरी नहीं हो सकती तो हानि का वह भाग जो पूरा नहीं हुआ अगले वर्षों में आगे ले जाते हैं तथा वहाँ के लाभों से इनकी पूर्ति की जाती है। हानियों की पूर्ति तथा आगे ले जाने से सम्बन्धित कुछ नियम आयकर अधिनियम में दिए हुये हैं जो निम्नलिखित हैं :—

हानियों की पूर्ति (Set-off of Losses)

हानियों की पूर्ति से अभिप्राय: उसी कर निर्धारण वर्ष में एक शीर्षक की हानि की पूर्ति उसी शीर्षक के अन्य स्रोतों से या एक शीर्षक की हानि की पूर्ति अन्य शीर्षकों से करने से है।

आयकर अधिनियम में आय को 6 शीर्षकों वेतन, प्रतिभूतियों पर ब्याज, मकान सम्पत्ति से आय, व्यापार एवं पेशे से लाभ, पूंजी लाभ तथा अन्य साधनों से आय, में विभाजित किया गया है। आय के इन विभिन्न शीर्षकों के कई स्रोत हो सकते हैं, जैसे व्यापार एवं पेशे के लाभ शीर्षक में चीनी का व्यापार एक स्रोत, लोहे का व्यापार दूसरा स्रोत तथा इसी प्रकार अन्य कई स्रोत हो सकते हैं। पूंजी लाभ शीर्षक में अल्पकालीन पूंजी लाभ तथा दीर्घकालीन पूंजी लाभ इत्यादि कई स्रोत हो सकते हैं।

1. **एक शीर्षक के स्रोत की हानि को केवल उसी स्रोत से पूरा करना :—**

a) **दीर्घकालीन पूंजी हानि**—एक करदाता द्वारा पूंजी लाभ शीर्षक में दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभों से ही की जा सकती है अन्य आयों से नहीं।

b) **सट्टे के व्यापार की हानि**—एक करदाता द्वारा व्यापार अथवा पेशे शीर्षक के अन्तर्गत सट्टे के व्यापार की हानि को केवल सट्टे व्यापार के लाभ से ही पूरा किया जा सकता है अन्य व्यापार के लाभों से नहीं। [धारा 73 (1)]

c) **अन्य साधनों से आय शीर्षक में हानि**—इस शीर्षक में निम्न स्रोतों में हुई हानि की पूर्ति उसी स्रोत से होने वाले लाभ से उसी कर निर्धारण वर्ष में की जा सकती है :—

अ. लॉटरी की हानि की पूर्ति केवल लॉटरी के लाभ से

ब. वर्ग पहेली की हानि की पूर्ति केवल वर्ग पहेली के लाभ से

स. घुड़दौड़ एवं अन्य दौड़ों की हानि की पूर्ति केवल घुड़दौड़ एवं अन्य दौड़ों के लाभ से

द. ताश के खेल की हानि की पूर्ति केवल ताश के खेल की आय से

य. ताश के अलावा अन्य किसी प्रकार के खेल की हानि की पूर्ति केवल ताश के अलावा अन्य किसी खेल के लाभ से

र. अन्य किसी प्रकार का जुआ अथवा शर्त जो उपर्युक्त वाक्यांशों में नहीं आते की हानि की पूर्ति जुआ एवं शर्त के लाभ से ही की जा सकती है। [धारा 74ए]

2. **एक स्रोत की हानि को उसी शीर्षक के किसी अन्य स्रोत की आय से पूरा करना (धारा 70)**

उपर्युक्त (1) में दी गई कुछ परिस्थितियों को छोड़ते हुये करदाता किसी शीर्षक के एक स्रोत की हानि को उसी शीर्षक के अन्य किसी स्रोत की आय से पूरा कर सकता है।

जैसे श्री राधेश्याम तेल एवं अनाज का व्यापार करते हैं। तेल के व्यापार में गतवर्ष में उन्हें 2,00,000 रुपये का लाभ होता है तथा अनाज के व्यापार में 1,60,000 की हानि होती है तो ऐसी परिस्थिति में व्यापार एवं पेशे शीर्षक के अन्तर्गत अनाज के व्यापार की हानि को तेल के व्यापार के लाभ से पूरा किया जा सकता है और इस प्रकार व्यापार एवं पेशे शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य आय 40,000 रुपये होगी।

3. एक शीर्षक की हानि को दूसरे शीर्षक की आय से पूरा करना (धारा 71) : उपर्युक्त (1) में दी गई परिस्थितियों को छोड़ते हुए यदि करदाता की गतवर्ष में आय के किसी एक शीर्षक में हानि हो एवं अन्य शीर्षकों में लाभ हो तो एक शीर्षक की हानि को अन्य शीर्षकों की आय से पूरा किया जा सकता है :

यहाँ करदाता को यह विकल्प है कि अल्पकालीन पूँजी हानि के अलावा अन्य किसी शीर्षक की हानि की पूर्ति दीर्घकालीन पूँजी लाभों से करे अथवा न करे। साधारणतया यह करदाता के हित में होता है कि वह दीर्घकालीन पूँजी लाभों से अन्य शीर्षकों की हानियों की पूर्ति न करें क्योंकि दीर्घकालीन पूँजी लाभों के सम्बन्ध में धारा 80T के अन्तर्गत सकल कुल आय में से कटौती प्राप्त होती है जिसका वर्णन आगे किया गया है।

उदाहरण (Illustration) 1 : भारत में निवासी श्री दिनेश द्वारा अपनी कुल सकल आय की गणना के लिए निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं जिनसे आपको कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये उनकी कुल आय की गणना करनी है :—

The following particulars are supplied to you by Mr. Dinesh having the status of a resident in India and you are requested to compute his total income for the assessment year 1986-87 keeping in view the various Provisions relating to set-off of losses.

प्रतिभूतियों से ब्याज (Interest on securities)	15,000
मकान सम्पत्ति 'अ' से आय (Income from house property A)	4,000
मकान सम्पत्ति 'ब' से हानि (Loss from house property B)	—5,000
रिहायशी मकान से आय (Income from residential house)	500
कपड़े के व्यापार से हानि (Loss from cloth business)	—20,000
सट्टा व्यापार से लाभ (Profit from speculation business)	45,000
लघुकालीन पूँजी सम्पत्ति से हानि (Loss from short term capital assets)	5,000
दीर्घकालीन पूँजीलाभ (Long term capital gains)	4,000
भवन के हस्तांतरण से हुई दीर्घकालीन पूँजी हानि (Long term capital loss arising from transfer of a building)	—10,000

हल (Solution) Statement of Gross Total income of Mr. Dinesh for the A. Y. 1986-87

	Rs.	Rs.
Interest on securities		15,000
Income from house property :		
i. 'A'	4,000	
ii. Residential house	500	
	4,500	
iii. Loss from house property 'B'	—5,000	—500

Profit from business :		
i. Profit from speculation	45,000	
ii. Loss from cloth business	—20,000	25,000
Loss from short-term Capital assets		—5,000
Long-term Capital gains	4,000	
Loss from the transfer of a long-term capital asset	—10,000	
	—6,000	
Gross Total Income		34,500

टिप्पणी : 1. दीर्घकालीन पूँजी हानि की पूर्ति केवल दीर्घकालीन पूँजी लाभों से ही की जा सकती है। इस प्रकार 10,000 रु० की हानि में से केवल इस गतवर्ष में 4,000 रु० की पूर्ति संभव है।

सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति अन्य व्यापार के लाभों से नहीं की जा सकती है किन्तु अन्य व्यापार की हानियों को सट्टे के व्यापार के लाभों से पूरा किया जा सकता है।

उदाहरण : (Illustration) 2 : श्रीमती हेमा द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए अपनी कुल आय का निम्नलिखित विवरण दिया जाता है :

1. अरिस्टोक्रैसी प्रा० लि० से वेतन	20,000
2 टिस्को के अंशों से लाभांश (सकल)	1,500
3. प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल)	7,500
4. स्टेट बैंक में स्थायी जमा राशि पर ब्याज	3,200
5. एजेन्सी व्यापार से लाभ	10,000
6. अंशों के सट्टे व्यापार से हानि	20,000
7. चाँदी के सट्टे व्यापार से लाभ	9,000
8. लघु कालीन पूँजी सम्पत्ति से हानि	5,000
9. दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति से लाभ	80,000
10. तेल के व्यापार से हानि	1,20,000
11. केरल राज्य की लाटरी से इनाम	40,000
12. क्लब में ब्रिज खेलने से लाभ	5,500
13. आफिस में रमी खेलने से लाभ	1,000
14. फ्लैश (ताश का एक खेल) खेलने से हानि	7,000
15. महाराष्ट्र राज्य की लाटरी टिकट खरीदे।	10,000
16. रेसकार्स में हानि	20,000
17. घुड़दौड़ के घोड़ों को रखने पर व्यय	40,000
18. घोड़ों के लिए शर्त व इनाम मिला	90,000

आप इनकी कुल सकल आय की गणना कीजिए।

Ms. Hema submits the following particulars of her income for the assessment year 1986-87.

	Rs.
1. Salary from Aristocracy Private Ltd.	20,000
2. Dividends on Tisco shares (gross)	1,500
3. Interest on securities (gross)	7,500
4. Interest on fixed deposit in State Bank of India	3,200

5.	Profit from agency business	10,000
6.	Loss from speculation in shares	20,000
7.	Profit from speculation in silver	9,000
8.	Loss from short-term capital assets	5,000
9.	Profits on Long-term Capital Assets	80,000
10.	Loss from oil business	1,20,000
11.	prize from Kerala State Lottery	40,000
12.	Gains from playing Bridge in the club	5,500
13.	Gains from playing Rummy in the office	1,000
14.	Loss in flash (card game) with friends	7,000
15.	Maharashtra State lottery tickets bought	10,000
16.	Loss in race course on betting	20,000
17.	Expenditure in maintaining race horse	40,000
18.	Stake money received in respect of the horse	90,000

You are required to compute her gross total income for the relevant assessment Year.

हल (Solution) : **Statement of gross total income of Ms. Hema for the Assessment year 1986-87**

	Rs.	Rs.	
Salaries : Salary received	20,000		
Less : Standard deduction	5,000	15,000	
Oil business loss set-off		15,000	NIL
Interest on Securities			
Interest received (Gross)		7,500	
Less : Oil business loss set off		7,500	NIL
Profit & Gains from business			
Loss from Oil business	1,20,000		
Less : Set-off against Agency business	10,000	1,10,000	
Less : Set-off against salaries, interest on securities and other sourcers of incomes	——	87,200	
Business Loss not Set-off		22,800	
Loss from speculation in shares		20,000	
Less : Profit of silver speculation		9,000	NIL
Speculation Loss not Set-off		11,000	
Capital Gains			
Long term Capital gains		80,000	75,000
Less : Short term capital losses Set-off		5,000	
Income from other Sources :			
Dividends from TISCO		1,500	
Interest on fixed deposit		3,200	
Lottery Prize	40,000		
Less : Tickets bought	10,000	30,000	
Gains from Card game			
—Bridge	5,500		
—Rummy	1,000		
	6,500		
Less : Loss in flash (Card game)	7,000		
Loss in Card game not Set-off	—500		

Horse race etc			
Stake money received	90,000		
Less : maintenance of horse	—40,000		
Less : Loss in horse race	—20,000	30,000	
		64,700	
Less ; Oil business Loss Set-off		64,700	NIL
Gross Total Income			75,000

टिप्पणी :—1. सट्टे की हानि की पूर्ति केवल सट्टे की आय से ही की गई है।

2. अल्पकालीन पूँजी हानि की पूर्ति दीर्घकालीन पूँजी लाभों से करनी होती है किन्तु अन्य हानियों की पूर्ति के संबंध में करदाता को यह विकल्प है कि वह चाहे तो इनकी पूर्ति दीर्घकालीन पूँजी लाभों से करे अथवा न करे। यह करदाता के हित में है कि यह व्यापार एवं पेशे की हानि की पूर्ति दीर्घकालीन पूँजी लाभों से न करे, अतः ऐसी हानि को आगे पूर्ति हेतु ले जाया जायेगा।

हानियों को आगे ले जाना तथा पूरा करना
(Carry forward and set-off of losses)

किसी गतवर्ष में यदि इतनी अधिक हानि आती है जो कि नियमानुसार उपलब्ध उस गतवर्ष के लाभों से उसी गतवर्ष में पूरी नहीं की जा सकती तो ऐसी हानि को पूरा करने के लिये अगले वर्ष में ले जाते हैं इसके सम्बन्ध में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सभी शीर्षकों की हानि को आगे नहीं ले जाते हैं तथा हानि को आगे ले जाकर पूर्ति करने के लिये कुछ शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है। केवल निम्नलिखित हानियाँ ही आगे ले जायी जा सकती हैं :

1. व्यापार अथवा पेशे से हानि;
2. सट्टा व्यापार से हानि;
3. लघुकालीन पूँजी सम्पत्ति से हानि।
4. दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति से हानि;
5. घुड़दौड़ हेतु घोड़ों को रखने पर हानि।

1. व्यापार की हानियाँ (Business Losses) [72]—किसी कर-निर्धारण वर्ष में व्यापार अथवा पेशे से लाभ शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना करते समय जब हानि आती है (सट्टे के व्यापार के अलावा) जो पूर्णरूप से उस कर-निर्धारण वर्ष की विभिन्न शीर्षकों की आय से पूरी नहीं की जा सकती तो इसे अगले कर-निर्धारण वर्ष में ले जाते हैं तथा—

अ. इसकी पूर्ति उस वर्ष में व्यापार अथवा पेशे के अन्तर्गत आने वाले लाभों से करते हैं परन्तु शर्त यह है कि करदाता द्वारा वह व्यापार चालू रखा जाना चाहिए जिसकी हानि को अगले कर-निर्धारण वर्ष में पूरा करना चाहते हैं।

ब. यदि अगले कर-निर्धारण वर्ष में भी हानि पूरी नहीं हो पाती तो उसे और आगे के वर्षों में पूर्ति हेतु ले जाते हैं। यह हानि सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष से आगे के आठ वर्षों तक ही आगे ले जायी जा सकती है।

स. यदि किसी वर्ष पीछे से लायी गई व्यापारिक हानि के साथ अशोधित ह्रास की भी कोई रकम लाई गई है तो पहले व्यापारिक हानि पूरी की जायेगी, तत्पश्चात् अशोधित ह्रास को पूरा किया जायेगा।

2. सट्टा व्यापार से हानि (Speculation losses) [धारा 73]—सट्टे व्यापार से होने वाली हानि की पूर्ति करदाता द्वारा सट्टे व्यापार के लाभों से ही की जा सकती है परन्तु यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष में सट्टे के अन्तर्गत लाभ नहीं है अथवा अपर्याप्त है, तो हानि की वह रकम जो पूरी नहीं की जा सकी है संबंधित कर-निर्धारण वर्ष से आगे के आठ कर-निर्धारण वर्षों में सट्टे से होने वाले लाभों से पूरी करने के लिए ले जायी जाती है। सट्टे के व्यापार के संबंध में यह आवश्यक नहीं है कि वही व्यापार चालू रहे जिसमें हानि हुई है अर्थात वह सट्टे का व्यापार यदि बन्द भी होता है तो भी उसकी हानि की पूर्ति अन्य सट्टे के व्यापार के लाभों से हो सकती है।

3. लघु कालीन पूंजी हानि (Short term capital loss) [धारा 74]—लघुकालीन पूंजी सम्पत्तियों से हुई हानि को आगे ले जाकर लघुकालीन पूंजी सम्पत्तियों के लाभों से ही पूरा किया जा सकता है किसी अन्य लाभ से नहीं। आगे ले जाने की सीमा सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के आगे के आठ वर्ष हैं।

4. दीर्घकालीन पूंजी हानि (Long term capital Loss)—दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्तियों से हुई हानि को आगे ले जाकर केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभों से ही पूरा किया जा सकता है। यह हानि सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के आगे के केवल चार कर-निर्धारण वर्षों तक पूर्ति हेतु आगे लायी जा सकती है।

टिप्पणी—दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्तियों से होने वाली हानि यदि 5,000 रु० से अधिक नहीं है तो गैर-कम्पनी करदाता इस हानि की पूर्ति के लिये इसे अगले कर-निर्धारण वर्षों में नहीं ले जा सकता।

5. घुड़दौड़ के घोड़ों पर हानि (Loss on race horses) - करदाता यदि घुड़दौड़ के घोड़ों को रखने व उनके दौड़ाने का कार्य करता है तो इन पर किये गये खर्चों के घुड़दौड़ों से हुई कुल आय से अधिक होने पर ऐसा आधिक्य हानि कहलायेगा व इसे पूरा करने के लिए सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के आगे के चार कर-निर्धारण वर्षों तक पूर्ति हेतु आगे ले जायी जा सकती है। आगे के वर्षों में ऐसी हानि को घुड़दौड़ के लाभों से ही पूरा किया जा सकेगा। किन्तु यदि करदाता ऐसा व्यक्ति है जो यद्यपि घोड़ों को नहीं रखता है किन्तु उसे घुड़दौड़ में हानि होती है, तो इसे आगे नहीं ले जाया जा सकता।

कुछ विशेष दशाओं में हानि को आगे ले जाना:
(Carry forward of losses in special cases)

1. पुर्नस्थापित व्यापार की स्थिति में हानि को आगे ले जाना तथा पूरा करना (Carry forward and set-off of losses in case of rehadilitated business) इससे लाभान्वित होने वाले वे औद्योगिक संस्थान हैं, जो धारा 33B में वर्णित किन्हीं दुर्घटनाओं जैसे आग, बाढ़, भूकम्प, युद्ध, दंगा आदि के शिकार हो गये थे तथा जिनकी व्यापार व उद्योग की सम्पत्तियों को भारी क्षति पहुंचने के कारण इनके मालिकों द्वारा इन्हें उस समय बन्द कर दिया गया था चूंकि गतवर्ष में व्यापार बन्द कर दिया गया था, अतः उस वर्ष में हुई हानि को आगे ले जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यदि ऐसे संस्थान व्यापार के बंद होने के तीन वर्षों की अवधि में ही व्यापार को पुनः स्थापित कर दिए जाते हैं तो पुर्नस्थापित होने वाले गतवर्ष से सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष में दुर्घटना वाले वर्ष की हानि की पूर्ति पुनः स्थापित होने वाले वर्ष के व्यापार अथवा पेशे से होने वाले लाभों से कर दी जायेगी। यदि व्यापार के लाभों की अपर्याप्तता के

कारण हानि की सम्पूर्ण रकम पूरी नहीं हो पाती है तो अगले सात कर-निर्धारण वर्षों तक ऐसी हानि आगे ले जायी जा सकती है तथा उन कर-निर्धारण वर्षों के लाभों में से पूरी की जा सकती है । शर्त यही है कि पुर्नस्थापित व्यापार करदाता द्वारा इस अवधि में चालू रहना चाहिए ।

टिप्पणी—कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से धारा 33B के अन्तर्गत दी जाने वाली पुनर्वास छूट बन्द कर दी गई है । इस कर-निर्धारण वर्ष से पूर्व के वर्षों की ऐसी कोई हानि पूर्ति के लिए लायी जाती है तो उसकी पूर्ति उपरोक्त शर्तों के अनुसार की जा सकेगी ।

2. रजिस्टर्ड फर्म की हानि (Losses of a registered firm)[75]—किसी कर-निर्धारण वर्ष में यदि रजिस्टर्ड फर्म अथवा ऐसी अनरजिस्टर्ड फर्म को जिसका कर-निर्धारण धारा 183B के अनुसार रजिस्टर्ड फर्म की भाँति हुआ है को इतनी हानि होती है उसे विभिन्न शीर्षकों की आय से पूरा न किया जा सके तो हानि की वह रकम जो फर्म के लाभों से पूरी नहीं की जा सकती फर्म के साझेदारों में उनके लाभ-हानि के अनुपात में बाँट दी जाती है तथा इस हानि को आगे ले जाने व पूरा करने का अधिकार केवल साझेदारों को ही होता है । रजिस्टर्ड फर्म की हानि में अपने हिस्से को साझेदार इस प्रकार पूरा करेंगे, माना कि उन्हें अपने व्यापार से हानि हुई हो । एक रजिस्टर्ड फर्म स्वयं अपनी हानियों को पूर्ति हेतु आगे नहीं ले जा सकती है ।

3. अनरजिस्टर्ड फर्म की हानियाँ (Losses of an unregistered firm) [77]—अनरजिस्टर्ड फर्म की हानि को यदि ऐसी कोई रकम है जिसको उसी गतवर्ष में पूरा नहीं किया जा सका है तो ऐसी हानि केवल अनरजिस्टर्ड फर्म द्वारा ही पूर्ति के लिए सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के आगे के आठ कर-निर्धारण वर्षों में ले जायी जा सकती है । साझेदारों को इसे आगे ले जाने का तथा अगले कर-निर्धारण वर्षों में अपने लाभों से ऐसी हानि की पूर्ति करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । ऐसी अनरजिस्टर्ड फर्म, जिसको धारा 183(B) के अन्तर्गत (इसका वर्णन 'फर्म कर-निर्धारण' वाले अध्याय में किया गया है) रजिस्टर्ड माना लिया है, सम्बन्ध में वे नियम लागू होंगे जो रजिस्टर्ड फर्म की स्थिति में लागू होते हैं ।

4. फर्म के संगठन में परिवर्तन होने पर (Change in the constitution of the firm) [78]—किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अथवा किसी साझेदार की मृत्यु पर फर्म के संगठन में परिवर्तन होता है । ऐसी दशा में बाहर जाने वाले साझेदार की हानि के भाग को न तो फर्म आगे ले जा सकती है और न कोई अन्य साझेदार ही इस हानि की पूर्ति अपने लाभों से करने का अधिकारी है फर्म के स्वामित्व में परिवर्तन होने पर भी हानि को आगे ले जाकर पूरा नहीं किया जा सकता ।

5. साझेदार के उत्तराधिकारी की दशा में (In the case of succession of the partner) [78] - कभी-कभी ऐसा होता है कि फर्म में कोई साझेदार कार्य करने में अक्षम होने के कारण अवकाश ग्रहण कर ले व अपने स्थान पर अपने उत्तराधिकारी को फर्म में साझेदार बना दे तो ऐसी दशा में आयकर ग्रहण करने वाले साझेदार की हानि की पूर्ति उसका उत्तराधिकारी भावी लाभों से कर सकता है ।

6. समाप्त हुए व्यापार की हानि (Loss of a discontinued business) :—व्यापार बन्द होने के पश्चात् यदि किसी पूँजी सम्पत्ति को बेचकर करयोग्य लाभ (bala-

ncing charge) अथवा डूबत ऋणों की वसूली होती है तो ऐसी राशि से व्यापार बन्द होने वाले वर्ष की अथवा उससे पहले की हानि नियमानुसार पूरी की जा सकती है।

7. **अशोधित ह्रास (unabsorbed depreciation)** : व्यापार में हानि की दशा में स्वीकृत ह्रास का समायोजन नहीं हो सकता। अतः ऐसा ह्रास जो व्यापार में लाभों के न होने की वजह से अथवा अपर्याप्त लाभों के कारण पूरा स्वीकृत नहीं हो सका हो, अशोधित ह्रास कहलाता हैं। यह अशोधित ह्रास अगले वर्षों में पूरा करने के लिये ले जाया जाता है। इसे अगले वर्ष में उसी वर्ष के सामान्य ह्रास की तरह मानते हैं व इसीलिये उसकी पूर्ति किसी भी शीर्षक की आय से की जा सकती है। अशोधित ह्रास को आगे ले जाकर पूर्ति करने के लिये कोई समय सीमा नहीं है।

उदाहरण के लिये किसी गतवर्ष में व्यापार से 12,000 रु० की हानि होती है, प्रतिभूतियों पर ब्याज 2,000 रु० तथा स्वीकृत ह्रास 4,000 रुपये हैं। व्यापार की हानि को 2,000 रुपये तक प्रतिभूतियों पर ब्याज से पूरा कर लेंगे व 10,000 रु० की व्यापारिक हानि तथा अशोधित ह्रास के 4,000 रु० अगले वर्ष ले जायेंगे। मानाकि अगले गतवर्ष में व्यापारिक लाभ 10,000 रु०, प्रतिभूतियों पर ब्याज 8,900 रु० तथा स्वीकृत ह्रास 2,000 है। इस कर निर्धारण वर्ष में सर्वप्रथम चालू वर्ष का ह्रास 2,000 रु० पूरा करने के बाद बची शेष राशि 8,000 रु० से पिछली व्यापारिक हानि पूरी की जायेगी तथा पिछले वर्ष का 4,000 रु० का अशोधित ह्रास प्रतिभूतियों के ब्याज से पूरा कर दिया जायेगा। अब इस वर्ष प्रतिभूतियों पर ब्याज के 4,900 रु० शेष रह गये जो इस वर्ष की कुल आय होगी। 2,000 रु० की पिछली हानि जिसकी पूर्ति इस वर्ष में नहीं हो सकी है आगे ले जायेंगे।

8. **अशोधित विकास छूट अथवा विनियोग भत्ता (Unabsorbed Development Rebate or Investment Allowance)** : अपर्याप्त लाभों के कारण यदि विकास छूट अथवा विनियोग भत्ते की कटौती नहीं मिल पाती तो ऐसी अशोधित रकम को अगे 8 वर्षों तक ले जाया जाता है एवं इसकी पूर्ति किसी भी शीर्षक की आय से की जा सकती है।

9. **व्यापार के स्वामित्व परिवर्तन (Change in the ownership of the business)** :—ऐसी दशा में जब किसी व्यापार के स्वामित्व में परिवर्तन होता है, हानियों की पूर्ति एक महत्वपूर्ण व जटिल मुद्दा बन जाता है। साधारण नियमानुसार करदाता को अपनी हानि की पूर्ति का अधिकार प्राप्त है किन्तु किसी अन्य को हुई हानि की पूर्ति करदाता अपने लाभों से नहीं कर सकेगा।

कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं जबकि करदाता के व्यापार का स्वरूप बदल जाता है तो वह निम्न परिस्थितियों में अपनी हानि की पूर्ति कर सकता है—

अ. **उत्तराधिकार की दशा में** : किसी व्यक्ति को यदि कोई व्यापार उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होता है तो उसे पुरानी हानियों की पूर्ति का अधिकार प्राप्त होता है। उदाहरण के लिये पिता के अवकाश ग्रहण करने अथवा मृत्यु पर उसके पुत्र को मिला व्यापार। पुत्र को पिता की हानि की पूर्ति का अधिकार प्राप्त है।

ब. **स्वरूप परिवर्तन** : कोई एकल व्यापारी (Sole trader) यदि अपने व्यापार को साझेदारी फर्म में परिवर्तित कर लेता है तो वह पुरानी हानियों को साझेदारी फर्म के अपने हिस्से के लाभों से पूर्ति कर सकता है। मान्यता यह है कि न तो व्यापार ही

बन्द हुआ माना जाता है और न आयकर अधिनियम के अन्तर्गत इसे स्वामित्व परिवर्तन की ही संज्ञा देते हैं,

इसके विपरीत परिस्थिति में यदि किसी साझेदारी फर्म के सभी साझेदार फर्म छोड़ दें केवल एक साझेदार इस व्यापार को आगे एकल व्यापारी के रूप में चलाता है तो भी इस व्यापारी को अपने हिस्से की पुरानी हानि को अब एकल व्यापार के लाभों से पूरा करने का अधिकार है ।

10. **अशोधित अन्तिम ह्रास (Unabsorbed terminal dcpreciation) :**—अशोधित अन्तिम ह्रास को व्यापारिक हानि की तरह ही अगले 8 वर्षों तक पूरा करने के लिये ले जाया जाता है इसकी पूर्ति भी व्यापारिक लाभों से हो सकती है ।

टिप्पणी—अशोधित ह्रास, विकास छूट, विकास भत्ता व विनियोग भत्ता को अगले वर्ष में किसी भी आय से पूरा किया जाता है । इन सब की स्थिति एक जैसी ही है ।

11. **अशोधित न वसूल हुआ किराया (Unabsorbed Unrealised Rent)**—मकान सम्पत्ति शीर्षक के अन्तर्गत-स्वीकृत 'न वसूल हुआ किराया' जो संबधित गतवर्ष की मकान सम्पत्ति शीर्षक की आय के कम होने के कारण पूरा नहीं घटाया जा सकता है तो जितनी राशि नहीं घटायी जा सकी है उसको आगामी वर्षों में मकान सम्पत्ति की आय में से घटाया जा सकेगा । ऐसी राशि की पूर्ति के लिए कोई समय सीमा नहीं है ।[1]

12. **अशोधित वैज्ञानिक शोध के पूँजीगत व्यय एवं अशोधित परिवार नियोजन के व्यय :** गतवर्ष के लिए स्वीकृत वैज्ञानिक अनुसंधान पर किये गये व्यय (सभी करदाताओं के लिये) तथा परिवार नियोजन पर किये गये व्यय (कम्पनी करदाता की स्थिति में) की पूर्ति यदि उसी कर-निर्धारण वर्ष में लाभों की कमी के कारण पूर्ण नहीं करी जा सके तो उसकी पूर्ति अन्य किसी भी शीर्षक की कर-योग्य आय से की जा सकती है । यदि इसके पश्चात् भी पूर्ति न की जा सके तो अशोधित वैज्ञानिक शोध के पूँजीगत व्यय एवं अशोधित परिवार नियोजन के व्ययों को आगे के वर्षों में पूर्ति के लिये ले जाया जा सकता है । इनको आगे ले जाने के लिये कोई समय सीमा नहीं है ।

उक्त व्ययों को उस समय तक आगे ले जाया जा सकता है, जब तक इनकी पूर्ति न हो जाये ।

13. **एकीकरण की कुछ दशाओं में संचित हानि तथा अशोधित ह्रास—Accumulated losses and Unabsorbed depreciation in case of Amalagmation)** यदि किसी औद्योगिक उपक्रम या समुद्री जहाज की किसी कम्पनी का किसी अन्य कम्पनी से एकीकरण होता हो तो एकीकरण की जाने वाली कम्पनी (Amalgamating Company) की संचित हानि तथा अशोधित ह्रास को एकीकरण करने वाली कम्पनी Amalgamated Company) की उस गतवर्ष की हानि तथा ह्रास मानी जायेगी जिस गत वर्ष में एकीकरण हुआ है । इस प्रकार एकीकरण करने वाली कम्पनी को एकीकरण की जाने वाली कम्पनी की हानियों तथा ह्रास को आगे ले जाकर पूर्ति करने का अधिकार उसी प्रकार होगा जैसे कि मानो ये हानियां तथा ह्रास एकीकरण करने वाली कम्पनी के खुद के हों ।

1. C.I.T. v. Madho Prasad Jatia (1976) 105 ITR 179 (SC)

उपर्युक्त सुविधा केवल तब दी जायेगी जबकि निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो कि निम्न शर्तें पूरी हो गयी हैं :

a) एकीकरण होने वाली कम्पनी एकीकरण होने से तुरन्त पूर्व अपने दायित्वों, हानियों अथवा अन्य कारणों से आर्थिक दृष्टि से इतना कमजोर नहीं हो गई थी कि उसका बना रहना ही कठिन हो गया था।

b) एकीकरण जनहित में किया गया था। तथा

c) इस धारा के लाभ को केवल ऐसे एकीकरण तक ही सीमित करने के लिये जो कि एकीकृत होने वाली कम्पनी के व्यवसाय को पुर्नजीवित या पुनः स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये हो, केन्द्रीय सरकार जो भी शर्तें उचित समझे केन्द्रीय गजट में घोषित कर सकती है।

ऐसी संचित हानि तथा अशोधित ह्रास को आगे ले जाकर पूर्ति करने का अधिकार केवल तब होगा जबकि एकीकरण करने वाली कम्पनी निम्न शर्तों को पूरा कर दे :

अ. एकीकरण करने वाली कम्पनी ने एकीकृत होने वाली कम्पनी के व्यवसाय को बिना किसी संशोधन या पुर्नगठन के जारी रखा है अथवा यदि कोई संशोधन किया है तो उसका अनुमोदन केन्द्रीय सरकार द्वारा ले लिया गया है।

ब. एकीकरण करने वाली कम्पनी आय के नक्शे के साथ निर्धारित सत्ता से प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देती है कि उसने एकीकृत होने वाली कम्पनी के व्यवसाय को पुर्नजीवित करने के लिये उचित कदम उठाया है।

14. कुछ विशिष्ट कम्पनियों द्वारा हानियों की पूर्ति के संबंध में प्रतिबंध (Restrictions regarding Set off of losses in case of certain Companies) [धारा 79] : एक ऐसी कम्पनी जिसमें जनता का सारवान हित नहीं है के अंशधारियों में यदि परिवर्तन हो जाता है तो वह कम्पनी अपनी गतवर्ष के पूर्व की हानियों को न तो पूरा कर सकती और न ही उनको आगे ले जा सकती है किन्तु निम्न परिस्थितियों में यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा—

अ. गतवर्ष के अन्तिम दिन कम्पनी का कम से कम 51 प्रतिशत मताधिकार उन्हीं व्यक्तियों के पास हो जिनके पास यह उस गतवर्ष के अन्तिम दिन था। जिस गतवर्ष की यह हानि है।

ब. आयकर अधिकारी यदि इस बात से संतुष्ट है कि अंशधारियों में परिवर्तन कर दायित्व में कमी करने अथवा कर दायित्व से बचने के लिए नहीं किया गया है।

हानि का नक्शा दाखिल करना (Submission of return for loss) : धारा 80 के अन्तर्गत हानि को तब ही आगे ले जाया जा सकता है जबकि करदाता द्वारा कर-निर्धारण वर्ष की निर्धारित अवधि में ही अपनी हानि का नक्शा आयकर अधिकारी के पास जमा कर दिया जाता है तथा आयकर अधिकारी द्वारा इसकी व्यापारिक हानि की गणना कर दी जाती है।

इन्हें याद रखिये :

1. भूतपूर्व साझेदार से बकाया रकम की वसूली न होने पर व्यापार के लिये इसे अशोध्य ऋण (Bad Debts) नहीं माना जा सकता।

2. हानि की पूर्ति वहीं सम्भव है जबकि यह आय के करयोग्य साधन से होती है। व्यक्ति को किसी शौक (Hobby) से होने वाली हानि अथवा कर मुक्त आय के स्रोत से हानि-जैसे कृषक को कृषि कार्य से हानि की पूर्ति करयोग्य लाभों से नहीं हो सकती।

3. किसी करदाता को इसके लिये बाध्य नहीं कर सकते कि वह हानि की पूर्ति इस तरह करे जो उसके लिये लाभकारक नहीं है। उदाहरण के लिये करदाता को अन्य शीर्षकों से हुई हानियों को अनरजिस्टर्ड फर्म से हुये लाभों से पूरा करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभों पर आयकर की औसत दर से छूट दी जाती है।

4. जब एक फर्म अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड होती है तो आगे लायी गई हानियों को अगले वर्ष के लाभों से पूरा कर सकते हैं। एक बार फर्म यदि रजिस्टर्ड हो जाती है तो सभी हानियो को (जिसमें अनरजिस्टर्ड फर्म की पीछे से आई हानियाँ भी शामिल हैं) साझेदारों में विभाजित कर देंगे।

5. जब पीछे से अशोधित ह्रास, हानि आदि को आगे लाते हैं तो निम्नलिखित क्रम में इन सबको पूरा करते हैं:

(i) वैज्ञानिक अनुसंधान पर चालू वर्ष के व्यय [35 (1)]
(ii) चालू वर्ष का ह्रास [32(1)]
(iii) पीछे से लाई गई व्यापारिक हानि [72(1)]
(iv) अशोधित परिवार नियोजन पर किये गये पूँजीगत व्यय [36(1)(ix)]
(v) अशोधित ह्रास [32(2)]
(vi) अशोधित वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूँजीगत व्यय [35(4)]
(vii) अशोधित विकास छूट [33(2)(ii)]
(viii) अशोधित विकास भत्ता [33A(2)(ii)]
(ix) चालू वर्ष का विकास भत्ता [33A(2)(i)]
(x) अशोधित विनियोग छूट [32A(3)(ii)]
(xi) चालू वर्ष की विनियोग छूट [32A(3)(ii)]

उदाहरण (Illustration) 3 : मैसर्स राजस्थान फार्मेयूटिकल्स एक अनरजिस्टर्ड फर्म है जिसका प्रथम कर निर्धारण कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 में हुआ। कर निर्धारण प्रपत्र के अनुसार करदाता को 6,000 रु० की हानि हुई तथा इसके अतिरिक्त निम्नलिखित हानियों, ह्रासों की पूर्ति भी नहीं हो सकी जिसे अगले वर्ष में ले जाया गया है—

	रु०
	6,000
अशोधित ह्रास	9,000
प्रारम्भिक ह्रास	3,200
व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूँजीगत व्यय	

कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये ह्रास को घटाने के पूर्व व्यापार के लाभ, 10,000 रु० है। स्वीकृत ह्रास 5,200 रु० हैं। अन्य साधनों से इस वर्ष करदाता को 4,600 रु० प्राप्त हुए। कर निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये करदाता की सकल कुल आय की गणना कीजिये।

M/s Rajasthan Pharmaceuticals which is an unregistered firm, of which first assessment was made for A.Y. 1985-86. As per assessment from there was a loss for

Rs. 6,000 and in addition to the above loss, the following losses, depreciation could not set off and carried forward to the next year :

	Rs.
Unabsorbed depreciation	6,000
Initial depreciation	9,000
Capital expenditure of scientific research which is related to the business	3,200

The profit from business for the assessment year 1986-87, before depreciation, is Rs. 10,000. The allowable depreciation is Rs. 5,200. There is a income of Rs. 4,600 from income from other sources, which assessee gets this year. Calculate gross total income of the assessee for the assessment year 1986-87.

हल (Solution) :

Computation of Gross Total Income for the Assessment Year 1986-87

		Rs.
Profit from business		10,000
Less : Current depreciation		5,200
		4,800
Less : Brought forward loss		4,800
		—
Income from other sources	4,600	—
Less : Brought forward unabsorbed depreciation	4,600	—
Gross Total Income		Nill

Carried forward to assessment year 1987-88.

i. Unabsorbed depreciation of the assessment year 1985-86 Rs 1,400.
ii. Unabsorbed intitial depreciation of the assessment year 1985-86 Rs. 9,000.
iii. Business loss of the assessment year 1985-86 Rs. 1,200.
iv. Capital expenditure on scientific research related to business in the assessment year 1985-86 Rs. 3,200.

टिप्पणी : चूँकि अशोधित ह्रास को किसी भी शीर्षक की आय से पूरा किया जा सकता है। अतः अन्य साधनों की आय से पूरा किया गया है।

उदाहरण (Illustration) 4 : श्री गोपाल जो भारत में निवासी हैं, कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये अपनी आय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं।

Mr. Gopal a resident of India, submits the following particulars of his income for the assessment year 1986-87.

	Rs.
किराये पर उठे मकान की आय (गणना की हुई) (Income from let out house computed)	7,000
रिहायशी मकान का किराया मूल्य (Rental Value of residential house)	4,000
रेडियो व्यापार से लाभ (Profit from Radio business)	19,600
रजिस्टर्ड फर्म के लाभ (Share from a registered firm)	1,800
सट्टे व्यापार से लाभ (Speculation income)	1,900
लघुकालीन पूँजी लाभ (Short term capital gains)	3,200
दीर्घकालीन पूँजी लाभ (Long term capital gains)	8,500

पिछले वर्ष से निम्नलिखित राशियां इस वर्ष लाई गई हैं (The following items have been brought forward from the preceding assessment year 1985-86) :

i. साइकिल व्यापार से हानि जो गतवर्ष 1984-85 में बन्द हो चुका है (Loss from Cycle business discontinued during the previous year 1984-85) — 3,900
ii. रजिस्टर्ड फर्म की हानि में हिस्सा (Share of loss in regd. firm) — 2,700
iii. रेडियो व्यापार से हानि (Loss from radio business) — 1,900
iv. अशोधित ह्रास (Unabsorbed depreciation) — 1,000
v. अशोधित विनियोग भत्ता (Unabsorbed investment Allowed) — 1,100
vi. परिवार नियोजन के पूँजीगत व्यय (Capital expenditure on Family planning) — 2,600
vii. सट्टे से हानि (Speculation Loss) — 3,200
viii. A.Y. 1982-83 से लघुकालीन पूँजी हानि (Short term capital-loss) — 4,100
ix. A.Y. 1982-83 से दीर्घकालीन पूँजी हानि(Long-term capital loss) — 7,900

चालू वर्ष का स्वीकृत ह्रास 500 रु० है तथा चालू विनियोग भत्ता 2,000 रु० है। आप कुल सकल आय की गणना यह मानते हुए कीजिए कि विनियोग छूट संचय का निर्माण 1,500 रु० की राशि के बराबर किया गया है।

Current year's depreciation amounted to Rs. 500 and the current investment allowance was determined at Rs. 2,000.

You are required to compute his Gross Total Income and deal with carry forward of losses.

Solution :

	Rs.	Rs.	Rs.
Income from house property			
i. Let out		7,000	
ii. Self occupied : Rental Value	4,000		
Less : Statutory deduction	2,000		
Annual value	2,000		
Less : 1/6th for repairs	333	1,667	8,667
Profits from business			
i. Radio business	19,600		
Add : Investment Allowance reserve	1,500	21,100	
ii. Profits from registered firm		1,800	
		22,900	
Less : Current depreciation		500	
		22,400	
Less : Brought forward losses			
Loss of radio business	1,900		
Loss from registered firm	2,700		
Unabsorbed depreciation	1,000		
Unabsorbed Investment Allowance	1,100		
Current Allowance	2,000	8,700	13,700
Profits from speculation	1,900		
Carried forward loss	3,200		
Loss to be carried forward to 1987-88	—1,300		
Capital gains			
Short-term capital gains	3,200		

Short-term capital loss b/f from 1985-86	4,100	
Loss carried forward	—900	
Long-term capital gains	8,500	
Long-term capital loss b/f from 1982-83	—7,900	600
Gross Total Income		22,967

टिप्पणी ; 1. परिवार नियोजन व्यय केवल कम्पनी करदाता की स्थिति में ही स्वीकृत है।

2. स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य अन्य कुल आय के 10% तक सीमित किया गया है अन्य कुल आय 7,000+13,700+600=21,300 रु० है।

उदाहरण (Illustration) 5 : श्री कुमारमंगलम दिल्ली के व्यापारी हैं, जिन्होंने विभिन्न वर्षों के लिये अपनी आय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया है :

You are given the following particulars of Mr. Kumarmungalam who is a businessman of Delhi for the different accounting years—

हिसाबी वर्ष (Accounting year) 1-4-83 से 31-3-84	रु०
1. प्रतिभूतियों से ब्याज-सकल (Interest on securities-Gross)	9,000
2. मकान सम्पत्तियों से आय (Income from house property)	
दिल्ली (Delhi)	18,500
अलीगढ़ (Aligarh)	5,500
3. चाँदी व्यापार से हानि (Loss from Silver business)	36,000
4. सट्टा व्यापार से लाभ (Profit from Speculation)	6,000
5. लाभांश-सकल (Dividend-gross)	12,000
6. दीर्घकालीन पूँजी हानि (Long term capital loss)	6,000
हिसाबी वर्ष (Accounting year) 1-4-84 से 31-3-85	
1. प्रतिभूतियों से ब्याज सकल (Int. on securities Gross)	9,000
2. भवन सम्पत्ति से करयोग्य आय (Taxable income from house property) दिल्ली (Delhi)	19,600
अलीगढ़ (Aligarh)	5,500
3. चाँदी व्यापार से लाभ (Profit from silver business)	18,000
4. सट्टा व्यापार से हानि (Loss from speculation)	25,500
5. लाभांश-सकल (Dividend-Gross)	14,500
6. लघु कालीन पूँजी हानि (Short term capital loss)	22,600
7. दीर्घकालीन पूँजी लाभ (Long term capital gain)	9,000
हिसाबी वर्ष (Accounting year) 1-4-85 से 31-3-86	
1. प्रतिभूतियों पर ब्याज (Int. on securities)	4,200
2. भवन सम्पत्ति से करयोग्य आय (Taxable Income from house property)—दिल्ली (Delhi)	19,600
अलीगढ़ (Aligarh)	6,400
3. कपड़ा व्यापार से हानि (Loss from cloth business)	13,500
4. सट्टा व्यापार से (Profit from speculation)	37,500

5. लाभांश-सकल (Dividend-Gross) 7,300
6. लघु कालीन पूंजी लाभ (Short term capital gain) 19,200
7. दीर्घ कालीन पूंजी लाभ (Long term capital gain) 7,600

आप सभी कर निर्धारण वर्षों की सकल आय निकालिये,

Compute his gross total income from the assessment years 1984-85, 1985-86, and 1986-87.

Solution :

Accounting year 1983-84 — *Assessment year* 1984-85

	Rs.	Rs.
1. Interest on securities		9,000
2. Income from house property		
a) Delhi	18,500	
b) Aligarh	5,500	
		24,000
3. Profit from speculation business		6,000
4. Dividends		12,000
		51,000
Deduct : Loss in silver business		—36,000
Gross Total Income		15,000

Note : Long-term capital loss amounting to Rs.6,000 is carried forward to the assessment year 1985-86.

Accounting year 1984-85 — *Assessment year* 1985-86

	Rs.	Rs.
1. Interest on securities		9,000
2. Income from house property		
a) Delhi	19,600	
b) Aligarh	5,500	
		25,100
3. Profit in silver business		18,000
4. Capital gains		
Long-term capital	9,000	
Less : Long-term capital loss from the year 1984-85	—6,000	
	3,000	
Short-term capital loss	—22,600	
		—19,600
Income from other sources : Dividends		14,500
Gross Total Income		47,000

Note : Loss from speculation has been carried forward to the assessment year 1986-87.

Accounting year 1985-86 — *Assessment year* 1986-87

	Rs.	Rs.
1. Interest on securities		4,200
2. Income from house property		
a) Delhi	19,600	
b) Aligarh	6,400	26,000

3. profit from speculation business		
Less : Loss from speculation from 1985-86	37,500	
	—25,500	
Loss in cloth business	12,000	
	- 13,500	
4. Short-term capital gains		—1,500
5. Long-term capital gains		19,200
6. Dividends		7,600
		7,300
Gross Total Income		62,800

उदाहरण (Illustration) 6 : मोहन ब्रादर्स, बम्बई ने कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 से सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किये हैं—

The following particulars are submitted to you by Mohan Brothers Bombay for computing income for the assessment year 1986-87 Rs.

	Rs.
ह्रास से पूर्व व्यापार से हानि(Loss from business before depreciation)	20,000
स्वीकृत साधारण ह्रास (Normal Depreciation Allowable)	5,000
अतिरिक्त पारियों का ह्रास (Extra shifts Allowance)	1,000
भवन सम्पत्ति से करयोग्य आय (Income from house property)	8,000
प्रतिभूतियों पर ब्याज (Interest on securities)	10,00,000
अन्य साधनों से आय (Income from other sources)	20,000
1985-86 कर-निर्धारण वर्ष से लाई व्यापारिक हानि (B/F business losses from A. Y. 1985-86)	50,000
1985-86 कर-निर्धारण का अशोधित ह्रास (Unabsorbed depreciation of A. Y. 1985-86)	80,000

आप कुल सकल आय की गणना कीजिये (Compute Gross total income)

हल Solution) : **Computation of Gross Totai Income of M/s Mohan Brothers for the assessment year 1986-87**

	Rs.	
Income from house property	8,000	
Interest on securities	1,00,000	
Income from other sources	20,000	1,28,000
Less: Business Loss	—20,000	
Normal depreciation	— 5,000	
Extra shift allowance	— 1,000	
Unabsorbed dep. from 1985-86	—80.000	1,06,000
Gross Total Income		22,000

नोट—यद्यपि अशोधित ह्रास से पूर्व व्यापारिक हानि पूरी की जाती है किन्तु इस वर्ष व्यापार का लाभ न होने के कारण व्यापार की आगे लाई गई हानि पूरी नहीं की जा सकती, जबकि पिछले वर्षों का अशोधित ह्रास आगामी वर्ष में किसी भी अन्य आय से पूरा किया जा सकता है।

परीक्षा प्रश्न (Test Question)

1. किसी एक शीर्षक के अन्तर्गत हुई हानि को अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत हुए लाभों से पूरा कर सकते हैं ।' इस नियम की व्याख्या करते हुये इसके अपवाद समझाइये ।

"The loss under one head of income can be set-off against the income under other heads." Explain this principal and state the exceptions.

2. ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जब 'व्यापार व पेशे के लाभ' शीर्षक के अन्तर्गत हुई हानि पूरी करने के लिए अगले कर-निर्धारण वर्षों में ले जाई जाती हैं ।

Under what circumstances loss under the head 'profits of business or profession is carried to be set-off in the subsequent forward assessment years.

3. आयकर कानून में 'हानियों के अपलेखन एवं आगे ले जाने सम्बन्धी प्रावधानों की विवेचना कीजिये ।

Discuss the provision of the Income-tax Act relating to the 'set-off and carry forward of losses'. *(Raj. B. Com., 1986, Luck. M. Com. 1976 BHU B. Com. 1976)*

4. संक्षेप में लिखिये कि आप हानियों के अपलेखन एवं उनके आगे ले जाने से क्या तात्पर्य निकालते हैं । निम्नलिखित स्थितियों में अपलेखन किस प्रकार किया जाता है :

(i) व्यक्ति निर्धारिती (ii) अपंजीकृत फर्म (iii) पंजीकृत फर्म ।

State briefly what do you understand by set-off and carry forward of losses. How is the set-off applied in the following cases,'

(i)Individual Assessee (ii) Unregistered Firm (iii) Registered Firm.
(Andhra B. Com. 1969 and M. Com 197 4)

व्यावहारिक प्रश्न (Practical Question)

1. कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 के लिए मै० श्री निवास एण्ड कम्पनी ने निम्नलिखित आय व हानियाँ दिखाई थीं ।

ह्रास एवं विनियोग छूट से पहले व्यापारिक हानि 48,000 रु०; ह्रास 10,000 रु०; विनियोग छूट 6,000 रु०; प्रतिभूतियों पर ब्याज 3,000 रु०; अन्य साधनों से आय 12,000 रु० ।

अगले कर-निर्धारण वर्ष (1986-87) में ह्रास से पहले व्यापारिक लाभ 80,000 रु० स्वीकृत ह्रास 25,000 रु०; अन्य साधनों से आय 14,000 रु०; दीर्घकालीन पूंजी लाभ 23,000 रु० ।

आपको करदाता की कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 के लिए कुल सकल आय निकालनी है ।

1. For the assessment year 1985-86, M/s Srinivasan & Co. had arrived at the following figures of incomes and losses :

Loss from business before allowing depreciation and investment allowance Rs. 48,000; Depreciation Rs. 10,000; Investment allowance Rs. 6.000; Interest on securities Rs. 3,000; Income from other sources Rs. 12,000 For the subsequent assessmen t year they have profits, from business before de preciation Rs. 80,000. Allowable depreciation Rs. 25,000. Income from other sources Rs. 14,000. Long-term capital gains Rs. 23,000.

You are required to compute the gross total income of the assessee, for assessment yeai 1985-86 and 1986-87.

2. निम्नलिखित विवरण कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए तीन करदाताओं से सम्बन्धित हैं :

श्री चौपड़ा : प्राप्त वेतन 10,000 रु०; प्रतिभूतियों पर ब्याज 12,000 रु०; मकान सम्पत्ति से आय 10,000 घुड़दौड़ में हानि 6.000 रु०; दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति से हानि 25,000 रु०; हरियाणा राज्य लाटरी में प्रथम पुरस्कार 50,000 रु०; लघु-कालीन पूंजी लाभ 2,500 रु० ।

श्री कपूर : व्यापार से लाभ 12,000 रु०; अन्य व्यापार से हानि 2,000 रु०; एक अनरजिस्टर्ड फर्म की हानि में अंश 10,000 रु०; रजिस्टर्ड फर्म की हानि में अंश 5,700 रु०; दीर्घकालीन पूंजी लाभ 12,000 रु० बीमे का काम करने के लिए जीवन बीमा निगम से प्राप्त कमीशन 4,500 रु० ।

कुमारी शर्मा : अभिनय से आय 50,000 रु०; नृत्य से प्राप्त राशि 29,000 रु०; दीर्घकालीन पूंजी लाभ 25,000 रु०; घुड़दौड़ से हानि 19,000 रु० सट्टा व्यापार से हानि 18,000 रु०; प्रतिभूतियों पर ब्यांज 10,000 रु० ।

कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए इन तीन करदाताओं की कुल सकल आय की गणना कीजिए ।

2. The following particulars relate to the three assessees for the assessment year, 1986-87.

Mr. Chopra : Gross Salary 10.000; Interest on securities Rs. 12,000; Income from house property Rs. 10,000; Losses from horse race Rs. 6,000; Loss from long-term capital assets Rs. 25,000; won the first prize in Haryana State Lottery Rs. 50,000; Short-term capital gains Rs. 2;500,

Mr. Kapoor : Profits from business Rs. 12.000; Loss from another business Rs. 2,000; Share of loss from unregistered firm Rs. 10,000; Share of loss from registered firm Rs. 5,700; Long-term capital gains Rs. 12,000 Commission from Life Insurance Corporation for doing insurance work 4.500.

Miss. Sharma : Income from acting Rs. 50,000 Remuneration received for dance performance Rs. 29,000; Gains from long term capital assets Rs. 25,000; Loss in race Rs. 19,000 Loss speculation Rs 18,000; Interest on securities Rs. 10,000.

You are required to compute gross total income of the three assessees for the assessment year 1986-87.

3. कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 में एक करदाता की व्यापार से आय मान्य ह्रास तथा विनियोग छूट देने से पूर्व 1,60,000 रु० है जिनमें 10,000 रु० अल्पकालीन पूंजी लाभ भी सम्मिलित है । निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए करदाता की कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए सकल कुल आय निर्धारित कीजिये तथा वे राशियाँ बताइये जो करदाता आगे आने वाले वर्षों में पूर्ति हेतु आगे ले जा सकता है :

		रु०
क)	कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए मान्य ह्रास	25,000
ख)	कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये प्राप्त विनियोग छूट	30,000
ग)	कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 की आगे लाई गई सट्टे के व्यापार की हानि	10,000
घ)	कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 में हुई दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्तियों से हानि	10.000
ङ)	कर-निर्धारण वर्ष 1976-77 का आगे लाया गया अशोधित ह्रास	22,500

र) आगे लाई गई व्यापार की हानि (इसी व्यापार की)

i. कर-निर्धारण वर्ष 1977-78 की	15,500
ii. कर-निर्धारण वर्ष 1979-80 की	30,200
ल) कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 की आगे लाई गई विनियोग छूट	5,300

4. The business income of an assessee work out to be Rs. 1.60,000 including short-term capital gain of Rs. 10,000 for the Assessment Year 1985-86 before deducting depreciation or Investment Allowance admissible for the year. Taking the following facts into consideration. Determine the total income of the assessment year 1986-87 including the amounts which may be carried forward for future set-off :

	Rs.
a) Depreciation Admissible for the Assessment year 1986-87	25,000
b) Investment Allowance available for the Assessment year 1986-87	30,000
c) Speculation loss brought forward from the Assessment year 1984-85	10,000
d) Loss in respect of long-term capital assets incurred in the Assessment Yebr 1986-87.	15,000
e) Unabsorbed depreciation brought forward from Assessment year 1977-78.	22,500
f) Business Loss brought forward (from the same business)	
i. From Assessment year 1977-78	15,500
ii. From Assessment year 1979-80	30,200
g) Unabsorbed investment allowance brought forward from the assessment Year 1985-86.	5,300

Adopted B.Com. BHU 198

अध्याय 12 (हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाना)

(1) कर-निर्धारण वर्ष 1985-86—जो आगे ले जाई गई—33,000 रु०, अशोधित ह्रास 10,000 रु०-अशोधित विनियोग भत्ता 6,000 रु० ।
कर-निर्धारण वर्ष 1986-87—सकल कुल आय—43,000 रु० ।

(2) 82,000 रु०, 21,300 रु०, 1,14,000 रु०, (3) सकल कुल आय 47,000रु० आगे ले जायी जाने वाली हानियां—(i) दीर्घकालीन पूंजी हानि—10,000 रु. (ii) सट्टे के व्यापार की हानि—10,000 रु.

———

13

कुल सकल आय में से कटौतियाँ

(Deductions From Gross Total Income)

यह अध्याय उन सभी कटौतियों से सम्बन्धित है जो कुल सकल आय में से की जाती है। इन कटौतियों को घटाने के बाद जो राशि शेष रहती है वह कुल आय होती है जिस पर आयकर की गणना की जाती है। कुल सकल आय निकालने के लिए हमें निम्नलिखित कदम उठाने पड़ते हैं :

1. सभी शीर्षकों के अन्तर्गत करदाता को होने वाली आय की गणना।

2. किसी शीर्षक की हानि को अन्य शीर्षक के लाभों से पूरा करना। पिछली हानि यदि कोई है) को आगे लाकर पूरा करना, इस वर्ष यदि कोई हानि ऐसी है जो पूरी नहीं की जा सकी है उसे नियमानुसार आगे ले जाया जायेगा।

3. कुछ आय ऐसी होती है, जो यद्यपि प्रत्यक्ष में करदाता को प्राप्त नहीं होती किन्तु अधिनियम की धारा 60 से 64 में दिए गए प्रावधान इन रकमों को करदाता की आय मानते हैं। जिसका हम अध्याय 11 में अध्ययन कर चुके हैं।

सकल कुल आय में से दी जाने वाली कटौतियों का वर्णन आयकर अधिनियम की धारा 80C से 80VV तक दिया गया गया है लेकिन धारा 80A के अनुसार इन सभी कटौतियों का योग करदाता की कुल सकल आय से अधिक नहीं हो सकता, अर्थात् ऐसी कटौतियों के फलस्वरूप करदाता को हुई आय हानि में परिवर्तित नहीं की जा सकती।

यदि फर्म, व्यक्तियों के समुदाय अथवा समूह की कुल आय की गणना करते समय धारा 80G, अथवा धारा 80GGA अथवा धारा 80HH अथवा धारा 80HHA अथवा धारा 80HHB अथवा धारा 80HHC अथवा धारा 80I अथवा धारा 80J अथवा धारा 80K अथवा धारा 80S अथवा धारा 80T अथवा धारा 80TT (इन सब धाराओं का वर्णन इसी अध्याय में किया गया है) की कटौती स्वीकृत हुई है तो फर्म के साझेदार अथवा व्यक्तियों के समुदाय अथवा समूह के सदस्य को ऐसी फर्म अथवा समुदाय अथवा समूह की आय के अपने हिस्से के सम्बन्ध में इन्हीं धाराओं के के अन्तर्गत कोई कटौती नहीं दी जायेगी। (धारा 80A)

व्ययों से सम्बन्धित कटौतियाँ
(Deduction in respect of Payments)

1. जीवन बीमा प्रीमियम व प्रोवीडेन्ट फण्ड के सम्बन्ध में कटौती : (धारा 80C)

(i) एक व्यक्ति (Individual) की दशा में :— एक व्यक्ति की कुल आय की गणना करते समय उसके द्वारा अपनी करयोग्य आय में से गतवर्ष में किये गये निम्न भुगतानों पर कटौती स्वीकृत होती है :

अ) स्वयं के जीवन पर अथवा अपनी पत्नी के जीवन पर (यदि करदाता स्त्री है तो उसके पति के जीवन पर) अथवा अपने बच्चों के जीवन पर अलग-अलग अथवा संयुक्त रूप से कराये गये जीवन बीमा के लिए दी गई बीमा प्रीमियम की राशि बीमा प्रीमियम की बीमा पालिसी की राशि के 10% तक कटौती योग्य है। आधिक्य पर कटौती नहीं दी जाती है।

आ) स्वयं के जीवन पर एवं अपनी पत्नी के जीवन पर (यदि करदाता स्त्री है तो अपने पति के जीवन पर अथवा बच्चों के जीवन पर उनके उल्लिखित आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् जीवन पर्यन्त वार्षिकी प्राप्त होते रहने के अनुबन्ध को चालू रखने के लिए किया गया भुगतान बशर्ते कि ऐसे अनुबन्ध में वार्षिकी के स्थान पर एकमुश्त भुगतान प्राप्त करने का विकल्प न हो ;

इ) वैधानिक भविष्य निधि में कर्मचारी द्वारा दिया गया अंशदान'

ई) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित सार्वजनिक भविष्य निधि में दिया गया अंशदान (इस निधि में प्रतिवर्ष कम से कम 100 रु० और अधिक से अधिक 40,000 रु० जमा कराये जा सकते हैं);

उ) अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड में कर्मचारी द्वारा दिया गया अंशदान;

ऊ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिट से जुड़ी हुई बीमा योजना में भाग लेने के लिए दिया गया अंशदान;

स्पष्टीकरण : उक्त योजना में लगातार 10 वर्षों तक अंशदान देना होता है। यदि व्यक्ति ने 5 वर्ष से कम अवधि तक राशि जमा कराकर गतवर्ष में अंशदान करना बन्द कर दिया है तो चालू गतवर्ष में जमा कराई गई राशि पर कोई कटौती स्वीकार नहीं की जाती और चालू गतवर्ष से पूर्व के वर्षों में इस योजना में राशि जमा कराने के कारण सकल कुल आय में से जो अधिक कटौती प्राप्त हुई है, उसे गतवर्ष में आय मान लिया जाता है।

ए) पोस्ट आफिस 10 वर्षीय अथवा 15 वर्षीय संचयी जमा खाते में जमा कराई गई राशि किन्तु 10 वर्ष से कम समय के खाते अर्थात् 5 वर्षीय खाते में जमा कराई गई राशि पर कटौती नहीं दी जाती;

ऐ) गतवर्ष में प्रमाणित भविष्य निधि में दिया गया अंशदान, वेतन के 1/5 भाग या 10,000 रुपये तक, जो भी दोनों में कम हो; यहां वेतन से आशय वही है जो भविष्य निधि के अंशदान की राशि की गणना के लिए वेतन शीर्षक से आय के अन्तर्गत बताया गया है।

ओ) सरकारी कर्मचारी के वेतन में से उल्लिखित आय प्राप्त कर लेने के पश्चात् जीवन पर्यन्त वार्षिक प्राप्त होते रहने के लिए अथवा अपनी पत्नी (यदि करदाता स्त्री है तो उसके पति) के लिए अथवा बच्चों के लिए काटी गई कोई राशि; वेतन के 1/5 भाग तक,

औ) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिभूतियों में विनियोजन। केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी तक राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र षष्ठम एवं सप्तम् निर्गम (National Savings Certificate VI & VII issues) को ही इस हेतु अधिसूचित किया है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र षष्ठम् निर्गम पर अर्जित ब्याज इसी प्रतिभूति में

विनियोजित माना जाता है अतः सम्बन्धित गतवर्ष का ब्याज भी कटौती योग्य होता है।

अ) कर्मचारी भविष्य निधि एवं परिवार पेन्शन निधि अधिनियम 1952 के अन्तर्गत स्थापित परिवार पेंशन फण्ड में कर्मचारी का अंशदान (Circular No. 194 dated 25·3·76)

आ) महाराष्ट्र राज्य सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना में अंशदान (Circular No. 337 dated 4·5·1982

(क) केन्द्रीय कर्मचारी बीमा योजना में अंशदान (Circular No. 233 dated 5-12-77)

(ख) स्पेशल फ्रन्टियर फोर्स ग्रुप बीमा योजना में अंशदान (Circular No. 404 dt. 15-1-85)

B. एक हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में :—एक हिन्दू अविभाजित परिवार की कुल आय की गणना करते समय परिवार के द्वारा गतवर्ष में अपनी करयोग्य आय में से किये निम्न भुगतानों के सम्बन्ध में कटौती स्वीकृत होती है :

अ) परिवार के किसी सदस्य के जीवन पर पृथक-पृथक अथवा संयुक्त रूप से कराये गये जीवन बीमा प्रीमियम के सम्बन्ध में चुकाई गई राशि, बीमा प्रीमियम की राशि, बीमा पालिसी की राशि के 10% तक ही कटौती योग्य है। आधिक्य पर कटौती नहीं दी जाती।

आ) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित सार्वजनिक भविष्य निधि में दिये गये अंशदान की राशि, (यह अंशदान परिवार के किसी भी सदस्य के नाम में हो सकता है।)

इ) पोस्ट आफिस 10 वर्षीय अथवा 15 वर्षीय संचयी जमा खाते में जमा कराई गई राशि। 10 वर्ष से कम समय के खाते अर्थात् 4 वर्षीय खाते में जमा कराई गई राशि पर कटौती नहीं दी जाती।

ई) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिभूतियों में विनियोजन। केन्द्रीय सरकार के द्वारा अभी तक राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र षष्ठम् एवं सप्तम निर्गम को ही इस हेतु अधिसूचित किया है।

C. दादर तथा नागर हवेली और गोआ, दामन और ड्यू में रहने वाले व्यक्तियों के ऐसे समुदाय की दशा में जिसमें केवल पति तथा पत्नी सदस्य हों—उपरोक्त प्रकार के व्यक्तियों के समुदाय के द्वारा अपनी करयोग्य आय में से निम्नलिखित भुगतान कटौती योग्य होंगे :

अ) ऐसे समुदाय के किसी सदस्य अथवा उसके बच्चे के जीवन पर कराये गये बीमे की प्रीमियम राशि। बीमा प्रीमियम की राशि बीमा पालिसी की राशि के 10% तक ही कटौती योग्य है।

ब) ऐसे समुदाय के सदस्यों अथवा सदस्यों के बच्चों के लिए में स्थगित वार्षिकी के अनुबन्ध के सम्बन्ध में दी गई राशि बशर्ते कि ऐसे अनुबन्ध में वार्षिकी के स्थान पर एकमुश्त भुगतान प्राप्त करने का विकल्प न हो।

स) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित सार्वजनिक भविष्य निधि में दिये गये अंशदान की राशि।

द) पोस्ट आफिस 10 वर्षीय अथवा 15 वर्षीय संचयी जमा खाते में जमा कराई गई राशि।

य) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिट से जुड़ी हुई बीमा योजना में भाग लेने के लिए दिया गया अंशदान।

स्पष्टीकरण : इस योजना में यदि करदाता द्वारा 5 वर्ष से कम अवधि तक राशि जमा कराकर चालू गतवर्ष में अंशदान करना बन्द कर दिया है तो चालू गतवर्ष में जमा कराई गई राशि पर कोई कटौती स्वीकार नहीं की जाती है और चालू गतवर्ष से पूर्व के वर्षों में इस योजना में राशि जमा कराने के कारण आय में से जो अधिक कटौती प्राप्त हुई है, उसे गतवर्ष में आय मान लिया जाता है।

र) केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिभूतियों में विनियोजन। इस संबंध में सरकार ने राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र षष्ठम् एवं सप्तम् निर्गम (N.S.C. VI and VII Issue) को अधिसूचित किया है।

उपर्युक्त वर्णित सभी राशियों का योग निम्नांकित से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक होने पर आधिक्य पर कटौती नहीं दी जाती है :—

क) एक लेखक, नाटककार, कलाकार संगीतज्ञ, अभिनेता अथवा खिलाड़ी की दशा में 60,000 रु०।

ख) अन्य किसी व्यक्ति एवं हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में 40,000 रु०।

कटौती की दर :—ऊपर निकाली गई कटौती योग्य राशि को निम्नलिखित दरों के आधार पर एक व्यक्ति अथवा एक परिवार की कुल सकल आय में से घटाया जाता है :

अ. कटौती योग्य राशि के प्रथम 6,000 रु०	100%
ब. कटौती योग्य राशि के अगले 6,000 रु०	50%
स. कटौती योग्य राशि का शेष	40%

दो वर्ष पूर्व जीवन बीमा पालिसी समाप्त करना :—यदि कोई करदाता किसी बीमा पालिसी के सम्बन्ध में दो वर्ष की अवधि से पूर्व ही (अर्थात् 2 वर्ष से कम समय तक प्रीमियम का भुगतान करके) बीमा प्रसंविदा समाप्त कर देता है तो जिस गतवर्ष में पॉलिसी समाप्त की गई है उस गत वर्ष में चुकाये गये प्रीमियम के संबंध में चुकाई गई प्रीमियम के कारण जो अधिक कटौती स्वीकार की गई उसे भी वर्तमान गतवर्ष की आय मान लिया जायेगा।

संयुक्त जीवन बीमा पालिसी—यदि करदाता द्वारा किसी बाहर के व्यक्ति के साथ संयुक्त जीवन बीमा पालिसी करदाता अपने जीवन साथी अथवा बच्चों के साथ ले सकता है और संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में संयुक्त बीमा पॉलिसी परिवार के दो या अधिक सदस्यों के जीवन पर हो सकती और यह कटौती योग्य होगी :

उदाहरण (Illustration) : श्री गिरीश की गतवर्ष 1985-86 से सम्बन्धित आय का विवरण निम्नलिखित है :—

i. वेतन 3,000 रु० प्रतिमाह

ii. मँहगाई भत्ता 500 रु० प्रतिमाह
iii. भविष्य निधि में श्री गिरीश का अंशदान वेतन का 25%
iv. भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान वेतन का 15%
v. उसके द्वारा दिये गये भुगतान इस प्रकार हैं :—

अपने पुत्र की जीवन बीमा की 40,000 रु० की पालिसी पर दिया गया प्रीमियम 5,000 रु०; पोस्ट आफिस के संचयी जमा योजना के 10 वर्षीय खाते में 4,300 रु० की राशि जमा कराई; 30,000 रु० की स्वयं एवं एक मित्र की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी पर 2,800 रु० प्रीमियम दिया एवं सार्वजनिक भविष्य निधि में 2,000 रु० जमा कराये।

इनके भविष्य निधि खाते में 11% की दर से 3,960 रु० ब्याज के गतवर्ष में जमा किये गये। यदि भविष्य निधि (i) वैधानिक, (ii) प्रमाणित अथवा, (iii) अप्रमाणित हो, तो प्रत्येक दशा में उनकी कुल आय की गणना कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 से कीजिये।

Following are the particulars of income of Mr. Girish for the previous year 1985-86 :—

i. Salary Rs. 3.000 per month.
ii. Dearness Allowance Rs. 500 per month.
iii. Contribution of Shri Girish to provident fund account 25% of Salary.
iv. Employers contribution to provident fund account 15% of salary.
v. His disbursements are Rs. 5,000 as premium on a life policy of Rs. 40,000 on his son's life. He has also deposited Rs. 4,300 in a 10 year account under post office savings Bank cumulative time diposite scheme, paid Rs. 2,800 as a premium on joint policy of Rs. 30.000 taken on his life and that of his friend and also deposited Rs. 2,000 in public provident fund

Interest credited in his provident fund account amounting to Rs. 3,960 @ 11% p.a.

If the provident fund is (i) Statutory, (ii) Recognised, or (iii) Unrecognised, compute in each case his total income for the Assessment year 1986-87.

हल (Solution) :

Statement of Total Income of Shri Girish for the Assessment Year 1986-87

	Statutory provident Fund	Recognised provident Fund	Unrecognised Provident Fund
Salaries			
Salary	36,000	36,000	36,000
Dearness allowance	6,000	6,000	6,000
Employer's contribution to P.F. (in excess of 10% of salary)	—	1,800	—
Interest credited to P.F. (in excess of 10½% p.a.	—	180	—
Gross Salary	42,000	43,980	42,000
Less : Standard deduction	6,000	6,000	6,000
Income from 'Salaries' being Gross Total Income	36,000	37,980	36,000
Less : Deduction u/s 80C for life insurance etc.	11,920	11,200	8,150
Total Income	24,080	26 780	27.850

टिप्पणी 1 : धारा 8CC के अन्तर्गत कटौती की गणना निम्न प्रकार की गई :—

अ) वैधानिक भविष्य निधि की दशा में :—

	रुपये
कटौती योग राशि :	
पुत्र की जीवन बीमा पालिसी पर प्रीमियम (पालिसी के 10% तक)	4,000
भविष्य निधि में अंशदान	9,000
संचयी जमा खाते में जमा कराई गई राशि	4,300
सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा कराई गई राशि	2,000
	19,300
कटौती की राशि :	
कटौती योग राशि के प्रथम 6,000 रु० का 100%	6,000
अगले 6,000 रु० का 50%	3,000
शेष 7,300 रु० का 40%	2,920
	11,920

ब) प्रमाणित भविष्य निधि की दशा में :—

कटौती योग राशि :	
जीवन बीमा प्रीमियम (पालिसी के 10% तक)	4,000
भविष्य निधि में अंशदान (वेतन के $\frac{1}{6}$ भाग तक)	7,200
संचयी जमा खाते में कराई गई राशि	4,300
सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा कराई गई राशि	2,000
	17,500
कटौती की राशि :	
कटौती योग्य राशि के प्रथम 6,000 रु० का 100%	6,000
अगले 6,000 रु० का 50%	3,000
शेष 5,500 रु० का 40%	2,200
	11,200

स) अप्रमाणित भविष्य निधि की दशा में :—

जीवन बीमा प्रीमियम	4,000
संचयी जमा खाते में जमा कराई गई राशि	4,300
सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा कराई गई राशि	2,000
	10,300

कटौती—कटौती योग्य राशि के प्रथम 6,000 रु० का 100%	6,000	
शेष 4,300 रु० का 50%	2,150	8,150

2. मित्र के साथ ली गई संयुक्त जीवन बीमा पालिसी का प्रीमियम एवं अप्रमाणित भविष्य निधि में कर्मचारी का अंशदान धारा 80C के अन्तर्गत कटौती योग्य नहीं है।

उदाहरण (Illustration) 2 : श्री नारंग एक कलाकार हैं जिनकी अपने व्यवसाय से 1,60,000 रु० की आय होती है। उन्हें अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत 35,000 रु० की आय प्राप्त हुई इन्होंने अपने जीवन के लिये 1,00,000 रु० की बीमा पालिसी ली हुई है जिस पर 10,500 रु० वार्षिक प्रीमियम जाता है। संचयी जमा योजना के अन्तर्गत इन्होंने पोस्ट आफिस में 15 वर्षीय खाते में 3,000 रु० मासिक 5 वर्षीय खाते में 500 रु० मासिक जमा कराये हैं तथा गतवर्ष में 50,000 रु० के राष्ट्रीय बचत पत्र सप्तम् निर्गम क्रय किये। इनकी कुल आय की गणना कीजिए।

Shri Narang is an Artist and his income from profession alone comes to Rs. 1,60,000 whereas income from other sources amounts to Rs. 35,000. He has taken a insurance policy for Rs. 1,00,000 and has to pay an yearly premium of Rs. 10,500. He deposits Rs. 3,000 per month in a 15 year account Rs. 500 per month in a 5 year account under the Cumulative Time Deposit scheme in post office and purchased National savings certificates VII Issue work Rs. 50,000 in the previous year.

हल (Solution) :

Computation of Total Income of Shri Narang for the A. Y. 1986-87

		Rs
Profit and gains from business or profession		1,60,000
Income from other sources		35,000
Gross Total Income		1,95,000
Less ; Deduction for qualifying amount		
First Rs. 6,000 @ 100%	6,000	
Next Rs. 6,000 @ 50%	3,000	
Balance of Rs. 48,000 @ 40%	19,200	28,200
Total Income		1,66,800

टिप्पणी :—1. धारा 80C के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि के लिए श्री नारंग ने निम्न विनियोजन किये हैं :

	Rs.
i. Life Insurance Premium	10,000
10,500 जिसे sum assured के 10% तक सीमित किया जायेगा।	
ii. 15 yearly Cumulative Time Deposit scheme	36,000
iii. National Savings Certificates VII Issue	50,000
	96,000

लेकिन अधिकतम कटौती 60,000 रु० की दी जा सकती है।

2. 5 वर्षीय संचयी जमा योजना में किया गया विनियोजन धारा 80C में कटौती योग्य नहीं है।

2. कुछ नवीन अंशों में किये विनियोगों के लिये कटौती (Deduction in respect of invesment in certain new shares [80CC] : इस धारा के अधीन उन अंशों में किये गये विनियोगों के लिए कटौती मिलती है जो गत वर्ष में करयोग्य आय में से खरीदे गये हैं। यदि चालू गत वर्ष में खरीदे गये नये अंशों के सम्बन्ध में कोई भुगतान गतवर्ष की समाप्ति के 6 माह पश्चात् भी किया गया है तो भी यह चालू गतवर्ष में किया गया भुगतान माना जायेगा और कटौती योग्य होगा। कटौती दर इन अंशों के लागत मूल्य का 50 प्रतिशत है। करदाता ने यदि 20,000 रु० से अधिक के अंश खरीदे हैं तो केवल 20,000 रु० पर ही कटौती मिलेगी। कटौती को निम्नलिखित व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं :

अ. व्यक्ति;

ब. हिन्दू अविभाजित परिवार,

स. दादर, नागर हवेली और गोआ, दमन और दियु (Diu) में रहने वाले व्यक्तियों का ऐसा समुदाय जिसमें केवल पति-पत्नि सदस्य हों।

इस सम्बन्ध में अन्य शर्तें इस प्रकार हैं :

1. विनियोजन ऐसी सार्वजनिक कम्पनी के समता अंशों (equity shares) में होना चाहिए जो केवल ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में लगी हों जिनका उल्लेख ग्याहरवीं अनुसूची में न हुआ हो अथवा यह कम्पनी ऐसी कम्पनी हो जो रिहायशी मकानों को बनाने अथवा क्रय करने के लिए दीर्घ कालीन ऋण प्रदान करती हो।

2. ये समता अंश कम्पनी के प्रारम्भिक निर्गमन (initial issue) का भाग हो अर्थात् कम्पनी द्वारा ये अंश पहली बार निर्गमित किये गये हों।

3. ऐसी दशा में जबकि अंश निर्गमन करने वाली सार्वजनिक कम्पनी का समामेलन निजी कम्पनी की भाँति हुआ हो तथा वाद में यह सार्वजनिक कम्पनी हो गई हो, इसके द्वारा किया गया प्रथम अंश निर्गमन उसी स्थिति में रियायत का अधिकारी होगा जबकि इन अंशों को प्रीमियम पर नहीं दिया गया है व इस निजी कम्पनी ने कभी भी लाभांश का वितरण नहीं किया है।

4. अंशों में विनियोजन पर छूट उसी स्थिति में मिलेगी जबकि ये अंश जनता को सार्वजनिक रूप में वेचे जाने वाले अंशों में से प्रार्थना-पत्र देकर खरीदे गये हों, अभिगोपकों (underwriters) से खरीदे गये हों, अथवा प्रवर्त्तकों द्वारा अपने लिये रखे गये रिजर्व कोटा में से लिए गये हों।

5. इन अंशों को करदाता द्वारा अपने पास कम से कम 5 वर्षों की अवधि तक रखा जाना चाहिए। इस अवधि में अंशों के हस्तांतरण होने पर यह छूट वापिस ले ली जायेगी तथा पूर्व में स्वीकृत कटौती की राशि को उस गतवर्ष की आय मान लिया जिस गतवर्ष में ऐसे अंशों को वेचा गया अथवा हस्तांतरित किया गया है।

उदाहरण (Illustration) : 3 श्री रमन गुप्ता 4,000 रु० मासिक वेतन पर गीतांजली स्टोर्स दिल्ली में कर्मचारी हैं। नियोक्ता से उन्हें 1 माह के वेतन के बराबर बोनस मिलता है। उन्हें नियोक्ता की ओर से 32,000 रु० वार्षिक उचित किराये का मकान निःशुल्क रहने को दिया गया है। उन्हें एक 18 HP. कार की सुविधा भी दी गई है जिसका लगभग आधा प्रयोग श्री गुप्ता के निजी कार्यों के लिए होता है। गतवर्ष में इस कार के पैट्रोल व्यय 5,000 रु० की मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय 4,000 रु० एवं ड्राइवर का वेतन 2,400 रु० नियोक्ता ने चुकाये। कार का ह्रास 4,600 रु० है।

श्री गुप्ता ने गतवर्ष में निम्न भुगतान किये :—

i. अपने विवाहित पुत्र जो डाक्टर हैं, के जीवन पर 30,000 रु० की पालिसी पर चुकाया गया जीवन बीमा प्रीमियम 3,500 रु०;

ii. अनुमोदित सुपरएनुएशन फंड में अंशदान 2,500 रु०;

iii. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट से जुड़ी बीमा योजना में जमा कराये 1,500 रु०;

vi. अपने अविवाहित पुत्र की शिक्षा के लिए ली गई 20,000 रु० की बन्दोबस्ती जीवन बीमा पालिसी पर दिया गया प्रीमियम 1,600 रु०;

v. एक नई कम्पनी जो 9 वीं अनुसूची में वर्णित वस्तुओं का निर्माण करती है द्वारा आवंटित 100 रु० वाले 150 साधारण अंशों का 10 रु० प्रतिअंश प्रीमियम पर भुगतान 16,500 रु०;

श्री गुप्ता ने अपने जीवन पर पिछले वर्ष में एक जीवन बीमा पालिसी ली थी जिस पर 2,000 रु० प्रीमियम चुकाया था को इस गतवर्ष में 500 रु० की त्रैमासिक किश्त चुकाकर इस प्रसंविदे को समाप्त कर दिया है। पूर्व वर्ष में धारा 80C के अन्तर्गत सकल कुल आय में से 12,000 रु० की कटौती मिली थी; इस पालिसी का प्रीमियम यदि नहीं चुकाया गया होता तो कटौती 11,200 रु० ही मिलती। उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए श्री रमन गुप्ता की कुल आय ज्ञात कीजिये।

Shri Raman Gupta is employed with Gitangali Stores Delhi on a monthly salary of Rs. 4,000 p.m. He receive from employer 1 month salary as bonus, Employer provided him a rent free accomodation of fair annual rental value of Rs. 32,000 Employer also provide him a 18 H.P. Car facility half of which is relate with Shri Gupta's personal purposes. Employer paid during the previous year Rs. 5,000 for petrol, Rs. 4,000 for repairs & maintenance and Driver's salary of Rs. 2,400 for car expenses. Depreciation of Car is Rs. 4,600.

Shri Gupta made the following payments during the previous year :

i. He paid Rs 3,500 for life insurance premium on the life policy for Rs. 30,000 of his married son who is Doctor.

ii. Contribution to Approved Superannuation Fund Rs. 2,500.

iii. Deposited Rs. 1,500 in Unit-linked insurance plan of the Unit Trust of India.

iv. Premium paid on endoment life insurance policy for Rs. 20,000 for the education of his unmarried son Rs 1,600.

v. Payment for ordinary shares of Rs. 100 each allotted at premium of Rs. 10 per share by a new company which manufacture articles mentioned ithe Ninth Schedule Rs. 16,500.

Shri Gupta took a life policy on his life last year and paid Rs. 2,000 as premium during this previous year this contract has been terminated after paying quarterely instalment of Rs. 500. Last year the deduction allowed from gross total income under section 80C was Rs. 12,000 had the premium of this policy not been paid, the deduction allowed would have been Rs, 11,200.

On the basis of above informations compute total income of Shri Raman Gupta for the assessment year 1986-87.

हल (Solution) : Computation of Total Income of Shri Raman Gupta for the A. Y. 1986-87.

	Rs.	Rs.
Salaries :		
Pay	48,000	
Bonus	4,000	
Car facility	8,100	
Rent free accomodation	6,000	

	66,000	
Less : Standard deduction	1,000	
Income from Salaries		65,000
Income from other Sources :		
Deemed income equal to excess deduction u/s 80C from gross total income in respect of life in surance premium		800
Gross Total Income		65,800
Less : Deductions :		
U/s 80C insurance premium etc.	7,300	
U/s 80CC Investment in new shares	8,250	15,550
Total Income		50,250

टिप्पणी :—i. कार की सुविधा का मूल्यांकन वास्तविक व्ययों (ह्रास सहित) के आधे भाग के बराबर होगा क्योंकि कार के निजी प्रयोग के सम्बन्ध में स्पष्ट सूचना है।

ii. किराया मुक्त मकान की सुविधा का मूल्य उचित किराये का वेतन के 50% पर आधिक्य (32,000—50% of Rs. 52,000) 6,000 रु० होगा।

iii. स्वयं के जीवन पर ली गई पॉलिसी पर 2 वर्ष से कम अवधि के लिए प्रीमियम का भुगतान कर प्रसंविदा इस वर्ष समाप्त कर दिया है अतः इस वर्ष चुकाई गई प्रीमियम 500 रु० पर कटौती नहीं दी जायेगी एवं इस पॉलिसी पर प्रीमियम चुकाने के कारण पूर्व में जो अधिक कटौती मिली थी 800 रु० (12,000 रु०—11,200 रु०) वह इस वर्ष की आय मानी जायेगी एवं अन्य साधनों से आय शीर्षक में करयोग्य होगी।

iv. धारा 80C के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि :

		रु०
a)	पुत्र के जीवन पर ली गई पालिसी पर प्रीमियम (पॉलिसी की राशि 10% तक)	3,000
b)	अनुमोदित सुपरएनुएशन फंड में अंशदान	2,500
c)	यूनिट से जुड़ी बीमा योजना में जमा कराई गई राशि	1,500
d)	पुत्र की शिक्षा के लिए ली गई पालिसी पर प्रीमियम	1,600
		8,600

	रु०
कटौती : प्रथम 6,000 रु० पर 100%	6,000
शेष 2,600 रु० पर 50%	1,300
कुल कटौती	7,300

v. धारा 80CC के अन्तर्गत कटौती :

150 साधारण अंशों की लागत 150 × 110	16,000
कटौती 50% of Rs. 16,500	8,250

vi. करदाता यदि अपने पुत्र-पुत्री या अन्य किसी आश्रित की शिक्षा अथवा विवाह के लिए वन्दोवस्ती जीवन बीमा करवाता है तो यह उसके स्वयं के जीवन का बीमा होता है। ऐसी पालिसी की शर्तों के अनुसार यदि करदाता की मृत्यु पालिसी की अवधि के पूर्व हो जाती है तो प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता है जबकि पुत्र-पुत्री की मृत्यु होने पर भी प्रीमियम का भुगतान पालिसी की अवधि तक करना पड़ता है। पालिसी राशि का भुगतान पालिसी की अवधि समाप्ति पर ही मिलता है।

3. पुण्यार्थ दिये गए दान (Charitable donations) [80G] :— इस धारा के अन्तंगत कटौती सभी करदाताओं को प्राप्त होती है। करदाता द्वारा गतवर्ष में किये गये निम्नांकित दानों के सम्बन्ध में सकल कुल आय में से कटौती दी जाती है :—

i. जवाहरलाल नेहरू स्मृति कोष में दान;
ii. प्रधानमंत्री सूखा सहायता कोष में दान;
iii. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दान;
iv. राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान;
v. राष्ट्रीय बाल कोष में दान;
vi. इन्दिरा गांधी स्मृति प्रन्यास में दान;
vii. भारत में किसी अधिनियम के अधीन स्थापित ऐसी संस्था अथवा सत्ता को दिया गया दान जो गांवों, कस्बों व शहरों में आवास समस्या के सुधार, विकास एवं नियोजन में लगी हो;
viii. सरकार को या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित संस्था को अथवा स्थानीय सत्ता आदि को परिवार नियोजन को प्रोत्साहन हेतु दिया गया दान;
ix. सरकार व स्थानीय सत्ता को परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त किसी पुण्यार्थ उद्देश्य हेतु दिया गया दान;
x. भारत में पुण्यार्थ उद्देश्य के लिये स्थापित किसी संस्था को अथवा कोष को दिये गये दान जो निम्न शर्तों की पूर्ति करता हो :—

अ) ऐसी संस्था या कोष की आय आयकर अधिनियम की धारा 11 तथा 12 के अन्तंगत करमुक्त हो अथवा यह एक विश्वविद्यालय अथवा अन्य शिक्षा संस्था है जो केवल शिक्षा के उद्देश्य से विद्यमान हो न कि लाभ के लिए अथवा यह एक अस्पताल अथवा अन्य कोई चिकित्सा सम्बन्धी संस्था है जहाँ रोगियों का इलाज होता है तथा जो केवल जनता के हितार्थ हो अथवा भारत में स्थापित अन्य कोई ऐसी अनुमोदित संस्था हो जो क्रिकेट, हॉकी, फुटबाल, टैनिस आदि खेलों के विकास का काम करती है।

ब) उसकी आय केवल पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाती है।

स) कोष का प्रयोग या तो साधारण जनता के लाभ के लिये अथवा अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जातियों अथवा स्त्रियों या बच्चों के कल्याण हेतु किया जाता है।

द) कोष का प्रयोग किसी विशेष जाति अथवा धार्मिक सम्प्रदाय के लाभ के लिये नहीं किया जाता है, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों अथवा स्त्रियों या बच्चों के कल्याण के लिये कोष का प्रयोग किसी जाति विशेष अथवा धार्मिक सम्प्रदाय के लिये प्रयोग नहीं माना जाता है।

व) संस्था अपनी प्राप्तियों व भुगतानों के संबंध में नियमित हिसाब किताब रखती है।

र) संस्था एक सार्वजनिक पुण्यार्थ ट्रस्ट है अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 अथवा भारतीय कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत हो, अथवा कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय हो अथवा अन्य कोई शिक्षा

संस्था हो, अथवा सरकार या किसी स्थानीय सत्ता से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सहायता प्राप्त करने वाली संस्था हो अथवा भारत में स्थापित अन्य कोई ऐसी संस्था है जो क्रिकेट, हॉकी, फुटबाल, टैनिस, आदि खेलों को प्रोत्साहन देने का कार्य करती हो।

xi किसी ऐसे मन्दिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, गिरजाघर अथवा अन्य ऐसे स्थान, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐतिहासिक अथवा कलात्मक महत्व का अथवा राज्य या राज्यों में प्रसिद्ध सार्वजनिक पूजा का स्थान घोषित किया गया हो, की मरम्मत अथवा नवीनीकरण हेतु दिया गया दान।

स्पष्टीकरण :—1. वस्तु के रूप में दिया गया दान कटौती योग्य नहीं हैं। कटौती केवल नकद दी गई राशि पर ही दी जाती है लेकिन चैक अथवा ड्राफ्ट भी नकद ही माने जाते है;

2. यदि दान की कुल राशि 250 रु० से कम है तो कटौती प्राप्त नहीं होगी;

3. करदाता के स्वयं पुण्यार्थ कार्य पर व्यय करने पर कटौती नहीं दी जाती।

कटौती योग्य (Qualifying) राशि ज्ञात करना :—

निम्न राशियों का योग कटौती योग्य राशि होती हैं :—

अ) प्रथम पाँच अर्थात् उक्त (i) से (vi) तक में दी गई पूरी राशि;

ब) शेष दिए गए दान अर्थात उक्त (vii) से (xi) में दी गई दान की राशि अथवा समायोजित सकल कुल आय का 10प्रतिशत अथवा 5 लाख रुपये, जो भी तीनों में से कम हो।

टिप्पणी : समायोजित सकल कुल आय से तात्पर्य करदाता की सकल कुल आय में से निम्न कटौतियों को घटाने के पश्चात् शेष राशि से है :—

क) धारा 80G के अन्तर्गत दान के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली कटौती को छोड़कर शेष धारा 80C से 80VV तक प्राप्त होने वाली समस्त कटौतियाँ;

ख) अनरजिस्टर्ड फर्म या व्यक्तियों के अन्य समुदाय के लाभ का भाग केवल उसी स्थिति में जबकि अनरजिस्टर्ड फर्म या समुदाय की कुल आय 18,000 रु० से अधिक हो;

ग) कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज (वर्तमान में सरकार द्वारा ऐसी कोई प्रतिभूतियाँ जारी नहीं की हुई हैं)।

कटौती की दर : कटौती योग्य राशि (Qualifying amount) की गणना करने के पश्चात् दान के सम्बन्ध में कुल आय में से निम्नलिखित दरों से कटौती दी जावेगी :—

अ)	परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के उद्देश्य के लिए दिए गए दान की कटौती योग्य राशि पर	100%
ब)	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दान	100%
स)	शेष कटौती योग्य राशि पर।	50%

दोहरी कटौती अमान्य होगी

यदि किसी करदाता को दान के सम्बन्ध में इस धारा के अन्तर्गत कटौती मिली है, तो उस रकम के लिये किसी अन्य धारा के अधीन उसी अथवा अन्य कर-निर्धारण वर्ष

में कोई भी कटौती नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए एक करदाता ने वैज्ञानिक अनुसंधान संघ को 50,000 रु० दिये। यदि करदाता धारा 80G के अधीन छूट की माँग करता है तो वह उसी दान के लिए धारा 35 के अन्तर्गत 'व्यापार अथवा पेशे से लाभ' शीर्षक के अन्तर्गत कटौती प्राप्त नहीं कर सकेगा। बहरहाल वह धारा 80G के बजाय धारा 35 के अधीन कटौती माँग सकता है।

उदाहरण (Illustration) 4 : निम्नलिखित स्थितियों में कुल आय की गणना कीजिए :—

1. अब्दुल्ला की कुल सकल आय 5,00,000 रुपये है। उसने एक पुण्यार्थ संस्था को 60,000 रुपये व राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में 15,000 रुपये दान दिये।

2. अरविन्द की कुल सकल आय 55,00,000 रुपये है। उसने 2,40,000 रुपये का दान एक पुण्यार्थ संस्था को दिया तथा 4,00,000 रुपये का दान ऐसे गुरुद्वारे को दिया है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐतिहासिक महत्व का घोषित कर दिया गया है।

3. रामस्वरूप की कुल सकल आय 4,50,000 रु० है। उसने एक विश्वविद्यालय को 21,000 रु० एवं एक चर्च (जो केन्द्रीय सरकार द्वारा कलात्मक महत्व की घोषित करदी गई है) को 29,000 रु० दान दिया है। उसने अपनी 2,00,000 रु० की जीवन बीमा पालिसी पर 15,000 रु० का प्रीमियम दिया है।

4. प्राग मिल्स लि० की कुल सकल आय 10,00,000 रु० है। इसने गतवर्ष में 1,00,000 रु० दान दिया है। जिसमें में 50,000 रु० कांग्रेस पार्टी को दिए गए हैं।

5. श्री गुप्ता की सकल आय 42,000 रु० है जिसमें से 5,000 रु० श्री वार्ष्णेय कालिज को तथा 1,000 रु० एक अनाथालय को दान दिये हैं।

6. श्री महेश पोरवाल की कुल आय 5,00,000 रु० हैं। जिसमें अपंजीकृत फर्म के लाभों में हिस्सा 50,000 रु० सम्मिलित है। उन्होंने गतवर्ष में निम्न राशियाँ दान में दी।—

अ) इन्दिरा गाँधी स्मृति ट्रस्ट में	80,000
ब) निर्धन छात्रों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण	5,000
स) जयपुर विकास प्राधिकरण को परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रोत्साहन के लिये	8,000
द) ऐतिहासिक महत्व के घोषित स्थान ताजमहल की मरम्मत के लिए दान	50,000
इ) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दान	40,000

Compute total income in the cases given below :

1. Abdulla's gross total income is Rs. 5,00,000. He donated Rs. 60,000 to a charitable institution and Rs. 15,000 to the National Defence Fund set up by the Central Government.

2. Arvind's gross total income is Rs. 55,00,000. He donated Rs. 2,40,000 to a charitable institution and Rs 4,00,000 to a gurudwara notified by the Central Government as a place of historic importance.

3. Ram Swarup's gross total income is Rs. 4,50,000 and he has donated Rs. 21,000 to a University and Rs. 29,000 to a Church which is a place of artistic value. He pays life insurance premium of 15,000 on a policy of Rs. 2,00,000.

4. Prag Mills Ltd 's gross total income is Rs. 10,00,000, Amount donated by it during the years comes to Rs. 1,00,000 out of which Rs. 50,000 have been donated to the Congress Party.

5. Shri Gupta's gross total income is Rs. 42,000 out of which he donates Rs. 5,000 to Shri Varshney College and Rs. 1,000 to an orphange.

6. Shri Nahesh Porwal's gross total income is Rs. 5,00,000 which includes Rs. 50,000 share in profits of Unregd. He donated the following amounts during the previous year.

a) Rs. 80,000 to Indira Gandhi Memorial Trust.
b) Text books of Rs. 5,000 was distributed to poor students.
c) Rs 8,000 given to Jaipur Development Authority for promotion of family planning programme.
d) Rs. 50,000 for repairs of the Taj Mahal declared of historical importance.
e) Rs. 40,000 to be the Prime Minister's National Relief Fund.

हल (Solution) :

		Rs.
1. Gross Total Income		5,00,000
Deduct : 50% of the qualifying donations i. e., Rs. 65,000		32,500
Total Income		4,67,500

Qualifying Donations

	Rs.
i. Donation to a charitable institution being restricted to 10% of Gross Total Income	50,000
ii. Contribution to National Defence Fund	15,000
	65,000

2. Gross Total Income		55,00,000
Deduct : 50% of the qualifying donation i. e., Rs. 5,00,000		2,50,000
Total Income		52,50,000

Qualifying Donations

i. Donation to charitable institution	2,40,000	
ii. Donation to a gurudwara	4,00,000	6,40,000

कुल कटौती योग्य राशि सकल समायोजित आय के 10% अर्थात् 5,00,000 रु० अथवा 5,50,000, जो भी दोनों में कम हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए अतः कटौती योग्य राशि 5,00 000 रु० ही होगी।

4. Gross Total Income			4,50,000
a) Deduction u/s 80C			
First Rs. 6,000	6.000		
Next Rs. 6,000 @ 50%	3,000		
Next Rs. 3,000 @ 40%	1,200	10,200	
b) Deduction u/s 80G—Donation			
50% of the qualifying donation of Rs. 43,980		21,990	32.190
Total Income			4,17,810

Qualifying Amount u/s 80C

Life Insurance Premium Rs. 15,000.

Qualifying donation u/s 80G

विश्वविद्यालय एवं चर्च को दिये गये दान (50,000 रु०) सकल समायोजित आय (4,50,000 रु०-10,200रु०) 4,39,800 रु० के 10 प्रतिशत अर्थात 43,980 रु० अथवा 5,00,000 रु० जो भी दोनों में कम हो, कटौती योग्य हो सकते हैं। अतः उक्त दोनों में कम 43,980 रु० कटौती योग्य राशि है।

5. Gross Total Income	10,00,000
Total Income	10,00,000

नोट :—चूँकि शेष 50,000 रु० किस संस्था को दिया गया है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है, अतः यह नहीं माना जा सकता कि वह संस्था अनुमोदित ही होगी, अतः कोई कटौती नहीं दी गई है।

6. Gross Total Income	42,000
Deduct : 50% of the qulifying donation i. e. Rs. 4,200.	2,100
Total Income	39,900

टिप्पणी :—वार्ष्णेय कालेज को दिया गया दान ही कटौती योग्य है। यह माना गया है कि यह कालेज मान्यता प्राप्त कालेज है। चूँकि कालेज को 5,000 रु० दान दिया गया है तथा सकल समायोजित आय (42,000 रु०) का 10% 4,200 रु० एवं 5,00,000 रु० तीनों में 4,200 रु० कम है अतः कटौती योग्य राशि 4,200 रु० है।

6. Gross Total Income	5,00,000
Deduct : Donations u/s 80G	1,04,500
Total Income	3,95,500

टिप्पणी :—निर्धन छात्रों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण 5,000 रु० कटौती योग्य नहीं है। जबकि परिवार नियोजन के लिए दान 8,000 एवं ताजमहल की मरम्मत के लिए दान 50,000 रु० अर्थात् कुल 58,000 रु० कटौती योग्य है किन्तु यह राशि सकल समायोजित आय 5,00,000 रु०—50,000 रु० (अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभ में हिस्सा) 4,50,000 रु० के 10% अर्थात् 45,000 रु० तक सीमित कर दी जायेगी। इसके अतिरिक्त इन्दिरा गाँधी स्मृति ट्रस्ट में दान 80,000 रु० तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दान 40,000 रु० भी कटौती योग्य है।

कटौती योग्य राशि :—

i. परिवार नियोजन के लिए दान 8,000 रु० का 100%	8,000
ii. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दान 40,000 रु० का 100%	40,000
iii. अन्य उद्देश्यों के लिए कटौती योग्य दान 1,17,000 रु० का 50% (45,000+80,000—8,000)	58,500
	1,06,500

उदाहरण (Illustration) 5 : एक भारतीय नागरिक श्री सुरेशचन्द्र कागज के व्यापारी हैं। उन्हें 31 मार्च, 1986 को समाप्त वर्ष में 70,000 रु० कर योग्य लाभ हुआ है। वे एक अनरजिस्टर्ड फर्म में साझेदार भी है, जिसमें लाभ का उनका भाग 10,000 रु० है; फर्म की कुल आय 30,000 रु० है।

एक फर्म में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज की राशि 7,200 रु० है। उन्होंने गतवर्ष से सम्बन्धित निम्न सूचनायें प्रदान की हैं :—

अ) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष दान 600 रु०; राजस्थान सरकार को परिवार नियोजन के प्रोत्साहन हेतु दिया गया दान 5,000 रु०; एक अनाथ को दिया गया दान 1,000 रु०; ऐतिहासिक महत्व का केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित लाल किला, के नवीनीकरण हेतु दिया गया दान 11,000 रु० हिन्दुओं के लिये धर्मशाला बनाने के लिये दिया गया दान 10,000 रु०

एक मान्यता प्राप्त विद्यालय को 5,000 रु० का फर्नीचर दान।

ब) एक ऐसी नई कम्पनी के 200 साधारण अंशों के क्रय करने के लिये 22,000 रु० का भुगतान (प्रीमियम सहित) किया गया जो रिहायशी मकानों को बनाने के लिये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है।

स) उनके 18 वर्षीय पुत्र के मेडिकल की डिग्री के पाठ्यक्रम पर व्यय 3,000 रु०।

द) उनके 40 वर्षीय पुत्र जो प्रोफेसर है, की 1,00,000 रु० की जीवन बीमा पॉलिसी पर दिया प्रीमियम 11,750 रु०।

निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये उनकी कुल आय की गणना कीजिये।

Shri Suresh Chandra, an Indian citizen, is a Paper merchant. He earned a taxable profit of Rs. 70,000 during the year ending 31st March, 1986. He is also a partner in unregistered firm, his share of profit in it is Rs. 10,000; the total income of the firm is Rs. 30,000.

Received Rs. 7,200 as interest from amount deposited in a firm. He provides following information relating to provious year :

a) Donation to the Prime Minister's National Relief fund Rs. 600; Donation to Rajasthan Government for promotion of family planning Rs. 5,000; Charity to an orphan Rs. 1,000; Donation for renovation of Red Fort notified by the Central Government Rs. 11,000, Rs 10,000 given for construction of a in for Hindus; Furniture costing Rs. 5,000 was given to a recognised school.

b) He paid Rs. 22,000 (with premium) to purchase 200 equity Shares of a new company which provides long term loans for construction of residential houses.

c) Amount spent on the degree course in medical for his son aged 18 years. Rs. 3,000.

d) Premium paid on the life insurance policy for Rs. 1,00,000 of his 40 year old son, who is a professor Rs. 11,750.

Compute his total income for the assessment year 1986-87.

हल (Solution) :

Statement of Total Income of Shri Suresh Chandra for the A.Y. 1986-87

			Rs.
Income from Business & Profession			
Profits from Business		70,000	
Profits for Un-registered firm		10,000	80,000
Income from other sources			
Interest from a firm $7{,}200 \times \frac{100}{90} = 8{,}000$			8,000
Gross Income			88,000
Deductions :			
U/s 80-C	Rs.		
on First Rs. 6,000 @ 100%	6,000		
on the balance 4,000 @ 50%	2,000	8,000	
U/s 80-CC		10,000	
U/s 80-G			
on family planning Rs. 5,000 @ 100%	5,000		
on Prime Ministers National Relief Fund Rs. 600 @ 100%	600		
Others Rs. 1,000 @ 50%	500	6,100	24,100
Total Income			63,900

टिप्पणी :—1. जीवन बीमा प्रीमियम की कटौती के लिए पालिसी की राशि का 10 प्रतिशत ही कटौती योग्य राशि में सम्मिलित होता है, अत; 10,000 रु० पर 80-C की कटौती दी गई है।

2. धारा 80-CC के अन्तर्गत कटौती अंशों की लागत के 50% के बराबर दी जाती है किन्तु अधिकतम कटौती 10,000 रु० से अधिक नहीं होगी।

3. भारतीय नागरिक को बच्चों की शिक्षा पर ब्याज के लिए कोई कटौती प्राप्त नहीं होती है।

4. दान के सम्बन्ध में कटौती की गणना :

अनाथ को दिये गये दान, हिन्दुओं के लिए (धर्म विशेष के लिए) धर्मशाला के लिए दान एवं स्कूल को फर्नीचर (वस्तुओं के दान) का दान कटौती योग्य नहीं है।

कटौती योग्य राशि :

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दान — पूरी राशि अर्थात् 600 रु०

अन्य दान (5,000+11,000=16,000 रु०) के लिए समायोजित सकल कुल आय=60,000 रु० [88,000—28,000 (10,000 रु० अंपजीकृत फर्म से लाभों में हिस्सा+8,000 रु० धारा 80C की कटौती+10,000 रु० धारा 80CC की कटौती)] का 10% अर्थात् 6,000 अथवा दान की राशि 16,000 रु० जो दोनों में से कम है अर्थात् 6,000। कुल कटौती योग्य राशि 6,600 रु० पर कटौती दी गई है जिसमें से परिवार नियोजन की राशि 5,000 रु० पर 100% तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दान 600 रु० पर भी 100% कटौती दी गई हैं एवं शेष 1,000 रु० पर 50% की दर से कटौती दी गई है।

4. चुकाये गये किराये के लिए कटौती (Deduction in respect of Rent Paid) [80GG] : एक व्यक्ति करदाता द्वारा अपने रहने के मकान के सम्बन्ध में चुकाये गये किराये के सम्बन्ध में सकल कुल आय में से निम्न शर्तों के पूरा करने पर कटौती दी जाती है :—

अ) करदाता यदि कर्मचारी है तो मकान का किराया भत्ता नहीं मिलता है।

ब) करदाता किराये के मकान में रहता हो और उसने गतवर्ष में ऐसे मकान के सम्बन्ध में किराया चुकाया हो।

स) करदाता का अपना, अपने जीवन साथी, अपने अवयस्क बच्चों का अथवा ऐसे हिन्दू अविभाजित परिवार का जिसका वह सदस्य है जहाँ वह व्यक्ति सामन्यतया रहता है अथवा नौकरी करता है अथवा व्यापार या पेशा चलाता है कोई रिहायशी मकान न हो अथवा यदि रिहायशी मकान अन्यत्र कहीं स्थित है तो करदाता स्वयं नहीं रहता हो।

द) इस धारा के अधीन कटौती तभी मिलती है जबकि करदाता का निवास स्थान निम्नलिखित में से किसी भी नगर में स्थित हो :

i. आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, बैंगलोर, भोपाल, कलकत्ता, कोयम्बटूर, दिल्ली, फरीदाबाद, ग्वालियर (लश्कर), हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, लुधियाना सिटी, मदुराई, नागपुर, पटना, पूना, श्रीनगर, सूरत, बड़ोदरा (बड़ौदा) वाराणसी (बनारस) तथा इनके शहरी समूह;

ii. बम्बई, कालीकट, कोचीन, गाजियाबाद, हुबली-धारवाड़, मद्रास, शोलापुर, त्रिवेन्द्रम तथा विशाखापटनम् ।

कटौती की राशि :—मकान चाहे सुसज्जित हो अथवा असुसज्जित, चुकाये गये किराये के सम्बन्ध में निम्न में से सबसे कम राशि के बराबर कटौती स्वीकार्य होगी :

i. चुकाये गये किराये का कुल आय के 10% पर आधिक्य अर्थात् Rent paid Less 10% of total income;
ii. कुल आय का 15 प्रतिशत,
iii. 400 रु० प्रतिमाह ।

यहां कुल आय का आशय सकल कुल आय में से धारा 80GG के अन्तर्गत स्वीकृत कटौती को छोड़कर धारा 80C से धारा 80VV तक स्वीकृत कटौती के घटाने के बाद की आय से है ।

स्पष्टीकरण :—यदि किसी करदाता को धारा 80G एवं 80GG दोनों के अन्तर्गत कटौती दी जानी है तो बीजगणितीय समीकरण द्वारा ही कटौती की गणना की जा सकती है क्योंकि दोनों ही धाराओं के अन्तर्गत कुल आय का अर्थ एक समान है ।

उदाहरण (Illustration) : 5 श्री रजनीश को सभी भत्तों सहित 45,000 रु० का वेतन मिलता है । वर्ष के दौरान एक रजिस्टर्ड फर्म के लाभों में हिस्सा 10,000 रु० है । उन्होंने 50,000 रु० का जीवन बीमा करा रखा है और 5,000 रु० वार्षिक प्रीमियम देते हैं । उन्होंने वर्ष के दौरान 3,000 रु० राष्ट्रीय रक्षा कोष (National Defence Fund) में दान किये हैं । वह मदुराई में 6,000 रु० के वार्षिक किराये के मकान में रहते हैं । कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए उनकी कुल आय का निर्धारण कीजिये ।

Shri Rajnis is in receipt of annual salary of Rs. 45,000 with no other allowance or perks. His share of profit from a registered firm comes to Rs. 10,000 during the year. He is insured for Rs.50,000 and pays insurance premium of Rs.5,000 annually. He has donated Rs. 3,000 during the year to the National Defence Fund. He lives in a rented house at Madurai for which the annual rent payable is Rs. 6,000. Calculate his total income for the assessment year 1986-87.

हल (Solution) :

	Rs.	Rs.
Salary	45,000	
Less : Standard deduction	6,000	39,000
Share of profit from a registered firm		10,000
Gross Total Income		49,000
Deductions Allowable	Rs.	
a) u/s 80C : Premium : 100% of Rs. 5,000	5,000	
b) u/s 80G : Donation : 50% of Rs. 3,000	1,500	
c) u/s80GG : Rent paid	1,750	8,250
Total Income		40,750

टिप्पणी :—80-GG के अन्तर्गत कटौती की राशि की गणना निम्न प्रकार की गई है ।

Note : Deduction u/s 80GG has been calculated as follows :

Gross Total Income	49,000
Deduction (except u/s 80GG)	6,500
Total Income for this purpose	42,500
Rent paid	6,000
10% of total income	4,250
Excess rent-paid	1,750

उदाहरण (Illustration) 6 : श्री फड़के पूना में नौकरी करते हैं और 10,000 रु० प्रतिवर्ष मकान का किराया चुकाते हैं। उसकी सकल कुल आय 28,000 रु० है। गतवर्ष में उसने अपने जीवन पर ली गई एक लाख रु० की पालिसी का प्रीमियम 10,000 रु० दिया तथा 5,000 रु० पूना नगर महापालिका को पुण्यार्थ उद्देश्य के लिए दान दिया। श्री फड़के की कुल आय की गणना कीजिये।

Mr. Phadke is employed in Poona and Pays Rs 10,000 per annum for hired accomodation. His gross total income is Rs. 28,000. During the previovs year he paid Rs. 10,000 as premium on his life policy of Rs. one lakh (taken on his life) and Rs. 5,000 donated to Poona Municipal Corporation for charitable purposes. Computed total income of Mr. Phadke.

हल (Solution) :

		Rs.	Rs.
Gross Total Income			28,000
Less : Deduction			
U/s 80C			
First 6,000 @ 100%	6,000		
next 4,000 @ 50%	2,000	8,000	
U/s 80G (See note below)		856	
U/s 80GG (See note below)		2,872	11,728
Total income			16,272
Rounded off			16,270

टिप्पणी :—प्रश्न में धारा 80G एवं 80GG के अन्तर्गत कटौती की गणना करनी है। और दोनों ही कटौतियों के लिए समायोजित कुल आय (धारा 80 से लेकर 80VV तक की कटौतियों के घटाने के बाद) का प्रतिशत चाहिए जो कि एक दूसरे की कटौती की राशि पर आधारित है अतः बीजगणितीय समीकरण द्वारा हल किया जाना आवश्यक है।

माना कि धारा 80GG के अन्तर्गत कटौती की राशि A है

i. अतः धारा 80G के अन्तर्गत अधिकतम कटौती योग्य राशि होगी 10% of (28,000—8,000—A)

अथवा 2,000—·1A

स्वीकृत कटौती 50% of 2,000—·1A

अर्थात् 1000—.05A होगी

ii. धारा 80GG के अन्तर्गत कटौती निम्न तीन में जो सबसे कम है के बराबर होगी।

a) Actual Rent Paid—10% of Total Income
अर्थात् 1,000—10% [20,000—(1,000—.05A)]
अर्थात् 10,000—(1900 + ·005A)
अर्थात् 8,100—.005A

b) 15% of Total Income
अर्थात् 15% [20,000—(1,000—·05A)]
अर्थात् 2,850 + .0075A

c) 4,800 रु०

उपरोक्त तीनों में से सबसे कम 2,850 + .0075A है जो कि 80GG की कटौती है जिसे कि A के बराबर माना है

अर्थात् 2,850 + .0075 A = A
अथवा 2,850 = —.0075A + A
अथवा 2,850 = .9925A
2,872 = A

iii. धारा 80G के अन्तर्गत कटौती है 1,000—.05A
अर्थात् 1,000—.05 × 2,872
अर्थात् 1,000—143.6 = 856 लगभग

5. वैज्ञानिक शोध, ग्राम विकास या प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए दान में दी गई राशि (Deduction in respect of Scientific Research, Rural Development and Conservation of Natural Resources) (80-GGA) : करदाता की सकल कुल आय में व्यापार एवं पेशे के लाभ शीर्षक से सम्बन्धित कर योग्य आय सम्मिलित नहीं है तो करदाता के द्वारा निम्नलिखित दान दिये जाने पर पूरी राशि की कटौती सकल आय में दी जाती है :—

a) किसी अनुमोदित वैज्ञानिक शोध संस्था, अनुमोदित विश्वविद्यालय, अनुमोदित महाविद्यालय अथवा अनुमोदित अन्य सस्था को वैज्ञानिक शोध हेतु प्रयुक्त करने के लिए दी गई राशि;

b) किसी संस्था अथवा संस्थान को दी गई राशि, जिसका उद्देश्य ग्राम विकास का कोई कार्यक्रम चलाने का है, तथा संस्था द्वारा प्राप्त राशि अनुमोदित ग्राम विकास कार्यक्रम के लिए प्रयोग की जानी हो ;

c) किसी ऐसी संस्था अथवा संस्थान को दी गई धनराशि जिसका उद्देश्य ग्राम विकास के प्रोग्राम को चलाने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का है तथा जो इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित है।

टिप्पणी :— उपर्युक्त (b) के अन्तर्गत कटौती तभी दी जायेगी जब करदाता द्वारा ऐसे संघ अथवा संस्थान द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये जिसमें यह उल्लेख हो कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम निर्धारित सत्ता द्वारा 1 मार्च 1983 के पूर्व अनुमोदित किया जा चुका है। यदि भुगतान 28 फरवरी 1983 के बाद किया जाता है तो ऐसा अनुमोदित कार्यक्रम 1 मार्च 1983 के पूर्व प्रारम्भ हुए भवन, सड़क, कुआ बनाने या प्लांट एवं मशीन लगाने के संबंध में हों।

उपर्युक्त (c) के अन्तर्गत कटौती तब दी जायेगी जब करदाता द्वारा ऐसे संघ या संस्था से प्राप्त कर यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये कि निर्धारित सत्ता द्वारा ऐसी संस्था या संघ को 1 मार्च 1983 के पूर्व अनुमोदित कर दिया गया था एवं व्यक्तियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 मार्च 1983 के पूर्व प्रारम्भ हो गया हो।

d) यदि कोई करदाता गतवर्ष में किसी ऐसे अनुमोदित संघ या अनुमोदन संस्था जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का कार्य करना हो, को अनुमोदित कार्यक्रम चलाने के लिए कोई राशि देता है तो दी गई राशि की कटौती उसकी सकल कुल आय में से दी जाती है।

e) यदि करदाता गतवर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित एवं अधिसूचित ग्रामीण विकास तथा अधिसूचित ग्रामीण विकास कोष में कोई राशि देता है तो उसकी कटौती सकल कुल आय में से दी जाती है।

स्पष्टीकरण :—उक्त भुगतानों के सम्बन्ध में इस धारा के अन्तर्गत कटौती प्राप्त होने पर अन्य किसी धारा के अन्तर्गत कोई कटौती नहीं मिल पायेगी।

आयों के सम्बन्ध में कटौतियाँ
(Deduction in respect of incomes)

6. पिछड़े क्षेत्र के स्थापित औद्योगिक संस्थान व होटल व्यापार से लाभ (Profits and gains from newly established industrial undertaking etc. in backward areas) [80 HH]—इस धारा के द्वारा आयकर अधिनियम की आठवीं अनुसूची में वर्णित पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक संस्थान व होटल व्यापार प्रारम्भ करने को प्रोत्साहन दिया जाता है।

इस धारा के अन्तर्गत पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थापित नये औद्योगिक उद्यम अथवा नये होटल के लाभों के 20% कटौती 10 वर्षों तक दी जाती है जो उस गतवर्ष से संबंधित कर निर्धारण वर्ष से प्रारम्भ होगी जिसमें कि औद्योगिक उद्यम ने उत्पादन कार्य प्रारम्भ किया है अथवा होटल ने अपना कार्य प्रारम्भ किया है। इसके संबंध में निम्न शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक होगा :—

औद्योगिक संस्थान (Industrial Undertakings) :

1. यह औद्योगिक उद्यम पिछड़े क्षेत्र में पहले से ही स्थापित किसी उद्यम को बन्द कर अथवा पुनर्निर्माण द्वारा शुरू नहीं किया जाना चाहिए किन्तु धारा 33 B के अन्तर्गत पुर्नस्थापित उद्योगों को यह लाभ मिलेगा।

2. पिछड़े क्षेत्रों में ही पहले से किसी भी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त प्लांट व मशीनरी को हस्तान्तरित करके यह उद्योग न बना हो।

3. शक्ति संचालित निर्माण प्रक्रिया में कम से कम 10 श्रमिक व बिना शक्ति के होने वाली निर्माण प्रक्रिया में कम से कम 20 श्रमिक लगे होने चाहिए।

4. ऐसे औद्योगिक उद्यम में पिछड़े क्षेत्रों में पहले से प्रयुक्त प्लांट एवं मशीनरी का हस्तान्तरण किया गया है तो यह कुल प्लांट एवं मशीन की लागत के 20% से अधिक लागत के न हों।

होटल (Hotel) : 1 यह होटल पहले से ही स्थापित किसी पुराने होटल के विखण्डन अथवा पुनर्निर्माण द्वारा न बनाया गया हो।

2. होटल इस धारा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित हो।

अन्य बातें :

a) यह छूट सभी श्रेणी के करदाताओं जैसे कम्पनी, व्यक्ति सहकारी समिति आदि सभी को मिलेगी।

b) इस कटौती को पाने वाले करदाता (कम्पनी एवं सहकारी समिति के अलावा) अपने हिसाब को विधिवत रखेंगे तथा एक चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा उनका अंकेक्षण करा कर अंकेक्षण रिपोर्ट आय के नक्शे के साथ लगायेंगे।

टिप्पणी A. : किसी लघु उद्योग के लिए यदि धारा 80HHA के अधीन कटौती प्राप्त की जाती है तो उसी उद्योग के लाभों पर इस धारा के अधीन कटौती नहीं मिल सकेगी।

B. यह कटौती खनिज निकालने के उद्यम के लाभों पर नहीं दी जाती हैं।

7. ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन स्थापित लघु औद्योगिक इकाइयों के लाभों के लिए कटौती (Deduction in respect of profits and gains from newly established small scale industrial undertakings in rural areas [80HHA]—इस धारा के अधीन उन औद्योगिक इकाइयों के लाभों में से 20% की कटौती स्वीकृत होती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में चालू की गई हैं। यह कटौती 10 वर्षों के लिए मिल सकेंगी। इस सन्दर्भ में अन्य शर्तें इस प्रकार हैं :

i. इस इकाई ने ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन 30 सितम्बर 1977 के बाद प्रारम्भ किया हो।

ii. यह इकाई किसी पुराने व्यापार के पुनर्निर्माण से नहीं बनी होनी चाहिए। ऐसा उद्योग जो किसी देवी प्रकोप का शिकार हो गया है व जो धारा 33B की परिधि में आता है किसी नवीन लघु उद्योग में परिवर्तित किया जा सकता है।

iii. किसी पुराने व्यापार में प्रयोग ली जा रही प्लांट व मशीन का इस व्यापार में हस्तांतरण नहीं होना चाहिए। किन्तु पहले से प्रयोग में ली गई प्लान्ट एवं मशीनरी का नये उद्यम में हस्तांतरण यदि हुआ है तो ऐसी प्लान्ट एवं मशीनरी का मूल्य लघु औद्योगिक उद्यम की कुल प्लान्ट एवं मशीनरी की लागत के 20% से अधिक न हो।

iv. शक्ति संचालित लघु औद्योगिक उद्यम में कम से कम 10 एवं बिना शक्ति के प्रयोग से निर्माण क्रिया में लगे हुए लघु औद्योगिक उद्यम में कम से कम 20 कर्मचारी लगे होने चाहिए।

v. कम्पनी एवं एक सहकारी समिति के अतिरिक्त अन्य किसी करदाता को हिसाब सम्बन्धीं पुस्तकों का अंकेक्षण एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जाना चाहिए।

vi. ऐसी दशा में जहाँ नवीन स्थापित उद्योग को धारा 80J अथवा 80I के अधीन छूट मिलने का प्रावधान है, पहले इस धारा के अधीन छूट मिलेगी इसके पश्चात् धारा 80J अथवा 80I की छूट मिलेगी।

vii. जब किसी लघु उद्योग को धारा 80HH के अधीन छूट मिलती है तो उन लाभों पर उस धारा के अन्तर्गत छूट का प्रावधान नहीं है।

viii. एक औद्योगिक इकाई लघु इकाई कहलाती है यदि गतवर्ष 31 जुलाई 1980 के पश्चात किन्तु 18 मार्च, 1985 के पूर्व समाप्त हुआ है तो ऐसे गतवर्ष के अन्तिम दिन इसमें लगे हुए प्लांट व मशीन का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक नहीं है। यदि गतवर्ष 17 मार्च, 1985 के पश्चात समाप्त हुआ है तो ऐसे गतवर्ष के अन्तिम दिन इसमें लगे हुये प्लाँट व मशीन का मूल्य 35 लाख रुपये से अधिक नहीं हैं। यदि गतवर्ष 1-8-1980 से पूर्व समाप्त हुआ है तो 10,00,000 रु० से अधिक नहीं है।

ix. यह कटौती उन सभी औद्योगिक संस्थानों को भी मिलेगी जिन्हें यह कटौती पूर्व में इसलिये नहीं मिली थी क्योंकि वे लघु औद्योगिक उद्यम की श्रेणी में नहीं आते थे और अब 31 जुलाई, 1980 अथवा 17 मार्च, 1985 के बाद वे लघु औद्योगिक उद्यम की श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसी सभी लघु औद्योगिक उद्यमों को दस वर्षों में से शेष रहे गतवर्षों के लाभ पर यह कटौती दी जावेगी अर्थात् 10 वर्षों में से उन वर्षों को कम कर दिया जायेगा जो 31 जुलाई 1980 के पूर्व अथवा 18 मार्च 1985 के पूर्व समाप्त हो चुके हैं।

x. यह औद्योगिक उद्यम यदि खनिज निकालने का कार्य करता है तो ऐसे लाभों पर कटौती नहीं दी जायेगी।

स्पष्टीकरण :—यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से आशय उस क्षेत्र से है जो 10,000 या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका या छावनी बोर्ड के क्षेत्र के अन्तर्गत अथवा ऐसी किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड के क्षेत्र के बाहर 15 किलोमीटर की परधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं हो।

8. भारत के बाहर पूरी की गई परियोजना से लाभों के लिए कटौती (Deduction in respect of profit and gains from projects outside India) (80HHB) : यह कटौता भारतीय कम्पनी व भारत में निवासी ऐसे करदाता को मिलती है जिसने विदेशी सरकार अथवा विदेशी सार्वजनिक प्राधिकारी के साथ किसी परियोजना को पूरा करने का प्रसंविदा किया हो व इससे उसे 'व्यापार' शीर्षक के अधीन लाभ हुये हों। कटौतो को राशि ऐसे लाभों का 25% होगी। ऐसी कटौती भवन, सड़क, बाँध, पुल आदि के निर्माण से सम्बन्धित परियोजना से प्राप्त लाभों पर मिलती है। इस संदर्भ में अन्य शर्तें इस प्रकार हैं।

1. करदाता को ऐसी प्रायोजना के लिये पृथक से हिसाब-किताब रखना होगा। इस हिसाब का किसी चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट द्वारा अंकेक्षण भी अनिवार्य होगा। यह अंकेक्षण रिपोर्ट आयकर के नक्शे के साथ भेजी जानी चाहिए।

2. ऐसे प्रायोजन से प्राप्त लाभों का 25% 'विदेशी परियोजना कोष खाते' (Foreign Projects Reserve Account) में हस्तांतरण होना चाहिए। इस कोष का प्रयोग अगले 5 वर्षों में व्यापार के उद्देश्य के लिए होना चाहिए। इसमें से लाभों का वितरण अथवा लाभांश का वितरण नहीं हो सकता।

3. सम्बन्धित गतवर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि में अथवा बढ़ाई गई अवधि में ऐसे लाभों का कम से कम 25% परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में लाया जावे। यदि कम राशि लाई जाती है तो कटौती की राशि भी कम कर दी जाती है।

4. यदि विदेशी परियोजना कोष खाते में हस्तांतरित राशि अथवा विदेश से भारत

में लाई गई रकम लाभों के 25% से कम है तो इस धारा के अधीन कटौती भी इसी कम रकम के लिये ही मिलेगी।

5. विदेशी परियोजना कोष खाते का प्रयोग यदि पांच वर्षों की अवधि में ही लाभांश वितरण कर दिया जाता है तो इस धारा के अधीन मिली कटौती गलती से दी गई कटौती मानी जायेगी। इस कारण पिछले सम्पन्न हुये कर-निर्धारण पर एक बार पुनः विचार होगा तथा कटौती समाप्त करके जो भी कर की राशि आयेगी उसमें से प्रदत्त राशि को घटाकर शेष को करदाता से वसूल किया जायेगा।

9. **निर्यात-बिक्री के सम्बन्ध में कटौती** (Deduction in respect of export sales) (80HHC) : कोई भारतीय कम्पनी या अन्य निवासी करदाता जो गतवर्ष में ऐसे किसी माल का भारत के बाहर निर्यात करता है, जिस पर यह धारा लागू होती है, तो उसे ऐसे निर्यात से होने वाले लाभ के 50% के बराबर की कटौती स्वीकृत होगी बशर्ते : (i) कटौती की राशि के बराबर की राशि से गतवर्ष का लाभ-हानि खाता डेबिट (Debit) करके एक संचय खाता क्रेडिट (Credit) कर दिया गया है। (ii) संचय का प्रयोग व्यापार में किया जावे।

यदि करदाता ने केवल ऐसे माल का ही निर्यात किया है (जिस पर यह धारा लागू होती है) तो 'व्यापार एवं पेशे' शीर्षक के अन्तर्गत गणना किये गये सम्पूर्ण लाभ पर यह कटौती प्राप्त होगी। यदि करदाता इस व्यापार के साथ अन्य कोई व्यापार भी करता है तो निर्यात व्यापार का लाभ कुल लाभ के उसी अनुपात में होगा जो निर्यात व्यापार की कुल बिक्री का सम्पूर्ण व्यापार की कुल बिक्री का है।

टिप्पणी : 1. खनिज तेल और खनिज पदार्थों के निर्यात विक्रय के सम्बन्ध में यह कटौती नहीं मिलती है।

2. यदि निर्यात किये गये माल के सम्बन्ध में विक्रय प्रतिफल की राशि परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं की जाती है तो तह कटौती स्वीकृत नहीं होगी।

3. निर्यात बिक्री में कस्टम स्टेशन के बाद Transport के सम्बन्ध में भाड़ा व बीमा व्यय शामिल नहीं होगा।

10. **31 मार्च, 1981 के बाद स्थापित नये औद्योगिक उद्यमों, समुद्री जहाजों अथवा होटलों के लाभों के सम्बन्ध में कटौती** (Deduction in respect of profits and gains from industrial undertakings, ships and hotels) [80I] : यह धारा 80 J के स्थान पर लागू की गई है जिसमें 31 मार्च, 1981 के बाद स्थापित नये औद्योगिक उद्यम (कोल्ड स्टोरेज प्लांट सहित), होटल व्यवसाय एवं समुद्री जहाजों अथवा अन्य शक्ति से चलने वाले क्राफ्ट (powered craft) की मरम्मत के व्यापार के लाभों पर कटौती की व्यवस्था की गई है।

कटौती की दर

अ) कम्पनी करदाताओं के लिए :—

i. ऐसी कम्पनी जो समुद्री जहाज अथवा अन्य शक्ति से चलने वाले जहाजों की मरम्मत का व्यवसाय करती है तो ऐसे लाभों में से व्यवसाय प्रारम्भ करने के वर्ष में तथा आगामी 4 वर्ष तक (अर्थात कुल पाँच वर्षों तक) 20% की कटौती दी जाती है।

ii. ऐसी कम्पनी जो उपर्युक्त (i) में वर्णित व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय में संलग्न हो तो ऐसे लाभों में से व्यापार प्रारम्भ करने के वर्ष में तथा आगामी 7 वर्षों में (अर्थात कुल 8 वर्षों में) 25% की कटौती दी जाती है।

ब) सहकारी समिति की स्थिति में :— ऐसे लाभों में से व्यवसाय प्रारम्भ करने के वर्ष में तथा आगमी 9 वर्षों में (अर्थात कुल 10 वर्षों तक) 20% की कटौती दी जाती है।

स) अन्य करताओं की स्थिति में :—

ऐसे लाभों में व्यवसाय प्रारम्भ करने के वर्ष में तथा आगामी 7 वर्षों में (अर्थात कुल 8 वर्षों तक) 20% की कटौती दी जाती है।

नवीन उद्योगों के लिए शर्तें :—

i. यह नवीन उद्योग किसी पुराने उद्योग को तोड़कर अथवा उसके पुनर्निर्माण के परिणाम स्वरूप नहीं बना है। किन्तु यह प्रतिबंध उन उद्योगों पर लागू नहीं होगा जो धारा 33 B के अन्तर्गत पुनर्जीवित किये गये हैं।

ii. यह नवीन उद्योग पहले कभी प्रयोग की गई मशीन आदि को हस्तांतरित करके नहीं बनाया गया है।

iii. यह उद्योग किसी ऐसी वस्तु का निर्माण नहीं करता जो आयकर अधिनियम की ग्याहरवीं अनुसूची में वर्णित है। यह प्रतिबन्ध लघुऔद्योगिक उद्यम पर लागू नहीं होगा। अर्थात् लघुउद्योग, यदि ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित वस्तुओं का उत्पादन भी करते हैं तो भी छूट मिल सकेगी।

iv. ऐसे उद्योग में जहाँ शक्ति की सहायता से निर्माण कार्य होता है कम से कम 10 श्रमिक काम करते हैं व अन्य उद्योगों में 20 श्रमिक काम करते हैं।

पुरानी मशीन : इस धारा के अधीन कटौती उस स्थिति में प्रभावित नहीं होगी जबकि पुरानी मशीनों को विदेशों से आयात किया गया है। शर्त यही है कि इन मशीनों को पहले कभी भी भारत में प्रयोग नहीं किया था व इससे पहले कभी भी भारतीय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत इन मशीनों के लिये ह्रास स्वीकृत नहीं हुआ था।

टिप्पणी : नवीन उद्योग में कुल मशीन व प्लांट के 20% की सीमा तक पुरानी मशीनें खरीदी जा सकती हैं तथा इससे इस धारा के अधीन कटौती में कोई फर्क नहीं पड़ता।

लघु उद्योग से तात्पर्य निम्न से है :

(i) यदि गत वर्ष 31 जुलाई 1980 के बाद किन्तु 18 मार्च, 1985 के पूर्व समाप्त हुआ है तो ऐसे गतवर्ष के अन्तिम दिन इसमें लगे हुए प्लांट एवं मशीन का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक नहीं है;

(ii) यदि गतवर्ष 17 मार्च, 1985 के पश्चात् समाप्त हुआ है तो ऐसे गतवर्ष के अन्तिम दिन इसमें लगे हुये प्लांट एवं मशीन का मूल्य 35 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

(iii) 31-7-1980 तक समाप्त होने वाले गतवर्ष के लिये यह सीमा 10 लाख रुपये थी।

समुद्री जहाज [80I(3)] : समुद्री जहाज किसी भारतीय कम्पनी के स्वामित्व में होना चाहिए व इसका उपयोग कम्पनी द्वारा अपने व्यापार के लिये किया जाना चाहिये।

कम्पनी द्वारा लिये जाने से पहले इसका उपयोग भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय जलसीमा में नहीं किया जा सकता था और न उसके स्वामित्व में ही था।

होटल [80I(4)] : होटल पुराने व्यापार को तोड़फोड़ कर या पुर्निर्माण द्वारा न बनाया गया हो। नये होटल के लिये कोई ऐसा भवन इस्तैमाल न किया हो जिसमें पहले कोई अन्य होटल चलता था। पुरानी मशीनों का इस्तैमाल भी वर्जित है। होटल भारत में पंजीकृत कम्पनी के स्वामित्व में होना चाहिये। जिसकी प्रदत्त पूंजी 5 लाख रुपये से कम न हो। होटल इस धारा के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। होटल का कार्य 31-3-81 के बाद प्रारम्भ किया जाना चाहिये।

कटौती की गणना [80I(6)] : प्रारम्भिक वर्ष के बाद अन्य किसी वर्ष में कटौती की राशि निर्धारित करते समय ऐसे औद्योगिक उद्यम, होटल, जहाज एवं जहाज मरम्मत व्यापार से लाभों की गणना करते समय यह मान लिया जाता है कि करदाता की नवीन इकाई से होने वाले लाभ ही आय का केवल मात्र स्रोत है।

खातों का अंकेक्षण [80I(7)] : कम्पनियों व सरकारी समितियों का अंकेक्षण कानून के अधीन कराना ही पड़ता है किन्तु अन्य करदाताओं के लिये वैधानिक अंकेक्षण का प्रावधान नहीं है। ऐसे सभी करदाओं को अपने आय के नक्शे के साथ अंकेक्षण की रिपोर्ट को भेजना जरूरी है यदि उसे इस धारा के अधीन करावकाश की कटौती का दावा प्रस्तुत करना है।

11. नवीन स्थापित औद्योगिक संस्थान, जहाज व होटल व्यापार के लाभ (Profit and gains from newly established industrial undertakings ship or hotal business) (80J) : इस धारा के अन्तर्गत ऐसे नवीन औद्योगिक संस्थान, जहाज व होटल व्यापार के लाभों में से कटौती मिलती है। जिनकी स्थापना 1 अप्रैल 1981 के पूर्व हुई हैं। कटौती की दर ऐसे संस्थानों में लगी हुई पूंजी का 6% वार्षिक है। इस उद्देश्य के लिये लगी हुई पूंजी की गणना आयकर अधिनियम में उल्लिखित विधि से की जाती है।

यह कटौती सर्वप्रथम उस गतवर्ष के लिए मिलती है जिसमें कि नवीन स्थापित इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ किया है, जहाज का प्रयोग आरम्भ किया है, होटल ने काम करना शुरू किया है अथवा शीतागार (cold storage) ने अपनी प्रक्रिया आरम्भ की है। इसके पश्चत वह बाद के 4 कर-निर्धारण वर्षों के लिए मिलेगी। अन्य शब्दों में यह छूट केवल 5 कर-निर्धारण वर्षों के लिए ही है। औद्योगिक संस्थान आदि यदि सहकारी समिति के स्वामित्व में हो तो यह छूट 5 वर्षों के स्थान पर 7 कर-निर्धारण वर्षों के लिए मिलेगी इस छूट को कर-अवकाश (Tax holiday) कहते है।

कम्पनी करदाता की दशा में यदि औद्योगिक संस्थान व शीतागार अपना कार्य 31-3-1976 के बाद में शुरू करते हैं अथवा कोई समुद्री जहाज इस तिथि के बाद लिया जाता है अथवा नया होटल इस तारीख के बाद में कार्यारम्भ करता है तो इस धारा के अधीन कटौती की दर 6% के स्थान पर $7\frac{1}{2}$% वार्षिक होगी।

छूट की अधिकारी इकाइयों में लाभों के न होने की दशा अथवा इसके अपर्याप्त होने की दशा में यदि यह कटौती पूरी प्राप्त नहीं की जा सकी है तो ऐसी कमी को पूरा

करने के लिए अगले सात वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है। उदाहरणार्थ यदि किसी औद्योगिक इकाई में 1,00,000 रु० लगे हुये है तथा लाभ केवल 5,000 रु० है, तो 6% की दर से कटौती की राशि 6,000 रु० होती है जिसे लाभों के अपर्याप्त होने की वजह से 5,000 रु० तक ही प्राप्त किया जा सकता है। 1,000 रु० की कमी पूर्ति हेतु अगले वर्ष ले जाई जायेगी।

आवश्यक शर्तें

औद्योगिक इकाइयां

1. यह पुराने व्यापार के विखण्डन, पुनर्गठन अथवा पुर्नानिर्माण से न बनी हो किन्तु धारा 33B के अन्तर्गत पुनर्जीवित किये उद्योग के सम्बन्ध में यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

2. इसमें ऐसी भवन सम्पत्ति व मशीन आदि हस्तांतरित न किये गये हों जिनका प्रयोग पहले किसी उद्देश्य के लिये हो चुका हो। एक अपवाद इस विषय में यह है कि व्यापार आदि से लगी हुई समस्त मशीन व प्लांट के 20% मूल्य तक की पुरानी मशीनरी व्यापार में लगाई जा सकती है।

3. जब औद्योगिक इकाई निर्माण कार्य में लगी हो तो वहाँ बिना शक्ति से संचालित संस्थाओं में 20 से कम तथा शक्ति से संचालित संस्थाओं में 10 से कम कर्मचारी नहीं होने चाहिए।

4. यदि कोई औद्योगिक उद्यम 31 मार्च 1979 के बाद निर्माण कार्य प्रारम्भ करता है तो ऐसा उद्यम ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता हो।

5. औद्योगिक इकाई 1 अप्रैल 1981 के पूर्व उत्पादन कार्य प्रारम्भ करें।

होटल—

अ) जो 1 अप्रैल 1981 के पूर्व कार्यारम्भ करें तथा जो पिछले व्यापार के विखण्डन, पुनर्गठन तथा पिछले व्यापार में प्रयुक्त इमारत, मशीन व प्लांटों के हस्तांतरण से नहीं बना हो।

ब) होटल का स्वामित्व भारत में रजिस्टर्ड ऐसी कम्पनी के पास होना चाहिए जिसकी प्रदत्त पूँजी 5,00,000 रु० से कम न हो।

स) होटल ऐसी कम्पनी की अपनी निजी इमारत में ही चलता हो।

द) केन्द्रीय सरकार द्वारा वह होटल इस धारा के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हो।

समुद्री जहाज—

i. जो भारतीय कम्पनी के स्वामित्व में हों तथा पूर्णरूप से कम्पनी के लिए प्रयोग किये जाते हों।

ii. कम्पनी के स्वामित्व में आने से पहले यह जहाज न तो भारतीय जल सीमा में चलाया गया था और न किसी ऐसे व्यक्ति (Person) के स्वामित्व में ही था जो भारत में निवासी था।

iii. ऐसा जहाज भारतीय कम्पनी द्वारा 1 अप्रैल, 1981 के पूर्व प्रयोग लाया जा चुका है।

पुरानी इमारत का हस्तांतरण—जब किसी ऐसे भवन या नवीन स्थापित औद्योगिक इकाई का हस्तांतरण किया जाता है जिसका प्रयोग पहले किसी अन्य उद्देश्य के लिये किया जा चुका है तो इस संस्थान में लगी हुई पूंजी की गणना करने के लिये ऐसे भवन को शामिल नहीं करते।

पुरानी मशीन व प्लांट का आयात—ऐसी मशीन व प्लांट जो भारत के बाहर करदाता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त किया जा चुका है, इस छूट के लिये पुरानी मशीन की श्रेणी में नहीं आयेगा, किन्तु निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है,

1. ऐसी मशीन व प्लांट जो इससे पहले भारत में कभी इस्तैमाल नहीं किए गये।
2. ऐसी मशीन व प्लांट का भारत में विदेशों से आयात किया गया है।
3. करदाता द्वारा ऐसी मशीन व प्लांट की स्थापना से पहले इन पर भारतीय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कभी साधारण ह्रास स्वीकृत नहीं हुआ हैं।

हिसाबी पुस्तकों का अंकेक्षण (Audit of Accounts)—कम्पनियों व सहकारी समितियों के अतिरिक्त अन्य करदाताओं को यह छूट प्राप्त करने के लिए चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा अपने हिसाब किताब की अंकेक्षण रिपोर्ट को अपनी आय के नक्शे के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

व्यापार के लाभों के अभाव में पूर्ण कटौती का उपयोग न होने पर शेष को आगे ले जाना (Carry forward of the deficiency)—जब किसी नवीन औद्योगिक संस्थान आदि के उस व्यापार से लाभ जो इस धारा के अन्तर्गत आते हैं, इसमें लगी हुई पूंजी के 6% अथवा $7\frac{1}{2}$% (जैसी स्थिति हो) से भी कम होते है, जिससे कि पूर्ण कटौती नहीं मिल पाती हो तो कटौती में जितनी कमी शेष रह जाती है उसे अगले कर-निर्धारण वर्ष में पूरी करने के लिए आगे ले जाते है किन्तु यह कभी प्रारम्भिक कर-निर्धारण वर्ष के अगले 7 कर-निर्धारण वर्षों तक ही ले जाई जा सकती है।

12. नवस्थापित औद्योगिक उद्यम, समुद्री जहाज तथा होटल के लाभ में से लाभांश के संबंध में कटौती (Deduction in respect of dividends attributable to profits and gains from new industrial undertakings, or Ships or Hotal business) :— (धारा 80K)

यदि किसी करदाता को ऐसी कम्पनी से लाभांश प्राप्त होता है जिसके लाभों में नवस्थापित औद्योगिक उद्यम, नये प्राप्त समुद्री जहाज अथवा नये आरम्भ किये होटल व्यवसाय के लाभ भी सम्मिलित है (जिसके सम्बन्ध में धारा J के अन्तर्गत कटौती मिली है) तथा इन लाभांशों को ऐसे लाभों में से ही घोषित किया गया है तो ऐसे करदाता अंशधारी की सकल कुल आय में से ऐसे लाभांश की पूरी राशि की कटौती दी जायेगी। कम्पनी द्वारा ऐसे लाभांशों के वितरण पर 'उद्गम स्थान पर कर की कटौती' भी नहीं की जायेगी। इस प्रकार प्राप्त लाभांश की राशि ज्ञात हो तो उसे सकल बनाने की आवश्यकता नहीं है।

परन्तु यदि कम्पनी के लाभों में ऐसे कटौती योग्य लाभों के अलावा भी कोई लाभ है तथा उस लाभ को भी लाभांश घोषित करने के लिए उपयोग में लिया गया है तो अंशधारी की सकल कुल आय में से घोषित लाभांश के उतने भाग पर ही कटौती दी जायेगी। जितना भाग नवस्थापित औद्योगिक उद्यम, समुद्री जहाज या होटल के व्यापार से प्राप्त किया गया है। उदाहरणार्थ यदि श्री अमित के पास रतन उद्योग लि० के कुछ

अंश हैं जिस पर गतवर्ष 1985-86 में 6,000 रु० के लाभाँश घोषित किए गये। रतन उद्योग लि० के लाभों का 70% भाग नवस्थापित औद्योगिक उद्यम से तथा शेष 30% अन्य व्यापार से उपार्जित है। ऐसी स्थिति में 6,000 का 70% अर्थात् 4,200 रु० कटौती योग्य लाभाँश है तथा शेष 1,800 रु० सामान्य लाभाँश। अंशधारी को धारा 80K के अन्तर्गत 4,200 रु० की कटौती दी जायेगी। कम्पनी लाभाँश के भुगतान के समय इन 4,200 रु० पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं करेगी केवल 1,800 रु. पर ही यह कटौती की जायेगी।

अपवाद— यदि किसी औद्योगिक उद्यम समुद्री जहाज या होटल का कार्य या संचालन 31 मार्च, 1976 के बाद आरम्भ किया गया है तो उसके ऐसे कर अवकाश लाभों में से घोषित लाभांश के सम्बन्ध में यह कटौती नहीं दी जायेगी।

13. प्रतिभूतियों पर ब्याज व लाभांश आदि के सम्बन्ध में कटौती (Deductions in respect of Interest on securities and Dividends, etc.) [80L] : यदि एक व्यक्ति (Individual) अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार अथवा दादरा, तथा नागर हवेली तथा गोआ डामन और ड्यू में स्थित व्यक्तियों के ऐसे समुदाय जिसमें केवल पति व पत्नि हों, की सकल कुल आय में निम्न में से कोई आय शामिल है तो सकल कुल आय में ऐसी सम्मिलित राशि अथवा 7,000 रु. जो दोनों में से कम हो की कटौती दी जाती है :

i. केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की किसी ब्याज प्रतिभूतियों पर (धारा 280D के अन्तर्गत वार्षिकी जमा पर ब्याज को छोड़कर;

ii. किसी सहकारी समिति (सहकारी भूमि बंधक बैंक तथा सहकारी भूमि विकास बैंक सहित) अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस धारा के लिए अधिसूचित किसी अन्य संस्थान द्वारा निर्गमित ऋणपत्रों पर ब्याज;

iia. केन्द्रीय सरकार द्वारा बनायी गई एवं गजट में अधिसूचित राष्ट्रीय जमा योजना में जमा राशि पर ब्याज;

iii. केन्द्रीय सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत जमा राशि पर ब्याज जिसको अधिसूचित कर दिया गया हो;

iv. किसी भारतीय कम्पनी से लाभांश की आय;

v. युनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के युनिटों पर प्राप्त लाभाँश;

vi. किसी ऐसे बैंक अथवा सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग कम्पनी अधिनियम 1949 लागू हो, में जमा पर ब्याज

via. उपर्युक्त वर्णित (vi) में वर्णित बैंकिंग कम्पनी या सहकारी बैंक के अतिरिक्त किसी बैंक में जमा धन पर प्राप्त ब्याज यदि बैंक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है। केन्द्र सरकार ने परिपत्र क्रमांक: 86(E) दिनांक : 29 फरवरी, 1984 द्वारा Industrial Development Bank of India को अनुमोदित किया है।

vii. किसी ऐसे वित्त निगम में जमा राशि पर ब्याज जो भारत में लम्बी अवधि के लिए औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करता है तथा जिसे केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त है या भारत में स्थापित एवं पंजीकृत केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसी सार्वजनिक कम्पनी के पास जमा धन पर ब्याज जिसका मुख्य उद्देश्य रिहायशी मकान बनाने या क्रय करने के लिए ऋण देना है।

viia. भारत में किसी अधिनियम के अधीन स्थापित ऐसी सत्ता के पास जमा राशि पर ब्याज जो आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा शहरों अथवा कस्बों के नियोजन, विकास एवं सुधार के लिए बनाई गई है;

viii. ऐसी सहकारी समिति में उसके सदस्य द्वारा जमा कराई गई राशि पर ब्याज जो कि बैंकिंग सहकारी समिति न.हो;

ix. किसी सहकारी समिति से लाभाँश;

x. अनिवार्य जमा (आयकर भुगतानकर्त्ता अधिनियम), 1974 के अन्तर्गत जमा राशियों पर ब्याज तथा अतिरिक्त पारिश्रमिक (अनिवार्य जमा) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत काटी गई मजदूरी एवं मंहगाई भत्ते की राशियों पर ब्याज।

स्पष्टीकरण :—1. यदि किसी कम्पनी द्वारा कर अवकाश लाभों (धारा 80J) में से कोई लाभाँश घोषित किया है और ऐसे लाभों के सम्बन्ध में धारा 80K के अन्तर्गत कटौती प्राप्त हो सकती है तो पहले धारा 80K के अन्तर्गत कटौती दी जायेगी इसके पश्चात् शेष लाभों के सम्बन्ध में इस धारा (80L) के अन्तर्गत कटौती मिलेगी।

2. यदि पूर्व वर्णित प्रतिभूति अथवा सम्पत्ति (जिनसे आय धारा 80L के अन्तर्तत कटौती योग्य है) फर्म, व्यक्ति के समुदाय अथवा समूह के पास है अथवा इनका प्रतिनिधित्व करने वाले किसी व्यक्ति के पास है तो इस धारा के अन्तर्गत ऐसी फर्म के साझेदार अथवा किसी समुदाय अथवा संघ के सदस्यों को ऐसी आय के सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं दी जायेगी। [धारा 80(3)]

यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों से प्राप्त लाभांश एवं राष्ट्रीय जमा योजना के अन्तर्गत जमाराशि पर ब्याज के सम्बन्ध में अतिरिक्त कटौती :—यदि सकल कुल आय में यूनिटों से प्राप्त लाभाँश एवं राष्ट्रीय जमा योजना में जमा पर ब्याज शामिल है एवं जो पूर्णतया कटौती योग्य नहीं हो पाया है तो इनके लिए उपर्युक्त 7,000 रु० की कटौती के अतिरिक्त 3,000 रु० तक की अतिरिक्त कटौती दी जायेगी।

यदि राष्ट्रीय जमा योजना (National Deposite Scheme/NDS) में जमा पर ब्याज यदि उपरोक्त अतिरिक्त कटौती के बाद भी पूर्णतया कटौती न पा सके तो ऐसे ब्याज के सम्बन्ध में 2000 रु. तक की और कटौती दी जायेगी।

उदाहरण (Illustration) : कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए निम्नलिखित स्थितियों में धारा 80L की कटौती की गणना कीजिए।

	A	B	C	D
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	1,000	800	3,500	1,000
भारतीय कम्पनियों से लाभांश	3,000	5,000	2,000	2,000
यूनिटों से आय	3,000	2,000	4,000	2,000
बैंक जमा पर ब्याज	4,000	1,000	2,000	—
राष्ट्रीय जमा योजना में जमा राशि पर ब्याज	5,000	2,000	1,500	11,000

Calculate the deduction allowable under section 80L on account of dividends etc. to the following cases for the Assessment Year 1986-87 :

	A		B	C
	Rs.		Rs.	Rs.
Interest on Govt. Securities	1,000	800	3,500	1,000
Dividends from Indian Companies	3,000	5,000	2,000	2,000

Dividends from UTI	3,000	2 000	4,000	2000
Interest on bank deposits	4,000	1,000	2,000	—
Interest on deposites under National deposite scheme (N.D.S.)	5,000	2,(00	1,500	11,000

Solution :

ASSESSEE 'A'

	Rs.
Interest on Government securities	1,000
Dividends from Indian companies	3,000
Interest on bank deposits	4,000
Dividends from Units	3,000
Interest from N.D.S.	5,000
Qualifying amount for deduction	16,000
Deduction for Dividends etc.	7,000
Additional deduction for Div. from Units and Interest from N.D.S.	3,000
Additional deduction for Interest from N.D.S. Maximum	2,000
Deduction U/s 80L	12,000

ASSESSEE 'B'

Interest on Government securities	800
Dividends from Indian companies	5,000
Interest on bank deposits	1,000
Dividends from Units	2,000
Interest from N.D.S.	2,000
Qualifying amount	10,800
Deduction for dividends etc.	7,000
Additional deduction for Div. from Units and Int. from N.D.S.	3,000
Additional deduction for Int. from N.D.S. Maximum limit Rs. 2,000	800
Deduction U/s 80L	10,800

राष्ट्रीय जमा योजना में उपरोक्त स्थिति में केवल 800 रु० की ही कटौती मिलेगी क्योंकि कटौती योग्य राशि का शेष 800 रु० ही है।

ASSESSEE 'C'

Interest on Government securities	3,500
Dividends from Indian Companies	2,000
Dividends from Units	4,000
Interest on bank deposits	2,000
Interest from N.D.S.	1,500
Qualifying amouut	13,000
Deduction for Dixidends etc.	7,000
Additional deduction for Dividends from Units	3,000
Additiional deduction for Interest from N.D.S.	2,500
Deduction u/s 80L	11,500

Assessee D

	Rs.
Interest on Government Securities	1,000
Dividends from Indian Companies	2,000
Dividends from Units	2,000
Interest from N.D.S.	11,000
Qualifying amount	16,000

Deduction for dividends etc.	7,000
Additional deduction for Dividend from Units (Rs. 2,000) & Interest from N.D.S. (Rs. 1,000)	3,000
Additional deduction for Interest from N.D.S. (Maximun Rs. 2,000)	2,000
deduction U/S 80L	12,000

14. अन्तंकम्पनी लाभांशों के सम्बन्ध में कटौती :—(80 M) (Deductions in respect of Inter Corporate Dividends) —यदि किसी घरेलू कम्पनी (Domestic Company) की सकल कुल आय में किसी अन्य घरेलू कम्पनी से प्राप्त लाभांश सम्मिलित हैं तो ऐसे लाभांशों के 60% के बराबर कटौती दी जायेगी।

स्पष्टीकरण :—यदि किसी कम्पनी को प्राप्त लाभांश के लिए धारा 80K के अन्तर्गत कटौती मिलती तो लाभांश के सम्बन्ध में सर्वप्रथम धारा 80K के अन्तर्गत कटौती दी जायेगी तत्पश्चात शेष लाभांश के लिए इस धारा (80 M) के अन्तर्गत कटौती दी जायेगी।

15. विदेशी सरकार अथवा विदेशी कम्पनियों से प्राप्त रायल्टी, फीस आदि के सम्बन्ध में कटौती (80O) (Deduction in respect of Royalties fees etc. from foreign Government or foreign enterprises) : यदि किसी भारतीय कम्पनी को किसी विदेशी सरकार, अथवा उद्यम से किसी पेटेन्ट, आविकार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूला अथवा अन्य किसी तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के फलस्वरूप कोई फीस, कमीशन अथवा रॉयल्टी प्राप्त होती हैं तो ऐसी, फीस, कमीशन अथवा रॉयल्टी के 50% के बराबर सकल कुल आय में से कटौती दी जायेगी। इस कटौती को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि विदेशी सरकार अथवा उद्यम के साथ इस सम्बन्ध में हुए अनुबन्ध का केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड द्वारा अनुमोदन कर दिया जावे। ऐसा अनुमोदन सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के 1 अक्टूबर से पहले प्राप्त हो जाना चाहिए।

यह कटौती उस रायल्टी अथवा फीस आदि के लिए मिल सकती है जो कि परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में प्राप्त हो गई हो। यह राशि यदि भारत के बाहर प्राप्त हुई हो तो इसे करदाता के लिये विदेशी विनिमय कानून के अन्तर्गत भारत में लाया जाना आवश्यक है। रिजर्व बैंक ने यदि इस विदेशी मुद्रा को भारत के बाहर ही व्यय करने की अनुमति दे दी है तो यह राशि भारत में लाई मानी जावेगी।

16. सहकारी समितियों के कर-निर्धारण में कटौती (Deduction in the assessment of co-operative societies)-[80P] धारा[80P]के अन्तर्गत किसी सहकारी समिति को अपने सदस्यों को ऋण देने, कुटीर उद्योग, सदस्यों की कृषि उपज बेचने आदि से हुई आय की सम्पूर्ण रकम कटौती के लिए स्वीकृत होती है। प्रारम्भिक दुग्ध सहकारी समिति को सदस्यों से एकत्रित किए दूध को बेचने से हुए लाभ की रकम भी कटौती के लिये उपलब्ध हैं। विशेष विवरण सहकारी समितियों के कर निर्धारण सम्बन्धित अध्याय में दिया गया है।

17. भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के लिए लिखी गई पुस्तकों से आय (Deduction in respect of professional income of authors of text books in Indian languages) [80QR] : इस धारा के अधीन ऐसे लेखकों को कटौती का लाभ मिलेगा जो भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें लिखते हैं व इसके लिए रायल्टी आदि प्राप्त करते हैं। कटौती प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है

कि पुस्तक विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अथवा अनुशंसित (Recommended) प्रस्तावित होनी चाहिए, कटौती देने का प्रावधान शब्दकोषों तथा विश्वकोषों के लिए भी है।

यह कटौती पुस्तक के प्रतिलिप्याधिकार प्रदान करने के सम्बन्ध में प्राप्त एक मुश्त राशि अथवा प्राप्त अधिकार शुल्क अथवा प्रतिलिप्याधिकार शुल्क के 25% के बराबर दी जाती है।

भारतीय भाषा जो कि संविधान की आठवीं सूची में वर्णित इस प्रकार है (1) असमी (2) बंगाली, (3) गुजराती, (4) हिन्दी, (5) कन्नड़, (6) कश्मीरी, (7) मलयालम, (8) मराठी, (9) उड़िया, (10) पंजाबी, (11) संस्कृत, (12) सिंधी, (13) तमिल (14) तेलगू (15) उर्दू।

18. **प्रोफेसर, अध्यापक अथवा अनुसंधानकर्त्ता को विदेश में सेवाओं के लिए पारिश्रमिक (Remuneration from foreign source in case of professors, teachers and research worker) [80—R)**—ऐसे प्रोफेसर, अध्यापक अथवा अनुसंधानकर्त्ता जो भारत का नागरिक है, को भारत के बाहर विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थाओं, अथवा किसी भी संस्था या संघ जो भारत के बाहर स्थापित हों में शैक्षणिक सेवाओं व शोध कार्य के लिये कोई पारिश्रमिक प्राप्त होता है, तो ऐसी प्राप्त प्रथम 36 माह की आय के सम्बन्ध में 50% कटौती कुल सकल आय में से दी जाती है। 36 माह के पश्चात कटौती स्वीकृत नहीं होगी।

19. **कुछ दशाओं में विदेशी स्रोतों से पेशे की प्राप्त आय (Professional income from foreign sources in certain cases) [80RR]**—किसी लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतज्ञ, अभिनेता अथवा खिलाड़ी जो भारत में निवासी है को अपने पेशे के सम्बन्ध में विदेशी सरकार अथवा ऐसे व्यक्ति से जो भारत में निवासी न हो कोई आय प्राप्त करता है, को इस धारा के अन्तर्गत विदेश से भारत में लाई गई आय के 25% तक की कटौती प्राप्त करने का अधिकार है। यह आय विदेशी मुद्रा में तथा विदेशी विनिमय नियमन, अधिनियम, 1947 (Foreign Exchange Regulation Act) के अन्तर्गत भारत में लानी चाहिए। केन्द्रीय बोर्ड द्वारा प्रकाशित परिपत्र के अनुसार फोटोग्राफर व टी० वी० कैमरामैन भी इस धारा के अन्तर्गत कलाकार की परिभाषा में आते हैं।

20. **भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए मिले पारिश्रमिक के लिए कटौती (Remuneration for service rendered outside India [80RRA]**—इस धारा के अन्तर्गत उस व्यक्ति को यह कटौती मिलती है जो भारत का नागरिक है तथा जिसे किसी भी नियोक्ता से विदेशी मुद्रा में पारिश्रमिक मिलता है। यह पारिश्रमिक भारत के बाहर की गई सेवाओं के लिए होनी चाहिए। कटौती की दर मिले पारिश्रमिक का 50% है। इस सन्दर्भ में अन्य शर्तें इस प्रकार हैं।

अ) ऐसे व्यक्ति की दशा में जो ऐसी सेवा प्रारम्भ करने से पूर्व केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कर्मचारी हों इनकी सेवा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित (Sponsored) होनी चाहिये :

ब) अन्य व्यक्तियों की दशा में ऐसे व्यक्ति का तकनीशियन होना जरूरी है तथा इसके सेवा प्रसंविदे को केन्द्रीय सरकार अथवा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

(स) व्यक्ति ने यदि उसी नियोक्ता के पास 36 महीने से अधिक के लिए निरन्तर सेवा की है तो यह कटौती 36 महीने की अवधि में हीं मिलेगी इसके बाद नहीं।

(द) वह भारतीय या विदेशी किसी नियोक्ता के अधीन कार्य कर सकता है। तकनीशियन से आशय उन व्यक्तियों से है जिन्हें निम्नलिखित क्षेत्रों में दक्षता प्राप्त है।

i उत्पादन प्रक्रिया, खदान उद्योग व शक्ति के जनन व वितरण,

ii) कृषि, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, जहाज रानी व गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी उद्योग,

iii) सार्वजनिक प्रशासन व औद्योगिक प्रबन्ध,

vi) लेखा शास्त्र,

v) प्राकृतिक व प्रयुक्त विज्ञान का कोई क्षेत्र (इसमें चिकित्सा विज्ञान व सामाजिक विज्ञान सम्मिलित है)।

vi) कोई अन्य क्षेत्र जिसे वोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाये।

21. ऐजेन्सीज आदि की समाप्ति पर मिली क्षतिपूर्ति (Compensation for tremination of managing agency) [80S]—यदि किसी गैर कम्पनी करदाता को मैनेजिंग ऐजेन्सी अथवा अन्य किसी ऐजेन्सी को समाप्त करने अथवा उसकी शर्तों में परिवर्तन करने के कारण कोई क्षतिपूर्ति मिली है जो व्यापार अथवा पेशे के लाभों के अन्तर्गत करयोग्य है तो करदाता की कुल आय की गणना के समय ऐसी क्षतिपूर्ति का 25% अथवा एक लाख रुपये जो दोनों में से कम हो को घटा दिया जाता है। यह कटौती कम्पनी करदाता के लिए ही स्वीकृत नहीं की जाती है।

22. दीर्घकालीन पूंजी लाभ (Long term Capital gains) [80T] : इस धारा के अन्तर्गत दीर्घकालीन पूंजी लाभों के लिए कम्पनी को छोड़कर अन्य करदाताओं की दशा में कटौती दिये जाने की व्यवस्था है। कटौती के लिए नियम इस प्रकार हैं :

A. जव दीर्घकालीन पूंजीलाभ 5,000 रु० से अधिक नहीं होते तो सम्पूर्ण दीर्घकालीन पूंजी लाभों को घटा दिया जाता है।

B. दीर्घकालीन पूंजी लाभों के 5,000 रु० से अधिक होने पर प्रथम 5,000 रु० की राशि के 100% के बराबर कटौती दी जाती है शेष लाभों पर कटौती इस बात पर निर्भर करती है कि पूंजी लाभ किस सम्पत्ति से हुआ है व यह सम्पत्ति करदाता के स्वामित्व में कितनी अवधि तक रही है।

C. कटौती के लिए दीर्घकालीन सम्पत्तियों को निम्न दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है :

अ. भूमि व भवन,

ब. अन्य पूंजी सम्पत्ति।

D. 5,000 रु० की प्रथम कटौती के बाद की कटौती की दरें इस प्रकार हैं :

सम्पत्ति की करदाता के स्वामित्व में रहने की अवधि	भूमि व भवन से हुये पूंजी लाभों के लिए कटौती	अन्य पूंजी लाभों के लिए कटौती

a. तीन वर्ष से अधिक लेकिन पाँच वर्षों से अधिक नहीं	25%	40%
b. पाँच वर्ष से अधिक लेकिन दस वर्षों से अधिक नहीं	28%	45%
c. दस वर्ष से अधिक लेकिन पन्द्रह वर्षों से अधिक नहीं	33%	50%
d. पन्द्रह वर्ष से अधिक लेकिन बीस वर्षों से अधिक नहीं	37%	55%
e. बीस वर्ष से अधिक	40%	60%

e. दीर्घकालीन पूंजी लाभ यदि स्वर्ण व गहनों आदि से प्राप्त होते हैं तो इनके लिए अधिकतम कटौती की राशि 50,000 रु० ही होगी।

f. करदाता को प्राप्त दीर्घकालीन पूंजीलाभ जब विभिन्न सम्पत्तियों से प्राप्त होते हैं तो प्रथम 5,000 रु० की कटौती निम्न क्रम से घटाई जायेगी :

अ. भूमि व भवन से हुए दीर्घकालीन पूंजीलाभ,
ब. स्वर्ण व गहनों से दीर्घकालीन पूंजीलाभ,
स. अन्य सम्पत्तियों से हुए लाभ।

टिप्पणी : ऐसी स्थिति में जबकि प्रश्न में यह नहीं दिया होता कि सम्पत्ति कितनी अवधि तक करदाता के पास रही है, यह मान लेना चाहिए कि इसे करदाता द्वारा 3 से 5 वर्षों की अवधि तक रखा गया है।

उदाहरण : कर निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए श्री सुरेशचन्द्र की कुल आय की गणना कीजिए :

	रु०
व्यापार से आय	40,000
लघुकालीन पूंजीलाभ	12,000
दीर्घकालीन पूंजीलाभ :	
भूमि के हस्तांतरण से (6 वर्ष)	5,000
स्वर्ण व आभूषण (17 वर्ष)	1,68,000
अन्य सम्पत्तियों (20 वर्षों से अधिक)	30,000
	2,55,000

Compute total income of Shri Suresh Chandra for the Assessment year 1986-87 :

		Rs.
Total Other Incomes		40,000
Short term capital gains		12,000
Long term capital gains :		
Transfer of land (held for 6 years)	5,000	
Bullion (held for 17 years)	1,68,000	
Other assets (held for over 20 years.)	30,000	2,03,000
		2,55,000

हल (Solution) :

Computation of total Income

	Rs.	Rs.
Total Other Incomes		40,000
Capital Gains :		
Short term	12,000	
Long term	2,03,000	2,15,000
Gross Total Income		2,55,000

Deduction u/s 80T :

a) First Rs. 5,000 in full	5,000	
b) Rs. 1,68,000 @ 55%	50,000	
c) Rs. 30,000 @ 60%	18,000	73,000
Total Income		**1,82,000**

टिप्पणी : कटौती निम्न प्रकार दी गई है :—

(1) प्रथम 5,000 रु० की कटौती भूमि एवं भवन के लिए दी गई है।

(2) 1,68,000 रु० पर 55% से कटौती दी जायेगी क्योंकि यह सम्पत्ति 15 से 20 वर्ष की अवधि अर्थात् 17 वर्ष करदाता के पास रही। किन्तु स्वर्ण आभूषणों के संवंध में अधिकतम कटौती 50,000 रु० तक ही दी जा सकती है।

(3) शेष 30,000 रु० पर 60% से—क्योंकि यह सम्पत्ति 20 वर्ष से अधिक समय के लिए करदाता के पास रही।

23. लाटरी के पुरस्कार के सम्बन्ध में कटौती (धारा 80 TT) (Deduction in respect of winnings from Lottery) : यह कटौती कम्पनी को छोड़कर अन्य करदाताओं को मिलती है यदि गैर कम्पनी करदाता की सकल कुल आय में लाटरी से जीते गये पुरस्कार की राशि सम्मिलित हैं तो इस धारा के अन्तर्गत निम्नलिखित कटौती दी जाती है :

i) यदि लाटरी के पुरस्कार की राशि 5,000 रु० से अधिक नहीं है तो पुरस्कार की जीती गई सम्पूर्ण राशि

ii) यदि पुरस्कार की राशि 5,000 रु० से अधिक है तो प्रथम 5,000 रु० पर 100% एवं राशि पर 50% कटौती दी जायेगी।

अन्य कटौतियाँ
(Other deductions)

24. निवासी करदाता के पूर्ण नेत्रहीन अथवा शारीरिक रूप से अपाहिज होने पर कटौती (Deduction in the case of totally blind or physically handicappad resident persons) [80U] :—करदाता व्यक्ति की कुल आय की गणना करते समय निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर 10,000 रु० की कटौती दिये जाने की व्यवस्था है :

i. करदाता भारत में निवासी व्यक्ति हो;

ii. वह पूर्णरूप से नेत्रहीन अथवा ऐसी स्थाई रूप से शारीरिक अयोग्यता से पीड़ित है जिसका उल्लेख प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों में किया हो

iii. ऐसे करदाता ने आयकर अधिकारी के समक्ष उस कर-निर्धारण वर्ष में एक अधिकृत चिकित्सक से अपनी नेत्रहीनता अथवा शारीरिक अयोग्यता विषयक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया है जबकि यह कटौती प्रथम बार माँगी गयी है।

25. कम्पनियों की दशा में कटौतियों पर कुछ प्रतिबन्ध (80VVA)—धारा 80VVA (1) के अन्तर्गत कम्पनियों की दशा में कुछ कटौतियों का योग (जिसका विस्तृत वर्णन कम्पनियों का कर-निर्धारण अध्याय में किया गया है) कम्पनी की कुल आय के (ऐसी

कटौतियों के पूर्व) 70% से अधिक है तो ये कटौतियाँ ऐसी कुल आय के 70% तक ही स्वीकार होगी और शेष बची कटौती योग्य राशि को आगे ले जाया जायेगा और वह आगे के वर्ष की कटौती योग्य राशि मानी जायेगी।

परीक्षा प्रश्न (Test Question)

सैद्धान्तिक प्रश्न (Theoritical Question)

1. करदाता की कुल आय की गणना करते समय विभिन्न प्रकार की आयों के सम्बन्ध में दी जाने वाली कटौतियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिये।

   Discuss in brief the deduction in respect of various incomes allowed to an assessee while computing his total income.

2. नई औद्योगिक संस्थानों को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत इनके लाभों के सम्बन्ध में कौन-कौन सी कटौतियाँ प्रदान की गई हैं ?

   What deductions have been given to new Industrial under-taking out of their profits under the Income Tax Act ?

3. किसी करदाता की कुल आय की गणना करते समय कुछ निश्चित भुगतानों के सम्बन्ध में दी जाने वाली कटौतियों के बारे में आय-कर अधिनियम के प्रावधानों का संक्षेप में विवेचन कीजिये।

   Discuss briefly the provisions of the Income-tax Act regarding deductions to be made in computing the total income of an assessee in respect of certain payments. (Raj. B.Com. 1979)

4. कुल आय से क्या तात्पर्य है ? सकल कुल आय में से आयों के सम्बन्ध में दी जाने वाली कोई चार कटौतियों का उल्लेख कीजिए।

   What do you understand by 'Total Income'? Explain any four of the deductions allowed from the Gross Total Income in respect of incomes.

5. निम्न कटौतियों को समझाइये :—

   i. दानों के सम्बन्ध में कटौती;
   ii. लेखकों की पेशे से आय के सम्बन्ध में कटौती;
   iii. विदेशी स्रोतों से प्राध्यापकों को पारिश्रमिक के सम्बन्ध में कटौती;
   iv. एजेन्सी की समाप्ति पर क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में कटौती; तथा
   v. दीर्घकालीन पूँजी लाभ के सम्बन्ध में कटौती;
   vi. नये साधारण अंशों में विनियोग के सम्बन्ध में कटौती;

   Explain the following deductions :—

   (i) Deduction in respect of Donations.
   (ii) Deduction in respect of professional income of authors;
   (iii) Deduction in respect of remuneration from foreign source in case of Professors,
   (iv) Deduction in respect of compensation for terminal of agency; and:
   (v) Deduction in respect of long term Capital Gain,
   (iv) Deduction in respect of investment in new equity shares.

क्रियात्मक प्रश्न (Practical Question)

1. श्री सुरेन्द्र कुमार ने वित्तीय वर्ष 1985-86 की आय का निम्न विवरण प्रस्तुत किया;
   a) पुस्तक व्यापार से लाभ 50,000 रु०। इसमें एक विक्रय एजेन्सी के समाप्त होने पर मिली क्षतिपूर्ति की 24,000 रु० की राशि भी सम्मिलित है।
   b) कुक्कुट शाला (Poultry Farming) से आय 18,000 रु०।

c) पिछड़े क्षेत्र में नवस्थापित एक ऐसे लघु औद्योगिक उद्यम से लाभ जो ग्यारहवीं अनुसूचि में वर्णित वस्तुओं के उत्पादन में लगी है 45,000 रु० उत्पादन 1 अप्रैल, 1981 से प्रारम्भ हुआ।
d) घुड़दौड़ से हानि, 6,000 रु०।
e) सोलह वर्ष पूर्व 52,000 रु० में खरीदा गया मकान 80,000 रु० में बेचा।
f) एक विदेशी परियोजना से विदेशी मुद्रा में प्राप्त लाभ 26,000 रु०।
g) लाटरी में पुरस्कार से जीते 20,000 रु०। उन्होंने गतवर्ष में निम्न भुगतान भी किये।

i. सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा 8,200 रु० तथा नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट सप्तम निर्गमन 10,000 रु० के खरीदे।
ii. करदाता ने एक कम्पनी के अंशों के प्रारम्भिक निर्गमन पर 20,000 रु० के अंश खरीदे यह निर्गमन कटौती योग्य अधि-सूचित किया गया है।

उपर्युक्त सूचना से श्री सुरेन्द्र कुमार की कर निर्धारण वर्ष 1986-87 की कुल आय की गणना कीजिये।

Shri Surendra Kumar has presented the following particulars regarding income for the financial year 1985-86 :
a) Profits from books business Rs, :0,000. It also includes an amount of Rs, 24,000, of compensation received on termination a sales Agency.
b) Income from poultry farming Rs. 18,000.
c) Profits from newly established small industrial undertaking in backward areas which is engaged is manufacturing articles listed in Eleventh schedule Rs 45,000. The prouction has started since 1-3-81.
d) Loss from house racing Rs. 6,000.
e) A house which was purchasd Rs. 52,000 sixteen years earlier, sold for Rs. 80,000.
f) Received Rs. 26,000 as profit from a foreign project in the foreign currency
g) Winning from lotteries Rs. 20,000. He also made the following payments during the previous year.

i, Deposited in public provident fund Rs. 8,200 and purchased national savings certificate—VII Issuse for Rs. 10,000.
ii. Assessee purchased share of a company initially for Rs. 20,000, This issue has been declared eligible.

Compute the total income of Shri surendra Kumar for the assessment year 1986-87.

2. श्री सुरेश चन्द्र ने 31 मार्च 1986 को समाप्त वर्ष के लिए निम्न विवरण दिया है :

i. 1,000 रु० प्रति माह मूल वेतन, प्रमाणित भविष्य निधि में स्वयं का एवं नियोक्ता का अंशदान 12% दीपावली पर 900 रु० बोनस घोषित किया गया है।
ii. सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज (अर्जित) 1,000 रु०।
iii. प्रतिभूतियों के हस्तान्तरण से अल्पकालीन पूंजीलाभ 8,000 रु०।
iv. प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लि० के अंशों पर प्राप्त लाभांश 12,000 रु०।

उन्होंने गतवर्ष में निम्न भुगतान किये :
a) स्वयं की जीवन बीमा प्रीमियम (पालिसी की राशि 5,000 रु०) 670 रु०।
b) प्रधानमन्त्री सूखा सहायता कोष में दान 500 रु० इन्दिरागान्धी स्मृति प्रन्यास में दान 1,500 रु०, कर्नाटक सरकार को परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रोत्साहन हेतु दान 2,000 रु०, रोहिलखण्ड विश्वविद्यालय को दान वैज्ञानिक

शोध के लिए 3,000 रु० और अन्य उद्देश्यों के लिए 1,000 रु०; केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य भर में प्रसिद्ध पूजा के स्थान तिरुपति बालाजी की मरम्मत के लिए दान 10,000 रु०; एक गरीब विद्यार्थी की सहायता के लिए दिये 500; प्राइवेट मान्यता प्राप्त महा विद्याल के गरीब विद्यार्थियों के कोष में दी गयी 5,000 रु० की पुस्तकें।

c) आय-कर अपील के सम्बन्ध में व्यय 400 रु०

निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए श्री सुरेश चन्द्र की कुल आय ज्ञात कीजिये।

Compute the total income of Shri Surendra Kumar for the assessment year 1986-87.

Shri Suresh Chandra present the following particulars income for the year ending March, 1986.

(i) Rs. 1,000 P.M. as pay; own as well as employees contribution to recognised providend fund 12% A bonus of Rs. 909 has been declared on deepawail.
(ii) Interest on Government securities (Due) Rs. 1,000.
(iii) Short-term capital gain on transfer of securities Rs. 8000.
(iv) Dividend Received on Share of premier Automobiles Ltd. 12,000.

He made the following payment during the previous year :

(i) Own life insurance preium (Amount of Policy Rs. 5000) Rs. 670.
(ii) Donation to the Prime Minister's Drought releif fund Rs. 500; Donation to the Indira Gandhi Memorial trust Rs. 1,500, Donation to the Karnataka Government for promoting family planning programme Rs. 2000, Donation to Rohilkhand University for scientific research Rs. 3,000 and for other purposes Rs 1 000; Donation for repairs of tirupati balaze notified by the central government as a place of public worship of Renown throughtout the state Rs. 10,000; Aid to a poor student of Rs. 500; Books worth Rs. 5,000 donated to the poor Boy's Fund of a private college,
(iii) Expenses relating to Income-Tax Appeal Rs. 400.

Compute total income of Sari Suresh Chandra for the Assesement Year 1986-87.

3. श्री मोहम्मद यूसुफ उदयपुर के अंधे निवासी को वित्तीय वर्ष 1986-87 में निम्न राशियाँ प्राप्त हुई :—

i. शुद्ध वेतन 18,528 रु० आयकर के 1,472 रु० उसका वैधानिक भविष्य निधि का अंशदान 2,400 रु० तथा उसके जीवन बीमा प्रीमियम के 1,600 रु० काटने के पश्चात् हुआ।
ii. फर्म में स्थायी जमा पर ब्याज के 1,800 रु०।
iii. बैंक में जमा राशि पर ब्याज के 1,440 रु०।
iv. 1 जनवरी, 1986 को उसके द्वारा हस्तांतरित एक रिहायशी मकान के 70,000 रु० जो इसी राशि में हस्तांतरित किया गया था। (यह मकान उन्हें 1 जनवरी, 1968 को भेंट में प्राप्त हुआ था, उस दिन इसका उचित बाजार मूल्य 50,000 रु० था भेंट देने वाले ने इस मकान को 30,000 रु० में वर्ष 1967 में बनवाया था। श्री यूसुफ ने एक कमरे की वृद्धि पर 10,000 रु० वर्ष 1972 में व्यय किये थे।
v. किरायेदार से एक अन्य रहने के मकान का मकान किराया 1,800 रु०।
vi. उदयपुर विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अनुशंसित हिन्दी में लिखित उनकी दो पुस्तकों के प्रकाशन से अधिकार-शुल्क के 16,500 रु०।
vii. सट्टे के लाभ 10,000 रु०।
viii. ऐजेन्सी समाप्ति पर प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि 24,000 रु०।
xi. सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज 3,600 रु०।

उनके द्वारा वहन किये गये पुस्तक लेखन से सम्बन्धित व्यय 1,950 रु० ।
उनकी कुल आय की गणना कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए कीजिए ।

Shri Mohammad Yusuf a blind resident of Udaipur has received the following amounts during the financial year 1985-86:—

i. Net salary Rs. 18,528 after deduction of Income-Tax Rs.1,472, his contribution o Statutory Providend Fund Rs. 2,400, Insurance premium of Rs. 1,600.

ii. Rs. 1,800 from a firm being interest on fixed deposits.

iii. Rs. 1.440 from a Bank being interest on deposits,

iv. Rs. 70,000 from the purchaser of the Residential house transferred by him on 1st January, 1986 for the same amount (this house was received by him as a gift on 1st Jan., 1968. its fair market value on that date was Rs. 50,C00). The donor got this house const'ucted in the year 1967 for Rs. 30,C00, and Shri Yusuf spent Rs. 10,000 for addition of one room during the year 1972.

v. Rs. 1,800 from the tenant as a rent of another residential house.

vi. Rs. 16,500 being royalty from the publisher of his two books written in Hindi, recommended by the University of Udaipur as a text bcck fcr pcst-graduate course.

vii. Speculation profit Rs. 10,000.

viii. Rs. 24,000 being compensation for termination of agency.

ix. Interest on Govt securities Rs. 3,600.

Expenses relating to book-writing borne by him Rs. 1,950.
Compute his Total Income for the assessment year 1986-87.

(Rajasthan B.Com, 1982)

4. श्री मदन लाल की 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्न आयें हैं :

i. 625 रुपये प्रतिमाह वेतन, उन्होंने वर्ष में 600 रुपये की पुस्तकें खरीदीं ।

ii. 20,000 रु० के 8% उत्तर प्रदेश सरकारी ऋण पर ब्याज ।

iii. गंगानगर चीनी मिल के असूचियत ऋण पत्रों पर प्राप्त ब्याज 1,800 रु० ।

iv. एक कम्पनी द्वारा 1975 में नव स्थापित औद्योगिक उद्यम के कर अवकाश लाभों में से घोषित लाभांश की राशि 500 रु० ।

v. सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश 1,800 रु० ।

vi. डाक घर सेविंग्स बैंक खाते पर ब्याज 900 रु० ।

vii. अहमदाबाद कॉटन मिल के पूर्वाधिकार अंशों पर प्राप्त लाभांश 800 रु० ।

viii. राजस्थान बैंक में स्थाई जमा पर ब्याज 600 रु० ।

ix. फर्म मैसर्स गंगाबिशन हरबिलास के स्थायी जमा पर एक मुश्त प्राप्त ब्याज 900 रु० ।

x. यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया की यूनिटों से प्राप्त आय 3,500 रु० ।

xi. राष्ट्रीय जमा योजना में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज 6,000 रु० ।

कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए उनकी कुल आय का निर्धारण कीजिए ।

Shri Madan Lal has following incomes for the year ending 31st March. 1986 :

i. Salary at Rs. 625 p.m., he purchased books worth Rs. 600 during the year.

ii. Interest on 8% U.P. Govt. loan for Rs. 20.000.

iii. Interest received on unlisted Debentures of Ganganagar Sugar Mills Rs. 18,000.

vi. Dividend received from a newly established company established in the year 1975 out of tax holiday profits.

v. Dividend received from a Co-operative Society Rs. 1,800:

vi. Interest on Post Office Saving Bank Account Rs. 900.

vii. Dividend received of Preference Shares of Ahmadabad Cotton Mills Rs. 800.

ix. Interest received in a lump sum on fixed deposit with the firm M/s Ganga Bishan Harbilas Rs. 900.

x. Income received on the units of the Unit Trust of India Rs. 3,500.

xi. Interest received on deposites in national deposite scheme Rs. 6,000.

Determine his total income for the Assessment Year. 1986-87.

(Rajasthan B.Com. 1978 amended).

उत्तर

अध्याय—13 (कुल सकल आय में से कटौतियाँ)

(1) 1,09,010 रु० (2) 18,820 रु० (3) 62,160 रु० (4) 11,280 रु०।

———

14

व्यक्ति

(Individuals)

आयकर अधिनियम की धारा 2 (31) में वर्णित विभिन्न करदाताओं में यही करदाता एक प्राणी है जबकि सभी अन्य करदाता निष्प्राण होते हैं। 'व्यक्ति' से तात्पर्य पुरुष अथवा महिला दोनों ही करदाताओं से है। किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना करते समय निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती हैं :—

1) सर्वप्रथम आय के विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत (जिसका वर्णन पीछे के अध्यायों में किया जा चुका है) करयोग्य आय की गणना की जाती है।

2) आयकर अधिनियम की धारा 60 से 65 तक के प्रावधानों के अनुसार ऐसी मानी गयी आयें भी है जो अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है किन्तु करदाता की आय में सम्मिलित की जाती है। (इसका वर्णन अध्याय 11 में किया गया है)

3) यदि किसी शीर्षक में कोई हानि हो अथवा पिछले वर्षों से कोई हानियाँ, अशोधित ह्रास आदि पूर्ति के लिए लाये गये हैं तो नियमानुसार (जिसका वर्णन अध्याय 12 में किया जा चुका है) इनकी पूर्ति की जाती है। हानियों की पूर्ति के बाद जो शेष बचता है उसे सकल कुल आय (Gross Total Income) कहते हैं।

4) सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U तक[1] के अन्तर्गत स्वीकृत कटौतियाँ घटाई जातीं हैं। इन कटौतियों के पश्चात जो राशि बचती है उसे कुल आय (Total Income) कहते हैं।

करदाता का विभिन्न स्थितियों में कर-दायित्व

(Tax liabilities of the assessee in various capacities)

करदाता की कुल आय की गणना पिछले अध्यायों में दिये गये प्रावधानों के आधार पर की जाती है। ऐसा करते समय ऐसी स्थितियाँ आती हैं जबकि एक ही करदाता को विभिन्न आयों की प्राप्ति अलग-अलग स्थितियों में होती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को अपने निजी व्यापार, सांझेदारी फर्म से अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार से लाभों की प्राप्ति होती है उसे एक ट्रस्टी के रूप में भी कुछ आय हो सकती है। ये स्थितियाँ निम्नांकित हो सकती है :

---

1. कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 तक 80-VV तक की कटौतियाँ घटाई जाती थी। कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 से धारा 80-V एवं 80-VV की कटौती समाप्त करदी गई है।

1. **हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य की स्थिति**—करदाता को यदि ऐसे हिन्दू अविभाजित परिवार से कोई आय मिलती है जिसका कि वह सदस्य है तो आय की वह रकम उसकी कुल आय में शामिल नहीं करते हैं चाहे हिन्दू अविभाजित परिवार की अपनी कुल आय करयोग्य है, अथवा नहीं।

2. **अनरजिस्टर्ड फर्म की साझेदारी**—करदाता को अनरजिस्टर्ड फर्म का सदस्य होने के सम्बन्ध में जो आय होती है वह करदाता की कुल आय में व्यापार अथवा पेशे के लाभों के अन्तर्गत करयोग्य है चाहे उस फर्म की कुल आय पर आयकर देय हो या न हो। ऐसी फर्म को यदि लाभ के स्थान पर हानि उठानी पड़ती है तो ऐसी हानि की पूर्ति साझेदार द्वारा नहीं की जा सकती। ऐसी हानि फर्म द्वारा ही आगे के वर्षों में पूर्ति हेतु ले जाया जा सकता है।

3. **रजिस्टर्ड फर्म से लाभ**—करदाता यदि रजिस्टर्ड फर्म में साझेदार है तो ऐसी फर्म से प्राप्त लाभों की रकम उसकी कुल आय में सम्मिलित की जाती है। यदि रजिस्टर्ड फर्म की आय के 10,000 रु० से अधिक हो तो फर्म की कुल आय में से रजिस्टर्ड फर्म द्वारा देय आय-कर घटा दिया जाता है तथा शेष आय में करदाता का जो भाग होता है वह ही उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिये रजिस्टर्ड फर्म, जिसको 18,000 रु० लाभ होते हैं, को माना कि 400 रु० आयकर देने होते हैं। फर्म के इस लाभ में यदि करदाता आधे हिस्से के लिये साझेदार हैं तो उसकी सकल आय में हम 18,000 हजार रुपया—400 रु० (आयकर)=17,600 रु० का आधा हिस्सा अर्थात् 8,800 रु० सम्मिलित करेंगे न कि 18,000 रु० का आधा भाग 9,000 रु०।

4. **व्यक्तियों के समुदाय का सदस्य**—करदाता यदि व्यक्तियों के अन्य समुदाय का सदस्य है तो इनके प्राप्त लाभों में करदाता का जो भी भाग होता है वह उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जाता है चाहे व्यक्तियों के समुदाय की कुल आय पर आय-कर देय हो अथवा न हो।

5. **कम्पनी का अंशधारी**—करदाता यदि कम्पनी का अंशधारी है तो कम्पनी से प्राप्त लाभांश की सकल राशि (Gross Amount) करदाता की कुल आय में 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित की जाती है चाहे साधारण अंश हो अथवा अधिमान अंश। लाभांश वितरण के समय जो आयकर उद्गम के स्थान पर काटा गया है उसका समायोजन करदाता द्वारा अपनी आय पर आयकर का भुगतान करते समय कर लिया जायेगा।

6. **सरकारी समिति का सदस्य**—यदि करदाता किसी सहकारी समिति का सदस्य है तो उस सहकारी समिति द्वारा लाभांश घोषित करने पर करदाता के अंशों पर घोषित लाभांश की राशि उसकी कुल आय में 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित की जाती है। चूंकि सहकारी समिति द्वारा उद्गम स्थान पर आय-कर नहीं काटा जाता, अतः घोषित राशि एवं प्राप्त राशि में कोई अन्तर नहीं होता।

हानि होने की स्थिति में :—

(i) **हिन्दू अविभाजित परिवार, अनरजिस्टर्ड फर्म, व्यक्तियों का समुदाय, कम्पनी अथवा सरकारी समिति को**—इनमें करदाता का हित होने पर इन्हें हानि होने पर कर-दाता की कुल आय ज्ञात करते समय (वर्तमान एवं आगे के कर निर्धारण वर्षों में) कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

(ii) रजिस्टर्ड फर्म को—करदाता के एक रजिस्टर्ड फर्म में साझेदार होने पर यदि फर्म को आय के स्थान पर हानि होती है तो करदाता अपने भाग की हानि अथवा अशोधित व्यय की पूर्ति उस कर-निर्धारण वर्ष की कुल आय में सम्मिलित होने वाली अन्य आयों में से उसी तरह पूर्ति कर सकता है जैसे स्वयं की हानि अथवा अशोधित व्यय की पूर्ति करता है। यदि पूर्ति वर्तमान कर-निर्धारण वर्ष में नहीं हो पाती है तो उसे आगे ले जाने के भी वे ही नियम लागू होंगे जो करदाता की स्वयं की हानि अथवा अशोधित व्यय पर होते।

[धारा 75(1)]

कुल आय को पूर्ण बनाना (Rounding off of Total Income)—कुल सकल आय में से धारा 80C से 80U तक की कटौतियाँ घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे कुल आय (Total Income) कहते हैं धारा 288A के अनुसार यदि कुल आय का इकाई का अंक 5 अथवा अधिक है तो उसे आगामी दहाई तक बढ़ाकर पूर्ण संख्या कर दी जाएगी यदि 5 से कम हैं तो उसे छोड़ दिया जायेगा। उदाहरण के लिए 19,528 रु० की कुल आय को 19,530 रु०, 15435 रु० की कुल आय को 15,440 रु० व 16,213 को 16,210 रु० माना जाएगा।

उदाहरण (Illustration) 1 : श्री अमर लाल एक पुस्तक प्रकाशक ने 31 मार्च 1986 को अपने व्यवसाय का लाभ 1,00,000 रु० दर्शाया है। इसके लाभ-हानि खाते में निम्न मदें सम्मिलित थी :—

क) व्यापारिक भवन के विक्रय पर लाभ 40,000 रु०। (यह भवन 1 अगस्त 1973 को 1,20,000 रु० में क्रय किया गया था। 1 अप्रैल 1985 को अपलिखित मूल्य 90,000 रु० था। 1 जनवरी 1986 को इसे 1,30,000 रु० में विक्रय कर दिया गया था)।

ख) मशीन के विक्रय से हानि 1,200 रु० (यह मशीन 18 सितम्बर 1985 को 3,500 रु० में क्रय की गई थी तथा 1 जनवरी 1986 को 2,300 रु० में विक्रय की गई।)

ग) चाँदी के सट्टे व्यवसाय में हानि 3,000 रु०

घ) जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान 8,000 रु०

ङ) इलाहाबाद विश्वविद्यालय को दान 2,000 रु०

च) एक चाय कम्पनी से लाभांश प्राप्त (सकल) 2,000 रु०

छ) लाटरी में इनाम जीता 10,000 रु०

श्री अमर लाल की कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये कुल आय ज्ञात कीजिये।

Shri Amar Lal a Book Publisher, showed a profit of Rs. 10,00,000 for the year ending 31 March 1986. The following items were included in his P & L A/c :

a) Profit on sale of Business premises Rs. 40,000 (This was purchased on Ist Agust, 1973 for Rs. 1,20,000 its written down Value on Ist April 1985 was Rs. 90,000 and it was sold on Ist January 1986 for Rs. 1,30,000).
b) Loss on sale of a machine Rs. 1,200 (It was purchased on 18th September 1985 for Rs. 3,500 and was sold on Ist January 1986 for Rs. 2,300).
c) Loss in silver speculation business Rs. 3,000
d) Life insurance premium Rs. 8,000
e) Donation to Allahabad University Rs. 2,000.
f) Dividends received from a tea company (Gross) Rs. 2,000.
g) Prize own in a lottery. Rs. 10,000.

Calculate total income of Shri Amar Lal for the assessment year 1986-87.
(Rajasthan B. Com. Hons. 1985).

हल (Solution) : Computation of Total Income of Shri Amarlal for the A. Y. 1986-87

		Rs.	Rs.
Business or Profession :			
Book Publishing Business			
Profit as per Profit & Loss A/c		1,00,000	
Add : Expenses disallowed :	Rs.		
Loss on Sales of Machine	1,200		
Loss in Silver Speculation	3,000		
Life Insurance premium	8,000		
Donation	2,000	14,200	
		1,14,200	
Less : Income not taxable in this head .			
Capital gain on Sale of building	10,000		
Dividend	2,000		
Lottery prize	10,000	22,000	
			92,200
Silver Speculation Loss C/F Rs. 3,000			
Capital Gain			
Long term gain on Business premises			
Sale consideration	1,30,000		
Less Cost of acquisition	1,20,000		
	10,000		
Short term Loss on Sale of Machine	1,200		
			8,800
Income from other Sources :			
Dividend	2 000		
Winnings from Lottery	10,000		12,000
	Gross Total Income		1,13,000
Deductions			
u/s 80 C	7,000		
u/s 80 G 50% of Rs 2,000	1,000		
u/s 80 L Dividends	2,000		
u/s 80 T Capital gains	6,254		
u/s 80 TT Lottery winnings	7,500		23,754
Total Income			89,246
Total Income rounded off			89,250

टिप्पणी :—a) व्यापारिक भवन पर 40,000 रु० का लाभ जो लाभ हानि खाते में लिखा गया उसमें से 10,000 रु० का लाभ पूँजीगत लाभ है जो व्यापार एवं पेशे शीर्षक में करयोग्य नहीं होगा अतः लाभों में से घटाया गया है जबकि अब तक स्वीकृत ह्रास के बराबर राशि 30,000 रु० संतुलित प्रभार के रूप में व्यापार एवं पेशे शीर्षक में ही करयोग्य होंगे।

b) मशीन गतवर्ष 1985-86 में लगाई गई एवं इसी वर्ष में बेच दी गई अतः न तो साधारण ह्रास और न ही अन्तिम ह्रास स्वीकार्य होगा। मशीन के विक्रय से हानि अल्पकालीन पूँजी हानि है जो पूँजी लाभ शीर्षक में दिखायी जायेगी।

c) चाँदी के सट्टे से हानि की पूर्ति इस वर्ष नहीं हो सकी है इसे आगे के वर्षों में सट्टे के लाभों से पूर्ति के लिए ले जाया जायेगा।

d) पुस्तक प्रकाशन व्यापार के लाभों पर कोई कटौती नहीं दी गई हैं क्योंकि कर-निर्धारिध वर्ष 1986-87 से धारा 80-QQ की कटौती हो गई हैं।

e) धारा 80T के अन्तर्गत मकान सम्पत्ति के पूंजीलाभ प्रथम 5,000 रु० तक 100% कटौती योग्य एवं शेष 3,800 रु० पर 33% (10 से 15 वर्ष) की दर से कुल 6,254 रु० कटौती दी गई है।

उदाहरण (Illustration) 2 : निम्न विवरण से कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये श्री मोहन, भारतीय नागरिक, की कुल आय ज्ञात कीजिए—

		रु०
a)	स्वयं द्वारा संचालित व्यापार का लाभ	60,000
b)	एक अनरजिस्टर्ड फर्म में उसकी हानि का भाग	15,000
c)	एक सहकारी समिति, जिसके 30% अंश उसके पास है, व्यापार में हानि	20,000
d)	एक रजिस्टर्ड फर्म को व्यापार में हुई हानि तथा अशोधित ह्रास में उनका भाग, जिसकी पूर्ति गत निर्धारण वर्ष में उनकी आय से नहीं हो पाई।	8,000
e)	हिन्दू अविभाजित परिवार को, जिसके वे सदस्य हैं और जिसकी सम्पत्ति में उनका ¼ भाग है, व्यापार में हानि	18,000
f)	एक अन्य रजिस्टर्ड फर्म को व्यापार में हुई हानि में उनका भाग	6,000
g)	एक कम्पनी को जिसके, 20% साधारण अंश उनके पास है, व्यापार में हानि	9,000
h)	जोधपुर विश्वविद्यालय को दान	10,000
i)	वर्ग पहेली में जीत से प्राप्त राशि	2,800
j)	इन्दिरा गांधी स्मृति प्रन्यास में दान	1,000
k)	उन्होंने जीवन बीमा प्रीमियम के दिये	15,000

करदाता माल भारत से बाहर निर्यात करता है तथा समस्त लाभ निर्यात व्यापार से ही है। करदाता ने गतवर्ष में इन लाभों में से कोई कोष नहीं बनाया है।

From the following particulars, compute, the Total Income of Shri Mohan, an Indian citizen, for the assessment year 1986-87 :

a)	Profits of business run by him	60,000
b)	Share of Loss of an unregisted firm	15,000
c)	Business loss suffered by a co-operative society of which he owns 30% shares and unabsorbed depreciation	20,000
d)	Share of loss of business of the registered firm which could not be set off during the last assessment year from his income	8,000
e)	Business loss suffered by the Hindu Undivided Family of which he is a member and is entitled to one-fourth share in the property	18,000
f)	Share of business loss of an another registered firm	6,000
g)	Business loss suffered by a company of which he owns 20% equity shares	9,000
h)	Donation to the University of Jodhpur	10,000
i)	Amount received in respect of crossword puzzle winning	2,800
j)	Donation of Rs. 1,000 to the Indira Gandhi Memorial Trust.	1,000
k)	He paid life insurance premium	15,000

The assessee export goods out side India and all of the profits relates to export business. The assessee had not created any reserve out of these profit during the last year.

हल (Solution) :

Statement of Total Income of Shri Mohan for the Assessment Year 1986-87

	Rs.	Rs.	Rs.
Profit of Business			
Profits of own business		60,000	
Less : (i) Brought forward share of loss and unabsorbed depreciation set of	8,000		
(ii) Share of loss of an another registered firm for this year	6.000	14,000	46,000
Income from other sources :			
winning from crossward puzzle $2800 \times \frac{100}{70}$		4,000	
Less : Casual Income		1,000	3,000
Gross Total Income			49,000
Less : Deduction :			
(i) U/s 80C Deduction for Life Insurance Premium		10,200	
(ii) U/s 80G Donation 50% of Rs. 4,880		2,440	12,640
Total Income			36.360

टिप्पणी : a) अनरजिस्टर्ड फर्म में करदाता की हानि के भाग की पूर्ति करदाता की आय में से नहीं की जाती।

b) कम्पनी, सहकारी समिति एवं हिन्दू अविभाजित परिवार की हानि की पूर्ति करदाता की आय में से नहीं की जाती।

c) जीवन बीमा प्रीमियम की चुकाई गई राशि की कटौती 10,200 रु० मिलेगी (6,000 रु० पर 100%, अगले 6,000 रु० पर 50% तथा शेष 3,000 रु० पर 40% से दी गई है)।

d) दान के सम्बन्ध में कटौती योग्य राशि :—इन्दिरा गाँधी समृति ट्रस्ट को दी गई राशि पूरी कटौती योग्य है जबकि जोधपुर विश्वविद्यालय को दी गई राशि समायोजित कुल आय 38,800 रु० [49,000—10,200] का 10% 3,880 रु० तक सीमित होगी। कुल कटौती योग्य राशि 1,000 रु०+3,880 रु०=4,880 रु० होगी।

e) आकस्मिक आय 1,000 रु० तक करमुक्त है।

f) करदाता को निर्यात व्यापार के लाभों के सम्बन्ध में धारा 80HHC के अन्तर्गत कटौती प्राप्त नहीं होगी क्योंकि उसने गतवर्ष में लाभों के 50% कोष का निर्माण नहीं किया।

उदाहरण (Illustration) 3 : 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री अनुज को निम्नलिखित प्राप्तियाँ हुई :

	रु०
a. नियोक्ता से 3,000 रु० मासिक के हिसाब से मिला वेतन	36,000
b. अपने घर छुट्टी में जाने के लिए प्राप्त भत्ता (leave travel allowance)	4,000
c. 250 रु० मासिक भोजन भत्ता	3,000
d. नियोक्ता द्वारा चिकित्सा व्यय की पूर्ति	4,300

श्री अनुज को निम्नलिखित अतिरिक्त परिलब्धिया (perquisites) प्राप्त हैं :

a. बम्बई में एक मुफ्त असुसज्जित मकान जिसके लिये नियोक्ता द्वारा 1,200 रु० प्रति माह किराये के रूप में दिये जाते हैं।

b. निःशुल्क गैस एवं बिजली 31-3-1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नियोक्ता द्वारा इन पर 1,700 रु० व्यय किये गये हैं ।

c. 14HP की एक ड्राइवर सहित प्राप्त मुफ्त कार। इसका इस्तैमाल निजी कार्यों के लिए भी होता है।

श्री अनुज के पास कम्पनियों के कुछ अंश थे जिन पर उन्हें 8,000 रु० का लाभांश प्राप्त हुआ है एवं बैंक कमीशन 90 रु० चुकाया गया।

श्री अनुज को मार्च 1986 का वेतन एवं भत्ते अप्रैल 1986 में मिले ।

श्री अनुज की कुल आय, की, 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले गतवर्ष के लिए गणना कीजिये।

Mr. Anuj received the income during the year ended on 31st March, 1986 :— Rs.

a) Salary from his employers at Rs. 3,000 per month 36,000

b) Leave Travel Allowance for proceeding on leave to home district in India 4,000

c) Lunch Allowance at Rs. 250 per month 3,000

d) Reimbursement of Medical expenses from empleyers 4,300

Mr. Anuj also enjoyed the following other benefits and perquisites :

a) Free unfurnished flat in Bombay for which his employers were paying a rent of Rs. 1,200 per month.

b) Free gas and electricity in the flat. His employers paid total bills of Rs. 1,700 in this respect for the year ended 31st March, 1986.

c) One free car of 14 H. P. with driver for personal use.

Mr. Anuj had certain investments in shares on which he earned dividends of Rs. 8,000. and bank commission of Rs. 90 paid to bank for realising the dividend.

Mr. Anuj's salaries and allowance for march, 1986 which remained unchanged. were received by him only in April, 1986.

Compute the gross total income of Mr. A (ignoring deduction from total income) for the year ended on 31st March, 1986. (*C.A Inter. Nov.1978*)

Solution

	Rs.	Rs.
1. Salary @ Rs. 3,000 per month	36,000	
Lunch allowance	3,000	
Gas and electricity	1,700	
Value of car with driver @ Rs. 450 per month	5,400	
Rent free quarters	3,900	
	50,000	
Less : Standard deduction	1,000	49,000
2. Income from other sources :		
Dividend (gross)	10,000	
Less : Bank Commission	90	9,910
Gross Total Income		58,910
Less : Deduction u/s 80L Dividends		7,000
Total Income		51,910

टिप्पणी : 1. वेतन को accrual basis पर ही सम्मिलित किया जाता है, अतः मार्च 86 का वेतन जो अप्रैल 86, में प्राप्त हुआ है, सम्मिलित किया गया है।

b) असुसज्जित मकान के मूल्यांकन के लिये वेतन 36,000 रु० (मूल वेतन)+ 3,000 रु० भोजन भत्ता=39,000 रु० लिया गया है। चूंकि उचित किराया 14,400 रु० (1,200 रु०×12) है जो कि उक्त वेतन के 60% से अधिक नहीं है, अतः मूल्यांकन वेतन का 10% अर्थात् 3,900 रु० लिया गया है।

c) अपने घर पर छुट्टी पर जाने के लिये प्राप्त भत्ता कर-मुक्त है।

d) चिकित्सा व्यय की पूर्ति 5,000 रु० तक करमुक्त है।

e) लाभांश के सम्बन्ध में कटौती धारा 80L के अन्तर्गत 7,000 रु० की गई है।

उदाहरण (Illustration) 4 : श्री अशोक कुमार की 31 मार्च 1986 को समाप्त हुए वर्ष की आयों के निम्नलिखित विवरण से निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए उसकी कुल आय की गणना कीजिये।

1. वेतन 2,000 रु० प्रतिमाह
2. बैंक ऑफ बड़ौदा में स्थायी जमा पर प्राप्त ब्याज 900 रु०
3. मारुति लिमिटेड की स्थायी जमा पर प्राप्त ब्याज 2,250 रु०
4. सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज प्राप्त 1,350 रु०
5. डी. सी. एम. लिमिटेड के समता अंशों पर लाभांश प्राप्त 2,400 रु०
6. एक सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश 200 रु०
7. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के यूनिटों पर प्राप्त लाभांश 4,800 रु०
8. उसका एक मुर्गीखाना है जिससे गतवर्ष में 50,000 रु० का लाभ हुआ।
9. उसने अपना एक रहने का मकान 3,50,000 रु० में 11 अप्रैल 1985 को बेचा जो 1958 में 50,000 रु० में खरीदा था इस मकान का 1 जनवरी 1964 को उचित बाजार मूल्य 70,000 रु० था। इन्होंने रहने के लिये एक मकान 31 मार्च 1986 को 90,000 रु० में खरीदा।
10. 1976 को खरीदे गये डी. सी. एम. लिमिटेड के समता अंश बेचने पर लाभ 5,000 रु०
11. उसने 1 अप्रैल 1985 को 10,000 रु० के राष्ट्रीय बचत पत्र (षष्ठम निर्गम) क्रय किये।

बैंक द्वारा ब्याज एवं लाभांश की वसूल की गई राशि पर 2% कमीशन वसूल किया गया।

From the following particulars of income of Mr. Ashok Kumar for the year ended on 31st March, 1986. Calculate his total income for the assessment year 1986-87 :—

1. Salary Rs. 2,000 P.M.
2. Interest received from Bank of Baroda on fixed deposit Rs. 900.
3. Interest received from Maruti Ltd., on fixed deposit Rs. 2,250.
4. Interest received from Government securities Rs, 1,350.
5. Dividend received on equity shares of D.C.M. Ltd. Rs. 2,400.
6. Dividend received from a co-operative society Rs. 200.
7. Dividend received on Units of Unit Trust of India Rs 4,800.
8. He owns a poultry form also. Its profits for the previous year amounted to Rs. 50,000.
9. He sold his residential house on 11th April 1985 for Rs. 3,50,000 which he had purchased for Rs, 50 000 in 1958. Fair market value of this house on 1st January 1964 was Rs 70,000. He purchased a residential house on 31st March 1986 for Rs. 90,000.

10. He earned a profit of Rs. 5,000 on sale of equity shares of D.C.M. Ltd. purchased in 1976.

11. He purchased National saving certificates VI Issue on 1-4-85 for Rs. 10,000. Bank charged 2% commission on amount realised for interest and dividend.

(*Rajasthan B. Com.* 1985 *amended*)

हल (Solution) :

Computation of Total Income of Shri Ashok Kumar for the A. Y. 1986-87

		Rs.	Rs.
Salaries :			
Salary		24,000	
Less : Standard deduction		6,000	18,000
Interest on securities :			
Interest on Govt. Securities $1,350 \times \frac{100}{90}$		1,500	
Interest on N.S.C. VI Issue		1,236	
		2,736	
Less : Collection charges (2% on Rs. 1,350)		27	2,709
Business :			
Profits of Poultry farm			50,000
Capital Gains :			
(i) On sale of house : Selling price		3,50.000	
Less : Cost of acquisition (being fair market value on 1 Jan. 1964)		70,000	
		2.80,000	
Less : Exempted (see note below)		2,50,000	
		30,000	
(ii) On Sale of Equity Shares		5,000	35,000
Income from other sources :			
Interst on F.D. with Bank		900	
Interest from Maruti Ltd. $2,250 \times \frac{100}{90}$		2,500	
Dividend from co-op. Society		200	
Dividend from D.C.M. Ltd. $2,400 \times \frac{100}{80}$		3,000	
Dividend from Units		4,800	
		11,400	
Less : Collection charges		211	
2% on Rs. 10,550 (900+2,250+200+2,400+4,800)			11,189
Gross Total Income			1,16,898
Deductions			
U/s 80C (N.S.C.)			
U/s 80L (Dividends)		8,618	
U/s 80 T (Capital gain)		10,000	
On Bulidings first Rs. 5,000 @ 100%	5,000		
Balance of Rs. 25,000 @ 40%	10,000		
On Shares Rs. 5,000 @ 45%	2,250	17,250	35,868
Total Income			81,030
(Rounded off)			81,030

टिप्पणी : 1. राष्ट्रीय बचत पत्र षष्ठ निर्गम पर 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, अर्द्ध वार्षिक आधार पर प्राप्य होता है। चूँकि राशि प्राप्त नहीं होती है अतः संग्रहण व्यय नहीं लगेगा।

2. मकान के हस्तान्तरण पर पूँजी लाभ 2,80,000 रु० इसमें धारा 53 के अन्तर्गत कर-मुक्त लाभ 1,60,000 रु० होंगे।

$$\text{कर-मुक्त लाभ} = \frac{\text{पूँजी लाभ}}{\text{प्राप्त प्रतिफल}} \cdot 2,00,000 \text{ रु०}$$

$$= \frac{2,80,000}{3,50,000} \times 2,00,000 \text{ रु०} = 1,60,000$$

चूँकि करदाता ने मकान के हस्तांतरण की तिथि एक वर्ष के अन्दर 90,000 रु० का रहने का मकान क्रय कर लिया है अतः 90,000 रु० धारा 54 के अन्तर्गत कर-मुक्त होंगे अर्थात् कुल 2,50,000 रु० कर-मुक्त पूँजीलाभ होंगे। यह माना गया कि करदाता के पास रहने का अन्य मकान नहीं है।

3. धारा 80C के अन्तर्गत कटौती 10,000 रु० के राष्ट्रीय बचत पत्रों के क्रय पर एवं 1,236 रु० राष्ट्रीय बचत पत्रों पर ब्याज जो कि स्वतः पूर्वनियोजित हो जाता है पर दी जायेगी। अर्थात् कुल कटौती योग्य राशि 11,216 रु होगी। जिस पर प्रथम 6,000 रु० के लिए 100% एवं शेष 5,230 रु० पर 50% कटौती प्राप्त होगी।

4. लाभांश कटौती 10,000 रु० (7,000 रु० सामान्य + 3,000 यूनिट से लाभांश) दी जायेगी।

5. पूँजी लाभों के सम्बन्ध में धारा 80T के अन्तर्गत कटौती सर्वप्रथम 5,000 रु० भवन से सम्बन्धित लाभों पर 100% भवन के शेष लाभों पर 40% (20 वर्ष से अधिक अवधि तक मकान रहा हैं) एवं अंशों को बेचने पर लाभों पर 45% कटौती दी गई है।

उदाहरण (Illustration) 5 : निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए श्री नरेन्द्र अपनी आय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं —

विनियोगों से आय :	रु०
महेन्द्रा मिल्स लिमिटेड के ऋणपत्रों पर ब्याज 31 दिसम्बर, 1985 को प्राप्त (शुद्ध	800
एलिकोन इंजीनियरिंग कम्पनी लि० के ऋणपत्रों (सूचीयत) पर प्राप्त ब्याज	2,700
डाकघर में स्थाई जमाओं पर ब्याज	320
डाकघर में सावधि जमाओं पर ब्याज	540
भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों पर लाभांश	1,200
अंशों पर लाभांश (यह अंश उसे उसकी पत्नी ने बिना प्रतिफल के हस्तान्तरित किये थे)	2,100
मकान-सम्पत्ति का किराया मूल्य (नगरपालिका कर चुकाए 600 रु०, संग्रहालय 400 रु०)	6,000

व्यापार की आय :

मुर्गीपालन के व्यवसाय से लाभ	27,000
नई औद्योगिक इकाई के लाभ (स्थापना जून 1983 में की गई)	20,000
पुस्तक प्रकाशन से लाभ	14,000
अवयस्क पुत्र का एक फर्म में लाभ का भाग	6,000
उन्होंने निम्नलिखित भुगतान किये हैं—	
एक कम्पनी के अंशों के लिये आवेदन पत्र के साथ जमा किये	4,000
एक नई भारतीय कम्पनी के प्रथम योग्य निर्गमन अंशों में से आबंटित अंशों के लिए	3,500
राष्ट्रीय जमा योजनाओं (द्वितीय श्रृंखला) में जमा कराये (1 जनवरी, 1986 को जमा कराये)	1,000
राष्ट्रीय बचत पत्र सप्तम निर्गम क्रय किये (28 मार्च, 1986 को क्रय किये)	3,000
आयकर निर्धारण कार्यवाही के सम्बन्ध में व्यय	400

श्री नरेन्द्र की 1986-87 निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय की गणना कीजिए।

Shri Narendra submits the following information regarding his income for the assessment year 1986-87 :

Income from Investments :	Rs.
Interest on debentures of Mahendra Mills Ltd. received on 31st, December, 1985 (Net)	800
Interest on debentures of Elecon Engineering Co. Ltd. (listed)	2,700
Interest on Fixed Deposits in Post Office	320
Interest on Time Deposits in Post Office	540
Dividends on Units of Units Trust of India	1,200
Dividends on shares (shares were transferred by his wife without consideration)	2,100
Rental value of House Property Municipal Tax paid Rs. 600; Collection charges Rs. 400)	6,000
Business Income	
Income from Poultry Farming	27,000
Profit of a new Industrial Unit (established in June, 1983)	20,000
Profits of Book Publication	14,000
Minor son's share in a Firm	6,000
He made the following payments ;	
Deposits of Application Money for the purchase of shares of a new co.	4,000
Deposits against allotment of shares of a new Indian Co. from its first eligible issue	3,500
Deposits in National Deposit Scheme (II—Series) on 1st January, 1986.	1,000
Purchased National savings certificate VII issue on 28th March, 1986	3,000
Expenses in respect of Income-tax proceedings	400

Compute total income of Shri Narendra for the assessment Year 1986-87.

(Raj B. Com. Hons) 1986.

हल (Solution) :

Statement of Total Income
Assessment year 1986-87

	Rs.	Rs.
Interest on Securities :		
Interest on debentures of Mahendra Mills, $800 \times \frac{100}{80}$	1,000	
Interest on debentures of Elecan Engineering Co. $\left(2,700 \times \frac{100}{90}\right)$	3,000	
Interest on National Deposit scheme	26	4,026
Income from House property :		
Fair Rent	6,000	
Less : Municipal Tax	600	
Annual value	5,400	
Less : Repairs 1/6 — 900; Collection charges — 324	1,224	4,176
Income from Business :		
Profits from Poultry Farming	27,000	
Profits of new Industrial undertaking	20,000	
Book Publishing Business	14,000	
Minor Son's share in Firm	6,000	67,000
Income from Other Sources :		
Interest on Time Deposits in the Post Office	540	
Dividends on units of Unit Trust of India	1,200	1,740
Gross Total Income		76,942
Less : Dductions :		
Purchase of N.S.C. VII issue (80C)	3,000	
Purchase of new shares (80CC)	1,750	
Profit of new Industrial unit (80I)	4,000	
Investment income (80L)	1,766	10,516
Total Income		66,426
Round off		66,430

टिप्पणी :

1. विनियोगों से आय के सम्बन्ध में धारा 80L के अन्तर्गत छूट की राशि की गणना इस पकार की गई है—

	रु०
राष्ट्रीय जमा योजना पर ब्याज $\left(3 \text{ माह के लिए } 10{,}000 \times \frac{10\cdot5}{100} \times \frac{3}{12}\right)$	26
डाकघर के सावधि जमा खाते पर ब्याज	540
भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों पर लाभांश	1,200
	1,766

2. पत्नी से बिना प्रतिफल के प्राप्त अंशों पर लाभांश उनकी पत्नी की ही आय मानी जायेगी ।

उदाहरण (Illustration) : 6 श्री अजीज अहमद एक अर्थशास्त्री जो मिल में काम करते हैं, कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 के लिये आपको निम्नलिखित जानकारी देते हैं। उनकी कुल आय की गणना कीजिये :

अ. शुद्ध प्राप्त वेतन 15,972 रु०, जो कि उद्गम स्थान पर आयकर की कटौती 2,000 रु०, प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड में अंशदान 3,000 रु०, कम्पनी द्वारा भी उतना ही अंशदान किया गया, चुकाया गया व्यवसायिक कर दिया 528 रु० घटाने के बाद हैं।

ब. निम्नलिखित रकमों की प्राप्ति :

i. 31-12-82 को बैंक में जमा कराये सावधि निक्षेप पर ब्याज 6,000रु.

ii. पोस्ट आफिस बचत खाते पर ब्याज 300 रु०

iii. सरकारी प्रतिभूतियों पर शुद्ध ब्याज 2,700 रु०

iv. सरकारी बाण्ड पर सकल ब्याज 2,300 रु०

v. सकल लाभांश 600रु०।

vi. अधिसूचित राष्ट्रीय जमा योजना में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज 7,000 रु०

स. इनके पास एक मोटर भी है जिसे आफिस से सम्बन्धित कार्यों के लिये प्रयोग किया जाता है।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित भुगतान किये :

i. 25,000 रु० की पालिसी पर 3,000 रु०।

ii. नेशनल डिफेंस फण्ड में दान 1,000 रु०।

आयकर सम्बन्धी देय राशि की पूर्ति के लिये इन्होंने 3,000 रु० का ऋण लिया एवं इस पर 500 रु० ब्याज के दिये।

Mr. Aziz Ahmad, an Economist in a factory, gives the following information to you for the assessment year 1986-87. Compute his total income :

(a) Net salary received Rs. 15,972 Income-tax deducted at source Rs. 2,000. Contribution to recognised provident fund Rs. 3,000 an equal amount being contributed by the employer company and professional tax paid Rs. 528.

(b) Received :

(i) in respect of interest on fixed deposit in a bank on 31 December, 1982, Rs. 6,00[illegible].

(ii) Rs 300 being interest in post office savings bank account.

(iii) Rs 2,700 as interest on Government Securities (net).

(iv) Rs 2.300 as interest on Government Bonds (gross).

(v) Received dividend (gross) amountng to Rs. 600.

(vi) Interest received from Deposits in National Deposite scheme Rs. 7,000

(c) He owns a motor car which is used by him for purposes of his employment also.

(i) Rs. 3,000 on a policy of Rs. 25,000.

(ii) donation to National Defence Fund Rs. 1,000.

He took a loan of Rs, 3,000 last year to clear up his income-tax dues and pays Rs. 500 as interest on it.

(Punjab B. Com. 1979)

हल (Solution) :

Statement of Total Income of Shri Aziz Ahmad for the A. Y. 1986-87

		Rs.	Rs.
Salary			
Net Salary received	15,972		
Tax deducted at source	2,000		
Contribution to RPF	3,000		
Professional Tax	528	21,500	
Employer's contributions to RPF in excess over 10% (3,000—2,150)		850	
Gross Salary		22,350	
Less : Standard deduction		5,588	16,762
Interest on securities			
Interest on Government securities (Net) Rs. $2,700 \times \frac{100}{900}$		3,000	
Interest on Govt. Bonds (gross)		2,300	5,300
Income from other sources			
Interest on fixed deposit in a bank		6,000	
Dividends		600	
Interest received from NDS		7,000	13,600
Gross Total Income			35,662
Less : Deductions :			
a. u/s 80C : Qualifying Amount		5,500	
b. u/s 80G : Qualifying donation 50% of 1,000		500	
c. u/s 80L : Interest etc.		12,000	18,000
Total Income			17,662

टिप्पणी :—(1) धारा 80C के लिये कटौती योग्य राशि 5,500 रु० (प्रमाणित प्रोविडेन्ट फन्ड में अंशदान 3,000 रु०+जीवन बीमा पालिसी के प्रीमियम के 10% तक अर्थात् 2,500 रु०) हैं, जिसकी कटौती दी गई है।

(2) धारा-80-L के अन्तर्गत अधिकतम कटौती 12,000 रु० की दी गई है 7,000 रु० तक की कटौती ब्याज एवं लाभांश के लिए है 3,000 रु० की अतिरिक्त कटौती यूनिटों से लाभांश एवं राष्ट्रीय जमा योजना से ब्याज के लिए दी गई है। राष्ट्रीय जमा योजना का ब्याज के लिए 2,000 रु० की अतिरिक्त कटौती और दी गई है।

(3) पोस्ट आफिस का ब्याज कर-मुक्त है, अतः सम्मिलिय नहीं किया गया।

उदाहरण (Illustration) 7 : श्रीमती कुमुदिनी सालूजा रेडियो एवं पार्श्व गायिका हैं। इनकी प्राप्तियों व व्ययों का विवरण नीचे दिया गया है। आप कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये इनकी कुल आय का निर्धारण कीजिए।

Smt. Kumudine Saluja is a radio and playback-singer whose particulars of receipts and expenditure are given below. You are required to compute her total income for the assessment year 1986-87 :

Radio Programmes	8,950	Telephones and Telegrams	5,000
Film corporation	10,540	Typist and clerk	12,000
From other producers	50,250	Attendants	12,250
Rent received	8,000	Private Secretary	12,000
Dividends received (net)	8,000	Tour abroad	50,000
UTI interest received	2,000	Car expenses	18,460
Special programmes	3,000	Municipal taxes (let out house)	800
Receipts from programmes in London and New York	1,00,000	Municipal taxes (self-occupied)	1,000
		Surplus	79,230
	1,90,740		1,90,740

यह मालूम हुआ कि कार के खर्चों का एक चौथाई व्यक्तिगत प्रयोग से सम्बन्धित हैं। सेवक घरेलू कार्यों के लिए नियुक्त किये गये हैं व श्रीमती सलूजा के व्यवसायिक क्रिया कलापों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। इन्हें 1971 में खरीदी गई कार को वेचने पर 10,000 रु० की हानि हुई।

On enquiry it is found that one-fourth of car expenses pertain to private use thereof. The attendants are also working in the house performing duties not related to profession. She incuerred a loss of Rs. 10,000 on the sale of old car which had been bought in 1975.

हल (Solution) :

Solution :

		Rs,	Rs.	Rs.
Income from house Property				
Let out house : Rent received		8,000		
Municipal taxes		800	7,200	
Self-occupied: Rental value		10,000		
Municipal taxes		1,000		
		9,000		
Statutory allowance		3,600	5,400	
Annual value of both houses			12,600	
Less 1/6 for repairs			2,100	10,509
Profit from profession				
Radio programmes		8,950		
Film Corporation		10,540		
Other producers		50,250		
Special programmes		3,000		
Receipts from tour		1,00,000	1,72,740	
Less : Expenses				
Telephone & Telegrams		5,000		
Typist & clerk		12,000		
Private Secretary		12,000		
Tour expenses		50,000		
Car expenses	18,460			
Less private use	4,615	13,845	1,00,345	72,395
Terminal Depreciation		7,500		
Income from other sources				
Dividends (gross)		10,000		
UTI Interest		2,000		12,000
Gross Total Income				94,895
Less Allowed deductions :				
Sec. : 80L : Dividend etc.		7,0C0		
Additional for UTI		2,000		
			9,000	
Sec. 80RR : 25% of income brought into India from foreign sources			25,000	34,000
Total Income				60,895

टिप्पणी :—(1) व्यक्तिगत प्रयोग के लिए मकान का किराया मूल्य इस आधार पर 10,000 रु० लिया गया है कि जब किराये के मकान जिसका नगरपालिका कर 800 रु० है, जो प्राप्त किराया 8,000 रु० का 10% है, अतः व्यक्तिगत प्रयोग में आने

वाले मकान का नगरपालिका कर 1,000 रु० होने के कारण $\left(\frac{1,000}{10} \times 100\right)$ 10,000 रु० किराया मूल्य होगा।

(2) चूँकि मोटर कार का व्यक्तिगत प्रयोग एक चौथाई होता है, अतः व्यय एक चौथाई अस्वीकृत किया गया है।

(3) कार को वेचने से हानि 7,500 रु० (10,000 रु० में से व्यक्तिगत प्रयोग की $\frac{1}{4}$ कम करके) अंतिम ह्रास के रूप में स्वीकृत होगी।

व्यक्ति द्वारा देय आय-कर

कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये व्यक्ति के लिये वित्त अधिनियम, 1985 के द्वारा जो दरें निर्धारित की गई हैं, उनके अनुसार उसकी कुल आय पर आय-कर[1] की राशि ज्ञात करली जाती है। ये दरें निम्न हैं ;—

1. कुल आय के प्रथम 18,000 रु० पर	कुछ नहीं
2. कुल आय के अगले 7,000 रु० पर	25%
3. कुल आय के अगले 25,000 रु० पर	30%
4. कुल आय के अगले 50,000 रु० पर	40%
5. कुल आय के शेष भाग पर	50%

इस प्रकार ज्ञात की गई आय-कर की देय राशि को निकटतम रुपयों में करली जाती है अर्थात् 50 पैसे या इससे अधिक को पूर्ण रुपया मान लिया जाता है और 50 पैसे से कम को छोड़ दिया जाता है। उदाहरणार्थ 2,533·60 रु० को बढ़ाकर 2,534 रु० कर दिया जाता है तथा 2,533·40 रु० होने पर घटाकर 2,533 रु० कर लिया जाता है।

इस प्रकार ज्ञात की गई कर की राशि में से निम्न राशियाँ कम करदी जाती हैं तथा शेष राशि करदाता को जमा करानी होती हैं :—

(अ) उद्गम स्थान पर काटी गई कर की राशि तथा

(ब) कर-निर्धारण वर्ष अर्थात् वर्तमान कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये अग्रिम कर की भुगतान की राशि।

यदि उपरोक्त 'अ' एवं 'ब' की राशि देयकर से अधिक है अर्थात् करदाता ने पूर्व में ही दिये जाने वाले कर से अधिक राशि का भुगतान कर दिया है, तो शेष राशि उसे वापिस प्राप्त हो जाती है।

आय-कर में से छूट

करदाता की कुल आय में अनरजिस्टर्ड फर्म या व्यक्तियों के समुदाय की आय का भाग सम्मिलित होने पर :—यदि किसी व्यक्ति अथवा अन्य करदाता की कुल आय में किसी अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभ का हिस्सा या किसी व्यक्तियों के किसी समुदाय की आय का हिस्सा सम्मिलित है तथा अनरजिस्टर्ड फर्म या व्यक्तियों के समुदाय की कुल आय 18,000 रु० से अधिक है तो ऐसी सम्मिलित आय के सम्बन्ध में आयकर की औसत

1. कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 से आय-कर पर लगने वाला सरचार्ज समाप्त कर दिया गया है।

दर से छूट दी जाती है। आय-कर की राशि के योग को कुल आय से भाग देकर औसत दर ज्ञात की जाती है।

जैसे—औसत दर$=\frac{\text{आयकर}}{\text{कुल आय}}\times 100$

उदाहरणार्थ एक व्यक्ति की कुल आय 40,000 रु० है जिसमें एक अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभ का 1/3 भाग 10,000 रु० सम्मिलित है। 40,000 रु० की आय पर उपरोक्त दरों से आयकर 6,250 रु० आता है। अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभों पर औसत दरों से छूट निम्न प्रकार ज्ञात की जायेगी औसत दर$=\frac{\text{आयकर}}{\text{कुल आय}}\times 100$ अर्थात् $\frac{6,250}{40,000}\times 100$ इस प्रकार औसत दर 15·625% होगी और अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभों पर (10,000 रु० पर) छूट 1,562·50 रु० होगी जिसे आयकर के दायित्व में से घटा दिया जायेगा।

करदाता की कुल आय में कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज की राशि सम्मिलित होने पर : ऐसी स्थिति में करमुक्त सरकारी प्रतिभूति के ब्याज की राशि पर आयकर की औसत दर से अथवा $27\frac{1}{2}$ प्रतिशत से, जो भी दोनों में कम हो, छूट दी जाती हैं। वैसे व्यवहार में छूट देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती क्योंकि वर्तमान में इस प्रकार की कोई प्रतिभूतियां नहीं है।

एक व्यक्ति की वेतन शीर्षक की आय में 'अग्रिम वेतन', 'बकाया वेतन', 12 माह से अधिक का वेतन तथा वेतन के स्थान पर लाभ सम्मिलित होने पर :—यदि ऐसी स्थिति हो तथा इसके कारण करदाता को ऊँची दरों से कर देना पड़े तो वह धारा 89 (1) के अन्तर्गत आवेदन देकर नियमानुसार कर में छूट प्राप्त कर सकता है।

एक व्यक्ति अथवा अन्य करदाता की आय में 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' शीर्षक का बकाया ब्याज सम्मिलित होने पर :—यदि ऐसी स्थिति हो कि इसके कारण यदि करदाता को ऊँची दरों से कर देना पड़े तो वह धारा 89(2) के अन्तर्गत आवेदन देकर नियमानुसार कर में छूट प्राप्त कर सकता है।

शुद्ध कृषि आय की गणना
(Computation of Net Agricultural Income)

कृषि आय में सम्मिलित विभिन्न स्रोतों से आय की गणना विभिन्न प्रावधानों के आधार पर निम्नलिखित तरीके से की जाती है—

1. भारत में स्थित कृषि भूमि के किराये से आय की गणना "अन्य साधनों से आय" शीर्षक के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार की जाती है लेकिन 2,500 रु० से अधिक के भुगतान भी यदि नकद में किये जाते हैं तो उसकी कटौती अस्वीकृत नहीं की जाती।

2. भारत में स्थित भूमि पर कृषि करने से हुई आय अथवा उपज को बाजार में विक्रय योग्य बनाने के लिये सामान्यत: की गई क्रियाओं से आय की गणना "व्यापार अथवा पेशे के लाभ" शीर्षक के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार की जाती है लेकिन निम्नलिखित कटौतियाँ नहीं दी जाती—

अ) विनियोग छूट
आ) विकास भत्ता
इ) वैज्ञानिक अनुसन्धान पर व्यय
ई) कृषि विकास छूट
उ) ग्रामीण विकास छूट
ऊ) ग्रामीण विकास अथवा प्राकृतिक साधनों की सुरक्षा के किसी कार्यक्रम के लिए किये गये भुगतान।

3. कृषि भूमि पर अथवा उसके समीप स्थित एवं कृषक अथवा उपज के रूप में किराया प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा स्वयं के निवास के लिए काम में लिए गये मकान की आय की गणना "मकान सम्पत्ति से आय" शीर्षक के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार की जाती है लेकिन ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य अन्य कृषि आय के 10% से अधिक नहीं माना जाता है।

4. यदि करदाता भारत में चाय के उत्पादन और निर्माण का व्यवसाय करता है तो ऐसे व्यवसाय की आय का 60% कृषि आय माना जाता है।

5. किसी फर्म की कृषि आय निम्नलिखित परिस्थितियों में फर्म के साझेदारों की कृषि आय मानी जाती है—

अ फर्म रजिस्टर्ड हो

आ) अनरजिस्टर्ड फर्म का कर-निर्धारण धारा 183 (b) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड फर्म मान कर किया गया हो,

इ) अनरजिस्टर्ड फर्म की कुल आय 18,000 रु० से अधिक नहीं हो,

6. कृषि आय पर राज्य सरकार द्वारा लगाये गये कर की करदाता द्वारा देय राशि घटा दी जाती है।

7. यदि गतवर्ष में कृषि आय के किसी स्रोत से हानि होती है तो उसकी पूर्ति गतवर्ष में कृषि आय के किसी अन्य स्रोत की आय से की जा सकती है। किसी अनरजिस्टर्ड फर्म का साझेदार फर्म की कृषि से हानि में अपना हिस्सा किसी अन्य आय में से नहीं घटा सकता।

8. निर्धारण वर्ष 1977-78 से 1985-86 तक की कृषि से हानि यदि निर्धारण वर्ष 1985-86 तक नहीं घटाई जा सकी हो तो उसकी पूर्ति निर्धारण वर्ष 1986-87 की कृषि आय में से की जा सकती है।

उपर्युक्त विधि से गणना की गई राशि शुद्ध कृषि आय कहलाती है जिसे निकटतम दस में शून्यांत (round off) कर लिया जाता है। यदि उपर्युक्त गणना में हानि हो तो उसे छोड़ दिया जाता है और शुद्ध कृषि आय शून्य मानी जाती है।

एक व्यक्ति की कृषि आय होने पर कर की गणना :—यदि एक व्यक्ति जिसकी कुल आय 18,000 रु० से अधिक हो तथा 'कृषि आय' भी हो तो देयकर की गणना निम्न प्रकार की जाती है :—

i) सर्वप्रथम शुद्ध कृषि आय की गणना की जाती है, जैसे कि वह आय 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में करयोग्य हो।

ii) 'कुल आय' एवं 'शुद्ध कृषि आय' को जोड़कर ज्ञात राशि को कुल आय मानकर उस पर निर्धारित दरों से आयकर की गणना की जाती है।

iii) इसके पश्चात् 'शुद्ध कृषि आय' में 18,000 रु० जोड़कर प्राप्त राशि पर आयकर की गणना की जाती है।

iv) इसके पश्चात् आयकर की राशि जिसकी गणना उपर्युक्त (ii) के अनुसार की गई है में से उपर्युक्त (iii) में गणना की गई आय-कर की राशि को घटा दिया जाता है। इस प्रकार ज्ञात आयकर की राशि ही कर दायित्व होती है।

टिप्पणी:—यदि शुद्ध कृषि आय की राशि 006 रु० से अधिक नहीं हो तो उपर्युक्त कर की गणना करने की विधि नहीं अपनाई जाती तथा उस स्थिति में केवल कुल आय पर ही कर की गणना की जाती है।

उदाहरण (Illustration) 8 :— (i) श्री उमेश, श्री अनिल एवं श्री प्रवीण की कुल आय क्रमशः 18,100 रु०, 50,000 रु० तथा 1,25,000 रु० हैं। कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये प्रत्येक द्वारा देय कर की गणना कीजिये।

The total income of Shri Umesh, Shri Anil and Shri Parveen are Rs. 18,100 Rs. 50,000 and Rs. 1,25,000 respectively calculate the tax payable by each one of them for the Assessment Year 1986-87.

(ii) यदि श्री उमेश, अनिल एवं श्री प्रवीण की शुद्ध कृषि आय क्रमशः 5,000 रु० 500 रु० एवं 15,000 रु० है तो कर दायित्व क्या होगा ?

If Net Agriculture income of Shri Umesh, Anil and Praveen is Rs. 5,000, Rs. 500 and Rs. 15,000 what would be the tax Liability ?

हल (Solution) :

Statement of tax payable for the Assessment year 1985-86

		Rs.	Rs.
(ii) Shri Umesh			
	Total Income	18,000	
Income Tax on first	Rs. 18,000		Nil
on the balance of	Rs. 100 @ 25%		25
			25
Shri Anil			
	Total Income	Rs. 50,000	
	Rs.		
Income tax on first	18,000		Nil
next	7,000 @ 25%		1,750
next	25,000 @ 30%		7,500
Tax Payable			9,250
Shri Praveen			
	Total Income	Rs. 1,25,000	
	Rs.		
Income tax on first	18,000		Nil
next	7,000 @ 25%		1,750
next	25,000 @ 30%		7,500
next	50,000 @ 40%		20,000
next	25,000 @ 50%		12,500
Tax Payable			41,750

(ii) Shri Umesh

	Rs.	
Total Income	18,100	
Net Agriculture Income	5,000	
Aggregate Amount	23,100	
Income tax on Rs. 23,100 (as per prescribed rates)		1,275
Less : Income Tax on Rs. 23,000 (being Net agriculture Income Rs. 5,000 increased by Rs. 18,000)		1,250
Income Tax on Total Income		25
Tax Payable		25

Shri Anil

Since Agriculture income is less than Rs. 600 tax liability will remain Unchanged		9,550

Shri Praveen

	Rs.	
Total Income	1,25,000	
Net agriculture Income	15,000	
Aggregate amount	1,40,000	
Income Tax on	1,40,000	49,250
Less : Income Tax on (being net agriculture income Rs. 15,000 increased by Rs. 18,000)	33,000	4,150
Income Tax on Total Income		45,100
Tax Payable		45,100

उदाहरण (Illustration) 9 :—श्री कमलकान्त एक लघु उद्योग चलाते हैं, जिसमें प्लास्टिक के सामान का निर्माण करते हैं। उद्योग की स्थापना 1 जुलाई, 1980 को की गयी थी। 1 अप्रैल 1985 को इसमें विनियोजित पूंजी 1,80,000 रु० थी। 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये बनाये गये लाभ हानि खाते में 25,700 रु० का लाभ दर्शाया गया हैं। लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में निम्नलिखित मद लिखे हुए हैं :

	रु०
i) सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा कराये	4,600
ii) यूनिट से जुड़ी बीमा योजना में जमा कराये	3,000
iii) आयकर के 20,000 रु० व धनकर के 4000 चुकाने के लिये 18% ब्याज की दर पर 1 जून 1985 को लिये गये ऋण पर ब्याज	3,600
iv) राज्य सरकार को परिवार नियोजन के प्रोत्साहन हेतु दान	2,000
v) एक नया स्कूल खोलने के लिये राज्य सरकार को दान	5,000

उनका शहर में एक मकान है जिसका नगरपालिका मूल्य 4,800 रु० है। जिस पर अर्धवर्ष के लिए 480 रु० का नगरपालिका कर है। अंतिम 6 माह की अवधि का कर अभी अदत्त है। मकान के निर्माण हेतु लिए गये ऋण पर गतवर्ष का ब्याज 5,600 रु० था। 30 जून, 1985 तक उन्हें किरायेदार 1,200 रु० प्रति माह दे रहा था, इसके बाद मकान 1 जुलाई 1985 को 1,350 रु० प्रति माह किराये पर उठा दिया गया।

मकान का निर्माण 1 जून 1983 को पूर्ण हुआ। आयकर निर्धारण की कार्यवाही के अंतर्गत आयकर अधिकारी ने पाया कि करदाता ने 1981 में अपनी पत्नी के नाम 20,000 रु० बैंक में जमा कराये थे, गतवर्ष में इस खाते में 29,600 रु० पर 10% की दर से 2,960 रु० ब्याज के हुये।

श्री कमलकांत की 1986-87 निर्धारण वर्ष के लिये कुल आय की गणना कीजिये।

Shri Kamal Kant runs a small scale industry established on 1st July 1980. This manufactures plastic goods. Its Capital employed was Rs. 1,80 000 on 1st April 1985. For the year ending 31st March, 1986, his profit and loss account showed a profit of Rs. 25,700. Following items were debited to profit and loss account:

	Rs.
(i) Contribution to Public Provident Fund	4,600
(ii) Contribution to Unit link Insurance Plan	3,000
(iii) Interest on Loan taken for the payment of Income tax Rs. 20,000. wealth tax Rs. 4,000 on 1st June 1985 at an interest of 18% p.a.	3,600
(iv) Donation to State Government for promotion of family planning	2,000
(v) Donation to State Government for opening a new school	5,000

He owns a house in the city of a municipal value of Rs. 4,800 for which the municipal tax is 480 per half year. Municipal tax for the last half year was still unpaid. The loan he has taken towards the cost of the house is partly outstanding and the year's interest was Rs. 5,600. A tenant was paying Rs. 1,200 per month till 30th June 1985. Later on it was let out on a monthly rent of Rs. 1,350 since 1st July, 1985. The construction of the house was completed on 1st June 1983.

On enquiry the Income tax Officer found that in 1981 the assessee had deposited Rs. 20,000 in a Bank in his wife's name and her account was credited for interest of Rs. 2,960 @ 10% on a balance of Rs. 29,600 in her account.

Compute total income of Shri Kamal Kant for the assessment year 1986-87.

(Rajasthan B. Com. 1986)

हल (Solution) :

Statement of Total Income for the Assessment year 1986-87

		Rs.	Rs.
Income from House Property :			
Rental Value $\left(14{,}400 \times \frac{12}{11}\right)$		15,710	
Less : Municipal tax		480	
		15,230	
Less : Statutory allowance for new construction		3,600	
Annual Value		11,630	
Less : Deductions :			
Repairs (1/6 of annual value)	1,938		
Interest on loan	5,600		
Vacancy allowance	969	8,507	3,123
Profits and Gains of Business :			
Profit as per Profit and Loss A/c		25,700	
Add : Expenses disallowed			
Contribution to public provident fund	4,600		
Contribution to unit-linked insurance plan	3,000		
Interest on loan	3,600		
Donation	7,000	18,200	43,90

Income from Other Sources :
Interest on bank deposits

			2,000
Gross Total Income			49,023
Less : Deductions :			
Life insurance premium etc. (80C)			
On first 6,000 100%	6,000		
On next 1,600 50%	800	6,800	
Interest (80L)		2,000	
Donation (80G) :			
100% of Rs. 2,000	2,000		
50% of Rs. 2,022	1,011	3,011	11,811
Total Income			37,212
(Rounded off Rs. 37,210)			

टिप्पणी :

1. पत्नी के नाम में बैंक में जमा राशि में से केवल करदाता द्वारा जमा कराई गई राशि पर ब्याज करदाता की आय में जोड़ा गया है और करदाता को ही इस सम्बन्ध में सकल कुल आय में से कटौती दी गई है।

2. दान के सम्बन्ध कटौती योग्य राशि की गणना इस प्रकार की गई है—

	रु०
सकल कुल आय	49,023
कटौतियाँ	8,800
समायोजित सकल कुल आय	40,223

अतः कटौती योग्य राशि समायोजित सकल कुल आय का 10% 4,022 रु० होगी।

उदाहरण (Illustration) 10 : नीचे दिया गया आय का विवरण श्री पी०एस० जोसेफ का है जो एक कम्पनी में मैनेजर है :—

i) वेतन 2,000 रु० मासिक जिसमें से 15% अप्रमाणित भविष्यनिधि के लिये काट लिया जाता है। इतना अंशदान कम्पनी द्वारा भी दिया जाता है। 500 रु० मासिक की दर से मंहगाई वेतन भी इन्हें मिलता है।

ii) 15 हार्स पावर की एक कार इन्हें आफिस व घरेलू कार्यों के लिए मिलती है, जिसके व्ययों (निजी प्रयोग से सम्बन्धित) का भुगतान श्री जोसेफ करते हैं किन्तु ड्राइवर का व्यय कम्पनी देती है।

iii) कम्पनी द्वारा इसके लिए 3,000 रु० का आयकर दिया जाता है।

iv) बिजली भत्ता 100 रु० मासिक।

v) कम्पनी द्वारा दिया गया पेशे सम्बन्धी कर 2,000 रु०।

vi) किराया-मुक्त बंगला जिसका वार्षिक मूल्य 5,800 रु० है।

vii) जूट मिल के 100 रु० वाले 250 अंशों पर 6% लाभांश मिला।

viii) दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्तियों से हानि 4,000 रु०।

ix) डाकखाने के बचत खाते पर 750 रु० ब्याज। ये खाते इनके बच्चों के नाम खुले हुए हैं।
x) इन्हें कम्पनी से 3,500रु० यात्रा भत्ता प्राप्त हुआ जिसमें से इन्होंने 1,000 रु० बचाये हैं।
xi) इनका पुत्र एक इन्जीनियरिंग कालेज में विद्यार्थी है जिसको कम्पनी 250 रु० मासिक खर्चे के लिये देती है।
xii) वर्ष में जीवन बीमा प्रीमियम के लिये 6,000 रु० दिये हैं।
xiii) इन्होंने डाकखाने में संचयी जमा योजना के 10 वर्षीय खाते में 5,000 रु० जमा किये व सार्वजनिक भविष्य निधि में 2,000 रु०।
xiv) बीमा कम्पनी से इन्हें बीमा व्यापार प्राप्त करने के लिए कमीशन मिला— प्रथम वर्ष का कमीशन 10,000 रु०; नवीनीकरण कमीशन 18,000 रु०।
xv) कर्नाटक लाटरी के प्रथम पुरस्कार की प्राप्त राशि 75,000 रु०।
xvi) पूना में घुड़दौड़ से हानि 30,000 रु०।

आप 1986-87 कर-निर्धारण वर्ष के लिए इनकी कुल आय एवं देय कर की गणना कीजिए।

You are given below the items of income of P. S. Joseph, Manager of joint stock company :—

a) Salary Rs. 2,000 p. m. from which 15% is deducted for an unrecognised provident fund to which the company also contributes a similar amount. Dearness pay of Rs.500 p.m. is also paid to him.
b) Free use of a car of 15 h. p. rating which is partly used by him for private purposes expenses being borne by the employee but the chauffeur is paid by the company.
c) Income-tax paid by the company on his behalf and in his account Rs. 3,000.
d) Electricity allowance Rs. 100 p.m.
e) Profession tax paid by the company Rs. 2,000.
f) Rent free bungalow, the annual letting value of which is Rs. 5,800.
g) 6% dividend on 250 shares of Rs. 100 each in a jute mill.
h) Loss under long-term capital gains Rs. 4,000.
i) Interest on postal Savings Bank Deposits in the names of his children Rs. 750.
j) He wthdrew from the company Rs. 3,500 as travelling allowance out of which he saved Rs. 1,000.
k) His son is studying in an Engineering College and the company pays Rs. 250 p. m. towards his expenses.
l) During the year he Paid Rs. 6,000 as life insurance premium.
m) He deposited Rs. 5,000 in a 10 year account of C T D in a Post Office and Rs. 2,000 in the Public Provident Fund Account.
n) Commission for insurance business.

First year's commission	10,000
Renewal commission	18,000

o) Amount received for Karnatak State Lottery First Prize Rs. 75,000.
p) Loss on horse races in Poona Rs. 30,000.

Compute his total income and taxpayable for the assessment year 1986-87.

हल (Solution) :

i. Statement of Taxable Income of Shri P.S. Joseph for the A.Y. 1986-87

	Rs.	Rs.
1. Income from salary :		
a) Basic salary @ 2,000 p.m.	24,000	
b) Dearness pay @ Rs. 500 p.m.	6,000	
c) Free use of a car @ Rs. 250 p.m. (150+100)	3,000	
d) Income-tax paid by the Co.	3,000	
e) Electricity allowance @ Rs. 100 p.m.	1,200	
f) Profession tax paid by the Co.	2,000	

g) Education expenses of his son			3 000	
h) Rent-free bungalow			3 120	
i) Travelling allowance saved			1,000	
			46,320	
Less : Standard deduction			1,000	45,32)
2. Income from other sources				
a) 6% dividend on 250 share @ Rs. 100			1,500	
b) Insurance commission		28,000		
Less : deduction :				
40% of Rs. 10,000	4,000			
15% of Rs. 18,000	2,700	6,700	21,300	
c) Karnatak State Lottery First prize $75,000 \times \frac{100}{75}$			1,00,000	1,22,800
Gross Total Income				1,68,120
Deductions :				
a) u/s 80C : First Rs. 6,000	6,000			
50% of Rs. 6,000	3,000			
40% of Rs. 1,000	400	9,400		
b) u/s 80L : Dividends etc.		1,500		
c) u/s 80TT : Lottery winnings				
First Rs. 5,000	5,000			
50% of Rs, 95,000	47,500	52,500		63,400
Total income				1,04,720

ii. Calculation of Tax Payable for the Assessment Year 1986-87

	Rs	Rs.
Income-tax on	1,04,720	31,610
Tax payable		31,610

टिप्पणी :—1. धारा 80-C के लिए करयोग्य राशि 13,000 रु० (जीवन बीमा प्रीमियम 6,000 रु०+10 वर्षीय संचयी जमा खाते में जमा 5,000रु०+सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा 2,000 रु०) पर कटौती दी गई है। अप्रमाणित भविष्य निधि के अंशदान की राशि कटौती योग्य राशि में सम्मिलित नहीं होती अर्थात् अप्रमाणित भविष्यनिधि के अंशदान पर कोई कटौती प्राप्त नहीं होती।

2. डाकखाने के बचत खाते का ब्याज कर-मुक्त है।

3. बीमा कमीशन के सम्बन्ध में अर्जित राशि पर कटौती स्वीकार होती है जो कि प्रथम वर्ष के अर्जित कमीशन पर 40% एवं नवीनीकरण कमीशन पर 15% की दर से होती है।

4. मंहगाई वेतन, मंहगाई भत्ता नहीं है बल्कि यह सेवा निवृत्ति लाभों की गणना में सम्मिलित किया जाता है। अतः किराया-मुक्त मकान के लिए वेतन में सम्मिलित किया गया है। किराया-मुक्त मकान के लिये वेतन 31,200 रु० (मूल वेतन 24,000 रु० +मंहगाई वेतन 6,000 रु०+बिजली भत्ता 1,200 रु०) हुआ। किराया-मुक्त मकान का वार्षिक मूल्य 5,800 रु० है, जो वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक है, किन्तु 50%

से अधिक नहीं है, अतः उक्त वेतन (31,200 रु०) 10% अर्थात् 3,120 रु० किराया मुक्त मकान का मूल्यांकन लिया गया है।

5. आयकर की राशि जो नियोक्ता ने भुगतान की है, कर-योग्य है।

6. नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया व्यवसायिक कर भी कर-योग्य अनुलाभ है।

7. घुड़दौड़ की हानि की पूर्ति नहीं की गई है क्योंकि इस साधन से कोई आय नहीं है। इसे आगे ले जाने के सम्बन्ध में भी कोई प्रावधान नहीं है, अतः इसे आगे भी नहीं ले जाया जा सकता।

8. यात्रा भत्ते से बचाई गई राशि करयोग्य हैं।

9. दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति की हानि की पूर्ति, इस शीर्षक में कोई दीर्घकालीन पूंजी लाभ न होने के कारण, नहीं हो पाई है। चूंकि हानि 5,000 रु० से अधिक नहीं है, अतः इसे आगे भी नहीं ले जाया जा सकता।

उदाहरण (Illustration) 11 : निम्न लिखित सूचना के आधार पर कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए श्री रॉय की करयोग्य आय एवं देय कर निकालिए।

		रु०
1.	वेतन @ 1,500 रु० प्रतिमाह (1-5-65) से कलकत्ता में सेवारत	18,000
2.	मंहगाई भत्ता	2,880
3.	बोनस	1,800
4.	मनोरंजन भत्ता	1,800
5.	प्राविडेण्ट फण्ड (प्रमाणित) में नियोक्ता द्वारा अंशदान	1,500
6.	प्राविडेण्ट फण्ड (प्रमाणित) में कर्मचारी द्वारा अंशदान	1,500
7.	किराया मुक्त सुसज्जित मकान	7,500
8.	आफिस के कार्यों के लिए प्रयुक्त श्री राय की अपनी कार पर स्वयं द्वारा खर्चा	6,000
9.	बच्चों के लिए पढ़ाई भत्ता	1,200
10.	नियोक्ता द्वारा दिया गया पानी व बिजली खर्चा	700
11.	नियोक्ता द्वारा चिकित्सा व्यय की पूर्ति	300
12.	होटल बिलों की प्रतिपूर्ति	200
13.	जीवन बीमा प्रीमियम	6,000
14.	ड्यूटी के लिए आवश्यक पुस्तकों की खरीद	700
15.	ट्रेजरी सेविंग्स सर्टिफिकेट्स पर ब्याज	5,000
16.	करदाता के दिल्ली स्थित मकान का नगरपालिका मूल्य	10,000
17.	किराये पर उठाये 1/2 भाग का प्राप्त किराया	8,000
18.	किरायेदार द्वारा नगरपालिका कर का भुगतान	800
19.	जमीन का किराया चुकाया गया	200
20.	सम्पत्ति के ऐवज में लिए गये ऋण पर ब्याज (यह ऋण बहन की शादी में प्रयोग हुआ)	3,000
21.	लघुकालीन पूंजीगत लाभ	8,000
22.	दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ (भूमि व भवन से असम्बन्धित)	8,000
23.	लाभांशों से आय (सकल)	2,700
24.	रजिस्टर्ड फर्म के लाभों का 1/2 भाग (कर लगाने के पश्चात्)	46,000

श्री राय का स्वयं का व्यापार भी है जिससे करयोग्य लाभ 48,000 रु० है। वे भारत के बाहर माल निर्यात करते हैं। उन्होंने गतवर्ष में 25,000 रु० का एक कोष बनाया है। जिसका प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता है।

Compute assessable income of Shri N.N. Roy for the assessment year 1986-87 from the following data :

	Rs.
Salary at Rs. 1,500 p.m. (Serving since 1-5-65 at Calcutta)	18,000
Dearness Allowance	2,880
Bonus	1,800
Entertainment Allowance	1,800
Employer's Contribution to Provident (Recognised) Fund	1,500
Employee's Contribution to Provident Fund	1,500
Rent free furnished quarters (valued)	7,500
Actual car expenses incurred by Shri Roy on his own car used for employment	6,000
Education allowance for children	1,200
Water and Electricity paid by employer	700
Medical expenses paid by employ r	300
Reimbursement of hotel bills	200
Life Insurance Permium paid	6,000
Purchase of Books necessary for duties	700
Interest on Treasury Saving Deposit Certificates	5,000
Municipal value of house situated at Delhi (owned by the assessee)	10,000
Rent received for 1/2 portion let out	8,000
Municipal tax borne by the tenant	800
Ground rent paid	200
Interest on loan (against property) used for sister's marriage	3,000
Short-term capital gains	8,000
Long term capital gains not relating to land & buildings	8,000
Dividend income (Gross)	2,700
1/2 Share of a Registered Firm's Profits (after firm's tax)	46,000

Shri Roy got his own business, from whers taxable profits are Rs. 48,000. He also made a reserve for Rs. 25,000 which is being used for export goods. business.

(I.C.W.A. Final, Lec 1973)

हल (Solution) :

	Rs.		Rs.
I. Salary			
Basic Salary	18,000		
Dearness allowance	2,880		
Bonus	1,800		
Entertainment allowance	1,800		
Education allowance	1,200		
Water and electricity paid by employer	700		
Reimbursement of hotel bills	200		
Rent free furnished house (valued)	2,280		
	2,8860		
Less : Standard deduction	6,000		22,860
II. Income from house property			
Rent received being annual value		8,000	
Less : 1/6th for repairs	1,333		
Grount rent	100	1,433	6,567
III. Business			
Profits from own business		48,000	
Share of profit from registered firm		46,000	94,000
VI. Capital Gains			
Short-term capital gains		8,000	
Long-term capital gains not relating to land and buildings		8,000	16,000

V. Income from other sources			
Dividends (gross)			2,700
Gross Total Income			1,42,127
Permissible deductions			
u/s80C : First Rs. 6,000	6,000		
50% of 1,500	750	6,750	
u/s 80HHC : Export		24,000	
u/s80L : Dividends		2,700	
u/s80T : First Rs. 5,000	5,000		
40% of Rs. 3,000	1,200	6,200	39,650
Total Income			1,02,477
Total Income (Rounded off)			1,02,480

Statement of Tax Payable by Shri Roy

Income-tax on Rs. 1,02,480	30,490
Tax Payable	30,490

टिप्पणी : 1. किराया मुक्त मकान के मूल्यांकन के लिए वेतन 22,800 रु० (मूल वेतन 18,000 रु० + बोनस 1,800 रु० + मनोरंजन भत्ता 1,800 रु० + शिक्षा भत्ता 1,200 रु०) है। उचित किराया 7,500 रु० है जो वेतन के 10% से अधिक है किन्तु 60% से अधिक नहीं है, अतः मूल्यांकन वेतन का 10% अर्थात् 2,280 रु० लिया गया है।

2. ट्रेजरी सेविंग्स डिपाजिट सर्टिफिकेट्स पर ब्याज पूर्णतः कर-मुक्त है।

3. देहली के शेष आधे भाग को Self occupied माना गया है। चूंकि श्री राय पूरे वर्ष इस मकान में नहीं रहे, अतः उसका वार्षिक मूल्य शून्य होगा।

4. पूंजीगत लाभ के सम्पत्ति की अवधि 3 से 5 वर्ष की मानी गई है।

5. निर्यात् व्यापार के लाभ के व्यवसाय पर धारा 80—HHC के अन्तर्गत लाभों के 50% अर्थात् 24,000 रु० की कटौती दी गई हैं।

प्रश्न (Test Questions)

सैद्धान्तिक प्रश्न (Theoretical Questions)

1. एक व्यक्ति का कर-निर्धारण आप किस प्रकार करेंगे ? संक्षिप्त विवरण दीजिए।
   How will you assess an individual ? Discuss in brief.

2. कुल आय को परिभाषित कीजिये। कुल आय की विधि की गणना करने की विधि संक्षेप में समझाइये।
   Define Total Income. Explain the procedure of Computing total income in brief.

3. एक व्यक्ति करदाता को निम्न तरीकों से प्राप्त आय के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम की व्यवस्थाओं का उल्लेख कीजिये।

4. हिन्दू अविभाजित परिवार से प्राप्त आय, 2. फर्म की सदस्यता से प्राप्त आय, 3. कम्पनी से प्राप्त लाभांश।
   Explain the provisions of income tax Act in respect of following sources of income receivable to an individual assessee.
   Income from Hindu undivided family (2) Income from the firm (3) Dividend from company.

5. एक व्यक्ति की आय में अन्य व्यक्तियों की जोड़ी जाने वाली आय कौन सी है ? समझाइये।

What Income of other persons are included in the total income of on assessee individual ? Explain.

व्यवहारिक प्रश्न (Practical Questions)

1. श्री श्यामलाल (एक निवासी करदाता) की 31 मार्च 1986 को समाप्त वर्ष के लिए आय के निम्न विवरण से कुल आय ज्ञात कीजिए :

i) स्वयं के व्यापार से लाभ 48,000 रु० । इस व्यापार का लाभ का आधा भाग उनकी पत्नि को 4 वर्ष पूर्व हुए एक अनुबन्ध के अन्तर्गत देय हैं।

ii) सरकारी समिति से प्राप्त लाभांश 4,500 रु० ।

iii) राम एण्ड क० लि० से प्राप्त लाभांश 8,000 रु० ।

iv) सिंगापुर सरकार की योजना के अन्तर्गत 7,500 रु० की लाटरी का पुरस्कार प्राप्त हुआ।

v) अनिल पेपर लिमिटेड जिसमें कि जनता का सारवान हित है के अंशों पर लाभाँश के लिए एक खाते के चैक के द्वारा प्राप्त राशि 500 रु० ।

vi) वे दो फर्मों में साझेदार भी है, जिसमें हानि का उनका भाग 14,000 रु० और 15,000 रु० है तथा अशोधित ह्रास का उनका भाग 7,000 रु० और 6,000 रु० है। प्रथम फर्म अनरजिस्टर्ड तथा द्वितीय रजिस्टर्ड हैं।

Determine the total income of Shri Shyam lal (a resident assessee) from the following particulars relating to his income for year ending 31st March. 1986.

i) Profit of his own business Rs. 48,000; on-half of profit of this business is payable to his wife according to an agreement executed four years back.

ii) Dividend received from a Co-operative Society Rs. 450.

iii) Dividend received from Ram & Co. Ltd. Rs. 8,000.

iv) Lottery prize received Rs. 7,500 under a scheme of the Government of Singapore.

v) Dividend received by a account payee cheque Rs. 500 on shares of Anil paper Ltd. in which public are substantially interested.

vi) He is also a partner in two firms in which his share of losses Rs. 14,000 and Rs. 15,000 and his share of unabsorbed depreciation Rs. 7,000 and Rs. 6,000, the first firm is unregistred and the other is registered.

2. श्री अरुण कुमार 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं—

A. व्यापार के लाभ 1,50,000 रु०। व्यापार के लाभों में निम्नलिखित मदों के लाभ सम्मिलित है :—

	रु०
(i) निर्यात व्यापार से लाभ	50,000
(ii) विक्रय एजेन्सी की समाप्ति पर प्राप्त क्षतिपूर्ति	40,000

B. लाभ-हानि खाते में निम्नलिखित मदें डेबिट की गई हैं :—

	रु०
(i) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दान	20,000
(ii) निर्यात व्यापार लाभ कोष	13,000

C. लाटरी में जीते गये पुरस्कार से प्राप्त राशि 7,500 रु० ।

D. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के यूनिटों से प्राप्त आय 4,000 रु० ।

E. उन्होंने 80,000 रु० की जीवन बीमा पालिसी पर वित्तीय वर्ष 1984-85 एवं 1985-86 के लिए 10,000 रु० जीवन बीमा प्रीमियम चुकाया।

5. उन्होंने राष्ट्रीय जमा योजना (प्रथम शृंखला) में 1 अक्टूबर, 1985 को 60,000 रु० विनियोजित किये।

उनकी 1986-87 कर-निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय एवं देयकर ज्ञात कीजिए।

Shri Arun Kumar presents the following particulars for the year ending 31st March, 1986;

1. Profits of Business Rs. 1,50,000. The business profits includes the following items :

	Rs.
i. Profits from export business	50,000
ii. Compensation received on the termination of a selling agency	40,000
Following items were debited to the profit and loss a/c :	
i. Donation to Prime Minister National Relief Fund	20,000
ii. Export Business Profit Reserve	13,000

2. Winning from Lottery, received amount Rs, 7,500.
3. Income received from units of Unit Trust of India Rs. 4000.
4. He paid life insurance premium of Rs. 10,000 for the financial year 1984-85 and 1985-86 on a life policy of Rs. 80,000.
5. He invested Rs. 60,000 in National Deposit Scheme on 1st October, 1985 (Series I).

Calculate his total income and for the assessment year 1986-87.

3. श्री आसोपा ने 31-3-86 को समाप्त होने वाले गतवर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित विवरण दिया है जिससे आपको उनकी कुल आय की गणना करनी है :

	रु०
अधिमान्य अंशों पर लाभांश (शुद्ध)	800
मशीन व भवन को किराये पर उठाने से आय	12,000
बैंक जमा पर ब्याज	2,500
संचालक शुल्क	1,200
छिपे हुए स्रोतों से आय	10,000
लाटरी से जीत की राशि	15,000
लाभांश का वसूली व्यय	30
भवन व कमीशन पर स्वीकृत ह्रास	4,000
भवन व मशीन पर अग्निबीमा प्रीमियम	100

From the following particulars of Mr. Asopa for the previous year ended 31.3.1986, compute his total income :

	Rs.
Divdend on Preference Shares (Net)	800
Income from sub-letting of building and machinery on hire	12,000
Interest on Bank Deposits	2,500
Director's sitting fees received	1,200
Income from undisclosed sources	10,000
Winnings from Lotteries	15,000
Collection charges of Dividend	30
Allowable Depreciation on Building and machinery	4,000
Fire Insurance on Building and machinery	100

(Karnataka B.Com,)

4. डा० रमन की 31 मार्च, 1986 को प्राप्त होने वाले वर्ष की निम्नलिखित आय है :

a) वेतन से आय 24,000 रु०।
b) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज 8,000 रु०।
c) मकान सम्पत्ति का किराया 48,000 रु०।

d) डा० रमन प्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड में 12% अंशदान करता है जिसमें उनका नियोक्ता भी समान राशि देता है प्रॉविडेण्ट फण्ड की एकत्र राशि पर 11% प्रतिवर्ष की दर से 5,500 रु० ब्याज का जमा हुआ।

e) सम्पत्ति से आय के अलावा किरायेदार ने स्थानीय सत्ता को 2,400 रुपया के स्थानीय कर चुकाये। मकान का कुल कर 22,400 रु० था जिसमें से 20,000 रु० डा० रमन ने चुकाये। मकान का आधा भाग डा० रमन अपने निवास के लिए प्रयुक्त करते हैं। नगरपालिका मल्यांकन 88,000 रु० है। उन्होंने मकान का अग्नि बीमा प्रीमियम 1,600 रु० भुगतान किया है।

f) कृषि आय-500

31 मार्च को, 1986 को समाप्त होने वाले गतवर्ष के लिए उनकी कुल आय एवं देय-कर की गणना कीजिये।

Dr. Raman has the following income for the year ended 31st March, 1986 :

a) Income from Salaries Rs. 24,000.
b) Interest on Government Securities Rs. 8,000
c) Rent for House Property Rs, 48,000
d) Dr. Raman Contributes 12 per cent towards recognised provident fund to which his employer contributes an equal amount. Interest on accumulated provident fund comes to Rs. 5,500 calculated at 11 per cent per annum.
e) In addition to the income from property, the tenant has paid Rs. 2,400 as local taxes due to the local authority. The local taxes were Rs. 22,400 out of this Rs. 20,000 paid by Dr. Raman. One-half of the house is used by Dr. Raman for his own residence. The Municipal valuation is Rs 88,000. He has paid Rs. 1,600 as fire insurance premium in respect of the house.
f) Agricultural Income—500

Find out his total income for the previous year ended 31st March, 1986.
(B.H.U., B. Com. ammended 1980)

5. श्री अरुण कपूर एक सार्वजनिक लि० कम्पनी में 1,600 रु० प्रतिमाह पर सेवारत हैं। वह एक प्राविडेण्ट फण्ड में जो आयकर कमिश्नर द्वारा स्वीकृत है, अपने वेतन का $12\frac{1}{2}\%$ अंशदान करता है। मालिक द्वारा भी इतनी राशि का अंशदान किया जाता है। उसके प्राविडेन्ट फण्ड खाते में गतवर्ष के दौरान 2,200 रु० ब्याज का जमा किया गया। उसके खाते की संचयी जमा 20,000 रु० है। अरुण कपूर के दो बच्चे मालिक के द्वारा संचालित विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जिसके लिये अरुण कपूर को कुछ नहीं देना पड़ता है। इस प्रकार के विद्यालय में एक बच्चे का साधारण व्यय 50 रु० प्रतिमाह है।

करदाता को मालिक की ओर से किराये मुक्त रहने का असुसज्जित मकान भी मिला हुआ है। यह मकान मालिक का स्वयं का है और इनका नगरपालिका मूल्यांकन 2,400 रु० प्रतिवर्ष है। उसके मकान से लगे बगीचे की देख-रेख व रख-रखाव के लिए उसको एक माली भी मिला हुआ है जिसकी कम्पनी द्वारा 360 रु० की मजदूरी दी गई है। उसको मालिक द्वारा एक 14 H.P. की कार भी मिली हुई है जिसके निजी प्रयोग के रख-रखाव व समस्त चालू व्यय अरुण कपूर द्वारा ही वहन किये जाते हैं।

कर-निर्धारण 1986-87 के लिये उसकी कुल आय एवं देय-कर की गणना कीजिये यदि उनकी कृषि आय 18,000 रु० है।

Sri Arun Kapoor is employed with a public limited company on a monthly salary Rs. 1,600. He contributes to provident fund, which is recognised by the CIT @ 12½% of his salary. A similar amount is contributed by the employer. Interest credited to his provident fund account during the year is Rs. 2,200. The accumulatted balance to his credit is Rs. 20,000. Two children of Sri Arun Kapoor are studying in the institution run by the employer for which no fees are paid. Normal expenditure per student in such institution is Rs. 50 a month.

The assessee is provided with a rent-free unfurnised accommodation owned by the employer the municipal valuation of which Rs. 2.400 p. a. He is provided with a gardner for the upkeep of the garden which attached to the house. The wages paid by the company to the gardner amount to Rs. 360 only. He is also provided by the employer with a car of 14 horse power rating on the condition that its running and maintenance expenses of personal are borne by Mr. Arun Kapoor.

What will be his total income and tax payable for the Assessment Year 1986-87. if his agricultural income is Rs. 18,000. (*BHU. B. Com. amended* 1980)

6. निम्नलिखित विवरण से आपको बंगलौर के श्री नन्दकुमार की कुल आय की गणना करनी है :

a) वेतन 12,000 रु० वार्षिक, वार्षिक बोनस वेतन का 20%, सवारी भत्ता 1,200 रु० वार्षिक, मकान किराया भत्ता 250 रु० मासिक (श्री नन्दकुमार 300 रु० मासिक किराये पर रहते हैं) इन्होंने एक स्कूल को 400 रु० का दान दिया है, स्कूल अनुमोदन प्राप्त है। इन्होंने तथा इनके नियोक्ता ने अनुमोदन प्राप्त प्राविडेण्ट फण्ड में वेतन का 15% अंशदान दिया है। इस प्राविडेण्ट फण्ड में 11% वार्षिक की दर से 1,210 रु० की राशि ब्याज के लिये जमा की गई है। इन्होंने 1,000 रु० जीवन बीमा प्रीमियम चुकाया।

b) इनके विनियोग इस प्रकार हैं :

i. कम्पनी के 10% अधिमान्य अंश 15,000 रु०
ii. 4% मैसूर सरकार का ऋण 4,000 रु०
iii. 6% उत्तर प्रदेश सरकार के ऋण-पत्र 12,000 रु०
iv. 12% आसाम सरकार के ऋण पत्र 15,000 रु०

बैंक ने इन प्रतिभूतियों को खरीदने व बेचने के लिए 40 रु० वसूल किया है व ब्याज की वसूली के लिये 10 रु० चार्ज किये हैं।

c) एक मशीन पर 10,000 रु० का पूंजी लाभ हुआ व एक भवन को बेचकर 15,000 रु० का पूंजीलाभ प्राप्त हुआ। दोनों सम्पत्तियां चार वर्ष पूर्व क्रय की गई थी।

d) क्रासवर्ड पहेली में इन्हें 500 रु० का पुरस्कार मिला। कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए इसकी कुल आय एवं देय-कर की गणना कीजिए।

From the following particulars, compute the total income of Sri Nanda Kumar Bangalore :

a) Salary of Rs.12,000 p. a. Aunual Bonus at 20% of salary, Conveyance Allowance of Rs. 1,200 p. a. House rent allowance Rs. 250 p. m, (he lives in house paying a rent of Rs 300 p. m). He paid Rs. 400 as a donation to recognised Provident Fund at 15% of salary each. Interest credited to RPF is 1,100 at 11%. He pays Rs. 1,000 as LIC premium.

b) His investment are—

i. Rs. 15,000 in 10% pref. shares of a company.
ii. Rs. 4,000 in 4% Mysore Government Loan.

iii. Rs. 12,000 in 6% Mangalore Port Trust debentures.
iv. Rs. 15,000 in 12% debenturer of Raymond Woollens Ltd.

His banker charged Rs. 40 as commission to buy and sell these securities during the year and Rs. 10 for collecting interest and dividends.

c) He sold a machinery yielding a capital gain of Rs. 10,000 and a building which capital gain was Rs. 15,0.0. Both the assets were purchased before 4 years.

d) He won a prize money in crossword puzzle Rs. 500.

Compute the Total Income for the assessment year 1986-87.

(Adopted Bangalore B. Com. Amended 1978)

7. श्री बी. सैन एक व्यापारिक फर्म में सेल्स मैनेजर के पद पर नियुक्त हैं उन्होंने निम्नलिखित विवरण दिया है जिससे आपको उनकी कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 (गतवर्ष की समाप्ति 31-3-1986) को कुल आय एवं कर दायित्व की गणना करनी है:

a) मूल वेतन @ 2,500 रु० प्रतिमाह अर्थात् 30,000 रु०।
b) महगाई भत्ता मूल वेतन का 10%। इसे पेन्शन आदि की गणना के लिए कुल आय में जोड़ा जाता है।
c) प्रोत्साहन कमीशन के रूप में फर्म के शुद्ध लाभ का 1 प्रतिशत दिया जाता है जो मूल वेतन के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। फर्म का शुद्ध लाभ ऐसे कमीशन को घटाने से पहले 1,72,710 रु० है।
d) श्री सैन ने फर्म प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड में 6,000 रु० का अंशदान दिया है। इतना ही अंशदान नियोक्ता द्वारा दिया जाता है।
e) प्राविडेण्ट फण्ड पर 11% वार्षिक की दर से 6,600 रु० तक का ब्याज दिया गया है।
f) श्री सैन को 700 रु० मासिक किराया भत्ता दिया जाता है। श्री सैन एक किराये के मकान में रहते हैं जिसके लिये वे 1,000 रु० मासिक देते हैं।
g) श्री सैन को 16 hp से अधिक की एक मोटर कार दी गई है जो आफिस व व्यक्तिगत दोनों कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाती है। कार सम्बन्धी सभी व्यय (ड्राइवर के लिए 250 रु० मासिक सहित) नियोक्ता द्वारा वहन किये जाते है।
h) सम्बन्धित गतवर्ष में श्री सैन ने अपने पदीय कर्त्तव्यों से सम्बन्धित 800 रु० की पुस्तकें खरीदी हैं।
i) इन्हें 8,000 रु० प्रतिवर्ष मनोरंजन भत्ता 1953 से ही मिल रहा है जब से कि इन्होंने नौकरी प्रारम्भ की थी।
j) सेवा के प्रसंविदे के अनुसार इनके नियोक्ता ने अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड में 6,000 रु० प्रतिवर्ष अंशदान के रूप में दिये हैं।
k) सम्बन्धित गतवर्ष में श्री सैन ने जीवन बीमा प्रीमियम के लिए निम्नलिखित राशि दी है:

i. अपनी 60,000 रु० की पालिसी पर	7,500 रु०
ii. अपने पुत्र की 50,000 रु० की पालिसी पर	4,000 रु०

3. Mr. B. Sen is employed with a mercantile firm as sales Manager. From the under-noted particulars compute his taxable income for assessment Year 1986-87. (Previous year ending 31-3-1986.

a) Basic Salary—Rs. 2,500×12—30,000.
b) Dearness Allowance at 10% of the basic salary and eligible for retirement benefit.

c) Incentive Commission at 1% of the net Profit of the firm but not exceeding 50% of the basic salary, The net profit of the firm for the relevent previous year before charging the said commission was Rs. 1,72,710.
d) Mr. Sen's contribution to the Recognised Provident Fund of the firm Rs. 6,000 for the year and his employer also contributes an equal amount.
e) Interest credited to Provident Fund @ 11% p.a. amounted to Rs. 6,600.
f) The employer pays Mr. Sen a rent allowance of Rs. 700 p.m. and Mr. Sen lives in rented house for which he pays a rent of Rs. 1,000 p.m.
g) He is provided with a motor car of more than 16 H.P. rating which he uses both for private and office purposes. All expenses of the said car including drivers's salary of Rs. 250 p.m. are paid by the employer.
h) During the relevant previous year he purchased books worth Rs. 800 for his office work.
i) He has been getting entertainment allowance of Rs. 8,000 per year from the same employer since 1953.
j) According to the terms of aapointment his employer contributes a sum of Rs. 6,000 per year to an approval Superannuation Fund on his account.
k) During the relevant previous year Mr. Sen paid the following Life Insurance Premiums :

i. On a policy of Rs. 60,000 on his own life—Rs. 7,500.
ii. On a policy of Rs. 50,000 on his son's life—Rs. 4,000.

(Calcutta B.Com. 1979)

अध्याय 14 (व्यक्ति)

उत्तर :—

(1) 36,250
(2) सकल कुल आय 2,00,150 रु०, कुल आय 1,34,500 रु० एवं देयकर 46,500 रु० ।
(3) 24,100 रु०
(4) कुल आय 52,800 रु० एवं देयकर 10,370 रु०
(5) कुल आय 18,500 रु० एवं देयकर 150 रु०
(6) कुल आय 22,240 रु० एवं देयकर 1,060 रु०
(7) कुल आय 39,810 रु० एवं देयकर 6,193 रु०

———

15

साझेदारी फर्म व व्यक्तियों का समुदाय

(Partnership Firm and Association of Persons)

फर्म (Firm)

परिभाषा—आयकर अधिनियम की धारा 2 (23) के अन्तर्गत 'फर्म' साझीदार तथा 'साझेदारी' शब्दों के वही अर्थ हैं जो भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 में दिए गए हैं, किन्तु आयकर से सम्बन्धित सभी विषयों के लिए साझेदार के अन्तर्गत वह अवयस्क भी आ जाता है जो केवल साझेदारी के लाभ के लिए फर्म में शामिल किया गया है।

भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार 'साझेदारी' उन व्यक्तियों के आपसी सम्बन्ध को कहते हैं जो व्यापार के कार्यों में हिस्सा लेने के लिए व्यापार चलाते हैं। व्यापार चलाने वाले व्यक्तियों को 'साझेदार कहते हैं तथा जिस नाम से व्यापार संचालित होता है उसे फर्म कहते। साझेदारी एक अदृश्य सम्बन्ध है जो फर्म के साझेदारों को आपस में बाँधकर रखता है जबकि इस सम्बन्ध में बँधे हुए सभी साझेदारों को सामूहिक रूप से फर्म का नाम दिया जाता है।

महत्व पूर्ण बातें (Important Points)

1. आवश्यक तत्व : साझेदारी के निर्माण के लिए तीन तत्वों का होना आवश्यक है (अ) साझेदारी प्रलेख जो सभी साझेदारों द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, (ब) इस प्रलेख में साझेदारी फर्म के लाभ व हानि को साझेदारों में एक निश्चित अनुपात में वितरित करने का उल्लेख होना चाहिए, (स) साझेदारी व्यापार सभी साझेदारों द्वारा अथवा सभी साझेदारों के लाभार्थ कुछ साझेदारों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए।

2. कम से कम दो वयस्क : वैधानिक साझेदारी के लिए दो वयस्कों का होना आवश्यक है एक अवयस्क को साझेदारी फर्म में पूर्ण साझेदार नहीं बनाया जा सकता है। अवयस्क को व्यवसाय के लाभों में सम्मिलित किया जा सकता है। अवयस्क साझेदार हानि के सम्बन्ध में उसकी पूँजी तक उत्तरदायी होता है व्यक्तिगत रूप से उसका कोई उत्तर-दायित्व नहीं होता है।

3. दो कम्पनियों की साझेदारी वैध : चूँकि कम्पनी को एक विशेष दर्जा मिल जाता है व उसका एक वैधानिक व्यक्तित्व होता है। दो अथवा दो से अधिक कम्पनियों द्वारा निर्मित साझेदारी वैध होती है। कोई भी कम्पनी साझेदार तभी हो सकती है जबकि उसके पार्षद सीमानियम तथा अन्तर्नियम अनुमति देते हों।

4. हिन्दू परिवार का कर्त्ता व साझेदारी : एक हिन्दू अविभाजित परिवार व्यक्ति या परिवार के साथ साझेदारी नहीं कर सकता किन्तु ऐसे परिवार का कर्त्ता अपनी व्यक्तिगत स्थिति में अन्य व्यक्ति के साथ साझेदारी का निर्माण कर सकता है। ऐसी साझेदारी में

वह परिवार का प्रतिनिधित्व भी कर सकता है, उस दशा में इस फर्म से मिले सभी हानि व लाभ परिवार के हाथों में करयोग्य होंगे।

5. फर्म स्वयं दूसरी फर्म में साझेदार नहीं हो सकती : फर्म को चूंकि किसी प्रकार का वैधानिक दर्जा अथवा व्यक्तित्व प्राप्त नहीं होता अतः ऐसी कोई साझेदारी वैध नहीं हो सकती जिसमें फर्म को एक साझेदार का दर्जा मिला हो।

6. मृत साझेदार की विधवा : मृत साझेदारों की विधवा को फर्म के लाभों में हिस्सा लेने का अधिकार है भले ही फर्म में वह साझेदार का दर्जा प्राप्त न कर सकी हो।

7. साझेदार व आयकर : सभी साझेदारों को फर्म में हुए लाभ के अपने हिस्से पर आयकर देना पड़ता है चाहे फर्म के लाभों का साझेदारों में वास्तविक वितरण हुआ हो अथवा नहीं।

8. रजिस्टर्ड व अनरजिस्टर्ड फर्म : कर-निर्धारण के लिए फर्मों को दो भागों में रखा जाता है रजिस्टर्ड व अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड फर्म से अभिप्राय: ऐसी फर्म से है जिसे आयकर अधिनियम की धारा 184 व 185 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड किया गया है। ऐसी फर्म जिसे आयकर अधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड नहीं किया जाता अनरजिस्टर्ड फर्म कहलाती है।

9. समान साझेदारों की फर्म : ऐसी दो साझेदारी फर्म जो अलग अलग कारोबार (एक ही वस्तु का अथवा अलग-अलग वस्तुओं का) किन्तु जिसमें समान साझेदार हैं एक ही इकाई के रूप के करयोग्य होगी अतः दोनों फर्मों की कुल आय को मिलाकर कर-दायित्व का आंकलन किया जावेगा Addl. CIT v. M Venkata Narsimha Rao (1979) 104 ITR 28.

10. लाभ का उपार्जन : किसी भी साझेदार के हाथ में फर्म से मिलने वाले लाभ दिन प्रतिदिन उपार्जित नहीं होते। इसका उपार्जन तब होता है जबकि फर्म के हिसाब तैयार किये जाते हैं। Arvind Bhogilal v. CIT (1976) 105 ITR 764.

फर्म की कुल आय की गणना
(Computation of Firm's Total Income)

फर्म की कुल सकल आय तथा कुल आय की गणना विधि वही है जो अन्य कर-दाताओं पर लागू होती है। सर्वप्रथम फर्म के 'व्यापार एवं पेशे' शीर्षक से आय की गणना की जाती है। व्यापार एवं पेशे से आय की गणना के लिए लाभ-हानि खाते द्वारा प्रदर्शित लाभों को आधार बनाया जाता है इसमें वे समस्त व्यय जोड़ दिए जायेंगे जो अस्वीकृत हैं। ऐसे सभी व्यय जिनका उल्लेख व्यापार एवं पेशे शीर्षक से आय के अन्तर्गत किया गया है के अतिरिक्त फर्म द्वारा अपने साझेदारों को देय वेतन, शुल्क, कमीशन, बोनस अथवा अन्य किसी रूप में पारिश्रमिक अथवा लाभ का अंश अस्वीकृत व्यय है। फर्म द्वारा साझेदारों को देय पूंजी अथवा ऋण पर ब्याज अस्वीकृत व्यय माने जाते हैं, चाहे, ये समस्त भुगतान साझेदारी संलेख या साझेदारी अनुबन्ध के अनुरूप ही क्यों न हो। लेकिन यदि किसी साझेदार ने अपना मकान फर्म को किराये पर दिया है तो इस प्रकार मकान किराये के लिए दिए गये उचित किराये की राशि स्वीकृत व्यय मानी जायेगी।

स्पष्टीकरण :—(1) यदि कोई फर्म अपने साझेदार को कोई ब्याज देती है और वह साझेदार भी फर्म को कोई ब्याज देता है तो फर्म के लिए उतना ब्याज अस्वीकृत होगा जितना देय ब्याज प्राप्य ब्याज से अधिक है।

(2) यदि कोई व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में साझेदार है, अर्थात यदि कोई साझेदार किसी हिन्दू अविभाजित परिवार अथवा ट्रस्ट अथवा किसी कम्पनी की ओर से प्रतिनिधि है तो जिस व्यक्ति का यह साझेदार प्रतिनिधित्व करता है उस व्यक्ति को फर्म द्वारा देय ब्याज की राशि में से उस व्यक्ति को प्राप्य/प्राप्त ब्याज की राशि को घटाने के पश्चात् शेष राशि की कटौती फर्म को नहीं दी जाती है परन्तु फर्म यदि उसे व्यक्तिगत रूप से कोई ब्याज देती है (न कि प्रतिनिधि के रूप में) तो ऐसा दिया गया ब्याज फर्म की कुल आय की गणना करने में धारा 40 (b) के अन्तर्गत अस्वीकृत नहीं होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति किसी फर्म में अपनी व्यक्तिगत हैसियत से साझेदार बनता है और यदि उसे फर्म से ब्याज किसी ट्रस्ट कम्पनी आदि के प्रतिनिधि के रूप में दिया जाता है तो ऐसा ब्याज धारा 40 (b) के अन्तर्गत अस्वीकृत नहीं होगा। अर्थात ऐसे साझेदार को दिया गया ब्याज तभी अस्वीकृत होगा जबकि वह उसे उसकी व्यक्तिगत हैसियत में दिया गया है।

अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत कर योग्य आय जैसे किराया, प्रतिभूतियों पर ब्याज, लाभांश आदि जो लाभ हानि खाते में दिखाये गए हैं को लाभों में कम कर दिया जाएगा। फर्म की अन्य शीर्षकों से आय की गणना भी अन्य करदाताओं की भाँति ही की जायेगी। सभी शीर्षकों की आय को जोड़कर सकल कुल आय की गणना की जायेगी। सकल कुल आय में से धारा 80 के अन्तर्गत स्वीकृत कटौतियाँ घटाकर कुल आय की गणना करली जाती है।

फर्म के कर निर्धारण में कुल सकल आय में से कटौतियाँ
(Deductions Allowable to firm in its Assessment)

निम्नलिखित कटौतियाँ ऐसी हैं जो फर्म की कुल आय की गणना के समय फर्म को मिला करती है। ये कटौतियाँ साझेदारों को नहीं मिलतीं :

1.	पुण्यार्थ दान	80G
2.	वैज्ञानिक अनुसन्धान एवं ग्रामीण विकास के लिए दान	80GGA
3.	पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित नये उद्योगों से लाभ	80HH
4.	नवीन लघु उद्योग इकाइयों से लाभ	80HHA
5.	भारत के बाहर स्थापित प्रोजेक्ट से लाभ	80HHB
6.	निर्यात से बिक्री के लाभों के सम्बन्ध में कटौती	80HHC
7.	1-4-1981 के बाद स्थापित लघु उद्योगों की कटौती	80I
8.	नये उद्योग होटल व जलपान से हुए लाभों के लिए कर अवकाश	80J
9.	औद्योगिक संस्था से प्राप्त लाभांश	80K
10.	एजेन्सी समाप्ति से प्राप्त क्षतिपूर्ति	80S
11.	दीर्घकालीन पूँजी लाभ	80T
12.	लाटरी से आय	80TT

स्पष्टीकरण :—उपरोक्त कटौतियाँ जो कि फर्म को स्वीकृत की जाती है से कटौतियाँ साझेदारों को फर्म की उस आय/भुगतान में उनके भाग के सम्बन्ध में स्वीकृत नहीं की जायेंगी अर्थात साझेदारों के व्यक्तिगत कर निर्धारण में यह कटौतियाँ नहीं दी जायेगी।

धारा 80C (जीवन बीमा प्रीमियम के सम्बन्ध में) की कटौती फर्म को स्वीकृत नहीं की जाती है। यह कटौती साझेदारों के व्यक्तिगत कर निर्धारण के समय उनके हिस्से के सम्बन्ध में स्वीकृत की जाती हैं।

80GGA की कटौती फर्म को तभी प्राप्त होगी जबकि फर्म की आय में व्यापार एवं पेशे शीर्षक की आय सम्मिलित नहीं हो।

उदाहरण (Illustration) 1 : अ. ब. और स. एक फर्म में साझेदार हैं जो परस्पर 3:2:1 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। 31 दिसम्बर, 1986 को समाप्त हुए वर्ष का शुद्ध लाभ 1,18,000 रु० है जो लाभ हानि खाते में निम्नलिखित राशियों को डेबिट करने के बाद निंकाला गया है :

i. स को 4,000 रु० वेतन
ii. अ को उस भवन का 19,000 रु० किराया जिसमें व्यापार संचालन होता है अ इस भवन का स्वामी है। भवन का उचित किराया मूल्य 10,000रु० है।
iii. अ, ब तथा स को उनकी पूंजी पर क्रमशः 1,000 रु०, 2,000 रु०, 3,000 रु० का ब्याज।
iv. बिक्री पर कमीशन (ब को) 10,000रु०।
v. अ से किराये पर लिये गये भवन की मरम्मत पर 1,000 रु० का व्यय।
vi. अनुमोदन प्राप्त संस्थाओं को दान 5,000 रु०।
vii. ब के पुत्र को 25,000 रु० का वेतन, ब का पुत्र योग्यता प्राप्त प्रबन्ध शास्त्र का ग्रेजुएट हैं व इससे पहले 20,000 रु० वार्षिक पर किसी अन्य उद्यम में कार्यरत था।

लाभ की उपर्युक्त 1,18,000 रु० की राशि में सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल)के 12,000रु० शामिल है। आप 1986-87 कर-निर्धारण वर्ष के लिये प्रत्येक मद के सम्मिलित करने का संक्षिप्त कारण देते हुये फर्म की कुल आय की गणना कीजिए।

A, B & C are partners in a registered firm sharing profits and losses in the proportions of 3 : 2 : 1 respectively. The firm's Profit and Loss Account for the year ending 31st Dec.. 1985 showed net profit of Rs. 1,18,000 after debiting, *inter alia* the following amounts :

i) Salary of Rs. 4,000 paid to C.
ii) Rent of Rs. 19,000 paid to A for the portion of the building owned by A in which the firm's office was situated. Fair rental value of the building is Rs. 10,000.
iii) Interest (on capital) of Rs. 1,000, Rs. 2,000 and Rs. 3,000 to A, B and C respectively.
iv) Commission on sale paid to B Rs. 10,000.
v) Expenses on current repairs of the business premises belonging to partner A, Rs.1,000
vi) Donation to approved bodies Rs. 5,000.
vii) Salary to B's son, Rs. 25,000. B's son is a qualified management graduate and was serving another concern on Rs. 20,000p.a.

The net profit of Rs. 1,18,000 included Rs. 12,000 from interest on Government securities (gross).

Compute total income of the firm for the assessment year 1986-87 giving briefly the reasons for inclusion of each item.

हल (Solution) : **Computation of Total Income for the A. Y. 1986-87**

			Rs.
Profit from business			
Net Profit as per P & L a/c			**1,18,000**
***Less* : Interest on securities to be treated separately**			**12,000**
			1,06,000
***Add* : Inadmissible items**		**Rs.**	
Salary paid to partner C		**4,000**	
Interest on capital paid to partners :			
A	**1,000**		
B	**2,000**		
C	**3,000**		
		6,000	
Donation		**5,000**	
Commission paid to partner B		**10,000**	
Excess rent paid		**9,000**	**34,000**
Taxable Profit from business			**1,40,000**
Interest on securities			**12,000**
Gross Total Income			**1,52,000**
Deduction u/s 80G : 50% of Rs. 5,000			**2,500**
Total Income			**1,49.500**

टिप्पणियाँ—1. फर्म की कुल आय की गणना के समय किसी साझेदार को दिया गया वेतन, कमीशन, पूँजी पर ब्याज, बोनस आदि स्वीकृत व्यय नहीं हैं।

2. व्यापारिक भवन का किराया, यदि किसी साझेदार को दिया गया है, स्वीकृत व्यय होता है।

3. यह मानते हुये कि भवन को किराए पर लेते हुये फर्म ने मरम्मत का दायित्व भी लिया है, मरम्मत व्यय स्वीकृत हैं।

4. पुण्यार्थ दानों के लिए साझेदार को कटौती मिलने का प्रावधान नहीं है।

5. अ को 10,000 रु० से उचित बाजार मूल्य के भवन के 19,000 रु० वार्षिक दिये जाते हैं। अतः 9,000 रु० को अस्वीकृत करेंगे।

6. ब के पुत्र को दिया पारिश्रमिक उचित दिखाई देता है अतः स्वीकृत होना चाहिए।

फर्म की आय का साझेदारों में बँटवारा
(Distribution of Income amongst the Partners)

1. धारा 67 के अनुसार फर्म की आय में साझेदार को मिलने वाले हिस्से की गणना निम्न प्रकार से की जाती है :

अ. फर्म की कुल आय में से साझेदारी प्रलेख के अनुसार दिया गया पूँजी पर ब्याज वेतन, कमीशन अथवा अन्य पारिश्रमिक जो गतवर्ष के लिए इसके साझेदारों को दिया गया है, घटा दिया जाता है। फर्म के रजिस्टर्ड होने की दशा में आयकर की वह रकम भी घटा दी जाती है जो फर्म द्वारा देय हो। तत्पश्चात् शेष रकम को साझेदारों में लाभ-हानि के अनुपात में बाँट देते हैं।

ब. ब्याज व वेतन आदि के घटाने के बाद यदि शेष रकम लाभ हो तो साझेदारों को फर्म से मिलने वाली ब्याज व वेतन आदि की रकम में साझेदार को प्राप्त यह लाभ जोड़ दिया जाता है, तथा इन सभी का जो योग आता है वह साझेदार की फर्म की आय से मिला हिस्सा होता है।

स. यदि ऊपर (अ) के अन्तंगत शेष रकम की हानि आती है तो फर्म से मिली ब्याज की रकम साझेदार के फर्म से हानि के हिस्से में समायोजित कर दी जाती है तथा समायोजन के परिणामस्वरूप जो रकम आती है वही फर्म के हानि में साझेदार का हिस्सा होता है।

2. साझेदार ने यदि फर्म में पूंजी का विनियोग करने के लिये कोई ऋण लिया हुआ है जिस पर उसे ब्याज देना होता है तो दी जाने वाली ब्याज की रकम साझेदार को फर्म से प्राप्त लाभ में से घटा देते हैं।

3. साझेदार ने यदि फर्म से आय अर्जित करने में कोई अन्य रकम व्यय की है तो इसे भी फर्म से प्राप्त आय में से घटा देते हैं। साझेदार द्वारा विभिन्न फर्मों की अपनी साझेदारी संभालने के लिए क्लर्क, आफिस, टेलीफोन, कार आदि पर व्यय किया जा सकता है। यह व्यय फर्म की आय में से घटा देने का प्रावधान है।

4. रजिस्टर्ड फर्म से साझेदार को यदि कोई हानि होती है तो साझेदार फर्म की अपनी हिस्से की हानि को अन्य आयों से पूरा कर लेता है अथवा उसे पूरा करने के लिये अगले कर-निर्धारण वर्ष में ले जाता हैं।

5. फर्म की आय व हानि को उसके साझेदारों के कर-निर्धारण के लिये आय के उन्हीं भिन्न-भिन्न शीर्षकों में बाँट दिया जाता है जिसके अन्तर्गत फर्म की आय की प्राप्त हुई है।

उदाहरण (Illustration) 2 : एम, एन और ओ एक फर्म में 2:1:1 के अनुपात में लाभ हानि के लिये साझेदार हैं। इनका 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए संक्षिप्त लाभ हानि खाता इस प्रकार है :

M, N and O are partners sharing profits and losses in the ratio 2 : 1 : 1 respectively. Their summarised Profit and Loss Account for the year ending 31st March, 1986 is appended below :

		Rs.		Rs.
Office salaries		5,680	Gross Profit	60,570
Telephone and telegram		2,000	Rent Received	6,000
Interest on loan from M		2,000	Interest on securities	4,000
Local taxes (let out property)		1,000		
Salary to N		3,000		
Commission to partners : M	4,000			
N	5,000			
O	6,000	15,000		
Collection charges of interest on securities		50		
Bad debts reserve		1,000		
Net Profit to partners : M	20,420			
N	10,210			
O	10,210	40,840		
		70,570		70,570

फर्म की कुल आय निकालिये एवं साझेदारों में विभाजित कीजिये ।

Calculate total income the firm and of allocate it amongst the partners.

हल (Solution) . Computation of Total Income for Assessment Year 1986-87.

	Rs.	Rs.	Rs.
Net profit as per P & L account			40,840
Add : Inadmissible items :			
Interest on loan from M	2,000		
Local taxes of property let out	1,000		
Salary to N	3,000		
		6,000	
Commission to partners : M	4,000		
N	5,000		
O	6,000		
		15,000	
Collection charges		50	
Bad debts reserve		1,000	22,050
			62,890
Less : Incomes to be treated separately :			
Rent received		6,000	
Interest on securities		4,000	10,000
Profit from business			52,890
Rent received		6,000	
Less : Local taxes		1,000	
Annual Value		5,000	
Less : Repairs 1/6		833	
Taxable income from property			4,167
Interest on securities		4,000	
Collection charges		50	
Taxable Interest			3,950

Computation of total Income	
Interest on securities	3,950
Income from house property	4,167
Business profits	52,890
Total Income	61,007

Allocation of firm's total income

	M	N	O	Total
Interest	2,000	—	—	2,000
Salary	—	3,000	—	3,000
Commission	4,000	5,000	6,000	15,000
Balance of profit (52,890—20,000)	16,445	8,222	8,223	32,890
Share in business profit	22,445	16,222	14,223	52,890
Share in interest on securities (3,950)	1,975	987	988	3,950
Share in property income (4,167)	2,083	1,042	1,042	4,167
Share in total income	26,503	18,251	16,253	61,007

उदाहरण (Illustration) 3 : अ, ब तथा स फर्म में साझेदार हैं जिनका लाभ-हानि खाता नीचे दिया गया है :—

A, B and C are partners in a firm whose Profit and Loss account is as follows :

		Rs.		Rs.
General Expenses		8,800	Gross Profit	16,800
Salary to A		1,500	Interest on securities	2,000
Commission		4,000	Interest on Drawings of A	300
Interest on capital : A	1,500		Net Loss : A	1,400
B	4,000		B	1,400
C	1,000		C	1,400
		6,500		
Charity		500		
Bad Debts		1,500		
Rent of business shop		500		
		23,300		23,300

कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए फर्म की कुल आय की गणना कीजिये तथा उसे फर्म के साझेदारों में विभाजित कीजिए। निम्नलिखित को ध्यान में रखना है :

i. कमीशन में ब को दिया गया 1,000 रु० शामिल है।

ii. दुकान का स्वामी ब है।

iii. डूबत ऋणों में 900 रु० ट से शेष हैं जो पिछले वर्ष फर्म में साझेदार था यह रकम उससे वसूल न की जा सकीं।

iv. ब फर्म में अपनी हिन्दू अविभाजित फर्म का प्रतिनिधित्व करता है। ब ने फर्म में अपना निजी धन लगाया है जिस पर उसे ब्याज (4,000रु०) प्राप्त हुई है।

Calculate total income of the firm for the assessment years 1986 87 and allocate the same amongst the partners after considering the following :

i) Commission includes Rs. 1,000 paid to B.
ii) Shop is owned by B.
iii) Bad debts include Rs. 900 due from T who retired from the partnership last year.
iv) B represents his HUF in the firm but interest paid to him is in respect of the amount he has personally invested in the firm on his own behalf.

हल (Solution) :

Computation of Total Income of firm for the A. Y. 1986-87

	Rs.	Rs.
Net Loss as per P & L a/c		(—)4,200
Less : Interest on securities to be treated separately		(—)2,000
		(—)6,200
Add : Inadmissible itmes :	Rs.	
Salary to A	1,500	
Commission to B	1,000	
Interest on capital to A & C (1,200+1,000)	2,200	
Charity	500	
Bad Debts due from T not allowed	900	(+)6,100
Loss from business		(—)100
Interest on securities		(+)2,000
Gross Total Income		1,900
Deduction		—
Total Income		1,900

Allocation of Firm's Total Income

	A	B	C	Total
Salary	1,500	—	—	1,500
Commission	—	1,000	—	1,000
Interest on capital	1,200	—	1,000	2,200
Balance of loss	—1,600	—1,600	—1,600	—4,800
Share in business profit or loss	1,100	—600	—600	—100
Share in interest on securities	667	667	666	2,000
Share in firm's total income	1,767	67	66	1,900

टिप्पणी—1. गिरधारी लाल ज्ञानचन्द बनाम आयकर आयुक्त (1971) इन्कम-टॅक्स रिपोर्टस भाग 79 पृष्ठ 561 के निर्णय के अनुसार निवृत साझेदार में बकाया राशि एक पूँजीगत राशि है तथा ऐसी राशि का नुकसान लाभों में से कटौती योग्य नहीं हैं।

2. साझेदार अ को पूँजी पर ब्याज 1,500 रु० में से उससे आहरण पर प्राप्य ब्याज 300 रु० घटाने के पश्चात् शेष ब्याज की राशि 1,200 रु० की राशि अस्वीकृत की गई है।

3. ब को दिया गया ब्याज व्यक्तिगत रूप में है जबकि वह संयुक्त हिन्दू परिवार के प्रतिनिधि के रूप में साझेदार है। उसके व्यक्तिगत जमा धन पर ब्याज स्वीकृत व्यय होगा। यह ब्याज उसके हाथों में ही करयोग्य होगी परिवार के हाथों में नहीं।

4. व्यापार शीर्षक की हानि 100 रु० का विभाजन करने से पूर्व वेतन, कमीशन एवं पूँजी पर ब्याज 4,700 रु० (1,500 + 1,000 + 1,200 + 1,000) का विभाजन किया गया है अतएव हानि की राशि 100 रु० से बढ़कर 4,800 रु० हो गई है जिसे साझेदारों में बराबर बराबर बाँट दिया गया है।

अनरजिस्टर्ड फर्म का कर-निर्धारण
(Assessment of unregistered firms)

1. अनरजिस्टर्ड फर्म का कर-निर्धारण एक व्यक्ति की तरह होता है अर्थात् इसे अपनी आय के 18,000 रु० तक होने पर आयकर नहीं देना पड़ता। कुल आय के 18,000 रु० से अधिक होने पर उन्हीं दरों के अनुसार कर दायित्व की गणना की जाती है जो एक व्यक्ति (individual) की दशा में लागू होती है।

2. आयकर अधिकारी द्वारा धारा 183(a) के अन्तर्गत अनरजिस्टर्ड फर्म की कुल आय का निर्धारण करने के पश्चात् आयकर की देय राशि निकाल ली जाती है।

3. धारा 67 में दी गई विधि के अनुसार (जिसका उल्लेख इसी अध्याय में किया जा चुका है) साझेदार को फर्म से प्राप्त होने वाली राशि निकाल कर उसकी कुल आय में जोड़ देते हैं -

4. फर्म की कुल आय पर इसके द्वारा यदि आयकर दिया जाता है तो साझेदारों को फर्म से प्राप्त होने वाली आय उसकी कुल आय में केवल कर-निर्धारण के लिए जोड़ी जाती है। अन्य शब्दों में फर्म ने यदि अपनी कुल आय पर आयकर दिया है तो ऐसी फर्म से मिलने वाली आय को साझेदारों की कुल आय में सम्मिलित कर देते हैं। इसके बाद आयकर की औसत दर से इस रकम पर छूट मिल जाती है।

5. फर्म की कुल आय के कर-योग्य सीमा से कम होने के कारण यदि फर्म द्वारा आयकर नहीं दिया जाता तो फिर साझेदारों को इस फर्म से प्राप्त होने वाली आय पर आयकर की औसत दर से छूट नहीं मिलती।

6. धारा 183(b) के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था है कि आयकर अधिकारी जब यह समझता है कि अनरजिस्टर्ड फर्म एवं इसके साझेदारों द्वारा देय कुल आयकर यदि इसी फर्म को रजिस्टर्ड मानने पर फर्म एवं इसके साझेदारों द्वारा देय कुल आयकर से कम हैं तो ऐसी फर्म का कर-निर्धारण रजिस्टर्ड फर्म की भाँति कर दिया जायेगा।

अनरजिस्टर्ड फर्म से होने वाली हानि की पूर्ति साझेदार अपनी अन्य आयों से नहीं कर सकते। हानि की पूर्ति तथा उसे आगे ले जाने का अधिकार आयकर अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी अनरजिस्टर्ड फर्म को ही प्राप्त है।

अनरजिस्टर्ड फर्म की धारा 183(b) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड फर्म मानकर कर-निर्धारण :—उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि साझेदारों का हित इसी में निहित है कि फर्म को रजिस्टर्ड करा लिया जावे क्योंकि इससे आयकर में बचत होगी। जब साझेदारों की अन्य आय फर्म की आय की अपेक्षा अधिक होती है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जबकि अनरजिस्टर्ड फर्म द्वारा आयकर का भुगतान कम दर से किया जाता है किन्तु साझेदारों की आय के अधिक होने की वजह से आयकर की औसत दर अधिक होती है जिससे उनको अनरजिस्टर्ड फर्म से मिले लाभ पर अधिक दर से छूट मिल जाती है। धारा 183(b) ऐसे गतिरोध का पर्याप्त उपाय है। आयकर अधिकारी को यदि यह विश्वास हो जाये कि अनरजिस्टर्ड फर्म को रजिस्टर्ड फर्म मानकर अधिक आयकर प्राप्त किया जा सकता है तो वह इस फर्म को रजिस्टर्ड मान-कर कर-निर्धारण करेगा। इस स्थिति में रजिस्टर्ड फर्म की दशा में लागू होने वाले सभी प्रावधान कार्यान्वित होंगे।

टिप्पणी :—यदि किसी अनरजिस्टर्ड फर्म का कर-निर्धारण धारा 183(b) के अनुसार रजिस्टर्ड फर्म मानकर किया गया है तो उसी परिस्थिति में उस गत वर्ष की हानि की पूर्ति एवं हानियों को आगे ले जाने के सम्बन्ध में वे प्रावधान लागू होंगे जो कि रजिस्टर्ड फर्म की स्थिति में लागू होते हैं।

उदाहरण (Illustration) 4 : मैसर्स राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स का 31 दिसम्बर 1985 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाता निम्नलिखित है :—

Following is the profit and loss account of M/s Rajasthan electronics for the year ending 31st Dec. 1985

		Rs.		Rs.
Opening Stock		40,000	Legal sale of electronic items	2,00,000
Legal purchase of electronic goods		1,20,000	Illegal sale of electronics items	1,00,000
Illegal purchase of electronic goods		50,000	Long-term Capital gain from building (Purchased 7 years back)	8,000
Salaries		12,000	Interest charged on Debit balance of Krishna	600
Office expenses		5,500	Interest received on securities	1,600
Int. on Capital			Closing Stock	35,000
Govind	2,000			
Madhav	1,500	3,500		

Penalties & fines	54,000		
bribe to custom authorities	13,000		
Sundry expenses	8,150		
Commission to Krishna	6,000		
Net Profit	33,050		
	3,45,200		3,45,200

अन्य सूचनायें इस प्रकार हैं :—

1. गोविन्द, माधव और कृष्ण इस अनरजिस्टर्ड फर्म में बराबर के साझेदार हैं।
2. कृष्ण को दिया गया कमीशन अवैध विक्रय के सम्बन्ध में है।
3. अर्थदण्ड एवं जुर्माना इलेक्ट्रोनिक सामान के अवैध क्रय-विक्रय के कारण लगाया गया है।
4. 10,000 रु० का जब्त कर लिया गया इलेक्ट्रोनिक सामान अवैध क्रय में सम्मिलित है।
5. कार्यालय व्यय वैध एवं अवैध व्यापार के सम्बन्ध में 2 : 1 के अनुपात में है।
6. विविध व्ययों में साझेदारी संलेख का खर्च 150 रु० सम्मिलित है।

फर्म द्वारा देय कर की गणना कीजिये एवं कुल आय को साझेदारों में बाँटिये।

The other information are as under :

1. Govind/Madhav and Krishna are equal partners in unregistered firm.
2. Commission to Krishna is in connection of illegal sale.
3. Penalties and fines imposed due to Illegal purchase and sale of electronic goods.
4. Illegal purchase include Rs. 10,000 being cost of electronic goods confiscated.
5. Office expenses in the ratio of 2 : 1 for legal and illegal business.
6. Sundry expenses include Rs. 150 for partnership deed expenses.

Calculate tax payable by the firm and allocate the Total Income among partners.

हल (Solution)

Computation of Total Income of M/S Rajasthan Electronics for the A.Y. 1986-87

			Rs.
Interest on securities $\left(1,600 \times \frac{100}{80}\right)$			2,000
Profits of Business			
Net profit as P & L A/c		33,050	
Add : expenses disallowed			
Int. on capital	3,500		
Penalties & fines	54,000		
Bribe	13,000		
Commission to Krishna	6,000		
Sundry expenses	150	76,650	
		1,09,700	
Less : Income not Taxable in this head			
Long term Capital gain	8,000		
Int. on Securities	1,600	9,600	1,00,100
Capital Gains :			
Long term Capital gain			8,000
Gross Total Income			1,10,100
Deductions :			
U/s 80T first Rs. 5,000 @ 100% =		5,000	
balance of Rs. 3,000 @ 28% =		840	5,840
Total Income			1,04,260

Tax Payable by firm

	Rs
Income Tax on Rs. 1,04,260	31,380
Tax Payable	31,380

Allocation of Total Income Among Partners

	Govind	Madhav	Krishna
	Rs.	Rs	Rs.
Interest on Capital	2,000	1,500	[illegible]
Commission	—	—	6,000
Balance of Profits (1,00,100—9,500)	30,200	30,200	30,200
Interest on Securities	666	667	667
Long term Capital gains (8,000—5,840)	720	720	720
Share in Total Income	33,586	33,087	37,587

टिप्पणी :—1. साझेदार को दिया गया कमीशन अस्वीकृत व्यय है।

2. अवैध व्यापार के लाभ कर योग्य और ऐसे व्यापार के संबंध में वे समस्त व्यय स्वीकृत होंगे जो केवल व्यापार के लिए ही किये गये हों अतः अवैध विक्रय के सम्बन्ध में कार्यालय व्यय स्वीकृत होंगे।

3. अर्थदण्ड एवं जुर्माने की राशि एवं रिश्वत को पूर्णतया व्यापार के लिए किया गया व्यय इसलिए नही माना जा सकता क्योंकि बिना कानून का उल्लंघन किये भी व्यापार का संचालन संभव है अतः यह व्यय स्वीकृत नहीं है

4. दीर्घकालीन पूँजी लाभ 8,000 रु० में से धारा 80T की कटौती कम करने के बाद शेष राशि साझेदारों में विभाजित की गई है।

5. साझेदारी सलेख के व्यय पूँजीगत व्यय माने जाते है अतः अस्वीकृत है।

6. साझेदारों के खातों के डेबिट शेष पर वसूल किया गया ब्याज व्यापार एवं पेशे शीर्षक में कर योग्य है।

7. जब्त किये गये माल के सम्बन्ध में कोई समायोजन नहीं होगा क्योंकि इसको अंतिम स्टाक में सम्मिलित नहीं किया गया जिससे सकल लाभ कम हो जाता है। यदि कोई माल नष्ट हो जाता है अथवा सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाता है तो यह नुकसान स्वीकृत व्यय होता है।

फर्म का रजिस्ट्रेशन (Registration of firm) : आयकर अधिनियम के अन्तर्गत हुआ फर्म का रजिस्ट्रेशन भारतीय साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत हुए रजिस्ट्रेशन से भिन्न-भिन्न होता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन फर्मों के रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है, जबकि आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आयकर अधिकारी को ही फर्म के रजिस्टर्ड करने का अधिकार प्राप्त है। यह सम्भव है कि फर्म एक प्रकार स रजिस्टर्ड हो तथा दूसरी ओर से न हो। इस अध्याय के अन्तर्गत जिस रजिस्ट्रेशन पर प्रकाश डाला गया है वह आयकर अधिनियम के अन्तर्गत होने वाला रजिस्ट्रेशन है।

फर्म के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रावधान आयकर अधिनियम की धारा 184 से 186 तक तथा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत बने हुए नियम संख्या 22 से 25 तक दिये गये है।

रजिस्ट्रेशन से लाभ:—फर्म का रजिस्ट्रेशन फर्म एवं इसके साझेदारों के लिये सदैव हितकर होता है क्योंकि अनरजिस्टर्ड फर्म एवं इसके साझेदारों द्वारा दिया जाने वाला कुल आयकर रजिस्टर्ड फर्म एवं उसके साझेदारों द्वारा दिए जाने वाले कुल आयकर की तुलना में सदैव अधिक होता है। कुछ परिस्थितियों में अनरजिस्टर्ड फर्म एवं उसके साझेदारों द्वारा दिये जाने वाला आयकर रजिस्टर्ड फर्म की तुलना में कम हो जाता हैं। ऐसी परिस्थितियों में आयकर अधिकारी ऐसी अनरजिस्टर्ड फर्म को रजिस्टर्ड फर्म मान लेता है। इस प्रकार फर्म के रजिस्ट्रेशन से साझेदारों को सदैव लाभ रहता है।

रजिस्ट्रेशन कराने की विधि
(Procedure for registration)

रजिस्ट्रेशन के लिये प्रार्थना-पत्र (धारा 148)

1. फर्म की ओर से रजिस्ट्रेशन विषयक एक प्रार्थना-पत्र आयकर अधिकारी को तब ही दिया जा सकता है जबकि :—

(i) साझेदारी की स्थापना एक लिखित साझेदारी प्रलेख (Partnership Deed) से हुई हो अर्थात् मौखिक अनुबन्ध द्वारा गठित साझेदारी की स्थिति में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जा सकता है।

(ii) फर्म वास्तविक होनी चाहिए। साझेदारी की वास्तविकता की जाँच साझेदारों के अधिकारों एवं दायित्वों के आधार पर की जा सकती है। साझेदारी संलेख होने की स्थिति में भी यह आवश्यक नहीं है कि फर्म वास्तविक ही हैं।

(iii) साझेदारी प्रलेख में सभी साझेदारों के बीच बाँटे जाने वाले लाभ-हानि के अनुपात का स्पष्ट उल्लेख हो। यदि लाभ अनुपात भविष्य में किसी घटना के आधार पर निश्चित किया जाना है अथवा शर्त युक्त है ऐसी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता है।

2. फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना-पत्र कभी भी दिया जा सकता है अर्थात् यह फर्म के जीवन काल अथवा विघटन के बाद भी दिया जा सकता है।

3. प्रार्थना-पत्र उस आयकर अधिकारी को दिया जाना चाहिये जिसके कार्य क्षेत्र में यह फर्म आती हैं अर्थात् जो आयकर अधिकारी इसका कर-निर्धारण करता है। प्रार्थना-पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों को हस्ताक्षर करने चाहिये :—

अ) चालू फर्म की स्थिति में, अवयस्कों को छोड़कर सभी साझेदारों द्वारा,

ब) विघटित फर्म की स्थिति में, उन सभी साझेदारों (अवयस्क को छोड़कर) द्वारा जो विघटन से पहले फर्म में साझेदार थे। मृत साझेदार की ओर से उसका कानूनी प्रतिनिधि हस्ताक्षर करता है।

कोई साझेदार यदि भारत के बाहर पागल है, कम बुद्धि वाला है अथवा अस्वस्थ मस्तिष्क वाला है तो उसके लिये इस सम्बन्ध में अधिकृत व्यक्ति अथवा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जा सकते हैं जिसे इसका प्रतिनिधित्व करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो।

4. प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित गतवर्ष की समाप्ति से पहले दिया जाना चाहिये। आयकर अधिकारी यह प्रार्थना-पत्र गतवर्ष की समाप्ति के बाद में भी स्वीकार कर सकता है बशर्ते कि उसे उन कारणों की पर्याप्तता के बारे में विश्वास हो जाये जिनके परिणामस्वरूप यह प्रार्थना-पत्र निर्धारित अवधि में नहीं दिया जा सका।

5. प्रार्थना-पत्र निर्धारित फार्म (फार्म नं० 11A) पर भेजा जाता है तथा उसमें सभी निर्धारित विवरण लिखा जाना चाहिए। देर से प्रार्थना पत्र दाखिल करने पर यदि आयकर अधिकरी इसे रद्द कर देता है अथवा स्वीकार नहीं करता तो इसके विरुद्ध किसी प्रकार की अपील का प्रावधान नहीं है।

6. प्रार्थना-पत्र के साथ में साझेदारी प्रलेख की मूल प्रतिलिपि को संलग्न किया जाना चाहिये किन्तु यदि प्रलेख की सुविधा जनक ढंग से प्रस्तुत न करने के ऐसे पर्याप्त कारण हैं जिनसे आयकर अधिकारी संतुष्ट हैं तो वह प्रलेख की प्रतिलिपि भी स्वीकार कर सकता है जिस पर सभी साझेदारों (अवयस्क को छोड़कर) के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं।

प्रार्थना-पत्र होने के बाद में रजिस्ट्रेशन की विधि—धारा 185 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के बाद में आयकर अधिकारी फर्म की यथार्थता (Genuineness) की तथा साझेदारी प्रलेख में दिये गए विधान के सम्बन्ध में जाँच करता है। अब यदि आयकर अधिकारी इससे संतुष्ट है कि गतवर्ष में साझेदारी प्रलेख में दिये गये विधान के अनुसार वास्तविकता में फर्म विद्यमान थी तो वह एक लिखित आदेश द्वारा उस कर-निर्धारण वर्ष के लिए फर्म का रजिस्ट्रेशन कर देता है। यदि वह अपनी जांच के परिणाम से संन्तुष्ट नहीं है तो फर्म को रजिस्टर्ड करने के लिये दिया गया प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाता है।

रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फर्म वास्तविक (Genuine) नहीं मानी जावेगी यदि फर्म का कोई भी साझेदार फर्म की आय अथवा सम्पत्ति के किसी भी भाग के लिये गतवर्ष में निम्नलिखित व्यक्तियों का बेनामीदार है :—

(अ) किसी भी अन्य साझेदार का जो बेनामीदार साझेदार का जीवन साथी अथवा अवयस्क बच्चा नहीं है, अथवा

(ब) फर्म के साझेदार को छोड़कर, किसी भी अन्य व्यक्ति का। फर्म के अन्य साझेदार इस तथ्य से परिचित थे किन्तु यह सूचना सम्बन्धित आयकर अधिकारी को निर्दिष्ट ढंग से नहीं दी गई।

प्रार्थना-पत्र भरने में यदि कोई गलती हो गई है तो प्रार्थना-पत्र केवल इसी गलती के आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता, वरन् आयकर अधिकारी द्वारा फर्म को एक महीने की अवधि इस गलती को ठीक कराने के लिये दी जाती है। यह गलती यदि इस अवधि में ठीक नहीं की जाती तो आयकर अधिकारी रजिस्ट्रेशन के इस प्रार्थना-पत्र को अस्वीकृत कर सकता है।

जब किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए फर्म का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आयकर अधिकारी साझेदारी प्रलेख पर अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि पर यह आज्ञा जारी कर देगा कि अमुक कर-निर्धारण वर्ष के लिये फर्म रजिस्टर्ड हो गई है।

जब फर्म के द्वारा उस कर-निर्धारण वर्ष में ऐसी गलती हो जाती है जिससे उस फर्म का कर-निर्धारण आयकर अधिकारी अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार करता है तो आयकर अधिकारी फर्म को रजिस्टर्ड करने से इन्कार कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा CIT v. Abdul Rahim & Co. [1965] 55 ITR 651 में दिये गये निर्णय में आयकर अधिकारी के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी अधिकार का विवेचन किया गया है। इसके अनुसार फर्म यदि यथार्थ में विद्यमान है व इसके द्वारा आयकर

अधिनियम के सभी प्रावधानों का सही पालन किया गया है तो आयकर अधिकारी इसके रजिस्ट्रेशन के लिए मना नहीं कर सकता।

रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण—धारा 184 (7) के अनुसार जब किसी एक कर-निर्धारण वर्ष के लिए फर्म रजिस्टर्ड कर ली जाती है तो वह रजिस्ट्रेशन आने वाले प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष के लिए चालू रहता है बशर्ते कि निम्न शर्तें पूरी की जावें :

अ) सम्बन्धित वर्ष में न तो नया साझेदार आया है और न पुराने साझेदार ने अवकाश ग्रहण किया है।

ब) सभी साझेदार उसी अनुपात में लाभ हानि ले रहे हैं जो उस साझेदारी प्रलेख में दिखाया गया है जिस आधार पर फर्म रजिस्टर्ड हुई है।

स) इसके सम्बन्ध में एक घोषणा पत्र आयकर अधिकारी को आय के नक्शे के साथ भेज दिया गया है। ऐसे घोषणा-पत्र को देरी से भेजने पर आयकर अधिकारी इसे स्वीकृत कर सकता है अथवा अस्वीकृत।

उपर्युक्त किसी भी शर्त के पूरा न होने पर रजिस्ट्रेशन के लिए दुबारा नवीन प्रार्थना पत्र देना चाहिऐ। इसके अभाव में अगले वर्ष के लिये पुराना रजिस्ट्रेशन प्रभावकारी नहीं रहेगा उपर्युक्त घोषणा पत्र निर्धारित फार्म पर तथा निर्धारित ढंग से ही प्रमाणित कराके दिया जाना चाहिए। घोषणा-पत्र में यदि कोई गलती रह गई है तो इसे ठीक करने के लिए आयकर अधिकारी द्वारा एक महीने का समय दिया जाता है।

किसी गतवर्ष में यदि कोई परिवर्तन साझेदारी के गठन में हो जाता है तो सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के लिये रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र नये सिरे से दिया जाना चाहिए।

Delight Stores v. CIT [1971] 79 ITR 479 के मामले में एक निर्णय दिया गया है जिसके अनुसार आयकर अधिकारी फर्म के नाम बदले जाने की स्थिति में भी रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण को मना नहीं कर सकता। नाम बदलने से फर्म के विधान में परिवर्तन का बोध नहीं होता। फर्म का नाम यद्यपि साझेदारी चलाने के लिए सुविधाजनक है किन्तु फर्म के निर्माण में आवश्यक तत्व नहीं है, अत: नाम के परिवर्तन का फर्म पर प्रभाव नहीं पड़ता।

निम्न स्थितियों में आयकर अधिकारी फर्म को रजिस्टर्ड करने से इन्कार कर सकता है : आयकर अधिनियम में ऐसी परिस्थितियों की कोई सूची उपलब्ध नहीं है परन्तु आयकर अधिकारी को फर्म की सत्यता विषयक जानकारी मालूम करने के दौरान बहुत सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत से निर्णयों के आधार पर कुछ परि-स्थितियाँ नीचे दी गई हैं, किन्तु किसी भी दशा में इस सूची को ही अन्तिम नहीं मान लेना चाहिए।

A, **साझेदारी प्रलेख सम्बन्धी अनियमिततायें :** आयकर अधिकारी द्वारा साझेदारी प्रलेख के तैयार करने में अथवा उसके अनुसार व्यापार संचालन में कोई अनियमितता पायी जाती है तो फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। साझेदारी प्रलेख में अनधिकृत संशोधन; इसमें किसी अवयस्क को साझेदार का पूरा दर्जा दिया जाना व्यापार के लाभों का प्रलेख में दिये गये लाभ-हानि अनुपात में वितरण न किया जाना, अवयस्क के लाभ हानि के अनुपात का प्रलेख में उल्लेख न होना आदि कुछ उदाहरण हैं। आय०17/86

B. साझेदारों के अधिकार सम्बन्धी अनियमिततायें : किसी साझेदार ने यदि अपने पास ही फर्म सम्बन्धी सभी अधिकारों का केन्द्रीकरण कर लिया है जिससे अन्य साझेदार कठपुतली मात्र दिखाई देते हों अथवा बेनामीदार सिद्ध हो सके तो भी रजिस्ट्रेशन से इन्कार किया जा सकता है किसी साझेदार ने अन्य सभी साझेदारों के लाभ-हानि के अनुपात को निश्चित करने का अधिकार यदि अपने पास सुरक्षित रख लिया है, अथवा लाभ-हानि का वास्तविक विभाजन नहीं किया गया है, आदि कुछ ऐसी दशायें है जिनमें आयकर अधिकारी फर्म को रजिस्टर्ड नहीं करेगा।

रजिस्ट्रेशन को रद्द करना

1) आयकर अधिकारी को यदि यह विश्वास हो जाये कि किसी गतवर्ष में यथार्थ में फर्म का अस्तित्व ही नहीं था तो वह उस कर-निर्धारण वर्ष के लिए फर्म का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है।

2) रजिस्ट्रेशन रद्द करने से पहले इन्सपेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाता है तथा करदाता फर्म को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का एक समुचित अवसर भी दिया जाता है।

3) कर निर्धारण हो चुकने के बाद यदि फर्म का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है तो उस वर्ष का कर निर्धारण इस आधार पर दुबारा किया जाता है कि फर्म अनरजिस्टर्ड थी।

4) किसी फर्म का रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित कर,निर्धारण वर्ष की समाप्ति के आठ वर्षों की अवधि के अन्दर रद्द किया जा सकता है। इस अवधि के बाद ऐसा नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिये कर-निर्धारण वर्ष 1977-78 के लिए यदि किसी फर्म का रजिस्ट्रेशन रद्द करना है तो इसे 31 मार्च, 1986 तक किया जा सकता है।

(5) रजिस्ट्रेशन प्राप्त किसी फर्म ने यदि ऐसी गलती कर दी है जिसके कारण उस फर्म का कर निर्धारण आयकर अधिकारी ने अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर किया है तो ऐसी स्थिति में आयकर अधिकारी फर्म का रजिस्ट्रेशन रद्द करने से सम्बन्धित 14 दिन की अवधि का एक नोटिस फर्म को देता है यह अवधि फर्म को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए दी जाती है अवधि समाप्त होने पर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है।

रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रभाव : रजिस्ट्रेशन रद्द किये जाने पर आयकर-अधिकारी उस फर्म के कर-निर्धारण में आवश्यक संशोधन कर देता है तथा साझेदारी का कर-निर्धारण भी अनरजिस्टर्ड फर्म के साझेदारों की भाँति कर दिया जाता है।

रजिस्टर्ड फर्म का कर-निर्धारण (Assessment of Registered firms)

1. धारा 182 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड फर्म की कुल आय ज्ञात करने के बाद फर्म द्वारा देय आयकर की गणना की जाती है तथा फर्म की कुल आय में से कर दायित्व घटा कर शेष आय को साझेदारों में लाभ-हानि के अनुपात में बाँट दिया जाता है।

2. प्रत्येक साझेदार को फर्म से मिलने वाली आय उसकी कुल आय में जोड़ दी जाती है तथा उसकी कुल आय पर नियमानुसार कर-निर्धारण हो जाता है।

3. किसी साझेदार को फर्म से यदि हानि होती है तो यह हानि साझेदार द्वारा अपनी अन्य आय से पूरी की जा सकती है। अन्य आय से पूरी न हुई हानि को उसके द्वारा अगले कर-निर्धारण वर्षों में पूर्ति के लिये ले जाया जाता है।

4. फर्म का साझेदार यदि अनिवासी है तो उसको फर्म से मिलने वाले हिस्से पर आयकर फर्म के द्वारा ही चुकाया जाएगा। आयकर की दरें वही होगीं जो कि उस साझेदार पर उसके व्यक्तिगत रूप से कर निर्धारण होने पर लागू होती हैं।

5. एक रजिस्टर्ड फर्म साझेदार को दी जाने वाली आय में से इसका 30% तक अपने पास तब तक रोक सकती है जब तक कि साझेदार द्वारा अपने आयकर दायित्व का भुगतान न कर दिया जाये। साझेदार द्वारा यदि आयकर का भुगतान नहीं किया जाता तो फर्म ही करदाता की रोकी गई रकम तक के कर-दायित्व के लिये उत्तरदायी है, परन्तु रोकी गई रकम 30% से कम नहीं होनी चाहिए।

6. अनरजिस्टर्ड फर्म को यदि रजिस्टर्ड मान लिया जाता है अथवा रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो भी उसे अपनी पिछली हानि को आगे लाकर लाभों से पूरा करने का अधिकार होगा। Addl. CIT v B S. Dall Mills (1981) 131 ITR III (Kar)

आयकर की दरें (Rates of Income-tax)

कर निर्धारण वर्ष के लिए आयकर निकालने के लिए रजिस्टर्ड फर्म को दो भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम, वे फर्म जो वकालत, चार्टर्ड एकाउन्टेंन्सी, डाक्टरी आदि पेशे में लगी हुई हैं अर्थात् जो पेशेवर फर्म है तथा जिनकी पेशे से आय कुल आय की 51% अथवा अधिक हैं। द्वितीय, वे फर्म जो प्रमुख रूप से व्यापार आदि से आय प्राप्त करती हैं। इनके लिए निम्नलिखित दरें लागू होंगी :

आय	पेशेवर फर्म	अन्य फर्म
कुल आय के प्रथम 10,000 रु० पर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल आय के अगले 15,000 रु० पर	4%	5%
कुल आय के अगले 25,000 रु० पर	7%	7%
कुल आय के अगले 50,000 रु० पर	13%	15%
शेष आय पर	22%	24%

लाभ का विभाजन :—रजिस्टर्ड फर्म द्वारा जब आयकर दिया जाता है तो फर्म की कुल आय में से देय आयकर की राशि घटाकर शेष को सभी साझेदारों में लाभ-हानि के अनुपात में बाँट देते हैं।

लाभों के गलत वितरण (Wrong distribution of profit) :—धारा 271 (4) के अनुसार आयकर अधिकारी अथवा अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर को कर-निर्धारण के समय यदि यह मालूम होता है कि साझेदारों के बीच लाभ का वितरण साझेदारी प्रलेख में दिये गये लाभ-हानि के अनुपात में न किया जाकर किसी अन्य अनुपात में किया गया है तो आयकर अधिकारी अथवा अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर द्वारा उस साझेदार पर अर्थदण्ड (penalty) लगाया जाता है जिससे इस प्रकार से वितरित कम आय अपने आय के नक्शे में दिखाई है। अर्थदण्ड की राशि बचाये जा सकने वाले कर के 150 प्रतिशत तक हो सकती हैं। बचाये जा सकने वाले कर से तात्पर्य उस राशि से है जो यदि आय के नक्शे में दिखाई गई फर्म की आय में भाग को स्वीकार कर लिया जाने पर बचा लिया जाता।

रजिस्टर्ड तथा अनरजिस्टर्ड फर्म के कर निर्धारण में अन्तर
(Difference between assessment of Registered and) Unregistered Firms)

1. **कर की दरें**—रजिस्टर्ड फर्म की कुल आय पर विशेष दरों से आयकर लगाते हैं जो बहुत कम होती हैं। यह दर 4% से लेकर 24% तक हैं। अनरजिस्टर्ड फर्म पर व्यक्ति के लिये लागू होने वाली दरों से आयकर लगता है जो 25% से प्रारम्भ होकर 50% तक है।

2. **साझेदारों में लाभों का विभाजन**—रजिस्टर्ड फर्म द्वारा दिया गया आयकर फर्म की कुल आय में से घटा देते हैं तथा शेष को साझेदारों में बाँटते हैं। अनरजिस्टर्ड फर्म की दशा में फर्म द्वारा दिया गया आयकर लाभों में से नहीं घटाया जाता, बल्कि सम्पूर्ण लाभ साझेदारों में बांट देते हैं।

3. **हानि की पूर्ति**—रजिस्टर्ड फर्म से साझेदारों को होने वाली हानि की पूर्ति उनके द्वारा अपनी अन्य आय से कर ली जाती है। अनरजिस्टर्ड फर्म से साझेदारों को होने वाली हानि की पूर्ति साझेदारों द्वारा नहीं की जा सकती। हानि की पूर्ति करने का अधिकार केवल अनरजिस्टर्ड फर्म को ही प्राप्त है।

4. **हानि को आगे ले जाना**—रजिस्टर्ड फर्म की हानि साझेदारों में बाँट दी जाती है है तथा उन्हें इसे आगे ले जाकर पूरा करने का अधिकार प्राप्त है। रजिस्टर्ड फर्म को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है। अनरजिस्टर्ड फर्म की हानियाँ कर-निर्धारण के लिए साझेदारों में नहीं बाँटी जाती अतः उनके द्वारा हानियों को आगे ले जाकर पूर्ति करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। हानि को आगे ले जाकर पूर्ति करने का अधिकार केवल अनरजिस्टर्ड फर्म को ही प्राप्त है।

5. **स्थिति परिवर्तन**—रजिस्टर्ड फर्म का कर-निर्धारण कभी भी अनरजिस्टर्ड फर्म की भाँति नहीं किया जा सकता, जबकि अनरजिस्टर्ड फर्म का कर-निर्धारण धारा 183 (b) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड फर्म की भाँति किया जा सकता है वशर्ते कि आयकर अधिकारी को यह विश्वास हो जाय कि ऐसा करने से आयकर की अधिक रकम प्राप्त हो सकेगी।

6. **साझेदारों को फर्म से आय तथा उनका कर-निर्धारण**—रजिस्टर्ड फर्म से प्राप्त लाभ साझेदारों की कुल आय में शामिल होता है तथा उस पर कर लगाया जाता है। अनरजिस्टर्ड फर्म चूँकि व्यक्ति की भाँति ही अपनी कुल आय पर आयकर देती हैं अतः साझेदारों को इससे प्राप्त लाभ पर आयकर नहीं देना पड़ता किन्तु यह लाभ इनकी कुल आय में सम्मिलित किये जाते हैं तत्पश्चात् इस पर आयकर की औसत दर से छूट दी जाती है।

फर्म को कृषि आय होने पर कर की गणना विधि :—

यदि किसी फर्म की अन्य आय के साथ कृषि आय भी है तो कर की गणना विधि निम्न प्रकार होगी :—

रजिस्टर्ड फर्म—यदि किसी रजिस्टर्ड फर्म अथवा ऐसी अनरजिस्टर्ड फर्म जिसे रजिस्टर्ड मान लिया गया है को कृषि से शुद्ध आय होती है तो इसे साझेदारों में वित्तरित कर दिया जायेगा। ऐसे साझेदार का व्यक्तिगत कर-निर्धारण ऐसे किया जायेगा जैसे कि एक व्यक्ति करदाता को कृषि आय होने पर किया जाता है, अर्थात् कृषि आय होने पर फर्म के कर-दायित्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

अनरजिस्टर्ड फर्म—यदि किसी अनरजिस्टर्ड फर्म को कृषि आय होती है तो ऐसी फर्म का कर निर्धारण उसी प्रकार होगा जैसे कि एक व्यक्ति की स्थिति में होता है। यदि फर्म को शुद्ध कृषि आय के स्थान पर शुद्ध कृषि हानि है तो ऐसी हानि को आगे ले जाकर पूर्ति करने का अधिकार फर्म को ही प्राप्त है साझेदारों को नहीं। फर्म की शुद्ध कृषि आय अथवा हानि को साझेदारों में नहीं बाँटा जाता है।

यदि किसी अनरजिस्टर्ड फर्म की कुल आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से कम है तो गतवर्ष की फर्म की ऐसी शुद्ध कृषि आय को साझेदारों में वितरित कर दिया जायेगा और ऐसी परिस्थिति में वे ही नियम लागू होंगे जो रजिस्टर्ड फर्म की स्थिति में लागू होते हैं।

उदाहरण (Illustration) 5 : परेश, सुरेश और अखिलेश एक रजिस्टर्ड फर्म के साझेदार हैं। 31 दिसम्बर, 1985, को समाप्त हुए वर्ष की फर्म का लाभ-हानि खाता निम्नलिखित है :

Paresh, Suresh and Akhilesh are equal partners in a registered firm. The profit and loss account of the firm for the year ending 31st Dec. 1985 is given below :—

		Rs.		Rs.
To Trade Expenses (व्यापारिक व्यय)		28,000	By Gross profit b/d (सकल लाभ आगे लाये)	90,000
To Salaries (वेतन)		9,000	By Commission (कमीशन)	5,000
To Provision for Bad debts (डूबत ऋण संचय)		2,300	By Interest on Government securities (सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज)	3,000
To Postage & Stationery (डाक व्यय एवं लेखन सामग्री)		700	By Dividends (लाभांश)	6,000
To Repairs (मरम्मत)		2,000		
To Depreciation (ह्रास)		3,000		
To Interest on capital (पूँजी पर ब्याज)				
Paresh (परेश)	8,000			
Suresh (सुरेश)	7,000			
Akhilesh (अखिलेश)	5,000	20,000		
To Net profit (शुद्धलाभ)		39,000		
		1,04,000		1,04,000

खातों से निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई :—

i. व्यापारिक व्ययों में कार्यालय के लिए 6,000 रुपयों में खरीदा नया टाइपराइटर शामिल है।

ii. ह्रास 1983 में 20,000 रु० में खरीदे गये फर्नीचर की वास्तविक लागत पर 15% की दर से लगाया गया है।

निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये फर्म की कुल आय की गणना कीजिये और आयकर के उद्देश्य से इसे साझेदारों में बाँटिये।

The following information is revealed from the accounts :—

i) Trade expenses include a sum of Rs. 6,000 for the purchase of a new typewriter for office use.

ii) Depreciation has been provided at the rate of 15% on the actual cost of furniture purchased in 1983 for Rs. 20,000.

Calculate the total income of the firm for the assessment year 1986-87 and allocate it among the partners for income tax purposes. (*Rajasthan B.Com.* 1983)

हल (Solution) :

Statement of total Income for Assessment Year 1986-87

		Rs.	Rs.
Interest on Securities			
Int. on Govt. Securities			3,000
Profit from Business :			
Net Profit as per P. & L. A/c		39,000	
Add : Exp. disallowed :			
Provision for Bad debts	2,300		
Int. on Capital	20,000		
Purchase of Typewriter	6,000		
Excess Depreciation (3,000—2,520	480	28,780	
		67,780	
Less : Income not taxable under this head :			
Int. on Govt. Securities	3,000		
Dividend	6,000	9,000	58,780
Income from other sources			
Dividend			6,000
Gross Total Incom			67,780
Less : Deduction u/s 80			Nil
Total Income			
Computation of Tax Liability			Rs.
On first Rs, 10,000	Nill		
On next Rs. 15,000	5%		750
On next Rs. 25,000	7%		1,750
On next Rs. 17,780	15%		2,667
Tax payable			5,167

Allocation of Firm's Income among Partners

	Paresh Rs.	Suresh Rs.	Akhilesh Rs.
Interest on Capital	8,000	7,000	5,000
Balance of Profit (58,780—20,000—5,167)	11,204	11,204	11,205
Share in Profits of Firm	19,204	18,204	16,205
Int. on Securities	1,000	1,000	1,000
Income from Other Sources	2,000	2,000	2,000
Share in Firm's Income	22,204	21,204	19,205

टिप्पणी : ह्रास की गणना निम्न प्रकार से की गई है :—

	Rs.
Cost of furniture	20,000
Less : Depreciation (1983) @ 10%	2,000
W. D. V. on 1- 1-84	18,000
Less : Depreciation (1984) @ 10%	1,800
W. D. V. on 1-1-85	16,200

Depreciation on furniture @ 10% on 16,200	1,620
Depreciation on Type writter @ 15% on 6 000	900
	2,520

उदाहरण (Illustration) 6 : अजय व आलोक वकीलों की एक रजिस्टर्ड फर्म में साझेदार हैं वे अपने कर-निर्धारण के लिए निम्नलिखित जानकारी देते हैं। रु०

व्यवसाय में आय (अजय को 10,000 रु० के वेतन के बाद)	80,000
साझेदारों की अन्य आय निम्न प्रकार है—	
अजय : सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल)	9,000
किराया प्राप्त हुआ	6,000
आलोक : सट्टा व्यापार से हानि	26,000
करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	30,000

कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए फर्म का कर-दायित्व निकालिए व साझेदारों की कुल आय की गणना कीजिए।

Ajay and Alok are the partners in a registered firm of advocates. They give following information for the assessment :—

Income from Business (after charging salary of Rs. 10,000 paid to Ajay)	80,000
Other Incomes of the partners are as under :—	
Ajay : Interest on Government securities (Gross)	9,000
Rent received	6,000
Alok : Loss from speculation business	26,000
Interest on tax free Government securities	30,000

Find out tax liability of the firm and total income of the partners for the assessment year 1986-87.

हल (Solution) :

Computation of total Income of the firm

	Rs.
Income from Profession (As given)	80,000
Add : Salary paid to Ajay (disallowed)	10 000
Total Income	90,000

Computation of Tax	
On first Rs, 10,000	Nil
On next Rs. 15,000 @ 4%	600
On next Rs. 25,000 @ 7%	1,750
On balance of Rs. 40,000 @ 13%	5,200
Tax liability	7,550

Statement of Divisible Income	
Total income	90,000
Less : Tax Liability	7,550
Divisilble Income	82,450

Allocation among Partners	Ajay	Alok
Salary	10,000	—
Share of Profit (82,450 –10,000)	36,225	36,225
	46,225	36,225

AJAY	Assessment of Profit	Rs.	Rs.
	Interest on Govt. Securities		9,000
	Income from house property	6,000	
	Less : 1/6 for repairs	1,000	5,000
	Business Income : Share from Registered firm		46,225
	Gross Total Income		60,225
	Less Deduction u/s 80L		7,000
	Total Income (Refund 53,230)		53,225
ALOK			Rs.
	Interest on tax free Govt. securities		30,000
	Business Income : Share from registered firm		36,225
			66,225
	Less : Deduction u/s 80L		7,000
	Total Income (Round off Rs. 59,230)		59,225

टिप्पणी आलोक पहले 7,000 रु० की कटौती धारा 80L के अन्तर्गत लेगा। इसके पश्चात् कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों के शेष ब्याज 23,000 रु० पर आयकर की औसत दर अथवा $27\frac{1}{2}$% (जो कम हो) आयकर में छूट प्राप्त करेगा। क्योंकि ऐसा सर्वाधिक लाभप्रद है। उसके सट्टे व्यापार की हानि की पूर्ति अन्य आय से नहीं की जा सकती है।

उदाहरण (Illustration) 7 : एक फर्म में अ और ब बराबर के साझेदार हैं। फर्म को 31-3-1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में 30,000 रु० की हानि इस प्रकार हुई है—

व्यापार से लाभ (अ की पूँजी पर 10,000 रु० ब्याज देने के बाद)	50,000
पट्टे की भवन सम्पत्ति से हानि	—80,000
हानि	—30,000

साझेदार अ को गतवर्ष में भवन सम्पत्ति से आय 25,000 रु० हुई है तथा ब पिछले वर्ष से 10 000 रु० कपड़ा व्यापार की हानि को आगे लाकर पूरा करना चाहता है। इसे अन्य किसी आय की प्राप्ति नहीं होती। कपड़ा व्यापार 31 मार्च, 1985 को बन्द किया जा चुका है।

फर्म की कुल आय तथा प्रत्येक साझेदार की कुल आय की गणना कीजिए, यह मानते हुए कि (अ) फर्म रजिस्टर्ड है, (ब) फर्म रजिस्टर्ड नहीं है और न धारा 183 (ब) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड की भाँति करयोग्य है।

A firm, having two equal partners A & B suffered a loss of Rs. 30,000 during its accounting year ended 31st March, 1986 as under :—

	Rs.
Business profit (after paying Rs. 10,000 as interest on capital to partner A)	50,000
Loss from leasehold property	—80,000
Net Loss	—30,000

Partner A had during that year an income of Rs.25,000 from house property and partner B who had no income that year claimed a loss of Rs. 10,000 brought forward from the preceding year from his individual cloth business which had been closed on 31st March, 1985.

Compute the total income of each partner assuming the firm to be (a) Registered, and (b) not registered not assessable as registered u/s 183 (b).

हल (Solution) :

	Rs.
Profit as per Profit & Loss a/c	50,000
Add : Interest on A's capital	10,000
Business profits	60,000
Less : Loss from leasehold property	—80,000
Net loss of the firm	—20,000

Allocation Amongst Partners	A	B
Interest on capital	10,000	—
Share in business profits	25,000	25,000
	35,000	25,000
Share in firm loss from leasehold property	—40,000	—40,000
Share in firm's total income or loss (—)	—5,000	—15,000

टिप्पणी : i. इस प्रश्न में महत्वपूर्ण यह बात है कि फर्म को हुई हानि व्यापारिक हानि न होकर भवन सम्पत्ति से हुई है जिसे केवल इसी वर्ष में पूरा किया जा सकता है, इसे आगे ले जाकर पूरा करने का कोई प्रावधान नहीं है।

कर-निर्धारण

A. जब फर्म रजिस्टर्ड है—रजिस्टर्ड फर्म अपनी हानि आगे नहीं ले जा सकती। वैसे भी यह हानि पूरी करने के लिए आगे नहीं ले जाई जा सकती। अ अपनी 5,000 रु० की हानि को अपनी 25,000 रु० की अन्य आय से पूरा करेगा। इस प्रकार उसकी सकल आय 20,000 रु० हुई। ब अपनी पिछली व्यापार से हुई हानि को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि वह व्यापार बन्द हो चुका है, इस वर्ष की हानि भवन सम्पत्ति से सम्बन्धित होने के कारण आगे नहीं ले जायी जा सकती।

B. जब फर्म अनरजिस्टर्ड है—फर्म को यद्यपि हानि को आगे ले जाने का अधिकार प्राप्त है किन्तु सम्पत्ति से होने वाली हानि को आगे ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अ को अपने 25,000 रु० के लाभों पर आयकर देना होगा क्योंकि अनरजिस्टर्ड फर्म से होने वाली हानि को पूरा करने का अधिकार साझेदार को नहीं है।

उदाहरण (Illustration) 8 : एक फर्म में तीन साझेदार अ, ब तथा स हैं जिनका हिस्सा क्रमशः 4:3:1 है। 1985 वर्ष के लिए फर्म को निम्नलिखित राशियाँ घटाने के पश्चात् 32,000 रु० की शुद्ध हानि हुई :

		रु०
पूँजी पर ब्याज	अ	6,000
	ब	4,000
	स	2,000
वेतन	स	4,000

अ की अन्य साधनों से आय 25,000 रु० है जबकि ब तथा स की अन्य कोई आय नहीं है। बताइये कर-निर्धारण किस प्रकार होगा (i) जब फर्म पंजीकृत है तथा (ii) जब वह अपंजीकृत है।

हल (Solution) : Computation of Total Income

Net loss of the firm		—32,000
Add : Items not allowed –		
Interest on capital of partners	12,000	
Salary to Partner C	4,000	+16,000
Loss of the firm		—16,000

Allocation amongst partners	A Rs.	B Rs.	C Rs.
Interest on capital	6,000	4,000	2,000
Salary	—	—	4,000
Share of net loss	—16,000	—12,000	—4,000
Share in the firm	—10,000	—8,000	+2,000

कर-निर्धारण (Assessment)

i. **यदि फर्म पंजीकृत है**—अ अपनी अन्य आय 25,000 रु० से फर्म की हानि का भाग 10,000 रु० पूरा कर लेगा शेष 15,000 रु० की आय करयोग्य न्यूनतम सीमा से कम होने के कारण कर नहीं लगेगा। ब फर्म की हानि का अपना भाग 8,000 रु० आगे ले जाएगा और आगामी 8 वर्षों के व्यापारिक लाभ से पूरा कर सकेगा। स की कुल आय केवल 2,000 रु० है जो न्यूनतम कर योग्य सीमा से कम होने के कारण कर मुक्त है। फर्म अपनी हानि को आगे नहीं ले जा सकती।

ii. **यदि फर्म अपंजीकृत है**—फर्म अपनी 16,000 रु० की हानि को स्वयं आगे ले जायगी। साझेदार आगे नहीं ले जा सकते। अ अपनी 25,000 रु० की अन्य आय पर कर देगा। वह फर्म की हानि उससे पूरी नहीं कर सकता।

उदाहरण (Illustration) 9 : श्री अरविन्द मोहन जो कि तीन विभिन्न फर्मों में साझेदार हैं के द्वारा गतवर्ष 1985-86 से सम्बन्धित अपनी आय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया गया है, आप उनकी सकल कुल आय, कुल आय एवं कर दायित्व की गणना कीजिए :

अ) प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल) 20,000 रु० उद्‌गम स्थान पर काटा गया आयकर 4,000 रु०।

ब) भारत एण्ड कम्पनी से प्राप्त हुआ 5/8 वाँ हिस्सा—22,000 रु०। यह फर्म अनरजिस्टर्ड है।

स) एक रजिस्टर्ड फर्म आलम एण्ड कम्पनी से प्राप्त $\frac{1}{2}$ हिस्से की हानि 10,000 रु०।

द) सरदार एण्ड कम्पनी, जो रजिस्टर्ड फर्म है, $\frac{1}{3}$ भाग की हानि 8,000 रु०

इन्होंने इन सभी धनराशियों को अर्जित व प्रबन्ध करने के लिए एक कार्यालय रखा हुआ है, जिसके कर्मचारियों के लिए 3,000 रु० वेतन व बोनस आदि के रूप में व्यय हुआ है।

हल (Solution) : **Computation of Total Income**

	Rs.	Rs.
Interest on Securities		20,000
Loss from registered firms	—18,000	
Add : 2/3 of expenses on office	—2,000	—20,000
Profit from unregistered firm	22,000	
Less : 1/3 of office expenses	—1,000	21,000
Total Income		21,000

	Rs.
Tax on Total Income of Rs. 21,000	750
Less : Rebate from Tax for share of Profit in unregistered firm	750
Tax liability	Nil
Tax deducted at source	4,000
Tax to be refunded	4,000

टिप्पणी 1. करदाता की कुल आय चूंकि अनरजिस्टर्ड फर्म से प्राप्त हुई है अतः यह करमुक्त रहेगी क्योंकि 21,000 रु० की कुल आय पर जितना आयकर दायित्व होगा उतनी ही राशि के बराबर अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभों पर छूट प्राप्त हो जायेगी।

2. C.I.T. v. Ramniklal Kathari [1969] 74 I.T.R. 57 : यह निर्णय किया गया था कि करदाता द्वारा फर्मों से आय प्राप्त करने के लिये यदि कोई आवश्यक व्यय किये जाते हैं जैसे वेतन, बोनस, ह्रास आदि, तो इन व्ययों को फर्मों से प्राप्त लाभों में से समायोजित कर दिया जाता है।

3. Jamnadas Daga v. C.I.T. 41 I.T.R. 630 (SC) : रजिस्टर्ड फर्म की हानि को अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभों से पूरा नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी दशा में रजिस्टर्ड फर्म की हानि को साझेदार पूरा करने के लिए आगे ले जायेंगे। अनरजिस्टर्ड फर्म से हुए लाभ उसकी कुल आय में जोड़ेंगे तथा इन पर आयकर की औसत दर से छूट मिलेगी।

उदाहरण (Illustration) 10 : राम और श्याम एक अनरजिस्टर्ड फर्म के साझेदार हैं जो अपने लाभ हानि 1 : 1 के अनुपात में बाँटते हैं। 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले हिसाबी वर्ष में फर्म को 20,000 रु० का लाभ हुआ। साझेदारों की उसी अवधि की अन्य आयें निम्न थी :—

Ram and Shyam are partners in a unregistered firm sharing profits and loss in the ratio of 1 : 1. The firm earned a profit of Rs. 20,000 for the accounting year ending 31st March 1986.

The other taxable incomes of partners for the same period were :—

	राम (Ram) रु०	श्याम (Shyam) रु०
व्यापार से आय (Business income)	70,000	95,000
लाभांश सकल (Dividends gross)	14,000	9,000

निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए फर्म एवं साझेदारों द्वारा देय कर मालूम कीजिये। क्या आयकर अधिकारी फर्म का कर निर्धारण धारा 183 (b) के अन्तर्गत कर सकता है।

Find out the tax payable by the firm and its partners for the assessment year 1986-87. Can the I.T O. proceed to assess the firm as a registered firm u/s 183(b) ?

(*Raj. B. Com. Hons. Part II* 1984)

हल (Solution) :

1. If the firm is assessed as unregistered firm :

	Rs.
Tax payable by firm on first Rs. 18,000	Nill
Balance of Rs. 2,000 @ 25%	500
Tax Payable	500

Statement of Total Income of Partners

	Ram Rs.	Shyam Rs.
Profits of Business :		
Own Business	70,000	95,000
Share in Unregistered firm	10,000	10,000
Income from other sources :		
Dividends	14,000	9,000
Gross Total Income	94,000	1,14,000
Less : Deduction u/s 80L for Dividends	7,000	7,000
Total Income	87,000	1,07 000

Computation of Tax Payable by Ram and Shyam

	Ram Rs.	Shyam Rs.
Income Tax on Total Income	24,050	32,750
Less : Rebate of Tax at average rate on shares of unregistered firm	2764·40	3,061
Tax Payable	21285·6	29689.0
(Rounded off)	21286·0	29689 0

Total tax payable by the firm and its partners is Rs. 500+21,286+29,689= Rs. 51,475.

टिप्पणी :—आयकर की औसत दर की गणना

राम : $\frac{\text{देय आयकर}}{\text{कुल आय}} \times 100 = \frac{24,050}{87,000} \times 100 = 27·644$

औसतदर से छूट 10,000 रु० पर 27·644% से=2764·4

श्याम : $\frac{32,750}{1,07,000} \times 100 = 30·61\%$

औसतदर से छूट=10,000 रु० पर 30·61% से=3061

2. If the firm is assessed as a registered firm u/s 183 (b)

	Rs.
Tax payable by firm first Rs. 10,000	Nil
Balance of Rs. 10,000 @ 5%	500
Tax payable	500

Total Divisible Profits among partners is Rs. 20,000—500=Rs. 19,500

Share of Ram (1/2)=9,750
Share of Shyam (1/2)=9,750

Computation of Tax Payable by Ram and Shyam

	Ram Rs.	Shyam Rs.
Profits of own business	70,000	95,000
Share in registered firm	9,750	9,750
Dividends	14,000	9,000
Gross Total Income	93.750	1,13,750
Less : Deduction u/s 80L for Dividends	7,000	7,000
Total Income	86,750	1,06,750

Tax Payable by Ram & Shyam

	Rs.	Rs.
Income tax on Total Income	23.950	32,625
Tax Payable	23,950	32,625

Total tax payable by firm and partners is Rs. 500+23,950+32,625=57,075.

आयकर अधिकारी इस फर्म का कर निर्धारण धारा 183 (b) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड फर्म की तरह करेगा। ऐसी परिस्थिति में जब अनरजिस्टर्ड फर्म एवं उसके साझेदारों द्वारा देय कुल आयकर रजिस्टर्ड फर्म एवं इसके साझेदारों द्वारा देय कुल आयकर से कम है तो ऐसी अनरजिस्टर्ड फर्म का कर निर्धारण रजिस्टर्ड फर्म की भाँति किया जाता है।

फर्म के संगठन में परिवर्तन
(Change in constitution of the firm)

संगठन में परिवर्तन से आशय : धारा 187 (2) के अनुसार फर्म के संगठन में परिवर्तन माना जाता है यदि,

अ) एक या एक से अधिक साझेदार साझेदारी छोड़ दें, अथवा एक या एक से अधिक नये साझेदार बन जावें तथा ये परिवर्तन ऐसी परिस्थितियों में हों जबकि पुराने साझेदारों में से कम से कम एक साझेदार परिवर्तन के बाद में भी चलता रहे,

ब) साझेदारों में परिवर्तन न हो, किन्तु इनके परस्पर लाभ हानि के अनुपातों में परिवर्तन अवश्य हो गया हो।

कर निर्धारण—आयकर अधिनियम की धारा 187 (1) के अनुसार कर-निर्धारण के समय फर्म का जो संगठन रहता है उसी पर आयकर-निर्धारण किया जाता है। किन्तु गतवर्ष की आय उन सभी साझेदारों में बाँट देते हैं, जिन्हें उस आय को प्राप्त करने का अधिकार मिला हुआ था। किसी साझेदार से यदि आयकर की वसूली नहीं हो सकी है तो कर की ऐसी राशि फर्म से वसूल की जा सकती है।

साझेदार की मृत्यु—मृत साझेदार के सम्बन्ध में निम्न बातें ध्यान में रखने योग्य हैं—

1. मृत साझेदार के अपने जीवन काल में उपार्जित आय पर यदि कुछ आयकर बाकी है तो वह इसके वैध उत्तराधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है।

2. न चुकाये गये आयकर के सम्बन्ध में उत्तराधिकारी का वही दायित्व होता है जो कि जीवित रहने की स्थिति में मृत व्यक्ति का होता है। किन्तु उत्तराधिकारी का यह दायित्व केवल उस रकम तक ही सीमित रहता है जितनी रकम की सम्पत्ति उसे मृत व्यक्ति से विरासत में मिली है।

3. मृत व्यक्ति यदि किसी फर्म का साझेदार था उसने अपने जीवनकाल में फर्म से प्राप्त होने वाले लाभों पर आयकर का भुगतान नहीं किया है तो मृत व्यक्ति के जीवन काल में कर निर्धारण की कार्यवाही प्रारम्भ हुई हो अथवा नहीं उसके उत्तराधिकारी को आयकर देना ही होगा।

4. अवकाश ग्रहण करने वाले अथवा मृत साझेदार का फर्म की हानि में यदि हिस्सा है तो यह हानि इसी साझेदार की अन्य आय से पूरी की जा सकती है किन्तु इसे आगे नहीं ले जाया जा सकता।

उदाहरण (Illustration) 11 : रमेश, महेश और सुरेश एक स्टेशनरी की पंजीकृत फर्म में जो क्रमशः 1/2 : 1/4 : 1/4 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते थे। 8 माह बाद सुरेश ने फर्म को छोड़ दिया और दिनेश ने उसका स्थान साझेदार के रूप में ले लिया। समायोजित लाभ हानि का अनुपात 2 : 1 : 1 : है :

30 जून 1985 को समाप्त होने वाले गतवर्ष के लिए खाता पुस्तकों ने 16,000 रु० का लाभ प्रदर्शित किया। पुस्तकीय लाभ निम्नलिखित को घटाने के बाद किया गया है :

(i) रमेश को ब्याज का भुगतान किया गया 4,000 रु०;

(ii) महेश को वेतन चुकाया 6,000 रु०;

(iii) सुरेश को दुकान किराया चुकाया 3,000 रु०;

(iv) दिनेश को कमीशन दिया 1,500 रु०;

(v) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष को 5,000 रु० दान दिया।

फर्म की कुल आय की गणना कीजिये और उसका विभाजन साझेदारों में कीजिये।

(राज. बी. कॉम. 1986)

Ramesh, Mahesh and Suresh was partners in a registered firm of Stationery sharing profits and losses in ratio of $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ and $\frac{1}{4}$ respectively. After 8 months Suresh left and Dinesh was taken in his place, the proportion of profit and loss being adjusted to 2: 1. 1 respectively For the previous year ending 30th June, 1985 the account books disclosed a profit of Rs. 16,000.

The book profit has been worked out after debiting

(i) Rs. 4,000 interest paid to Ramesh.

(ii) Rs. 6,000 salary paid to Mahesh.

(iii) Rs. 3,000 shop rent paid to Suresh.

(iv) Rs. 1,500 Commission paid to Dinesh.

(v) Rs. 5,000 donation to National Defence fund.

Compute the total income of the firm and allocate it against the partners.

हल (Solution) :

Statement of Total Income of Firm For the Assessment year 1986-87

		Rs.
Profit as per books of accounts		16,000
Add : Expenses disallowed	Rs.	
Interest paid to Ramesh	4,000	
Salary paid to Mahesh	6,000	
Commission paid to Dinesh	1,500	
Donation to National Defence fund	5,000	16,500
Gross Total Income		32,500
Less : Deductions :		
Donations (80G) (50% of 5,000)		2,500
Total Income		30,000

Allocation of Firm's Income among the Partners

	Ramesh	Mahesh	Suresh	Dinesh
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Interest	4,000		—	—
Salary	—	6,000		
Commission	—	—		
Balance of Business Income			—	1,500
for 8 months (Rs. 12,333)	6,167	3,083	3,083	—
for 4 months (Rs. 6,167)	3,083	1,542	—	1,542
Share in Firm's Income	13,250	10,625	3,083	3,042

टिप्पणी :— फर्म की कुल आय 30,000 रु० में से साझेदारों को वेतन, ब्याज एवं कमीशन की राशियाँ 11,500 रु० कम करने के वाद शेष वची आय 18,500 रु० को नये साझेदारों के प्रवेश के पूर्व एवं पश्चात् की अवधि के अनुपात 8 : 4 में बाँटकर साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में वाँटी गई।

एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म का लिया जाना – धारा 188 के अनुसार जव एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म अपने में मिला ली जाती है तो ऐसी स्थिति में फर्म के दो कर-निर्धारण होते हैं, एक कर-निर्धारण स्वामित्व के हस्तांतरण के पूर्व उपार्जित आय के लिये व दूसरा स्वामित्व के हस्तान्तरण होने के बाद मे उपार्जित हुई आय के लिये होता है। प्रथम कर-निर्धारण में कर दायित्व का भुगतान पुरानी फर्म द्वारा तथा दूसरे कर-निर्धारण में आयकर का भुगतान, नवीन फर्म द्वारा किया जाता है।

फर्म का विघटन (Dissolution of the firm)

1. धारा 189 के अनुसार जब फर्म द्वारा संचालित व्यापार अथवा पेशा बन्द हो जाता है अथवा यदि फर्म का विघटन होता है तो आयकर अधिकारी ऐसी फर्म की कुल आय का निर्धारण इस प्रकार से करता है जैसे कि फर्म में ऐसा कोई परिवर्तन आदि नहीं हुआ है।

2. आयकर अधिकारी अथवा अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर को ऐसी फर्म के द्वारा किये गये अपराधों का पता चल जाता है तो वे निर्धारित अर्थदण्ड भी इस फर्म पर लगा सकते हैं।

3. फर्म के आयकर सम्बन्धी सभी दायित्वों के चुकाने का पूरा दायित्व उन व्यक्तियों का है जो इसके समापन अथवा विघटन के समय साझेदार थे।

4. मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी भी आयकर की रकम चुकाने के लिये बाध्य होता है बशर्ते कि यह दायित्व उसी रकम तक है जितनी रकम की सम्पत्ति मूल व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई है।

5. फर्म के विघटन के समय यदि आयकर-निर्धारण की सुनवाई आयकर अधिकारी द्वारा हो रही हो तो विघटन से इस सुनवाई में जरा भी अन्तर नहीं पड़ता तथा कर-निर्धारण की सभी कार्यवाही पूर्ववत चलती रहतीं हैं।

व्यक्तियों का अन्य समुदाय (Association of Persons)

जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आय प्राप्त करने व लाभोपार्जन के उद्देश्य से सम्मिलित होकर एक संगठित इकाई बना लें तो इसे व्यक्तियों का समुदाय कहते हैं। परन्तु यह समुदाय ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे हिन्दू अविभाजित परिवार, फर्म, कम्पनी स्थानीय सत्ता आदि समझा जा सके। उद्देश्य लाभोपार्जन अवश्य ही होना चाहिए: आयकर की दृष्टि से ऐसे समुदाय की स्थिति एक व्यक्ति की भाँति होती है अर्थात् उसे उन्हीं दरों से आयकर देना पड़ता है जो व्यक्ति पर लागू होती हैं। ऐसे समुदाय के सदस्यों का व्यक्तिगत कर-निर्धारण करते समय समुदाय से प्राप्त लाभ का भाग उनकी व्यक्तिगत आय में जोड़ दिया जाता है। यदि ऐसे समुदाय ने अपनी आय पर कर दिया है तो सदस्यों को आय के अपने हिस्से पर आयकर की औसत दर से अनरजिस्टर्ड फर्म से प्राप्त लाभों की तरह छूट दी जाती है। यदि ऐसे समुदाय की आय पर कर नहीं लगा है तो छूट प्राप्त नहीं होगी।

परीक्षा प्रश्न (Test Questions)

1. फर्मों के कर-निर्धारण पर एक टिप्पणी लिखिये।
   Write a short note on assessment of firms. *(Kurukshetra B. Com. 1975)*

2. पंजीकृत फर्म तथा अपंजीकृत फर्म के कर-निर्धारण में अन्तर समझाइये।
   Explain the difference between the assessment of a registered and unregistered firm, *(Kurukshetra B. Com., 1976 and 1977 and Lucknow B. Com. 1975)*

3. आयकर के दृष्टिकोण से एक रजिस्टर्ड फर्म के क्या लाभ हैं समझाइये।
   What are the advantages of a registered firm from the income-tax point of view? *(Punjab B. Com. 1977and Delhi B Com. 1975)*

4. किसी रजिस्टर्ड फर्म तथा किसी अनरजिस्टर्ड फर्म की हानियों की पूर्ति तथा उनको आगे ले जाने के प्रावधानों में क्या अन्तर है?
   What is the difference between provision of set-off and carry forward and set-off of losses of registered and unregistered firm.

5. फर्मों के कर-निर्धारण के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान क्या हैं? रजिस्टर्ड फर्म का कर-निर्धारण अनरजिस्टर्ड फर्म से किस प्रकार भिन्न होता है? किन परिस्थितियों में अनरजिस्टर्ड फर्म को रजिस्टर्ड माना जा सकता है?
   What are the distinguishing features of set-off and carry forward of losses of a registered firm and unregistered firm treated as registered and unregistered firm assessed as such? *(Punjab B. Com. 197*

6. किन दशाओं में आयकर अधिकारी द्वारा फर्म का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है?
   In what circumstances can the ITO cancel the registration of a firm? *(Delhi B. Com. 19*

7. आयकर विशेषज्ञ होने के नाते आपका मुवक्किल आपकी राय लेने आया है कि वह अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कराये अथवा नहीं। आपकी क्या सलाह है और आप अपनी सलाह के पक्ष में क्या दलीलें देंगे ?

As an Income-tax expert, you are approached by your client for a considered opinion as to whether he should register his firm or not. What is your advice and what arguments would you give in support of your advice ?

(Agra B. Com. 1977)

क्रियात्मक प्रश्न (Practical Questions)

1. ABC कम्पनी एक रजिस्टर्ड फर्म जिसमें अ ब तथा स 2:3:5 के अनुपात में हानि व लाभ के लिये साझेदार हैं। 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये फर्म का लाभ 1,20,000 रु० है जो निम्नलिखित राशियों को घटाने के बाद आया है ;

i) अ को वेतन 18,000 रु०,
ii) ब को ब्याज 6,000 रु०,
iii) स को किराया 8,000 रु०,

फर्म की कुल आय की गणना कीजिए व यह बताइये कि इसे साझेदारों में कैसे विभाजित किया जायेगा।

A B C & Co., is a registered firm with A, B and C as partners who share profits and losses in the ratio of 2 : 3 : 5.
The P. & L. A/c of the firm the year ended 31st March, 1986 disclosed a net profit of Rs. 1,20,000. The net profit was arrived at after deducting the following ;

a) Salary to A Rs. 18,000,
b) Interest to B Rs. 6,000, and
c) Rent to C Rs. 8,000.

Compute the taxable income of the firm and of each partner assuming that they had no other source of income. *(Punjab B. Com. 1980)*

2. राम, मोहन व हरी एक फर्म में 4:3:1 के अनुपात में साझेदार हैं। सम्बन्धित गतवर्ष के लिये फर्म का लाभ हानि खाता 20,000 रु० की हानि दिखाता है जो निम्नलिखित रकमों को लाभ-हानि खाते में डेबिट करने के बाद आई है।

पूँजी पर ब्याज : राम 4,000 रु०, मोहन 3,000 रु० व हरी 2,000 रु०,
वेतन : राम 1,300 रु०, मोहन 800 रु० व हरी 2,000 रु०,

राम को अन्य स्रोतों से करयोग्य आय 8,000 रु० होती है जबकि मोहन व हरी को कोई अन्य आय प्राप्त नहीं होती।

फर्म एवं साझेदारों की आय ज्ञात कीजिये यदि फर्म (i) रजिस्टर्ड है अथवा (ii) अनरजिस्टर्ड है।

1. Ram, Mohan and Hari are three partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 4 : 3 : 1. The Profit and Loss Account of the firm for the relevant previous year shows a net loss of Rs. 20,000 after charging the following items :

Interest on capital :

Ram Rs. 4,000, Mohan Rs. 3,000 and Hari Rs. 2,000.

Salary:

Ram Rs. 1,300, Mohan Rs. 800 and Hari Rs. 2,000.

Taxable income of Ram from other sources was Rs. 8,000 while Mohan and Hari had no other income.

Explain how assessment would be made (a) when the firm is registered and (b) when it is unregistered. *(BHU. B. Com., 1971)*

3. राधिका, रुकमणि एवं मीरा एक रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्री में लाभों को 1:2:1 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। 31 मार्च 1986 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ-हानि खाता इस प्रकार है।

Radhika, Rukmani and Meera are partners in a garment factory sharing profits and losses in the proportion of 1 : 2 : 1 respectively. The P & L Account of the firm for the year ended 31st March, 1986 is as follows :—

	Rs.		Rs.
Office Salaries	20,000	Gross Profit	80,000
Rent	5,500	Sundry Receipts	5,000
General Expenses	15,000	Discount	5,000
Interest on capital :		Interest on Drawing of Radhika	2,000
Radhika	6,000		
Rukmani	3,000		
Meera	4,000		
Salary to Rukmani	5,000		
Commission to Meera	3,000		
To Net Profit	31,000		
	92,000		92,000

फर्म की कुल आय एवं कर दायित्व की गणना कीजिये एवं कुल आय को साझेदारों में बाँटिये।

Compute the total income of the firm and allocate total income amongst the partners. *(Punjab B. Com. modified)*

4. अ, ब और स एक रजिस्टर्ड फर्म में साझेदार हैं जो मशीनों के पुर्जों का व्यवसाय करती है वे हानि व लाभ को 4:3:3 में बांटते हैं।

31 मार्च 1986 को समाप्त हुए गतवर्ष का लाभ-हानि खाता 41,250 रु० का लाभ दर्शाता है जो साझेदारों के निवास स्थान के लिये 4,500 रु० का किराया देने के बाद में ज्ञात किया गया है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित राशियाँ भी लाभ हानि खाते में दिखाई गई हैं।

	अ	ब	स
वेतन	2,600	—	1,800
पूंजी पर ब्याज	1,000	900	600
बोनस	1,300	—	900
आयकर	900	750	650

कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये फर्म की कुल आय की गणना कीजिए व इसे साझेदारों में बांटिये।

A, B and C are partners in a registered firm carrying on the business of machinery spare parts They divide the profits and losses in the ratio of 4 : 3 : 3.

The profit and loss account of the firm for the year ended 31st March 1986 showed a net profit of Rs. 41,250 after being debited with a sum of Rs. 4,500 towards rent paid for the partners's residence. Besides the above, the following amount were also debided to the Profit and Loss Account :

	A Rs.	B Rs.	C Rs.
Salary	2,600	—	1,800
Interest on Capital	1,000	900	600
Bonus	1,300	—	900
Income Tax	900	750	650

Compute the Income from business of the firm for the assessment year 1986-87 and allocate the same amongst the partners. *(Bangalore B. Com. 1979)*

5. अ, ब और स ABC कम्पनी में साझेदार हैं। यह दवायें बनाने व बेचने का व्यापार करती हैं। साझेदार लाभ-हानि को बराबर-बराबर बांटते हैं: 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये फर्म के लाभ-हानि खाते में 3,00,000रु० का लाभ दिखाया गया है। यह निम्नलिखित राशियों को डेबिट करने के बाद आती है।

a. अ रसायन शास्त्री हैं व इन्हें लेबोरेटरी के इन्चार्ज के रूप में काम करने के लिये 6,000 रु० वेतन स्वरूप दिये गये है:

b. 3,000 रु० गोदाम के किराये के लिये स को दिये गये हैं। क्योंकि वे गोदाम के स्वामी हैं। गोदाम में फर्म की दवाइयाँ आदि भरी रहती हैं।

c. 1 अक्टूबर को 25,000 रु० के वैज्ञानिक उपकरण खरीदे गये हैं जो फर्म के उत्पादन की किस्म सुधारने से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये आवश्यक हैं।

d. कम्पनी के ट्रेडमार्क का किसी अन्य फर्म द्वारा अवैधानिक इस्तेमाल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई जिस पर 1,500 रु० व्यय हुआ।

सम्बन्धित गतवर्ष के लिये आयकर अधिकारी द्वारा फर्म को रजिस्टर्ड कर लिया गया है। फर्म की कुल आय का निर्धारण कीजिये व इसे साझेदारों में बाँटिये।

5. A,B,C are the partners fo a firm styling as A B C & Company. It Carries on the business of manufacture and sale of pharmaceutical products. The partners share profits and losses equally. The Profit and Loss Account of the firm for the year ended 31st March, 1936 disclosed a net profit of Rs. 3,00,000 only. This was arrived at after debiting *Inter alia* the following expenses.

a) Rs 6.000 paid as salary to partner, A who is a chemist and was incharge of the firm's laboratory.
b) Rs. 3,000 paid as rent to C for a godown owned by him and used by the firm for storing raw material and finished products.
c) Rs.25,000 paid as the cost of scientific instruments purchased on 1st October for the firm's laboratory set up for carrying out research for improving the quality of firm's products and finding out a cure for insanity and other mental deseases.
d) Rs. 1,500 incurred as law charges in connection with a suit instituted by the firm against the Chemicals Limited for infringing the firm's trade mark.

The firm has been registered by the ITO under the IT Act for the relevant Assessment year.

Compute the total income of the firm giving reasons for any adjustment that you may consider necessary in making the computation. Also allocate the total income of the firm among the partners :

6. मैसर्स कुलकर्णी एवं नादकर्णी की रजिस्टर्ड फर्म में 31 दिसम्बर 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में 6,800 रु० की हानि का नक्शा दाखिल किया। इस हानि का निर्धारण करते समय फर्म ने निम्नलिखित खर्चों एवं हानियों को लाभ-हानि खाते से चार्ज किया :

a. पूँजी पर ब्याज : कुलकर्णी 6,400 रु०, नादकर्णी 4,400 रु०।
b. कुलकर्णी के मकान के निर्माण को लिए गये ऋण पर ब्याज 3,600 रु०।
c. नादकर्णी के गोदाम का किराया जो व्यापार के लिए काम आता है 2,400 रु०।
d. डूबत ऋण जो कुलकर्णी के भतीजे को दिये गये अस्थायी ऋण के है 1,500रु०।
e. व्यवसाय के संदिग्ध ऋणों के लिये संचय 2,000 रु०।

लाभ-हानि खाते में अंशों के बेचने से लाभ 1,900 रु०। (अंश 6 वर्ष पूर्व से विनियोग के रूप में रखे गये हैं), घोषित किन्तु न प्राप्त हुए लाभांशों के 1,600 रु० एवं 812 रु० प्राप्त बट्टे के सम्मिलित हैं। आयकर अधिकारी द्वारा रोकड़ बही की छानबीन करने पर 3,000 रु० की रोकड़ जमा (Cash Credit) पायी जिसके स्रोत के बारे में साझेदार कोई सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके :

आप फर्म की कुल आय की गणना कीजिये इसे साझेदारों में बाँटिये।

A registered firm of M/s Kulkarni and Nandkarni has returned a net loss of Rs. 6,800 for their accounting year ended on 31st Dec. 1985. In ascertaining this loss the firm has charged the Profit and Loss account with the following expenses and losses .

a) Interest on capital : Kulkarni Rs. 6,400
Nadakarni Rs. 4,400
b) Interest on Bank loan for construction of Kulkarni's house Rs. 3,600.
c) Rent on godown belonging to Nandkarni used for business Rs. 2,400.
d) Bad Debts being temporary loan given to Kulkarni's nephew Rs. 1,500.
e) Reserve for doubtful debts for the business Rs. 2,000.

The Profit and Loss account also included profit on sale of shares (held as investment since 6 year) Rs. 1,900, dividend not received Rs. 1,600 and discount received Rs. 812. A scrutiny of cash book by the ITO has revealed a cash credit of Rs. 3,000 for which the partners cannot give satisfactory explanation regarding the the source of the purpose.

You are required to compute the taxable income of the firm and allocate the same between partners. *(Karnatak B. Com., 1980)*

7. 'ब' और 'स' वकीलों की पंजीकृत फर्म में साझेदार हैं। वे अपने कर-निर्धारण के सन्दर्भ में निम्नलिखित सूचना देते हैं।

व्यवसाय से लाभ (ब को 10,000 रु० वेतन देने के बाद) रु० 90,000। साझेदारों की अन्य आय इस प्रकार है :

		रु०
'ब'—	स्टॉक एक्सचेंज में सूचियत ऋणपत्रों पर ब्याज (सकल)	10,000
	किराया प्राप्त हुआ	12,000
'स'—	सट्टे से हानि	—18,000
	सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज	25,000

फर्म का कर-दायित्व निकालिये व दोनों साझेदारों की कुल आय की गणना कीजिए।

B and C are partner in a registered firm of Advocates. They submit following information regarding their assessments :

Business Profit (after charging salary of B Rs. 10,000) Rs. 90,000. Other Income of Partners are :

		Rs
B—	Interest on debentures listed in stock exchange (Gross)	10,000
	Rent received	12,000
C—	Loss from speculation	—18,000
	Interest on Tax free Govt. Securities	25,000

Compute Tax Liability of firm and Total Income of Partners

(B.H.U. B. Com. 1981)

8. श्री एवं श्रीमती भास्कर एवं श्रीमती चन्द्रन एक व्यवसाय करने वाली फर्म के साझेदार हैं। फर्म आयकर के उद्देश्य से पंजीकृत है। साझेदार लाभ-हानि का निम्न प्रकार से विभाजन करते हैं :

Mr. and Mrs. Bhaskar and Mrs. Chander are partners in a firm doing business. Their firm has been registered for income-tax purpose. They share the profits and losses in the following ratios :

a)	Mrs. Bhaskar	40%
b)	Mrs. Bhaskar	20%
c)	Mrs. Chandran	20%
d)	Master Ram (Minor son of Bhaskar)	10%
e)	Master Srikant (Minor son of Mrs. Chander)	10%

अन्तिम दोनों साझेदार साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारी के हितों में सम्मिलित किये गये हैं।

फर्म के लाभ-हानि खाते के अनुसार 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फर्म का शुद्ध लाभ 10,000 रु० था। इसमें 12,000 रु० का अल्पकालीन पूँजी लाभ और निम्न मदों का समायोजन भी सम्मिलित है।

a. मिस्टर भास्कर को 3,600 रु० व मास्टर राम को 1,200 रु० वेतन के दिये थे। यह दोनों फर्म के व्यवसाय में सक्रिय रूप में कार्य करते हैं।

b. श्रीमती चन्द्रन को उसके भवन, जो फर्म के व्यवसाय के कार्य में आता है के किराये के बदले में 4,800 रु० दिये गये हैं। श्रीमती चन्द्रन ने 800 रु० नगरपालिका कर एवं 6% वसूली व्यय के चुकाये।

c. श्रीमती भास्कर व मास्टर श्रीकांत के पूँजी खाते में क्रमशः 2,500 रु० व 1,250 रु० ब्याज में जमा किये गये हैं:

d. पूजा व्यय के सम्बन्ध में 100 रु० व साझेदारी संलेख के सम्बन्ध में 125 रु० व्यय किये गये हैं।

1986-87 निर्धारण वर्ष के लिये फर्म की कुल आय की गणना कीजिये तथा साझेदारों के मध्य आय का विभाजन कीजिये।

The last two have been admitted to the benefits of partnership, according to the partnership deed.

The net profit, as per the firm's Profit and Loss Account for the year ending 31st March, 1985 was Rs. 10,000 which includes short-term capital gains of Rs. 12,000 and of the followings items.

a) Salary of Rs. 3,600 to Shri Bhasker and Rs. 1,200 paid to Master Ram both of whom were actively engaged in the business.

b) Rent of Rs. 4,800 was paid to Mrs. Chandran for her building occupied by the firm. She paid the Municipal taxes of Rs. 800 herself and incurred collection expenses at 6%.

c) Interest of Rs. 2,500 and Rs. 1,250 were respectively credited to the capital accounts of Mrs. Bhasker and Master Srikant.

d) Expenses include Rs. 100 for Pooja and Rs. 125 for stamp Paper for the partnership deed.

Determine the total income of the firm and show the allocation of its income among the partners. For the assessment year 1986-87.

9. एक अनरजिस्टर्ड फर्म का लाभ 21,000 रु० तथा इसके साझेदार श्री आनन्द तथा श्री विजय लाभ-हानि बराबर-बराबर विभाजित करते हैं। उनकी अन्य आयें क्रमशः 50,000 रु०, 80,000 रु० हैं: कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए फर्म और साझेदारों द्वारा देय कर की राशियाँ ज्ञात कीजिये। अपने उत्तर के समर्थन में सम्पूर्ण गणना दीजिये।

The profits of an unregistered firm are Rs. 21,000 and its partners Shri Anand and Shri Vijay share profit and losses equally. Their other incomes are Rs. 50,000 and Rs. 80,000 respectively. Find out the tax payable by the firm and its partners for the assessment year 1986-87. Give full calculations of your answer.

Rajasthan B. Com. 1977

10. अनिल, सुनील और मोन्टू जो साझेदार है क्रमश: $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{4}$: $\frac{1}{4}$ के अनुपात में लाभ-हानि विभाजित करते हैं। अक्टूबर 1, 1985 से मोन्टू फर्म का साझेदार नहीं रहा और अन्य साझेदार अपने लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन किये बिना व्यापार चालू रखते हैं।

31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फर्म के शुद्ध लाभ 24,000रु० के थे जिनमें से अनिल को 3,600रु०, सुनील को 3,000रु० तथा मोन्टू को 1,500रु० का वेतन दिया गया एवं अनिल, सुनील मोन्टू को दिया गया पूंजी पर ब्याज क्रमशः 1,400, 1,000 व 500 रु० घटा दिया गया है।

फर्म एवं साझेदारों की कुल आय की गणना कीजिये, यदि फर्म अनरजिस्टर्ड है। साझेदारों की निजी आय इस प्रकार है:

अनिल 20,000 रु०, सुनील 10,000 रु० तथा मोन्टू 5,000 रु०।

Anil, Sunil and Montu who are partners, share profit in the proportion 1/2 : 1/4 and 1/4 respectively, Montu ceased to be a partner with effect from 1st October. 1985 and the others partners continued the business without changing their proportion of sharing profits.

The net profit of the firm for the year ended 31st ended March, 1985 amounted to Rs. 24,000 after charging salary of Rs. 3,600 for Anil Rs. 3,000 for Sunil and Rs. 1,500 for Montu and interest on capital Rs. 1,400 for Anil Rs. 1,000 for Sunil and Rs. 500 for Montu

Compute the total income of the firm and partners if the firm is unregistered. The personal income of the partners is as follows :

Anil Rs. 20,000: Sunil Rs. 10,000; Montu Rs. 5,000.

11. अ, ब, स एवं द एक फर्म के लाभ हानि को 30%, 25%, 25% एवं 20% के अनुपात में बांटते हुऐ साझेदार थे। 6 माह पश्चात् द फर्म को छोड़ देता है एवं ई को फर्म में सम्मिलित कर लिया जाता है। ई के पश्चात् लाभ-हानि बराबर बराबर समायोजित कर दिये गये।

कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 से सम्बन्धित गतवर्ष में फर्म के लाभ 1,20,000 रु० थे जिसमें प्रतिभूतियों पर प्राप्त शुद्ध ब्याज के 6,000 रु० एवं अ के पूंजी खाते के डेबिट शेष पर चार्ज किये गये ब्याज के 3,000 रु० सम्मिलित थे लाभों की गणना निम्नलिखित मदों को डेबिट करके की गई है:

a. ब को पूंजी खाते पर ब्याज 4,000 रु०
b. स एव द को वेतन कमशः 1,200 एवं 6,000 रु०
c. द को चुकाया गया किराया 5,000 रु०
d. ई को दिया गया कमीशन 24,000 रु०
e. अनुमोदित संस्थाओं को दान एवं धर्मादा 6,000 रु०

फर्म की कुल आय की गणना कीजिये।

A, B, C and D were partners in a firm sharing profits and loss in the ratio of 30%, 25% 25% and 20% respectively. After six months D left the firm and E was taken and the profit ratios were adjusted to be equal.

The profits of the firm for the previous year relevant to the assessment year 1986-87 amount to Rs. 1,20,000 which included net interest of Rs. 6,000 on securities and interest of Rs. 3,000 charged to A on his debit balance. The profit has been arrived at after debitingthe following :

a) Interest paid to B on his capital account Rs. 4,000

b) Salary paid to C and D Rs. 1,200 and 6,000 respectively.
c) Rent of Rs. 5,000 paid to D.
d) Commission of Rs. 24,000 paid to E.
e) Donations and Charities Rs. 6,000.

Compute the total income of the firm and allocate the same amongst partners.
(*Madras B. Com. 1981*)

उत्तर—

अध्याय 15—(फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय का कर-निर्धारण)

1. कुल आय 1,44,000 रु० साझेदार 'अ'—37,888 रु०, 'ब'—35,832 रु०, 'स'—49,720रु० ।
2. रजिस्टर्ड—कुल आय=फर्म—शून्य, राम—3,300 रु० मोहन—शून्य हरि—1,500 रु० (फर्म को हानि 6,900 जिसे साझेदारों में विभाजित कर दिया गया तथा मोहन को हानि—3,700 रु० जिसे आगे ले जाया गया । अनरजिस्टर्ड—फर्म की हानि 6,900 रु० (जिसे आगे ले जाया जायेगा), राम की कुल आय—8,000 रु० मोहन—शून्य तथा हरि—शून्य ।
3. कुल आय 50,000 रु०, देय कर 9,250 (अनरजिस्टर्ड फर्म के रूप में) राधिका—11,750 रु०, रुक्मणी—23,500 रु०, तथा मीरा—14,750 रु० ।
4. कुल आय—57,150 रु०, अ. 22,691 रु०, ब—14,243 रु० तथा स—16,643 रु० (साझेदारों के आयकर का फर्म द्वारा भुगतान आहरण माना गया है) ।
5. कुल आय 3,06,000 रु०, अ—88,186 रु०, ब—82,187 रु० तथा स—82,187 रु० ।
6. कुल आय 12,200 रु०, कुलकर्णी—7,045 रु० तथा नादकर्णी 5,045 रु० ।
7. फर्म का देयकर—8,850 रु० साझेदारों की कुल आय—ब—70,575 रु० तथा स—58,575 रु० ।
8. कुल आय—18,680 रु०, भास्कर—7,457 रु०, श्रीमती भास्कर 4,429रु० श्रीमती चन्द्रन—1,928 रु०, राम 2,164 रु० एवं श्रीकांत—2,214 रु० । (श्रीमती भास्कर एवं राम की फर्म से आय श्री भास्कर के हाथों में करयोग्य होगी एवं श्रीकांत की आय श्रीमती चन्द्रन की आय के रूप में)
9. देय-कर (फर्म द्वारा रजिस्टर्ड फर्म के रूप में) 550 रु०, साझेदारों द्वारा देय-कर=आनन्द—13,342 रु०, विजय 25,342 रु० ।
10. कुल आय (फर्म) 35,000रु०, साझेदारों की कुल आय=अनिल 39,000रु०, सुनील 21,000 तथा मोन्टू 10,000 रु० ।
11. कुल आय (फर्म) 1,59,700 रु०, साझेदारों का भाग=अ—34,238 रु०, ब—35,125 रु०, स—32,325 रु०, द—18,450 रु०, ई—39,562रु० ।

16

हिन्दू अविभाजित परिवार

(Hindu Undivided Famil)

आयकर अधिनियम में करदाताओं के अन्तर्गत हिन्दू अविभाजित परिवार का एक पृथक अस्तित्व है व इसे भी व्यक्ति की तरह अपनी आय पर प्रगतिशील दरों से आयकर देना होता है। कर-निर्धारण के समय यह ध्यान नहीं रखा जाता कि परिवार की आय का विभाजन इसके सदस्यों के बीच में किस प्रकार होता है। इसका कारण यह है कि हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्यों के हाथ में परिवार से मिली आय करयोग्य नहीं है। आयकर के उद्देश्य से जैन व सिख परिवार भी हिन्दू परिवार के अन्तर्गत आते हैं।

हिन्दू विधि (Hindu Law) में संयुक्त परिवार—हिन्दू विधि के अनुसार संयुक्त परिवार में किसी एक ही पूर्वज के ही वंशज रहते हैं। इसमें विधवा व अविवाहित पुत्रियाँ भी शामिल हैं, पुत्री के विवाह हो जाने पर वह अपने पिता के परिवार की सदस्य न रहकर अपने पति के परिवार की सदस्य बन जाती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो हिन्दू धर्म में आस्था रखता है तथा जो अपने ही पूर्वज के वंशजों के साथ सम्मिलित रूप में रहता है, संयुक्त परिवार के अन्तर्गत आता है।

हिन्दू विधि के सम्प्रदाय (School of Hindu Law)

हिन्दू विधि के अनुसार हिन्दू परिवारों के नियंत्रण से सम्बधित दो प्रमुख समुदाय हैं—मिताक्षरा एवं दायभाग।

1. मिताक्षरा (Mitakshara)—यह सम्प्रदाय बंगाल, आसाम तथा उड़ीसा के कुछ भागों को छोड़कर सारे भारत में प्रचलित है। इसके अन्तर्गत पुत्र का जन्म होते ही उसे अपने पिता के साथ पूर्वजों से प्राप्त सम्पत्ति में समान अधिकार प्राप्त होता है। उसे वयस्क होने पर परिवार के विभाजन की माँग का पूरा अधिकार है। यही कारण है कि परिवार की सम्पत्ति में परिवार के सदस्यों का हित सदैव ही अनिश्चित रहता है, क्योंकि प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु पर इन हितों में परिवर्तन अवश्यम्भावी है।

2. दायभाग (Dayabhag)—यह सम्प्रदाय केवल बंगाल, आसाम तथा उड़ीसा के भागों में ही प्रचलित है। इसके अन्तर्गत पुत्र को अपने जन्म के साथ ही किसी भी प्रकार की सम्पत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। पैतृक सम्पत्ति पिता के जीवन काल में उन्हीं के पूर्ण स्वामित्व व अधिकार में रहती हैं। पुत्र को इस सम्पत्ति में किसी भी अधिकार की प्राप्ति पिता की मृत्यु पर ही होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिता द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति में यह अधिकार नियोजित अनुपात में मिलता है समान रूप में नहीं। चूंकि सम्पत्ति में किसी भी अन्य सदस्य का कोई अधिकार नहीं

होता अतः पिता ही पूर्ण स्वामी होते हैं तथा उन्हें व्यक्ति की हैसियत से आयकर देना पड़ता है।

उदाहरण के लिए श्री केशव के पास व्यापार एवं भवन सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति के रूप में है। उनके तीन पुत्र हैं। मिताक्षरा सम्प्रदाय के अन्तर्गत इन सभी का इस सम्पत्ति में बराबर का अधिकार होगा। अन्य शब्दों में यदि सम्पत्ति का विभाजन हो तो इन चारों को इसमें बराबर का हिस्सा मिलेगा। जहाँ तक श्री केशवदेव द्वारा अर्जित की गयी अपनी निजी सम्पत्ति का प्रश्न है वे इसके स्वामी स्वयं ही होंगे, तथा तीनों ही पुत्रों का इसमें कोई अधिकार नहीं होगा।

दूसरी ओर यदि यही परिवार दायभाग सम्प्रदाय के अन्तर्गत आता है तो श्री केशवदेव अपनी निजी सम्पत्ति के साथ पैतृक सम्पत्ति के भी पूर्ण स्वामी होंगे तथा उनके पुत्रों को इनके जीवनकाल में इस सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा अतः सम्पत्ति के विभाजन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। श्री केशवदेव की मृत्यु पर ही ये पुत्र सम्पत्ति के अधिकारी होंगे तथा उस समय ही उन्हें अविभाजित हिन्दू परिवार का दर्जा प्राप्त होगा।

सहभागिता (coparcenary)—हिन्दू सहभागिता संयुक्त परिवार से संकीर्ण संस्था है। सहभागिता कानून द्वारा उत्पन्न होती है अनुबन्ध द्वारा नहीं। इसमें केवल वे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जिन्हें परिवार की पैतृक सम्पत्ति में जन्म लेते ही अधिकार प्राप्त हो जाता है इसमें पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र आते हैं। यही वे व्यक्ति हैं जो परिवार के विभाजन की माँग के अधिकारी होते हैं। परिवार में विभाजन की माँग केवल पुरुष सदस्यों को ही प्राप्त है जबकि परिवार में पुरुष एवं महिलायें दोनों प्रकार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। महिला सदस्य को विभाजन की माँग का अधिकार नहीं होता अतः वे सहभागीदार नहीं कहलातीं।

हिन्दू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided family)—'हिन्दू अविभाजित परिवार' शब्दावली का प्रयोग आयकर अधिनियम में हुआ है अतः इसके विशेष अर्थ हैं। अविभाजित परिवार में पारिवारिक सम्पत्ति का होना आवश्यक है। यह सम्पत्ति पैतृक भी हो सकती है अथवा परिवार के सहभागियों द्वारा अपनी निजी सम्पत्ति भी परिवार की सम्पत्ति में हस्तांतरित की जा सकती है। यह कथन कि अविभाजित हिन्दू परिवार की मान्यता के लिए कम से कम दो पुरुष सदस्यों का होना आवश्यक है, निराधार है। किन्तु यह आवश्यक है कि परिवार केवल एक ही व्यक्ति से नहीं बन सकता है। परिवार में एक से अधिक सदस्य होने चाहिये जो पुरुष भी हो सकते हैं अथवा महिला भी। अतः एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी मिलकर एक हिन्दू अविभाजित परिवार का निर्माण कर सकते हैं केवल स्त्री सदस्यों वाला परिवार भी हिन्दू अविभाजित परिवार हो सकता है।

परिवार की सम्पत्ति (Family's Property)—हिन्दू सम्मिलित परिवार को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अविभाजित हिन्दू परिवार की मान्यता तभी मिलती है जबकि परिवार के पास ऐसी सम्पत्ति हो जिसका उपयोग सभी सदस्यों के कल्याण के लिए होता हो। इसका स्वामित्व भी सम्मिलित रूप से परिवार के पास होना चाहिए। ऐसी सम्पत्ति में निम्नलिखित तीन प्रकार की सम्पत्तियां आती हैं :

1. पूर्वजों से मिली हुई सम्पत्ति जो एक व्यक्ति को अपने प्रत्यक्ष व सीधे पुरुष पूर्वजों से प्राप्त होती है तथा उनके द्वारा अन्य सहभागियों के साथ रखी जाती है। सम्पत्ति यदि अपने सीधे पूर्वजों से प्राप्त न होकर किसी अन्य रिश्तेदार से प्राप्त होती है जैसे चाचा, भतीजा, मौसी आदि तो वह इस श्रेणी में नहीं आती।

2. पूर्वजों से प्राप्त हुई उपर्युक्त (1) में वर्णित सम्पत्ति की सहायता से प्राप्त अथवा उसके विनियोग से प्राप्त की गई अन्य सम्पत्ति। उदाहरण के लिए पूर्वजों से प्राप्त मकान के किराये से खरीदे गये विनियोग आदि भी परिवार की सम्पत्ति माने जाते हैं। इसी प्रकार पूर्वजों से प्राप्त मकान को बेचकर भूमि खरीद ली जाती है तो भी यह परिवार की सम्पत्ति है।

3. परिवार के सहभागियों द्वारा उपार्जित उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति जो उन्होंने परिवार की साधारण सम्पत्ति में ही मिला दी हो। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि सदस्य ने बड़े स्पष्ट रूप से अपनी स्वयं उपार्जित सम्पत्ति परिवार की सम्पत्ति में मिलाने का ऐसा व्यवहार किया है, जिससे कोई शक व संदेह नहीं रह जाता। केन्द्रीय बोर्ड द्वारा विभाग के लिए दी गई सूचनाओं के अनुसार सदस्य एक शपथपत्र द्वारा ही अपनी स्वयं उपार्जित की गई सम्पत्ति परिवार की सम्मिलित सम्पत्ति में मिला सकता है। इस संबंध में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि 31 दिसम्बर 1969 के बाद सदस्य द्वारा परिवार को हस्तांतरित सम्पत्ति को परिवार की सम्पत्ति नहीं माना जायेगा।

उदाहरण (Illustration) 1 : बताइये कि क्या निम्नलिखित आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत हिन्दू अविभाजित परिवार माने जायेंगे :

a) पैतृक सम्पत्ति सहित पति व पत्नी।
b) पैतृक सम्पत्ति सहित माँ, बेटा व बेटे की पत्नी।
c) पैतृक सम्पत्ति सहित तीन भाई अ, ब और स जो क्रमश: 30,25 व 15 वर्ष के है।
d) ऊपरलिखित तीन भाई बिना पैतृक सम्पत्ति सहित।
e) 12 वर्ष की आयु से ज्यादा दो पुत्रों सहित एक विधवा।
f) दो मृत भाइयों की विधवाएँ।
g) परिवारीय धंधे में जुटे चाचा भतीजा।
h) विरासत में मिले मकान सहित पिता एवं दो नाबालिग बच्चे। पिता वेतन पाने वाला करदाता है।
i) विरासत में मिली सम्पत्ति सहित पिता, एक वयस्क एवं एक अल्पवयस्क बच्चे। पिता एवं वयस्क पुत्र खुद ही वेतन पाने वाले करदाता हैं।
j) एक पुरुष सदस्य एवं उसके मृतक भाई की विधवा पत्नी।
k) पति, पत्नी व अविवाहित पुत्री।
l) भाई, अविवाहित बहन व विधवा माँ।

Discuss whether following are to be accepted as HUFs under the IT Act, 1961:

a: Husband and wife with ancestral property:
b: Mother, son and son's wife with ancestral property.
c. Three brothers A, B and C of 30, 25 years and 15 years of age with ancestral property
d. The above three brothers without ancestral property:
e. Widow mother with two sons of more than 12 years of age.
f. Two widows of the two deceased brothers:
g. Uncle and nephew engaged in a family business.
h. Father, and two minor children with an inherited house property, the father being a salaried assessee:
i. Father, with one minor and one adult son with inherited house property, the father and the elder son being salaried assessees themselves.
j. One male member and a widow of his deceased younger brother.
k. Husband, wife and unmarried daughter.
l. Brother, unmarried sister and widowed mother.

हल (Solution) उपरोक्त प्रश्नों का हल इस मान्यता पर आधारित है कि सभी परिवार, हिन्दू परिवार हैं।

a) एक पुरुष सदस्य की स्थिति में भी यह समूह हिन्दू अविभाजित परिवार माना जायेगा क्योंकि पत्नि भी परिवार की सदस्य है तथा पूर्वजों की सम्पत्ति विद्यमान है। लेकिन इसमें सहभागिता तभी सम्भव है जब पुत्र को गोद लिया जाता है अथवा पुत्र जन्म हाता है।
b) पैतृक सम्पत्ति हाने के कारण यह समूह भी हिन्दू अविभाजित परिवार माना जायेगा। किन्तु यहाँ भी सहभागिता का अभाव है।
c) यह परिवार सयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार है।
d) पूर्वजों की सम्पत्ति के अभाव में यह व्यक्तियों का एक समुदाय है हिन्दू अविभाजित परिवार नहीं।
e) यह एक हिन्दू अविभाजित परिवार है।
f) यदि पूर्वजों से प्राप्त सम्पत्ति है तो यह एक हिन्दू अविभाजित परिवार होगा।
g) यह एक हिन्दू अविभाजित परिवार है।
h) मकान के सम्बन्ध में कर निर्धारण एक हिन्दू अविभाजित परिवार की तरह होगा जबकि वेतन से आय पर पिता का कर निर्धारण एक व्यक्ति की तरह होगा।
i) मकान की आय का कर-निर्धारण हिन्दू अविभाजित परिवार की आय के रूप में होगा जबकि पिता एवं व्यस्क पुत्र पर अपने वेतन के सम्बन्ध में एक व्यक्ति की तरह कर निर्धारण होगा।
j) यदि पूर्वजों की सम्पत्ति है तो यह हिन्दू अविभाजित परिवार माना जायेगा।
k) यदि पूर्वजों की सम्पत्ति है तो यह हिन्दू अविभाजित परिवार होगा किन्तु सहभागिता पुत्र के जन्म अथवा गोद लिये जाने पर उत्पन्न होगी।
l) पूर्वजों की सम्पत्ति होने पर यह हिन्दू अविभाजित परिवार होगा।

हिन्दू अविभाजित परिवार व फर्म में अन्तर (Difference between Hindu undivided family and Partnership firm) :— हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य साझेदार नहीं होते हैं क्योंकि साझेदारों के परस्पर कर्त्तव्य व अधिकारों का निर्णय साझेदारी अधिनियम, 1932 के द्वारा होता है जबकि हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्यों के अधिकार व कर्त्तव्यों का निर्धारण हिन्दू विधि के अनुसार होता। इनमें अन्तर निम्न प्रकार है :

1. साझेदारी फर्म में किसी साझेदार के हित का निर्धारण व निर्णय आपसी प्रसंविदे के द्वारा होता है जबकि पारिवारिक व्यापार में प्रसंविदे को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति परिवार के सदस्यों को उत्तराधिकार नियमों के अन्तर्गत प्राप्त हो जाती है।

2. किसी भी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर साझेदार फर्म का विघटन कर दिया जाता है किन्तु परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु पर पारिवारिक व्यापार के विघटन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

3. किसी साझेदार के दिवालिया होने पर वह फर्म का सदस्य नहीं रहता किन्तु परिवार के सदस्य के दिवालिया होने पर उसकी सदस्यता समाप्त नहीं हो सकती।

4. साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत सभी साझेदारों को फर्म की सभी पुस्तकों का निरीक्षण आदि करने का अधिकार उन्हें अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान किया गया है किन्तु हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्यों को अधिकार प्राप्त नहीं होता।

5. साझेदारी फर्म में एक नवीन साझेदार को तभी प्रवेश दिया जा सकता है जबकि फर्म के सभी साझेदार इसके लिये सहमत हों, किन्तु हिन्दू अविभाजित परिवार की सदस्यता परिवार में बच्चे के जन्म पर उसे स्वत: ही मिल जाती है।

6. साझेदारी फर्म में साझेदारी के लाभ-हानि का अनुपात पूर्व निर्धारित रहता है, तथा इनमें परिवर्तन तभी हो सकता है जब कि सभी साझेदार इस सम्बन्ध में एकमत हों किन्तु हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्यों का लाभ हानि अनुपात उस परिवार में होने वाले प्रत्येक जन्म व मृत्यु पर परिवर्तित होता रहता है।

7. साझेदारी फर्म में सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या 20 है किन्तु परिवार के सदस्यों की संख्या पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

8. साझेदारी फर्म के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है जबकि हिन्दू परिवार के सदस्य का दायित्व परिवार में उनके हिस्से की सम्पत्ति तक ही सीमित रहता है।

हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य द्वारा परिवार को हस्तांतरित की गई सम्पत्ति (Throwing of self earned property into the common hotchpot of the family) [64(2)]:—हिन्दू अविभाजित परिवार का कोई भी सहभागी अपनी स्वयं उपार्जित सम्पत्ति को परिवार की सम्पत्ति में मिला सकता है। कोई सदस्य 31 दिस० 1969 के पश्चात यदि अपनी स्वयं उपार्जित सम्पत्ति को अपने परिवार की सम्पत्ति में मिलाता है तो निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे :

1. यह माना जायेगा कि ऐसी सम्पत्ति परिवार के सदस्यों को सम्मिलित रूप से रखने के लिये हस्तांतरित की गई हैं, परिवार को नहीं।

2. ऐसी सम्पत्ति से होने वाली सम्पूर्ण आय हस्तांतरक सदस्यों(अर्थात जिन सदस्यों ने सम्पत्ति को हस्तान्तरित की है) के हाथों में करयोग्य होगी, परिवार के हाथों में नहीं।

3. सम्पत्ति के बँटवारे के बाद में हस्तांतरणकर्त्ता सदस्य के जीवन साथी व अवयस्क बच्चों को ऐसी सम्पत्ति से हुई आय हस्तांतरक सदस्य के हाथों में करयोग्य होगी, जीवन साथी व बच्चों के हाथों में नहीं।

उदाहरण (Illustration) 2: श्री नायडू अपनी स्वयं अर्जित सम्पत्ति को अपने अविभाजित परिवार की सम्पत्ति में मिलाते है। सम्पत्ति का मूल्य 5,00,000 रु० एवं इससे होने वाली वार्षिक आय 1,00,000 रु० है। परिवार में श्री नायडू एवं उनकी पत्नी, दो वयस्क पुत्र तथा एक अवयस्क पुत्र शामिल है। यद्यपि सम्पत्ति हिन्दू अविभाजित परिवार को हस्तांतरित कर दी गयी है, किन्तु इससे होने वाली आय उसके हस्तांतरक श्री नायडू के हाथों में कर योग्य होगी।

परिवार के विभाजन की दशा में इस सम्पत्ति को पाँच समान भागों में विभाजित किया जायेगा। इसमें से 2/5 भाग इनके दोनों वयस्क पुत्र ले जायेंगे जबकि 3/5 में से स्वयं इनकी पत्नी व अवयस्क पुत्र होंगे। आय का 3/5 इस विभाजन के बाद में इनकी आय में शामिल किया जायेगा। अन्य शब्दों में 40,000 रु० पर इनके वयस्क पुत्र आयकर देंगे जबकि 60,000 रु० इनके हाथों में करयोग्य होंगे।

हिन्दू परिवार का निवास स्थान (Residence of H. U. F.)

निवास : आयकर अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार एक हिन्दू अविभाजित परिवार गतवर्ष में भारत में अनिवासी होगा यदि इसका नियन्त्रण व प्रबन्ध इस वर्ष में पूर्णतया भारत के बाहर रहा हो। किन्तु इस नियन्त्रण व प्रबन्ध का कुछ भी भाग यदि भारत में स्थित है तो परिवार को गतवर्ष के लिये निवासी माना जावेगा।

नियंत्रक व प्रवंध से आशय वास्तविक नियन्त्रण से है जहाँ से व्यापार के संचालन सम्बन्धी आवश्यक निर्देश दिये जाते हों तथा नीति निर्धारित होती हो। यह आवश्यक नहीं है कि व्यापार वहीं से चलता है।

असाधारण निवासी :— धारा 6(6) (ब) के अनुसार हिन्दू अविभाजित परिवार गतवर्ष के लिए असाधारण निवासी माना जायेगा। यदि उसका कर्त्ता गतवर्ष से पहले के 10 वर्षों में 9 वर्षों से कम भारत में निवासी रहा है, अथवा वह गतवर्ष से पहले 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिनों से कम भारत में रहा है। परिवार के यदि एक से अधिक कर्त्ता रहे है तो निवासी अथवा असाधारण निवासी का पता लगाने के लिए सभी कर्त्ताओं के भारत में रहने की अवधि जोड़ दी जाती है।

हिन्दू अविभाजित परिवार का कर-निर्धारण (Assessment of HUF)

1. हिन्दू अविभाजित परिवार का अपना अलग अस्तित्व होता है तथा इसका व इसके सदस्यों का कर-निर्धारण अलग-अलग होता हैं।

2. एक वार यदि हिन्दू अविभाजित परिवार का कर-निर्धारण हो चुका है तो उसका कर-निर्धारण इसी प्रकार होता रहेगा जब तक कि भविष्य में इसके सदस्यों द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत न कर दिया जाय तथा इसे आयकर अधिकारी द्वारा स्वीकृत न किया जाये।

3. इसके किसी भी सदस्य को परिवार से मिलने वाली ऐसी धनराशि पर आयकर नहीं देना होगा जो इसे परिवार के सदस्य होने के कारण मिली है।

4. परिवार के सदस्य को इस बात का पूरा अधिकार प्राप्त है कि अपनी स्वयं की अर्जित की गई सम्पत्ति को परिवार की सम्पत्ति में मिलाने के लिये हस्तांतरित कर दें। ऐसी परिवर्तित सम्पत्ति से हुई आय का कर निर्धारण धारा 64 (2) के अनुसार होता है।

5. हिन्दू अविभाजित परिवार अपने कर्त्ता द्वारा किसी अन्य पक्ष के साथ साझेदारी व्यापार में सम्मिलित हो सकती है। ऐसी फर्म से हुआ लाभ परिवार के हाथों करयोग्य होगा।

6. परिवार के कर्त्ता को यह अधिकार प्राप्त है कि परिवार की सम्पत्ति में से किसी भी सदस्य को कोई राशि भेंट स्वरूप दे दे। यह पूरी तरह से वैध होगा जब तक कि परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा इस पर आपत्ति न उठाई जाये।

हिन्दू अविभाजित परिवार की आय :— हिन्दू अविभाजित परिवार का कर निर्धारण करने से पूर्व यह जानकारी होना आवश्यक है कि कौन सी आय परिवार की आय है। और कौन सी आय सदस्यों की व्यक्तिगत आय है। परिवार के व्यापार, विनियोग अथवा सम्पत्ति से होने वाली आय परिवार की आय मानी जाती है जबकि सदस्यों के

व्यक्तिगत प्रयत्नों, सदस्यों की व्यक्तिगत सम्पत्ति अथवा विनियोगों से आय परिवार की आय नहीं मानी जाती है।

आयें जो पारिवारिक नहीं मानी जाती (Income not treated as family income) : निम्नलिखित आयें ऐसी है जो अविभाजित हिन्दू परिवार की आय नहीं मानी जाती।

1. अविभाजित परिवार के किसी सदस्य द्वारा स्वयं उपार्जित की हुई आय। इस रकम पर व्यक्ति विशेष को व्यक्तिगत आय की भाँति आयकर देना होता है।

2. दायभाग नियम लागू होने वाले परिवार को पैतृक सम्पत्ति से होने वाली आय का कर-निर्धारण पिता के जीवन काल में व्यक्ति (Individual) की भाँति होता है बशर्ते कि पिता के भाई आदि उसके साथ सहभागी नहीं है। पुत्रों को पिता के जीवनकाल में पैतृक सम्पत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता।

3. परिवार के सदस्य की यदि कोई निजी सम्पत्ति है (अर्थात जो परिवार की नहीं हैं) तो ऐसी सम्पत्ति की आय सदस्य की व्यक्तिगत आय मानी जायेगी परिवार की आय नहीं।

4. मिताक्षरा सम्प्रदाय लागू होने वाले परिवार की दशा में कर्त्ता द्वारा यदि कोई सम्पत्ति किसी सदस्य को (महिला सदस्यों सहित) हस्तान्तरित की जाती है तो ऐसी सम्पत्ति से होने वाली आय उस सदस्य की व्यक्तिगत आय मानी जायेगी न कि परिवार की आय।

5. यदि अविभाजित हिन्दू परिवार का एक सदस्य अपने व्यक्तिगत नाम में कोई व्यापार चलाता है तो इस व्यापार के लाभ उसके हाथों में व्यक्ति की भाँति करयोग्य होंगे। व्यापार चलाने के लिए रुपये पैसे का प्रबन्ध सम्मिलित परिवार के धन से हुआ हो अथवा अन्य कहीं से हुआ। चाहे परिवार को इस ऋण पर ब्याज दिया जाता हो अथवा नहीं दिया जाता हो। यदि परिवार से लिए गए ऋण पर ब्याज दिया जाता है तो ऐसा ब्याज परिवार की आय माना जायेगा।

6. यदि परिवार के सदस्य व्यक्तिगत रूप से कोई साझेदारी फर्म बनाते हैं तो ऐसी फर्म से प्राप्त लाभ परिवार की आय न मानी जाकर सदस्यों की व्यक्तिगत आय मानी जायेगी। इसी प्रकार यदि परिवार का कोई सदस्य व्यक्तिगत रूप से अन्य किसी फर्म में साझेदार है तो ऐसी फर्म से प्राप्त आय उसकी व्यक्तिगत आय होगी।

7. यदि 31 दिसम्बर 1969 के पश्चात परिवार का कोई सदस्य अपनी स्वयं अर्जित सम्पत्ति को परिवार की सम्पत्तियों में मिला देता है तो ऐसी सम्पत्ति से होने वाली आय परिवार की आय न मानी जाकर ऐसे हस्तांतरक सदस्य की आय मानी जायेगी।

8. **अविभाज्य सम्पत्ति से आय (Income from impartible Estate) :** इस सम्पत्ति से हमारा आशय परिवार की उस सम्पदा से है जो यद्यपि परिवार के स्वामित्व में है तथा जिसका लाभ परिवार के प्रत्येक सदस्य को होता है किन्तु जिसका विभाजन नहीं हो सकता। ऐसी सम्पत्ति में प्रायः भूमि व भवन आदि होते हैं जो किसी भी पूर्वज द्वारा अपने इच्छापत्र (will) द्वारा छोड़े जाते है व ऐसे इच्छापत्र में यह आदेश रहता है कि इस सम्पत्ति का धारक अमुक व्यक्ति (प्रायः ज्येष्ठ पुत्र) होगा आदि। ऐसी सम्पत्ति से होने वाली आय परिवार के हाथों में करयोग्य नहीं होती व इसका कर निर्धारण इस सम्पत्ति के धारक (holder of the estate) के हाथों में व्यक्तिगत कर निर्धारण की

भाँति होता है । यदि ऐसी सम्पत्ति का स्वामी कोई सदस्य न होकर परिवार ही हो तो ऐसी सम्पत्ति की आय उस परिवार की आय मानी जायेगी ।

हिन्दू अविभाजित परिवार की आय की गणना करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखना आवश्यक होता है :—

1. परिवार की सम्पत्ति से जो व्यापार चलाया जाता है उससे होने वाला लाभ परिवार की आय मानी जायेगी । यदि ऐसे व्यापार के संचालन में परिवार के सदस्य या कर्त्ता द्वारा सेवाएँ दी जाती हैं तो इनको दिये जाने वाला उचित पारिश्रमिक व्यापार की आय में से कटौती योग्य व्यय होगा । यदि दिया गया पारिश्रमिक उसकी सेवाओं को देखते हुए अधिक हैं तो उचित व्यय ही कटौती योग्य होगा शेष राशि अस्वीकार्य होगी सदस्यों को मिलने वाला पारिश्रमिक उनकी व्यक्तिगत आय होगी ।

2. यदि परिवार की सम्पत्ति का विनियोग किसी सदस्य अथवा कर्त्ता के नाम से किसी कम्पनी या फर्म में किया गया है तो कम्पनी से मिला लाभांश एवं फर्म में लाभ हिस्सा परिवार की आय में सम्मिलित किया जायेगा । परिवार के किसी सदस्य को ऐसी कम्पनी[1] में या ऐसी फर्म[2] में प्रदान की गई सेवाओं के फलस्वरूप कोई पारिश्रमिक मिला हो तो ऐसा पारिश्रमिक सदस्य की व्यक्तिगत आय मानी जायेगी । न कि परिवार की चाहे परिवार का ऐसी संस्था में पर्याप्त हित हो ।

यदि ऐसा पारिश्रमिक उसकी सेवाओं के बदले में प्राप्त न होकर केवल फर्म या कम्पनी से परिवार के विनियोगों के कारण प्राप्त होता है अथवा परिवार की सम्पत्ति को हानि पहुँचाकर ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त किया गया है तो ऐसी आय को परिवार की आय में सम्मिलित किया जा सकता है ।

ऐसा मिलने वाला पारिश्रमिक परिवार के विनियोगों के कारण प्राप्त हुआ है अथवा सदस्य द्वारा की गई सेवाओं के बदले में इसका निर्धारण मामले की परिस्थितियों के आधार पर किया जा सकता है किन्तु साधारणतया ऐसा पारिश्रमिक सदस्य को व्यक्तिगत आय ही माना जाता है ।

3. यदि परिवार को सम्पत्ति का कुछ भाग, परिवार के कर्त्ता द्वारा, कानूनी ढंग से अपनी पत्नि, पुत्री, पुत्र अथवा अन्य किसी सदस्य को उपहार में दिया जाता है तो सम्पत्ति के उस भाग की आय परिवार की आय में सम्मिलित नहीं होगी, बल्कि उस सदस्य की आय में सम्मिलित होगी, जिसे सम्पत्ति उपहार में दी गई है ।

4. यदि परिवार की सम्पत्ति में से कोई राशि किसी भी सदस्य को ब्याज पर अथवा विना ब्याज पर अथवा बिना ब्याज के उधार दी जाती है । तथा सदस्य उस राशि से कोई व्यवसाय करता है अथवा अन्यत्र विनियोजित करता है, तो ऐसी आय सदस्य की व्यक्तिगत आय मानी जावेगी ।

विभाजन (Partition) [171]

पूर्ण विभाजन :—परिवार का विभाजन तब माना जायेगा जबकि पारिवारिक सम्पत्ति का सह भागीदारों में विभाजन हो जाय । यह निम्न रूपों में हो सकता है :—

अ. यदि सम्पत्ति भौतिक विभाजन (Physical partition) के योग्य है तो इसका

1. Rajkumar Singh Hukumchandji v. CIT (1970) 78 ITR 33 SC.
2. Prem nath and others v CIT 78 ITR 319 SC.

भौतिक विभाजन ही अधिनियम के अन्तर्गत विभाजन माना जाता है केवल आय का विभाजन नहीं।

ब. यदि सम्पति ऐसी है जिसका भौतिक विभाजन सम्भव नहीं है तो विभाजन से तात्पर्य ऐसे बँटबारे से है जो सम्पत्ति के लिए सम्भव हो।

आँशिक विभाजन—आँशिक बँटवारा ऐसा विभाजन है जिसमें या तो परिवार के सदस्यों में से केवल कुछ सदस्य पृथक हो जाते हैं तथा शेष उसी परिवार में सम्मिलित रहते हैं अथवा कभी-कभी समस्त सम्पत्तियों का विभाजन न होकर केवल कुछ सम्पत्तियाँ ही सभी सदस्यों में विभाजित कर दी जाती है तथा शेष सम्पत्तियों का स्वामित्व परिवार मे ही बना रहता है।

विभाजन के पश्चात कर-निर्धारण (Assessment after Partition)

आयकर अधिनियम की धारा 171 में निम्नलिखित प्रावधान दिये गये हैं :

1. एक बार व्यक्तियों के समूह को यदि हिन्दू अविभाजित परिवार मान लिया गया है तो आयकर अधिकारी इसे परिवार की संज्ञा ही देता रहेगा' तथा इसका कर-निर्धारण इसी आधार पर होता रहेगा।

2. जब परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा परिवार के विभाजन का दावा प्रस्तुत किया जाता है तो आयकर अधिकारी द्वारा मामले की पूर्ण जाँच की जायेगी तथा सभी प्रकार के कारणों को ध्यान में लाकर निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकेगा।

3. इसके वाद में आयकर अधिकारी अपने निष्कर्ष को लिखेगा कि परिवार का पूर्ण विभाजन हुआ है अथवा आँशिक विभाजन।

4. विभाजन की तिथि तक परिवार की आय परिवार के हाथों में करयोग्य होगी तथा इस तिथि के बाद में हुई आय सदस्यों की स्वतन्त्र आय मानी जायेगी। इस पर उन्हें व्यक्ति की स्थिति में कर देना होगा।

5. आयकर अधिकारी को यदि कुछ सदस्यों द्वारा किये गये परिवार के विभाजन के दावे में सन्देह है तो वह इस समूह को हिन्दू अविभाजित परिवार मानता ही रहेगा।

6. परिवार के विभाजन के बाद में यदि सदस्यों द्वारा छोटे परिवार को बनाने का दावा प्ररतुत किया जाता है तो विभाजन के बाद में हुई आय विभाजित हुए सदस्य के हाथों में हिन्दू अविभाजित परिवार की स्थिति में कर योग्य होगी उदाहरण के लिए तीन भाइयों ने पैतृक सम्पत्ति जो आपस में बांटकर हिन्दू अविभाजित परिवार को समाप्त कर दिया, ये भाई यदि चाहें तो अपने-अपने हिस्से में आने वाली पैतृक सम्पत्ति को अपने-अपने पुत्रों के साथ हिन्दू अविभाजित परिवार की सम्पत्ति की संज्ञा दे सकते हैं। उस स्थिति में इस सम्पत्ति से हुई आय इन भाइयों के हाथों में हिन्दू अविभाजित परिवार के रूप में ही करयोग्य होगी। संक्षेप में एक अविभाजित परिवार समाप्त हुआ व तीन परिवार का नया जन्म हुआ।

7. विभाजन की तिथि तक अविभाजित परिवार की आय पर आयकर देने के लिए परिवार का प्रत्येक सदस्य संयुक्त व पृथक रूप से उत्तरदायी होगा।

31 दिसम्बर 1978 के पश्चात आँशिक विभाजन (Partial Partition that has taken place after 31-12-78) :—यदि आँशिक विभाजन 31-12-1978 के पश्चात् हुआ है तो निम्न प्रावधान लागू होंगे।

अ. ऐसे आंशिक विभाजन के दावे पर जाँच नहीं की जायेगी और न आंशिक विभाजन आयकर विभाग को स्वीकृत होगा। यदि आंशिक विभाजन मान लिया गया हो तो वह व्यर्थ होगा।

ब. परिवार पर कर-निर्धारण उसी प्रकार होता रहेगा मानो कोई आंशिक विभाजन नहीं हुआ।

स. परिवार के आंशिक विभाजन से पूर्व का प्रत्येक सदस्य अथवा सदस्यों का समूह तथा परिवार संयुक्त तथा पृथक रूप से परिवार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत देय किसी कर, ब्याज, अर्थदण्ड आदि को चुकाने के लिये उत्तरदायी होंगे। यह चाहे आंशिक विभाजन से पूर्व की अवधि का हो अथवा किसी बाद की अवधि का।

द. किसी सदस्य अथवा सदस्यों के समूह का पृथक दायित्व उस अनुपात में निकाला जायेगा, जिस अनुपात में उसे परिवार की सम्पत्ति दी गई हो। वसूली के लिए अधिनियम के आयोजन भी उसी प्रकार लागू होंगे।

जैन तथा सिख परिवार—जैन तथा सिख अविभाजित परिवार भी आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अविभाजित हिन्दू परिवार समझे जाते हैं। यदि विशेष परिस्थितियाँ हों या करदाता यह चाहे कि उसका परिवार हिन्दू अविभाजित परिवार न माना जाये तो उसे आयकर अधिकारी के समक्ष यह प्रमाणित करना होगा कि उसके परिवार में ऐसी प्रथायें व रीत-रिवाज चालू हैं जिनके कारण उसका परिवार हिन्दू अविभाजित परिवार नहीं माना जा सकता।

कटौतियाँ (Deductions) : अन्य करदाता की तरह हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) की सकल कुल आय में भी धारा 80-C से 80-TT तक की कटौतियों को घटाया जाता है।

उक्त कटौतियों के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं। एक हिन्दू अविभाजित परिवार के सम्बन्ध में जो कटौतियाँ स्वीकृत हैं, उनकी संक्षिप्त जानकारी निम्न है :—

क्र.स.	धारा	विवरण
1.	80-C	जीवन वीमा प्रीमियम आदि के भुगतान के सम्बन्ध में कटौती।
2.	80-CC	नये अंशों में विनियोजन के सम्बन्ध में कटौती
3.	80-G	दानों के सम्बन्ध में कटौती।
4.	80-GGA	वैज्ञानिक अनुसंधान एवं ग्रामीण विकास के लिए दान के सम्बन्ध में कटौती।
5.	80-HH	पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित नये औद्योगिक उपक्रम एवं होटल के व्यवसाय के सम्बन्ध में कटौती।
6.	80-HHA	ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित लघुस्तरीय औद्योगिक उपक्रम के लाभ के सम्बन्ध में कटौती।
7.	80-HHB	भारत के बाहर परियोजनाओं से प्राप्त लाभों के सम्बन्ध में कटौती।
8.	80-HHC	भारत के बाहर किये गये निर्यात व्यापार के लाभों के सम्बन्ध में कटौती।

9.	80-I	नये औद्योगिक उपक्रम के सम्बन्ध में हुए लाभों के सम्बन्ध में कटौती।
10.	80-J	विशिष्ट दशाओं में औद्योगिक उपक्रम के लाभों के सम्बन्ध में कटौती।
11;	80-K	नये औद्योगिक उपक्रमों के कर अवकाश लाभों में से प्राप्त लाभांश के सम्बन्ध में कटौती।
12.	80-L	लाभांश ब्याज आदि से प्राप्त आय के सम्बन्ध में कटौती।
13.	80-S	मैनेजिंग एजेन्सी आदि की समाप्ति पर प्राप्त क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में कटौती।
14:	80-T	दीर्घकालीन पूँजी लाभों के सम्बन्ध में कटौती।
15.	80-TT	लाटरी से प्राप्त आय के सम्बन्ध में कटौती।

टिप्पणी—उपरोक्त कटौतियों के विस्तृत अध्ययन के लिये अध्याय 13 देखें।

उदाहरण (Illustration) 3 : एक हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्त्ता द्वारा आपको निम्नलिखित विवरण दिया जाता है। कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए परिवार की कुल सकल आय एवं कुल आय की गणना कीजिए—

		रु०
a)	व्यापार का लाभ (Profit from business)	32,000
b)	परिवार के सदस्यों को प्राप्त वेतन	8,000
c)	कर्त्ता द्वारा प्राप्त संचालक शुल्क	6,000
d)	किराये पर उठी सम्पत्ति का किराया	12,000
e)	नगरपालिका कर चुकाया	600
f)	लाभांश (सकल)	450
g)	भवन के हस्तांतरण से प्राप्त दीर्घकालीन पूँजी लाभ	4,500
h)	विनियोगों के हस्तांतरण से प्राप्त दीर्घकालीन पूँजी लाभ (9 वर्ष)	10,000
i)	एक महाविद्यालय को जो कि अनुमोदित संस्था है को दान	4,000
j)	अनरजिस्टर्ड फर्म से प्राप्त लाभ	10,000

The following details have been supplied by the Karta of a HUF. You are requested to compute the GTI and Total Income of the family for the assessment year 1986-87:

		Rs:
a.	Profit from business	32,000
b.	Salary received by a member of the family	8,000
c.	Director's fees received by the Karta	6,000
d.	Rental value of the property let	12,000
e.	Municipal taxes paid	600
f.	Dividends (gross)	450
g.	Long-term capital gains from the transfer of building	4,500
h	Long-term capital gains from the transfer of investments (9 years)	10,000
i.	Donation to a college which is an approved institution	4000
j.	Profits from an unregistered firm	10,000

Solution

	Rs	Rs.
Income from property	12,000	
Less : Municipal Taxes paid	600	
Annual value	11,400	
Less : 1/6 for repairs	1,900	9,500

Business profits			
Own business		32,000	
From unregistered firm		10,000	
			42,000
Long-term capital gains :			
From land and building		4,500	
From investments		10,000	14,500
Income from other sources : Dividend			450
Gross Total Income			65,450
Deduction under			
i. Sec. 80G : 50% of Rs. 4,000		2,000	
ii. Sec. 80T First Rs. 5,000	5,000		
45% of the next Rs. 9,500	4,275	9,275	
iii. Sec. 80L : Dividends		450	11,725
Total Income			54,725

टिप्पणी (Notes) : 1. परिवार के सदस्यों को प्राप्त वेतन उनके व्यक्तिगत कर निर्धारण में कर योग्य होगा इसे परिवार की आय नहीं माना जायेगा।
2. परिवार के कर्त्ता को प्राप्त संचालक शुल्क भी कर्त्ता की व्यक्तिगत आय होगी परिवार की आय नहीं।
3. कालेज को दिया गया दान समायोजित कुल आय के 10% से अधिक नहीं है अतः पूरी राशि कटौती योग्य है।

उदाहरण (Illustration) 4 : श्री महेश चन्द्र सक्सैना, उनके दो भाई तथा एक वयस्क पुत्र अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्य हैं। इनके द्वारा कर निर्धारण के लिये आय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

a) व्यापार, जो कर्त्ता द्वारा परिवार के लिये चलाया जाता है, से लाभ 90,000 रु० (यह लाभ 3,000 रु० परिवार के सदस्य श्री भगवान को ट्रेवलिंग विक्रय कर्त्ता के रूप में काम करने के लिये व कर्त्ता श्री सक्सैना को व्यापार प्रबन्ध के लिये 10,000 रु० पारिश्रमिक देने के पश्चात् हैं।)

b) परिवार का अपना एक मकान है जिसका किराया मूल्य 10,000 रु० वार्षिक है। इस पर चुकाया गया स्थानीय कर 500 रु० है। यह परिवार का रिहायशी मकान है। श्री सक्सैना ने स्वंय ही इस मकान पर एक वार्षिक प्रभार की व्यवस्था की है जिसके अनुसार इनके द्वारा, बहिन को 5,000 रु० वार्षिक दिये जाने का प्रावधान है। इसके लिये अग्नि बीमा प्रीमियम 100 रु० व चोरी रक्षा बीमा प्रीमियम 200 रु० दिये गये हैं।

c) विनियोग जो करदाता के पास गत 4 वर्ष से चले आ रहे थे के विक्रय से 25,000 रु० का दीर्घकालीन पूँजी लाभ हुआ है। परिवार के निजी प्रयोग में आने वाली कार को बेचने पर 4,000 रु० की हानि भी हुई है। जिसे परिवार द्वारा विगत 8 वर्षों से प्रयोग में लाई जा रही थी।

d) श्री सक्सैना को राजस्थान राज्य लाटरी का 50,000 रु० का पुरस्कार मिला है जो वे अपनी व्यक्तिगत प्राप्ति मानते है टिकट खरीदने के लिये यद्यपि यह रुपया व्यापार में से दिया गया था किन्तु टिकिट इन्होंने अपने व्यक्तिगत नाम में ही खरीदा था।

e) लाभांश से परिवार को आय 5,000 रु० (सकल)

f) दोनों भाइयों के जीवन बीमा के लिये 1,300 रु० का प्रीमियम गतवर्ष में चुकाया गया है।

g) सरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियों से ब्याज 9,000 रु० ।

h) दुश्मन के आक्रमण से युद्ध में 1,000 रु० का व्यापारिक स्कन्ध नष्ट हुआ, जिसे लाभ-हानि खाते में नहीं लिखा गया है। आप कर निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये परिवार की कुल आय निकालिये।

Shri Mahesh Chandra Saxena, his two brothers and major son constitute an HUF and the following statement of income has been submitted by it for assessment purposes :—

a) Profit form business carried on by the Karta in the account and on behalf of the HUF Rs 90,000 (after deducting Rs.3,000 paid to Shri Bhagwan, a member of the HUF for working as a travelling salesman; Rs. 10,000 paid to Shri Saxena for managing the affairs of the business).

b) The family owns a house with the rental value of Rs. 10,000, local charges, in respect of this being Rs. 500. It is used for residential purposes of the family. Mr. Saxena has created a charge on this house for payment of Rs. 5,000 p.a. to his sister. Fire insurance premium paid is Rs. 100 and theft insurance Rs. 200.

c) Long-term capital gains from the sale of investments (which were held by the assessee for the last four years) amount to Rs.25,000. There accrued a loss of Rs. 4,000 on the sale of car which was being used by members of the family for their personal purposes, which is being used by the family for the last eight years.

d) Mr. Saxena wins a prize of Rs. 50,000 in Rajasthan State Lottery and claims it as his personal winnings. It is on record that the ticket was bought in his name though the rupee had been spared from the cash box of the business.

e) Dividends received on shares held by the family Rs. 5,000 (gross).

f) Life Insurance Premium paid on lives of the two brothers amounting to Rs. 1,300 during the year.

g) Interest on tax-free Government securities Rs. 9,000.

h) Loss of stock-in-trade occasioned by enemy action Rs. 1,000 which has not been written in the P & L a/c.

Compute total income of the family for the assessment year 1986-87.

Solution Computation at Total Income of of Shri Mahesh Chandra for the A Y. 1986-87

			Rs.
1. Interest on tax-free Government securities			9,000
2. Income from house property :		Rs.	
Rental value		10,000	
Less : Local taxes		500	
Annual Value		9,500	
Less : Repairs allowance	1,583		
Fire ins. premium	100	1,683	7,817
3. Profit from business		90,000	
Loss from enemy action		—1,000	89,000
4. Capital Gains : Long-term capital assets		25,000	
Less on long-term loss from car		4,000	21,000
5. Income from other sources : Dividends			5,000
Gross Total Income			1,31,817

Less : Permissible deductions :			
u/s 80C : Life insurance Premium		1,300	
u/s 80L : Dividends etc.		7,000	
u/s 80T : Capital gains :			
First Rs. 5,000	5,000		
40% of Rs. 16,000	6,400	11,400	19,700
Total Income			1,12,117
(Rounded off)			1,12,120

टिप्पणी (Notes) : 1. परिवार के सदस्यता कर्त्ता को दिया गया वेतन स्वीकृत व्यय है। 2. कर्त्ता द्वारा स्वयं उत्पन्न किया गया प्रभार सम्पत्ति की आय मे से नहीं घटाया जा सकता। इनकी वहिन को दी गई 5,000 रु० की राशि अस्वीकृत है।

3. कार का इस्तैमाल यद्यपि परिवार के निजी कार्यों के लिए होता है किन्तु तब भी यह पूँजी सम्पत्ति है व इसकी बिक्री पर हुई हानि दीर्घकालीन पूँजी हानि है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा हेमन्तसिंह जी बनाम कमिश्नर आफ इनकम टैक्स (1976) 103 I.T.R. 61 में दिया गया निर्णय बहुत महत्व का है। यद्यपि इस बिन्दु पर अभी भी मैतक्य नहीं और यह विवाद योग्य बिन्दु है।

4. लाटरी से मिला पुरस्कार कर्त्ता की अपनी निजी आय होगी यदि उसके द्वारा ऐसा दावा प्रस्तुत किया गया है।

5. चोरी रक्षा बीमा प्रीमियम भवन सम्पत्ति से आय' के अधीन कटौती योग्य व्यय नहीं है।

6. स्वयं अधिवासित भवन सम्पत्ति के लिए मिलने वाली कटौती केवल व्यक्ति (Individual) को ही मिल सकती है हिन्दू अविभाजित परिवार को नहीं।

हिन्दू अविभाजित परिवार के कर को गणना (Computation of Tax)

अधिनियम के अनुसार हिन्दू अवभाजित परिवार को कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 में तभी आयकर देना होगा जबकि उनकी कुल आय 18,000 रु० से अधिक हो।

आयकर की गणना के लिए इन परिवारों को दो वर्गों में रखा गया है, एक वे परिवार जिनके किसी भी सदस्य की अपनी व्यक्तिगत कुल आय 18,000 रु० से अधिक नहीं है दूसरे वे जिनके एक अथवा एक से अधिक सदस्य ऐसे हैं जिनकी अपनी निजी कुल आय 18,000 रु० से अधिक है। इनमें से पहले वर्ग के परिवार को व्यक्ति (Individual) पर लागू होने वाली दरों से ही आयकर देना पड़ता है। दूसरे वर्ग के परिवार के लिये एक विशेष दर सूची बनाई गई है जिसके अनुसार आय के विभिन्न टुकड़ों पर लागू होने वाली दरें साधारण दरों से अधिक हैं।

प्रथम वर्ग : ऐसा परिवार जिनके किसी भी सदस्य की अपनी व्यक्तिगत (निजी) आय 18,000 रु० से अधिक नहीं है :

1) कुल आय का प्रथम	18,000 रु०	कुछ नहीं
2) कुल आय के अगले	7,000 रु० पर	25%
3) कुल आय के अगले	25,000 रु० पर	30%
4) कुल आय के अगले	50,000 रु० पर	40%
5) कुल आय के शेष पर	शेष पर	50%

द्वितीय वर्ग : ऐसा परिवार जिसके कम से कम एक सदस्य की अपनी निजी आय 18,000 रु० से अधिक है :

कुल आय के प्रथम	12,000 रु० पर	शून्य
कुल आय के अगले	8,000 रु० पर	25%
कुल आय के अगले	20,000 रु० पर	30%
कुल आय के अगले	20,000 रु० पर	40%
कुल आय के अगले	40,000 रु० पर	50%
कुल आय के शेष पर		55%

कृषि योग्य होने पर कर की गणना :—यदि किसी हिन्दू अविभाजित की कर योग्य आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक और उसकी शुद्ध कृषि आय 600 रुपयों से अधिक है तो आयकर की गणना के लिए निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी—

1. सबसे पहले शुद्ध कृषि आय का निर्धारण किया जायेगा। इसका निर्धारण उसी प्रकार किया जायेगा जैसा कि एक व्यक्ति करदाता की स्थिति में किया जाता है।

2. कुल आय में शुद्ध कृषि आय जोड़कर सम्मिलित आय (Aggregate Income) की गणना कर निर्धारित दरों से कर की गणना की जाएगी।

3. न्यूनतम कर-योग्य सीमा (18,000 रु०) में शुद्ध कृषि आय जोड़कर प्राप्त योग पर निर्धारित दरों से कर की गणना की जायेगी।

4. उपर्युक्त (2) के अनुसार ज्ञात आयकर की राशि में से उपर्युक्त (3) के अनुसार ज्ञात आयकर की राशि को घटा दिया जाएगा जो शेष राशि बचती है वही कुल आय पर आयकर की राशि होगी और इस प्रकार कर दायित्व निकाल लिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :—यदि हिन्दू अविभाजित परिवार की गैर कृषि आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक नहीं है अथवा कृषि आय 600 रु० से अधिक नहीं है तो कर की गणना की उपरोक्त विधि काम में नहीं ली जायेगी।

ऐसे हिन्दू अविभाजित परिवार जिसके किसी एक अथवा एक से अधिक सदस्य की कुल आय 18,000 रु० से अधिक है, कृषि आय होने पर कर की गणना : ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य की कुल आय 18,000 रु० से अधिक तथा ऐसे परिवार की कुल आय 12,000 रु० से अधिक हो एवं शुद्ध कृषि आय 600 रु० से अधिक है, आयकर की गणना के लिए निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी :—

1. परिवार की कुल आय में शुद्ध कृषि आय को जोड़कर सम्मिलित आय (Aggregate Income) की गणना कर ऐसे परिवार पर लागू दरों से कर की गणना की जायेगी। यहाँ पर यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सीमान्त छूट का प्रावधान लागू नहीं होगा।

2. शुद्ध कृषि आय में 12,000 रु० जोड़कर प्राप्त योग पर निर्धारित दरों से कर की गणना की जायेगी। यहाँ भी सीमान्त छूट का प्रावधान लागू नहीं होगा।

3. उपर्युक्त (1) के अनुसार ज्ञात कर की राशि में से उपर्युक्त (2) के अनुसार ज्ञात आयकर की राशि को घटा दिया जायेगा जो शेष राशि बचती है वही कुल आय पर आयकर की राशि होगी।

कर-मुक्त आयों के सम्बन्ध में आयकर की छूट

1. **कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज :**—यदि परिवार की कुल आय में कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज सम्मिलित है तो ऐसी आय के सम्बन्ध में आयकर की औसत दर अथवा 27·5% जो भी कम हो, की छूट आयकर में से दी जाती है।

2. **अनरजिस्टर्ड फर्म एवं व्यक्तियों के अन्य समुदाय से प्राप्त लाभ :**—यदि किसी अनरजिस्टर्ड फर्म एवं व्यक्तियों के अन्य समुदाय से परिवार को लाभ प्राप्त होते हैं तो ऐसे लाभों के सम्बन्ध में आयकर की औसत दर से छूट दी जाती है। यह छूट तभी मिलेगी जबकि ऐसी फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदाय की आय कर योग्य हो। आयकर की औसत दर की गणना निम्न प्रकार की जाती है :

$$\text{आयकर की औसत दर} = \frac{\text{देय आयकर}}{\text{कुल आय}} \times 100$$

कर का उपसादन (Rounding off of Tax) : आयकर की गणना करने के बाद ज्ञात राशि को निकटतम रुपये तक कर लिया जाता है अर्थात् 50 पैसे से कम की राशि छोड़ दी जाती है और 50 पैसे या अधिक को एक रुपया मान लिया जाता है उदाहरणार्थ यदि कर की राशि 1,835 रु०60 पैसे है तो उसे 1,836रु० और 1,835 रु० 30 पैसे है तो इसे 1,835 रु० कर लिया जायेगा।

उदाहरण (Illustration) 5 : एक हिन्दू अविभाजित परिवार जिसके कर्त्ता श्री माधव गत वर्ष 1985-86 के निम्न विवरण प्रस्तुत करते हैं :—

Shree Madhav, Karta of a Hindu undivided family presents the following information for the previous year 1985-86.

	Rs.
प्रतिभूतियों से ब्याज की आय (गणना की हुई) Income from interest on securities (Computed)	4,000
रजिस्टर्ड फर्म से प्राप्त लाभ में हिस्सा (Share in profit of Registered firm)	17,500
परिवार के खेतों से शुद्ध कृषि आय (Net agriculture income from family's farms)	5,500
परिवार के सदस्य श्री सुरेन्द्र को वेतन से आय (Income from Salary to Surendra a member of family)	25,000

i) उपयोक्त सूचनाओं के आधार पर परिवार द्वारा देय कर ज्ञात कीजिए।
Compute Tax payable by the firm on the basis of above information.

ii. यदि परिवार की कृषि आय नहीं होती तो कर दायित्व में क्या अन्तर आता ?
If family had no agriculture income what would have been the difference in the amount of Tax liability ?

हल (Solution) : **Computation of Tax Liability**

i)

	Rs.
Income from Int. on Securities	4,000
Profit from Regd. firm	17,500
Gross Total Income	21,500
Deduction	Nil
Total Income	21,500

Aggregate of total income and net agriculture income i.e. Rs. 21,500 + 5,500 = 27,000

	Rs.	Rs.
Tax on first	12,000	Nil
Tax on next	8,000 @ 25 %	2,000
Tax on next	7,000 @ 30 %	2,100
		4,100

Tax on agriculture income
Rs. 12,000 + Rs. 5,500 i.e. Rs. 17,500

	Rs.	Rs.
Tax on first	12,000	Nil
Tax on next	5,500 @ 25%	1,375
		1,375

Income Tax Payable on Total income
Rs. 4,100—1,375 = 2,725

(ii) Income tax liability when there is no agriculture income
Total Income Rs. 21,500

	Rs.	Rs.
Tax on first	12,000	Nil
Tax on next	8,000 @ 25%	2,000
Tax on next	1,500 @ 30%	450
		2,450

यदि कृषि आय नहीं होती है तो कर दायित्व में 2,725—2,450=275 रु० की कमी आयेगी।

उदाहरण (Illustration) 6 : कमल कुमार एण्ड सन्स एक हिन्दू अविभाजित परिवार है जिसका कर्त्ता कमल है। परिवार में उसके कर्त्ता और उसके तीन पुत्र गणेश, किशन और विमल सहभागी हैं। 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में परिवार तथा सहभागियों की निम्नलिखित आय थी—

a) एक कम्पनी के प्रबन्धक के नाते गणेश का वेतन 36,000 रु०;
b) प्रतिभूतियों पर ब्याज—
 i. गणेश के नाम में (उसके वेतन की आय में से विनियोग द्वारा) 8,400 रु०;
 ii. समस्त सहभागियों के नाम में (परिवार के कोष में से विनियोग द्वारा) 5,800 रु० (सकल);
c) मकान सम्पत्ति से आय—
 i. पैतृक मकान जो परिवार के निवास के काम में आता है, का नगरपालिका मूल्यांकन 6,000 रु०;
 ii. कमल के नाम में एक मकान (परिवार के कोष से क्रय किया गया) से प्राप्त किराया 14,400 रु०;
d) व्यापार से आय—
 i. परिवार के व्यापार से लाभ 70,000 रु०;
 ii. एक रजिस्टर्ड फर्म जिसमें कमल परिवार के प्रतिनिधि के रूप में साझेदार है, की आय में आधा भाग 7,200 रु०;
 iii. किशन की वकालत के व्यवसाय से आय 19,200 रु०;

e) भारतीय कम्पनियों के अंशों से लाभांश—
   i. परिवार के कोष में से कमल के नाम में क्रय किये गये अंशों से 6,000 रु० (सकल);
   ii. कमल की पत्नी के नाम में से उसके स्त्रीधन में से क्रय किये गये अंशों से 2,400 रु० (सकल);
   iii. एक नई भारतीय औद्योगिक कम्पनी के 4,000 रु० के साधारण अंश गत वर्ष में क्रय किये गए हैं।

निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए परिवार की कुल आय ज्ञात कीजिए।

Kamal Kumar & Sons is a Hindu undivided family of which Kamal is the Karta. The family consists of the Karta and his three sons Ganesh, Kishan and Vimal as coparceners. The family and the coparceners had the following income for the year ended 31st March, 1986:

a) Salary of Ganesh as manager of a company Rs. 36,000.
b) Interest of securities :
   i. In the name of Ganesh (investment made out of his salary) Rs. 8,400.
   ii. In the name of all the coparceners (investment made out of family funds) Rs. 5,800 (gross).
c) Income from House Property :
   i. Ancestral house used as residence of the family municipal valuation Rs. 6,000.
   ii. Rent of a house in the name of Kamal (bought out of family funds) Rs. 14,400.
d) Income from business :
   i. Profits of family business Rs. 70,000.
   ii. Half share of income in registered firm in which Kamal is a partner in a repersentative capacity, Rs. 7,200.
   iii. Income of Kishan from profession as a lawyer Rs. 19,200.
e) Dividends from shares in Indian companies :
   i. In the name of Kamal bought out of family funds Rs. 6,000 (gross)
   ii. In the name of Kamal's wife bought out of her stridhan Rs. 2,400 (gross)
   iii. Purchased equity share of a new Indian industrial company for Rs. 4,000 during the previous year.

Compute the total income of the family for the assessment year 1986-87.

[*Raj. M. Com* 1984 (*adapted*)].

हल (Solution) : Statement of Total Income of Hindu Undivided Family
Assessment Year 1986-87

	Rs.	Rs.	Rs.
1. Interest on Securities			5,800
2. Income from House Property :			
a) Let out House :			
Rental Value being			
Annual value	14,400		
Less : Repairs 1/6th	2,400	12,000	
b) Ancestral House (Residential)			
Municipal valuation	6,000		
Less : Statutory Allowance	3,000		
Annual value	3,000		
(being less than 10% of total other income)			
Less : Repairs 1/6th	500	2,500	14,500

3. **Profit of Business :**		
Profits of family business	70,000	
Share of income from a registered firm	7,200	77,200
4. **Income from Other Sources :**		
Dividends		6,000
Gross Total Income		1,03,500
Less : Deductions :		
Dividends (80L)	6,000	
Investment in new equity shares (80CC)	2,000	8,000
Total Income		95,500

टिप्पणी : 1. सदस्यों की व्यक्तिगत आयें परिवार की आय में नही जोड़ी जाती हैं।

2. प्रतिभूतियों पर ब्याज एवं लाभाँश की आय सकल है।

3. किराये पर उठाया गया मकान यद्यपि कमल के नाम में है, लेकिन परिवार के कोष से खरीदा गया है, अतः इसकी आय परिवार की आय मानी जायेगी।

4. भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश के सम्बन्ध में कटौती 7,000 रु० तक दी जाती है।

5. यह माना गया है कि नये साधारण अंशों में विनियोग इस सम्बन्ध में दी जाने वाली कटौती की सभी शर्तें पूरी करता है।

उदाहरण (Illustration) : 7 : निम्नलिखित विवरण द्वारा एक संयुक्त हिन्दू परिवार जिसके कर्त्ता श्री राजन हैं, द्वारा देय-कर की राशि कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए ज्ञात कीजिए :—

		रु०
i.	परिवार के व्यापार से लाभ (लाभ हानि खाते के अनुसार)	40,000
	लाभों की गणना निम्न मदों को डेबिट करके की गयी थी :	
	a) कर्त्ता को वेतन	6,000
	b) सट्टे के व्यवसाय से हानि	8,000
	c) वसूल न होने वाला ऋण कर्त्ता के एक रिश्तेदार को विना ब्याज दिया	7,000
ii.	संयुक्त हिन्दू परिवार के दो मकान है। प्रथम मकान स्वयं के रहने के प्रयोग में है।	
	नगरपालिका मूल्य	5,000
	नगर पालिका कर चुकाया	600
	बीमा प्रीमियम चुकाया	100
	द्वितीय मकान किराये पर दिया हुआ—500 रु० मासिक	
	नगरपालिका कर चुकाया	480
	बीमा प्रीमियम चुकाया	80
iii.	भारतीय कम्पनियों से लाभाँश (शुद्ध)	2,400
iv.	बैंक से प्राप्त ब्याज	1,800
v.	a) जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान	8,000
	b) नेशनल डिफेंस फण्ड को दान दिया	2,000
	c) राजस्थान सरकार को परिवार नियोजन के प्रोत्साहन हेतु दान	8,000

d)	एक सदस्य की चिकित्सा पर व्यय किया जो अस्पताल में 25 दिन भर्ती रहा	1,000
e)	सनातन हिन्दू धर्म विकास परिषद को दिया गया दान	600

vi. परिवार का एक सदस्य मोहन सरकारी कर्मचारी है जिसका वेतन 25,000 रु० था।

vii. परिवार के एक सदस्य श्री सोहन रजिस्टर्ड फर्म में साझेदार है जिसमें परिवार ने 25,000 रु० विनियोजित किये हैं। गतवर्ष 1985-86 में सोहन के पूंजी खाते में 50,000 रु० वेतन 2,500 रु० पूंजी पर ब्याज के जमा किये तथा 10,000 रु० हानि के नाम लिखे गये।

viii. परिवार के अन्य सदस्य श्री रमन ने 50,000 रु० के 10% राजस्थान सरकार के ऋण पत्र 1 अप्रैल 1983 को परिवार की सम्पत्ति में मिला दिये। जिन पर परिवार को 30 जून और 31 दिसम्बर को ब्याज प्राप्त होता है।

ix. श्री राजन की पत्नी को विवाह के अवसर पर 60,000 रु० परिवार की सम्पत्ति में से कर्त्ता द्वारा भेंट किये गये थे एक फर्म में जमा करा दिये थे। गत वर्ष में इस जमा पर उद्गम स्थान पर कर काटने के बाद 9,000 रु० ब्याज प्राप्त हुआ।

From the following particulars given by Shir Rajan who is karta of HUF Compute Tax Payable by him for the assessment year 1986-87.

		Rs.
i.	Profits from family business (as per P & L A/c)	40,000
	Profit was computed after debiting the following items :—	
	a) Salary to karta	6,000
	b) Loss from speculation business	8,000
	c) An irrecoverable loan given to a relative of the karta without interest	7,000
ii.	The H.U.F. owns to houses;	
	First house in used for its residence.	
	Municipal Value	5,000
	Municipal Taxes Paid	600
	Insurance Premium Paid	100
	Second house has been let out at	500 P.M.
	Municipal Taxes Paid	480
	Insurance Premium Paid	80
iii.	Dividends from indian companies (Net)	2.400
iv.	Bank Interest received	1,800
v.	a) Life insurance premium paid	8,000
	b) Donation paid to National Offience Fund	2,000
	c) Donation to Rajasthan Government for promotion of family planning	8,000
	d) Expenditure incurred on the Treatment of a dependent member who remained in hospital for 25 days	1,000
	e) Donation to Sanatan Hindu Dharm Vikash Parishad	600
vi.	One member of the family is a Govt. employee whose salary was	25,000

vii. Shri Sohan, a member of family is a partner in a regd. firm in which Rs. 25,000 was invested by family. During the previous year 1985-86 Rs. 5,000 as salary and Rs. 2,500 as int. on capital credited in sohan's capital account and Rs. 10,000 debited for share in loss of firm.

viii. Shri Raman, a member of family converted Rs. 50,000, 10% Debentures of Rajasthan Government on 1st April 1983 in to H.U.F. Property. Interest received there on by family on 30th June and 31st Dec.

ix. Shri Rajan's wife was given by the karta a gift of Rs. 60,000 out of family property on the occassion of her marriage and this amount was deposited by her in a firm Rs. 9,000 received in previous year on interest after deduction of tax at source.

हल (Solution) :

Computation of total Income & Tax Payable for the A.Y. 1986-87

			Rs.	Rs.
Income from House Property		Rs.		
Let Out : Fair Rent		6,000		
Less : Municipal taxes		480		
Annual Value		5,520		
Less : Repairs 1/6 of Annual Value	920			
Insurance Premium	80	1,000	4,520	
Self-occupied : Municipal Value		5,000		
Less : Municipal Taxes		600		
		4,400		
Less : Statutory Deduction		2,200		
Annual Value		2,200		
Less : 1/6 for Repairs	367			
Insurance Premium	100	467	1,733	6,253
Profits from Business :				
Family business profit as per P & L A/c		40,000		
Add : Speculation loss not allowed		8,000		
Irrecoverable loans not allowed		7,000	55,000	
Less : Loss in Regd. firm set-off			7,500	47,500
Income from other Scures :				
Dividend Gross $\left(2,400 \times \frac{100}{80}\right)$			3,000	
Bank Interest			1,800	4,800
Gross Total Income				58,553
Deductions				
u/s 80C for life insurance premium first Rs. 6,000 @ 100% balance Rs. 2,000 @ 50%			7,000	
u/s 80L for dividends and bank interest			4,800	
u/s 80G for Donations				
50% of Rs. 2,000		1,000		
100% of Rs. 4,673		4,673	5,673	17,473
Total Income				41,080

Tax Liability ·

	Rs.
Income-tax on Rs. 41,080 (according to rates for specified H.U.F.)	8,432
Less : Tax deducted at source (from dividends)	600
Tax Payable	7,832

टिप्पणी (Notes) : 1. सट्टे की हानि की पूर्ति सट्टे के लाभों से ही की जा सकती है।
2. रजिस्टर्ड फर्म से प्राप्त वेतन सोहन की व्यक्तिगत आय है, किन्तु सोहन के खाते में जमा 2,500 रु० ब्याज परिवार की आय है। फर्म से हुई हानि में से 2,500 रु० ब्याज की राशि कम करके शेष 7,500 रु० की हानि की पूर्ति व्यवसाय के लाभों से की गई है।

3. रमन द्वारा परिवार को हस्तान्तरित ऋणपत्रों का ब्याज रमन की आय मानी जायेगी परिवार की नहीं।

4. कर्त्ता द्वारा परिवार की सम्पत्तियों में से अपने जीवन साथी को जो राशि भेंट की है उससे होने वाली आय परिवार की आय में सम्मिलित नहीं की जायेगी। धारा 64 के प्रावधान केवल एक व्यक्ति पर लागू होते हैं। यदि कर्त्ता द्वारा अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति में से पत्नी को सम्पत्ति हस्तान्तरित की जाती तो होने वाली आय राजन की व्यक्तिगत आय में जोड़ी जाती।

5. चिकित्सा व्ययों के लिये कटौती जो धारा 80-D के अन्तर्गत दी जाती थी, कर-निर्धारण वर्ष 85-86 से समाप्त हो गई है।

6. धारा 80-G के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि समायोजित कुल आय के 10% से अधिक नहीं हो सकती अर्थात् (58,553—7,000—4,800) 46,733 का 10% 4,673 रु० होगी किन्तु नेशनल डिफेंस फण्ड में दान 2,000 रु० की राशि पर यह प्रतिबन्ध (समायोजित कुल आय का 10%) लागू नहीं होगा।

परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के लिए गये दान के सम्बन्ध में कटौती 100% दी जाती है। चूंकि सकल समायोजित राशि 4,673 रु० है जबकि परिवार नियोजन के लिए दान में दी गई राशि 8,000 है, अतः 4,673 रु० पर 100% कटौती दी गई है। और नेशनल डिफेंस फण्ड में दान पर 50% की कटौती दी गई है। सनातन हिन्दु धर्म विकास परिषद को दी गई राशि धारा 80-G के अन्तर्गत कटौती योग्य नहीं है क्योंकि यह धर्म विशेष के लिए है।

7. चूंकि परिवार के एक सदस्य की आय 18,000 रु० से अधिक है, अतः परिवार पर विशिष्ट दरों से कर की गणना की जायेगी।

परीक्षा प्रश्न (Test Questions)

1. भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत हिन्दू अविभाजित परिवार के कर निर्धारण के प्रमुख तत्वों का विवेचन कीजिए।
   Discuss the salient features assessment of hindu undivided family under the indian income-tax act 1961. *(Rajasthan B. Com. Hons. 1983 and 1984)*
2. हिन्दू अविभाजित परिवार के पूर्ण विभाजन और आँशिक विभाजन को समझाइये विभाजन के पश्चात् एक हिन्दू परिवार का विभाजन के पूर्व अर्जित की गई आय पर किस प्रकार निर्धारण होता है ?
   Explain total partition and partial partition of a hindu undivided family. How is hindu undivided family assessed after partition on its income earned before its partition ? *(Rajasthan B. Com. 1983)*
3. हिन्दू अविभाजित परिवार के विभाजन के बाद में किये जाने वाले कर-निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइये— (कुरुक्षेत्र बी. कॉम. 1975)

Describe the procedure of assessment after the partition of a Hindu undivided Family.

4. आयकर की कौन-सी छूटें हिन्दू अविभाजित परिवारों को उपलब्ध हैं ? लिखिए।
What concessions from income-tax are available to Hindu Undivided Families ? Enumerate.

5. हिन्दू अविभाजित परिवार का कर-निर्धारण किन-किन बातों में फर्म के कर निर्धारण से भिन्न है ?
What is the difference between the assessment of a H.U.F. and a firm ?

6. हिन्दू विधि के अधीन 'मिताक्षरा' एवं दायभाग' के आशय को स्पष्ट कीजिये।
Explain the term 'Mitakshare' and 'Dayabhag' under Hindu Law.

7. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए (write Short notes on) :

a. हिन्दू सहभागिता (Hindu Coparcenary)
b. हिन्दू अविभाजित परिवार पर कर की गणना (Computation of Tax on Hindu Undivided Family)
c. आंशिक विभाजन (Partial Partition) (Rajasthan 1976)

8. ऐसी आयों का वर्णन कीजिए जिन पर हिन्दू अविभाजित परिवार की आय के रूप में कर नहीं लगाया जाता है।
Discuss the income which are not taxed as incomes of hindu undivided family.

व्यवहारिक प्रश्न (Practical Questions)

1. एक संयुक्त हिन्दू परिवार जिसमें कि तीन भाई हैं उनके सम्बन्ध में विवरण निम्न प्रकार है :

a. परिवार की मकान सम्पत्ति से प्राप्त किराया 12,000 रु० प्रतिभूतियों पर ब्याज 11,340 रु०; लाभाँश (सकल) 10,000रु०।

b. परिवार के कर्त्ता श्री बद्री प्रसाद को एक लोक कम्पनी के प्रबन्धक के रूप में प्राप्त वेतन 24,000 रु० (जहाँ कि परिवार द्वारा जमानत के रूप में रोकड़ जमा कराया हुआ है) एवं एक अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभ में उनका हिस्सा 12,350रु०।

c. श्री शरद प्रसाद को स्वयं की मकान सम्पत्ति के सम्बन्ध में आय 2,300 रु०, एक अन्य मकान सम्पत्ति जो कि उनके नाम में है किन्तु परिवार ने इसके क्रय के लिये धन की व्यवस्था की है, से आय 4,300 रु०, एक अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभ में उनका हिस्सा 8,600 रु०।

d. श्री प्रीतम सिंह जो कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं को प्राप्त वेतन 24,000 रु०, उनका अपनी भविष्य निधि में अंशदान वेतन का 12% है एवं इतना ही अंशदान विश्वविद्यालय का है, उनके द्वारा जीवन बीमा प्रीमियम के 5,000 रु० चुकाये गये, उनको एक भारतीय कम्पनी से 9,600 रु० लाभाँश एवं 6,000 रु० एक पुस्तक के अधिकार शुल्क के प्राप्त हुए। यह पुस्तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा बी कॉम पाठ्यक्रम के लिए अनुशंसित की गई है।

e. सुश्री वासवानी (बहिन) को मेडीकल प्रेक्टिस से आय 23,000 रु० । इनकी शिक्षा का समस्त व्यय परिवार ने वहन किया ।

उपरोक्त विवरण के आधार पर कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये हिन्दू अविभाजित परिवार एवं इसके सहभागियों की कुल आय की गणना कीजिये :

A Hindu undivided family consists of three brothers whose particulars are given below for purposes of their assessments :

a) Family's income from house property Rs. 12,000, Interest on securities Rs. 11,340. Dividends (gross) Rs.10,000.

b) Badri Prasad (karta of the family) : Salary as manager in the public limited company where cash was deposited by the family as security Rs.24,000 share of profit from an unregistered firm Rs, 12,350.

C) Sharad Prasad : Income from self-acquired house property Rs. 2.300, income from another house standing in his name but for the purchase of which funds were arranged by the family Rs. 4,300, share of profit from an unregistered firm Rs. 8,600.

d) Pritam Singh : Salary as a professor in Kurukshetra university Rs. 24,000, his contribution to provident fund is @ 12%, a similar amount is contributed by the university, life insurance premium paid by him Rs. 5,000, dividends received by him Rs. 9,600, royality received by him for a book Rs. 6,000. This book was recommended by Kurukshetra University as a text book for B.com. syllabus.

e) Miss Vaswani (sister) : Income from medical practice Rs. 23,000. Her education was financed by the family.

On the basis of above particulars calculate total Income of HUF and its co-parceners for the A. Y. 1986-87.

2. राजनरायन एण्ड संस, एक हिन्दू अविभाजित परिवार, के निम्नांकित विवरण से कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये कुल आय की गणना कीजिए ।

a) कर्त्ता श्री चरण, मैं० आनन्द टैक्सटाइल्स लि० के प्रबन्धक हैं तथा 2,000 रु० मासिक वेतन पाते हैं ।

b) श्री चरण के पास हिन्दू अविभाजित परिवार की ओर से रखी सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज 3,500 रु० तथा श्री श्याम, हिन्दू अविभाजित परिवार के एक सदस्य के पास अपनी आय में से लिए एक कम्पनी के $13\frac{1}{2}\%$ परिवर्तनीय ऋण पत्रों पर ब्याज 5,000 रु० ।

c) श्री चरण अपने परिवार के व्यापार का प्रबन्ध करते हैं जिसमें श्री विद्याचरण एक सदस्य को दिए गये वेतन 1,000रु० मासिक तथा चोरी से स्टाक की हानि 6,000 रु० घटाने के पश्चात् 15,000 रु० का शुद्ध लाभ हुआ ।

d) परिवार के पास रखी प्रतिभूतियों की विक्री पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ 9,000 रु० तथा श्री श्याम के पास रखे ऋणपत्रों की विक्री पर अल्पकालीन हानि 6,000 रु० ।

e) मैं० आनन्द टैक्सटाइल्स लि० से अंशों पर सकल लाभांश 10,000 रु० ।

f) श्री चरण ने परिवार के कोषों में से सदस्यों के जीवन पर बीमा प्रीमियम चुकाया 7,800 रु० ।

From the following particulars of Rajnarayan & Sons (HUF) compute the total income for the A. Y. 1986-87.

1. Shri Charan, the Karta, is the manager of M/s Anand Textiles Ltd. and gets a salary of Rs. 2,000 p.m.
2. Interest on tax-free government securities held by Shri Charan on HUF account Rs. 3,500, and interest on 13½% convertible debentures of a company Rs. 5,000 held by Shri Shyam, a member of HUF out of his income.
3. Shri Charan manages his family business from which a net profit of Rs. 15,000 is returned after charging a salary of Rs. 1,000 p. m. to Shri Vidya Charan member and Rs, 6,000 as loss of stock by theft.
4. Long term capital gains on sale of securities held by HUF Rs. 9,000, and short term loss Rs 6,000 by sale of debentures, held by Shyam for the HUF
5. Gross dividend from shares in M/s Anand Textiles Ltd. 10,000
6. Shri Charan has paid out of HUF funds Life Insurance Premium on the members, lifes Rs, 7,800. *(adapted Karnataka B. Com. 1981)*

3. एक हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्त्ता श्री विनय हैं। श्री विनय के तीन भाई श्री मुकेश, श्री राकेश और श्री लोकेश इस परिवार के अन्य सहभागी हैं। इस परिवार तथा इसके सहभागियों की कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए आयों का निम्नलिखित विवरण है :

a) श्री लोकेश के नाम से परिवार की सम्पत्ति में से एक अनरजिस्टर्ड फर्म में 40,000रु० की पूंजी लगाई गई है और फर्म के 1985 के लाभों में श्री लोकेश का हिस्सा 22,000 रु० है। फर्म से श्री मुकेश को गतवर्ष में 9,600 रु० प्रबन्धक के रूप में वेतन भी प्राप्त हुआ।

b) श्री राकेश के नाम परिवार की सम्पत्ति में से एक लिमिटेड कम्पनी के अंश क्रय किए गये। राकेश इस कम्पनी का प्रबन्ध संचालक बना और 30,000 रु० का कुल पारिश्रमिक प्राप्त किया। इस कम्पनी से 15 फरवरी, 1986 को 8,000 रु० लाभांश के प्राप्त हुए।

c) श्री लोकेश इन्जीनियर है और उन्हें वर्कशॉप चलाने के लिए परिवार की सम्पत्ति में से 40,000 रु० दिए गये हैं जिस पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाता है। श्री लोकेश को इस वर्कशॉप से 1985 में 13,000 रु० की कर-योग्य आय हुई।

d) श्री विनय एक चार्टर्ड लेखपाल हैं उन्होंने भी अपने पेशे को स्थापित करने के लिए परिवार की सम्पत्ति में से 30,000 रु० का ऋण लिया है जिस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। उन्हें अपने पेशे से 50,000 रु० की कर-योग्य आय वित्तीय वर्ष 1985-86 में हुई।

e) पूर्वजों से प्राप्त परिवार के सदस्यों के निवास हेतु मकान सम्पत्ति से कर-योग्य आय 3,000 रु० थी। श्री विनय के नाम से परिवार की सम्पत्ति में से क्रय किए गये मकान से प्राप्त किराया 12,000 रु० था।

श्री मुकेश ने एक जनवरी, 1978 को 1,00,000रु० के अंकित मूल्य की 8% सरकारी प्रतिभूतियाँ परिवार की सम्पत्ति में मिला दी जिनको श्री मुकेश ने अपनी व्यक्तिगत आय से क्रय की थी। वित्तीय वर्ष 1985-86 में ये प्रतिभूतियाँ परिवार के स्वामित्व में ही थी।

g) परिवार ने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के यूनिटों में भी विनियोग कर रखा हैं। गतवर्ष में इन पर लाभांशों के 2,000 रु० प्राप्त हुए।

h) पूर्वजों के व्यापार से कर्त्ता के पुत्र को 1,000 रु० के भुगतान देने के बाद 5,000 रु० का लाभ हुआ। कर्त्ता का पुत्र व्यापार में अंशकालीन लिपिक का कार्य करता था।

i) वर्ष में जीवन बीमा प्रीमियम के 2,000रु० परिवार के सदस्यों के जीवन बीमा के चुकाये गये।

निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए उक्त परिवार की कुल आय तथा उस पर देय कर ज्ञात कीजिये।

Shri Vinay is Karta of a Hindu undivided family and his three brothers—Shri Mukesh, Shri Rakesh and Shri Lokesh—are the other coparceners. The following are the particulars of the income of the family and its coparceners for the assessment year 1986-87.

a) Rs. 40,000 have been invested out of the income of family fund in an unregistered firm in the name of Shri Lokesh and his share in the firms profit for 1985 is Rs. 22,000 During the previous year, Shri Mukesh received as salary of Rs. 9,600 as the manager of the firm.

b) Out of the family funds, shares of a limited company have been purchased in the name of Rakesh by virtue of which Rakesh became the Managing Director of the company and earned total remuneration of Rs. 30,000. The amount of dividends received on these shares on 15th February, 1986 were Rs 8,000.

c) Shri Lokesh is an engineer and he has been given Rs. 40,000 out of the family funds for the running of a workshop at 12% p.a. interest. Shri Lokesh's taxable income from this workshop in 1985 was Rs 13,000.

d) Shri Vinay is a Chartered Accountant. He also took Rs. 30,000 from the family funds for establishing his profession, on which no interest is charged. His taxable income from the profession for the financial year 1985-86 was Rs. 50,000.

e) Taxable Income from the ancestral house property which is being used for residential purpose of members of family was Rs. 3,000 Rent received from a house purchased in the name of Vinay from family property was Rs. 12 000.

f) Shri Mukesh merged 8% Government Securities for Rs 1,00,000, which he had purchased out of his personal income in the family pool on 1st January, 1978. These continue to be owned by the family during the financial year 1985-86.

g) H.U.F. has also investment in the units of Unit Trust of India and received a dividend of Rs. 2,000 during the previous year.

h) Profits from ancestral business Rs 5,000 after deducting Rs. 1,000 paid to the son of Karta, a part time clerk in the business.

i) Life Insurance premium paid on the lives of two members of the family amounted to Rs. 2,000 during the year.

Compute the total Income of the assessment year 1986-87 and also the tax payable by it. *(Raj. B. Com. 1976 modified)*

4. एक हिन्दू अविभाजित परिवार के तीन सदस्य थे: कर्त्ता श्री राम और उनके दो भाई—श्री श्याम तथा श्री मोहन। यह परिवार तीन कारखाने चलाता था—चीनी का, तेल का तथा कपड़े का। 1 अप्रैल 1985 को श्री श्याम परिवार से अलग हो गए और उन्हें कपड़े का कारखाना विभाजन में मिला। 1986-87 कर निर्धारण वर्ष में कर्त्ता ने परिवार के आय के नक्शे में 1,00,000 रु० की कुल आय दिखलाई: चीनी के कारखाने का लाभ 60,000 रु० तथा तेल के कारखाने का 40,000 रु०

और माँग की कि 1 अप्रैल 1985 से परिवार की सम्पत्तियों का आँशिक विभाजन हो गया है। श्री श्याम ने अपने इसी वर्ष के लिये अलग प्रस्तुत किए गये नक्शे में कुल आय 70,000 रु० दिखखाई : मकान सम्पत्ति से 20,000 रु० तथा कपड़े के कारखाने से 50,000 रु० प्रत्येक कारखाने का हिसाब 31 मार्च को बन्द किया जाता है।

परिवार के द्वारा देय कर ज्ञात कीजिए तथा यह भी बताइये कि उसके भुगतान के लिए कौन दायी होंगे। (राजस्थान एम० काम० 1985)

A Hindu undivided Family had three members : Karta Mr Ram and his two brothers—Mr. Shyam and Mohan. The family owned three factories—of sugar, oil and textiles. On 1st April. 1985. Mr. Shyam separated from the family and got the textile mill on partition. The Karta showed in the return of income of the family a total income of Rs. 1,00 000 for the assessment year 1986-87 : Profit of Sugar Mill Rs· 60,000 ond of oil Mill Rs. 40.000 and claimed that partial partition has taken place on 1st April. 1985. Mr. Shyam in his separate return for the same year showed total income of Rs. 70,000; from house property Rs. 20,000 and from Textile Mill Rs. 50,000. The accounts of each factory are closed on 31st March.

Compute the tax payable by the family and also state who will be liable to pay it.

5. श्री मोहन जो एक हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्त्ता हैं, के द्वारा परिवार की वित्तीय वर्ष 1985-86 की आय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया गया है :

a)	1 जुलाई 1982 को एक पिछड़े क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक उद्यम से लाभ	50,000
b)	परिवार के एक सदस्य द्वारा एक फर्म से प्राप्त वेतन	12,000
c)	एक कम्पनी में सचिव का कार्य करने का कर्त्ता द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक	30,000
d)	किराये पर उठाये गये पैतृक मकान का नगरपालिका मूल्य	12,000
e)	मकान सम्पत्ति पर स्थानीय कर	600
f)	लाभांश (शुद्ध) 30-5-85 को प्राप्त हुआ	800
g)	मकान सम्पत्ति (1969 में क्रय की गयी) के हस्तान्तरण से पूँजी लाभ	4,500
h)	विनियोगों के हस्तान्तरण से पूँजी-लाभ चार वर्ष पूर्व किये गये थे	10,000
i)	एक अपंजीकृत फर्म के लाभ में हिस्सा	15,000
j)	अनुमोदित शिक्षण संस्था को दान	6,000
k)	परिवार के पुरुष सदस्यों के जीवन पर संयुक्त रूप से ली गई जीवन बीमा पालिसी पर प्रीमियम का पारिवारिक आय से भुगतान	3,700

निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए परिवार की कुल आय एवं देय कर की गणना कीजिये।

The following details of income of Hindu Undivided Family for the financial year 1985-86 have been supplied by Shri Mohan who is the Karta of the Family :

a) Profits of an industrial undertaking established on 1st July 1982 in a backward area.	50,000
b) Salary received by a member of the family from a firm	12,000
c) Remuneration received by Karta for working as secretary in a company.	30,000
d) Municipal value of ancestral house let.	12,000
e) Local taxes on house property	600
f) Dividend received (net) on 30-5-85	800
g) Capital gains from transfer of building Purchased in 1969.	4,500
h) Capital gains from transfer of investments purchased four year ago	10,000
i) Profits from an unregistered firm	15,000
j) Donation to a recognised educational institution	6,000
k) Life Insurance Premium on the life of male members of the family Jointly from the family income.	3,700

Compute the total income of the family for the assessment year 1986-87 and the tax payable by it. *(Raj. B. Com. Hons. 1986)*

उत्तर—अध्याय 16 (हिन्दू अविभाजित परिवार)

(1) कुल आय परिवार 24,340 रु०, बद्री प्रसाद 30,350 रु०, शरद प्रसाद 14,100 रु०, प्रीतमसिंह 20,560रु० ।

(2) कुल आय 23,000 रु०,

(3) कुल आय 45,800 रु० एवं देयकर 6,363 रु०, शुद्ध कर दायित्व (उद्गम स्थान पर कर को समायोजित करने के पश्चात्) 4,363 रु०,

(4) परिवार द्वारा देयकर 63,500 रु० (यह परिवार विशिष्ट परिवार की दरों से आयकर देगा । परिवार का आंशिक विभाजन मान्य नहीं होगा)

(5) सकल कुल आय 90,000, कुल आय 54,430 देयकर 9977 (विशिष्ट परिवार पर लागू कर की दरों से कर में से अनरजिस्टर्ड फर्म के हिस्से पर औसत दर से छूट के बाद)

———

17

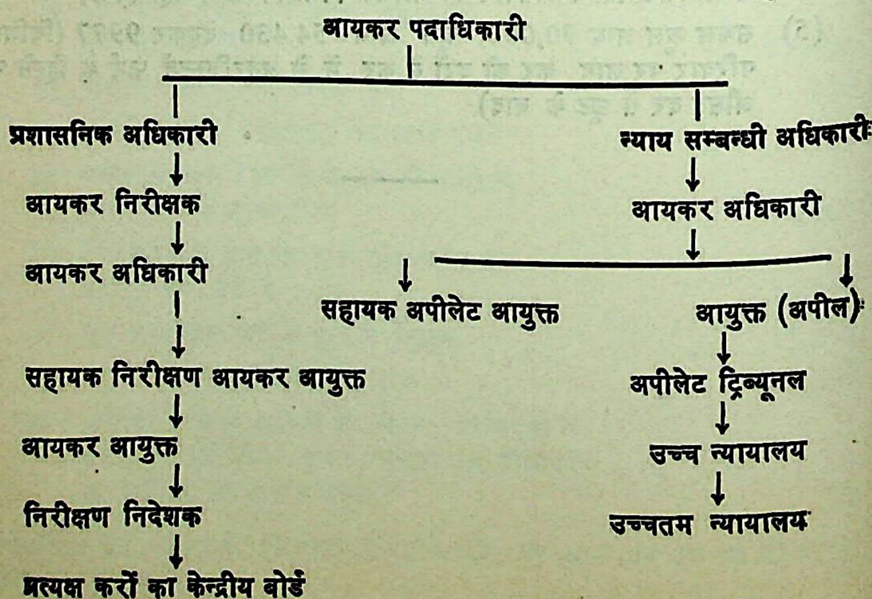
आयकर पदाधिकारी

(Income-Tax Authorities)

आयकर अधिनियम की कुशल व्यवस्था के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बहुत से अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इनमें से कुछ अधिकारी प्रशासन से सम्बन्धित होते हैं, जिनका कार्य आयकर अधिनियम के अन्तर्गत करदाता की कुल आय की गणना तथा उस पर आयकर की वसूली करना होता है, दूसरी ओर'कुछ अधिकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के न्यायपूर्ण विश्लेषण एवं व्याख्या से सम्बन्धित रहते हैं इनका मुख्य कर्तव्य यह देखना है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आयकर की धाराओं का सही अर्थ लगाया जा रहा है अथवा नहीं। किन्हीं धाराओं की व्याख्या आदि में यदि कहीं सन्देह होता है तो ये सन्देह के निर्धारण में करदाता की तथा प्रशासन सम्बन्धी अधिकारियों की सहायता करते हैं। इन अधिकारियों का वर्णन हम निम्नलिखित दो भागों में करेंगे :

1. प्रशासन से सम्बन्धित (Administrative)
2. न्याय से सम्बन्धित (Judicial)

निम्नलिखित चार्ट से दोनों प्रकार के अधिकारी सरलता से समझे जा सकते हैं :—



आयकर अधिनियम के अधीन कार्यरत विभिन्न पदाधिकारियों को न्यायिक रूप से कार्य करना पड़ता है तथा न्यायिक प्रक्रिया की एक विशेष आवश्यकता यह है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कुछ निर्णय देने से पहले उसे अपनी बात कहने का एक उचित अवसर दिया जाना चाहिए[1]। कर की विभिन्न क्रिया से सम्बन्धित पदाधिकारी न्यायिक कल्प (Quasi-Judicial) अधिकारों का उपयोग करते हैं तथा ऐसा करते हुए उन्हें अधिकारों का उचित रूप में उपयोग करना चाहिए न कि पक्षपाती दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।[2]

अ. प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड (Central Board of Direct Taxes)

इस बोर्ड की स्थापना सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत हुई है। इससे पहले यह बोर्ड सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू कहलाता था जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी। यह बोर्ड प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सभी प्रकार के करों के लिए सर्वोच्च अधिकारी था। कार्य के विस्तृत क्षेत्र होने के कारण इस बोर्ड को सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू अधिनियम 1963 के द्वारा दो भागों में बाँट दिया गया है :

1. प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड; तथा
2. उत्पादन कर एवं आयात करों का केन्द्रीय बोर्ड।

आयकर अधिनियम का प्रशासन प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड के पास है जिसमें इस समय छः सदस्य हैं तथा इनके अतिरिक्त एक अध्यक्ष हैं। इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती हैं। शासन सम्बन्धी मामलों में यह सर्वोच्च अधिकारी हैं।

अधिकार (Powers)—आयकर अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न नियम के बनाने का इसे पूर्ण अधिकार है। कुशल व्यवस्था के लिए इसके द्वारा समय-समय पर विभिन्न अधिसूचनायें (Notification), निर्देश, टिप्पणियाँ, आदि आयकर अधिकारियों जिनमें डाइरेक्टर्स आफ इन्सपैक्सन, आयकर कमिश्नर' इंसपैक्टिग असिस्टेन्ट कमिश्नर तथा आयकर अधिकारी सभी सम्मिलित हैं, को भेजे जाते हैं। ये सभी अधिकारी अपना कार्य करते समय इन निर्देशों का पालन करते हैं। इसके अतिरिक्त इन सभी अधिकारियों के कार्य क्षेत्र को निश्चित करना तथा इन सबके द्वारा होने वाले कार्य पर निगरानी रखना भी इसी बोर्ड के कार्यों में आता है। इन साधारण अधिकारों के अतिरिक्त इस बोर्ड को अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित विशिष्ट अधिकार भी दिए गए हैं :

1. धारा 2 (17) के अन्तर्गत एक ऐसा समूह जो निर्गमित हुआ हो या नहीं, जो भारतीय हो या नहीं, बोर्ड द्वारा अधिमियम के लिए कम्पनी घोषित किया जा सकता है।
2. धारा 3 (1)(c) के द्वारा इसे व्यक्ति व व्यापारों के गतवर्ष को निश्चित करने का अधिकार है।
3. बोर्ड द्वारा धारा 11 (1)(c) के अन्तर्गत ऐसे निर्देश दिये जा सकते हैं जिनसे पुण्यार्थ कार्यों (जो ऐसे अन्तराष्ट्रीय कल्याण को बढ़ावा देते हैं जिसमें भारत की रुचि है) के लिए बने न्यास की आय किसी करदाता की कुल आय में नहीं जोड़ी जाती।
4. धारा 126 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा अपने अधीन सभी अधिकारियों (कमिश्नर आदि) के कार्य क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है :

1. Chocking and Meyyappan v CIT (1963) 48 ITR 34 (SC)
2. CIT v Simon Carves Ltd. (1976) 105 ITR 212 (SC)

5. बोर्ड द्वारा धारा 157 के अन्तर्गत एक आयकर अधिकारी से दूसरे आयकर अधिकारी को मुकदमे हस्ताँतरित किये जा सकते हैं।

6. जब आयकर अधिकारी 8 वर्षों की समाप्ति पर पुनः कर-निर्धारण का नोटिस देना चाहता है, तो उसे बोर्ड की सहमति धारा 151 के अन्तर्गत प्राप्त करनी पड़ती है।

7. धारा 288 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा यह निश्चय किया जाता है कि अधिकृत प्रतिनिधि बनने के लिए प्रत्याशी को लेखा विज्ञान (Accountancy) की कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

8. इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए विभिन्न नियम आदि बनाने का अधिकार धारा 295 के अन्तर्गत बोर्ड को दिया गया है।

बोर्ड को इस अधिनियम के अन्तर्गत विस्तृत सामान्य अधिकार मिले हुए हैं। करदाताओं की शिकायतों की सुनवाई बोर्ड द्वारा की जाती है। किसी विशेष क्षेत्र अथवा किसी विशेष वर्ग के करदाताओं के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति भी बोर्ड द्वारा की जाती है। उच्च-न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों को किस प्रकार लागू करना है, इसका निर्धारण भी बोर्ड द्वारा किया जाता है।

ब. निरीक्षण निदेशक (Directors of Inspections)

केन्द्रीय सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इसकी संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाई व घटाई जा सकती है। निरीक्षण निदेशक वह अधिकारी है जो धारा 117 (1) के अन्तर्गत नियुक्त होता है तथा उसमें अतिरिक्त निरीक्षण निदेशक (Additional Director of Inspection) व उप एवं सहायक निरीक्षण निदेशक (Deputy and Assistant Directors) भी सम्मिलित हैं। ये केन्द्रीय बोर्ड के नियन्त्रण में रहते हैं तथा उन सभी कार्यों को करते हैं जो केन्द्रीय बोर्ड द्वारा इन्हें बताए जाते हैं। इनके परस्पर कार्य क्षेत्र का निर्णय भी केन्द्रीय बोर्ड द्वारा होता है।

अधिकार (Powers)—सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षक तथा अपने क्षेत्र के आयकर अधिकारियों पर इनका नियन्त्रण रहता है। धारा 135 के अनुसार इन्हें करदाता के सम्बन्ध में वे सभी अधिकार मिले हुए हैं जो कि आयकर अधिकारी को प्राप्त हैं, अर्थात् करदाता को बुलाना, उससे विभिन्न प्रकार की बातों के द्वारा अनेक सूचनाओं को इकट्ठा करना आदि।

स. आयकर कमिश्नर (Commissioner of Income tax)

इनकी नियुक्ति भी केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। इनकी संख्या आवश्यकता पर निर्भर है। प्रायः एक राज्य के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति होती है परन्तु ऐसे उदाहरण भी हैं जबकि एक कमिश्नर के पास एक से अधिक राज्य हैं तथा ऐसे भी हैं कि राज्य में दो कमिश्नर हैं। ये निरीक्षण निदेशक के अधीन नहीं होते। कमिश्नरों द्वारा अपने अधिकारी का प्रयोग उन क्षेत्रों, व्यक्तियों आय के विशेष प्रकारों व निश्चित प्रकार की स्थितियों के लिए किया जाता है जिनका निश्चय बोर्ड द्वारा किया गया है। यदि कोई क्षेत्र आदि बोर्ड द्वारा दो या दो से अधिक कमिश्नरों के लिए दिया गया है तो वे दोनों ही इस क्षेत्र में कार्य करेंगे। इन दोनों अधिकारियों में कार्य का विभाजन एवं निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाता है : कमिश्नरों के द्वारा कुछ कार्य न्याय-व्यवस्थाओं से सम्बन्धित भी किए जाते हैं जिनका उल्लेख धारा 263 व 264 में मिलता है।

अधिकार (Powers)

1. नियुक्ति—धारा 117 (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों को ध्यान में रखते हुए आयकर कमिश्नर द्वारा आयकर अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) तथा आयकर निरीक्षकों की अपनी आवश्यकतानुसार नियुक्ति की जाती हैं। संख्या के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है।

2. विशिष्ट क्षेत्र, विषय व व्यक्ति : धारा 125 के अन्तर्गत कमिश्नर एक लिखित आदेश द्वारा किन्हीं विशिष्ट मामलों आदि से सम्बन्धित आयकर अधिकारी के अधिकार सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण से तथा सहायक आयुक्त (अपील) के अधिकार कमिश्नर से प्रयोग करने के लिए कह सकता है। आयकर अधिकारी के किन्हीं विशिष्ट क्षेत्र आदि से सम्बन्धित कुछ कार्य (जो लिखित आदेश में दिए होने चाहिए) आयकर निरीक्षण अथवा किसी ऐसे अन्य आयकर अधिकारी के अधीन कार्य करता हो जो स्वयं इस कमिश्नर के अधीन है।

3. किसी मामले का हस्तांतरण—धारा 117 के अन्तर्गत मिले हुए अधिकार के द्वारा आयकर कमिश्नर किसी भी करदाता के मामले को अपने अधीन किसी एक आयकर अधिकारी के पास से किसी दूसरे आयकर अधिकारी को हस्तांतरित कर सकता है। ऐसा करने से पहले करदाता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक उचित अवसर देगा, तब वह उन कारणों को लिखेगा जिनके लिए वह हस्तांतरण किया जा रहा है। परन्तु यदि वह हस्तांतरण उसी नगर में एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को किया जा रहा है तो करदाता को ऐसा अवसर देने की आवश्यकता नहीं हैं।

4. न्यायालय के अधिकार—धारा 131 के द्वारा आयकर अधिकारी, सहायक आयकर आयुक्त (अपील), सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) तथा कमिश्नर को निम्न लिखित विषयों से सम्बन्धित वे सभी अधिकार मिले हुए हैं जो दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत न्यायालय को प्राप्त है—

अ) खोज तथा निरीक्षण (Discovery and Inspection);
ब) किसी को अपने आफिस में उपस्थित रहने के लिए बाध्य करना तथा शपथ दिलाकर उसका बयान लेना,
स) बही खाते तथा अन्य प्रलेखों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना;
द) कमीशन नियुक्त करना (Issuing commission)।

ये सभी अधिकारी किसी भी उस व्यक्ति पर 500 रु० तक का जुर्माना कर सकते हैं, जो जानबूझ कर निर्दिष्ट समय व स्थान पर उपस्थित नहीं हुआ अथवा बही खाते व प्रलेख आदि प्रस्तुत न कर सका। कमिश्नर द्वारा बही खातों तथा ऐसे प्रलेखों को जब्त भी किया जा सकता है तथा ऐसा करने के लिए वह कारण बताने को बाध्य नहीं है।

5. तलाशी व अभिग्रहण (Search and Seizure)—धारा 132 के अनुसार यदि उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर निरीक्षण निदेशक या कमिश्नर को यह विश्वास हो जाता है कि आवश्यक नोटिस देने के पश्चात् किसी व्यक्ति ने बही खाते तथा प्रलेख आदि प्रस्तुत नहीं किए हैं तथा यह आशंका है कि आयकर निर्धारण के लिए जिन बही खातों और दस्तावेजों की जरूरत है, ऐसा व्यक्ति उन्हें भविष्य में भी प्रस्तुत नहीं कर सकेगा तथा इस व्यक्ति के पास ऐसा रुपया, सोना, चांदी, जेबरात तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुऐं हैं जो उस आय व सम्पत्ति का प्रतिनिधित्व करती है जिन पर आयकर नहीं

लगा है तो ऐसी स्थिति में वह किसी भी सहायक निरीक्षण निदेशक, सहायक आयुक्त (निरीक्षण) या आयकर अधिकारी को निम्नलिखित क़दम उठाने के लिए अधिकृत कर सकता है :

a) किसी उस भवन में प्रवेश करना तथा तलाशी लेना जिसमें बही खाते, रुपया, सोना, चाँदी तथा दस्तावेज आदि रखे जाते हैं।
b) किसी दरवाजे, सन्दूक, लौकर, सेफ अलमारी आदि के तालों को तोड़कर बही-खाते आदि को तलाश करना।
c) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप मिले हुए बही खातों, प्रलेखों, रुपयों, सोना व चाँदी को अपने अधिकार में ले लेना।
d) तलाशी में प्राप्त हुए बहीखातों तथा प्रलेखों पर कोई ऐसा चिन्ह डालना अथवा हस्ताक्षर करना जिससे कि इन्हें भविष्य में पहिचाना जा सके।
e) तलाशी से प्राप्त रुपये, सोना चाँदी, जेवर आदि की एक सूची तैयार करना।

अधिकृत अधिकारी तलाशी आदि का काम करने के लिए पुलिस अधिकारियों की सहायता ले सकता है। तलाशी में प्राप्त विभिन्न वस्तुओं को अपने अधिकार में रख सकता है। यदि अधिकारी को वस्तु को अपने अधिकार में रखना व्यावहारिक नहीं मालूम पड़ता तो वह इन वस्तुओं के स्वामी को एक लिखित आदेश द्वारा इन वस्तुओं का हस्तांतरण करने आदि से रोक सकता है।

6. **जाँच का अधिकार (Power of Inspection) :** धारा 135 के अन्तर्गत कमिश्नर को किसी भी विषय एव मुकद्दमों में जाँच करने सम्बन्धी सभी वे अधिकार प्राप्त हैं जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत आयकर अधिकारी को मिले हुए हैं।

7. **करदाता सम्बन्धी सूचना का प्रकटीकरण (Disclosure of information respecting assessees) :** धारा 138 के अधीन केन्द्रीय बोर्ड अथवा इसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति करदाता के सम्बन्ध में सूचनायें निम्नलिखित सार्वजनिक अधिकारियों को दे सकता है :

a) किसी अधिकारी, प्राधिकारी अथवा निकाय को जो किसी कर, प्रशुल्क, फीस अथवा विदेशी विनिमय के नियमन आदि का प्रबन्ध करते हों।
b) ऐस अधिकारी आदि जो किसी ऐसे अधिनियम या क्षेत्र में कार्य करते हों जिनकी घोषणा इस धारा के लिए केन्द्रीय सरकार ने कर दी है। केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी घोषणा तभी की जावेगी जबकि ऐसा करना सार्वजनिक हित में हो।

इस धारा के अन्तर्गत वही सूचना दी जायेगी जो उपर्युक्त अधिकारियों के लिए उपयोगी हो। करदाता सम्बन्धी सूचना किसी एक ऐसे व्यक्ति को दी जा सकती है जिसने निर्धारित विधि से इसके लिए आयकर कमिश्नर को प्रार्थना पत्र दिया है तथा आयकर कमिश्नर यह समझते हैं कि सूचना देना सार्वजनिक हित में है। कमिश्नर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति इस विषय में अन्तिम निर्णय होगा जिसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।

इस सम्बन्ध में विचारणीय यह है कि यद्यपि आयकर विभाग इस धारा के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य कर निर्धारण से सम्बन्धित सूचना देने अथवा न देने के विषय में अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है किन्तु इससे किसी न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना मांगने के अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता। न्यायालय को यह अधिकार है कि वह किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को

बुलाकर किसी भी प्रपत्र अथवा प्रलेख को तलब कर सकता है जब तक कि ऐसा करना किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिवन्धित न कर दिया गया हो।[1]

द) निरीक्षण सहायक आयुक्त (Inspecting Assistant Commissioner)

इसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा होती है तथा ये कमिश्नर के अधीन कार्य करते हैं। एक कमिश्नर के अन्तर्गत कई निरीक्षण सहायक आयुक्त होते हैं। इनका कार्यक्षेत्र कमिश्नर द्वारा निश्चित किया जाता है। आयकर अधिकारी इनके अधीन कार्य करते हैं। एक निरीक्षक सहायक आयुक्त के अधीन कई आयकर अधिकारी होते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कमिश्नर द्वारा निरीक्षण सहायक आयुक्त को किसी विशेष व जटिल मामले में आयकर अधिकारी के सभी कार्य करने का आदेश दिया जाय। इसका मुख्य कार्य आयकर अधिकारी के कार्यों का निरीक्षण करना है। किसी फर्म के रजिस्ट्रेशन को समाप्त करने के लिए आयकर अधिकारी को निरीक्षण सहायक आयुक्त की अनुमति लेनी पड़ती है।

अधिकार - धारा 131 के अन्तर्गत निरीक्षण सहायक आयुक्त को वे सभी अधिकार मिले हुये हैं जो कमिश्नर को प्राप्त हैं। उदाहरणार्थ दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत जो अधिकार किसी न्यायालय को प्राप्त हैं वे सभी अधिकार इन्हें भी प्राप्त हैं। कमीशन की नियुक्ति, बहीखातों को प्रस्तुत कराना, तलाशी व जाँच आदि के बहुत से अधिकार इन्हें प्राप्त हैं।

धारा 133 के अन्तर्गत निरीक्षण सहायक आयुक्त उस अधिनियम के सम्बन्ध में अग्रलिखित कार्यवाही कर सकता है :

a) किसी फर्म के साझेदारों के नाम, पते व उनके लाभ-हानि के अनुपात का नक्शा (विवरण) माँग सकता है।
b) किसी हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्त्ता व परिवार के सदस्यों के नाम व पतों का नक्शा माँग सकता है।
c) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिनको यह ट्रस्टी अभिभावक व ऐजेन्ट समझता है, ऐसे व्यक्तियों के नाम व पतों आदि का नक्शा माँग सकता है जिनके लिए यह ट्रस्टी, अविभावक व एजेण्ट हैं।
d) किसी करदाता से उन व्यक्तियों के नाम या पते की माँग कर सकता है जिनको किसी गतवर्ष में उनके द्वारा 1,000 रु० से अधिक की रकम, किराये, ब्याज, कमीशन, रायल्टी, दलाली आदि के रूप में दी गई है।
e) किसी भी शेयर बाजार (Stock exchange) व उत्पादन बाजार (Produce exchange) में कार्य करने वाले विक्रेता, दलाल, एजेण्ट आदि से ऐसे व्यक्तियों के नाम व पतों की जानकारी प्राप्त कर सकता है; जिनको गतवर्ष में सम्पत्ति हस्तांतरण करने के लिए उनके द्वारा अथवा एक्सचेंज के द्वारा किसी रकम का भुगतान किया गया हो।
f) किसी व्यक्ति से जिसमें बैंकिंग कम्पनी तथा इनका अधिकारी भी सम्मिलित है, ऐसी आवश्यक सूचना, हिसाब किताब आदि माँग सकता है जो इस अधिनियम के अंतर्गत चल रही किसी जाँच अथवा कार्यवाही के लिए सहायक सिद्ध हो।

1. Amar Singh Lamba v. Seva Singh [1973] 90 I.T.R. 1. Digamber Bhuyan v. Nityanand Sahoo [1974] 94 I.T.R. 459.

धारा 134 के अन्तर्गत निरीक्षण सहायक आयुक्त किसी भी कम्पनी के अंशधारियों, ऋण पत्रधारियों तथा रहनधारियों का रजिस्टर देख सकता है, उनमें से नकल ले सकता है, अथवा करा सकता है।

धारा 135 के अन्तर्गत निरीक्षण सहायक आयुक्त को इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी मामलों की जाँच करने व जाँच कराने के वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो कि आयकर अधिकारियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत मिले हुए हैं।

इ. आयकर अधिकारी (Income-tax Officer)

आयकर प्रशासन से सम्बन्धित सभी अधिकारियों में आयकर अधिकारी का स्थान विशेष महत्वपूर्ण है। आय निर्धारण का श्रीगणेश आयकर अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। आय नक्शा मँगाना, करदाता से साक्षात्कार करना तथा इससे सम्बन्धित सभी सूचनाओं को एकत्र करना आदि सभी कार्य आयकर अधिकारी द्वारा ही सम्पन्न किये जाते हैं।

आयकर अधिकारी को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—

a) आयकर अधिकारी प्रथम श्रेणी (ITO of class I Service)
b) आयकर अधिकारी द्वितीय श्रेणी (ITO of class II Service)

प्रमथ श्रेणी के आयकर अधिकारी की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है जबकि द्वितीय श्रेणी के आयकर अधिकारियों को कमिश्नर द्वारा नियुक्त किया जाता है। आयकर अधिकारी, निरीक्षण निदेशक, आयकर कमिश्नर एवं उपनिरीक्षण निदेशक के अधीन कार्य करते हैं।

अधिकार—आयकर अधिकारी को प्रशासन सम्बन्धी बहुत विस्तृत अधिकार प्राप्त हैं। अधिकारों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

a) आयकर अधिकारी को भी धारा 131 के अन्तर्गत वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो कमिश्नर तथा निरीक्षण सहायक आयुक्त को प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ जांच, निरीक्षण, कमीशन की नियुक्ति आदि। इसका विवरण पिछले पृष्ठों में दिया जा चुका है।

b) धारा 132 के अन्तर्गत कमिश्नर द्वारा अधिकृत होने पर आयकर अधिकारी को किसी भी मकान आदि में प्रवेश पाने तथा तलाशी आदि का अधिकार प्राप्त है।

c) अपने अधीन कार्य करने वाले निरीक्षकों के कार्य का निरीक्षण तथा आफिस के संचालकों को सही प्रकार से देखने का कार्य आयकर अधिकारी का ही है।

d) धारा 132 के अन्तर्गत आयकर अधिकारी तथा उसके द्वारा अधिकृत आयकर निरीक्षक—

i. अपने कार्य क्षेत्र की सीमा के अन्दर ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है जहाँ व्यापार अथवा पेशे का संचालन होता हो, अथवा

ii. किसी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है जो ऐसे व्यक्ति के अधिकार में है जो उस आयकर अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आता है। ऐसे समय जो व्यक्ति व्यापार स्थल पर व्यापार सम्बन्धी कार्य में लगा हुआ है उसे बहीखाता दिखाने व अन्य प्रलेखों की जाँच कराने की सुविधा आयकर अधिकारी को देनी चाहिये। आयकर अधिकारी दस्तावेजों तथा बहीखातों पर कुछ चिन्ह बना सकता है अथवा

हस्ताक्षर कर सकता है जिससे कि इन्हें पहिचानने में कठिनाई न हो। ऐसे बहीखाते आदि की नकल लेने का अधिकार भी आयकर अधिकारी को प्राप्त है।

धारा 132(1) के अधीन तलाशी व अभिग्रहण सम्बन्धी आदेश देने से पूर्व तीन शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है। तलाशी तभी वैध मानी जायेगी जबकि (i) अधिकारी के पास पर्याप्त कारण थे जिनसे तलाशी आवश्यक मालूम देती थी, (ii) अधिकारी को विश्वास था कि आवश्यक सामग्री तलाशी के अभाव में प्राप्त नहीं हो सकेगी, तथा (iii) उसके द्वारा इन कारणों को लिपिवद्ध कर दिया गया है। Chiranjilal v CIT (1982) 135 ITR 530 (Del)

धारा 133A(4) के अधीन सर्वे के दौरान आयकर अधिकारी को करदाता के व्यापारिक परिसर से हिसाबी पुस्तकें तथा कागज-पत्रों को हटाने का अधिकार नहीं है। उसके द्वारा ऐसी धारा 131(1) व 131(2) के अधीन तभी किया जा सकता है जबकि करदाता ऐसी प्रक्रिया में आयकर अधिकारी को सहयोग न दे अथवा किसी भी प्रकार से सर्वे को टालने का प्रयास करे। (Cherulal Balchand v ITO (1982) 137 ITR 190 (P & H)

ई. आयकर निरोक्षक (Inspector of Income-tax)

इनकी नियुक्ति कमिश्नर द्वारा होती है परन्तु नियुक्ति करते समय कमिश्नर को भारत सरकार द्वारा बनाये गये विभिन्न नियमों का पालन भी करना पड़ता है। ये आयकर अधिकारी के अधीन कार्य करते हैं। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत ये बही खाते देखने, जाँच करने, करदाता के सम्बन्ध में विभिन्न तथ्यों को एकत्रित करने तथा बाजारों में जाकर सर्वे करने का कार्य करते हैं व ऐसे कार्यों में आयकर अधिकारी की सहायता करते हैं।

न्याय सम्बन्धी अधिकार

अ. आयकर अधिकारी (Income-tax Officer)

न्याय सम्बन्धी पदाधिकारियों में भी आयकर अधिकारी को प्रथम स्थान प्राप्त है। न्याय से इसका सम्वन्ध इसलिये है कि कुल आय के निर्धारण में इसे निष्पक्ष होकर कार्य करना पड़ता है। कुछ विशेष मामलों में इसे अपना निर्णय भी देना होता है। अतः ऐसे निर्णय देते हुए उसे कुछ समय के लिए यह भूल जाना चाहिए कि वह आयकर प्रशासन से भी सम्बन्धित है।

अधिकार—न्याय सम्बन्धी इनके अधिकार निम्नलिखित हैं।

i. दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत जो अधिकार किसी न्यायालय को प्राप्त होते हैं वे सभी अधिकार धारा 131 के द्वारा इन्हें प्राप्त हैं। इनका वर्णन पिछले पृष्ठों पर किया जा चुका है।

ii. धारा 133 के द्वारा आयकर अधिकारी को सूचनाय मांगने सम्बन्धी विभिन्न अधिकार दिये गये हैं। इन सभी अधिकारों का वर्णन निरीक्षण सहायक आयुक्त के अन्तर्गत पिछले पृष्ठों में दिया जा चुका है :

iii. धारा 134 के अन्तर्गत आयकर अधिकारी कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर, ऋण पत्रधारियों तथा रहनधारियों के रजिस्टरों का भली प्रकार निरीक्षण कर सकता है।

ब. सहायक अपीलेट आयुक्त (Appellate Assistant Commissioner)

जब करदाता आयकर अधिकारी के निर्णय से सन्तुष्ट नहीं हो पाता तथा उसके द्वारा लगाये गये आयकर के विषय में उसे कुछ कहना होता है तो वह सहायक आयुक्त अपील) के यहाँ अपील कर सकता है। इनका नियन्त्रण प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड के द्वारा होता है, कमिश्नर के द्वारा नहीं। इसके निर्णय में बोर्ड को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है तथा इनके अधिकार निम्नलिखित हैं :—

1. सूचनायें मांगने का अधिकार—धारा 136 के अन्तर्गत इन्हें विभिन्न सूचनायें माँगने के निरीक्षण सहायक आयुक्त जैसे ही अधिकार मिले हुए हैं।

2. अपील सम्बन्धी अधिकारों का विवेचन धारा 251 में किया गया है जो इस प्रकार है :

अ. कर-निर्धारण के विरुद्ध करदाता द्वारा की गई अपील से सम्बन्धित कर-निर्धारण को वह सम्पुष्ट, घटा-बढ़ा व रद्द कर सकता है। यदि आवश्यक हो तो आयकर अधिकारी को एक आदेश द्वारा पुनः कर-निर्धारण के लिये कह सकता है।

ब. अर्थदण्ड के विरुद्ध की गई अपील के सम्बन्ध में भी वह अर्थदण्ड की सम्पुष्टि कर सकता है, रद्द कर सकता है, बढ़ा या घटा सकता है।

स. किसी अन्य स्थिति में वह ऐसे आदेश दे सकता है जो उसकी दृष्टि में उचित हैं। परन्तु ध्यान यह रखना चाहिए कि ऐसा कोई कार्य जिससे करदाता के कर-दायित्व में वृद्धि होती हैं, उसके द्वारा तब ही किया जा सकता है जब उसने करदाता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का उचित अवसर दे दिया है।

स. आयकर कमिश्नर (अपील का क्षेत्र)
(Jurisdiction of Commissioner (Appeals)

आयकर कमिश्नर (अपील) उन कार्यों को करेंगे व उन व्यक्तियों, क्षेत्रों आदि की देखभाल करेंगे जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है। इन्हें निम्नलिखित मामलों में अपील की सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है :

1. इन्सपैक्टिग असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा दिये आदेश के विरुद्ध अपील :

2. जब आयकर अधिकारी इन्सपैक्टिग असिस्टेन्ट कमिश्नर की अनुमति एवं अनुमोदन से कोई आदेश देता है जिसके विरुद्ध करदाता द्वारा अपील की जाये।

3. जब ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है जो इन्सपेक्टिग असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा वैधानिक रूप से दिये जाते हैं।

4. सभी विदेशी कम्पनियों के कर-निर्धारण के मामलों में अपील का निपटारा इसी अधिकारी द्वारा किया जाता है।

5. ऐसी घरेलू कम्पनियों के कर-निर्धारण के विरुद्ध अपील जिनकी कुल आय पाँच लाख रुपये से अधिक है।

बोर्ड द्वारा अन्य मामले भी निपटारे के लिये इनके पास भेजे जा सकते हैं।

द. आयकर कमिश्नर (Commissioner of Income-tax)

आयकर कमिश्नर मुख्य रूप से प्रशासन सम्बन्धी अधिकारी है परन्तु उसे आयकर अधिकारी द्वारा किये गये कर-निर्धारण पर कुछ स्थितियों में पुनर्विचार (revision) करने का अधिकार मिला हुआ है।

अधिकार—धारा 263 के अन्तर्गत कमिश्नर द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत की गई किसी भी कार्यवाही का विवरण आयकर अधिकारी से माँगा जा सकता है एवं यदि वह समझता है कि आयकर अधिकारी द्वारा दिया कोई आदेश गलत है तथा सरकारी आय के लिये अहितकर है तो वह करदाता को अपनी बात स्पष्ट करने का उचित अवसर देकर तथा मामले में उचित जांच पड़ताल के वाद उचित आदेश द्वारा कर-निर्धारण को परिस्थितियों के अनुकूल बढ़ा या घटा सकता है, रद्द कर सकता है या पुनः कर-निर्धारण का आदेश दे सकता है। परन्तु कमिश्नर द्वारा किसी आदेश पर पुनः विचार (revision) दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर नहीं हो सकता तथा धारा 147 के अन्तर्गत किये गये पुनः कर निर्धारण (reassessment) के आदेश पर पुनः विचार नहीं हो सकता।

धारा 264 के अन्तर्गत कमिश्नर को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने अधीनस्थ अफसरों द्वारा विभिन्न कार्यवाहियों में दिये गये आदेशों पर स्वयं ही पुनर्विचार के लिये रिकार्ड मँगवा सकता है, अथवा करदाता द्वारा प्रार्थना किये जाने पर किन्हीं भी आदेशों पर उसके द्वारा पुनर्विचार भी किया जा सकता है। तत्पश्चात् उसके द्वारा उचित आदेश दिया जा सकता है, परन्तु यह करदाता के अहित में नहीं होना चाहिए।

इस धारा के अन्तर्गत कमिश्नर स्वयं ही ऐसे आदेशों पर विचार नहीं कर सकता जो एक वर्ष से अधिक पुराना हो करदाता द्वारा पुनर्विचार का प्रार्थना-पत्र आदेश की तिथि से एक वर्ष के अन्दर ही25 रु० फीस के सहित भेज दिया जाना चाहिए। ऐसे किसी आदेश पर कमिश्नर द्वारा पुनर्विचार नहीं किया जायेगा जिसकी अपील अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर के यहाँ की जा चुकी है।

निम्न परिस्थितियों में आयकर कमिश्नर किसी आदेश पर पुनर्विचार नहीं कर सकता है :

(i) जबकि ऐसे आदेश के विरुद्ध अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर अथवा कमिश्नर (अपील) के यहाँ अथवा ट्रिब्यूनल में अपील हो सकती है, लेकिन न तो करदाता ने यह अपील की है और न अपील करने का समय व्यतीत हुआ है अथवा ट्रिब्यूनल में अपील करने के सम्बन्ध में करदाता ने अपना अधिकार नहीं छोड़ा है।

(ii) जबकि ऐसा आदेश अपीलेट असिस्टेण्ट कमिश्नर अथवा कमिश्नर (अपील) के यहाँ की गई अपील में विचाराधीन है।

(iii) जबकि ऐसे आदेश के विरुद्ध अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर दी गई है।

इ. अपीलेट ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal)

आयकर के न्याय सम्बन्धी अधिकारियों में यह सर्वोच्च अधिकारी है जो तथ्यों के मामले में अन्तिम न्यायालय है। इसका संचालन कानून मन्त्रालय के अन्तर्गत होता है बित्त मंत्रालय द्वारा नहीं। इसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है। इसमें प्रायः दो सदस्य होते हैं जो दो विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं। एक सदस्य न्याय विशेषज्ञ

व दूसरा लेखाशास्त्र विशेषज्ञ होता है। ट्रिब्यूनल के इन दोनों सदस्यों में न्याय विशेषज्ञ सदस्य इसका अध्यक्ष रहता है।

न्याय विशेषज्ञ सदस्य कम से कम दस वर्ष की प्रेक्टिस वाला एडवोकेट, दस वर्ष का अनुभवी न्यायाधिकारी सेवा (Civil Judicial Service) का आफीसर अथवा कम से कम तीन वर्ष के अनुभव वाला केन्द्रीय वैधानिक सेवा (Central Legal Service not below grade III) का व्यक्ति होना आवश्यक है। एकाउटेन्ट सदस्य वह चार्टर्ड एकाउटेन्ट हो सकता है जिसने कम से कम दस वर्ष प्रैक्टिस की हो अथवा कम से कम तीन वर्ष तक निरीक्षण सहायक आयकर आयुक्त रहा हो।

तथ्य संबंधी विषयों में ट्रिब्यूनल का निर्णय अन्तिम निर्णय है। इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। परन्तु कानूनी प्रश्नों पर इनके निर्णय के विरुद्ध हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। हाईकोर्ट में अपील करने के लिये ट्रिब्यूनल की स्वीकृति ले लेनी चाहिए। परन्तु यदि ट्रिब्यूनल की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न हो तो स्वीकृति प्राप्त करने सम्बन्धी विषय को लेकर भी करदाता हाईकोर्ट में जा सकता है।

आयकर अधिनियम की धारा 252 से लेकर 255 तक अपीलेट ट्रिब्यूनल से संबंधित है। धारा 255(6) के अनुसार अपने कर्त्तव्यों के निर्वाह करने के लिए इसे वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो धारा 131 के अन्तर्गत अन्य आयकर अधिकारियों को प्राप्त हैं। ट्रिब्यूनल की स्थिति एक सिविल कोर्ट के बराबर की है। अत: दीवानी प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure) के अध्याय 36 में दिये गये विभिन्न अधिकार भी इसे प्राप्त हैं।

ई. उच्च न्यायालय (High Court)

अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्णय से यदि करदाता या आयकर आयुक्त संन्तुष्ट नहीं है तो इनमें से कोई भी पक्ष ऐसे निर्णय के विरुद्ध आदेश की तिथि से 60 दिन की अवधि के अन्दर निर्धारित फर्म पर उच्च न्यायालय में अपील के लिए जा सकता है परन्तु उसे यह सिद्ध करना पड़ता है कि निर्णय के किसी कानूनी मुद्दे पर ही प्रार्थी को असंतोष है।

अपील करने से पूर्व ट्रिब्यूनल को स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है परन्तु स्वीकृति के न मिलने पर भी उच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। कभी-कभी कोई पक्ष ट्रिब्यूनल से अनुरोध करता है कि वह कानूनी प्रश्न पर उच्च न्यायालय की राय प्राप्त कर ले। यदि ट्रिब्यूनल उच्च न्यायालय में अपील के लिए जाने की अनुमति नहीं देता तो प्रभावित पक्ष मना करने की तिथि के 6 माह के अन्दर हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दे सकता है। यदि हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल के निर्णय को नहीं मानता तो वह ट्रिब्यूनल को पूरे मामले का विवरण बनाकर भेजने का आदेश देता है। ऐसा आदेश प्राप्त होने पर ट्रिब्यूनल द्वारा मुकद्दमे का विवरण (Statement of case) बनाकर भेजा जाता है। अपील करने के लिए करदाता को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन देना होता है तथा आवेदन के साथ करदाता को 200 रु० शुल्क के जमा करने होते हैं। परन्तु आयकर विभाग द्वारा शुल्क जमा नहीं करना पड़ता।

ऐसी अपील में आयकर विभाग का प्रतिनिधित्व आयकर कमिश्नर (Commissioner of Income-tax) द्वारा किया जाता है हाईकोर्ट में दो या दो से अधिक जज ऐसे मामलों को सुनते हैं। निर्णय बहुमत में होता है। निर्णय की एक प्रति ट्रिब्यूनल के पास आवश्यक संशोधनों के लिए भेज दी जाती है।

उ. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)

भारत में यह उच्चत्तम न्यायालय है। यदि हाईकोर्ट के निर्णय से किसी पक्ष को असंतोष है तो वह ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। परन्तु हाईकोर्ट से ऐसा प्रमाण-पत्र लेना पड़ता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाने के योग्य है। परन्तु यदि हाईकोर्ट से ऐसा प्रमाण पत्र नहीं ले पाता तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इसी विषय को लेकर जाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपील की सुनवाई करता है यदि ऐसी सुनवाई के परिणामस्वरूप हाईकोर्ट के निर्णय में कोई परिवर्तन किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय की एक प्रति अपीलेट ट्रिब्यूनल को भेज दी जाती है जिससे कि वह अपने आदेशों में उचित परिवर्तन कर सके।

परीक्षा प्रश्न (Test Questions)

1. आयकर विभाग के विभिन्न अधिकारियों के नाम बताइये तथा उनके कर्त्तव्यों का वर्णन कीजिए।
   Enumerate the various authorities of income tax department and explain their duties.
2. आयकर अधिकारी के पदाधिकारों एवं कर्त्तव्यों पर प्रकाश डालिए।
   Discuss the rights and duties of Income-tax Officer.
3. आयकर अधिनियम, 1961 में वर्णित आयकर कमिश्नर की स्थिति का स्पष्टीकरण कीजिये।
   Explain clearly the position of Income-tax Commissioner under Income-tax Act. 1961.
4. संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिये (Write short notes on the following)
   अ) प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड (Central board of direct taxes)
   ब) निरीक्षण सहायक आयकर आयुक्त (Inspecting assistant commissioner of Income-tax)
   स) निरीक्षक निदेशक (Director of Inspection)
   द) आयकर निरीक्षक (Inspector of Income-tax)
   य) अपीलेट सहायक आयुक्त (Appellate assistant Commissioner)
   र) अपीलेट ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal)
5. भारतीय आयकर विधानों में शासकीय अधिकारियों का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
   Give brief description of administrative of Indian Income-tax law.
6. आयकर अधिकारी कौन-कौन हैं ? उनके परस्पर अधिकारों पर प्रकाश डालिए।
   What are various income-tax authorities ? Dicuss their rights.
   (*Tirupati* M. *Com.* 1976)
7. भारत में विभिन्न आयकर प्राधिकारी कौन-कौन हैं ? उनमें से प्रत्येक के अधिकारों एवं कर्त्तव्य का उल्लेख कीजिए।
   What are various income-tax authorities in India ? Discuss the right and duties of each them.
   (*BHU B. Com.* 1976)
8. निरीक्षक निदेशक अथवा आयकर कमिश्नर को आयकर अधिनियम की धारा 132 के अधीन तलाशी लेने व जब्त करने के अधिकारों का उल्लेख कीजिए।
   What are the powers of the Director of Inspection or the Commissioner of Income-tax with regard to search and seizure u/s 132 of Income-tax Act ?
   (*Punjab B. Com.* 1976)
9. आयकर कमिश्नर के अधिकारों की व्याख्या कीजिए।
   Explain the powers of Income-tax commissioner.
   (*Joahpur M.Com.* 1983)

18

कर निर्धारण की कार्य विधि

(Procedure for Assessment)

आयकर अधिनियम में प्रयुक्त 'कर-निर्धारण' से विभिन्न तात्पर्य निकाले जाते हैं। इसका आशय कभी तो 'कुल आय' की गणना से होता है तथा कभी इसके अन्तर्गत आय कर दायित्व का निकालना भी आता है। साधारण अर्थों में कर-निर्धारण से हमारा तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जिनसे कुल आय की गणना सम्पन्न होती है तथा जिनके अन्तर्गत आयकर के दायित्व को निकाला जाता है।

कुछ सिद्धांत (Some Principles)

आयकर निर्धारण के लिये करदाता का होना आवश्यक है। करदाता के न होने पर कर निर्धारण की क्रिया प्रारम्भ होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अतः किसी ऐसी कम्पनी का कर-निर्धारण नहीं हो सकता, जिसका समापन हो गया है तथा कम्पनी के रजिस्टर से जिसका नाम हट चुका है। C.I.T. v. Express News Papers Ltd. [1960] 40 I.T.R 38.

कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है जबकि आयकर अधिकारी को किसी आय विशेष की प्राप्ति के विषय में सन्देह होता है कि यह आय 'अ' को भी प्राप्त हो सकती है व 'ब' को भी। ऐसी स्थिति में आयकर अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह 'अ' अथवा 'ब' में से किसी का भी कर-निर्धारण कर सके। Laljia Haripas v. I.T.O. [1961] 43 I.T.R. 38.

किसी एक कर-निर्धारण वर्ष में कर निर्धारण की क्रिया अपने आप में सम्पूर्ण क्रिया है तथा इससे किसी अन्य कर-निर्धारण वर्ष का कर निर्धारण किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होता।

कर निर्धारण का प्रारम्भ

आय का नक्शा (Return of Income)—धारा 139 (1) के अन्तर्गत प्रत्येक उस व्यक्ति को, जिसकी गतवर्ष की कुल आय आयकर लगने वाली सीमा से अधिक है, आय का नक्शा स्वयं ही दाखिल करना पड़ता है। कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिये एक व्यक्ति के लिए आयकर लगाने की सीमा 18,000 रु० है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आय इससे अधिक हैं, आय का नक्शा जमा करने के लिए बाध्य है। अतः इसी प्रकार नक्शे के जमा होने के साथ ही कर निर्धारण की क्रिया आरम्भ हो जाती है। आय का नक्शा निर्धारित फार्म पर निर्धारित विधि से प्रमाणित करके ही भेजा जाना चाहिए। नक्शा प्रत्येक उस व्यक्ति को भी भेजना पड़ता है जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए आय प्राप्त करता है।

आयकर अधिकारी के कार्यालय में विभिन्न करदाताओं के लिए अलग-अलग फार्म मिलते हैं जिन पर आय का विवरण भेजा जाता है। आय के नक्शे को आय की विवरणी भी कहा जाता है। फार्म नम्बर 1 कम्पनी के लिए, फार्म नम्बर 2 कम्पनी व पुण्यार्थ न्यासों को छोड़कर अन्य सभी करदाताओं के लिए, जिनकी कुल आय में व्यापार व पेशे से आय भी सम्मिलित होती है, फार्म नम्बर 2A का प्रयोग सरकारी कर्मचारी करते हैं जबकि फार्म नम्बर 3 का प्रयोग वे सभी करदाता करते हैं जिन्हें व्यापार व पेशे के अधीन कोई आय प्राप्त नहीं होती। फार्म नम्बर 3A को पुण्यार्थ न्यासों द्वारा काम में लाया जाता है।

धारा 139 (1) के अन्तर्गत आय का नक्शा जमा करने की अन्तिम तिथि—आय का नक्शा निम्नलिखित अवधि में ही जमा हो जाना चाहिए—

1. किसी उस व्यक्ति की स्थिति में जिसकी कुल आय में व्यापार अथवा पेशे के लाभ सम्मिलित किये जाते हैं, गतवर्ष के समाप्त होने के 4 महीने की अवधि के अन्दर (परन्तु गतवर्षों के एक से अधिक होने पर अन्तिम गतवर्ष की समाप्ति से 4 महीने से अधिक गिनी जाती है) अथवा 30 जून तक, इन दोनों में जो भी बाद में आती है।

2. अन्य व्यक्तियों की स्थिति में कर-निर्धारण वर्ष के 30 जून तक ही नक्शा जमा करना पड़ता है।

जैसा कि पहले बता चुके हैं करदाता पर यह दायित्व है कि आय का नक्शा स्वयं ही दाखिल कर दे। यह नक्शा अनिवासी (Non-resident) को भी जमा करना पड़ता है। (Pannalal Nandlal v CIT (1974) 41 ITR 76.

उदाहरण (Illustration) 1 : व्यापार से आय रखने वाले करदाता के लिए

हिसाबी गतवर्ष की समाप्ति	नक्शा भेजने की अन्तिम तिथि
31 मार्च 1986	31 जुलाई 1986
31 दिसम्बर 1985	30 जून 1986
30 नवम्बर 1985	30 जून 1986
28 फरवरी 1986	30 जून 1986
1 मई, 1986	30 जून 1986

वैतनिक करदाताओं के लिए : इन्हें 30 जून तक अपनी आय की विवरणी प्रतिवर्ष भेज देनी चाहिए चूंकि इन्हें 31 मार्च तक मिले वेतन से सम्बन्धित विवरण भेजना होता है।

जब आय का नक्शा भेजना ऐच्छिक होता है : कुछ वैतनिक करदाताओं की स्थिति में—धारा 139 (IA) के अनुसार उन करदाताओं को जिन्हें अपनी आय केवल 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्त होती है व जिनकी लाभांश आदि की आय 7,000 रु० से अधिक नहीं है, आय का विवरण भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसका कारण यह है कि 'वेतन' में से नियोक्ता द्वारा उद्गम स्थान पर आयकर काटे जाने का प्रावधान है जबकि धारा 80L के अन्तर्गत लाभांश आदि से प्राप्त होने वाली आय के लिए 7,000 रु० तक की कटौती स्वीकृत होती है संक्षेप में ऐसे व्यक्ति जो निम्नलिखित चारों शर्तें पूरी करते हैं, आय का विवरण भेजने को बाध्य नहीं हैं।

1) व्यक्ति यदि कम्पनी में कर्मचारी है, तो वह डाइरेक्टर अथवा ऐसा व्यक्ति न हो जो कम्पनी में सारवान हित रखता है।

2) व्यक्ति की 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत कुल कर योग्य मौद्रिक आय 24,000 रु० वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। वेतन शीर्षक की करयोग्य मौद्रिक आय से आशय वेतन शीर्षक में सम्मिलित होने वाली सभी राशियों (गैर मौद्रिक अनुलाभों एवं सुविधाओं आदि को छोड़कर) में से धारा 16 (i) के अन्तर्गत प्रमाणिक कटौती एवं धारा 16 (ii) के अन्तर्गत मनोरंजन भत्ते की छूट यदि कोई है को घटाने के बाद बची शेष राशि से है)

3) ऐसी आय जो धारा 80L के अन्तर्गत कटौती के लिए स्वीकृत है का योग स्वीकृत अधिकतम राशि से अधिक नहीं है। धारा 80L के अन्तर्गत साधारणतया लाभाँश आदि के लिए 7,000 रु० तक की कटौती स्वीकृत होती है UTI के यूनिटों पर प्राप्त लाभाँश एव राष्ट्रीय जमा योजना में जमा राशि के ब्याज पर इसके अतिरिक्त 3,000 रु० कटौती मिलती है एवं राष्ट्रीय जमा योजना में राशि के ब्याज पर 2,000 रु० तक की अतिरिक्त कटौती और दी जाती है।

4) वेतन में से धारा 192 के अन्तर्गत सही प्रकार से उद्गम स्थान पर आय पर आयकर काट लिया गया है।

अवधि में बढ़ोत्तरी (Extension of time) : करदाता कभी यदि यह महसूस करता है कि निर्धारित समय में वह आय का नक्शा दाखिल नहीं कर सकता तो ऐसी स्थिति में अवधि में बढ़ोत्तरी की व्यवस्था है। करदाता द्वारा निर्धारित ढंग से प्रार्थना पत्र देने पर आयकर अधिकारी द्वारा अपने विवेक से नक्शा दाखिल करने की अवधि में वृद्धि की जा सकती है। किन्तु अवधि में ऐसी वृद्धि से धारा 139 (8) में दिए गए ब्याज सम्बन्धी दायित्व में कमी नहीं आ सकती। निश्चित तिथियों के बाद नक्शा जमा करने पर ब्याज देनी होती है।

आयकर अधिकारी द्वारा नोटिस (Notice by the ITO) [139 (2)] : आयकर अधिकारी की सम्मति में अधिनियम के अन्तर्गत गतवर्ष के लिए किसी व्यक्ति की आय या उससे सम्बन्धित किसी अन्य व्यक्ति की आय करयोग्य है तो वह सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के समाप्त होने से पहले उस व्यक्ति को नोटिस देकर आदेश देगा कि वह अपनी अथवा उस अन्य व्यक्ति की आय का नक्शा नोटिस मिलने की तिथि से 30 दिन की अवधि में दे दे। नक्शा निर्धारित फार्म पर तथा निर्धारित ढंग से दाखिल किया जाना चाहिए।

धारा 139 (2) के अन्तर्गत नोटिस का दिया जाना अनिवार्य न होकर वैकल्पिक है, किन्तु आयकर अधिकारी यदि बिना आय के नक्शे के ही कर-निर्धारण करना चाहता है तो यह नोटिस अवश्य ही दिया जाना चाहिए। यह जान लेना भी आवश्यक है कि धारा 139 (1) के अन्तर्गत आय का नक्शा जमा न करने पर अर्थ दण्ड का भागी होना पड़ता है भले ही बाद में करदाता द्वारा धारा 139 (2) के उत्तर में यह नक्शा जमा कर दिया गया हो [(CIT v. Indra & Co. 1971) 79 ITR 702]

करदाता यदि इस अवधि में भी वृद्धि कराने का इच्छुक है तो आयकर अधिकारी को इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर नक्शा जमा करने की तिथि में वृद्धि की जा सकती है। परन्तु ब्याज के लिए वही स्थिति रहेगी जिसका वर्णन धारा 139 (8) में दिया गया है।

हानि का नक्शा (Return of loss) [139(3)]—किसी व्यक्ति को गतवर्ष में यदि "व्यापार अथवा पेशे के लाभ' अथवा 'पूँजी लाभ' के अन्तर्गत हानि होती है

जिसको यह करदाता पूरा करने के लिए आगे ले जाना चाहता है परन्तु उसे धारा 139 (2) के अन्तर्गत नोटिस नहीं मिला है तो भी उस व्यक्ति को निर्धारित अवधि में धारा 139 (1) के अन्तर्गत हानि का नक्शा दाखिल कर देना चाहिए। इस अवधि में हानि का नक्शा दाखिल किए बिना हानि को पूर्ति हेतु अगले कर निर्धारण वर्षों में आगे नहीं ले जाया जा सकता।

आय का नक्शा देर से दाखिल करना (Belated Return) [193 (4)]—किसी व्यक्ति ने यदि धारा 139 (1) या 139 (2) के अन्तर्गत दी हुई अवधि में अपनी आय का नक्शा दाखिल नहीं किया है तो वह कर निर्धारण होने से पहले ऐसा कर सकता है। इसके लिए समय सीमा सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष की अवधि हैं। कर-निर्धारण इसी अवधि में सम्पन्न हो जाता है। संक्षेप में कर-निर्धारण हो चुकने के बाद भेजा गया आय का विवरण कानून की दृष्टि में वैध नहीं है।

यदि आयकर अधिकारी बिना समय में की गई वृद्धि की अनुमति के करदाता द्वारा प्रस्तुत किये गये आय के नक्शे को स्वीकार कर लेता है तो भी वह नक्शा देरी से प्रस्तुत करने के लिए अर्थदण्ड लगा सकेगा। धारा 139 (4) करदाता को देरी से नक्शा प्रस्तुत करने की अनुमति देती है किन्तु करदाता को धारा 271 (1) (4) के अन्तर्गत लगाये जा सकने वाले अर्थ दण्ड से मुक्ति प्रदान नहीं करती है।

ट्रस्ट आदि की दशा में आय का नक्शा (Return of income in the case of trust etc.) [(139(4A)] : इस उपधारा के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक व पुण्यार्थं ट्रस्टों की सम्पत्ति से आय प्राप्त करता है अथवा ऐसे ट्रस्ट आदि के लिए स्वेच्छा-पूर्वक दिये हुए चन्दे स्वीकार करता है, आय का नक्शा भेजने के लिए बाध्य है। यह नक्शा तभी भेजा जायेगा जब धारा 11 व 12 में दी गई छूटों को ध्यान में न रखते हुए कुल आयकर-मुक्त सीमा से अधिक है। कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 के लिए यह सीमा 18,000 रु० है। यह नक्शा निर्धारित फार्म पर आयकर अधिनियम के अन्तर्गत वने नियमों के अनुसार भेजा जाना चाहिए।

राजनीतिक पार्टी की दशा में निर्धारिणी [139 (4B] : राजनीतिक पार्टी के मुख्य अधिकारी (जो मन्त्री आदि किसी भी नाम से जाना जा सकता है) का यह दायित्व है कि वह निर्धारित तिथि तक निर्धारित फार्म पर पार्टी की आय का विवरण नक्शा भेज दें। यह नक्शा धारा 139 (1) के अधीन भेजा गया माना जायेगा। यह नक्शा उसी दशा में भेजा जाता है जबकि राजनीतिक पार्टी की आय करयोग्य हो।

संशोधित नक्शा (Revised Return) (139 (5)]—धारा 139 (1) अथवा (2) के अन्तर्गत आय का नक्शा दाखिल करने के बाद यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि उसके नक्शे में कुछ गलती रह गई हैं अथवा कुछ आवश्यक तथ्य उसमें नहीं लिखे जा सके हैं तो वह अपने कर-निर्धारण से पूर्व धारा 139 (5) के अन्तर्गत एक संशोधित नक्शा दाखिल कर सकता है।

इस उपधारा के अन्तर्गत करदाता को उसी समय बचाव मिलता है जबकि उसने यथार्थ में गलती की है। किसी करदाता ने यदि जानबूझ कर गलत विवरण भर कर भेज दिया है तो उसे इस उपधारा के अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

देर से भेजे गये आय के नक्शे के लिए ब्याज (Interest chargeable for Belated Return of income)—धारा 139 की उपधारा (1), (2) अथवा (4) के अन्तर्गत

किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के लिए यदि आय का नक्शा निर्धारित तिथि तक नहीं भेजा जाता. तो करदाता द्वारा 15% वार्षिक की दर से ब्याज देने की व्यवस्था है (1 अक्टूबर 1984 से पूर्व यह दर 12% थी)। ब्याज की गणना निर्धारित तिथि के अगले दिन से की जाती है व उस आयकर की रकम पर देय होती है जो नियमित कर-निर्धारण के समय कुल आय पर लगती है। इसमें से पेशगी दिया गया आयकर व आय के उद्गम स्थान पर काटा गया आयकर घटा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जबकि आय का नक्शा जमा नहीं किया जाता, ब्याज उस तिथि तक देय होती है, जब यह कर-निर्धारण सम्पन्न होता है। अन्य स्थितियों में यह नक्शा जमा करने की तिथि तक देय होती है।

बोर्ड द्वारा निर्धारित स्थितियों में आयकर अधिकारी को ब्याज घटाने व समाप्त करने का अधिकार भी दिया गया है।

ब्याज घटाने व समाप्त करने का अधिकार—धारा 139 के अन्तर्गत करदाता द्वारा देय ब्याज को आयकर अधिकारी द्वारा कुछ निर्दिष्ट स्थितियों में घटाया जा सकता है अथवा समाप्त भी किया जा सकता है। आयकर नियम संख्या 117A में इन दशाओं का वर्णन किया गया है। ये निम्नलिखित हैं :—

1. जब आय का नक्शा एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। धारा 163 के अन्तर्गत एक अनिवासी का प्रतिनिधि मान लिया गया है तथा जो उसकी आय के लिए करदाता है।

2. जब आय का नक्शा ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है जिसकी आय का साधन केवल एक ऐसी अनरजिस्टर्ड फर्म है जिस पर धारा 183 (b) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड मानकर कर-निर्धारण किया गया है।

3. आय का नक्शा जब मृत व्यक्ति के लिए उसके कानूनी प्रतिनिधि द्वारा दिया जाता है तथा यह प्रतिनिधि आयकर अधिकारी को उन कारणों के बारे में आश्वस्त कर देता है जिनके कारण नक्शा भेजने मे देरी हुई।

4. आय का नक्शा जब धारा 148 के अन्तर्गत जारी किए गये नोटिस के उत्तर में भेजा गया है।

5. किसी भी अन्य दशा में जबकि आयकर अधिकारी को यह विश्वास हो गया है कि करदाता के पास ऐसे पर्याप्त कारण थे जिनकी वजह से नक्शा देर में दाखिल हुआ।

ऊपर (4) व (5) में कम की गई व समाप्त की गई ब्याज यदि 1,000 रु० से अधिक है तो आयकर अधिकारी को इन्सपैक्टिंग असिस्टेन्ट कमिश्नर की अनुमति ले लेनी चाहिए।

नक्शे का दोषपूर्ण होना (Defective Return [139(9)] : आयकर अधिकारी द्वारा यदि आय के नक्शे में कोई दोष अथवा त्रुटि पायी जाती है तो वह करदाता को आवश्यक सूचना देता है उससे 15 दिनों की अवधि में यह दोष दूर करने के लिए कहता है। इस अवधि में वृद्धि की जा सकती है। यह त्रुटि इस अवधि में यदि ठीक नहीं की जाती तो इसे अवैध माना जाता है। इसके बाद में आयकर अधिकारी यह मानकर कर-निर्धारण के मामले में प्रगति कर सकता है कि करदाता द्वारा आय की निर्धारिणी दाखिल नहीं की गई है। करदाता द्वारा यह दोष 15 दिनों की अवधि के बाद में व आय-

कर अधिकारी द्वारा कर-निर्धारण पूरा किये जाने से पहले दूर कर दिया जाता है तो इसे स्वीकार करने अथवा न करने का अधिकार आयकर अधिकारी को ही है।

निम्नलिखित प्रपत्रों व सबूतों के अभाव में आयकर निर्धारिणी दोषपूर्ण मानी जाती है:

1. नक्शे के आधार पर ऐसा विवरण पत्र जिस पर आयकर की गणना दिखाई गई है।
2. आय के स्रोत पर काटे गये, पेशगी दिये गये व स्वयं कर-निर्धारण के प्रावधानों के अधीन दिये गये आयकर के भुगतान की रसीदें।
3. अनिवार्य जमा योजना के अधीन जमा की गई राशि के लिए रसीद।
4. उत्पादन खाता, लाभ-हानि खाता, आय-व्यय खाता, व्यापार का चिट्ठा।
5. व्यापार के खातों के अंकेक्षण की दशा में अंकेक्षित लाभ-हानि खाता व अंकेक्षक की रिपोर्टें।
6. करदाता द्वारा यदि नियमित रूप में वहीखाते नहीं रखे गये हैं तो बिक्री, सकल प्राप्तियाँ, सकल लाभ, व्यय आदि की विभिन्न रकमें :

स्थाई लेखा संख्या (Permanent Account Number) [139A]—वान्चू समिति की रिपोर्ट के आधार पर आयकर अधिनियम में स्थाई लेखा संख्या का प्रावधान किया गया है। इसके अन्तर्गत अब प्रत्येक करदाता को उसके लिऐ एक संख्या दी जानी है जिसे स्थाई लेखा संख्या कहते हैं। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसकी कुल आय करमुक्त सीमा से अधिक है अपने क्षेत्र के आयकर अधिकारी को ऐसी संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदन देगा। व्यापार अथवा पेशे में लगे हुए प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसकी कुल सकल प्राप्ति 50,000 रु० से अधिक है यह संख्या प्राप्त कर लेनी चाहिए। करदाता द्वारा स्थाई लेखा संख्या का विवरण निम्नलिखित प्रपत्रों पर लिखे जाने का प्रावधान है।

अ. सभी प्रकार के नक्शे व आयकर अधिकारी के साथ हुए समस्त पत्र व्यवहार पर।
ब. इस अधिनियम के अधीन किए गए सभी भुगतानों के चालान फार्मों पर।
स. बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी सौदों के प्रपत्रों पर।

स्थायी खाता संख्या का एक उदाहरण निम्न प्रकार है :—

$$\frac{\text{28-025 B.P.-3530}}{\text{J.P.R. (3)}}$$

इस नम्बर में रेखा के ऊपर अक्षर "पी" इस बात का परिचायक है कि करदाता "व्यक्ति" है और "बी" स्थायी संख्या की शुद्धता की जाँच करने के लिए नियन्त्रण अक्षर है। रेखा के नीचे दी गयी संख्याएँ करदाता के आय-कर अधिकारी के अधिकार क्षेत्र की परिचायक है और यह बताती है कि उनका कर निर्धारण कहाँ होता है। इस प्रकार उपर्युक्त स्थायी संख्या में 'J.P.R.' का अर्थ है जयपुर और (3) आयकर बार्ड नं० 3 का परिचायक है। जब करदाता के कर-निर्धारण स्थान में परिवर्तन हो जाता है तो अधिकार क्षेत्र को प्रकट करने वाली रेखा के नीचे संकेत बदल जायेंगे किन्तु स्थायी संख्या कभी नहीं बदलेगी।

आय के नक्शे पर किसके हस्ताक्षर होने चाहिए (Who should sign the return) [140]—धारा 139 के अन्तर्गत जमा किए गए आय के नक्शे पर निम्नलिखित व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं—

1. व्यक्ति की स्थिति में—स्वयं व्यक्ति द्वारा। यह व्यक्ति यदि भारत के बाहर है तो उसके लिए किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर काफी होंगे। व्यक्ति करदाता यदि मानसिक अयोग्यता से पीड़ित है तो उसके अभिभावक को हस्ताक्षर करने चाहिए।

2. हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में—हिन्दू अविभाजित परिवार की स्थिति में उसके कर्त्ता द्वारा, कर्त्ता यदि भारत में उपस्थित नहीं हैं अथवा अपने परिवार के काम धन्धे को देखने में मानसिक रूप से अयोग्य हैं तो परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य हस्ताक्षर कर सकता है।

3. कम्पनी की दशा में—इसके प्रबन्ध संचालक द्वारा, किसी कारण से यदि प्रबन्ध संचालक आय के नक्शे पर हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं है अथवा कम्पनी में प्रबन्ध संचालक का यदि कोई पद नहीं है तो कम्पनी के किसी संचालक द्वारा हस्ताक्षर किये जा सकते हैं।

4. फर्म की दशा में—इसके प्रबन्ध करने वाले साझेदार द्वारा। किसी कारण से यदि प्रबन्ध करने वाले साझेदार द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जा सकते तो किसी भी अन्य वयस्क साझेदार द्वारा हस्ताक्षर किये जा सकते हैं।

5. स्थानीय सत्ता—इसके लिए मुख्य अधिकारी आय के नक्शे पर हस्ताक्षर करेगा।

6. अन्य किसी समुदाय की दशा में समुदाय के प्रमुख अधिकारी अथवा समुदाय के सदस्य द्वारा।

7. अन्य किसी व्यक्ति की दशा में उस व्यक्ति द्वारा या उसकी तरफ से कार्य करने के लिए अधिकृत द्वारा।

कर-निर्धारण के प्रकार (Types of assessment)

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर-निर्धारण कई प्रकार से होता है। कभी करदाता को स्वयं अपनी कुल आय पर आयकर की गणना करनी पड़ती है। कभी आयकर अधिकारी को बिना किसी आय के विवरण के ही कर निर्धारण करना होता है। इन सभी का समावेश निम्नलिखित कर-निर्धारणों में होता है:

a) स्वयं कर-निर्धारण (Self assessment)
b) कर की वापिसी हेतु अस्थाई कर-निर्धारण (Provisional assessment for refund);
c) नियमित कर-निर्धारण (Regular assessment)
d) सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण (Best judgement assessment)
e) पुनः कर-निर्धारण (Re-assessment)

स्वयं कर निर्धारण (Self assessment) [140A]

प्रत्येक व्यक्ति को आय के नक्शे भेजते समय अपने आयकर दायित्व की गणना करनी पड़ती है। इस आयकर दायित्व में से पेशगी दिया गया आयकर तथा आय के स्रोत के स्थान पर काटे गए आयकर को घटाकर शेष देय आयकर की राशि ज्ञात की जायेगी। करदाता को इस आयकर का भुगतान अपने आप कर देने का प्रावधान है अर्थात् आय का विवरण प्रस्तुत करने से पूर्व ही कर चुकाना होगा। यह भुगतान आय के नक्शे को भेजने से पहले किया जायेगा तथा भुगतान सम्बन्धी प्रपत्र नक्शे के साथ संलग्न किये जाने आवश्यक हैं।

किसी व्यक्ति द्वारा अपरलिखित भुगतान न किये जाने पर 2% प्रतिमाह की दर से अर्थदण्ड की व्यवस्था है। जो जब तक लगेगा जब तक करदाता कर की राशि का भुगतान नहीं करता है।

उदाहरण (Illustration) 2 : करदाता इब्राहीम के आयकर के नक्शे के अनुसार उसकी कुल आय 30,000 रु० है उसने आयकर का पेशगी भुगतान 2,000 रु० का कर दिया है। इसके अतिरिक्त उसे प्राप्त लाभांश में से 250 रु० उद्‌गम स्थान पर काटने पड़े हैं। कर-निर्धारण-वर्ष 1986-87 के लिए निर्धारित दरों के अनुसार इब्राहीम का कर-दायित्व 3,250 रु० का है। इस सम्बन्ध में चूंकि उसने गतवर्ष में 2,000 रु० पेशगी आयकर व 250 रु० उद्‌गम के स्थान पर आयकर दिया है अतः उसे अभी भी 1,000 रु० आयकर के लिए देने हैं।

करदाता इब्राहीम यदि अपनी आय का नक्शा 30 जून 1986 तक जमा करा देते हैं तो इन्हें 1,000 रु० का भुगतान इस तिथि तक आय का नक्शा जमा कराने से पहले कर देना चाहिए। भुगतान करने के लिए प्रयुक्त किये गये चालान का प्रतिपूर्ण नक्शे के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। माना कि यदि इब्राहीम कर का भुगतान 30 जून 1986 को नक्शा प्रस्तुत करते समय नहीं करते और बाद में 31 अगस्त 1986 को कर चुकाते हैं तो 1,000 रु० पर 2% प्रतिमाह की दर से 40 रु० लगभग अर्थदण्ड देना होगा।

आयकर की वापिसी के लिए अस्थायी कर-निर्धारण (Provisional Assessment for Refund) [141]

जब धारा 139 के अन्तर्गत करदाता द्वारा आय का नक्शा भेज दिया जाता है तथा करदाता का यह दावा होता है कि इस नक्शे में दिखाई गई आय के लिए आयकर अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाओं के अन्तर्गत पेशगी आयकर की जो राशि जमा की गई है वह उसके वास्तविक कर-दायित्व से अधिक है तथा आयकर अधिकारी अपने सम्मुख प्रस्तुत बहीखातों व विभिन्न प्रपत्रों को देखकर करदाता के इस दावे को स्वीकार करने के साथ ही यदि यह महसूस करता है कि नियमित कर निर्धारण आय का नक्शा दाखिल करने के 6 महिने के अन्दर नहीं किया जा सकता तो वह अस्थायी रूप में कर-निर्धारण कर देगा।

अस्थायी कर-निर्धारण के समय किये जाने वाले समायोजन (Adjustment to be made) [141A(2)]—इस धारा के अन्तर्गत कर-निर्धारण करते समय आयकर अधिकारी करदाता द्वारा आय के नक्शे में दी गई आय व हानि की राशि में निम्नलिखित समायोजन करता है :

1. आय के नक्शे, खाते में विभिन्न प्रपत्रों में गणना सम्बन्धी गलतियाँ।
2. आय के नक्शे, खातों व प्रपत्रों में दी गई सूचना के आधार पर निकाली गई ऐसी छूटें व कटौतियाँ जिनका करदाता ने अपने नक्शे में दावा नहीं किया है।
3. ऐसी सभी कटौतियों व छूटों को अस्वीकृत करना जिनका दावा करदाता ने अपने नक्शे में किया है किन्तु नक्शे व प्रपत्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर अस्वीकृत की जा सकती है।

4. पिछले गतवर्षों में किये गये नियमित कर-निर्धारण के आधार पर निम्नलिखित समायोजन हैं :—

i. अशोधित ह्रास,
ii. अशोधित विकास छूट, अशोधित विनियोग छूट एवं अशोधित विकास भत्ता,
iii. वैज्ञानिक अनुसंधान, पेटेन्ट अधिकारों व कापीराइट के लिए किये गये पूंजी व्यय प्रारम्भिक व्यय, खनिज पदार्थों की खोज तथा कर्मचारियों में परिवार नियोजन के पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में।
iv. आगे लगाई गई व्यापारिक हानि, सट्टे से हानि, पूंजी लाभ शीर्षक के अन्तर्गत हानियाँ घुड़ दौड़ के घोड़े रखने के सम्बन्ध में हानि तथा धारा 80J के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि में से न कटी हुई रकम जो आगे लाई गई है।

एक फर्म पर कर वापसी के लिए अस्थायी कर निर्धारण—निम्नलिखित परिस्थितियों के अलावा एक फर्म पर कर वापसी के लिए अस्थायी कर निर्धारण एक अनरजिस्टर्ड फर्म की भाँति किया जायेगा।

a) जबकि किसी फर्म का कर-निर्धारण सबसे अंत में पूर्ण हुए कर-निर्धारण वर्ष के लिए रजिस्टर्ड फर्म के रूप में किया गया था तथा उसने अस्थाई कर-निर्धारण वाले वर्ष के लिये निर्धारित समय में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया है अथवा धारा 184(7) के अन्तर्गत आवश्यक घोषणा पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत कर दिया है।

b) जबकि किसी फर्म का अस्थायी कर-निर्धारण वाले वर्ष के पूर्व किसी वर्ष का नियमित कर-निर्धारण नहीं हुआ है तथा फर्म ने निर्धारित समय में अस्थायी कर-निर्धारण वाले वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिया है अथवा धारा 184(7) के अन्तर्गत आवश्यक घोषणा-पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत कर दिया है।

यदि नियमित कर-निर्धारण के समय यह पाया जाता है कि करदाता को अस्थायी कर-निर्धारण के अन्तर्गत वापिसी की गई राशि वास्तव में लौटाई जाने वाली राशि से अधिक है तो अधिक लौटाई गई राशि करदाता द्वारा देय कर समझा जायेगा और उससे यह राशि वसूल की जायेगी।

नियमित कर-निर्धारण के समय आयकर की वापसी की गई रकम को समायोजित कर लिया जाता है। इस धारा के अन्तर्गत हुए कर-निर्धारण के विरुद्ध किसी प्रकार की अपील आदि किये जाने का प्रावधान नहीं है।

नियमित कर-निर्धारण (Regular Assessment) [143]

धारा 139 के अन्तर्गत जब आय का नक्शा जमा कर दिया जाता है तो आयकर अधिकारी बिना करदाता को अपने सम्मुख बुलाये अथवा बिना किसी प्रपत्र को मँगाए कर-निर्धारण कर सकता है व कुल आय अथवा हानि की गणना कर सकता है। ऐसा करते समय आयकर अधिकारी को आय के नक्शे में घोषित व इसके साथ संलग्न हिसाब की पुस्तकों एवं प्रपत्रों में दी गई सूचना के आधार पर समायोजन करने चाहिये। पिछले वर्षों से सम्बन्धित समायोजन करने के पश्चात् आयकर अधिकारी द्वारा देय आयकर अथवा कर की वापिसी (Refund) की गणना की जाती है।

1. धारा [143](1) के अन्तर्गत नक्शे के आधार पर (On the basis of Return of Income)—करदाता को इस धारा के अन्तर्गत कर निर्धारण कराने के लिये अपना नक्शा भेजते हुए सभी आवश्यक रसीदें व प्रपत्र आदि संलग्न कर देना चाहिए व्यापारी को अपना लाभ हानि खाता, स्थिति विवरण तथा बीमा आदि की रसीदें भी भेजनी चाहिए।

धारा 143 (1) के अन्तर्गत कर-निर्धारण के समय आयकर अधिकारी द्वारा गणित सम्बन्धी शुद्धता की जाँच, स्वीकृत कटौतियाँ, अस्वीकृत व्यय, आगे ले जाने वाली हानियाँ व अशोधित ह्रास आदि का ध्यान रखा जा सकता है। ऐसे सभी समायोजन जो धारा 143A के अन्तर्गत अस्थायी कर-निर्धारण के समय किये जाते हैं इस कर-निर्धारण के समय भी करने चाहिए।

धारा 143(1) के अन्तर्गत कर-निर्धारण के लिये करदाता की उपस्थिति की कोई जरूरत नहीं रहती और न किसी भी प्रपत्र को करदाता से माँगा ही जाता है क्योंकि यह आवश्यक है कि आय के नक्शे के साथ पहले से ही सभी आवश्यक प्रपत्र संलग्न किए गये हों। कभी यदि आयकर अधिकारी द्वारा यह समझा जाता है कि मामले के सही निपटारे के लिये करदाता से साक्षात्कार करना अत्यावश्यक है अथवा करदाता से अभी प्रपत्र आदि माँगने हैं तो आयकर अधिकारी धारा 143(2) के अन्तर्गत एक नोटिस करदाता को भेजेगा जिसमें उसे आफिस में उपस्थित होने के लिये आवश्यक निर्देश होंगे।

2. धारा 143 (2) के अन्तर्गत सबूतों के आधार पर (On the basis of documents submitted)—आयकर अधिकारी को कभी-कभी यह आवश्यकता पड़ती है कि वह करदाता से कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण चाहता है अथवा कुछ प्रपत्र व कुछ अन्य सबूत चाहता है। इसके लिये करदाता को अपने आफिस में बुलाने का एक नोटिस भेजता है। ऐसा करने के लिए एक नोटिस धारा 143 (2) के अन्तर्गत भेजा जाता है जिसमें कि एक निश्चित, तिथि, निश्चित समय पर करदाता को अत्यावश्यक सबूतों के साथ बुलाया जाता है।

ऐसे नोटिस के उत्तर में करदाता को माँगे गये सबूत प्रपत्र आदि प्रस्तुत करने चाहिए व स्वयं भी उपस्थित होकर आयकर अधिकारी की शंकाओं का समाधान करना चाहिए इनके आधार पर व करदाता के बयानों को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिकारी आयकर का निर्धारण कर देगा। करदाता द्वारा इस नोटिस का उत्तर नहीं दिया जाता तो इसके परिणामस्वरूप सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण किया जाने का प्रावधान है।

सबूत प्रस्तुत करने का एक अवसर करदाता को भी मिलता है। धारा 143 (1) के अन्तर्गत आय के नक्शे के आधार पर जब कर निर्धारण किया जाता है किन्तु करदाता को इसमें आपत्ति होती है तो वह माँग का नोटिस मिलने के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति आयकर अधिकारी को भेज देगा। जिसके उत्तर में आयकर अधिकारी सभी सबूतों सहित करदाता को अपने आफिस में किसी निश्चित दिन बुलाकर उन दस्तावेजों एवं करदाता के कथन की सत्यता की जाँच करेगा व कर-निर्धारण कर देगा।

करदाता की उपस्थिति (Presence of the Assessee)—निम्नलिखित स्थितियों में आयकर अधिकारी करदाता को एक नोटिस द्वारा किसी निर्धारित तिथि को अपने आफिस में उपस्थित होने की सूचना देगा तथा उससे अपने आय के नक्शे को समर्थन (Support) देने वाले प्रपत्र अथवा साक्षियों को प्रस्तुत करने का आदेश देगा :

अ. जब कर-निर्धारण धारा 143(1) के अन्तर्गत किया गया है व करदाता द्वारा 'माँग का नोटिस मिलने के एक महीने के अन्दर ही आयकर अधिकारी को लिखित में ऐतराज भेज दिये गये हैं।

ब. कर-निर्धारण करने से पहले आयकर अधिकारी जब यह समझता है कि करदाता की उपस्थिति अथवा उसके द्वारा मँगाये जाने वाले सबूत कर-निर्धारण की पूर्णता व विशुद्धता में सहायक होंगे।

इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि धारा 143 (1) के अन्तर्गत कर-निर्धारण हो चुका है तथा करदाता की ओर से कोई ऐतराज भी नहीं है तो बिना इन्स-पैक्टिग असिस्टेन्ट कमिश्नर की पूर्व अनुमति के आयकर अधिकारी द्वारा करदाता को नहीं बुलाया जा सकता।

यह और ध्यान रखना चाहिए कि धारा 143 (2) के अन्तर्गत दिये गये नोटिस के उत्तर में करदाता द्वारा अपनी आय के नक्शे में दी गई सूचनाओं के प्रमाण में यदि साक्षी अथवा प्रपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उसे धारा 144 के अन्तर्गत सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण का तो किया ही जा सकेगा एवं इसके साथ उसे धारा 271 के अन्तर्गत अर्थदण्ड भी लगाया जा सकता है।

3. धारा 143(3) के अन्तर्गत कर-निर्धारण (Assessment u/s 143 (3)— करदाता द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्रों के आधार पर कथनों एवं सबूतों पर विचार करके आयकर अधिकारी द्वारा कर निर्धारण कर दिया जाता है। ऐसी दशा में जबकि कर-निर्धारण तो हो चुका है किन्तु करदाता द्वारा आपत्ति की जाती है अथवा आयकर अधिकारी की अपनी राय में ऐसा कर-निर्धारण अशुद्ध, अपर्याप्त अथवा अपूर्ण है तो आयकर अधिकारी अपने कर-निर्धारण आदेश में कुल आय की गणना दुबारा करेगा।

कोई भी कर-निर्धारण निम्नलिखित स्थितियों में अपर्याप्त अथवा अपूर्ण समझा जाता है—

a) कुल आय का निर्धारण गलत हुआ है।
b) देय आयकर की राशि की गणना में अशुद्धि रह गई है।
c) हानि की रकम का निर्धारण सही नहीं है।
d) ह्रास व विनियोग भत्ता आदि विभिन्न स्वीकृत कटौतियों में अशुद्धि रह गई है।
e) आयकर की वापसी (Refund) की गणना में अशुद्धि रह गई है।
f) करदाता के दर्जे (Status) का गलत निश्चय हुआ है। दर्जे से यहाँ तात्पर्य व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, फर्म आदि से है।

कर-निर्धारण से पूर्व जाँच पड़ताल
(Enquiry before Assessment) [142]

बहीखातों एवं प्रपत्रों की प्रस्तुति (Submission of books of Account and documents)— इस अधिनियम के अन्तर्गत आयकर अधिकारी किसी भी उस करदाता को जिसने धारा 139 (1) अथवा 139 (2) के अन्तर्गत आय का नक्शा जमा किया है (अथवा नहीं) एक नोटिस द्वारा उसमें लिखित तिथि निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिये कह सकता है—

अ. ऐसे सभी बहीखाते व प्रपत्र जिनकी आयकर अधिकारी को जरूरत है।

ब. ऐसे सभी सूचना में (इसमें करदाता की सम्पत्ति एवं दायित्वों का विवरण भी सम्मिलित है) को निर्धारित ढंग से व निर्धारित फार्मों पर लिखित रूप से तथा निर्धारित तरीके से संस्थापित करके भेजना जिसका निर्देश आयकर अधिकारी द्वारा दिया गया है।

आयकर अधिकारी यदि ऐसी सम्पत्ति एवं दायित्वों का विवरण माँगता है जिनका उल्लेख वहीखातों में नहीं है तो इसके लिये आयकर अधिकारी को इन्सपेक्टिंग असिस्टेन्ट कमिश्नर की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये। खातों के बारे में एक प्रतिबंध यह है कि गतवर्ष से पहले तीन वर्षों की अवधि तक के खाते मँगवाये जा सकते हैं। इससे अधिक पूर्व के नहीं, किन्तु प्रपत्रों के बारे में यह समय सीमा लागू नहीं होती है। आयकर अधिकारी को उस धारा के अन्तर्गत करदाता के व्यापार की किसी भी ऐसी ब्रांच के हिसाब मँगाने का अधिकार है जो भारत के बाहर स्थित है।

धारा 142 के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था भी है कि आयकर अधिकारी द्वारा किसी प्रपत्र का प्रयोग करदाता के विरुद्ध किया जाता है तो उसे अपनी बात स्पष्ट करने का एक उचित अवसर प्रदान किया जावेगा।

करदाता यदि वाँछित सूचनायें/सामग्री आयकर अधिकारी को यथा समय नहीं दे पाता तो वह इस सामग्री को किन्हीं अन्य उपायों द्वारा प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है उसे साक्षी के रूप में विभिन्न व्यक्तियों को अपने आफिस में बुलाने तथा उनको शपथ दिलाकर बयान लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वह अन्य पड़ोसी व्यापारियों को तथा व्यवस्थापकों को बुलाकर उनसे प्रश्न कर सकता है तथा करदाता के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है।

इस प्रकार करदाता द्वारा दी गई सामग्री तथा अन्य साधनों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आयकर अधिकारी धारा 143 के अन्तर्गत करदाता की कुल आय की गणना करता है तथा आयकर की चुकाई जाने वाली रकम अथवा यदि आवश्यकता हो तो आयकर वापसी (refund) की रकम की गणना भी उसे करनी पड़ती है।

कमिश्नर के मनोनीत लेखाकार द्वारा अंकेक्षण (Audit of accounts by a nominated accountant) [142(2A)]—मामले की प्रकृति, जटिलता व खातों की उलझनों को ध्यान में रखते हुए यदि आयकर अधिकारी उचित समझता है तो करदाता को अपने खाते कमिश्नर द्वारा नामांकित (nominated) लेखाकार से अंकेक्षण कराने के लिए कह सकता है। यह अंकेक्षण निर्धारित फर्म पर अपनी रिपोर्ट देगा व इसमें वे सभी विवरण होंगे जो आयकर अधिकारी आवश्यक समझता है। आयकर अधिकारी इस बारे में निर्देश देने से पहले आयकर कमिश्नर से अनुमति प्राप्त करेगा।

इस अंकेक्षण की रिपोर्ट निर्दिष्ट समय में आयकर अधिकारी को प्राप्त हो जानी चहिए इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है किन्तु अधिकतम समय सीमा 180 दिन है। अंकेक्षण का सभी व्यय करदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा अंकेक्षण शुल्क का निर्धारण आयकर कमिश्नर करेंगे।

यदि करदाता आय-कर अधिकारी के आदेशानुसार अंकेक्षण नहीं कराता है तो वह धारा 144 के अन्तर्गत सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण कर सकता है।

सारांश कर-निर्धारण-आय के नक्शे के आधार पर कर निर्धारण (Summary Assessment)

हमने धारा 143 (1) के अन्तर्गत आयकर अधिकारी द्वारा किये जाने वाले कर-निर्धारण का उल्लेख किया है इसे सारांश कर-निर्धारण भी कहते हैं। बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में एक विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें कर-निर्धारण की निम्न विशेषतायें दी गयी हैं :

अ) करदाता को कर-निर्धारण की प्रक्रिया सम्पन्न करने के लिए आयकर दफ्तर में नहीं बुलाया जाता ।

ब) उससे अपने हिसाब-किताब प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जाता ।

स) उसकी आय का नक्शा स्वीकृत कर लिया जाता है जिसमें कुछ वैधानिक समायोजन किये जा सकते हैं ।

करदाता को क्या करना है ?

अ) यह देखिए कि आपकी आय का नक्शा आपकी आय का सही व यथार्थ विवरण दर्शाता है ।

ब) आय का नक्शा हर प्रकार से सम्पूर्ण होना चाहिए तथा उसमें कुछ भी सूचना अधूरी नहीं होनी चाहिए ।

स) उसके साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न होने चाहिए ।

i. हिसाब का विवरण;
ii. आय के उद्गम स्थान पर काटे गये आयकर के प्रमाण-पत्र;
iii. जीवन बीमा प्रीमियम की रसीदें;
iv. अन्य सभी प्रपत्र जो नक्शे में दी गयी सूचनाओं को प्रमाणित करते हों।

आयकर विभाग क्या करता है ?

आयकर अधिकारी आपके द्वारा दी गई सूचनाओं, आय के विवरण एवं संलग्न प्रपत्रों के अनुसार बिना आपको बुलाये एवं हिसाब की पुस्तकों को जांचे ही, आय का कर-निर्धारण कर देगा। आप यदि ऐसे कर-निर्धारण से संतुष्ट नहीं हैं तो माँग के नोटिस के मिलने के एक माह के अन्दर ही आयकर अधिकारी को लिखिए जिसमें आप अपनी आपत्तियों का उल्लेख कीजिए। वह इसके सम्बन्ध में आपकी बात सुनेगा तथा आप का कर-निर्धारण यदि आवश्यक हुआ तो दुबारा कर देगा।

मामले की पुनः सुनवाई (Fresh hearing) [129]—कुल आय निर्धारण के बीच में ही यदि किसी आयकर अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है अथवा किसी अन्य कारण से यदि करदाता उसी अधिकारी के क्षेत्र में नहीं रहता तथा कर-निर्धारण का शेष कार्य किसी दूसरे अधिकारी को करना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में करदाता की प्रार्थना पर दूसरा अधिकारी करदाता के कर-निर्धारण का पूरा मामला सुनकर ही कुल आय निकालेगा।

सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण (Best Judgement Assessment)

इसे एक पक्षीय (Ex-parte) कर-निर्धारण भी कहते हैं। यह ऐसा कर-निर्धारण है जिसमें करदाता का सहयोग प्राप्त न होने पर अथवा उसके द्वारा वहीखाते व अहँ

सबूत आदि प्रस्तुत न करने पर आयकर अधिकारी उपलब्ध सामग्री के आधार पर स्वयं ही कर-निर्धारण सम्बन्धी निर्णय दे देता है।

साधारण सिद्धांत (General Principles)—धारा 144 के अन्तर्गत आयकर अधिकारी अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर करदाता की कुल आय का निर्धारण करता है। परन्तु ऐसा करते हुए उसे हर प्रकार की ईमानदारी का परिचय देना चाहिये तथा कभी भी करदाता के प्रति बदले की भावना से प्रेरित नहीं होना चाहिये। कुल आय का निर्धारण स्थानीय ज्ञान, करदाता द्वारा पिछले वर्षों में दी गई आयकर की रकम तथा अन्य प्राप्त सूचनाओं के आधार पर करना ही अधिक उपयुक्त है। केवल कल्पना अथवा हवाई घोड़े दौड़ाकर अन्दाज मात्र से कुल आय की गणना करना सर्वथा वर्जित है। चूंकि सर्वोत्तम निर्णय का प्रयोग करते समय आयकर अधिकारी एक न्यायाधीश का कार्य करता है अतः उसे ऐसी स्थिति में अपना कर्तव्य उचित रूप से निर्वाह करना चाहिए। कर निर्धारण के समय केवल सुनी हुई बातों पर ध्यान देना उपयुक्त नहीं है।

A. अनिवार्य सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण (Compulsory Best Judgement Assessment) [धारा 144]—निम्नलिखित परिस्थितियां ऐसी हैं जबकि आयकर अधिकारी को सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण करना ही पड़ता है तथा इसके अलावा और कोई रास्ता शेष नहीं रह जाता –

अ) जब करदाता अपनी कुल आय का नक्शा धारा 139 (2) के अन्तर्गत दिये गये नोटिस के बाद भी निर्धारित अवधि में नहीं भेजा जाता।

ब) जब आयकर अधिकारी द्वारा माँगे जाने पर करदाता धारा 142 (1) के अन्तर्गत बही खाते व अन्य प्रपत्र जमा नहीं कर पाता।

स) जब करदाता द्वारा अपने खातों को आयकर कमिश्नर द्वारा मनोनीत लेखाकार से अंकेक्षण कराने सम्बन्धी आदेश की अवहेलना की जाती है।

द) जब आयकर अधिकारी द्वारा 143 (2) के अन्तर्गत करदाता की उपस्थिति चाहता है अथवा कुछ अन्य प्रमाण चाहता है परन्तु करदाता द्वारा ऐसे आदेश की अवहेलना की जाती है।

उपर्युक्त स्थितियों में आयकर अधिकारी उपलब्ध समस्त सामग्री एवं सूचनाओं का प्रयोग करेगा। ये अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर करदाता की कुल आय की गणना करेगा तथा उसके द्वारा चुकाई जाने वाली आयकर की राशि निकालेगा।

सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण के परिणाम
(Consequences of Best Judgement Assessment)

1. अर्थदण्ड (Penalty)—धारा 271 के अन्तर्गत अर्थदण्ड की व्यवस्था है जो विभिन्न स्थितियों में भिन्न होती है।

2. करदाता को धारा 276CC तथा 276D के अन्तर्गत सजा हो सकती है।

3. फर्म का रजिस्ट्रेशन—जब भी आयकर अधिकारी इस प्रकार का सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण करता है तो यह माना जाता है कि करदाता से गलती हुई है। फर्म का एक पक्षीय कर निर्धारण होने पर आयकर अधिकारी फर्म को सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के लिए रजिस्टर्ड करने से इन्कार कर सकता है फर्म के पहले से ही रजिस्टर्ड होने पर फर्म का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है परन्तु इसके लिये फर्म को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक उचित अवसर दिया जाना चाहिए।

4. ऐसी कम्पनी की दशा में जिसमें जनता का सारवान हित न हो, अतिरिक्त आयकर से बचने के लिये लाभाँश और अधिक वितरण करने की शर्त से मुक्ति की सुविधा से वंचित किया जा सकता है।

5. अधिक कर लगाने के सम्बन्ध में सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण के विरुद्ध अपील करने की दशा में करदाता को अपीलेट अधिकारी के समक्ष नये तथ्य प्रस्तुत करने से रोक दिया जाता है।

इसके विरुद्ध उपाय— सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण के विरुद्ध करदाता के पास दो उपाय हैं :

i. सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण को पुनः खुलवाना।

ii. इसके विरुद्ध अपील करना।

(i) **सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण को पुनः खुलवाना (Re-opening of Best Judgement Assessment)**— ऐसे करदाता द्वारा जिसका कर निर्धारण धारा 144 के अन्तर्गत हो चुका है, माँग के नोटिस मिलने की एक महीने की अवधि के अन्दर ही ऐसे कर-निर्धारण को रद्द करने के लिए निम्नलिखित आधारों पर प्रार्थना-पत्र दिया जा सकता है :

a) धारा 139 (2) के अन्तर्गत दिये नोटिस के उत्तर में करदाता द्वारा आय का नक्शा दाखिल नहीं किया जा सका है, जिसके पर्याप्त कारण हैं।

b) धारा 142 (1) तथा 143 (2) के अन्तर्गत आयकर अधिकारी द्वारा दिये गये नोटिस करदाता को प्राप्त न हो सके।

c) धारा 142 (1) तथा 143 (2) के अन्तर्गत मिले नोटिसों को पालन करने का उसे उचित अवसर न मिलने अथवा ऐसे पर्याप्त कारण थे जिनकी वजह से इन नोटिसों की पूर्ति न की जा सकी।

आयकर अधिकारी यदि करदाता द्वारा दिये गये इन कारणों से सन्तुष्ट हो जाता है तो वह पुराने एक पक्षीय कर-निर्धारण को रद्द कर देगा तथा कर-निर्धारण पुनः नये सिरे से करेगा। 30 सितम्बर 1984 के बाद किये कर-निर्धारण के सम्बन्ध में कर-निर्धारण को पुनः खुलवाने की व्यवस्था लागू नहीं होगी।

(ii.) **अपील करने का अधिकार (Appeal against Best Judgement Assessment)**—आयकर अधिकारी यदि करदाता द्वारा सर्वोत्तम कर-निर्धारण को रद्द करने वाली प्रार्थना को ठुकरा देता है तो करदाता इस निर्णय के विरुद्ध अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर के यहाँ अपील के लिए जा सकता है तथा वहाँ से भी सन्तुष्ट नहीं होने पर अपीलेट ट्रिब्यूनल का दरवाजा खुला रहता है। तत्पश्चात यदि कोई कानूनी प्रश्न शेष रह गया है तो उसके निपटारे के लिए हाईकोर्ट व सुप्रीमकोर्ट तक जाने की व्यवस्था भी है।

B. विवेकीय कर-निर्धारण (Best Judgement Assessment at the discretion of ITO) [धारा 145 (3)] के अनुसार—जब आयकर अधिकारी को करदाता के बही-खातो की सत्यता एवं पूर्णता के विषय में संतोष नहीं होता तथा जहाँ बहीखाते रखने की कोई पद्धति नियमित रूप से नहीं अपनाई गई है, तो उसे ऐसे बहीखातों को रद्द करने का पूर्ण अधिकार है इन बहीखातों को रद्द करके उसे सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कर-रण करनापड़ता है। ऐसा कर-निर्धारण धारा 144 के अन्तर्गत किया जाता है।

अधीन निरीक्षक सहायक आयकर आयुक्त किन्हीं मामलों में कर-निर्धारण सम्बन्धी आवश्यक निर्देश दे सकता है। यह मामला वह अपने इच्छानुसार करदाता की प्रार्थना पर अथवा आयकर अधिकारी के सुझाव पर उठा सकता है। आयकर अधिकारी द्वारा इन निर्देशों के अनुसार कर-निर्धारण किया जायेगा। ऐसा कोई निर्देश यदि करदाता के लिए अहितकर है तो उसे अपनी बात कहने का एक उचित अवसर दिया जायेगा।

निरीक्षण सहायक आयकर आयुक्त को निर्देश के लिए कुछ मामले (Reference to IAC in certain cases) [144B]—इस धारा के अधीन यदि आयकर अधिकारी करदाता द्वारा दिखाई गई कुल आय में कुछ वृद्धि करना चाहता है तथा यह वृद्धि केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है तो कर-निर्धारण से पहले आयकर अधिकारी द्वारा कर-निर्धारण का संक्षिप्त आदेश करदाता को भेजा जायेगा। बोर्ड द्वारा इस धारा के अधीन एक लाख रु० की सीमा निर्धारित की गई है।

करदाता को इस विषय में यदि कुछ आपत्ति है तो ऐसी आपत्तियाँ आदेश मिलने की तिथि से 7 दिनों के अन्दर आयकर अधिकारी को भेज देना चाहिए। यदि इस विषय में कोई आपत्ति नहीं आती तो यह समझा जाता है कि आय में वृद्धि करदाता को मान्य है।

करदाता द्वारा आपत्ति भेजे जाने पर यह आपत्तियाँ, आयकर अधिकारी को संक्षेप में कर-निर्धारण आदेश व मामले की सम्बन्धित कार्यवाही निरीक्षण सहायक आयकर आयुक्त को भेज दिये जायेंगे। इसे अध्ययन करके उक्त आयुक्त द्वारा कर-निर्धारण विषयक आवश्यक निर्देश आयकर अधिकारी को भेज दिये जायेंगे। 30 सितम्बर 1984 के बाद किये जाने वाले कर-निर्धारण के सम्बन्ध में धारा 144B के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

पुनः कर-निर्धारण (Re-assessment)

नियमित कर-निर्धारण प्रायः करदाता द्वारा दिये गये आय के नक्शे तथा उसके द्वारा दिये गये प्रमाणों आदि के आधार पर किया जाता है। करदाता प्रायः अपना कर-दायित्व कम करने के लिए बहुत सी आय छिपा लेने का प्रयास करता है जिससे कुछ आय कुल आय में सम्मिलित किये जाने से रह जाती है।

आयकर अधिकारी द्वारा यदि अधिक आयकर लेने का प्रयास किया जाता है अथवा उसकी ओर से यदि कोई अनुचित निर्णय करदाता को प्रभावित करता है तो उसके निर्णय के विरुद्ध करदाता को अपील करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार यदि करदाता द्वारा कर-निर्धारण के समय कुछ तथ्य छिपा लिये जायें जिनसे कुछ आयकर लगने से रह जाये तो आयकर अधिकारी को पुनः कर-निर्धारण का अधिकार दिया गया है। इसके अनुसार यदि कभी आयकर अधिकारियों के पास ऐसे पर्याप्त कारण हैं जिनसे ज्ञात होता है नियमित कर-निर्धारण के समय कोई आय आयकर लगने से रह गई है अथवा उससे आयकर की गणना कम दर पर हुई है तो धारा 147 के अन्तर्गत पुनः कर-निर्धारण किया जायेगा व ह्रास की रकम की गणना भी दुबारा की जायेगी। पुनः कर निर्धारण निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है—

1. करदाता द्वारा कुछ तथ्यों को छिपाना (Omission or failure of the assessee) [147(a)]—जब आयकर अधिकारी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि किसी कर-निर्धारण वर्ष का नक्शा धारा 139 के अन्तर्गत कर-

दाता ने दाखिल नहीं किया अथवा उस वर्ष कर-निर्धारण के समय उसने बहुत से ऐसे तथ्य छिपा लिये थे जिनके कारण उस वर्ष की कुछ आय आयकर लगने से रह गई अथवा कम रकम पर कर-निर्धारण हुआ है।

इस धारा के अन्तर्गत आयकर अधिकारी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण होना चाहिए कि वह राशि करयोग्य आयकर निर्धारण से बच गई है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि दुबारा पूरी जांच पड़ताल करे व ऐसी पड़ताल के बाद में ही पुनः कर-निर्धारण का नोटिस दे। उसके सम्मुख ऐसे तथ्य प्रस्तुत होने चाहिये जिससे सदभावना-पूर्वक यह विश्वास बन सके कि कुछ आय पर आयकर नहीं लग सका है। [R. Dalmia v. Union of India (1972) 84 ITR 616]

2. बाद में प्राप्त सूचना (Subsequent information [147 (b)]—इस धारा के अन्तर्गत पुनः कर-निर्धारण उस समय होता है जब यद्यपि करदाता से कोई भूल आदि नहीं हुई है, परन्तु आयकर अधिकारी को बाद में कुछ ऐसी सूचनायें व तथ्य प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर उसे विश्वास है कि कर-निर्धारण के समय कुछ आय आयकर से छूट गई हैं। इस वाक्यांश में सूचनायें शब्द से हमारा तात्पर्य किसी बाहरी साधन से प्राप्त ज्ञान अथवा निर्देश से है जिससे कुछ तथ्य अथवा विवरण प्राप्त हो अथवा ऐसे कानूनी मुद्दे ज्ञात हों जो कर-निर्धारण पर प्रभाव डालते हों। आयकर अधिकारी द्वारा किसी मुद्दे से सम्बन्धित अपनी राय बदलने मात्र से पुनः कर-निर्धारण को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। [Kasturbhai Lalbhai v. R. C. Malhotra (1971) 80 ITR 88]

निम्नलिखित परिस्थितियाँ वे हैं जिनमें करयोग्य आय कर-निर्धारण से बची हुई मानी जाती है (Income deemed to have escaped assessment) :

अ. जहाँ करयोग्य आय कम निर्धारित हो गई है।
ब. जहाँ ऐसी आय पर कम दर से आयकर लगाया गया है।
स. जहाँ ऐसी आय पर अधिक छूट मिल गई है।
द. जहाँ हानि अथवा ह्रास के भत्ते की रकम की अधिक गणना हो गई।

पुनः कर-निर्धारण के लिये नोटिस का दिया जाना (Issue of notice) [148]—धारा 147 के अन्तर्गत पुनः कर-निर्धारण अथवा ह्रास व भत्ते की हानि आदि की दुबारा गणना करने से पहले आयकर अधिकारी एक नोटिस करदाता को देगा तथा नोटिस देने से पहले उन सभी कारणों को लिखेगा, जिनसे प्रेरित होकर वह पुनः कर-निर्धारण कर रहा है।

नोटिस देने के लिए अवधि (Time limit for notice) [149]

पुनः कर-निर्धारण के सम्बन्ध में नोटिस दिए जाने की अवधि की सीमा निम्न है :

a) मामले जो धारा 147 (a) के अधीन आते हैं : आय का छिपाना आदि [149(1)(a)]

i. सभी मामलों में सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के अन्त से 8 वर्षों की अवधि; यह समय सीमा निम्नलिखित (ii) के लिए लागू नहीं होती।
ii. सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के अन्त से 16 वर्ष की अवधि जबकि बचाई गई राशि 50,000 रुपये अथवा अधिक है।

b) मामले जो धारा 147(b) के अधीन आते हैं। आयकर अधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना [149(1)(b)]

सम्वन्धित कर-निर्धारण वर्ष के अन्त से 4 वर्ष की अवधि में

c) जब करदाता का कर-निर्धारण एक अनिवासी के एजेन्ट के रूप में होता है [149(3)]

सम्वन्धित कर-निर्धारण वर्ष के अन्त से 2 वर्षों की अवधि। यह समय सीमा केवल नोटिस के निर्गमन तक ही सीमित नहीं है वरन् इस सीमा के अन्दर नोटिस करदाता को प्राप्त हो जाना चाहिए। CIT v. Smt. Kailash Devi (1976) 105 ITR 479.

धारा 145 के अन्तर्गत पुनः कर-निर्धारण करने का नोटिस सम्वन्धित कर-निर्धारण वर्ष के आठ वर्ष की अवधि के बाद में दिया जाता है तो पुनः कर-निर्धारण के लिये आयकर अधिकारी को बोर्ड की अनुमति लेनी पड़ती है तथा 4 वर्ष की अवधि के बाद में पुनः कर-निर्धारण के लिये कमिश्नर की स्वीकृति की आवश्यकता है।

कर-निर्धारण के लिए समय सीमा

(Regular Assessment and Best Judgement Assessment)

नियमित कर-निर्धारण व सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण [153]

a) धारा 153(1) द्वारा नियमित कर-निर्धारण व सर्वोत्तम कर-निर्धारण के लिए समय सीमा सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद में दो वर्ष है। अर्थात् कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 का कर-निर्धारण 31 मार्च 1989 तक हो जाना चाहिए।

b) किसी कर-निर्धारण में यदि करदाता 271 (1) (c) के अन्तर्गत दण्ड का भागी होने की स्थिति में हैं चूंकि उसने अपनी कुल आय को आयकर विभाग से छिपाया है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 8 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है।

c) धारा 139(4) व (5) के अन्तर्गत सशोधित नवशा दाखिल करने अथवा देर से नवशा दाखिल करने की दशा में एक वर्ष की अवधि जो भी उपर्युक्त अवधि सबसे अन्त में समाप्त होती है।

d) यदि करदाता द्वारा 30 सितम्बर 1984 के पश्चात धारा 143(2)(a) के अन्तर्गत आयकर अधिकारी को धारा 143(1) के अन्तर्गत किये गये कर-निर्धारण के विरुद्ध आवेदन देने पर ऐसे आवेदन की तिथि के 6 माह की अवधि समाप्ति होने पर।

धारा 153 (2) के अन्तर्गत पुनः कर-निर्धारण की समय सीमा दी गई है जो निम्नलिखित है (Time Limit for Re-assessment)

1. जब आय पर कर छूट जाने अथवा आयकर लगाने का कारण करदाता की भूल है तो समय सीमा 4 वर्ष है जिसकी गणना उस कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति से की जाती है जिसमें धारा 148 के अन्तर्गत करदाता को नोटिस दिया गया था।

2. जब आय पर कर छूट जाने अथवा कम आयकर लगने से करदाता का कोई सम्बन्ध नहीं है तो समय सीमा यह होगी :

अ) जिस कर-निर्धारण वर्ष में पहली बार कर-निर्धारण होना चाहिए था उससे 4 वर्षों के अन्दर; अथवा

ब) धारा 148 के अन्तर्गत पुनः कर-निर्धारण का नोटिस देने की अवधि से 1 वर्ष के अन्दर इन दोनों अवधियों में से जो भी बाद में समाप्त होती है :

जब कोई सीमा लागू नहीं होती : धारा 153(3) में ऐसी परिस्थितियाँ दी गई हैं जो किसी भी समय सीमा के अन्दर नहीं आतीं। इसमें पुनः कर-निर्धारण कभी भी हो सकता है। ये निम्नलिखित हैं—

1. जब धारा 146 के अन्तर्गत कर-निर्धारण किया जाता है अर्थात् जब करदाता के कहने पर सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण रद्द कर दिया जाता है व दुबारा कर-निर्धारण होता है।

2. जब पुनः कर-निर्धारण अपील पुनर्विचार आदि धारा 250, 254, 260, 262, 263, 264 में दिये गये आदेशों व नियमों के फलस्वरूप होता है।

3. जब फर्म पर धारा 147 के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण किया जाता है व परिणामस्वरूप साझेदार का पुनः कर-निर्धारण होता है :

भूल सुधार (Rectification of Mistakes)

मनुष्य से गलती होती है अतः कर-निर्धारण में भी गलतियाँ होने की सम्भावना रहती है। आयकर अधिनियम की धारा 154 व 155 इस विषय से सम्बन्धित है। धारा 154 सिद्धान्त के रूप में 'भूल-सुधार' का विवेचन करती है जबकि धारा 155 में उन स्थितियों की एक सूची दी गई है जिसमें भूल सुधार किया जाना चाहिए।

धारा 154 के अनुसार यदि भूल होती है जिसका ज्ञान प्रस्तुत व उपलब्ध प्रपत्रों से स्पष्ट रूप (apparent from record) से हो जाता है तो --

a) आयकर अधिकारी अपने द्वारा किये गये कर-निर्धारण व कर की वापिसी के आदेश में संशोधन कर सकता है।

b) अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर अपने द्वारा अपील के सम्बन्ध में दिये गये आदेश में संशोधन कर सकता है।

c) कमिश्नर-पुनर्विचार के लिए अपने द्वारा किये गये आदेश में उचित प्रबन्ध कर सकता है।

भूल सुधार सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निर्णय की तिथि के 4 वर्षों के अन्दर ही किया जा सकता है। भूल सुधार करदाता द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने पर भी हो सकता है, व अधिकारियों द्वारा अपने आप भी। यदि कोई भूल अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा हुई है तो आयकर अधिकारी द्वारा भी भूल बताई जा सकती है।

भूल सुधार से आयकर दायित्व में कुछ कमी आई हो तो आयकर अधिकारी द्वारा अधिक वसूल किये गये कर की वापिसी कर दी जायेगी परन्तु यदि भूल सुधार से किसी प्रकार करदाता से करदायित्व में वृद्धि होती है तो वह वृद्धि तभी की जा सकती है जब कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा करदाता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक उचित अवसर दे दिया गया हो। यदि भूल सुधार से कर-दायित्व में वृद्धि हुई है तो आयकर अधिकारी द्वारा करदाता को एक नोटिस आयकर की रकम के भुगतान करने के सम्बन्ध में दिया जायेगा।

'भूल सुधार' के विषय में आयकर अधिकारी का अधिकार-क्षेत्र इस बात पर निर्भर रहता है कि भूल का पता रिकार्ड देखने से ही लग जाता है। यह भूल तथ्य सम्बन्धी

हो सकती है अथवा कानून सम्बन्धी। आवश्यक रूप से यह गणित सम्बन्धी अशुद्धता अथवा लेखन अशुद्धि हो, ऐसी बात नहीं है।[1] ऐसी भूल जो काफी तर्क व पर्याप्त सोच विचार के बाद मालूम पड़े, इस धारा की परिधि में नहीं आती। एक मामले में प्रारम्भिक कर निर्धारण के समय किसी सामग्री व तर्क के आधार पर विशेष अधिभार नहीं लगाया गया किन्तु बाद में यह पता लगा कि प्रारम्भिक कर-निर्धारण के समय आयकर अधिकारी द्वारा इस विषय में किया गया निर्णय सही नहीं था, इस भूल को धारा 154 अथवा 155 के अन्दर ठीक नहीं किया जा सकता।[2] इसी प्रकार एक अन्य मामले में सेफ्टीरेजर बनाने वाली कम्पनी को लोहे व स्पात में लगी कम्पनी समझ कर विशेष दर से ह्रास की छूट दे दी गई। बाद में इस भूल का ज्ञान हुआ। स्पष्ट है कि इस भूल का सुधार सम्भव नहीं है।[3]

धारा 246 के अन्तर्गत आयकर अधिकारी द्वारा भूल सुधार आदेश के विरुद्ध करदाता को अपील करने का अधिकार आयकर अधिनियम के अन्तर्गत दिया हुआ है। परन्तु यदि अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा सुधार हो तो अपील करने सम्बन्धी कोई व्यवस्था दिखाई नहीं देती।

ऐसी भूलों का सुधार जिनका पता रिकार्ड देखने मात्र से नहीं लगता (Rectification of mistakes not on record) [धारा 155] : धारा 155 में ऐसी भूल की सूची दी गई जिनका पता रिकार्ड के देखने मात्र से नहीं लगता किन्तु जिनका सुधार धारा 155 के अधीन आयकर अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस सूची को ध्यान से देखने पर यह मालूम होता है कि ये एक तरह से भूल न होकर सम्पन्न किये गये आयकर निर्धारणों का संशोधन है। ये संशोधन करदाता की आय अथवा स्थिति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप करने पड़ते है। ऐसे संशोधन को पूरा अधिकार धारा 155 के अधीन आयकर अधिकारी को दिया गया है। इस धारा का संक्षिप्त विवरण मय उपधाराओं के यहां दिया गया है :

1. **फर्म के कर निर्धारण सम्पन्न होने पर साझेदारों के कर-निर्धारण के आदेश में संशोधन (Amending the partners assessment as consequence of assessment of the firm) :** फर्म की आय में भूल सुधार, पुनः कर-निर्धारण, अपील आदि के कारण यदि संशोधन होता है तो परिणाम स्वरूप फर्म में साझेदारों को फर्म से मिलने वाली आय में भी संशोधन होगा। यदि इन साझेदारों में कर-निर्धारण सम्पन्न हो गये हैं तो आयकर अधिकारी द्वारा इन सम्पन्न हुए कर-निर्धारणों में इस धारा के अधीन भूल सुधार किया जायेगा।

2. **व्यक्तियों के समुदाय के सदस्यों के कर निर्धारण में संशोधन (Amending the assessment of a member of an association of persons) :** व्यक्तियों के समुदाय के कर-निर्धारण में यदि अपील, भूल सुधार अथवा पुनः कर-निर्धारण आदि के कारण कुछ संशोधन होता है तो स्वाभाविक है उपर्युक्त (1) की भांति समुदाय के सदस्यों के कर-निर्धारणों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यह संशोधन इस उपधारा के अधीन आयकर अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

---

1. NVN Nagappa Chettiar v. ITO (1958) 34 ITR 583
2. CIT v Balkishan Bhatia (1972) 86 ITR 452 (Delhi)
3. Harvanslal Malhotra & Sons v ITO (1972) 83 ITR 138 (Cal)

3. अतिरिक्त लाभकर में संशोधन के कारण आदेश में संशोधन (Rectification following the modification in excess profits tax or business profits tax) : अतिरिक्त लाभकर व व्यापारिक लाभकर की राशि में यदि अपील आदि के कारण संशोधन होता है तो करदाता के व्यापार से हुए लाभों को भी संशोधित किया जाना आवश्यक है। यह संशोधन इस उपधारा के अधीन किया जाता है । स्मरणीय यह है कि Excess profits tax व Business profits tax अब चलन में नहीं हैं।

4. हानि अथवा स्वीकृत ह्रास में संशोधन (Recomputation of allowable depreciation or loss) : धारा 147 के अधीन पुनः कर-निर्धारण के फलस्वरूप हानि की अथवा स्वीकृत ह्रास की राशि में संशोधन किया जा सकता है तथा इसके परिणाम स्वरूप अगले उन वर्षों में कर-निर्धारण में संशोधन किया जाना जरूरी होगा जहाँ कि इस ह्रास अथवा हानि की पूर्ति की गई है। कर-निर्धारण में संशोधन उपर्युक्त आदेश किये जाने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि के 4 वर्षों की अवधि में ही हो सकता है।

4A. 5 और 5A विनियोग छूट विकास अथवा चाय के पौधों के लिए मिलने वाली विकास भत्ते को रद्द करने के फलस्वरूप कर निर्धारण में संशोधन (Modification in assessment as or result of withdrawal of development rebate, investment allowance or development allowance) : आपको यह स्मरण होगा कि विकास छूट विनियोग छूट, आदि के लिए एक शर्त यह होती है कि सम्बन्धित मशीन प्लान्ट अथवा जहाज आदि को आठ वर्षों की अवधि तक हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा ऐसी अन्य शर्तें और भी होती हैं। यदि करदाता द्वारा इस निर्धारित अवधि में इन शर्तों की अवहेलना की जाती है तो ऐसी छूट को वापिस लेने का प्रावधान है । ऐसा इस उपधारा के अधीन उस कर-निर्धारण में भूल सुधार के द्वारा किया जाता है जिसके अधीन ऐसी छूट स्वीकृत की गई थी।

5B. वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिये स्वीकृत भारित कटौती के रद्द होने पर संशोधन (Modification following the cancellation of weighted deduction of expenditure on Scientific research) : धारा 35 (2B) के अधीन करदाता को उस व्यय के लिए भारित कटौती मिलने का प्रावधान कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 तक था जो उसने अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान पर किया था। ऐसे प्रोग्राम सम्पन्न होने पर निश्चित प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र लेकर आयकर अधिकारी को दिए जाने का प्रावधान भी है। यदि ऐसे प्रमाण पत्र को देने से भूल होती है तो स्वीकृत भारित कटौती को रद्द करके आयकर अधिकारी सम्बन्धित गतवर्ष की कुल आय की गणना में संशोधन करेगा।

6. अपलिखित बुरे ऋणों के कारण संशोधन (Modification due to bad debts written off) : किसी डूबत ऋण को यदि करदाता ने गतवर्ष में अपलिखित कर दिया है किन्तु आयकर अधिकारी का यह विचार है कि यह ऋण गतवर्ष में न डूबकर इससे पहले के चार वर्षों की अवधि में कहीं डूबा है तो उस गतवर्ष के कर-निर्धारण में संशोधन करना होगा जिसमें कि यह ऋण डूबा है।

7. कम्पनी के कर-निर्धारण में संशोधन (Rectification of income in case of closely-held company) : ऐसी कम्पनी की दशा में जिसमें जनता का सारवान हित नहीं है, वितरित लाभों के अपर्याप्त होने की दशा में अतिरिक्त आयकर लगाने का प्रावधान है। इस कम्पनी के लिए यदि धारा 104 के अधीन अतिरिक्त कर की वसूली के लिए कार्यवाही चालू हो गई है तो इस कार्यवाही के सम्पन्न होने पर इस कम्पनी के आयकर दायित्व की गणना धारा 104 के सन्दर्भ में की जायेगी व सम्बन्धित गतवर्ष के कर-निर्धारण का आदेश संशोधित किया जायेगा।

7A. पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर मिले प्रतिफल में वृद्धि (Income in consideration on the transfer of a capital asset) : किसी पूँजी सम्पत्ति के केन्द्रीय सरकार अथवा रिजर्व बैंक द्वारा अनिवार्य अधिग्रहण करने की वजह से यदि पूँजी सम्पत्ति के प्रतिफल में वृद्धि हुई है अथवा न्यायालय के किसी आदेश द्वारा इस पूंजी सम्पत्ति का माना हुआ प्रतिफल (deemed consideration) बढ़ा दिया गया है तो सम्बन्धित गतवर्ष के कर-निर्धारण में इस वढ़े हुये प्रतिफल के आधार पर संशोधन किया जायेगा। आयकर अधिकारी द्वारा यह संशोधन उस गतवर्ष की समाप्ति के चार वर्षों की अवधि में किया जावेगा जिसमें कि बढ़ा हुआ प्रतिफल मिला है।

8. स्वयं अधिवासित मकान के सन्दर्भ में प्राप्त पूँजी लाभों का उपयोग (Utilisation of capital gains arising on account of transfer of self occupied house property) : स्वयं अधिवासित मकान के हस्तान्तरण पर हुए पूँजी लाभ पर यदि करदाता द्वारा आयकर चुका दिया गया हो किन्तु ऐसे हस्तांतरण के एक वर्ष की अवधि में अपने रहने के लिए मकान खरीद लेता है अथवा 3 वर्षों की अवधि में मकान बनवा लेता हो तो उस पूँजी लाभ पर आयकर की छूट मिलती है आयकर अधिकारी द्वारा सम्बन्धित गतवर्ष के कर-निर्धारण में संशोधन कर दिया जायेगा। ऐसा संशोधन उस वित्तीय वर्ष के अन्त से, जिसमें कर-निर्धारण हुआ था, 4 वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।

8A. अनिवार्य अधिग्रहण के लिए दी गई क्षतिपूर्ति की राशि में वृद्धि (Income in compensation for compulsory acquisition of capital asset) : किसी पूँजी सम्पत्ति को यदि किसी कानून के अन्तर्गत सरकार द्वारा ले लिया जाता है व इसके लिए कुछ क्षतिपूर्ति दी जाती है जिसके आधार पर कर-निर्धारण सम्पन्न हो जाता है। बाद में यदि किसी न्यायालय द्वारा इस क्षतिपूर्ति में वृद्धि की जाती है तो आयकर अधिकारी द्वारा सम्बन्धित गतवर्ष के कर-निर्धारण में संशोधन कर दिया जायेगा। यह संशोधन उस गतवर्ष की समाप्ति के चार वर्षों की अवधि में होना चाहिए जिसमें कि अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की प्राप्ति हुई है।

9. व 9A. कृषि भूमि के हस्तांतरण पर हुये पूँजी लाभ का उपयोग (Utilisation of capital gains arising on transfer of agricultural land) : कृषि पूँजी के हस्तांतरण के दो वर्षों की अवधि में ही उसके द्वारा कृषि भूमि खरीद ली जाती है तो आयकर अधिकारी द्वारा सम्बन्धित गतवर्ष के कर-निर्धारण में संशोधन कर दिया जायेगा। कृषि भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण पर मिली क्षतिपूर्ति में न्यायालय द्वारा की गई वृद्धि के लिए भी कर-निर्धारण में संशोधन का प्रावधान है।

10. उद्योग की भूमि अथवा भवन के हस्तांतरण से हुए पूंजी लाभ का उपयोग (Utilisation of capital arising on the transfer of land and building to an industrial undertaking) : किसी उद्यम की भूमि व भवन के हस्तांतरण पर हुए पूंजी लाभ पर यदि करदाता ने आयकर चुका दिया है किन्तु ऐसे हस्तांतरण के तीन वर्षों की अवधि में ही वह उद्यम के लिए कोई भूमि व भवन खरीद लेता है अथवा बनवा लेता है तो धारा 54D के अधीन पूंजी लाभ आयकर मुक्त होगा। अतः सम्बन्धित गतवर्ष के कर-निर्धारण में आयकर अधिकारी द्वारा संशोधन किया जायेगा।

10A व 10B. दीर्घकालीन पूंजी लाभ का विनियोजन (Investment of long-term capital gains) : किसी दीर्घकालीन पूंजी सम्पत्ति के हस्तांतरण पर यदि करदाता ने आयकर चुका दिया है किन्तु बाद में ऐसे हस्तांतरण की तिथि से छः महीने के अन्दर ही धारा 54E के प्रावधानों के अनुसार धनराशि को विनियोजित कर देता है तो आयकर अधिकारी द्वारा सम्बन्धित गतवर्ष के कर-निर्धारण में संशोधन कर दिया जायेगा। ऐसी पूंजी सम्पत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण पर अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की राशि के मिलने पर भी सम्बन्धित गतवर्ष के कर-निर्धारण को संशोधित करने का प्रावधान है।

11 व 12. धारा 80O के अधीन कटौती (Deduction u/s 80O) : धारा 80O के अधीन विदेशी मुद्रा में लिए लाभांश के लिए कटौती ऐसी स्थिति में स्वीकृत नहीं होती जबकि यह राशि परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त न हो गई हो। करदाता कुछ समय बाद यह राशि परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त करता है तो सम्बन्धित गतवर्ष के लिए सम्पन्न हुये कर-निर्धारण का संशोधन आयकर अधिकारी द्वारा इस उपधारा के अधीन किया जाना चाहिए। यह संशोधन उस तिथि से चार वर्षों की अवधि में होता है जिस दिन लाभाँश की राशि भारत में प्राप्त होती है।

13. ग्रेच्युटी के लिए आयोजन (Provision for gratuity) : किसी वर्ष में यदि आयकर अधिकारी द्वारा अपने कर्मचारियों को दिये जाने वाली ग्रेच्युटी का भुगतान करने के लिये बनवाया गया आयोजन यदि आयकर अधिकारी ने इसलिए स्वीकृत नहीं किया हो क्योंकि करदाता द्वारा इसके लिए आवश्यक शर्तों का पालन नहीं किया जा सका। जब भी इन शर्तों का पालन हो जायेगा, सम्बन्धित गतवर्ष के कर निर्धारण में इस उपधारा के अधीन संशोधन कर दिया जायेगा।

माँग का नोटिस (Notice of Demand) : इस अधिनियम के अन्तर्गत जब कोई कर, ब्याज, अर्थदण्ड अथवा कोई अन्य रकम किसी आदेश के अनुसार देय होती है, तो आयकर अधिकारी द्वारा ऐसी रकम को देने के लिए करदाता को निर्धारित प्रपत्र में मांग का नोटिस दिया जाता है जिसमें इस रकम का स्पष्ट उल्लेख होता। जो ऐसे नोटिस के प्राप्ति की तिथि के 35 दिन के अन्दर देय होती है। [156]

हानि की सूचना (Intimation of Loss) : धारा 157 के अनुसार जब किसी करदाता की कुल आय के निर्धारण के दौरान यह निश्चित हो जाता है कि गतवर्ष में उस करदाता को ऋणात्मक आय अर्थात् हानि हुई है जिसे वह पूरा करने के लिए आगे ले जाने का अधिकारी है तो ऐसी स्थिति में करदाता को आयकर अधिकारी द्वारा यह सूचित किया जाता है कि वह हानि की कितनी राशि आगे ले जाने का अधिकारी है।

फर्म के कर-निर्धारण की सूचना (Intimation of Assessment of firm) (धारा 158)—जब कभी किसी रजिस्टर्ड फर्म का अथवा ऐसी अनरजिस्टर्ड फर्म का जिसका धारा 183 (b) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड की तरह कर निर्धारण हुआ है की सूचना आयकर अधिकारी द्वारा लिखित में दी जायेगी जिसमें फर्म की कुल निर्धारित आय एवं विभिन्न साझेदारों में इसके बंटबारों का उल्लेख होगा।

कुछ हस्तांतरण जो व्यर्थ होते हैं (Certain Transfers to be void) [धारा 281] इस धारा के अन्तर्गत मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं :—

1. करदाता की सभी सम्पत्तियों पर देय आयकर के लिए स्वत्वाधिकार होता है।

2. आयकर विभाग पर यह सिद्ध करने का दायित्व नहीं है कि हस्तांतरण आयकर को बचाने की दृष्टि से किया है।

3. ऐसा हस्तांतरण व्यर्थ नहीं होगा यदि उसे उचित प्रतिफल लेकर किया गया है व हस्तांतरण के समय करदाता के विरुद्ध चल रही आयकर की कार्यवाही का किसी को कोई ज्ञान नहीं था अथवा आयकर अधिकारी की पूर्व अनुमति इस विषय में प्राप्त कर ली गई है।

4. यह स्वत्वाधिकार भूमि, भवन, मशीन, प्लांट, अंश, प्रतिभूतियों व बैंकों में सावधि जमा पर माना जाता है। यह धारा उसी दशा में क्रियान्वित होगी जबकि देय आयकर राशि 5,000 रु० से अधिक हो व सम्पत्तियों का मूल्य 10,000 रु० से अधिक हो।

राजस्व के हित में अस्थायी कुर्की (Provisional attachment to protect revenue in certain cases) [281 B]—कर-निर्धारण कार्यवाही की किसी भी दशा में यदि आयकर अधिकारी यह समझता है कि राजस्व के हित की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है तो वह करदाता की सम्पत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर सकता है। ऐसा आदेश 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगा। कमिश्नर द्वारा यह अवधि 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। ऐसे आदेश से पहले आयकर अधिकारी को वे कारण लिखने चाहिए जिनसे प्रभावित होकर वह अस्थायी कुर्की का आदेश दे रहा है।

बेनामी सम्पत्ति के सम्बन्ध में निर्धारित सूचना भेजने में भूल (Effect of failure to furnish information in respect of properties held benami) [धारा 281A]-कर की चोरी का एक प्रमुख ढंग यह रहा है कि बहुत से धनी-मानी करदाता सम्पत्तियों को खरीदते समय अथवा मकानों को बनवाते समय यद्यपि उनका भुगतान अपने पास से व अपने निजी साधनों से करते हैं किन्तु उस सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों पर स्वामी के रूप में अपना नाम न लिखा कर किसी अन्य व्यक्ति का नाम लिखवा दिया जाता है। यह अन्य व्यक्ति कोई भी हो सकता है किन्तु इनकी आय प्रायः आयकर योग्य नहीं होती। अतः सम्पत्ति से सम्बन्धित आय पर आयकर बचा लिया जाता है। उदाहरण के लिए अमीरचन्द भूमि का एक प्लाट खरीदते हैं व एक मकान बनवाते हैं जिसमें काफी धन व्यय होता है किन्तु इसका स्वामित्व मकान के कागजातों पर उनके रिश्तेदार गरीबचन्द के पास है अतः मकान से होने वाली आय यद्यपि वास्तविकता में अमीरचन्द के पास आती है किन्तु प्रपत्रों के अनुसार इसकी आय गरीबचन्द को प्राप्त होती है। इस आय

पर आयकर गरीबचन्द या तो बिल्कुल नहीं देते हैं अथवा बहुत कम दर से देते हैं क्योंकि उनकी आय अमीरचन्द की अपेक्षा में बहुत कम है। इस उदाहरण के अनुसार गरीबचन्द को बेनामीदार कहा जाता है व अमीरचन्द को हिताधिकारी। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आयकर अधिनियम में धारा 281A जोड़ी गई है।

इस धारा के अनुसार किसी भी ऐसी सम्पत्ति के स्वामित्व के लिए किसी भी न्यायालय में मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता जो किसी बेनामीदार के पास है। सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी न तो बेनामीदार के विरुद्ध और न किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध ही इस सम्पत्ति के लिए अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। किन्तु निम्नलिखित स्थितियाँ ऐसी हैं जबकि ऐसा दावा प्रस्तुत किया जा सकता है—

अ. ऐसी सम्पत्ति की आय (यदि कोई है) जब सम्पत्ति के दावेदार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल किये जाने वाले आय के नक्शे में दिखाई गई हो;

ब. जब ऐसी सम्पत्ति इसके दावेदार द्वारा धन कर अधिनियम के अन्तर्गत भेजे जाने वाले धन के नक्शे में दिखाई गई हो;

स. इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में जब इसके दावेदार द्वारा निर्धारित फार्म पर व निर्धारित विवरण सहित एक नोटिस आयकर अधिकारी को दे दिया गया हो।

ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि कोई भी व्यक्ति निर्धारित तरह से निर्धारित शुल्क देकर आयकर अधिकारी से आयकर अधिनियम अथवा धनकर अधिनियम के अन्तर्गत जमा किये गये कुल आय व धन के नक्शे के प्रमाणित उद्धरण प्राप्त कर सकता है। उपर्युक्त (स) में दिये गये नोटिस की प्रमाणित प्रतिलिपि भी इसी प्रकार प्राप्त की जा सकती है। प्रार्थना पत्र मिलने के 14 दिन की अवधि में ही ये प्रतिलिपियाँ प्रार्थी को मिल जायेगी।

आय के उद्गम स्थान से सूचना (Information at source)

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है कि आयकर अधिकारी को आय के उद्गम स्थान से ही करदाता को होने वाली आय का विवरण प्राप्त हो जाता है। विभिन्न धारायें इस प्रकार हैं—

ब्याज का भुगतान करने वाले व्यक्तियों से सूचना (Information by persons responsible for paying interest)--धारा 285 के अन्तर्गत प्रत्येक उस व्यक्ति को जो प्रतिभूतियों के ब्याज के अतिरिक्त अन्य कोई ब्याज देता है, कर निर्धारण वर्ष के 15 जून तक उन सभी व्यक्तियों के नाम व पते आयकर अधिकारी को देने होते हैं जिन्हें उसने उस वर्ष 400 रु० अथवा अधिक की ब्याज का भुगतान किया हो।

ठेकेदारों से सूचना (Information by contractors in certain case)—धारा 285A के अन्तर्गत उन सभी ठेकेदारों को जिन्होंने 50,000 रु० से अधिक का कोई ठेका ले लिया है, आयकर अधिकारी को ठेके से सम्बन्धित सभी विवरण ऐसे ठेके लेने की एक महीने की तिथि के अन्दर भेजना पड़ता है। यदि कोई ठेकेदार इस नियम का उल्लंघन करता है तो आयकर अधिकारी को उस ठेकेदार पर 50 रु० प्रतिदिन तक का

जुर्माना करने का अधिकार है। जो किसी भी दशा में ठेके के मूल्य के 25% से अधिक नहीं होगा।

सिनेमा फिल्म बनाने वाले व्यक्ति द्वारा सूचना (Submission of statement by producers of cinematograph films)—धारा 285B के अन्तर्गत, यदि किसी व्यक्ति ने किसी वित्तीय वर्ष में किसी भी समय सिनेमा फिल्म के उत्पादन का काम किया है जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 30 दिन के अन्दर अथवा फिल्म उत्पादन का काम समाप्त होने के बाद 30 दिन के अन्दर जो भी अवधि दोनों में पहले समाप्त होती है, वह आयकर अधिकारी के यहाँ निर्धारित प्रपत्र में एक विवरण भर कर प्रस्तुत करेगा जिसमें फिल्म के उत्पादन की अवधि में इस कार्य में लगे हुए विभिन्न कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों को जिनको कि कुल मिलाकर 5,000 रु० से अधिक का भुगतान किया गया हो उन सबका पृथक-पृथक ब्यौरा देना होगा।

कम्पनी द्वारा किये गये लाभाँश की सूचना (Information by companies respecting shareholding to whom dividends have been paid) - धारा 286 में ऐसी व्यवस्था है कि भारत में लाभाँश घोषित करने वाली कम्पनी के प्रत्येक मुख्य अधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि वह 15 जून तक उन सभी अंशधारियों के नाम व पते आयकर अधिकारी को भेज दे जिसको गतवर्ष में एक निश्चित रकम से अधिक लाभाँश दिया गया है।

करदाता सम्बन्धी सूचना का प्रकाशन (Publication of information respecting assessee)— धारा 287 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया है कि यदि किसी करदाता के कर-निर्धारण की कार्यवाही सम्बन्धी कुछ विवरणों का प्रकाशन करना सार्वजनिक हित में है तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इन सूचनाओं का प्रकाशन कर दिया जायेगा।

परीक्षा प्रश्न (Test Questions)

1. आयकर अधिनियम की उन व्यवस्थाओं को लिखिए जिनके अन्तर्गत कर-निर्धारण में बची आयों पर कर लगाया जाता है।

   State the circumstances in which the Income-tax Officer has the Jurisdiction to assess or re-assess the escaped income.

2. आयकर निर्धारण की कार्यविधि आयकर अधिकारी द्वारा दिये गये नोटिस से लेकर कर-निर्धारण के अन्तिम चरण तक लिखें। यदि करदाता द्वारा आयकर की विभिन्न व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया जाता है तो कर निर्धारण के लिए आयकर अधिकारी क्या करेगा।

   Write the procedure of income-tax assessment starting from notice by the ITO upto the final assessment. What steps will be taken by the ITO for assessment if the assessee fails to comply with the requirement under the act?

3. उन हानियों का वर्णन कीजिये जो करदाता द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही करने के लिये उसे हो सकती है।

What losses can be suffered by the assessee for the following :

अ) आय का नक्शा दाखिल न करने के लिये।

ब) आयकर अधिकारी द्वारा माँगे गये बहीखातों व प्रपत्रों को समय पर न भेजना।

a) Not filing the return of income.

b) Not submitting account books and documents in time when demand by ITO.

4. पुनः कर-निर्धारण से आप क्या समझते हैं ? यह किन परिस्थितियों में किया जाता है ?

What do you understand by Reassessment ? under what circumstances can it be made ?

(*Rajasthan B. Com. Hons. 1986*)

5. गलतियों के 'भूल सुधार' सम्बन्धी कौन सी व्यवस्थायें अधिनियम में दी गई हैं ?

Discuss various Provisions with regard to rectification of mistakes.

6. सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण क्या है ? इसे किन परिस्थितियों में किया जाता है ? ऐसे कर-निर्धारण को रद्द कराने अथवा संशोधित कराने के लिये व्यक्ति करदाता के पास कौन से उपाय हैं ?

(*B.H.U.* 1976) (*Andhra B. Com.* 80 *Punjab B. Com.* 1977 *Delhi B. Com,* 1975 *Rajasthan B. Com·* 1983)

•What is Best Judgement Assessment ? In what circumstance can it be made ? What are the remedies open to an assessee to get this assessment cancelled or modified of such assessment ?

7. संक्षिप्त टिप्पिणयाँ लिखिये (Write short notes on) :

अ) स्वयं कर-निर्धारण (Self assessment)

ब) भूल सुधार (Rectification of mistake)

स) उद्गम स्थान पर आयकर की कटौती (Deduction of income tax at source)

द) दीर्घकालीन पूँजीलाभ तथा इसके लिए धारा 80T के अन्तर्गत मिली कटौती (Long term capital gains and deduction u/s 80T)

य) आकस्मिक आय (Casual Income) (Lucknow M. Com. 1976)

8. आयकर अधिनियम के अधीन आय की विवरणी भेजने की समय सीमा क्या है ? (*Delhi B. Com.* 1975)

What is the time limit for filing the return of income under the income tax Act ?

10. कर निर्धारण से बची हुई आय से आप क्या समझते हैं ? उन स्थितियों का वर्णन कीजिये जिनके अन्तर्गत आयकर अधिकारी द्वारा ऐसी आय पर कर-निर्धारण की कार्य विधि प्रारम्भ की जा सकती है ?

What do you understand by the term 'Income escaping assessment' ? Under what circumstances it is possible for the Income-tax Officer to initiate proceeding for assessment of income escaping assessment ?

(Nagarjuna M. Com. 1980)

1

Short & Objective Type of Questions

1. SHORT QUESTIONS

Each answer should not exceed six lines :

1. Who is an "Assessee" ?
2. Explain "Previous year".
3, When can a previous year be changed and under what circumstances ?
4. Define Person",
5, Define "Assessment Year".
6. Define "Charitable purpose".
7. Explain what is meant by Agricultural Income.
8. Define a "person who has a substantial interest in a Company".
9. Under what circumstances can an assessment be made in the same previous year itself ?
10. What is Casual Income ?
11. How do you treat Home Leave travel ?
12. Give ten tax free income ?
13. What are "Total Income" and "Gross Total Income",
14. Distinguish between "Expenditure" and "Loss".
15. Decide residence of a Company.
16. When is a firm resident ?
17. When is the 'other association of persons' resident ?
18. What are the three classes into which an assessee is divided with regard to residence ?
19. What is the basis of charging tax in regard to the three classes of residence ?
20. What is the date of accrual of Business Income ?
21. To whom does income accrue ?
22. Distinguish between Indian Income and Foreign Income.
23. What are the various Heads of Income ?
24. What is included under the head 'Income from Securities'? What is the basis of charge ?
25. What are the various deductions available under the head 'Income from securities" ?
26. What is the effect of "Purchase and Sale of Securities cum Interest ?
27. Define "Annual Value".
28. How is the annual value of "self occupied property" ascertained ?
29. What is the quantum of deduction allowed for "Repairs" in the following cases :
   a) Where tenant undertakes to pay the cost of repairs ?
   b) Where owner undertakes to bear the cost of repairs ?

30. In computing the income under the head "Income from House Property". certain deductions are allowed on "paid" basis and certain deductions are allowed on "payable" basis. Which of such deductions are allowed on "paid basis" and which are allowed on payable basis" ?
31. How is the income from house property owned jointly by co-owners taxed ?
32. How is foreign house property income taxed in the case of resident ?
33. Define "Business".
34. Define "Plant".
35. Distinguish between "Business" "Profession" and "Vocation".
36. What is a "New Industrial Undertaking"?
37. What is the 'tax holiday concession' allowed in the case of New Industrial Undertakings and the period of Allowance ?
38. What is meant by the term "Balancing Charge" and "Terminal Depreciation"?
39. What is meant by written "Down Value" of an asset ?
40. Distinguish between Short-Term Capital Gains" & "Long Term Capital Gains".
41. Define "Transfer" in relation to a Capital Asset for the purpose of computing capital gains.
42. Briefly explain the mode of computing capital gains u/s 48 of the IT Act.
43. What are "Bonus Shares" and how are they taxed ?
44. What is the effect of shares sold cum-dividend ?
45. What are "Accumulated Profits" for the purpose of dividends u/s 2(22) of the IT Act.
46. How is profit or loss on the sale of bonus shares determined for the purposes of tax.
47. What are 'final dividend' and 'interim dividend' and when are they liable to tax ?
48. Are dividends paid out of "Capital Profits" and "Capital Receipts" liable to tax as dividends ?
49. What do you understand by the term "set off" & "carry forward" of losses. ?
50. Can loss under the head "Capital Gains" be carried forward ?
51. Can loss under the following sources be carried forward :
    a) Crossword Puzzles ; b) Lotteries ;
    c) Race including Horse Races; and
    d) Card Games or other games of any sort including bettings.
52. What is Short term Capital Asset ?
53. What is the rule relating to set off loss from speculation business ?
54. What do you mean by an Industrial Company ?
55. What is meant by "Ex-parte assessment" ?
56. Is it necessary for an assessee who has incurred a loss in business to file a return to the Income-Tax Department ?
57. In which assessment year interest on securities is taxable ?
58. Shri Gupta's gross total income is Rs.25,000. He contributes Rs. 5,000 to National Defence Fund. Calculate total income.
59. Who is the representative assessee in the case of a minor ?
60. What do you understand by the term "Tax Audit" ?

61. When is the return of income due by an assessee whose previous year ends on 30th April, 1985 ?
62. What is Revised Return ?
63. One of the partners of a registered firm is a non-resident. Can the tax on such non-resident's share of income be recovered from the firm ?
64. An assessee owns a motor car manufactured outside India. What is the rate of depreciation allowance on such car ?
65. When shall amount borrowed on 'hundi' be deemed to be the income of the person borrowing it ?
66. When is a firm treated as resident ?
67. What is Public Provident Fund ?
68. For what purposes is interest on moneys borrowed allowed under Income from House Property ?
69. Should a previous year always be the year immediately preceding the assessment year ?
70. Can a previous year be a period of more than 15 months ?
71. Who are all included in the definition of a 'person' under the Income-tax law ?
72. What are the various heads of income ? Give two examples of each.
73. How do you arrive at the value of rent free quarters ?
74. What is the exemption given to new residential units ?
75. An assessee owns a honse property in which he runs his proprietary business. How will the income from house property be assessed ?
76. A salaried official is in receipt of a house rent allowance. What part, if any of allowance is taxable ?
77. Define 'speculation loss'.
78. Explain provisions relating to house rent allowance.
79. How do you treat loss on sale of securities ?
80. How would you treat triple-shift allowance ?
81. Explain deduction u/s 80 CC.
82. Distinguish capital expenditure and revenue expenditure.
83. Explain capital loss and revenue loss.
84. What is tax evasion ?
85. What are non monetary benefits ?
86. Define municipal value.
87. How would you rectify mistakes not on record ?
88. What is reassessment ?
89. Define tax planning.
90. Explain when are accounts Compulsorily got audited ?
91. Explain Hindu Undivided Family.
92. What is Public Charitable Trust ?
93. Define Written down value.
94. Explain the importance of the Finance Act.
95. What is qualifying amount ?
96. Discuss the provisions relating to collection charges.
97. What is ex-party assessment ?
98. What does Commissioner (Appeals) do ?
99. Explain concealment of income.
100. What is advance payment of tax ?

II. STATE 'YES' OR 'NO' 'TRUE' OR 'FALSE' for the following Questions

1. XYZ Company is a registered firm carrying on legal practice. During the previous year ending 31-3-1986 the firm received professional income of Rs. 1,00,000/- and interest income of Rs. 30,000/- Will the firm get special concession as a registered firm carrying on profession ?
2. In the example given above what would be the position if the interest income was Rs 1,20,000/-?
3. Once a firm applies for registration, the grant of registration is automatic.
4. Once registration is granted it will automatically apply year after year.
5. The Income-tax department has no power to cancel the registration of a firm once it is granted.
6. The partition of an HUF will be accepted by the Income-tax Officer only if the partition is by metes and bounds.
7. An HUF having one member with a taxable income is taxed at higher rate.
8. A Charitable Trust will not get IT Exemption on its income unelss 100% of its income is applied for the purpose of the Trust during the year.
9. The income of the Charitable Trust can be applied for the purpose of the Trust in the form of Capital expenditure also.
10. Voluntary Contributions received by a Trust without specific direction that they shall form a part of Corpus of the Trust will be considered the income of the Trust.
11. In order to claim exemption u/s 11 a charitable Trust should be registered with the CIT.
12. The income of a private trust is exempt from tax.
13. A religious trust created after 1-4-1961 can claim exemption u/s 11.
14. The method of investment of the Corpus of the trust has been prescribed by the I.T. Act. (with effect from 1982).
15. If the income or property of the trust is used for the benefit of the trustee the income of the trust will be taxable.
16. Salaries include Pension, Gratuity and Advance Salary.
17. If conveyance allowance is received by the employee standard deduction will be limited to Rs. 1,000/-
18. All gratuity received is fully taxable.
19. Retrenchment compensation allowance received by an employee o termination of his employment is fully taxable.
20. Any amount received on the commutation of pension is taxable.
21. Leave travel concession received by an employee is taxable.
22. Employer's contribution to any provident Fund in excess of 10% of th salary taxable in the hands of the employee.
23. The annual value of a house is based upon them teniciupal valuation the fair rent which ever is lower.
24. Any residential unit constructed for letting ouwill enjoy a concession Rs. 1,200/- per unit if the property has been constructed after 1-4-19
25. In the case of a self-occupied property the annual value is limited 10% of all other comes.
26. Even if the assessee uses more than one house for self-occupied prope he can claim only one house as self-occupied property.

27. The statutory deduction when computing the annual value of an self occupied house is lower of Rs.3,600 or 50% of the value after deducting municipal taxes.
28. Repair expenditure will be allowed at a flat rate of 1/6 of the annual value whatever be the actual expenditure incurred.
29. Collection charges will be allowed from the annual value at the higher of the actual expenses or 6% of the annual value.
30. Capital expenditure on scientific research will be allowed as deduction in the year in which it is incurred.
31. Investment allowance will be allowed at 25% of the cost of the machinery installed if 75% of the allowance is credited to investment allowance reserve account by debiting P & L A/C.
32. Expenditure on developing export markets will be disallowed in view of Export Markets Development Allowance.
33. A weighted deduction is available in the case of expenditure incurred for rural development.
34. Preliminary expenses incurred by an assessee before commencing business will not be an allowable expenditure from the income of the assessee.
35. Bonus paid in excess of the amount payable under the Payment of Bonus Act 1965 will be disallowed when computing the income of the assessee.
36. Provision for bad debts is an allowable expenditure when computing the income of the assessee.
37. Entertainment expenditure is fully allowed when computing the income of the assessee.
38. A part of the expenditure on advertisement will be disallowed when computing the income of the assessee.
39. Any interest paid outside India out of which no tax has been deducted at source and in respect of which no resident may be treated as an agent will not be allowed when computing income of an assessee.
40. Income-tax and weatlh-tax are allowable expenditure from the income of the assessee.
41. Salaries paid out of India without deducting tax at source will be disallowed when computing the income of assessee.
42. In the case of a partnership firm interest, salary, tax, commission and remuneration paid to any partner is an allowable expenditure.
43. The I.T. Act prescribes ceiling on the salary payable to employees which will be allowed when computing the income.
44. The I.T.O. has been given the power to disallow any expenditure on relatives if the expenditure appears unreasonable.
45. Any expenditure incurred in excess of Rs.2,500/- should be by a crossed cheque or draft subject to certain exemptions.
46. Provision for gratuity payable will not be, an allowable expenditure in the absence of a gratuity fund.
47. Capital gains are computed by deducting the cost of the capital asset from the sales proceeds.
48. Income from Horse racing is not taxable in the hands of the assessee.
49. Income from approved lotteries is includible in the hands of the assessee.
50. In case an asset has been purchased prior 1-1-1974 its cost for the purposes of capital gains will be the lower of its actual cost and the fair market value as at 1-1-1974.

51. The cost of improvement of an asset is to be deducted when computing capital gains.
52. In case the ITO is of the opinion that the fair market value of an asset transferred exceeds the purchase consi deration, the ITO cannot take any action, in assesssing capital gains.
53. Is value of travel concession from employer for himself, spouse and children taxable ?
54. Are allowances paid or allowed outside India by the Government to a citizen of India for services rendered outside India taxable ?
55. Interest on post office cash certificates is taxable.
56. Is income from poultry farming taxable ?
57. Income from sale of trees in a forest is taxable.
58. Is share transfer fee taxable ?
59. An assessee can have different assessment years for different sources of income.
60. In the case of a registered trade union income by way of interest on securities will not be included with its total income while calculating the tax liability.
61. Loss sustained from transfer of a long term capital asset can be set-off against gains from short term capital asset.
62. If an asset has been in use even for a few days during the previous year it will qualify for full normal depreciation as if it were use for the whole year.
63. Income from land used for brick kiln is considered as agriculture income.
64. Under the IT Act, incomes belonging to others cannot be included in the total income of the assessee under any circumstances.
65. The Finance Act is an Act passed by the State Government to raise funds.
66 In the case of an assessee who is a businessman, expenses incurred by him to oppose nationalisation of his business is allowed as deduction.
67. A short term capital asset is one which is transferred by the assessee before the expiry of two years from the date of its acquisition.
68. Winnings from lotteries is casual income and is completely exempt from tax.
69. Do you think an HUF could be formed of one female member only ?
70. Is it possible to remain apartner in more than one firm simultaneously?
71. Tax holiday u/s 80I is allowed only to companies.
72. Penalty for concealment of income is calculated with regard to the Tax on concealed income.
73. Refund from provident fund at the time of retirement is taxable.
74. Encashment of leave salary at the time of retirement will be taxable from the assessment year 1983-84.
75. The I T O has a right to reassess income when he comes to know that some income has escaped assessment because the assessee did not disclose all particulars of income fully.
76. An assessee is entitled to have different previous years in respect of different sources of income.
77. The entire interest. credit to the Recognised Provident Fund Account of an employee is tax-free.
78. Income from property for a year cannot be in the negative.

79. A separate schedule of tax rates is prescribed in respects of capital gains for individual assessee.
80. Commission paid to the bank for the collection of dividend warrant is deductible while computing the income from dividends.

(*Question* 76 *to* 80 *C. A. May,* 1984)

III. FILLING UP OF BLANKS

1. —assessment is an assessment made by the ITO to the best of his judgement against a person who is in default as regards supplying information.
2. Registered firm, for the purposes of income-tax is a firm which is registered under the......Act.
3. For the purposes of tax on capital gains, capital assets are divided into two categories, namely, ...and......
4. If the sale price of an asset is more than its written down value, the difference between the two is known as........and regarded as business income of the assessee.
5. The..................is governed by the Provident Funds Act, 1925.
6. Under the head 'Income from house property' an assessee is chargeable to tax on the..................of the house property.
7. Dividend received by a shareholder is chargeable under the......head, namely income from other sources.
8. Income of an assessee is classified under—heads in the Income tax Act.
9. The IT Act defines......as the period of 12 months commencing on 1st April every year.
10. ......under the Income-tax Act means any casual emoluments attached to an office in addition to salory or wages.
11. A registered partnership is generally preferred to an............firm.
12. An activity requiring either purely intellectual skill or of any manual skill is called as ....
13. The tax system in India consists of.........and......taxes
14. Income-tax collected in the country is allocated between...Government and.........Governments.
15. If the expenditure is for the initial outlay or for acquiring an asset likely to have an enduring benefit to the business it is called............
16. Allowance given for new plantations is called ....
17. Agricultural income is defined u/s......of the IT Act.
18. A chance income is known as...........
19. Standard deduction is restricted to Rs ....
20. Interest received on company debentures is assessable under the head...
21. Preliminary expenses incurred by an Indian company are allowed to be amortised equally in..............year.
22. When the previous year for a business ends on 31st December, the last date for filing the return of income is..............
23. Allowance for self-occupation of property for the assessment year 1986-87 is......or...whichever is less. (*Question* 20 *to* 23 *C.A. Inter May,* 1984).

Multiple choice Questions

1. For a capital asset to be treated as a long-term capital asset, it should be held continuously by a tax-payer for more than :
   a) 36 months. b) 24 months. c) 12 months

2. Stock-in-trade held by a tax payer as part of his business can be treated as :
   a) Capital asset, the profit on sale of which is to be treated as capital gains.
   b) an item, the sale of which would yield taxable profits or allowable losses.
   c) an item, the profit on sale of which is not taxable under the IT Act.
3. The liability to tax in respect of the income from house property is upon:
   a) The tenant b) the legal owner c) the lessee.
4. Loss by embezzlement in a business is allowable as :
   a) bad debt. b) trading loss, c) normal business expenditure.
5. The maximum amount of gratuity exempt from Income-tax in the hands of a p erson who is not governed by the Central Civil Services (pension Rules) or by the payment of Gratuity Act 1972 is :
   a) Rs. 30,000 b) Rs. 36,000 c) Rs. 50,000
6. The daily allowance received by a Member of Parliament :
   a) is exempt from tax.
   b) has to be included in total income for rate purpose.
   c) is taxed only to the extent of 50% thereof.
7. The income of a local authority arising or accruing from the supply of a commodity or service (other than supply of water or electricity) is :
   a) completely exempt from tax. b) taxable as business income.
   c) exempt only so far as it relates to or arises within its own jurisdiction & area.
8. A subsidy received from the Tea Board by an assessee carrying on business of growing & manufacturing tea for replanting or replacement of tea bushes is :
   a) taxable as business income.
   b) taxable under the head Income from other sources.
   c) exempt from tax.
9. On a salary income of Rs. 22,000 the deduction u/s 16 of the I T Act, for expenditure incidental to employment would be :
   a) Rs. 5,000 b) Rs. 5,500 c) Rs. 6,000.
10. Entertainment allowance received by a non-government employee from his employer is exempt from tax :
   a) if it is less than Rs. 7,500 p.a. b) if it is less than Rs. 5,000 p.a.
   c) wholly or partly only when the employee has been in receipt of the allowance continuously from 1st April 1955 from the present employer.
11. Income derived by a professional association from specific services performed for its members :
   a) is taxable as income from Business or profession.
   b) is exempt from income-tax.
   b) is exempt from income tax only if the total of such receipts is less than Rs. 40,000 per annum.
12. In the computation of income of a firm under the I T Act; salary paid to a partner ;
   a) is allowed as a deduction, if the amount is reasonable.
   b) is not allowed at all.
   c) is allowed only when the firm is treated as a registered firm.

13. Donations made by a tax-payer to the Government for promotion of family planning is :
a) allowed as a deduction to the extent of Rs. 5,000
b) allowed as a deduction to the extent of 50% of the sum paid.
c) fully allowed as a deduction.

14 Deduction in respect of qualified savings is allowed u/s 80C to the extent of :
a] 30% of the gross total income or Rs. 40.000 whichever is less.
b] 25% of the gross total income or Rs. 20,000 whichever is less.
c] Rs. 40,000

15. Unabsorbed depreciation can be carried forward for set-off.
a] for an unlimited number of years. b] for a period of four years only.
c] for a period of eight years only. *(C.A. Inter, Nov.* 1980)

16. Rates of Income-tax are fixed under :
a) the I.T. Act. b) the Finance Act. c) An Ordinance.

17. The income for the previous year "Ist July 1982 to 30th June 1983" is assessable for the assessment year :
a) 1982-83 b) 1983-84 c) 1984-85.

18. A 'previous year' once determined :
a) can be changed with the previous permission of the I.T.O.
b) can be changed with the previous permission of the CBDT.
c) Cannot be changed at all.

19. A resident and ordinarily resident individual is one :
a) who has been in India for 365 days or more during the preceding seven years.
b) who has been in India for 182 days during the year and is maintaining a dwelling, house.
c) who has been resident in India for nine out of ten previous years andhas also stayed in India for 730 days or more during the preceding 7 previous years.

20. Agricultural income :
a) is exempt from income-tax altogether.
b) is included for determining the average rate on non-agricultural income in certain cases,
c) is taxable as ordinary income.

21. The maximum allowable deduction u/s 16 of the IT Act from 'Income the from salaries' is : a) Rs. 6,000 b) Rs. 5,000 c) Rs. 1,000

22. Interest on debentures issued by a public limited co. is taxable under head : a) Income from other sources. b) Interest on securities.
c) Income from business.

23. Deduction for collection charges in the computation of income from property is allowable to the extent of :
a) 6% of the annual value of the property b) 1/6th of the annual value.
c) 1/6th of the total rents received.

24. Salary payable by the Government of India to an Indian citizen for service outside India :
a) is taxable in India. b) is not taxable in India.
c) is includible in the total income for rate purposes only.

25. Income from owner-occupied house property :
a) is taxable on national basis under the head 'Income from House Property'.
b) is exempt from income-tax.
c) is exempt to the extent of 10% of total income.

26. Under the Income-tax Rules, depreciation on ships is allowed :
a) on original cost basis. b) on written down value.
c) on replacement basis.

27. Under the IT Act, a company in which all the shares are held by a State Govt:
a) is treated as a company in which the public are substantially interested and assessed to tax.
b) is not assessed to tax.
c) is treated as a company in which the public are not substantially interested and assessed to tax.

28 Expenditure on acquisition of copyrights and patents used for purposes of business is allowed to be written off against profits from business over a period of a) 14 years. b) 10 years c) 7 years.

29. Deduction from gross total income in respect of dividends, interests on bank deposits etc. (80L) is available :
a) to all assessees. b) to individual assessees only.
c) to assessee who are individuals or Hindu undivided families.

30. The maximum amount of deduction u/s 80L for dividends and interest on bank deposits is : a) Rs. 6,000 b) Rs. 5,000 c) Rs. 7,000

31. Deduction u/s 80G of the Income-tax Act in respect of donations to certain funds charitable institutions will be granted only if the aggregate of donations exceeds : a) Rs. 250 b) Rs. 1,000 c) Rs. 3,000
[*C.A. Inter May* 1980]

32. For Income-tax purposes Incomes are classified under :
a) 5 heads b) 6 heads c) 4 heads d) 7 heads

33. Gift tax was introduced in India in :
a) 1958 b) 1951 c) 1948 d) 1945

34. A company pays income-tax :
a) on its own income. b) on behalf of shareholders.
c) on the income of shareholders.

35. Depreciation is allowed for the full year in case the asset is used for :
a) 180 days b) 30 days c) at any time during the previous year.

36. Transferred balance in a recognised provident fund means the balance :
a) transferred from one employer to another.
b) transferred from an unrecognised account to recognised account.
c) due to an employee on his retirement.

37. An individual is a Non-Resident if :
a) he is in India for 182 days in the previous year.
b) he is not in India during the previous year.

38. Interim dividend is taxable :
a) when it is declared.
b) when it is unconditionally made available to the member.

39. The IT Act, 1961, was made applicable from :
a) 1st April, 1661 b) 1st April, 1962 c) 1st March, 1962.

40. Persons deriving income from salaries only have to follow a previous year ending :
a) 30th June b) 31st December c) Any period of 12 months upto a date within the financial year prior to the assessment year for which accounts are maintained.

41. Returns of Income from persons deriving income onl from salaries and fo r which accounts are not maintained are due by :
a) 31st July b) 30th June c) 30th September.

42. Under the provisions of the I. T. Act, no return of ome is to be furnished by persons whose total income consist only income from salaries if such total income does not exceed :
a) Rs. 15,000 b) Rs. 12,000 c) Rs. 18,000

43. A municipality will be assessed under the I.T. Act, in the status of :
a) Company b) Association of persons c) Local authority.

44. The powers to declare any association or body as company for income-tax purposes have been vested in the :
a) C B D T b) I. T. O. c) C. I. T. d) I. T. A. T.

45. The percentage of equity shares in a company to be held by a person to be classified as a person having 'Substantial interest' in the company is : a) 50 b) 20 c) 25 d) 40

46. The previous year of a partner of a firm having no other income will be : a) different from that of the firm. b) the same as that of the firm. c) none since no separate assessment will be made on the partner.

47. Under the IT Act, the incidence of taxation depends on :
a) the citizenship of the taxpayer. b) the age of the taxpayer.
c) the residential status of the taxpayer.

48. Under the I.T. Act, winning from the lotteries will be taken as :
a) income b) capital receipts c) Speculation profit.

49. Rs. 45,000 received by an employee retiring from service from the trustees of a recognised Provident Fund would be :
a) totally excluded from the total income.
b) exempt only to the extent of the employee's own contribution and interest relative thereto.
c) exempt from inclusion in income up to Rs. 30,000

50. The income arising from business carried on by a registered trade union would be
a) chargeable fully to tax b) exempt from tax upto Rs. 15,000
c) exempt from tax upto 50% of the income earned.

51. The maximum period for which accumulation of income of a registered and recognised public charity trust would be permitted is :
a) 10 years b) 7 years c) 15 years

52. Deduction for repairs u/s 24 of the I.T. Act is available :
a) where houses are let out.
b) where the owner of the property spends more than 1,200 annually towards actual repairs.
c) to all properties irrespective of the fact whether repairs have been actually carried out or not.

53. Long-term capital gains attributable to land and building, qualify for deduction of the first Rs. 5,000 plus :
a) 65% of the balance b) on a graded Scale c) 40% of the balance.
In the case of a non-company assessee.

54. In the case of a resident individual who is blind, the benefit of deduction will be available only if the individual produces a certificate from a registered medical practitioner who should be :
a) an oculist b) a surgeon c) a dentist.

55. Deduction u/s 80C for contribution to a public provident fund account would be available to :
a) all assessee b) individuals
c) all assessees other than Hindu undivided families.

56. Remuneration from foreign sources received by an individual as a professoror teacher qualifies for deduction from the gross total income at the rate of.
a) 40% b) 50% c) 25%

57. Sec. 64 [2] of the I.T. Act, 1961 applies to conversions effected after :
a) 31-12-1969 b) 31-3-1971 c) 31-3-1980.

58. Dividends on shares held as stock-in-trade of an assessee's business should be iucluded in his Income as :
a) Income from business b) Interest on securities
e) Income from other sources.

59. Unabsorbed depreciation relating to assets used in business can be carried forward for :
a) 8 years b) 16 years c) an unlimited period.

60. Losses in respect of a manufacturing business carried forward for set off and adjustment can be adjusted against :
a) speculation income. b) Income from other sources.
c) Business profits of the subsequent year.

61. Assuming that the other requirements of sec. 54(1) are complied with, capital gains on sale of house property would be exempt from tax if the house had been. a) let-out b) leased out for five years.
c) occupied by the owner for his own residence or that of his parents for a period of two years or more.

62. The following is taxable under the I.T. Act, 1961 :
a) Subsidy received from or through Tea Board for replantation of tea bushes by an assessee who carried on the business of growing and manufacturing tea in India.
b) scholarship granted to meet the cost of education :
c) Income from interest on securities earned by the institute of Chartered Accountants of India.

63. A choice is available to an assessee to substitute, in the computation of capital gains for an assessment year 1982-83, the market value of an asset as on :
a) 1st January, 1954 b) 1st January, 1964 c) 1st April, 1964.

64. A order of assessment under the I.T. Act, 1961 has to be made by :
a) C.I.T. b) an I.T. Inspector; c) an I.T.O.

65. A person who is resident and ordinarily resident would have to pay tax on :
a) Income that is received in India alone;
b) Income that accrues or arises in and is received in India alone;
c) All incomes wherever they arise.

66. In the case of trusts where property is held in trust in part only for charitable and religious purposes, exemption u/s 11 will be available only if the trust has been created:
a) before 1-4-1962 b) after 31-3-1962 c) after 31-3-1980.

67. The provisions of the IT Act, 1961 relating to exemption of Income for persons residing in Ladakh are applicable to:
a) All persons b) persons except government servants
c) all associations excluding companies. (*C.A. Inter Nov.* 1981)

68. Agricultural income includes:
a) Income from interest on arrears of rent payable in respect of land used for agricultural purposes;
b) Income from sale of forest trees of spontaneous growth on which no operation for their preservation and growth were performed;
c) Income from use of land for grazing cattle required for agricultural pursuits.

69. Rent received from buildings held by an assessee as stock-in-trade is taxable under the head:
a) Profits or gains of business or profession
b) Income from house property
c) Income from other sources.

70. A person dealing in grocery business has to maintain books of account, if the turnover is any one of the 3 years immediately preceding the previous year:
a) Rs. 5,00,000 b) Rs. 2,00,000 c) Rs. 2,50,000

71. Capital expenditure on scientific research which cannot be absorbed on account of insufficiency of profits in any accounting year can be carried forward for:
a) 16 years b) 8 years c) Indefinite period

72. Deduction in respect of expenditure on advertisement through articles intended for presentation will be allowed on the value of each article upto a limit of:
a) Rs. 50 b) Rs. 100 c) Rs. 75

73 The salary at Rs.6,000 p.m. received by Shri Robinson Crusoe, a citizen of United Kingdom a technician in the employment of Bharat Vyapar Ltd will be exempt from taxation in India to the following extent and for the periods from the date of arrival in India mentioned there against:-

	Exemption Limit per month	Period from the date of arrival
a)	Rs. 2,400	Five Years.
b)	Rs. 4,000	Twelve Months.
c)	Rs. 4,000	Twenty four months.

74. The deduction allowable u/s16(i) while computing the income under the head "salaries" for assessment year 1986-87 is a sum calculated on the basis provided hereunder:
a) 25% of salary subject to a ceiling of Rs. 6,000
b) 20% of salary subject to a ceiling of Rs. 5,000
c) 20% of the first Rs. 10,000 of salary and 10% of the balance salary subject to a ceiling of Rs. 3,500.

75. Income from investments made outside India earned by a person not ordinarily resident in India would be taxable under the Income-tax Act, 1961 if :—
 a) the investments are in shares of a foreign limited company;
 b) the investment is by way of capital contribution to a partnership business whose control and management is situated wholly outside India.
 c) the investment is in a proprietary business carried on abroad but controlled from India.

76. The following persons are resident in India in a previous year :—
 a) A company-other than an Indian company-when the control and management of its affairs is situated partly in India.
 b) A Hindu Undivided Family having business in India controlled and managed by the Karta who has been staying in Singapure.
 c) A joint venture between Birendra of Cuttack and Shekhar of Colombo for exporting the handicrafts of Orissa, *(C.A. Inter, May 1982)*

77. Mr. Sarkar and Mrs. Sarkar are qualified Chartered Accountants and are carrying on profession as partners in the same professional firm :
 a) The share income of both the partners will be clubbed under the provisions of sec. 64.
 b) The clubbing provisions of sec. 64 will not apply to them.
 c) The share income from the firm will be exempt from tax.

78. Income to the cultivator from commercial agricultural crops such as jute, cotton, groundnuts, sugarcane, etc. is treated as:—
 a) business income   b) agricultural income.
 c) income from other sources, *(C.A. Inter May, 1983)*

79. Arun De, an officer belonging to the Indian Foreign Service is posted at New York and for the financial year 1985-86 receives a salary of Rs. 54,000 from the Government of India. This sum will be :
 a) exempt from tax in India since it has been paid outside India,
 b) taxable in India since he is an Indian citizen, and he has been paid for service rendered outside India.
 c) taxable only by the United States Government.

80. Gopal is transferred to New Delhi and ispaid a shifting allowance of Rs. 10,000 by his employers, out of which he spends Rs. 8,000 for shifting his family and personal effects. In this case.
 a) The whole of Rs. 10,000 is exempt from tax u/s 10 (14).
 b) Rs. 8,000 is exempt from tax u/s 10(14).
 c) The whole of Rs. 10,000 is exempt as a casual receipt.

81. An individual in the financial year 1985-86 has donated Rs. 200 to the Prime Minister's Drought Relief Fund. No other donations were made in the year. For the assessment year 1986-87 he will be eligible for a deduction u/s 80 G of the IT Act, a sum of
 a) Rs. 200   b) Rs. 100   c) Rs. Nil

82. An executive is provided with a motor car for his official as well as personal use. The standard deduction he is entitled to is :
 a) Rs. 3,000. b) Rs. 1,000 c) 25% of salary subject to a maximum of Rs. 6,000

ANSWERS

II 'Yes' or 'No' TYPE

1.	Yes	17.	False	33.	False	49.	True	65.	False
2.	No	18.	False	34.	True	50.	False	66.	True
3.	No	19,	True	35.	True	51.	True	67.	False
4.	No	20.	False	36.	False	52.	False	68.	False
5.	False	21.	False	37.	False	53.	No	69.	No
6.	False	22.	False	38.	False	54.	No	70.	Yes
7.	True	23	False	39.	True	55.	True	17.	Fasle
8.	False	24.	False	40.	False	56.	Yes	72.	True
9.	True	25.	True	41.	True	57.	True	73.	False
10.	True	26.	True	42.	False	58.	Yes	74.	False
11.	True	27.	True	43.	True	59.	False	75.	True
12.	False	28.	True	44.	True	60.	True	76.	True
13.	False	29.	False	45.	True	61.	False	77.	False
14.	True	30.	True	46.	True	62.	True	78.	False
15.	True	31.	True	47.	True	63.	False	79.	False
16.	True	32.	False	48.	False	64.	False	80.	True

III. Filling up of blanks

1. Ex-parte
2. Income-tax
3. Short-term, Long-term
4. Balancing Charge
5. Statutory Provident Fund
6. Annual value
7. Last
8. Six
9. Assessment year
10. Perquisites
11. Unregistered
12. Vocation
13. Direct, Indirect
14. Central, State
15. Capital
16. Development Allowance
17. 2(1)
18. Casual Income
19. 6,000
20. Interest on securities
21. Ten
22. 30th June
23. Rs. 3,600

IV. Multiple Choice Questions

1. a. 36 months
2. b. an item, the sale of which would yield taxable profits or allowable losses.
3. b. the legal owner.
4. b. trading loss.
5. c. Rs. 50,000
6. a. is exempt from tax.
7. c. exempt only so far as it relates to or arises within its own jurisdiction and area.
8. c. exempt from tax.
9. b. Rs. 5,500
10. c. wholly or partly only when the employee has been in receipt of the allowance continuously from 1st April, 1955 from the present employer:
11. a. Is taxable as income from Business or Profession.
12. b. is not allowed at all.
13. c. fully allowed as a deduction.
14. c. Rs. 40,000
15. a. for an unlimited number of years
16. b. the Finance Act.
17. c. 1980-81
18. a. Can be changed with the previous permission of the ITO.
19. c. who has been resident in India for nine out of ten previous years and has also stayed in India for 730 days or more during the preceding seven previous years.
20. b. is included for determining the average rate on non-agricultural income in certain cases.
21. a. Rs. 6,000
22. b. Interest on securities
23. a: 6% of the annual value of the property.

24. a. is taxable in India.
25. a. on taxable on notional basis under the head 'Income from house property'.
26. a. on original cost basis.
27. a. is treated as a company in which the public are substantially interested and assessed to tax.
28. a. 14 years.
29. c. to assessees who are individuals or Hindu Undivided Families.
30. c. Rs. 7,000.
31. a. Rs. 250.
32. b. 6 heads
33. a. 1958
34. a. on its own income.
35. c. at any time during the prev. year
36. b. transferred from an unrecognised account to a recognised A/c
37. b. he is not in India during the previous year.
38. b. when it is unconditionally made available to the member.
39. b. 1st April, 1962.
40. c. any period of 12 months upto a dated with the financial year prior to the assessment year for which accounts are maintained.
41. b. 30th June.
42. c. Rs. 18,000
43. c. Local authority.
44. a. C B of Direct Taxes.
45. b. 20
46. b. the same as that of the firm
47. c. the residential status of taxpayer.
48. a. income.
49. a. totally excluded from the total income.
50. a. Chargeable fully to tax
51. a. 10 years
52. c. to all properties irrespective of the fact whether repairs have been actually carried out or not.
53. b. on a graded scale.
54. a. an oculist.
55. b. individuals.
56. b. 50%
57. a. 31-12-1969
58. c. income from other sources.
59. c. an unlimited period.
60. c. business profits of the subsequent year.
61. c. occupied by the owner for his own residence or that of his parents for a period of two year or more.
62. c. Income from interest on securities earned by the institute of Chartered Accountants of India.
63. b. 1st January, 1964.
64. c. an Income-tax Officer.
65. c. all incomes wherever they arise.
66. a. before 1-4-1962.
67. a. all persons.
68. c. Income from use of land for grazing cattle required for agricultural persuits
69. b. Income from house property
70. Rs 2,50,000
71. c. Indefinite period
72. a. Rs. 50
73. c. Rs. 4,000, Twenty-four months
74. a. 25% of salary subject to a ceiling of Rs. 6,000
75. c. the investment is in a proprietary business carried on abroad controlled from India.
76. c A joint venture between Birendra of Cuttack and Shekhar of Colombo for exporting the handicraft of Orissa.
77. b. The clubbing provisions of section 64 will not apply to them.
78. b. Agricultural income
79. b. taxable in India since he is an Indian citizen, and he has been paid for service rendered outside India.
80. b. Rs. 8,000 is exempt from tax u/s 10 (14).
81. c. Rs. Nil
82 b. Rs.1,000

Problmes & Solutions

Q. 1. A's investments for the previous year ended 31st March, 1986 were as given below :

a) Rs. 30,000, 5% Municipal Debentures.
b) Rs. 20,000 4½% Port Trust Bonds.
c) Rs, 10,000, 4% Bombay Development Loan.
d) Rs. 32,000, 3½% Tax free Govt. of India Loan.
e) Rs. 32,000, 11% Convertible Debentures of a company.
f) Rs. 16,000, 6% Debentures of a company.
g) Rs 10,000, 5 year National Development Bonds. Interest accrues at 13% and is payable on maturity. They were bought on 1-10-1985.
h) Rs. 15,000, 6 year National Savings Certificates (VI Issue). Interest at 12% per annum accrues but paid on maturity. They were bought on 1-1-1986,
i) Rs. 20,000, 7 Year National Savings Certificates (II Issue). Interest at 6% per annum accrues annually. They were bought on 1-2-1986.

On 1st September, 1985 he bought Rs. 40 000, 5% U.P. Govt. Loan, the interest on which is payable on 30th June and 31st December. For this purpose he took a loan of Rs.30,000 at 6% per annum. The bank charged 1% commission on purchase of sitesecuri and 2% commission on realisation of gross interest.

Find out his taxable income from interest on securities for the assessment year 1986-87 *(Adapted Punjab 1975)*

Solution :

		Rs.
a)	Rs. 30,000, 5% Municipal Debentures	1,500
b)	Rs. 20,000, 4½% Port Trust Bonds	900
c)	Rs. 10,000, 4% Bombay Development loan	400
d)	Rs. 32,000, 3½% Govt. of India Loan (Tax-free)	1,120
e)	Rs. 32,000, 11% Convertible Debentures	3,520
f)	Rs. 16,000, 6% Debentures of a Sugar Mill Co	960
g)	Rs. 10,000, 13% 5 Year National Development Bonds (interest for six months only)	650
h)	Rs. 15,000, 6 Year National Savings Certificates 12% (interest for three months)	450
i)	Rs. 40,000, 5% U.P. Govt. Loan for six months	1,000
		10,500

		Rs.	
Less : i.	Interest on bank loan of Rs. 30,000 @ 6% for 7 months	1,050	
ii.	Bank commission @ 2% on Rs. 10,500	210	1,260
	Taxable interest on securities		9,240

Notes : 1. Commission on purchase of securities is not allowable.
2. Rebate of income tax on Rs.1,120 being interest on tax-free Govt. securities will be allowed at average rate or 27½%, whichever is less.
3. Interest on 7 Year National Savings Certificates (II Issue) is completely tax free and ,therefore, it is not includible in total income.

Q. 2. State whether following amounts received by an assessee would be liable to Income-tax :

1. Dividend received from Foreign Companies Rs. 2,000.
2. Marriage gift of Rs. 5,000.
3. Travel assistance from employer for himself and members of his family to go to his native place at Simla Rs. 1,000.

4. Interest on Cumulative Time-Deposit A/c. with Post Office Rs. 500.
5. Daily allowance as Member of Parliament Rs. 3,000.
6. Arrears of salary of the year 1984-85 Rs. 3,000.
7. Income from lottery Rs. 10,000,
8. Income from Horse racing Rs. 1,00,000.
9. Realisation of bad debt Rs. 4,000 not allowed as bad debts in 1984-85 when written off.
10. Diwali gift from father Rs. 1,000. *(Karnataka B. Com.* 1981)

Solution : 1. Taxable under the last head, namely, income from other sources.
2. Not taxable.
3. Not taxable.
4. Not taxable.
5. Not taxable.
6. Taxable.
7. Included under the last head and then deduction u/s 80TT is allowable of an amount of Rs. 7,500 only in this case.
8. Included under the last head.
9. Not taxable.
10. Not taxable

Q.3 Mr. Ghosh is an individual and an Indian citizen not ordinarily resident for the assessment year 1986-87. He is an employee of an Indian company. For 4 months during the previous year end 31st March, 1986, he served in India while for the remaining 8 months of the year he served in London branch of the company. The particulars for the previous year ending 31st March, 1986 are as follows :—

1. Salary at Rs. 2,500 p.m. for 4 months of service in India (April to July).
2. Salary at Rs. 3 000 p.m. for 8 months of service in London (Aug. to March).
3. He contributed to a Recognised Provident Fund @ 10% of salary for 4 months of service in India.
4. He was provided with a car of 15 H.P. both in India and outside. All expenses including those of a chauffeur were met by the employer. The car was used both for official and private purposes.
5. He was provided with a rent-free furnished house throughout the year. The rents paid by the employer for the house were Rs. 2,000 p.m. in Calcutta and Rs. 3,000 p.m. in London. The cost of furniture was Rs. 5,000 in Calcutta and Rs. 10,000 in London.
6. He made the following payments in India during the year :
   a) Life insurance premium of Rs. 5,000 on a policy of Rs. 60,000 on his own life.
   b) Contribution to Public Provident Fund, Rs. 4,000 in September, 1985.

Compute his total income for the assessment year 1986-87.

(Calcutta B. Com. 1975)

Solution : **Computation of Total Income of Mr. Ghosh**

		Rs.
Salary for four months @ Rs. 2,500 p.m.		10,000
Value of free car & driver @ Rs. 450 p.m.		1,800
Value of rent-free furnished house		3,167
Gross Salary		14,967
Standard deduction		1,000
Net Salary being gross total income		13,967
Less : Permissible deductions :		
U/s 80C : Qualifying amount		
First Rs 6,000	6,000	
Balance of Rs. 4,000 @ 50%	2,000	8,000
Total Income		5,967

Qualifying amount

a) Employee's contribution to RPF	1,000	
b) Life insurance premium	5,000	
c) Contribution to Public Provident Fund	4,000	
	10,000	

Notes : 1. Mr. Ghosh is a not ordinarily resident, therefore, salary earned and received in India only is taxable. Salary earned outside India is not to be taxed.

2. It is assumed that the amounts saved through provident fund contribution life insurance etc. are out of the income received here. These qualify only when they are paid out of taxable income.

3. Value of rent-free furnished house has been calculated as under :

10% of salary in India	1,000
Excess of rent paid (8,000) over 60% 6,000) of salary	2,000
	3,000
Add : 10% of the cost of furniture for 4 months	167
Valuation of accommodation	3,167

Q. 4 a) Amar owns a house in Rewari which is let out to a limited Company for Rs. 1,20,000 per annum. Local taxes amount to 10% which are shared equally by the landlord and the tenant company. Amar has also to bear the following expenses in this regard :

	Rs.
Salary of gardner	3,000
Lighting	7,000
Water charges	8,500
Fire insurance premium	5,000

In addition to the above, he claims the following amounts as deductions :

Repairs	25,000
Land revenue	4,500
Collection charges	1,650

You are required to compute his income from house property.

b) Shri Krishnakant owned several house properties valuing over Rs. 3,00,000. During the relevant previous year he sold one of the houses for Rs. 35,000 which was being used for the residential purposes of the assessee. The original cost of the house in 1970 was Rs. 15,000. Income from other sources comes to Rs. 25,000 for the previous year 1985-86. He also won a lottery prize of Rs. 50,000 from Delhi Lottery. Calculate his total income. (*Rohtak B. Com.*, 1978)

Solution :

		Rs.
a) Rent received from the let out house property :		1,20,000
Less : Salary of gardener	3,000	
Lighting	7,000	
Water charges	8,500	
Municipal taxes	6,000	24,500
Annual Value		95,500
Less : Repairs allowance (one-sixth)	15,917	
Fire insurance premium	5,000	
Land revenue	4,500	
Collection charges	1,650	27,067
Taxable income from house property		68,433
b) Long term capital gains on sale of house property		20,000
Income from other sources :		
Other sources	25,000	
Lottery prize	50,000	75,000
Gross Total Income		95,000
Less : Deductions		
u/s 80T : First Rs. 5,000	5,000	
33% of Rs 15,000	5,000	

		10,000	
u/s 80TT : First 5,000	5,000		
50 % of 45,000	22,500	27,500	37,500
	Total Income		57,500

Note: The house was held by the assessee for a period of more than ten years and deduction to u/s 80T has been allowed accordingly.

Q. 5. Discuss how you would treat the following situations under the I.T. Act, 1961 :–

a) X and Y were equal partners in a registered firm carrying on retail business. The firm sustainted a loss of Rs. 30,000 during the year ending Mar. 31 1984. Due to losses Y retired from the firm on Mar. 31, 1984 and X took over the firm's business as his proprietary concern. For the year 1984-85 the business made a profit of Rs. 19,000. X wants to set-off his share of loss in the firm against the profits of the proprietary business. Can X do it ?

b) A Limited company closes its accounts according to calendar year. On October 1. 1984 it obtained a special permission from the Registrar of Companies to close its accounts in future on June30 each year with immediate effect. The company did not refer it to the ITO concerned and accordingly, did not submit its return of income for the assessment year 1985-86 and denied any tax liability for the assessment year. Discuss whether the claim of the company is justified or not.

c) The only house property off Mr. Roy remained vacant for the entire previous year ending March 31, 1984 due to his posting in some other State as he is a Central Government employee. He satisfies the ITO that no benefit from it was drawn by him. He claims that no income from the house is assessable. *(C.A. Inter, May 1982)*

Solution : a) X can certainly set off his share of loss in the firm against the proprietary business. Under the provisions of sec. 72 we have to simply see that the business from which the loss arose continues at the time when the set off is sought. Charge of form is not of any consequence here. *Dwarkadas Liladhar v. CIT (1963) 47 ITR 619 (Ker).*

b) Permission from the Registrar of Companies complies with the provisions of the Companies Act, 1956 but not those of the IT Act, 1961. The company has to approach the ITO for changing the previous year. While allowing the change, he may impose certain conditions which will have to be accepted by the company.

c) The claim of Mr. Roy is valid and is in conformity of sec. 23(3). The annual value of the home property will be nill and there will also not be allowed any deduction. Incomefrom the house will thus be nill.

Q. 6 The following are the incomes of Shri Raghavendra for the previous year 1985-86.

1) Profit from business in Iran received in India– Rs. 5,000.
2) Income from house property in Iran received in India Rs. 500.
3) Income from house property in Pakistan, deposited in a Bank there' Rs. 1,000
4) Profits of Business eastablished in Paris deposited in a Bank there—Rs.1,000— this business is controlled in India.
5) Income accrued in India but received in England Rs. 2,000.
6) Profit earned from business in Kanpur Rs. 6,000.

From the above particulars ascertain the taxable income of Shri Raghavendra for the previous year 1985-86 if Shri Raghavendra is (i) a resident (ii) a not ordinary resident (iii) a non-resident. *(Karnataka, B. Com. 1985)*

Solution :

Particulars of income	Resident	Not Ordinarily Resident	Non Resident
	Rs	Rs.	Rs.
1. Profit from business in Iran received in India	5,000	5,000	5,000
2. Income from house property in Iran received in India	500	500	500
3. Income from house property in Pakistan, deposited there	1,000	—	–

4. Profit from business established in paris, deposited in a bank there—business controlled from India	1,000	1,000	—
5. Income accrued in India but received in England	2,000	2,000	2,000
6. Profit earned from business in Kanpur	6,000	6,000	6,000
Taxable Income	15,500	14,500	13,500

Q. 7 House A belongs to husband and house B to wife, both being independently employed. House A is sold and with the capital gains earned thereon the husband builds the first floor of house B. Discuss the following :

a) Is husband entitled to relief u/s 54 ?
b) Can he pay a reasonable rent to wife for using the terrace of house B belonging to wife ?
c) What will be the liability to income-tax and wealth-tax ?
d) How are local taxes to be bifurcated ?

Solution : a) Yes, husband in this case can construct the first floor and enjoy the tax benefit on reinvestment of capital gains in constructing a house for his residence.

b) The husband is justified in paying a reasonable rent to his wife, the owner of house B for using the terrace in constructing the first floor.

c) Income and wealth would be taxed in the hands of husband and wife according to their incomes and wealth they are in possession of.

d) Similarly, municipal taxes would be payable by them individually in respect of the irportions. After construction of the first floor, the incremental local taxes will be the liability of husband.

Q. 8. Compute total income in the following case for the assessment year 1986-87.
Assessee : M/s Harish and Company, HUF.
Accounting Year : Every Calendar Year.

Particulars of Income :

1) Income from Smuggling business :
   a) Gross Profit—Rs. 28,200
   b) Expenses and Losses :
      i) Cost of goods confiscated Rs. 8,900
      ii) Bribes...............Rs. 6,300
      iii) Legal charges to defend the case of importing a prohibited article...... Rs, 1,000.
   c) Net Profit ....Rs. 12,000.
2) Net Profit from a legal business Rs. 12,000 after charging salary to Karta Rs. 9,000 and Interest on Loan for construction of a house Rs. 6,200, Income-tax Rs. 3,000, RDD Rs. 2,800 and Life Insurance Policy on member's lives Rs.5,000 and Donation to Prime Ministers Drought Relief Fund Rs. 5,000.
3) Capital Gain on sale of Karta's personal investments Rs. 5,000.
4) Share income from the business of an unregistered Firm on which HUF is represented by the Karta Rs. 5,000 out of its taxable income.

For the purpose of taxation of total income of the above assessee state how the share income from Unregistered firm (Rs. 5,0C0) is treated. *(Karnataka B. Com. 1985)*

Solution :

Assessee : M/S Harish and Company : HUF
Year : Accounting Year being the calender year. 1985

			Rs.
Income from smuggling business			
Gross Profit		28,200	
Less expenses :			
Goods confiscated	8,900		
Bribes	6,300		
Legal charges	1,000	16,200	12,000

Net profit from another business		12,000	
Expenses not allowed :			
Interest on loan for construction of a house	6,200		
Income-tax	3,000		
R.D.D.	2,800		
Life insurance Premium	5,000		
Donation to P.M. Drought Relief fund	5,000	22,000	34,000
Share from unregistered firm			5,000
Gross Total Income			51,000
Deduction u/s 80C : Life Ins. Premium		5,000	
Deduction u/s 80G : Donation to P.M D.R. Fund 50% of 5,000		2,500	7,500
Total Income			43,500

Notes : 1. While computing taxable profit from smuggling business, expenses partaining thereto have to be allowed.

2. The tern R.D.D. given in the question is not clear and therefore disallowed.

3. The assessee will claim deduction in respect of life insurance premium and the donation.

4. The assessee will claim rebate of income-tax at average rate in respect of share from the unregistered firm assuming that the firm has paid tax on its income which is taxable.

Q. 9 The following is the Income and Expenditure Account of Medical Practitioner for the previous year ending 31st March, 1986 :

Expenditure	Rs.	Income	Rs.
Salaries to staff	12,000	Consultation fees	40,000
Laboratory expenses	6,000	Visiting fees	10,000
Rent of dispensary	6,000	Gift from patients	4,000
Purchase of medicine	4,500	Sale of medicines	8,000
Income-tax	3,500	Rent from house property	12,000
Car expenses	3,640	Interest on debentures (net)	900
Membership fees	200	Profit on sale of car	1,100
Municipal tax (on house)	1,200		
Repairs	1,800		
Printing charges	400		
Charity	150		
Sundry expenses	750		
Surplus for the year	35,860		
	76,000		76,000

Compute his total income for the Assessment Year 1986-87 after taking into consideration of the following information :

a) Gifts include Rs 1,000 received from his relatives in personal capacity.
b) There was no stock of medicines.
c) The car sold was purchased in the year 1982 and Rs. 5,000 were allowed as depreciation so far.
d) The car was used entirely for the profession.
e) Repairs related to house property.
f) He paid insurance premium of Rs. 8,000 on his life policy of Rs. 80,000.
g) Depreciation on surgical equipments and furniture amounted to Rs. 4,500 allowable as deduction as per rule.
h) Debentures are listed in recognised stock exchange. *(Karnatka B. Com. 1983)*

Solution :

	Rs.
Interest on securities	
Interest on debentures (net) Rs, 900	
Gross Interest 900 × 10/9	1,000

Income from House Property			
Rent received	12,000		
Municipal taxes	1,200		
Annual Value	10,800		
Less Repair allowance	1,800		9,000
Profits and gains from profession			
RECEIPTS			
Consultation fee	40,000		
Visiting fee	10,000		
Gift from patients	3,000		
Sale of medicines	8,000		
Profit on sale of car (Balancing charge)	1,100	62,100	
EXPENSES			
Salaries	12,000		
Laboratory expenses	6,000		
Rent of dispensary	6,000		
Purchase of medicine	4,500		
Car expenses	3,640		
Membership fees	200		
Printing charges	400		
Sundry expenses	750		
Depreciation Allowance	4,500	37,990	24,110
	Gross Total Income		34,110
Less Qualifying Amount :			
First Rs. 6,000 100%	6,000		
Next Rs. 2,000 50%	1,000		7,000
		Total Income	27,110

Notes : 1. Tax is deducted at sources @ 10% where the debentures are listed in a recognised exchange.
2. Gift excluding those received from relatives in personal capacity will be included in professional income.
3. Profit on car sold does not exceed the depreciation allowed and therefore the amount is chargeable profit.

Q. 10 Compute total income of Mrs. Sharmila who has furnished following particulars for the assesment year 1986-87 :

		Rs.	Rs.	Rs.
1. Income from salary duly computed				12,000
2. Income from property-rent received : Property B			6,000	
" C			7,200	
			13,200	
	Rs.			
Less : Municipal taxes—Property A	600			
" B	1,200			
" C	1,400	3,200		
Repairs to property A	400			
" C	300	700		
Interest on mortgage of Property B		1,200		
Fire insurance premium property A	100			
" B	150			
" C	200	450		
Collection charges for all properties		2,400	7,950	5,250
Total Income				17,250

***Additional Information* :**

1. The assessee has settled in Bombay for the purpose of the employment where he resides in a rented house.
2. All the three properties are situated at Calcutta. Property A is retained for self-occupation Properties A, B and C were let out.
3. The annual value of properties A, B and C are Rs. 3,000 Rs. 5,000 and Rs. 7,200 respectively.
4. The assessee was on leave for 3 months during the previous year 1985-86. During that period she resided in the property A. No other benefit was derived from the property.
5. Rs. 20,000 raised on mortagage of property B were utilised in the purchase of agricultural land.
6. She has paid Rs. 3,000 as premium on her life policy of Rs 25,000.
7. Mrs. Sharmila donated Rs. 1,500 to the National Defence Fund set up by Central Government.

Solution

		Rs.	Rs.	Rs.
Salary				12.000
Income from Property				
i. Let out/Letting value				
B		6,000		
C		7,200	13,200	
Less : Municipal tax			2,600	
			10,600	
Annual value				
1/6th for repairs		1,767		
Insurance Premium		350		
Collection Charges (6% of A.V.)		636	2,753	
			7 847	
ii Letting value of self-occupied property		3,000		
Less : Municipal tax		600		
		2,400		
Less : Statutory deduction u/s 23 (2)		1,200		
		1,200		
Proportionate A.V. u/s 23 (3) (b) for 3 months		300		
Less : 1/6th for repairs	50			
Insurance premium	100	150	150	7,997
Gross Total Income				19,997
Less : i. Sec. 80C : Rs. 2,500 in full			2,500	
ii. Sec. 80C : 50% of Rs.1,500			750	3,250
Total Income				16,747

Notes : 1. Qualifying premium is restricted to 10% of the capital sum assured.
2. Collection charges are allowed to the extent of 6% of annual value i.e., of Rs.10,600.

Q.11 Reddy owns three residential houses and one bungalow. The three houses are let out and bungalow is occupied by him for his own residence. The rental value of the let-out properties is Rs. 21,000 and that of the bungalow is Rs. 7,000.

The expenses on the let-out properties are as under :—	Rs.
Municipal taxes	3,750
Land revenue	496
Ground rent	424
Annual interest on mortgage of one of the properties (interest has not been paid for the last three years)	2,000
Fire insurance premium	800
Rent collection charges	1,200
Legal charges for recovery of rent	300
Repairs and alterations	4,000

One of the tenants is in arrears of rent amounting to Rs. 600 in respect of the house in question and is unable to pay the same.

The expenses of the bungalow are :—

Municipal taxes	1,200
Insurance premium	350
Ground rent	75

Reddy's investments consists of 4% G.P. Notes of Rs. 1,00,000 on which interest has been collected on due dates.

During the year ending 31st March, 1985 he received Rs.25,000 from Bharat Motor Ltd. as Managing Director's remuneration.

Prepare a statement showing the total income of Shri Reddy for the assessment year 1985-87. He agrees to pay Rs. 500 to you for your services.

Solution :

			Rs.	Rs.
1. Remuneration from Bharat Motors			25,000	
Less : Standard deduction			6,000	19,000
2. Interest on securities : 4% G.P. Notes of Rs. 1,00,000				4,000
3. Income from House Property				
A. Let out properties :				
Rental value			21,000	
Less : Municipal Taxes			3,750	
			17,250	
Less : Deductions :		Rs.		
i. 1/6th for repairs		2,875		
ii. Land revenue		496		
iii. Ground rent		421		
vi. Fire insurance premium		800		
v. Rent collection & Legal charges being restricted to 6% of Annual value		1,035		
vi. Irrecoverable rent		600	6,230	
			11,020	
B .Income from let out properties Self-occupied bungalow :				
Rental value		7,000		
Municipal taxes		1,200		
		5,800		
Deduction for self-occupation		2,900		
		2,900		
Annual Value				
Less : Permissible deduction :				
a. 1/6th for repairs	483			
b. Insurance premium	350			
c. Ground rent	75	908	1,992	13,012
				36,012
Gross Total Income				
Less · Deduction u/s 80L : Dividends etc.				4,000
Total Income				32,012

Notes : 1. The deduction in respect of repairs is allowed equal to 1/6th of annual value u/s 24 (1) irrespective of the actual amount incurred on repairs.

2. Sec. 24(1)(viii) reads that any sum spent to collect the rent from property will not exceeds 5% of the annual value of the property. It is to be noted that rent collection charges and legal charges for recovery of rent fall under this section.

3. It has been assumed that all conditions prescribed for the purpose of unrealised rent have been fulfilled.

4. It is not known why the loan was obtained by mortgaging the property. If the money has been used for construction etc., interest will be a permissible deduction.

Q. 12 Randhawa an Indian National is resident in India. He works as a director of a company in Bombay, and has furnished the following particulars for the assess ment year 1986-87.

a) Salary Rs. 30,000.
(Out of this, a sum of Rs.5,000 b-ing salary for 2 months was drawn in London, as the assessee went to England on official duty for two months)
b) Sitting fees from the Company Rs. 1,000.
c) Company's contribution to Recognised Provident Fund—Rs. 4,000.
d) Interest on provident fund at 6%—Rs. 12,000.
e) Assessee's contribution to provident fund—Rs. 4,000
[included in the sum of Rs. 30,000 shown at (i)]
f) Life insurance premium on his own life for a policy of Rs. 80,000—4,000.
g) Entertainment allowance paid since 1951 by the employer—Rs. 10,000.

The company has provided him with a rent-free unfurnished house owned by the company of the annual municipal valuation of Rs. 12,000, Besides the company has also incurred the following expenses on the house and establishment —

i. Repairs—Rs. 25,000.
ii. Pay of cook and bearer—Rs. 3,000.
iii. Pay of mali—Rs. 1,200.
iv. Garden expenses—Rs, 2,400.

Compute total income of the assessee giving brief reasons for the inclusion or commission of different items. Also indicate the items and the extent of rebate due to the assessee. He owns a car.

Solution :

		Rs.	Rs.
1. Salary			
a) Basic		30,000	
b) Employer's contribution to R.P F. exceeding 10% of salary		1,000	
c) Entertainment allowance.		10,000	
d) Value of rent-free accommodation		3,400	
e) Pay of cook and bearer		3,000	
Gross Salary		47,400	
Deductions :			
Standard Deduction	6 000		
Entertainment allowance	6,000	12,000	35,400
2. Income from other sources—sitting fees			1,000
Gross Total Income			36,400
Deduction u/s 80C			
First Rs. 6,000		6,000	
50% of Rs. 2,000		1,000	7,000
Total Income			29,400
Qualifying Amount :			
(i) Employee's Contribution to R.P.F.			4,000
(ii) Life insurance premium			4,000
			8,000

Notes : 1. Salary received outside India in taxable in the hands of the assessee as he happens to be resident in India.
2. Employer's contribution to Recognised Provident Fund in excess over 10% of salary taxed.
3. The deduction on A/c of entertainment allowance has been calculated as under Rs 10,000 10,000, 6,000, 7,500 whichever is the least, i. e.. Rs. 6,000.

4. The value of rent-free accommodation is calculated according to the latest circular of the Board.

		Rs.
Municipal value of the residence		12,000
Add: Pay of mali		1,200
garden expenses		2,400
Value of the house		15,600
10% of salary including chargeable entertainment allowance (Rs. 30,000+Rs. 4,000)		3,400
Excess of value of the house (15,600) over 60% of salary (20,400)		—
Total Value		3,400

According to this circular the expenses incurred by the employer on the gardens attached to the house provided by him shall be taken into account by the income-tax Officer while deciding the value of the house and these expenses shall not be added to the salary of the employee.

5. The cost of repairs to the building is not perquisite as the repairs are an obligation of the landlord and not that of the tenant.

6. Salary of the cook and bearer is added.

Q.13 C is a director of S Co. Ltd, drawing as a salary of Rs. 3,000 per month. In addition to the regular salary, he has also received the following sums during the year ended 31st March 1986 :—

		Rs.
i.	Director's fees for attending meetings	3,000
ii.	Income from agricultural lands in Ceylon	1,200
iii.	Grant made by the employer for the education of his children	4,000
iv.	Entertainment allowance received from the employer (fixed amount received since 1952)	10,000

It is learnt that C was a member of thecompany's Recognised Provident Fund during the year of account and the contributions @ 10% of the salary had been made thereto by the employer as well as by the employee. Interest calculated @ 6% and amounting to Rs. 1,500 had been credited to C's Provident Fund A/c during the year.

C was given the free use of fifteen H.P. car by his employer, all expenses on running and maintenance having been paid by the company.

C had taken out a policy for the sum of Rs. one lakh on his own life on which he paid a premium of Rs. 10,000 during the year.

During the year C sold a house property for Rs. 2,50,000 which he has brought for was Rs. 80,000 in the year 1961. Its fair market value as on 1st Jan. 1964, however, Rs. 1,50,000. Within six months of the sale he invested Rs, 1,25,000 in Rural Development Bonds which he states that he will keep them for more than three years.

Compute C's total income for the assessment year 1986-87 assuming that he had no income during the year other than what has been indicated above.

Solution

		Rs.	Rs.
Salary			
Salary—basic		36,000	
Grant for Education		4,000	
Entertainment allowance		10,000	
Valuation of free use of a car (300+150)		5,400	
Gross Salary		55,400	
Less : Standard deduction	1,000		
Entertainment allowance	7,200	8,200	47,200
Capital Gains			
Long-term Capital gains (over 20 years)		1,00,000	
Less : Exemption u/s 54E		50,000	50,000

Income from other sources				
Director's fees			3,000	
Income from Agr. land in Ceylon			1,200	4,200
Gross Total Income				1,01,400
Deduction :		Rs.		
u/s 80C : First Rs. 6,000		6,000		
50% of 6,000		3,000		
40% of 1,600		640		
		9,640		
u/s 80T : First Rs. 5,000	5,000			
40% of 45,000	18,000	23,000		32,640
			Total Income	68,760

	Rs.
Qualifying amount	
Contribution to Recognised Provident Fund	3,600
Life insurance premium	10,000
	13,600

Notes : It is assumed that the car provided by the employer is used partly for official & partly for private purposes. Further assumption is that the provision of chauffeur is there with the car. As a result the addition is Rs. 450 which comprises of Rs.300 and Rs.150.

Since half of the sale proceed have been invested in Rural Development Bonds only half of the capital gains will exempted u/s 54E. Other half will be included in total income and deduction u/s 80T will be admissible. As the house was purchased before 1-1-1964, its fair market value will be the basis of calculation of capital gains on the option of the assessee.

Q. 14 A is a professor in a Delhi College getting a salary of Rs.2,000 p.m. plus 17½% on account of dearness allowance. He contributes 8% of his salary to a provident fund to which the college an equal amount. He is also a hostel warden and is provided with rent-free quarters the annual rental value of which is Rs. 2,000. He owns a bungalow which is let out for Rs. 200 per month and for which he pays municipal taxes amounting to Rs. 300 per annum.

During the year ended 31st March 1986 he received the following incomes :—

5% dividend on shares of Rs. 15,000 in the Jai Hind Chemicals Ltd.
10% dividend on Rs. 20,000 in the shares of the Mining Syndicated Ltd.
3½% interest on Rs. 18,000 invested in Government securities.
6% interest on debentures of Rs. 15,000.
Rs. 350 dividend on the units of the Unit Trust of India.
Rs. 1,500 being one-third share of profit in an unregistered firm.

During the year he gets refund of Rs. 500 from his Compulsory Deposit Account (tax payers) in the State Bank of India and another Rs. 350 by way of interest thereon.

He also received an amount of Rs.350 as allowance for some confidential. He gets Rs. 100 by way of interest on his Savings Bank Account in Syndicate Bank.

He has insured his life for Rs. 25,000 and paid Rs. 1,250 by way of premium on his life policies during the year ended 31st March, 1986.

You are required to ascertain his Total Income.

Solution :

	Rs.	Rs.
1. Income from salary :		
a) Basic salary @ Rs. 2000 p.m.	24,000	
b) Dearness Allowances @ 17½%	4,200	
c) Value of rent-free quaters	2,000	
d) Confidential work allowance	350	
Gross Salary	30,550	
Less : Standard deduction	6,000	24,550

		Rs.	Rs.
2.	**Interest on Securities :**		
	a) 3½% on Rs. 18,000 Govt. securities	630	
	b) 6% on Rs. 15,000 Debentures	900	1,530
3.	**Income from house property :**		
	Rental value of the bungalow let out @ Rs. 200 p.m.	2,400	
	Less : Municipal taxes	300	
	Annual value	2,100	
	Less : 1/6th for repairs	350	1,750
4.	**Profit and gains of business :**		
	One-third share of profits from unregistered firm		1,500
5.	**Income from other sources :**		
	a) 5% dividends on Rs. 15,000 shares	750	
	b) 10% dividend on shares of Rs. 20,000	2,000	
	c) Income from units of UTI	350	
	d) Interest on compulsory deposit	350	
	e) Interest on savings bank account (bank)	100	3,550
	Gross Total Income		32,880
	Deductions :		
	a) 80C : Full amount (1,920+1,250)	3,170	
	b) 80L : (630+750+2,000+350+350+100)	4,180	7,350
	Total Income		25,530

Notes ; 1. Qualifying amount includes A's provident fund contribution of Rs. 1,920 and life insurance premium of Rs. 1,250.

2. 1/3rd share from an unregistered firm is not available for rebate of income-tax as total income of the firm would be Rs. 4,500 being less than the taxable limit.

3. Deduction u/s 80L is not available in respect of interest on debentures unless is it notified in the Official Gazette by the central Government.

Q. 15 Shri Ram Lakhan has prepared the following profit and Loss account for the year ending 31st March, 1986. Compute his total income :

	Rs.		Rs.
To Salaries	15,000	By Gross Profit	88,452
To Advertisement	5,800	By Rent of House Property let	12,000
To Sundry Expenses	8,500	By Interest on tax-free Govt. Sec. (Net)	2,400
To Rent, rates & taxes	950	By Winning from Lottery	10,000
To Interest on Capital	2,500		
To Fire Insurance Prem. (Rs. 600 relates to house property)	960		
To Income-tax	2,875		
To Household expenses	10,750		
To Audit fees	1,125		
To Wealth Tax	3,000		
To Bad Debts	1,300		
To Provision for Bad Debts	5,000		
To Repairs of House property	1,600		
To Municipal taxes (house property)	2,000		
To Life Insurance premium	5,500		
To Donation to National Defence Fund	4,150		
To Depreciation (allowable)	7,500		
To Net Profit	34,342		
	1,12,852		1,12,852

The assessee owns one house property (construction started on 1-10-1981 and completed on 15-9-1982) which is being used by him for the following purposes :

i. 1/4th as his business premises
ii. 1/4th for his residence.
iii. 1/4th has been let out at Rs. 500 p.m. to a tenant who is using it for his residential purposes and
iv. 1/4th has been let out to a tenant who is using it as his business premises.

(*Punjab B. Com.* 1980)

Solution :

	Rs.	Rs.
Profit as per Profit and Loss Account		34,342
Add Inadmissible expenses :		
Interest on capital	2,500	
Fire insurance premium ¾ths of Rs. 600 attributable to house property	450	
Income tax	2,875	
Household expenditure	10,750	
Wealth-tax	3,000	
Provision for bad debts	5,000	
Repairs to house property 3/4ths	1,200	
Municipal taxes 3/4ths	1,500	
Life insurance premium	5,500	
Donation to National Defence Fund	4,150	36,925
		71,267
Less : Incomes to be treated separately		
Rent of house property let	12,000	
Interest on tax free Govt. securities	2,400	
Winnings from lottery	10,000	24,400
Taxable profit from business		46,867
Self-occupied portion : rental value		6,000
Less Proportionate municipal taxes		500
		5,500
Less Statutory deduction for self-occupation		2,750
Annual Value		2,750
Less One-sixth for repairs	458	
Fire insurance premium	150	608
Taxable income from self-occupied property		2,142
Portion let out for residential purpose : rent		6,000
Less Municipal taxes		500
		5,500
Deduction for new construction		3,600
Annual Value		1,900
Repairs	317	
Fire Insurance premium	150	467
Taxable Income		1,433
Portion let out for business purpose : rent		6,000
Less Municipal taxes		500
Annual Value		5,500
Repairs	917	1,067
Fire Insurance premium	150	
Taxable Income		4,433

Computation of Total Income

1. Interest on tax-free Govt. Securities			2,400
2. Income from house property (2,142+1,433+4,433)			8,008
3. Business profits			46,867
4. Income from other source : Lotteries			10,000
Gross Total Income			67,275
Less Deductions :		Rs.	
a. u/s 80C . Qualifying Amount		5,500	
b. u/s 80G : 50% of Rs. 4,150		2,075	
c. u/s 80L : Interest on sec.		2,400	
d. u/s 80TT : First Rs. 5.000	5,000		
Net Rs. 5,000 @ 50%	2,500	7,500	17,475
Total Income			49,800

Q. 16 The following are the particulars of Assets sold by Mr. Rudrappa during the previous year 1985-86 :

a) Residential house purchased on 1-1-1982 for Rs. 45,000 sold on 1-3-1986 for previ. Rs. 80,000.
b) House let out by him of the cost of Rs. 70,000 purchased in December, 1984 sold for Rs. 1,00,000.
c) Factory machinery purchased for Rs. 20,000 in 1962 of the written down value on 1-4-1985 Rs. 6,000 sold on 1-1-1986 for Rs. 6,000.
d) Factory machinery purchased in July 1985 for Rs. 10,000, sold for Rs. 12,000.
e) Motor Truck purchased for Rs. 1,20,000 duringthe year was sold Rs. 1,15,000.
f) Shares of Jute Company purchased on 1-2 1982 for Rs.15,000, sold on 1-3-1986 for Rs. 20,000.

During the year Mr. Rudrappa purchased a new residential house for Rs. 20,000. His other income for the year amounted to Rs. 40,000.

Compute his total income for the assessment year 1986-87.

(Karnatak B. Com., 1984)

Solution : Long-term capital gains	Rs.	Rs.
(i) Sale of residential house (80,000—45,000) (3 to 5 years)	35,000	
Less deduction u/s 54 for having bought another house for his own residence	20,000	15,000
(vi) Sale of shares (3 to 5 years)		5,000
		20,000
Short term capital gains		
(ii) Sale of let out house (1,00,000—70,000)	30,000	
(iv) Sale of factory machinery (12,000—10,000)	2,000	
	32,000	
(v) Loss on sale of truck-short term	5,000	27,000
		47,000
Income from other sources		40,000
Gross Total Income		87,000
Deduction u/s 80T : Long term capital gains First Rs. 5,000	5,000	
25% of Rs. 10,000	2,500	
40% of Rs. 5,000	2,000	9,500
Total Income		77,500

Notes : 1. It has been assumed that the new house purchased by the assessee has been for his own residential purposes. It is therefore preferable to claim deduction u/s 54.
2. Since machinery mentioned under (iii) has been sold at the written down value, there is neither profit nor gain. Depreciati on is not allowed in respect of the asset in the year in which it is sold, destroyed etc.
3. It is not mentioned whether the assessee was running transport business. If that be so, the loss on sale of the truck would be allowed as balancing depreciation and not as short term capital loss.
4. While allowing deduction u/s 80T, deduction of Rs. 5,000 has been effected out of the capital gains pertaining to house property.

Q. 17 Dr. Bijli is a Professor of Economics. He submits before you the following for computation of Income under the head 'Income from other sourcese' for the assessment year. 1986-87.

a) He is author of a text book which fetched him a gross royalty of Rs. 15,000. He claims the following deductions from this amount.
   i. Salary to a clerk who collects for him necessary data and goes through the final proof reading Rs. 2,400.
   ii. Purchased books worth Rs. 400 in connection with the revision of the book.
   iii. Telephone expenses of Rs. 800 attributed the publication and sale of his book and other matters in connection with the printing of the new edition of the book.

b) Income from articles which were published in Economic Times' and 'Eastern Economist' Rs. 3,000.

c) He lives in a rented house paying a rent of Rs. 300 p.m. The house is too big for his family. Hence he has sub-let one third portion of the house on a rent of Rs.150 p.m. Dr. Bijli has undertaken the liability of paying municipal taxes of Rs. 540 on the whole house and also the current repairs of the whole house amounting to Rs. 600.

d) He received Rs. 50 per lecture delivered at the Christian Institute During the previous year he delivered 24 lectures.

e) He is an examinor of a number of universities. This course gave him a remuneration of Rs. 2,000.

f) His other incomes were —
   i. Winnings from card games and betting Rs. 2,500.
   ii. Winnings from chess Rs. 1,000.
   iii. Received interest on Govt. of England bonds Rs. 500.

(Mysore B. Com. 1982)

Solution :

In come from other Sources		Rs.	Rs.
1. Royalty		15,000	
Less : admissible expenses :			
Salary	2,400		
Books	400		
Telephone	800	3,600	11,400
2. Hon. for articles published			3,0
3. Income from sub-letting . rent received		1,800	
Less expenses :			
Proportionate rent	1,200		
Proportionate mpl. tax	180		
Repairs	200	1,580	220
4. Hon. for lectures delivered			1,200
5. Examination remuneration			2,000
6. Winnings from card games			2,500
7. Winnings from chess			1,000
8. Interest on Govt. of England Bonds			500
Taxable Income under this head:			21,820

Q. 18 Following are the particulars of income of Mr. Alamgir, a manager of a limited company for the year ended 31st March, 1986 :

1. Salary Rs. 2,500 p. m. from which 10% is deducted as contribution to an unrecognised Provident Fund, the company contributing the same amount.
2. Conveyance allowance received from the Company is Rs. 250 p.m. but he has spent any amount of this.
3. Rent-free house has been provided by the company whose annual letting value is Rs. 3,000.
4. 6% dividend is declared by the Co. on 500 shares of Rs. 100 each held by him.
5. He withdrew from the company Rs.3,500 as travelling allowance out of which he actual spent Rs. 1,500.
6. His son studying in a college and the company pays of Rs. 400 p.m. toward the cost of his education.
7. During the year, he paid Rs. 4,500 as life insurance premium.
8. He deposited Rs.5 000 in a 10-vear Cumulative time Deposit amount in a post office nor and Rs. 3,000 in a public Provident Fund.

You are required to compute his total income for the assessment year 1986-87.

(*Adopted Kurukshetra B. Com.*,1982)

Solution :

		Rs.
Salary @ Rs. 2,500 p.m.		30,000
Conveyance allowance not spent @ Rs. 250 p.m.		3,000
Unspent travelling allowance (3,500—1,500)		2,000
Education expenses of his son met by the Co.		4,800
Rent-free accommodation		3,000
Gross Salary		42,800
Standard deduction		6,000
Taxable Salary		36,800
Income from other sources : Dividends (grossed)		3,000
Gross Total Income		39,800
Permissible deductions :		
a. u/s 80C : Qualifying amount	Rs. 6,000	
First Rs. 6,000	6,000	
Next Rs. 6,000 @ 50%	3,000	
Balance Rs. 500 @ 40%	200	
	9,200	
b. u/s 80L : Dividends	3,000	12,200
Total Income		27,600

Qualifying amounts :

a. Life Insurance premium	4,500
b. 20 year Cumulative T. Deposit	5,000
c. Public Provident Fund	3,000
	12,500

Q.19 Mr. N. Sur owns three houses. The property A is let out to business house for office accommodation at a monthly rent of Rs. 800. The property B consists of four separate residential flats and these are let out to four tenants for residential purposes at Rs. 250 per month per flat. The property C is occupied by the owner for his own dwelling and fair its Annual Value is ascertained at Rs: 6,000.

From the undernoted particulars compute Mr. Sur's Income from house property for the Assessment year 1986-87 (previous year ending 31-3-1986).

	Property A	Property B	Property C
Construction began on	3.7-1978	2-3-1979	7-5-1980
Construction completed	1-4-1981	31-12-1981	1-1-1982
	Rs.	Rs.	Rs.
Annual Municipal Tax	800	1,000	500
Fire Insurance Premium	200	250	160
Ground Rent	100	125	75
Collection charges	400	500	—
Interest on Mortgage Iron	700	3,000	—
Expenses on Pump-Maintenance	—	600	

All the expenses are borne by the owner.

The mortgage loan on property A was taken for marriage of Mr. Sur's daughter and the mortgage loan of property B was taken for construction of that house.

One of the flats of property B remained vacant for two months during the previous year.

During the previous year Mr. Sur had received Rs. 12,000 from salary and received a gross Dividend of Rs. 5,000 from shares in Indian Companies.

(Calcutta B. Com., 1978)

Solution :

			Rs.	Rs.	
Salary			12,000		
Less : Standard deduction @ 25%			3,000	9,000	
Income from house property					
House 'A'	Rent received		9,600		
	Municipal Tax		800		
	Annual Value		8,800		
	Repairs	1,467			
	Fire Ins. Prem.	200			
	Ground Rent	100			
	Collection charges	400	2,167	6,633	
House 'B'	Rent received		12,000		
	Municipal tax	1,000			
	Pump Maintenance	600	1,600		
			10,400		
	Deduction for new Construction @ Rs. 2,400 per unit		9,600		
	Annual Value		800		
	Repairs	133			
	Fire Ins. Premium	250			
	Ground rent	125			
	Collection charge 6% of 800	48			
	Int. on loan	3,000			
	Vacancy All. 1/2th of 800	31	3,587	—2787	
House 'C'	Fair Annual Value		6,000		
	Municipal tax		500		
			5,500		
	Statutory deduction		2.750		
			2,750		
	A. V. being restricted to 10% of total other incomes 9,000+6,633—2,787+5,000)		1,785		
	Repairs	298			
	Fire Ins. Prem.	160			
	Ground rent	75	533	1,252	5,(

Income from other sources	
Dividends	5,000
Gross Total Income	19,098

Q. 20 Mr. Ravindranath is a practising lawyer at Bangalore High Court. He keeps his books on cash basis and his summarised receipt and payment A/c for the year ended 31-3-1986 is as under :-

	Rs.		Rs.
To Balance b/d	8,000	By Subscription for Law Journals	400
To Legal fees	30,000	By Law Books purchased	1,000
To Special Commission fees	500	By Rent	1,500
To Salary as part-time lecturer in Law	2,400	By Car expenses	2,000
To Examiner's fees from Mysore University	400	By Office expenses	5,000
To Interest on fixed deposits in Bank	300	By Electric charges	1,000
To Sale proceeds of house property	40,000	By Income-tax	2,000
To Dividends from a co-operative society	1,000	By Gifts to daughter	1,000
To Director's fees	100	By Household expenses	15,100
		By Cost of typewriter purchased for the office	700
		By Donations to approved institutions	1,000
		By Car purchased	22,000
		By Life Insurance Premium	5,000
		By Balance c/d	25,000
	82,700		82,700

The following information is also given :

1. Rent and electric charges are in respect of the premises occupied by Mr. Ravindranath ½ of the premises is used by him as his residence and the remaining half is in office use.
2. One-half of the car expenses is in respect of his personal use.
3. Rs. 2,200 is allowable as dep. in respect of car used for professional purposes.
4. Life insurance prem. has been paid on a policy of Rs. 40,000 taken on his own life.

You are required to prepare a statement showing his income from profession and also compute his total income for the A. Y. 1986-87. (*Adapted Mysore B. Com., 1974*)

Solution :

	Rs.	Rs.	Rs.
Salary as part-time lecturer in law	2,400		
Less : Standard deduction @25%	600		1,800
Professional Income			
Gross earning : Legal fees	30,000		
Special commission fees	500	30,500	
Less : Admissible Expenses :			
Subscription of journals	400		
Law books purchased	1,000		
Rent for office use (1/2)	750		
Car expenses (1/2)	1,000		
Electric charges (1/2)	500		
Office expenses	5,000		
Cost of typewriter	700		
Depreciation of car	2,200	11,550	18,950
Income from other sources			
Examination remuneration	400		
Interest on fixed deposit	300		
Dividends from co-operative society	1,000		
Director's fees	100		1,800
Gross Total Income			22,550

Less **: Permissible Deduction**		
u/s 80C : life insurance premium	4,000	
u/s 80G : 50% of 1,000 (donation)	500	
u/s 80L : Interest on fixed deposits	300	
Dividends from society	1,000	5,800
Total Income		16,750

Notes : a)Life insurance prem. will be deductible up to 10% of the sum assured.
b) Books are included in the term plant assuming that no book costs more than Rs.5,000, the whole amount spent on books should be allowed. On the same reckoning, typewriter (Rs. 700) has been allowed in full.

Q. 21 The P&L Account of M/s. Liladhar & Sons disclosed profits of Rs.1,25,000. The investigation of accounts showed the following facts :

a) Opening and closing stocks were shown at Rs. 63,000 and Rs. 90,000 respectively, which were valued at 10% below cost.
b) The profits include Rs. 20,000 received as compensation for vacation of the premises of sales department.
c) Wealth-tax Rs.10,000 and tax on income Rs. 5,000 have been debited to Profit and Loss Account.
d) Donations paid to charitable institution Rs.15,000 has been charged to P & L Account
e) Sundry Expenses include the following which is debited to P & L A/c :
   i. Interest on loan taken for payment of income tax Rs. 1,000
   ii. Sales tax Rs.2,300 which is realised from purchasers but not included in sales.
   iii. Distribution of sweets on Dewali day Rs. 500.
   iv Fees paid to Income-tax consultant Rs. 700.
   v. Expenses on new telephone connection Rs. 2,000
f) The Profit and Loss account has been credited by long-term capital gains on the sales of shares Rs. 20,000.

Compute the Total Income of the concern. *(Vikram B. Com., 1983)*

Solution :

	Rs.	Rs.	Rs.
Profit as per Profit and Loss Account			1,25,000
Less under statement of opening stock		7,000	
Add understatement of closing stocks		10,000	
		3,000	
Add Expenses not admissible			
Wealth-tax	10,000		
Income-tax	5,000		
Donations	15,000		
Interest on loan to pay income-tax	1,000		
Sales-tax not included in sales	2,300		
Fees to income-tax consultant	700		
Expenses on new Telephone	2,000	36,000	39,000
Less Compensation for vacation of Premises		20,000	1,64,000
Long term capital gains on sale of shares		20,000	40,000
Taxable profit			1,24,000
Long term capital gains on sale of shares			20,000
Gross Total Income			1,44,000
Admissible deductions : u/s 80 G : 50% of Rs.	14,400		7,200
Total Income			1,36,800

Notes : 1. Qualifying donation should not exceed 10% of gross total income as reduced by other deductions, that is, Rs.1,44,000—nil=Rs.1,44,000. 10% there of would be Rs.14,400.
2. Compensation for vacating the business premises has been assumed to be a capital receipt. Similarly expenditure of Rs. 2,000 on ecuring a new telephone connection has been treated as capital expenditure. However, both treatments are subject to debate.

Q. 22 A, B and C are equal partners in a partnership firm whose Profit and Loss Account for the relevant previous year is as follows :

		Rs.			Rs.
General Expenses		10,500	Gross Profit		10,500
Salary to A		4,500	Rent received		8,000
Commission		3,500	Interest on Securities		3,000
Interest on Capital :			Net Loss		
A	2,500		A	5,000	
B	4,500	7,000	B	5,000	
			C	5,000	15,000
Charity		800			
Bad debts		2,200			
Rent paid to C		8,000			
		36,500			36,500

You are required to compute total income of the firm and that of the partners after considering the following :

a) When the firm is registered.
b) When the firm unregistered. (*Rohtak B. Com., 1979*)

Solution :

		Rs.
Net Loss as per Profit and Loss Account		15,000
Add : Incomes to be shown separately		
Rent received	8,000	
Interest on securities	3,000	11,000
		26,000
Less: Inadmissible amounts :		
Salary to A	4,500	
Interest on capittal (2,500+4,500)	7,000	
Charity	800	12,300
Net loss from business		13,700
Computation of Total Income		
Interest on securities		3,000
Income from house property :		
Rent received being annual income	8,000	
Less : repairs allowance	1,333	6,667
Business Loss		−13,700
Gross Total Income (loss)		−4,033

Allocation of firm's total income

	A	B	C	Total
Salary	4,500	—	—	4,500
Interest on capital	2,500	4,500	—	7,000
Balance of Loss	−5,178	−5,178	−5,177	−15,533
Shares in firm's profit/loss	1,822	−678	−5,177	−4,033

When the firm is registered : It is a case of loss and, therefore, even the normal tax will not be paid by the firm. B and C will be entitled to carry forward their losses of Rs. 678 and Rs. 5,177 respectively to the following year for set-off against business profits, provided they continue their partnership in this firm.

In A's total income will be included income from the firm amounting to Rs. 1,822.

When the firm is unregistered : The firm itself has the right to set-off and carry forward and, therefore, it will carry forward its loss of Rs. 4,033 to the following year for set-off. However in A's total income will be included Rs. 1,822 being his share of profit from the firm. Please note that he will not be entitled to rebate of income-tax at average rate because the firm has not paid any tax on its income as it is negative.

Q. 23 M/s. Rajeswardayal & Sons is a Hindu Undivided Family of which Shri Raja is the Karta. The family consists of the Karta and his three brothers as coparceners. The family and the coparceners had the following income for the year ended 31-3-1986.

		Rs.
1.	Salary of Shri Ramlal, a coparcener in the capacity of Manager of Dunlop Rubber Co. Ltd.	18,000
2.	Interest on securities :	
	i. In the name of Shri Ramlal (Investments made out of salary)	4,200
	ii. In the name of all the coparceners (Investments made out of family fund)	2,900
3.	Property income :	
	i. Ancestral house—net A. L. V.	12,000
	ii. In the name of Shri Raja bought in 1960 out of family fund—net A. L. V.	7,200
4.	Business :	
	i. Family business income	35,000
	ii. Half share of income in a firm in which Raja is a partner in a representative capacity	3,600
	iii. Income of profession as a lawyer of a coparcener Shri Krishanlal	9,600
5.	Dividends from shares :	
	In the name of Mr. Raja bought out of family funds—gross	3,000
	In the name of Mr. Raja bought out of her Stridhan	1,200

Compute total income of the family. —

Solution :

1.	Interest on securities		2,900
2.	Income from property—Ancestral house	12,000	
	In the name of Raja but bought out of family funds	7,200	
		19,200	
	Less : 1/6th for repairs	3,200	16,000
3.	Profit from business :		
	Family business	35,000	
	Share from a firm	3,600	38,600
4.	Income from other sources—Dividends		3,000
	Gross Total Income		60,500
	Less : Dividends u/s 80L (3,000+2,900)		5,900
	Total Income		54,600

Notes : 1. Interest from investments made out of Shri Ramlal's salary is his personal Income.

2. Dividneds amounting Rs. 1,200 are taxable in the hands of Mr. Raja's wife in case her total income exceeds the minimum taxable limit.

Q. 24 The audited accounts of a company for the calendar year 1985 relevant to the assessment year 1986-87 show a net profit of Rs. 1,35,000. The accounts on examination show that :

i. Out of preliminary expenses incurred in the year 1978, Rs. 10,000 have been written off to the debit of profit and Loss Account.

ii. The company had another business as commission agents which was closed in 1985 as a result of difference with the principals who terminated the commission agency agreement. A suit filed by the principals was pending and during the year 1985 it was settled as a result of which the comany had to pay Rs. 5,000 which is debited to profit and Loss a/c.

iii. A director of the company went abroad during 1985 to find new customers for the company Since he returned in late December 1985 the orders for supply secured by him could be executed only 1986. Rs. 15,000 is debited to the P. & L. A/c on account of travelling and other expenses in connection with his tour abroad.

iv. An amount of Rs. 6,000 stands credited to the Profit and Loss Account for rent from a property, the construction of which was started in June, 1983, and which was let out from 1st July, 1984. The ground rent for this property is Rs. 300 and fire insurance premium paid is Rs. 100 and both of them are debited seperately to the Profit and Loss Account.

Assuming that apart from the above points there are none others to merit consideration for adjustments determine total income of the assessment year 1986-87.

Solution :

			Rs.
Profit from business			
Net Profit as per P. & L. a/c			1,35,000
Add ; Inadmissible amounts :		Rs.	
a. Preliminary expenses written off		10,000	
b. Damage paid in respect of a defunct business		5,000	15,400
c. Expenses in respect of house property		400	
			1,50,400
Less : Rent received to be considered separately			6,000
Taxable profit from bussiness			1,44,400
Income from property			
Rental value		6,000	
Less ; Municipal taxes		—	
		6,000	
Less : deduction for new construction		3,600	
Annual Value		2,400	
Less : 1/6th for repairs	400		
Ground rent	300		
F. Ins. Permium	100	800	1,600
Total Income			1,46,000

Notes : Expenses incurred in connection with the diretor's visit aborad are allowed. It is immaterial that the orders were executed in the year of visit or in the years following.

House property is assumed to be let out for residential purpose.

Q. 25 Given below are particulars of income of an individual for the previous year ended 31st March 1986.

a) Profits of proprietory business Rs. 30,000.
b) Income from house property Rs. 12,000.
c) Dividends from a company Rs. 10,000. (Gross)
d) Capital gains of Rs. 20,000 on the sale of his ancestral house for Rs. 60,000. The house was held for more than 10 years.
e) Capital gain of Rs.5,000 on the sale of shares purchased five years ago and held as investments
f) On 1st July, 1985 he purchased a house for residence but found it rather small and sold it away in October, 1975 at a profit of Rs. 7,000.

Onlt March, 1986 he paid Rs. 15,000 as premium on his life policies. Compute total income of the assessment year 1986-87 *(Karnatak B. Com., 1978)*

Solution :

	Rs.	Rs.
Income from house property	12,000	
Less : Municipal taxes	—	
	12 000	
Annual value	2,000	10,000
Less : repairs allowance		
		30,000
Profits from business		

Capital Gains :			
Long-term capital gains on sale of house (10 years)		20,000	
Long-term capital gains on sale of shares (5 years)		5,000	
		25,000	
Short-term capital gains on sale of new house		7,000	32,000
Income from other sources : Dividends (gross)			10,000
Gross Total Income			82,000
***Less* : *Deductions* :**			
u/s 80C : Qualifying amount:			
First Rs. 6,000		6,000	
Next Rs. 6,000 @ 50%		3,000	
Balance of 3,000 @ 40%		1,200	
		10,200	
u/s 80L : Dividends		7,000	
u/s 80T : Capital gains			
First Rs. 5,000	5,000		
33% of 15,000	5,000		
45% of 5,000	2,250	12,250	29,450
Total Income			52,550

Q. 26 From the following particulars supplied by Shri Sharma, you are to compute his total income for the previous year 1985-86.

	Rs.
a) His salary as an MP	12,000
b) Daily allowance	9,800
c) Office expenses claimed	7,500
d) Income from house property let out (computed)	10,000
e) Profit from bullion business	45,000
f) Profit from agency business	16,000
g) Loss from Oil speculation	23,000
h) Gains from card games	15,000
i) Long term capital gains on the sale of house property	30,000

(BHU B. Com., 1982)

Solution :

			Rs.
Income from house property (computed as given)			10,000
Business profits			
Income from bullion business		45,000	
Profit from agency business		16,000	61,000
Capital Gains			
Long term capital gains on the sale of house property			30,000
Income from other sources			
Salary as an MP	12,000		
Less office expenses	7,500	4,500	
Gains from card games		15,000	19,500
Gross Total Income			1,20,500
Deduction u/s 80T : Long term capital gains on sale of house			
First Rs. 5,000		5,000	
25% of Rs. 25,000		6,250	11,250
Total Income			1,09,250

Notes : 1. Loss from oil speculation will be carried forward for being set off against future speculation profits
2. MP's salary is taxable under the head 'income from other sources' and therefore all office expenses are admissible.
3. Long term capital gains have been assumed to be of a duration of 3 to 5 years.
4. Daily allowance received by on M. P. is tax-free.

Q. 27 Following information relates to the income from different sources of Shri Vinod for the assessment year 1986-87 :—

	Rs.
Rent received from House property	24,000
Royalty from book	5,000
Profits of Cloth Business	20,000
Loss in Cotton Business	20,000
Profits from Speculation in Silver	50,000
Loss from Speculation in Shares	30,000
Interest on Bank Deposits	5,000
Winnings from Lottery	10,000
Dividends received on Shares (gross)	7,700
Amount received on maturity of Life Insurance Policy	50,000

Compute the total income of Shri Vinod. ——— *(Gwalior B. Com. 1982)*

Solution :

	Rs.		Rs.
Income from house property			
Rent received	24,000		
Municipal tax	—		
Annual Value	24,000		
Less Repairs	4,000		20,000
Profits and gains from business or profession			
Profit from cloth business	20,000		
Loss from cotton business	−20,000		—
Profit from speculation in silver	50,000		
Loss from speculation in shares	−30,000		20,000
Income from other sources			
Royalty from book	5,000		
Interest on bankdeposits	5,000		
Winnings from lottery	10,000		
Dividends on shares	7,700		27,700
Gross Total Income			67,700
Admissible deductions :			
a) u/s 80L : Dividends etc.,		7,000	
b) u/s 80TT : Lottery winnings First Rs. 5,000	5,000		
50% of Rs. 5,000	2,500	7,500	14,500
Total Income			53,200

Amount received on maturity of life insurance policy is not taxable.

Q. 28 The business income of an assessee worked out at Rs. 1,75,000 including short-term capital gains of Rs. 5,000 for the assessment year 1986-87, before making adjustments of depreciation or Investment Allowance for the year. Determine the total income for the assessment year 1986-87 taking into consideration the following facts indicating precisely as to what amounts will be carried forward :—

	Rs.
a) Depreciation for the assessment year 1986-87	30,000
b) Investment Allowance for the assessment year 1986-87	45,550
c) Speculation loss brought forward from the assessment year 1984-85	27,500
d) Capital loss suffered in the assessment year 1986-87	10,000
e) Unabsorbed depreciation brought forward from the assessment year 1977-78	30,000
f) Business loss brought forward from the same business from the assessment year 1976-77	50,000
g) Unabsorbed Development Rebate brought forward from the assessment year 1980-81	20,000

Solution :

		Rs.	Rs.
	Total business income		1,75,000
Less :	Current year's depreciation	30,000	
	Unabsorbed depreciation from A. Y. 1977-78	30,000	
	Unabsorbed development rebate from 1980-81	20,000	
	Current year's Investment Allowance	45,550	1,25,550
	Total Income		494,50

To be carried forward :

1. Speculation loss A. Y. 1984-85	27,500
2. Capital loss of current year	10.000

Note : Business loss for the A Y 1976-77 cannot be set-off as it is from a period beyond eight years.

Q. 29 The following particulars are submitted to you by Rege Brothers, Bombay for computing income for assessment year 1986-87 :—

Loss from business before depreciation	20,000
Normal depreciation allowable	5,000
Extra shift allowance	1,000
Income from house property (computed)	8.000
Interest on securities	1,00,000
Income from other sources	20,000
Brought forward business losses from 1985-86	50,000
Unabsorbed depreciation from 1985-86	80,000

Solution :

	Income from house property	8.000	
	Interest on securities	1,00,000	
	Income from other sources	20,000	1,28,000
Less :	Business Loss	20.000	
	Normal depreciation	5,000	
	Extra shift allowance	1,000	
	Unabsorbed dep. from 1985-86	80,000	1,06,000
	Gross Total Income		22,000

Note : Though brought forward loss is to get precedence over the unabsorbed depreciation, but there was no business profit available for its set off. Since unabsorbed depreciation can be set-off against other profits, it has been done.

Q. 30. Mr. Ratan received the following income during the year ended on 31st March, 1986.

		Rs.
a)	Salary from his employer at Rs. 3,000 per month	36,000
b)	Leave Travel concession for proceeding on leave to home-town in India	4,000
c)	Lunch Allowance at Rs. 250 per month	2,750
d)	Re-imbursement of Medical expenses from employer	4,300

Mr. Ratan also enjoyed the following other benefits and perquisites ;—

a) Rent-free flat in Bombay for which his employer pays a rent of Rs, 1,200 per month.

b) Free gas and electricity for which employer paid total bills of Rs. 1,700.

c) One free car of 14 H. P. with driver for personal use.

Mr. Ratan had certain investments in shares on which he earned dividend of Rs 8,000. Out of this, however, only Rs. 6,300 was received in hand after deducting tax at source of Rs 1,600 and bank commission of Rs. 100 for realising the dividend.

Mr. Ratan's salary and Lunch allowances for March, 1986 which remained unchanged, were received by him only in April, 1986.

Compute the gross total income of Mr. Ratan for the assessment year. 1986-87.

(Vikram B. Com., 1983)

Solution Salary	Rs.	Rs.
Basic @ Rs. 3,000 per month	36,000	
Lunch allowance @ Rs. 250 per month	3,000	
Rent free flat in Bombay (10% of Rs. 39,000)	3,900	
Free gas and electricity bill	1,700	
Free car with driver for personal use	8,400	
Gross Salary	53,000	
Standard deduction	1,000	52,000
Income from other source		
Dividends	8,000	
Less : collection charges	100	7,900
Gross Total Income		59,900
Deduction u/s 80L Dividends		7,000
Total Income		52,900

Notes : 1. Leave travel concession is not taxed assuming that the conditions for such exemptions have been complied with.

2. Reimbursement of medical expenses are not taxed up to Rs. 5,000

3. Car in this case has been given to the assessee only for his personal use. It is a case different from when it is given partly for personal and partly for office use. Whatever amount is claimed by the employer in respect of this car being business expenditure will be the value of the perquisite in the hand of the employee. We have assumed that the depreciation, running and maintenance and driver's wages should come to around Rs. 700 p.m. This figure will vary from one situation to the other.

4. Salary is taxable on the accrual basis

5 Rent free flat in bombay has been valued at 10% of salary including taxable lunch allowance.

Q. 31. The total income for the assessment year 1986-87 of a partership firm ABC in which A, B and C are equal partners is a loss of Rs. 10,000 arrived at after disallowance of the following items :

	Rs.
(i) Salary to A	15,000
(ii) Salary to C	5 000
(iii) Interest to A	12,000
(iv) Interest to B	3,000

The firm is not granted registration. A has a separate business from which the income for the assessment year 1986-87 is Rs. 18,000. He has also a house property used by him for his own residence, the annual value whereof is Rs. 5,000. The only expenses in respect of his house during the year were interest of Rs. 1,200 on a loan taken of its construction. Compute A's total income for the year 1986-87 indicating whether the share of income or loss allocated to him form the unregistered firm shall be included in his total income and charged to tax ——— (*C A Final, May* 1972)

Solution : The loss given in the question is arrived at after disallowing the items aggregating in all to Rs. 35,000. If they could be allowed, the loss to be allocated amongst partners would be Rs. 45,000.

Allocation amongst partners	A	B	C	Total
Salary	15,000	—	5,000	20,000
Interest	12,000	3,000	—	15,000
	27,000	3,000	5,000	35,000
Less : Firm's loss before disallowance	—15,000	—15,000	—15,000	—45,000
Share of each partner	12,000	—12,000	—10,000	—10,000

As the firm is unregistered, the loss amounting to Rs. 10,000 can only be careid forward and set-off by it and not the partners. The firm is also not assessable because of the loss. The partner A is deriving an income of Rs. 12,000 as seen from the scheme of allocation given above.

Since the firm is not paying any tax by virtue of loss. A will not been titled to any rebate on his share of profit from the firm and the whole amount of Rs. 12,000 will be added to his total income and taxed. His assessment will be as follows :

			Rs.	Rs.
1.	Income from house property Annual value of the property occupied Deduction for self-occupation		5,000 2,500	
	Annual value		2,500	
	Less : 1/6th for repairs Interest on loan	417 1,200	1,617	883
2.	Profit from business : From unregistered firm From separate business		12,000 18,000	30,000
	Gross Total Income			30,883

Q. 32. Mr. Rege of Bombay submits the following Trading and Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 1986. He is also in employment with a Cinema Co. in Bombay. Compute his total income for the assessment year 1986-87 :

	Rs.		Rs.
To Opening Stock	70.000	By Sales	4,20,000
To Purchases	3,90,000	By Closing Stock	90,000
To Freight	15,000		
To Gross Profit	35,000		
	5,10,000		5,10,000
To Salaries & Wages	14,800	By Gross Profit	35,000
To Rent and taxes	3.800	By Divinded on shares (gross)	2,000
To Household expenses	2,400	By Rent from building let out	4,800
To Income-tax	600		
To Postage & Telegrams	400		
To Donations	500		
To L.I. Premium	1,800		
To Audit Fees	200		
To Reserve for Bad debts	680		
To Bad Debts	420		
To Misc. expenses	600		
To Depreciation	500		
To Net Profit	15,100		
	41,800		41,800

The following information is also supplied by him :—

1. He received a salary of Rs. 12,000 from the Cinema in Bombay and has conrtibuted 15% of his salary to RPF.
2. Purchases include Rs. 6,000 as advance to his supplier in March, 1986 against goods to be delivered in April, 1986.
3. Rent and taxes include Rs. 1,800 being Municipal Taxes paid for the building let out
4. Premium is paid on his life Policy of Rs. 15,000.
5. Donation is paid to an approved charitable institution for the purposes of Sec. 80G of the IT Act, 1961.

6. Miscellaneous expenses include Rs.400 being the purchase of books for his employment.
7. Depreciation permissible is Rs. 400. —— *(Adapted Mysore B. Com., 1983)*

Solution : Salary

			Rs.	Rs.
Salary from cinema company			12,000	
Less Standard deduction @ 25%			3,000	9,000
Income from house property				
Rent received			4,800	
Municipal taxes			1,800	
			3,000	
Less : Repair allowance			500	2,500
Business Profits				
Net profit as per Profit and Loss Account			15,100	
Add : Expenses not allowed :				
Income-tax		600		
Household expenses		2,400		
Donations		500		
Life insurance premium		1,800		
Reserve for bad debts		680		
Advance for purchases		6 000		
Purchase of books		400		
Excess depreciation		100		
Rent and taxes		1,800	14,280	
			29,380	
Less : Income to be shown separately				
Dividends	2,000			
Rent from building let out	4,800		6,800	22,580
Income from other sources				
Dividends (gross)				2,000
Gross Total Income				36,080
Admissible deduction :				
a. u/s 80C : Full amount		3,300		
b. u/s 80G : Donation 50% of 500		250		
c. u/s 80L : Dividends etc.		2,000		5,550
Total Income				30,530

Notes **: 1.** There is no separate deduction available for salaried assessee for purchases of books needed for employment purposes.

2. It is assumed that the employer's contribution to the Recognised Provident Fund is restricted to 10% only.

3. Qualifying amount has been calculated as under :

Life insurance premium limited to 10% of policy	1,500	
Contribution to RPF @ 15%	1,800	3,300

Q.33. A, B and C are partners in a registered firm sharing profits and losses in the ratio 3 : 2 : 1 respectively. For the assessment year 1986-87 the Account book of the firm showed a net profit of Rs. 78.300 after making the adjustments :—

a) Payment of interest of Rs. 5,000 to A
b) Payment of rent of Rs. 9,000 to B for the business premises of the firm owned by B.
c) Salary of Rs. 10,000 paid to C.
d) Credit of Rs. 2,000 in interest received account charged to C on his debit balance.
e) Commission paid to Rs. 3,000.
f) Payment of Rs. 6,000 to National Defence Fund.

Compute total income of the firm and allocate it among the three partners,

		Rs.
Solution : Net profit as per account books		78,300
Add : Inadmissible expenses—		
Interest to A	5,000	
Salary to C	10,000	
Commission to B	3,000	
Payment to NDF	6,000	24,000
		1,02,300
Gross total Income		
Deduction u/s 80G : Donation 50% of Rs. 6,000		3,000
Total Income		99,300

Computation of Income-tax

Income-tax on the first Rs. 50,000	2,500
On the balance of Rs. 49,300 @ 15%	7,395
Tax Payable	9,895

Allocation Amongst Partners

	A	B	C
Interest	5,000	—	—
Salary	—	—	10,000
Commission	—	3,000	--
Balance of profit (99,300—18,000—9,895)	35,702	23,802	11,901
	40,702	26,802	21,901

Notes : 1. Commission salary and interest on capital paid to partners is not an admissible expenditure.

2. It has been decided in case that the interest paid by a partners to the firm would be included in the firm's total income.[*Shri Ram Mahadeo Prasad v. CIT (1953) 24 ITR 176.*

3. The partners are not entitled to any deduction for donation to NDF.

Q. 34 An HUF carrying on business in gold silver, money lending, brokerage & share dealings showed the following particulars in a statement as an enclosure to the return filed for the assessment year 1986-87.

Loss in silver	1,00,000	Profit in gold	1,50,000
Loss on sale of securities	20 000	Profit in sovereign	25,000
Loss in share dealing (total deficit)	50,000	Profit from brokerage	50,000
Law charges	30,000	Interest & Commission	1,00,000
Bad debts	50,000	Interest on securities & dividends	50,000
Establishment & contingencies	20,000		
Net profit	1,05,000		
	3,75,000		3,75,000

The examination of the books of accounts disclosed the following facts :

a) Silver account was found debited with loss in hedging contract of Rs. 1,00,000 and loss in speculation of silver of Rs. 50,000.

b) Law charges included expenses of Rs. 10,000 incurred in a criminal case connected with alleged purchase of smuggled gold.

c) Bad debts included loss of cash of Rs.10,000 by theft from Tijuri (Iron safe) of the business premises & 20,000 as an irrecoverable loan given without interest to his brother-in-law whose business failed.

d) Establishment expenses included salary of Rs. 3,000 paid to the "Karta" and Rs. 1,000 for purchase of a motor cycle claimed to enable the son of Karta to attend office.

You are required to frame an assessment order giving reasons in support of allowing or disallowing the items of losses claimed and determine the total income.

Solution :

Net Profit as per statement		Rs. 1,05,000
Less : Interest on securities and dividends to be treated separately		50,000
		55,000
Add : Inadmissible amounts	Rs.	
i. Loss in speculation in silver	50,000	
ii. Expenses incurred in criminal case (smuggling)	10,000	
iii. Loss by theft not incidental to business	10,000	
iv. Irrecoverable loan not connected with business	20,000	
v. Cost of motor cycle	1,000	91,000
		1,46,000
Less : Depreciation on motor cycle @ 30% of Rs. 1,000		300
Taxable profit from business		1,45,700
Interest on securities & dividends		50,000
Gross Total Income		1,95,700
Deduction u/s 80L		7,000
Total Income		1,88,700

Notes : 1. Loss in speculation is to set-off only against speculation profits. In the absence of speculation profits, loss from speculation in silver has to be carried forward.
2. Loan given to the brother-in-law of Karta is not connected with the usual day to day business; bad debts in this regard are not allowed.
3. Expenses incurred in defence of criminal act are not allowed.
4. Salary given to Karta is allowed, provided it is resonable and for the service rendered.

Q. 35 Determine the residential status for the assessment year 1986-87 of the following assessee—

a) Mahendra an Indian citizen, went to America for the first time on July 1, 1985 and returned to India on August 15, 1985.
b) Narendra, an Indian citizen went to America for the first time on April 15, 1985 has started residing there, and has not returned as yet.
c) Richardson, an Amecrican citizen, came to India for the first time on December 15 1985 and is still in India,
d) Maaffrey, an American citizen, is living in India continuously for the last five years.
(e Akbarali, a Pakistani citizen, is in India for the last 15 years, but he goes to his country every year for a month and comes back.

(Gwalior B.Com. 1982)

Solution :

a) Mahendra will be a resident of India for the previous year 1985-86 because throughout the year (excepting 46 days) he was in India.
b) Narendra will be a non resident in India during the previous year 1985-86 because he was in India for a period of only 15 days in the relevant year.
c) Richardson will be a non resident in India because he was here only for a period of 106 days and he had never been here.
d) Maafrey will be a not ordinary resident in India for the previous year 1985-86. For becoming a resident he will have to stay here for a period of nine years.
e) Akbarali will be resident in India during the previous year. It does not make any difference whether he is an Indian citizen or a citizen of Pakistan.

Q. **36.** Professor Narayan submits the following particulars of his income for the year ending 31st March 1986 :

a) Salary Rs. 2,000 per month out of which 10% is deducted for RPF with as equal amount from the employer institution.
b) Rent-free bungalow with the annual letting value of Rs. 2,000.
c) Wardenship allowance Rs. 4,000 per annum.

d) Taxable income of house property Rs. 6,000.
e) Interest on post office savings bank account Rs. 500.
f) Royalty from books Rs. 5,000.
g) Examinership remuneration Rs. 2,000,

During the year he paid Rs. 3,500 by way of life insurance premium on his life and spent Rs. 500 for buying books. Professional tax paid by him during the year is Rs, 200.

You are requested to compute his total income and tax liability for the assessment year 1985-86. *(Andhra, B.Com.May. 1980)*

Solution :

	Rs.	Rs.
Salary	24,000	
Rent-free bungalow with letting value	2,000	
Wardenship allowance	4,000	
	30,000	
Standard deduction	6,000	24,000
Taxable income from house property		6,000
income from other sources :		
Royalty from books	5,000	
Examinership remuneration	2,000	7,000
Gross Total Income		37,000
Deduction u/s 80C : Qualifying Amount		5,900
Total Income		31,100

Qualifying Amount

	Rs.
a. Contribution of recognised provident fund	2,400
b. Life insurance premium	3,500
	5,900

Q. 37. The firm Majumdar & Co. having three partners X, Y and Z sharing profits and losses in the ratio of 1/2, 1/4, 1/4 respectively returned a loss of Rs. 37,500 for the assessment year 1986-87. In arriving at the loss the following payments have been charged to the Profit and Loss Account :—

	X	Y	Z
Salary	8,000	5,000	6,000
Interest on capital	16,000	1,000	4,000

Charity Rs. 800 and presents Rs. 700.

Allocate the loss among the partners and indicate, how their shares in the firm will be dealt with in their respective personal assessment :—

(a) If the firm is registered and (b) If it is unregistered.

Solution :

	Rs.	Rs.	Rs.
Net Loss as per P. & L. a/c			—37,500
Add : Inadmissible amounts :			
1. Charity and presents		1,500	
2. Salary to partners			
X	8,000		
Y	5,000		
Z	6,000	19,000	
3. Interest on capital			
X	16,000		
Y	1,000		
Z	4,000	21,000	41,500
Total Income of the firm			4,000

Allocation of income amongst partners

	X	Y	Z	Total
Sharing ratio	1/2	1/4	1/4	1
Salary	8,000	5,000	6,000	19,000
Interest	16,000	1,000	4,000	21,000
Balance of loss (4,000—19,000—21,000)	—18,000	—9,000	—9,000	—36,000
Total	6,000	—3,000	1,000	4,000

Assessment

a) *When the firm is registered* : Since the total income is below Rs. 10,000, the firm shall not pay tax on its income. On the other hand, X and Z are also not required to pay tax, their total income not exceeding Rs. 15,000. Y shall be allowed to carry forward his share of loss to the coming years for setting-off against business income only..

b) *When the firm is unregistered* : The firm shall not pay tax on its total income as it does not exceed Rs. 15,000. Partner's share of profits will be included in their incomes both for rate and tax purposes. Y has no right to carry forward his share of loss in the firm amounting to Rs. 3,000.

It is presumed that the partners do not have any other incomes.

38. Compute total income of Suresh for the Assessment Year 1986-87 in the following cases :

a) Gross total Income of Rs. 1,00,000; donation to National Defence Fund Rs. 18,000, donation to Government for promotion of family planning Rs. 12,000.

b) Gross total income Rs. 25,000, life insurance premium Rs. 3,000 on a policy of Rs. 25,000, contribution to statutory provident fund Rs. 6,000, contibution to 5 Year Cumulative Time Deposit in Post Office Rs. 2,000.

c) Gross total income Rs. 80,000. It includes dividends from Indian companies Rs. 9,000 and income from units of Unit Trust in India Rs 4,000.

(*M. D Rohtak*, 1982)

Solution :

			Rs.
a)	Gross Total Income		1,00,000
	Less : Permissible deductions :		
	Donation to Govt. (family planning)	10,000	
	50% of donation to NDF	9,000	19,000
	Total Income		81,000

Notes : 1. No Maximum limit is prescribed for donation to the National Defence Fund. But whatever amount is donated 50% thereof will be deductible.

2. Donation to Govt. for family planning alongwith other donations is restricted to 10% of gross total income (as reduced by other deductions etc.) but full amount is deductible Docation under this head is thus restricted to 10% of gross total income.

b)	Gross Total income		25,000
	Less Permissible deductions :		
	First Rs. 6,000	6,000	
	50% of the next Rs. 2,500	1,250	7,250
	Total Income		17,750

Notes : 1. Life Insurance premium is limited to 10% of the sum assured. In this case only Rs. 2,500 will qualify. Contribution to statutory provident fund qualifies in full.
2. Contribution to 5 Year Cumulative Time Deposit does not qualify.

c)	Gross Total Income		80,000
	Less Deduction under section 80L :		
	Dividends	7,000	
	Income from UNITS	3,000	10,000
	Total Income		70,000

Q. 39 From the following receipts and payments accounts of Mr. S.S. Rao, an Advocate prepare a statement showing his taxable income for the year ending on

31st March.

Receipts and Payments Account

	Rs.		Rs.
Balance b/f	3,920	Office expenses	9,040
Professional fees	21,900	Professional books	1,400
Arbitration fees	3,000	Professional periodicals	800
Gifts from clients	5,600	Household expenses	18,690
Income from agriculture	27,000	Purchase of a car for professional use	13,200
Loan from LIC for house construction	35,000	House construction exp.	36,200
		Cost of shares bought	6,000
Prizes from State lotteries	13,900	LIC premiums on own life policies	3,000
Dividend (net)	3,200	Deposit in post office 10-years. CTD account	9,000
Interest on bank	4,080	Medical expenses on mentally retarded mother	1,900
		Balance c/f.	18,370
	1,17,600		1,17,600

Additional information :

a) Depreciation allowable on car and furniture Rs. 1,620.

b) Mr. Rao's mother was treated as in-patient for 8 months in year.

(*Karnataka B. Com.*, 1980 *Adapted*)

Solution : Incomes from Profession

		Rs.	Rs.
Professional fees		21,900	
Arbitration fees		3,000	
Gifts from clients		5,600	
		30,500	
Less Expenses :			
Office expenses	9,040		
Professional expenses	1,400		
Periodicals	800		
Depreciation	1,620	12,860	17,640
Income from other sources			
Prizes from State Lotteries		13,900	
Dividends (gross)	3,200×100 / 80	4,000	
Interest on bank deposits		4,080	21,980
Gross Total Income			39,620
Permissible Deductions :			
u/s80 C : Qualifying amount		3,000	
80 L : Interest, Dividends etc.		7,000	
80 T : Lottery prizes : First Rs.	5,000		
50% of 8,900	4,450	9,450	19 450
Total Income			20.170

Note : Gifts from clients have been taken to be professional earnings. In case they can be proved as personal in nature, you may ignore this amount.

Q. 40 Following is the Profit and Loss Account of M/s. Gupta and Company of Bombay, for the year ending 31st March 1986.

		Rs.		Rs
To Establishment Expenses		32,000	By Gross Profit b/d	1,92,248
To Legal charges		6,500	By Interest on foreign securities	9,252
To Advertising		12,000	By Dividends from Indian Co. received (gross)	6,498
To Interest on Capital :—			By Profit on sale of shares bought in 1973	1,200
Gupta	5,000			
Sharma	6,000	11,000	By Profit on speculation in wheat	7,500

To Commission to Gupta	15,000		
To Salary to Sharma	24,000		
To Interest on Loans	16,000		
To Loss on speculation in groundnut	12,000		
To Donations	6,500		
To Bad Debts	3,000		
To Res. for Bad Debts	2,508		
To Depreciation	3,900		
To Net Profit	72,290		
	2,16,698		2,16,698

The partners shared profits equally. During the year a machinery of & years old was sold for Rs. 19,500, its original cost was Rs. 15,000 and the written down value Rs. 10,000. The profit on this sale has not been recorded in the above P & L Account. Interest on loan is Rs. 3,000 from Gupta, Rs. 2,500 on loan for investment in shares, Rs. 4,500 on loan for purchase of foreign securities and balance for business purpose. You are required to calculate the total income of the firm and allocate the same among the partners, assuming the firm as unregistered. (*Karnatak B. Com.*, 1980)

Solution :

a) **Profit from business**

Net profit as per Profit and Loss Account				
Add Inadmissibles :				
Insterest on capital :				
Gupta	5,000			
Sharma	6,000			
		11,000		
Commission to Gupta		15,000		
Sala y to Sharma		24,000		
Loss on speculation		12,000		
Donations		6,000		
Reserve for Bad debts		2,508		
Interest on loan from Gupta		3,000		
Loan for invest. in shares		2,500		
Loan for purchase of foreign securities		4,500		80,508
				1,52,798
Less Incomes to be treated separately :				
Interest on foreign securities		9,252		
Dividend from Indian companies		6,498		
Profit on sale of shares		1,200		
Profit on speculation in wheat		7,500		24,450
				1,28,348
Add balancing charge on sale of old machine (15,000—10,000)				5,000
				1,33,348
Speculation profit (wheat)		7,500		
Less : speculation loss (groundnut)—		12,000		
		—4,500		
Loss carried forward				
b) Capital gains (on sale of old machinery) long-term			4,500	
Profit on sale of shares			1,200	5,700
c) Income from other sources				
Interest on foreign securities (9,252—4,500)			4,752	
Dividends from Indian companies (6,498—2,500)			3,998	8,750
Gross Total Income				1,47,798
Deductions u/s 80T : Capital gains				
First Rs. 5,000			5,000	
40% of the balance of Rs. 700			280	5,280
Total Income				1,42,518

Allocation Amongst partners

	Gupta	Sharma	Total
Interest on Capital	5,000	6,000	11,000
Salary to Sharma	—	24,000	24,000
Commission to Gupta	15,000	—	15,000
Interest on loan from Gupta	3,000	—	3,000
Share in business profit (1,42,518 – 53,000—8,750)	40,384	40,384	80,768
Share of business	63,384	70,384	1,33,768
Share in foreign interest	2,376	2,376	4,752
Share in dividend	1,999	1,999	3,998
Share in firm's Total Income	67,759	74,759	1,42,518

Q. 41. Shri Prem Prakash furnishes the following particulars relating to his income. He is unemployee of a Private Limited Company at Bangalore.

a) Salary Rs. 2,000 per month.
b) Bonus equal to 2 months salary.
c) Dearness Allowance at 20% of the basic salary.
d) He contributes 15% of his salary Recognised Provident Fund to which his employer contributes equal amount.
e) Interest credited to Provident Fund account at 10% per annum amounted for the previous year to Rs. 1,000.
f) He is given rent-free furnished quarters owned by employers which was a municipal value of Rs. 500 per month and cost of the furniture amounts to Rs. 10,000.
g) Employer has given him a car with 14 h. p. which he uses for both private and official purposes, expenses for the private use met by Shri Prem Parkash himself.
h) The company pays his Life Insurance Premium of Rs. 6,000 the policy amount being Rs. 50 000 and he pays Rs. 1,000 Insurance Premium on the life of his wife, the assured sum being Rs. 8,000.
i) He is offered free services of a gardner and of a servant whose monthly salaies amounted to Rs. 100 and Rs. 80 respectively. Compute his Total Income for the privious year 1985-86.

(*Karnataka B. Com.* 1981)

Solution :

		Rs.
Basic salary @ Rs. 2,000 per month		24,000
Bonus 2 month salary		4,000
Dearness allowance @ 20%		4,800
Employer's Contribution to RPF in excess over 10%		1,200
Rent free house		3,800
Use of free car		1,200
Life Insurance premium paid by the company		6,000
Free gardener @ Rs. 60 per month		720
Free servant @ Rs. 80 per month		960
Gross Salary		46,680
Standard deducation		1,000
Net salary being gross total income		45,680
Deduction u/s 80C : Qualifying amount		
First Rs. 6,000	6,000	
50% of Rs. 3,400	1,700	7,700
Total Income		37,980

Qualifying Amount :

Contribution to RPF	3,600	
Life Insurance pay by Co.	5,000	
Premium paid by the assessee	800	9,400

